

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

२२२२

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

(02/280.2(28)सं(क)

अगस्त

१९३९

संवाद

अथ वा: पन्था। सुगतम् लोके ।

द्वितीयः



आर्थिक प्रश्न
 क. १-१०
 म. ६ २-८०
 विश्वमंडल विनिग
 १.५० अक्षर
 अथ संक
 ६ भाग

अथ संक 'अथवा' १५/३९
 संवाद विनिग अथवा संक
 अथवा संक विनिग विनिग संक
 अथवा संक विनिग विनिग संक
 अथवा संक विनिग विनिग संक
 अथवा संक विनिग विनिग संक
 अथवा संक विनिग विनिग संक
 अथवा संक विनिग विनिग संक

संवाद काँग्रेस
 अथवा संक विनिग

अनुक्रमणिका

(१) सत्य कैसे मिलेगा ? (गांधीजी)	१
(२) बीसावास्थोपनिषत् (विनोबा)	२
(३) सर्वोदय की यात्रा (श्री काका कालेलकर)	३
(४) चम्बादावणी (गांधीजी)	७
(५) कीर्ति की नजर से (आश्रमवासी भुल्लू)	९
(६) क्या हम तैयार हैं ? (श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त)	१४
(७) सरक्षकता का सिद्धान्त (श्री निर्मल कुमार बसु)	१७
(८) हमारा नेत्र कदम (श्री किशोरलाल घ. मराठ्ठावाला)			२१
(९) लोकमान्य के चरणों में श्रद्धार्जलि (विनोबा)			२५
(१०) प्रश्नोत्तरी	३८
(११) सर्वोदय की दृष्टि	३९

कविश्वर एवीन्द्रनाथ और ए. त्रिवारराला,

कौंग्रेस की वर्यनीय स्थिति; रई क्या है ? ...

गांधीजीयान्त; ओमन भल. ...

(१२) सरकार, शराब और जनता (लो० बाम गंगाधर तिलक)	४५
(१३) संगठन	६३



2232
28
12

सर्वोदय मिलने की व्यवस्था निम्न लिखित स्थानों में की गयी है

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, जानंद भुवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) वीरा ग्रैण्ड कंपनी, ८, राउण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) खादी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य भण्डल, नया बाजार, देहली ।
- (७) सस्ता साहित्य भण्डल, लखनऊ ।
- (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) भगननाथ हिम्मतलाल मठ, कौंग्रेस हाऊस, नाणाबद, पुरत ।

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादा धर्माधिकारी

अगस्त १९३९
वर्षा

सत्य कैसे मिलेगा ?

लब बिबंदो, चरम बन्दो, गोश बन्द,
गर नबीनी सिररे हक बरमा बिखंद,

(अपने होंठ बन्द रख, आँखें बन्द रख, कान बन्द रख, अितना
करने पर यदि तुझे सत्य का गूढ तत्त्व न मिले तो मेरी हंसी कर।)

यह मौलाना रूम का शेर है। इस प्रकार के रत्न कच्छ के चमन कवि कभी कभी मुझे भेजा करते हैं। जब मैं राजकोट में था, अूस वक्त यह शेर अुन्होंने अुसके अर्थ सहित मेरे पास भेजा था। मुझे वह अितना सरस लगा कि ' हरिजनबन्धु ' पढ़नेवालों के सामने रखने की अिच्छा हुअी। आज जब कि हम चाहे जैसी बकवास करते हैं, जब कि चाहे जैसी सच्ची झूठी, गन्दी, बातें सुनते हैं, और आँख चाहे जैसी बीभत्सता देखती है, ये वचन हमारे हृदय में तीर जैसे सनसनाते हुअे घुसने चाहियें। सत्य की खोज की अैसी ही करारी शर्त है। हम अपने कान, आँख, होंठ, बिलकुल बन्द भले ही न करें। यदि करें तो कुछ गंवानेवाले नहीं हैं। तो भी हम अितना तो अवश्य कर

सकते हैं कि होठों से असत्य या कडुअे वचन न निकालें, कानों से किसी की निन्दा या गलीज बातें न सुनें, आँखों से हमारी अिन्द्रियों को चलबिचल करनेवाला कुछ न देखें। बल्कि सच ही बोले, अीश्वर का नाम जपें, कानों से भजन-कीर्तन सुनें, हमें आगे बढ़ावे अैसा कुछ सुनें; और आँखों से अीश्वर की माया देखें, सन्तजनों का दर्शन करें। अैसा जो करेगा वही सत्य का दर्शन पायेगा, वही शुद्ध सत्याग्रही बन सकेगा और अुसीकी तपस्या से हम शान्तिमय स्वराज्य की प्राप्ती देख सकेंगे। इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है।

मो. क. गांधी.

“हरिजनबन्धु”

ता. २३:७:३९

अशावास्योपनिषत्

[विनोबा]

ॐ अशावास्यमिद् सव्यं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विन्नम् ॥

अर्थ—अस जगत में जो कुछ भी जीवन है वह सब अश्वर ने बसाया हुआ है। असलिअे तू अश्वर के नाम से त्याग करके यथाप्राप्त भोग किया कर। किसी के धन की वासना न कर।

टिप्पणियाँ--(१) "अशा + आवास्यम्" = "अशावास्यम्" अतना अक पूरा पद सम-सना चाहिअे। "अशा" और "वास्यम्" असे दो पद मानने से व्यञ्जनान्त "अश" शब्द स्वीकारमा पड़ता है। परन्तु अस अपनिषत् की संज्ञा (नाम) तो "अशा", अर्थात् स्वरान्त है।

(२) "जगत्" का अर्थ है "जीने-वाला," "जीवनवान्"। जगत में सभी पदार्थ जीवनवान् है। जीवन कहीं सुप्त है, कहीं प्रकट है। सभी अश्वर ने बसाया है।

(३) अश्वर की सत्ता का स्वीकार करते ही मनुष्य का स्वामित्व-निरसन अनायास ही हो जाता है।

'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः', असि अर्थ को स्पष्ट करता है। यही भगवद्गीता की राजविद्या है। यहाँ त्याग का विधि (विधान या आज्ञा) है, न कि भोग का।

(४) अश्वर की सत्ता जान कर त्याग-

वृत्ति का स्वीकार करने पर दूसरों की भोग-वृत्ति की अीर्ष्या करने का कारण ही नहीं रह जाता। यही "मा गृधः कस्यस्विन्नम्" अस वाक्य से स्पष्ट किया गया है।

वैदिक नाडमय में साधारणतः 'गृध्' धानु अकर्मक है; और 'कः' सह "स्वित्" प्रश्नार्थक है। असलिअे संभव है कि यहाँ "मा गृधः," और "कस्यस्वित् धनम्?" असे दो भिन्न वाक्य हों। यदि असा हो, तो अनुका अर्थ होगा—"तृष्णा मत कर; (क्योकि) धन किराका है?"

(५) अस मंत्र में वैदिक धर्म का सारा निचोड़ समाया हुआ है। (१) अश्वर की सत्ता का स्वीकार। असलिअे, (२) स्वयम् त्याग वृत्ति से जीना। और असिअे, (३) दूसरों की भोगवृत्ति की अीर्ष्या न करना। यह तिहूरा वैदिकधर्म है। असमें स्वात्मा, परात्मा और परमात्मा संबंधी कर्तव्यों का विवरण है।

(१५:७:३९ के मराठी 'ग्रामसेवावृत्त' से)

ओशावास्योपनिषत्

[विनोबा]

ॐ ओशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

अर्थ—अस जगत में जो कुछ भी जीवन है वह सब ओश्वर ने बसाया हुआ है। असलिअे तू ओश्वर के नाम से त्याग करके यथाप्राप्त भोग किया कर। किसी के धन की वासना न कर।

टिप्पणियाँ--(१) "ओश + आवास्यम्" = "ओशावास्यम्" अतना अेक पूरा पद सम-हना चाहिअे। "ओशा" और "वास्यम्" अैसे दो पद मानने से व्यञ्जनात्त "ओश्" शब्द स्वीकारमा पड़ता है। परन्तु अस अुपनिषत् की संज्ञा (नाम) तो "ओश", अर्थान् स्वरान्त है।

(२) "जगत्" का अर्थ है "जीने-बाला," "जीवनवान्"। जगत में सभी पदार्थ जीवनवान् है। जीवन कहीं सुप्त है, कहीं प्रकट है। सभी ओश्वर ने बसाया है।

(३) ओश्वर की सत्ता का स्वीकार करते ही मनुष्य का स्वामित्व-निरसन अनायास ही हो जाता है।

'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः', अिसी अर्थ को स्पष्ट करता है। यही भगवद्गीता की राजविद्या है। यहां त्याग का विधि (विधान या आज्ञा) है, न कि भोग का।

(४) ओश्वर की सत्ता जान कर त्याग-

वृत्ति का स्वीकार करने पर दूसरों की भोग-वृत्ति की ओर्ष्या करने का कारण ही नहीं रह जाता। यही "मा गृधः कस्यस्वित् धनम्" अिस वाक्य से स्पष्ट किया गया है।

वैदिक बाङ्गमय में साधारणतः 'गृध्' धातु अकर्मक है; और "कः" सह "स्वित्" प्रश्नार्थक है। असलिअे संभव है कि यहां "मा गृधः," और "कस्यस्वित् धनम्?" अैसे दो भिन्न वाक्य हों। यदि अैसा हो, तो अुनका अर्थ होगा—"तृष्णा मत कर; (क्योंकि) धन किसका है?"

(५) अस मंत्र में वैदिक धर्म का सारा निचोड़ समाया हुआ है। (१) ओश्वर की सत्ता का स्वीकार। असलिअे, (२) स्वयम् त्याग वृत्ति से जीना। और अिसीलिअे, (३) दूसरों की भोगवृत्ति की ओर्ष्या न करना। यह तिहरा वैदिकधर्म है। असमें स्वात्मा, परात्मा और परमात्मा संबंधी कर्तव्यों का विवरण है।

(१५:७:३९ के मराठी 'ग्रामसेवावृत्त' से)

‘सर्वोदय की यात्रा’

[काका कालेलकर]

एक साल पूरा हुआ। देश के भाग्यचक्र ने एक आवर्तन पूरा कर के एक साल का इतिहास पूरा कर दिया। इसमें हममें से हर एक का कुछ न कुछ हिस्सा है ही। हम अपने अच्छे और बुरे कार्य करने से अथवा न करने से, शुभ और अशुभ संकल्प से, देश के इतिहास पर अपनी ओर से कुछ न कुछ असर डालते ही हैं। एक साल के पहले देश जहाँ था वहाँ आज नहीं है। एक साल के पहले जहाँ हम थे वहाँ आज नहीं हैं। इस एक साल का विचार करते बड़ा आश्चर्य होता है।

सर्वोदय का ख्याल मन में रख कर जब सोचते हैं तो सर्वप्रथम यही एक बात मन में आती है कि, इस साल में हमने कितना करना चाहा था और कितना थोड़ा कर पाये हैं। अगर अकाग्रता से, अकनिष्टा से सर्वोदय का ही काम करते तो मूल संकल्प को बहुत कुछ अमल में ला सकते। किन्तु लीभी आदतें अपनी शक्ति-अशक्ति का हिसाब रखने ही नहीं देती। और बहुतसे काम हाथ में लेने से एक के साथ भी पूरा भिन्साफ नहीं किया जाता। देश के उत्थान के लिये जितने कषेत्रों में काम करना आवश्यक है उन सब कषेत्रों के लिये काफी सेवक मिल जायें तो एक को उन सब कामों में फँस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह बात भी ध्यान में रखने लायक है। जब तक इस दुनियामें हरेक आदमी अपना अपना बोझ नहीं अठावेगा तबतक सत्ययुग की स्थापना नहीं होगी। जबतक बहुतसे लोग दूसरे के परिश्रम से

लाम अठाने की नीयत रखेंगे तबतक आश्रित और आश्रयकता, मालिक और गुलाम, धूर्त और बेवकूफ, अैसे भेद रहेंगे ही और उनसे पैदा होनेवाली अनर्थपरंपरा से हम अपनेको नहीं बचा सकेंगे। अपना काम दूसरे के सिर पर डालना अथवा दूसरे का काम अपने सिर पर लेना सर्वथा भयावह है।

सर्वोदय की सेवा हम जितनी चाहते थे उतनी नहीं कर सके।

संतोष की बात है कि, हमारे लेखकों ने तो अच्छा सहयोग दिया है। अगर इसीको हम अधिक संगठित करें तो लेखकों की ओर से इससे भी अधिक सहयोग आसानी से मिल सकेगा। इसके लिये हमें अपने लेखकमंडल से परिचय बढ़ाना होगा।

यह भी संतोष की बात है कि, पाठकों ने भी सर्वोदय के लेख बड़े चाव से पढ़ कर अपनी ओर से अधिक से अधिक सहयोग दिया है। अगर वे संपादकों के साथ पत्रव्यवहार द्वारा अपना संपर्क बढ़ावेंगे तो सर्वोदय उनकी अधिक सेवा करने में समर्थ होगा। सर्वोदय गांधी सेवा संघ के वैध-अवैध सब सदस्यों के विचारों का, अध्ययन का, और अनुभवों का प्रतिबिंब बनना चाहिये। गांधी सेवा संघ के सदस्य तो दो सौ ढाढ़ी सी ही होंगे। किन्तु सर्वोदय के—सत्य, अहिंसा, सेवा के—अपासक तो सारे देश में फैले हुए हैं। थोड़ीबहुत श्रद्धा से काम करनेवाले लोग तो सर्वत्र पाये जाते हैं। उनके सहयोग से ही सर्वोदय सफलता प्राप्त कर सकेगा।

जिनमें गंभीर विचारचर्चा होती है उसे नियतकालिकों का यह अनुभव है कि, लोग अन्हें प्रेम और आदर से पढ़ते तौ हैं। किन्तु अितने से अुनका प्रचार नहीं बढ़ता। सर्वोदय भी अभी तक घाटे में ही चलता है। सर्वोदय अैत्री अुपकारक प्रवृत्ति घाटे में चलाना आसान नहीं है और अशक्य भी नहीं है। अिस घाटे को भर देनेवाला कोअी न कोअी सर्वोदय-प्रेमी मिला ही जायगा। किन्तु कोअी भी प्रवृत्ति अंत में जा कर घाटे में चलाना अच्छा नहीं है।

अिश्तहारों की आमदनी से अखबार चलाना तो मानों मंदिर के आसपास के कमरे भले-बुरे कामों के लिये किराये पर दे कर अुस की आमदनी से मंदिर का खर्च चलाने के अैसा है। चोरी का माल चाहे जितना सस्ता मिले तो भी सज्जन अुसे जैसे नहीं खरीदते, वैसा ही अारितर्य और समाधान का नाश करनेवाले अिश्तहारों का अपने घर में प्रवेश कराने की शर्त पर अखबार और मासिक सस्ते में लेना यह भी अच्छे लोगों के लिये शोभास्पद नहीं है।

हमारा विश्वास है कि अपनी ओर से हम पूरी मिहनत करेंगे तो सर्वोदय निश्चित-रूप से स्वावलंबी ही जायगा। लोगों की अभिरुचि शुद्ध रहे या बिगड़े, लोगों को जीवनचर्चा में रस तो आना ही है। अुसी रस को ले कर अगर हम जीवन के सब के सब अंगप्रत्यों को रोबक रूप से शब्दबद्ध करेंगे और आस्वाद के साथ जीवनचर्चा करेंगे तो अवश्य ही जनता सर्वोदय का समादर करेगी।

कोअी भी मासिकपत्र योग्यता से चलाना अेक बात है; और अुसका प्रचार बढ़ाना दूसरी ही बात है। प्रचार बढ़ाने की अेक स्वनन्तर कला ही है। अिस कला में कोअी

अेक व्यक्ति प्रवीण हो जाय और सर्वोदय का प्रचार बढ़ावे अिसकी अपेक्षा में यह पसंद करूंगा कि सर्वोदय के प्रचार में गांधी सेवा संघ के सदस्य और सर्वोदय के अन्य पाठक, अुस कार्य को अपनी जिम्मेवारी समझ कर, सतत मदद करते रहें।

केवल सर्वोदय खरीदने से पाठकों में यह आत्मीयता शायद नहीं आवेगी। अुनके साथ हमें परिचय भी बढ़ाना चाहिये।

x x x x

वर्तमान परिस्थिति

अब देश अेक बहुत महत्त्व के संघिकाल में आ पहुंचा है। हमारे संघ को ही लीजिये। आत्मशुद्धि, सेवा और संगठन, यही संघ का त्रिविध कार्य है। आत्म-शुद्धि का महत्त्व और अुसकी साधना गांधीजी ने बताया अुसके अनुसार लोगों ने कम या बेसी प्रयत्न करके अनुभव लिया और गांधीजी की बताया हुआ साधना निर्विवादरूप से असरकारक है यह भी देख लिया। किन्तु अब लोगों में साधना के बारे में कुछ नये विचार आने लगे हैं और हमारा साधनकरम कुछ शिथिल, कुछ अनिश्चितसा, हो गया है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आदर्श का ख्याल अधिक विशुद्ध होने लगता है और साधन में कुछ न कुछ परिवर्तन हो ही जाता है। हमारे साधनकरम में जो परिवर्तन हुआ है अुसमें विकास है, प्रयोगपरायणता है, या अकाबट की शिथिलता है, यह अच्छी तरह से देखना होगा।

हमारे सेवा के क्षेत्र तो बहुत कुछ बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अिस कार्य में

जहाँ आज तक हमीं लोगों का ठेका था वहाँ अब नये नये लोग आ कर जुन जुन क्षेत्रों का कब्जा ले रहे हैं। अुनके साथ काम करते करते हमें सहयोग की कला सीखनी होगी। भिन्न दृष्टि के प्रति सहानु-भूति रखनी होगी। और अहिंसा का प्रत्यक्ष परिचय कराना होगा।

संगठन का शास्त्र तो हम अभी नया नया सीख रहे हैं। जिनमें पक्ष-प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्षी का विरोध करने के लिये संगठन के भीतर संगठन होता है, अंसे संगठन तो दुनिया में सब जगह हुआ करते हैं। जिसमें भी जब दृष्टि दूर तक नहीं पहुंचनी, क्पुद्र स्वार्थ प्रबल हो जाता है, अथवा पुरुषार्थ दुर्बल रहता है, तब अंदर अंदर भी बड़े संगठन तोड़ कर छोटे छोटे संगठन पैदा करने की वृत्ति बढती है। हिन्दुस्तान के सारे अतिहास में हमारी जाति में यही दोष पाया गया है। हमारा राष्ट्र अितना बडा, संस्कारी, अुद्योगशील और समर्थ होते हुए भी हम बार बार गुलामी में पडे हैं। इस का प्रवान कारण यही है कि हम दीर्घ देखने की जगह न्हस्व देखते हैं। अभेद पर जोर देने की जगह भेद को ही बडा बनाते हैं। अपनों को ही पराया समझते हैं और विशाल संगठन को कमजोर कर के छोटे संगठन को आगे बढाने में बडा अुत्साह बताते हैं।

किन्तु गांधी सेवा संघ द्वारा तो हमें अेक नये ही किसम का संगठन कायम करना है। जिसमें किसी का विरोध करने का तत्त्व है ही नहीं। क्योंकि यह सच्चुच अहिंसामूलक है।

अहिंसामूलक संगठन का शस्त्र और अुसका शास्त्र अलग ही है। इसका मूल मंत्र है 'महा-मनाःस्यात् तद् प्रतम्'। मन बडा रखना, दिल

अुदार रखना, आत्मविलोपन करना, और केवल सेवाभाव बढाना, यही इस संगठन का नया तरीका है। इसकी बुनियाद में यह विश्वास है कि सज्जनता का असर यथासमय हर अेक के अुपर हो कर ही रहता है। संगठन स्थायी करने का दूसरा मार्ग ही नहीं है।

अिन दिनों हम देखते हैं कि देश में राजनैतिक चर्चा बढ गयी है। पदलालसा बढ गयी है। किन्तु कार्यकरोंकी संख्या नहीं बढ रही है। अखबारों का और किताबों का पठन बढ रहा है। किन्तु परिस्थिति का अध्ययन नहीं बढ रहा है। अपने अपने विषय में प्रवीणता प्राप्त करने की कोशिश भी लोगों में जितनी होनी चाहिये अतनी नहीं है। अंसे देश में बडी मुद्रिकल से स्वार्थत्याग-पूर्वक राष्ट्रसेवा करनेवालों का और अेक दूसरे के साथ प्रेम और बंधुता से काम करनेवालों का अेक छोटासा मंडल राष्ट्र ने पैदा किया है। अुसका स्थान लेनेवाले और अुसका कार्य आगे चला सकें अंसे लोग तो बहुत कम पाये जाते हैं, किन्तु अुनके नेतृत्व का अस्वीकार करनेवाले, अुसे तोड़नेवाले लोगों की संख्या बहुत बढ रही है। देश के सामने अितना काम पडा हुआ है और कार्यकर अितने कम हैं कि किसी अेक के क्षेत्र में जा कर अुसके काम में वखल देने की जरूरत दूसरे किसी को होनी नहीं चाहिये।

हर अेक क्षेत्र में काम करनेवाले सेवक अद्वितीय हैं, यह कोअी अच्छी स्थिति नहीं है। अेक का काम अुठानेवाला अगर दूसरा तैयार न रहा तो देश में काम की परंपरा टूट जायगी। अनुभव की विरासत राष्ट्र को नहीं मिलेगी। और काम तो कभी बढेगा ही नहीं। सहयोग की शक्ति जब हमारे देश में बढेगी तभी जा कर देश की शक्ति का पूरापूरा अुपयोग हम कर सकेंगे।

अपने अपने स्थान में हरेक को परिस्थिति का स्वामी बनना चाहिये। अगर यह नामुमकिन हो तो कम से कम परिस्थिति का ज्ञाता तो पूर्णतया बनना ही चाहिये। और हरेक को अपने काम के प्रारंभ के साथ ही अपना अुत्तराधिकारी भी तैयार करते जाना चाहिये, केवल अंधप्रवृत्ति चलाने से सर्वत्र संकर ही पैदा होगा, भ्रम ही पैदा होगा। जहाँ सत्य और अहिंसा है वहाँ कार्य-शुद्धि और दृष्टि की निर्मलता—प्रसाद—आप ही आप आ जाता है। जहाँ ये नहीं हैं वहाँ सत्य और अहिंसा का शुद्ध स्वरूप नहीं है असा हम बिना संकोच के कह सकते हैं।

अगर सारी दुनिया में देखा जाए तो एक तरफ युद्ध की तैयारी बढ़ रही है, तो अुस के साथ साथ युद्ध का डर भी काफी देख पड़ता है। दुनियाँ की आर्थिक हालत अितनी खराब हो गयी है कि बड़ी सामाजिक क्रान्ति हुई बिना शान्ति प्रस्थापित होनेवाली नहीं है। दुनियाँ का अर्थतन्त्र थोड़े से विशाल केन्द्रों में केन्द्रित हो गया है। अिस केन्द्रीकरण के साथ सर्वोदय की दृष्टि और

सर्वोदय की अुदारता न होने से केन्द्रीकरण शापरूप सिद्ध हो रहा है। जहाँ छोटेबड़ों की—सबकी—भलाभी की दृष्टि है वहाँ पर केन्द्रीकरण और पृथक्करण दोनों का योग्य समन्वय ही जाता है।

हम देखते हैं कि दुनिया में सर्वत्र विचार-भ्रम फैला हुआ है। धर्माधर्म का निर्णय भी करना कठिन हो गया है। अंसी हालत में आदर्श की शुद्धि, असली परिस्थिति की जानकारी और परिणाम का निरीक्षण और ज्वररहित होना आवश्यक है।

सर्वत्र बिचित्र सी हालत है। हम अेक बड़ी क्रान्ति के बीच आ पड़े हैं। किन्तु जो लोग क्रान्ति के नाम से चिल्लाते हैं, वे क्रान्ति के स्वामी हैं अंता तो कहीं अनुभव नहीं होता है। क्रान्ति क्रान्ति करते करते वे स्वयम् क्रान्ति के शिकार बन जाने की सम्भावना अधिक है। आज तो तूफानी दरिया में अपना जहाज अिष्ट बंदरगाह में पहुंचानेवाले क्रान्ति—स्वामी या वरुण-देव की खास जरूरत है।

भारत के अेकमेव लोकमान्य

हमारे लिये तो आगामी पीढ़ियाँ अुन्हें आधुनिक भारत के अेक निर्माता के रूप में पूजेंगी। जो अुनके लिये जीया और अुन्हींके लिये मरा अंसे व्यक्ति के नाते वे अुनकी पुण्यस्मृति का आदर करेंगी। अंसे आदमी के लिये यह कहना कि वह मर गया है निपट नास्तिकता है। अुसके जीवन का सनातन तत्त्व हमारे साथ निरंतर है। आशिये, हम अुनकी वीरता, अुनकी सादगी, अुनकी विलक्षण अुद्योगिता और अुनका अुत्कट देशप्रेम अपने जीवन में दाम्बिल कर भारत के अेकमेव लोकमान्य के लिये अविनाशी स्मारक निर्माण करें।

चर्खाद्वादशी

[७० दिन का कार्यक्रम--२ अगस्त से १० अक्टूबर तक]

“भादो वदी १२ को पूज्य गांधीजी का ७१ वाँ वर्ष शुरू होता है। देश के अुद्धार के लिये चर्खे को अुन्होंने अग्रस्थान दिया है, अिसलिये हम अिस मांगलिक दिवस को ‘चर्खाद्वादशी’ के त्यौहार के रूप में मानते हैं।

पांच वर्ष से राष्ट्रीयशाला की तरफ से कातने का कार्यक्रम रखा जाता है। हर साल पूज्य गांधीजी अिस कार्यक्रम का अपना आशीर्वाद भेजा करते हैं। अेक बार आशीर्वाद भेजते हुअे अुन्होंने लिखा था कि—“आज के शिथिल वातावरण में यह काम मुश्किल है। नीरस भी सझता जाता है। किंतु अविचल श्रद्धा मुश्किल को आसान कर देती है, और जो नीरस प्रतीत होता है अुसे सरस बना देती है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे वायुमंडल को अँसा बना दे कि वह चर्खे की शक्ति को पहचान ले।”

दूसरी बार लिखा था कि—“सबको खादी की चेष लग जाये, तो सूत के तार से स्वराज्य सहज ही प्राप्त हो सकता है। में यह कहूँगा कि खादी पर बीस वर्ष पहले मेरा जो विश्वास था, वह आज बढा है, कम तो हुआ ही नहीं।”

ये अुद्गार अुनकी जयंति के अवसर पर अिस कार्य को प्रेरणा देने के लिये काफी हैं। अिस आशिर्वाद से कितनी प्रेरणा मिलती रही है, और कितनी सफलता मिली है, अिसका अंदाज नीचे के अँकड़ों से किया जा सकता है।

पहले वर्ष के ६६ हजार गज कातने के

संकल्प में से पाँचवें वर्ष के कार्यक्रम में ७० वाँ वर्ष पूरा होते हुअे ७० दिन में ७० लाख गज से भी अधिक कातने का संकल्प किया जा सकता है।

भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से अिस कार्यक्रम में बहुत प्रेम से भाग लेनेवाले लोग अपने नाम दर्ज कराते हैं और अिस तरह लाखों गज सूत कत जाता है।

अिस वर्ष भी साबरमती-सत्याग्रहाश्रम-वासी, गांधी-सेवा-संघ के सदस्य, चर्खा-संघ तथा हरिजन-सेवक-संघ के कार्यकर्ता, पाठशालाओं, विद्यापीठ तथा राष्ट्रीय शालाओं, अिस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और कातने के संकल्प की सूचना भेज दें, यह प्रार्थना है।

अिसके अतिरिक्त, ७०-७० सिक्के दरिद्र-नारायण के प्रीत्यर्थ एकत्र किये जायेगे। पूज्य गांधीजी अिस कार्य को अुचित समझे अुस कार्य में अुस शैली का अुपयोग काठियावाड में ही करेंगे।

सब अिस अवसर को पहचान कर खादी के वेग को बढायेंगे, अैसी आशा है।

गत वर्षों में चर्खा-द्वादशी के दिन पूज्य गांधीजीने सरदार वल्लभभाभी तथा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और राजकुमारी अमृतकुँवर को हमें प्रेरणा देने के लिये भेजा था। अिस वर्ष भी किसी भाभी या बहिन को भेजने के लिये प्रार्थना की गयी है। हम अुनके योग्य बनने के लिये कार्यक्रम में अुत्साह दिखायें।

(पता--राष्ट्रीयशाला,

राजकोट.)

सेवक

नारणदास लु० गांधी”

श्रीनारायणदास गांधी एक जःप्रत खादी-सेवक हैं। अपने व्यवसायों को करते हुए भी वे नियमित रीति से रोज लगभग चार घंटे बरसों से कातते हैं। उनका सूत सारे कुटुंब के कपड़ों के लिये पर्याप्त हो जाता है। खादी की शक्ति के अपूर उनका अटल विश्वास है। मेरी श्रद्धा तो मुझे यहाँ तक ले जाती है कि मैं खादीप्रचार को दरिद्रनारायण की, और उसके द्वारा देश की, अच्छी-से-अच्छी सेवा समझता हूँ। कोबी-कोबी कहते हैं कि यह व्यवसाय मूर्खतापूर्ण है, और मेरी अुत्तरक्रिया के साथ जिसका भी अंत हो जानेवाला है। जो व्यवसाय हिंदू-मुसलमान कातने-बुननेवालों के लीसे में लगभग पाँच करोड़ रुपया पहुँचाता हो, वह व्यवसाय यदि मूर्खतापूर्ण समझा जाये, तो फिर यह विचारणीय है कि बुद्धिमत्तापूर्ण किसे कहा जाये? चाहे जो हो, मेरी आशा तो यह है कि जिस साहसपूर्ण कार्य को पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा। नारायणदास का लोभ हर साल बढ़ता ही जाता है। आजतक तो भीश्वर की कृपा से वे सफल हुए हैं। जिस बार पहले वर्ष के छःसठ हजार के बदले अुन्होंने सत्तर लाख गज मूत प्राप्त करने का लोभ बढ़ा लिया है। सात्रुपुरुषों का

संकल्पबल क्या नहीं कर सकता? सात सं स्वयंसेवक मिल जायें तो रोज प्रत्येक १००० (अंक हजार) गज कातेगा। और सात हजार हों, तो १०० गज ही हरेक के हिस्से में आयेगा। यहाँ अधिक संख्या का नियम लागू होता है। कातनेवालों की संख्या जितनी ही बड़े अुतना अच्छा। खादी की कल्पना में करोड़ों मनुष्यों के काम की कल्पना निहित है, अर्थात् करोड़ों का सहयोग होना चाहिये। हिंदु-स्तान में करोड़ों मनुष्यरूपी संचे पड़े हुए हैं। वे बड़े-बड़े जड़ यंत्रों के मोहताज नहीं। करोड़ों का सहयोग हो, तो बड़े मजे से लोग अपने वस्त्र बना लेंगे, और करोड़ों रुपया विदेश जाने से बच जायगा, तथा करोड़ों में अपने-आप बट जायगा। आशा है कि जिस साहसपूर्ण कार्य को लोग बढ़ायेगे, और अुसे सफल बनायेंगे। जो सिक्के जमा होंगे वह और खादी से जो पैसा मिलेगा वह काठियावाड के हरिजन-कार्य में, खादी-कार्य में और राजकोट राष्ट्रीय-शाला में बराबर-बराबर वँट जायगा।

‘हरिजन सेवक’ से] मां० क० गांधी

भूल-सुधार

जुलाजी के ‘सर्वोदय’ में श्री विरोच के प्राक्क में २८ वें पृ० के दूसरे स्तंभ में यह वाक्य है:—“सायणाचार्य ने जिस मंत्र का भाष्य करते हुए ‘वध’ और ‘मृत्यु’ के भेद की तरफ ध्यान दिलाया है।”

यह वाक्य गलत है। अुसकी जगह पाठक यह वाक्य पढ़ें:—“‘वध’ और ‘मृत्यु’ में वक्षपि सायणाचार्य कोभी भेद नहीं करते तथापि मेरी दृष्टि से अुन दोनों का भेद अत्यन्त स्पष्ट है।”

कौंसे की नजर से

८. लोकशाही

आज शाम को जब कौआ अिमली-आश्रम को लौटा तो थोडासा बेचैन मालूम हुआ। मैंने जिसकी वजह पूछी तो कहने लगा कि गुजराती भाषा में क्रिया-वाचक प्रत्यय खोजने-वाला कोई बड़ा चतुर आदमी रहा होगा। मुझे यह बड़ी खूबी की है कि हरेक क्रिया को अके अके तरह की वायु बताया है। 'खाने,' 'पीने,' 'बोलने,' 'सड़ने,' 'जुड़ने' आदि क्रियाओं को गुजराती में 'खावा', 'पीवा', 'बोलवा', 'सड़वा', 'जुड़वा', आदि कहते हैं। मतलब यह कि, सब क्रियायें भिन्न भिन्न प्रकार के 'वात' अथवा पागलपन के जोश हैं। मनुष्यों की सब क्रियाओं में ठीक पागलपन के चिह्न होते हैं। मनुष्यको यह गुरूर है न, कि दुनिया में वही अके विचारवान् प्राणी है? जिसलिअे वह सब क्रियायें विचार-वायु से प्रेरित हो कर ही करता है।

मैं—क्या आज कौआ नयी बात तेरी मजर का शिकार बनी है?

भुशुंडी—हाँ, मनुष्यों में आजकल 'लोकशाही' की जोरों से 'बोलवा' चलती है।

मैं—'लोकशाही' शब्द तो मेरे कान पर भी आया है। लेकिन, वह क्या चीज है, मैं अब तक नहीं जानता।

भुशुंडी—आदमियों के अनेक वादों मेंसे यह भी अके वाद है। वैसे तो यह बहुत पुराने काल से मनुष्यों में पैदा हुआ है। लेकिन, उसका अके नया संचार हिंदुस्तान में आ गया है। हिंदुस्तान में आजकल के अकसर सब पढेलिखे लोग लोकशाही में अपना

विश्वास प्रकट करते हैं। स्वयं बापू की भी हिमत नहीं कि वे कहें कि मैं लोकशाही को नहीं मानता। वे जब से हिंदुस्तान में आये हैं, तब से यह दावा करते हैं कि मैं पूरा पूरा लोकशाही-वादी हूँ। लेकिन, दूसरे लोगों का अनुपर यह अलजाम है कि वे और उनके बड़े बड़े साथी लोकशाही के नियमों से काम नहीं करते। जिस परसे लोकशाही किसे कहना चाहिये जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है।

मैं—क्या लोकशाही जैसी कौआ चीज हम पंखियों में नहीं होती? लोकशाही से कौआ चीज समझी जाती है?

भुशुंडी—लोकशाही तो सब प्राणियों में है। हम कौओं में तो है ही। मनुष्यों में भी होगी ही। अकसर झुंड में रहनेवाले सब पशुपंखियों में होती है। लेकिन सब का तरीका अलग अलग होता है।

मैं—मुझे जरा यह बात ज्यादा खोज कर समझाओ, तो मैं भी जान सकूँ कि हमारे में लोकशाही किस ढंग की होती है। तुम्हारी लोकशाही का क्या तरीका होता है?

भुशुंडी—हम कौओं की लोकशाही का यह तरीका है कि अके चतुर कौआ को हम अपना नेता बना लेते हैं। उसे चुनने में हमारे दिल में उसका किसी प्रकार का डर नहीं होता। हम देख लेते हैं कि यह हमारे जितना ही होशियार है, हमारी भलाजी चाहनेवाला है, हमारे लिअे अपनी जान भी खतरे में डालने को तैयार रहेगा, और अपने पेट की अपेक्षा हमारे

श्रीनारायणदास गांधी एक जगत खादी-सेवक हैं। अपने व्यवसायों को करते हुए भी वे नियमित रीति में रोज़ लगभग चार घंटे बरसों से कातने हैं। उनका सूत सारे कुटुंब के कपड़ों के लिये पर्याप्त हो जाता है। खादी की शक्ति के ऊपर उनका अटल विश्वास है। मेरी श्रद्धा तो मुझे यहाँ तक ले जाती है कि मैं खादीप्रचार को दरिद्रनारायण की, और उसके द्वारा देश की, अच्छी-से-अच्छी सेवा समझता हूँ। कोअी-कोअी कहते हैं कि यह व्यवसाय मूर्खतापूर्ण है, और मेरी उत्तरक्रिया के साथ इसका भी अंत हो जानेवाला है। जो व्यवसाय हिंदू-मूलमान कातने-बुननेवालों के लीसे में लगभग पाँच करोड़ रुपया पहुँचाता हो, वह व्यवसाय यदि मूर्खतापूर्ण समझा जाये, तो फिर यह विचारणीय है कि बुद्धिमत्तापूर्ण किसे कहा जाये? चाहे जो हो, मेरी आशा तो यह है कि इस साहसपूर्ण कार्य को पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा। नारायणदास का लोभ हर साल बढ़ता ही जाता है। आजतक तो भीश्वर की कृपा से वे सफल हुए हैं। जिस बार पहले वर्ष के छःसठ हजार के बदले उन्होंने सत्तर लाख गज सूत प्राप्त करने का लोभ बढ़ा लिया है। साधुपुरुषों का

संकल्पबल क्या नहीं कर सकता? सात सौ स्वयंसेवक मिल जायें तो रोज़ प्रत्येक १००० (अंक हजार) गज कातेगा। और सात हजार हों, तो १०० गज ही हरेक के हिस्से में आयेगा। यहाँ अधिक संख्या का नियम लागू होता है। कातनेवालों की संख्या जितनी ही बड़े अतना अच्छा। खादी की कल्पना में करोड़ों मनुष्यों के काम की कल्पना निहित है, अर्थात् करोड़ों का सहयोग होना चाहिये। हिंदुस्तान में करोड़ों मनुष्यरूपी संचे पड़े हुए हैं। वे बड़े-बड़े जड़ यंत्रों के मोहताज नहीं। करोड़ों का सहयोग हो, तो बड़े मजे से लोग अपने वस्त्र बना लेंगे, और करोड़ों रुपया विदेश जाने से बच जायगा, तथा करोड़ों में अपने-आप बट जायगा। आशा है कि इस साहसपूर्ण कार्य को लोग बढ़ायेगे, और अंशे सफल बनायेगे। जो सिक्के जमा होंगे वह और खादी से जो पैसा मिलेगा वह काठियावाड के हरिजन-कार्य में, खादी-कार्य में और राजकोट राष्ट्रीय-शाला में बराबर-बराबर वँट जायगा।

‘हरिजन सेवक’ से] मा० क० गांधी

भूल-सुधार

जुलाअी के ‘सर्वोदय’ में श्री विठोबा के प्राशन में २८ वें पृ० के दूसरे स्तंभ में यह वाक्य है:—“सायणाचार्य ने इस मंत्र का भाष्य करते हुए ‘वध’ और ‘मृत्यु’ के भेद की तरफ ध्यान दिलाया है।”

यह वाक्य गलत है। उसकी जगह पाठक यह वाक्य पढ़ें:—“‘वध’ और ‘मृत्यु’ में यद्यपि सायणाचार्य कोअी भेद नहीं करते तथापि मेरी दृष्टि से अून दोनों का भेद अत्यन्त स्पष्ट है।”

कौअे की नजर से

८. लोकशाही

आज शाम को जब कौआ अिमली-आश्रम को लौटा तो थोडासा बेचैन मालूम हुआ। मैंने जिसकी वजह पूछी तो कहने लगा कि गुजराती भाषा में क्रिया-वाचक प्रत्यय खोजने-वाला कोई बड़ा चतुर आदमी रहा होगा। अुसने यह बड़ी खूबी की है कि हरेक क्रिया को अेक अेक तरह की वायु बताया है। 'खाने,' 'पीने' 'बोलने,' 'लड़ने,' 'अुड़ने' आदि क्रियाओं को गुजराती में 'खावा', 'पीवा', 'बोलवा', 'लडवा', 'अुडवा', आदि कहते हैं। मतलब यह कि, सब क्रियायें भिन्न भिन्न प्रकार के 'वात' अथवा पागलपन के जोश हैं। मनुष्यों की सब क्रियाओं में ठीक पागलपन के चिह्न होते हैं। मनुष्यको यह गहूर है न, कि दुनिया में वड़ी अेक विचारवान् प्राणी है? असलिये वह सब क्रियायें विचार-वायु से प्रेरित हो कर ही करता है।

मैं—क्या आज कौआ नयी बात तेरी नजर का शिकार बनी है?

भुशुंडी—हाँ, मनुष्यों में आजकल 'लोकशाही' की जोरों से 'बोलवा' चलती है।

मैं—'लोकशाही' शब्द तो मेरे कान पर भी आया है। लेकिन, वह क्या चीज है, मैं अब तक नहीं जानता।

भुशुंडी—आदमियों के अनेक वादों मेंसे यह भी अेक वाद है। वैसे तो यह बहुत पुराने काल से मनुष्यों में पैदा हुआ है। लेकिन, अुसका अेक नया संचार हिंदुस्तान में आ गया है। हिंदुस्तान में आजकल के अकसर सब पढेलिखे लोग लोकशाही में अपना

विश्वास प्रकट करते हैं। स्वयं बापू की भी हिंमत नहीं कि वे कहें कि मैं लोकशाही को नहीं मानता। वे जब से हिंदुस्तान में आये हैं, तब से यह दावा करते हैं कि मैं पूरा पूरा लोकशाही-वादी हूँ। लेकिन, दूसरे लोगोंका धुनपर यह अिलजाम है कि वे और अुनके बड़े बड़े साथी लोकशाही के नियमों से काम नहीं करते। जिस परसे लोकशाही किसे कहना चाहिये उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है।

मैं—क्या लोकशाही जैसी कौआ चीज हब पंखियों में नहीं होती? लोकशाही से कौनसी चीज समझी जाती है?

भुशुंडी—लोकशाही तो सब प्राणियों में है। हम कौओं में तो है ही। अुत्सुओं में भी होगी ही। अकसर अुड में रहनेवाले सब पक्षुपंखियों में होती है। लेकिन सब का तरीका अलग अलग होता है।

मैं—मुझे जरा यह बात ज्यादा सोच कर समझाओ, तो मैं भी जान सकूँ कि हमारे में लोकशाही किस ढंग की होती है। तुम्हारी लोकशाही का क्या तरीका होता है?

भुशुंडी—हम कौओं की लोकशाही का यह तरीका है कि अेक चतुर कौआ को हम अपना नेता बना लेते हैं। अुसे अुनने में हमारे दिल में अुसका किसी प्रकार का डर नहीं होता। हम देख लेते हैं कि यह हमारे जितना ही होशियार है, हमारी भलाखी चाहनेवाला है, हमारे लिये अपनी जान भी खतरे में डालने को तैयार रहेगा, और अपने पेट की अपेक्षा हमारे

पेट की ज्यादा चिंता रखेगा। फिर, जब वह हमें सूचना देता है, तब हम विश्वास करते हैं कि वह हमारी भलाबी के लिये ही दी गयी होगी। उसके अभिप्राय के बारे में हमें कभी अविश्वास नहीं होता। जिस लिये हम उसकी सूचना पर अमल करने के पहले उस पर सोचते नहीं बैठते। हमें यह अनुभव ही सकता है कि अकेल बार वह भूल करे। लेकिन, यह कभी नहीं हो सकता कि वह हमें धोखा दे दे। कौओं में विश्वासघात जैसा दुर्गुण कभी पैदा ही नहीं हुआ। जिसलिये अपने सरदार का हुक्म हम हमेशा तत्परता से बजा लाते हैं। हमारे सरदार को भी यह यकीन होता है कि उसने नियुक्त किये हुए कौओं कभी अपनी जान बचाने के लिये या अपने पेट के लिये आम कौओं को धोखा नहीं देंगे। बहुत प्राचीन काल से यही लोकशाही हमारे में चली आयी है। जिसे बदलने की जरूरत हमने अब तक कभी महसूस नहीं की।

मैं—यह तुम्हारा ढंग तो कुछ अजब भालूम होता है कि अके कौओं की राय से तारे कौओं चले। हम अल्लुओं को तो यह बड़ा खतरे का काम मालूम होता है। हम तो कभी वैसा नहीं करेंगे। जब स्वयं अपनी बुद्धि पर विश्वास करने में भी धोखा रहता है तो दूसरे पर अितना विश्वास कैसे किया जा सकता है ?

भुशुंडी—तो फिर अल्लुशाही किस प्रकार की होती है ?

मैं—हमारा सब से बड़ा गुण यह है कि अपनी बुद्धि में हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। हम मानते हैं कि बुद्धि से चलने में हमेशा

धोखा है। वह तो गलती करानेवाली ही कौबी देन है। जिसलिये न हम अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, न किसी दूसरे अल्लु की। जिस लिये हम असी को अपना सरदार चुनते हैं, जिसमें हमारे नाप से भी कम से कम बुद्धि हो। जो थोड़ी भी बुद्धि चलाने की कोशिश करता हो उसे कभी अल्लुओं का सरदार नहीं बनाया जायगा। फिर जब अल्लुशाह कोई फरमान निकालता है, तब हम यह देखते हैं कि उसने वह फौरन निकाला है या सोच-विचार कर। अगर फौरन निकाला हो, तो हम बिना सोचे उस पर अमल करते हैं। लेकिन, जब यह पता चले कि उसने अके हुक्म कुछ सोच-विचार के निकाला है, तब हम समझते हैं कि उस पर अमल तो करना ही होगा, लेकिन उस हालत में उसकी सूचनाओं को ठीक भुलट कर हम अमल में लाते हैं। सोच-विचार कर निकाले हुए हुक्मों पर हमारा विश्वास नहीं बैठता। बस अिमी तरीके से हमारा काम लाखों वर्षों से चलता आया है, और हमारी अितनी तरक्की हुयी है।

भुशुंडी—बड़ा अजब है तुम्हारा तरीका और तुम्हारी तरक्की भी ! कौओं तो अल्लु-शाही में तीन ही दिन में खत्म हो जायेंगे।

मैं—हां अकसर तुम ही तो हमारे भक्ष्य होते हो ! तुम्हें खत्म करने के लिये ही तो तुमसे अलग ढंग की हमारी 'शाही' है। खैर। और भी किसी तरह की लोकशाही होती है ?

भुशुंडी—हां, अके मनाओं की लोकशाही होती है। बंदरों की भी अके अलग तरह की लोकशाही होती है। मधुमक्खी, चींटी,

दीमक आदि जंतुओं में भी भांति भांति की 'लोकशाहियां' होती हैं।

मैं—मैनाओं की लोकशाही कैसी होती है ?

भुशुंडी—मैनाओं में अकसर कोआी अेक 'सरदार' नहीं होती। अगर कोआी 'सरदार' बनने की कोशिश करे तो वह पीटी जाती है। जब वे कुछ करने की सोचती हैं, तब अेक जगह जमा होती हैं। फिर, वहां बडी देर तक अेक साथ 'काअूं-काअूं' करती हुआी जोरों से बहस करती हैं। फिर जो निश्चय होता है, अुसके अनुसार अेकसाथ अुडती हैं। छोटा काम हो या बडा काम हो; अुसे करने के पहले जितनी मैनायें वहां हाजिर हों, 'काअूं-काअूं' की बहस करने के बाद ही अुसका निश्चय करती हैं।

मैं—अच्छा ! अैसी लोकशाही बनाने का क्या सबब है ?

भुशुंडी—हम कोआे यह विचार रखते हैं कि जब सभी कोआों की बुद्धि बराबर है तो हरेक काम में सब क्यों माथापन्ची करें ? जो अेक कोआा निर्णय करेगा, वही दस कोआे मिल कर होनेवाला है। जिस लिअे हुकम निकालने का काम अेक को सौंप देते हैं। और फिर हरेक कोआा अुसका पालन करने में अपनी अपनी चतुराही दिखाता है। मैनायें यह विचार रखती हैं कि किसी भी मैना में पूरी बुद्धि नहीं होती। जिसलिअे सब की बुद्धि मिलाने से अच्छा काम होगा। लेकिन, साथ साथ यह भी होता है कि जब सब की बुद्धि मिलाने के लिअे वे बैठती हैं, तो सब की बेवकूफी भी जोडी जाती है। जिसलिअे, सब मिल कर कभी कभी अपना बड्ड नुकसान भी कर

लेती हैं। लेकिन, पशुपक्षियों में अेक निष्काम बुद्धि होती है, जिसलिअे वे अुसमें भी कुछ से रहती हैं।

मैं—कैसी निष्काम बुद्धि ?

भुशुंडी—नहीं समझे ? देखो न। क्या हम-तुम सब यह विश्वास नहीं रखते कि प्राणी बुद्धि से चले या मूर्खता से चले, कभी सुख तो कभी दुःख होने ही वाला है ? अेक दिन मीत आने ही वाली है। अेकाध दिन मिहनत करने पर भी पूरा खाना नहीं मिलता। तब नफा-नुकसान की दृष्टि से 'शाही' में फेरफार करते रहने ही में आखिर कोआी सयानपन नहीं है।

मैं—हां, यह विश्वास तो हमारा भी है। खर; अब बंदरशाही कैसी होती है, वह बताओ।

भुशुंडी—बंदरशाही में सब बडे और मजबूत लंगूर पहले आपस में लडते हैं और जो लंगूर सबसे ज्यादा बलवान साबित होता है वह दूसरे लंगूरों को हकाल देता है। फिर वह सब बंदरों का सरदार बनाया जाता है और अुसीकी हुकूमत में वे सब रहते हैं। वह अुनका पालन भी करता है और अुनको पीटता ी है। वह अुनका कुछ भला तो करता है, अुनसे प्रेम भी करता है, लेकिन सब अुससे डरते रहते हैं। 'भीति बिना प्रीति नहीं' यह अुनका विश्वास है।

मैं—यह तो कोआी अच्छी 'शाही' नहीं मालूम होती। मनुष्यों को तो शायद ही वह पसंद आती होगी।

भुशुंडी—नहीं, अैसी कोआी बात नहीं। आखिर मनुष्य बंदर को ही अपना पुरखा मानता है न ? जिसलिअे भूम-फिर कर बहू बार बार बंदरशाही पर आ-कर दकता हैं।

मैं—तो क्या बापू भी बंदरशाही पसंद करते हैं ?

भुंशुंडी—नहीं । बापू की राय कुछ कुछ कौशाहाही से मिलती है । लेकिन, हिंदुस्तान के पढ़े-लिखे बहुत से लोग मनाशाही को ज्यादा पसंद करते मालूम होते हैं । अमी-लिअे वे बापू पर बहुत बिगड़ते हैं ।

मैं—बापू और दूसरे लोगों में असा मतभेद क्यों होता है ? क्या बापू पर भी वे विश्वास नहीं रख सकते ?

भुंशुंडी:—असल बात यह है कि हजारों साल से बड़े बड़े मनुष्य जिस खोज में हैं कि मनुष्यों के लिअे अच्छी से अच्छी राज्य-प्रणाली कौनसी है । लेकिन, अब तक वे जिसपर कोभी निश्चय नहीं कर पाये हैं । वे हर प्रकार के प्रयोग कर चुके हैं । पर अक भी सफल नहीं साबित हुआ । वर्तमान में दुनिया के लोगों में दो पक्ष हो गये हैं । अक मानता है कि अक ही आदमी की राय से राज चलना चाहिये और दूसरा मानता है कि सबकी राय से चलना चाहिये । दूसरी राय रखनेवाले सब लोग लोकशाही-वाले कहलाते हैं । लेकिन, जिस दूसरे पक्ष की असी स्थिति है कि सब की राय किस तरह ली जाय, कितनी बार ली जाय, और बाद में किस तरह राज चलाया जाय, जिस पर सैकड़ों वाद अठते हैं और अने को सयाने समझनेवाले किन्हीं दो शक्तों के मत अक दूसरे से मिलते ही नहीं । अब, बापू का यह दोष है कि वे मानते हैं कि सब आदमी कोअे की तरह सयान, अतुर और चारिअ्यवान् हो सकते हैं । लेकिन, दूसरे लोग कहते हैं कि बहुत थोड़े, आदमी सयाने, अतुर और चारिअ्य-

वान् होते हैं । बापू सब पर विश्वास रख कर और सब के विश्वास की आशा रख कर चलना चाहते हैं । लेकिन, दूसरे लोग समझते हैं कि विश्वास अपने माँ-बाप पर भी नहीं रखना चाहिये । तब मनुष्यों में कौओं की लोकशाही कैसे चले ? जिस लिअे लोग मनाशाही की ओर झुकते हैं । लेकिन विश्वास के बिना आखिर काम तो चलता नहीं । तब वे असमंजस में पड जाते हैं, और सोच-विचार के किसी बेव-कूफ को सरदार बना कर काम करना चाहते हैं । पर आदमियों में सच्चे बेवकूफ भी तो कम होते हैं । जिस लिअे वह सरदार अुसमें से बंदरशाही कायम करने की कोशिश करता है ।

मैं—दुनिया में यह अक बड़ा ताज्जुब है कि मनुष्य अितना बड़ा प्राणी होते हुए भी, वह अभी तक अपने लिअे कोभी अच्छी 'शाही' खोज नहीं सका है । तुम्हारी क्या राय है ? अुसके लिअे कैसा राज्य अच्छा होगा ?

भुंशुंडी—हम क्यों जिसकी चिंता करें ? तुम्हें या मुझे किसीने यह बात पूछी तो है नहीं ?

मैं—नहीं, वैसे तो किसीने नहीं पूछी । लेकिन, 'सर्वोदय' के संपादक शायद पसंद करें तो वे अुसका प्रचार कर सकते हैं । सब मनुष्यों की भलाजी सोचना यही तो अुनका काम है न ? अगर हम कुछ मदद कर सकें तो वह करना हमारा कर्नव्य है ।

भुंशुंडी—मैं तो जिस नतीजे पर आया हूँ कि जो मदद नहीं मांगता अुसे मदद करने जाना बेवकूफी है । फिर भी, तुम्हारा आग्रह

है तो तुम्हें मैं अपने विचार बताता हूँ। तुम उनका चाहे जो उपयोग करो। मैं 'सर्वोदय' के संपादक को नहीं जानता।
मैं—सौर। मुझे ही बताओ।

भुशुंडी—मेरी यह राय है कि योग्य मानव-शाही का निश्चय मनुष्यों को ही करना चाहिये और उसके लिये, जैसा कि काँग्रेस कहती है, एक बड़ी प्रतिनिधिसभा भी बुलानी चाहिये। मगर उसमें आनेवाले प्रतिनिधियों के लिये यह लाजिमी होना चाहिये कि वे सब साबिकिल पर चढ़ कर आवें और जब तक परिषद् चले साबिकिल घुमाते रहें। कोअी भी आदमी स्थिर खड़ा न रहे। साबिकिल चलाते चलाते राज्य-प्रणाली के बारे में जो निर्णय हो, उसी तरह की मानवशाही स्थापित की जाय।

मैं—यह तो तुमने बड़ा विचित्र मांग बताया! असा करने का क्या सबब?

भुशुंडी—मनुष्य के नसीब में यह लिखा है कि वह फेरफारों में सुख माने; किसी भी पद्धति को टिकाने में नहीं। कोअी पद्धति जब टिकती है तब उसमें से कुछ न कुछ फल पैदा होता है और फल खाना तो मनुष्य के लिये मना है। वह जब फल चाखने जाता है तब वह ज्यादा दुःख पाता है। इसीलिये तो भगवान ने मनुष्य का यह धर्म बताया है कि,

'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि'।
किसी वायु से प्रेरित होकर क्रिया करते रहना अितना ही मनुष्य का अधिकार है। उस क्रिया का फल ज्यों ही उत्पन्न होने लगे त्यों ही क्रिया में फेरफार कर देना चाहिये और फल को पैदा न होने देना चाहिये। जिस तरह आदमी जबतक साबिकिल चलाता रहे, तभी तक उस पर से गिरता नहीं उसी तरह जबतक कोअी भी पद्धति स्थिर न हो तभी तक वह अच्छी समझी जाय। फेरफार करने की क्रिया में से जितना सुख प्राप्त हो, अतने ही से अुमे संतोष मानना चाहिये। काम पूरा कर के फल प्राप्त करने की अिच्छा अुसे लिये पाप है। अुसका नियम यह हो कि वह खेत बोवें और जबतक अनाज तैयार न होने लगे तभी तक अुसकी रखवाली करे और बाद में अुसे छोड़ कर दूसरा खेत बोने लगे।

संपादक भाअी, मैं भुशुंडी की यह बात ठीक नहीं समझ सका हूँ। यह भी मुझे पता नहीं कि अुसका यह कथन गंभीर है या मजाक में। अुसे ज्यादा साफ करने से वह अिनकार करता है।

आपके
आश्रम का अुल्लू

संकटों के बिना स्वतंत्रता नहीं और बिना रात के सबेरा नहीं। यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो वह तुम्हारे निश्चय, अुद्योग और साहसही से। सरकार यदि बलिष्ठ है तो वह तुम्हारी बदौलत बलिष्ठ हुअी है। तुम्हारी आपसी फूट ही अुसका कवच है। तुम्हारी दुर्बलताही अुसकी शक्ति है। तुम्हारा अपने विषय में अज्ञान ही अुसकी सामर्थ्य है। तुम अजर बहू-जान लो तो सब कुछ तुम्हारा है।

आवश्यक होने पर सत्याग्रहियों को असी ही कड़ी परीक्षा में असीर्ण होना पडेगा। संभव है कि असा न भी हो। किन्तु अगर असी आफत आ ही जावे तो क्या हम हट जायेंगे और कहेंगे कि अतना कष्ट सहने के लिये हम तैयार नहीं हैं? यदि हमलोग अहिंसक रहें तो प्रतिपक्षी लड़े अरसे तक अस तरह की अमानुषिकता कर नहीं सकेंगे। यदि हम डर कर मुक जायें और हिंसा का रास्ता ले लें तो दूसरी बात है। मैं विश्वास करता हूँ कि कोअी भी समूधा राष्ट्र पूरी पूरी आश्माहुति देने के लिये प्रस्तुत हो कर ही अहिंसक भाव से हिंसा के सम्मुख खड़ा हो सकता है। किन्तु अस सत्याग्रह जैसी कीमती चीज को सस्ता समझने से नहीं चलेगा। साक्ष्यात् संघर्ष का चरम पुरस्कार पाने के लिये हमें प्रस्तुत रहना पडेगा।

गत सत्रिनयभंग के समय हम ब्रिटिश सरकार को सजा देने की शक्ति के सामने हार मान चुके हैं; यद्यपि चीन में जो आज हो रहा है अुसकी तुलना में यहां कुछ भी नहीं हुआ था। जिस दिन सत्याग्रह शुरू हुआ ठीक अुसके पहले जो सरकार की निषेधात्मक विज्ञप्ति खास खास लोगों को धमकी देते हुअे निकली थी अुसका असर कलकत्ते में खूब पड़ा था। जिन लोगों को धमकी दी गयी थी अुन लोगों में से बहुतों ने अुसे मान लिया। गांधीजी को कानून-भंग आन्दोलन सिर्फ अिसी लिये बंद करना

पड़ा कि लोगों की दुर्बलता के कारण लड़ाई और जारी रखना संभव न था। आज ब्रिटिश शक्ति को दुर्बल पा कर अुसके बिरुद्ध संघर्ष आरम्भ करें तो अुसका आखिरी जवाब तुरन्त निष्ठुरता और निर्दयता के चरम रूप में मिलेगा। सोग क्या आज अुसे बर्दाश्त कर सकेंगे? अिसकी निशानी कहाँ है?

जो आज साक्ष्यात् संघर्ष के लिये अधीर हो अुठे हैं, जो बहुनिमित्त कांग्रेस हाथी-कमांड पर कानून अनुवर्ती (विधानवादी) मनोवृत्ति का दोष लगाते हैं वे ही कहें कि कौनसी परीक्षा के जरिये वे जानना चाहते हैं कि लोग आज तैयार हैं? अुसी परीक्षा के जरिये वे जांच कर कहें कि लोग सचमुच तैयार हैं या नहीं।

सशस्त्र युद्ध में प्रत्येक देश अपने अपने शस्त्रास्त्रों के विराट आयोजनों को दिखा दिखा कर जाहिर करता रहता है कि वह युद्ध के लिये तैयार है। किन्तु हमें तो अहिंसक युद्ध की तैयारी का परिचय देना होगा। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार बार-डोली अेक बार तैयार हुआ था किन्तु देश का सुर अुसके सुर के साथ नहीं मिला। युद्ध रोक देना पड़ा। आज साम्प्रदायिक और प्रादेशिक विद्वेष से तो यही जाहिर हो रहा है कि हम तैयार नहीं हैं। किसी भी नेता के लिये अस विषय की अवहेलना करना अुचित नहीं है।

(बंगला ' राष्ट्रवाणी ' से)

संरक्षकता का सिद्धान्त

[निर्मल कुमार बसु]

यद्यपि गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रसभा (काँग्रेस) से अपना अस्तेय अथवा अपरिग्रह का आदर्श स्वीकार ने को कभी नहीं कहा तो भी वे चाहते हैं कि अहिंसा का हर-एक पुजारी अपने जीवन में अपरिग्रह व्रत का पालन करे। क्यों कि उनके मत से अपरिग्रह का सिद्धान्त प्रेम या अहिंसा के सिद्धान्त से अनिवार्यरूप से निष्पन्न होता है। जिसका मनुष्यजाति के प्रति सच्चा और गहरा प्रेम हो वह अंसी दश में कोभी संपत्ति कदापि नहीं रख सकता जब कि दूसरों को उसके अभाव के कारण दुःख भुगतना पड़ रहा हो। समाजवादियों के संपत्तिवितरण की भी यही मूलभूत नीति है। क्यों कि वे भी यही कहते हैं कि हर एक मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना ही चाहिए। परंतु गांधीजी में और अधिकांश समाजवादियों में भेद यह है कि गांधीजी केवल अहिंसक असहयोग से ही आर्थिक क्रान्ति करना चाहते हैं, अन्य किसी अुपाय से नहीं। संरक्षकता (ट्रस्टीपन) भी इसी रास्ते आयेगी। लेकिन यदि उसके आने में देर लगे, या वह बिलकुल ही न आती हुआ दिखायी दे; और यदि हमारे सामने केवल दो ही बातें रह जाती हैं—एक तरफ वह संरक्षकता (ट्रस्टीपन) जिसके आने की आशा ही नहीं और दूसरी तरफ संपत्ति का राष्ट्रीय स्वामित्व और उसकी गैल में आनेवाली अपरिहार्य हिंसा—तो निःसंदेह गांधीजी राष्ट्रीय स्वामित्व के पक्ष में ही अपनी राय देंगे। क्यों कि

आखिर वे व्यवहारकर्तुर ध्येयवादी हैं।

एक बार उनसे पूछा गया, “आप अपना संरक्षकता (ट्रस्टीपन) का सिद्धान्त कार्यरूप में कैसे लायेंगे? लोगों को मना कर और समझानुज्ञा कर?”

अन्होंने जबाब दिया, “केवल बातों से समझानुज्ञा कर नहीं। मैं अपने साधन पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित करूंगा। कुछ लोग मुझे अपने जमाने का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कहते हैं। यह गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं अपने आपको एक क्रान्तिकारी—अहिंसक क्रान्तिकारी—मानता हूँ। मेरा साधन है असहयोग। कोभी भी व्यक्ति लोगों के, राजीसुखी के या जबरदस्ती के, सहयोग के बिना धनसंचय नहीं कर सकता।” (यंग जिण्डिया २६:१२:३१)

तो फिर संरक्षकता (ट्रस्टीपन) से उनका क्या मतलब है? क्या उनके सिद्धान्त के अनुसार संरक्षक (ट्रस्टी) धन का और उत्पादन के साधनों का स्वामी रह सकता है? या यह सिद्धान्त उसे लोगों का सार्व-कालिक और संपूर्ण सेवक बना कर छोड़ेगा? अगर दूसरी बात सच हो तो नैतिक दृष्टि से संरक्षकता के सिद्धान्त में कोभी दोष नहीं हो सकता। आजिये, जिस विषय में स्वयं गांधीजी क्या कहते हैं यह देखें।

अज्ञ—“क्या प्रेम या अहिंसा किसी भी प्रकार के परिग्रह और शोषण से सुसंगत है? अगर परिग्रह और अहिंसा का मेल असंभव हो, तो क्या आप जिस बात का समर्थन करने कि जब तक सारे व्यक्ति पूर्ण-

रूप से विकसित या शिक्षित न हो जायें तब तक जमीन और कारखानों की खानगी मालकियत कायम रहे ? अगर राज्य का स्वामित्व जमीन पर कायम किया जाय और राज्यसंस्था जनता के आधीन कर दी जाय तो क्या ध्येस्कर नहीं होगा ?

उत्तर—“प्रेम और निरपवाद स्वामित्व में कोभी मेल नहीं हो सकता। सिद्धान्त की दृष्टि से जहां पूर्ण प्रेम है वहां पूर्ण अपरिग्रह भी होना चाहिये। आज जिनके पास पैसा है उनसे यह कहा जाता है कि वे अपने आपको गरीबों के अमानतदार समझें और अपनी संपत्ति को गरीबों की याती समझें। आप यह कह सकते हैं कि यह अमानत-दारी अक कानूनी कल्पना मात्र है। परंतु यदि लोग उसका विन्तन करे और उसे व्यवहार में लाने का सतत यत्न करे तो हमारा अिह लोक का जीवन आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रेममय होगा। संपूर्ण संरक्षकता (ट्रस्टीपन) यूक्लिड के विन्दु की परिभाषा के समान केवल भाववाचक है और अतनी ही अव्यवहार्य भी है। लेकिन यदि हम अुरो प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो दूसरी किसी भी रीति की अपेक्षा दुनिया में समानता प्रस्थापित करने में अधिक सफल होंगे”।

प्रश्न—“जब कि आप यह कहते हैं कि खानगी संपत्ति अहिंसा के प्रतिकूल है तो आप असे सहन क्यों करते हैं ?”

उत्तर—“जो लोग धन कमाते हैं और अुसका अपनी अिच्छा से मनुष्यजाति के कल्याण के लिये अुपयोग नहीं करना चाहते अुनके साथ यह रियायत करनी पडती है”।

प्रश्न—“तो फिर खानगी संपत्ति की जगह

राष्ट्रीय मालकियत ही जारी क्यों न की जाय ? अिससे हिंसा को मात्रातोकम होगी” ?

उत्तर—“राष्ट्रीय मालकियत खानगी मालकियत से अच्छी है। लेकिन अुसमें भी हिंसा है। अिसलिये मेरी दृष्टि से वह भी आपत्तिजनक है। मेरा यह दृढ विश्वास है कि राज्य यदि पूंजीवाद को हिंसा से दबा देगा तो वह खुद हिंसा की गिड़लियों में फंस जायगा और अहिंसा का विकास करने में कदापि समर्थ नहीं होगा। राज्यसंस्था संगठित और अेकीकृत हिंसा की प्रतिनिधि है। व्यक्ति के आत्मा होती है। राज्य आत्महीन यंत्र है। अुसका अस्तित्व ही हिंसा पर निर्भर है। अिसलिये आप अुससे हिंसा नहीं छुडा सकते। अतः मैं संरक्षकता (ट्रस्टीपन) का सिद्धान्त अधिक पसन्द करता हूँ”।

प्रश्न—“अक प्रत्यक्ष दृष्टान्त ही ले लीजिये। मान लीजिये कि अक कलाकार मर गया और अपने बेटे के लिये विरासत में कुछ चित्र छोड गया। अुसका लडका अुन चित्रों की कोभी कद्र नहीं कर सकता। राष्ट्र के लिये अुनका क्या मूल्य है यह नहीं समझ सकता। वह अुन चित्रों को बेच देता है या यों ही बिगाड देता है। अिस तरह अक आदमी की बेवकूफी से राष्ट्र कीमती चीजों से बंचित रह जाता है। अगर यह विश्वास हो जाय कि वह लडका अुन चित्रों का हमारी अिच्छा के अनुसार संरक्षक नहीं बन सकता तो क्या राज्य का न्यूनतम हिंसा का प्रयोग कर के अुन चीजों को अुससे छीन लेना न्याययुक्त नहीं होगा” ?

उत्तर—“हां, सच तो यह है कि राज्य अुन चीजों को ले ही लेगा और अगर वह

न्यूनतम हिंसा से काम लें तो अक्सर ऐसा करना न्यायोचित होगा। परंतु जिसमें यह डर हमेशा रहा है कि जो लोग राज्य से सहमत नहीं हैं उनपर वह बेजा बल-प्रयोग करेगा। अगर संपत्तिमान लोग संरक्षकों जैसा व्यवहार करें तो मुझे निश्चिंत सुख होगा। लेकिन यदि वे जिसमें चूकें, तो मैं समझता हूँ कि हमें राज्य की सहायता से न्यूनतम हिंसा से काम ले कर उनसे उनकी संपत्ति ले लेनी होगी। इसीलिए मैंने गोममेज परिषद में कहा था कि हम मौजूदा प्रत्येक प्रतिष्ठित स्वार्थ की छानबीन करेंगे और जहाँ जरूरत हो वहाँ संपत्ति जब्त भी करेंगे। हर एक मामले की जांच कर के जहाँ अचित्त मालूम होगा वहाँ मुआबिजा देंगे और जहाँ मुनासिब जान पड़ेगा वहाँ बिना कुछ हरजाना दिये जायदाद जब्त कर ली जायगी।

मैं स्वयं राज्यसंस्था में सत्ता केन्द्रित करने की अपेक्षा संरक्षकता की भावना का प्रसार अधिक पसंद करूंगा। क्यों कि मेरी राय में राज्य की हिंसा की बनिस्बत खानगी मालकियत की हिंसा कम हानिकारक है। तथापि यदि राष्ट्रीय मालकियत टल ही न सकती हो तो मैं कम से कम राष्ट्रीय मालकियत का समर्थन करूंगा। (मॉडर्न रिव्यू १९३५, पृष्ठ ४१२)

यह कथन गांधीजी को समाजवाद के अत्यन्त निकट लाता है ; यद्यपि यह साफ है कि गांधीजी के क्रान्तिंतंत्र की तह में अराजकतावाद है।

परंतु एक व्यवहारनिष्ठ मनुष्य के नाते उन्हें समाजवाद के अधिक से अधिक निकट आना ही पड़ता है। हां, एक महत्वपूर्ण अंतर

है। उनका क्रान्तिंतंत्र सर्वत्र प्रेम या अहिंसा पर स्थित रहेगा। परस्पर विरोधी स्थापनों के संघर्ष के जिस कीचड़ में वे अपने तरीके से जितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आश्वासन दे सकते हैं उतना किसी दूसरे साधन से नहीं दिया जा सकता। इसलिये कृष्ण व्यवहार्यता के लिहाज से ही क्यों न हो, अन्त में गांधीजी समाजवादी हैं। लेकिन मैं कुछ निराले ढंग के समाजवादी। अन्होंने एक बार कहा भी था :—

“ मेरी राय में हिन्दुस्थान की ओर सारे संसार की अर्थ-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि अक्सर बिना खाने और कपड़े के कोजी रहने न पावे। दूसरे शब्दों में हर एक को अपनी गुजरबसर के लिये काफी काम मिलना चाहिये। यह आदर्श तभी सिद्ध होगा जब कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी करने के साधनों पर जनता का अधिकार रहेगा। जिस प्रकार भगवान की पैदा की हुई हवा और पानी सब को मुफ्त में भयस्वर होते हैं, या होने चाहिये, उसी तरह ये साधन भी सबको बेरोकटोक के मिलने चाहिये। अन्हें दूसरों को लूटने के लिये लेनदेन की चीजें हरगिज नहीं बनने देना चाहिये ”।

(यंगत्रिडिया १५ : १ : २८)

यहां भी वे यह नहीं कहते कि राज्यसंस्था के जरिये जनता उत्पादन के साधनों पर अधिकार करेगी। उनकी कल्पना के अनुसार छोटे छोटे ग्रामीण समुदायों के द्वारा उन समुदायों में रहनेवाली देहाती जनता का अधिकार उत्पादन के साधनों पर रहेगा। एक व्यवहार्य आवश्यकता के रूप में वे केन्द्रीकृत राज्यसंस्था का अधिकार भी

मंजूर कर लेंगे। वरतेंकि वह राज्यसंस्था पूर्णरूप से जनता के आधीन हो।

समाजवादियों से गांधीजी के मन्तव्यों की अधिकांश अकेला और साथ ही साथ अहिंसक नीति के विषय में समाजवादियों की नीति से अलग नीति का मौलिक भेद—योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिक से अधिक संरक्षण अहिंसा में ही हो सकता है—गांधीजी ने १५:११:२८ के 'यंग अिण्डिया' में बोल्शेव्हिज्म के बारे में अपनी राय देते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया है। पाठकों से अनुरोध है कि वे इसे कभी बार ध्यान से पढ़ें और मनन करें; और बाद में गांधीजी के आर्थिक या राजनैतिक ध्येयवाद के विषय में कोअी राय कायम करें।

प्रश्न—"बोल्शेव्हिज्म के सामाजिक अर्थ-शास्त्र के विषय में आप की क्या राय है? इस अर्थनीति का अनुकरण किस देश में करना कहां तक उचित होगा?"

उत्तर—"मुझे यह कबूल करना चाहिये कि अभी मैं बोल्शेव्हिज्म का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं। मैं अितना ही जानता हूं कि अुसका अुदेश खानगी संपत्ति का नाश करना है। यह तो केवल अपरिग्रह के नैतिक सिद्धान्त का आधिक क्षेत्र में विनियोग है। लोग स्वेच्छा से यदि इसका स्वीकार कर

लें, या शान्तिपूर्वक समझानेबुझाने से अुसको मान लें, तब तो इससे श्रेयस्कर और क्या हो सकता है? लेकिन, मैं जहां तक जानता हूं, बोल्शेव्हिज्म बलप्रयोग का निषेध नहीं करता। अितना ही नहीं; बल्कि खानगी संपत्ति को अन्त करने के लिये और राष्ट्रीय मालिकियत की रक्षा के लिये वह यथेष्ट बलप्रयोग विहित मानता है। अगर दर असल बात अैसी है तो मैं बिना हिचकिचाये यह कह सकता हूं कि बोल्शेव्हिक सत्ता अपने आज के रूप में बहुत दिन नहीं टिक सकती। क्यों कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हिंसा पर कोअी भी स्थायी चीज कायम नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि बोल्शेव्हिक आदर्श के पीछे असंख्य स्त्रीपुरुषों का पवित्र त्याग है। अिन स्त्रीपुरुषों ने अपना सर्वस्व अुसके लिये अर्पण कर दिया है। जिस आदर्श को लेनिन जैसे महापुरुषों ने पुनीत किया वह व्यर्थ नहीं हो सकता। अुनके त्याग का अुज्ज्वल अुदाहरण संसार के सामने सदा चमकता रहेगा और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वह अुनके आदर्श को अधिक जीवित और अधिक शुद्ध बनायेगा"।

(अंग्रेजी 'कॉमरेड' से)

अंग्रेजों की राज्यवृष्णा बेहद बढ़ गयी है। इसलिये पैसेवालों का प्राबल्य तो बढ़ ही रहा है; परन्तु मालदार लोगों से भी अधिक फीजी आदिमियों की प्रतिष्ठा दिन दिन बढ़ती जा रही है।...अिस प्रकार थोड़े लोगों के हाथ में सत्ता दे कर अुनके हुकम से चलने की नीबत आज अंग्रेज समाज पर आयी हो,.....तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अंग्रेज राष्ट्र अधिकाधिक गुलाम होता जा रहा है? अुसी प्रकार बुद्धि की जो प्रतिष्ठा भी वह नष्ट हो कर अंग्रेज समाज यदि आज शारीरिक बल की ही अधिक अिज्जत करने लगा है, तो क्या यह भी कबूल करना नहीं पड़ेगा कि अंग्रेज लोग सुधार का रास्ता छोड़ कर अंगलीपन का रास्ता ले रहे हैं?

—डो० सिद्धक.

हमारा तेजकदम

[किन्नोरलाल घ० मन्नरूपाला]

अक बार किसी महान नेता को जनता की तरफ से मानपत्र दिया गया। उसमें उस नेता में बहुत बड़े बड़े गुणों का आरोपण किया गया था। नेता ने उस मानपत्र का स्वीकार करते हुअे कहा कि मैं यह तो नहीं मान सकता कि जिन बड़े बड़े गुणों का मुझमें आरोपण किया गया है वे मुझमें हैं। क्यों कि मैं अपने को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मुझे इस मानपत्र से यह पता चलता है कि आप मुझे कैसा व्यक्ति बना हुआ देखना चाहते हैं। भगवान करे; और मैं वैसा ही बनूँ।

श्री सुभास बाबू ने कई व्याख्यानों और निवेदनों में गांधी सेवा संघ को अक आदर्श संगठन बताया है और अक समाजवादी अखबार ने यह संभावना बताई है कि गांधीजी सारी कॉंग्रेस का गांधी सेवा संघ में परिवर्तन करना चाहते हैं। किसी भी सदस्य के ख्याल में कभी यह नहीं आया होगा कि देश के राजकारण में गांधी सेवा संघ संस्था का इतना महत्त्व है कि श्री सुभास बाबू जैसे अक महान नेता और कई अखबारों को इस हद तक उस का ध्यास लग जाय। फिर भी हमारे भाग्य से संघ को, बिना हमारे प्रयत्न किये आज इस रूप में प्रसिद्ध किया जा रहा है। इस भाग्य को सोभाग्य कहें या दुर्भाग्य इसका निर्णय करना आज मुश्किल है। संघ के सदस्यों के कामों के अनुसार संघ के लिये वह सोभाग्य भी हो सकता है और दुर्भाग्य भी। क्योंकि हम अच्छी तरह अपने दिल में समझते हैं कि जिस

बलवान संगठनशक्ति या अभिलाषा का प्रमाण-पत्र आज हमें बिया जा रहा है, वह सही नहीं है। पर, ऊपर के दृष्टान्त में बताया हुअे नेता ने जैसा समझा, वैसा हम भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार की संगठनशक्ति और अभिलाषा करना हमारे लिये संभवनीय हो सकता है।

अगर हमने अक संघ बनाया है और उसमें सदस्यों को भरती भी करते हैं, तो यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम संगठन में विश्वास करते हैं। चाहे उसका तरीका और उद्देश्य वगैरा अक निराले ढंग के भले ही हों। और, अगर हमारे पास भी समाजरचना की अक विशेष दृष्टि है, और हम श्रद्धा रखते हैं कि उसीका ध्यापकरूप में अमल करने से जनता का कल्याण होनेवाला है, तो सारी कॉंग्रेस गांधी सेवा संघ में परिवर्तित हो जाय अंसी अभिलाषा करना अच्छी ही बात माननी चाहिये।

हमें उन महाशयों का अहसान मानना चाहिये जिन्होंने हमारे अस्पष्ट मनोरथ और कच्चे काम को पूरे स्वरूप में हमारे सामने रखने की मिहनत ली है।

लेकिन संगठन और अभिलाषा की सिद्धि सिर्फ मनोरथ करने से ही तो नहीं होती। न सिर्फ दूसरों के वैसा मान लेने जरूरी होती है। अपने मन के लड्डू और दूसरे की कल्पना के लड्डू दोनों वास्तव में अक ही हैं। पर अपने मन के लड्डू में यह विशेषता है कि हम मिहनत करें तो अपने

मन के लड्डू को वास्तविक लड्डू भी बना सकते हैं। दूसरे की कल्पना के लड्डू के साथ वसा नहीं कर सकते।

हमारे सिद्धान्तों के अनुसार हमारा संगठन और अभिलाषा सिद्ध करने का तरीका बेशक हमारे ही ढंग का होगा। दूसरे सिद्धान्तों से चलनेवाली संस्थाओं के ढंग से हम यह करने जायेंगे तो वह कम से कम गांधी सेवा संघका काम तो न होगा। वाममार्गियों के दिल में जो डर है वह शायद यह है कि हम अपने सिद्धान्तों के ढंग से नहीं, बल्कि दूसरे ढंगों से, यह काम कर रहे हैं और आज तक करते आये हैं। उन दूसरे ढंगों में शायद उनकी श्रद्धा है, और वे उन ढंगों के सहारे शायद अपना संगठन करना चाहते हैं।

लेकिन, हमारे लिये तो उनका यह डर बड़े बेताबनी है। क्योंकि हमारा तो यह विश्वास है कि जितना हम अपने सिद्धान्तों को छोड़ कर दूसरे तरीकों से काम लेंगे, उतना ही हमारा मकान कच्चा और हमारा हेतु असिद्ध रहेगा।

वाममार्गी तेजकदम से आगे बढ़ना चाहते हैं। गांधीजी भी देश को तेजकदम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह उद्देश्य सिद्ध करने के दोनों के तरीकों में क्या फर्क है, इसपर ध्यान देना जरूरी है।

पहले हम गांधीजी के तरीके की भूमिका को समझ लें। हिंदुस्तान की आबादी करीब ४० करोड़ है। उसमें से ज्यादा से ज्यादा ४० लाख काँग्रेस के मंत्री होंगे। ये मंत्री ४० करोड़ लोगों ने चुने हुअे नहीं हैं, बल्कि, स्वयंनियुक्त हैं। फिर भी, काँग्रेस का यह दावा है कि वह सारे हिंदुस्तान

की प्रतिनिधि है। यह दावा तभी सही हो सकता है जब कि काँग्रेस का हरेक मंत्री, स्वयंनियुक्त होते हुअे भी, अपने को जनता का अके प्रतिनिधि माने। यानी, सारी जनता के हित का खयाल करने और उसका हित बढ़ाने के लिये अपने आपको शपथ से बंधा हुआ समझे। अगर ४० लाख मंत्री होते हुअे भी अंसी सींगद की भावना न हो, तो वह बड़ी संख्या उसी तरह की है जैसे किसी छोटीसी गली में आग लगने पर तमाशा देखने के लिये लोगों की खासी भीड़ लग जाये। वे आग को बुझाने में मदद नहीं, बल्कि अडचन करेंगे। अंसे पांच हजार प्रेक्षकों से १५ आग-बुझानेवालों का दल (फायर-ब्रिगेड) ज्यादा काम का साबित होगा। ४० करोड़ हिंदुस्तानियों में ४० लाख अंसे आदमी पाने की अपेक्षा करना—अके जागी हुई जनता में तो—बहुत बड़ी आशा न होनी चाहिये। बल्कि, इतनी भी आशा जबतक सफल नहीं होती तबतक यही समझना चाहिये कि देश में अभी ठीकसे जागृति नहीं हुई है। और यदि भावुकता को छोड़ कर वास्तविक स्थिति का हम निरीक्षण करेंगे तो हमें कबूल करना होगा कि अपने को ४० करोड़ के वकील माननेवाले ये ४० लाख काँग्रेसमंत्रियों नहीं हैं।

तब हम क्या करें? तब हमें यह करना चाहिये कि जो अंसी भावना से प्रेरित हो चुके हों, उन्हें ४० लाख में से चुन कर उन के द्वारा शेष मंत्रियों को इसी भावना से प्रेरित होने को प्रोत्साहित करें, तथा ४० करोड़ जनता की जो सेवा करा सकें वह करायें।

प्रतिनिधियों की संस्थायें बनाने के सही हेतु दो हैं। अके, यह कि सारी जनता में से

अैसे आदमी किसी तरह खोजे जायें, जो कि, जिम्मेदारी की जो भावना सब अनुभव नहीं कर सकते उसे अनुभव करते हों। और दूसरा, काम पूरा करने का इन्तजाम हो।

इन लोगों को किस तरह ढूंढा जाय यह अेक मुश्किल सवाल है। इसके लिये चुनाव की पद्धति का आम तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन, चुनाव की कोई पूरी-पूरी सफल पद्धति अभी तक हाथ नहीं आई है। इसलिये खोज का जो हेतु है वह बार बार निष्फल ही रह जाता है। फिर भी इसका कुछ उपयोग होता है, इसलिये उसे छोड़ देना भी आज असंभव है। लेकिन, उसमें जो त्रुटी रह जाती है, उसे पूरी करने का दूसरा मार्ग लेना भी जरूरी है।

वह यह कि चुने हुअे प्रतिनिधियों के अलावा दूसरा भी अेक वर्ग हो, जो, जिस जिम्मेदारी की भावना की प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है, उसे अपनी खुशी से उठा ले और प्रतिनिधियों की मदद करे तथा उनकी त्रुटियां पूरी करता रहे। साफ है कि यह वर्ग चुने हुअे लोगों का नहीं, लेकिन स्वयंनियुक्त ही हो सकता है। यह अेक अैसा वर्ग है, जिसे मतदारों की तरफ से अधिकार कुछ नहीं मिलता, फिर भी जो मतदारों के प्रति अपनी अुतनी और वैसी ही—बल्कि ज्यादा ही—जबाबदारी समझता है, जितनी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को समझनी चाहिये। इन स्वयंनियुक्त प्रतिनिधियों के ऊपर लोग अपना विश्वास या अविश्वास अेक विधिवन् प्रस्ताव द्वारा प्रकट नहीं करते। जब तक जनता उनपर विश्वास करती है, तब तक उन्हें

विविधरूप से सहयोग देती है, सहायता देती है, उनकी सूचनाओं के अनुसार काम करती है और उनकी इज्जत करती है। जब उनके प्रति अविश्वास हो जाता है, तब बिना कोई प्रस्ताव किये उनसे सब प्रकार का सहयोग हटा लेती है। इसलिये किस हद तक जनता इन्हें सहयोग देती है और आदर से देखती है यही इनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किये जाने का सबूत है।

लेकिन, इसमें भी अेक संकट पैदा होता है। लोगों के विचार और आदतें हमेशा अपनी सच्ची मलाई के अनुकूल नहीं होती और उनमें तबदीली कराने की कोशिश करनेवाले, जनता के सेवक होते हुअे भी, उसका सहयोग पाने में तुरन्त सफल नहीं होते। जो जनता की आदतों और विचारों के सामने कुछ झुक जाते हैं, वे ज्यादा सहयोग और प्रियता प्राप्त करते हैं।

इसलिये जनता के सहयोग और आदर की मात्रा पर सेवकों का प्रतिनिधि के नाते स्वीकार किया जाना भले ही अवलंबित हो तो भी जनता की अपेक्षा सेवकों की अनुपयोगिता का सबूत नहीं है।

सारांश, जनता के द्वारा स्वीकार किया जाना यह अेक हद तक महत्त्व की चीज है। पर, सर्वोदय में अपनी निष्ठा और उसके लिये अपनी तत्परता की गहराई, यही उन सेवकों का सच्चा लक्षण है।

गांधी सेवा संघ जैसी संस्था की बुनियाद में असल तत्त्व यही है। वह निर्वाचित प्रतिनिधियों में से बना हुआ अेक दल नहीं है। किन्तु स्वयंसेवकों का संघ है। प्रजाकीय चुनाव से संघ का कोई संबंध नहीं है।

संघ के कितने सदस्य प्रजाकीय चुनावों में सफलतापूर्वक खड़े किये जा सकते हैं इससे संघ की अच्छाई का नाप नहीं मिलता। और यह भी नहीं कह सकते कि असा व्यक्ति संघ के सदस्य बनने की आवश्यक शर्त पूरी करता है।

जिन सिद्धान्तों पर चुनाव से बनी हुई संस्थाओं का संगठन किया जाता है, उससे भिन्न सिद्धान्तों पर ही हमारा संगठन हो सकता है। उदाहरणार्थ:-

निर्वाचित संस्थाओं में उम्मीदवार मतदारों के सामने जाता है, और मत की भिक्षा मांगता है। वह कहता है कि "दूसरे उम्मीदवारों से मैं आपका काम करने के लिये विशेष योग्य हूँ। ये मेरी पिछली सेवाये हैं, ये मेरी आगे होनेवाली सेवाये हैं"।

स्वयंनिष्ठ संस्था का सदस्य इस तरह कभी नहीं कहता। अगर मतदारों की तरफ से अनुरोध हो तो वह खड़ा होने को राजी भले ही हो जावे, लेकिन स्वयं खड़े होने की इच्छा प्रकट नहीं करता। उसे चुनने की जिम्मेदारी स्वयं मतदारों को उठानी पड़ती है। इसलिये अगर वह खड़ा किया जाय तो उसका सफल होना निश्चित ही होना चाहिये। असाधारण तथा बहुत ही अपवादरूप स्थिति में ही उसका कोई हरीफ हो सकता है। वह हरीफ दूसरे ही मूलभूत सिद्धान्त में माननेवाला होगा। अके ही सिद्धान्त में मानते हुये भी अगर कोई उसका हरीफ होना चाहे, तो उसे अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेने के लिये अतना कारण काफी समझ लेना चाहिये। अगर कुछ मित्र उसपर दबाव भी डालें, तो भी उसका खड़े होने से इन्कार करना कभी

गलत न होगा। इस तरह अके 'गांधीवादी' उम्मीदवार के विरुद्ध गांधी सेवा संघ के सदस्य का खड़ा होना, मेरी दृष्टि में, संघ का संगठन नहीं, बल्कि भंजन है। फिर संघ के ही दो सदस्यों के बीच स्पर्धा होना तो बिलकुल ही सिद्धान्त-नाश है।

साधारण उम्मीदवार मतदारों को कुछ न कुछ सालाव बताते हैं। संघ का सदस्य, अगर कुछ बतायेगा, तो अपनी शर्तें पेश करेगा। 'अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, तो आपको यह काम करना होगा और वह काम छोड़ देना होगा। अमुक बर्ताव मैं बरदाश्त नहीं कर सकूंगा,' आदि। उसका असा करना अपनी महत्ता दिखाने के लिये नहीं है। लेकिन, इसलिये कि अगर लोग उसे अपनी मूक-सेवा के मार्ग से छुड़ा कर अके निर्वाचित संस्था के काम में डालना चाहते हैं, तो जिस हेतु से उसने मूक-सेवा का मार्ग लिया है, उसे उस संस्था द्वारा भी वह ज्यादा सफल करना चाहेगा। प्रतिनिधि होने की सम्मति देने का उसके लिये और कौनसा कारण हो सकता है ?

हमारे लिये देश की उन्नति का नाप मिल के कपडे की जगह खादी की स्थापना है, उस खादी द्वारा जीवनवेतन के सिद्धान्त की स्थापना है, वेहातों को उद्योगों से भर देना है, हरिजनों को दूसरे वर्णों की बराबरी में लाना है, धर्म को सांप्रदायिक सकीर्णता से उठा कर सर्व धर्म के लोगों में भ्रातृभाव पैदा करना है, सब लोगों में सत्य और अहिंसा का संगठन करना है। स्वराज्यप्राप्ति के लिये यही हमारा साधन है। और प्राप्ति के बाद इसी काम को

पूरा करना हमारा ध्येय है। धारासभाओं में, स्थानिक संस्थाओं में, तथा कौन्सेल कर्मियों में जाने के लिये हमारी तभी सम्मति हो सकती है, जब कि जो हमें वहाँ भेजना चाहें, वे उत्साह से इन कामों में सहयोग देना मंजूर करें, और हम यह देखें कि यह उत्साह केवल सदिक्छा नहीं है, बल्कि उसके अनुसार कुछ काम होने का संभव भी है।

इस तरीके से अगर हम तेजकदम से चल सकें तो हमारे लिये वह अच्छी चीज है। जब यह मुमकिन न हो तो हम झूठी बहुमति की लालच में न फँस जायें। वह दिखाऊ प्रगति हमारा नाश ही करायेगी। तब तक हमारे लिये अपना कदम मूक-सेवा और स्वयं अपनी उन्नति के मार्ग में ही रखना ठीक होगा।

लोकमान्य के चरणों में श्रद्धांजलि

[विनोबा का अंक प्रवचन]


फूलों का उपयोग

अंक बात में प्रारम्भ में ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मेरा यहां जो स्वागत हो रहा है वह प्रेम से ही हो रहा है इसमें कोई शक नहीं। ये फूलों की मालाये वगैरह पहनाने में प्रेम तो है ही। लेकिन ये फूलों की मालाये जब मेरे शरीर पर पहनायी जाती हैं तो मुझे मरणप्रायः दुःख होता है। मृत्यु के समान दुःख होता है। फूलों को दूर से ही देखने में मुझे आनंद आता है। वे जहां पेड़ों पर लगे हुए होते हैं वहां वे भगवान को चढाये हुअे ही हैं। अन्को वहां से तोड़ कर पत्थर के भगवान पर चढाने में मुझे संकोच होता है। अंक भगवान के सिर पर से अतार कर दूसरे भगवान के सिर पर चढाने से क्या मतलब? लेकिन फिर भी देवता को कोई फूल चढावे तो मैं सहन कर लूंगा। मैं खुद अन्हें तोड़ कर तो नहीं चढाऊंगा। लेकिन दूसरा कोई

झाड़ से तोड़ कर देवता को चढावे तो सहन कर लूंगा। परंतु जब फूल की मालाये मनुष्य को, और खास कर मुझे, पहनायी जाती हैं, तब तो मृत्यु से भी अधिक दुःख होता है। बहुत ही संकोच होता है। मुझे आत्मपरीक्षण की आदत है। मैं अपने सारे दोष जानता हूँ। इसीलिये फूलों का स्पर्श होते ही मुझे मृत्यु के समान दुःख होता है। मैं अगर किसीका आदरसत्कार करना चाहूँ, तो उसके सामने चाहे अपना सिर फोड़ लूंगा, अपने चमड़े के जूते बना कर उसे पहनाऊंगा, या दूसरा कोई तरीका खोज लूंगा, परंतु फूल तोड़ कर नहीं लाऊंगा। इसके लिये अगर मनुष्य फूलों को छूने ही नहीं तो बहुत अच्छा हो! अस्तु।

आज के दिन के धर्म

आज मैं अपने श्रेया के विषय छोड़ कर दूसरे ही विषय पर चिन्तित हूँ। सदा,



हरिजनसेवा और गीता, मेरे हमेशा के विषय हैं। लेकिन नित्यधर्म नैमित्तिकधर्म से बाधित होता है। आज नैमित्तिकधर्मपालन का दिन है। अैसे अवसर पर नित्यधर्म पीछे रह जाता है और नैमित्तिकधर्म अग्रस्थान ले लेता है। इस नैमित्तिकधर्म में भी खादी, हरिजनसेवा, गीता, तो आयेगी ही। क्योंकि जीवन के बिलकुल अलग अलग टुकड़े किये ही नहीं जा सकते। आज का नैमित्तिक धर्म लोकमान्य का पुण्यस्मरण है। आज तिलक की पुण्यतिथि है।

१९२० में तिलक शरीररूप से हमारे अन्दर नहीं रहे। उस समय में बम्बई गया था। चार पांच दिन पहले ही गया था। परंतु डॉक्टर ने कहा 'हाल कोड़ी डर नहीं है'। इसलिये मैं साबरमती को अेक काम के लिये जाने को रवाना हुआ। मैं आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया होबूंगा जब कि मुझे लोकमान्य की मृत्यु का समाचार मिला। मेरे अत्यंत निकट आत्मीय, सहयोगी और मित्र की मृत्यु का जैसा परिणाम हो सकता है वैसा ही लोकमान्य के निधन का हुआ। मूझपर बहुत गहरा परिणाम हुआ। उस दिन से जीवन में कुछ नयापनसा आगया। मुझे अैसा लगा मानों कोड़ी बहुत ही प्रेम करने-वाला कुटुम्बीय चल बसा हो। इसमें बिलकुल अत्युक्ति नहीं है। आज अितने वर्ष हो गये। आज फिर अुनका स्मरण करना है। लोकमान्य के चरणों में अपनी तुच्छ श्रद्धाञ्जलि, अपनी गहरी श्रद्धा के कारण मैं चढा रहा हूं।

नाममहिमा

तिलक के विषय में जब मैं कुछ कहने

लगता हूं तो मेरे लिअे मुंह से शब्द निकालना मुष्किल हो जाता है। गद्गद् हो अुठता हूं। साधुसंतों का नाम लेते ही मेरी जो स्थिति होती है वही इस नाम से भी होती है। मैं अपने चित्त का भाव प्रकट ही नहीं कर सकता। अुत्कट भावना शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। गीता का नाम लेते ही मेरी यह स्थिति हो जाती है। मानों स्फूर्ति का संचार होता है। भावनाओं की प्रचंड बाढ आती है। वृत्ति अुमडने लगती है। परंतु यह बडप्पन मेरा नहीं है। बडप्पन गीता का है। वही हाल तिलक के नाम का है। मैं तुलना नहीं करता। क्यों कि तुलना में हमेशा दोष आ जाते हैं। परंतु जिनके नामस्मरण में अैसी स्फूर्ति देने की शक्ति है अुन्हींमें से तिलक भी अेक है। मानों अुनके स्मरण में ही शक्ति संचित है। रामनाम को ही देखिये। कितने जड जीवों का अुस नाम के स्मरण से अुद्धार हो गया इसकी गिनती कौन करेगा? अनेक अन्दोलन, अनेक ग्रन्थ, अितिहास, पुराण - अिनमें से किसी भी चीज का जितना परिणाम नहीं हुआ होगा अुतना रामनाम का हुआ है और हो रहा है। राष्ट्रों का अुदय हुआ और अस्त हुआ। राज्यों का विकास हुआ और लय हुआ। किन्तु रामनाम की सत्ता अबाधितरूप से विद्यमान है। तुलसीदासजी ने कहा है, ('रुहअु नाम बड राम ते')। "हे राम, मुझे तुझसे तेरा नाम ही अधिक प्रिय है। तेरा रूप अुस समय के अयोध्यावासियों ने और अुस जमाने के नर-वानरों ने देखा। हमारे पास तेरा रूप नहीं है। लेकिन तेरा नाम है। जो महिमा तेरे नाम में है वह तेरे

रूप में नहीं है। हे राम, तूने शबरी, जटायु आदि का अुद्धार किया। लेकिन वे तो सुसेवक थे। जिसमें तेरा बडप्पन कुछ नहीं। परंतु तेरे नाम ने अनेक खसजनों का अुद्धार किया यह वेद कहते हैं। (‘शबरी गीध सुसेवकनि सुगति वीन्ह रघुनाथ। नाम अुधारे अमित खल वेद विवित गुण गाथ’।) तुलसीदासजी कहते हैं, राम की महिमा गानेवाले मूढ हैं। राम ने तो बडेबडे सेवकों का ही अुद्धार किया। परंतु नाम ने? नाम ने असंख्य जडमूठों का अुद्धार किया। शबरी तो असामान्य स्त्री थी। अुसका वंराग्य और अुसकी भक्ति कितनी महान! वैसा ही वह जटायु था। अिन श्रेष्ठों का, अिन भक्तजनों का, राम ने अुद्धार किया। कौन बडी बात हुभी? परंतु रामनाम तो दुर्जनों की भी अुबारता है। और दर असल मुझे अिसका अनुभव हो रहा है। मुझे बडा खल दूसरा कौन हो सकता है? मेरे समान दुष्ट में ही हूं। मुझे अिस विषय में दूसरों का मत जानने की जरूरत नहीं। नाम से अुद्धार होता है। जिन्होंने पवित्र कर्म किये, अपना शरीर परमार्थ में खपाया, अुनके नाम में अैसी सामर्थ्य आ जाती है।

मनुष्य की विशेषता

अिसी में मनुष्य की विशेषता है। आहार-विहारादि दूसरी सारी बातों में मनुष्य और पशु समान ही हैं। परंतु जिस प्रकार मनुष्य पशु, या पशुसे भी नीच, बन सकता है अुसी प्रकार पराक्रम से, पीरुष से, वह परमात्मा के निकट ी जा सकता है। मनुष्य में मे दोनों शक्तियां हैं। खूब-मांस और अंडे

वगैरह खा कर दूसरे प्राणियों को मार कर खा कर वह शेर के समान हृष्टपुष्ट भी बन सकता है; या दूसरों के लिये अपना शरीर भी फेंक सकता है। मनुष्य अपने लिये अनेकों का घात करे पशु बन सकता है; या अनेकों के लिये अपना बलिदान कर पवित्रनामा भी बन सकता है। पशु की शक्ति मर्यादित है। अुसकी बुराबी की भी मर्यादा है। लेकिन मनुष्य के पतन की, या अूपर अुठने की भी, कौमी मर्यादा नहीं है। वह पशु से भी नीचे गिर सकता है और अितना अूपर चढ सकता है कि देवता ही बन जाता है। जो गिरता है वही चढ भी सकता है। पशु अधिक गिर भी नहीं सकता अिसलिये चढ भी नहीं सकता। मनुष्य दोनों बातों में पराकाष्ठा कर सकता है। अिन लोगों ने अपने जीवन सारे संसार के लिये अर्पण कर दिये अुनके नाम में बहुत बडी पवित्रता आ जाती है। अुनका नाम ही तारे के समान हमारे सम्मुख रहता है। हम रोज तर्पण करते हुअे कहते हैं, ‘वशिष्ठं तर्पयामि’, ‘भरद्वाजं तर्पयामि’, ‘अत्रि तर्पयामि’ अिन अुषियों के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या सातआठ सौ पन्नो में अुनकी जीवनी लिख सकते हैं? अेकाध सफहा भी लिख नहीं सकेगे। लेकिन अुनकी जीवनी न हो तो भी वशिष्ठ यह नाम ही काफी है। यह नाम ही तारक है। और कुछ खेव रहे या न रहे; केवल नाम ही तारे के समान मार्गदर्शक होगा। प्रकाश देगा। मेरी अैसी श्रद्धा है कि सैकड़ों वर्षों के बाद तिलक का नाम भी अैसा ही पवित्र माना जायगा। अुनका जीवनचरित्र वगैरह बहुतसा नहीं रहेगा। लेकिन अितिहास के आकाश

अं अुनका नाम तारे के समान चमकता रहेगा।

‘चरित्र’ और ‘चारित्र्य’ का भेद

हमें महापुरुषों के चारित्र्य का अनुसरण करना चाहिये न कि अुनके चरित्र का। दरअसल महत्त्व चारित्र्य का है। शिवाजी महाराज ने सी दोसी किले बनवा कर स्वराज्य प्राप्त किया। जिसलिये आज यह नहीं समझना चाहिये कि अुसी तरह किले बनाने से स्वराज्य प्राप्त होगा। किन्तु जिस वृत्ति से अुन्होंने अपना जीवन बिताया, और लडाओ की, वह वृत्ति, वे गुण, हमें चाहिये। जिस वृत्ति से शिवाजी ने काम किया अुस वृत्ति से हम आज भी स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी लिये मैंने कहा कि अुस समय का रूप हमारे काम का नहीं है। अुसका भीतरी रहस्य अपुयोगी है। चरित्र अपुयोगी नहीं है; चारित्र्य अपुयोगी है। कर्तव्य करते हुअे अुनकी जो वृत्ति थी वह हमारे लिये आवश्यक है। अुनके गुणों का स्मरण आवश्यक है। इसी लिये तो हिन्दुओं ने चरित्र का बोझ छोड कर नामस्मरण पर जोर दिया। अितने महान व्यक्तियों का सारा चरित्र दिमाग में रखने की कोशिश करें तो अुसीके मारे हम घुटने लगेंगे। इसी लिये केवल गुणों का स्मरण करना है, चरित्र का अनुकरण नहीं।

अेक मजेदार किस्सा

अेक कहानी मसहूर है। कुछ लडकों ने ‘माहसी मुसाफरी’ नाम की अेक पुस्तक पढी। फौरन यह तय किया कि जैसा अुस

पुस्तक में लिखा है वैसा करें। अुस पुस्तक में बीसपच्चीस युवक थे। ये भी जहांतहां से बीस पच्चीस अिकट्ठे हुअे। पुस्तक में लिखा था कि वे अेक जंगल में गये। फिर क्या था? ये भी अेक जंगल में पहुंचे। पुस्तक में लिखा था कि अुन लडकों को जंगल में अेक शेर मिला। अब ये बेचारे शेर कहां से लायें? आखिर, अुनमें जो अेक बुद्धिमान लडका था वह कहने लगा, ‘अरे भभी, हमने तो शुरू से आखिर तक गलती ही की है। हम अुन लडकों की नकल अुतारना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ अुलटा ही हो रहा है। वे लडके अैसी अेकाध पुस्तक पढ कर थोडे ही निकले थे मुसाफरी करने? हमारी तो शुरू में ही गलती हुअी।

वास्तविक श्राद्ध

तात्पर्य यह कि हम चरित्र की सारी घटनाओं का अनुकरण नहीं कर सकते। चरित्र का तो विस्मरण चाहिये। केवल गुणों का स्मरण पर्याप्त है। अितिहास तो भूलने के लिये ही है और लोग अुसे भूल भी जाते हैं। लेकिन लडकों के ध्यान में वह सब का सब नहीं रहता अिसके लिये अुन्हें फिजूल मार पडती है। अितिहास से सिर्फ गुण ही लेने चाहिये। जो गुण हैं अुन्हें कभी भूलना नहीं चाहिये। श्रद्धापूर्वक याद रखना चाहिये। पूर्वजों के गुणों का श्रद्धापूर्वक स्मरण ही श्राद्ध है। यह श्राद्ध पावन होता है। आज का श्राद्ध मूझे पावन प्रतीत होता है। अुसी प्रकार आपको भी अवश्य होता होगा।

तिलक का गुणस्मरण

तिलक का पहला गुण कीनसा था? तिलक जातितः ब्राह्मण थे। लेकिन जो

ब्राह्मण नहीं है वे भी अनुका स्मरण कर रहे हैं। तिलक महाराष्ट्र के मराठे थे। लेकिन पंजाब के पंजाबी और बंगाल के बंगाली उन्हें पूज्य मानते हैं। हिन्दुस्थान तिलक का ब्राह्मणत्व और अनुका मराठा-पन—सब कुछ भूल गया है। यह चमत्कार है। इसमें रहस्य है। इसमें दोहरा रहस्य है। इस चमत्कार में तिलक का गुण तो है ही। लेकिन हमारे पूर्वजों की कमाबी का भी गुण है। जनता का अंक गुण और तिलक का अंक गुण—अन दोनों के प्रभाव से यह चमत्कार हुआ कि ब्राह्मण और महाराष्ट्रीय तिलक सारे भारत में सभी जानिगों द्वारा पूजे जाते हैं। दोनों के गुण की ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

राष्ट्रीय रामलीला में मैं क्या बनूँ?

अस अवसर पर मुझे अहल्या की कथा याद आ रही है। रामायण में मुझे अहल्या की कथा बहुत मुहाती है। राम का चरित्र ही श्रेष्ठ है। और उसमें यह कथा बहुत ही प्यारी है। आज भी यह बात नहीं कि हमारे अन्दर राम (सत्त्व) न रहा हो। आज भी राम है। रामजन्म हो चुका है। चाहें किसी को उसका पता हो या न हो। परन्तु आज राष्ट्र में राम है। क्यों कि अन्यथा यह जो थोड़ा बहुत तेज का संचार देख पड़ता वह नहीं दिखायी देता। गहराभी से देखें तो आज भी राम का अवतार हो चुका है। यह जो राम-लीला हो रही है इसमें मैं कौनसा हिस्सा लूँ, किस पात्र का अभिनय करूँ, यह मैं सोचने लगता हूँ। राम की इस लीला में मैं कौन बनूँ? क्या लक्ष्मण बनूँ? नहीं, नहीं।

लक्ष्मण की वह जागृति, वह भक्ति, कहां से लाऊँ? तो क्या भरत बनूँ? नहीं, भरत की कर्तव्यदक्षता, जिम्मेवारी का बोध, उसकी दयालुता और त्याग कहां से लाऊँ? हनुमान का तो नाम भी लेने की हिम्मत नहीं। उसकी वह सेवा, वह निष्ठा, वह शक्ति कहां से लाऊँ? हनुमान तो मानों राम का हृदय ही है। तो फिर गाँठ में पुण्य नहीं है, असलिये क्या रावण बनूँ? बूझूँ। रावण भी नहीं बन सकता। रावण की अत्कटता, महत्त्व, महत्त्वाकांक्षा, मेरे पास कहां है? फिर मैं कौनसा स्वांग लूँ? किस पात्र का अभिनय करूँ? क्या अंसा कोभी पात्र नहीं है जो मैं बन सकूँ? जटायु? शबरी?—ये तो सुसेवक थे। अन्त में मुझे अहल्या नजर आयी। अहल्या तो पत्थर बन कर बैठी थी।

अहल्या का आख्यान

सोचा मैं अहल्या का अभिनय करूँ। जड़ पत्थर बन कर बैठूँ। अतने में वह अहल्या बोल अठी, “सारी रामायण में सब से तुच्छ जड़मूढ पात्र क्या मैं ही ठहरी? अरे बुद्धिमान, क्या अहल्या का पात्र सब से निहृष्ट है? अरे, मेरी क्या कोभी योग्यता ही नहीं? अरे, राम की यात्रा में तो अयोध्या से ले कर रामेश्वर तक हजारों पत्थर थे, अनुका क्यों नहीं अुद्धार हुआ? मैं कोभी नालायक पत्थर नहीं हूँ। मैं भी गुणी पत्थर हूँ।” अहल्या की बात मुझे जँच गयी। परन्तु अहल्या के पत्थर में गुण थे तो भी यह सारी महिमा केवल उस पत्थर की नहीं। उसी प्रकार सारी महिमा राम के चरणों की भी नहीं। अहल्या के समान पत्थर

और राम के चरणों जैसे चरण—दोनों का संयोग चाहिये। राम के चरणों से दूसरे पत्थरों का अद्धार नहीं हो सका। और न अहल्या के पत्थर का ही दूसरे किसी के चरणों से अद्धार हुआ।

अहल्या-राम-न्याय

जैसे मैं अहल्या-राम-न्याय कहता हूँ। दोनों के मिलाप से काम होता है। यही न्याय तिलक के दृष्टान्त पर भी घटित होता है। तिलक का ब्राह्मणत्व, महाराष्ट्रीयत्व आदि सब भूल कर सारा हिन्दुस्थान अन्तर्गत की पूज्य स्मृति मनाता है। इस चमत्कार में तिलक के गुण और जनता के गुण, दोनों का स्थान है। इस चमत्कार के दोनों कारण हैं। कुछ गुण तिलक का हैं और कुछ अन्हें माननेवाली आम जनता का। हम जिन गुणों का जरा पृथक्करण करें।

तिलक का गुण

तिलक का गुण यह था कि अन्होंने जो कुछ किया उसमें सारे भारतवर्ष का विचार किया। तिलक के फूल बम्बई में गिरे जिसलिये वहाँ अन्तर्गत मूर्तियाँ होंगी। वे पूना में रहे जिसलिये वहाँ अन्तर्गत स्मारकमन्दिर होंगे। अन्होंने मराठी में लिखा जिसलिये मराठी भाषा में अन्तर्गत स्मारक होंगे। लेकिन तिलक ने जहाँ कहीं जो कुछ किया,—चाहे जिस गाँव में, चाहे जिस भाषा में क्यों न किया हो—वह सब भारतवर्ष के लिये किया। अन्हें यह अभिमान नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ। अन्तर्गत भक्तगण की, भेद की, भावना नहीं थी। वे महाराष्ट्र में थे तो भी अन्होंने सारे

भारतवर्ष का विचार किया। जिन अर्वाचीन महाराष्ट्रीय विभूतियों ने सारे भारतवर्ष का विचार किया अन्तर्गत से अन्तर्गत तिलक थे। और दूसरे जो मेरी दृष्टि के सामने आते हैं, वे थे महर्षि न्यायमूर्ति रानडे। तिलक ने महाराष्ट्र को अपनी जेब में रक्खा और सारे हिन्दुस्थान के लिये लड़ते रहे।

“हिन्दुस्थान के हित में मेरे महाराष्ट्र का भी हित है, इसीलिये पूना का हित है, पूने में रहनेवाले मेरे परिवार का हित है और परिवार में रहनेवाले मेरा भी हित है। हिन्दुस्थान के हित का विचार करने से अन्तर्गत में महाराष्ट्र, पूना, मेरा परिवार और मैं, सब के हित का विचार आ जाता है” यह तत्त्व अन्होंने जान लिया था। और अन्तर्गतके अनुसार अन्होंने काम किया। अन्तर्गत विशाल अन्तर्गतकी व्याख्या थी। जो सच्ची सेवा करना चाहता है अन्तर्गतसे वह सेवा किसी मर्यादित स्थान में ही करनी पड़ेगी। लेकिन अन्तर्गतसे मर्यादित स्थान में रह कर की जानेवाली सेवा के पीछे जो वृत्ति रहेगी वह विशाल, व्यापक और अमर्यादित होनी चाहिये।

मर्यादित क्षेत्र और व्यापक सेवा

शालिग्राम मर्यादित है। लेकिन अन्तर्गतमें मैं जिस भगवान के दर्शन करता हूँ वह सर्वब्रह्मांडव्यापी, स्थिरचर, जडचेतन, सब में निवास करनेवाला ही है। तभी तो वह वास्तविक पूजा हो सकती है। ‘जलेस्थले तथा काष्ठे। विष्णुःपर्वतमूर्धनि ॥’ अन्तर्गतसे त्रिभुवनव्यापक विष्णु को यदि वह पुजारी शालिग्राम में नहीं देखेगा तो अन्तर्गतकी पूजा महज पागलपन होगी। सेवा करने में भी खूबी है, रहस्य है। अन्तर्गत गाँव में रह कर

भी मैं विश्वेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। दूसरे को न लूटते हुअे जो सेवा की जाती है वह अनमोल हो सकती है; होती भी है।

कुछ दृष्टान्त

तुकाराम ने अपना देह नामक गांव नहीं छोडा। रामदास दस गांवों में घूमे और सेवा करते रहे। फिर भी दोनों की सेवा का फल अेक है, अनन्त है। यदि बुद्धि व्यापक हो तो अल्प कर्म में से भी अपार कीमत मिलती है। सुदामदेव मुट्ठीभर ही तंडुल ले कर गये। लेकिन अुन तंडुलों में प्रचंड शक्ति थी। सुदामदेव की बुद्धि व्यापक थी। बहुत बडा कर्म करने पर भी कुछ अभागों को बहुत थोडा फल मिलता है। लेकिन सुदामदेव छोटेसे कर्म से बहुत बडा फल प्राप्त कर सके। जिसकी बुद्धि शुद्ध, निष्पाप, पवित्र तथा समत्वयुक्त है, भक्तिमय और प्रेममय है, वह छोटीसी भी क्रिया करे तो भी अुसका फल महान होता है। मूल्य बहुत बडा होता है। यह अेक महान आध्यात्मिक सिद्धान्त है। मां का पत्र दो ही शब्दों का क्यों न हो। विलक्षण प्रभाव डालता है। वह प्रेम की स्याही से पवित्रता के स्वच्छ कागज पर लिखा होता है। दूसरा अेकाध पोथा कितने ही सफेद कागज पर क्यों न लिखा हुआ हो, यदि अुसके मूल में शुभ्र बुद्धि न हो, निर्मल बुद्धि न हो, जो कुछ लिखा गया है वह प्रेम में ढला न हो, तो वह सारा पोथा बेकार है।

व्यापकता की मुहर

परमात्मा के यहां 'कितनी सेवा,' यह

सवाल नहीं है। 'कैसी सेवा,' यह सवाल है। तिलक अल्पन्त बुद्धिमान्, विद्वान् नाना शास्त्रों के पंडित थे। जिसलिये अुनकी सेवा अनेकांगी और बहुत बडी है। परंतु तिलक ने जितनी कीमती सेवा की अुतनी ही, कीमती सेवा अेक देहाती सेवक भी कर सकता है। तिलक की सेवा विपुल और बव्हंगी थी। तो भी अुसका मूल्य और अेक तुच्छ सेवक की सेवा का मूल्य बराबर हो सकता है। अेक गाडी भर के जवार रास्ते से जा रही हो। लेकिन अुसकी कीमत में अपनी छोटीसी जेब में रख सकता हूँ। अेक दस हजार का नोट अपने लीसे में रख सकता हूँ। अुसपर सरकारी मुहर भरी लगी हो। तुम्हारी सेवा पर व्यापकता की मुहर लगी होनी चाहिये। अगर कोअी बहुत सेवा करे परंतु व्यापक दृष्टि और वृत्ति से न करे, तो अुसकी कीमत व्यापक दृष्टि से की हुअी छोटीसी सेवा की अपेक्षा कम ही मानी जायगी। व्यापक वृत्ति से की हुअी अल्प सेवा अनमोल हो जाती है यह अुसकी खूबी है। आप और मैं सब कोअी सेवा कर सकें इसीलिये परमात्मा की यह योजना है। चाहे जहां चाहे जो कुछ भी कीजिये, लेकिन संकुचित दृष्टि से न कीजिये। अुसमें व्यापकता भर दीजिये। यह व्यापकता आज के कार्यकर्ताओं में कम पायी जाती है। कुशल कार्यकर्ता आज संकुचित दृष्टि से काम करते हुअे देख पडते हैं।

तिलक की व्यापकता

तिलक की दृष्टि व्यापक थी इसीलिये अुनके चरित्र में मिठास और आनन्द है।

हिन्दुस्थान के ही नहीं बरन् संसार के किसी भी समाज के वास्तविक हित का विरोध न करते हुअे चाहे जहां सेवा कीजिये। चाहे वह अके देहात की ही सेवा क्यों न हो, वह धनमोल है। परंतु यदि बुद्धि व्यापक हो तो। अपनी दृष्टि व्यापक बनाइये। फिर देखिये आपके कर्मों में कौसी स्फूर्ति का संचार होता है ! कौसी बिजली का संचार होता है ! तिलक में यह व्यापकता थी। ' मैं भारतीय-हूँ, ' यह सुरु से ही अनुकी वृत्ति रही। बंगाल में आन्दोलन शुरू हुआ। अन्होंने दौड़कर अस्की मदद की। बंगाल को साथ देने के लिअे महाराष्ट्र को खडा किया। स्वदेशी का उंका बजवाया। ' जब बंगाल लडाओ के मैदान में खडा है तो हमें भी जाना ही चाहिये। जो बंगाल का दुःख है वह महाराष्ट्र का भी दुःख है '। अंसी व्यापकता, सार्व-राष्ट्रीयता तिलक में थी। असिलिये पूना के निवासी हो कर भी वे हिन्दुस्थान के प्राण बन गये। सारे देश के प्रिय बने। तिलक सारे भारतवर्ष के लिअे पूजनीय हुअे अिसका अेक कारण यह था कि अनुकी दृष्टि सार्व-राष्ट्रीय थी, व्यापक थी।

जनता का गुण

लेकिन अिसका अेक दूसरा भी कारण था। वह था जनता की विशेषता। जनता का यह गुण कार्यकर्ताओं में भी है। क्यों कि वे भी तो जनता के ही हैं। लेकिन अनुको खुद को अिस बात का पता नहीं है। तिलक के गुण के साथ साथ जनता के गुण का स्मरण भी करना चाहिये। क्यों कि तिलक अपने आप को जनता के चरणों की धूल सभरते थे। जनता के दोष, जनता की दुर्बलता,

जनता की त्रुटियां, सब कुछ वे अपनी ही समझते थे। वे जनता से अेकरूप हो गये थे। असलिअे जनता के गुणों का स्मरण तिलक के गुणों का स्मरण ही है।

भारतीय राष्ट्रधर्म-हमारे पूर्वजों की देन

यह जो जनता का गुण है वह हमारा कमाया हुआ नहीं है। हमारे महान, पुण्यवान, विशालदृष्टि, पूर्वजों की वह देन है। यह गुण मानों हमने अपनी मां के दूध के साथ ही पिया है। अनु अेष्ट पूर्वजों ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य किस प्रान्त का या किस जाति का है यह देखने के बदले अितना ही देखो कि वह भला है कि नहीं? वह भारतीय है कि नहीं? अन्होंने हमें यह सिखाया कि भारतवर्ष अेक राष्ट्र है। कभी लोग कहते है कि अंग्रेज यहां पर आये और अन्होंने हमें देशभिमान सिखाया। तब कहीं हम राष्ट्रीयता से परिचित हुअे। परंतु यह गलत है। अेक-राष्ट्रीयता की भावना अगर हमें किसीने सिखाओी हो तो वह हमारे पुण्यवान पूर्वजों ने। अुन्हींकी कृपा से यह अनूठी देन हमें प्राप्त हुओी है।

'दुर्लभं भारते जन्म'

हमारे राष्ट्रधि ने हमें यह सिखावन दी कि 'दुर्लभं भारते जन्म'। 'दुर्लभं वंशेषु जन्म', 'दुर्लभं गुर्जरेषु जन्म', अंसा अन्होंने नहीं कहा। अृषि ने तो यही कहा कि 'दुर्लभं भारते जन्म'। काशी में गंगा-तट पर रहनेवाले को किस बात की तडपन होती है? वह अिसके लिअे तडपता है कि काशी की गंगा की बहंगी भर कर कब रामेश्वर को चढाअूं? मानों काशी

और रामेश्वर उसके मकान का आंगन और पिछवाड़ा हो। वर असल तो काशी और रामेश्वर में पंद्रह सौ मील का फासला है। परंतु तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ अंधियों ने जैसा वैभव दिया है कि तुम्हारा आंगन पंद्रह सौ मील का है। रामेश्वर में रहनेवाला जिसलिअे तडपता है कि रामेश्वर के समुद्र का जल काशीविश्वेश्वर के मस्तक पर चडाअूं। वह रामेश्वर का समुद्रजल काशी तक ले जायगा। कावेरी या गोदा के जल में नहानेवाला भी 'जय गंग' 'हरगंगे' ही कहेगा। गंगा सिर्फ काशी में ही नहीं, यहां पर भी है। जिस बरतन में हम नहाने के लिये पानी लेते हैं उसे भी गंगाल (गंगालय) नाम दे दिया है। कैसी व्यापक और पवित्र भावना है यह! यही भारतीय भावना है।

भारतीय राष्ट्रभाषना

यह भावना आध्यात्मिक नहीं किन्तु राष्ट्रीय है। आध्यात्मिक मनुष्य 'दुर्लभं भारते जन्म,' नहीं कहेगा। वह कुछ और ही कहेगा। जैसे कि तुकाराम ने कहा 'आमुचा स्वदेश। वनत्रया मध्यें वास ॥' ('स्वदेशो भुवनत्रयम्')। अन्होंने आत्मा की मर्यादा को व्यापक किया। सारे दरवाजों, सारे किलों को तोड़ कर आत्मा को प्राप्त किया। तुकाराम के समान महापुरुषों ने—जो कि आध्यात्मिक रंग में रंगे हुए थे—अपनी आत्मा को स्वैर संचार करने दिया। 'अणोरणीयान् महतो महीयान्,' इस भावना से प्रेरित हो कर सारे भेदाभेदों को पार कर जो सर्वत्र चिन्मयता का दर्शन कर सके वे धन्य हैं। लोग भी समझ गये कि ये सारे विश्व के हैं। इनकी कोअी सीमा नहीं

है। परंतु 'दुर्लभं भारते जन्म' की जो कल्पना अंधियों ने की वह आध्यात्मिक नहीं, राष्ट्रीय है।

वाल्मीकि में राष्ट्रभाषना

वाल्मीकि ने अपनी रामायण के प्रारंभिक श्लोकों में राम का गुणवर्णन किया है। राम का गुणगान करते हुए, राम कैसा था जिसका वे वर्णन करते हैं कि 'समुद्र बिष गांभीर्ये स्वैर्ये च हिमवानिष'। 'स्थिरता अपरवाले हिमालय जैसी और गांभीर्य पैरों के निकटवाले समुद्र जैसा'। देखिये, कैसी विशाल अपुमा है। अेक सांस में हिमालय से ले कर कन्याकुमारी तक का दर्शन कराया। पांच मील अूंचा पर्वत और पांच मील गहरा सागर अेकदम दिखाये। तभी तो यह रामायण राष्ट्रीय हुआ। वाल्मीकि के रोम रोम में राष्ट्रीयत्व भरा हुआ था। जिसलिअे वे सावैराष्ट्रीय रामायण रच सके। अूनकी रामायण संस्कृत में है तो भी सब की आदरणीय है। वह जितनी महाराष्ट्र मे प्रिय है अतनी ही मद्रास की तरफ केरल में प्रिय है। इलोक के अेक ही चरण में अुत्तर हिंदुस्थान और दविषण हिंदुस्थान का समावेश किया। विशाल और भय्य अपुमा! यह हमें मिली हुआ देन है।

हमारे राष्ट्रधर्म की विशेषता

हमसे कोअी पूछे कि तुम कितने हो? तो हम तुरन्त बोल अुठेंगे हम पैंतीस करोड बहनभाबी हैं। अंग्रेज से पूछो तो वह चार करोड बतलायेगा। फरासीसी सात करोड बतलायेगा। जर्मन छह करोड बतलायेगा। बेल्जियन साठ लाख बतलायेगा। यूनानी

बाध करोड बतलायेगा। और हम ? पे-नी-स करोड !! अंसा फरक क्यों हुआ ? हमने अिन पैंतीस करोड को अेक माना। अुन्होंने नहीं माना। सच पूछो तो जर्मनों को भाषा और फरासीसियों की भाषा ज्यादह विसदृश नहीं है। जैसी मराठी और गुजराती। यूरोप की भाषायें लगभग अेक-सी हैं। अुनका धर्म भी समान है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों में परस्पर रोटीबेटीव्यवहार भी होता है। लेकिन फिर भी अुन्होंने यूरोप के अलग अलग टुकडे कर डाले। हिन्दुस्थान के प्रांतों ने अपने को अलग अलग नहीं माना। यूरोप के लोगों ने मान लिया। हिन्दुस्थान भी तो रूस को छोड बाकी के यूरोप के बराबर अेक खंड (महाद्वीप) ही है। लेकिन हमने भारत को अेक खंड, यानी अनेक देशों का समुदाय, न मान कर भारतवर्ष के नाम से सारा अेक ही देश माना। अेक राष्ट्र माना।

यूरोप की भेदभक्ति

अुन अभागे यूरोपवासियों ने सारा यूरोप अेक नहीं माना। अुन्होंने यूरोप को अेक खंड (महाद्वीप) माना। अुसके छोटे छोटे टुकडे किये। अेक अेक टुकडे को अपना मान लिया और अेक दूसरे से घनघोर युद्ध किये। पिछले महासमर को ही ले लीजिये। लाखों लोग मरे। वे अेक दूसरे से लडे। लेकिन आपस में नहीं लडे। यह कसूर अुन्होंने नहीं किया। लेकिन हमने भारत को अेक राष्ट्र मान लिया। इसलिये हम आपस में लडे।

हमारा दोष भी भूषणभूत है

अंग्रेज या यूरोपीय अितिहासकार हमसे कहा

करते हैं कि ' तुम आपस में लडते रहे। अंतस्थ कलह करते रहे। ' आपस में लडना बुरा है, यह तो मैं भी मानता हूं। लेकिन यह दोष स्वीकार करते हुअे भी मुझे अिस आरोप पर अभिमान है। हम लडे, लेकिन आपस में। अिसका अर्थ यह हुआ कि हम अेक हैं यह बात अिन अितिहासकारों को भी मंजूर है। अुनके आवषेप में ही यह स्वीकृति आ गयी है। कहा जाता है कि यूरोपीय राष्ट्र अेक दूसरे से लडे लेकिन अपने ही देश में आपस में नहीं लडे। लेकिन अिसमें कौनसी बडाबी है ? अेक छोटेसे मानवसमुदाय को अपना राष्ट्र कह कर यह शैली बताना कि हमारे अंदर अेकता है, आपस में फूट नहीं है, कौनसी वहादुरी है ? मान लीजिये कि मैंने अपने राष्ट्र की 'मेरा राष्ट्र यानी मेरा शरीर' अितनी ही संकुचित व्याख्या बना ली; तो आपस में कभी युद्ध ही नहीं होगा। हां, मैं ही अपने मुंह में चटसे अेक जड दूं तो अलबत्ता लडाबी होगी। परंतु 'मैं ही मेरा राष्ट्र हूं' अैसी व्याख्या कर के मैं अपने भाअी से, मां से, किसी से भी लडूं, तो भी वह आपस की लडाबी नहीं होगी। क्यों कि मैंने तो अपने साडेतीन हाथ शरीर को ही अपना राष्ट्र माना है। सारांश, हम आपस में लडे यह अभियोग सही है। परंतु वह अभिमानास्पद भी है। क्यों कि अिस अभियोग में ही अभियोग लगानेवाले ने यह मान्य कर लिया है कि हम अेक हैं, हमारा अेक ही राष्ट्र है। यूरोप के अभागों ने अिस कल्पना का विनाश किया। हमें अुसकी शिक्षा दी गयी है। अितना ही नहीं, बल्कि वह हमारी रग रग में पैठ गयी है। हम पुराने जमाने में आपस में लडे। तो भी यह अेक-राष्ट्रीयता की भावना आज भी विद्यमान है। महाराष्ट्र

ने पंजाब पर, गुजरात और बंगाल पर, चढाजियां कीं। तो भी यह अके-राष्ट्रीयता की, आत्मीयता की, भावना नष्ट नहीं हुई।

जनताव्यापी भावना

जनता के जिस गुण की बदौलत तिलक सब प्रान्तों में प्रिय और पूज्य हुए। तिलक-गांधी तो अलौकिक पुरुष हैं। सब प्रान्त उन्हें पूजेंगे ही। परंतु राजगोपालाचार्य, जमनालालजी तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन उनका भी सारे प्रान्तों में तिष्ठा है। पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक उनका आदर करते हैं। हमें उसका पता भी भले ही न हो, लेकिन अके-राष्ट्रीयता का यह महान गुण हमारे खून में ही घुल-मिल गया है। हमारे यहां अके प्रान्त का नेता दूसरे प्रान्त में जाता है, लोगों के सामने अपने विचार रखता है। क्या यूरोप में यह कभी हो सकता है? जूरा जाने दीजिये मुसोलिनी को रूस में फासिमम पर व्याख्यान देने। लोग उसे पत्थर मार मार कर कुचल डालेंगे; या फांसी पर लटका देंगे। हिटलर और मुसोलिनी जब मिलते हैं तो कैसा जबरदस्त बन्दोबस्त किया जाता है। कैसी चुपचाप गृप्तरूप से मुलाकात होती है? मानों दो खूनी आदमी किसी साजिश के लिये अके दूसरे से मिल रहे हों। किले, परकोटे, दीवारें सब तरफ खड़ी कर के सारे यूरोप में द्वेष और मत्सर फैला दिया है अिन लोगों ने। परंतु हिन्दुस्थान में ऐसी बात नहीं है। तिलक-गांधी को छोड़ दीजिये। ये अपूर्व आदमी हैं। किन्तु दूसरे साधारण लोगों का भी सर्वत्र आदर होता है। लोग उनका भाते ध्यान से सुनते हैं। ऐसी यह राष्ट्रीय

भावना अधियों ने हमें सिखायी है। समाज और जनता में सर्वत्र जिसका असर मौजूद है। अबोधरूप से वह हमारी नसनस में है।

तिलक की जनता से अकेरूपता

हमें जिस गुण का पता नहीं था। आभिये, अब ज्ञानपूर्वक हम उससे परिचय कर लें। आज तिलक का स्मरण सर्वत्र किया जायगा। उनके ब्राम्हण होते हुए भी, महाराष्ट्रीय होते हुए भी, सब जन सर्वत्र उनका पूजा करेंगे। क्यों कि तिलक की दृष्टि व्यापक थी। वे सारे भारतवर्ष का विचार करते थे। वे सारे हिन्दुस्थान से अकेरूप हो गये थे। यह तिलक की विशेषता है। भारत की जनता भी प्रान्ताभिमान आदि का खयाल न करते हुए गुणों को पहचानती है। यह भारतीय जनता का गुण है। अिन दोनों के गुणों का यह चमत्कार है कि तिलक का सर्वत्र सब लोग स्मरण कर रहे हैं। अके ही आम की गुठली से पेड़, शाखा, मोर, आम पैदा होते हैं; उसी प्रकार अके ही भारत माता के बाह्यतः जुदे जुदे पुत्र दिखायी देते हैं। कोभी कोधी, कोशी स्नेहवान्। फिर भी मीठे और मुलायम आम जिस गुठली से पैदा होते हैं उसीसे झाड़ की पीड़ भी पैदा होती है। उसी तरह हम अपूर से बितने ही भिन्न क्यों न दिखायी दें, तो भी अके ही भारतमाता की संतान हैं यह कदापि नहीं भूलना चाहिये। यह ध्यान में रख कर प्रेमभाव बढ़ाते हुए सेवकों को सेवा के लिये तैयार होना चाहिये। तिलक ने ऐसी ही सेवा की। आशा है आप भी करेंगे।

(मराठी से अनूदित)

प्रश्नोत्तरी

‘ळ’ ‘ड’ और ‘ळ’

अंक ‘सर्वोदयमित्र’ पूछते हैं:—

“**प्रश्न**—हिन्दी में ‘ळ’ नहीं है। अतना ही नहीं अधिकतर हिन्दी प्रान्त के लोग अुसका अुच्चारण भी नहीं कर सकते। ‘सर्वोदय’ देखने से शंका होती है कि आप कभी वार ‘ळ’ लिखने का आग्रह रखते है। अुदाहरणार्थ, ‘बाळुभाजी’ जैसे शब्द में। क्या यह योग्य है? अगर वैसा हो तो, अुदाहरणार्थ ‘वाला’ शब्द गुजराती में ‘व.ळा’ लिखा जाता है, तो क्या वैसे शब्द मराठी और हिन्दी में भी वैसे ही लिखने चाहिये? अुदा० ‘मशरूवाळा’, ‘वीरावाळा’ आदि। मेरा खयाल है कि ‘ल-ळ योरभेद’ समझ कर जहां पर अितर भाषाओं में ‘ळ’ लिखा जाता है वहां हिन्दी में ‘ल’ कर देना चाहिये। अगर मेरी राय में भूल हो तो बताअियेगा”।

उत्तर—अिस प्रश्न का जबाब देने के पहले प्राक्तिक महोदय को अनेक वधाअियां देनी चाहिये। भाषाशुद्धि, लेखनशुद्धि, अुच्चारण-शुद्धि, अिन बातों पर अुतना ही ध्यान देना चाहिये जितना चारिअ्यशुद्धि के लिये आवश्यक माना जाता है। अंग्रेज लोग अपनी भाषा, शब्दों के हिज्जे, शब्दों के अवयव पर देने के आघात, मुहावरें, शिष्टाचार आदि छोटीमोटी बातों पर जो ध्यान देते हैं अुसपर से अूनकी भाषामभित और संस्कृतिनिष्ठा सिद्ध होती है।

किसी भी सवाल की अुपेक्षा कर के जीवन को शिथिल बना देने में न अुदारता है और न सहिष्णुता। वह केवल

आलस्य और जडता है। अब हम अपने आदरणीय मित्र के प्रश्न पर गौर करें:—

हिन्दी में ‘ळ’ अक्षर और अुसका अुच्चारण नहीं है यह बात सही है। किन्तु हिन्दी जब राष्ट्रभाषा होने जा रही है तब अुसे अपने घर में हिन्दुस्थान की सब प्रांतीय भाषाओं का समुचित आदर करना ही होगा। ‘ळ’ का अुच्चारण अुडिया, गुजराती, मराठी फानडी, तेलगू, तमिळ, मल्याळम्—अितनी भाषाओं में है ही। हिन्दीवाले कभी कभी अैसा मानते हैं कि ‘ड’ और ‘ळ’ में कोअी भेद नहीं है। और ‘ड’ और ‘र’ में भी कहीं वहीं भेद नहीं माना जाता है; ज्यादातर बिहार और बंगाल के कुछ हिस्से में। अिस-लिअे ये तीनों अक्षर अेक ही कार्य के लिअे काम में साने का दोष बे करते हैं। ‘ल-ळयोरभेद:’ यह जैसा अेक सूत्र है अुसी तरह ‘ळ-डयोरभेद:’ भी दूसरा सूत्र है। वेदों में कहीं कहीं ‘ड’ का अुच्चारण ‘ळ’ किया जाता है और ‘ब’ का ‘ळ’। ‘अग्निमीळे पुरोहित’ और ‘समूळमस्यपांसुरे’ ये अुदाहरण प्रख्यात हैं।

मराठी में ‘कमल’ का ‘कमळ’ कर देते हैं। अुसके स्थान में हिन्दी में हम ‘कमल’ ही लिखें। किन्तु मराठी में ‘आख’ के लिअे जो ‘डोळा’ शब्द है अुसका अगर आप ‘डोला’ बना देंगे तो अुसके मानी होंगे “ताजिया”। ‘शशवा’ के लिअे गुजराती में ‘केळवणी’ शब्द है। अुसका अगर आप ‘केलवणी’ करेंगे तो वह अुच्चारण असंस्कारी और भद्दा मालूम होगा। हिन्दुस्थान की प्रधान सातआठ भाषाओं में जो अुच्चारण है

अुसे हिन्दी में लेना ही ठीक होगा। कम से कम व्यक्तियों के नाम और अपुनामों में ती अुच्चारणशुद्धि की ओर खास ध्यान देना चाहिये। 'राय' को 'रे' कहना, 'रानडे' को 'रानाडे' कहना, 'गोखले' को 'गोखेल' बनाना और अंग्रेजी 'अेल' के साथ अुसका अनुप्रास जोडना, 'कन्नड' भाषा को 'कनाडी' कह कर अपना अनाडीपन सिद्ध करना, ये सब दोष अब आन्तरप्रान्तीय जीवन ओतप्रोत करने के दिनों में वूर करने ही होंगे।

'आर्य' को 'आर्या' कहना, 'गुप्त' को 'गुप्ता', 'सिंह' को 'सिन्हा', 'ठाकुर' को 'टागोर' 'शारदा' को 'सरडा'—ये दोष भी अैसे ही अवषम्य हैं।

अपने देश के स्थलनाम, जातिनाम, व्यक्तनाम आदि परिचित नामों का अुच्चारण तो यथा-स्थान ही होना चाहिये। जिसलिअे 'बाळभाभी', (अगर वह मूल में 'बाळभाभी,' हो तो,) 'मथूवाळा,' 'वीरावाळा' आदि नामों में हम तो 'ळ' रखने के पक्ष में हैं। किन्तु जहां अर्थहानि न होती हो, महापन न प्रतीत होता हो, वहां पर अगर असली 'ळ' का 'ल' या 'ड' कर दिया जाय (जो योग्य हो) तो हमें कोअी अुअ्र नहीं है। दूसरी भाषा के शब्दों में जहां संस्कृत 'ल' की जगह 'ळ' हो गया हो वहां भी हम हिन्दी में 'ल' काही प्रयोग करें। हिन्दी में जहां 'ल' हो वहां जबरदस्ती 'ळ' का प्रयोग करना ज्यादती होगी। हर अेक भाषा का अवषर-बिन्धास अुसकी विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप ही होना चाहिये। हिन्दी की विशिष्ट प्रकृति के विकास को हम आघात पहुंचाना कदापि नहीं चाहेंगे। हम तो अुसे सम्पन्न करना चाहते हैं।

राहुलजी की गलती

हमारे मित्र ने अिसी सिलसिले में और अेक बात कही है :—

२ "श्री राहुल सांकृत्यायनजी की अेक पुस्तक में 'ड' के बदले 'ळ' का अुपयोग सब जगह किया गया है। जिस पर से अनुमान होता है कि वे शायद समझते हैं कि 'ळ' का अुच्चारण 'ड' होता है। कृपा कर के हिन्दी पाठकों को 'ड', 'ड', 'ळ' के अुच्चारणों का भेद समझाअियेगा।"

हमारे मित्र की बात बिलकुल सही है। हिन्दी-वाले नया अुच्चारण सीखने की तकलीफ कम लेते हैं अैसा अक्सर पाया गया है। अंग्रेजों का स्वभाव भी यही है। वे अपनी भाषा के जितने आपही हैं अुतनी ही बेदरकारी से दूसरों की भाषा बिगाडते हैं। हिन्दीवाले शायद कहेंगे कि हम अैसे पक्षपाती नहीं हैं। औरों की भाषा के प्रति जो अुदासीनता और शिथिलता हमने रखी है वही हम अपनी निजी भाषा के प्रति भी रख रहे हैं। लेकिन अगर अैसी वृत्ति है तो अुसे भी हम पसन्द नहीं करेंगे।

'ड' और 'ड' के बीच जो भेद है वह हिन्दीवाले जानते ही हैं। अ-हिन्दी प्रान्त के लोगों को यह भेद बताना होगा। यह भेद शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। सुनने से ही वह भेद पकडा जाता है और वह भी आसानी से नहीं। किन्तु 'ळ' और 'ड', 'ड' का भेद आसानी से बताया जा सकता है। प्रथम 'ल' लेंगे। जिसमें जीभ का अग्र दो दातों के बीच आता है। क्यों कि वह दंत्य वर्ण है। 'ड', 'ड' अिन दोनों के अुच्चारण के समय जीभ दातों के नजदीक

जो मुंह का गुम्बद है उसे स्पर्श करती है। 'ट' वर्ण का यह मूर्धन्य स्थान है। उसमें 'ड' कहते समय जीभ दृढता से गुम्बद को स्पर्श करती है और अेक ही प्रयत्न में उस स्पर्श को तोड़ देती है। 'ड' में वही स्पर्श बहुतकुछ सीम्य या शिथिल होता है और अुच्चारण के समय स्पर्श तोड़ना सफाई से नहीं होता। उसमें कुछ कंप, कुछ आन्दोलन और कुछ अत्यल्प स-कार का घर्षण आता है। अेक तरह की सिसकारने की आवाज़—जिसे अंग्रेजी में 'हिसिंग साउंड' कहते हैं।

'ळ' में जीभ को मुंह में पलटा कर जहां तक हो सके अन्दर ले जाते हैं। (अंगुली से अगर मुंह के गुंबद को हम टटोलें तो पता चलेगा कि उस गुंबद के दो भाग हैं। दांत की ओर वाले गुंबद के अधिकांश भाग का स्पर्श कठिन होता है और गले की ओर का जो भाग है वह बिलकुल मुलायम होता है। अंग्रेजी में उसे 'साफ्ट पैलेट' कहते हैं।) गुंबद के कठिन और कोमल विभाग का जहां संधि है उस स्थान तक पलटी हुई जीभ को अूपर ले जा कर घर्षण और कंप के बिना, सफाई से जीभ की बूझारी से अगर हम गुंबद को साफ करें तो 'ळ' का अुच्चारण स्पष्ट आ जायगा।

अगर अूपर दी हुई सूचना पाठक ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ कर उसका अुपयोग करेंगे तो निष्फल होने की संभावना ही नहीं है।

शुद्ध हिन्दी में 'ळ' नहीं आयागा। किन्तु प्रान्तीय भाषा के नाम, विशेषनाम, मुहावरे, और शब्दसमुच्चय लेने में 'ळ' का व्यवहार करना पड़ेगा। और हिन्दीवालों के लिये प्रयत्न-पूर्वक 'ळ' का अुच्चारण सीखना आवश्यक है।

प्रश्न—“ मेरा खयाल है कि हिन्दी में

'तैयार' लिखना शुद्ध माना जाता है। आप 'तय्यार' लिखते हैं। अगर उसके पीछे कोअी खास सबब हो तो कृपया बतायियेगा।”

उत्तर—यह तो मानना ही चाहिये कि हर भाषा को अपने शब्दों के हिज्जे अपने ही ढंग से करने का पूरा अख्तियार है। हिन्दी में अगर सत्र लोग “तैयार” लिखते हैं तो उसे बदल कर “तय्यार” की नयी 'वर्णना' (स्पेलिंग) जारी करने का हमें कोअी अधिकार नहीं है। तो भी 'तैयार' की अपेक्षा “तय्यार” की 'वर्णना' ही हमारी दृष्टि से हमलोगों के लिये अधिक अनुकूल है।

संस्कृत में 'अ' का अुच्चारण 'अओ' के जैसा होता है और हिन्दी में अुसी अक्षरका अुच्चारण 'अय्' के जैसा होता है। जब हिन्दी में 'है' लिखा जाता है तब हिन्दीवाले उसका अुच्चारण करते हैं 'हय्' और अ-हिन्दीवाले उसे पढ़ते हैं “हओ”। जिस दोष को अगर टालना है और अुच्चारण-शुद्धि की तरफ अधिक ध्यान देना है तो अहिन्दी प्रान्तों के लिये लिखना चाहिये 'भारत हमारा देश हय्' अन्यथा 'भारत हमारा देश हओ' अँसा अधिकाधिक सुनने के लिये अुत्तर भारतीय लोगों को 'तय्यार' रहना चाहिये। जहां वर्णना का विकल्प हो वहां 'अ' की जगह हम 'अय' करना ही पसन्द करेंगे। अगर हिन्दीवाले 'तय्यार' को दरगुजर कर सकेंगे तो अुनकी रजामन्दी से हम वही वर्णना जारी करने के पक्ष में हैं। लेकिन अुनकी विचार-पूर्वक बनी हुई राय के खिलाफ नहीं। हिन्दी शब्दों के 'वर्ण-विन्यास' के विषय में हम अुन्हे सुझा सकते हैं। निर्णय का अधिकार अुनका है। और अुन्हे सहायता देने का हमारा।

२२:६:३९

का० का०

सर्वोदय की दृष्टि

कविवर रवीन्द्रनाथ और पं० जवाहरलाल

जगत में कविवर रवीन्द्रनाथ की महिमा पं० गांधीजी के बराबर है। इन दो भारत-पुत्रों के कारण जगत में हिंदुस्तान का सर ऊंचा अठा है। राजकीय नेताओं में पं० जवाहरलाल का स्थान गांधीजी से दूसरा कहा जा सकता है। गांधीजी ने कई बार कहा है कि वे उनके वारिस होंगे। इस लिखे ये दो महापुरुष जो कुछ लिखें वह हमारे लिखे बड़े आदर से पढ़ने और गौर करने योग्य हो जाता है। उन के विचारों की आलोचना करना बड़ा कठिन और नाजुक काम है। लेकिन इसी कारण यह आशा करना गैरमनासिब नहीं कि वे भी जो कुछ लिखें वह बहुत ही सोचविचार कर लिखें। उनके कलम से अंक कम-गौर किया हुआ, या जल्द (हेस्टी) सखुन बड़ा खतरनाक और गलतफहमी बढ़ानेवाला हो सकता है। उनकी महत्ता के कारण उन पर दोष का आरोप करने में मुझे बड़ा संकोच होता है। फिर भी उनके दो वक्तव्यों की आलोचना करना जरूरी समझता हूँ।

श्री रवीन्द्रनाथ

जुलाई के 'मॉडर्न रिव्यू' में कविवर का 'कॉंग्रेस' के विषय में अंक पत्र प्रकट हुआ है। उसमें गांधीजी की देश और कॉंग्रेस की सेवा की, और उनके नेतृत्व में कॉंग्रेस ने की हुई अभूति की बहुत कद्र की गयी है। पर दूसरी तरफ से आपके दिल में यह शंका पैदा हो गई है कि कॉंग्रेस

के मुखियों में शायद अधिकार-भय पैदा हो गया है। आप यह कबूल करते हैं कि आपका आजकल के राजकीय मामलों का ज्ञान बहुत अवूरा है, इसलिखे आपकी यह शंका निराधार भी हो सकती है। फिर भी आपने पं० जवाहरलाल से इस विषय में जवाब मांगा है।

इसी सिलसिले में कविवर ने सरदार वल्लभभाई ने गांधी सेवा संघ के संमेलन में किये हुए अंक अद्गार का (शायद अवूरी रिपोर्ट पढ़ कर) उल्लेख कर के उसपर टीका की है। वे लिखते हैं—

'कॉंग्रेस में शाक्त संप्रदाय धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह महात्माजी के अनुयायियों की, उन्हें हिटलर या मुसोलिनी की बराबरी का जाहिर करने की वृत्ति में अपने सच्चे रूप में प्रकट होता है। क्या यह मुमकिन है कि ये लोग, जब कि उन नरसैध करनेवालों की इतनी इज्जत समझते हैं, अपने निष्काम-योगी तपस्वी गुरु का बताया हुआ सत्य का मंदिर अच्छी तरह पवित्र रख सकेंगे?'

सरदार वल्लभभाई का भाषण जुलाई के 'सर्वोदय' में आ गया है। फिर भी प्रस्तुत उद्गार फिर से यहाँ दिया जा रहा है।

"लोग मुझे हिटलर कहते हैं। "यह हिटलर है, वह मुसोलिनी है, फलाना सवाजी-हिटलर है," अंगी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि गांधीजी से बड़ा हिटलर मैंने नहीं देखा। अक्स जर्मनीवाले हिटलर में और जिसमें अंक बड़ा भारी फरक है। वह जोर-जबरदस्ती और हिंसा से काम लेता है। जिसकी सत्ता प्रेम पर खड़ी है। यह प्रेम

और अहिंसा से हमारे दिल काबू में कर लेता है। इसके प्रेम का आक्रमण अंसा है कि अक्सर कोश्री नहीं बच सकता। अतना बड़ा लोकसंग्रह किसी प्रेम की शक्ति की बदीलत हुआ है। अक्सकी बराबरी का दूसरा आदमी मुस्क में नहीं है।”

सरदार बल्लभभाई कवि तो हैं ही नहीं। बल्कि विद्वान् भी नहीं हैं। वे खेडा जिले के अक किसान हैं। और संभव है कि नागरी शैली या रुचि का भंग कहां होता है, वह वे नहीं जान सकते। इसलिये यह संभव है कि काकसमीक्षकों की दृष्टि में गांधीजी की हिटलर से तुलना करने में हीनोपमा का बोध उन्होंने कर दिया हो। लेकिन, जिस तरह उन्होंने यह तुलना की है, उसमें शक्तिपूजा का स्वरूप देखना मुझे बड़ी ही 'दूरदर्शिता' मालूम होती है।

यह गलतफहमी शायद गलत रिपोर्ट से हुई हो। फिर भी यह छोटासा अल्लेख अतना जरूर बताता है कि किस तरह कविवर के दिल में सरदार या कांग्रेस के मुखियों के प्रति सांस्कृतिक वृत्ति पैदा हुई है।

अंसी शंकाओं का निवारण कैसे हो? कविवर इतने बड़े आदमी हैं कि कांग्रेस के मुखियों में कितना भी अधिकारमद आ गया हो, उनमें अक भी अंसा न निकलेगा, जो कविवर के आमंत्रण का निरादर करने की हिम्मत कर सके। क्या ही अच्छा हो, अगर वे जिन जिन के कामों या वृत्तियों के बारे में उन्हें शंका पैदा हो गयी है, उन्हें स्वयं बुला कर सफाई मांगें! आखिर जिन के विषय में बहुत झगडा मचा है अंसी बातें ५-६ से तो अधिक नहीं है। केवल बुद्धिभेद करानेवाली अक कुशंका जगत के सामने

फेंक देने के बजाय, अगर वे राजेन्द्र बाबू और सरदार से पूछपरछ कर के निश्चितरूप में अपना समाधान या असमाधान प्रकट करें, तो देश की ज्यादा भलाई होगी। जनता भी निःसंशयरूप से समझ सकेगी कि कांग्रेस के वर्तमान नेता मणि हैं या कांच हैं।

पं० जवाहरलाल

लेकिन, कविवर को क्या दोष दें; जब कि पं० जवाहरलाल—जो सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ हैं—वे भी अक साफ भूमिका ले कर कांग्रेस के आम सभासदों को अक या दूसरी तरफ स्पष्ट दर्शन कराने के बदले सिर्फ संशयवृत्ति पैदा कराना ही अच्छा समझते हैं? अभी श्री सुभास बाबू के दल ने ९ जुलाजी का कांग्रेस विरोधदिन मनाने की जो घोषणा निकाली थी, उसके विरोध में पं० जवाहरलाल ने अक वक्तव्य निकाला था। मैंने अक उस्ताद अंसा देखा था जो यह मानता था कि स्कूल में आते ही पहला काम यह करना चाहिये कि हरेक लडके को दो चार बेंत लगा दिअे जायें। फिर दिन भर वे उस्ताद को बिलकुल तंग न करेंगे। पंडितजी के विषय में भी यही शंका होती है कि उन्होंने भी अंसा ही कोई शिक्षासिद्धान्त स्वीकार तो नहीं कर लिया? त्रिपुरी के कुछ दिन पहले से उनके वक्तव्यों ने अंसा ही स्वरूप पकड लिया है। अपने इस वक्तव्य में पं० जवाहरलाल ने अक बाजू से सुभास-बाबू के काम का तीव्र निषेध किया है। लेकिन दूसरी तरफ जिन प्रस्तावों के बारे में सुभास बाबू को असंतोष है, उनके बारे में पंडितजी कहते हैं:—

"ये दो प्रस्ताव पढ़ने में तो सयुक्तिक हैं, और कौड़ी भी संगठितरूप से काम करनेवाली संस्था का जैसे प्रस्ताव करना स्वाभाविक है। फिर भी यह भी सच है कि दलबन्दी करने के हेतु इनका उपयोग होना भूमिक है। और यही इनमें खतरा है। इसी कारण अगर मुझे मौका मिलता तो भारतीय महासमिति में मेरा सत्याग्रह के प्रस्ताव का विरोध करने का इरादा था।"

इससे सूक्ष्मरूप में मौजूदा प्रांतिक और वकिंग कमिटी के प्रति अविश्वास और सन्देह प्रकट होता है। प्रान्तिक कमिटियां इतनी विश्वासपात्र नहीं कि वे योग्य प्रसंग में भी सत्याग्रह करने की इजाजत देंगी। और वकिंग कमिटी भी भ्रंसी नहीं कि जो अपील होने पर न्याय करेगी।

अगर मौजूदा वकिंग कमिटी जैसी विश्वास-योग्य न हो, तो मेरी दृष्टि में पं. जवाहरलाल का कर्तव्य हो जाता है कि वे या तो उसे सुधारें अथवा जो उसे तोड़ना चाहते हैं, उन्हें साथ दें। काँग्रेस कितनी भी बड़ी संस्था हो, नेताओं की सच्चाई और बुद्धि में जनता का विश्वास ही उसका आधारस्तंभ है। जो लोग नेताओं में अविश्वास सूचित करते हुए, जनता से काँग्रेस का आश्रय लेने को कहते हैं, वे जानबूझ कर दीमक ने अंदर से पोले किये हुये पेड़ के नीचे विश्रान्ति लेने की सलाह लोगों को दे रहे हैं।

काँग्रेस की दयनीय स्थिति

पं० जवाहरलाल से ले कर मानवेन्द्र-नाथ राय तक अंक शृंखला बनी है। उनमें आपस में मतभेद जिस विषय में नहीं कि वकिंग

कमिटी में कितनी मात्रा में विश्वास प्रकट किया जाय; बल्कि जिस विषय में कि अविश्वास और कुशंका की कितनी मात्रा प्रकट की जाय। इस में केवल मानवेन्द्रनाथ राय की भूमिका ही स्पष्ट और खालिस है। दूसरे सब न अपने प्रति न्याय करते हैं, और न वकिंग कमिटी के प्रति सौजन्य का व्यवहार करते हैं। और जिनके सर पर आज जिम्मेवारी है, उनकी स्थिति दयनीय करने का मजा सूटते हैं। आखिर इसमें स्थिति तो काँग्रेस की ही दयनीय होनेवाली है। फेडरेशन, या १९३५ का कानून, तो जब टूटेगा तब टूटेगा; काँग्रेस आज ही टूट रही है।

दर्द क्या है ?

बाज दफा स्वयं अपने में अविश्वास ही दूसरों में अविश्वास का कारण हो जाता है। न पं. जवाहरलाल न श्री सुभास बाबू और न श्री नरेंद्रदेव या श्री जयप्रकाश नारायण काँग्रेस के सूत्र अपने हाथों में ले लेने का आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। फिर भी 'कुछ दूसरा कहूँ' 'कुछ और करूँ', 'इतने से संतोष नहीं है, यह प्रेरणा उनकी बुद्धि में हुआ करती है। और वह अपने प्रति असंतोष के रूप में प्रकट होने के बजाय सूत्रधारों के प्रति असंतोष प्रकट कराती है। अंसा करने में उनको यह बहाना मिल जाता है कि ये सूत्रधार स्वतंत्र विचारक या नेता होने का दावा नहीं करते। उन्होंने अपनी भक्ति अंक नेता को सौंप दी है, और उनकी बुद्धि असीकी योजनाओं को सफल बनाने में संतोष मानती है। वे दूसरी योजनाओं के प्रति रुचि नहीं बता सकते। 'कुछ और करूँ', 'इतने से संतोष

नहीं है' यह तो वे भी महसूस करते हैं। लेकिन, 'कुछ दूसरा कहूँ' यह प्रेरणा उन्हें नहीं होती। वे अपने नेता की योजनाओं की पूर्ति में ही 'कुछ और करने' की जरूरत तथा 'संतोष नहीं' की वृत्ति अनुभव करते हैं। इस अकेलपिठा और स्थिरबुद्धि के दोष के लिये उनके प्रति सासंक और कृतघ्न होने का उपदेश देश के तरुणों को दिया जा रहा है। जड़ कुदरत में प्रगति का यही कानून शायद हो! किन्तु चैतन्य का कानून ऐसा नहीं हो सकता।

क्रि. घ. म.

गांधीजयन्ति

अंग्रेजी हिसाब से ता० २ अक्टूबर को गांधीजी का जन्मदिन आवेगा। ता० १० अक्टूबर को चरखादादशी आवेगी। इस वर्ष गांधीजी ७० वर्ष पूरे कर के ७१ वें में पग रक्खेंगे। हर साल इन दिनों में खादीप्रचार, 'चरखा-योग' और सत्याग्रह-सिद्धान्तों का कुछ मनन आदि कर के अकसर यह जयन्ति मनाई जाती है।

आत्मनिरीक्षण और परस्पर प्रेमभाव बढ़ाने के लिये हमारे वास्ते यह अंक अच्छा अवसर हो जाता है। साल भर में विशेषरूप में कुछ सत्संग और सत्कर्म करने के लिये ऐसे प्रसंग हममें से बहुतसे लोगों के लिये आवश्यक हैं। असे अवसरों के न होने से जीवन शुष्क, कर्मजड, संकीर्ण और आखिर में भावनाशून्य हो जाता है। फिर ईश्वराभिमुखता, संयम और सदाचार का जोश और आग्रह घट जाता है। इसलिये, जिस तरह शरीर के लिये साल भर में कुछ दिन छुट्टी और

विश्रांति की जरूरत होती है, उसी तरह कुछ दिन सत्संग के विशेष कार्यक्रम की भी जरूरत है।

मेरी राय है कि गांधीजी को चाहनेवाले सब लोग इस 'नवदिन' में नियम से कातने और गांधीजी के आध्यात्मिक विचारों का स्वाध्याय करने में अपना समय बिताने का अंक अच्छा कार्यक्रम बना कर अपने अपने स्थानों में उसे श्रद्धा से पूरा करें। अगर इन दिनों में सार्वजनिक सभायें हों, तो उनमें गांधीवाद-समाजवाद आदि की खंडन-मंडनात्मक आलोचनायें करने का प्रयत्न न किया जाय। किन्तु गांधीजी के जीवन में से उनकी ईश्वरनिष्ठा, सत्याग्रह, अहिंसा, व्रत, उपवास, आदि के प्रसंगों का बयान करें, और अंक उच्चभावप्रेरक वायुमंडल पैदा करने का प्रयत्न करें। वर्तमान राजकारण की चर्चाओं को छोड़ कर, उनकी साधना, और वे हमसे जो अशा रखते हैं, उसीका विचार करें।

इसके लिये नीचे लिखी पुस्तकों में से काफी मसाला मिल सकता है:—

१. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा
२. दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास
३. हिंदुस्वराज्य
४. मंगल प्रभात
५. आश्रमवासियों को पत्र
६. गांधीजीनी साधना (लेखक-रावजीभाई मणिमाई पटेल, नवजीवन कार्यालय, अमदाबाद)
७. जेल के अनुभव
८. दी अेपिक फास्ट (अंग्रेजी)

गांधीजी पर जिनका बहुत असर हुआ है, या जिनका गांधीजी ने अनुवाद भी किया है, असी नीचे लिखीं पुस्तकें भी उपयोगी होंगी:-

१. अनासक्तियोग
२. सर्वोदय (रस्किन का 'अन्टू दिस लास्ट')
३. सोक्रेटिस का 'अपना बचाव'
(अंपॉलोजी ऑफ सॉक्रेटीस)
४. क्या करें? (टॉल्स्टॉय का व्हाट शॉल वी डू देन?)
५. टॉल्स्टॉय की कहानियां-

उदा० 'मूरखराज' 'देवदूत'

'सत्य के बिना और कुछ नहीं', आदि।

उत्साही संचालक इस साहित्य में से कुछ नाट्यप्रयोग, संवाद, आदि भी तैयार कर सकते हैं। जिस तरह श्री जुगताराम भाई ने बालकों के लिये 'गांधीजी' नामक पुस्तक लिखी है वैसे पुस्तक भी लिख सकते हैं। 'युगावतार गांधी' नाम की भी एक गुजराती पुस्तक किशोरों के लिये है।

चर्खा और ग्रामोद्योग में निष्णात तरुण इन दिनों में छोटी छोटी प्रदर्शनियां और नये प्रयोग बता सकते हैं। इन चीजों की बिक्री तो होगी ही।

कई प्रान्तों में अकाल के कारण आज लोग कष्ट में हैं। पाई-पैसा इकट्ठा कर के इन लोगों को सहायता पहुंचाने का काम भी इन दिनों में उठाया जा सकता है।

मैं आशा करता हूँ कि यह 'नवदिन' हमारे लिये स्फूर्ति और प्रेरणादायी होगा।

कि. घ. म.

औसत-भूल

श्री कुमारप्पा की अध्यक्षता में भनी हुअी मध्यप्रांत की 'उद्योग कमिटी' की रिपोर्ट

का अेक हिस्सा प्रकाशित हुआ है। वह सब कार्यकर्ताओं के पढ़ने योग्य है, और शायद 'सर्वोदय' के द्वारा उसका कुछ परिचय पाठकों को दिया जायेगा। उसमें श्री कुमारप्पा ने अेक बात यह लिखी है कि उनकी जांच में उन्हें कई देहात अैसे मिले जहां अेक अेक व्यक्ति की सालाना आमदनी रु. १२ से अधिक नहीं थी। कमिटी के अेक दूसरे सदस्य, जिन्होंने रिपोर्ट पर असहमति की टिप्पणी लिखी है, इस कथन पर अवशेष लेते हुअे लिखते हैं कि यह कैसे संभवनीय है, जब कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने साफ साफ बताया है कि हिंदुस्तान की सालाना औसत आमदनी फी आदमी रु० ५० से कम नहीं है।

इसी तरह अेक कार्यकर्ता ने कपडे के बारे में हिसाब लगाते हुअे लिखा कि आज के हिसाब से हिंदुस्तान में फी व्यक्ति औसत १३ गज कपडे का इस्तेमाल होता है। हम चाहते हैं कि कोई आदमी २५ गज से कम कपडा इस्तेमाल न करे। फिर भी हमें २५ × ४० करोड़ = १००० करोड़ गज से अधिक कपडा हर साल पैदा करना न होगा। इस हिसाब से फिर कितनी कत्तिनों द्वारा यह काम हो सकता है आदि हिसाब लगाये हैं। उसमें उनका यह बताने का उद्देश था कि चर्खे की उत्पादनशक्ति में हमें अमुक अेक हद से ज्यादा सुधार करने की जरूरत नहीं है।

औसत गिनती के आंकडे याद करने से विचार में जो भूलें होती हैं, उनके ये उदाहरण हैं। हिंदुस्तानी की औसत आमदनी फी व्यक्ति रु. ५०, ७५ या १२० भी मान ली जाये; तो भी यह बात रक्कना

चाहिये कि यह 'ओसत' आमदनी है, 'कम से कम' आमदनी नहीं है। यानी, जिन की सालाना आमदनी ०, या जैसे श्री कुमारप्पा की खोज से पता चलता है, १२ है, जैसे करोड़ों लोगों को, तथा उन बंद लोगों को जिनकी सालाना आमदनी १० हजार से ले कर ५० लाख तक की भी है, मिला कर यह ओसत निकाला गया है। वास्तव में हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में ओसत आमदनी के आंकड़े से जनता की दरिद्रता या खुशहाली का ठीक अंदाज नहीं निकाला जा सकता। एक काल्पनिक उदाहरण से यह स्पष्ट होगा। मान लीजिये कि किसी देहात में १००० की आबादी है और सन १९३५ और १९४० में उसकी आमदनी की जांच करते समय नीचे लिखे अनुसार स्थिति पायी जाती है :-

१९३५		१९४०	
व्यक्ति	वार्षिक आय रु.	व्यक्ति	वार्षिक आय रु.
१०	७२००	५	८४००
४०	७०००	४५	९८००
२००	२००००	२००	२४०००
३३५	२२०००	४००	२००००
२००	१००००	१४०	६७००
२००	३०००	१६५	१५५०
१५	५०	४५	५०
कुल १०००	६९२५०	१०००	७०५००
फी आदमी आय	६९।		७०।।

यहां पर ओसत के हिसाब से देहात की कुल आमदनी में रु. १२५०, याने प्रति मनुष्य रु. १। की बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन,

दरिद्रता की दृष्टि से जांच की जाये तो मालूम होगा कि इस बढ़ती में रु. १२०० सिर्फ ५ व्यक्तियों को मिला है, और पहले २५० व्यक्तियों की आमदनी में रु. ८००० की बढ़ती है। बाकी के ७५० व्यक्तियों की आमदनी ३५०५० से गिर कर २८३०० हुई है। अथवा जो आमदनी फी आदमी ४६।।। के लगभग थी वह अब ३७।।। हो गई है। और जितने नीचे उतरते हैं, उतना दरिद्रता का परिमाण बढ़ा हुआ मालूम होता है। १९३५ में १५ गरीब से गरीब शरस थे। और उन्हें भी ५० रु. मिल जाते थे। उनकी संख्या १९४० में ४५ हुई है, और आमदनी ५० ही है। याने उन्हें फी आदमी ३ रु. से अधिक मिलते थे, उसकी जगह अब लगभग १ रु. हो गया है।

अलबत्ता, यह एक काल्पनिक उदाहरण है। लेकिन उसका उद्देश्य यह बताना है कि सिर्फ देश की ओसत आमदनी बढ़ी हुई मालूम होने से यह नहीं समझना चाहिये कि देश की स्थिति सुधर रही है। इन जांचों के आंकड़े तभी उपयोगी हो सकते हैं, जब यह बताया जाय कि १९३५ में कम से कम आमदनी क्या थी, और कितने लोगों की थी, १९४० में क्या स्थिति है; और इस तरह क्रमशः बढ़ती आमदनी के आंकड़े प्राप्त करने चाहियें।

मतलब यह कि हिंदुस्तान की ओसत आमदनी रु. ६० से बढ़ कर रु. १२० भी हो जाये तो भी यह हो सकता है कि देहातों में ओसत आमदनी रु. ५० से घट कर रु. १२ ही हो जाय।

कपड़े के बारे में भी यही भूल है। ओसत १३ गज कपड़ा हिंदुस्तान में पहना जाता है, इसके मानी ये नहीं कि सब को

१३ गज कपड़ा मिलता है। करोड़ों की १ गज भी नहीं मिलता, और चंद जैसे भी व्यक्ति होंगे जो सालाना २००० गज से अधिक कपड़ा इस्तेमाल करते होंगे। जब हम कम से कम २५ गज कपड़ा हरेक शल्स को दिलाने की इच्छा करते हैं, तो हमारा मकसद यह नहीं कि जो २०० या ३०० गज कपड़ा पहनते होंगे उनका छीन ही ले। जरूरत हो तो २००० पहननेवाले का कम भी

किया जा सकता है। पर २५ की मर्यादा सब के लिये नहीं होगी। तब अगर कम से कम २५ मर्यादा हो तो औसत ५० या ७५ गैज तक का होता संभव है। यानी उस हिसाब से ४० करोड़ × ५० या ७५ गज कपड़े की पैदायश के लिये जगह है। उस हिसाब से साधनों का विचार करना चाहिये।
कि. घ. म.

सरकार, शराब और जनता

[लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक]

जिस आबकारी विभाग ने अंग्लैंड की तरह यहां भी शराब की भट्टियाँ स्थापित कीं, जिस आबकारी विभाग ने अंग्लैंड की मिसाल पर यहां शराब की दूकानें खोलीं; और इसी आबकारी मुहकमे ने लोगों की दृष्टि के सामने शराब की बोतलें नचा कर पापी आंखों के जरिये शराब का यह नरक लोगों के गले के नीचे अतारा। जो लोग पहले शराबी नहीं थे वे आज जिस विभाग की बदौलत शराबी बन गये हैं। जो जातियाँ पहले शराब का स्पर्श भी अपवित्र मानती थीं वे जिस विभाग की बदौलत शराबखानों में जाने लगीं। महाराष्ट्र में यह मर्ज बिधर पचास पौन सौ वर्षों से ही बढ़ा है; और अभी असाध्य नहीं हुआ है। अंग्रेजी राज्य से पहले समुद्र किनारे पर रहनेवाली कुछ छोटी छोटी जातियों को छोड़ बाकी सभी जातियाँ शराब से अलिप्त थीं। कुरान में शराब का सख्त

परहेज बताया गया है। पारसल अफगानिस्तान के अमीर साहब ने कलकत्ते में शराब को आंखों से देखा तक नहीं। यही नहीं; अन्होंने शराब के सुन्दर और मोहक प्याले भी नमूने के लिये अफगानिस्तान ले जाने से अिनकार किया। हिन्दूधर्म में दीक्षा या विद्या देने वाले पूज्य गुरु की स्त्री से व्यभिचार करने के समान सुरापान भयंकर महापातक माना गया है। श्री शिवाजी महाराज की सेना में और दरबार में सुरापान करनेवाला नराधम किसी भी श्रेणी के लोगों में या किसी भी जाति में नहीं पाया जाता था। जिस देश में पक्के से पक्के पियक्कड़ भी शराब पीना पाप समझते हैं। सर जॉर्ज क्लार्क से हमारा साग्रह अनुरोध है कि स्वयंसेवकों ने, या मद्यपाननिषेध मंडल ने, जिस काम में जितना पुण्य कमाया है उसकी अपेक्षा हजार गुना, लाख गुना अधिक

पुण्य शराब की दुकानें सरकारी हुकम से बंद करा कर आप अुपाजन कीजिये।

(केसरी ता० २८ अप्रैल १९०८)

× × × ×

अैसी नीति और अैसे राजधर्म को विककार है ! जिसीकी बदीलत हिन्दुस्थान में आज तक शराब का प्रचार हुआ । लोगों की ओर से सरकारी कर्मचारियों से हमारी यह प्रार्थना है कि सरकारी तिजोरी के नुकसान की पर्वाह न करते हुअे वे पान-स्वातंत्र्य की अपनी जिद और आयुह छोड दें । प्रजा शराबखोर बनने से किसी भी सरकार का कोअी फायदा आज तक नहीं हुआ ।

× × × ×

श्रुति, स्मृति और कुरान ने जो पाप निषिद्ध माना है और दोनों धर्मों ने अपनी अपनी आज्ञाओं द्वारा हजारों वर्षों तक लोगों के हृदय पवित्र रख कर उनमें जिस महापातक का प्रवेश होने नहीं दिया वही पातक अंग्रेज सरकार के राज्य में पान-स्वातंत्र्य की महिमा बढ जाने के कारण अब हमारे अन्दर पैठ रहा है । और मद्य की तरफ हरेक मनुष्य की ' रागतः प्रवृत्ति ' होती है इस भागवत वचन का यदि विचार करें तो आज जो कुछ हो रहा है अुसके

विषय में किसी को आश्चर्य नहीं होगा । अैसा तो अेक शुकाचार्य ही अुत्पन्न हुआ कि जो अुसे वश करने भेजी हुअी अप्सरा से भी नहीं हारा । अिन्द्र ने जिस प्रकार शुकाचार्य के पास रंभा को भेजा अुसी प्रकार पानस्वातंत्र्यवादी अंग्रेज अधिकारी हमारी हिन्दुस्थानी जनता के सामने शराब की दुकानें रख रहे हैं । नतीजा यह हुआ है कि जिस पूना शहर में पेशवाअी के अन्त में शराब की अेक बून्द भी नहीं बिकती थी; या बहुत तो शराब की सारी आमदनी पंद्रह या बीस रुपये थी; और शराब पी कर रास्ते में गुलगपाड़ा या बखेड़ा करने के लिये बहुत तो साल में पांचछः मुकद्दमे होते थे; अुसी पुण्यनगरी में बीसवीं सदी के प्रारंभ में हर साल सात लाख रुपयों की शराब बिकती है और शराब पी कर दंगा-फसाद करने के अपराध में हर साल मैजिस्ट्रेट की अदालत में बारह सौ से पंद्रह सौ लोगों को सजा या जूमना होता है । जिस पान स्वातंत्र्य की बदीलत आज पूना में हर अेक मुहल्ले में शराब की दुकान की रम्भा लोगों को रिझा कर और फुसला कर पाप में फंसाती है अुस पानस्वातंत्र्य को विककार है ।

(केसरी, ता० १४ अप्रैल १९०८)

अल्पमतवालों के अधिकार

यदि अेक प्रकार की नीति से कार्यसिद्धि न होती हो तो दूसरी नीति अखति-यार करने का काँग्रेस को अधिकार है । वह नीति कौनसी हो यह तो अुपस्थित प्रति-निधियों के बहुमत से ही निश्चित हो सकता है । जिस बहुमत को अपने अनुकूल करने के लिये हर अेक चांहू जो प्रयत्न करे । परंतु सभा में वादविवाद के बाद जब किसी अेक प्रकार का बहुमत निश्चित हो जाये तो सभी दल के लोगों को चाहिये कि वह निर्णय वादशाही हुकम के समान शिरोधार्य मान कर सच्चे दिल से राष्ट्रीय कार्य में हाथ बटावें । यही हर अेक दल का कर्तव्य है । आप जो कुछ कोशिश या अुद्योग करना चाहें वह बेशक करें; लेकिन जिस अन्तिम कर्तव्य को कदापि न भूलें यही हमारी सब से विनय है । यह प्रार्थना या सूचना लोकनियुक्त संस्थाओं का अितिहास देख कर ही की गयी है ।

' केसरी ', २७ अगस्त १९०७

लोकमान्य तिलक

संघवृत्त

आगामी सम्मेलन

आगामी वार्षिक सम्मेलन कहां किया जाय जिसका निर्णय वृन्दावन में नहीं हो सका था। अब कार्यवाहक समिति ने तय किया है कि आगामी सम्मेलन सन् १९४० के फरवरी या मार्च महीने में बंगाल में किया जाय।

नये सदस्य

चालू वर्ष के आरम्भ से जुलाबी के अन्त तक नीचे लिखे नये सदस्य संघ में दाखिल किये गये—

सेवक

- श्री माधवलाल छानलाल पटेल,
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।
- श्री सुभाषचन्द्र विशालंकार,
अ. भा. चरखासंघ, मिर्जापुर, अहमदाबाद।
- श्री अेन्. आर्. मल्लिकानी,
हीराबाद, हैदराबाद (सिन्ध)।
- श्री सन्मुखलाल गोवर्धनदास शाह,
स्वराज्य आश्रम, बारडोली, जि. सुरत।
- श्री पी. कोदण्ड रामय्या, राजमहेन्द्री।
- श्री त. नरसिंह शर्मा, आनन्द निकेतन,
चागल्लु, जि. पश्चिम गोदावरी। (आन्ध्र)
- श्री कुमार चन्द्र जैन, गान्धी आश्रम,
वासुदेवपुर, डा. शिवरामनगर,
जि. मेदिनीपुर (बंगाल)
- श्री निवारणचन्द्र दे सरकार, मार्फत-डॉ.
नृपेन्द्रनाथ बसु, कुमिल्ला। (बंगाल)
- श्री दामोदरदास मूषडा, वर्धा।
- श्री कृष्णन् नायर, गान्धी सेवाश्रम, नरेला,
दिल्ली।

श्री अमृतलाल ठाकोरदास नाणावटी,

मार्फत—काका कालेलकर, वर्धा।

श्रीमती दयावती, गान्धी सेवाश्रम,

चुडियाला, डा. रुडकी, यु. प्रा.।

श्री ज्योति प्रकाशजी, रामताल आश्रम,

महरोली, दिल्ली।

श्री मेधाव्रत रविसंकर व्यास,

वल्लभविद्यालय, बोचासन, गुजरात।

श्री पृथ्वीचन्द्र नैपड़, मन्त्री, पंजाब चरखा संघ,

आदमपुरदाबा, जि. जालन्धर।

अिनके अलावा नीचे लिखे सदस्यों की सहयोगी वर्ग से सेवक वर्ग में बदली की गयी है।

श्री पी. व्यंकटय्या, पो. मॉरिस पेट, तेनाली।

श्री अे. सुब्रह्मण्यम्, } गान्धी आश्रम,

श्री मानेपल्ली मल्लिकार्जुन, } अंगलुर, जि. कृष्णा

श्री सोहनलालजी अभराय, पंजाब चरखासंघ,

आदमपुरदाबा, जि. जालन्धर।

श्री दीनानाथ विष्णु वडपे } श्री खानदेश गो-

श्री बसन्त कृष्ण कर्णिक } सेवाश्रम, घूलिया

सहयोगी

श्री मोतीलाल केजरीवाल,

जसिडी, जि० सन्याल परगना, बिहार।

श्री सुब्रह्मण्य नाडर, विरुधुनगर, द. भारत।

श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा } खादी भंडार

श्रीमती बन्दकिसोरी } रांची, बिहार।

श्री सी. के. कर्ता, केरल चरखासंघ, पायानूर।

श्री शादीराम जोशी, मार्फत—डॉ. अे. वई.

कॉलेज, जालंदर।

श्री अेस्. चेल्वास्वामी, श्रीरामकृष्ण विद्यालय,

जि.कोबीम्बतुर।

श्री हरिभाभू हृष्यमंतराव चव्हाण, कोंघेसवाडी,

चालीसगांव, पू. खानदेश।

श्री कालिका प्रसाद शर्मा, श्री गान्धी आश्रम
मेरठ ।

श्री रामनाथ सिंह, अद्योगाश्रम, बंरा गढीवा,
डा. हुसेनगंज, जि. फतेपुर (यु. प्रा.) ।

श्री भगवान सिंह गोविंदी, प्रेमनगर,
सियालकोट शहर (पंजाब)

श्री कृष्णदास, मार्फत—किशनदास अंड कं.,
रामतलाजी, सियालकोट शहर (पंजाब)

श्री पी. रामस्वामी रेड्डी, ओमाण्डुर, तिण्डि-
वनम्, तामिलनाड ।

श्री अन्. एम्. भार, सखारामन्, मदुरा
(तामिलनाड)

श्री. ओ. वेदरत्नम्, वेदारण्यम्, जि. तंजावर ।

श्री अ. लक्ष्मीनरसिंहम्, आन्ध्र चरखा संघ,
मच्छलीपट्टम् (आंध्र) ।

श्री गौरीशंकर डालमिया,
जसीडि, जि. सन्थाल परगना, बिहार ।

श्री विष्णु नारायण अभ्यंकर, कडी
(काठियावाड)

सहायक

श्री राममूर्ति, श्री अनन्त हाथीस्कूल, खपरा-
डोह, जि. फैजाबाद, यु. प्रा. ।

श्री ग. व्यंकटरत्नम्, कावूर, जि. गुंटुर ।

श्री इशामजी सुंदरदास, कलिकट, मलबार ।

श्री चंद्रलाल साराभाई मोंदी, अन्ड्रुज्जोड,
सान्ताक्रुस, बम्बयी उपनगर ।

त्यागपत्र

युक्तप्रान्त के अके सेवकसदस्य श्री रामा-
धारजी ने अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दिया
और अध्यक्ष ने ता० ९ : ६ : ३९ को वह मंजूर
किया है ।

कर्मचारी

दक्षिण महाराष्ट्र के देशी राज्यों के पुराने
कार्यकर्ता श्री बालकृष्ण विठ्ठल शिखरे जून
१९३९ से मासिक रु. ७५ के वेतन पर
संघ के कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।
वे मिरज (महाराष्ट्र) में रह कर कार्य करेंगे।

त्रैमासिक विवरण

चालू वर्ष की दूसरी तिमाही जून के
अन्त में पूरी हो गयी है। जिन सदस्यों ने
अपने विवरण अभी तक नहीं भेजे उनसे
प्रार्थना है कि वे अपने विवरण शीघ्र भेजें।
जो सदस्य अपना स्वतन्त्र आश्रम और केन्द्र
चलाते हैं, और उसके लिये सार्वजनिक चन्दा
अिकट्टा करते हैं, उन्हें सूचना है कि त्रैमासिक
विवरण के साथ वे अपने केन्द्र के आयव्यय
के हिसाब भी अवश्य भेजने का खयाल रखें।

र. श्री. धोत्रे,

मंत्री, गांधी सेवा संघ.

गांधीजयन्ति

गांधीजयन्ति के विषय में श्री नारायणदास
भाई गांधी (राष्ट्रीय शाला, राजकोट,
काठियावाड) का परिपत्र इस अंक में अन्यत्र,
छपा है। मैं आशा करता हूँ कि संघ के
सदस्य उनकी सूचना का सहर्ष स्वागत करेंगे
और २ अगस्त से १० अक्टूबर तक के ७०
दिनों में कुछ विशेषरूप में सूत्रयज्ञ करेंगे।
जो कुछ वे निश्चय करें उसकी सूचना
कृपया श्री नारायणदास भाई को दें।

कि. च. मशरूखाला

अध्यक्ष गां. से. सं

हिन्दी साहित्य-प्रेमियों और पुस्तकालयों के लिये सुवर्ण सुयोग

हिन्दी साहित्य-प्रेमियों और पुस्तकालयों को यह जानकर हर्ष होगा कि हमारी संस्था को (३००) तीन सौ रुपये दान में प्राप्त हुये हैं। अतः हमने अपना लोकप्रिय राजनीतिक साहित्य प्रचार की दृष्टि से सस्ते मूल्य में देना निश्चय किया है। इस निश्चय के अनुसार मुपसिद्ध विद्वान लेखक रामनागयण 'यादवेन्दु' बी. ए. एल-एल. बी. की दो पुस्तकें—'भारतीय शासन विधान' और 'समाजवाद : गांधीवाद' जिनका मूल्य क्रमशः रु. २, और ॥= है—आवे मूल्य पर देना निश्चय किया गया है। इस प्रकार २॥= मूल्य का ४०० से अधिक पृष्ठों का ठोस राजनीतिक साहित्य केवल १॥ में मिल सकेगा। ॥= शक-व्यय अलग देना पड़ेगा।

अतः जो सज्जन इस मुअवसर से लाभ उठाना चाहें, उन्हें १॥= मनीआर्डर द्वारा भेज देना चाहिये। केवल २०० ग्राहकों के लिये ही यह रियायत है। अतः पुस्तकें शिघ्र मंगावें।

मैनेजर

नवयुग साहित्य निकेतन

राजामंडी-आगरा यू. पी.

ग्राहकों से—

हमारे निवेदन के अनुसार कुछ ग्राहकों ने अपना इस साल का चन्दा भेजने की कृपा की है। कुछ ने 'सर्वोदय' भेजना बंद करने की सूचना दे दी है। उनका भी हम अुपकार मानते हैं। जिन्होंने अब तक चन्दा नहीं भेजा है, वे तुरन्त भेजने की कृपा करें। अगस्त के अन्त तक जिन ग्राहकों का चन्दा नहीं आयेगा, उनकी सेवा में सितंबर का अंक व्ही. पी. द्वारा भेजा जायगा। हमें विश्वास है कि 'सर्वोदय' के ग्राहक व्ही. पी. स्वीकारने की कृपा अवश्य करेंगे।

व्यवस्थापक,

सर्वोदय कार्यालय.

लोकशाक्ति का अभिमान

आज सरकार लोकमत को विमर्श (कमल के जामल तनु), या तिनका सम्झ कर अूसकी अपेक्षा कर रही है। लेकिन याद रहे कि ये तिनके अेक ही कर अूनकी रस्सी बनने पर, जैसा कि किसी कवि ने कहा है, "तूर्णरावधत्तने रज्जुर्यया नाशोऽनिबध्यते," अिन्हीं तिनकों से हाथी भी बांधा जा सकता है। समुद्रकिनारे की रेत के कणों की तरह सिर्फ हजारों या लाखों आदमी अेकत्र करने से काम नहीं होता। पंढरपुर की यात्रा करने लाखों तीर्थयात्री जाते हैं; परन्तु तुकाराम के समान भोक्ष प्राप्त करनेवाले व्यक्ति अूनमें कितने होते हैं? हजारों लाखों लोगों का समुदाय अेक निश्चय से बांधा हुआ होना चाहिये। लोकमत की शक्ति निश्चय में है, न कि समुच्चय में। अूपर जो रज्जु का दृष्टान्त दिया गया है अूसका भी यही मतलब है। धारा के तिनके अेक दूसरे पर रख कर अूनका ढेर लगा देने से कोजी काम नहीं बनता। अूसकी रस्सी बटनी पड़ती है; और अुसे अितना पक्का बल देना चाहिये कि रस्सी भले ही जल जाये लेकिन बल कायम ही रहे! अँसी रस्सी बनने पर अूसमें बसत हाथी का आकलन करने की ताकत आती है। हमारे देश का लोकमत तो हवा का बबूला है, तिनकों का रस्सा नहीं।

'केसरी', १५:८:१९०५

—लोकमान्य तिलक

प्रकाशक:—दादा धर्माधिकारी, बजाजबादी, वर्धा (मध्यप्रदेश)।

मुद्रक:—बलकवदास बाबू, श्रीकृष्ण छापखाना लिमिटेड, बच्छराज रोड, वर्धा।

संवादय



अथ चः पन्थाः सुकृतस्य लोके ।

सम्पादक

काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी

वर्ष २ रा

२

सितम्बर

१९३९

शीषावास्योपनिषत्:	विनोबा
राष्ट्रभाषा यों बनेगी:	काका कालेलकर
संस्कृत की कन्याओं के लिये अक लिपि:	गांधीजी
लिपियां दो या तीन ?	काका कालेलकर
सेवा का आचारधर्म:	विनोबा
कार्यसमिति और सुभाष बाबू:	बाबू राजेन्द्रप्रसाद
कौअे की नज़र से	

संवादय कार्यालय

बजाजवाड़ी, वर्धा (मध्यप्रान्त)

अंक अंक	₹ ०-६-०
वार्षिक	₹ ३-०-०
बर्मा में	₹ ३-८-०
विदेश में	₹ ६ शिलिंग
		₹ १.५० डॉलर.
(सब डाक सहित)		

अनुक्रमणिका

१. अीशावास्योपनिषत् (विनोबा)	४९
२. संस्कृत की पुत्रियों के लिये अंक लिपि (गांधीजी)	५०
३. राष्ट्रभाषा यों बनेगी (श्री काका कालेलकर)	५१
४. कीर्ति की नज़र से (आश्रमवासी बुल्लू)	५९
५. लिपियाँ दो या तीन ? (श्री काका कालेलकर)	६१
६. सेवा का आचारधर्म (विनोबा)	६५
७. कार्यसमिति और सुभाषबाबू (डॉ. राजेन्द्रप्रसाद)	७८
८. सर्वोदय की दृष्टि	८१
<p>युद्धोन्मुख यूरोप; आगामी महायुद्ध और हिन्दुस्थान; अहिंसक आत्मरक्षा की योजना; आत्मरक्षा के लिये देहातों की शरण; कच्चे गांधीवादी वि० कट्टर गांधीवादी ! शक्ति, प्रतिशक्ति और फलशक्ति; भय और अहिंसा; आर्यसमाज की सफलता; प्रौढ-शिक्षा या साक्षरता प्रचार ? रेडियो प्रचार; मनुमस्त्रियों का पालन ।</p>			
९. संघवृत्त	९२
१०. वाक्य परिचय	९४

सर्वोदय मिशने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) बोरा अण्ड कंपनी, ८, राउण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) सादी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य मण्डल, नया बाजार, देहली ।
- (७) सस्ता साहित्य मण्डल, लखनऊ ।
- (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) मगनबाल हिम्मतलाल मट्ट, कॉंग्रेस हाथूस, नाजाबट, सुरत

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादा धर्माधिकारी

सितम्बर १९३९
वर्षा

ओशावास्योपनिषत्

[विनोवा]

२

मंत्र—**कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ५ समाः ।
अथ त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥**

अर्थ—यहां कर्म करते हुअे ही सी बर्ष जीने की अिच्छा करना चाहिये । तेरे लिअे—देहवान् के लिअे—यही अेक मार्ग है । दूसरा मार्ग नहीं । आदमी से कर्म नहीं चिपकता, (कर्म का फल चिपकता है) ।

टिप्पणियां—(१) अितः= देह में रहते हुअे (२) यहां जीने की अिच्छा का विधान (आज्ञा) नहीं है । कर्म करने का विधान है । (३) गीता के कर्मयोग की याद दिलाने वाला गीता से पुराना, अितना स्पष्ट वाक्य और दूसरा अपलब्ध नहीं है ।

मंत्र—**असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।
ता ५ स्ते भ्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म ह्नो जनाः ॥ ३ ॥**

अर्थ—(आत्मा के विषय में जिन्हें अज्ञान है वे) आत्मघातकी लोग शरीर छूटने के बाद घने अंधेरे से घिरी हुआ आसुरी कहीजाने-वाली योनियों में जाया करते हैं ।

टिप्पणी—(१) ऊपर के दो मंत्रों की सिखावन जो नहीं मानते वे लोग मनुष्य-जन्म का अधिकार गंवा कर आत्मज्ञान का रास्ता ही कुंठित कर देते हैं । मंत्र (२) के 'नरे' पद में यह अर्थ सूचित है ही ।

(मराठी से अनदित)

संस्कृत की पुत्रियों के लिये अेक लिपि

भारतवर्ष की जो भाषायें संस्कृत की ओरस या दत्तक कन्यायें हैं उनके लिये अेक ही लिपि होनी चाहिये यह प्रश्न लोगों के सामने आज कभी वर्षों से है । तो भी आफ्मणशील प्रान्तीयता के असि जमाने में अेक लिपि की हिमायत करना शायद हिमाकृत समझी जाये । लेकिन सारे देश में साक्षरताप्रचार के आन्दोलनों की जो धूम मच रही है उसके कारण अेक लिपि के हिमायतियों की बात मजबूरन सुननी पडेगी । मैं बरसों से अेक लिपि का पुरस्कर्ता रहा हूं । मुझे याद है कि जब मैं दक्षिण आफिरका में था तब भारत में रहनेवाले कुछ खास गुजरातियों के साथ पत्रव्यवहार करने में मैंने नागरी लिपि का व्यवहार शुरू कर दिया था । असिमें शक नहीं कि अेक लिपि के स्वीकार से आन्तर्प्रान्तीय व्यवहार बहुत सुगम हो जायगा और विविध प्रान्तीय भाषाओं के सीखने में आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा आसानी होगी । देश के शिक्षित लोग अगर मिल कर विचार करें और अेक लिपि के व्यवहार का निश्चय करें तो असका सार्वत्रिक स्वीकार आसानी से हो जायगा । जो करोडों लोग निरक्षर हैं वे असके विषय में बिलकुल अुदासीन हैं कि अुन्हें कौनसी लिपि सिखायी जाती है । अगर हमारे प्रयत्नों की परिपूर्ति असि सुपरिणाम में हो जाये तो हिन्दुस्थान

में दो ही लिपियां रहेंगी—देवनागरी और अुर्दू । और हर अेक राष्ट्रवादी दोनों सीखना अपना फर्ज समझेगा । मुझे सभी भारतीय भाषाओं से अनुराग है । यथासम्भव अधिक से अधिक लिपियां सीखने की मैंने कोशिश भी की है । यदि मेरे पास समय होता तो सत्तर वर्ष की अुम्र में भी मुझे और भी भारतीय भाषायें सीखने की शक्ति है । वह मेरे लिये दिल बहलाने का साधन होगा । लेकिन अिन भाषाओं के प्रति अितना प्रेम होते हुअे भी मुझे यह कबूल करना ही होगा कि मैं सब लिपियां नहीं सीख पाया हूं । लेकिन यदि सारी सहोदर भाषायें अेक लिपि में लिखी जायें तो सारी मुख्य मुख्य प्रान्तीय भाषाओं का काम-चलाअू ज्ञान मैं बहुत थोडे समय में प्राप्त कर लूंगा । और खूबसूरती तथा प्रमाण-बद्ध सुडौलता में देवनागरी को लज्जित होने जैसी असमें कौभी बात नहीं । मैं आशा करता हूं कि जो लोग साक्षरता के आन्दोलन में व्यस्त हैं वे क्वणभर के लिये मेरे सुझाव का विचार करेंगे । यदि वे देवनागरी लिपि ग्रहण कर लेंगे तो वे भावी पीढियों के अपार परिश्रम और समय की बचत करेंगे और अुनके आशीर्वाद के अधिकारी होंगे ।

हरिजन
ता० ५:८:१९३९ }

मो. क. गांधी.

राष्ट्रभाषा यों बनेगी

[~~काल~~ कालेलकर]

राष्ट्रभाषा के आन्दोलन से कभी हिन्दू घबड़ा गये हैं। काफ़ी मुसलमान भी घबरा गये हैं। और जिनके बीच राष्ट्रभाषा का प्रचार हो रहा है उन प्रान्तीय भाषा-भाषी लोगों में से भी चंद लोग अपनी अपनी प्यारी मातृभाषा को खतरा देख कर घबड़ा गये हैं। जिसलिये फिरसे अकेले बार-बार उनकी शंकानिवृत्ति करनी चाहिये।

हम जो राष्ट्रभाषा का प्रचार करनेवाले हैं उनके भी अपनी अपनी जन्मभाषा, यानी स्वभाषा, है। उसे शुद्ध रखने का, उसकी परंपरा संभालने का और उसका साहित्य समृद्ध कराने का हम भी प्रयत्न करते रहते हैं। मराठी का ही अुदाहरण लीजिये। ब्रिटिश राज के प्रारंभ के दिनों में जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना धर्मप्रचार करने के लिये उस भाषा में बोलना और लिखना शुरू किया तब उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुतकुछ बिगाड़ा। उस समय हम लोगों ने मिशनरियों का असा धोर विरोध किया कि उन्होंने फिरसे मराठी का वैसा अपराध करने की हिम्मत नहीं की।

गुजराती में भी जबकभी किसीने गुजराती की शैली बिगाड़ी है, तब गुजरात के लोगों ने अपनी भाषाशुद्धि के लिये कुछ न कुछ आवाज उठायी ही है।

अतः हम लोग हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बिगाड़ने का प्रस्ताव हरगिज़ नहीं करेंगे। हिन्दी साहित्य की जो परंपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूषण, रसखान,

रहिमन आदि लेखकों के द्वारा प्रवृत्त हुआ है, उसे तोड़ने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं होगा। भाषा हर एक जाति का आत्मिक धन है। भाषाशुद्धि का आग्रह चारित्र्यशुद्धि के आग्रह के समान ही है। हिन्दी साहित्य की परंपरा अक्षुण्ण रखने के लिये जो लोग प्रयत्न करते हैं उनके प्रति हमारे मन में हमेशा आदर ही रहा है। फुटकर बातों में उनका हमारा मतभेद हो सकता है। हम अपनी दृष्टि उन्हें समझाने की पराकाष्ठा करेंगे। किन्तु उन्हें हम अपने शत्रु तो नहीं समझेंगे। जबतक उनका और हमारा अपास्य-देवत अकेले हैं तबतक उनके और हमारे बीच मनोमालिन्य कभी भी पैदा नहीं हो सकता। किसी रामभक्त से अगर मेरी न बने तो उसको फिरसे जीत लेने का मेरे पास अकेले ही अच्छा अपास्य है। वह यह कि मैं अपनी रामभक्ति और रामसेवा बढ़ाऊँ और यह विश्वास रखूँ कि रामकृपा से सब रामभक्त मुझे अनुकूल ही हो जायेंगे।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शिमला अधिवेशन में साहित्यिक हिन्दी के स्वरूप की जो व्याख्या की गयी उसका स्वीकार मैंने सच्चे हृदय से किया था। मैंने उसका स्वीकार समझौते के तौर पर नाराजी से नहीं किया था। मैं यही समझाने की कोशिश करता था कि जो वस्तु स्वयंसिद्ध है उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। राष्ट्रभाषा की शैली और साहित्यिक हिन्दी की शैली में जो भेद रहना स्वाभाविक है उसे हम

समझ ज़रूर लें; किन्तु अस्पर जोर दे कर दोनों के बीच नाहक विरोध का वायुमंडल न पैदा करें। अस्से तो अंतर बढेगा। खैर। शिमला में दो व्याख्यायें स्पष्ट तो हुईं; किन्तु हम अके दूसरे से दूर न गये, कुछ निकट ही आये।

मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषायें जैसी संस्कृत कटुब की हैं, असी प्रकार हिन्दी भी संस्कृत कुटुब की ही है। संस्कृत भाषा संस्कार, समृद्धि और विकासक्षमता की दृष्टि से दुनिया की प्राचीन या अर्वाचीन किसी भी भाषा से कम नहीं है। असी हिरासत हमें मिली है अस्पर हमें अभिमान है। संस्कृत का द्रोह हमसे कभी भी नहीं होगा। अगर हमने मध्यकाल में अंधे बन कर देववाणी का प्रचार रोका न होता तो हमारे देश की आज जैसी दुर्गति हुई है वैसी न हुई होती। प्राचीन ब्राह्मणों ने जब सामान्य जनता को संस्कृत से वंचित रखा, और अस् भाषा को कृत्रिम रूप दिया तभी लोकसेवकों को लोकभाषाओं का सहारा लेना पडा। संस्कृतवाणी जब से देववाणी हो गयी तभी से वह दिवंगत भी हो गयी।

मनुष्य जिस तरह अपने पुत्रों के द्वारा नया जन्म और नया यौवन प्राप्त कर लेता है असी तरह हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलगु, मल्याळम् आदि भाषाओं में हम संस्कृत को ही पुनरुज्जीवित देख सकते हैं। किन्तु अिन भाषाओं ने संस्कृत से संस्कार तो प्राप्त किये परन्तु अपनी लोकमुलभता नहीं छोडी। यों देखा जाय तो हाथ, पैर, कान, नाक, आग, पानी, आदि नित्य व्यवहार के शब्द संस्कृत से ही आये हुअे हैं। हिन्दी तो

क्या, सच्ची अर्दू भी संस्कृतजन शब्दों से भरी हुई है। जिन मुसलमानों ने और हिन्दुओं ने अर्दू से रूढ देशी शब्द हटा कर अुनके स्थान पर अरबी फारसी के शब्द बढ़ा दिये अुन्होंने अर्दू भाषा की और समाज की सेवा नहीं की है। अर्दू शुद्ध स्वदेशी भाषा होते हुअे भी अुसे स्वदेश के लोगों के लिअे ही दुर्बोध बना कर अुन लोगों ने अर्दू की अुपयोगिता और राष्ट्रीयता घटा दी। भाषा का सामर्थ्य दो तरह से व्यक्त होता है—अुसकी संस्कारसमृद्धि से और अुसके प्रचलन के विस्तार से। हिन्दीवाले और अर्दूवाले अगर अपनी अपनी भाषा दिन पर दिन कठिन बनाते जायेंगे तो शायद अिन भाषाओं की संस्कारसमृद्धि बढे। (भाषा कठिन करने से अुसकी संस्कारसमृद्धि बढती ही है अैसा तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। अत्यंत संस्कारी भाषा भी बहुत बडी हद तक लोकमुलभ बनायी जा सकती है)। किन्तु भाषा जैसे जैसे कठिन होती जाती है वैसे वैसे अुसका प्रचलन अवश्य ही कम होने लगता है।

भाषा का प्रचलन बढ़ाने के लिअे दो सिरों से प्रयत्न होना आवश्यक है। अेक तरफ से भाषा अत्यंत मुलभ हो और दूसरी तरफ से लोग अुसे भक्तिपूर्वक सीखने का प्रयत्न करें। तभी भाषा का प्रचलन बढ सकेगा। आज मुसलमान लोगों की यह वृत्ति देख पडती है कि, "राष्ट्रभाषा सार्वभौम बनाने के लिअे हम तो अेक भी नया शब्द नहीं सीखेंगे। जो भाषा हमें आती है अुसीके अंदर तुम राष्ट्रभाषा को बिठा दो"। वे कहने लगे हैं कि साफ अर्दू ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा है। जो मुसलमान हिन्दी, मराठी, गुजराती, या बंगला सीखे हैं वे जानते

हैं कि साफ बूँ से राष्ट्रभाषा का पूरा काम नहीं हो सकता। किन्तु अँसे मुसलमान बहुत ही कम हैं। मुसलमानों ने फारसी, अरबी और अंग्रेजी के सिवाय दूसरी कोअी भाषा सीखना ही मानों छोड़ दिया है। इसमें शायद अुन्हीका सारा दोष नहीं है। ब्राह्मणों ने जहाँ अपने वँश्य शूद्रों को भी संस्कृत से वंचित रक्खा वहाँ मुसलमानों के बारे में हम यह शिकायत कैसे कर सकते हैं कि वे संस्कृत क्यों नहीं सीखते हैं? जिस तरह अंग्रेज लैटिन और ग्रीक सीखते हैं, पारसी ज़ेद भाषा सीखते हैं, बहुतसे हिन्दू अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, पोर्तुगीज अथवा जर्मन सीखते हैं, अुसी तरह मुसलमानों को भी चाहिये कि वे संस्कृत सीखें। अलीगड में अथवा दक्षिण हैदराबाद में चंद मुसलमान संस्कृत सीखते तो हैं। किन्तु अुनकी संख्या बहुत ही कम है।

संस्कृत की बात छोड़ दीजिये। कम से कम हिन्दुस्थान की प्रान्तीय भाषायें तो मुसलमानों को अच्छी तरह सीखनी चाहियें। तिजारत करने वाले, मिहनत, मजदूरी, खेती और हुन्नर पर गुजर करने वाले मुसलमान प्रान्तीय भाषा सीखते हैं। क्यों कि अुनकी जडें समाज के अन्दर पैठी हुअी हैं। किन्तु जो लोग अंग्रेजी के सहारे और तनख्वाह, पेन्शन, फीस के सहारे समाज से अलग रह सकते हैं वे तो अंग्रेजी से ही अपना सारा व्यवहार चलाना सीखे हैं। स्वाभिमान को संतोष देने के लिये अरबीफारसी से लदी हुअी अुर्दू को वे आश्रय देते ह और अपने जैसे लोगों के अन्दर ही अँसी अुर्दू का व्यवहार करते हैं। पंडिताबू हिन्दीवालों का भी करीब करीब यही हाल है।

अँसे लोगों को जबतक समाज की पर्वाह

नहीं है, लोकसेवा की और लोकजागृति की चाह नहीं है, तबतक अंग्रेजी अुनके लिये काफी है। साहित्यविकास के लिये भले ही वे हिन्दी के या अुर्दू के भक्त हों, अुनसे राष्ट्र का या राष्ट्रभाषा का निर्माण होना नामुमकिन है। राष्ट्रभाषा की चर्चा अगर अितनी कठिन और कटु हो गयी है तो अुसका अेक कारण ये लोग भी हैं।

हिन्दुस्थान की राष्ट्रभाषा के बारे में आजतक हम चर्चा ही चर्चा करते रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब कि अमली रूप से राष्ट्रभाषा का निर्णय करना पडेगा। इस लिये राष्ट्रभाषा के स्वरूपनिर्णय के चन्द सिद्धान्त यहां पर अिकट्ठे किये जाते हैं।

सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रभाषा के संगठन पर देश के सब प्रभावशाली तत्त्व अपना अपना असर कर सकते हैं, तो भी इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी। कोअी खास भाषा चलाने न चलाने की जबरदस्ती दुनिया भर के लोगों ने करके देखी है लेकिन अुसमें कोअी कामयाब नहीं हुअे। रोम के बादशाह और अुनके कुटुम्बी लोग अपने गुलामों के सामने अपनी पवित्र लैटिन भाषा बोलते ही नहीं थे। अपनी श्रेष्ठ भाषा का अुच्चारण अपवित्र लोगों के कानों पर जाने से भाषा अपमानित होती है। यहूदियों में और हमारे देश के ब्राह्मणों में भाषा के बारे में यही वृत्ति थी कि हमारी भाषा दूसरा कोअी न सुने, न सीखे, न पढे, न लिखे।

अिसके बाद वह जमाना आया जब अपनी अपनी जवान का साम्राज्य स्थापित करने की अिच्छा आदिमियों को होने लगी। तुम अपनी भाषा छोडो और हमारी ही भाषा बोलो

वैसा आग्रह जित लोगों से होने लगा। बहिष्कार और अंगीकार दोनों नीतियां मनुष्यों ने चला कर देखीं। दोनों नीतियों में गुण भी हैं और दोष भी हैं। किन्तु दोनों व्यर्थ सिद्ध हो चुकी हैं।

भाषा का प्रवाह प्रघानतया नदी के जैसा है। उसके प्रवाह पर हम असर जरूर डाल सकते हैं; किन्तु नदी को केवल नहर नहीं बना सकते। आदिन्दा बना भी सकें तो भी वे दिन अभी नहीं आये हैं।

राष्ट्रभाषा का संगठन करने के पहले भाषा की दृष्टि से जिस देश के इतिहास को देखना चाहिये। उस इतिहास का कोई अिनकार नहीं कर सकता। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों का खयाल करनेवाले जो त्रिकालज्ञ समाजशास्त्री हों वे ही राष्ट्रभाषा का निर्णय और निर्माण कर सकेंगे।

हमारे देश में प्रान्त प्रान्त में भिन्न भिन्न बोलियां अलग अलग चलती आयी हैं। सारे देश में अके ही भाषा कभी थी जिसका सबूत हमारे पास नहीं। अिन सब प्रान्तीय भाषाओं को 'कुदरती,' 'स्वाभाविक' अथवा 'प्राकृत' कहते थे। अिन प्राकृत भाषाओं के जो निजी शब्द थे अुनके लिये हमारे पुरखाओं की संज्ञा थी 'देश्य'। (आज हिन्दुस्थान सरकार ने 'व्हनकियुलर' के लिये अेक स्वदेशी शब्द मांगा है। 'व्हनकियुलर' के लिये—प्रान्तीय भाषाओं के लिये—हमारा शब्द है 'देश्य' अथवा 'देशी'। जो भाषा परदेशी नहीं है अथवा संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी 'क्लासिकल' नहीं है वह भाषा हिन्दुस्थान की देशी अथवा देश्य भाषा है।)

अिन सब प्रान्तीय भाषाओं में अेकता लाने की चेष्टा देश के संस्कारी नेताओं ने

की। अिस अेकता लानेवाली संस्कारसंपन्न सुसंस्कारित भाषा का नाम था 'संस्कृत'।

संस्कृत भाषा नियमबद्ध थी, स्थिर थी, सर्वत्र चलती थी और अुन दिनों वह आसान भी थी। वही हमारी राष्ट्रभाषा थी।

अेक महत्त्व की बात हमें नहीं भूलनी चाहिये। संस्कृत जबतक आसान थी तबतक उसका असर हमारी सब प्रान्तीय भाषाओं पर हुआ। पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैदक और भक्तिसाहित्य, अितनी बातों में संस्कृत ने हमारी सभी देशी भाषाओं पर असर डाला है। संस्कृत ही हमारी स्वयंभू, सनातन और असली राष्ट्रभाषा थी। अगर हम संस्कृत के अथवा संस्कृत से बने हुअे तमाम शब्दों को हिन्दुस्थान की भाषाओं से निकाल डालें तो हमारी सब की सब भाषायें अितनी दरिद्री बन जायेंगी कि सारा राष्ट्र गूंगा और असंस्कारी हो जायगा। संस्कृत हमारे ही देश की भाषा है। हमारे ही पुरखाओं ने अुसे बनाया और बढ़ाया। आज भी हिन्दुस्थान में संस्कृत का असर आबोहवा के जैसा है। संस्कृत के शब्द अगर किसी भी भाषा से, वे केवल संस्कृत से आये हैं अिसलिये, निकाल डालने की कोशिश कोअी भाषा करेगी तो वह भाषा स्वदेशी नहीं रहेगी। देश के करोड़ों मुसलमान जिन शब्दों को जानते हैं और दिनरात बोलते हैं अुनको हटा हटा कर अुनकी जगह अरबी फारसी के शब्द ला ला कर धर देने से मुल्लमानों ने अुर्दू का और अपने समाज का कितना नुकसान किया है यह वे आज समझ नहीं सकेंगे। लोगों को जिनका परिचय नहीं है अैसे संस्कृत के

शब्द भाषा में लाने का प्रयत्न जितना सदोष है अतना ही सदोष वह प्रयत्न है कि जिससे मुसलमान लोग अरबी फारसी के शब्द ला कर अथवा बना कर देशी शब्दों को हटा रहे हैं। हिन्दुओं को हम कहते हैं कि आपको भूलना नहीं चाहिये कि हमारे देश में हमारे ही भाषी करोड़ों मुसलमान हैं जिनके साथ जिसे वे समझ सकें वैसे भाषा में आपको बोलना होगा। भाषा को भी वैसे पीताम्बर नहीं है जिसका कि व्यवहार हम केवल धर्मविधि में और पूजा के समय ही अपने लोगों के बीच कर सकें। भाषा तो जीवननिमित्त का साधन है। जिसमें आदान-प्रदान तो चलता ही रहेगा। मुसलमानों से भी हम नम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि आप केवल देशी प्रत्यय, सर्वनाम और अंसे थोड़े शब्द रख कर बाकी सब की सब अरबी फारसी अपनी अर्द्ध में भर देंगे तो फिर वह देशी बोली नहीं रहेगी। अंग्रेज लोगों ने अपनी अलग ही भाषा चलायी है क्यों कि उन्हें इस देश में बसना नहीं है। वे हमेशा जाने की तैयारी में ही यहां रहते हैं। आपकी बात वैसी नहीं है। आपमें से बहुत से लोग कभी परदेश से यहां आये ही नहीं। यहीं के हैं। इसीलिए लोगों के लिये जैसा यहूदी शास्त्र, 'ओल्ड टेस्टामेंट' है वैसे आपके लिये हिन्दू संस्कृति 'ओल्ड टेस्टामेंट' है। हिन्दू संस्कृति के पेड़ पर आप अस्लाम का कलम लगा सकते हैं। अगर आप देशी संस्कृति को बिलकुल छोड़ देने की बात करेंगे तो वैसे भी करने का आपको अधिकार तो है; किन्तु आप कर नहीं सकेंगे। वह मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध है। मनुष्यसंस्कृति का प्रवाह अस्स डंग से कभी बहा नहीं है।

स्वदेशी संस्कृति का पोषण ले कर ही आप अस्लाम को परिपुष्ट कर सकेंगे और हिन्दुस्थान में अपना जीवन समृद्ध और दृढ-मूल कर सकेंगे। अर्द्ध आपमें से बहुत से लोगों की जन्मभाषा है। बाकी के मुसलमानों के लिये अजून अजून प्रान्तों में की प्रान्तीय भाषा ही अजूनकी जन्मभाषा है। अजूनको हटाकर वह स्थान आप अर्द्ध को देने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे करने के लिये बहुत बड़ी मिहनत करनी होगी और अतना करने के बाद भी आप यह महसूस करेंगे कि अजूनसे आपने कुछ नहीं कमाया।

संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं की संस्कारशक्ति अजीब है। पढेलिखे लोगों को चाहिये कि वे दोनों के साहित्य से लाभ अठायें। ये दो भाषायें अके दूसरे की दुश्मन नहीं हैं, बल्कि बहनें बहनें हैं। जब यहां मुसलमानों का राज था तब बड़े बड़े लोग दोनों भाषाओं का अध्ययन करते थे। आज अर्द्ध और फारसी का अध्ययन करनेवाले हिन्दू अततर हिन्दुस्थान में बहुतसे पाये जाते हैं। किन्तु हिन्दी और संस्कृत का अभ्यास करनेवाले मुसलमान कितने हैं? और जो हैं वे अजून भाषाओं से कितना लाभ अठारहे हैं?

अके बात स्पष्ट है। हम किसी पर किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहते। अजूनको भाषा का प्रवाह जिस तरफ खींचना हो, खींच सकते हैं। भाषा तो राष्ट्रहृदय का प्रतिबिम्ब है। अगर हम अलग अलग ही रहना चाहते हैं और केवल अपनी गुलामी के बन्धन से ही अकेत्र बंधे रहना पसन्द करते हैं, तो हमारी भाषायें आप ही आप अलग अलग हो जायेंगी और सारे देश का व्यवहार

अंग्रेजी की गुलामी कबूल कर के ही चलेगा । मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग राष्ट्रभाषा-निर्माण में समझौता करना नहीं चाहते और अपनी ही तरफ खींचना चाहते हैं उनको अंग्रेजी भाषा की गुलामी कम अखरती है । अथवा यों कहिये कि कुछ प्रिय ही लगती है । जैसे लोग अक्सर प्रान्तीय भाषाओं को खतरा बता कर अपनी अंग्रेजीपरायणता ढांकना चाहते हैं ।

हम अतना देख चुके हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा अर्थात् हमारी प्रान्तीय भाषायें असल में संस्कृत कुटुम्ब की हैं । जिसलिये दोनों में आसान और लोकरूढ संस्कृत शब्दों की बहुतायत होगी ही । जिनको यह बहुतायत कबूल न हो अन्हें मानों हिन्दुस्थान में रहना ही कबूल नहीं है । अगर वे रहे भी तो जैसे अंग्रेज लोग जहाज पर सवार होने की तैयारी में ही हिन्दुस्थान में रहते हैं वैसे ही वे भी रहना चाहते हैं । हिन्दुस्थान में रहने-वाले लोगों का अेक या अधिक प्रान्तीय भाषाये सीखे बिना चलेगा ही नहीं । हिन्दुस्थान के अँग्लोअिडियन लोगों ने आजतक यह बात स्वीकार नहीं की थी । अब वे भी वस्तुस्थिति समझने लगे हैं और अपना रुख बदलने लगे हैं ।

हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि जिस देश में हिन्दू संस्कृति को जैसा स्थान है वैसे ही अिस्लामी संस्कृति को भी है । फारसी, यहूदी, अीसाबी आदि छोटीमोटी सब संस्कृतियों को भी जिस देश में हिन्दू और मुसलमान संस्कृति के जितना ही स्थान है । जिसके मानी ये होते हैं कि अिन सब संस्कृतियों को बिराट भारतीय संस्कृति का अंग बन कर

अथवा कुटुम्बीजन बन कर रहना मंजूर है । जो रोज अुठ कर आपस में लड़ना ही पसंद करते हैं वे जिस देश के बाशिन्दे नहीं हैं । किन्तु देश के लिये शापरूप हैं । हिन्दू और मुसलमान, शिया और सुन्नी, प्रॉटेस्टेंट और काथालिक, हिन्दू और अीसाबी जैसे अगड़े हिन्दुस्थान में जो लोग चलते हैं वे देश का द्रोह करते हैं । भारतीय संस्कृति की दृष्टि से पाप करते हैं । उनका जीवन अुनके लिये और देश के लिये अेक अभिशाप है ।

हमारी राष्ट्रभाषा में हिन्दी के लोकरूढ सब के सब शब्दों का स्थान होना ही चाहिये । जनता जिन शब्दों को जानती है अुनको राष्ट्रभाषा में रहने का पूरापूरा हक है । फलाना शब्द अुर्दू में नहीं पाया जाता जिसलिये राष्ट्रभाषा में अुसका प्रयोग नहीं करना चाहिये, चाहे हिन्दुस्थान के करोड़ों लोग अुसे अ्यों न जानते हों, अैसा कहनेवाला आदमी राष्ट्रभाषा को पहचानता ही नहीं । राष्ट्रीय अेकता तो वह चाहता ही नहीं है ।

अुसी तरह अुत्तर भारत में अरबी, फारसी के जो शब्द लोगों में रूढ हो चुके हैं वे हिन्दी में आजकल नहीं लिखे जाते अथवा, वे परदेशी हैं जिसलिये जो अुनका बहिष्कार करना चाहते हैं, वे भी राष्ट्रभाषा का रहस्य नहीं समझ पाये हैं । अरबी फारसी के जो शब्द लोग आसानी से समझ सकते हैं वे सब शब्द राष्ट्रभाषा में आने के हकदार हैं । हिन्दुओं को, और खास कर अहिन्दी प्रान्त के लोगों को, बहुतसे अरबी फारसी शब्द सीखने पड़ेंगे । मुसलमानों को सब की सब देशी भाषाओं में जो नये नये शब्द रूढ होने लगे हैं, सीखने पड़ेंगे । यहां कायरपन नहीं चलेगा । हम नहीं जानते हैं जिसवास्ते

फलाना शब्द राष्ट्रभाषा में नहीं आ सकता ऐसा कह कर राष्ट्रभाषा को कषीण और दुर्बल बनाने का किसी को अधिकार नहीं है। भाषा के शब्द किसीको अके ही दिन में नहीं सीखने पड़ते। जीवनव्यवहार जैसे जैसे समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे शब्दसंग्रह भी बढ़ता जाता है।

अब अके बात दक्षिण की ओर से हमें कहनी है। अगर राष्ट्रभाषा सारे देश की भाषा है, और सब के व्यवहार के लिये है, तो अन्तर भारत के लोगों को हमारी सहूलियत भी देखनी होगी। असमिया, बंगला और बुडिया भाषा का अके संघ है। सिंधी गुजराती और मराठी का दूसरा संघ है। कन्नड, तेलगू, मल्याळम् का तीसरा संघ है। तमिल को भी उसीमें शुमार कर सकते हैं। अिन भाषाओं में अैसे बहुतसे शब्द हैं जो अर्दू में पाये जाते हैं, और बहुतसे अैसे भी शब्द हैं कि जो हिन्दी में पाये जाते हैं। हम लोगों के लिये अैसे समान शब्द अके बडा सहारा है, क्योंकि वे हमें सीखने नहीं पड़ते। अर्दू का अच्छा शब्दकोष और हिन्दी का अच्छा शब्दकोष ले कर अिन दोनों में से जो शब्द हमारी भाषा के लिये नजदीक के हैं अन्हें हम अधिक संख्या में राष्ट्रभाषा में देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि से और देश की दृष्टि से भी अिन शब्दों का राष्ट्रीयत्व (सार्वदेशीय व्यवहार) स्वतःसिद्ध है। राष्ट्रभाषा आपकी अन्तर भारतीय ही सही; हिन्दी-अर्दू का शब्द-संग्रह ले कर हमें चलाना है यह भी सही; लेकिन अिनमें से जो शब्द हमारे लिये नजदीक के हैं, परिचित हैं, और राष्ट्रीय हैं, अन्हें ज्यादा पसन्द करने का अधिकार भी तो हमारा है न ?

अगर आप अिसके विपरीत चलेंगे, और राष्ट्र-भाषा को केवल अन्तरी स्वरूप देंगे तो हमारी और आपकी बनेगी नहीं। जिसे आप राष्ट्र-भाषा के तौर पर हमारे सामने पेश करेंगे उसे हम प्रान्तीय या प्रादेशिक भाषा कहेंगे। हिन्दी को और अर्दू को जैसे आपस में समझौता करना पड रहा है वैसे ही आपकी अन्तरप्रान्तीय अथवा प्रादेशिक हिन्दुस्थानी को हमारी बनायी हुयी राष्ट्रभाषा के साथ भी करना पडेगा। अन्तर भारत के हिन्दूमुसलमानों को यह ध्यान में रखना होगा कि अुनके अन्तरी झगडे हम दक्षिण में नहीं लाना चाहते। अुनसे आज यह भी कह देना चाहते हैं कि सी दो सी वर्षों के अन्दर, अथवा अुससे भी पहले, राष्ट्र-भाषा में वे अैसे भी शब्द घुसे अुसे पायेंगे जो दक्षिण की चार भाषाओं में सर्वसाधारण हैं। 'पानी' और 'जल' के साथ साथ राष्ट्रभाषा में 'नीर' शब्द भी चलेगा। 'सुपारी' और 'कसेली' के साथ 'अडकी' भी आपको सुनना पडेगा। हिन्दी में मुसलमानी राज्य के कारण जिस तरह आरबीफारसी के शब्द घुस गये, ब्रिटिश राज्य के कारण जैसे अंग्रेजी के शब्द हमारी सभी भाषाओं में घुस रहे हैं, वैसे ही हमारे बन्धुतापूर्ण सहयोग के कारण थोडेबहुत द्राविडी शब्द भी राष्ट्रभाषा के अन्दर प्रवेश पा लेंगे। और लाचारी से नहीं किन्तु केवल प्रेम से आप अुनका स्वागत करेंगे।

अके तरफ राष्ट्रभाषा को सब प्रान्तीय भाषाओं के करभार से हमें समृद्ध करना होगा और दूसरी तरफ से राष्ट्रव्यवहार सुलभ करने के लिये अैसा अके शब्दसंग्रह देश के सामने पेश करना होगा जो बुनियादी अंग्रेजी की तरह सब जगह चल सके और

सब प्रकार के व्यवहारों में किसी भी प्रकार की कठिनायी न हो जितना समृद्ध हो। भाषा की यह पींड या घड चाहे जितना पतला क्यों न हो, परन्तु मजबूत हो। इसी में से सब शाखाओं और प्रशाखाओं का विस्तार बढ़नेवाला है। यह बुनियादी हिन्दुस्थानी अथवा राष्ट्रभाषा का घड अर्द्ध-प्रधान बनाने से काम नहीं चलेगा। देश में कोबी असका स्वीकार नहीं करेगा। उसे हिन्दीप्रधान करने से भी हम शान्ति से अपना काम नहीं कर सकेंगे। बुद्धिमानों तो इसमें होगी कि बुनियादी हिन्दी और बुनियादी अर्द्ध के हजार हजार शब्द हम चुन लें और राष्ट्र से कहें कि समझने के लिये हर अके भारतवासी को ये दोनों शब्दसंग्रह जानने होंगे। अस्तेमाल के लिये हरअके को अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक शब्द बरतने की आजादी होनी चाहिये। हर अके हिन्दुस्थानी का यह अनुभव है कि वह अंग्रेजी के जितने शब्द समझ सकता है अतने सब शब्दों का व्यवहार

नहीं कर सकता। इसी तरह राष्ट्रभाषा के बुनियादी चार हजार शब्द अच्छी तरह जानते हुअे भी मैं अपनी लिखापढी में हजारेक शब्द बिलकुल अस्तेमाल ही नहीं कर सकूंगा। इसमें किसी का नुकसान नहीं। बुनियादी राष्ट्रभाषा की भी दो शैलियां होंगी। किन्तु सहूलियत यह रहेगी कि हर अके का दोनों शैलियों से समझने लायक परिचय अवश्य रहेगा। इसलिये अके का लिखना-पढना दूसरे के लिये समझना मुश्किल नहीं होगा। हमारी रीडरों और अन्य पाठ्यपुस्तकें हम असी बनायेंगे कि दोनों शब्दसमुदायों से तालिबबित्नों का अच्छा परिचय हो जाय और अउनके लिये दोनों का व्यवहार भी आसान हो जाय।

राष्ट्रभाषा का सवाल हल करना हमारे लिये आसान होना ही चाहिये। जहां जबरदस्ती छोड दी और वस्तुस्थिति का स्वीकार कर लिया वहां रास्ता निकल ही आना चाहिये।

अके भूल-सुधार

श्री नारायणदास गांधी तथा श्री सीतारामशास्त्री ने अके भूल की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जो मुझसे काठियावाड के कताबी के कार्यक्रम पर नोट लिखने में हो गयी है। सत्तर लाख गज भूल सत्तर दिन में कातने के लिये रोज अके हजार गज कातनेवाले ७०० नहीं, किन्तु १०० चाहिये, और रोज सो गज कातनेवाले ७००० नहीं, किन्तु १००० चाहिये। इस भूल को मैं खुशी से सुधार देता हूं, पर मैं यह कहूंगा कि यदि ७०० या ७००० कातनेवाले भी कताबी-यज्ञ में भाग लें तो इससे कोबी हानि नहीं होगी। जितने ही अधिक कातेगे अतना अच्छा।

('हरिजन सेवक' से) मो. क. गांधी

पाठक सर्वोदय के अगस्त १९३९ के अंक में पृष्ठ ८, स्तंभ २, में अपर्युक्त सुधार कर लें।

कौअे की नजर से

९. आंख का अुपयोग

संपादक भाओी

बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों में कओी आदमी बडे होशयार, कओी साधारण, और कओी बिलकुल मूर्ख क्यों होते हैं ? दूसरे प्राणियों में मैं अितना फरक नहीं देखता। हम अुल्लुओं में तो सब में अेकसा सयानपन होता है और कौआ कहता है कि सभी कौअे अेकसे चतुर होते हैं। फिर आप लोगों में ही अितना भेद क्यों है ? आज जब कौआ आश्रम में वापस आया तब कौओी नयी चीज नहीं लाया था। असलिये मैंने अुससे यह सवाल पूछा। तब वह बोला—

भुशुंडी—मैं भी अस बात को पहले समझता नहीं था। लेकिन अेक दिन मैं गुजरात विद्यापीठ के चित्रकला मन्दिर की बारी (खिडकी) में बैठा था। कओी लडके अेक नमूना देख देख कर चित्र बना रहे थे। मैंने देखा कि वे जब जब नमूने की ओर देखते थे तो अपनी अेक आंख बन्द कर लेते थे। बात तो ठीक ही है। अेक साथ दोनों आंखों से देखने से कभी ठीक नहीं दीखता, यह काक-विज्ञान-शास्त्र में मशहूर ही है। चित्रकारों ने किसी न किसी तरह अस बात को अनुभव से जान लिया है। असलिये वे चित्र बनाते समय अेक ही आंख का अुपयोग करते हैं। लेकिन, मनुष्य का बुद्धि-विकास बहुत कम होने के कारण अितने अनुभव के बाद भी अुसे यह नहीं सूझता कि सही नजर पाने के लिये हमेशा अेक ही आंख से देखना चाहिये। दोनों आंखों से देखनेवालों को कभी किसी बात का ज्ञान

नहीं होता। हम कौअे तो कभी दोनों आंखों से अेकदम नहीं देखते। तुम में और मुझमें बुद्धि का जो भेद है, अुसका कारण यही है कि तुम्हारी दोनों आंखें अेकसाथ देख सकती हैं। मनुष्यों की भी यही बात है। असलिये अुन्हें अपनी नजर दुरुस्त करने के लिये अेक आंख बन्द कर के ही देखना चाहिये। मनुष्यों में कहा भी जाता है कि काना मनुष्य हमेशा होशयार होता है। और वे जो अपने कृपालानी हैं न ? अुनका भी अेक अंसा वचन है कि जगत के सभी बडे बडे पैगंबर हमेशा अेक ही आंख से देखते हैं। मामूली आदमी दोनों आंखों से देखते हैं, असीलिये अुनकी बुद्धि भी मामूली होती है।

मैं—तो क्या तुम्हारी यह राय है कि सब अुल्लुओं की ओर आदमियों की अेक अेक आंख फोड़ दी जाय ? अससे क्या हम सब ज्यादा बुद्धिमान होंगे ?

भुशुंडी—आज की अपेक्षा तो जरूर होंगे। लेकिन वह तरीका तो ठीक नहीं। क्योंकि, फिर, तुम्हें या तो केवल दाहिने दीखेगा अथवा केवल बाँये। वह भी अधूरी नजर ही रह जायगी। लेकिन दोनों आंखें साबित रख कर मनुष्य पहले अेक आंख से देख ले, और फिर दूसरी आंख से देख ले; तो अुसे ज्यादा साफ नजर आयेगा। मालूम होता है कि कृपालानी यही मानते हैं। वे कहते हैं बापू अेक ही आंख से देख सकते हैं, दोनों आंखों से किसी बात को नहीं देखते। और स्वयं कृपालानी के बारे में भी कओी लोगों को

यह जबरदस्त शंका है कि वे भी हमेशा अकेले ही आंख से देखते हैं।

मैं—तब तो कृपालानी भी बापू के बराबर सयाने होंगे ?

भुशुंडी—कहाँ से ? जबतक अकेले आंख से देखने की कला नहीं सीखते तब तक कैसे हों ? काकविज्ञान तो बापू में भी नहीं है, तो कृपालानी में कैसे हो सकता है ? हाँ, वे अकेले ही आंख से देखते तो हैं। लेकिन भिन्न तरह कि कुछ महीनों—या सालों तक भी—सिर्फ दाहिनी आंख का उपयोग करते हैं और बाद में फिर लगातार बाँयी ही बाँयी आंख का उपयोग करने लग जाते हैं, और लम्बे अरसे तक फिर उसीसे काम चलाते हैं। अैसे भद्दे अनुकरण से थोड़े ही कभी कीर्मी कीया बन सकता है ?

मैं—तो बापू में और तुममें क्या भेद है ?

भुशुंडी—हम प्रति क्षण अपनी दोनों आंखों का बारी बारी से उपयोग करते हैं। जितनी शीघ्रता से बापू अपनी दृष्टि बदल नहीं सकते। अन्हें भी दाहिनी दृष्टि से बाँयी दृष्टि पर आने में कुछ समय लग जाता है। असलिये अन्हें मैं अकेले 'बासकीया' कह सकूँगा। और है भी असा ही।

मैं—क्या आंखों से देखने का दूसरा कीर्मी असा तरीका है जिससे बुद्धि बढ़ जाय ?

भुशुंडी—हाँ, कीर्मी और कानों में सब अकेले आंखवालों का समावेश होता है। असमें काने को बुद्धिमान समझनेवाले लोग स्वयं बुद्धिमान नहीं होते। दो आंखोंवालों की अपेक्षा वे बुद्धिमान जरूर हैं। पर वास्तव में अंनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती। सिर्फ हिसाबी चतुराबी होती है। अब दो आंखवाले और कानों के बीचवाले कुछ डेढ़

आंखवाले भी होते हैं। वे बहुत बुद्धिमान न हों तो भी चतुर तो जरूर होते हैं।

मैं—कीर्मी डेढ़ आंखवाला कैसे हो सकता है ?

भुशुंडी—सारे चित्रकार अगर कोशिश करें तो डेढ़ आंखवाले हो सकते हैं। लेकिन चन्द्र लोग स्वभाव से ही वैसा होते हैं। अंनकी अकेले आंख बड़ी या पूरी खुली हुआ और दूसरी आंख छोटी या कुछ मुदी हुआ रहती है। कभी कभी वे दूसरी आंख भी पूरी खोल कर देख लेते हैं। जिस क्षण वे वैसा करते हैं, असी वक्त अंसमें से अकेले चातुर्य की किरण निकलती है और वह सामने की चीज को समझ लेती है। अस कारण वे चतुर होते हैं। अगर दोनों आंखों से वे वैसा करते तो शायद कीर्मी की बराबरी भी कर सकते। लेकिन अतनी शक्ति अंनमें नहीं होती। कभी लोग वैसा करने जाते हैं तो वे अँचाताने बन जाते हैं। वे भी चतुर तो होते हैं, लेकिन काकचतुराबी और अंनकी चतुराबी में अतना ही फरक है, जितना कि काकबुद्धि और काने की बुद्धि में।

मैं—अब मैं तुम्हारी अस बार बार की आत्मप्रशंसा से अब गया हूँ। मैं ठीक समझ गया हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान और चतुर हो। बार बार दुहराने से तुम्हारी बातें सर्वोदय जैसे गांधीवादी पत्र में लिखने में मुझे संकोच होता है।

भुशुंडी—तो न लिखो ! मैंने कब कहा कि मेरी तुम्हारी सब बातचीत सर्वोदय में देनी ही चाहिये। यह लो, आज से अब सर्वोदय के लिये कुछ भी लिखना मना कर देता हूँ।

मैं—नहीं, भाबी, अतना गुस्सा मत करो। मैंने तो थोड़ा कुछ तुम्हारे भले के ही लिये कह दिया।

भुशुंडी—में गुस्से से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कोअे की बुद्धि—चतुराजी—का जिकर आत्मश्लाघा के लिये नहीं किया करता। वह अेक बड़ी सचाजी होने से स्वभाव से ही मुंह से निकल जाती है। अिसीपर तुम बिगड़ गये। तुम्हें मालूम नहीं कि कोअे का भी अपना अेक स्वभाव होता है। वह कितना भी जानी हो अुसके लिये बिना 'का-का' करने और सडन खाने के दूसरा चारा ही नहीं है। वैसे ही यह आत्मप्रशंसावाली बात

भी समझ लो।

मैं—अच्छा, भाजी, अच्छा। अब मैं भूल न करूंगा।

अैसी बात है, संपादक भाजी! अगर आप अयोग्य न समझें तो हमारे कोअे की आत्म-प्रशंसा का कुछ भाग काट दीजियेगा। मैं अुल्लू नहीं समझ सकता कि कितना काटना ठीक होगा और कितना नहीं।

आपके

आश्रम का अुल्लू

लिपियां दो या तीन ?

[काका कालेलकर]

थोडे दिन हुअे में मैसूरराज्य में भ्रमण करने गया था। मैसूरराज्य, वहां की आबोहवा, वहां की राज्यव्यवस्था, भाषा, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, अुद्योगहुन्नर, आदि के बारे में मुझे अेक या अधिक लेख लिखने ही हैं। किन्तु मैंने अिस भ्रमण में दिये हुअे अेक व्याख्यान के कारण जो थोडीसी गलतफहमी पैदा हुअी है अुसे तुरन्त दूर करना मैं जरूरी समझता हूँ।

मैसूर विश्वविद्यालय के विद्यार्थीमंडल के सामने संस्कृति पर मुझे अेक व्याख्यान देना पडा। अपने रिवाज के अनुसार व्याख्यान के अन्त में मैंने प्रश्नोत्तरी को अवकाश दिया। वहां के अध्यापक और विद्यार्थी जानते थे कि भारतीय लिपियों के बारे में मैं अध्ययन कर रहा हूँ और मेरे कुछ स्पष्ट मत भी हैं। कर्नाटक की भाषा और साहित्य

के अध्ययन के अिस मूल केन्द्र में लिपि का प्रश्न छेड कर मैं हिन्दी को ६ तरे में डालना नहीं चाहता था। किन्तु जब वहां के लोगों-ने मुझे अिस बात पर सीषा सवाल किया तब मैंने मीठी मीठी बातें करके जान बचाना पसन्द नहीं किया। मैंने कह दिया कि "मैं किसी भी भारतीय भाषा के लिये रोमन लिपि का अुपयोग करने के खिलाफ हूँ। गोवा के रोमन कॅथोलिक लोग कोंकणी भाषा रोमन लिपि में लिखते हैं। असम के पर्वतीय खसी लोगों की सी बरस से वहां के मिशनरी लोगों ने अुनकी खसी भाषा रोमन लिपि द्वारा ही पढायी है। डेहराडून से निकलनेवाला सरकारी फौजी अखबार अुर्दू भाषा और रोमन लिपि में निकलता है। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं मिशनरियों से मिलने पर अुन्हें कह

देता हूँ कि आपका मिशन बीसा के अपदेश का प्रचार है न कि हमारी लिपियों का द्रोह करके हमारे देश में भाषा के जैसे छोटे छोटे टापू बनाना । जिससे वे लोग भारतीय लिपि के अज्ञान के कारण भारतीय साहित्य से ही वंचित रह जाते हैं ।

“ मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्थान में दो ही लिपियाँ रह जायें । सब की सब प्रान्तीय भाषाओं के लिखे नागरी लिपि का ही प्रचार हो । क्योंकि वे सब संस्कृत कुटुम्ब की हैं । अर्द्ध के लिखे फारसी लिपि है । क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि उसके द्वारा उनकी संस्कृति की सुरक्षितता अबाधित रह सकती है । ”

मंसूर के अनु संस्कारी श्रोताओं को मैंने प्रारंभ में ही कह दिया कि “ अके बात का आप यकीन रखें कि फराबी काँग्रेस के जिस प्रस्ताव में भारतीय लोगों के मूलभूत-बुनियादी-अधिकारों का स्वीकार किया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत में किसी का धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य या लिपि जबरदस्ती नष्ट नहीं की जायगी; सब को अभयदान है । जिसके मानी ये हुआ कि पूर्ण स्वराज्य पाने पर भी सरकारी कानून से आपकी कन्नड लिपि का व्यवहार बन्द नहीं किया जायगा । कन्नड लिपि चलाना या न चलाना, उसमें कोअी परिवर्तन करना या न करना, जिसका निर्णय कर्नाटक के लोगों के हाथ में ही रहेगा । जिसलिखे में जो कुछ कहूँगा उससे आपको यह डर न हो कि आप के साथ किसी किसम की जबरदस्ती, आज या आबिन्दा भी, होनेवाली है । अगर कर्नाटक की लिपि का व्यवहार

कोअी जबरदस्ती से बन्द करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी पूरी शक्ति लगा कर उसका विरोध करूँगा । मैं आपको अपना हित, जनता का हित, राष्ट्रहित और कन्नड साहित्य के विकास का खयाल करके कन्नड की जगह देवनागरी का स्वीकार करने की सिफारिश करना चाहता हूँ । अभी हमारे देश में फीसदी सात से अधिक लोग लिखना-पढ़ना नहीं जानते । आज के फीसदी सत्यानवे लोग और भविष्य के अनन्त कोटी लोग, जो जिस वक्त कोअी भी लिपि नहीं जानते, उनके लिखे कन्नड लिपि छोड़ने का सवाल ही नहीं है । वे तो कन्नड भाषा नागरी लिपि द्वारा भी आसानी से सीख सकते हैं । और कन्नड साहित्य नागरी लिपि में छाप देना केवल पांच दस वर्ष का सवाल है । कन्नड में अतने संस्कृत शब्द हैं कि कोअी भी भारतवासी चार छः महीनों की कोशिश से आपकी भाषा और उसका साहित्य सीख सकता है । केवल लिपि के कारण आप कर्नाटक के और बाकी के भारत के बीच अके बड़ी चीनी दीवाल खड़ी कर देते हैं ।

“ मैंने इसके पहले अनेक बार कहा है कि केवल सुन्दरता का खयाल किया जाय तो दुनिया की लिपियों में कन्नड लिपि प्रथम श्रेणी में आ जायगी । किन्तु केवल लिपि के कारण आप अपनी भाषा, अपना साहित्य और अपने राष्ट्रीय जीवन का संकोच करें, उसके विकास में बाधा डालें, जिसमें बुद्धिमानी नहीं । आपके पूर्वजों ने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, उसकी फिलसूफी की बहुत कुछ बुद्धि की । संस्कृत के द्वारा कन्नड भाषा की संस्कारिता, उसकी शब्दसमृद्धि, उसका अर्थवाहित्व

और अुसका लालित्य बढ़ाया। संस्कृत ही हमारी प्राचीन राष्ट्रभाषा थी। अुसीके सहारे हमने अपना मस्तक और अपना हृदय अेक, अखण्ड, समृद्ध और तेजस्वी बनाया था। संस्कृत की लिपि—नागरी—ले कर आज भी आप भारतीय भाषादरवार में अपना गौरवान्वित स्थान ले कर भाषामगिनियों के साथ अपना आदानप्रदान बढ़ा सकेंगे।”

यहां पर मेरा अुत्तर पूर्ण हुआ। किन्तु कर्नाटक से मेरे पास अेक पत्र आया था जिसमें आन्ध्र और कर्नाटक की लिपियां अेक करने का प्रश्न छेड़ा गया था और अिस काम में मेरी सहायता भी मांगी गयी थी। अुसका भी जिक्र करना मेरे लिअे अपरिहार्य था। मैंने कहा—

“अगर हम भारत के अुत्तर और दक्षिण हिन्दुस्थान अैसे दो विभाग कर डालेंगे तो स्वराज्य नहीं पा सकेंगे और हिन्दुस्थान का जो सांस्कृतिक मिशन है अुसे भी कृतार्थ नहीं कर सकेंगे। अुत्तर भारत में हम लोग कुछ न कुछ हिन्दी जानते ही हैं और हमारा आपसी व्यवहार एक नहीं जाता। दक्षिण में आपलोगों ने जब से संस्कृत का व्यवहार छोड़ दिया है, आन्तरप्रान्तीय व्यवहार के लिअे अेक भी भाषा मुकर्रर नहीं की। आप अंग्रेजी के ही आश्रित बन गये हैं। सार्वजनिक जीवन, त्तविवेचन, न्यायचर्चा,—सब कुछ अंग्रेजी में ही चलता है। आप कन्नड भाषा में अच्छी अच्छी कवितायें लिखें, निबन्ध और अपुन्यास या लघुकथायें अंग्रेजी और परेंच के साहित्य की बराबरी की लिखें; तो भी जबतक आपका राजकाज और सार्वजनिक व्यवहार कन्नड में नहीं चलता तबतक कन्नड भाषा का

दारिद्र्य दूर नहीं होगा। पहला सवाल कन्नड भाषा को परिपुष्ट करने का नहीं। किन्तु अुसे अपने ही घर में दासी के रूप में रहना पड़ता है, अुस अपमानित स्थिति से अुठा कर कर्नाटक के सार्वजनिक व्यवहार में अुसे राक्षीपद दीजिये। फिर तो, आपका पुरुषार्थ जितना विपुल होगा अुतना ही आपका साहित्य पुष्ट और तेजस्वी होगा।

“आपमें से जो लोग नागरी का स्वीकार नहीं करते अुनके पास सारे दक्षिण के लिअे सर्वसाधारण अैसी कोअी लिपि है? अगर आप आन्ध्र और कन्नड की लिपियों में जो नाममात्र भेद हैं अुन्हें मिटा कर दो प्रान्तों की अेक लिपि करेंगे तो भी मैं कहूंगा कि आप कुछ तो आगे बढ़े। तेलगु लिपि की अपेक्षा कन्नड लिपि मुझे तो अधिक सुन्दर लगती है।

“और अगर केरल के लोग, जिनकी भाषा में भी फीसदी पचहत्तर से अधिक शब्द संस्कृत के पाये जाते हैं, अपनी लिपि छोड़ दें और—अगर नागरी लेने की हिम्मत न हो—तो कन्नड ही ले लें, तो भी मैं कहूंगा कि दक्षिण में संगठन करने की, अेकता का महत्त्व पहचानने की, वृद्धि का अुदय हुआ है।

“तमिल लोगों ने तो बहुत ही थोड़े अक्षरों से अपना सारा व्यवहार चलाने की आदत डाल ली है। संस्कृत लिखने के लिअे अुन्हें नागरी का ही व्यवहार करना चाहिये था। अुसकी जगह अुन्होंने ‘ग्रन्थाक्षर’ लिपि का आविष्कार किया। अुसकी जगह अगर वे, नागरी नहीं तो, कन्नड लिपि ही ले लेते तो कम से कम सारे दक्षिण के लिअे तो अेक लिपि हो जाती। लेकिन हम लोग अपने देश के टुकड़े

कर कर के उसे छिन्नमिन्न करने के खेल को ही आज तक पसन्द करते आये हैं। हम मुँह से अंकता चाहते हैं किन्तु उस अंकता का नाश करने की कोशिश करने से बाज नहीं आते।

“मैं जानता हूँ कि छोटे सुधार बड़े और आवश्यक सुधार के शत्रु होते हैं। अगर सारे दक्षिण में एक ही कन्नड लिपि का व्यवहार करने का निश्चय किया जाये तो भारत-व्यापी नागरी संगठन में दिङ्ग पैदा होगा। किन्तु यह आपत्ति सहन कर के भी मैं आपके बीच चार प्रान्तों की एक लिपि करने की कोशिश देख कर संतोष मानूँगा। और आप भी दक्षिण के लिभे एक लिपि की कोशिश करते करते एक भारतीय लिपि विस्तार की आवश्यकता को अधिक स्पष्टरूप से अनुभव करेंगे। अगर चार प्रान्तों की लिपि एक ही जाये तो कम से कम अंग्रेजी की पकड़ तो कम ही जायगी। आपमें आदानप्रदान बढ़ेगा और दक्षिण की सामर्थ्य बढ़ेगी।

“किन्तु साथ साथ आपको यह भी कह दूँ कि आन्ध्र, तमिलनाड और केरल के लोग जिस दिन अपनी अपनी लिपियाँ छोड़ने को तैयार हो जायेंगे उस दिन वे अपनी कन्नड लिपि

ले कर दक्षिण का संगठन करने की अपेक्षा नागरी लिपि ले कर अखिल भारतीय संगठन करना ही अधिक पसन्द करेंगे।

“जो कुछ भी हो; मैं तो नागरी संगठन के पक्ष में ही हूँ। किन्तु आप अगर दक्षिण के लिभे कन्नड लिपि चलाने की कोशिश करेंगे तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। मैं उसे प्रगति का ही एक कदम समझ लूँगा।”

भाषा और लिपि का सवाल बहुत पचींदा है। हम पुरुषार्थ में बड़े शायिल हैं। आप ही आप बिना प्रयास के जो कुछ परिवर्तन होता जाता है उसीको हम जड़ता के कारण मान्य करते हैं। विचारपूर्वक कोशी महत्त्व का और परिश्रम का कार्य करने की आदत ही टूट गयी है। अैसी हालत में लिपि के ये सूक्ष्म भेद और उनके कारण पैदा होनेवाला मतभेद हम कहाँ तक चलावेंगे? अगर हिम्मत करनी है तो सारे भारत के लिभे—भारत की सब प्रान्तीय भाषाओं के लिभे—हम एक ही नागरी लिपि चलाने का निश्चय करें। जनता की ओर से कठिनायी नहीं आयेगी। पढ़े हुअे लोगों की अपरिवर्तनशीलता ही सबसे बड़ी रुकावट है।

अेक सार्वत्रिक नियत लिपि

लॉर्ड कर्जन के सार्वत्रिक नियत (स्टैंडर्ड) समय के समान हम अेक सार्वत्रिक नियत (स्टैंडर्ड) लिपि भी चाहते हैं। यदि लॉर्ड कर्जन ने हमें अेक सार्वत्रिक लिपि देने का राष्ट्रीय पद्धति से प्रयत्न किया होता, तो सार्वत्रिक समय दे कर वे हमारे आदर के जितने पात्र हुअे उसकी बनिस्बत कहीं अधिक आदर के भाजन हुअे होते। लेकिन यह नहीं किया गया; और अब हमें सारे प्रान्तीय दुराग्रहों को छोड़ कर स्वयं यह करना चाहिअे।

दिसंबर १९०५ में नागरी प्रचारिणी
सभा (काशी) में दिये हुअे भाषण से

}

बाल गंगाधर तिलक

सेवा का आचारधर्म

[विनोबा का एक प्रवचन]

ॐ सहनाववतु । सहनो भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै ।

तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

मेरे भाअियो और बहनो,

शान्तिमंत्र और भोजन का संबंध ।

आज मैंने अपने भापण का आरम्भ जिस मंत्र से किया है वह मंत्र हमारे देश के लोग शाला में अध्ययन शुरू करते समय पढ़ा करते थे । यह मंत्र गुरु और शिष्य को मिल कर कहने के लिये है । “परमात्मा हम दोनों का अकत्र रक्षण करे । अकत्र पालन करे । हम दोनों जो कुछ सीखें वह, हम दोनों की शिष्या, तेजस्वी हो । हम दोनों में द्वेष न रहे; और सर्वत्र शान्ति रहे ।” असा अिस मंत्र का संक्षेप में अर्थ है । आश्रम में भोजन के प्रारंभ में यही मंत्र पढ़ा जाता है । अन्यत्र भी भोजन शुरू करते समय अिस पढ़ने का रिवाज है । “अिस मंत्र का भोजन से क्या संबंध है ? अिसके बदले दूसरा कोअी भोजन के समय पढ़ने योग्य मंत्र क्या खोजा ही नहीं जा सकता ?” असा सवाल अेक वार बापू से पूछा गया था । अुन्होंने वह मेरे पास भेज दिया था । मैंने अेक पत्र में अुसका विस्तार से अुत्तर दिया है । वही मैं थोडे में यहां भी कहनेवाला हूं ।

समाज के दो भागों का सहजीवन

अिस मंत्र में समाज को दो भागों में बांटा गया है; और अैसी प्रार्थना की गयी है कि परमात्मा दोनों का अकत्र रक्षण करे । भोजन के समय अिस मंत्र का अुच्चारण जरूर करना

चाहिये, क्योंकि हमारा भोजन केवल पेट मरने के लिये ही नहीं है । वह ज्ञान और सामर्थ्य की प्राप्ति के लिये है । अितना ही नहीं, अिसमें यह भी मांग की गयी है कि हमारा वह ज्ञान, वह सामर्थ्य और वह भोजन भगवान् अेकत्र कराये । अिसमें केवल पालन की प्रार्थना नहीं है । अेकत्र पालन की प्रार्थना है । शाला में जिस प्रकार गुरु और शिष्य होते हैं अुसी प्रकार सर्वत्र द्रवैत है । परिवार में पुरानी और नयी पीढी, समाज में स्त्रीपुरुष, वृद्धतरुण, अिक्षितअशिक्षित आदि भेद हैं । अुसमें फिर गरीब अमीर का भेद भी है । अिस कार सर्वत्र भेद नजर आता है । हमारे अिस हिन्दुस्थान में तो असंख्य भेद हैं । यहां प्रान्तभेद है । यहां का स्त्रीवर्ग बिलकुल अलग रहता है । अिसलिये यहां स्त्री और पुरुष में भी बहुत बड़ा भेद है । हिन्दू और मुसलमानों का भेद तो प्रसिद्ध ही है । परन्तु हिन्दू-हिन्दुओं में भी हरिजन और दूसरों में भेद है । अिस प्रकार हिन्दुस्थान में अपार भेद भरे हुअे हैं । हिन्दुस्थान की तरह वे संसार में भी हैं । अिसलिये अिस मंत्र में यह प्रार्थना की गयी है कि हमें “अेकत्र तार, अेकत्र मार” । मारने की प्रार्थना प्रायः कोअी करता नहीं । अिसलिये यहां अेकत्र तारने की ही प्रार्थना है । लेकिन ‘यदि तुझे मारना ही हो, तो कम से कम अेकत्र मार’ अैसी प्रार्थना है । सारांश

“हमें दूध देना है तो अेकत्र दे, सूखी रोटी देना है तो भी अेकत्र दे, हमारे साथ जो कुछ करना है वह सब अेकत्र कर;” अैसी प्रार्थना अिस मंत्र में है।

यह भेद दूर कैसे हो ?

आज हिन्दुस्थान में अेक बात सबकी जीभ पर है। सभी कहते हैं कि यह भेद जितना कम करोगे अुतना ही देश आगे बढेगा। बेहात के लोग, याने किसान, और शहुरानी, गरीब और श्रीमान्, अिनका अन्तर जितना कम होगा अुतना ही देश का कदम आगे बढेगा। अिसके विषय में शायद ही किसी का मतभेद हो। लेकिन तोभी यह भेद, यह अन्तर, कम नहीं होता। अन्तर दो तरह से काटा जा सकता है। अूपरवालों के नीचे अुतरने से और नीचेवालों के अूपर अुठने से। परन्तु दोनों ओर से यह नहीं होता। हम सेवक कहते हैं। लेकिन किसान-मजदूरों की तुलना में तो चोटी पर ही हैं। दादा ने कल अपने व्याख्यान में कहा— में अुनके शब्द नहीं दुहरा रहा हूं, अुनका भावार्थ कह रहा हूं—कि वे भोग और अैश्वर्य भी चाहते हैं। भोगों की जरूरत है या नहीं अिस विवाद में पड़ने की यहां जरूरत नहीं।

भोग और अैश्वर्य किसे कहें ?

लेकिन सवाल यह है कि भोग और अैश्वर्य कहे किसे ? मैं अच्छा सुग्रास भोजन करूं और पडोस में ही दूसरा भूखों मरता रहे, अिसे? अुसकी नजर बराबर मेरे भोजन पर रहे और मैं अुसकी परवाह न करूं ? अुसके आक्रमण से अपनी थाली की रक्षा करने के

लिअे अेक डंडा लकर बैठूं ? मेरा सुग्रास भोजन और डंडा तथा अुसकी भूख—क्या अिन्हें अैश्वर्य मानें ? अेक सज्जन आ कर मुझसे कहने लगे कि “हम दो आदमी अेकत्र भोजन करते हैं। परन्तु हमारी निम नहीं सकती। मैंने अब अलग भोजन करने का निश्चय किया है।” मैंने पूछा, “सो क्यों ?” अुन्होंने जवाब दिया— “मैं नारंगियां खाता हूं। वे नहीं खाते। वे मजदूर हैं, अिसलिअे वे नारंगियां खरीद नहीं सकते। अिसलिअे अुनके साथ खाना मुझे अप्रशस्त लगता है।” मैंने पूछा, “लेकिन क्या अलग घर में रहने से अुनके पेट में नारंगियां चली जायेंगी ? आप दोनों में जो व्यवहार आज हो रहा है, वही ठीक है। जबतः दोनों साथ खाते हो तबतक दोनों के निकट आने की संभावना है। अेकाध वार तुम अुसे नारंगियां लेने का आग्रह भी करोगे। लेकिन यदि तुम दोनों के बीच सुरक्षितता की दीवाल खड़ी कर दी गयी, तो भेद चिरस्थायी हो जायेगा। दीवाल को सुरक्षितता का साधन मानना कैसा भयंकर है ! हिन्दुस्थान में हम सब कहते हैं, हमारे संतों ने तो पुकार पुकार कर कहा है, कि अीश्वर सर्वसाक्षी है, सर्वत्र है। फिर दीवाल की ओट में छिपने से क्या फायदा ? अिससे दोनों का अन्तर थोडे ही घटेगा ? ”

सेवकों का भी यही हाल

यही हाल हम खादीधारियों का भी है। जनता के अन्दर अभी खादी का प्रवेश ही नहीं हुआ है। अिसलिअे जितने खादीधारी हैं, वे सब सेवक ही हैं। खादीधारियों का सम्मेलन ‘सेवक वर्ग का मेला’ ही है। यह कहा जाता है कि हमें और आपको गांवों में जाना

चाहिए। लेकिन देहात् में जाने पर भी वहां के लोगों को जहां सूखी रोटी भी नहीं मिलती, तहां में पूड़ी खाता हूं। मेरा घी खाना अुस भूखे को नहीं खटकता। आज भी किसान कहता है कि अगर मुझे पेटभर मिल जाय तो तेरे घो की भुझे बीर्ष्या नहीं। मुझे तेल ही मिलता रहे तो भी तसल्ली है। यह भेद अुसे भले ही न अखरता हो, लेकिन हम सेवकों को बहुत अखरता है। लेकिन यह अिस तरह कब्रतक चलता रहेगा। पारसाल में अेक अन्छा दुबलापतला जीव था। अिस साल मुटिया गया हूं। मुझे यह मुटापा बहुत खटकता है। मैं भी अुन्हीं लोगों जैसा दुबलापतला हूं यह संतोष अव जाता रहा। पहले मेरे गाल अुनके जैसे चिपके थे। अब तो मेरे शरीर पर सुर्खी छा गयी है।

देहाती रहनसहन में सुधार

यहां टंगी हुआ अेक तख्ती पर लिखा है कि आवश्यकतायें बढ़ाते रहना सभ्यता का लक्षण नहीं है। बल्कि आवश्यकताओं का संस्करण सभ्यता का लक्षण है। तो भी मैं कहता हूं कि देहातियों की आवश्यकतायें बढ़नी चाहियें। वे सुधरनी भी चाहियें। लेकिन अुनकी आवश्यकतायें आज तो पूरी ही नहीं होतीं। अुनका रहनसहन बिलकुल गिरा हुआ है। अुनके जीवन का मान बढ़ना चाहिये। मोटे हिसाब से तो यही कहना पड़ेगा कि आज हमारे गरीब देहातियों की आवश्यकतायें बढ़नी चाहियें।

मछुओं का दृष्टान्त

योगशास्त्र में मैंने पढा है कि जो अहिंसक है अुसके आसपास हिंसा नहीं होती।

मेरा अिस वचन पर पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने नित्य क्या देखता हूं? पवनार में मेरे घर के सामने घाम नदी है। भागवतजी को मैंने वहां बुलाया है। वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को अल्प आहार और भरपूर स्नान से संतोष है। वह मैं अुन्हें वहां दे सकता हूं। हां, तो मैं कह रहा था कि अुस नदी पर मैं अेक दूसरा दृश्य भी देखता हूं। मछुअे वहां रोज असंख्य मछलियां मारते हैं। मछुअे परम अुद्योगी हैं। अुनके समान अुद्योगी दूसरा कोअी नहीं। सबैरे से शाम तक मछली मारने का अुनका अुद्योग बराबर चलता रहता है। और जब मछली नहीं मारते तो रास्ता चलते हुए भी अपना जाल गूथते रहते हैं। मेरी आंखों के सामने रोज यह हिंसा चलती रहती है। मैं सोचता हूं कि मैं भी कैसा योगी हूं!

मछुओं की व्यवसाय निष्ठा

अेक दिन दगडू (मेरा साथी) नंगे सिर और नंगे बदन नहाने गया। मछुओं ने गिडगिडाकर अुससे कहा, " महाराज, हमारे पेट पर न मारो!" वह आश्चर्य से पूछने लगा, " मैंने क्या किया, जिससे तुम्हारा पेट मारा गया?" वे बोले, " तुम नंगे सिर आये। असगुन होगया। अब मछलियां पकडी नहीं जा सकेंगी। अैसी करनी न करो महाराज!" अुनकी अैसी भावना है। वे हमारी अपेक्षा किसी कद्र कम नहीं। अुनकी दृष्टि से तो वे अीश्वर-स्मरणपूर्वक ही मछलियां मारते हैं। मैं अुन्हें किस मुंह से कहूं कि, ' तुम मछलियां मत मारो?' क्या अुनसे गणपतराव की दूकान से तेल खरीदने को कहूं? वे कहेंगे

असके लिये पैसे देने पड़ते हैं। मच्छालियों से वह यों ही मिल जाता है।

वृत्ति परिवर्तन की आवश्यकता

मेरा मतलब यह है कि यदि हम गांवों में जा कर बैठे हैं तो हमें इसके लिये जोरों की कोशिश करनी चाहिये कि देहातों का रहनसहन कैसे ऊपर अठेगा और हमारा कैसे अतरेगा। लेकिन हम जरा जरासी बातें भी तो नहीं करते। महीना डेढ़ महीना हुआ, मेरे पैर में चोट लग गयी है। किसीने कहा उसे मरहम लगाओ। मरहम मेरे मुकाम पर आ भी पहुँचा। किसीने कहा मोम लगाओ, असेसे ज्यादा फायदा होगा। मैंने निश्चय किया कि मरहम और मोम दोनों आखिर मिट्टी के ही वर्ग के तो हैं। असलिये मिट्टी लगा ली। अभी पैर विलकुल अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन अब मजे में चल सकता हूँ। कल पवनार से यहां तक चल कर आया और वापस भी पैदल ही गया। हमे मरहम जल्दी याद आयेगा, लेकिन मिट्टी लगाना नहीं मूझेगा। असेमें हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं।

यहां अभी यज्ञोपवीत की विधि हुआ। यज्ञोपवीत सूर्य को दिखा कर धारण करना चाहिये। 'सूर्याय दर्शयित्वा'। यहां यह हुआ या नहीं मुझे पता नहीं। (पुरोहितजी से) कहिये यहां 'सूर्याय दर्शयित्वा' हुआ कि नहीं? (पुरोहितजी बोले) जी हां। हमारे सामने अतना बड़ा सूर्य खड़ा ह। असे अपना नंगा शरीर दिखाने की हमें बुद्धि नहीं होनी। सूर्य के सामने अपना शरीर खुला करो। तुम्हारे सारे रोग भाग जायेंगे।

लेकिन हम अपनी आदत और शिक्वा से लाचार हैं। डॉक्टर जब कहेगा कि तुझे तपेदिक हो गया तब वही करेंगे।

हम अपनी जरूरतें किस तरह कम कर सकेंगे, असकी खोज करनी चाहिये। मैं यहां संन्यासी का धर्म नहीं बतला रहा हूँ। खासा सद्गृहस्थ का धर्म बतला रहा हूँ। ठंडी आबोहवावाले देशों के डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों की हड्डियां बढ़ाने के लिये अन्हें 'कॉड लिवर ऑयल' दो। जहां सूर्य नहीं है असे देशों में ('अनसनी क्लाअिमेट' में) दूसरा चारा ही नहीं है। कॉड लिवर के बिना बच्चे गुदगुदे नहीं होंगे। यहां सूर्यदर्शन की कमी नहीं। यहां यह महा 'कॉड लिवर ऑयल' भरपूर है। लेकिन हम असका अुपयोग नहीं करते। असी हमारी दशा है। हमें लंगोटी पर शर्म आती है। छोटे बच्चों पर भी हम कपडे की वार्निडिंग (जिल्द) चढ़ाते हैं। नंगे बदन रहना असभ्यता का लक्षण माना जाता है। वेदों में प्रार्थना की गयी है कि,

“मा नः सूर्यस्य सदृशो युयोथाः।”

“हे ओश्वर, मुझे सूर्यदर्शन से दूर न रख !” वेद और विज्ञान दोनों कहते हैं कि खुले शरीर से रहो। कपडे की जिल्द में कल्याण नहीं। हम अपने आचार से यह विनाशक चीज गांवों में दाखिल न करें। हम देहात में जाने पर भी अपने बच्चों को आधी या पूरी लंबाअी की पतलून पहनाते हैं। असमें अुन बच्चों का कल्याण तो है ही नहीं। बल्कि अेक दूसरा अशुभ परिणाम यह निकलता है कि दूसरे बच्चों में और अुनमें भेद पैदा हो जाता है। या फिर दूसरे लोगों को भी

अपने बच्चों को सजाने का शौक होता है। अके फ़ज़ूल की ज़रूरत पैदा हो जाती है। हमें देहातों में जा कर अपनी ज़रूरतें कम करनी चाहियें। यह अके पहलू से विचार हुआ।

भारत का महारोग

देहातों की आमदनी बढ़ाना इस विचार का दूसरा पहलू है। लेकिन वह कैसे बढ़ायी जाय ? हममें आलस बहुत है। वह महान् शत्रु है। अके का विशेषण दूसरे को जड़ देना साहित्य में अके अलंकार माना गया है। "कहे लड़की से, लगे बहू को" इस अर्थ की जो कहावत है, उसका भी अर्थ यही है। बहूको यदि कुछ जलीकटी सुनानी हो तो सास अपनी लड़की को सुनाती है। उसी तरह हम कहते हैं, 'देहाती लोग आलसी हो गये।' दर असल आलसी तो हम हैं। यह विशेषण पहले हमें लागू होता है। हम इसका अणुपर आरोप करते हैं। बेकारी के कारण अणुके शरीर में आलस भले ही भिद गया हो, परन्तु अणुके मन में आलस नहीं है। अणु बेकारी का शौक नहीं है। लेकिन यदि सच कहा जाय, तो हम कार्यकर्ताओं के तो मन में भी आलस है और शरीर में भी। आलस्य हिन्दुस्थान का महारोग है। यह बीज है। बाहरी महारोग इसका फल है। हमें इस आलस को दूर करना चाहिये। सेवक को सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना चाहिये। और कुछ नहीं तो गांव की परिक्रमा ही लगावे। और कुछ न मिले तो हड़ियां ही अिकट्ठी करे। यह भगवान् शंकर का कार्यक्रम है। हड़ियां अिकट्ठी करके चर्मालय में भेज दे। इससे आशु-तोष भगवान् शंकर प्रसन्न होंगे। या अके बाल्टी में मिट्टी लेकर उसे रास्ते पर जहां जहां खुला हुआ मैला पड़ा हो उसपर

झालता फिरे। अच्छी खाद बनेगी। इसके लिये खास फौशल की ज़रूरत नहीं है।

कुशल औजार

हमारे सेनापति बापट ने अके कविता में कहा है कि, 'बुहारी, खपरा और खुरपा ये औजार धन्य हैं'। ये कुशल औजार हैं। जिस औजार का अ्युपयोग अकुशल मनुष्य भी कर सकता है, उसे बनानेवाला अधिक से अधिक कुशल होता है। जिस औजार के अ्युपयोग के लिये कमसे कम कुशलता की ज़रूरत हो वह ज्यादा से ज्यादा कुशल औजार है। खपरा और झाड़ू ऐसे औजार हैं। झाड़ू सिर्फ़ फिराने की देर है। भूमाता स्वच्छ हो जाती है। खपरिया में जरा भी आनाकानी किये बिना मैला आ जाता है। यंत्र शास्त्र के प्रयोग इस दृष्टि से होने चाहियें। खपरा, खुरपा और झाड़ू के लिये पैसे नहीं देने पड़ते। इसलिये ये सीधेसादे औजार धन्य हैं।

केवल हवाखोरी मना है

रामदास ने अपने 'दासबोध' में सुबह से शामतक की दिनचर्या बतलाते हुए कहा है कि सबेरे दिशा के लिये बहुत दूर जाओ और वहांसे लौटते हुए कुछ न कुछ लेते आओ। वे कहते हैं कि रीता आना खोटा काम है। सिर्फ़ हाथ हिलाते नहीं आना चाहिये। कोबी कहते हैं कि हम तो हवा खाने गये थे। लेकिन हवा खाने का काम से विरोध क्यों हो ? कुदाली से खोदते हुए क्या नाक बंद कर ली जाती है। हवा खाना तो निश्चय चालू ही रहता है। परन्तु श्रीमान् लोग हमें, ग़िला हवा वाली जगह में

बैठे रहते हैं। इसलिये उनके लिये हवा खाना भी अंक काम हो जाता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को हमेशा खुली हवा में काम करने की आदत होनी चाहिये। वापस आते हुअे वह अपने साथ कुछ न कुछ जरूर लाया करें। देहात में दतीन ला सकता है। लीपने के लिये गोबर ला सकता है और अगर कुछ न मिले तो कमसे कम किसी अंक खेत के कपास के पेड़ ही गिन कर आ सकता है; यानी फसल का ज्ञान अपने साथ ला सकता है। मतलब, अुसे फिजूल चक्कर नहीं काटने चाहिये। देहात में काम करनेवाले ग्रामसेवक को सुबह से शाम तक कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिये।

अंक मुंह पीछे दो हाथ

अब लोगों की शक्ति कैसे बढ़ेगी इसके विषय में कुछ कहूंगा। देहातों में वेकारी और आलस बहुत है। देहात के लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, 'महाराज, हम लोगों का बुरा हाल है। घर में चार खानेवाले मुंह हैं।' वे मुझे महाराज क्यों कहते हैं, कौन जाने। मेरे पास कौनसा राज धरा है? मैं अुनसे पूछता हूं, 'अरे भाजी, घर में अगर खानेवाले मुंह न हों तो क्या बगैर खानेवाले हों? बगैरे खानेवाले मुंह तो मुर्दों की होते हैं। अुन्हें तो तुरन्त बाहर निकालना होता है। तुम्हारे घर चार खानेवाले मुंह हैं, यह तो तुम्हारा बंधव है। अुनका तुम्हें भार क्यों हो रहा है? भगवान ने आदमी को अगर अंक मुंह दिया है तो अुसके साथ साथ दो हाथ भी दिये हैं। अगर वह अंक समूचा मुंह और आधा ही हाथ देता तो अलबत्ता मुश्किल थी। तुम्हारे यहां

अगर चार मुंह हैं तो आठ हाथ भी तो हैं। तिसपर भी शिकायत क्यों?' लेकिन हम अुन हाथों का अुपयोग करें तब न? हमें तो हाथ पर हाथ धर कर बैठने की आदत जो हो गयी है, हाथ जोड़ने की आदत जो हो गयी है! जब हाथ चलना बन्द हो जाता है तो मुंह चलना शुरू हो जाता है। फिर खानेवाले मुंह आदमी को ही खाने लगते हैं।

सव्यसाची बने

हमें अपने दोनों हाथों से अंकसा काम करना चाहिये। पवनार में कुछ लडके कातने आते हैं। अुनसे कहा 'बायें हाथ से कातना शुरू करो।' अुन्होंने यहीं से कहना शुरू किया कि 'हमारी मजदूरी कम हो जायगी। बायें हाथ दाहिने की बराबरी नहीं कर सकेगा।' मैंने कहा 'यह क्यों? दाहिने हाथ के अगर पांच अुंगलियां हैं तो बायें हाथ के भी हैं। फिर क्यों नहीं बराबरी कर सकेगा?' निदान मैंने अुनमें से अंक लडका चुन लिया और अुससे कहा कि 'बायें हाथ से कात।' अुसे जितनी मजदूरी कम मिलेगी अुतनी पूरी कर देने का जिम्मा मैंने लिया। चौदह रोज में वह साढे चार रुपया कमाता था। बायें हाथ से पहले पाख में ही अुसे करीब तीन रुपये मिले। दूसरे पाख में बायें हाथ दाहिने की बराबरी पर आ गया। अंक रुपया मैंने अपनी गिरह से पूरा किया। लेकिन अुससे सब की आंखें खुल गयीं। यह कितना बड़ा लाभ हुआ? मैंने लडकों से पूछा कि 'क्यों लडको, अिसमें फायदा है कि नहीं।' वे कहने लगे, 'हां, क्यों नहीं?' दाहिना हाथ भी तो आठ घण्टे लगातार काम करने में धीरे धीरे थकने लगता है। अगर दोनों

हाथ तैयार हों तो अदल बदल कर सकते हैं और थकावट विलकुल नहीं आती। अट्टाजीस के अट्टाजीस लडके बाँये हाथ का प्रयोग करने के लिये तैयार हो गये !

पवनार के परिश्रमालय में जो लडके हैं वे अब दोनों हाथों से कात सकते हैं। शुरू शुरू में हाथ में थोडा दर्द होने लगता है। लेकिन यह सात्विक दर्द है। सात्विक सुख असा ही होता है। अमृत भी शुरू शुरू में जरा कड़ुआ ही लगता है। पुराणों का वह अेकदम मीठा ही मीठा अमृत वास्तविक नहीं। अमृत अगर जैसा कि गीता में कहा है सात्विक हो तो वह मीठा ही मीठा कैसे हो सकता है ? गीता में बताया हुआ सात्विक सुख तो प्रारम्भ में कड़ुआ होता है। मेरी बात मान कर लडकों ने तीन महीनों तक सिर्फ बायें हाथ से कातने का प्रयोग करने का निश्चय किया। नुकसान भी खुद ही सहने का निश्चय किया। तीन महीने मानो दाहिना हाथ विलकुल भूल ही गये। यह कोअी छोटी तपस्या नहीं हुआी।

मुँहजोरी की जगह हाथजोरी

में अिस बात का ढिंढोरा पीटना नहीं चाहता। आजकल अिशितहारवाजी बहुत चल पडी है। कभी कभी हम अखबारों में पढते हैं कि लाहीर में अेक बडा भारी अखाडा खोला गया है। जा कर देखिये तो दो तीन व्यक्ति कुछ व्यायाम करते हैं। अुन्हें तो सिर्फ प्रसिद्धि की चाह है। काम करके जो हासिल करनी है वह प्रसिद्धि संतमेत ही मिल जाती है। यह कितनी कर्मकुशलता है। अस्तु। पवनार में बायें हाथ ने दाहिने हाथ की बराबरी की। बल्कि कअीअेकों का तो बायें हाथ बाजी मार

ले गया। जो लडके पहले चार आने से अधिक नहीं कमा सकते थे वे अब दोनों हाथों से अुतने ही समय तककात कर डेढ गुणा कमाने लगे हैं। अिसे कहना चाहिये देहात की आमदनी की बढती। यह मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। क्यों कि पहले मैं खुद अपने हाथ से करके देखता हूँ। मेरा तो यही नियम है कि देहात की आमदनी बढाना हो तो अपने आपसे शुरू करो। जबतक कोअी भी काम में अपने हाथ से नहीं करूंगा तबतक अुसकी कठिनाअियां भी ध्यान में नहीं आयेंगी। कठिनाअियों का अनुभव होने पर ही सुधार हो सकता है। केवल गाल बजाने से यह नहीं होगा। मुँहजोर को हाथजोर बनना चाहिये। अिसी नरीके से मैं कातनेवालों की कमाअी डेढ गुनी बडा सका। तीस मजदूरों से मेरा नित्य सम्बन्ध था। अिसी तरह सम्पत्ति बढेगी। मैं अपना जीवन अिसी प्रकार नीचे अुतार कर अुनका जीवन अूपर को ला सका। अैसे दोहरे प्रयास से हम आलस जीत सकेंगे।

अनिन्दा का व्रत

देहात में निन्दा का दोष काफी दिखलायी देता है। शहर के लोग अुससे बरी हैं अैसी बात नहीं। लेकिन यहां में देहात के ही विषय में कह रहा हूँ। निन्दा सिर्फ पीठ पीछे जिन्दा रहती है। अुससे किसी का भी फायदा नहीं होता। जो करता है अुसका मुह खराब होता है और जिसकी निन्दा की जाती है अुसकी कोअी अुन्नति नहीं होती। मैं यह जानता तो था कि देहातियों में निन्दा करने की आदत होती है। लेकिन यह रोग अितने अुग्र रूप में

फैल गया होगा जिसका मुझे पता नहीं था। अघर कुछ दिनों से मैं सत्य और अहिंसा के बदले सत्य और अनिन्दा कहने लगा हूँ। हमारे सन्तों की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उनके वाङ्मय का रहस्य अब मेरी समझ में आया। वे देहातों से भलीभाँति परिचित थे। जिसलिये अन्होंने जगह जगह कहा है कि निन्दा न करो, चुगली न करो। सन्तों के लिये मेरे मन में छुटपन से ही भक्ति है। उनके किये हुये भक्ति और ज्ञान के वर्णन मुझे बड़े मीठे लगते थे। लेकिन मैं सोचता था कि 'निन्दा मत कर' कहने में क्या बड़ी विशेषता है? अन्की नीति विषयक कवितायें मैं पढ़ता तो था, लेकिन वे मुझे भाती नहीं थीं। परस्त्री को माता के समान समझो, पराया माल न छुओ और निन्दा न करो—अितने में अन्की नैतिक शिक्षा की पूंजी खतम हो जाती थी। भक्ति और ज्ञान के साथ साथ अुसी श्रेणी में वे अिन चीजों को भी क्यों रखते थे यह मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन अब खूब अच्छी तरह समझ गया हूँ। निन्दा का दुर्गुण अन्होंने हमारी नस-नस में पैठा हुआ देखा, जिसलिये अन्होंने अनिन्दा पर बार बार अितना जोर दिया और अुसे अेक बड़ा भारी सद्गुण बतलाया। कार्यकर्ताओं को यह शपथ ले लेनी चाहिये कि वे न तो निन्दा करेंगे और न सुनेंगे। निन्दा में अकसर गलती और अत्युक्ति होती है। साहित्य में अत्युक्ति भी अेक अलंकार माना गया है। संसार चौपट कर दिया है अिन साहित्यवालों ने। वस्तुस्थिति को दुगुना तिगुना, दसगुना, बीसगुना बढ़ा कर बताना अुनके मत से अलंकार है। तो क्या जो

चीज जैसी है अुसे वैसी ही बताना अपनी नाक काटने के समान है? कथाकार और प्रवचनकार की अत्युक्ति का कोअी ठिकाना ही नहीं। अेक को सौगुना बढ़ाने का नाम अतिशयोक्ति है असा अुसका कोअी नाप होता तो अतिशयोक्ति पर से वस्तुस्थिति की कल्पना कर सकते। लेकिन यहां तो कोअी हिसाब ही नहीं है। वे अेक में सौ का गुना नहीं करते बल्कि शून्य को सौगुना बढ़ाते हैं। सौ में अनन्त का गुना करने से कोअी अेक अंक आता है असा सुनता हूँ, लेकिन वह तो गणितज्ञ ही जानें।

सचाओ का सूक्ष्म अभ्यास

तीसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वह है सचाओ। हमारे कार्यकर्ताओं में स्थूल अर्थ से सचाओ है। लेकिन सूक्ष्म अर्थ से नहीं। अगर मैं किसीसे कहूँ कि तुम्हारे यहां सात बजे आऊंगा, तो वह पांच ही बजे से मुझे लेने के लिये मेरे यहां आ कर बैठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अिस हिन्दुस्थान में जो कोअी किसी खास वक्त आने का वादा करता है, वह अुस वक्त आयेगा ही अिसका कोअी नियम नहीं। जिसलिये वह पहले से ही आ कर बैठ जाता है। सोचता है कि दूसरे के भरोसे काम नहीं बनता। जिसलिये हमें हमेशा बिलकुल ठीक बोलना चाहिये। किसी गांव वाले से आप कोअी काम करने के लिये कहिये तो वह कहेगा, 'जी, हाँ'। लेकिन अुसके दिल में वह काम करना नहीं होता। हमें टालने के लिये वह 'जी, हाँ' कह देता है। अुसका मतलब अितना ही होता है कि अब ज्यादह तंग न कीजिये। 'जी, हाँ' से अुसका

मतलब है कि यहां से तशरीफ ले जाओ। उसके 'हां, जी,' में थोड़ा अहिंसा का भाव होता है। वह 'आगे बढ़ो' कहकर आपके दिल को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। आपको वह ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। इसलिये 'जी हां,' कहकर जान बचा लेता है।

राजकोट का दृष्टान्त

इसलिये कोओ भी चीज जो हम देहातियों से कराना चाहें वह अन्हें समझा भर देनी चाहिये। अन्हसे शपथ या व्रत न लिवाना चाहिये। जबसे मैं देहात में गया तबसे किसीसे किसी बात के विषय में वचन लेने की मुझे चिढ-सी होगयी है। अगर मुझसे कोओ कहे भी कि मैं यह चीज करूंगा तो भी मैं अन्हसे यही कहूंगा कि 'यह तुझे अंचती है न? बस तो अतना काफी है। वचन देने की जरूरत नहीं। तुझसे हो सके तो कर!' लोगों को अन्हकी अुपयोगिता समझा कर संतोष मान लेना चाहिये। क्योंकि किसीसे कोओ काम करने का वचन लेने के बाद वह काम कराने की जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। अगर वह अपना वचन पूरा न करे तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अन्हसे झूठ बोलने में सहायता करते हैं। राजकोट प्रकरण और दूसरी क्या चीज है? अगर कोओ हमारे सामने किसी विषय में वचन दे दे और फिर अन्हसे पूरा न करे तो अन्हमें हमारा भी अधःपात होता है। इसीलिये बापू को राजकोट में अतना सारा प्रयास करना पडा। इसीलिये वचन, नियम या व्रत में किसी को बांधना नहीं चाहिये। और अगर किसी से वचन लेना ही पड़े तो वह वचन अपना समझ कर अन्हसे पूरा कराने की सावधानी

पहले रखनी चाहिये। अन्हसे पूरा करने में हर तरह से मदद करनी चाहिये। सचाबी का यह गुण हमारे अन्दर होना चाहिये।

सूक्ष्म असत्य

बाइबल में कहा है, अीश्वर की कसम न खाओ। जब तुम्हारे दिल में 'हां' हो तो हां कहो और 'ना' हो तो ना कहो; लेकिन हमारे यहां तो रामबुहाभी भी काफी नहीं समझी जाती। कोओ भी बात त्रिवार वचन के बिना पक्की नहीं मानी जाती। सिर्फ हां कहने का अर्थ अतना ही है कि 'तुम्हारी बात समझ में आ गयी। अब देखेंगे, विचार करेंगे'। किसी मजबूत पत्थर पर अेक दो घाव लगाअिये तो अन्हसे पत्ता भी नहीं चलता। दस पांच मारिये तब कहीं वह सोचने लगता है कि शायद कोओ व्यायाम कर रहा है। पचास घाव लगाअिये तब कहीं अन्हसे पता चलता है कि 'अरे, यह व्यायाम नहीं कर रहा है। यह तो मुझे फोडने जा रहा है।' अेक बार हां कहने का कोओ अर्थ ही नहीं। दो बार कहने पर वह सोचने लगता है कि मैंने हां भर दी है। और जब तीसरी बार हां कहता है तब अन्हके ध्यान में आता है कि मैंने जानबूझ कर हां कहा है। हिन्दुस्थान का अिस तरह व्यवहार चलता है। अिस सबका अर्थ अतना ही है कि सूक्ष्म दृष्टि से झूठ हमारी नसनस में भिद गया है। इसलिये कार्यकर्ताओं को अपने लिये यह नियम बना लेना चाहिये कि, जो चीज करना कबूल करें, अन्हसे करके ही दम लें। अिस में तनिक भी गलती न करें। दूसरे से कोओ वचन न लें। अन्ह झंझट में न पड़ें।

सारांश

तो मैंने अबतक तीन बातें आपके सामने रखीं। पहली यह कि हम अपनी आवश्यकतायें कम करें, और देहातियों की आवश्यकतायें तथा अनुकी कमायी बढावें, और इस तरह दोनों के जीवन में जो अन्तर है उसे कम करें। दूसरी यह कि हम खुद किसी की निन्दा न करें और दूसरों की की हुअी निन्दा न सहें। और तीसरी यह कि सचाओ का ठीकठीक मतलब समझ कर उसे अपने आचरण में दाखिल करें।

पुरानी और नयी पीढी

अब कार्यकर्ताओं से कार्यकुशलता के बारे में दो अेक बातें कहना चाहता हूं। जब हम कार्य करने जाते हैं तो चालू पीढी के बहुत पीछे पडते हैं। चालू पीढी का तो विशेषण ही चालू है। वह चलती चीज है। उसकी सेवा कीजिए। लेकिन उसके पीछे न पडिए। उसके शरीर के समान उसका मन और उसके विचार भी अेक ढांचे में ढले हुए होते हैं। जो नयी बात कहनी हो यह नबजवानों से कहनी चाहिए। युवकों में भेरी श्रद्धा बढ रही है। तरुणों के विचार और विकार दोनों बलवान होते हैं। इसी-लिये कुछ लोग अुन्हें अुच्छृंखल भी कहते हैं। इसमें सचाओ अितनी ही है कि वे बलवान और वेगवान होते हैं। अगर अुनके विकार जबरदस्त हो सकते हैं तो वैराग्य भी जबरदस्त हो सकता है। जैसे जैसे अुम्र बढती है वैसे वैसे विकारों का भी शमन होता है। मोटे हिसाब से यह सच है। लेकिन इसका कोअी विश्वास नहीं। यह कोअी शास्त्र नहीं है। हमारी बात चालू

पीढी को अगर जँचे तो अच्छा ही है; और अगर न जँचे तो भी कोअी हानि नहीं। भावी पीढी हाथ में लेनी चाहिए। युवक ही नये नये कामों में हाथ डालते हैं, बूढे नहीं। विकार किस तरह बढते या घटते हैं यह मैं नहीं जानता। लेकिन अितना तो मानना ही पडेगा कि वुद्धों की वनिस्वत तरुणों में अुम्मीद और हिम्मत ज्यादा होती है।

फलप्राप्ति की अधीरता

दूसरी बात यह है कि कार्य शुरू करते ही अुसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। पांच दस साल काम करने पर भी कोअी फल न आता हुआ देख कर निराश नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्थान के लोग बीस हजार साल के बूढे हैं। जब किमी गांव में कोअी नया कार्यकर्ता जाता है तो वे सोचते हैं कि अँसे तो कअी देखे। साधुसन्त भी आये और गये। नया कार्यकर्ता कितने दिन टिकेगा अिसके विषय में अुन्हें सन्देह होता रहता है। अगर अेक दो साल टिक गया तो वे सोचते हैं कि शायद टिक भी जाय। अनुभवी समाज है। वह प्रतीवपा करता रहता है। अगर वे अपनी या हमारी मृत्यु तक भी राह देखते रहें तो कोअी बडी बात नहीं है।

वैतनिक कार्यकर्ता

अेक कार्यकर्ता के सामने यह सवाल खडा है कि वह गांधीसेवासंघ से तनरुवाह ले या न ले। वह देहात में भैला साफ करने का काम करता है। वह मुझसे कहने लगा कि अितने दिन अुझे मैं सचाओ का काम करता

हूँ लेकिन लोगों पर उसका कुछ भी असर नहीं। बिलकुल पक्के हो गये हैं। अक स्त्री तो कहने लगी कि यह भंला साफ करता है जिसमें कौनसा अहसान है। गांधीसेवासंघ से तनख्वाह जो पाता है। जिसलिये अकके सामने यह सवाल पेश है कि अंसी हालत में वे गांधीसेवासंघ से तनख्वाह लें या न लें। मैंने अकसे कहा कि तनख्वाह भी लो और काम भी जारी रखो। अगर वह स्त्री फिर टोके तो अकसे कहो 'हां, गांधी सेवा संघ से तनख्वाह लेता हूँ और काम भी करता हूँ। काम करता हूँ जिसलिये तनख्वाह लेता हूँ। नहीं तो क्या मुफ्त में काम करूँ? या मुफ्त की तनख्वाह लूँ। तुम तनख्वाह दो तो तुमसे ले लूँ। कहो, देती हो?' लेकिन मेरी बात कार्यकर्ता के गले कैसे अतरे? वह अपने दिल में समझता है कि मैं भंगी से बड़ा हूँ। असे समझना चाहिये कि भंगी जिस तरह काम करता है और वेतन लेता है असी तरह मैं भी काम करके वेतन लेता हूँ। लेकिन अकसे तो दिल के किसी कोने में यह भावना दबी हुआ रहती है कि मैं तो परोपकारी भंगी हूँ। अगर मैं तनख्वाह लेने लगूँ तो निरा भंगी ही बन जाऊँगा। तो फिर क्या सारा जन्म भंगी ही रहूँगा? असा असे डर लगता है। असे यह आशा होती है, कि ज्यों ही मैं भंगी काम शुरू करूँगा, लोग तुरन्त साथ देने लगेंगे। लेकिन लोग फौरन साथ नहीं देते। असी आशा भी नहीं रखनी चाहिये। गीता भी यही कहती है कि फल की आशा न रखो। जिसलिये कार्यकर्ता को मौजूदा पीढी की सेवा ही करते रहना चाहिये। फल के लिये कम से कम अगली पीढी तक धीरज रखना

चाहिये। यह अक बात हुआ।

समरसता का अर्थ

दूसरी बात यह है कि देहातियों से समरस होने का ठीकठीक मतलब समझना चाहिये। अकका रंग हम पर भी चढ जाये, अक का नाम अकसे मिलना नहीं है। अक तरह मिलने से तद्रूपता आने लगती है। मेरे मत से समाज के प्रति आदर का जितना महत्त्व है अतना परिचय का नहीं है। समाज के साथ समरस होने से अक का लाभ ही होगा अंसी बात नहीं। अगर हम असा मानें तो अकमें अहंकार है। हम क्या कोअी पारस-पत्थर हैं कि हमारे केवल स्पर्श से समाज की अन्नति होगी? केवल समाज से समरस होने से काम होगा असा मानने में जडता है। रामदास कहते हैं, 'मनुष्य को ज्ञानी और अदाखीन होना चाहिये। समुदाय का हीसला रखना चाहिये। लेकिन अखंड और स्थिर होकर अकान्त सेवन करना चाहिये।' वे कहते हैं कि, 'कोअी जल्दी नहीं है। शान्ति से और अखण्ड अकान्त सेवन करो!' अकान्त सेवन से आत्म-परीक्षण का मौका मिलता है। लोगों से किस हद तक सम्पर्क बढाया जाय यह ध्यान में आता है। अन्यथा अपना निजी रंग न रह कर अकपर दूसरे रंग चढने लगते हैं। कार्यकर्ता फिर देहातियों के रंग का ही हो जाता है। अकसे चित्त में व्याकुलता पैदा होती है और वह ठीक भी होती है। फिर अकका जी चाहता है कि किसी वाचनालय या पुस्तकालय की पनाह लूँ। अकाध बडे आदमी के पास जा कर कहने लगता है कि मैं दो चार महीने आपका सत्संग करना चाहता

हूँ। फिर वे महादेवजी और ये नन्दी, दोनों अके रहने लगते हैं। वह कहता है, 'मैं बड़ा होकर खराब हुआ। अब तू मेरे पास आ कर रहा है। फायदा कुछ भी नहीं।' जिसलिअे समाज में सेवा के लिअे ही जाना चाहिअे। बाकी का समय स्वाध्याय और आत्मपरीक्षण में बिताना चाहिअे। आत्म-परीक्षण के बिना अुन्नति नहीं हो सकती। अपने स्वतं समय में हम अपना अेकाध प्रयोग भी करें। वगीचे का शीक हो तो वगीचा लगावें। कर्मी कार्यकर्ता कहते हैं कि, 'क्या करें, चिन्तन के लिअे समय ही नहीं मिलता। जरा बैठे नहीं, कि कोअी न कोअी आया नहीं।' जो आवे अुससे बोलने में समय बिताना सेवा नहीं है। कार्यकर्ता को स्वाध्याय और चिन्तन के लिअे अलग समय रखना ही चाहिअे। अेकान्तसेवन करना चाहिअे। यह भी देहात की सेवा ही है।

स्त्रियां गैरहाजिर क्यों ?

अब अिन खादी यात्राओं के सम्बन्ध में अेक बात कहनी है। यहां पुरुषों की ही संख्या अधिक है। जो स्त्रियां आयी है वे शहर से आयीं है। गांवों से स्त्रियां नहीं आयीं। खादीघारी स्त्रिया बहुसंखी है ही नहीं। देहातों से यहां सिर्फ दो चार आयीं हैं। अगर महिलाश्रम की बहनों को छोड़ दिया जाय तो पुरुष और स्त्रियों का अनुपात ४०:१ होगा। अितना फरक तो सरकार ने मतदान का अधिकार देने में भी नहीं किया। खादीघारी स्त्रियों की संख्या कम है। असका अेक कारण तो यह है कि हमने जानबूझ कर खादी महंगी कर दी है। औरतें महीन साडी चाहती है। वह और

भी महंगी पडती है। और दूसरा कारण यह है कि पुरुषों का खादी पहनना काफी माना जाता है। वह बाहर जाता है। अूचे डंडे पर अगर झंडा फहराया जाये तो सबको दिखायी देता है। अुसी तरह अगर पुरुष के शरीर पर खादी हो तो देशभक्ति का श्रेय मिलता है। अब केवल खास सभाओं और अुत्सवों में खादी पहनने से काम नहीं चलता। वह हमेशा पहननी पडती है। यह मुश्किल है। जिसलिअे बाहर घूमनेवाला पुरुष सिर्फ खादी पहनता है। घर के अन्दर खादी का प्रवेश नहीं होने पाता है। दूसरी यात्राओं की अनेक बातें हम नहीं लेंते। लेकिन अूनके गुणों को ग्रहण तो करना चाहिअे। पंढरपुर के तीर्थयात्रियों की मंडली में सौ में चालीस स्त्रियां होती हैं। कम से कम अुतनी तो यहां हों। मैं तो कहता हूँ कि पुरुष खुद महीन सूत कात कर स्त्रियों को साडियां बुनवा दें, तो वे आसानी से खादी पहन सकेंगी।

स्त्रियों की सेवा करो

मेरी बात कहां तक जँचनी यह मैं नहीं जानता। स्त्रियों के लिअे कोअी काम करने में हम अपनी हतक समझते हैं। पवनार का ही अुदाहरण लीजिअे। व्याकरण के अनुसार जिसकी गणना पुल्लिग में हो सकती है अँसा अेक भी आदमी अपनी धोती आप नहीं धोता। बाप के कपडे लडकी धोती है, लडके के कपडे माँ धोती है और भाअी के कपडे बहन को धोने पडते हैं। माँ की साडी धोने में भी हमें शर्म आती है, तो पत्नी की साडी धोने की बात ही कौन कह सकता है ? अगर बिकट प्रसंग ही आ जाये

तो अकाध रिश्तेदारिन धो देती हैं। और वह भी न मिले तो पडीसिन वह काम करेगी। अगर वह भी न मिले और पत्नी की साडी धोने का मौका आ ही जाये तो फिर वह काम शाम को कोअी देख न पावे जैसे अन्तजाम से, चुपचाप, चोरी से, कर लिया जाता है, असी हालत है। और मेरा प्रस्ताव तो असके बिलकुल अल्टा है। लेकिन अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो आगे चल कर वे स्त्रियां ही तुम्हारे कपडे बना देंगी, असमें तनिक भी शंका नहीं है। अक बार मैं खादी का अक स्वावलंबन केन्द्र देखने गया। दफतर में कोअी सत्तर पचहत्तर स्वावलंबी खादी-धारियों की तालिका टंगी हुअी थी। लेकिन असमें अक भी स्त्री नहीं थी। वहां जो सभा हुअी असमें मेरे कहने से खास कर स्त्रियां भी बुलायी गयीं। मैंने पूछा, 'यहां अितने स्वावलंबी खादीधारी पुरुष हैं, लेकिन

क्यः स्त्रियां नहीं कातेंगी?' स्त्रियों ने जवाब दिया, 'हम ही तो कातती हैं।' तब मैंने खुद कातनेवाले पुरुषों से हाथ अुठाने को कहा। कोअी तीन चार हाथ अुठे। शेष सब स्त्रियों द्वारा काते गये सूत के जोर पर स्वावलम्बी थे। असलिअे कहता हूं कि फिलहाल तुम अुनके लिअे महीन सूत कातो। आगे चल कर वे ही तुम्हारे सारे कपडे तैयार कर देंगी। कमसे कम खादी यात्रा में पहनने के लिअे अक साडी अगर तुम अुन्हें बना दो तो भी मैं संतोष मान लूंगा। अगर वे यहां आयेंगी तो कमसे कम हमारी बातें तो अुनके कानों तक पहुँचेंगी। असलिअे आपसे कहता हूं कि अगले साल जितनी संख्या में आप आयेंगे, अुतनी ही संख्या में स्त्रियों को लाअिये।

खादी यात्रा, नालवाडी }
ता. १:४:३९ }

हिन्दुस्थान की गुलामी

व्यापारियों की अक कम्पनी ने बीस करोड व्यक्तियों के अक समूचे राष्ट्र को अपन गुलाम बना लिया। जो चाहे जैसी दंतकथाओं पर विश्वास नहीं करता असे किसी साबित दिमाग के आदमी से जरा यह बात जा कर कहो तो वह अिन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ पायेगा। असका मतलब ही क्या है कि तीन लाख आदमी—कोअी बडे तगडे पहलवान नहीं बल्कि मामूली कुछ नाताकात ही—बीस करोड जोशीले, होशयार, लायक और स्वातंत्र्य-प्रेमी लोगों को परास्त कर सकें? क्या अिन आंकडों से यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि हिन्दुस्थानियों को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया बरन् हिन्दुस्थानियों ने ही अपने आपको गुलाम बनाया ?

१४-१२-१९०८

लिअो टॉलस्टाय

कार्यसमिति और सुभाष बाबू

[डॉ० राजेन्द्र प्रसाद]

काँग्रेस की कार्यसमिति ने जो अनुशासन की कार्रवाही श्री सुभाषचन्द्र बोस पर की है उसके सम्बन्ध में बहुत टीकाटिप्पणी हो रही है। उसके कारण समझ लेना आवश्यक है। अगर आज वह कार्यसमिति नहीं होनी और यह कार्रवाही सुभाषबाबू पर न की गयी होनी तो शायद अतनी टिप्पणी नहीं होनी। मगर असली तत्त्व पर पहुंचने के लिये व्यक्तियों को हटा कर उस कार्रवाही के कारण पर ही विचार करना योग्य है। पिछले इतिहास को हम भूल जाय कि त्रिपुरी काँग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव और त्रिपुरी काँग्रेस में तथा कलकत्ते के अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के अधिवेशन के समय में क्या हुआ और किसने क्या किया और इस काम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनके नाम भी भूल जाय और तब केवल एक सिद्धान्त के प्रश्न के रूप में इस सारे मामले को देखें तो साफ मालूम हो जायगा कि इसमें क्या ठीक और क्या गलत हुआ है। अस्तु।

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बैठक होती है। उसी समय वकिंग कमिटी की भी बैठक होती है। वकिंग कमिटी दो विषयों पर दो प्रस्ताव तैयार करती है, जिनमें से एक को वह स्वयं अखिल भारतीय कमिटी के सामने रखने का विचार करती है और समय नहीं मिलने के कारण संभावना होती है कि वह पेश न भी किया जाय। ऐसे मौके पर कुछ सदस्य चाहते हैं कि उन दोनों पर विचार अवश्य होना चाहिये क्योंकि

दोनों ही महत्त्व के प्रश्न से सम्बन्ध रखते हैं। दोनों पेश किये जाते हैं। कुछ लोग दोनों का जोरों से विरोध करते हैं। पर बहुत बड़े बहुमत से, दोनों, बहुत लम्बी-चौड़ी बहस के बाद, पास हो जाते हैं। जो लोग उन प्रस्तावों का विरोध करते हैं उनके नेता कमिटी के खतम हो जाने के कुछ दिनों के बाद विज्ञापन निकालते हैं कि सभी स्थानों पर सभायें की जायें और उन प्रस्तावों का विरोध किया जाय और उनके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया जाय। ये सभायें केवल काँग्रेसी लोगों की नहीं हैं, बल्कि जिनमें सभी लोग शरीक होनेवाले हैं और संभव है कि इनमें ऐसे भाषण दिये जायें जिनसे काँग्रेस अखिल समिति के निश्चय की और अपसमिति की निन्दा की जाय। प्रस्ताव भी दोनों ऐसे हैं, जिन पर प्रान्तीय तथा दूसरी काँग्रेस कमिटियों को काम करना है और जिनको कार्य में परिणत करने का भार काँग्रेस कमिटियों तथा उनके कर्मचारियों पर है। उनको कार्य में परिणत करने के बदले एक प्रान्तीय कमिटी का अध्यक्ष अपने कमिटी के सदस्यों को ही नहीं, बल्कि सब लोगों को उनके विरोध में लगने का प्रोत्साहन देता है और जिन विरोधी सभाओं को करने और कराने का आदेश देता है। जब काँग्रेस के अध्यक्ष को इसकी सूचना मिलती है, तब वह उसको मना करता है और बताता है कि इससे काँग्रेस का सारा कारोबार बिगड़नेवाला है और उससे अनुरोध करता

है कि वह ऐसा काम न करे। पर वह इस पर कुछ भी ध्यान न दे कर सभायें करता और कराता है। अगर वह कांग्रेस का अन्तरदायी कर्मचारी न होता और अंक प्रान्तीय कमिटी का अध्यक्ष न होता तो बात कुछ दूसरी हो सकती थी। पर वह अध्यक्ष भी बना रहता है और अखिल भारतीय कमिटी के निश्चय तथा कांग्रेस के अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना केवल स्वयं ही नहीं करता, पर औरों को भी प्रोत्साहन देता है। अगर कोबी कांग्रेस कमिटी यह समझती कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं हुआ है और अखिल भारतीय कमिटी को लिखती कि इस पर पुनर्विचार किया जाय तो यह दूसरी बात हो सकती थी। पर बात ऐसी नहीं थी। यहां तो जनता को भुभाड़ कर अखिल भारतीय कमिटी के प्रस्ताव के विरुद्ध बगावत कराने की बात थी। ऐसी अवस्था में अखिल भारत कार्य समिति का क्या धर्म होता है? उसका पहला काम है कि कांग्रेस के निश्चयों को कार्यों में परिणत करे और तमाम अधीनस्थ कमिटियों से करावे। जब वह देखती है कि इसके बजाय विरोध और बगावत का झंडा धुंसाया जा रहा है, तो उसका धर्म हो जाता है कि, इस चीज को वह बर्दाश्त न करे और इसको रोकने में जो मुनासिब हो करे—कम से कम उन लोगों को जो कांग्रेस के कर्मचारी होते हुए बगावत करते और कराते हैं और इस प्रकार से लोगों में भ्रम फैलाते हैं उनको तो अपने उन पदों से हटा दे। कार्यसमिति ने इससे अधिक कुछ नहीं किया है। अगर वह अतना न करती तो वह उस पद के अयोग्य प्रमाणित होती जिस पर उसको बिठाया गया है।

कहा जाता है कि इस प्रकार की कारंवाओ गया कॉंग्रेस के बाद देशबन्धु दास और स्वर्गीय पंडित मोतीलालजी ने की थी। यह भी कहा जाता है कि उस समय भी कुछ कमिटियों ने बगावत की थी। पर उनपर कोबी कारंवाओ नहीं की गयी। बात ऐसी नहीं है, जहां तक मुझे स्मरण होता है बात इसके ठीक विरुद्ध थी। गया कॉंग्रेस ने प्रस्ताव पास किया। उसके बाद ही देशबन्धु दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बंगाल प्रान्तीय कमिटी के भी वह अध्यक्ष नहीं रहे और इस प्रकार आज की परिस्थिति से वह परिस्थिति बिलकुल अलग थी। पंडितजी भी जहां तक मुझे स्मरण है, प्रान्त के अध्यक्ष नहीं थे। थोड़े दिनों के बाद अखिल भारतीय कमिटी की बैठक हुई। उसने निश्चय किया कि गया कॉंग्रेस के आदेशानुसार काम करना स्थगित रखा जाय। इसका विरोध कुछ प्रान्तीय कमिटियों ने किया। उनका कहना था कि जहां कॉंग्रेस ने स्वयं आदेश दिया है वहां अखिल भारतीय कमिटी को अकारण उस निश्चय के अनुसार कारंवाओ रोकने का अधिकार नहीं है। तथापि उन कमिटियों के विरुद्ध अनुशासन की कारंवाओ करने की जरूरत उस समय की कार्यसमिति ने महसूस की और अंक अनुशासन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कमिटी के सामने उसने पेश भी किया। बहुत बहस के और सब बातों को विचार करने के बाद अखिल भारतीय कमिटी में अंक या दो मत से वह प्रस्ताव पास न हुआ। उसमें और आज की परिस्थिति में जमीनआसमान का अन्तर है। अखिल भारतीय कमिटी ने कांग्रेस के आदेश की अवहेलना करके हुकुम दिया था। उस

हुकुम के विरुद्ध कुछ कमिटियों ने कांग्रेस के आदेश को अधिक महत्त्व दे कर मानने की बात कही थी और अखिल भारतीय कमिटी के अनधिकार निश्चय का विरोध किया था। तो भी अूनकी करवाबी अनुशासन योग्य समझी गयी और परिस्थिति का खयाल करके अखिल भारतीय कमिटी ने करवाबी करना बुचित नहीं समझा।

हमको मान लेना होगा कि कांग्रेस अेक अैसी जमायत है जिसका काम जनता और अुसके सदस्य तथा कर्मचारियों के हृदय में अुसके प्रति श्रद्धा रहने से ही चल सकता है।

अगर वह श्रद्धा किसी प्रकार से कम करा देने का प्रयत्न किया जाय अथवा अुसके निश्चयों के विरोध करने का रूप अैसा हो जाय जिससे अुसके अस्तित्व पर ही धक्का लगने लगे तो वह कायम नहीं रह सकती है। जब अिस प्रकार के हमले अुस पर होने लगे तो अूनका निवारण कर्तव्य हो जाता है और हमला करनेवाला कोभी भी हो अुसकी परवाह न करके संस्था की शान और अिज्जत बचानी ही पडती है।

वर्धा }
२०-८-३९ }

गुलाम और पियक्कड

जब हिन्दुस्थान के लोग यह शिकायत करते हैं कि अंग्रेजों ने अुन्हें गुलाम बनाया तो अैसा लगता है, मानो पियक्कड लोग यह शिकायत करने लगे कि शराब के सौदागरों ने हमारे अन्दर आ कर हमें अपना गुलाम बनाया। आप अूनसे कहिये कि वे शराबखोरी छोड दें; तो वे जवाब देंगे कि वे अुसके अितने आदी हो गये हैं कि अब अूनसे बिना पीये रहा भी नहीं जाता और अूनकी काम करने की ताकत बिना शराब के टिक नहीं सकती। जो करोडों लोग कुछ हजार, बल्कि कुछ सौ स्वदेशी या विदेशी व्यक्तियों के दास बन कर रहते हैं अूनका भी क्या यही हाल नहीं है ?

१४-१२-१९०८

लिओ स्टॉलस्टाय

सर्वोदय की दृष्टि

युद्धोन्मुख यूरोप

श्री चर्चिल ने अभी अभी लंडन में बैठे बैठे अमेरिका के सामने एक बड़ी घोषणा की। उनका शिकायत यह है कि दुनिया में शान्ति का रहना या विश्वयुद्ध के दावानल का भडकना अकेले आदमी की सनक पर निर्भर है। यह पागलपन बन्द करना ही चाहिये। क्या सचमुच दुनिया का हित अनहित अकेले आदमी की सनक पर निर्भर है? जब कोभी आदमी फांसी पर लटकता है तब यह कहना कि वह कठोरता, वह घातकता, फांसी की रस्सी की है, जितना युक्तिसंगत है, अतनी ही श्री चर्चिल की यह बात है। जैसे कोभी महात्मा अपनी सद्वासना से और साधना से अकेला सारे राष्ट्र का अधुधार नहीं कर सकता वैसे ही कोभी दुर्दान्त आत्मा अपनी अकेले की व्यक्तिगत सनक से दुनिया का भलाबुरा नहीं कर सकता। अकेले छोटीसी चिनगारी सूखे जंगल को जला देती है। क्योंकि वह जंगल सूखा और अग्नि का भूखा है। अग्नि का खाद्य बनने की ओसकी तमन्ना है। अग्नि अगर हरी घास पर पड़े तो थोड़ी-सी घास को वह जरूर नष्ट कर सकती है, किन्तु सारे चरागाह को जला नहीं सकती। दावानल भी अगर दलदल में जा कर पड़े तो क्या कर सकता है? यूरोप में जो तैयारियां हो रही हैं अन्हें क्या अकेला हिटलर कर रहा है? हिटलर कोभी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। हिटलर तो व्हर्सेल्स के सुलहनामे की प्रतिक्रिया का मूर्तस्वरूप है। व्हर्सेल्स का सुलहनामा दरअसल सुलहनामा ही नहीं था, वरन् दूसरे महायुद्ध का बीज

ही था। हिटलर में जो नृशंसता आज देखी जाती है वह सब व्हर्सेल्स के सुलहनामे के हरअकेले अक्षर में पायी जाती है। बीज बोना और ओसके फल ओगने पर आश्चर्य करना या तो निरी अज्ञानता है, अथवा निर्लज्ज दंभ है।

१२:८:३९

का० का०

आगामी महायुद्ध और हिन्दुस्थान

यूरोप में जिन्दगी दिन पर दिन महुंगी होती जाती है। वासनातृप्ति को ही जीवनसमृद्धि समझ कर सुखचैन के साधन वे लोग बढाते जाते हैं। अिसमें प्रतिद्वंद्विता, बीष्या, द्रोह पैदा होना अपरिहार्य है; और ओसका अन्तिम स्वरूप महायुद्ध है। जो जीवन-व्यवस्था अप्राकृतिक और द्रोहमूलक होती है ओसका कभी न कभी अन्त होना ही है। यह अन्त या तो हृदय परिवर्तन से होगा अथवा जीवनक्रान्ति से होगा। यूरोप में महायुद्ध किसी न किसी बहाने शुरू होगा ही; और ओसमें से फिर न तो अमेरिका बच सकता है, न जापान। युद्ध, क्रान्ति और विप्लव ओश्वर के नैतिक साम्राज्य के कानून से ही पैदा होते हैं।

“अिस महायुद्ध में हिन्दुस्थान का क्या होगा?” यह सवाल हरअकेले के मन में आये बिना नहीं रहता। जिनके हाथों भगवान को कुछ काम कराने की अिच्छा होती है ओनके जीवन में भगवान असाधारण क्रान्ति कर डालता है। जिनका जीवन स्थिर हो गया, निश्चित हो गया, सुरक्षित हो गया, ओनके जीवन की कीमत भी शून्य हो गयी। जैसे जीवन में न तो

रहेगी मिठास, न नमक। भारत के लोगों ने अशान्ति से डर कर गुलामी कबूल कर ली; अशान्ति से डर कर गरीबी भी मंजूर की। बड़े बड़े झगड़ों में अपनी हार मान कर छोटे छोटे झगड़ों में ही अपने रजोगुण की तृप्ति की। किन्तु भगवान को हमें अष्ट दशा में, अमी पामर हालत में रखना नहीं है; अिसलिये वह हमारी सलामती हमसे छीन लेना चाहता है। कभी वाढ आती है, कभी भूचाल, कभी अकाल पडता है, कभी कभी वारिश की जगह धूप बरसती है और जहां धूप चाहिये वहां की घास सडने लगती है। प्लेग, अिन्फ्लूअेन्जा, हैजा तो हमारे पीछे पडे ही हैं। और अब तो हमारे देशी राजा भी हमें यह सबक सिखा रहे हैं कि हमारा जीवन तो अुनकी गोलियों का और शिकार के लिये सुरक्षित जानवरों का साध्य है। अिसके मानी यही है कि भगवान हमें जीवन लंपटता से वचाना चाहता है। हमसे कुछ न कुछ गुरुपार्थ कराना चाहना है। अगर हम अुसके लिये मानसिक तैयारी करें तो भगवान का संकल्प चरितार्थ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा; नहीं तो भगवान का दिया हुआ आखिरी मौका खो बैठनेवाली जाति की जो दुरावस्था होनी है अुसके लिये हमें तैयार रहना होगा।

अुसकी तैयारी तो क्या करनी है? हम अदूर-दृष्टि बने, गुरुपार्थ को भूल जायें, अुदारता से नफरत रखें, आगे वडनेवालों के पीर खींचें, अेक दूसरे का अविश्वास करते रहें, निजी और गुप्त स्वार्थ राधने के लिये सार्वजनिक मतभेद अुत्पन्न करें और अिसी में आनन्द मानते हुअे विलासिता में डूब जायें,

अैसी तैयारी के लिये कुछ विशेष सोचने की जरूरत नहीं है, किसी साधनाक्रम की आवश्यकता नहीं है। जो चलता आया है अुसीको जोरों से चलाना होगा। अुपर से नीचे फिसलने में, खिसकने में, बड़ा आनन्द आता है, चाहे वह आनन्द अल्प-जीवी भले ही हो!

किन्तु हिन्दुस्थान का आजतक का अितिहास कहता है कि अितनी बडी संस्कृति, अितने वडे आदर्श, अितनी भीषण तपस्या अँरो विनाश के लिये शुरू नहीं हुयी है। भगवान तो हमें अपने तरीके से जाग्रत करना चाहता है, वह हमें जीवनक्रान्ति की शिखा दे रहा है। अिससे हमारी नींद टूट जायगी, आदतें सुधर जायेंगी, अपनी निजी शक्ति का हमें अनुभव होगा और हम आजाद होकर दुनिया की कुछ सेवा कर सकेंगे। यह सब समय पर हो अिननी ही हमारी प्रार्थना हो सकती है। अिससे हमारी नींद टूटे, हमारी सब शक्तियों का हमें परिचय हो और हम अपने व्यक्तित्व को प्रगट कर सके, अुस साधनाक्रम को हम विपत्ति कैसे कह सकते हैं? वह तो हमारी सबसे श्रेष्ठ साधनसंपत्ति है।

१२:८:३९

का० का०

अहिंसक आत्मरक्षा की योजना?

दिन पर दिन यूरोप की परिस्थिति गहरी होती जा रही है। अिग्लेड, जर्मनी, जापान अिटली, अमेरिका, परान्स, रूस आदि देश लोभ से और डर से और अिसी कारण अविश्वास से अितने भरे हुअे हैं कि अेक बड़ा महायुद्ध हुअे बिना दूसरा चारा ही नहीं है।

दूसरी तरफ से यह भी अेक विचार है कि अिस प्रकार ताश खेलने में अगर

किसी के हाथ में सबके सब अच्छे और कीमती पत्ते आ गये तो वह खेलने के बदले अपने सब पत्ते भेज पर रख कर प्रतिस्पर्धियों को कह देता है कि पूरी हार मान लो और आगे बढ़ो। उसी तरह युद्ध किये बिना केवल युद्ध की तैयारी नाप के ही हार या जीत तय की जायगी और मनुष्य-संहार टाला जायगा। हिटलर आज यही कर रहा है। हमारे यहां भी जब किसी चक्रवर्ती का अश्वमेध का घोड़ा अकुतोभय संचार करता था तब छोटे-मोटे सब राजा उस अश्व की सेवा करके चक्रवर्ती का शिरच्छत्र कबूल करते थे और युद्ध टालते थे।

किन्तु भाग्य के खेल में अच्छे पत्ते हमेशा अकेले ही आदमी के हाथ में नहीं आते। युद्ध तो हुआ ही करते हैं।

कभी कभी यह भी आशा की जाती है कि पिछले अनेक युद्धों के नतीजे का ख्याल कर और आजकल के युद्धों में विजयी पक्ष का भी असाधारण नाश होता हुआ देख कर बड़े बड़े राष्ट्र भी युद्ध के किनारे तक जा कर महासंहार का चित्र नज़र के सामने आते ही घबड़ा कर पीछे हटेंगे और कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो हम युद्ध तो करेंगे ही नहीं।

यह आशा भी दुराशा-सी मालूम होती है। मनुष्यजाति का युद्धज्वर अभी भी दूर नहीं हुआ है। अंसी हालत में हर देश को यही चिन्ता रहती है कि पड़ोस के लोग अगर हमपर हमला करें तो हमारी क्या हालत होगी? पिछले अकेले अंक में इस बात पर हम लिख चुके हैं कि आत्मरक्षा का सवाल अब केवल तात्विक (अकैडेमिकल)

रहा नहीं है। लोग उसे कल्पना की नज़र के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भविष्य के संकट को पहले से देख कर उसका जो अिलाज करता है उसको हमारे साहित्य में "अनागत-विधाता" कहा है। संकट आ पड़ने पर तुरंत अपनी बुद्धि चला कर जो अिलाज करता है उसे 'प्रत्युत्पन्नमति' कहा है। संकट आने पर भी जो अिलाज नहीं करता, अिना ही नहीं, किन्तु अिलाज के बारे में सोचता तक नहीं उसका तो नाश ही है। अगर हिन्दुस्थान का अितिहास हम ध्यान से पढ़ें तो हमारी जाति में 'अनागतविधाता' बहुत कम पैदा हुआ है। 'प्रत्युत्पन्नमति' महापुरुष भी कभी कभी पैदा हुआ है। किन्तु सारे राष्ट्र का अगर विचार किया जाय तो हम 'दीर्घसूत्री' ही रहे हैं। जब कभी कोभी अेमडन जहाज मद्रासपर गोली चलाता है तब हम घबड़ा कर दो दिन सोचने लगते हैं। जब कभी बम्बई या कलकत्ते में वैमानिक दृष्टि से "अंधेरी रात" बनाने का प्रयोग किया जाता है तब भी हम कुछ घबड़ा कर और कुछ कुतूहल से दो दिन के लिये जाग्रत हो जाते हैं और फिर से अपनी पुरातन नीद में डूब जाते हैं। यही हमारा सनातन धर्म है।

जबतक स्वराज्य का सवाल नहीं था तबतक यह बात योग्य भी थी। रक्षण की बात अबला क्यों सोचे? जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है वे ही हमारी रक्षा की चिन्ता करें, यह विचार तब ठीक था।

किन्तु अब तो हम कुछ न कुछ अधिकार पा बैठे हैं। आत्मरक्षा के बारे में कुछ न कुछ सोचना ही पड़ता है। अगर आन्तरिक शान्ति की स्थापना के लिये पुलिस की मदद लेने से हम बच न पायें तो बाह्य

आक्रमण के समय हम फौजी मदद जरूर चाहेंगे। फिर तो हमारा अहिंसा में विश्वास केवल अके 'पॉलिसी' ही साबित होगी। बम्बई, मद्रास, युक्तप्रान्त और बिहार की सरकारें जिस ढंग से काम कर रही हैं, उसे देखते यह स्पष्ट है कि अहिंसक आत्मरक्षा पर हमारा विश्वास नाममात्र ही है। कम से कम अहिंसक आत्मरक्षा के तंत्र का, (टेक्निक का) विचार करने में हम असमर्थ हैं।

जो हमारे भाग्य में बदा होगा सो ही होगा। किन्तु अगर हम सच्चमुच अहिंसावादी हैं तो हमें अनागतविधाता बम कर अहिंसक आत्मरक्षा के मार्ग के अंग-अुपांग, शाखा-प्रशाखा, सब कुछ सोच रखना चाहिये। और अहिंसक आत्मरक्षा के लिये जिस किस्म की तालीम आवश्यक है, जिस प्रकार के जीवन का संगठन करना आवश्यक है, उसे कम से कम हम सोच तो रखें।

गांवों के लोगों को जिस बात में केवल शिक्षा ही नहीं देनी होगी, किन्तु महीनों तक अुसकी कृषि (आवृत्ति) करानी होगी। अगर हिंसावादी लोग 'बमप्रूफ' मकानों में किस प्रकार रहना, जहरीली वायु से बचने के लिये जाली का "चेहरा" (मास्क) किस तरह लगाना— यह सब जनता को सिखाना आवश्यक मानते हैं तो अहिंसावादियों को जिससे भी अधिक और भिन्न तरह का अभ्यास करना होगा। शहरों की रक्षा के लिये तो शायद हिंसक या अहिंसक किसी तरह का अिलाज ही नहीं है। बकरे जैसे कत्ल होने के लिये ही पैदा होते हैं, वैसे ही तमाम शहर शायद हवाबी बम का लक्ष्य होने के लिये ही पैदा हुए हैं। लेकिन अिन सब बातों का हमें विचार

तो करना चाहिये। हमारे अहिंसावादी पाठक अपना अपना दिमाग चला कर अपनी अपनी योजनायें अगर 'सर्वोदय' के पास भेज दें तो कृपा होगी।

आत्मरक्षा के लिये वेदातों की शरण

अब तो महायुद्ध का पवरव सुनायी दे रहा है। अब किसी भी अके राष्ट्र के रोके वह सक नहीं सकता, हां, अगर कोयी अके राष्ट्र नचिकेता की श्रव्धा से अपना बलिदान दे दे तो शायद यह महायुद्ध टल जाय। जिसके मानी ये होते हैं कि या तो किसी राष्ट्र में महान जीवनक्रान्ति हो; और या विश्वयुद्ध छिड़ जाय। दो ही रास्ते हैं।

जिस आगामी महायुद्ध में भारतवर्ष अिंग्लैंड की मदद करे या नहीं यह प्रश्न तात्कालिक महत्त्व भले ही रखता हो, किन्तु फिर भी गौण ही है। हिन्दुस्थान मदद करे या न करे, जिस युद्ध का असर हिन्दुस्थान पर हुअे बिना नहीं रहेगा। अुस असर से हम अपने को किस तरह बचा सकते हैं? जिस युद्ध के प्रति हमारी प्रतियोगिता कौसी हो वही सबसे बडा सवाल है। जब युद्ध शुरू होगा तब अुसका सबसे बडा नतीजा यह होगा कि जिन विदेशी वस्तुओं के हम आदी हो गये हैं अुन चीजों का यहां आना बन्द हो जायगा और फिर हमें अपने लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध करना ही होगा। न यहां विदेश की पूंजी हमारी मदद के लिये आ सकेगी, न अुनके कल-कारखाने।

जबतक दरियायी सामर्थ्य का ही सवाल था तबतक हमारे देश का किनारा किस हद तक खतरे में है इसी बात को हम सोचते थे। अब तो हवाबी जहाजों का युद्ध

ही युद्ध का प्रधान अंग होगा। अुसके लिये हम क्या क्या कर सकते हैं? हम पहले कह चुके हैं कि हवावी आक्रमण से खास डरना पडता है बडे बडे शहरों को। बम वर्षा से पांचदस गांवों को बेशक वे बेचिराग कर सकते हैं। लेकिन गांवों पर बम बरसाना अतना महंगा काम है कि कोभी भी सेना अपनी शक्ति गांवों के खिलाफ आजमाने में हिचकिचायेगी। शहरों को ही विलायतवालों से सीखना होगा कि जब बम वर्षा होती है तब क्या किया जाय? अेम-डन ने जब मद्रास पर बम फेके तब लोग अपनी स्वाभाविक सूझ-बूझ चला कर किनारे को छोड कर अन्दर के प्रदेश में चले गये। जब हवावी जहाजों से बम की वर्षा शुरू होगी तब लोगों को घनी बस्ती छोड कर बिरले बसे हुए गांवों में जा कर बसना होगा और वहां पर ग्रामअुद्योग से ही अपनी जीवनयात्रा चलानी होगी। ग्रामअुद्योगों में जो लोग प्रवीण हैं वे ही समाजनायक बन जायेंगे और जो लोग गांव में जा कर वसेंगे वे ही बच सकेंगे।

किन्तु केवल बच जाना ही हमारा अुद्देश नहीं होना चाहिये। हम दुनिया को युद्ध की आपत्ति से किस तरह छुड़ा सकते हैं, यही हमें सोचना चाहिये।

१२:८:३९

का० का०

कच्छे गांधीवादी वि० कट्टर गांधीवादी !

'संघ वृत्त' में राम वि० भरत का मामला मने पेश किया है। उसकी जाँच में मने अेक बात यह पाई कि कई कई जगह कांग्रेस में अैसी भी दलबन्दियाँ बनने लगी हैं, जैसी इस शीर्षक में बताई हैं। भरत मानते

थे कि वे और उनके मित्र कट्टर गांधीवादी हैं, लेकिन राम इतने कट्टर नहीं हैं। वे तो समाजवादी और उग्रवादियों का भी सहयोग लेते देते हैं। इसीलिये उनका विरोध करने की उन्हें बुद्धि हुई।

कुछ ही दिन पर अेक भाई ने मुझे कहा था कि अमुक अेक सदस्य समाजवादियों से बहुत मिलते जुलते हैं। उनके बहां ठहरते भी हैं। मने कहा कि वैसा तो मने भी करता हूं। हाल ही में जब मने वृन्दावन से लौटा तब पटना में श्री जयप्रकाश नारायण के बहां ठहरा था ! यह सुन कर उन्हें अचरज हुआ।

संकीर्ण मनोवृत्ति कभी अहिंसक नहीं रह सकती। देश के दुश्मन से भी अहिंसा रखने का हमारा दावा है, तो समाजवादी तो हमारा ही अंग है। उन्हें हमारी कुछ बातें आज नहीं जँचतीं। हमें उनकी कुछ बातें नहीं जँचतीं। लेकिन, अेक दूसरे से ज्यादा संपर्क में आने से जो सत्य होगा, वह दोनों को अेक दिन जँच जायगा, बशर्ते कि दोनों सत्यप्रिय और देशहितचिंतक हों। इसलिये हम साफ दिल से और निःस्वार्थ भाव से अेक दूसरे की मित्रता रखने से न डरें।

कौन कितना गांधीवादी है, इसे तराजू से तोला नहीं जा सकता। नेक मार्ग से कौन कितना काम करता है, उसीका ज्यादा ख्याल करना चाहिये। कितने ही लोग आज फॉर्बर्ड ब्लॉक में गये हैं; क्योंकि वे आज की वर्किंग कमिटी से असंतुष्ट हैं। न कि इसलिये कि उन्हें सुभाषबाबू के नेतृत्व में अश्रद्धा है। इसी तरह कितने ही लोग आज गांधीवादी हैं। क्योंकि उसमें वे आज सुरबधा मानते हैं। न कि, इसलिये कि उन्हें गांधीजी के सिद्धान्तों में अश्रद्धा है।

अगर वे राजीखुशी से वर्किंग कमीटी को सहयोग दे रहे हैं, तो उसको कैसे रोकें ? और क्यों रोकें ? लेकिन, अगर इसमें से कट्टर गांधीवादी और कच्चे गांधीवादी आदि दल-बन्धियां पैदा हों, तो समझ लेना चाहिए कि आखिर में इसमें से बुराई ही पैदा होगी।

शक्ति, प्रतिशक्ति और फलशक्ति

साम्यवाद का एक तात्त्विक सिद्धान्त है कि दुनिया में प्रगति का जो क्रम चल रहा है वह इस प्रकार का है। पहले एक शक्ति (थिसिस) पैदा होती है। लेकिन उसके पैदा होते ही एक दूसरी भी शक्ति का बाजू डाला जाता है। यह दूसरी शक्ति पहली शक्ति से उलटी या विरोधी होती है। उसे प्रतिशक्ति (ऑप्टि थिसिस) कहें। फिर, एक तरफ से वह शक्ति बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ वह प्रतिशक्ति भी बढ़ती जाती है। आगे जाते दोनों का स्वरूप सबकी नजर में आने लगता है, और दोनों के बीच में स्पष्ट विरोध होने लगता है। इस संघर्ष में से एक तीसरी शक्ति पैदा होती है, जो दोनों में कुछ मेल करानेवाली होती है। है, इसे फलशक्ति (सिन्थेसिस) कहें। आखिर में यह फलशक्ति विजयी होती जैसा दिखने लगता है। वास्तव में इस फल-शक्ति के साथ ही एक उसकी भी प्रति-शक्ति पैदा होती है। इस दूसरी जोड़ी में से फिरसे एक नयी फलशक्ति पैदा होती है। इस तरह शक्ति, प्रतिशक्ति और फलशक्ति का क्रम चलता रहता है।

श्री सुभाष बाबू मानते हैं कि गांधीजी ने हिन्दुस्थान में एक शक्ति प्रकट की। तब कुदरत के इस नियम से एक प्रतिशक्ति भी

उसी समय प्रकट हो गई। उसका अस्तित्व अब तक ध्यान में आया नहीं था। लेकिन, अब वह शक्ति बड़ी है, और अपना जोर दिखाने योग्य हुई है। कुदरत ने उन्हें इस शक्ति का वाहन बनाया है। इसलिए कांग्रेस के वर्तमान संघर्ष का कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है। गांधीजी, सरदार आदि एक शक्ति के वाहन हैं। सुभाष बाबू आदि उसकी प्रतिशक्ति के वाहन हैं। इसमें से आगे एक फलशक्ति पैदा होगी, जो हिन्दुस्थान का समाधान करेगी।

विचार की यह भूमिका ऊंची हो सकती है, बशर्ते कि दोनों ओर रागद्वेषरहित और निरहंकार भाव से काम करने की आदत हो। लेकिन, जहां आसक्तिपूर्वक काम किया जाता हो, वहां यह तत्त्वज्ञान दोनों पक्ष के लिये शुष्क वेदान्त हो जाता है। और जब अहंकार तथा रागद्वेष एक तात्त्विक दृष्टि का सहारा लेता है, तब वह सर्वोदय की दृष्टि से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रागद्वेष प्रेरित दाक्षिणमार्गी और वैसा ही वाममार्गी किसी भी तात्त्विक सिद्धान्त का आश्रय न ले तो ज्यादा अच्छा होगा।

तत्त्वदृष्टि से ही विचार किया जाय तो शक्ति, प्रतिशक्ति और फलशक्ति की त्रयी एक ऊपर के अवलोकन से ही बनाया हुआ सिद्धान्त है। शक्ति के साथ प्रतिशक्ति क्यों पैदा होती है ? और उनसे हुई फलशक्ति दूसरी एक त्रयी का प्रारंभस्थान क्यों हो जाती है ? गहरा उत्तर कर देखा जाय तो मालूम होगा कि दोनों की जीवनप्रदाता एक ही सत्यशक्ति है। शक्ति की जो कूबत है और प्रतिशक्ति की भी जो कूबत है, वह दोनों सत्य के कारण है। लेकिन, सत्य

के साथ हम अपने अपने रागद्वेष तथा अहंकार भी जोड़ देते हैं। यह दोनों में रहा हुआ असत्य है, और इसीकी वजह से भँसों की तरह दोनों झगड़ते हैं। वास्तव में शक्ति और प्रतिशक्ति का संघर्ष नहीं होता, बल्कि दोनों के रागद्वेषों का ही होता है। वही उनसे पैदा हुई फलशक्ति में शरीर होता है।

लेकिन, अहंकार और रागद्वेष से भी कैसे छुटकारा हो? रामझ जाने भर से वह थोड़े ही निकल जाते हैं? जब अकेले मनुष्य देखे कि वह आसक्तिपूर्वक ही काम कर सकता है, और फिर भी सर्वोदय चाहता है, तब वह क्या करे? यह वैसा ही सवाल है जैसा जब अकेले मनुष्य देखे कि उसमें तीव्र कामवासना है, फिर भी वह सदाचारी जीवन चाहता है, तब क्या करे? सत्पुरुष उगे कहेंगे कि यदि वह कम से कम कुछ स्थूल नियमों का पालन कर लेगा, तो शारीरिक पापों से स्वयं बचेगा और दूसरों को भी बचा लेगा। इस दृष्टि से परस्त्री के साथ अकान्त सेवन न करना आदि नियम बताये गये हैं। इसी तरह भले ही अकेले पशु अकेले शक्ति का वाहन बना हो, और दूसरा उस की प्रतिशक्ति का, अगर दोनों अहिंसा और निष्कपटता का स्थूल पालन भी कर लें, तो दोनों बच जा सकते हैं, और देश को भी खतरे से बचा सकते हैं। शक्ति और प्रतिशक्ति में तीव्र संघर्ष हुआ बिना फलशक्ति निर्माण नहीं हो सकती, यह मान्यता उसी तरह की है कि कष्टरहित प्रसूति हो ही नहीं सकती। प्रसववेदना की तरह संघर्ष को कुदरत का अनिवार्य नियम ही न समझना चाहिये, बल्कि उसके कुछ नियम के भंग का परिणाम। इस संघर्ष की तीव्रता कम

करने का उपाय केवल अहिंसा ही है।

भय और अहिंसा

लेकिन, जब भय पैदा हो तब अहिंसा का टिकना मुश्किल होता है। श्री सुभाष-बाबू काँग्रेस तंत्र में डर पैदा करा देने में सफल हुअे हैं, इसमें शंका नहीं। जिस संस्था ने गांधीजी के नेतृत्व में जनता में आत्मविश्वास और निर्भयता की भावना पैदा कराई, वही संस्था आज भीतरी फूट के कारण डर महसूस कर रही है।

हमारी तपस्वर्या कम हो रही है यही इसका कारण है, और उसे बढ़ाना ही उपाय है।

कि० घ० म०

आर्यसमाज की सफलता

आर्यसमाज की मांगें न्याययुक्त थीं जिस के विषय में तो किसीका मतभेद नहीं था। जबतक सार्वजनिक शान्ति और सार्वजनिक हित का भंग न हो, हरअकेले को अपने अपने अभिप्राय के अनुसार अपना धार्मिक जीवन विताने का अधिकार होना ही चाहिये। यह सिद्धान्त प्रस्थापित करने के लिये मनुष्य-जाति ने कभी युगों तक पुरुषार्थ किया, और न जाने कितना बलिदान दिया। अब इस विषय में कहीं भी मतभेद होने का कारण नहीं है। असा होते हुअे भी अगर कोअी पिछड़ी हुअी या मूढग्राही सरकार मनुष्यत्व के असे सामान्य अधिकारों के लिये भी नया बलिदान मांगे तो हरअकेले धर्मप्रेमी को अतनी कीमत अदा करने के लिये तैयार रहना ही चाहिये। किन्तु "कोअी सरकार असा बलिदान कैसे मांग सकती है," असा सवाल मन में अुठे

बिना नहीं रहता; जो बातें अनेक बार सिद्ध हो चुकी हैं उनको फिरसे सिद्ध कराने के लिये क्या बार बार कीमत देनी ही चाहिये ?

जवाब यह मिलता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना मनुष्य का जितना कर्तव्य है उससे भी अधिक स्वतंत्रता को अधिक जागरूकता से सम्हालने का उसका अधिकार है। अगर किसी भी कारण हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठे हों तो उसकी पुनःस्थापना करने के लिये अतिनी फीस देनी ही पडती है। उसके बिना अगर स्वतंत्रता मिली भी तो वह हजम नहीं हो सकती।

आर्यसमाज हिन्दूसमाज का सेनामुख है।

जो लोग अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं, उनको उसे फिरसे प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार कीमत देनी पडती है, उसी प्रकार जो लोग दूसरों की स्वतंत्रता छिन कर उसे लौटाने के लिये बलिदान मांगते हैं, उनको भी अपने जैसे दुर्व्यवहार के लिये कीमत देनी पडती है। इस कीमत का स्वरूप क्या है यह भी अतिहास जानता है।

१२-८-३९

का० का०

प्रौढ-शिक्षा या साक्षरता-प्रचार ?

प्रौढ शिक्षा का सवाल दुनिया के सब देशों में हल हो रहा है। हिन्दुस्तान में भी स्वराज्य-आन्दोलन के साथ इस विषय का महत्त्व बढ़ रहा है। जो लोग लिख पढ़ सकते हैं, अन्हींको राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। लोक-तंत्र से चलनेवाले देशों में अगर कौमी राजराजेश्वर हैं तो वह 'वोट' ही है। जिन वोटों की कृपादृष्टि से महत्वाकांक्षी लोग राजसत्ता अपने हाथ में रख सकते हैं। नागरिक के अधिकार पाने के

लिये मनुष्य में कभी अच्छी अच्छी योग्यतायें आवश्यक होती हैं। किन्तु उन योग्यताओं की पहचान आसान नहीं है। जिन योग्यताओं के सबूत तो उससे भी कठिन हैं। इसलिये नागरिकत्व के अधिकार प्राप्त करने के लिये असी ही शर्तें लगायी गयी हैं, जो काम की हैं और आसानी से पहचानी जा सकती हैं।

अस तरह से लोकतंत्रीय देशों में राज-नैतिक हक के कारण साक्षरता-प्रचार का महत्त्व असाधारण बढ़ गया है। साक्षरता-प्रचार में भी लिख सकने की कौमी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपना हस्ताक्षर कर सके तो काफी है। किन्तु छपी हुई चीजें आदमी बोधपूर्वक पढ़ सके तो वह साक्षर हो गया।

जिन लोगों को बचपन में पाठशाला में जाने का मौका नहीं मिला और जो घर-पर भी सीख न सके, उनको साक्षर बनाने का सवाल हरअेक राष्ट्र को अपने हाथ में लेना पडता है। असा नहीं करने से लोकतंत्र की स्थापना ही अशक्य हो जाती है। जिनकी अग्र पाठशाला में जाने लायक नहीं है, जो लोग बाकायदा तालीम-अल्म बन कर, अस्तादों के सामने जा कर बैठ नहीं सकते असे लोगों को पढ़ने लिखने की तालीम देना यही राज्यकर्ताओं के सामने और अधिकाराकांक्षी लोकनायकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है।

किन्तु जिनको सम्राट वोट की अुपासना नहीं करनी है, जो अधिकार प्राप्त करने के पीछे नहीं पडे हैं, असे लोग केवल साक्षरता-प्रचार को प्रौढ-शिक्षा नहीं कह सकते। प्रौढ-शिक्षा का प्रौढों की केवल अक्षर-शिक्षा अितना संकुचित अर्थ हम क्यों करें? प्रौढ-शिक्षा प्रौढों के ही लिये तो है इसलिये अुस

शिक्षा में जीवन की, ज्ञान की, कौशल्य की और योग्यता की प्रौढि होनी चाहिये।

हर अके देशवासी चारित्र्य की कीमत समझ सके, यह ज्ञान जो शिक्षा देगी वही प्रौढ शिक्षा कहलाने के लायक है। अक्षर-ज्ञान तो केवल साधन है। अक्षर-ज्ञान में जीवन के ज्ञान का अंतर्भाव नहीं होता। वह तो केवल ज्ञान का अके अल्प साधन मात्र है, महज औजार है। केवल अक्षरज्ञान होने से मनुष्य में 'सदसद् बुद्धि' का अुदय नहीं होता।

प्रौढशिक्षा में प्रधानता होनी चाहिये जीवनसाफल्य के लिये जो कौशल्य जरूरी होता है अुसकी। परिस्थिति समझनेवाली बुद्धिशक्ति का और समाज के हित के लिये व्यक्ति को अपना जीवन संयत करने की तैयारी का भी समावेश अुसमें होना चाहिये। राज्यतंत्र और समाजतंत्र कौसा चलता है अिसका ज्ञान तो कमसे कम प्रौढशिक्षा में मनुष्य को मिलना ही चाहिये। आजकल के दिनों में अर्थतंत्र का सामर्थ्य अितना बढ़ गया है कि अर्थशास्त्र के थोड़े-से परिचय के बिना प्रौढशिक्षा पूरी ही नहीं हो सकती। शहर की और गांव की सड़कों पर किस तरह चलना चाहिये, कूबे और नल पर किन किन नियमों का पालन करना चाहिये, डाकघर, तारघर, चुगीघर और बैंकों का अुपयोग किस तरह करना चाहिये, स्टेशन, यात्रा, मेले, थिएटर आदि स्थानों में जब भीड़ होती है तब किन किन नियमों का पालन करना चाहिये, आग लगे अथवा बाढ़ आवे, भूकंप हो जाय, आंधी चलने लगे, तो अैसे समय पर दूसरों के हित की रक्षा किस तरह करनी चाहिये—अिन सब बातों में जनता को तैयार करने की प्रवृत्ति को ही

हम प्रौढशिक्षा कह सकते हैं। वोट के अधिकार के साथ कौन कौनसी जिम्मेवारियां आती हैं यह भी प्रौढशिक्षा में सिखाना चाहिये। जिस देश में अनेक धर्म और पंथ हैं वहां पर सब से हिलमिल कर रहने का ज्ञान और तदनुसार जीवन-कला अिससे मिले अुसीको हम प्रौढ-शिक्षा कह सकते हैं।

ये सब बातें अक्षर-ज्ञान के बिना भी हम जनता को दे सकते हैं। अके आदमी पढे और वही समझ ले अिसमें पूरा पूरा मितव्यय नहीं है। अके आदमी पढे और कम से कम दस-बीस आदमी अुनें अैसा सामाजिक पठन-पाठन का कार्यक्रम रखना चाहिये। पठन-पाठन की व्यवस्था अगर बढ़ायी जाय, निरक्षर लोगों को अच्छे अच्छे ग्रंथ अुना कर अुनकी जानकारी और मनन-शक्ति अगर बढ़ायी जाय, तो प्रौढशिक्षा का सबसे कठिन रास्ता हम तय कर लेंगे। अिसके लिये जो लोग हाथ में किताब ले कर पढ सकते हैं अैसे लोग "श्रावण वग" द्वारा प्रौढशिक्षा का प्रचार सबसे अधिक कर सकेंगे। (श्रावण=अुनना; श्रावण=अुनाना)

अच्छा साहित्य अुनाना, अखबार में जो खबरें आती हैं अुनसे संबंध रखनेवाली घटनायें अुनाना, छोटे-मोटे प्रयोग कर दिखाना, प्रश्नोत्तरी के द्वारा शंका-निवारण करना, ये सब प्रौढशिक्षा के प्रधान अंग हैं। अिसके लिये जब प्रौढ शिक्षा के "परिभ्राजक" दीक्षा ले कर निकलेंगे तब कुछ कार्य हो सकेगा। जैसे 'हरिदास' और 'पुराणिक' (कथा और कीर्तनकार) वैष्णवादि ग्रन्थों का प्रचार करने के लिये अपना जीवन समर्पण करते थे अुसी तरह प्रौढ शिक्षा के दीक्षित

प्रौढ "परिव्राजकों" की एक नयी संस्था, एक नया वर्ग और एक नयी परंपरा कायम करनी चाहिये।

का० का०

रेडियो-प्रचार

रेडियो-प्रचार का आजकल बड़ा बोलबाला है। "जो लोग लिख-पढ़ नहीं सकते अथवा आवश्यक जानकारी सुनाने के लिये 'परिव्राजकों' का वर्ग निर्माण करने की अपेक्षा अगर 'रेडियो' के यंत्र स्थान स्थान पर खड़े कर दिये जायें तो काम कितना आसान हो जायगा? एक जगह पर एक आदमी बोलेंगा और लाखों और करोड़ों लोग अपने अपने स्थान पर सुन सकेंगे। जिससे कह कर सहूलियत और क्या हो सकती है? हिटलर ने अपनी राष्ट्रीय नीति पर व्याख्यान दिया और सारे जर्मन राष्ट्र ने अपने अपने घर पर अथवा राष्ट्रावली अथवा के शब्दों में और अथवा की आवाज में सुनी। हमारे देश में भी असा 'रेडियो' प्रचार क्यों न किया जाय?"

बात सही है। किन्तु देश के लोगों को जिस वक्त जहाँ पेटभर खाने की नहीं मिलता वहाँ कानभर खबरें सुनने से क्या पेट की आग बुझ सकती है? प्रधान ने बादशाह को कहा कि "खाविन्द, जिस साल फसल बिगड गयी, अनाज पका ही नहीं, देश में अकाल पड़ा रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, क्या किया जाय?" बादशाह ने प्रजा वात्सल्य से भरी हुअी आवाज में जबाब दिया, 'असा है तो लोगों को मिठाअी खिलाओ, अनाज नहीं तो न सही।' जहाँ लोगों के घर में दीया तक नहीं जलता वहाँ पर

'रेडियो' का प्रचार करके हम क्या करेंगे? (मैं जब पारसाल संथाल लोगों का प्रदेश देखने गया था। एक रात को हम दो-तीन अैसे गांवों से हो कर गुजरे जहाँ सारे गांव में किसी के घर में एक भी दीया नहीं था। "यहाँ तो निरपवाद अंधकार का साम्राज्य है"—ये शब्द मैंने करीब करीब कह ही डाले थे कि अितने में एक गांव में एक बनिया के घर में एक दीया टिमटिमाता दिखाअी दिया। संथाल लोग अुस घर की ओर अुसी अिज्जत की निगाह से देख रहे थे जैसे हम देहली में बडे लाट के प्रासाद की ओर देखते हैं।)

का० का०

मधुमक्खियों का पालन

वेदों में गाय को 'अध्वयः' कहा है। सब पशुओं में से गाय को अलग करके असे नहीं मारना चाहिये असा वैदिक काल में ही निर्णय हुआ। गाय का दूध अत्यंत पोष्टिक, सुपाच्य और निदोष आहार है। दूध प्राप्त करके ही मनुष्य ने मांसाहार कम कर दिया। अगर दूध की मदद न होती तो मनुष्य के लिये मांसाहार छोड़ना कठिन हो जाता। मनुष्य ने गाय-बैल को जंगल से पकड कर अपने कोटुम्बिक जीवन में स्थापित कर दिया। गाय ने दूध दे कर और बैल ने हल चला कर मनुष्य के आहार में क्रान्ति कर दी। हल की मदद से मनुष्य ने खेती शुरू की और अनाज की पैदावार बढ़ायी। गाय को घर में रख कर और निर्भय बना कर विशिष्ट आहार से अुसका दूध बढ़ाया।

अिस तरह से गाय और बैल ने अपनी सेवा से मनुष्य के लिये अहिंसाधर्म की शक्यता

स्थापित की। जंगली गाय को ग्राम्य पशु बनाने में मनुष्य को हजारों वर्षों तक प्रयत्न करना पड़ा होगा। गाय, बैल, घोड़ा, गधा, अंट, हाथी, भिन पशुओं को मनुष्य जब पालतू बना सका तब मानवी संस्कृति अकेदम अंची अूठी।

अब और अके कदम आगे बढ़ना है। घास का दूध बनाने का काम गाय ने किया। अब घास के फूलों में जो बिन्दुमात्र अमृत-रस रहता है और जो अिकट्टा करके काम में लाता मनुष्य के लिये अशक्य है अुस रस को ला ला कर अुसका शहद बनाने का काम मधुमक्खियों का है। मधुमक्खियों को मार कर या जला कर छत्ता लूटने का काम तो मनुष्यप्राणी ने अपने जीवन के प्रारंभ से ही किया है। शहद के जैसी स्वादिष्ट और मुरभि चीज आदमी भला कब छोड़ सकता था? किन्तु अितनी मिहनत करके शहद ला देनेवाली मक्खियों को मार डालना, अुनके अण्डे-बच्चों का नाश करना और शहद के साथ अण्डे भी निचोड़ना नृशंसता का गंदा काम था। अब भी हमारे देश

में यही प्रथा चालू है। किन्तु अब अुस में अहिंसक परिवर्तन होने लगा है। मधुमक्खियों के किसी वंश के सारेपूरे बन्द को पकड़ कर कृत्रिम घरों में रख देना, अुनके लिये जरूरत पडने पर खाने-पीने का अिन्तजाम करना और अुनके और अुनके बच्चों के लिये काफी शहद छोड़ कर बाकी का शहद अपने काम में लाना यह संस्कृति का अके कदम आगे है। शहद मनुष्य के लिये अत्यंत रुचिकर, पथ्यकर और मुफीद चीज है। अगर मधुमक्खियों का पालन हम कर सकें तो गोरक्षा के बाद हमने मनुष्य-संस्कृति को और अके कदम आगे बढ़ाया अैसा अनुभव होगा। अिन मक्खियों के पालन में खर्च बहुत कम आता है, अुनका स्वभाव समझ लेने में बड़ा आनन्द आता है और अिस व्यवसाय से आमदनी तो घी के व्यवसाय से भी अधिक होती है। अहिंसावादियों के लिये गाय और मधुमक्खियों के पालन का व्यवसाय केवल लाभदायी ही नहीं किन्तु जीवन को नयी दिशा देनेवाला सिद्ध होगा।

का० का०

दमन कैसे नष्ट हो ?

अिस बातको हम खुद नहीं चाहते वह दूसरों के प्रति न करें अिस महान नैतिक नियम के पालन से लोकजीवन में अके धर्मनिष्ठा और पुण्यप्रभाव प्रकट होगा। अगर आदमी अपने प्रतिपक्षी पर हिंसा का प्रयोग करना या अुसमें भाग लेना अकेदम बन्द कर देगा तो अन्यायी समाजरचना का मुख्य साधन—दमन—अकेदम नष्ट हो जायगा।

संघवृत्त

राम विरुद्ध भरत

संघ के सदस्यों में परस्पर लड़ाई का होना राम और रावण का युद्ध नहीं कहा जा सकता, और न पांडव और कौरव का ही। उसे तो राम और भरत की ही लड़ाई कहना होगा। वृन्दावन संमेलन के बाद में वर्षा अभी लौट ही रहा था, कि इतने में अके असी खेदकारक घटना की खबर भेरे कान पर आयी। आज जब कि मैं मान सकता हूँ कि उसका संतोषकारक अन्त आ गया है, बिना सदस्यों के असल नाम पेश किये उसकी कुछ बातें बता सकता हूँ। राम और भरत दोनों वृन्दावन में हाजिर थे, और चुनावों में सदस्य भीतरी होड नहीं कर सकते इस प्रस्ताव के दोनों साक्षी थे। संमेलन के बाद राम अके दूर के प्रान्त में हीरे पर गये थे। उनकी गैरहाजिरी में उनके जिले की कांग्रेस कमिटी के सदस्य और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। ये दोनों भाई अलग अलग मंडलों से सदस्य चुने गये थे। भूतकाल में राम कई वर्ष-तक जि. कां. क. के अध्यक्ष रह चुके थे, और भरत ने राम के प्रधानमंत्री की हैसियत में काम किया था। राम ही की सिफारिश से भरत संघ के सदस्य बनाये गये थे। लेकिन, मालूम होता है कि कुछ मास से भरत के दिल में राम के प्रति बडा असंतोष उत्पन्न हो गया था। परन्तु, उन्होंने कभी वह दिल खोल कर राम पर प्रकट नहीं किया। भरत की अपेक्षा राम विशेष तेजस्वी और तपस्वी होने से भरत की यह हिमत नहीं थी कि वे अपना असंतोष

साफ साफ कह दें। राम को इस असंतोष का ठीक पता नहीं था।

जब पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, राम गैरहाजिर थे। उनके मित्रों ने उनका नाम अध्यक्षपद के लिये सुझाया। भरत हाजिर थे। उनके मित्रों ने उनका भी नाम पेश किया। और भी अके दो उम्मीदवार खडे किये गये। आखिर बहुमत से राम चुने गये।

उसी जिले के अके तीसरे सदस्य लक्ष्मण ने मुझे इस होड की खबर दी। मैंने दोनों से जबाब मांगा। राम ने बताया कि वे चुनाव के समय उपस्थित नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कि भरत अध्यक्ष बनना चाहते थे और खडे होने वाले थे। फिर भी अगर मैं फरमाऊं तो वे अध्यक्षपद का इस्तीफा दे देंगे। भरत ने अके लंबी कैफियत दी। उसमें राम के विरुद्ध बहुत गंभीर आक्षेप किये। लेकिन, संघ के प्रस्ताव का भंग करने का वे कोई कारण नहीं बता सके। अथवा, तात्पर्य से वही कारण निकाला जा सकता था कि हालां कि राम इत्तिफाक से संघ के सदस्य हो गये हैं, ताहम उनकी दृष्टि में वे सदस्यता योग्य न होने के कारण, उनके विरुद्ध खडे होने में उन्हें संकोच न हुआ।

इसमें आगे जो पत्रव्यवहार हुआ उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। उसके परिणामस्वरूप भरत ने अपनी इतनी भूल स्वीकार की कि असी होड करने के पहले उनका राम से दिल खोल कर बात कर लेना, अपने प्रान्त के संघ के दूसरे सदस्य और नेता से मशविरा करना अब्बवा मुझसे पूछना

जरूरी था, अथवा उन्हें राम को संघ से हटवाने की चेष्टा करनी चाहिये थी। फिर भी, वे अपने आक्षेपों पर डंटे रहे, और इसलिये दोनों ने चाहा कि मैं इसकी जाँच करूं।

मैंने यह सोचा कि अगर राम और भरत दोनों संघ में रहना चाहते हों, तो दोनों को अकेदिली से ही रहना चाहिये। भरत राम से दुश्मनी का भाव रखते हुए संघ में रहें, अथवा राम बिना भरत का संतोष संपादन किये संघ में रहें, इसे अहिंसा का पराजय ही समझना चाहिये। फिर इस दुश्मनी के मूल में जि. कौ. क. के अध्यक्ष-पद का मोह ही है। इसलिये मुझे पहले यह समझ लेना था कि वे संघ और जि. कौ. क. में से किस संस्था का महत्त्व ज्यादा समझते हैं। इसलिये मैंने उनके सामने यह सूचना रखी कि मैं आक्षेपों की जाँच करूँ उसके पहले या तो वे संघ की सदस्यता पसंद करें अथवा जि. कौ. क. की। दोनों ने संघ की सदस्यता पसंद की और भरत ने जि. कौ. क. की इस साल की सदस्यता का और राम ने अध्यक्षता का त्यागपत्र दे दिया।

अब आक्षेपों की सचाई की जाँच करना आवश्यक हुआ। दोनों वर्षा जा गये। मैंने पहले सारी बातें सुन लीं। गांधीजी के सामने भी सारा मामला पेश किया गया। अंत में यह पाया गया कि भरत ने कुछ यहां की और कुछ वहां की बातें सुन कर, और अके दो प्रसंगों में कुछ मामलों में विचारभेद हो जाने के कारण राम के बारे में अपना मन कलुषित कर लिया था। जरासी शंका पैदा होते ही, अगर राम से ही उसकी सफाई पूछ लें तो इतनी हद तक यह वैमनस्य ही ही नहीं पाता। सद्भाग्य से भरत ने अपनी भूल

समझ ली, और नीचे का पत्र मुझे लिख दिया।

“आप की आज्ञानुसार मैं वर्षा आया। ...के संबंध में जो मेरा अवि प्राय था उसे ब्यारे-वार आपसे कहा। पू. बापूजी के पास भी...के साथ गया। वहां पूज्य बापूजी ने मुझे जो बातें बतायीं उससे मुझे हृदय से अनुभव हुआ कि ऐसी बातें मुझे नहीं करनी चाहिये। अतएव जो आक्षेप मैंने...पर आरोपित किया था, उसे हृदय से वापिस लेता हूँ। पू. बापूजी के परामर्शानुसार मैंने...से भी बातें कीं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक तमाम बातों को दरगुजर किया। मैंने संघ का नियम अके दूसरे सदस्य से स्पर्धा कर के भंग किया, इसका मुझे हादिक खेद है। कृपया क्षमा करें।”

राम का अध्यक्षपद से त्यागपत्र अबतक मंजूर नहीं हुआ था। अब वह वापस लिया जायगा। भरत का त्यागपत्र मंजूर हो चुका है। वे अगर हृदयपूर्वक राम से सहयोग कर सकते हैं तो जि. कौ. क. में फिर जायेंगे, नहीं तो रचनात्मक कामों में ही अपनी शक्ति लगावेंगे। राम का कर्तव्य होगा कि वे भरत का आदर और सहयोग फिर प्राप्त करें।

कि. घ. मशरूबाला

अध्यक्ष, गांधी सेवा संघ।

गांधी-जयंति सूत्रथक

श्री नारायणदास गांधी की सूचना का दूसरी जगह भी स्वीकार हुआ है। खेडा जिले के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ खेडा जिले में कम से कम सत्तर लाख गज कातने का संकल्प किया है। श्री सीताराम शास्त्री

(बिनयाश्रम) और उनके साथियों ने पच्चीस लाख गज कातने का संकल्प किया है ।

श्रीहरिभाबूजी अुपाध्याय तथा गांधी आश्रम, हट्टंडी, के अन्य भागीबहनों ने दो लाख गज के करीब कातने का संकल्प किया है ।

असफपुर (युक्तप्रांत) से श्री प्रभुदास गांधी ने लिखा है—“ सात सात लाख गज सूत अपनी धोतियों के लिये कातनेवाले जूयों की रचना कर रहा हूँ । कम से कम अंसे १० जूथ हो जायेंगे अंसी आशा है । मैंने स्वयं अपने घर ३॥ लाख गज सूत गांधी-जयन्ती तक कातने का संकल्प किया है” ।

महत्त्वपूर्ण निर्णय

कार्यवाहक समिति की बैठक ता. १३ अगस्त को वर्धा में हुई । सरकारी नौकरी लेने के संबंध में समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा संघ की नीति स्पष्ट की है—

“ संघ के किसी सदस्य को किसी सरकार की कोभी नौकरी लेने का अधिकार नहीं है । अगर कोभी अंसा करना चाहे तो

अुसको कार्यवाहक समिति की अनुमति पहले से लेनी चाहिये । संघ का कोभी सदस्य अब से अगर कोभी नौकरी लेना चाहे तो संघ का सेवक या सहयोगी सदस्य नहीं रह सकेगा सहायक सदस्य रह सकता है ” ।

त्यागपत्र

महाराष्ट्र के अेक सेवक-सदस्य श्री सदाशिव जगन्नाथ अुर्फ भाअू धर्माधिकारी ने अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दिया और ता. १-८-३९ से वह मंजूर किया गया है ।

नये सदस्य

सेवक— श्री. सोनू सावळू, वांजोले,
डा. भुसावल, जि. पूर्व खानदेश ।
सहयोगी— श्री. शंकर मोरेभर बांबेटे,
चिरनेर सेवाश्रम, पनवेल,
जि.—कुलाबा ।

र. श्री. धोत्रे
मंत्री, गांधी सेवा संघ ।

वाङ्मय परिचय

१. आधुनिक उपाधी (हिन्दी)

(ले० कृष्णप्रसाद दर,
प्र० अलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, अलाहाबाद,
मूल्य रु० ६-०-०)

२. कॉपी अैण्ड प्रूफ (अंग्रेजी)

(ले० कृष्णप्रसाद दर,
प्र० अलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, अलाहाबाद,
मूल्य रु० २-४-०)

३. मुद्रणप्रवेश (मराठी)

(ले० और प्रकाशक : शंकर रामचन्द्र दाते
लोकसंग्रह छापसाना, ६२४, सदाशिव,
पूना २. मूल्य रु० २-०-०)

४. मुद्रणप्रवेश अर्थात् कंपोज कला (हिन्दी)

(ले० शंकर रामचन्द्र दाते; अनुवादक.
गोपीवल्लभ अुपाध्याय : प्रकाशक, शंकर
रामचन्द्र दाते : मूल्य रु० २-०-०)

प्राचीन काल में जब हमारे देश में हस्त-लिखित पोथियों का रिवाज था तब कागज की खूबी, अवषरों का सौन्दर्य, खास कलम और स्याही तथा पोथी में दिये हुये चित्र अित्यादि बातों का अेक स्वतन्त्र शास्त्र बन गया था और अिनकी कला भी स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न रीति से विकसित हुअी थी। तंजावर, बडौदा, रामतीर्थ, जम-खिंडी, भारत अितिहास संशोधक मंडल, समर्थ वाग्देवता मंडल, खुदाबक्श लायब्ररी, पटना, रंगून, कटक, गोहाटी अित्यादि स्थानों में हाथ की लिखी किताबों के अप्रतिम नमूने देखने में आये। अब छपी हुअी पुस्तकों का जमाना आ गया है। अिस कला में भी आजकल की दुनिया ने अभिमान करनेलायक प्रगति की है। यूरोप-अमेरिका की छपाअी, बंधाअी और जिल्दसाजी देख कर बडे बडे अिरक्त लोक भी रसिक बन जाते हैं।

अब हमारे देश में भी छपाअीकाम ने, यानी मुद्रणकला ने, प्रवेश किया है। प्रथम प्रथम सेरहामपुर (श्रीरामपुर) आदि स्थानों में मिशनरी लोगों ने अिसका प्रारंभ किया। किन्तु अब हमारे लोग अिसमें अग्रसर हो रहे हैं। कोअी भी कला काफी बढने पर अुसका शास्त्र तैयार हो जाता है और आजकल शास्त्रग्रंथ भी तुरन्त लिखे जाते हैं। अैसे चार ग्रंथ हमारे सामने हैं। दो हैं अलाहाबाद 'लॉ जर्नल प्रेस' की ओर से आये हुअे और दो हैं लोगसंग्रह छापखाना, पूना, से आये हुअे।

पूना का 'मुद्रणप्रवेश' ग्रंथ मूल मराठी में छपा हुआ है। अुसीका अनुवाद हिन्दी में अुसी प्रेस ने छाप कर हिन्दी जगत का अूपकार किया है। मराठी में या हिन्दी में अिस ग्रंथ की दो रूपया दे कर

अपनाना हर अेक प्रेस का और प्रेस के साथ संबंध रखनेवाले व्यक्ति का कर्तव्य है। लेखक श्री शंकरराव दाते बडे ही संस्कारी और शिक्षित नवयुवक हैं। आपने अिंग्लैंड ओर जर्मनी जा कर देवनागरी मोनोटाअीप का संगठन किया। 'मुद्रणप्रवेश' ग्रंथ में श्री शंकरराव दाते की मिहनत का और बुद्धिमानी का फल संग्रहीत है। अिस ग्रंथ की विशेषता यह है कि अिसमें दाते महाशय ने स्वदेशी परिभाषा बना दी है। दाम कम, विवेचन सुलभ, सुबोध और व्याव-हारिक तथा परिभाषा स्वदेशी—अिन तीन गुणों के कारण "मुद्रण प्रदेश" की हम भारत के सभी मुद्रणालयों से सिफारिश करते हैं।

अलाहाबाद के 'लॉ जर्नल प्रेस' की ओर से श्री कृष्णप्रसाद दर की लिखी हुअी 'कॉपी अैण्ड प्रूफ' यह छोटीसी पुस्तिका हमें बहुत अच्छी लगी। पुस्तक अंग्रेजी में होने से अिसकी कीमत सवा दो रूपया कुछ अधिक नहीं। हिन्दुस्थान के प्रेस को मद्दे नजर रख कर ही यह किताब लिखी गयी है। अंग्रेजी जाननेवाले हर अेक मुद्रक को अिससे लाभ अुठाना चाहिये। प्रेस का गणित कोअी सामान्य चीज नहीं है। अिसका भी थोडा कुछ परिचय अिसमें है। अन्त में जो पारि-भाषिक शब्दों की सूची दी है वह देशी लोगों के लिये बडे ही काम की चीज है। अिनका प्रेस के साथ हमेशा कुछ न कुछ संबंध आता रहता है अैसे लेखकों के लिये भी यह किताब बहुत अुपयोगी है।

लेकिन अगर किसी ग्रंथ ने हमारा मन हर लिया है तो वह अलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस के मैनेजर श्री कृष्णप्रसाद दर

की लिखी हुयी 'आधुनिक छपायी' ने। देशी भाषा में ऐसी बढ़िया और अद्यतन (अप-टू-डेट) किताब शायद दूसरी न होगी। मुद्रणकला के साथ संबन्ध रखनेवाली करीब करीब सभी बातें जिसमें आ गयी हैं। हमारी दृष्टि से जिस किताब में अके दोष है। जिसमें जहांतहां अंग्रेजी की ही परिभाषा का व्यवहार किया गया है। ग्रंथकार यह भी मानते हैं कि देशी परिभाषा चलाने में नुकसान होगा। हम जिस राय से सहमत नहीं हैं। कहीं कहीं विदेशी परिभाषा लेना अपरिहार्य होता है। कहीं कहीं उसमें सहूलियत भी होती है। देशी लोगों के लिये अंग्रेजी परिभाषा जानना आवश्यक भी है। अतना होते हुए भी स्वदेशी परिभाषा के द्वारा लोकशिक्षण में हम कितनी प्रगति कर सकते हैं जिसका खयाल जिन्हें है वे ही जिस बात को समझ सकेंगे। "आधुनिक छपायी" की भाषा आसान अर्द्ध, यानी हिन्दुस्तानी, है। केवल हिन्दी जाननेवालों के लिये श्री शंकरराव दाते का मुद्रणप्रवेश अधिक सुबोध होगा। हमारी तो यह राय है कि मुद्रणकला के हर अके अभ्यास को अिन चार में से तीन किताबें अपने पास रखनी ही होंगी। 'आधुनिक छपायी' का प्रचार करने की दृष्टि से उसकी छह रुपया कीमत कुछ घटानी होगी। हम अिनके लेखक को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि अुन्होंने देश को देशी भाषा में ऐसी अद्यतन किताबें दी हैं।

का० का०

गांधी सुधार कैसे हो ? —लेखक, श्री रामचंद्र त्रिवेदी, प्रकाशक, पटना पब्लिशर्स, बाँकीपुर, पटना। (द्वितीय संशोधित संस्करण,

१९३९, पृ. ११६ मूल्य सादी ॥, जिल्द १)

यह पुस्तक बिहार में छठें और सातवें दर्जे के विद्यार्थियों के लिये ज्यादा-पाठ्य-पुस्तक (सप्लिमेंटरी टेक्स्ट बुक) मुकर्रर की गयी है। यही वजह है कि तीन महीने के अरसे में जिसकी दो आवृत्तियां निकल गई हैं। पुस्तक पर बिहार के कई अग्र-गण्य महाशयों ने बड़ी प्रशंसात्मक सम्मतियां दी हैं। तो भी मुझे खेदपूर्वक कहना चाहिये कि यह पुस्तक इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं। जिस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिये वह नियत की गई है, उनके लिये वह काम की नहीं। सामान्य पाठकों के लिये उसमें कुछ अच्छी बातें दी गई हैं, लेकिन छोटी उम्र के लड़कों की पाठ्यपुस्तक के लिये जो सामग्री, तथा लेखक को जो अनुभव और अध्ययन चाहिये, वह इसमें नहीं-सा है। उदाहरणार्थ अके ओर वर्धायोजना की लेखक ने बहुत प्रशंसा की है, और दूसरी ओर बच्चों की शिक्षा के बारे में उन्होंने अपने कुछ अलग विचार पृ. २८ से ३३ तक दिये हैं। ये विचार पढ़ने पर यह शक होने लगता है कि या तो लेखक ने कभी वर्धायोजना पढ़ी ही नहीं, अथवा उसे समझने में वे सफल नहीं हुए। विचारों का कच्चापन दूसरे परिच्छेदों से भी प्रकट होता है। मेरी राय में इसे पाठ्यपुस्तकों में से हटा ही देना चाहिये। इसके अलावा इतनी छोटी पुस्तक के लिये ॥.) तथा रु. १) कीमत बहुत ही ज्यादा है। क्या यह मुमकिन है कि इतनी सी पुस्तक की जिल्द बंधाई के लिये आठ आने खर्च होते हों? इतनी नफाखोरी से "गौवसुधार" कैसे हो?

कि० घ० म०

[युक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त और बन्धुी सरकार की कॉलेज, स्कूल
और अन्य शिक्षणसंस्थाओं के लिये स्वीकृत]

‘हंस’

आन्तर प्रान्तीय साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत

सम्पादक: श्रीपतराय

सहकारी सम्पादक-मण्डल

बुर्दू- मोलाना अब्दुल हक
गुजराती- रा. वि. पाठक
बंगला- श्री नन्दगोपाल सेनगुप्त
राजस्थानी- नरोत्तमदास स्वामी

नराठी- वि. स. खांडेकर
अडिया- कालिन्दीचरण याणिप्राही
पंजाबी- प्रो० मोहनसिंह
कन्नड- बी. अश्वत्थ नारायण राव
निदरूर श्रीनिवास राव

देश में	विदेश में	वर्षा में
वार्षिक मूल्य ६)	१२ शिलिंग	८)
अर्ध वार्षिक मूल्य ३)	७½ शिलिंग	५)

अंक अंक आठ आना

‘हंस’ का कार्यालय

बनारस कैंट (यू. पी.)

सूचना—

‘सर्वोदय’ में आम तौर पर अक्षितहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। बिनके अक्षितहारों के दाम नहीं लिये जायेंगे। केवल कामज, छपाई और डाकखर्च ले कर अक्षितहार छापे जायेंगे। जो साहित्य या संस्था निर्विवाद रूप से लोकोपयोगी है, उसीको स्थान दिया जायगा। यह व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित की दृष्टि से चलायी जायगी।

व्यवस्थापक, ‘सर्वोदय’, वर्धा।

जीवन का अेकमेव नियम

ज्यों ज्यों मेरी आयु बढ़ती है—और खास कर अब जब कि मैं मृत्यु का आगमन स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ—त्यों त्यों जो बात मेरे दिल में दूसरी सारी बातों की अपेक्षा अधिक अुत्कट हो रही है और जिसे मैं अत्यंत महत्त्वपूर्ण समझता हूँ अुसे प्रकट करने की अिच्छा तीव्रतर होती जाती है। वह वही चीज है जिसे हम बल-प्रयोग द्वारा विरोध का परित्याग कहते हैं। दरअसल वह हेत्वाभासात्मक तर्क से अविद्वृत, शुद्ध प्रेम का धर्म और नियम है। प्रेम या दूसरे शब्दों में मनुष्य की आत्माओं की परस्पर मिलन की आकांक्षा और अुससे पैदा होनेवाली नम्रता की वृत्ति जीवन का सर्वश्रेष्ठ ही नहीं बल्कि अेकमेव नियम है। प्रत्येक को अपने अंतःस्थल में अुसका अनुभव होता है और जंसाकि हम बच्चों में भली-भांती देख सकते हैं, मनुष्य जब तक दुनियवी विचारों के जाल में नहीं फंसता तबतक वह अिस नियम को जानता भी है।

७:९:१९१०

—लिओ टॉलस्टॉय

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ।

सम्पादक

काका काल/लकर, दादा भूमाधिकारी

वर्ष २ रा

३

अक्तबर

१९३०

आदमियों में आदमी गांधी

सज्जनो, यह मैं अपनी जिन्दगी की खास नियामतों में से अेक समझता हूँ कि श्री गांधी से मेरी घनिष्ठता है। मैं आप से कह सकता हूँ कि भिसेसे अधिक पवित्र, अधिक आर्य, अधिक शूर और अधिक बुदात्त आत्मा इस पृथ्वी पर कभी नहीं आयी। श्री गांधी अुन व्यक्तियों में से हैं जिनका जीवन तपस्वी के समान सादा है, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम के अुच्चतम सिद्धान्त में और सत्य तथा न्याय में जिनकी परम श्रद्धा है, और जो अपने दुर्बल भावियों की आंखों को मानों जादू की छडी से छू कर अुन्हें नयी दृष्टि दे देते हैं। वे अेक अैसे आदमी हैं जिनके लिअे हम कह सकते हैं कि यह मनुष्यो में मनुष्य है, वीरों में वीर है और देशभक्तों में देशभक्त है। हम अुनके विषय में यह कह सकते हैं कि वर्तमान भारत की मनुष्यता इस आदमी में अपने अुत्कर्ष की अत्युच्च सीमा को पहुँच गयी है।

लाहोर काँग्रेस, १९०९

—गोपाल कृष्ण गोखले

अंक अंक...	...	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में...	...	६	शिलिंग
		१.५०	डॉलर.
(सब डाक सहित)			

अनुक्रमणिका

१. अीरावास्योपनिषत् (विनोबा)
२. आधुनिक भारत को गांधीजी की देन (श्री शंकर दत्तात्रेय जावडेकर)	...	९८
३. वर्षा योजना का हार्द-अनुबन्ध (श्री काका कालेलकर)	...	१०१
४. असम की अेक आंकी (श्री काका कालेलकर)	...	११५
५. गांधीवाद में जीवनकला (श्री मुरेशकुमार)	...	११९
६. राष्ट्रभाषाआन्दोलन की भूमिका (श्री दादा धर्माधिकारी)	...	१२४
७. चरखाप्रशस्ति (श्री दिलखुश दिवानजी)	...	१२०
८. कोअे की नजर से (आश्रमवासी अुल्लू)	...	१३१
९. श्रमजीविका ('ब्रेडलेवर') (विनोबा)	...	१३७
१०. सर्वोदय की दृष्टि
अहिंसा-सिद्धान्त या नानि ? सभ्यता की रक्षा या नाश? राजवन्दियों की रिहाअी; मनुष्योचित अपराधाचिकित्सा; भारत हमारा देश है (?) ; सर्वोदय और साम्यवाद का अवरोध; नम्रत्वे नोन्नमन्तः; हमारा खास मर्ज; काँग्रेस और गांधीजी; पं० जवाहरलाल और अुद्योगवाद; गांधी सेवा संघ की स्थिति ।		
११. मुसलमान और राष्ट्रीय आन्दोलन (श्री जयरामदाम दौलतराम)	...	१६१
१२. संघवृन्त

सर्वोदय मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भुवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बअी २
- (२) वीरा अैण्ड कंपनी, ८, राउण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बअी २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बअी २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) सावी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य मण्डल, नया बाजार, देहली ।
- (७) सस्ता साहित्य मण्डल, लखनअू ।
- (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) मगनलाल हिम्मतलाल भट्ट, काँग्रेस हाअुस, नाणावट, पुरन

सर्वो द य

अथ वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेकर
दादाधर्मामधिकारी

अक्टूबर, १९३९
वर्षा

शीशावास्योपनिषत्

[विनोषा]

मंत्र—अनेअदेकं मयसो जवीषो भैरहेवा आप्नुयन्मूर्धमर्शस्
तद्घ्रावतोऽन्वाभ्येति सिद्धरत्नस्मिन्नपो मातरिभ्या दधाति ॥४॥

अर्थ—वह अन्तमत्तव्य अके ही, मिलकुल हलचल न करनेवाला
धीर (जैसा होते हुवे भी) मन से भी अधिक वेगवान् है।
देव उसे नहीं पकड़ पाते; किन्तु उसने देवों को कबका पकड़
लिया है। वह स्थिर रह कर दूसरे सब दीड़नेवालों से आगे
निकल जाता है। प्रकृतिवाता की गोद में खेलनेवाला प्राण
असीकी कस्त से हलचल करता है।

टिप्पणियाँ—(१) यहां 'श्व' शब्द से 'शरीर के प्रकाश द्वार'—'ज्ञानेन्द्रिय'—समझना
चाहिये। (२) जिस अक्षर के अक्षरों में मन और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण
अग्निसे तुलना कर आत्मा की शक्ति बतलायी गयी है।

मंत्र—तदेजति तजेजति तद्दूरे तद्वन्तिके।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

अर्थ—वह हलचल करता है और नहीं भी करता। वह दूर भी
है और पास भी। वह जिस सबके भीतर और बाहर भी है।

टिप्पणी—जिसमें आत्मा की व्याप्ति बतलायी गयी है। पहला अक्षर "वह हलचल करता
भी है, और नहीं भी करता," शक्तिदर्शक प्रतीत होता है। तथापि अक्षर अर्थ, "स्थिर
और चर दोनों वही है," जैसा व्याप्तिसूचक है। गीता के निम्नलिखित अध्यायार्थक
श्लोक से यह स्पष्ट हो जायेगा।

बहिरन्तश्च भूतानामन्तरं चरमेव च ।

सूक्ष्मन्तश्चास्तद्विभेद्यं दूरस्थं चाभित्थे च तत् ॥ गीता १३:१५

(अन्तरही के अनन्तर)

आधुनिक भारत को गांधीजी की देन

[आचार्य शंकर दत्तात्रेय जावड़ेकर]

सुधारवादी आन्दोलन

"आधुनिक भारत आधुनिक यूरोप होगा, फिरसे प्राचीन भारत होगा, या मध्य-युगीन ही बना रहेगा ?" यह सवाल अगर आज से पचास साल पहले पूछा जाता तो उसका निश्चित जवाब कोई दे सकता या नहीं इसमें शक है। अंग्रेजी पड़ेलिखे मुट्ठीभर भारतीय आधुनिक भारत को आधुनिक यूरोप की दीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे कुछ शिक्षित लोग उसे प्राचीन भारत का वेदकालीन भेष पहनाना चाहते थे, और कुछ ऐसे भी शिक्षित लोग थे जो उसका मध्ययुगीन रूप कायम रखना चाहते थे। सर्वसाधारण जनता जानबूझ कर किसी के भी पीछे जाने को तैयार नहीं थी। वह जनता तमोगुण के अंधरे में रास्ता टटोलने की कोशिश कर रही थी। "अपने अन्दर कोई कर्तृत्वशक्ति है, हम भी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हमारा भविष्य हमारी ही सामर्थ्य पर निर्भर है" जिसका उसे कोई खयाल नहीं था। अंग्रेजी पड़ेलिखे कुछ लोगों ने यूरोप का इतिहास पढ़ा था। व्यक्तिवाद, लोकसत्ता, राष्ट्रवाद आदि कल्पनाएँ वे अंग्रेजी साहित्य से सीखे थे और उन अंग्रेजी कल्पनाओं को मातृभाषा में व्यक्त करना सीख रहे थे। अिन्हीं कल्पनाओं के आधार पर पचास वर्ष पहले काँग्रेस ने आधुनिक राष्ट्रनिर्माण का पहला प्रयत्न शुरू किया। अन्हें थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था कि हम अनेक प्रांत, अनेक भाषा, अनेक धर्म और अनेक

जातियों से युवत इस महाद्वीपतुल्य राष्ट्र को अिग्लैंड, अमेरिका, फ्रान्स या जर्मनी के समान अेक संगठित, संपन्न और सुसंस्कृत राष्ट्र बना सकेंगे। परन्तु उनका यह आत्म-प्रत्यय बहुत ही मंद और अस्फुट था। उनका यह भी विश्वास था कि इस महान् कार्य में हमें अीश्वर की सहायता की आवश्यकता है और वह अीश्वरी सहायता अंग्रेज सहायकों के द्वारा ही मिल रही है। अन्हें अपने अन्दर बसनेवाले परमात्मा का ज्ञान नहीं था। अन्हें तो अीश्वर अंग्रेजों के ही रूप में प्रतीत होता था। फलतः उनका सारा भरोसा आत्मप्रत्यय के बदले परप्रत्यय पर ही था। आधुनिक काल का भारत प्राचीन या मध्ययुगीन भारत न हो कर आधुनिक ही होगा ऐसी तो उनकी दृढ़ धारणा थी। लेकिन उनका यह खयाल था कि उसे आधुनिकता की दीक्षा देने के महत् कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। आधुनिक भारत आधुनिक यूरोप बने यह उनकी महत्वाकांक्षा थी। परन्तु इस महत्वाकांक्षा की सफलता के लिये अंग्रेजों की सहायता आवश्यक है, यह उनका मूलभूत गृहीत सिद्धांत था। व्यक्ति-स्वातंत्र्य और लोकसत्ता की कल्पनाओं के आधार पर अन्होंने धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों का कार्यक्रम बनाया और भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने के कार्य का आरंभ किया।

राष्ट्रवाद की प्रधानता

असके थोड़े दिन बाद आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद को प्रथम स्थान मिला। " फिलहाल हमें व्यक्तिस्वातंत्र्य के सर्वांगीण सुधार की जरूरत नहीं, सब से पहले हमें स्वतंत्र होना है और अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ से नष्ट करनी है," यह विचार जोर पकड़ने लगा। "लेकिन हम स्वतंत्र कैसे हों? ब्रिटिश सत्ता नष्ट कैसे करें?" यही विचार सारे सुविद्य लोगों को बेचैन करने लगा। लोकमान्य ने गणपति अरुसव और शिवाजी अरुसव शुरू करके आधुनिक भारत की राष्ट्रीयता को इतिहास का तथा धर्म का आधार दिखला दिया। राष्ट्रीयता ही आज हमारा धर्म है, भारतमाता की अर्पणसना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्मसंप्रदाय है असी दृढ़ श्रद्धा अन्होंने युवकों में पैदा की। इस भारतमाता की मुक्ति के लिये चाहे जो त्याग करने में ही मोक्ष है, यह श्रद्धा अन्होंने जायत की। अब 'स्वराज्य' ही नवयुवकों का अकेला धर्म हो गया। लेकिन "अस धर्म का अधिष्ठान काँग्रेस ही है और काँग्रेस में जनता का समावेश होगा तथा अुसीके प्रयत्नों से आधुनिक भारत का जन्म हो सकेगा," लोकमान्य की अस नीति पर अुस जमाने के युवकों का विश्वास नहीं था। लोकमान्य का विचारवादी राजनैतिक आन्दोलन चाहे कितना ही अग्र कयों न रहा हो, अिन नवयुवकों की राय में नरम ही था। लोकमान्य के स्वदेशी और बहिष्कार के आन्दोलन में अन्हें कोभी बहादुरी नहीं दीखती थी। छत्रपति शिवाजी का आदर्श सम्मुख रख कर विदेशी वस्त्रों की

होलियां जलाने में अन्हें कोभी बची-भरविभी नजर नहीं आती थी। अैसे युवकों ने शिवाजी का बेतरतीब लड़ाई का (गोरिसा वारफेयर) तर्रीका और मेजिनी का षड्यन्त्रों का तरीका अिन दोनों को अुलटपलट कर अुनकी खिचड़ी से अेक सशस्त्र क्रान्तिकारक पक्ष बनाया। बंगाल में अस क्रान्तिकारक दल ने कालीमाता की अर्पणसना के सम्प्रदाय का रूप लिया और महाराष्ट्र में शिवाजी-रामदास की भवानीमाता के अरुसव का रूप लिया।

जनता का रुख

सशस्त्र क्रान्तिकारक भी अपने आपको आधुनिक राष्ट्रनिर्माता कहलाते और मानते थे। लेकिन अुनके आन्दोलन का रूप ही असा था कि अुसमें आम जनता खुल्लम-खुल्ला भाग नहीं ले सकती थी। आम जनता बहुत हुआ तो अुनके किसी साहसपूर्ण कृत्य की तारीफ़ करती थी, अबवा गुप्त रूप से अुनकी प्रशंसा कर अुनकी देशभक्ति के लिये बधाअियाँ देती थी, लेकिन अुसे यह आशा कभी नहीं थी कि अिन प्रयत्नों के गर्भ से आधुनिक भारत का जन्म होगा। वह तो यही मानती थी कि राष्ट्रनिर्माण तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता का सही रास्ता यह नहीं है। अुसे पुराना इतिहास सुकाम नहीं था, शिवाजी महाराज ने जो कुछ किया अुसकी तफ़्सील वह नहीं जानती थी; यूरोप या रूस के क्रान्तिकारियों के आन्दोलन से भी वह वाकिफ़ नहीं थी; लेकिन अुसे अितना विश्वास था कि अिन सशस्त्र क्रान्तिकारी तहनों की कहीं न कहीं गलती जरूर है और अिनके पीछे जाने से हमारा अुद्धार नहीं हो सकता।

लोकमान्य की सिखावन

लोकमान्य का राष्ट्रवाद ही ठीक है और बिन तरुणों का क्रान्तिवाद हमें मुक्त नहीं कर सकता यह बात लोकमान्य के अविरत प्रयत्न से आम जनता के ध्यान में आ गयी। मंडले से लौटने पर लोकमान्य ने कांग्रेस अपने हाथ में ली, उसे आन्दोलन करनेवाली जनता की प्रतिनिधिक संस्था का रूप दिया और भारतवासियों में यह दृढ़ भावना पैदा कर दी कि हिन्द की राष्ट्रीयता लोकसत्ताक ही होनी चाहिये। भारतीय राष्ट्रवाद और लोकशाही का अटूट गठबंधन करने के लिये उन्होंने अपने 'काँग्रेस लोकशाही दल' की स्थापना की। हिन्दुस्थान की आम जनता का बुद्धार लोकशाही के द्वारा ही होगा, और लोकशाही काँग्रेस में अडिग श्रद्धा से ही प्राप्त होगी, यह लोकमान्य की सारी सिखावन का सार है। आम जनता की संगठना के लिये उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार तथा निःशस्त्र प्रतिकार का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन यह रास्ता प्रत्यक्ष प्रतिकार का रास्ता है और इसके लिये जनता को अहिंसाधर्म की दीक्षा लेनी जरूरी है। इस सिद्धान्त का महत्त्व भारतीय जनता पर गांधीजी ने प्रकट किया।

अहिंसात्मक व्यक्तिवाद और बुद्धि-स्वातंत्र्य

भारतीय जनता पर अहिंसा का महत्त्व प्रकट कर गांधीजी ने यह विश्वास पैदा कर दिया है कि आधुनिक भारत आधुनिक यूरोप नहीं बनेगा। यूरोप ने आधुनिक काल में अनेक सामाजिक आदर्शों का आविष्कार किया। व्यक्तिवाद, लोकसत्ता, राष्ट्रवाद, और अिधर कुछ ही दिनों के पहले सजाजवाद, जैसे चार मुख्य

सामाजिक आदर्श यूरोप में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन बिनमें से हरेक आदर्श का स्वरूप आज कुछ बिगड़ा हुआ नजर आता है। पहले पहल व्यक्तिवाद के आदर्श में सराबी पैदा हुई और व्यक्तिस्वातंत्र्य का अर्थ अमर्याद स्वार्थ, अनियंत्रित स्पर्धा अथवा असूया और अनिबन्ध लोभ किया जाने लगा। व्यक्तिस्वातंत्र्य की वास्तविक महत्ता संयम के बिना व्यस्त ही नहीं हो सकती। व्यक्तिस्वातंत्र्य का अर्थ स्वेर वासनाओं का अनियंत्रित साम्राज्य नहीं है। जो व्यक्ति स्वेर वासनाओं के दास हैं वे, या अज्ञानी बुद्धि, स्वतंत्र हो ही नहीं सकती, यह तत्त्व भारत को समझाने का श्रेय गांधीजी को है। गांधीजी व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी हैं, वे बुद्धिस्वातंत्र्य के तत्त्व को भी मानते हैं। अपनी सदसद्विवेक बुद्धि की अपेक्षा दूसरे किसी की भी आज्ञा श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिये, यह तत्त्व भी अन्हें मंजूर है। परन्तु अज्ञानका व्यक्तिस्वातंत्र्य स्वार्थ के लिये नहीं, वरन सेवा के लिये है। अज्ञानका बुद्धिस्वातंत्र्य वासनाधीन, विकारवश बुद्धि का स्वेर वर्तन नहीं है, बल्कि निविकार स्वतंत्र प्रज्ञा की स्वाधीनता है। वे अपने सत्याग्रही तत्त्वज्ञान द्वारा ग्रंथप्रामाण्य, रूढ़राजाज्ञा और रूढ़धर्मज्ञा से परे जाने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। तोभी श्रेष्ठ ग्रंथों की महत्ता, कानून पालने का महत्त्व और धर्मनिष्ठा की जरूरत के प्रति वे अवहेलना की वृत्ति नहीं पैदा करते। हरेक मनुष्य की बुद्धि में नये नये सत्य खोजने की या सत्य का अधिक शुद्ध रूप ग्रहण करने की शक्ति तो है परन्तु वह शक्ति विनीतभाव से, दीर्घ प्रयासयुक्त तपस्या और विरक्त वृत्ति से ही सत्य की खोज से ही प्राप्त होती

है जिस बात पर वे जोर देते हैं। सत्य की खोज के क्षेत्र में की हुयी यह तपस्या अके प्रकार की अहिंसा है। जिसमें बुद्धि तथा मन को संयत, अनासक्त और शुद्ध करने पर खास जोर दिया जाता है। असी संयत बुद्धि में अहंकार जड़ नहीं पकड़ पाता और सत्य की अपलब्धि के बाद उसकी प्रस्थापना के अड्योग में आततायीपन के कारण हिंसा नहीं होती। लेकिन आततायीपन या हिंसा के अभाव से अुनका यह मतलब हरगिज नहीं कि रूढ़ असत्य के प्रति हमारी नीति अप्रतिकार की ही हो। सत्याग्रह और असत्य का अप्रतिकार, ये दोनों चीजें अके दूसरे की विरोधी हैं। अुसका अर्थ अितना ही है कि असत्य का प्रतिकार अथवा असत्य का निराकरण असत्य से नहीं हो सकता, वह सत्य से ही हो सकता है।

सत्य बनाम हिंसा

संपूर्ण सत्य का ज्ञान पहले भी कभी किसी को नहीं हुआ और न आज हो सकता है। हरेक व्यक्ति सत्य का जिज्ञासु है। अुसे जो सत्य प्रतीत होता है, अुसीको पूर्ण सत्य मान कर अुसे अुन्मत्त नहीं होना चाहिये, और अुन्मादवश अत्याचार नहीं करना चाहिये। अत्याचार से जो घुआं पैदा होता है अुससे अन्त में सत्य की ज्योति बुझ जाती है। यह समझ कर कि अुन्हें नये सत्य का दर्शन हुआ है जिन्होंने अुसकी प्रस्थापना के लिये अत्याचार या हिंसा का आश्रय लिया अुनके अुस प्रयास की बदौलत आखिर सत्य का दीप बुझ ही गया। जो सत्य की अग्नि प्रज्वलित करना चाहते हैं, अुनका अुद्देश तमोगुण, अज्ञान और अंधेरे को मिटाना होना

चाहिये। जहां घुआं हो वहां अग्नि होती है, यह मानते हुये भी यह नहीं भूलना चाहिये कि घुओं ही अग्नि नहीं है। सत्याग्रही व्यक्ति सत्य की प्रस्थापना के लिये असत्य या हिंसा का अवलंब नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि अुस रास्ते जानेसे सत्य और भी दूर हो जाता है। गांधीजी ने अिस प्रकार पवित्रम के व्यक्तिवाद और बुद्धिवाद को सत्याग्रह का आध्यात्मिक अथवा अहिंसामय रूप दिया है। अिसलिये हम अुन्हें अके सर्वांगीणसुधारक कह सकते हैं। लेकिन पुराने समाजसुधारकों की अपेक्षा अुनकी वृत्ति हमारी प्राचीन संस्कृति के अधिक अुनुरूप है और सुधार का कार्य भी अुनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है।

अहिंसात्मक राष्ट्रवाद

लेकिन गांधीजी ने हमारे राष्ट्रवाद को जो नया रूप दिया है वह अिससे भी महत्त्व की चीज है। अुनके पूर्व जो राष्ट्रवाद अिस देश में था, वह यद्यपि खुल्लमखुल्ला यूरोप का अुनकरण नहीं करता था, बल्कि यूरोपीय संस्कृति का द्वेष करने का भी दम भरता था; तथापि अुसकी राजनीति बहुत बड़े अंश में किसी न किसी यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रच्छन्न अुनकरण ही थी। कभी कभी तो यूरोपीय संस्कृति से सख्त नफरत करनेवाला राष्ट्रवादी अुस संस्कृति की विरोधी भक्ति के कारण, अुसका खुल्लमखुल्ला अुनकरण करनेवाले सुधारकों से भी अधिक तद्रूप होता हुआ दिखायी देता था। अिसका कारण यह था कि यद्यपि हमारा राष्ट्रवाद यूरोपीय आक्रमण के प्रतिकार के लिये पैदा हुआ था, तोभी "जैसे से तैसा" बने बिना प्रतिकार

असंभव है जिस भावना की बदौलत वह तदाकार और तद्रूप बनने लगा था। उसे अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हुआ होती तो वह तदाकार और तद्रूप भी बन जाता। जो लोग यह कहते हैं कि लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद से फॅसिज़्म पैदा होता, अतः उनके कथन में अगर कुछ सच्चाई हो तो अतनी ही हो सकती है। “लेकिन भारत की परिस्थिति जैसे राष्ट्रवाद के विकास के लिये अनुकूल नहीं है, यहां की जनता चाहे भी तोभी वह ब्रिटिशों के जैसी बन कर अतः को हरा नहीं सकती, भारतीय जनता का अतः आधार निःशस्त्र क्रान्ति के स्वावलंबी मार्ग से ही होगा, अतः बगैरे द्वारा नहीं हो सकता” यह लोकमान्य जानते थे। जिसलिये हम कहते हैं कि अतः के राष्ट्रवाद की परिणति फॅसिज़्म में नहीं होती। परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद को लोकशाही पर अधिष्ठित कर स्वावलंबी निःशस्त्र क्रान्ति का तंत्र परिणत करने का सारा श्रेय गांधीजी को ही देना होगा। करीब बीस साल से गांधीजी ने यह कार्य बड़ी सफलता से किया है। अतः के नेतृत्व में फॅसिज़्म को भारतीय जनता की अतः के प्रति-निधि-संस्था का रूप प्राप्त हुआ है।

भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय लोकशाही

हमारी राष्ट्रीयता का आधार लोकशाही ही हो सकती है, यह पाठ भारतवर्ष को लोकमान्य ने पढ़ाया; और जिस लोकशाही का आधार अहिंसा ही हो सकती है, यह सबक आज गांधीजी अतः से सिखा रहे हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीयता और लोकशाही को गांधीजी अहिंसा की दीक्षा दे रहे हैं। जिस-

लिये हमारी राष्ट्रीयता यूरोपीय राष्ट्रीयता से भिन्न प्रकार का रूप ले रही है और हमारी लोकशाही भी यूरोपीय लोकशाही की अपेक्षा अधिक तत्त्वशुद्ध और सुस्थिर होती जा रही है। लोकशाही की राजनीति अहिंसात्मक ही होनी चाहिये, हिंसक वायु-मंडल में लोकशाही टिक ही नहीं सकती; यह शिक्षा आज का यूरोप सारे संसार को अतः के स्वर से चिल्ला चिल्ला कर दे रहा है। अगर आधुनिक भारत की राजनीतिक बागडोर गांधीजी अपने हाथों में न लेते और यदि भारत अतः के सत्याग्रह की दीक्षा न लेता, तो आज अतः की जो प्रगति हुई है वह हुई होती अतः को भी नहीं कह सकता। यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी के अतः के कुछ ही साल पहले भारत की राजनीति के सूत्र गांधीजी के हाथ में आये। आज यहां राष्ट्रीयता और लोकशाही का जो विकास दिखलायी दे रहा है अतः का श्रेय अतः के ही देना नहीं है; बल्कि अतः के सत्ता के प्रतिकार के लिये अतः के सत्याग्रहशक्ति में अतः के विकास के बीज हैं, यह बात अब किसीको समझाने की जरूरत नहीं रही।

यूरोप की हालत

गत महासमर के बाद कुछ समय के लिये राष्ट्रीय स्वयंनिर्णय और लोकशाही के युग के प्रारंभ का दृश्य दिखायी दिया। परन्तु आज हम वहां क्या देख रहे हैं? जर्मन साम्राज्य, आस्ट्रियन साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य के मिटने पर यूरोप में जो छोटे छोटे लोकशाही राष्ट्र बने, क्या वे सब आज सुरक्षित हैं? हिटलर और मुसोलिनी

के बूटों की अेडीतले यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य और लोकशाहियां आज अेके के बाद अेके गायब हो रही हैं और अुन देशों की जनता असहाय बन कर यह किनाश देख रही है। भारतीय जनता आज अैसी हताश नहीं हुआ है। इस देश में लोकशाही की स्थापना करने की ताकत अुसके अन्दर बढ रही है, यह अनुभव अुसे ही रहा है। भारतीय जनता का यह आशावाद, अुसका यह आत्मप्रत्यय, अुसके अन्दर पंठे हुआ सत्याग्रही तत्त्वज्ञान में से पैदा हुआ है।

सत्याग्रही तत्त्वज्ञान की श्रेष्ठता

लेकिन कोअी इससे यह मतलब नहीं निकाले कि भारत की जनता आज स्वाधीन लोकशाही राज्य का अुपभोग कर रही है। हिन्दुस्थान में अभी लोकशाही स्वराज्य की स्थापना होनी बाकी है और इस स्वतंत्र लोकशाही स्वराज्य की स्थापना के अन्तर अुसके सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का पुनःसंगठन भी होना है। यह सामाजिक और आर्थिक पुनःसंगठन किस सिद्धान्त की नींव पर हो इस विषय में आज काँग्रेस में सत्याग्रही और समाजवादी अैसी दो भिन्न विचार परंपरायें हैं। वस्तुतः अिन दो विचार परंपराओं में मूलतः भेद नहीं है। परन्तु जो लोग यूरोपीय अितिहास के अंनक से ही भारतीय अितिहास की तरफ देखते हैं अुन्हें सत्याग्रही तत्त्वज्ञान राष्ट्रवादी प्रतीत होता है। और यूरोपीय राष्ट्रवाद की तरह इसमें से भी धनिकशाही पैदा होगी अैसी अुन्हें आशंका या आशा है। परन्तु सत्याग्रही तत्त्वज्ञान यूरोप के अर्थ में राष्ट्रवादी नहीं है, और न समाजवादी ही है। हिन्दुस्थान परतंत्रता के कारण गत बीस वर्षों में सत्याग्रही

तत्त्वज्ञान को राष्ट्रवादी स्वरूप प्राप्त हुआ और वही अबतक कायम है। हिन्दुस्थान जबतक परतंत्र है तबतक यह राष्ट्रवादी स्वरूप कायम रहेगा। लेकिन तोभी सत्याग्रही तत्त्वज्ञान राष्ट्रवादी तत्त्वज्ञान से भिन्न है। राष्ट्र सत्याग्रहियों का अन्तिम देवत नहीं है। दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण कर अपने राष्ट्र का स्वार्थ सिद्ध करनेवाला राष्ट्रधर्म सत्याग्रह में अन्तरभूत नहीं हो सकता। सत्याग्रही राष्ट्र का आक्रमणशील बनना असंभव है। सत्याग्रह स्वत्त्व और सत्य की रक्षा का अस्त्र है। दूसरों के स्वत्त्व का अपहरण करने में वह सब तरह से असमर्थ है। यह अुसका दोष नहीं बल्कि यही अुसकी श्रेष्ठता है। राष्ट्र की फौजी ताकत और दंडशक्ति को संगठित कर अुसके आर्थिक पुनःसंगठन की समस्या हल करने का सिद्धान्त भी सत्याग्रह को मंजूर नहीं है। राष्ट्रीय जीवन का पुनःसंगठन न्याय और समता की नींव पर करना हो तो वह शान्ताग्रय साधनों द्वारा ही हो सकेगा अैसी अुसकी श्रद्धा है। यूरोपीय राष्ट्रवाद अेक आक्रमणशील फौजी ताकत है। इस फौजी ताकत के अोर पर अन्तर्गत समता तथा न्याय के आन्दोलन कुचलने में भी यूरोपियन राष्ट्रवाद नहीं हिचकता। फौजी ताकत से समता और न्याय की स्थापना नहीं हो सकती और प्रस्थापित राज्यसत्ता की लश्करशाही नष्ट करने के लिये लोकशाही राज्यंत्र भी अुपयोगी नहीं होता, यह अनुभव यूरोप के परान्स और ब्रिटन आदि राष्ट्रों को आज हो रहा है। अतः अपने देश की लोकशाही की रक्षा के लिये सत्याग्रह अैसा कोअी प्रत्यक्ष प्रतिकारात्मक अस्त्र खोजने की

अरुणत यूरोप के विचारी तत्त्वज्ञ महसूस कर रहे हैं।

समाजवाद और अहिंसा

पूँजीवाद के अद्वय के बाद यूरोपीय लोकशाही ने पूँजीशाही का रूप लिया। जिस-लिअे लोकशाही के तत्त्वों की रक्षा और विकास के अद्देश से समाजवादी तत्त्वज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। जिस समाजवादी तत्त्वज्ञान में लोकशाही का, समता का, स्वतंत्रता का और बन्धुता का तत्त्वज्ञान है। लेकिन जिस के साथ साथ हिंसा का भी अन्तर्भाव है। कॅम्पूनिज्म का अन्तिम ध्येय अहिंसात्मक ही है, लेकिन अुस ध्येय तक पहुंचने के लिअे हिंसा के रास्ते से जाना पडेगा अैसा वे कहते हैं। कम से कम रूस के क्रान्ति-कारियों ने तो समाजवाद और हिंसात्मक क्रान्तिवाद का अभेद्य सम्बन्ध जोड़ने का यत्न किया है। परन्तु यह हिंसा का तत्त्व समता, स्वतंत्रता तथा बन्धुता के तत्त्वों से मेल नहीं खाता। अुसमें से लोकसत्ता तथा समाजसत्ता की प्राप्ति नहीं होगी, अैसा माननेवाले कुछ समाजवादी तत्त्वज्ञ आज यूरोप में भी पंदा हो रहे हैं। जिस सम्बन्ध की अधिक जानकारी वार्ट डि लिक्ट नामक लेखक की "कान्क्वेस्ट ऑव् व्हायोलेन्स" ("हिंसा पर विजय") नाम की पुस्तक में है। मॅडम होल्स्ट नामक अेक कॅम्पूनिस्ट महिला शान्तिमय क्रान्ति के पक्ष में हो गयी है। और अब वह यह प्रतिपादन करने लगी है कि समाजवाद के ध्येय हिंसा के मार्ग से प्राप्त हो ही नहीं सकते, अैसा जिस लेखक ने अपनी पुस्तक के १३०-३१ पृष्ठों पर लिखा है।

लेखक का मतलब यह है कि समाज-

वाद का समता, स्वतंत्रता तथा बन्धुता के आदर्शों में और हिंसा के मार्ग में परस्पर विरोध है। अिन आदर्शों को कार्या-विन्त करने के लिअे हिंसक क्रान्ति करने-वाली साधारण जनता पूँजीशाही की हिंसा से लोहा ले कर जीत नहीं सकती। यदि बाज दफा जीत जाये तोभी आगे चल कर जिस हिंसा में से अनियंत्रित और अत्याचारी राज्ययंत्र अुत्पन्न होता है। जिसलिअे समाजवादी क्रान्ति-कारियों को गांधीजी की निःशस्त्र क्रान्ति का ही अनुसरण करना चाहिअे अैसा यूरोप के अनेक लोग आज कहने लगे हैं।

'अेल्० 'अेन्-डेहार्स,' नामक अखबार के "स्पेन की हाल की घटनाओं से क्या सीखें?" शीर्षक लेख में कहा गया है कि पाश्चात्य लोग गांधीजी की अहिंसा का कितना ही मज़ाक क्यों न करें, अन्त में क्रान्ति सफल करने की वही अेक आशा है।

यूरोपीय जनता

यूरोपीय तत्त्वज्ञ, लेखक और कुछ क्रान्तिकारी भी जिस प्रकार अहिंसक क्रान्ति को ग्राह्य और आवश्यक मानने लगे हैं। लेकिन जिससे यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि यूरोपीय जनता जिस मार्ग को अेकदम अपना लेगी। आत्मबल में आज यूरोपीय जनता की श्रद्धा ही नहीं रही है। वह अेक तो बुद्धिबल पर आश्रित प्रतिनिधिक संस्थाओं की चर्चात्मक राजनीति जानती है; या दूसरी शस्त्रबल पर अधिष्ठित राजनीति। आत्मबल पर स्थित सत्याग्रही राजनीति का अपनी बुद्धि से आकलन करनेवाले कुछ तत्त्वज्ञों का आवि-र्भाव यूरोप में भले ही हुआ हो। लेकिन

अतने ही से यदि यूरोप में निःशस्त्र क्रान्ति सफल करने का संगठित आत्मबल अकेलेक पैदा हो जाये, तो वह अके अद्भुत घटना ही होगी। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि यूरोप में हिंसक अपायों से समता, स्वतंत्रता और शान्तता का साम्राज्य कायम होगा। इसका अतना ही मतलब है कि आज यूरोपीय जनता को आत्मोद्धार का वास्तविक मार्ग ही नहीं मिला है।

यूरोपीय अतिहास से सबक

प्रस्थापित राजसत्ता शस्त्रबल के प्रयोग से देश में अके प्रकार की शान्ति कायम कर सकती है और प्रचलित समाजरचना की सहायता कर उसे टिका सकती है। लेकिन यह शस्त्रबल, जिस समाजघटना को आमूलाग्र बदल कर सर्वांगीण क्रान्ति करने में अपयोगी नहीं होता और प्रस्थापित राज्यसत्ता को अलट कर जनता की अनियंत्रित सत्ता कायम करने में भी मददगार नहीं होता, यह यूरोप के अिन वीस वर्षों के अतिहास से स्पष्ट है। सशस्त्र क्रान्ति के सारे प्रयत्नों को कुचल कर आज यूरोप की धनिकशाही लोकशाही को हटा कर अनियंत्रित हो गयी है। हम भी इससे अुचित शिकवा ले सकते हैं और सत्याग्रही तत्त्वज्ञान के आधार पर भारतीय समाजवादी क्रान्ति सफल कर सकते हैं। सत्याग्रही तत्त्वज्ञान आज राष्ट्रवादी प्रतीत होता हो तो भी वह समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर अधिष्ठित है और लोकशाही की प्रस्थापना अुसका आज का अंगीकृत कार्य है। इसी कार्य में जनता का आत्मबल संगठित हो रहा है। जनता के इस आत्मबल से राष्ट्रीय लोकशाही की स्थापना होने पर अुसका स्वरूप यूरोपीय

राष्ट्रवाद तथा लोकशाही से भिन्न किस प्रकार हो सकता है, यह बतलाया जा चुका है। पाश्चात्य देशों में समाजसत्ता का जो आदर्श निर्मित हुआ है वह भी अगर आत्मबल के साधन का अपुयोग करे तो अुसका काया-पलट हो सकता है। सत्याग्रह में व्यक्ति-वाद, राष्ट्रवाद और लोकसत्ता के पाश्चात्य आदर्श शामिल किये गये हैं और सत्याग्रह के तत्त्वज्ञान के सूत्र में ग्रथित होने के कारण अुनका परस्पर विरोध नष्ट हो कर वे परस्पर विघातक न होते अुबे अके दूसरे की शोभा बढा रहे हैं। अुसी प्रकार समाजसत्ता के सिद्धान्त का भी सत्याग्रही तत्त्वज्ञान में समावेश करके यथार्थ लोकसत्ता और यथार्थ समाजसत्ता का आधार अतिहास को ही बनाना आवश्यक है यह बात संसार को माननी पडेगी।

आधुनिक भारत के तीन अलौकिक नेता

भारतीय संस्कृति अध्यात्मप्रवण संस्कृति है। गत पचास वर्षों में अुसकी यह आध्यात्मिक प्रवृत्ति अनेक भारतीय नेताओं ने फिर से जाग्रत की है। लोकमान्य तिलक, योगी अरविन्द घोष और महात्मा गांधी—आधुनिक भारत के ये तीन अलौकिक नेता इसी अवधि में अुत्पन्न अुबे। अुन्होंने भारतीय मन पर जो संस्कार किये और अुन संस्कारों की बढौलत अुसका जो प्राचीन आत्मबल जाग्रत हुआ अुसीमें से आधुनिक भारत का जन्म हुआ है। आधुनिक भारत की यह आध्यात्मिक शक्ति सत्याग्रह के रूप में आज सारे भरतखंड को ध्याप्त कर रही है और अब तो ब्रिटिश भारत की हृद को पार कर वह रियासती हिन्दुस्थान में भी पदार्पण कर

रही है। ब्रिटिश हिन्दुस्थान के भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें स्वराज्य निर्माण कर ब्रिटिश हिन्दुस्थान की राष्ट्रभावना खंडित करने की, और अिन माम्भारी लोकशाही राज्ययंत्रों के सिर पर संस्थासन का सामंतशाही राज्ययंत्र लादने की ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बाल काटने के लिखे कांग्रेस ने आज सात-आठ प्रान्तों के राज्य-यंत्र अपने हाथ में ले कर अुनके पीछे कांग्रेस पक्ष के रूप में ब्रिटिश हिन्दुस्थान की आम जनता का संगठित आत्मबल खड़ा कर दिया है। यह देख कर रियासती भारत की जनता भी सत्याग्रह के शस्त्र का प्रयोग करना चाहती है। जिस आत्मबल के प्रभाव से ब्रिटिश भारत की जनता ने अनियंत्रित साम्राज्यशाही को झुकाया अुसी आत्मबल के प्रयोग से रियासती जनता अनियंत्रित सामंतशाही को झुकाना चाहती है।

रियासती भारत पर असर

जो सत्याग्रही साधन ब्रिटिश साम्राज्यशाही को झुका सका वही सत्याग्रही साधन आज रियासती सामंतशाही को झुकाने में अपयोगी साबित हो रहा है। जो लोग आज तक रियासती जनता के हितकर्ता होने का दावा करते थे और गांधीजी तथा कांग्रेस को अुसके हितशत्रु ठहराना चाहते थे अुनका प्रभाव अब कम हो रहा है और ब्रिटिश भारत की जनता के समान रियासती भारत की जनता भी सत्याग्रही बन कर गांधीजी की अनुयायी बन रही है। बीस साल पहले जिस भारत में करीब करीब अेक ही सत्याग्रही व्यक्ति था अुसी भारत में आज सर्वत्र सत्याग्रह की गणभेरियां सुनायी देती हैं और सत्याग्रही सामर्थ्य के द्वारा हम भारत में अीघ्र ही स्वतंत्र संयुक्त राज्य

स्थापित कर सकेंगे, यह आत्मविश्वास फैल रहा है। जिस सत्रका क्या अर्थ है? जिस वृथ के पीछे जो शक्ति है वह क्या केवल आभासमय है? क्या वह शक्ति संसार की प्रतिगामी शक्तियों में से अेक शक्ति हो सकती है? क्या संसार आधुनिक भारतवर्ष में दुनिया की अेक अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत प्रभावी, और अत्यंत मंगलमय क्रान्तिशक्ति का अविभाज्य और अुसके सामने साम्राज्यशाही तथा सामंतशाही को झुकती हुअी नहीं देख रहा है?

सत्याग्रह और पूंजीवाद

यह मंगलमय, पुरोगामी, प्रभावी, तेजस्वी, क्रान्तिकारक शक्ति हिन्दुस्थान की पूंजी-शाही की सहायक होगी, अैसी शंका जब कुछ लोग प्रकट करते हैं तो अुनके अज्ञान पर दया आती है। जिस शक्ति ने जिस प्रकार साम्राज्यशाही की नाक में दम कर दिया और आज जिस तरह वह यहां की सामंतशाही की नाक में दम कर रही है अुसी तरह वह भारत की पूंजीशाही के लिखे भी अजेय साधित होगी जिसमें सन्देह नहीं। सत्याग्रही तत्त्वज्ञान में अनियंत्रित पूंजीवाद को स्थान नहीं है, और पूंजीपति जनता की रोटी का सवाल हल नहीं कर सकते यह गांधीजी खूब जानते हैं। अिसीलिखे गांधीजी ने ग्रामोद्योग का संगठन शुरू किया है। भौतिक विद्या और यंत्रकला का विरोध करना, लोगों का दारिद्र्य कायम रखना, और भारतीय संस्कृति को मध्ययुगीन अवस्था तक पीछे हटाना ग्रामोद्योग संगठन का अुद्देश कदापि नहीं है। अगर किसीके दिमाग में अैसी कोअी बात हो भी तो भारत की जाग्रत, संगठित और आत्मज्ञानी जनता वह सिद्ध नहीं होने देगी।

खादी और ग्रामोद्योग का अर्थशास्त्र

खादी और ग्रामोद्योग के अर्थशास्त्र का मुख्य तत्त्व यह है कि देश के हर एक बेकार को काम देने की ओर अुसकी सांपत्तिक स्थिति में सुधार करने की जिम्मेवारी हिन्दी राष्ट्र ने स्वीकार कर ली है। भारत के नागरिकों के सामने केवल सस्ते से सस्ता माल अधिक से अधिक तादाद में रखने की ही समस्या नहीं है; वरन् वह माल बरतने की हैसियत गरीब से गरीब व्यक्ति में भी किस तरह आवे यह बहुत विकट सवाल आज अुसके सामने है। आज भारत की जनसंख्या लगभग ४० करोड़ हो रही है, और अुसे खेती के अलावा दूसरा कोअी भी रोजगार नहीं है। चालीस करोड़ की गुजर अकेली खेती पर नहीं हो सकती, यह प्रत्यवष प्रमाण से साबित हो गया है। खेती पर ही जिनका भरोसा है असे लाखों, बरिक् करोडों, लोगों को तुरन्त दूसरा कोअी रोजगार न दिया गया तो अुनका हाल बुरा होगा। जब हम खादी या ग्रामोद्योगी चीजें खरीदते हैं तो अपने अिन करोडों देशभाअियों को रोजगार में लगाने की ओर अुन रोजगारों की हिफाजत के लिअे अपनी तरफ से भरसक कोशिश करने की ओर तकलीफ सहने की जिम्मेवारी लेते हैं। देश में तुरन्त यांत्रिक कारखाने खडे कर अिन करोडों लोगों को काम देना कम से कम आज तो हमारे लिअे असंभव है। अैसी दशा में अिन करोडों देशबंधुओं के अुद्योगधंधे का सवाल थोड़ा-बहुत तो हल हो और अुनके लिअे हम अत्यल्प ही क्यों न हो, त्याग करें, यह भावना अिसकी तह में है। देश के करोडों

लोगों को काम देने की जिम्मेवारी आजतक किसी ने महसूस ही नहीं की थी। अिन्होंने अिस देश में पूंजीवादी अर्थशास्त्र की नींव डाली अुन्होंने अिस प्रश्न के महत्त्व को समझा ही नहीं। अिसीलिअे गत पचास-पानसी वर्षों में यद्यपि पूंजीवाद ने काफी तरक्की की, तो भी देश में बेकार, अर्धबेकार और दरिद्र लोगों की संख्या घटने के बदले बढ़ी है! जबसे गांधीजी ने स्वदेशी आन्दोलन को खादी और ग्रामोद्योग का रूप दिया तभीसे बेकारी के प्रश्न की ओर लोगों का विशेष ध्यान गधा और अब यह बात करीब करीब सर्वमान्य हो गयी है कि पूंजीवादी अर्थशास्त्र हमारी जनता की बेकारी का सवाल हल नहीं कर सकता। हमारे आर्थिक विचारों में गांधीजी ने अगर कोअी क्रान्ति की है, तो वह यह है। अुन्होंने भारत को यह बोध करा रिया है कि राष्ट्रीय अर्थशास्त्र केवल राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ाने का अर्थशास्त्र नहीं है; प्रत्युत देश की बेकारी दूर करने का अर्थशास्त्र है। अिसलिअे अब यह कोअी नहीं मानता कि पूंजीवाद की पद्धति से हिन्दी जनता का सवाल हल होगा। यह सब होते हुअे असा मानने के लिअे क्या सबूत है कि कॉंग्रेस का स्वराज्य पूंजीशाही का राज्य होगा?

निर्वाह-वेतन

लेकिन गांधीजी केवल अितना ही कह कर नहीं रहते कि बेकारों को काम दे। अब अुन्होंने ग्रामोद्योगों की अपनी योजना में दूसरा भी एक तत्त्व दाखिल किया है। वे कहते हैं कि हर एक श्रमजीवी को ह्द रोज आठ घंटे काम करने पर कम से कम आठ आने निर्वाहवेतन मिलना चाअिये। मतलब

यह कि राष्ट्रीय लोकशाही सरकार को हर अकेले व्यक्ति को काम देने की जिम्मेवारी लेनी चाहिये और देश का हर अकेले प्रौढ़ व्यक्ति स्वावलम्बी रह कर बुधोग द्वारा बुदरनिर्वाह कर सके असा प्रबन्ध भी करना चाहिये। असके अतिरिक्त अकेले और अर्थशास्त्रीय तत्त्व गांधीजी ने जनता के सामने पेश किया है। वे कहते हैं कि देश के कारखानेदार और जमीनदार कारखानों के या जमीन के मालिक नहीं हैं; बल्कि संरक्षक (ट्रस्टी) हैं। अन्हें देश की सम्पत्ति बढ़ाने के लिये हमेशा यत्नशील रहना चाहिये और अपनी मिहनत के लिये बुचित कमीशन ले कर सन्तोष मानना चाहिये। असका यह साफ मतलब है कि आबिन्दा भारतवर्ष में कोश्री भी अपनी मिलकियत के द्वारा किसान और मजदूर वर्ग को चूसने के अमर्यादित अधिकार का अुपयोग नहीं कर सकेगा। अस तरह अनेक दृष्टियों से विचार करने पर भी गांधीजी का अर्थकारण पूंजीवादी अर्थकारण नहीं कहा जा सकता; बल्कि यह मानना होगा कि अुसमें से भारतीय समाजवाद का ही अुदय होगा।

प्राचीन भारत की आध्यात्मिक शक्ति की मूर्ति

लेकिन यदि यह भविष्यचर्चा छोड़ दें और गांधीजी के तत्त्वज्ञान से आगे क्या क्या परिणाम होंगे असका विचार भी थोड़ी बेर के लिये छोड़ दें, तो भी यह तो मानना ही होगा कि गांधीजी का गये बीस वर्षों का कार्य असा है कि जिसपर किसी भी राष्ट्रनिर्मात्री विभूति को अभिमान हो। भारतीय जनता ने गये बीस साल में आशातीत प्रगति की है। विशाल परिमाण में अुसका संगठन हुआ है और

राष्ट्रीय लोकशाही के निर्माण की अुसकी सामर्थ्य कल्पनातीत बढ़ गयी है। भारत में आज अकेले अपूर्व आशावाद अुत्पन्न हो गया है और हम किसी भी शक्ति से हारेंगे नहीं, बल्कि हर अकेले जनता-विरोधी शक्ति को अपने सामने झुकने के लिये बाध्य कर सकते हैं असा आत्मविश्वास सर्वत्र दिखायी देता है। गांधीजी ने अस महाद्वीपप्राय राष्ट्र में यह जो नवचैतन्य पैदा किया है वह साधारण नहीं है। और अितना प्रचंड कार्य, अितना प्रभावशाली संगठन, अितनी दुर्धर्ष शक्ति किन साधनों से निर्माण की? गांधीजी दक्षिण आफ्रिका से जब लौटे तो अपने साथ कौनसे शस्त्रास्त्र ले कर आये थे? अकेलेनिष्ठा और अहिंसावृत्ति के सिवा अुनके पास न तो दूसरा कोश्री साधन था, न दूसरी कोश्री सम्पत्ति। तपोबल ही अुनका बल था और तपोधन ही अुनका धन। अुन्होंने अपने अस बल और धन का प्रचार तथा प्रसार अखिल भारत की जनता में किया। अकेले पिछड़े हुअे राष्ट्र में अग्रगामी राष्ट्रों का गुप्तत्व कर सकने का आत्मविश्वास अुत्पन्न किया। प्राचीन भारतीयों की आध्यात्मिक शक्ति मूर्तिमती हो कर आज भरतखंड का नेतृत्व कर रही है।

श्रीकृष्ण और बुद्ध का समन्वय

गांधीजी के सत्याग्रही तत्त्वज्ञान में श्रीकृष्ण के कर्मयोग तथा गीतम बुद्ध की अहिंसा का समन्वय है। भगवद्गीता के रूप में श्रीकृष्ण ने राजधर्म की अहिंसा का अुपदेश दिया। परन्तु राजधर्म की अहिंसा हमेशा मर्यादित ही रहेगी। क्योंकि राजधर्म जब पूर्णरूप से अहिंसात्मक हो जाता है तो

असका राजधर्मत्व ही नहीं रहता। जबतक राजा और राज्य है तबतक संसार में पूर्ण अहिंसा की सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। परन्तु प्रजाधर्म की अहिंसा के लिये ऐसी कोई भयादा नियत करने की जरूरत नहीं है। जब प्रजा की अहिंसा का विकास होता है और अहिंसा से हिंसा का प्रतिकार करने की शक्ति असमें आ जाती है, तो राजधर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। असलिये अहिंसा की प्रस्थापना का प्रारंभ प्रजाधर्म से करना पड़ता है।

गांधीजी की भारत को देन

गांधीजी ने सत्याग्रह का प्रजाधर्म भारतीयों

को सिखा कर अन्हें आत्मोद्धार का वास्तविक मार्ग दिखा दिया है। अस मार्ग पर चलने से अन्हें यह विश्वास होने लगा है कि वास्तविक व्यक्तिस्वातंत्र्य, वास्तविक राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, वास्तविक लोकसत्ता और वास्तविक समाजसत्ता की प्राप्ति अहिंसा से ही हो सकती है। आधुनिक भारत को यह जो दिव्य वृष्टि प्राप्त हुयी है—जिसकी बदौलत असमें यह आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वह संसार का नेतृत्व करने का अधिकारी है—वही गांधीजी की आधुनिक भारत को अनमोल देन है; और इसीलिये कृतज्ञ हो कर वह आज गांधीजी को दीर्घ आयुरारोग्य देने की प्रार्थना कर रहा है।

(मराठी 'चित्रमय जगत्' से अनूदित)

गांधीजी का आत्मबल

लेकिन अस सिद्धान्त पर अमल करने के लिये मनुष्य की सत्यनिष्ठा और न्यायनिष्ठा अितनी अत्कट होनी चाहिये कि वह अपने या अपने परिवार के सुखदुःख का, या बलाबल का विचार किये बिना अपना कर्तव्य करने के लिये अद्यत हो जाये। यह गुण केवल विद्वत्ता से नहीं प्राप्त होता, केवल अच्छे कुल में जन्म लेने से नहीं आता, और न केवल बुद्धिमत्ता से ही आता है। यही वास्तविक आत्मबल है। 'शायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो ग मेधया न बहुना श्रुतेन,' यह अुपनिषद्वाक्य अही भूलना चाहिये। लेकिन अस प्रकार का आत्मबल केवल विद्वत्ता या बुद्धिमत्ता से प्राप्त नहीं हो सकता, वह नैसर्गिक ही होना चाहिये, असा सिद्धान्त होते हुये भी गीता के अुपदेश के अनुसार निश्चयी मनुष्य असे अभ्यास और वैराग्य द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसीलिये श्रेष्ठ और अुदार व्यक्तियों की जीवनियां चरित्रविकास में अुपयोगी होती हैं। अतः महात्मा गांधी की जीवनी अस व्यापक दृष्टि से सभी पढ़ें अैसी हमारी सिफारिश है।

वर्धा योजना का हार्द-अनुबन्ध

[काका कालेलकर]

-१-

क्या वर्धा योजना का हार्द इस बात में है कि अद्योग की पढ़ाई स्वावलंबी बनायी जाये?—नहीं। अगर हम अद्योग की सच्ची शिक्षा काफी अवधि तक दे दें, तो बुद्धिशाली विद्यार्थियों के बनाये हुअे माल की बाज़ार में अच्छी कीमत आनी चाहिये।

वर्धा योजना में यह खयाल है ही नहीं कि शाला चलाने का सारा बोझ विद्यार्थियों के सिर पर ही पड़े। शाला की अमारत, अद्योगालय, पुस्तकालय, प्रयोगालय आदि का खर्च विद्यार्थियों की मिहनत से नहीं निकलेगा। वह खर्च या तो सरकार करे, समाज करे, अथवा कोअी दानी व्यक्ति। वर्धा योजना की संस्थाओं के निरीक्षण-परीक्षण का बोझ भी विद्यार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिये। विद्यार्थियों से अितनी ही आशा की जाती है कि वे अपने अध्ययनकाल में रोज़ की तीनचार घण्टो की पढ़ाई के साथ कुछ न कुछ अद्योग कर के महीने भर में आठ-बारह आने अथवा अेक रुपया कमा कर गुरुदक्षिणा के रूप में दे दें और यह सिद्ध करें कि अुनका अद्योग केवल खेल नहीं है, किन्तु बाज़ार में अुसकी कुछ न कुछ कीमत है। अुनको यह संतोष भी होगा कि वे अपनी पढ़ाई केवल मुप्त में नहीं पाते किन्तु अुसके बदले रोज़ कम से कम अपनी तीन चार घण्टों की मिहनत देते हैं। अुनके श्रम से जो कुछ आमदनी होगी वह पाठशाला के खाते में जमा होगी। किन्तु इस आमदनी

पर शिक्षक की तनखाह निर्भर नहीं रहेगी। प्रारंभ में कुछ भी आमदनी नहीं होगी। आगे चल कर कम या बेशी आमदनी हो जायेगी। आमदनी के द्वारा विद्यार्थी की औद्योगिक प्रगति की कसौटी अवश्य होगी। फिर भी, वर्धा योजना में स्वावलंबन चाहे जितने महत्त्व का हो, वह अुस योजना का हार्द नहीं है। "तो क्या अद्योग की प्रधानता ही वर्धा योजना का हार्द है?" बहुत से लोग कहेंगे, "हाँ, यही वर्धा योजना का हार्द है।" किन्तु यह भी सही नहीं है। औद्योगिक शिक्षा की जो संस्थायें होती हैं अुनमें अद्योग को प्राधान्य अवश्य है, किन्तु अुन संस्थाओं का वर्धा योजना से कोअी संबंध नहीं है।

जो लोग यह मानते हैं कि औद्योगिक शिक्षा अलग है और बौद्धिक शिक्षा अलग; वे वर्धा योजना को कभी समझ नहीं सकेंगे। किताबों के द्वारा बौद्धिक विकास होता है और अद्योग के द्वारा नहीं होता अैसा जो मानते हैं वे भी वर्धा योजना को नहीं समझ सकेंगे। अुलटे वर्धा योजना की बुनियाद में यह भावना है कि अद्योगों के द्वारा हम जितना बौद्धिक विकास कर सकते हैं अुतना शायद किताबी पढ़ाई से होना नामुमकिन है।

वर्धा योजना का मुख्य अुद्देश बौद्धिक विकास को अधिक सफल बनाना है। अगर इससे बौद्धिक विकास आज की अपेक्षा अधिक नहीं होगा तो वर्धा योजना निष्फल

है, जबवा उसको चलानेवाले अपना काम नहीं जानते थे, वैसा ही कहना पड़ेगा।

वर्षा योजना का हार्द जिस बात में नहीं है कि हम राष्ट्रोपयोगी अद्योगहनर सफलता पूर्वक सिद्धावे। उसका हार्द जिसमें है कि हम राष्ट्रोपयोगी अद्योगों की तालीम जिस तरीके से चलावे कि अद्योग की जानकारी के साथ साथ सफल, समृद्ध और सर्वाप-परिपूर्ण जीवन के लिये आवश्यक सब विषयों का ज्ञान विद्यार्थी असी समय, असीके द्वारा हासिल करे। सिर्फ हासिल कने अितना ही नहीं किन्तु हजम करे और अपनी आकलनशक्ति और अपना कोशल्य उसके द्वारा बढ़ा सके।

जिस अहेश की सफलता के लिये यह अत्यावश्यक है कि शिक्षक अद्योग की कुशलता विद्यार्थियों में पैदा करते हुए अद्योग के सब अंगप्रत्यंगों का जीवनोपयोगी सब विषयों के साथ जो निश्चितरूप से अनुबन्ध है, उसकी ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करे और जिस अनुबन्ध के सहारे विद्यार्थियों को आवश्यक मात्रा में भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान देता रहे। अनुबन्ध बता बता कर आवश्यक मात्रा में जब ज्ञान दिया जाता है, तब वह ज्ञान आसानी से लिया जाता है और बिना किसी परिश्रम के हजम भी होता है। स्कूल-कॉलेज के बाहर बाजाप्ता पढ़ाई के बिना जीवन भर अनुभव के द्वारा जो ज्ञान लिया जाता है उसका बोझ कभी किसीको मालूम नहीं पड़ा। प्राकृतिक मनुष्य जिस नैसर्गिक ढंग से जीवन भर ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसी ढंग से ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति वर्षा योजना में पसन्द की गयी है। मनुष्य के जीवन का

नववशांश हिस्सा आजीविका प्राप्त करने में खर्च होता है। किसी न किसी अद्योग और परिश्रम के द्वारा उसे अपनी आजीविका प्राप्त करनी पड़ती है और असीकी सफलता के लिये उसे अिवर-अुवर की अनेक बातें जाननी पड़ती हैं। उसकी जानकारी अितनी अधिक अतनी ही उसकी जीवनसफलता भी अधिक। जिसलिये आजीविका प्राप्त करने के लिये जो अद्योग करता है उस वक्त जागरूक रह कर जीवनोपयोगी जानकारी जहाँ से मिल सके, वहाँ से वृ हासिल करता रहता है। अगर जागरूकता तनिक भी कम हुआ तो असीकी सफलता में अतनी ही न्यूनता आ जाती है।

जीवनव्यापार के साथ जिन जिन बातों का अनुबन्ध है अुनके प्रति जागरूक रहना यही वर्षा योजना का हार्द है। यह अनुबन्ध क्या चीज है यह हमें पहले देखना होगा।

—२—

अनुबन्ध के लिये अंग्रेजी शब्द है, 'कोरिलेशन'। जिसका सच्चा स्वरूप पहले ठीक ठीक समझना चाहिये।

यह सृष्टि अेकरूप है। जिसमें पायी जानेवाली सब चीजें किसी न किसी रूप में अेक दूसरे के साथ संबद्ध हैं। मकड़ी के जाल में अथवा दूसरे किसी जाल में सब तन्तुओं का परस्पर संबंध होता ही है। अेक तन्तू या धागा अगर खींच लिया जाये तो उसका असर सारे जाल पर पड़े बिना नहीं रहता। अिसी तरह जिस विश्व में सब बातें परस्पर सम्बद्ध हैं। किसी अेक चीज की अगर हम पूर्णतया छान-बीन करते जायें तो वह खोज हमें विश्व

की सभी चीजों के निकट अवश्य ले जायगी। जिसलिअे हरेक चीज का दूसरी चीजों के साथ कुछ न कुछ संबंध होता ही है। जिस संबंध को ही अनुबन्ध कहते हैं। यह संका मन में कभी नहीं लानी चाहिअे कि अगर अैसा अनुबन्ध न पाया गया तो? अनुबन्ध तो विश्व में है ही। अुसे बूढ़ने की हमारी शक्ति चाहिअे।

‘कोरिलेशन’ के लिअे ‘अनुबन्ध’ शब्द नया नहीं है। तर्कशास्त्र में भी यह शब्द पाया जाता है और ग्रामीण लोगों की बोलो में भी पाया जाता है। गीता जैसे सार्वभौम धर्मग्रंथ में भी यह शब्द पाया जाता है और लोकोक्ति में भी अुसका स्थान है। जब कभी हमें किसी के घर पर भोजन करने का मौका आता है तब वह कहता है ‘अन्नजल का अनुबन्ध था जिसलिअे आपके यहाँ भोजन करना पड़ा।’ ‘दाने दाने पर खानेवाला का नाम’ पहले ही से लिखा हुआ होता है। जिसलिअे जहाँ वह दाना पहुँचा वहाँ अुसे खानेवाला अवश्य ही पहुँचेगा। क्यों- कि दोनों के बीच अनुबन्ध है। महाराष्ट्र में अैसे अवश्यभावी संबंध को ‘अणानुबन्ध’ भी कहते हैं।

हमारी संस्कृत परिपाटी के अनुसार किसी भी शास्त्र का अध्ययन शुरू करने से पहले अुसका ‘अनुबन्ध चतुष्टय’ देखना पड़ता है।

विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अनुबन्ध खास कर के देखने चाहिअे, अैसी शास्त्रीय अध्ययन की पद्धति है। जीवन में और अध्ययन में ‘अनुबन्धादिकं दृष्ट्वा सर्वं कार्यं यथाक्रमम्’। गीता में भी कहा है कि जो अपने कार्य में अनुबन्ध आदि नहीं देखता अुसके काम में अुसे सफलता नहीं मिलती और अुसके ज्ञान में अपूर्णता आ जाती है। अपूर्णता क्या आ जाती है; सारा ज्ञान ही नष्ट हो जाता है।

जिस अनुबन्ध, यानी को-रिलेशन, का स्वरूप समझना चाहिअे। बहुतसे लोग ‘को-रिलेशन’ और ‘असोसिअेशन ऑव्ह आअिडियाज्’ (सहचारी भाव) के बीच जो भेद है अुसे नहीं जानते। ‘असोसिअेशन ऑव्ह आअिडियाज्’ काल्पनिक भी हो सकता है। लेकिन अनुबन्ध ‘वस्तुगत’ (ऑब्जेक्टिव) है। असोसिअेशन ‘मनोगत’ (सब्जेक्टिव) है। कोभी भी चीज देख कर नाममात्र का साधर्म्य कल्पना में आने से दूसरी किसी चीज का स्मरण हो जाना यह ‘असोसिअेशन ऑव्ह आअिडियाज्’ है। यह हुआ लैंगिक प्रयोग। अनुबन्ध की बात अलग है। अनुबन्ध चाहे कल्पना में आवे या न आवे; वह वस्तुगत है ही। इसीलिअे अनुबन्ध को बूढ़ना और अुसके सहारे आगे बढ़ना शास्त्रशुद्ध व्यापार है।

(क्रमशः)

असम की अक झाकी

[काका कालेलकर]

काश्मीर, केरल और कामरूप हिन्दुस्तान के तान्त्रिक त्रिकोण के तीन सिरे हैं। प्रकृति-माता ने अिन तीनों को अप्रतिम सौंदर्य अर्पण किया है। आज अगर मुझे कोअी पूछे कि अिन तीनों में से अधिक सौंदर्य किस भूमि-भाग का है, तो मेरे लिये अुसका जवाब देना कठिन होगा। कामरूप का अति प्राचीन नाम था 'प्राग्ज्योतिष'। आज अिस प्रान्त को 'असम' कहते हैं।

गंगा और ब्रह्मपुत्र के अनेकमुखी पंखे से (डेल्टा से) अिस सुन्दरवन की शोभा बडी है अुस प्रदेश का प्राचीन नाम है 'समतत'। 'समतत' माने समतल भूमिका विस्तार। अिसके विरुद्ध 'असम' प्रान्त में हिमालय से ले कर अुफला के पहाडियों तक और दक्षिण में चेर-पूजी से ले कर गारों पहाडियों तक, जहाँ देखिये वहाँ पहाड ही पहाड है; अिसीलिअे शायद अिस प्रदेश को 'असम' कहते होंगे।

जहाँ ब्रह्मपुत्र बहता है अुसकी दोनों ओर खेती करनेलायक जो समतल जमीन है अुसीमें असम प्रान्त की आबादी है। ब्रह्मपुत्र नद ही असमिया लोगों का मातापिता है। अुत्तरपूर्व में सदिया से ले कर पश्चिम में धूत्री तक १५ डिग्री के विस्तार से 'असम' प्रान्त फैला हुआ है।

अक दृष्टि से देखा जाय तो अिस प्रान्त पर कुदरत की असाधारण कृपा है। सब से बडी और सब से चौडी नदी अिसी प्रान्त में से बहती है। नदी का गाद (सिल्ट) और पहाडी वृक्षों के पत्रों के खाद का अगर हिसाब किया जाय तो यहाँ की भूमि के जैसी अुपजाऊ

भूमि और कहीं भी नहीं है। मिट्टी का तेल और कोयला अगर कहीं पास-पास खोदा जाता हो तो वह भी यहीं है। जंगल की समृद्धि और खनिज पदार्थों की सम्पत्ति में तो यह प्रदेश असाधारण सम्पन्न है। धान, रुबी, आलू, तरकारी, चाय, नील, जो चीज हम माँगें यहाँ की भूमि देने को तैयार है। और यहाँ के नारियल और सुपारी के पेड देल कर तो हिन्दुस्थान के पश्चिम किनारे की याद आती है। मत्स्याहारी लोगों के लिये तो यह नन्दन-वन ही है और फलाहारी लोग अगर चाहें तो कटहल और केले पर अपनी सारी जिन्दगी बसर कर सकते हैं।

जैसे कच्चे माल में यह प्रान्त समृद्ध है अुसी तरह तो 'कच्ची' लोक-बस्ती में भी वह कम समृद्ध नहीं है। नागा, खसी, मिकीरी, गारो, मिट्टी, आओर, मिसमिस आदि अनेक पर्वतीय और वन्य लोगों की आघाधी ही अिस प्रान्त का गहत्त्व का भाग है। कच्चे माल की कीमत वे ही कर सकते हैं जो अुससे पक्का माल बना सकते हैं। अिन पहाडी वनोंकसों की कीमत तो वे ही कर सकते हैं जो संस्कृति-धुरीण हैं। अितिहास-पूर्वकालीन मनुष्यजाति का अध्ययन करनेवाले नृ-वंश-शास्त्रियों के लिये 'असम' प्रान्त अध्ययन का सब से अ्रेष्ठ क्षेत्र है। समाजशास्त्रियों के लिये वह अप्रतिम प्रयोग-भूमि है। अगर गोवा के, कोंकण के; और केरल के थोडे हिस्मतवान लोग यहाँ आ कर बसें और यहाँ के लोगों के साथ अर्क-रूप हो जावें तो अिस प्रान्त में अक नये युकीकी प्रारंभ होगा। क्योंकि धान, सुपारी, नारियल

मछली, कटहल और केलों का यह मुल्क है। पश्चिम भारत में जो कुछ करीगरी है, जीवनकला है, उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलने से उनको अपनी शक्ति का साक्षात्कार होगा। यहाँ के पर्वतीय लोगों को अपना से असम प्रान्त के लोगों की शक्ति कम से कम दसगुनी तो अवश्य बढ़ेगी। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में कुदरत के साथ किस प्रकार लड़ना है और अनेको जीवित रखना है इसकी कला अिन आरण्यों के पास जैसी है वैसी शायद थोड़े ही शहरी और ग्रामीण लोगों के पास होगी। पादरियों ने इन लोगों को अपना धर्म और अपनी संस्कृति देने की काफी कोशिश की है। इस प्रयत्न के पीछे कौन कौनसे हेतु और आदर्श हैं यह कहना कठिन है। धर्म के नाम से ये लोग प्रचार करेंगे और समय आने पर अपने प्रचार से लष्करी दृष्टि से लाभ भी उठावेंगे। अिनके मुख में और हृदय में धर्मशास्त्र होगा। किन्तु अिनके दिमाग में और आचरण में साम्राज्यवादी समाजशास्त्र होगा। हिन्दुस्थान का सामाजिक, आर्थिक और भाषिक संगठन तोड़ डालने में अिन पादरियों ने कुछ कम सफलता नहीं पायी है। 'असम' की अंग्रेज सरकार ने आज तक अिन वनचरों की शिक्षा अिन पादरियों के ही हाथ में रखी है। कहीं कहीं अिन पर्वतीयों के प्रदेश में मिशनरियों को छोड़ कर और किसीको जाने न देने की नीति ही खुले तौर पर अख्त्यार की थी। आज भी उस नीति का अंत नहीं हो पाया है।

अिन पर्वतीयों के बीच रह कर अुनकी सेवा करनेवाले और अपनी गूजर करनेवाले मारवाडियों की हम जितनी कद्र करते हैं उससे अधिक कद्र के वे अधिकारी हैं। अंग्रेज लोग

आ कर यहाँ जितना मुनाफा करते हैं अुतने मुनाफे का शायद ये मारवाडी स्वप्न भी नहीं देखते होंगे। तो भी मारवाडियों को घनलोभी और लूटेरे कहने का रिवाजसा पड गया है। अगर सब किस्म के कष्ट अत्यंत समाधान से सहन करनेवाले ये मारवाडी अिन पर्वतीयों के बीच नहीं बसते तो अुनका जीवन अशक्यप्राय हो जाता यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिये।

जब से यहाँ पर मिट्टी के तेल की और कोयले की खानें निकली हैं और चाय के 'बागान' (बगीचे) बनाये गये हैं तब से अन्यान्य प्रान्तों के मजदूरों को अंग्रेज यहाँ ले आये। वे यहाँ आ कर कड़ी मिहनत से अपना गुजारा तो अच्छी तरह कर लेते हैं; किन्तु यहाँ के लोगों के साथ अभी तक घुल-मिल नहीं गये हैं; हालांकि यहाँ के लोगों के साथ मिल जाना तनिक भी कठिन नहीं है। असमिया लोग परम्परा से खेती करनेवाले हैं। किन्तु पूर्व बंगाल के मैमनसिंह जिले से जो लाखों मुसलमान असम प्रान्त में आ कर बसने लगे हैं अुनकी जीवनशक्ति के सामने यहाँ के स्थायी लोग फीके पड जाते हैं। ये नये लोग गाय रखते हैं, आलु बोते हैं, साग-तरकारी बेचते हैं और यहाँ की अपुजाअू जमीन के अनुरूप मिहनत-मजदूरी करके लाखों रुपया कमाते हैं।

नौगांव जिले में अिन प्रवासियों को चाहे जहाँ बसने की अिजाजत नहीं है। कहीं असमिया लोगों से अिनका झगडा न हो जाये अिसलिये अिस जिले में सरकार ने अेक लकीर खींच दी है जिसके अिस पार केवल असमिया लोग ही खेती कर सकते हैं। मैमनसिंह के मुसलमानों को यहाँ पर खेती

नहीं करने दी जाती। दोनों समाजों की शक्ति का पता इस बात से चलता है कि लकीर की जिस ओर जमीन की कीमत फी अकड अगर पाँच रुपया है, तो उस ओर उसी किस्म की अतनी ही जमीन की कीमत पचास रुपये से अधिक आ सकती है।

जहाँ हिन्दुस्थान की अत्तर-पूर्व सीमा है वहाँ पर आज हम अक छोटासा हिन्दुस्थान बसा हुआ पाते हैं। डिब्रोडी और तिनसुखिया के आसपास तेल और कोयलों की खाने दिनरात अपना काम करती हैं और सब प्रान्तों के मिला कर ३०।४० हजार लोग अपनी मिहनत से अंग्रेजी कम्पनी की जेब में प्रतिदिन हजारों रुपयों का मुनाफा पहुँचाते हैं।

प्राचीन काल में मनुष्यजाति ने गाय, भैंस, घोडा, गधा, अूट और हाथी से काम लेने की और अुनकी मिहनत से लाभ अुठाने की बिद्या हासिल की। इस युग में पाश्चात्य पूजीपतियों ने अेशिया और आफिरका के लोगों की मिहनत-मजदूरी से वही लाभ अुठाने की तरकीब ढूँढ निकाली है। पशु से श्रम कराने की आदत पडते ही मनुष्य-स्वभाव में और मनुष्यजीवन में बडी ही क्रान्ति हो गयी। गुलामी प्रथा, गिरमिटिया प्रथा, 'दुबला' किसानों की प्रथा (जो कल तक गुजरात के सूरत जिले में थी) और कल-कारखानों में मजदूरों से काम लेने की प्रथा से भी मनुष्य-जीवन में और मानव-सामाजिक आदर्शों में बहुत बडी क्रान्ति हो गयी है। इसीके कारण वर्गविग्रह और समाज-सत्तावाद की फिलसुफी का अवतार हुआ है।

जब मनुष्यजाति ने पशुओं से काम लेने का प्रारंभ किया होगा तब शेर, भेडिया, हिरन, जंगली सूअर, आदि जानवरों से भी काम

लेने की कोशिश की गयी होगी। किन्तु अिन जानवरों ने काम करने से जिस 'सफलता' के साथ अिन्कार किया कि मनुष्यजाति ने अुनका नाम ही छोड दिया। "हमें मरने लेकिन तुम्हारे लिये मिहनत नहीं करेंगे" यही, अुनकी चुनौती थी। अुसीपर वे डटे रहे। अिन पशुओं का और मनुष्यों का झगडा अनेक मोर्चों पर आज भी चल रहा है।

असम प्रान्त में गायें हैं, भैंसें हैं, हाथी हिरणादि वन्य पशु भी हैं और विशेष बात यह है कि यहाँ पर खड्ग-विषाण गडे भी हैं। गडे से काम लेने की कला किसी न किसी समय मनुष्य हस्तगत करेगा ही असा मेरा बिश्वास है। हिदुस्तान का प्रतीक जिसप्रकार हाथी है, बर्मा का मोर, दक्षिण आफिरका का शाहमृग अुसी तरह असम का प्रतीक यह गंभीरवेदी गंडा है।

अगर हम नयी दृष्टि से देखें तो गायों के साथ साथ दूसरे भी अक प्राणी का बिचार करना चाहिये। अगर गाय पवित्र है तो यह प्राणी भी पवित्र है। अगर गाय मनुष्यों को कीमती आहार देती है तो यह प्राणी भी अतना ही कीमती आहार तैयार कर देता है। अगर गाय मनुष्य के सहवास से पालतू और सीम्य बन गयी है तो यह प्राणी भी पालतू और सीम्य बन सकता है। वह प्राणी है शहद की मक्खी। गाय को प्रेम से रखने से, कुदरत के कोप से बचाने से और अुपयुक्त खुराक खिलाने से जैसे वह ज्यादा दूध देती है अुसी तरह शहद की मक्खियाँ भी मनुष्य की मदद पा कर शहद बनाने की अपनी शक्ति अनेक गुनी बढ़ा देती हैं। असम प्रान्त में जहाँ देखिये पानी के पुष्कर, ताल और शील असंख्य हैं। अनेक

अन्दर जो भले बुरे फूल अगते हैं उनका अमृत चूस चूस कर मध बनानेवाली मक्खियाँ असम प्रान्त में बहुत हैं। असम प्रान्त का मध दूर दूर तक जाता है।

असम प्रान्त का इतिहास महाभारतकाल से शुरू होता है। महाभारत में असम प्रान्त के राजा भगवत्त का और उसके हाथियों का जिक्र आता है। अनेक राजाओं की कन्याओं का हरण कर अपना अन्तःपुर भर देनेवाला नरकासुर भी यहीं का राजा था। श्रीकृष्ण ने जब असम प्रान्त पर चढाबी की तब सेना-नायकत्व सत्यभामा ने लिया था। इसका रहस्य क्या है? क्या श्रीकृष्ण के काल से ही इस प्रदेश में स्त्रीराज्य था? मध्य षाण्डव अर्जुन की चित्रांगदा भी इसी प्रान्त की (मणिपुर की) थी। श्रीकृष्ण के लडके ने भी चाहा कि असम की कोओ कन्या मिल जाय तो अच्छा है, किन्तु बेचारा यहीं फँस गया और अनिरुद्ध होते हुअे भी अुषा के प्रेम में रुद्ध हो गया।

इतिहास कहता है कि गुजराथ—काठियावाड के किसी राजपुत्र ने लंका जा कर वहाँ को राजकन्या के साथ शादी की। इस पर से दूर दूर के संबंध को व्यक्त करने के लिये गुजराथी में कहावत है कि “लंकानी लाडी अने घोषानो वर” (“लंका की लडकी और घोषा बन्दर (काठियावाड) का दुलहा”)। किन्तु इसके पहले काठियावाड के अनिरुद्ध ने कामरूप की अुषा के साथ शादी करके हिन्दुस्थान के दो सिरों को बांध दिया था।

हमारे पौराणिक काल के सबसे बडे घुमक्कड मुसाफिर तीन हैं—अमर संवाददाता नारद, शीघ्रकोपी बलराम और क्यत्रियब्राह्मण परशुराम। दुर्वास, दत्तात्रेय, हनुमान आदि

लोग भी काफी घुमक्कड थे। किन्तु अिनके तीर्यटिन का इतिहास पाया नहीं जाता। परशुराम ने हिन्दुस्थान के पश्चिम किनारे पर बडा यज्ञ किया और सारी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। बाद में अुन्होंने जब देखा कि अपने रहने के लिये भी जगह नहीं रही तो अुन्होंने समुद्र को हटा कर अपने वास्ते छोटासा प्रदेश तैयार किया। अुसी परशुराम का अेक कुण्ड यहाँ असम प्रान्त में सदिया स्टेशन से पूरब की ओर ५० मील पर है। यह सुनकर अुसे देख आने की प्रबल वृत्ति किस आर्यहृदय में नहीं अुठेगी? किन्तु वहाँ जाने के लिये आबोहवा से अनुकूल मूहूर्त पूछ लेना पडता है।

स्वयं परशुरामकुण्ड अथवा ब्रह्मकुण्ड बडी स्वास्थ्यकर जगह है और वहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी कुदरतप्रेमी आदमी को अुन्मत्त करने वाला और विलासी आदमी को प्रशम की शान्ति देनेवाला है। परशुराम के दिनों में हम लोगों में निसर्ग प्रेम, धर्मप्रचार की वृत्ति और अपने सीमान्त प्रदेशों में जंगी शिबिर स्थापित करने की लश्करी दृष्टि थी। आज हम निराशावादी, संकोचप्रिय और जडता के अुपासक बन गये हैं। हमें इस ब्रह्मकुण्ड का पता भी कहां से लग सकता है? अँसा होता तो पूर्य और पश्चिम के सीमान्त प्रदेशों में हम लोगों ने देश के पराक्रमी, पुरुषार्थी और दीर्घदर्शी नवयुवकों के बडे बडे आश्रम हमेशा के लिये जारी रखे होते। अेक षाणक्य ही शायद अँसा था जिसने अुत्तर-पूर्य सीमान्त प्रदेशों को संभालने का महत्त्व समझा था। अुसीके वंशजों ने अटक की अटक पैदा कर के भारतीय विकास को ही अटका दिया।

असम प्रान्त की सौन्दर्यसमृद्धि की ओर भाग्यलक्ष्मी की बात मीने कही। उसके साथ साथ वहीं पर, मानों अपना पवषपात धो डालने के लिये, कुदरत ने जो कोप जिस भूमि पर किया है उसका भी जिक्र करना न्यायप्राप्त है।

असम प्रान्त भूचालों के लिये इतिहास प्रसिद्ध है। मानों यह भूमि न मरे हुअे गयासुर के कलेवर पर ही बसी हुअी है। जब भूमि मृत या सुप्त नहीं होती तब समय समय पर उसे चलनवलन करने की अिच्छा हो जाती है। असम प्रान्त में आजतक अितने भूचाल हो गये हैं कि अुनका हाल पढ़ कर मन में अेक प्रश्न अुठता है। जहां जमीन बार बार हिलती है और स्थान स्थान पर अुत्पात करती है वहां या तो भूचाल का वैज्ञानिक कारण खोजने की कोशिश की जाती है और भूचाल विज्ञान का निर्माण होता है, अथवा मनुष्य अपनी कविकल्पना चला कर पौराणिक कथायें रच डालता है। महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थों में भूचाल के अुत्लेख और कथायें हैं और जापान जैसे देशों में सिस्माभ्राफी (भूचालविज्ञान) का विस्तार किया जाता है। असम में ये दोनों चीजें नहीं हैं। जहां बार बार भूचाल होते हैं वहां लोग या तो असु प्रदेश को छोड देते हैं अथवा जीवन को कषणभंगुर देख कर मृत्यु का डर छोड कर बहादुर बन जाते हैं। ये दोनों रास्ते स्वाभाविक और मनुष्योचित हैं। किन्तु दैववाद अेक अैसी जहरीली चीज है कि वह मनुष्य को जड ही बना कर रहती है। नसीबवादी समाज न तो स्थानान्तर करेगा, न प्राकृतिक शक्तियों से लडेगा, और न मुहूर्तों से चलती

आर्या हुअी अपनी जीवनप्रणाली में कुछ परिवर्तन करेगा। असम में भूचालविज्ञान का कहीं नामोनिशान भी नहीं मिलता। नदी में बाढ आती है, मनुष्य, अुनके घर और पशु बह जाते हैं, लोग दुःखी होते हैं, जिस प्रकार की आपबीती पुरानी आपत्तियों का रसपूर्ण बयान करते हैं। और सब भूल कर जैसे थे वैसे ही फिर रहने लगते हैं।

असम प्रान्त में अूंकी अूंकी पहाडियां छोड कर आबोहवा जितनी स्वास्थ्यकर होनी चाहिये अुतनी नहीं है; जिसलिये लोगों में जीवनशक्ति कम पायी जाती है। अगर असम प्रान्त के सब डॉक्टर और स्वास्थ्य-विभाग के मंत्री मिल कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं किन्तु सामाजिक स्वास्थ्य का अध्ययन करें और लोगों के रहन-सहन में, अुनके आहार-विहार में और गृहनिर्माण में क्या क्या परिवर्तन आवश्यक हैं इसका विचार करें, तो सारे प्रान्त की शकल बदल जायगी। पानी का प्रश्न कुछ मामूली प्रश्न नहीं है। पहाडी लोगों को और किसानों को अगर कम से कम खर्च में शुद्ध जल पीने को मिले तो केवल असम के स्वास्थ्य पर ही नहीं किन्तु उसके पुरुषार्थ पर भी गहरा असर पडेगा।

हम कुछ नहीं कर सकते अैसी जी फिलेसुफी लोगों के मन में धर कर बैठी है अुसके बदले अुनकी यह धारणा ही जानी चाहिये कि "हम मनुष्य हैं और सब कुछ कर सकते हैं"। प्रकृतिपर विजय पाना यह मनुष्य का सबसे बडा मिशन है। मनुष्य ने विज्ञान और रसायनशास्त्र में खोजबीन कर छोटे बडे यंत्र बनाये, मुसाफरी के साधन तैयार किये, आहार बढ़ाने की कोशिश की,

किन्तु अभी तक नदियों को काबू में रखना, बड़े बड़े जंगलों में परिवर्तन करना, आबो-हवा में और बरसात में नवीनता लाना, समुद्रों के प्रवाहों से लाभ अठाना, सूर्य की शक्ति से प्राणशक्ति को बढ़ाना, आदि अग्रगण्य कामों में हाथ नहीं डाला है। ये काम मनुष्य की शक्ति से बाहर नहीं हैं। असम प्रान्त की समृद्धि अतनी है कि वहाँ पर सब विपत्तियों का अिलाज करने का मसाला मिलना ही चाहिये।

असम प्रान्त की सरकार को मानवविज्ञान (अन्ट्रॉपॉलॉजी) का एक बड़ा महकमा खोल कर और उसमें देशी लोगों की नियुक्ति करके नये नये खोज कराने चाहिये। दक्षिण में आर्य और द्रविड लोगों के सानिध्य, संघर्ष और समिश्रण की बात आती है। सिंध, पंजाब और सीमान्त प्रदेश में आर्य, सिंधियन, पल्सव, आदि जातियों के मूल अतिहास की खोज हम कर सकते हैं। प्राचीन अतिहास की दृष्टि से असि खोज का महत्त्व बहुत बड़ा है। किन्तु भविष्य की दृष्टि से असम प्रान्त

में ब्रह्मदेश, चीन, तिब्बत आदि देशों में जो अनेकविध जातियाँ हैं उनके जीवनसत्त्व का खूब गहरा अध्ययन होना जरूरी है। हिन्दुस्थान में जिनको हमें अब 'अंबॉरिजनी' (मूल-निवासी) कहने लगे हैं उन सब जातियों का विचार श्रीकृष्ण के जमाने में वैष्णवधर्म के प्रचारकाल में काफी हुआ था। बौद्ध-काल में उनके बीच सेवाकार्य अवश्य हुआ होगा। किन्तु अब हम लोगों ने अध्ययन और सेवा दोनों का ठेका परदेशियों को दिया है।

अब असि साल चीनी लोगों का विश्व-विद्यालय समुद्र किनारा छोड़ कर असम की सरहद्द से सी दोसी मील के फासले पर आ पहुंचा है। पहाड़ी रास्ते, मोटरों और हवायी जहाज की मदद से चीन के साथ हमारा सम्पर्क बहुत कुछ बढ़नेवाला है। अब कहीं अँसा न हो कि हमारे अीरान्य सीमान्त की पहाड़ी जातियों का वर्णन और उनके बारे में सूक्ष्म जानकारी हमें चीनी प्रोफेसरों से लेनी और सीखनी पड़े।

गांधी के कलाविषयक विचार

गांधी के जीवन की हरेक बात की तरह कला और उसके महत्त्व के विषय में उनके विचार भी जनता की दुःस्थिति के उनके ज्ञान का व्यक्त स्वरूप ही है। किसी जमाने में बुद्ध के सन्मुख जिस तरह मानवप्राणी की वेदना अपना घूंघट खोल कर खड़ी हो गयी थी, उसी तरह अब वह गांधी के सामने खड़ी हो गयी है। असि लिअे वे अपनी भावनायें और शक्तियाँ अैसे किसी अुद्योग में खर्च नहीं कर सकते जो भूखों को खिलाने में, नंगों की काया ढांकने में और दुखियों को ढाढ़स बंधाने में प्रत्यक्ष-रूप से सहायक न हों।

गांधीवाद में जीवनकला

[सुरेश कुमार]

मानवीय जीवनकला का प्रकरण मानव-जीवन के साथ ही शुरू हुआ है। आवागमन का चक्कर बहुत ज़बरदस्त और विकट है, जिसी कारण जीवनकला के रूप-रहस्य में भी बहुत क्लिष्टता आ गयी है। संसार की गति सम-विपम रूप से 'दुःखानि च सुखानि च' की आवाज ले कर बढ़ती चली जा रही है। महापुरुषों ने इसकी गति को आदर्श-पथ पर लाने के अनेकानेक प्रयत्न किये। जीवन-कला के अर्थ-भेद से जीवन के आदर्शों में भी अनेक अन्तर आते रहे हैं। अध्यात्मवाद का आश्रय ले कर जिन कलाकारों ने जीवन-कला का रहस्योद्घाटन किया है, अन्हींका असर जीवन पर अधिक पड़ा है।

आज संसार का आध्यात्मिक जीवन किस गति से गुजर रहा है, यह स्पष्ट है। वैज्ञानिक सभ्यता आज बहुत जोर पकड़ गयी है और पाश्चात्य सिद्धान्तों में देहात्मवाद का सिक्का बहुत जम गया है। भौतिकवाद के आधार पर आज दिन जीवन-कला का जो क्रम निर्धारित किया जा रहा है, वह इसी पाश्चात्य-सभ्यता का परिणाम-स्वरूप है। हाँ, परिवर्तनमय संसार में जहाँ अके ओर स्थूल ज्योति का चकाचींध है, वहाँ सूक्ष्म ज्योति की भी अंकाध किरण ज़रूर है। इसीके बल पर संसार का अस्तित्व है। घोर दुःख में भी सुख का यत्किञ्चित् आभास मिल ही जाता है। कराल कलिकाल में भी सत्ययुग की अंकाध झलक आ ही जाती है। भौतिकवाद के इस युग में अके आदर्श अध्यात्मवाद की कल्पना भी कुछ ऐसी ही

प्रतीत होती है। विश्व के जीवन में आज अके जैसे ही आदर्शवाद ने जीवन-कला का निरूपण किया है—'गांधीवाद'।

गांधीवाद के आधिनायक हैं गांधीजी। यह कहने की अब आवश्यकता नहीं रही कि गांधीजी आध्यात्मिकता की किस गहराई तक पहुँच चुके हैं। आज गांधीवाद की जीवन-कला ने अखिल विश्व को आश्चर्य-चकित कर दिया है। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। कोअी भी युग हो, चाहे पाप का ही बोलवाला हो; पर यह तो मानना ही पडेगा कि पापियों के हृदय में भी पुण्य के अचिंत्य और पाप के अनौचित्य की पूर्व-निश्चित मीमांसा अवश्य होती है; यह दूसरी बात है कि तृष्णाओं के जाल में अलगसे जैसे जीवों में तदनुसार आचरण की शक्ति शेष न हो। भौतिकवाद का आन्दोलन आज विश्वव्यापी हो गया है ज़रूर; पर जहाँ इस नवीन कर्म-पथ के आदर्श गांधीवाद की कल्पना भी आ जाती है, वहाँ इसकी यथार्थता और श्रेष्ठता को तहेदिल स्वीकार कर वह अकेबार विस्मित हो अठता है। हाँ, यह दूसरी बात है कि वह आडम्बर से मुंह मोड कर, नीरस-प्रतीत आदर्श की ओर झुके नहीं।

जहाँ अबतक भौतिकवाद और अपयोगिता-वाद के आधार पर जीवन-कला का निरूपण हो रहा था, वहाँ नवीन कलाकार गांधी ने आत्मवाद का स्वरूप ले कर इस कला की जो सूक्ष्म व्यवस्था की है, वह अके आदर्श कलाविद् के अनुकूल ही है। जीवननिर्वाह

के स्थान पर आज गांधीवाद ने जीवनकला को साधना का रूप दिया है। गांधीजी ने साध्य की महत्ता अपनी आन्तरिक आंखों से दूर डाल दी है और कर्म-पथ पर साधना के महत्त्व का मूल्य आँका है। साधना का यह सन्देश भौतिक सिद्धान्तों के बीच कुछ असी तरह लगता है, जिस तरह पार्थ की मोहावस्था में गीता का उपदेश। हमारे कलाकार का जीवन गीता के अनासक्तियोग में ढला है। और यह नूतन-सन्देश मानस की ओर से गीता की वही प्रतिध्वनि है :—

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फलहेतु भूः.....”

गांधीजी कहते हैं—“पुण्य पुण्य ही है, पाप पाप ही है। यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक अुत्तम कार्य करने के लिये ही यह निष्कृष्ट साधन अपनाया गया है, अिस-लिये यह पवित्र है। पहली बात तो यह कि अुत्तम साध्य के लिये अधम साधना की जरूरत हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह कि अुत्तम साध्य के लिये भी अधम साधना अधम ही रहेगी, अुत्तम न होगी।”—अिसी सिद्धान्त के आधार पर गांधीवाद ने पशु-वलि के विरुद्ध आवाज बुठाओ है और कलाकार ने अिसी आदर्शपथ से सन्देश दिया है—कि मैं अेक साँप को भी मारकर खुद जीना नहीं चाहता,।

हां, तो, गांधीवाद में ‘कर्मयोग और ज्ञानयोग के आदर्श-समन्वय के सहारे आत्म-दर्शन की भावना के साथ साथ परिचालित जीवन की गति-विधि’ में ही जीवनकला का निरूपण हुआ है। अथवा यों कहिये कि आदर्श-साधना को ही जीवनकला का रूप दिया गया है।

अब आदर्श-साधना का रूप क्या हो ? गांधीवाद में सर्वप्रथम स्थान सत्य और अहिंसा का है। ‘सत्यं शिवं सुन्दरं’ का आह्वान कर “आत्मवत् सर्वं भूतेषु” का मूल-मन्त्र ही गांधीवाद का जीवन है। विश्व बंधुत्व के मार्ग की छोटी-छोटी अड़चन भी आदर्श-साधना की श्रेणी में नहीं आ सकती; भले ही अुससे अधिकाधिक कल्याण की बाहरी सम्भावना हो।

अब हम यह देखेंगे कि हमारे कलाकार ने अपनी कला का निर्वाह अपने जीवन में किस रूप में किया है; यद्यपि यह प्रश्न बहुत गंभीर, सीमातीत और रहस्य-भेद का है, क्योंकि हममें अितनी शक्ति नहीं कि कलाविद् गांधी की अपरिमित विभूतियों की ओर संकेत भी कर सकें। गांधीजी महा-पुरुष हैं—अुनमें अवतार की खूबियां हैं, अिस कारण अुनके जीवन का रहस्य हमारे लिये और भी ‘रहस्य’ बन जाता है। पर, यहाँ अुसकी यत्किञ्चित् छाया छू कर ही हम अपनी शान्ति की चाहना करेंगे।

हमारे कलाकार के स्थूल और सूक्ष्म दोनों जीवन आदर्श अध्यात्मवाद में केन्द्री-भूत हैं। “जो तू सीचे मूल को, फूल फल अघाय”—अिसी परिपाटी पर कलाकार ने जीवन को अेक ‘वृत्त’ बनाया है, जिसकी परिधि विद्याल है। पर, अध्यात्मवाद के केन्द्र पर ही अिस परिधि का अस्तित्व निर्भर है। यदि वृत्त का केन्द्र ठीक रहा, तब तो व्यास, त्रिज्या, चाप और समूची वृत्त-परिधि ठीक है। पर यदि केन्द्र-बिन्दु विचलित हुआ, तब तो सब कुछ चौपट ! फिर, वृत्त की गोलाभी टिक ही कैसे सकती है ? अध्यात्मवाद पर जीवन की निर्भरता

का यह गणित-प्रमाण सचमुच गांधीवाद की बिलक्षण यथार्थता का ही परिचायक है।

गांधीजी का जीवन इसी आदर्शपथ पर सतत अग्रसर है। चाहे जो भी कार्य हो,—धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक सार्वजनिक या वैयक्तिक—सत्र का मूल-कारण उनका आध्यात्मिक अभ्यन्तर ही है। इसीसे वे जबतब यह कहा करते हैं कि मेरे सभी कार्य अके दूसरे से सम्बद्ध हैं, जिनका अके ही धार्मिक श्रेय है। उनके हृदय में अके अीश्वरीय प्रेरणा है, जो अन्तरात्मा को अुकसाती रहती है। और, जीवन को अपनी नवीन आदर्श-कला में ढालनेवाले हमारे सहृदय कलाकार को अन्तरात्मा की अपेक्षा करना असम्भव हो जाता है। अन्तरात्मा की पुकार के आगे सर्वस्व होम कर डालने की अुत्कट प्रवृत्ति उनकी सदा से चली आती है।

हम साधारण व्यक्ति, कोभी भी सार्व-जनिक या वैयक्तिक कार्य आरम्भ करते हैं, तो उसके फल को ही साध्यरूप में रख कर, अूस स्थूल-कार्य को मुख्य कर्तव्य मान कर, आरम्भ करते हैं। पर गांधीजी की कर्तव्य-दृष्टि का आधार यह नहीं है। वे जो कुछ भी करते हैं, आध्यात्मिक प्रेरणा से करते हैं। उनके सारे कार्यों का साध्य कर्मफल नहीं, वरन् आत्म-दर्शन है, आध्यात्मिक विकास है। यही कारण है कि उनका जीवन पावन—तपोमय—हो गया है। कर्मफल को साध्य माननेवाले अुलझे प्राणी ही द्वन्द्व-भावों में आबद्ध होते हैं; पर जिसका सारा कार्य यों ही भक्ति की प्रेरणा से होता हो, अुसमें शीतोष्ण का भेदभाव ही कैसा? यही अके रहस्य है,

जिससे महात्माजी को कठोर-से-कठोर अुपवासों और अनुष्ठानों में भी न थकावट आती है और न कुछ अुदासीनता ही आ-पाती है। बल्कि, अिसके विपरीत अुस अुपवास और अनुष्ठान में ही वे अधिक प्रसन्न दिखते हैं। दुःख अुसके लिये दुःख नहीं है, गरीबी गरीबी नहीं है। हो भी, तो वे कहते हैं—गरीब होना ही धन्य है! और संसार में सबसे-बनी और सुखी आदमी मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है! इसी तरह, दुःख की परिभाषा में वे भक्त सुधन्वा की याद दिलाते हुअे कहते हैं—“सुख-दुःख तो मन का विकार है। दुःख देनेवाले के लिये ही दुःख दुःख है; सहनेवाले के लिये वह कोभी जरूरी नहीं कि वह दुःख ही हो। सुधन्वा को खोलते तेल की कड़ाही में डाल देनेवालों के लिये ही वह पीड़ा थी। अुस पीड़ा की कल्पना कर वे स्वयं पीड़ित हो रहे थे; वे समझते थे, हमने अधिक से अधिक कठोर दण्ड दिया है। पर, क्या सुधन्वा के लिये भी वह पीड़ा थी, दुःख था? नहीं अुसे तो अपनी भक्त की यथार्थ दृढ़ता दिसलाने का यह स्वर्ण-सुयोग मिल गया था!” आह! अत्याचार, अत्याचारी और अत्याचार-पीड़ित का यह कैसा भागिक विवेचन है!

हमारे राजनैतिक अनुष्ठान में गांधीजी ने भाग लिया; पर अिस भाव से नहीं कि भारतीय स्वतन्त्रता साध्य-रूप हो, वरन् अिस-लिये कि आध्यात्मिक प्रेरणा की अपेक्षा न हो। यही आध्यात्मिक भाव अुनके लिये साध्य था और राजनैतिक अनुष्ठान अके साधन-मात्र। स्वतन्त्रता प्रिय वस्तु अवश्य है; पर, तभी, जब वह आध्यात्मिक आधार पर हो।

नहीं तो, प्रमाणतः वे स्पष्ट घोषणा कर देते हैं—

“अध्यात्म की अपेक्षा से—केवल हिंसा से—ही यदि स्वराज्य मिलना निश्चित हो, तो मैं अपनी सारी शक्ति से, भरसक प्रयत्न करूँगा कि भारत परतन्त्र ही रहे !”

कैसा कठोर संकल्प है ! ‘भारत परतन्त्र रहे !’—साधारण व्यक्तियों के लिये किसी भी शर्त पर यह दुःखप्रद बात है, क्योंकि स्वतन्त्रता ही उनका साध्य है और साध्य के आगे साधन पर उनका ध्यान नहीं है। पर, हमारे कलाकार को तो कर्म की श्रेष्ठता का ध्यान है, कर्मफल की श्रेष्ठता का नहीं। साधन अत्यन्त हो, फिर तो साध्य अत्यन्त होगा ही—‘अच्छे काम का परिणाम बुरा कभी नहीं हो सकता !’—आत्मविश्वास है। केवल अहिंसा से ही प्राप्त स्वतन्त्रता हमारे लिये अभीष्ट है।

सत्य, अहिंसा, प्रेम और त्याग—गांधीवाद के ये ही प्रमुख सिद्धान्त-अंग हैं। कलाकार गांधी ने अिन सिद्धान्तों की जो व्याख्या की है, वह आदर्शरूप है।

सत्य के लिये गांधीवाद की साधना यों है:—
“सत्य के सिवा दूसरा कुछ कार्य नहीं। हाँ, सत्य के शोषक को अेक रजःकण से भी नीचे रहना पडता है। सारी दुनिया रजःकण को पैरोतले रौंदती है, पर सत्य का पुजारी तो जबतक अितना छोटा नहीं बन जाता कि अेक रजःकण भी उसे कुचल सके, तबतक स्वतंत्र सत्य की झलक भी होना दुर्लभ है !”—कैसी बारीक व्याख्या है !

अहिंसा के लिये—“अहिंसा परम धर्म है। अितनाही नहीं, वह अनिवार्य है। आदर्श-जीवन के अस्तित्व की शर्त ही अहिंसा है !”

प्रेम—गांधीवाद का आधार विश्वप्रेम है, विश्व-बंधुत्व है। अिस प्रेम में “आत्मवत् सर्वं भूतेषु” का निरूपण है। अिस प्रेम-प्राप्ति का सब को समान अधिकार है; अंधनीच का अिसमें भेद नहीं।—“जाति पैति पूछे ना कोअी, हरि को अजे सो हरि का होअी”—यही नियम है।

“ये यथा मां प्रपद्यते तौस्तथैव भजाभ्य-हम्”

अिसी आधार पर केवल साधना की अुत्कृष्टता पर ही अधिक जोर है। बाह्य भेद का गांधीवाद में स्थान नहीं।

गांधीवाद अनासक्तियोग का प्रयोग है। भगवान् कृष्ण का यह सन्देश अुसके प्रेम-योग में अमर है—

“मां हि पाथं व्यपाश्रित्य
येऽपि स्युः पापयोनयः।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा—

—स्तेऽपि यांति परांगतिम् ॥”

अिसी आधार पर गांधीवाद ने बाह्य भेद का सर्वथा परित्याग कर दिया है। लोकवाद में वह अुत्तरता तो जरूर है, पर अुसी तरह, जिस तरह स्वप्न में मनुष्य हाथ-पैर चलाता है। मन आत्मा में लीन है, वचन आदर्श सिद्धान्तों में लीन है और कर्म लोक-कल्याण में लीन है। फिर, बाहरी भेदभाव कैसा ?

प्रेम किसी की अपेक्षा नहीं कर सकता। यही नहीं, पापियों को भी गांधीवाद के प्रेम का समान ही अधिकार है। तभी तो प्रेम ‘पतित-पावन’ है !

‘पाप से घृणा करो परंतु पापी से प्रेम करो’—समानता यहाँ तक आ पहुँचती है ! गांधीजी कहते हैं:—

“ मेरा विरोध पापियों से नहीं, अणुके पाप से है; अत्याचारियों से नहीं, अणुके अत्याचार से है ! ”

गांधीजी अहिंसा की अपेक्षा सह ही नहीं सकते। वे तो ‘ हृदय-परिवर्तन ’ के ही आधार पर अत्याचार का नाश करेंगे—हिंसा से नहीं ! रावण को मार कर विभीषण को राज देने के बदले वे रावण को ही विभीषण बना कर फिर उसे ही राज सौंप देंगे ! कैसा आदर्श सिद्धान्त है !

त्याग को, विराग-समन्वित हो जाने पर ही गांधीवाद अतृकृष्टता का पद देता है। ‘ त्याग न टिकेरे वैराग बिना ! ’—का स्वरूप ही सच्चे त्याग का मन्त्र है। इस त्याग में आत्म-समर्पण की अुच्चतम भावना है। “ बाह्मण्डम्बर का बिलकुल परित्याग कर दो। नखर शरीर का शृंगार न करो, अमर आत्मा को सजाओ। महापुरुष किसीकी पोशाक को नहीं देखते, वे तो अुसके हृदय को देखते हैं। जहाँ तक हो, सांसारिक आवश्यकताओं को कम करो। जो जितना ही त्याग करेगा,

आत्म-दर्शन भी अुसे अुतना ही शीघ्र होगा। ” गांधीवाद में त्याग भी इसी रूप में है।

जिस तरह गांधीवाद कर्म को प्रधानता देता है, कर्मफल को नहीं; कर्म की श्रेष्ठता चाहता है, कर्मफल की नहीं; अुसी तरह वह डरता भी है पाप से, पाप के परिणाम से नहीं। कलाकार कहता है—“ मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो पाप-प्रवृत्ति से, पाप-कर्म से मुक्ति चाहता हूँ। जबतक वह न मिलेगी, मेरी अशान्ति मुझे प्रिय लगेगी। ”

अिस प्रकार गांधीवाद में जीवन-कला का जहाँ आदर्श-निरूपण है, वहाँ अुसका प्रयोग भी अुसी ढंग से है। अपने सिद्धान्त-अंगों में अुसने अिस कला को चरम-सीमा तक पहुँचा दिया है, और—

“ प्रेम के लिये प्रेम और कर्तव्य के लिये कर्तव्य ” का श्रेष्ठ अनुष्ठान किया है। यही कारण है कि गांधीवाद पर आज सारा संसार मन्त्र-मुग्ध है, और भविष्य में यह मुग्धता और बढ़ती ही जायगी।

गांधीजी अजय्य हैं

अैसे आदमी के साथ सावधानी से पेश आओ, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं की रत्ती भर भी परवाह है, न आराम या प्रशंसा या बड़प्पन की; बल्कि जो अुस काम को करने का निश्चय कर लेता है जिसे वह ठीक समझता है। अैसा आदमी भयंकर और विकट शत्रु है। क्योंकि अुसके शरीर पर तो तुम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हो, परन्तु अिससे अुसकी आत्मा पर तुम्हारा ज़रक भी कब्जा नहीं हो सकता।

—मिस्बर्ट मरे

राष्ट्रभाषाआन्दोलन की भूमिका

[दादा भर्माधिकारी]

राष्ट्र-भाषा का स्वरूप आज विद्वानों के क्वाड का विषय हो रहा है। अंसी स्थिति में प्रस्तुत लेखक का अुसके विषय में कुछ कहना अनधिकार चेष्टा के समान है। फिर भी वह अिस आशा से अपने ख्याल पेश करने की हिम्मत करता है कि विद्वान अुनपर गौर फरमायेंगे।

संस्कृत के अनेक नाम प्रचलित हैं, यथा— गीर्वाण भाषा, देववाणी, अमरभारती आदि। अुसी तरह हमारी राष्ट्रभाषा को हम लोकवाणी, भारतभारती, सबकी बोली, हिन्दी या कौमी जवान, आदि कह सकते हैं। संस्कृत तो देवों की भाषा है। आज वह समाज में बोली या लिखी नहीं जाती। अंतरेयोपनिषद में देवों का वर्णन 'परोक्व-प्रिया अिव हि देवाः'- देव परोक्व-प्रिय हैं—वे सूचक भाषा पसन्द करते हैं—अिन शब्दों में किया गया है। देवों की भाषा कुछ क्लिष्ट या अप्रत्यक्व भले ही हो, परन्तु जनता की भाषा तो प्रांजल, सुबोध और स्पष्ट होते हुअे भी परिष्कृत, सिष्ट और मुन्दर भी होनी चाहिये। वह अंसी न हो कि जिसे केवल किसी अेक ही प्रान्त के, धर्मविशेष के, सम्प्रदाय के या श्रेणी के ही लोग समझ सकें। दूसरे अुसके नादमाधुर्य, पदलालित्य, या रचनासीष्ठव का मजा न चख सकें और अुसे केवल अवाक् होकर सुनते रहे। राष्ट्रभाषा जाति-धर्म-वर्ग-निरपेक्व सभी भारतवासियों की आन्तर-प्रान्तीय व्यवहार की भाषा होगी।

सवाल यह अुठना है कि "आज कम से कम अंग्रेजी पढेलिखों की तो आन्तर-प्रान्तीय

व्यवहार की भाषा अंग्रेजी है ही। फिर अुसी को राष्ट्रभाषा बनाने में क्या हर्ज है? सिर्फ राष्ट्रवाद की सकरी भावना के कारण? अिस तरह का राष्ट्रवाद तो आज दुनिया से भाअीचारा और मनुष्यता की जडें खोद ही रहा है। अरत में अुसे लाने से क्या फायदा"? ?

यह सवाल अुतना बालिश और छिछला नहीं है जितना कि कुछ राष्ट्रवादी और देशाभिमानी समझते हैं। भाषा मनुष्य को पशु से भिन्न करनेवाला अुसका असाधारण धर्म समझा गया है। मनुष्य मनुष्य को अेक दूसरे के निकट लाने का यह साधन अगर अुनमें भेदभाव और झगडे पैदा करने लगे तो मानवता की कुशल नहीं। अिसलिअे अंग्रेजी अगर दूसरी सब दृष्टियों से अपुयुक्त और सुगम हो तो सिर्फ राष्ट्रीयता की दलील पेश कर अुसे नामंजूर करना ठीक नहीं होगा। अतः अिस प्रश्न का कुछ गहराअी से विचार करना चाहिये।

यह मानी हुअी बात है कि भाषा का संबंध प्रदेश से है। लेकिन अिसमें केवल भौगोलिक सीमाओं से ही मतलब नहीं है; बल्कि अुस भौगोलिक मर्यादा में रहनेवाले लोगों से और अुनकी विशिष्ट प्रकृति से। भाषा का संबंध भाव और संस्कृति से भी है। हमें मानवमात्र में बन्धुत्व और अविरोध सिद्ध करना है। मानवमात्र की समानता या अेकता का अर्थ समानरूपता या अेकरूपता नहीं है। अंग्रेजी में जिसे 'यूनिटी' (अेकता) कहते हैं वह हमारा अभीष्ट है, लेकिन जिसे

‘यूनिफॉर्मिटी’ (अकरूपता) कहते हैं वह तो सामाजिक जीवन की नष्ट कर देगी। विविधता जीवन का लक्षण है, अकरूपता मृत्यु का। अकेला विविधता के प्रतिकूल नहीं है। विविधता में अभेद स्थापित करने के कौशल को ही समन्वय कहते हैं। हर एक राष्ट्र की विशेषता की रक्षा करना मानवी सभ्यता की समृद्धि के लिये आवश्यक है। इसी विशेषता को हम उसकी आत्मा या संस्कृति कह सकते हैं। गुलाम राष्ट्र अपनी आत्मा को मूल जाता है। फिर वह उसे सारे विश्व में खोजता फिरता है। ‘गोद में लड़का होते’ हुए भी वह नहीं देख पाता। इस संस्कृति, या, राष्ट्रीय आत्मा से अमकी भाषा का संबंध अभेद्य है। अंग्रेजी के लिये जो अंतराज है उसकी जड़ में भी यही विचार है।

संस्कृत में जो अनेक लौकिक न्याय हैं, उनमें से ‘दशमन्याय’ भी बड़ा मार्मिक है। नदी पार करने निकले हुए दस बुद्धिमान उस पार पहुँचते ही अपनी संख्या गिनने लगे और हर एक अपने आपको छोड़ कर दूसरों की गिनती करने लगा। अति बुद्धिमान् मनुष्य का यह लक्षण है कि वह अपने आप को हमेशा भूल जाता है! दसों ने दस बार गिनती की मगर नी ही जन निकले। तब तो वे अके को डूबा हुआ समझ कर फूट फूट कर विलाप करने लगे। अके बटोही ने अमकी हालत पर तरस खा कर अन्हें अमके ‘दशम’ का पता लगा दिया। अपने आपको पा कर हर अके बासों अछलने लगा। आत्मप्राप्ति के अम अमित आनन्द का वर्णन कौन कर सकता है? भारतवर्ष अभी अम आनन्द का अनुभव नहीं कर सका है। अभी तो अमकी अपनी आत्म-मवेषणा का अधीगणेश ही हुआ है।

आत्म-विस्मरण गुलामी का अके प्रमुख लक्षण है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता का आन्दोलन अपनी गुमी हुई आत्मा की खोज ही है और राष्ट्र-निर्माण का प्रयास है अके तरह का आत्मान्वेषण।

भारतीय राष्ट्रधर्म अके सर्वव्यापी दर्शन है। अमके सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, कलात्मक और साहित्यिक असे अनेक पहलू हैं। ये पहलू विशिष्ट भले ही हों अेकिन अके दूसरे से असम्बद्ध या ध्यवच्छेदक नहीं हैं। कबूतरखाने या हवाबन्द कमरे नहीं हैं। भारत की आत्मगवेषणा के प्रयास का अितिहास स्फूर्तिदायक और मनोरंजक है। लकिन अमका वर्णन यहां अप्रस्तुत होगा। राष्ट्र जिस सर्वतो-मुखी क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है अमसे राष्ट्रभाषा का क्या हिस्सा होगा, अितना ही विचार यहां किया जा सकता है।

राष्ट्र की संस्कृति और भावनाओं को यदि अमका सूक्ष्म या अव्यक्त शरीर कहा जाय तो अमके साहित्य, भाषा और कला को व्यक्त स्वरूप कहना चाहिये। भारतीय राष्ट्रधर्म का विकास सांस्कृतिक संघर्ष से सांस्कृतिक समन्वय की ओर हो रहा है। अनेक प्रान्त, अनेक वर्ण, अनेक पंथ, अनेक भाषा और अनेक धर्मों के अिस विशाल देश में समन्वय का नियम ही विकास का पोषक हो सकता है। प्रान्तवाद, भाषा-वाद, जातिवाद, और धर्मवाद, राष्ट्र के शरीर को शतघा विदीर्ण कर रहे हैं। अकराष्ट्रीयता की भावना का विकास करने की अन्हें क्या पवीह? वे तो अमके मांसशोणित के लालायित गीध हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी साहित्यिक प्रवृत्तिमां भी अिसी गृध्रवृत्ति का अनुसरण करेगी?

क्या राष्ट्रभाषा का आन्दोलन भी विसी वृत्ति को बढ़ाने में अपने आपको कृतार्थ मानेगा ?

राष्ट्रीय जीवन के विकास में प्रान्तवाद से प्रान्तसमन्वय, जातिवाद से जातिसमन्वय, धर्मवाद से धर्मसमन्वय और भाषावाद से भाषासमन्वय की ओर कदम बढ़ाना है। जिस अभागे राष्ट्र में—सहस्रधा विभक्त राष्ट्र में—सांस्कृतिक और भावसमन्वय के द्वारा अक-राष्ट्रीयता का महत्त्वपूर्ण साधन बनने का गौरवान्वित स्थान राष्ट्रभाषा का है। वह राष्ट्रीय आत्मा के श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसका दर्शन करायेगी। यह तो मानना ही होगा कि हमें जिस देश की विशिष्ट संस्कृति और यहां की दूसरी संस्कृतियों की विशेषताओं की रक्षा करनी चाहिये। हमारा अहेश संस्कृतिसंकर (फ्यूजन ऑफ कल्चर्स) नहीं है, बल्कि संस्कृतियों का सामंजस्य (सिन्थेसिस ऑफ कल्चर्स) है। हम सारी संस्कृतियों को कुचल कर उनका कचूर नहीं बनाना चाहते। बल्कि उनका अक सुन्दर सुमनगुच्छ बनाना चाहते हैं। जिस गुलदस्ते का हर अक फूल अपने विशेष रूप, रंग और परिमल से राष्ट्र का वाग मुशीभित और सुरभित करेगा। परंतु सब के सब फूल होंगे अक ही सूत्र में बन्धे हुए। भिन्न होते हुए भी अविरोधी ! भेद में अभेद प्रस्थापित करने की जिस अनुपम कला का नाम ही-समन्वय है। भारतीय राष्ट्रधर्म का यह असाधारण लक्षण है। उसकी संस्कृति की यही विशेषता है।

जिसमें सन्देह नहीं कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का अपकरण होना चाहिये। जिस दृष्टि से संस्कृतिनिष्ठा और भाषानिष्ठा सराहनीय है। लेकिन निष्ठा और अभिमान अक ही

गुण नहीं है। निष्ठा समन्वयसाधक है; अभिमान भेदवर्धक है। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी आत्ममर्यादा का, स्वधर्म और संस्कृतिनिष्ठा का, अुत्कर्ष करेगी और साथ ही साथ हमें सांस्कृतिक समन्वय के ध्येय को प्राप्त कराने में सहायक होगी। तभी तो वह राष्ट्रभाषा होगी। उसका क्षेत्र राष्ट्रव्यापी होगा; उसका महत्त्व भी राष्ट्रव्यापी होगा। वह प्रान्तीय और साम्प्रदायिक भेदों से परे होगी। राष्ट्र की विकसित आत्मा का अविष्करण करने का अधिकार उसीका होगा। परन्तु वह प्रान्तीय भाषाओं के क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगी। वह मातृभाषा को स्थानभ्रष्ट करने का पाप कदापि नहीं करेगी। प्रान्तीय भाषाओं को अक ही राष्ट्रीय गुलदस्ते में ग्रथित करने के लिये वह सूत्र का काम देगी। भाषासमन्वय सिद्ध करने का महान् राष्ट्रकार्य राष्ट्रभाषा ही तो करेगी।

लोकवाणी अथवा राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में श्री काकासाहब और अन्य विद्वानों ने काफी लिखा है। कोजी कट्टरपंथी उसे साम्प्रदायिक दृष्टि से शुद्ध रखने की चिन्ता में मग्न हैं। कोजी अधीर सुधारवादी अक बेडोल और बदसूरत खिचड़ी भाषा बनाने में मग्न हैं। और कोजी कोजी तो यह समझते हैं कि राष्ट्रभाषा 'सबकी बोली' होने से वह किसीकी भी बोली नहीं है; अतः उसे बिगाड़ने का सभी को हक है। ये सब प्रयास अशास्त्रीय और दोषपूर्ण हैं। श्री काकासाहब जैसे व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि वाले संस्कृतिनिष्ठ भाषाभक्त ही अुचित दिशा में पथप्रदर्शन करेंगे। हम राष्ट्रभाषा प्रचार के आन्दोलन को राजनीति से अलिप्त भले ही रखें, लेकिन राष्ट्रनीति से अस्पृष्ट

हरमिज नहीं रख सकते। यदि हम बीसा करेंगे तो वह राष्ट्रभाषा नहीं होगी वरन् प्रादेशिक या साम्प्रदायिक भाषा होगी। राष्ट्रभाषा का स्वरूप कृत्रिम नहीं हो सकता। जैसे जैसे राष्ट्रीय आत्मा का संस्कृतिक सामंजस्य की दिशा में विकास होगा वैसे वैसे राष्ट्रभाषा के स्वरूप में भी विकास और परिवर्तन होता जायेगा।

यहां राष्ट्र भाषा या लोकवाणी के स्वरूप के विचार से मतलब नहीं है। वह तो राष्ट्रहितैषी विद्वानों का क्षेत्र है। लेकिन

असके पीछे जो भूमिका और वृत्ति होनी चाहिये उसीका कुछ दिग्दर्शन करने का अभिप्राय था। हमारे राष्ट्रधर्म की अद्यतन प्रवृत्ति से जो समरस होगी, राष्ट्रमन्दिर के निर्माण में सहायक होगी, उसी लोकवाणी को बृहत्तर, सुन्दरतर और दिव्यतर भारत के शुभागमन का स्वागत करने का अधिकार होगा। उसीके पुण्य-प्रताप से स्वतंत्र और संयुक्त भारत की आगामी पीढियां शतगुणित प्रेम, परिवर्धित आत्मप्रत्यय और वषम्य अभिमान से गावेंगी 'दुर्लभ भारते जन्म'।

चर्खाप्रशस्ति

(दिलखुश ब. दिवाणजी)

भारतवर्ष की विशाल प्रजा की बढ़ती हुई गरीबी इस युग का सबसे अधिक महत्त्व का सवाल है। फ़ाकेकशी में फँसी हुई जनता की संख्या करोड़ों तक जा पहुँची है। इस गरीबी के हृदयद्रावक वर्णन स्व० दादाभाजी, दत्त और डिग्वी की किताबों में भरे पडे हैं। लेकिन इस गरीबी के सच्चे दर्शन तो हमें हिन्दुस्तान के देहातों में ही हो सकते हैं। सन् १९२२ में गांधीजी ने अदालत के सामने बयान देते हुए कहा था कि 'इस गरीबी का प्रत्यक्ष प्रमाण तो आज भारत के गाँव अपने चलते-फिरते हाडपिंजरों द्वारा आप दे रहे हैं।'

जरासी भी हमदर्दी जिसमें अिन भूखों मरनेवालों के लिये है, वह इस करुण दर्शन से अवश्य तिलमिला उठता है। उस में गरीबों के लिये दयाभाव का संचार हो जाता है। हमदर्दी, सहानुभूति, की यही कोमल, करुणामय और कल्याणप्रद भावना

खादी में है। यह सक्रिय सहानुभूति बडे बडे शहरों के विलासी पुस्तकालयों या वाचनालयों के अलमारों में बंद रिपोर्टों के—विवरणों के—ऑकड़ों से अत्यन्त, अकर्मण्य और केवल बुद्धिगम्य सहानुभूति नहीं है। यह तो वह सहानुभूति है जो बेचारे भूखों मरते हुए गरीब किसान की टूटी-फूटी झोपडी में पडी हुई खाली हंडी के दर्शन से अत्यन्त होती है। हृदय को पिघला देनेवाली करुणा में से ही खादी की भावना का जन्म हुआ है। इस करुणा से ही गरीबों के प्रति समता की वृत्ति पैदा होती है। खादी की भावना इसीका परिणाम है। इस क्रियाशील करुणा ने ही चर्खे का आविष्कार किया है।

गान्धीजी को किसानों की सच्ची अन्नति के दर्शन सूत के घागे में हुये। इससे पहले अन्नकी तरबकी के लिये कमी तजवीजें,—योजनायें—सोची गयीं और कागज़ पर अतारी

गयीं। सबे असें तक अनुपर विचार हुआ और अब भी हो रहा है। कृषि-सुधार और अद्योग-धंधों के विकास के कभी कार्यक्रम बड़े बड़े अर्थशास्त्री पेश कर रहे हैं। खादी में समायी हुश्री अिस भावना और विचारधाराने अिन तमाम योजनाओं—तदबीरो—का निकम्मापन साबित कर दिया है और अनुकी निरर्थकता को ठीक ठीक समझ लिया है। किसानों को भूखों मारनेवाली गरीबी के पीछे बेकारी, आलस्य और निकम्मापन, अिन तीनों की त्रिविध अपाधि लगी हुश्री है। अिस त्रिविध ताप से यदि किसानों को न अुवारा गया तो अनुकी गरीबी का सच्चे अर्थ में मिटना असंभव हो जायगा। अिस सत्य का दर्शन खादी की भावना में होता है। चर्खे की प्रवृत्ति में प्रचलित दान-धर्म की निकम्मी और आलसी कषुद्रता नहीं है। अिस देश में गरीबी और फ़ाकैकशी अत्यल्प और आकस्मिक नहीं बल्कि रोजमर्रा की और कभी पीछा न छोड़नेवाली वाधि हो गयी हो, वहाँ भूखों मरनेवालों को अन्नदान करने की दानवृत्ति की बड़ी से बड़ी विराट योजना भी हार जाती है। अिस प्रवृत्ति से किसानों की कषुधा कभी शांत न होगी। दान-धर्म की अिस प्रवृत्ति से तो बेकारी, और काहिली को ही बल मिलेगा। हमारे देश के सरकारी शिक्षाप्रप्त विद्वान अर्थशास्त्री पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के धोखे पोथों के पन्ने अुलट-पलट कर यांत्रिक अुद्योग-धंधों की विराट प्रवृत्तियों की योजनाओं जनता के आगे रखते हैं। वे अंसा समझ बैठे हैं मानों अिसी में से गरीबी का अिलाज निकल आयगा। किन्तु देहाती प्रजा की स्थिति का अिनको प्रत्यक्ष अनुभव है, आज की गरीबी के सच्चे

कारणों का अिन्होंने ग्रामीण दृष्टि से ही निरंतर चिंतन किया है और जो हमारी संस्कृति के सच्चे और अिस्थायी तत्त्वों को ठीक ठीक जानते हैं, वे मशीनों के बल पर चलनेवाले कलकारखानों के अुद्योग-धंधों की प्रवृत्ति की निरर्थकता समझ गये हैं। आनंद के, कुमारस्वामी और राधाकुमुद मुंकर्जी ने अपनी सुन्दर पुस्तकों में अिस वस्तुस्थिति को साफ़ साफ़ अाहिर कर दिया है। अनुभव से भी तो यही दीख पड़ रहा है कि ये कल-कारखाने प्रजा की गरीबी और बेकारी दूर करने के बदले अुलटा अुसे बढ़ा रहे हैं; या वे अुसे दूर करने के सच्चे मार्ग में काँटे बिछाते हैं। चर्खे की प्रवृत्ति ने पश्चिम के अर्थशास्त्र की पोल खोल दी है। हमने यह जान लिया है कि पश्चिम का वह अर्थशास्त्र भारतीय संस्कृति के कितना प्रतिकूल है। गांधीजी ने कहा था, "जब अंगरेजों के पवित्र चरण यहाँ आये अुससे पहले भारत अपने लाखों झोंपडों में कातता, बुनता और खेती से मिलनेवाली अपनी थोड़ीसी आजी-विका के दायरे में रह कर कभी को पूरा कर दिया करता था।" अंसे सुखी समृद्ध किसानों की बढ़ती हुअी गरीबी के हृदयविदारक प्रश्न की गहराअी तक पहुँच कर और भारत की किसान प्रजा के अिद-गिद लिपटे हुअे परम्परागत तथा वर्तमान संस्कारों को पहचान कर अनुकी भूखों मारनेवाली गरीबी के कारणों की खोज अुन्हीं के झोंपडों में पहुँच कर की गयी। और अंत में भारत की समूची परिस्थिति का बहुत बारीकी से और गौर के साथ विचार करके खादी की भावना ने अिन किसानों को अ्रसफलित, अुद्यमशील, रवावलंबी और

अुत्पादक शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में चर्खे का मंत्र अर्पण किया है। जिसीसे चर्खे की संस्कृति में स्वाश्रय का अुत्सास है। खेती के सहयोगी अुद्योग का परिश्रमी जीवन अुसमें है। वह जिन्दगी में खुराक के बाद बहुत अुपयोगी वस्त्रकला की अुत्पादक शक्ति है। करोड़ों भूखों मरते किसानों की सघः फलदायी और सच्ची कल्याणसाधक अपार शक्ति का दावा चर्खा ही कर सकता है। क्योंकि आर्यसंस्कृति के हजारों वर्षों के ज्वार-माटे की ठंडी, सुखद छाया में जन्म ले कर बढे हुअे और पोषित भारतीय अर्थशास्त्र के चिरजीवी तत्त्वों के वह अनुकूल है; अनुभवों की असंख्य परम्पराओं में अुसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। और वह युग-बल के सच्चे प्रगतिशील तत्त्वों का विरोधी नहीं है।

चर्खे की प्रवृत्ति की विशेषता यही है कि जिसमें अर्थशास्त्र की व्यापारी वृत्ति नहीं के बराबर है। पग-पग पर जिसमें सेवाधर्म के शान्त और परम तेजस्वी तत्त्व मिलते ही जाते हैं। पुस्तकों के अभ्यास से, योजनाओं के बड़े बड़े आँकड़ों से और बुद्धि को अुलझन में डालनेवाली जटिल दलीलों के दाब-पेचों से खादी की प्रवृत्ति दब नहीं सकती। अथवा अैसे निश्चिष्ट साधनों की सहायता से सरकार के द्वार पर भीख भोगने की कषुद्र परोपजीवी वृत्ति में अुसका पर्यवसान नहीं होता। खादी की कल्याणकारी भावना तो करोड़ों किसानों के गरीब जीवन में प्रत्यक्ष रूप से समरस हों की गरज से शहर के विलासीवैभव और आज-तक पोसे हुअे तमाम सुखभोगों को भगा देती है। चर्खे की प्रवृत्ति में सेवाधर्म का

पुरुषार्थ है। अतः वह मुरीबी का वक्त के कर कंगाल किसानों की कुटियों में जा पहुँचती है और वहीं अपना काम शुरू कर देती है। चर्खे की भावना में विद्यमान सेवा-वृत्ति अितनी सात्विक है कि विज्ञापनकाली और वाह्य आडंबरों से अुसे शर्म आती है। किसानों को न मिलनेवाली मामूली से भी मामूली सुविधाओं से वह घबहाती है। लगातार, अखंड, अुद्यमपरायण जीवन के मूक किन्तु सक्रिय बोधपाठों से ही किसानों का सच्चा कल्याण प्रत्यक्ष रीति से साधने के लिये वह हमेशा यत्न किया करती है। अैसी नित्यजाग्रत और जीवनस्पर्शी सेवा-शक्ति से मूर्तिमंत बनी हुअी खादी की भावना में सत्य की झांकी है। प्रेम धर्म का प्रकाश है। और शांत होते हुअे भी अुसमें उज्ज्वल तथा उत्कट देश-भक्ति का सच्चा पुरुषार्थ समाया हुआ है।

खादी की भावना के पीछे किसानों की केवल आर्थिक अुन्नति के प्रश्न का ही हल नहीं है। यह सिर्फ वस्त्रव्यवसाय की फिर से नये सिरे से रचना नहीं है। खोये हुअे खेती के सहयोगी अुद्योग की यह केवल पुनःप्राप्ति ही नहीं है। खादी की संस्कृति में ये सब चीजें तो है ही; किन्तु जिसकी कल्पना और साधना तो बहुत विशाल और सर्वव्यापी है। चर्खा तो बेकारी और आलस्य में प्रडे हुअे किसान के लिये संजीवन कार्यक्षम मात्रा है। जीवन के सूखे हुअे अनेक भागों को मह नवजीवन देता है। प्रतिवर्ष कर्ज के बढते हुअे गहरे गड्ढे में गिरता हुआ, रातदिन मेहनत करके जोते हुअे अपने प्यारे खेत में पैदा होनेवाली साधारण फसल में से मुट्ठीभर अन्न के लिये तरसने वाला, विनाश

के किनारे पर निस्तेज और निरीह हो कर खड़ा हुआ किसान अपनी जमीन के रस को लुटता हुआ देख रहा है। अपार आपत्तियों और अलमनों से घिरा हुआ यह गरीब किसान अकुलाता, खिन्नवदन, निश्चेष्ट, और निराश्रित हो बैठा है। 'क्या करूँ, कुछ सूझता नहीं' की असह्य मूक वेदना से उसका हृदय भरा हुआ है। और "भीश्वर जो करे वही ठीक!" यही बुद्गार उसका अकेमात्र आश्वासन हो गया है। इस आशा के धागे के आधार के बिना तो वह बेचारा किसी लिभे जीता है कि उसे मरने का भी आलस है। आलस्य से ही उसकी अंसी हालत हुई, उसीमें वह जी रहा है, ज्यों त्यों करके अपने दिन बिता रहा है। अंसी नाअुम्मीदी की बहुत बुरी हालत में गांधीजी ने इस दंडित, ताडित, तिरस्कृत, दुत्कारे और भूले-भटके किसान को याद किया। वे उसकी मूक वेदना और मुसीबत को समझ सके। और बृद्ध भगवान को शोभनेवाली करुणा से अिनकी टूटीफूटी झोंपडी के पास दौड़े हुअे गये। इस जीर्ण-शीर्ण झोंपडी और उसके टूटे हुअे ठाठ को देख कर गांधीजी का हृदय दुःखित हो अुठा और किसान के जीवन को चूसनेवाले भयंकर और सर्व-नाशकारी मूल को अुन्होंने दूँद निकला। किसान के हताश जीवन को फिर से दृढ और पुष्ट करनेवाले प्रचंड शक्तिशाली चखे की किसान की गोद में रख दिया और उसके

कष्टों का निवारण किया। गरीबी, बेकारी बेकसी, कर्ज, काहिली, अज्ञान और जड़ता के विनाशचक्रों में से अुद्धार पाने का मार्ग चखे ने किसान को बताया। उसकी थोडीसी आय में चखे ने वृद्धि की। आलस्य में यों ही बैठे बैठे खराब जानेवाले समय का सदुपयोग करना सिखा दिया। शून्य में से रुपये और धूल में से धान्य पैदा करने का सच्चा अर्थशास्त्र असे समझा दिया। खोया हुआ प्रिय बालक वर्षों के वियोग के पश्चात प्राप्त होने पर माँ को जो अलौकिक आनन्द होता है, अंसा ही आनन्द आज किसान चखे द्वारा पा रहा है। जिन झोंपडों में चखे का मधुर गुंजन फिर से सुनायी पड़ा है, वहाँ के किसानों की आँखों में फिर से तेज की किरणें झलकने लगी हैं, अुनकी देह पर स्वास्थ्य की लाली फिर चढ़ने लगी है। आलस्य और बेकारी में गले पड़े हुअे व्यसन अब नष्ट होने लगे हैं। अनीति की राह में चलनेवालों के जीवन की मलिनता धुलने लगी है। निष्पाप और मिनहती जीवन का आनन्द अिनकी झोंपडियों में फिर से दिखायी देने लगा है। किसानों के अज्ञान का पर्दा दूर होने लगा है। वहमों—भ्रमों—की जड़ता घटने लगी है। चखे के तकुअे पर कते हुअे सून के धागे मे हताश किसान को नवजीवन प्रदान करने की अमोघ शक्ति छिपी हुअी है। अिसीमें चखे की संस्कृति की अुज्ज्वलता खिल अुठती है।

कौअे की नजर से

१० मनुष्यों के झगडे

संपादक भाभी,

हम पंखियों को आप लोगों के झगडों से क्या सरोकार है? फिर भी न जाने क्यों मुझे इस समय आप लोगों में जो झगडे चल रहे हैं, उनसे रंज होता है। सवाभी कहता है कि मैं जहां जरूरत न हो वहां भी रंज करता बैठता हूं, और जिन्हें सहानुभूति की पर्वाह न हो उनके भी दुःखों से दुःखित होता हूं। सवाभी अितना सयाना है कि उसके कहने पर मेरा विश्वास बैठ जाना है। फिर भी, मैं उससे बारबार काँप्रेसी झगडों का कोअी अिलाज बताने के लिअे कहता रहता हूं। वह मुझे टालता रहता है। लेकिन, कल मैंने हठ किया कि जबतक मेरा समाधान नहीं करोगे, मैं न खाना खोजने जाऊंगा और न तुम्हें नींद लेने दूंगा, तब उसने अपने विचार बतलाये। वह बोला—

भुशुंडि—जबतक आदमी अपने झगडों को पैदा करनेवाली परिस्थिति को नहीं समझ लेते, तबतक झगडे होते ही रहेंगे। अुन्हें न हिंसावाद टाल सकता है और न अहिंसावाद। पर अगर परिस्थिति का ज्ञान हो जाय, तो सब झगडे मिट सकते हैं।

वास्तव में झगडना मनुष्य का जाति-स्वभाव ही है। किसी में वह कम परिमाण में होता है, किसी में ज्यादा। लेकिन अेक परिस्थिति अैसी होती है जिसमें बहुत झगडालू आदमी भी शान्तिवादी मामा जाता है, या बन जाता है और जो कम झगडालू हो उसकी गिनती लडाकों में होती है। अिसको सबसे बड़ा अुदाहरण स्वयं बापू का-

ही है। बापू के जैसा झगडेखोर स्वभाव का आदमी लाखों या करोडों में अेकाध ही होता है। फिर भी, अुनकी गिनती शान्ति के पैगंबरों में और अहिंसा के निष्णातों में होती है। मैं अिसे दुनिया के बडे से बडे अजायबों में से अेक मानता हूं। सूरज, चांद और तारों से भी बढ कर अगर कोअी आश्चर्य है तो बापूअी की यह शान्तिवाद के लिअे ख्याति है! लेकिन, यह सब परिस्थिति का खेल है!

मैं—क्या बापू को तुम सच्चे शान्तिवादी नहीं समझते? अुन्हें झगडालू कह कर तुम अितने बडे महात्मा का कितना द्रोह करते हो?

सवाअी—हमारा अिस आश्रम से सम्बन्ध है। हमें अिसमें खाना मिल जाता है और यह बापू का बनाया हुआ है। संवर्णों की दृष्टि में कोअी और हरिजन अेक-से ही होते हैं। अिसलिअे मुझे भी हरिजनों से हमदर्दी है। और बापू की हरिजनों पर बडी कृपा है। मुझसे कभी अुनका झगडा ही नहीं हुआ। तब क्या अुनके लिअे मुझे कम आदर हो सकता है? फिर भी, सच तो सच ही है। अगर अेक परिस्थिति न होती तो बापू अहिंसावादी होते हुअे भी जगत् के अव्वल नंबर के टंटेबाजों में गिने जाते।

मैं—वह कोनसी परिस्थिति है?

सवाअी—बापू विवाहित हैं।

मैं—विवाहित? विवाहित और अविवाहितों का टंटे-बखेडों से क्या संबंध है?

सबाबी—बहुत बड़ा। मैं मनुष्यों की बात कह रहा हूँ। दूसरे प्राणियों की नहीं। मैंने सारी दुनिया के छोटे-बड़े सार्वजनिक आदमियों की ओर उनके झगड़ों की छान-बीन करके यह पता लगाया है कि जो आदमी बहुत टटेबाज होते हुए भी विवाहित होते हैं, वे झगड़ालुओं के साथ रहते हुए भी शान्तिप्रिय बन जाते हैं, और कम झगड़ेखोर होते हुए भी जो अविवाहित या विधुर या अउनके समान परिस्थिति में होते हैं, वे बखेडिये बन जाते हैं, या कम से कम झगड़े में फँसे हुए तो रहते ही हैं।

मैं—यह एक बिलकुल नयी बात बता रहे हो। मुझे ठीक ठीक समझा देना होगा।

सबाबी—अगर तुम्हारा हठ ही है, तब तो मुझे समझाना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें आगाह कर देता हूँ कि अगर तुमने अिस 'सर्वोदय' में दिया और कहीं उसके पाठक बुरा मान गये, तो तुम्हारी लेख-माला ही बन्द कर दी जायगी।

मैं—अिसकी चिन्ता सम्पादक करेंगे। कोअी ठीक बात नहीं होगी तो उसे काट डालेंगे। मैं तो सचमुच अल्लू हूँ। अगर सम्पादक मेरा लिखा दुस्त करके न छापें तो लोग अुन्हींको अल्लू मानेंगे।

सबाबी—ठीक, जो तुम्हारी मर्जी। काँग्रेस में आजकल जो झगड़े चल रहे हैं अुनपर नजर डालो। बल्लभभाअी, भूलाभाअी, राजेन्द्रबाबू वगैरा वकिंग कमेटी के सदस्य सब एक ही पक्ष में हैं। फिर भी राजेन्द्रबाबू, जयरामदास, जमनालाल, सरोजनी नायडू आदि से सुभाषबाबू अपनी लड़ाअी नहीं मानते। वकिंग कमेटी के तो बड़े सलाहकार स्वयं बापू

हैं, लेकिन, तो भी वे बापू को झगड़े का मूल नहीं मानते। मगर बल्लभभाअी, भूलाभाअी और प्रफुल्लबाबू पर ही झगड़ेबाअी का आरोप किया जाता है। और इन तीनों के ही पत्नियं नहीं हैं। बाअी ओर-देखो तो रॉय और रंगा भी बांयेवाले हैं। जयप्रकाश नारायण भी हैं। लेकिन, सुभाष और नरीमन ही 'बांयेबाअी' के मुखिया बने हैं। काँग्रेस के अनुष्ठासन में वे ही दोनों आ गये। अुन दोनों ने व्याह नहीं किया है।

फिर, जवाहरलाल को देखो। दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिये वे कितनी मिहनत करते हैं। लेकिन फिर भी, अुनकी गिनती हमेशा लड़ाअीप्रिय आदमियों में ही होगी। न पांधीवाले अुन्हें अपने पक्ष का समझते हैं, न सुभाषवाले। वे सच्चे दिल से लड़ाअी नहीं चाहते। लेकिन, कोअी भी सवाल हो, अुसपर जवाहरलाल क्या कहेंगे, नाराज होंगे या संतुष्ट, अिसकी सबको चिन्ता रहनी है। अिसका कारण यह है कि वे विधुर हैं। पत्नीहीन पुरुष का यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह बगैर झगड़ किये बहुत दिन चुप रह सकता है।

दूसरी ओर से देखे तो उनके पत्नी है, वे झगड़ा करें तो भी बहुत दिन अुसे चसा नहीं सकते। आखिर पीछे हट जाते हैं। अुदा० डॉ० खरे और गोळे। राजस्थान में हरिभाअू अुपाध्याय, रामनारायण चौधरी। ये सब पत्नीवाले हैं, तो झगड़े से आखिर हट जाते हैं। लेकिन, बाबा नरसिंहदास विधुर हैं, तो बराबर कमर कसे रहते हैं। अिन तुम्हारे सम्पादक दादा को ही देखो। झगड़ों से कोसों दूर भागते हैं। लेकिन, काका? यहाँ अपने सत्संग-हा-

ध्रम में रहते थे, तब दुनिया ने कभी नहीं सुना था कि अूनमें टंटेबाजी है। परंतु, जबसे विधुर हुआ तबसे बगैर झगडे का न कोअी स्थान रक्खा है, न कोअी दोस्त। और किशोरलाल तथा नरहरी का स्वभाव कुछ कम झगडे मोल लेने का नहीं है। लेकिन, दोनों के पत्नियां है अिसलिये पीछे हट जाते है और सज्जन होने की ख्याति प्राप्त करते है। क्या तुम नहीं जानते कि स्वयं बापू के आसपास रहनेवालों का बापू से किस तरह का संबंध है? महादेव वगैरह विवाहित लोग कभी बापू से लडाआ नहीं छोडते। थोडीसी चर्चा कर लेते है और बापू की बात मान लेते है। लेकिन, देखो, वह मीराबहन, प्यारेलाल, सुरेन्द्र, बलवन्तसिंह आदि जितने बिना पति या बिना पत्नीवाले है वे हमेशा बापू से टंटा मोल लेते रहते है।

और भी देखो। जिस कारण नरीमन का काँग्रेस में झगडा हुआ, अूसमें निमित्त तो थे खेर। लेकिन खेर विवाहित है। अिसलिये नरीमन ने भी खेर को बुरा नहीं कहा। सरदार को ही कहा। दूसरी ओर मद्रास में राजाजी खेर के समान ही मीठा बोलते है और हंसते है। लेकिन वे विधुर है अिसलिये अूनकी ख्याति झगडेबाजों में ही होती है। वे बोलने खडे होते है तो अूनके सारे प्रतिपक्षी अूनकी दलीलों से डरते है।

काँग्रेस और मुस्लिम लीग में क्यों अितना झगडा है? यहां जब राजेन्द्रबाबू अध्यक्ष थे, तब अन्होंने झगडा मिटाना चाहा। जिन्ना विधुर थे तब मिट तो कैसे सकता था? लेकिन वह बडा नहीं। किन्तु बाद में जवाहरलाल अध्यक्ष हुआ, तब दोनों

विधुर आ गये। दोनों का झगडा बढ गया। देहली की मजलिस में भूलाभाभी से भी अिसी कारण जिन्ना की नहीं बनती। सब में न मुस्लिम लीग को झगडा पसन्ध है, न जिन्ना को। लेकिन, जबसे जिन्ना विधुर हो गये है, तबसे वे बिना झगडे रह नहीं सकते।

और भी अेक सबूत देता हूं। हाल ही में काँग्रेस समाजवादी पार्टी में फूट हो गयी है। फूट कर बाहर निकलनेवाले तीनों सदस्यों में से—मसानी, अच्युत पटवर्धन और असोक महेता, किसीके भी पत्नी नहीं है। झगडा हुआ जयप्रकाश नारायण की नीति के कारण। फिर भी, वे तो त्रिपुरी के शान्ति—संस्थापकों मे से अेक समझे जाते है और अूनके साथी संन्यासी सहजानन्द और भिक्षु राहुल बख्खेडियों में गिने जाते है। भला, संन्यासी और भिक्षुओं का तो शान्ति का व्रत ही होता है, लेकिन साबित होता है कि पत्नी का अभाव ही झगडा करता है।

अिसका अेक जबरदस्त सबूत कर्नाटक में पाया जाता है। वहां गंगाधरराव, दिवाकर, कीजलगी, हर्डीकर, पुडलिक, आदि सब पत्नीहीन है। तो देखो अिन सबकी ख्याति झगडेबाजों में है।

यहां गुजरात में ही देखो तो डॉ० अन्दुलाल, दिनकर महेता और मृदुला की ख्याति झगडेबाजों में होती है। और जीवनलाल दिवान, मोरारजी देसाभी आदि माने जाते है समझदार। वास्तव में सबके स्वभाव अेकसे है, पर पहले दो की स्त्रियां नहीं है और मृदुला तो अविवाहित है।

वर्धा का भी तो यही हाल है। खोत्रे, काले वगैरा सब शान्तिवादी है। पर,

बिनोबा को, सिवा अनुके अंध शिष्यों, के कौन शान्तिवादी कहेगा? कुमारप्या को कौन झगडेबाज न कहेगा? मगर अनुके भाभी भारतन् और शिष्य झवेरभाभी कितने भले हैं? विवाहित होने के कारण ही अनुकी यह भलाभी है। जाजूजी को भी देखिये। अनुकी जवान तो बड़ी कटोर होती है, पर विवाहित होनेसे वे झगडे से हट जाते हैं। जमनालाल भी इसी कारण सज्जन माने जाते हैं।

फिर, महाराष्ट्र का हाल सुनो। शंकरराव देव, सेनापति बापट और दास्ताने ये तीनों पुराने दोस्त हैं। देव और दास्ताने अके पक्क में हैं। पर लोग देव ही को झगडे का सरदार कहेंगे, दास्ताने को कोभी न कहेगा। सेनापति बापट अकेता कितनी चाहते हैं। पर विधुर होने से झगडे से बच कर नहीं रह सकते। वह प्रेमावहन भी झगडे से बाज नहीं आती। महाराष्ट्र में स्वराज्य पक्क के कितने ही लोग हैं, पर झगडे का सारा भार अठाना पडता है जमनादास महेता ही को, क्योंकि वे बीबीवाले नहीं हैं। फिर गोकुलभाभी के दुस्मन भी अन्हें झगडाखोर नहीं कहेगे। लेकिन स्वामी आनन्द के मित्र भी अन्हें शान्तिप्रिय नहीं बता सकेंगे। इसमें सिवा विवाह के और कोभी कारण नहीं है। क्योंकि अगर अहिंसा से मतलब प्रेम का हो, तो स्वामी आनन्द क्या गोकुलभाभी से कम प्रेम करते हैं?

बंगाल में भी यही स्थिति है। जिस तरह सुभाष अके बाजू से झगडे के मुखिया हैं, उसी तरह दूसरी बाजू से प्रफुल्ल घोष मुखिया हैं। क्योंकि दोनों अविवाहित हैं। रवीन्द्रनाथ जैसे तत्त्वज्ञानी और कवि भी विधुरता के कारण हाल हाल में झगडेबाजी में फँस जाते हैं। और, देखो, महाराष्ट्र

और बंगाल में ही सबसे ज्यादा झगडेबाजी क्यों चलती है? क्योंकि अन्हें दो प्रान्तों में अधिकतर कार्यकर्ता अविवाहित होते हैं। बिहार के कार्यकर्ता अक्सर बचपन में ही विवाह कर लेते हैं। इसलिये वह प्रान्त कितना शान्तिप्रिय माना जाता है? जबसे अनुमें अविवाहित कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तभी से झगडों की संख्या भी बढ़ रही है।

मैं—क्या यह नियम हिन्दुस्थान के लिये ही है?

सबाभी—नहीं जी! सारी मानवजाति के लिये है। अभी जो यह यूरोप में लडाओ छिडी है उसी को देखो। लडाओ में शरीक हुये सब राज्यों में अकेला हिटलर ही अविवाहित है। इसीलिये उसीके द्वारा लडाओ छिडी है। अब इस में दोनों ओर से हजारों और लाखों आदमियों का संहार किया जायगा। फिर भी, हिटलर तो माना जाता है युद्ध का शतान तथा मनुष्यों का दुस्मन, और चेंबरलेन तथा हैलिफेस शान्ति के फरिश्ते और मनुष्यजाति के संरक्षक। जितनों को हिटलर मारेगा, वे सब युद्ध के निर्दोष बलि कहे जावेंगे, और जर्मनी के जितने मारे जायेंगे, वह सब संस्कृति की रक्षा के लिये पापियों का संहार समझना होगा। भला, यह कैसा हो सकता है? लेकिन, अविवाह और विवाह के कारण अतना फर्क हो जाता है।

मैं—लेकिन तुम्हारे सिद्धान्त में मुझे अके शंका हो रही है।

सबाभी—वह क्या?

मैं—कृपालानी भी तो विवाहित है। लेकिन वे तो झगडेबाज आदमी ही माने जाते हैं? मैंने सुना है कि आर्यनायकम् और सनीस बाबू का भी हाल असा ही कुछ है।

सवाभी—कृपालानी के बारे में तो दो कारण हैं। उन्होंने अभी अभी विवाह कर लिया है, इससे उनकी पुरानी आदतें अभी बदल नहीं पायी हैं। लेकिन, दूसरा जबरदस्त कारण यह है कि अल तीनों की स्त्रियां बंगाली हैं। मैंने यह शोध की है कि जिनकी स्त्रियां बंगाली होती हैं, वे अक्सर इस नियमों में अपवाद रूप होते हैं।

मैं—क्या बंगाली स्त्रियां झगडों को प्रोत्साहन देनेवाली होती हैं?

सवाभी—बिलकुल नहीं। वात ठीक अलटी है। वे अक्सर अितने नरम स्वभाव की होती हैं कि अपने पतियों की झगडाखोरी पर लगाम नहीं डाल सकतीं। उनके अनुकूल रहती हैं। इसीलिये उनके पतियों को झगडाखोरी कम नहीं होती।

मैं—लेकिन, बापू तो बचपन ही से विवाहित हैं, और वा तो बंगालिन नहीं हैं। फिर भी, बापू ने कैसे अितनी लड़ाइयां छेडीं और छेड़ते रहते हैं? अंग्रेज सरकार को उन्होंने कम परेशान नहीं किया। और हिन्दू समाज को भी। मुझे मालूम होता है कि तुम्हारा सारा सिद्धांत बापू के अुदाहरण से गलत साबित होता है।

सवाभी—कभी नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोच विचार करके यह नियम खोजा है। बापू की बात मैं पूरी तरह समझा दे सकता हूं।

मैं—मैं सुनना चाहता हूं।

सवाभी—बापू बड़े चतुर हैं। उन्होंने

देखा कि जिनका घर में बहुत झगडा होता है, वे बाहर बहुत कम झगडा कर सकते हैं। इसलिये जब उन्हें बाहर झगडा करना जरूरी मालूम होता है, तब वे घर के झगडे मिटाने में अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। और जबतक घर में झगडा चलता है, तबतक बाहर का अुठाते ही नहीं। इसलिये उनकी गिनती झगडा मिटानेवालों में ही होती है। पर जब बाहर झगडा करने का प्रयोजन न हो, तब उनका आश्रम में बराबर झगडा चलता रहता है। फिर बाहरी झगडा बराबर चलाने के लिये, वे तुरन्त जेल में चले जाते हैं, जिससे घर के झगडे का मौका ही न पैदा हो। अुसे बाहर के लोग जानते नहीं। इसीलिये तो मैंने यह सिद्धान्त बनाया है कि जो विवाहित है उनकी ख्याति झगडेबाजों में नहीं हो सकती। और जिन्हें पत्नी नहीं है, उन्हें शान्तिवाद के लिये ख्याति नहीं मिल सकती। इसमें जिनकी स्त्रियां बंगालिन हैं, उनका अपवाद हो सकता है।

मैं—तो अब क्या किया जाय? इसका कुछ अुपाय भी है?

सवाभी—बहुत आसान है। मनुष्यों के झगडे कम करने हों, तो उनमें असे विवाह होने चाहिये कि जिससे पतिपत्नी में थोडी थोडी चक्कचक्क हमेशा चलती रहे। अगर बहुत जोरों का झगडा हो जाये तो शायद वे अेक दूसरे को छोड ही देंगे। इसलिये वह बहुत जोर का झगडा भी न होना चाहिये। और किसी बगैर पत्नी या पति के व्यक्ति को किसी भी संस्था में सदस्य न होने देना चाहिये।

मैं—यह कैसे हो सकता है?

सवाभी—यदि सब गृहमंत्रियों को यह बात ज्ञेय जाय तो वे ऐसा कानून बना सकते हैं। और कम से कम कौंग्रेसी लोगों को तो जमनालाल बजाज विवाह करने में सहायता दे सकते हैं। जिस तरह गांधी सेवा संघ के अधिवेशन में अकाध विवाह अक्षर हो जाता है, वैसे कौंग्रेस के अधिवेशन में अकाध हजार विवाह कराना आठ प्रांतों पर हुकूमत चलानेवाली संस्था के लिये मुश्किल न होना चाहिये। जो विवाह करना न चाहे उसे कौंग्रेस का चार आना सदस्य न बनना रखना चाहिये।

श्री—लेकिन, नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता पर जिससे प्रहार नहीं होता ?

सवाभी—नागरिकता को विवाहितों के लिये ही रख छोड़ना काफी है। जिनका कोभी रनेवाला नहीं है, उनको नागरिकता है ही किस काम की ?

सम्पादक भाभी, सवाभी ने अितने अूदाहरणों से अपना सिद्धान्त पेश किया है कि मुझे अिस बार तो शंका ही नहीं रही। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अुसके कहने पर ध्यान दें और जग की भलाजी के लिये अुसका बताया हुआ कानून बनवा लें। किसी भी तरह आपके जगडे मिट जायें तो मुझे बहुत खुशी होगी।

आपके
आश्रम का अुल्लू

संसार में सब से महत्त्वपूर्ण कार्य

समाजवाद, साम्यवाद, अराजकवाद, मुक्तिसेना, आराधों की संख्या में वृद्धि, बेकारी, धनाढ्यों की बढ़ती हुई मतवाली विलासिता और गरीबों की दीनता, आत्मघातों की संख्या में अंगेकर वृद्धि—ये सब अुस आन्तरिक विरोध के लक्षण हैं जिसका परिहार हमें करना है; और जिसका परिहार अवश्य होने ही वाला है। हिंसा का त्याग और अहिंसाधर्म का स्वीकार करने से ही अिस विरोध का परिहार होगा। अिसलिये संसार के अिस कोने से हमें ट्रान्सवाल में आप जो कुछ कर रहे हैं वह आज दुनियां का सब से महत्त्वपूर्ण कार्य प्रतीत होता है जिसमें सिर्फ अीसाभी दुनियां ही नहीं तो अखिल संसार के सभी राष्ट्र अवश्य शामिल होंगे।

श्रमजीविका

(“ब्रेड-लेबर”)

[विनोबा का एक प्रवचन]

(वर्धा-शिक्षा-योजना समझने के लिये वर्धा आये हुअे विभिन्न प्रान्तों के जिला
इन्स्पेक्टरों के वर्ग में श्री विनोबाजी ने ता० २१:१:३९ को
नालवाडी (वर्धा) में दिया हुआ प्रवचन ।)

एक प्रारंभिक सूचना

आपमे से सब लोगों से तो मेरा परिचय नहीं है। लेकिन एक बात आपके विषय में मैं जानता हूँ, जो मेरे लिये पर्याप्त है। वह यह कि आप लोगों ने शिक्षण-शास्त्र का अध्ययन किया है और उसी दृष्टि से यहां आये है।

मेरे आज के व्याख्यान को प्रस्तावना की आवश्यकता है, अंसा में नहीं मानता। लेकिन, प्रस्तावना के रूप में एक सूचना अवश्य करना चाहूंगा। बहुत लोगों की यह आदत होती है कि जब वे व्याख्यान अित्यादि सुनने जाते हैं, तो सुनते सुनते बीच बीच में कुछ लिख लेते हैं। लेकिन, आपसे मैं कहूंगा कि अगर हो सके तो आप लिखना बंद रखें। जो कुछ यहां सुने उसे ध्यानपूर्वक सुनें। लिखने के लिये बाद में काफी समय पड़ा है। अगर कुछ बाने—जो भूलने योग्य होंगी—भूल भी जायेंगे, तो वह ठीक ही होगा। अगर ध्यान में रखने लायक बातें भी आप भूल गये तो समझ लीजिये कि इस काम के लिये आप लायक ही नहीं थे।

प्रवचन का विषय

आज के लिये मैंने जो विषय चुन लिया है, वह दूसरे वक्ताओं ने जो विषय चुने हैं, या आगे चुनने का संभव है, उनका

खयाल न करके ही चुना है। मेरे विषय का नाम है, “ब्रेड लेबर” यानी “रोटी के लिये मजदूरी”। मैं जानता हूँ, यह शब्द आपमें से कभी लोग नया ही सुनते होंगे। लेकिन यह नया नहीं है। टॉलस्टॉय ने इस शब्द का अुपयोग किया है। अुसने भी यह शब्द बॉन्दारेसा नामक एक लेखक के निबंधों से लिया और अपनी अुत्तम लेखनशैली द्वारा अुसको दुनिया के सामने रख दिया। मैंने यह विषय जानबूझकर चुना है। शिक्षणशास्त्र का अभ्यास करते हुअे भी संभव है कि इस विषय का आपने कभी विचार न किया हो। इसलिये इसी विषय पर बोलने का मैंने निश्चय किया। इस विषय पर विचार ही नहीं लेकिन आचार करने की कोशिश मैं बीस साल से करता आया हूँ। क्योंकि जीवन में और साथ साथ शिक्षण में भी शरीरपरिश्रम को मैं प्रथम स्थान देता हूँ।

हम दीन क्यों हुअे ?

हम जानते हैं कि हिंदुस्थान की आबादी पैंतीस करोड़ है और चीन की चालीस-पैंतालीस करोड़ है। ये दोनों राष्ट्र प्राचीन हैं। इन दोनों को मिला दिया जाय तो कुल आबादी अस्सी करोड़ तक हो जाती है। अितनी जनसंख्या दुनिया का एक सबसे बड़ा

और महत्त्व का हिस्सा ही जाता है। और ये ही दो मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी, पीड़ित और दीन हैं, यह भी हम जानते हैं। जिसका कारण यही है कि अिन दो मुल्कों ने जो वृत्ति अपने सामने रखी थी, उसका पूरा अनुकरण अिन्होंने नहीं किया। और बाहर के राष्ट्रों ने उस वृत्ति का कभी स्वीकार ही नहीं किया। मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्थान ने शरीरपरिश्रम को जीवन में प्रथम स्थान दिया था और उसके साथ यह भी निश्चय किया था कि वह परिश्रम चाहे जिस प्रकार का हो—कातने का हो, बढ़ाकाम का हो, रसोई का हो—सबका मूल्य अेक ही है। भगवद्गीता में यह बात साफ़ शब्दों में लिखी है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसीको चाहे जितना छोटा या बड़ा काम मिला हो, अगर उसने उस काम को अच्छी तरह से किया है तो उस व्यक्ति को संपूर्ण मोक्ष मिल जाता है। अिससे अब अधिक कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। मतलब, हर अेक अपयुक्त परिश्रम का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य अेक ही है। अिस प्राचीन धर्म का आचरण तो हमने किया ही नहीं। लेकिन अेक बड़ा भारी शूद्रवर्ग निर्माण कर दिया। शूद्रवर्ग, यानी मजदूरी करनेवाला वर्ग। यहां जितना बड़ा शूद्रवर्ग है, अुतना शायद ही कहीं दूसरी जगह होगा। हमने अुसमें अधिक से अधिक मजदूरी करवायी। अुसको कम से कम खाने को दिया। अुसका सामाजिक दर्जा हीन समझा। अुसे कुछ भी शिक्षा नहीं दी। अितना ही नहीं; अुसे अछूत भी बना दिया। नतीजा यह हुआ कि कारीगर वर्ग में ज्ञान का पूरा पूरा अभाव हो गया। वे पशु के समान केवल मजदूरी ही करते रहे।

हमारा कलाकौशल

प्राचीन काल में हमारे यहां कला कम नहीं थी। लेकिन पूर्वजों से मिलनेवाली कला अेक चीज है और अुसमें दिन-प्रति-दिन प्रगति करना दूसरी चीज है। आज भी काफी प्राचीन कारीगरी मौजूद है। अुसको देख कर हमें आश्चर्य होता है। हमारी प्राचीन कला को देख कर हमें आश्चर्य होता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य करने का प्रसंग हमारे अपर क्यों आना चाहिये? अुन्हीं पूर्वजों की तो हम सन्तान हैं न? तब तो अुनसे बढ़ कर हमारी कला होनी चाहिये। लेकिन आज आश्चर्य करने के सिवा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं रहा। यह कैसे हुआ? कारीगरों में ज्ञान का अभाव और हममें परिश्रमप्रतिष्ठा का अभाव ही अिसका कारण है।

ब्राह्मण और शूद्र की समान प्रतिष्ठा

प्राचीन काल में ब्राह्मण की और शूद्र की समान प्रतिष्ठा थी। जो ब्राह्मण था वह विचार-प्रवर्तक तन्त्रज्ञानी और तपश्चर्या करनेवाला था। जो किसान था वह प्रामाणिकता से अपनी मजदूरी करता था। प्रातःकाल अूठ कर भगवान का स्मरण करके सूर्यनारायण के अुदय के साथ खेत में काम करने लग जाता था। और सायंकाल सूर्य भगवान जब अपनी किरणों को समेट लेता है तब अुसको नमस्कार करके घर वापिस आता था। अुस ब्राह्मण में और अिस किसान में कुछ भी सामाजिक, आर्थिक या नैतिक भेद नहीं माना जाता था।

“अुदरपात्र”

हम जानते हैं कि पुराने ब्राह्मण “अुदरपात्र” रहते थे। यानी अुतना ही संभय करते थे,

जितना पेट में रहता था। यहां तक उनका अपरिग्रह का आचरण था। आज की भाषा में कहना हो, तो वे ज्यादा से ज्यादा काम देते थे और परिवर्तन में कम से कम वेतन लेते थे। यह बात प्राचीन इतिहास से हम जान सकते हैं। लेकिन बाद में अंच-नीच का भेद पैदा हो गया। कम से कम मजदूरी करनेवाला अंची श्रेणी का और हर तरह की मजदूरी करनेवाला नीची श्रेणी का माना गया। उसकी योग्यता कम, उसे खाने के लिये कम और उसकी प्रगति की, ज्ञानप्राप्त करने की व्यवस्था भी कम।

प्राचीन भारत की अद्योगशालायें

प्राचीन काल में न्यायशास्त्र, व्याकरण-शास्त्र, वेदांतशास्त्र अत्यादि शास्त्रों के अध्ययन का जिक्र हम सुनते हैं। गणितशास्त्र, वैद्यशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, अत्यादि शास्त्रों के लिये पाठशालाओं का जिक्र भी आता है। लेकिन अद्योगशाला का अस्तित्व कहीं नहीं आया है। उसका कारण यह है कि हम वर्णाश्रम-धर्म में माननेवाले थे; जिसलिये हर एक जाति का धंधा उस जाति के लोगों के घर घर में चलता था और जिस तरह से हर एक घर एक अद्योगशाला थी। कुम्हार हो या बढवी, उसके घर में बच्चों को बचपन ही से उस धंधे की शिक्षा अपने पिता से मिल जाती थी। उसके लिये अलग प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आगे ऐसा हुआ कि एक बाजू से हमने यह मान लिया कि पिता का ही धंधा पुत्र को करना चाहिये और दूसरी बाजू से बाहर से आया हुआ माल सस्ता मिलने

लगा, जिसलिये वही खरीदने लगे। मुझे कभी कभी सनातनी भावियों से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। मैं उनसे कहता हूँ कि वर्णाश्रम धर्म सुप्त हो रहा है जिसका अगर आपको दुःख है तो कम से कम स्वदेशीधर्म का तो पालन कीजिये। वुनकर से तो मैं कहूँगा कि अपने बाप का धंधा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसका बनाया हुआ कपड़ा मैं नहीं लूँगा, तो वर्णाश्रम धर्म कैसे जिंदा रह सकता है? हमारी जिस वृत्ति से अद्योग गया और अद्योग के साथ अद्योगशाला भी गयी। जिसका कारण यह है कि हमने शरीरपरिश्रम को नीच मान लिया। जो आदमी कम से कम परिश्रम करता है, वही आज सबसे अधिक बुद्धिमान् और नीतिमान् माना जाता है।

सफेदपोशों की अकड़

आज ही सुबह बातें हो रही थीं। किसीने कहा, 'अब विनोबाजी किसान-जैसे दीखते हैं।' तो दूसरे ने कहा 'लेकिन जबतक उनकी घोती सफेद है, तबतक वे पूरे किसान नहीं हैं।' जिस कथन में एक दंश रहा है। खेती और स्वच्छ घोती की अदावत ही है जिस मान्यता में दंश है। जो अपने को ऊपर की श्रेणीवाले समझते हैं उनको यह अभिमान होता है कि वे बड़े साफ रहते हैं, उनके कपडे बिलकुल सफेद, बगले के जैसे, होते हैं। लेकिन उनका यह सफाई का अभिमान मिथ्या और कृत्रिम है। उनके शरीर की डॉक्टरों की जांच—मैं मानसिक जांच की तो बात ही छोड़ देता हूँ—की जाय और हमारे परिश्रम करनेवाले मजदूरों के शरीर की जांच की जाय और दोनों

परीक्षाओं की रिपोर्ट डॉक्टर पेश करें और कह दें कि कौन ज्यादा साफ है? हम लोटा भी मलते हैं तो बाहर से। अंसमें अपना मुंह देख लीजिये। लेकिन अंदर से मलने की हमें ज़रूरत ही नहीं जान पड़ती। हमको अंदर की कीमत ही नहीं होती। हमारी स्वच्छता केवल बाहरी और दिखावटी होती है। खेत की मिट्टी में काम करनेवाला किसान बना कैसे स्वच्छ रह सकता है, असी हमें शंका होती है। लेकिन मिट्टी में, या खेत में काम करनेवाले किसान के कपड़े पर जो मिट्टी का रंग लगता है वह मल नहीं है। सफेद शर्ट के बदले किसीने लाल शर्ट पहन लिया तो हम उसे रंगीन कपड़ा समझते हैं। वैसे ही मिट्टी का भी एक प्रकार का रंग होता है। रंग और मल में काफी फर्क है। मल में जंतु होते हैं, पसीना होता है, अंसकी बदबू आती है। मिट्टी का तो 'पुण्यगंध' होता है। गीता में लिखा है, "पुण्यो गंधः पृथिव्यां च"। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिलनवाला है, असी मिट्टी का रंग किसान के कपड़े पर है। तब वह मैला कैसे? लेकिन हमको तो बिलकुल सफेद, कपास जितना सफेद होता है, अंससे भी बड़ा सफेद, कपड़े पहनने की आदत हो गयी है। मानों 'व्हाबीट वांश' ही किया है। असे हम साफ कहते हैं। हमारी भाषा ही विकृत हो गयी है।

शुद्ध भाषा पर धर्म

अपनी अच्चारण पद्धति पर भी हमें असा ही मिथ्याभिमान है। देहाती लोग जो अच्चारण करते हैं, अंसको हम अशुद्ध

कहते हैं। लेकिन पाणिनी तो कहता है कि आम जनता जो बोली बोलती है वही व्याकरण है। तुलसीदासजी ने रामायण आम लोगों के लिये लिखी। वे जानते थे कि देहाती लोग 'ष', 'श' और 'स' के अच्चारण में फरक नहीं करते। लोगों की जवान में लिखने के लिये अन्होंने रामायण में सब जगह 'स' ही लिखा। वे नम्र हो गये। अंसको तो लोगों को रामायण सिलानी थी। तो फिर अच्चारण भी लोगों का ही सही। लेकिन आज के पढ़े-लिखे लोगों ने तो मजदूरों को मानों बदनाम ही करने का निश्चय किया है।

असली धर्म

हममें से कोअी गीतापाठ, भजन और जप करता है, या कोअी अुपनिषद् अंकुठ कर लेता है तो वह बड़ा महात्मा बन जाता है। जप, मध्या, पूजापाठ ही धर्म माना जाता है। लेकिन दया, सत्य, परिश्रम में हमारी श्रद्धा नहीं होती। जो धर्म बेकार, निकम्मा, अनुत्पादक हो, असीको हम सच्चा धर्म मानते हैं। जिससे पैदावार होती है, वह भला धर्म कैसे हो सकता है? भक्ति और अुत्पत्ति का भी कहीं मेल हो सकता है? लेकिन वेदभगवान में हम पढ़ते हैं, 'विद्व की अुत्पत्ति करनेवाले को कुछ कृति अर्पण करो। अंसने विद्व की सृष्टि कर रास्ता दिखा दिया, अंसका अनुकरण करो। कुछ पैदा करके अंसको समर्पण करो।' लेकिन हमारी साधु की कल्पना अिससे अुलटी है। एक ब्राह्मण खेत में खोदने का काम कर रहा है, या हल चला रहा है, असी अगर किसी ने तसवीर खींच दी तो वह

तसबीर खींचनेवाला पागल समझा जायेगा। क्या ब्राह्मण भी मजदूर के जैसा काम कर सकता है, यह सवाल हमारे यहां अठ सकता है। “क्या तत्त्वज्ञानी खा भी सकता है,” यह सवाल नहीं अठता। वह तो मजे में खा सकता है। ब्राह्मण को खिलाना ही तो हम अपना धर्म समझते हैं; अूसी को पुण्य कार्य मानते है।

हमारी गुलामी का कारण

हिंदुस्थान की संस्कृति अिस हद तक गिर गयी। अिसी कारण से बाहर के लोगों ने अिन अूपरी लोगों को हटा कर हिन्दुस्थान को जीत लिया। बाहर के लोगों ने आक्रमण क्यों किया? परिश्रम से छुटकारा पाने के लिये। अुमी लिये अुन्होंने बडे बडे यंत्रों की खोज की। शरीरपरिश्रम कम से कम करके बचे हुअ्रे समय में मीज और आनंद करने की अुनकी दृष्टि है। अुसका नतीजा आज यह हो गया है कि हर अेक राष्ट्र अब यंत्रों का अुपयोग करने लग गया है। पहली मशीन अिसने निकाली अुसकी सत्ता तभी तक चली जबतक कि दूमरों के पास मशीन नहीं थी। मशीन से अुंपत्ति और मुख तभी तक मिला जबतक दूमरों ने मशीन का अुपयोग नहीं किया था। हर अेक के पास मशीन आ जाने पर स्पर्धा शुरू हो गयी।

यूरोप अेक “चिड़ियाखाना” है

आज यूरोप अेक बड़ा भारी चिड़ियाखाना ही बन गया है। जानवरों के मुआफिक हर अेक अपने अलग अलग पिंजडे में पड़ा है और पडे पडे सोच रहा है कि दूसरे को कैसे खा जाअू? क्योंकि वह अपने हाथों से कोअी काम

करना नहीं चाहता। हमारे सुषारक लोग कहते हैं, ‘हाथों से काम करना बड़ा भारी कष्ट है, अुसमें से किसी न किसी तरकीब से छूट सकें तो बड़ा अच्छा हो’। अगर दो घंटे काम करके पेट भर सकें तो तीन घंटे क्यों करें? अगर आठ घंटे काम करेंगे तो कब साहित्य पढेंगे और कब संगीत होगा? कला के लिअे तो वक्त ही नहीं रहता।

पुच्छविषाणयुक्त पशु

भर्तृहरि ने लिखा है—‘साहित्य संगीत कला विहीनः साकषात्पशुः पुच्छविषाणहीनः।’ “जो साहित्य-संगीत-कला-विहीन है, वह बिना पुच्छविषाण (पूछ और सींग) का पशु है।” मे कहता हूं “ठीक है। साहित्य-संगीत-विहीन अगर पुच्छविषाणहीन पशु है, तो साहित्य-संगीत-कलावान पुच्छविषाणवाला पशु है।” भर्तृहरि के लिखने का मतलब क्या था यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे अुसपर से यह अर्थ सूझ गया। दूसरे अेक पंडित ने लिखा है ‘काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्’। ‘धीमान् लोगों का समय काव्यशास्त्र विनोद में कटना है’। मानो अुनका समय कटता ही नहीं। मानों वह अुन्हें खाने के लिअे अुनके दरवाजे पर खड़ा है। काल तो जाने ही वाला है। अुसके जाने की चिंता क्यों करते हो? वह सार्थक कैसे होगा यह देखो। शरीरश्रम को दुःख क्यों मान लिया है, यही मेरी समझ में नहीं आता। आनंद और मुख का जो साधन है अुसीको कण्ट माना जाता है।

वास्तविक ध्यायाम

अेक अमेरिकन धीमान् से किसी ने पूछा दुनिया में सबसे अधिक धीमान् कोन है?

असने जबाब दिया, 'जिसकी पचनेन्द्रिय अच्छी है वह'। असका कहना ठीक है। संपत्ति खूब पडी है। लेकिन दूध भी हजम करने की ताकत जिसमें नहीं है असको अस संपत्ति से क्या लाभ है? और पचनेन्द्रिय कैसे मजबूत होती है? काव्यशास्त्र से तो 'कालो गच्छति'; अससे पचनेन्द्रिय थोड़े ही मजबूत होनेवाली है? पचनेन्द्रिय तो व्यायाम से, परिश्रम से मजबूत होती है। लेकिन आजकल व्यायाम भी पन्द्रह मिनट का निकला है। मैंने एक किताब देखी, असका नाम ही "फिफ्टीन मिनिट्स अक्सरसाइज" था। जैसे व्यायाम से दीर्घायुषी बनेंगे या अल्पायुषी बनेंगे इसकी फिक्र ही नहीं होती। से ो भी जल्दी ही मर गया। अिन लोगों ने व्यायाम के शास्त्र को भी हिंसक बना रखा है। तीन मिनट में एक दम व्यायाम मिल जाना चाहिये। जल्दी से जल्दी अससे निपट कर काव्यशास्त्र में कैसे लग जायें, यही फिक्र है। थोड़े ही समय में एक दम व्यायाम करने की जो पद्धति है, अससे ('स्नायु'), 'मसल्स' बनते हैं, 'नर्वृज' (नसें) नहीं बनतीं। और अमरबेल जिस प्रकार पेड़ को खा जाती है वैसे 'मसल्स' आरोग्य को खा जाते हैं। नर्वृज आरोग्य को बढ़ाती है। धीरे धीरे और सतत जो व्यायाम मिलता है अससे नर्वृज बनती हैं और पचनेन्द्रिय मजबूत होती है। २४ घंटे लगातार हम हवा लेते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचने लगे कि दिन भर हवा लेने की यह तकलीफ कौन अुठावे? दो घंटों में ही दिनभर की पूरी हवा मिल जाये तो अच्छा हो। तो कहना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति आखिरी दर्जे तक पहुँच गयी है। हमारा

दिमाग ही इस तरह से चलता है। पढ़ते पढ़ते आंख बिगड़ जाती है तो हम अँक लगा लेते हैं। लेकिन आंख न बिगड़े इसके लिये क्या किया जाय, इसका तरीका नहीं निकालते।

हमारा आरोग्य बिगड़ गया है, भेदभाव बढ़ा है और हम पर बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ है—अिस सबका कारण यही है कि हमने परिश्रम छोड़ दिया है। यह तो हुआ जीवन की दृष्टि से।

अब शिक्वण की दृष्टि से परिश्रम का विचार करना है।

शरीर और मन का संबंध

हमने शिक्वण की जो नयी प्रणाली बनायी है असका आधार अुद्योग है। क्योंकि शरीर के साथ मन का निकट संबंध है, अँसा हम मानते हैं। आजकल मनोविज्ञान (मानसशास्त्र) का अध्ययन करनेवाले हम बहुत देखते हैं। बेचारों को खुद के काम-शोध जीतने का तरीका भी मालूम नहीं होता। मन का परिष्करण करके और किताबें पढ़ कर दो चार बातें कर लेते हैं। चौदह साल के बाद मनुष्य के मन में अँकाअँक परिवर्तन होता है, अिसलिये सोलह साल तक लड़कों की पढाई होनी चाहिये, यह अँक सिद्धांत अँक मानसशास्त्री ने मुझे सुनाया। सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा "क्या मन का परिवर्तन होने का भी कोअी त्योहार होता है? हम देखते हैं कि शरीर धीरे धीरे बढ़ता है। किसी अँक दिन अँक दम दो फुट अँचा हो गया हो अँसा तो नहीं होता। तो फिर मन में ही अँकदम परिवर्तन कैसे हो सकता है?" बाद में मैंने असको समझाया कि हड्डियां चौदह साल के बाद जरा

तेजी से बढ़ती हैं और मन का शरीर के साथ संबंध होने से दिमाग भी उसी प्रमाण में तेजी से विकसित होता है। शरीर और मन दोनों अके ही प्रकृति में अके ही कोटि में पड़े हैं।

कार्लोअिल का सुवाहरण

कार्लोअिल बड़ा तत्ववेत्ता और विचारक था। उसके ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कभी जगह कुछ असे विचार आ जाते थे जो मेरे विचारों से मेल नहीं खाते थे। शंकराचार्य का जैसा सीधा, सरल विचारप्रवाह मालूम होता है, वना उसके लेखों में नहीं देखता। उसका चरित्रवाद में मझे पढ़ने को मिला। उसपर से मझे मालूम हुआ कि कार्लोअिल को सिर के दर्द की बीमारी थी। तब मझे उसके लेखनदोष का कारण मिल गया। मैंने सोचा कि जिस समय उसका सिर दर्द करता होगा उस समय का उसका लेखन कुछ टेढ़ामेढ़ा होता होगा। योगशास्त्र में तो मनःशुद्धि के लिये प्रथम शरीरशुद्धि बतलायी है। हमारे शिष्यशास्त्र का भी आधार वही है। शरीर-वृद्धि के साथ मनोवृद्धि होती है। लड़कों की मनोवृद्धि करनी है, उनको शिष्यण देना है, तो उनको परिश्रम दे कर उनको भूख जाग्रत करनी चाहिये।

भूख, भगवान् का संदेश है

परिश्रम से उनकी भूख बढ़ेगी। जिसको दिनभर में तीन दफा अच्छी भूख लगती है, उसे अधिक धार्मिक समझना चाहिये। भूख लगना जिंदे मनुष्य का धर्म है। जिसे दिनभर में अके ही दफा भूख लगती है, उसका जीवन जरूर अनीतिमय होने का सम्भव है। भूख तो भगवान् का संदेश

है। भूख न होती तो दुनिया बिल्कुल अनीतिमान और अधार्मिक बन जाती। फिर नैतिक प्रेरणा ही हमारे अन्दर न होती। किसी को भी भूख-प्यास अगर न होती, तो हमें अतिथिसत्कार का मौका कैसे मिल सकता? सामने यह खंभा खड़ा है। जिसका हम क्या सत्कार करेंगे? उसको न भूख है न प्यास। हमें भूख है जिसलिये हमारे पास धर्म है।

शिक्षक भी परिश्रम करे

लड़कों को परिश्रम देना है तो शिक्षक को भी उनके साथ परिश्रम करना चाहिये। जिस विषय के अन्दर अके निबंध में मैंने उसके बारे में लिखा ही है। क्लास में झाड़ू लगाने का काम होता है। लेकिन उस के लिये या तो नीकर रखे जाते हैं, या लड़के झाड़ू लगाते हैं। शिक्षक को हम कभी झाड़ू लगाते नहीं देखते। विद्यार्थी क्लास में पहले आ गये तो वे झाड़ू लगाएँ, कभी शिक्षक पहले आ गया तो वह लगाएँ, ऐसा होना चाहिये। लेकिन झाड़ू लगाने का काम हमने नीच मान लिया। फिर शिक्षक भला वह कैसे करेगा? हम लड़कों को झाड़ू लगाने का भी काम देंगे तो वह शिष्यण की दृष्टि से देंगे। और शिष्यण की दृष्टि से जो परिश्रम लड़कों से कराना है वह शिक्षक को पहले सीख लेना चाहिये, और लड़कों के साथ करना चाहिये। मैंने अके झाड़ू तैयार की है। अके रोज दो तीन लड़कियां वहां आयी थीं। तब उनको मैंने वह बताया और उसमें कितनी बातें भरी हैं यह समझाया। समझाने के बाद जितनी चीजें मैंने कहीं वे सब अके दो तीन

करके अनुसे दोहरवा लीं। लेकिन यह मैं सभी कर सका जब कि झाड़ू लगाने का काम मैंने खुद किया था। इस तरह से हर एक चीज शिक्षण की दृष्टि से लड़कों को मिलानी चाहिये। एक ने मुझे कहा, "गांधीजी ने पीमना, कातना, जूते बनाना वगैरह काम खुद कर के परिश्रम की प्रतिष्ठा बढ़ा दी", मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। परिश्रम की प्रतिष्ठा किसी महात्मा ने नहीं बढ़ायी। परिश्रम की खुद की ही अितनी प्रतिष्ठा है कि उसने महात्मा को प्रतिष्ठा दी। आज हिंदु-स्थान में गोपालकृष्ण की जो अितनी प्रतिष्ठा है, वह उसके गोपालन ने उसको दी है। अद्योग हमारा गुरु है।

सृष्टि ही पाठशाला है

दुनिया की हर एक चीज हम को शिक्षण देती है। एक दिन मैं धूप में घूमता था। चारों तरफ बड़े बड़े हरे वृक्ष दिखायी देते थे। मैं सोचने लगा कि अूपर से अितनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैम? वे वृक्ष मेरे गुरु बन गये। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष अूपर से अितने हरेभरे दीखते हैं, उनके मूल जमीन में गहरे पहुंचे हैं और वहां से अुनको पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और अूपर से धूप दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग अुन्हें मिला है। अुसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपस्वर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों के जैसे हरेभरे हो जायेंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते; असलिये अुसमें तकलीफ मालूम होती है। ऐसे लोगों के लिये भगवान का यह शां है कि अुनको आरोग्य और ज्ञान

कभी मिलने ही वाला नहीं।

किताबें बुद्धि का कैदखाना है

किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है यह ख्याल गलत है। पढ़ते पढ़ते बुद्धि अंसी हो जाती है कि जिस समय जो पढ़ते हैं वही सही लगता है। एक भाभी मुझे कहता था, 'मैंने समाजवाद की किताब पढ़ी तो वे विचार ठीक लगे। 'बाद में 'गांधीतत्त्व' की किताब पढ़ी तो वे भी ठीक लगे।' मैंने विनोद में अुससे कहा 'पहली किताब दो बजे पढ़ी होगी, और दूसरी चार बजे पढ़ी होगी। दो बजे के लिये पहली ठीक थी और चार बजे के लिये दूसरी ठीक थी।' मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत पढ़ने से हमारा दिमाग स्वतंत्र विचार ही नहीं कर सकता। खुद विचार करने की शक्ति गायब हो जाती है। जब से किताबें निकलीं, तब से स्वतंत्रविचारपद्धति नष्ट हो गयी है, अंसी मेरी राय है। कुरानशरीफ में एक संवाद आया है। मुहंमद पैगंबर को कुछ विद्वान लोगों ने पूछा, 'तेरे पहले के जितने पैगंबर आये अुन सबने चमत्कार करके दिखाये। तू तो कोअी चमत्कार ही नहीं दिखाता। तो फिर पैगंबर कैसे बन गया?' अुसने जबाब दिया, 'तू कोनसा चमत्कार चाहता है? एक बीज बोया जाता है। अुसमें से बड़ा वृक्ष पैदा होता है, अुसमें फूल लगते हैं और अुनमें से फल पैदा होते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है?' यह तो एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब यह दिया कि 'मेरे जैसा अनपढ़ आदमी भी आप लोगों को ज्ञान दे सकता है, यह क्या कम चमत्कार

है ? आप और कौनसा धमत्कार चाहते हैं ? हमारे सामने की सृष्टि ज्ञान से भरी है। हम भुसकी तह तक नहीं पहुंचते। भिसलिये अूसमें जो आनंद भरा है वह हमें नहीं मिलता।

सुयोग—ज्ञान और प्रेम का साधन

रोटी बनाने का काम माता करती है। माता का हम गौरव करते हैं। लेकिन माता का असली मातापन अूस रसोत्री में है। अच्छी से अच्छी रसोत्री बनाना, वच्चों को प्रेम से खिलाना—भिसमें कितना ज्ञान और प्रेमभावना भरी है। वह रसोत्री अगर माता के हाथों से निकाल ली जाये तो अूसका प्रेमसाधन ही चला जायगा। प्रेमभाव प्रकट करने का यह मौका कोत्री माता छोड़ने के लिये तैयार नहीं होगी। अूसीपर तो वह जिंदा रहनी है। मेरे कहने का मतलब कोत्री यह न समझे कि किसी न किसी बहाने में स्त्रियों पर रोटी पकाने का बोझ लादना चाहता हूं। मैं तो अूनका बोझ हलका करना चाहता हूं। भिसीलिये हमने आश्रम में रसोत्री का काम मुख्यतः पुरुषों से ही कराया है। मेरा मतलब अितना ही था कि जैसे रसोत्री का काम माता छोड़ देगी तो अूसका ज्ञानसाधन और प्रेमसाधन चला जायगा वैसे ही हम परिश्रम से अगर धृणा करेंगे तो ज्ञानसाधन ही खो बैठेंगे।

बालकों से मजदूरी

लोग मुझे कहते हैं, "आप लडकों से मजदूरी कराना चाहते हैं। अूनके दिन तो गुलाब के फूल जैसे खिलने के और खेलकूद के हैं।" मैं कहता हूं "बिलकुल ठीक। लेकिन वह गुलाब का फूल

किस तरह से खिलता है यह भी तो जरा देखो। वह पूर्णरूप से स्वावलंबी है। जमीन से सब सत्त्व बूस लेता है। खुली हवा में अकेला खड़ा होकर भूप, वारिण, वादल, सब सहन करता है। वच्चों को भी बैसा ही रख्खो। मैं यह पसंद करता हूं।" वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता में कहा है "Three years she grew in sun and shower।" मैं मानता हूं कि भिससे लडकों को असली आनंद मिलेगा। अूनसे पूछ कर ही देखो कि फूल को पानी देने में, चंद्रकला को घटती-बढ़ती देखने में आनंद आता है या किताबों में और व्याकरण के नियम रटते रहने में आनंद आता है ? सुरगांव (बर्धा) का अेक अुदाहरण मुझे मालूम है। वहां अेक प्राथमिक शाला है। करीब ७ से ११ साल के लडकै अूसमें पढते हैं। वहां का शिष्यक अच्छा पढाता है अैसी गांव वालों की राय है। परीक्षा को अेक या दो महीने थे तब अूसने सुवह ७ से १०॥, दोपहर में २ से ५॥ तक; अैसे सात घंटे; और रात को फिर ७ से ९ बजे तक कॉचिंग क्लास—याने कुल ९ घंटे—पढाना शुरू किया। न मालूम अितने घंटे वह क्या पढाता होगा और विद्यार्थी भी क्या पढते होंगे। अगर लडके पास हो गये तो हम समझते हैं कि शिष्यक ने ठीक ठीक पढाया है। भिस तरह से ९-९ घंटे लडकों से पढाबी करवानेवाला शिष्यक लोकप्रिय हो सकता है। लेकिन मैं ३ घंटे कांतने की बात कहूं तो कहने हूं "यह लडकों को खपाना चाहता है"। ठीक ही है। बडे जहां काम से बचने की फिक्र में हैं वहां लडकों को काम देने की कल्पना भला कौन करे ?

अुत्पादन का आग्रह क्यों ?

अच्छा। फिर यह पूछते हैं कि “अुद्योग तो चाहिये यह मान लिया। लेकिन अुसमें से अितना ही पैदा होना चाहिये यह आग्रह क्यों ?” मेरा जवाब यह है कि “लडकों को तो जब कोअी चीज बनती है तभी आनंद आता है। बेचारे अुद्योग भी करें और अुसमें से कुछ पैदा भी न हो, तो क्या अिसमें अुन्हे आनंद आ सकता है ? किसीसे अगर कहा जाय कि चक्की तो पीसो लेकिन अुसमें गेहूं न डालो और आटा भी तैयार न होने दो; तो वह पूछेगा फिर यह नाहक चक्की घुमाना किस लिये ?” तो क्या हम यह कहेंगे कि “भुनाएँ और छाती मजबूत बनने के लिये” ? अैसे अुद्योग में क्या कुछ आनंद आने वाला है ? वह तो नाहक गिहनत हो जायेगी। अुत्पादन में ही आनंद है।

अिसलिये मुख्य दृष्टि यह है कि शरीर-परिश्रम की महिमा को हम समझें। प्रायमरी स्कूलों में हम अुद्योग के आधार पर शिक्षण नहीं देंगे तो हम शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकेंगे।

देहाती खुश होंगे

आज गांववाले कहते हैं कि “लडका स्कूल में पढ़ने जाता है तो अुसमें काम के प्रति घृणा पैदा हो जाती है और हमारे लिये वह निकम्मा हो जाता है। तो फिर अुसे स्कूल में क्यों भेजें ?” लेकिन हमारी शालाओं में अगर अुद्योग शुरू हो

गया तो मौंवाप खुशी से अपने लडके को स्कूल में भेजेंगे। लडका क्या पढता है यह भी देखने आयेंगे। आज तो लडके की क्या पढाओी हो रही है यह देखने के लिये भी मौंवाप नहीं आते। अुनको अुसमें रस ही नहीं होता। अुद्योग दाखिल हो जाने के बाद अिसमें फर्क पड़ेगा। गांववालों के पास काफी ज्ञान है। हमारा शिक्षक सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता। वह गांववालों के पास आयेगा और अपनी कठिनाअियां अुनको बतायेगा। स्कूल के बगीचे में अच्छे पपीते नहीं लगते तो वह अुसका कारण गांववालों से पूछेगा। फिर वे बतायेंगे कि अिस अिस किसम का खाद डालो। खाद खराब होने से पपीते में कीड़े पड़ जाते हैं। हम समझते हैं कि हम कृषि-कॉलेज में पढे हैं अिसलिये हमारे ही पास ज्ञान है। लेकिन हमारा ज्ञान किताबी होता है। हम अुसे व्यवहार में नहीं लाते। जबतक हम प्रत्यक्ष अुद्योग शुरू नहीं करते तबतक अुसमें प्रगति और वृद्धि नहीं होती। अगर हमें गांववालों का सहकार चाहिये, अुनके ज्ञान से अगर हमें लाभ अुठाना है, तो स्कूलों में अुद्योग शुरू करना चाहिये। हमारे और अुनके सहकार से अुस ज्ञान में सुधार भी होगा।

यह सब तब होगा जब हमारे शिक्षकों में प्रेम, आनंद और परिश्रम के प्रति आदर निर्माण होगा। हमारी नभी शिक्षाप्रणाली अिसी आधार पर बनाओी गयी है।

सर्वोदय की दृष्टि

अहिंसा—सिद्धान्त या नीति ?

अस प्रश्न को उलटा कर देखिये। “क्या हिंसा कभी जीवन का सिद्धान्त हो सकती है?” बद्धमास, शाकू या महत्त्वाकांक्षी सम्राट भी कभी हिंसा को जीवनसिद्धान्त नहीं बतायेगा। लेकिन, अपनी योजनाओं की सफलता के लिये हिंसानीति का आश्रय लेने में अपनी मजबूरी का सबब पेश करेगा। मतलब, हिंसा सिद्धान्तरूप नहीं हो सकती। अधिक से अधिक वह नीति ही हो सकती है।

साम्यवादी भी अपना आखरी ध्येय हिंसा का नाश और अहिंसा की प्रतिष्ठा ही बताता है। याने, सिद्धान्तरूप में वह अहिंसा को ही मानता है। लेकिन, अपनी योजनाओं की शीघ्र सफलता के लिये, जरूरत मालूम होने पर, हिंसानीति को त्याज्य नहीं समझता।

अगर यह ठीक है तो हम लोगों में “अहिंसा सिद्धान्त है; या नीति?” यह जो वाद चल रहा है, वह व्यर्थ ही है। अगर कोभी चर्चा करना जरूरी हो तो वह इस के बारे में हो सकती है कि क्या हिंसानीति सर्वथा त्याज्य ही हो सकती है ?

मानवसमाज जैसा है हम जानते हैं। भले ही हम यह आशा रखें कि वह अकेले बिन आदर्श संस्कारी हो जायगा। पर, आज तो हमें आज की मर्यादाओं में से ही मार्ग निकालना होगा। उसमें हिंसा का कुछ व्यवहार होना ही है। तब कोरी पंडिताई के बदले व्यवहारदृष्टि से देखा जाय तो सवाल इतना ही रह जाता है कि—

(१) हम अमुक अकेले परिस्थिति में हिंसानीति का स्वीकार करें या नहीं ?

(२) जहाँ असे अनुचित समझा जाय, वहाँ अहिंसक मार्ग कौनसा हो ? और

(३) जहाँ हिंसा अपरिहार्य समझी जाय, वहाँ असेकी मर्यादा क्या हो ?

राजकीय कार्यकर्ता तात्त्विक चर्चा की अपेक्षा अितना स्वीकार करें कि—

(१) सिद्धान्त तो अहिंसा ही हो सकती है।

(२) इसलिये नेता का प्रथम कर्तव्य अहिंसा का तरीका खोजना ही हो सकता है।

और (३) हिंसा अपरिहार्य मालूम होने पर भी असे अधिक से अधिक नियंत्रण में रखना होगा।

यह स्वीकारने के बाद यदि समय समय पर पैदा होनेवाले अके अके सवाल को सुलझाने के व्यवहार्य उपाय खोजें, तो संभव है कि अधिकतर मामलों में वे अकेसे ही निर्णय पर आवेंगे।

कि. घ. म.

सभ्यता की रक्षा या नाश ?

आज जब कि हम अके घोर युद्ध से घिरे हुअे हैं, तब अहिंसा की वातें करना व्यर्थ प्रलापसा मालूम होगा। हिटलर का मुकाबला अहिंसा से कैसे किया जा सकता है? यह आशंका कट्टर गांधीभक्त के हृदय में भी हो सकती है। और इस बात का भी स्वीकार करना होगा कि आज अिसका कोभी तैयार और अक्सीर नुसखा नहीं बताया जा सकता।

यद्यपि नुसखा बताना मुश्किल है, फिरभी परिणामों का विचार किया जा सकता है। यह प्रचण्ड हिंसाश्रित सभ्यता किस ओर जा रही है ? जो आम दूसरों को भस्म

करने उठी है, क्या वह स्वयं अपने को भी भस्म करने को तैयार नहीं हुई है ? क्या अस युद्ध में जिसकी हार होगी, उसीकी हार होगी ? और जीतनेवाले की नहीं ?

पेटभर अन्न, शरीरभर कपड़ा, और अके छोटासा निवासस्थान सबको मिले, इतने से जिन्हें संतोष नहीं होता वे सभ्यता निर्माण करने-वाले होते हैं। उसका निर्माण करने के लिये, वे पहले तो हजारों के अन्न, कपड़ा और निवासप्राप्ति के साधनों को भी कम कर डालते हैं और उनके बल पर अपनी सभ्यता और उसका आदर बढ़ाते हैं। तब वह सभ्यता दूसरों के लिये ईर्ष्या का विषय हो जाती है, और उसे आक्रमण का भय पैदा होता है। फिर, उसकी रक्षा के साधन पैदा करने पड़ते हैं। इसके लिये लाखों के अन्न, कपड़े और घरों को और भी कम करना पड़ता है। हरेक देश में अंसी सभ्यताएँ अलग अलग निर्माण होती हैं। फिर हरेक देश को अपनी सभ्यता को बढ़ाने और उसकी रक्षा करने में कुछ मुश्किलें मालूम होती हैं। तब वह क्या करे ? अपनी सभ्यता को घटाना और 'असभ्य' जनता बन जाना तो दिल में आ ही नहीं सकता। तब तो दूसरों की हिंसा करने की ही बुद्धि हो सकती है।

आखिर में यह सभ्यता टिकनेवाली तो है नहीं। प्रलयामिनी की तरह वह सबको जला कर स्वयं भी खाक होगी। तब इस सभ्यता के मोह को—सुख-सुविधा के साधनों की बहुतायत को—ही कम करना होगा। हरेक परिवार के अपने परिश्रम से पेटभर अन्न, शरीरभर कपड़ा और छोटासा निवास-स्थान प्राप्त करने के बाद ही जितना ज्ञान,

विज्ञान, साहित्य, कला, शृंगार आदि पोसा जा सके उतनी ही सभ्यता अहिंसा से निभ सकेगी। उसके पहले सभ्यता का निर्माण और वृद्धि बगैर हिंसा किये नामुमकिन है। हम चाहे आधुनिक सभ्यता के नाश के बाद इस शर्त का स्वीकार करें या आज।

वर्षा, ७ : ९ : ३९

कि. घ. म.

राजबन्दियों की रिहायी

राजबन्दियों की रिहायी के लिये देश में काफी आन्दोलन की धूम मची। अब सब राजबन्दी छूटेंगी ही। आज तक राजबन्दी छूट न सके यही आश्चर्य है। राजबन्दियों को न छोड़ने में सरकार की जितनी हठधर्मी, अपनी शान-प्रतिष्ठा का आग्रह और कानून-परस्ती की आदत है; अतना ही उसके दिल का यह डर भी है कि अिन लोगों के छूट जाने से कोयी आफत न आ पड़े ? व्हाअिसराय गव्हर्नर से पूछेगा, गव्हर्नर अपने मंत्रीमंडल से पूछेगा, या सीधे अपने पुलीसकर्मचारियों से पूछेगा। वे नीचे से रिपोर्ट आदि कागजात मंगवायेंगे और अन्त में कहेंगे कि अैसे भयानक लोगों को आजाद रखने की हमारी हिमत नहीं होती। क्योंकि अुसमें समाज की खतरा है।

हम केवल राजबन्दियों का ही विचार करते हैं। अुनमें से जो सचमुच निरपराधी हैं, या केवल शक के कारण, या केवल अेक खास तरह की राय रखने के कारण, जिनको सजा हुआ है अुनका सवाल ही अलग है। अुन्हें तो तुरन्त मुक्त कर के सरकार को अुनकी माफी मांगनी चाहिये। किन्तु जिन्होंने सचमुच अपराध किया है अुनका कृत्य चाहे जितना भयानक रहा हो; हम अुन्हें गये-

गुजरे, पतित और समाज के शत्रु नहीं मानते। अन्होंने जो किया वह अपनी दृष्टि से समाज के हित और देश के कल्याण के लिये ही किया। यों वे अच्छे सज्जन और सभ्य नागरिक होते हैं। और अगर वसा ही देखा जाय तो सामान्य नागरिकों की अपेक्षा कभी कभी अन्का चारित्र्य कभी दर्जे अंचा होता है। अंसे लोगों के प्रति देश की सहानुभूति रहना स्वाभाविक है। राजनैतिक परिस्थिति बदलने के बाद अंसे लोगों को जेल में रखना केवल बदला लेने के वैरभाव की, या बेवकूफी की ही निशानी मानी जा सकती है।

अिनमें भी जिन लोगों को हिंसामार्ग की विफलता अथवा अयोग्यता प्रतीत हो चुकी है और जो अहिंसामार्ग को पसन्द करने लगे हैं अन्को तो अेक दिन भी कैदखाने में रखना सरकार के लिये हानिकारक है। क्योंकि अुसमें सरकार की ही सत्त्वहानि होती है। जो असर दण्ड और सजा द्वारा कभी भी नहीं होता वह अगर मनन-चिंतन से हुआ है तो सरकार को अिस बात की खुशी होनी चाहिये कि अेक नागरिक सज्जनता का पूरा अनुयायी बन गया है।

का० का०

मनुष्योचित अपराधचिकित्सा

वह हुआ राजनैतिक कैदियों और राजबंदियों के बारे में। किन्तु मामूली अपराधों के लिये देश में जो लाखों कैदी जेल में भेजे जाते हैं अन्के बारे में भी क्या यही सोचने की जरूरत नहीं है? अिनमें भी कभी लोग निरपराधी होंगे, कभी लोगों ने सरकार की ओर से न्याय प्राप्त करने के बारे में निराश

हो कर कानून अपने हाथ में ले कर किसी को सजा दी होगी, कभी लोगों ने क्थनिक मनोवेग के कारण कुछ अत्याचार किया होगा और बाद में पश्चात्ताप कर के वे पुनीत हो गये होंगे। कभी लोगों के स्वभाव में पूरा पूरा परिवर्तन भी हो गया होगा।

अंसे लोगों का खयाल ही कौन करता है? हमारे कायदे-कानून चाहे कितने ही सुन्दर क्यों न हों अन्के प्रत्यक्ष अमल को देखते हुअे यह कबूल करना पड़ता है कि शिक्षित और मध्यम वर्ग के सफेदपोश लोग कानून के जाल में नहीं फँसते। गरीब जनता की अपेक्षा अिस मध्यम वर्ग में शराफत और सज्जनता अधिक है अंसा तो शायद कोअी नहीं कहेगा। किन्तु राजकर्मचारी अक्सर मध्यम वर्ग से आते हैं। वे अपने वर्ग के प्रति पक्षपाती होते हैं। मध्यम वर्ग के लोग असल में होते ही हैं चतुर। चाहे जो अपराध कर के भी कानून की पकड में नहीं आते। और फिर राजकर्मचारी भी अन्हीं का पक्ष लेते हैं। अग्ने को बचाने के लिये मध्यम वर्ग के लोग कोशिश और खर्च भी बेहद करते हैं, और किसी न किसी तरह बच जाते हैं।

जेलखाने हे गरीबों के लिये, श्रमजीवी और अप्रतिष्ठित लोगों के लिये। वे ही बेचारे जेल में भेजे जाते हैं और अन्हीं के साथ जेल में सब किस्म की ज्यादतियों की जाती हैं। अन्की रिहाअी और कल्याण की किसे परवाह है?

जेल या कारावास की संस्था मनुष्यजाति ने किस लिये बनायी है? यूरोपीय लोग कहते हैं कि कारागृह की संस्था धर्मव्यवस्था के द्वारा ही राज्यतंत्र में हाखिल की गयी

है। जिसने पाप किया उसको चाहिये कि वह प्रायश्चित्त भी करे। वह सिर मुड़ा कर अकान्त में जा कर बैठ जाये, समाज से अलग हो कर स्नानपान में सस्त परहेज रखे, प्रायश्चित्त के तीर पर अपने शरीर को कष्ट दे और इस तरह से शुद्ध होने के बाद समाज में फिर से शरीक हो। धर्मव्यवस्था में मनुष्य ये सब बातें स्वेच्छा से करता है और उसे लाभ भी होता होगा। किन्तु राज्यतंत्र में अपराधियों से यह प्रायश्चित्त जबरदस्ती कराया जाता है। जिसलिये उसका असर कुछ भी नहीं होता। जो होता है वह अलटा ही होता है। हमारे यहां कारावास की कल्पना और नरकवास की कल्पना एक ही है। आदमी को एक दिन की सजा दे कर समाज संतुष्ट कैसे हो सकता है ? “अपराधी को बारबार सताना चाहिये, लगातार पीड़ा देनी चाहिये, वह भाग न जावे जिसलिये उसे सीकचो में बन्द रखना चाहिये, जब तक समाज की बदला लेने की वृत्ति तृप्त न हो जाय और कैदी की तेजस्विता बिलकुल नष्ट न हो जाय तब तक उसे सताते रहना चाहिये”—ऐसा ही कुछ खयाल मनुष्यजाति के मन में था। गरुड-पुराण में नरकयातना का जो वर्णन आता है, जैन शास्त्र में भी नरकयातना के जो चित्र खींचे गये हैं, वे सब मनुष्य की प्रतिशोध या प्रतिहिंसा की वृत्ति के ही द्योतक हैं। मनुष्य ने अगर एकगुना गुनाह किया हो तो उसके प्रति दसगुना गुनाह करने का समाज को मानों हक ही मिल गया, ऐसा ही समाज का खयाल हो जाता है।

सच देखा जाय तो हर एक गुनहगार को मरीज के जैसा समझना चाहिये और जेलखाने को शफाखाना मानना चाहिये। किन्तु जिस समाज में आज तक कमी शफाखानों की व्यवस्था भी जेलखाने के ही जैसी होती है ; वहां जेलखाने को शफाखाना समझने की बात कहने से हम आगे थोड़े ही बढ़ सकेंगे ?

आदमी गुनहगार है या नहीं यह तय करने के लिये बड़े बड़े विद्वान और चारित्र्यवान न्यायाधीश रखे जाते हैं। हजारों रुपये की तनखाहें अन्हें दी जाती हैं। मनुष्यबुद्धि का पूरा अपुयोग कर के सूक्ष्म कानून बनाये जाते हैं। और अतना सब करने पर भी न्यायाधीश की मदद के लिये एक एक दिन की हजार हजार रुपये फीस लेनेवाले वकील-बैरिस्टर अभियुक्तों की ओर से लगाये जाते हैं। किन्तु जहां एक बार कोजी शरूस अपराधी साबित हुआ तो फिर समाज अपनी सहानुभूति तथा न्यायबुद्धि भी उसकी ओर से बिलकुल हटा लेता है !

अपराधनिर्णय के लिये जैसे कानून बनाये गये हैं, वैसे ही अपराधियों को किस तरह से सजा दी जाय, अथवा, दोषमुक्त किया जाय, इसका भी शास्त्र तैयार करना चाहिये। जैसे रोगमुक्त करने के लिये चिकित्साशास्त्र पैदा हुआ है उसी तरह लोगों को दोषमुक्त करने का शास्त्र भी हमें तैयार करना होगा।

मान लीजिये कि किसी राज में मरीजों के लिये ऐसी व्यवस्था की गयी है कि न्यायमन्दिर के समान आरोग्यमन्दिर की अदालत बनायी गयी है। वहां बीमारों

पर बीमार होने का अभियोग लगाया जाता है, वे अपनी ओर से हम खुद हो कर बीमार नहीं हुअे यह साबित करने की कोशिश करते हैं और डाक्टरी अदालत में बैठे हुअे डाक्टरन्यायाधीश अुनपर रोगी होने का अभियोग साबित मान लेते हैं; अुनको किसी छोटे या बड़े शफाखाने में अमुक दिनों तक कैद रहने की सजा फमति हैं और अपने आज्ञापत्र में लिखते हैं कि अिस आदमी को अमुक दिनों तक जुलाब या रेच दिया जावे, अमुक दिनों तक कुनैन दी जावे, अमुक दिन तक भूखा रक्खा जावे और ये सब सजायें अगर वह चुपचाप सहन कर ले तो अुसे कुछ दिनों की रियायत दी जावे और अुसके दिन पूरे हों ही अुसे रोगमुक्त मान कर छोड़ दिया जावे—तो अुस व्यवस्था के बारे में हम क्या कहेंगे? अूपर का वर्णन पढ़ कर पाठक कृपया हंसें नहीं! हमारे पागलखानों की चिकित्सा करीब करीब अिसी ढंग की होती है। सरकारी शफाखानों में भी कभी कभी अिसी प्रकार का वायु-मण्डल देखने में आता है।

हमारी राय यह है कि किसी आदमी को समाज के स्वाभाविक वायुमण्डल से अुठा कर जेलखाने में रखने से न अुस आदमी का हित होता है न समाज का। जो लोग अुन्मत्त हो कर समाज में अत्याचार ही करते रहते हैं, खूनखच्चर, मारपीट, व्यभिचार और दगाबाजी की जिन्हें अैसी आदत पड़ गयी है कि समाज में अुनका रहना ही खतरनाक है, अैसे आदमियों को पकड़ कर समाज से पृथक् ही रखना होगा। किन्तु आम तौर पर किसी को अुसके परिवार

या संबंधियों से अलग कर के जेलखाने में रखना ही नहीं चाहिये। कोअी आदमी सचमुच गुनहगार है या नहीं, और है तो कितना, यही समाज पर प्रकट हो जाय और आदमी का गुनाह समाज के सामने जाहिर हो जाय, अितना समाज-हित के लिये पर्याप्त है। फिर अैसे गुनहगार के साथ किस तरह पेश आना चाहिये यह समाज की हर अेक व्यक्ति अपने लिये आप निश्चित करेगी। अिसके अुपरान्त अगर सजा करनी ही हो तो मानसशास्त्र, समाजशास्त्र और आरोग्यशास्त्र से पूछ पूछ कर नयी सजायें मनुष्य भले ही ढूँढ ले। किन्तु हर अेक बात पर जुर्माना और कैद—ये ही दो प्रकार आज के समाज ने रखे हैं। यह मनुष्य-समाज की बुद्धिमानी को शोभा नहीं देता। जैसे अनेक प्रकार के रोगों के लिये अनेक प्रकार की चिकित्सायें हैं अुसी तरह सब किस्म के अपराधों का अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण करना चाहिये और अिन्न अिन्न वर्ग के अपराधों के लिये मानसशास्त्र और समाजशास्त्र बतावे वे ही सजायें रखनी चाहिये। जिस तरह डॉक्टर या वैद्य रोज मरीज की नब्ज देख कर चिकित्सा में परिवर्तन करता है अुसी तरह गुनहगारों को भी समय समय पर देख कर अुनकी जांच कर अुनकी सजा में परिवर्तन करना चाहिये। अगर कोअी कहे कि अैसी जांच करना कठिन है, मनुष्य के दिल के अन्दर जा कर अुसकी धाह लेना मनुष्यशक्ति से बाहर है, तो अुसका जबाब यही है कि अैसी हालत में किसी को अेक दिन से अधिक की सजा देने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं होना चाहिये। आज अब

कि भ्रमजीवी जनता को राजनैतिक अधिकार अधिकाधिक देने की बात चल रही है नत्र बुद्धके जीवन की प्रतिष्ठा हमें बढ़ानी चाहिअ और अपना दण्डविधान भी मनुष्योचित बनाना चाहिअ ।

का० का०

‘भारत हमारा देश है’ (?)

हिन्दुस्तान में जिन लोगों ने जन्म लिया और हिन्दुस्तान ही में जिन्हें रहना है वे हिन्दुस्तान के हैं इसमें तो कोई शक नहीं । हिन्दुस्तान ने उनको जन्म दिया, आबोहवा दी, आहार-बिहार का सामान दिया, और यहां के समाज में कुछ स्थान भी दिया । उनके लिये जो करना था वह हिन्दुस्तान ने कर दिया । इसलिये वे हिन्दुस्तान के हो गये । किन्तु जितने से हिन्दुस्तान उनका नहीं हो जाता । अगर वे कहें कि ‘हिन्दुस्तान हमारा है’ तो तुरन्त उनसे पूछा जायगा कि ‘आपने हिन्दुस्तान के लिये क्या किया है ? आपकी अंसी कौनसी तपस्या है कि जिससे आप यह दावा करते हैं कि हिन्दुस्तान आपका देश है’ ?

जब हम हिन्दुस्तान के सब लोगों को भागीबहन समझ कर अन्हें प्रेम से अपनायेगे तब हिन्दुस्तान हमारा होगा । हिन्दुस्तान के लोगों को सुखी करने के लिये जब हम तनगोड मिहनत करेंगे तब हिन्दुस्तान हमारा होगा । मौका मिलते ही कन्याकुमारी से काश्मीर तक और करांची से ले कर कलकत्ते तक घूम कर देश के पहाड़ और नदियां, झीलें और अरण्य, शहर और गांव, जंगल और खेत, तीर्थस्थान और अद्योगस्थान, धर्मक्षेत्र और कुक्षेत्र, सब का भक्तिभाव से दर्शन करेंगे; जब हिन्दुस्तान की छोटीबड़ी सब

बोलियां कितनी हैं, कौनसी हैं, इस की खोज करेंगे, हर अक बोली का कोष और व्याकरण तैयार करेंगे, उन बोलियों में अपना जीवन और हार्द व्यक्त करनेवाले लोगों से अकरूप हो जायेंगे और उनकी बुद्धिबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे—तब हिन्दुस्तान हमारा होगा । हिन्दुस्तान के बीमारों की, अनाथों की और, पतितों की सेवा करने के दायित्व को जब हम पहचानेगे और अन्हें अपने ही भागीबहन समझ कर, दया से नहीं किन्तु प्रेम से, बन्धुत्व से, उनकी सेवा करने का समुचित प्रयत्न करेंगे तब हिन्दुस्तान हमारा होगा । लिपिकार गणेशजी के अपासक हम जब फी सदी ९३ निरक्षर लोगों को अक्षरज्ञान देने का, अन्हें साक्षर बनाने का, प्रचण्ड प्रयत्न करेंगे तब जा कर कहीं हिन्दुस्तान हमारा होगा । हिन्दी, अर्दू, बंगला, तेलगू, मराठी, गुजराती, कन्नड, तामिल, आदि हमारी संस्कार-संपन्न भाषाओं में आधुनिक सब शास्त्रों को ग्रहण करने की क्वमता जब हम पैदा करेंगे तब शायद अभिमान से कह सकेंगे कि हिन्दुस्तान हमारा है । जब हम अपने पुरुषार्थ से अंसा कहने की योग्यता हासिल करेंगे कि हमारे देश में कोई भी आदमी अद्योगरहित नहीं है, बेहतर नहीं है, भूखा और मुहत्ताज नहीं है—तब यह आप ही आप सिद्ध हो जायगा कि हिन्दुस्तान हमारा देश है । और हिन्दुस्तान में रहते अहे जब हममें से हर अक भारत की स्वतंत्रता के खातिर मर मिटने को हमेशा तैयार रहेगा तब सारी दुनिया भी अक आवाज से कहेगी कि ‘बेशक हिन्दुस्तान अिन्हीं का है’ ।

जब हम यह कहना चाहते हैं, अथवा गाना चाहते हैं, कि "भारत हमारा देश है", तब हमें अपने हृदय से पूछना चाहिये कि "क्या हमारा दिल भारत के जितना विशाल और व्यापक है? क्या हिन्दुस्तान के सज्जन और दुर्जन, पुण्यवान और पापी, महात्मा और दुरात्मा, देशप्रेमी और देशद्रोही, बूढ़े और बच्चे, ओसाजी और यहूदी, आर्यसमाजी और ब्राह्मसमाजी, हिन्दू और मुसलमान, पोल्यूंगीज और पारसी, स्त्री और पुरुष, धनी और गरीब. आस्तिक और नास्तिक, विद्वान और बुद्धू—सब के सब हमारे कृटुम्बीय ही हैं? क्या हम उनके हैं और वे हमारे हैं? क्या, उनका दुख हमारा दुख है, उनका दुराचार हमारा दुराचार है, हमारा प्रायश्चित्त उनका प्रायश्चित्त है?" अगर दिल के अन्दर से स्पष्ट आवाज आये कि "हां, हम बिलकुल अंसा ही मानते हैं"—तब तो स्वयं भगवान ही कहेगा कि "सचमुच भारत तुम्हारा ही है।"

हम अपने जन्म से अथवा वास्तव्य से हिन्दुस्तान के बन जाते हैं। किन्तु जीवन-भर की तपस्या से ही हिन्दुस्तान हमारा हो सकता है।

हिन्दुस्तान की अपनी जानकारी की हमें जांच करनी चाहिये। क्या हम पहले के समान चार धामों की यात्रा करते हैं? क्या हम कुंभ आदि मेलों में लाखों की तादाद में अिकट्ठा होने वाले भारतवासियों के साथ अक-हृदय हो सकते हैं? क्या हमने अपने देश के पवित्र से पवित्र स्थानों का सच्चा महात्म्य सुना है, सोचा है? पुरानी बात जाने दीजिये। सूत और नारद, रोमहर्षण और बलराम, अगस्ति और परशुराम

आदि प्राचीन भारत-यात्रियों के यात्रावर्णनों को छोड़ दीजिये। आजकल के नये गॅल्लेटियर भी अगर हम ले लें तो उनमें से हमारे लोगों के बनाये हुअे कितने हैं; और अंग्रेज हाकिमों के बनाये हुअे कितने हैं? हिन्दुस्तान की पिछडी हुअी जातियों का वर्णन, उनका स्वभाव, उनका आदतें, उनका धार्मिक मान्यतायें और उनका जीवनक्रम आदि बातों की आवश्यक जानकारी हम लोगों ने अिकट्ठी की है; या मिशनरी लोगों ने? आसाम, बिहार, मध्यप्रान्त आदि में जो पर्वतीय जातियां हैं उनका भाषा का अध्ययन हमने किया है? उनका सेवा कर के उनका जीवन-यात्रा सुखद करने का और उनको मनुष्यत्व के सब अधिकार प्राप्त कराने का प्रयत्न हमने किया है? देश के सैकड़ों और हजारों छोटेमोटे अुद्योगहूनर हमने अपनी अुपेक्षा से और परदेशी चीजों के मोह से मरने दिये अुसका दुख हमें कभी हुआ है? गांव के लोगों में जो अज्ञानता और अबुद्धि भरी हुअी है क्या अुसको हटाने की कोअी कोशिश की है? बीमारी और रोग जिस तरह से राष्ट्र की प्राण-शक्ति को कवीण करते हैं अुसी तरह वहम और भ्रान्त कल्पनायें देश की बुद्धि का और चारित्र्य का न्हास करती हैं, उनके खिलाफ क्या हमने कभी बडा जंग छेडा है? हमारा ही अंसा अक देश है कि जिसमें शंकराचार्य जैसे अद्वैतवादी भी रहते हैं और अुन्हीके पढोस में रहनेवाले अपने बच्चों का, या घर के पशुपक्षियों का, बलिदान देने के लिअे भी तैयार हो जाते हैं। जैसी गिरी हुअी हासत मौजूद है अुसीमें संतुष्ट रहना, किसीने कुछ भी परिवर्तन या सुधार

की बात कही तो उसका विरोध करना और बुरे से बुरे रिवाज के बचाव के लिये दुनियाभर के शास्त्र और विज्ञान और कानून समाजसेवकों के सामने खड़े कर देना—अिसी का नाम अगर धर्मनिष्ठा है, धर्माभिमान है तो वह हमारे देश में काफ़ी मात्रा में है। आज जब हम त्रिवार शान्ति की घोषणा करते हैं तो हमारा यह मतनब होता है कि “हमें शान्ति से अन्याय करने दो, शान्ति से गुलामी का आनन्द लेने दो और शान्ति से निष्क्रियता का सुख लेते लेते मरने दो।” अंसे शान्तिपाठ से हिन्दुस्तान हमारा नहीं हो सकेगा। हिन्दुस्तान की विशाल भूमि में अपना जीवन बो देने से और अपने खून और पसीने से उसको सींचने से ही हिन्दुस्तान हमारा होगा।

का० का०

सर्वोदय और साम्यवाद का अविरोध

जब यहां अंग्रेजों का राज्य हुआ तो हमें उनका फौज अपने खर्च से रखनी पड़ी, उनके कानून कबूल करने पड़े, उनकी भाषा सीखनी पड़ी और अपनी मिहनत की कमायी का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में अन्हें देना पड़ा। जितना ही नहीं, मौके बेमौके उनके हाकिमों के मुंह से और उनके पादरियों के मुंह से अपदेश भी सुनने पड़ते थे। गुलामी का यह फल निगल जाना सब से कठिन था। जो विजयी हुआ उसकी संस्कृति सब से श्रेष्ठ है अंसा माना ही जाता है। “तुमलोग गिरे हुअे हो, हम सुधरे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम से सबक सीखो और अपना बुद्धार करो”, अंसी बातें सुनते सुनते हम तो अब

गये थे। तो भी सुनना तो पड़ता ही था। हम लोगों ने सुन लिया। अपने समाज को सुधारने की कोशिशों की और अपनी संस्कृति के समर्थन में हमने साहित्य भी निर्माण किया। हमलोग जागे और जाग कर अपने को सुधारन भी लगे।

क्या अंग्लैंड ने स्वयं भी वैसी ही जागृति बतायी? अंग्लैंड है तो जाग्रत राष्ट्र; किन्तु विजय के कारण उसकी नज़र शुद्ध नहीं रही। अंग्लैंड हमें अपदेश देता गया और खुद गिरता गया। जो अपदेशक होता है उसको अपदेश देने की आदत के कारण आत्मनिरीक्षण करने की अवकाश ही नहीं रहता। अंग्लैंड ने सदियों तक फ्रान्स से दुश्मनी की। फ्रान्स ने क्रांति कर के नया जीवन धारण किया। अंग्लैंड ने ज़ार के रूस की घोर निन्दा की। रूस सुधर गया। अंग्लैंड ने सुलतानी तुर्कस्तान की बदनामी की। तुर्कस्तान ने कायापलट किया। अंग्लैंड ने कैसर के जर्मनी के खिलाफ सारी दुनिया का संगठन किया। जर्मनी ने कैसर को भी छोड़ दिया और साथ साथ अंग्लैंड के डर को भी। और आज वह सारी दुनिया के सामने खड़ा हो कर अपने साम्राज्य की फिर से स्थापना करने का प्रचंड प्रयत्न कर रहा है। अंग्लैंड ने आफ्रिका, चीन और हिन्दुस्थान को दयापात्र जाहिर किया। अब आफ्रिका में जागृति शुरू हुयी है। चीन या तो मर जायगा या अेशिया का प्रधान राष्ट्र बन जायगा। और हिन्दुस्थान अब दयापात्र नहीं रहा है। अगर अीश्वर की वैसी मर्जी हुयी तो ब्रिटिश साम्राज्य की जगह जो राष्ट्रसंघ निर्माण होगा उसका नेतृत्व हिन्दुस्थान को ही अपने हाथ में

लेना होगा। ज़माना बदल गया है। यूरोप की संस्कृति ने सौ सबासी बरसों से दुनिया का नेतृत्व किया है। अब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद छोड़ कर समाजवाद और साम्यवाद के नाम से यूरोप और अेक दफ़ा दुनिया का नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहता है। साम्यवाद और समाजवाद दुनिया के लिये हितकर हो सकते हैं। किन्तु उनका प्रचार और उनकी स्थापना करने की पात्रता यूरोप में है या नहीं यह देखना होगा। स्टैलिन के रूस ने यह बता दिया है कि वह रूसी मनोवृत्ति से बचा हुआ नहीं है। अंग्लैंड ने बता दिया है कि लोकतंत्र का रक्षक बनने के लिये जो चारिभ्यशुद्धि और चारिभ्यतेज चाहिये वह अुसमें नहीं है। हिटलर के जर्मनी ने दुनिया को बता दिया है कि दुनिया का नेतृत्व यूरोप कर ही नहीं सकता। अब तो दुनिया का नेतृत्व यूरोप के बाहर ही जायगा। यूरोप का शिष्य बनने से कितनी योग्यता प्राप्त हो सकती है इसका अुदाहरण हम जापान में पाते हैं।

अब दुनिया के सामने दो ही रास्ते हैं। दोनों प्रगतिशील हैं। दोनों वर्धमान हैं। अेक है समाजवाद-साम्यवाद का और दूसरा गांधीजी के सर्वोदय का।

अस युद्ध के अन्त में साम्राज्यवाद मिट ही जायगा। राष्ट्रवाद विजयी हुआ भी तो वह भविष्य का नेतृत्व नहीं कर सकेगा। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, दोनों के दिन अब लद गये हैं। अब तो होड केवल दो ही जीवनव्यवस्थाओं के बीच है—सर्वोदय और साम्यवाद। दोनों में से अेक का स्वीकार हमें करना ही पड़ेगा। स्वार्थी राष्ट्रवाद और मनुष्यद्रोही साम्राज्य-

वाद दोनों को मिटाने के लिये सर्वोदय और साम्यवाद के बीच सहयोग स्थापित होना आवश्यक है। कम से कम दोनों के बीच विरोध तो होना ही नहीं चाहिये। अस अवसर पर अधिक अुत्तरदायित्व है सर्वोदय के रास्ते चलनेवालों का। सत्य और अहिंसा जिनका साधन है उनको तो नम्रत्वे नोअमत्तः की नीति ही हमेशा स्वीकार करनी पड़ती है। नम्र होकर, शून्यवत् हो कर, निराग्रही सेवा कर के ही वे अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं और अपने सिद्धान्तों को सिद्ध कर सकते हैं।

अगर हिन्दुस्थान ने साम्यवाद का रास्ता ले भी लिया तो भी जिस हिम्मत से रशियन लोग साम्यवाद का अपनी परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन कर लेते हैं और अन्तिम परिस्थिति का खयाल करते हैं अुसी तरह हिन्दुस्थान को भी अपने ढंग का मर्यादित साम्यवाद या समाजवाद स्थापित करना पड़ेगा और सर्वोदय के साथ समझौता करना पड़ेगा। साम्यवाद और सर्वोदय अेक दूसरे के साथ सहयोग करते करते आगे बढ़ेंगे और साम्राज्यवाद और प्रजापीडन का आमूलाग्र अुच्चाटन करेंगे।

अस कार्य को सिद्ध करते करते सर्वोदय का भी आत्मपरिचय बढ़ेगा और साम्यवाद को भी अपना रास्ता अधिक स्पष्ट दील पड़ेगा। मुकाम तक पहुंचते पहुंचते दोनों का अेक दूसरे पर अैसा प्रभाव पड़ेगा कि हर अेक की खूबी दूसरे में दाखिल होगी और हिन्दुस्थान की भूमि पर अेक अैसा नया सुन्दर रसायन तैयार होगा कि जिस के प्रयोग से मनुष्यजाति अपनी नवनिर्मिति सिद्ध कर सकेगी।

नम्रत्वे नोन्नमन्तः

अस किस्म की जिसकी श्रद्धा है वह कांग्रेस की कार्यसमिति के पत्रक का स्वागत किस प्रकार से करेगा? कार्य-समिती की घोषणा में साम्यवाद की परिभाषा का बड़ी चतुराजी से शब्दान्तर किया गया है। किन्तु यह स्पष्ट है कि अस्मिन् गांधी-नीति का प्राधान्य नहीं रहा है। पचास बरस तक जिस कांग्रेस ने स्वराज्य की अनन्य साधना की है और पिछले महायुद्ध के समय गांधीजी के आदेश के अनुसार जिस कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार को बेशर्ती सहानुभूति दिखाने का प्रयत्न किया है, अस्मिन् कांग्रेस का अभिप्राय कार्यसमिति के अस वक्तव्य में अच्छी तरह प्रतिबिम्बित हुआ है अस्मिन् तो शक नहीं। किन्तु क्या वह भूमिका जो कांग्रेस ने अपने लिये तय की है, स्वराज्य के लिये हिततम है? यह एक प्रश्न है। और, क्या वह अहिंसा के मार्ग के अनुकूल है? यह दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न पर हर एक को सोचना चाहिये। और दूसरा अस्मिन् लोगों के विचार के लिये है जो आज तक न केवल अहिंसा की दुहायी ही देते थे किन्तु सचमुच अहिंसा में मानते भी थे।

हम प्रथम पहला ही प्रश्न लेंगे। कांग्रेस की कार्यसमिति का पत्रक और मुस्लिम-लीग की कार्यसमिति का प्रस्ताव साथ साथ पढ़ना जरूरी है।

“पूर्ण स्वराज्य का वचन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारी सहानुभूति और हमारा सहयोग नहीं मिलेगा,” यह है कांग्रेस की घोषणा। और “कांग्रेस जैसा स्वराज्य

चाहती है वैसा स्वराज्य अस्मिन् नहीं दिया जायगा असा वचन जबतक सरकार नहीं देगी तबतक लीग की सहानुभूति और सहयोग नहीं मिल सकेगा” यह है लीग की घोषणा। अंग्रेज तो कहते हैं कि आपस में समझौता कर के हमसे जो मांगोगे वह मिल जायगा।

हम आपस में समझौता कैसे करें? बड़ा भायी छोटे भायी को सब कुछ दे कर अस्मिन् मनावेगा? या अंग्रेज हमें आपस में जितना कुछ लड़ने देंगे अतना लड़ कर फिर अंग्रेजों की शरण ले कर अस्मिन् से तसपिया करावेंगे?

दूसरा रास्ता राष्ट्र संगठन तोड़नेवाला और आत्मनाश करनेवाला है। अगर पहला रास्ता हम पूरा पूरा अमल में नहीं ला सके तो वह महंगा प्रतीत होगा और व्यर्थ भी जायगा।

अहिंसावादी लोगों का यह विश्वास है कि अहिंसा के रास्ते न किसी का आत्यंतिक नुकसान हुआ है; न किसी की प्रगति में बाधा पड़ी है। अहिंसा का संगठन स्वयंभू होता है। अहिंसापक्ष का विरोधी जब स्वयं अहिंसक बनेगा तभी सफलता की आशा कर सकता है; अन्यथा नहीं। और अहिंसा जब जब बाह्य कारणों से परास्त होती है तब तब अस्मिन्का जोर बढ़ाता ही है।

अतना तो स्पष्ट ही है कि सर्वोदय और समाजवाद दोनों के सहयोग में दोनों की मुठभेड़ शुरू हुई है और अहिंसा ने नम्रत्वे नोन्नमन्तः की नीति का प्रारंभ किया है।

हमारा आस मर्ज

कुछ बीमारियाँ जैसी होती हैं कि ज़रासी ओर हलकी से हलकी चीज़ खाने पर भी तुरन्त कै हो जाती है। पेट में कोबी चीज़ दिक ही नहीं सकती। तब यह सोचना पड़ता है कि जैसी कौनसी चीज़ें हैं जिनके खाने से कै न हो और मरीज़ की ताकत भी बढे। हिन्दुस्तान की बदकिस्मती से हमें अब जब कुछ नाम मात्र के स्वराज्य के अधिकार मिलते हैं तब तब हमारे अन्दर अित्तेफ़ाक न होने की बज़ह से हमें फौरन कै हो जाती है; ओर हमारी ताकत बढने के बजाय चारों तरफ़ की हवा में बदबू और गन्दगी फैल जाती है। अधिकार हज़म करने की ताकत ही हमारे देश में पैदा नहीं हो पायी है।

आज भी यही अनुभव हो रहा है। काँग्रेस की कार्यसमिति ने यूरोपीय महायुद्ध के विषय में अक पत्रक निकाला। असे देखते ही मुस्लिमलीग की कार्यकारिणी ने ठीक असे अलटा प्रस्ताव मंज़ूर किया। यह हाल देखते ही आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि अिस मर्ज़ की भी कोबी दवा हो सकती है? लोग कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की जडें ढीली हो गयी हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों को हिन्दुस्तान का बड़ा भारी सहारा है। हमारे यहां तो अिस साम्राज्य की जडें मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं। परराज्य की गुलामी में विश्वास करनेवाले जितने लोग हमारे देश में हैं अतने दुनिया के दूसरे किसी देश में नहीं हैं। यदि कोबी विदेशी सत्तनत की जडें यहां से अखाड़ने की कोशिश करेगा तो ये अिस सत्तनत के खंडखवाह बन कर

असके बंरियों के दांत खट्टे करेंगे।

हर कोम या जमात को अपनी अपनी सलामती का ख्याल तो करना ही पड़ता है। यह कोबी अनुचित बात नहीं है। लेकिन हर अक चीज़ को शफ़ोबुबहा की नज़र से देखना ओर हर मौके से जायज़-नाजायज़ फायदा अुठाने की ताक में रहना न तो मुनासिब है, न हितकारी।

परन्तु हो सकता है कि जैसी मुसीबतों में से अपना रास्ता निकालने की शक्ति भगवान् हमारे अन्दर पैदा करना चाहता है ओर दुनिया के सामने अक अनीखी मिसाल पेश करना चाहता है। भगवान् का यह तरीका है कि वह जिसेसे दुनिया में कुछ कराना चाहता है असके सामने मुश्किल से मुश्किल सवाल रख कर असकी कड़ी परीक्षा करता है। अिस परीक्षा में से भी काँग्रेस सफल हो कर निकले यही प्रार्थना हम कर सकते हैं।

२५:९:३९

का० का०

काँग्रेस और गांधीजी

यह टिप्पणी लिखने में मैंने यह मान लिया है कि पाठकों ने गांधीजी का निवेदम ओर वकिगकमिटी का पत्रक पढ लिया है।

आज हमारे सामने तीन बातें हैं:—

- (१) अहिंसाधर्म ओर अयुद्धधर्म का संबंध;
- (२) अिन दोनों की तरफ काँग्रेस का रुख;
- (३) अहिंसा-धर्मीय तथा अयुद्धधर्मीय हिन्दुस्तानी का कर्तव्य।

जब से गांधीजी ने राजनैतिक क्षेत्र में, अक धामचलाञ्च नीति के रूप में ही नहीं बल्कि अक स्थायी ओर अचल सिद्धान्त के रूप में, अहिंसा दाखिल की तब से संसार के अयुद्धवादी (पॅसिफिस्ट) लोगों

के दिल में यह आशा पैदा हुई कि अणुके मत को मजबूत और बलवान् करनेवाला अके नहान नेता और अणुका सारा देश मिल गया। अयुद्धवादी मानते हैं कि न्यायान्याय का फैसला युद्ध के द्वारा करने का तरीका सरासर हैवानियत है। जिसलिये युद्ध चाहे कोभी क्यों न छोड़े हमें अणुसे असहयोग ही करना चाहिये।

गांधीजी तत्त्व में जिस बात को मानते हैं। फिर भी अणुहोने अपने जीवन में जिस तत्त्व को पूर्णरूप से अमल में लाने से अपने आपको बार-बार रोक लिया है। केवल बाहरी दृष्टि से अणु सिद्धान्त में वे कुछ छूटछाट करते हुअे भी जान पड़ते हैं। खूद मनुष्य-हिंसा करने से अिनकार करते हुअे भी अणुहोने युद्ध में अके पक्ष को किसी न किसी तरह का सहयोग देने से अिनकार नहीं किया है। गांधीजी का यह व्यवहार अयुद्धवादियों को बराबर खटकता रहा है।

जिस विषय में गांधीजी का भूमिका यह रही है :—

संसार से युद्ध मिटाने की महत्वाकांक्षा रखने के पहले अिन कारणों से युद्ध पैदा होता है अणुहें दूर करने के अहिंसात्मक तरीके पेश करने चाहिये और अणुका सफल प्रयोग कर दिखाना चाहिये। अितना ही नहीं, बल्कि मानवीय सभ्यता की नींव में ही अिसके अनुरूप परिवर्तन कराना चाहिये। जिसलिये दुनियाभर के युद्धों का निषेध और लडाजी में शामिल होनेवाले सभी पक्षों का विरोध, या अणुसे असहयोग करने से पहले, हमें चाहिये कि हम अपने देश में ही अहिंसा का प्रयोग करें। अितर देशों की अपेक्षा हिन्दुस्तान में अिसके लिये ज्यादा

अनुकूल हवा है। हिन्दुस्तान में अहिंसा को सफल साबित करने के पहले सारे संसार के लिये अयुद्धवाद की घोषणा करना अल्दबाजी या छोटेमूंह बड़ी बात कहने के बराबर है। जिसलिये अपने देश के लिये, यानी हिन्दुस्तान के लिये, रक्तपात सर्वथा त्याज्य मानते हुअे भी दुनिया के दूसरे देशों के लिये, अयुद्धवाद नहीं, बरन् न्याय्य युद्ध और अन्याय्य युद्ध का ही भेद करने से हमें संतोष मान लेना चाहिये। जिस पक्ष में न्याय हो असे अहिंसक तरीके से अितना सहयोग देना संभव हो अतना देना कर्तव्यरूप समझना चाहिये।

जिस दृष्टि से अिटाली बनाम हूस्तीनिया, जापान बनाम चीन, फैंसिस्टस्पेन बनाम प्रजाकीय स्पेन की लडाअियों में, क्रमशः हूस्तीनिया, चीन तथा प्रजाकीय स्पेन के साथ सहानुभूति प्रकट करने में तथा जो सहानुभूति देना संभव हो असे देने में अणुहें आपत्ति नहीं थी। अहिंसक होते हुअे भी अणुकी दृष्टि में यह केवल मानवधर्म ही था। अिन जनताओं से यह कहना कि तुम अहिंसा से ही दुश्मन का मुकाबला क्यों नहीं करते, अनुचित होता।

जब किसी लडाजी में अके तरफ ब्रिटिश राज्य हो और अपर्युक्त न्यायबुद्धि के अनुसार अणुके पक्ष में न्याय है असा प्रतीत होता हो, तब भी वही धर्म हमारे लिये प्राप्त हो जाता है। अणुहें भी अपनी सहानुभूति और सहयोग देना कर्तव्य हो जाता है। ब्रिटिशराज्य साम्राज्यवादी है, अथवा अणुका और हमारा हिसाब होना अभी बाकी है, यह बात अहिंसक मनुष्य को अपने कर्तव्यपालन में रोक नहीं सकती।

बल्कि, अनुका और हमारा सट्टा या भीठा डेढ सी साल का सम्बन्ध है, जिस बात का खयाल जरूर आ सकता है।

वहाँ तक मैं समझ सका हूँ और सोच सकता हूँ, गांधीजी की भूमिका ऐसी है।

वकिंगकमिटी के पत्रक में गांधीजी की भूमिका का अस्वीकार दो तरह से कर दिया गया है। गांधीजी की राय यह है कि हमें बेशर्ती अहिंसक सहयोग देना चाहिए। वकिंग कमिटी की राय बेशर्ती सहयोग की नहीं, बल्कि शर्ती सहयोग की है। और यदि अुसकी शर्तें पूरी कर दी जायें तो अहिंसक सहयोग ही नहीं, वरन् हिंसक सहयोग भी देने की तैयारी अुसके पत्रक में सूचित है। गांधीजी की दृष्टि में तो शर्तें पेश करना भी अेक तरह की हिंसा हो सकती है। इसलिये वकिंग कमिटी का यह वक्तव्य गांधीजी की अहिंसक दृष्टि को कुछ अंश में छोड़ कर काँग्रेस को नयी पटरी पर ले आने के निर्णय जैसा प्रतीत होता है।

अंसी हालत में आगामी अखिल भारतीय कमिटी के सामने अेक बड़ा भारी सवाल पेश होनेवाला है। सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करने पर अखिल भारतीय कमिटी की आगामी बैठक काँग्रेस का गांधीयुग में से नेहरूयुग में पदार्पण करनेवाली भी साबित हो सकती है।

अिस परिस्थिति में हिन्दुस्तान में अगर कोई प्रभावशाली शुद्ध अयुद्धवादी हो तो अुसे गांधीजी की भूमिका से संतोष होना संभव नहीं है। और काँग्रेस में तो अुसका स्थान ही नहीं सकता। अंसे प्रभावशाली अयुद्धवादी हिन्दुस्तान में कितने

हैं यह अेक सवाल ही है। अिनके अयुद्धवादी का व्यवहार में कोई प्रभाव पड़ना मुमकिन नहीं अुनकी अुपेक्षा अयुद्धवादी सरकार और जनता अिस बड़े देश में आसानी से कर सकती है। अुद्ध का विरोध कर वे केवल आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। अुनके लिये वैसा करना अच्छा भी है। क्योंकि अुनकी अदृष्टा आज निर्बल—सी भले ही प्रतीत होती हो लेकिन वह कभी न कभी प्रभावशाली अवश्य होगी। फिलहाल तो अिन चन्द लोगों की अुपेक्षा की जा सकती है।

तब, चूँकि वकिंग कमिटी ने बेशर्ती सहयोग की भूमिका छोड़ दी है इसलिये, अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों के सामने अेक ही सवाल अुपस्थित है:—

अगर सरकार कोई समझौता कर ले तो काँग्रेस अुद्ध में सरकार को केवल अहिंसक सहयोग देने को तैयार रहेगी; या सभी प्रकार का सहयोग? 'काँग्रेस का तत्त्वतः परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं?' अिसका अुत्तर अिसी बात पर आधार रखता है।

संभव है कि यह परिवर्तन आज टल भी जाय। तो भी अितना तो निश्चित ही है कि वकिंगकमिटी के अिस पत्रक ने गांधीवाद की पकड़ ढीली कर दी है और पं० जवाहरलाल को नवयुग का नेता मान्य किया है।

पं० जवाहरलाल और अुद्योगवाद

अर्थान् अब पं० जवाहरलाल पर अेक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। आजतक जो लोग गांधीजी के नेतृत्व में काम करते आये हैं अुन्हें अिस परिवर्तन के कारण कुछ

कमोम, अय और आशंका हो तो कोभी ताज्जुब नहीं है। अन्के दिल से अिन भावों को हटाना, अुनका विश्वास संपादन करना और अुनकी शक्ति बढ़ाना अथवा अुन्हें अलग कर देना, पंडितजी की नीति और विचारों पर निर्भर है। यह कहने में मैं कोभी रहस्य प्रकट नहीं करता कि अुद्योगवाद के विषय में पंडितजी के जो विचार हैं अुनके कारण, जिन्हें गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में दिलचस्पी है, अैसे कार्यकर्ताओं के दिल में अेक डर पैदा हो गया है। अुन्हें यह आशंका है कि जवाहरलालजी आहिस्ता आहिस्ता खादी, ग्राम-अुद्योग, वर्धा-शिक्षा, आदि का काम तमाम कर देंगे। देश की औद्योगिक नवरचना के सम्बन्ध में नेहरूजी की जो विचारधारा है वह गांधी-कार्यकर्ताओं को नहीं अंचती। अिन रचनात्मक कामों को तोडना, या अुनकी तरक्की में रुकावट डालना बहुत आसान है। क्योंकि वह तो निर्धनों की कुटियां बनाने का काम है। अैसी कुटियों के बनाने में दस-पन्द्रह रुपये ही लगते हैं। लेकिन ये दस-पन्द्रह रुपये अुन लोगों के हैं जिनके लिये अुनकी कीमत हजारों रुपयों से अधिक है। अब देखना यह

है कि विशेष अनुभव के बाद अिस विषय में पंडितजी के विचार कौनसा रूप लेते हैं ?

गांधी सेवा संघ की स्थिति

अिस परिवर्तन में गांधी सेवा संघ, के सदस्यों की भूमिका क्या होगी ? या, संघ में किस प्रकार के हेरफेर होंगे ? गांधी सेवा संघ गांधीजी का बनाया हुआ नहीं है। अिसलिये गांधीजी अुसे अपनी नीति स्वीकारने का आदेश तो नहीं दे सकते। लेकिन संघ ने तो खुद ही कर गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार चलना अपना अुद्देश बनाया है। युद्ध के विषय में गांधीजी के जो विचार हैं वे अूपर बतलाये जा चुके हैं। संघ के जो सदस्य चकिगकमिटी में हैं अुन्होंने बेशर्ती सहयोग की सलाह अस्वीकार कर ली है। अब देखना है कि, यदि सहयोग देनेयोग्य परिस्थिति पैदा हो जाये, तो संघ के काँग्रेस-जन अहिंसक सहयोग की मर्यादा में ही रहना पसन्द करेंगे, या हिंसक सहयोग देने के लिये भी तैयार रहेंगे।

और यह भी अेक सवाल है कि जो अपने आपको आयुद्धवादी मानते हैं वे भी गांधी सेवा संघ के सदस्य रह सकते हैं या नहीं ?

कि० घ० म०

आत्मबल की श्रेष्ठता

अेकगात्र कसौटी ! अिसी कसौटी में अधिक से अधिक वीरता और सभ्यता है और बड़ी से बड़ी तथा निश्चित विजय का आश्वासन भी है। क्योंकि अेक हथियारबन्द मनुष्य जूनसमूह का सामना नहीं कर सकता; और न अेक सेना असंख्य सैनिकदल का मुकाबला कर सकती है। परन्तु विश्व के समस्त साम्राज्यों की सारी सेनाये भी अेक सच्चे मनुष्य की आत्मा को कदापि नहीं कुचल सकती।

—डुतास्मा टेरेन्स मैक्सिनी

मुसलमान और राष्ट्रीय आन्दोलन

१९२१-१९३०-१९३९

[जयरामदास दौलतराम]

मुसलमानों के रुख की दृष्टि से हिन्दुस्थान के राष्ट्रीय आन्दोलन के तीन स्पष्ट अवस्था-न्तर हुए हैं। १९३० में जब कि सविनय-संग का आन्दोलन शुरू हुआ था उस वक्त की बनिस्बत अतः आज का रुख कुछ और ही है। १९३० का अतः रुख भी १९२१ के आन्दोलन के वक्त के रुख से भिन्न था। जो सार्वजनिक कार्यकर्ता सफल राष्ट्रीय संघर्ष के विविध पहलुओं और अंशों को भलीभाँति समझना चाहता है उसे मुस्लिम रुख के अतः तीन स्थित्यन्तरो का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। अतः अध्ययन से हम वर्तमान परिस्थिति का मुकाबला सही तरीके से कर सकते हैं और अपने कार्यक्रम की ठीक रूपरेखा भी बना सकते हैं।

पहले १९२१ को ले लीजिये। जिन पाठकों को उस समय के असहयोग आन्दोलन का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है वे उसका इतिहास अपुलब्ध पुस्तकों में पढ़ें। उस वर्ष के 'यंग इण्डिया' की जिल्द बहुत ही अद्बोधक प्रतीत होगी। १९२० में, यानी असहयोग आन्दोलन के अकेले साल पहले, मोलाना मुहम्मद अली और शैकत अली जैसे मुसलमान जनता के बड़े से बड़े प्रभाव-शाली नेताओं ने सारे देश में गांधीजी के साथ दौरा किया और हिन्दू-मुसलमानों की विराट सम्मिलित सभाओं में व्याख्यान दिये। राष्ट्र के प्रमुख नेता गांधीजी और दूसरे सभी नेता हिन्दू और मुसलमानों के समान-रूप से नेता माने जाने लगे। उस आन्दोलन का समर्थन करने में मुसलमानों ने हिन्दुओं से किसी कदर कम जोश नहीं बतलाया। हजारों मुसलमान कैद में गये। मुस्लिम नेता ने अपनी हिन्दूविरोधी

भावनाओं को रुखसत दे दी और काँग्रेस के अनुकूल मनोवृत्ति का विकास किया। जिन दोनों जमातों ने परस्पर धार्मिक सहिष्णुता का विकास जिस मात्रा में अतः जमाने में किया अतः शायद हमारे राष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को देहली की जुम्मा मसजिद के अिमाम पर से राष्ट्रीयता का अपदेश देने के लिये निर्मंत्रित किया गया था। मन्दिरों के अहातों में हिन्दुओं की सभाओं में मुसलमान नेताओं के भाषण होते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के लिये पूजा-प्रार्थना करने में हजारों घरों में हिन्दू और मुसलमानों ने अकेले दूसरे का साथ दिया। अतः हादिक अकेला ने हिन्दुस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया और तब से यह फिर पहले के समान पुख्ता कभी नहीं हुआ। १९२१, यानी असहयोग के महान आन्दोलन के वर्ष की, यह स्थिति थी।

१९२३-२५ तक हिन्दू-मुसलमानों का तनाजा, टंटेबखेडे और दंगों का दौरा था। धीरे धीरे यह कटुता कम होनी गयी। और बाद में १९३० में सविनय भंग का आन्दोलन शुरू हुआ। १९२१ के जमाने की हिन्दू-मुस्लिम अकेला के अज्ज्वल दृष्य फिर दिखायी देना नामुमकिन था ! हिन्दू-मुस्लिम तनाजे और दंगों की मुसल-मानों को याद तो थी। लेकिन उसके कारण काँग्रेस के कार्य में बाधा नहीं पहुँची। लेकिन फिर भी मुसलमान जनता के प्रभाव-शाली नेता और अच्च श्रेणी के मुसलमान १९३० के आन्दोलन से दूर ही रहे। कुछ उसके खिलाफ रहे और कुछ अदासीन।

मुस्लिम जनता ने अब हजारों पुग्घ और रित्रियों को, बूढ़ों और बच्चों को खुशी से मातृभूमि की बेदी पर बलिदान करते देखा तो उसके दिल में अंक तरह की अप्रत्यक्ष सहानुभूति पैदा हो गयी। तिसपर भी यह कहा जा सकता है कि सविनयभंग के आन्दोलन ने हिन्दुस्थान के हर अके छोटे और बड़े शहर में कुछ मुसलमान शामिल हुये। तो भी सारी मुस्लिम जमात ने उस आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। जिसमें अंक अन्वद है। वायव्य सीमा प्रान्त में खान अबदुलगाफ्फार खॉ के अकृष्ट नेतृत्व में खुदाबी खिदमतगारों ने जिस धीरता से मुसीबतें शेलीं और कुरबानियां कीं उससे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत बल मिला। लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों ने आन्दोलन में खलल नहीं किया। और कॉंग्रेस ने भी मुसलमानों की भावना का आदर करने के लिये देश के कभी हिस्सों में अपने स्वयंसेवकों को यह हिदायत दी कि वे विदेशी वस्त्र की मुसलमानों की दूकानों पर धरना न दें। मतलब यह कि १९३० के आन्दोलन की तरफ मुसलमानों का रुख तटस्थता और कुछ मात्रा में अप्रत्यक्ष सहानुभूति का रहा। मुसलमान उस आन्दोलन की बुराई नहीं चाहते थे, बल्कि थोड़ी बहुत भलाई ही चाहते थे।

अब हम १९३९ की हालत पर नज़र डालते हैं। आधिये, हिन्दुस्थान के अधिकतर प्रान्तों में मुसलमानों का कॉंग्रेस के प्रति जो रुख है उसका थोडासा सिंहावलोकन करें। अूपर १९२१ की स्थिति का जो संक्षिप्त वर्णन किया गया है उससे क्या जिसकी कौड़ी समानता है? कतई नहीं। अगर कॉंग्रेस आज अंक सम्मिलित आन्दोलन शुरू कर दे तो क्या १९२१ के परस्पर सहयोग के दृष्य हम दुबारा देखेंगे? हरगिज़ नहीं। १९२१ में दोस्ती और भाजीचारे का

जो वायुमण्डल हमने देखा, क्या वह फिर देख सकेंगे? बिलकुल नहीं। तो कम से कम क्या हम १९३० के समान तटस्थता और अप्रत्यक्ष सहानुभूति के रुख की आशा भी कर सकते हैं? जिसके भी जबाब में कौड़ी 'हां' नहीं कह सकता। १९२१ या १९३० की हालत कुछ और ही थी। कॉंग्रेस को अपनी पचास साल की जिन्दगी में मुसलमानों के अितने विरोध और बिद्वेष का मुकाबला कभी नहीं करना पडा जितना कि आज करना पड रहा है। मुस्लिम जमात का बडा भारी हिस्सा सिर्फ हिन्दुओं के ही खिलाफ नहीं है जैसा कि १९२३-२५ तक था; वरन् कॉंग्रेसविरोधी है। वे कॉंग्रेस को मुसलमानों पर जुल्म करनेवाली संस्था मानने लगे हैं। वे उसे मुसलमानों के हित की दुश्मन मानते हैं। वे समझते हैं कि पहले अंग्रेज अुनपर हुकूमत करते थे और अुनके साथ ज्यादती और अन्याय करते थे; अब कॉंग्रेस कर रही है। देश के कौड़ी हिस्सों में वे कॉंग्रेस के खिलाफ हैं। युक्तप्रान्त में तो मुस्लिम और कॉंग्रेस का संबंध बहुत बुरा है। बिहार में भी ठीक नहीं है। दूसरे कॉंग्रेस शासित प्रान्तों में भी दबे हुये कॉंग्रेसविरोधी भाव हैं। यह सब मुस्लिमलीग के प्रचार का परिणाम है। अिन दो वर्षों में पड़े-लिखे मुसलमानों में और मुस्लिम जनता के अंक हिस्से में मुस्लिमलीग के अनुयायी अितने बढ गये हैं जितने कि पहले कभी नहीं थे। मुस्लिमलीग ने साफ तौर से कॉंग्रेस के खिलाफ प्रचार कर अपना असर कायम किया है और बढ़ाया है। कौड़ी शहरों में मुसलमानों ने राष्ट्रीय झंडे का और राष्ट्रीय धन्डे मातरम् का अंक हृद तक सफल विरोध और प्रतिकार भी किया है। यह कॉंग्रेस-विरोधी भावना पड़ेलिखे मुस्लिम नवजवानों में भी पैठ रही है। मुस्लिम जनता के प्रभावशाली नेताओं में से बहुत-से कॉंग्रेस के खिलाफ हैं।

वर्तमान परिस्थिति के गर्भ में क्या क्या है जिस के ये सब चिन्ह हैं। कुछ प्रान्तों में मुसलमान नवयुवकों को कबी तरह के नामों से स्वयं-सेवक दलों के रूप में संगठित किया जा रहा है। अतः सब बातों का जिन्हें वे मुसलमानों के हित के खिलाफ मानते हैं आक्रमणशील शारीरिक प्रतिकार ही जिस संगठन का आधार है। वे चाहते हैं कि कॉंग्रेस की ताकत जिस देश में जिससे अधिक न बड़े। प्रत्यक्ष कॉंग्रेस-विरोध के बीज जमीन की सतह पर चुपचाप पड़े हुये हैं। लेकिन आठ प्रान्तों की कॉंग्रेससरकारें अतः प्रान्तों में भयंकर अपद्रव नहीं होने देतीं। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति मुसलमानों का आज का रुख जिस तरह का है।

अगर आज हम राष्ट्रीय संघर्ष फिर से छेड़ दें तो उसके क्या क्या संभवनीय परिणाम होंगे? कॉंग्रेससरकारों को अस्तिफा- देना होगा और अतः उनकी जगह देश के प्रतिगामी दल के लोग लेंगे। राजनैतिक प्रतिगामी और जातिवादी लोग मजे में अधिकारग्रहण करेंगे। परिस्थिति आज से ठीक अलटो हो जायगी। राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करने के लिये प्रतिगामी शक्तियाँ अधिक बलवाम हो जायगी। राष्ट्रीय आन्दोलन से

संबंध रखनेवाली समाजों को, जुलूसों को और प्रदर्शनों को शायद प्रत्यक्ष शारीरिक प्रतिकार का भी सामना करना पड़े। कॉंग्रेस विरोधी सरकारों की हुकूमत में यह कोआ अनहोनी बात नहीं होगी। अतः सध का रूपांतर हिन्दू मुसलमानों के दंगों में आसानी से हो सकता है। मुझे जिसकी लम्बी-चोड़ी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। देश के जो कार्यकर्ता हमारी प्रान्तीय समस्याओं से परिचित हैं वे मेरी बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सब बातें सरकार से जानबूझ कर लडाबी छेड़ने के खिलाफ अके दलील के रूप में नहीं मानी जानी चाहियें। राष्ट्रीय आन्दोलन छेड़ने के विरुद्ध यह अके दलील हो सकती है या नहीं, जिसका निर्णय प्रत्यक्ष लडाबी के क्षण की परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन की १९२१ या १९३० की स्थिति में, और आज की स्थिति में, जो अन्तर है उसकी तरफ आख मूढ़ता मूर्खता होगी। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं को अतः सब बातों को निगाह में रखते हुये अपने आन्दोलन की गतिविधि निर्धारित करनी चाहिये। परिस्थिति के जिस पहलू की तरफ ध्यान न देना घातक होगा।

संघवृत्त

आजकल संघ के दफ्तर में गांधी सेवा संघ के सदस्य होने की अच्छा प्रकट करने-वाली कभी चिट्ठियाँ आती हैं। जिसलिअे सबकी जानकारी के लिये नीचे लिखी सूचनाये दी जाती हैं:—

सदस्यता की शर्तें और विधि संघ के विधान में दी गयी हैं। मंगाने पर विधान की प्रति भेजी जाती है। मांग के साथ

अगर अके आने का डाक का टिकट भी भेजा जाये तो अच्छा होगा।

परन्तु जो बातें विधान के नियमों के शब्दों में नहीं हैं, लेकिन उसकी मंशा में हैं, अतः पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अतः से कभी बातें संघ के नीचे लिखे प्रस्तावों में हैं।

प्रस्तावः—(१) सदस्यों से विनति है कि संघ के तीनों वर्ग के सदस्य बढ़ाने की वे

कोशिश करें। फिर भी सूचना करते यह सावधानी रखनी चाहिये कि:-

(१) एक राजनैतिक दल बनाने की अभिलाषा से सदस्यों की संख्या बढ़ाना हमारा ध्येय नहीं है।

(२) सदस्यत्व का अिच्छुक अपने या अपनी संस्था के लिये निर्वाह या सहायता प्राप्त करने की आशा से सदस्य बनने की अिच्छा न करता हो।

(३) अूमोदवार की गांधीजी के सिद्धान्त और कार्यक्रमों में श्रद्धा हो। वह अपने स्थान में अपनी शक्ति के अनुसार अन सिद्धान्तों और कार्यक्रमों को व्यवहार में लाने के लिये प्रयत्नशील हो। और अूस वर्ग के सदस्यों के नियमों में ठीक आ सकता हो। अैसे व्यक्तियों का संघ में दाखिल होना अिष्ट है और अुन्हें दाखिल करना कर्तव्यरूप है। (प्रस्ताव नं. १०, डेलांग सम्मेलन, मार्च १९३८)

(२) संघ के किसी सदस्य को किसी सरकार की कोअी नौकरी लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोअी अगर अंसा करना चाहे तो अुसे कार्यवाहक समिति की अनुमति पहले ले लेनी चाहिये। संघ का कोअी सदस्य अगर अबसे कोअी नौकरी लेना चाहे तो संघ का सेवक या सहयोगी सदस्य नहीं रह सकेगा। सहायक सदस्य रह सकता है।

(ना. १३ अगस्त १९३९ की कार्यवाहक समिति की बर्षों की बैठक में मंजूर)

अिसके अलावा निम्न बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है:-

(१) राजनीति में जो गांधीमत मानते हैं अथवा अुसके अनुसार केवल काँग्रेस का ही काम करते हैं वे अुतने ही कारण से संघ के सेवक या सहयोगी सदस्य नहीं बन सकते। हर एक सेवक और सहयोगी सदस्य का संघमार्थ किसी न किसी रचनात्मक कार्यक्रम से तात्लुक होना जरूरी है। काँग्रेस, धारासभा, म्युनिसिपालिटी आदि के काम करने में भी अुनका कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिये।

(२) खादी और अस्पृश्यता निवारण के बारे में सिर्फ अितना ही बस नहीं है कि सेवक खुद खादी पहने और अस्पृश्यता न माने।

और अुसके परिवार के लोग दूसरी तरह का व्यवहार करें। सदस्य के अूपर अवलम्बित और अुससे छोटी अुम्र के व्यक्तियों का व्यवहार भी भिन्न प्रकार का नहीं होना चाहिये। अिस विषय में परिवार में जब तक कोअी कठिनाअी हो तबतक संघ का सदस्य बनने या बनाने का मोह न रखना चाहिये। फिर भी अंसे व्यक्ति संघ के मित्र हो सकते हैं। और संघमार्थ कामों में सेवा या दान के रूप में सहयोग दे सकते हैं। अगर अुनकी वंसी अिच्छा हो तो संघ के अिस प्रकार के मित्रों का एक रजिस्टर बनाया जा सकता है। यदि वे सर्वोदय, हरिजन सेवक आदि पत्रों के ग्राहक बनेंगे तो गांधीविचार और गांधी सेवा संघ से अच्छी तरह वाकिफ रहेंगे। कार्यालय से विचार, परामर्ष आदि भी कर सकते हैं।

(३) संघ के सदस्यों में किसी भी कारण से मनमुटाव पैदा न होना चाहिये। अगर कोअी व्यक्ति सदस्य बनना चाहे तो बनने और बनानेवाले दोनों को यह जाँच लेना चाहिये कि अुस व्यक्ति के मन में किसी दूसरे सदस्य के प्रति अनादर, वैमनस्य या स्पर्धा का तो भाव नहीं है? अगर अंसा हो तो जबतक दिल साफ न हो जाये तबतक वह सदस्य बनने की जल्दी न करे।

(४) सदस्यता का कोअी नियम महज कागजी न माना जाय। अुदाहरण के लिये सूत कातने के नियम का भंग नहीं हो सकता। अगर कोअी करते हैं और अुसकी खबर भी नहीं देते हैं या दूसरी ही तिमाही में अपनी गलती सुधार नहीं लेते हैं तो वे एक महत्त्व का नियम तोड़ते हैं। अगर अख्यवष से मुक्ति नहीं मिली हो तो छोटामोटा तिमाही विवरण भी भेजना ही चाहिये।

(५) किसी को भी किसी वर्ग का सदस्य बनाने के पहले प्रायः संघ के प्रमुख प्रांतीय सदस्यों की राय ली जाती है। अिसलिये सदस्य बनने या बनाने की अिच्छा रखनेवाले व्यक्तियों को हमारी यह सलाह है कि वे अुनके द्वारा ही अपना प्रस्ताव भेजें।

किशोरलाल ध० मशरूत्राला

अध्यक्ष, गांधी सेवा संघ, दधार्ध।

क हा नी

(पाक्षिक)

यह क्या है ?

यह तो निर्विवाद है कि हिन्दी के श्रेष्ठ पत्रों में 'कहानी' सब से सस्ता पत्र है।

असमें क्या पढ़ोगे ?

आज की समस्याओं को छूती, शिकार की, मजदूरआन्दोलन, मानवजीवन के मर्षर्ष की अुत्तमोत्तम कहानियां पढ़ सकेंगे।

हिन्दी में प्रति मास प्रकाशित होनेवाले नूतन साहित्य का परिचय भी असमें मिलेगा।

कहानी विशेषांक प्रसिद्ध हो चुका है।

भारत और आफिरका, चीन और जापान, अिटली और जर्मनी, अमेरिका और यूरोप, ओशिया और ऑस्ट्रेलिया, संसार के सभी राष्ट्रों और जातियों की साहित्यधाराओं और कहानियों का यह २०० पृष्ठों का मंकलन ५० चित्रों ने भूषित है। मूल्य चार आना।

८०, पृष्ठ: दो आना, वार्षिक ३)

पुस्तकालयो को मात्र २॥ वार्षिक मे।

व्यवस्थापक; सरस्वती प्रेस,

बनारस कैंट (य. पी.)

सूचना—

'सर्वोदय' में आम तौर पर अिस्तहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। अिनके अिस्तहारों के दाम नहीं लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर अिस्तहार छापे जायेंगे। जो साहित्य या संस्था निर्विवादरूप से लोकोपयोगी है, अुसीको स्थान दिया जायगा। यह व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी।

व्यवस्थापक, 'सर्वोदय', वर्धा।

गांधीजी की महत्ता

गांधीजी जिस तरह कीतामय के विचारों को हम अपने अर्थों तथा वैशिश्य के तहत समझेंगे। उनके विचारों के फल के रूप में वे हमें हमारे कर्मों को भी रहे हुए। जिसका अर्थ है जैसा महात्मा जी ने सफल है जैसा हमारे का भी होगा। जिसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। परन्तु गांधीजी का अर्थ—जिसकी अवलोकन प्रथम कर्मसमय भाग में अपने आम जन की वस्तुस्थिति पर मन्थन की गयी। उन्होंने जिसके विशेष अर्थों के प्रकार के प्रयत्न करने की संभावना अत्यन्त ही है उस शील या चरित्र का—जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है अर्थ जीवन-निष्ठ हमारे सदा बहुत कम पाए जाते हैं। गांधीजी की जीवनी ही यही विशेषता है। उनके सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक या हमारे अन्तर्गत सभी लोगों को समझ नहीं आयेगी। जिसमें उनके नोट कर हमारे अर्थों को हमें। लेकिन शील या चरित्र ही जो महत्ता अर्थात् बतलायी गयी है अर्थ दृष्टि में महत्त्वा साधना की ही। साधारण मन्थन के लिए आदर्श का काम देगी जिसके विषय में हमारे समय में न कोई मनभेद है, जो न हो सकता है।

१६-३-१९१८

—बाल गंगाधर तिलक

प्रकाशक:—दादा धर्माधिकारी, बजाजवाड़ी, वर्धा (मध्यप्रान्त) ।
 मुद्रक:—बल्लभदास जाजू, श्रीकृष्ण छापखाना लिमिटेड, बच्छाज रोड, वर्धा ।

स'वो द् य

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

सम्पादक

काका काल'लकर

दादा ध'माधिकारी

सं. २ रा

अंक ४ था

नवम्बर

१९३०

अंक अंक	रु०	०-६-०
वार्षिक	रु०	३-०-०
बर्मा में	रु०	३-८-०
विदेश में	६ शिलिंग	
			१.५० डॉलर.
(सब डाक सहित)			

अनुक्रमणिका

१. अशावास्योपनिषत् (विनोबा)	१६५
२. वर्धाशिक्षा का हार्द-अनुबन्ध (श्री काका कालेलकर)	१६६
३. बंगाल के ग्रामों में कस्तिनों के बीच (श्री हेमप्रभादेवी दासगुप्त)	१७०
४. राजनैतिक कार्य की व्याख्या (विनोबा)	१७३
५. कौअे की नज़र से (आश्रमवासी अुल्लू)	१८०
६. किस ओर ? (श्री किशोरलाल घ. मशरूवाला)	१८४
७. काशी का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (श्री काका कालेलकर)	१८७
८. अनुबन्ध और समवाय (आचार्य स. ज. भागवत)	१९३
९. सर्वोदय की दृष्टि	१९५

फिजूल माथापच्ची हुआ, अहिंसा-संघ; 'अन तीनों की टोली और हम पच्चीस अकेले !'; अरण्य में जाने के क्या मानी हैं ?; शान्ति-परायणता; ब्रिटिश साम्राज्य का बुढापा?; मेरी काशी-सम्मेलन यात्रा; बाप्पा जयन्ती; बापा जयंती; माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न; 'समवाय' और 'अनुबन्ध'; अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का प्रस्ताव; बडे लाट की घोषणा; फिर 'ड' और 'ळ'; देवों का काव्य; आश्रम के अुल्लू और सवाबी का वियोग !

१०. बूढी संजम्मा—अेक हरिजन कस्तिन (श्री हृणमंतराव कीजलगी)	२०९
११. संघवृत्त	२१०
१२. वाक्य परिचय	२११

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादा धर्माधिकारी

नवम्बर, १९३९
वर्षा

अीशावास्योपनिषत्

[विनोवा]

मंत्र—यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

अर्थ—जो आत्मा में समस्त भूतमात्र और समस्त भूतमान में
आत्मा को देखता है वह फिर (किसी भी वस्तु में) अज्ञता नहीं ।

टिप्पणीयां—(१) " ततो न विजुगुप्सते " की जगह " ततो न विचिक्रमति " असा
पाठभेद है । अुसका अर्थ होगा " अुसे फिर किसी भी प्रकार का सदेह नहीं रह जाता ।

(२) अिससे समानार्थक—

सर्वं भूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
अीक्ष्यते योग्य मुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (गीता ३-२०)

मंत्र—यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः ।
तत्र कां मांश्च कः शोक अेकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसके लिये सभी भूतमात्र आत्मरूप हो गये हैं, अुस अेकत्व
अनुभव करनेवाले जानी को मोह कहाँ, और शोक कहाँ ?

टिप्पणी—अीशावास्य से गीता का निकट संबंध है । यहां के 'शोक' और 'मांश्च'
शब्द तो गीता की कथा का भी स्मरण दिलाते हैं ।

(मराठी से अनूदित)

वर्धा योजना का हार्द-अनुबन्ध

[काका कालेलकर]

जो लोग कभी 'शिवदा' नहीं पाते किन्तु जीवन-व्यवहार में जागरूक रह कर अपने ज्ञान की और अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि करते रहते हैं अंसे लोगों में अंक किस्म की स्फूर्ति, प्रत्युत्पन्नमति और आत्मविश्वास पाया जाता है। इसका कारण यह है कि वे निरे ज्ञान के पीछे लगे नहीं रहते। अन्हें तो केवल जीना है। खाना, पीना, निरांगी रहना, हर चीज को समझकर अुससे लाभ अुठाना, अपनी कर्तृत्वशक्ति को बढ़ाना, हृदय से प्रेम करना और अपने व्यक्तित्व का विकास करके जीवन को समृद्ध करना यही अुनके जीवन का अुद्देश्य होता है।

अिनके मुकाबले में, जो लोग केवल धन-संप्रह बढ़ाना चाहते हैं, केवल साधन-संपत्ति का ढेर लगाना चाहते हैं, जानकारी का बोझ बढ़ाकर अुसके नीचे अपने आपको दबा लेना चाहते हैं—अुनका जीवन सचमुच असमर्थ और दयनीय बन जाता है।

जितनी भूख हो अुससे जो आदमी अधिक खाता है अुसका शरीर बिगड़ जाता है, दुर्बल हो जाता है। अुसका अुत्साह गायब हो जाता है और जिस प्राथमिक प्रेरणा से वह खाता है अुसकी तीव्रता और अभिरुचि भी कषीण और विकृत हो जाती है। जितनी भूख हो अुससे अधिक खानेवाले को, और बिना भूख खानेवाले को भी खाद्य वस्तु का पूरा आनन्द नहीं मिलता। अुसकी जीभ की सामर्थ्य कम हो जाती है। सूक्ष्म भेद तो वह परख ही नहीं सकता। श्वास से दुर्गन्ध निकलती है। दांत कमजोर हो

जाते हैं। मुख की कान्ति मलिन हो जाती है और अन्त में अपचन, बद्धकोष्ठ, अतिसार आदि अनेक रोगों का वह भक्ष्य बन जाता है।

वही आदमी अगर खाने के पीछे न पड़ कर सफलतापूर्वक जीने के पीछे पड़ेगा, जमीन खोदना, लकड़ी काटना, पानी में तैरना, दीड़-घूप करना, बोझ ढोना, घोड़े पर बैठ कर सँर करना, अित्यादि आनन्ददायी जीवन-व्यवसायों में मस्त रहेगा और कषुधा निवारण के लिये ही खाने का खयाल रखेगा तो वह पहले की अपेक्षा ज्यादा खा सकेगा। अुसको खाने में अधिक आनन्द आयेगा और वह चाहे जितना खा जावे, बेमौके भी खा जावे तो भी अुसे भोजन का बोझ ही नहीं मालूम होगा। पशुपक्षी प्रकृति की प्रेरणा से बफादार रहते हैं अिसलिये अुन्हें कभी बदहजमी हुआ ही नहीं। जंगल के पशुपक्षी और बन्दर सारा दिन घूमते रहते हैं, कूदते-अुछलते रहते हैं और खाते रहते हैं। अुनको कभी भी बदहजमी नहीं हुआ है। बदहजमी केवल मनुष्य के लिये और मनुष्य के साथ संबंध रख कर बिगड़े अुअे पशुपक्षियों के लिये है।

भोजन के बारे में अूपर जो बात हमने देखी वही ज्ञान और धन पर भी लागू होती है। हम भोजन के पीछे न पड़ें। केवल जीवन के पीछे पड़ें। जीते जीते जितना भोजन लेना पड़ा अुतना ही ले लिया यही नियम अगर हम ज्ञान को लागू करें और बेकाम ज्ञानसंप्रह न करें तो ज्ञान के अपचन से जो बौद्धिक

क्षीणता आती है, नैतिक निर्णय में जो अनिश्चय आ जाता है, वे दोष जीवन में नहीं आयेगे। मिहनत-मजदूरी से जैसे भूख प्रखर होती है उसी तरह जीवन-व्यापार को जब हम बुद्धियुक्त, हेतु-युक्त और विशाल-योजनायुक्त कर देते हैं तब जिज्ञासा और चिकीर्षा* रूनी भूख तो अतनी बढ़ती है कि तमाम दुनिया की जानकारी बुद्धि-गत करने पर भी और हर किस्म की कारीगरी हस्तगत करने पर भी अंनका बोझ नहीं मालूम होगा।

आहार सेवन में हम भोजन-परायण न बने, जीवन-परायण बने। शिक्षा-ग्रहण में भी हम ज्ञान-परायण न बनें, किन्तु जीवन-परायण ही बने। और साधन-संग्रह में भी हम अंगर सम्पत्ति-परायण न बनें किन्तु जीवन-परायण ही बनें तो हमारा जीवन निरोगी, समर्थ और संपन्न होगा और शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रोगों से हम सर्वथा मुक्त हो जायेंगे। हम अत्कटता से जीने का प्रयत्न करे। जीवन के सबके सब पहलुओं का विकास करते जायें तो जीवन का हर अंग-प्रत्यंग अपने साथ अनुबद्ध सब जानकारी और कारीगरी अपने आप मांग लेगा। और जिस चीज की मांग कुदरती तौर पर नहीं हुआ है उस चीज का व्यर्थ संग्रह करने का लोभ हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। (मामूली शिक्वा से ही अंक अदाहरण ले लीजिये। गुणाकार के बिना गणित-व्यवहार नहीं चल

* चिकीर्षा—हमारी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की सतत व्यायामशीलता; अपने अपने विषय को स्पर्श कर अंन विषयों का और अपनी शक्ति का परिचय करने का अंनका व्यापार। यह जिजीविषा का अंक आवश्यक अंग है।

सकता। गुणाकार को शीघ्रता से करने के लिये हम पहाड़े सीखते हैं। जो लोग ज्ञान-परायण हैं वे लोग अंक से लेकर हज़ार, लाख या करोड़ तक के पहाड़े बनाकर अंन कंठ करने के लिये बैठ जायेंगे और उसी व्यापार में अंनक्ष कर मर जायेंगे। अंसके विपरीत जो लोग जीवन-व्यवहार को ही प्रधान मानते हैं वे जानते हैं कि बीस या तीस से आगे पहाड़े कुछ काम के नहीं। अंनमें लाभ कम है, निरा बोझ ही बोझ ज्यादा है। अंसमें भी जो लोग केवल ज्ञान-परायण हैं अथवा अंभे हैं वे अंनसे ले कर बीस तक के पहाड़े कंठ करते रहेंगे और आगे जा कर जिन पहाड़ों का व्यवहार में कुछ काम है अंनको भूल जायेंगे। जिनको गणित की पर्वाह नहीं किन्तु व्यवहार की है वे लोग ग्यारह, तेरह, चौदह, सत्तरह, अठारह और अंननीस के पहाड़े नहीं पढ़ेंगे। हफ्ते के दिनों की गणना करनी है अंसलिये सात का पहाड़ा अंनपयोगी है। दर्जन का और हफ्तेअंनों का व्यवहार में बारबार अंनपयोग होता है अंसलिये बारह और सोलह का पहाड़ा आवश्यक है। डबल रोटी के भटियारखाने में तेरह रोटियों का दर्जन होता है वहां तो बारह के साथ तेरह का पहाड़ा भी याद करना पड़ेगा। संक्षेप में, जिस ज्ञान की व्यवहार में आवश्यकता अधिक हो उसी ज्ञान को हम दृढ़ते रहेंगे। वही आप ही आप स्थायी बनता जायगा और बाकी का ज्ञान विस्मृति-प्रवाह में बहकर अंनस्तिक का बोझ कम करेगा। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना और अंनकम्मी वस्तुओं का त्याग करना यह सिद्धान्त जैसे हर अंक कोठे में, पुस्तकालय

में, म्युनिसिपैलिटी में जितना आवश्यक है अतना ही ज्ञानसंग्रह में भी आवश्यक है। और घन के बारे में तो इस सिद्धान्त-पालन की आवश्यकता अत्यधिक है।)

अनुबन्ध का सार्वभौम सिद्धान्त यही कहता है कि जीते चले जाओ। जीवन को शुद्ध समर्थ और समृद्ध बनाते जाओ। अब, जीने के लिये परिश्रम आवश्यक है, आहार आवश्यक है, आजीविका का साधन और कौशल्य आवश्यक है, सामाजिक संगठन आवश्यक है। इन सब सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो कुछ जानकारी और दस्तकारी जिस क्रम से आवश्यक होती जायेगी उसी क्रम से अनुकी अुपासना करो और वृथा संग्रह का लोभ न करो। व्याख्यान में असंबद्ध बातें लाने से जिस तरह व्याख्यान नीरस और भाररूप हो जाता है उसी तरह शिष्यव्यापार में वास्तविक जीवन के साथ जो जो बातें अनुबद्ध है, असम्बद्ध है, अनुका भी समझना चाहिये।

अनुबद्ध शिक्षा-पद्धति में जो अभ्यास-क्रम (सिलेबस) दिया जाता है वह केवल सूचना मात्र के लिये होता है। वह अनुभवी लोगों की सिफारिश होती है। वर्षा योजना में जो अभ्यासक्रम दिया है उस में यही बड़ा दोष रह गया है। क्योंकि वर्षा योजना को बनानेवाले हम लोग ज्ञान-परायण थे, जीवन-परायण नहीं थे। ज्ञान के प्रेमी और ज्ञान के लोभी हम लोगों ने अनुमान कर लिया कि जीवन में इन इन बातों की आवश्यकता रहेगी ही और इनका अनुबंध जीवन के साथ सिद्ध होगा ही। आज भी मैं यह नहीं कहता कि सिद्ध नहीं होगा, किन्तु केवल अभ्यासक्रम देना हमारा काम नहीं था।

क्रान्ति करने निकले हुये हम पुरानी लकीर के फकीर बन गये। हमें बताना चाहिये था कि जीवन-शुद्धि, जीवन-सामर्थ्य और जीवन-समृद्धि के पीछे पीछे जाते हुये हमें कुदरत के साथ कौन कौनसा परिचय बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। जीने के लिये जो आजीविका हस्तगत करनी पड़ती है उसे सिद्ध करते करते हमें यह बताना चाहिये था कि हमें कौन कौन सा कौशल्य हासिल करना चाहिये। हर अंक कौशल्य के साथ कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है यह हम आसानी से बता सकते। हर अंक शिष्यक को यह रवातन्त्र्य होना ही चाहिये कि आजीविका के किसी हुनर को सिखाते हुये उसके साथ कितनी जानकारी और दस्तकारी विद्यार्थियों के सामने रखी जाये और हर अंक विद्यार्थी को भी यह अधिकार होना ही चाहिये कि उसके सामने जो कुछ परोसा जाता है, उसमें से वह कितना खाये। विद्यार्थी अगर बेदरकार है, आलसी है तो इसका अिलाज यह नहीं है कि हम उसे अपनी जबरदस्ती का गुलाम बनावें। शिष्यक अगर कर्तव्य-परायण नहीं है तो उसका अिलाज यह नहीं है कि हम उसके पीछे अिन्सपेक्शन के कुत्ते लगा देवें। जो शिष्यक कर्तव्य-परायण नहीं है उसको हम सुधारने की कोशिश करें अगर सुधारने का माहा उसमें नहीं है तो उसे छोड़ दे। किन्तु उसपर हम अविश्वास करें, उसके अपर चौकी रखें, धाक बता कर उससे काम लें और उसको अपमानित करें यह हमारा अधिकार नहीं है और शिष्यका इसमें लाभ भी नहीं है।

हम जानते हैं कि हमारे शिष्यकों की अध्यापनकला मामूली होती है, अनुकी जान-

कारी अत्यल्प होती है। अन्नकी कर्तव्यबुद्धि भी बहुत ही क्षिणिल होती है। अन्न सब कमियों को दूर करने का अिलाज यह नहीं कि हम अन्नस्पेक्टस रखें। हमें तो अन्न-के लिये परिव्राजक, "गुरुणां गुरुः" को नियुक्त करना चाहिये। धर्मप्रचारक जिस तरह से लोगों में धर्मसाधना का अत्साह बढ़ाने ही चारित्र्यशुद्धि की अुमंग पैदा करते हैं अुमी तरह शिक्षा प्रचारकों को देश में घूम घूम कर शिक्षा सस्थाओं में जाना चाहिये और शिष्यामित्र बन कर शिष्यकों की जानकारी षडानी चाहिये। अन्नके आदर्शा को चडाना चाहिये।

किन्तु अभ्यासक्रम का अन्तिम निश्चय तो शिष्यको के ही हाथ में रखना चाहिये। हमारे छपे हुये शिष्याक्रम तो सूचनामात्र है। हर अेक स्थान पर विद्यार्थी और अध्यापक के सामाजिक सहयोग के द्वारा जो कुछ भूख पैदा होगी अुमीकी तृप्ति करना सार्वभौम नियम रहना चाहिये।

अगर अिसी बात को दूसरे शब्दों में स्पष्ट

***विजिगीषा**—किसीको परास्त करके अुस पर विजय पाना, अुसे अपने कानू में रखना और अुसका स्वामी बन जाना। विजय की अिच्छा—विजिगीषा।

***जिजीविषा** माने जीने की अिच्छा। हम अपने जीवन को सिद्ध कर, अुसे समझ लें, अुसे कृतार्थ करें। अिस धारणा को जिजीविषा कहते हैं।

†**सिसृक्ष्वा**—हालांकि मनुष्य स्वयं अेक सृष्ट पदार्थ है तो भी अपनी बुद्धि के कारण वह विधाता का सहयोगी भी है। अुसके सामने जो विश्व फैला हुआ है अुसको पहचानना और अुसके अन्दर अपने जीवन को सिद्ध करने के लिये कुछ न कुछ कार्य करते रहना अितने से अुसको सन्तोष नहीं होता। वह अपने मन में कुछ न कुछ योजना तैयार

करना हो तो हमें शिक्षा-क्षेत्र में जिज्ञासा को और *जिजीविषा को केन्द्र में न रख कर *जिजीविषा की शिक्षा का केन्द्र बनाना चाहिये। जिजीविषा के साथ चिकीर्षा और सिसृक्ष्वा आ ही जाती है और अन्नकी तृप्ति के लिये जिज्ञासा आप ही आप बढ़ती जाती है। केवल जिज्ञासा और विजिगीषा को नजर के सामने रखने से अुपाज्जन-बुद्धि, संप्रह-बुद्धि, द्रोह और हिंसा बढ़ने लगती है और मानवता का नाश होता है। खाद्यलोभ, धनलोभ और ज्ञानलोभ तीनों असामाजिक है और 'लोभमूलानि पापानि' के सूत्र के अनुसार पापमूलक है। जहां लोभ है वही विजिगीषा है, द्रोह है, हिंसा है। जहां केवल जिजीविषा है, चिकीर्षा है और सिसृक्ष्वा है वहां सहयोग, सेवा, शुद्धि और अहिंसा है। जब शिक्षा-प्रवृत्ति की आद्य प्रेरणा में ही अिस तरह परिवर्तन हो जायेगा तब जीवन व्यापार में से ही शिक्षा-व्यापार फलित होगा; और अन्न दोनों की सिद्धि के लिये अनुबन्ध की खोज स्वाभाविकतया सिद्ध होगी।

कर लेता है और अुसमें अपने घटना-कीशल्य को आजमाना चाहता है। वह जिस प्रकार सृष्ट है अुसी प्रकार सर्जक भी बनना चाहता है। अिसी प्रेरणा से वह मातृपद और पितृपद का अधिकारी बनता है। अिसी प्रेरणा से वह समाज-व्यवस्थापक बनता है। यही प्रेरणा अुसे कलाधर और कवि बनाती है। और जब वह सुधारक या क्रान्तिकारी बन जाता है तब भी वही सिसृक्ष्वा—निर्माण करने की वृत्ति अुसकी प्रेरक होती है।

जब कोभी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके समाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होता है तब भी अुसमें सिसृक्ष्वा का अभाव नहीं होता। किन्तु नीचे की भूमिका पर अुसका विस्तार रोक कर अुसी प्रेरणा को अुपर आत्मिक क्षेत्र में वह ध्यक्ति ले जाता है।

बंगाल के ग्रामों में कत्तिनों के बीच ।

[हेमप्रभादेवी दासगुप्त]

अस बार में नवाखाली जिले में करैया बाज़ार की कत्तिनों के केन्द्र में दो दिन थी। कत्तिनों से भेटगाठ और बातचीत प्रतिदिन ही होती थी। वहां की स्त्रियों में पर्दा बहुत है। दिन में बाहर नहीं निकलतीं। असलिये मैं ही उन लोगों से मिलने गयी।

रात को खाने-पीने के बाद जब मैं सोने जा रही थी, उस समय कुछ भद्र परिवार की स्त्रियां दो मील दूर के गांवों से आयीं। उन लोगों ने आते ही कहा कि वर्षा की कीचड़ में पैदल ही चल कर हम लोग आपसे मिलने आयी हैं। पूछा, "अतना कष्ट भुठा कर आप लोग अतनी रात को क्यों आयीं?" उन लोगों ने जवाब दिया, "आप जैसे अतने बड़े त्यागी, देवतुन्य व्यक्ति को देखने के लिये आयी है। आपको देखने में भी पुण्य है।" अित्यादि। सब मुझे उनसे कुछ कहने का मौका मिला। देश की अवस्था, गांव की हालत व कत्तिनों के विषय में उन लोगों से कहा। उन लोगों के पहनने की भील की सुन्दर पाड़-वाली साडी की बात कही। खादी पहनने की आवश्यकता बतायी। अंत में कहा, "आप लोग हमको देखकर पुण्य कमाना चाहती हैं, सो तो पहले ही मुन चुकी हैं। किन्तु हमें

देखने में कोभी पुण्य नहीं है। पुण्य खादी पहनने में है। आप लोग यदि अिन कपडों को छोड़ कर अिन गांव की कत्तिनों के काते हुये सूत के कपडे पहन सके तो अससे बढ़कर पुण्य और किसी चीज़ में नहीं है। "दरिद्रनारायण" की बात हिन्दू धर्म में चिरकाल से प्रचलित है। दरिद्र की सेवा करने से नारायण की सेवा होती है। वह सेवा किस तरह होगी? दरिद्रों के श्रम से बनी हुयी खादी पहन कर प्रतिदिन अुन्हे भोग चढ़ाने का अिन्तजाम कीजिये। मन्दिर में जो देवता हैं अुनकी अपेक्षा अिन जाग्रत देवताओं की सेवा में कहीं अधिक सार्थकता है।"

करीब करीब घंटे भर खादी के सम्बन्ध में बातचीत होने के बाद अुनके दिल पर हमारी बात का असर हुआ। अुन लोगों ने कहा, "हम लोग खादी पहनेंगी। असके पहले किसीने भी खादी और चरखे के सम्बन्ध में हमे अस तरह की बातें नहीं कही थीं। आज हम लोग आपकी बातों से लज्जित हुयी। फिर जब आप आयेंगी तब देखेंगी कि हम लोग खादी पहने है। यदि हो सके तो आप अेक दिन और रहें। बहुत सी स्त्रियां आपसे मिलने आयेंगी।

यदि और स्त्रियों को भी समझा कर राजी कर सके तो खादी चलने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। घर के पुरुषों के समझने से खादी चलने की नहीं। स्त्रियों के ही समझने से खादी चल सकती है। बिसालिअे आपका यहां रहना जरूरी है।”

मैने कहा, “अभी तो यहां नहीं रह सकती हूँ। कभी जगह जाना है। आप लोग जो हमसे मिलने आओं है वे ही अभी खादी पहनना शुरू करें। गांव की स्त्रियों को मेरी ओर से समझाअियेगा। यदि खबर पाओगी कि आप लोगों ने मिल के कपडे को बिल्कुल त्याग कर खादी ही शुरू कर दी है तो निश्चय ही जितने दिनों की आवश्यकता होगी आ कर आप लोगों के साथ रहूंगी। आप लोगों की खादी ही हमें खींच कर यहां ले आयेगी”।

ये सब बातें हो ही रही थीं कि अितने में मल्लाहों की स्त्रियों का अेक झुंड आया। अिन लोगों के साथ पैसे के लेनदेन का कोअी सम्पर्क नहीं था। ये लोग भी दर्शन करने के लिये ही आयी थीं। अिन लोगो के पुरुष मछली पकड़ते हैं; स्त्रियां घर घर जा कर अुन मछलियों को बेचती है और मछली पकड़ने का जाल बुनती है। अिन लोगों के साथ भी अुमी तरह चरखे और खादी की बातें हुईं। अिन लोगों को समझाने में कोअी दिक्कत नहीं हुई। अेक मल्लाह की स्त्री ने सूत कातने वाली कत्तिनों की बात कही। “और, बेचारी सब अितने कष्ट से सूत कात कर पैसा ही क्या पाती हैं?” अिस पर मैने कहा, “यदि अुन लोगों के लिये तुम्हारे दिल में दर्द है तो अुनके लिये थोड़ी तकलीफ क्यों नहीं अुठानी?

कुछ आगे बढ़ कर अुन लोगों के सूत की अितने कष्ट से तैयार की हुई चीजों को क्यों नहीं पहनती।”

गत बार अीद के समय यहां हिन्दू मुसलमान के बीच अेक दंगा हो गया था। अिस-लिये जानबूझ कर अपने किसी भी कर्मी को बिना साथ लिये अुजे में मुसलमानों के टोले में गयी। शाम हो गयी थी। स्थानीय मुसलमान लडकों को साथ ले कर कीचड के बीच से जंगल-झाड की राह से चल कर अुनके मुहल्ले में अुन्हें समझाया और प्रश्न भी पूछे। कहीं भी अुत्तेजना की बू नहीं मिली। अेक आदमी से पूछा, “यहाँ तो फी सैकड़ नब्बे मुसलमानों की आबादी है। तो भी तुमसोग हिन्दुओं से डरते हो?” अुन्होंने जवाब दिया,—“भय तो नहीं करते, किन्तु लडका में भी ‘मिखारी और मक्के में भी चोर’ होते है। यह बदमाशों की करतूत थी।” हिन्दुओं के साथ भी बातें हुईं। यह बात सत्य है कि मुसलमानों के लिये अुनके दिल में दर्द है किन्तु बाहर से जा कर जो अुनके अन्दर द्वेष मुलगाया जाता है अुसका भी असर कुछकुछ देखने में आया। आज अुमका पूरा असर न भी हुआ हो, किन्तु भविष्य में होगा अगर अुनके बीच हम अपना काम जारी न रखते।

दगे का कारण यही था कि जब अीद के दिन मसजिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे किसीने आ कर कहा कि दूर दूर के गांवो में हिन्दू लोग मुसलमानों का खून कर रहे हैं। यह खबर चारों ओर फैल गयी। नमाज पढ़ना तो बन्द ही हो गया। लोग पागल की तरह लाठीगंडासा हाथ में ले कर मारामारी करने के लिये दौड़े। न अिसके

पहले कोअी गोलमाल था और न अब है। वास्नत्र मे वे लोग पढ़ीसी है और अेक ही जगह बसते हैं। अंसी हालत मे दुस्मनी करके वे कभी बच नहीं सकते। मे तो बहुतसे मुसलमानों से मिली। अिनके बीच भी कोअी हिन्दू-विरोध का भाव देखने में नहीं आया। बल्कि अस अंचल में कताओ व बुनाओ का काम चल रहा है असलिये खुद-ब-खुद अुनके बीच आपस में अेक तरह का प्रेमभाव पैदा हो गया है।

हिन्दू जुलाहे व मुसलमान कत्तिने अेक ही दरिद्रता के शिकार है। अेक ही पानी और मिट्टीपर पले हुअे है। अिन लोगों के बीच स्वभाव से ही आपस में मेल है। फिर भी यह ठीक है कि खादी मे जो परस्पर मेल बढ़ाने की ताकत है वह अस अंचल में अभीतक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पायी है। असमें कर्मियों की ही श्रुटि है। बहुत से शिक्षित हिन्दू व मुसलमान गांव मे बसने हैं तो भी अुन्हें यह

मालूम नहीं कि खादी अेकता पैदा करने में व कायम रखने में कितनी बडी सहायक है। हमारी आलोचना के द्वारा अुनके सामने ज्यों ही यह बात साफ हो गयी कि वे सबके सब अस बात पर राजी हो गये कि स्थानीय खादी पहनना अुनके लिये अनिवार्य व निहायत जरूरी है। मे जानती हूं कि अुनका यह भाव केवल वषणिक था। यदि यह भाव अुनके दिल मे स्थायी रूप से बैठ जाय तो अुनका स्थायी कल्याण होना निश्चित है।

अुनके बीच आपसमें फूट पैदा करने का काम तो बराबर जारी ही है। अुन्हें अससे बचावे रखने के लिये निरन्तर जाग्रत चेष्टा की जरूरत है। अस अभागे देश के वास्तविक दुख का अन्त ही नहीं है। असपर भी परस्पर फूट पैदा करने की जो चेष्टा चल रही है, न मालूम अुसका नतीजा क्या होगा।

बंगला 'राष्ट्रवाणी से अनूदिन'

अैसे मे यह कहना हूं कि असत्य या हिंसा से स्वराज्य मिले तो मुझे नहीं चाहिये, अुमी तरह मे आज यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू-मुसलिम अेकता के बिना स्वराज्य मिले तो मुझे अंसा स्वराज्य भी नहीं चाहिये। क्यों कि मे तो यह चाहता हूं कि आजाद भारत में न हिन्दू मुसलमानों के मातहत हों और न मुसलमान हिन्दूओं के। मे तो सबको समान, रूप से देखना चाहता हूं। शायद आपको अस सवाल का यह पहलू कुछ नयासा मालूम पडे। अगर आपके लिये यह चीज नअी है तो मेरे लिये भी बिलकुल नअी है। कोअी सीधा रास्ता नजर नहीं आता। सामने तमाम अंधेरा है। लेकिन अितना विश्वास जरूर है कि श्रद्धा से कदम बढ़ाअूं तो मुकाम पर पहुंच ही जाअूंगा।

गांधी सेवा संघ, डेसांग सम्मेलन }
ता० २८ : ३ : ३८

—गांधीजी

राजनैतिक कार्य की व्याख्या

(विनोबा का एक प्रवचन)

मित्रो,

प्रास्ताविक

यहां जितने प्रश्न अठाये गये हैं कि यदि हर एक पर मैं अपनी राय द तो वक्त पर काम खतम नहीं हो सकेगा। जिसलिये मैं कुछ थोड़े प्रश्नों पर ही अपने विचार उपस्थित करूंगा।

पहले गोरक्षा का प्रश्न लेता हूं। जिस तरह हम खादी के बारे में घंटों बहस कर सकते हैं और लोगों को जानकारी दे सकते हैं, वही हाल गोरक्षा का भी है। यह विषय खादी से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिसमें अभी प्रयोग के लिये काफी गुंजायिश है। यहां रामबास भाजी एक मामूली-सा प्रयोग कर भी रहे हैं। मैंने भी जिस प्रश्न का काफी विचार किया है और अपने विचारों का दूसरों के विचारों से मिलान करके भी देखा है। लेकिन जिस विषय में मैं आज यहां कुछ नहीं कहना चाहता। विषय को कम महत्त्व का मान कर उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। वह जितने महत्त्व का है कि थोड़े वक्त में उस पर कहना मुश्किल है, जिसलिये छोड़ देता हूं।

खादीयात्रा का स्वरूप

अब खादीयात्रा के स्वरूप का प्रश्न लेता हूं। सोनेगांव (बर्धा) की खादीयात्रा के वक्त मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जिसलिये मैंने यह तय किया था कि खादीयात्रा में कम से कम भाग ले कर लौटा करूंगा। खादीयात्रा की मुख्य विधि, यानी तकली अुपासना, में घरीक होने के लिये जा कर वापस आने

का मैंने निश्चय किया था। लेकिन वहां भी बोलना तो मेरी किस्मत में बड़ा ही था। वहां के अपने व्याख्यान में मैंने खादीयात्रा की मुख्य विधि कौनसी है, जिसका विवेचन किया था।

खादी-जीवन का मध्यबिन्दु

मनोहरजी के शब्दों में कहू तो खादीयात्रा का मुख्य अद्देश है, 'खादीजीवन'। खादीजीवन में जिनकी श्रद्धा है वे यहां अिकट्ठे होते हैं। उसी जीवन का मध्यबिन्दु है कातना। अतना काम पूरा किया और चलते हुये। खादीयात्रा की मुख्य विधि के विषय में मैंने इसी आशय का व्याख्यान दिया था। लेकिन वह बात अमौक्तिक किसीके गले अुतरी नहीं दीखती। अुसी बात को आज फिर समझाने की कोशिश करता हूं।

जिस साल की खादीयात्रा में कताजी के कार्यक्रम के लिये रोज़ चार घंटे रखे गये हैं। यानी कातने को बहुत महत्त्व दिया गया है। लेकिन तिसपर भी मुझे अतना भी सन्तोष नहीं है जितना कि पार साल था। नियत समय पर, नियत स्थान पर, सबको अेकत्र हो कर तकली पर कातना चाहिये। चरखा नहीं चाहिये। तकली ही चाहिये। तकली सोचसमझ कर मुझायी गयी है। चरखा समुदायिक अुपासना के लिये अनुकूल नहीं है। तकली अुपयुक्त है। चरखे का कभी कुछ कभी कुछ विगड़ता है। कभी माला ही टूट जाती है। चरखा आवाज भी करता है। वह सबके पास नहीं होता।

असलिबे किसीके पास चरखा और किसीके पास तकली असा भेद हो जाता है। असिलिबे तकली के लिबे आग्रह है। आप चाहे व्याख्यान न सुनिये। आप भोजन से भी रुखसत ले लें, तो भी हर्ज नहीं। लेकिन अपने भावी-बंदों के साथ सम्पूर्ण मोन रख कर, आध घंटा सुव्यवस्थित कातने की आपको भूख लगनी चाहिबे। अतना भाग सभीको ले कर अपनी भावना अवश्य प्रकट करनी चाहिबे। लेकिन यहां सब लोग नियोजित समय पर अिकटूठे नहीं हुअे थे। असलिबे हम खास कर जिस काम के लिबे आये हैं वही करने में चूक गये।

जो यहां की सारी व्यवस्था के लिबे जिम्मेवार हैं, उनमें से अक मुझसे कहने लगे, "आपका व्याख्यान सुनने आये असलिबे अधर रसोअी वक्त पर नहीं बन सकी और भोजन मे देर हुअी। असिलिबे कअी लोग समय पर तकली-अुपासना में नहीं आ पाये।" मैं कहता हूं कि मेरा व्याख्यान सुनने में अुन लोगों ने प्रमाद किया। अुन्हें तो अपना काम ही करना चाहिबे था।

हमें अैसी व्यवस्था करनी चाहिबे कि कातने के वक्त सब लोग हाजिर रह सकें। शायद अक या दो मुख्य व्यवस्थापकों के लिबे अपवाद किया जा सकता है। लेकिन अुनके सिवा दूसरे सबको कातने में शामिल होना चाहिबे। अस यात्रा मे कातने को अधिक वक्त दिया गया है। वक्त भले ही अधिक दिया गया हो; लेकिन सवाल यह है कि क्या सोनेगांव की अपेक्षा यहां कातने को अधिक महत्त्व दिया गया है? अस साल मेरी प्यास नहीं बुझी। अगले साल सब लोग कातने में हिस्सा ले अैसी व्यवस्था

होनी चाहिबे।

मुझे फोटो विलकुल पसन्द नहीं है। लेकिन सब अक जगह बैठे हुअे कात रहे हैं—स्त्री, पुरुष, बूढ़े-बच्चे, सभी शामिल हैं—अैसे दृश्य की फोटो लेना भी में पसन्द करूंगा। कातने वक्त कोन कैसे बैठा है, किसके हाथ का कोण कितना गलत है, आदि बातों का पता अुस फोटो से चलेगा। ये कोअी मामूली बातें नहीं हैं।

झंडे की मिसाल

झंडे की ही मिसाल ले लीजिये। वह तो अक जरासा चिथड़ा ही होता है। लेकिन अुसकी लंबाअी और चौड़ाअी अक निश्चित नाप की होनी चाहिबे। अुसके लिबे राजा को कितना प्रयास और कष्ट करना पडता है। फंजपुर की काँग्रेस मे झंडा ठीक फहराया नहीं गया। वह झंडे में लिपट गया। वह अुगमें से निकल ही नहीं रहा था। फहराता नहीं था। था भी बहुत अूचे पर। तब अक बहादुर युवक हिम्मत करके अूपर चढ़ गया। लोग बड़ी अुत्कंठा से अुसकी तरफ देख रहे थे कि कहीं असका पैर न फिसल जाये। अुसने अूपर जा कर अुस झंडे को सुलझाया। अगर अुस प्रयास मे वह मर जाता तो हम अुसका यश गाते। अुसे 'धन्य, धन्य,' कहते। यह सारा भावना का खेल है। दूसरी तरह से सोचने लगे तो अुस चिथड़े में क्या घरा है? अुसके लिबे अपनी जान खो देनेवाले अुस युवक को मूर्ख भी कह सकते थे। असका जवाब यही है कि हमने अुस कपडे के टुकडे को अपना ध्वज मान लिया है। अुसी तरह कातने के लिबे भी नियत ढंग से

बैठ कर, छाती सीधी रख कर, सब अंक जगह बैठ कर कातें तो मुझे सन्तोष होगा।

कर्म ही अुपासना है

गोवर्धन का दृष्टान्त देखिये कैसे मजे का है। गोवर्धन में जब गोकुल के सभी निवासियों के हाथ लगे तब भगवान् ने कहा यह लो मेरी मदद। काम तो भगवान् ही करते हैं। लेकिन जब सब मिल कर अंक भावना से काम करते हैं तब अीश्वरीय शक्ति प्रकट होती है। सब अंक जगह बैठ कर मिल कर कातें अंसा में क्यों कहना हूँ, यह आप अब समझ गये होंगे। हिन्दुस्थान में कर्म के लिये पूज्य भावना ग्रन्थों में है। परन्तु व्यवहार में नहीं पायी जाती। पढेलिखे और अपढ—दोनों में नहीं देखती। जो किसान कहलाते हैं, अुनमें से बहुत ही थोड़े, करीब २५ फीसदी, खेतों में प्रत्यक्ष काम करते हैं। दूसरे सब बरायनाम किसान होते हैं। देहात और शहर के लोगों के आलस का कोश्री धारपार नहीं। आलस को जीतना हो तो यह भावना रूढ़ करनी चाहिये कि कर्म ही पूजा है। हम केवल कातने की कला का विकास नहीं करना चाहते। हम यह भावना निर्माण करना चाहते हैं कि कर्म ही पूजा है। सभी व्यवसायों के लोग जब अंक जगह बैठ कर काम करेंगे तभी यह भावना पैदा होगी और तभी हिन्दुस्थान का अुद्धार होगा।

देहातियों के भाषण सुनो

मेरी अंक सूचना यह भी है कि खादी-यात्रा में भाषणों के लिये जो बक्त रक्खा

जाता है वह देहाती वक्ताओं को दिया जावे। दूसरे भी कभी वक्ता हूँ, अुनका अुपयोग हम दूसरे मौकों पर करें। लेकिन यहां तो देहातियों की मनोभावनायें प्रकट होनी चाहिये। अिससे अुनसे हमारा परिचय बढ़ेगा। रामायण में कहा है कि रामचंद्रजी को अुपियों की ज्ञानचर्चा की अपेक्षा साधारण दुनियादारों का वार्तालाप अधिक सुहाता था। हमें भी खादीयात्रा में देहातियों के भाषण अधिक पसन्द आने चाहिये। अुनमें से अंकाध आदमी बाज दफा बिगड़ कर बोलेंगे। लेकिन वह भी देहात का अंक चित्र समझ लेना चाहिये।

अखिलभारतीय माने शून्य

थोड़ी देर पहले मनोहरजी कहने लगे यहां सब कुछ जीवन की दृष्टि से होना चाहिये। जीवन की दृष्टि से सब बातें दिखायी जानी चाहिये। बर्षा-योजना की जनकारी यहां मिलनी चाहिये। अुनका कहना दुर्लभ है। लेकिन सब बात अंसी है कि हम सब सिर्फ बोलनेवाले हैं, प्रत्यक्ष काम करनेवाले नहीं हैं। बड़ी बड़ी अखिलभारतीय संस्थाये खोलने हैं। अखिल भारतीय माने शून्य। जब कोश्री अखिल भारतीय संस्था खोली जाती है, तो मैं तो अंसा ही मानता हूँ कि कोश्री संस्था खुली ही नहीं। मेरी छाती तो कुल नीम या वस्तीस अिच चीडी है। अुसमें अखिल भारत कैसे समा सकता है? लेकिन मैं भी अंक अखिल भारतीय संस्था का—हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का—सदस्य बन गया हूँ। क्या करूँ? शिक्वा में कुछ देखल रखता हूँ। शिक्वा के कुछ प्रयोग मेने किये हैं। मैं अुसके विषय में कुछ सूचनायें कर सकता था। लेकिन सदस्य होने की नयारी नहीं थी।

फिर आप पूछेंगे, "असा था, तो सदस्य क्यों हुआ ?" में बेकार था जिसलिये सदस्य बन गया असा तो आप हरगिज़ नहीं मानेंगे। मैंने अजु लोगों से हाथ जोड़ कर कहा कि मुझे छोड़ दीजिये। लेकिन कभी आग्रह के वश न होनेवाला मैं भी आग्रह के वश हो गया। मेरी भी यही राय है कि हमारी सभी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन खादीयात्रा में होना चाहिये।

राजनैतिक जागृति क्या चीज़ है ?

यहाँ एक बात यह भी पेश की गयी कि हमें राजनैतिक जागृति पर विशेष ध्यान देना चाहिये। मुझे भी यह बात बिलकुल ठीक मालूम होती है। राजकीय जागृति मुख्य चीज़ है। उसे छोड़ कर कोई काम करने का विचार मेरे दिल में कभी नहीं आया। लेकिन राजनैतिक प्रचार का काम यदि हम करने लगे तो काँग्रेस है किस लिये ? अगर उसे जिन्दा रखना हो तो वह काम अुसके जरिये होना चाहिये। राजनीति का खादीयात्रा में भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति क्या चीज़ है ? हमने इसका कभी विचार ही नहीं किया। त्रिपुरी काँग्रेस का सन्देश लोगों तक पहुँचाना काँग्रेस कमेटियों का काम है। वे हर गाँव में समा करें और लोगों को वह सन्देश सुनावें। चार दिनों में वह तहसील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाया भी जाता है। लेकिन यह प्रचार राजनीति नहीं है।

वास्तविक राजनीति

त्रिपुरी काँग्रेस का पूरा पूरा हाल मैं भी नहीं जानता। मानवेन्द्र राय और सुभाष

बाबू की क्या राय थी यह मैं नहीं जानता। जिसका मुझे खेद भी नहीं है। अतने से मैं राजनीति से वंचित नहीं हो जाता। लेकिन यह सब न जानते हुए भी एक बात में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह यह कि लाखों-करोड़ों आदमियों को अंकाध छोटी-सी बात के लिये अकत्र लाना ही दरअसल राजनीति है। जिस कार्य को मैं अुत्तम समझता हूँ, अुसे अगर ३५ करोड़ में से १० या २० करोड़ लोग गलत समझें तो मैं अपनी योजना अपनी जेब में रक्खूंगा। अुस हालत में अुसका आग्रह रखना अनुचित होगा। राजनीति का अर्थ है, समुदाय का अकीकरण। जो बात लोगों को पसन्द आवे अैसी किसी लोकहित की बात पर लाखों करोड़ों लोगों के अकीकरण का नाम राजनीति है। गांधीजी या सुभाषबाबू की अंकाध बात बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वह लोगों को न जंचती हो, तो अुन्हें अुसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिये। कुछ गिनेचुने लोगों में वे अुसका प्रचार करें। परन्तु लोगों के सामने वही चीज़ पेश करनी चाहिये जो अुनके गले अुतर सके।

राजनीति क्या नहीं है ?

दो टुकड़ों के चार और चार के आठ टुकड़े करना राजनीति नहीं है। जिसकी कृति या अुक्ति से टुकड़े होते हैं वह राजनीतिज्ञ ही नहीं हैं। जिसके व्यवहार से खंडित वस्तु फिर अखंड हो जाती है, वही दरअसल राजनीतिपटु है। काँग्रेस का सन्देश देहातों तक पहुँचाना भी आवश्यक है।

परन्तु वह काम कॉंग्रेसकमेटी का है। अगर वह यह भी नहीं करेगी तो क्या हजामतें करेगी? अस तहसील में तीनसौ देहात हैं। दस दिन में हम तीनसौ देहातों में कॉंग्रेस का सन्देश पहुँचा सकते हैं। हर अके गांव में सभा करें और नियत जानकारी पढ़ कर सुनावें। थोड़ासा समझा दें। अके देहात के बाद दूसरा देहात ले लिया। लेकिन विस तरह से जानकारी देना राजनीति नहीं है। अके बात पर जनममुदाय को अकट्टा करना ही वास्तविक राजनीति है; फिर वह बात कितनी ही तुच्छ क्यों न हो। अुदाहरण के लिये अगर कल अस देश के पैंतीस करोड़ लोगों ने स्वराज्य के चिह्न के तौर पर खादी का अके अके फूल ही अपनी छाती पर लगाने का निश्चय अके दिल से कर लिया तो भी मैं समझूंगा कि स्वराज्य मिल गया। लेकिन सब के फूल अके ही रंग के, अके ही आकार के और अके-से होने चाहियें। आज तो बारह-माअी की अमलदारी (हरबोंगो का राज) है। बारहमाअी ने राज गंवाया। कहते हैं कि नाना फडनवीस ने कमालियत के साथ राज की रक्षा की। लेकिन केवल चालीस साल राज्य की रक्षा करने के लिये अितना कमाल करना पड़ा, यह देख कर नाना फडनवीस ने राज्य का भविष्य पहले ही कह दिया था। अुन्होंने लिख कर रख दिया कि यह राज्य अंग्रेजों के हाथों में जाने ही वाला है। अुन्होंने असे बचाने के लिये घोर प्रयास किया लेकिन असे केवल अपनी जिन्दगी तक ही बचा सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि अके दूसरे के खिलाफ

कार्रवाअी करने को राजनीति नहीं कहते। महाराष्ट्र में बारहमाअी ने यही किया। नाना फडनवीस की सारी करामात अितने ही काम आयी कि अुसने अपने जीते-अी राज्य नहीं जाने दिया। बहुत-से बुद्धे आदमी यह कहते पाये जाते हैं, "हमारे जीते-अी तो वर्णसंकर न करो, हमारे चल बसने के बाद तुम्हे जो कुछ करना है कर लेना"। यही हाल नाना फडनवीस की नीति का हुआ।

आजकल राजनीति की चर्चा खूब चलती है। फुरसत के वकत अेकाध अड्डे पर बैठ कर 'हितलर की गलती है या मुसोलिनी की?', अस सवाल की चर्चा न करता हो असा अके भी पंडित, कम से कम मेरे प्रान्त में तो, नहीं है। लेकिन क्या हम असे राजनैतिक कार्यकर्ता कह सकते हैं? हरगिज़ नहीं। राजनीति का अर्थ यह है कि अके छोटीसी बात ही क्यों न हो, लेकिन असे ले कर करोड़ों आदमियों को अेकत्र करने की शक्ति हम निर्माण करें। यह राजनीति है। अिते अच्छी तरह रट लीजिये। खूब ध्यान में रखिये। यही वास्तविक राज-नैतिक दृष्टि है।

मजदूरों की संख्या कम करनी पड़ी

अके सवाल यह भी पूछा गया है कि हम कताअी मजदूरी तो बढ़ाते हैं लेकिन मजदूरों की संख्या कम क्यों करते हैं? जब मजदूरी बढ़ाने का निश्चय किया गया था अुस वकत भी यह तो खयाल था कि मजदूर कम करने पड़ेंगे। लेकिन हमारी कल्पना से कहीं अधिक संख्या में मजदूर कम करने पड़े। जाजूजी कहते हैं, जहां १६,००० मजदूर थे वहां आज ६,०००

हैं। मैं तो यह संख्या सुनने के लिये तैयार ही नहीं था। अन्नकी भी यह कल्पना नहीं थी। द-स-ह-ज़ा-र मजदूर बन्द हो गये! पुराने मजदूरों को निकालकर अन्नकी जगह नये भरती करने का बुद्देश तो इसमें है ही नहीं। हमारी नीति यह तो नहीं है कि पुराने मजदूरों को मार कर नये नये खडे करें। अगर जगह जगह वस्त्रस्वावलंबन बढ़ने के कारण मजदूरों की संख्या घटनी चली जाय तो हमारा काम सफल हो जायगा। अूसमें तो सभ्रीका कल्याण है। लेकिन आज जो मजदूर काम पर से बन्द किये गये वे तो मानों हमारे खिलाफ़ खासे प्रचारक ही बन गये। लेकिन इसका अेक ही अिलाज है। हर जिले में वस्त्रस्वावलंबन शुरू करना चाहिये। किसान जिस प्रकार अपने खेत में अन्न पैदा करता है अूस तरह वह अपना कपड़ा भी आप बनाने लगे। इसके लिये कुछ कुशल मजदूरों की जरूरत होगी। अुतने हमे सिखा कर तैयार करने चाहियें। अुनके जरिये हम वस्त्रस्वावलंबन बढ़ा सकेंगे।

पवनार का अनुभव

पवनार में मेरी यह कोशिश है कि कातने-वाले लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले। साथ ही साथ यह भी प्रयत्न हो रहा है कि अुनके परिवार के लोग भी खादी पहनें। मैं अुन्हें मजदूर मानता ही नहीं। मैं तो यही समझता हूँ कि ये मेरे धात्रम के लड़के हैं। अुन्होंने त्याग भी किया है। खादीयात्रा में स्वयंसेवकों का काम करने के लिये अपनी मजदूरी छोड़ कर बारह लड़के यहां आये हैं। अुन्होंने यहां भी अपना काम अच्छी तरह कर

दियाया। मेरी दृष्टि से ये बारह सिपाही तैयार हो गये। अैसे सिपाही बनाने के लिये ही हमने परिश्रमालय खोल रखे है। मजदूर जब आधी मजदूरी खादी के रूप में लेने लगे तो यह कार्य शीघ्र सफल हो जायेगा। आज भी कभी मजदूर आधी मजदूरी खादी के रूप में लेने लगे हैं। इस तरह अुनके घरों में खादी का प्रचार हो रहा है। ये घर प्रज्वलित होंगे। ये परिवार खादी-धारी बनेंगे। अिन घरों की स्त्रियां खादी की साडी पहन कर गांव में घूमेंगी। गांव में इस बात की चर्चा फैलेगी। दूसरों को भी वही करने की अिच्छा होगी। फिर दूसरों को सिखाने के लिये मैं अिन्हीं विद्यार्थियों का अुपयोग करूंगा। अिनसे कहूंगा, 'लड़को, तुम्हारा काम पूरा होने पर लोगों को सिखाने जाया करो।' पवनार में अेक खासा शिष्यकवर्ग तैयार हो जायेगा। अुसके द्वारा वहां स्वावलंबन बढ़ेगा।

नृसिंहावतारी खादी

अब अेक अैसी बात कहनी है जो यहां किसीने नहीं छोडी। वर्धा के खादी-भंडार में जो खादी मिलती है वही सच्ची खादी है यह कभी न भूलिये। दूसरे अप्रमाणित भंडारों की खादी खादी ही नहीं है। अगर आप खुद नहीं कात सकते, या वह खरी खादी मोल नहीं ले सकते, तो मिल का कपड़ा लीजिये लेकिन यह खोटी खादी तो हरगिज न लीजिये। हम मत्स्य, कच्छप, वराह आदि पशु-अवतार सह सकते हैं। राम और कृष्ण तो, खैर, मनुष्यावतार ही थे। लेकिन यह नृसिंहावतार नहीं चाहते। वह न पूरा पशु है, न पूरा मनुष्य। खादी

के नाम पर खोले हुअे ये आदमी चूसने के कोल्हू हम नहीं चाहते। यह अधूरी खादी महा भयंकर है। आदमियों को खादी के नाम पर आप क्यों चूसें? मिलें तो यह काम कर ही रही है। फिर उन्हीं का कपड़ा क्यों नहीं लेते? यह अधूरी खादी ले कर खादी में भी शोषण का पाप दाखिल न कीजिये। असलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको खादी लेना है तो खादीभंडार से पूरी पजदूरी दे कर बनवायी हुआ असली खादी ही लीजिये; नहीं तो खुशी से मिल का कपड़ा खरीदिये, लेकिन खोटी खादी—अप्रमाणित खादी—कभी न लीजिये। खेतों में चिड़ियों को डराने के लिये जो 'मनबी' बनाते हैं वह देखने में तो आदमी के समान ही दीखाता है, लेकिन आदमी नहीं होता। वही हाल अम बनावटी खादी का है। अंसी बनावटी खादी से शायद कांग्रेस-कमेटी वालों को सन्तोष करना पड़े। कोबी सदस्य कहे कि मेरी खादी प्रमाणित खादी है तो अुसकी परीक्षा का कोबी साधन हमारे

पास नहीं है। अुसीको प्रमाणित खादी मानना पड़ेगा। मैं भी कांग्रेसकमेटी का अधिकारी रहूँ तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। खेतों में जो 'मनबी' होता है वह जैसे सियार, सूअर वगैरा जानवरों को डराने के लिये काम आता है, अुसी तरह कांग्रेस कमेटियों के लिये यह खोटी खादी काम आ सकती है। लेकिन वह हमारे राष्ट्र को तबाह कर देगी। कहा जाता है कि देहातों में प्रचार होना जरूरी है। लेकिन आश्रम जिस पर अमल नहीं कर सकता। काफी आदमी कहां है? कोआ अपनी अेक ही आंख दोनों तरफ घुमाता है। हम अेक आदमी को हरकहीं कैसे नचावे? आश्रम की भी प्रचार करने की अच्छा भरपूर है। लेकिन अुसके पास आदमी मुट्ठी भर है। आप आदमी दीजिये। हम अुन्हें प्रचारकार्य की शिप्रा दे कर तैयार कर देगे।

खादीयात्रा, नालवाडी } मराठी से अनुवादित
ता: २१/१९३९ }

सत्य, अहिंसा और जनतंत्र

अगर सत्य और अहिंसा नहीं चल सकती तो लोकशासन (डेमोक्रेसी) भी नहीं चल सकता। क्यों कि अुस हालत में वह भी सत्य और अहिंसा के खिलाफ होगा। अगर हम डेमाक्रसी को मानते हैं, तो करोड़ों का सच्चा हित हमें करना होगा। हित का विचार करने के लिये सब अेक जगह तो बैठ नहीं सकते हैं। चन्द प्रतिनिधि बनाने ही होंगे। वे अगर जनता के सच्चे खिदमतगार हैं, सच्चे डेमोक्रेट हैं तो दुद्ध हृदय से वे जनता की आवाज को समझने की कोशिश करेंगे और अुसे ही प्रकट करेंगे।

गांधी सेवा संघ, सम्मेलन
साबली ता० १७: ४: ३७

—गांधीजी

कौअे की नजरसे

११. आखिरी राम राम !

सम्पादक माअी,

कल रात को अेक अनसोची घटना हो गयी। तीस दिन पहले सखाअी भुअुडि ने मुअेसे कहा, " काका, में कुछ दिन आश्रम में नहीं आअुंगा। अेक कौवी का साथीदार मर गया है, और अुसके अंडों को सम्हालने के लिये अुसे मेरी मदद की जरूरत है। असलिअे में वही ठहरुंगा "।

हर रोज की तरह कल भी रात को में अपनी खुराक की खोज में निकल पडा। अेक पेड के अुपर के भाग में मुअे अेक कौआ दीख पडा। मेंने वेग से जा कर अुसकी गरदन पकड ली और अपनी चौंच की नोक से अुसे घायल कर दिया। जब वह 'का-' करके चिल्लाया, तब में चौंक उठा। मेंने देखा कि मेंने अपने सवाअी को ही पकड लिया था। मुअे भारी दुःख हुआ। में बोल अुठा, " अरे सवाअी, यह क्या हो गया? तुम अितने सयाने होते अुअे भी, पेड के अन्दर छिप कर क्यों न बैठे? चांदनी रात में दिखाअी पडे अस तरह झाड की बाहरी शाखा पर क्यों बैठे रहे? या, मुअे पहले से खबर क्यों न दी कि तुम अस पेड पर रहोगे? तो में अस ओर फटकता ही नहीं। अब में क्या करुं? में ने तुम्हारी गरदन पर अितना गहरा घाव कर दिया है कि अब तुम्हारा जिन्दा रहना असम्भव है। मुअे बडा शोक हो रहा है कि आखिर में ही अपने मित्र का मारनहार हो गया। "

यह सुन कर सवाअी मूसकराया और क्शीण स्वर में बोला, " शोक न करो, काका। शोक करने जैसी कौअी बात हुअी ही नहीं। ' गतासूनगतासूंश्च नाऽनुशोचन्ति पंडिताः ॥ ' अपने स्वभाव के अनुसार तुम परमात्मा द्वारा नियत की हुअी अपनी खुराक खोजते खोजते इधर आये, और में ही तुम्हारे पंजे में आ गया, यह तो केवल संयोग है। और अिसे में शुभ संयोग समझता हूं। में भगवान को घन्यवाद देता हूं कि में न सिर्फ अपने अेक भाअी की जान बचाने के काम आया, बल्कि अपने प्यारे दोस्त की भूख बुझाने के भी। हम आदमी तो हैं नहीं, जो बूढे हो कर बिछीने में सडते सडते आनेवाली मौत को कुदरती मानें और अच्छी स्थिति में रहते अुअे दूसरे की खुराक हो कर मरने को अकाल मृत्यु समझें। स्वभावसिद्ध परमात्मा का ज्ञान रखनेवाले हम पंखीगण अच्छी तरह जानते हैं कि यह सारी दुनिया अुस परमात्मा की खुराक ही है, और मौत अुसकी केवल अेक विधि है। अस लिये, काका, तुम शोक छोड दो। जिस तरह आज तक तुमने मुअे अपने हृदय में स्थान दिया है, अुसी तरह अपने पेट में भी जगह दे दो।

में—नहीं, नहीं, भुअुडी, यह तुम क्या कह रहे हो? में अपने मित्र को कैसे खा सकता हूं? तुम्हारे जिस विनोद के कारण मुअे और भी दुःख हो रहा है। में क्या करुं? कहो, क्या तुम्हारी जान बचाने का कौवी अुपाय नहीं है?

सवाबी—नहीं। तुम्हारी सच्ची मित्रता तो मेरा अन्त जल्दी से जल्दी करने में ही है। अगर तुम मुझे असा ही छोड़ दोगे, तो मैं नहीं जानता कि मुझे और कितने घण्टे दारुण कष्ट भुगतना होगा। और फिर, जिस शरीर को जमीन पर सड़ने के लिये फेंक देने से भी क्या फायदा होगा? तुम्हारी भूख शान्त करना ही अब जिसका अच्छे से अच्छा अुपयोग है। जिसलिये मिहर्बानी कर मुझे जल्दी खत्म कर दो।

सम्पादक भाभी, मुझे सवाबी की बात सही जान पडी। लेकिन मेरा जी नहीं हुआ कि मैं अपने मित्र को जल्दी पूरा कर दू। मैंने कहा, "नहीं, नहीं, सवाबी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, फिर भी, जब तक तुममें बोलने की ताकत है, मैं तुम्हारे सयानपन की बातें सुनने का लोभ नहीं छोड़ सकता। तुम अपना आखिरी सन्देश मुझे देते जाओ"।

सवाबी ने कराहते हुअे मुश्किल से कहा, "अब मुझमें ज्यादा बोलने की ताकत नहीं रही, फिर भी मैं तुम्हारी, मुझसे जितनी हो सके, आखिरी सेवा करने को तैयार हूँ। कहो, मैं किस विषय पर कहूँ"?

मैं—आश्रमवाले और अुसी तरह के सब लोगों के लिये ही कुछ कहो।

सवाबी—अच्छा तो तुमसे ही शुरू करता हूँ। तुम अब जिस आश्रम को छोड़ कर चले जाओ। अुल्लू होना अच्छा है, पर आश्रम का अुल्लू होना अच्छा नहीं है।

मैं—लेकिन अब जितने साल की माया कैसे छूट सकती है?

सवाबी—देखो, शायद मुझे खाने के बाद छूट जाय!

मैं—आज तक मैंने कौबी कम कौआे नहीं खाये हूँ। क्या अब तुम्हें हजम करके मैं अुल्लू से कौआ बन सकता हूँ?

सवाबी—देखो, मैं तुम्हें सयानपन की बात कहता हूँ। आश्रमवासी बने रहोगे तो पक्के चुगद बन जाओगे। फिर, स्वयं बापू के लाल कहने पर भी तुम्हारा अुल्लूपन नहीं मिट सकेगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि काँग्रेस के भी सारे गांधीवादियों ने अब गांधी को छोड़ दिया है?

मैं—अच्छा। मैं तुम्हारी सिखावन पर चलने की कोशिश करूँगा। अब दूसरों के लिये क्या कहना है?

सवाबी—बापू और विनोबा से कहो कि जब जत्र आप अपने ही मुँह से यह जाहिर करने थे कि सत्य, अहिंसा, या चरखे का जितना विचार आपने किया है, अुतना और किसीने नहीं किया, सब तब सवाबी भुगुडि के दिल में हमेशा चोट लगती थी।

मैं—तो क्या अनिकी ये बातें सही नहीं है।

सवाबी—हाँगी भी; और न भी होगी। अुनके पास अंता कौन-सा घर्माघर्माटर है? और हो तो भी अुन्होंने कब अुसे हर अंक के हृदय में लगा कर अुसका नाप लिया था? यही मुझे अखरता है?

मैं—खैर, जो तुम चाओ, कह सकते हो।

सवाबी—तो क्या यह तुम्हें बुरा लगता है? तो मुझे किसीके लिये कुछ भी नहीं कहना है।

मैं—नहीं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी आखिरी दम तक अपने सयानपन का घर्माड नहीं छोड़ सकता।

सवाबी—संभव है कि जिस प्रकार बोल देना मेरा प्रकृतिधर्म ही है। पर मैं

यह अमंड से नहीं कह रहा हूँ। अपने स्वभाव और तुम्हारे कहने पर कह रहा हूँ।

मैं—अच्छा, नरहरि, परीक्षितलाल, आदि जिनके पास हम रातदिन रहते आये, अन्तर्गत जिसे कुछ नहीं कहोगे?

सखाजी—हां, हां। नरहरि से कहो कि जब तुम जोर से सब बोलते हो तब तुमको लोग कांटों से भरा हुआ गुलाब समझते हैं और जब गंभीरता से मौन रहते हो, तब लोग तुमको बिखरी हुई पंखुड़ियों का गुलाब समझते हैं। तुम बगैर कांटोवाला ताजा गुलाब क्यों नहीं बनते? और परीक्षितलाल से कहो कि ठक्करबाप्पा से सिफारिश करें कि हरिजनों के लिये अके नया झंडा बनवाया जाय, और अूस पर अके का चिन्ह बनवाया जाय, और कौओं का मान बढ़ाया जाय।

मैं—मैं तुम्हारी बातें कुछ भी नहीं समझ पाता। लेकिन जैसा तुम चाहते हो, मैं सब से कहूंगा। अब गांधी सेवा संघ के लिये भी कुछ कहो।

सखाजी—अूससे कहो कि या तो गांधी को रक्खो, या सेवा को रक्खो, या संघ ही को रक्खो। तीनों को रखने की चेष्टा में अूस मदारी का किस्म चरितार्थ हो जायगा जो बन्दर, बकरा और सोंप को ले कर बरसात में नदी के पार जा रहा था। और यह भी कहो कि अस्मा का अस्तित्व जरूरी है, तो भी, देह की हकबल प्राण ही कर सकता है। और कहो कि यद्यपि तराजू की डंडी का मध्यबिन्दु ही न्याय—अन्याय के परख सकता है, तो भी बीज अुठाने के लिये तराजू की रस्सियां और डंडी मजबूत होनी ही चाहिये। अिस-लिये संघ को किसी प्राणवान और पक्की दीड़वाले आदमी को सौंपो। तुलावर बनिया

अूसके हिसाब भले ही लिखता रहे।

मैं—यह ताना तुम किशोरलाल को मारते हो, या घोत्रे को?

सखाजी—मैं किसी पर भी ताना नहीं कसता। वे दोनों सज्जन हैं। मेरे दिल में दोनों के लिये आदर है। मरते समय मैं जैसे सज्जनों को कैसे मस्करी करूं? मैंने तो सिर्फ संव के हित के लिये जो कुछ ठीक लगा वह कह दिया। पर अब मुझसे अधिक नहीं बोला जाता। बहुत पीडा हो रही है। अब मुझे समाप्त कर दो।

मैं—नहीं। आखिर 'सर्वोदय' के सम्पादकों ने मुझपर आज तक अहसान किया है। अूनके लिये तो कुछ कहो।

सखाजी—अूनके लिये क्या कहूं? काका तो अून धीवरों की जमात के हैं जिनकी नामावलि कबीर ने अके साकी में दी है। छः आस्तिक और कितने ही नास्तिक दर्शनकार हिंदुस्थान की सब मछलियों को पकड़ने में अब तक सफल नहीं हुअे, अिसलिये अब काका शिवषादर्शन का अके नया जाल फैलाना चाहते हैं। अूसका प्रथम सिद्धान्त है, 'जो शुद्धलेखन और व्याकरण की गलतियां करता है—यानी काका के नियमों से नहीं चलता—वह चारित्र्यभ्रष्ट आदमी के बराबर है'। भविष्य के हिन्दुस्थान में चरित्ररक्खा व्याकरण और शुद्धलेखन के ज्ञान से होनेवाली है। अूनसे कहो कि आश्रम के अुल्लू का दोस्त सखाजी भुवुडि कह गया है कि आप हिंदुस्थान के लिये अब कौबी नया दर्शन न खोजें और भूतकाल की दूरबीन से भविष्यजीवन का अबलोकन न करें। बल्कि सब पुराने दर्शनों को भूलने का कौबी शास्त्र तैयार करें। और कहो कि कोयल से कौबी ज्यादा

सभ्य प्राणी है। दादा से कहो कि अपनी आँखों का अिलाज करो। वे बिगडनी अिसल्लिअे हैं कि वे आपकी होते दुआे भी आप अुन्हें दूसरों की वृष्टि में मिलाने की ही कोशिश किया करते हैं। यह कसरत अच्छी नहीं है।

अब बस करो। अब मेरे हृदय मे अंक बार चोंच मार कर मेरा काम तमाम कर दो।

मैं—मेरा दिमाग तुम्हारी बात मंजर करता है। पेट में भूख की आग भी घघक रही है। पर चोंच अुठाने को जी नहीं चहाता। क्या कळ ?

सवाअी—यही सीखो। आज मुझे आखिरी सबक यही सीखो। जब दिमाग सही कहता हो, जरूरत साथ देती हो, फिर भी जो दिल डरता है, अुसको कमजोर समझो। यह तो अुस बच्चे के जैसी बात है कि जिसके पंख अुगे हैं, हवा भी अच्छी है, पर फिर भी वह अुडने से डरता है। अैसे बच्चे को हम घोंसले से बाहर फेंक देते हैं और वह तुरन्त ही अुडने लगता है और हमे धन्यवाद देता है। अुसी तरह हिम्मत करके मुझे अेकदम मार डालो।

संपादक भाअी, आखिर में मैंने वही किया। चांद की तरफ देख कर मैंने अपनी आँखें अेकदम खोल दीं, जिमसे मैं अंधा-सा हो गया। फिर दिल में महात्मा गांधी की जय बोल कर जोर से सवाअी के कलेजे में चोंच भोंक दी !! अुसका मुह खुल गया; और वह सदा के लिअे शांत हो गया !!

अिस तरह मैं अपने प्यारे मित्र के देहान्त का निमित्त बना। फिर, अुसके गुणों की याद करते करते मैं अुसे वहीं बैठ कर खाने लगा। वह मेरे मन की अेक बडी विचित्र—सी दशा थी। मेरी आँखों से

आंसू का दरिया बहने लगा ! पर, साथ ही मेरे मन में यह विचार चलता रहा कि मैं आज धन्य हूँ। आज मैं अेक बडी पवित्र खुराक खा रहा हूँ। मेरा परम मित्र आब मेरी रगरग में प्रवेश पायेगा। अुसका खून मेरा खून बनेगा। अुसके मांस से मेरा मांस बल पायेगा। दिल से तो हम हमेशा अेक रहे; अब शरीर से भी अेक हो रहे हैं, यह बडे सीमाय की बात है। बेदांत में भी जी अद्वैत संभवनीय नहीं है, अुसे मे आज अनुभव कर रहा हूँ। संपादक भाअी, भूख अान्त होने पर जो आनंद होता है अुसे मैंने कभी बार अनुभव किया है। मुझे आज न केवल भूख की तृप्ति का आनन्द था, पर अपने मित्र से अद्वैत पाने की कृतार्थता भी मैं अनुभव कर रहा था। और साथ ही अब सवाअी का स्पूल सहवास नहीं मिलेगा अिसके शोक की लहर भी मन में अुठती थी। आप किशोरलाल से अिस स्थिति का 'मनोविश्लेषण' मांगे। पर, हाँ, अब मेरा और आपका व्यवहार कैसे रहेगा ? मैं तो अब अपने मित्र के आदेशानुसार आश्रम छोड कर जा रहा हूँ। खैर, फिर भी आप अपने ही संतोष के लिअे पूछें।

आज तक आपने मेरे लेखों को 'सर्वोदय' में स्थान दिया और मैंने अपने लेखों से आपके पृष्ठ भर दिये, अिससे मेरे खयाल में हमारा हिसाब तो बराबर हुआ है। अिसलिअे धन्यवाद देने के लिअे भी, पत्र-व्यवहार की गुंजाअिश मही है। तो—अब आखिरी रामरास !!

आपके ...

आश्रम का अुल्लू

किस ओर ?

[किशोरलाल घ. मशरूवाला]

गांधीजी के और काँग्रेस कार्यसमिति के निवेदन तथा प्रस्तावों में जो अन्तर है, उससे गांधी सेवा संघ के कुछ सदस्यों को क्षोभ हुआ है। वैसे होना ताज्जुब की बात नहीं। बल्कि मेरी दृष्टि में आश्चर्य तो यह है कि जितनी मात्रा में क्षोभ होना चाहिये था, उतना नजर नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बैठक के दिनों में (ता. ९-१० अक्टूबर) में वर्षा में ही था और उसके लिये आये हुए संघ के कुछ सदस्यों से मेरी बातें भी हुई थीं। मुझे खेद है कि मेरे इशारा करने पर भी उनमें से बहुत कम लोग यह समझ सके कि काँग्रेस के जिस निवेदन को वे अनुमोदन देनेवाले थे, वह गांधीजी की बीस साल की मेहनत को तमाम कर देनेवाला साबित हो सकता है, और गांधीजी की ७१ वीं जयंती के दिन यह प्रस्ताव का उन्हें काँग्रेस की ओर से अके कर्षण भेंट ही बन जायगा। अन्त में वैसे ही हुआ।

त्रिपुरी काँग्रेस में काँग्रेस ने बड़े जोरशोर से प्रस्ताव किया कि गांधीजी के नेतृत्व में हमारा विश्वास अटल है, और चाहा कि उनकी पंसद की हुई वर्किंग कमिटी के द्वारा ही काँग्रेस-तंत्र का संचालन हो। इस के परिणामस्वरूप अखिर श्री सुभासबाबू ने त्यागपत्र दिया, और संपूर्ण गांधीवादी वर्किंग कमिटी कायम हुई। यह कितनी आश्चर्यकारक घटना है कि उसी वर्किंग कमिटी और उसी तीनचतुर्थांश गांधीवादी अ. भा. कां. क. ने चरखादावणी के ही दिन गांधीजी से कह दिया कि सिर्फ अहिंसा के सिद्धान्त पर

दृढ़ रहने की अब हमारी हिम्मत नहीं है। हिंसात्मक साधनों को भी हमें स्थान देना होगा।

मैंने सुना कि इस विषय की बहस में अ० भा० कां० क० की बैठक में यह कहा गया था कि जिस तरह अहिंसा में मानते हुये भी जब जरूरत हुई तब काँग्रेसी सरकारों को गोलियां भी चलानी पड़ें और अनिवार्य समझ कर काँग्रेस ने यह बरदाश्त कर लिया; उसी तरह देश की रक्षा के लिये, या अनिवार्यरूप से, युद्ध आ पड़े तो अस्ममें भाग लेने के लिये युद्ध का सरंजाम तैयार करना जरूरी समझना चाहिये, और उसे बरदाश्त भी कर लेना चाहिये। जहां तक मुझे मालूम है अके भी गांधीवादी ने इस दलील को काटने का प्रयत्न नहीं किया। यानी, सब लोग इस बात को गृहीत करके ही चले कि गांधीजी के विचार जो कुछ हों सो हों, गांधी सेवा संघ की प्रतिज्ञा भी जो कुछ हो सो हो, काँग्रेस में कानूनी हिंसा, हिंसा नहीं मानी जायेगी। केवल काँग्रेस का सदस्य ही नहीं बल्कि गांधी सेवा संघ का सदस्य भी, अगर कानून से किसी पर गोली चला सकता है, किसी को फांसी दे सकता है, तो वैसे करेगा, और फिर भी अपने को अहिंसक मानेगा। अंसा नहीं कि यह नहीं हो सकता। अके व्यक्ति या संस्था अपने लिये अंसी मर्यादा बना सकती है और बनाती भी है। हम जानते हैं कि कितने ही जैन मैजिस्ट्रेट फांसी की सजा देते हैं, गोली चलाने की भी आज्ञा देंगे, और फिर भी अहिंसा में अपना व्यक्ति-

गत विद्वान् प्रकट करेंगे। गांधी सेवा संघ भी वैसी ही अके संस्था हो सकती है।

पर क्या गांधीजी की अंसी ही कल्पना थी ? क्या सत्य और अहिंसात्मक साधनों से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा का इतना ही अर्थ निकालने के लिये वे देश के सामने बीस साल से उसे रखते आये ? क्या अहिंसात्मक रामराज्य की उनकी यही कल्पना है ? जो विचार उन्होंने हक्सलीनिया और चेकोस्लोवाकिया के बारे में प्रकट किये, क्या वे हिंदुस्थान के लिये नहीं थे ? ता. १५:१०:१९३८ के 'हरिजन' में उन्होंने लिखा था—

“अगर मैं चेक हूँ तो मैं इंग्लैंड और परान्स को कह देता कि मेरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी से मैं आप दोनों को मुक्त करता हूँ। फिर भी, मुझे जिन्दा तो रहना है। और फिर भी वह किसी का गुलाम बन कर नहीं। मैं या तो पूरी आजादी से रहूँगा या मरूँगा। समशेर के जंग से इसमें सफल होने की आशा रखना बेवकूफी ही मानी जायेगी। मगर, जो मेरी आजादी छीन लेना चाहता है, उसका निःशस्त्र विरोध करते हुये उसके हाथ से मर जाऊँ, तो वह बेवकूफी नहीं है। वैसा करने में यद्यपि मेरा शरीर जायगा, परन्तु मेरी आत्मा, मेरा आत्मसम्मान, बच जायगा।

“मैं डॉ० बेनिस को इस निर्बलों के नहीं, बल्कि बहादुरों के शस्त्र की भेंट करता हूँ.....”

अंसी ही सलाह उन्होंने यहूदियों, हबसियों, चीनियों, तथा दूसरी पीडित प्रजाओं को बार बार दी है। वे जानते थे कि यह सलाह उनके लिये कुछ हद तक बेकार

थी। क्यों कि वह विचार उनके लिये नया था। उन्होंने न कभी सोचा, न सुना हुआ था। पर हमारे देश में उसकी परंपरा प्राचीन काल से चली आई है और दक्षिण आफ्रिका तथा इस देश में मिला कर इन ३०-३५ वर्षों में गांधीजी ने उसकी शिक्षा भी हमें दी है। उन्होंने हमेशा यह उम्मीद की कि सारी दुनिया चाहे जितनी शंकाशील रहे, हिंदुस्थान को उसका इतना परिचय हो चुका है कि वह इस शस्त्र को न छोड़ेगा, और उसके द्वारा भविष्य में दुनिया को भी हिंसक शस्त्रों की व्यर्थता और सत्याग्रह की सफलता का सबक सिखायेगा। सत्याग्रही सभ्यता के द्वारा जगत में अके नवयुग निर्माण करने का यश हिंदुस्थान प्राप्त करेगा।

पर, यह नहीं हुआ। मेरा यह खयाल है कि अहिंसा पर से श्रद्धा उठ जाने की अपेक्षा अविचार मे अके मोह में फँस कर काँग्रेस ने अपने सिद्धान्त को छोड़ दिया है। जिस तरह लड़ाई की खबरें सुन कर सटोडिये बाजारों में तेजी-मंदी ला कर लाभ उठाने की ताक में रहते हैं, उसी तरह काँग्रेस को भी अके दांव आजमाने का मोह हुआ। अुसने सोचा कि लड़ाई से हिंदुस्थान के लिये कुछ लाभ उठा लें। आजादी के जितना निकट जा सकें उतना खले जायें। सरकार को भी कुछ धूम दे दें। वैसे भी तो सरकार जबरदस्ती से हिंदुस्थान पर लड़ाई का कुछ न कुछ भार डालती ही। उसमे सरकार को काफी कठिनाइयों का अनुभव भी होता। तब, अगर सरकार काँग्रेस को संतोष दे, तो काँ. भी सरकार को संतोष दे दे। जो जबरदस्ती लिया जायगा, उतना, और शायद उससे भी कुछ अधिक, बिना तकलीफ मिल जाने का लालच सरकार को

होगा, और काँग्रेस भी अपने ध्येय की ओर ज्यादा विश्वास और स्थिरता से कदम रखेगी। उसका बल बढ़ जायगा। इस मोह में आ कर काँग्रेस ने एक बड़ा पत्रक प्रसिद्ध कर दिया। सारी दुनिया की लोकशाहियों और पीडित जनताओं की वह वकील बन गई। अपनी स्वतंत्रता पाते ही, जगत की सब सर्वाधिकारी-राज्यप्रणालियों का नाश करने की महा समस्या हल करने में अपनी सारी शक्ति लगाने का संकल्प अंशुने जाहिर कर दिया। जगत का और नवीन बलवान हिंदुस्थान का एक भव्य चित्र अपनी आंखों के सामने खींच लिया और अंशु भव्य चित्र की सुन्दरता में स्वयं अंशु लुब्ध हो गई कि बीस साल से जिस चित्र को गांधीजी आहिस्ता आहिस्ता पूर्ण कर रहे थे उसे कूची की एक ही फटक़ार से बिगाड़ दिया। अब हिंदुस्थान—काँग्रेसी हिंदुस्थान भी—अपने लोगों की रक्षा युद्ध के संरंजाम से करेगा! अपने मित्र-राज्यों को युद्ध में हिंसक सहयोग देगा! अपनी आजादी के लिये भी मानवहिंसा न करने की प्रतिज्ञा करने-वाली काँग्रेस, अब युद्ध में सब कुछ करेगी!

कहा जाता है कि "काँग्रेसी सरकार को जातीय और औद्योगिक झगडों में हिंसा से काम लेना पडा था; उसीका यह एक आगे कदम है। इसमें इतना आघात मान लेने की कोई जरूरत नहीं"। आघात तो उसका भी हुआ था। और अबतक काफी है। पर, उसे एक हद तक समझ सकते थे। वह एक तात्कालिक इलाज के रूप में, अपनी कमजोरी समझ कर, बरदाश्त कर लेने की बात थी। अब समझबूझ कर, स्थायी इलाज के रूप में, एक नयी नीति स्वीकारने की बात आई है।

पर, फिर भी, मैं यह कबूल करता हूँ कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जातीय दंगों में काँग्रेसी सरकार को जब पहले पहल गोली चलाने का मौका आया, उस वक्त गांधी सेवा संघ का सम्मेलन डेलांग में हो रहा था। उससे गांधीजी को जो वेदना हुई और उन्होंने शांतिसेवकों की सेना की स्थापना के लिये दिल हिलाने वाली जो बातें सुनाईं, वे अभी बहुत पुरानी नहीं हुई हैं। पर उसी समय हम सब सदस्यों ने गांधीजी के सामने अपने को कमजोर जाहिर किया। गांधीजी की सूचनाओं का कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं हुआ। उस कमजोरी का पक्का फल वर्किंग कमिटी और अखिल भारतीय समिति के प्रस्ताव के रूप में आज दिखाई देता है।

गांधी सेवा संघ, या जो कोई अपने को गांधीजी के सत्याग्रह के सिद्धान्तों का सेवक समझे, उसे उसी बात से प्रारंभ करना होगा, जो डेलांग में गांधीजी ने चाही थी। वह बात है गुंडाशाही, जातीय दंगे, बर्गीय दंगे आदि को बिना पुलीस और सेना की सहायता के मिटाने का अहिंसात्मक मार्ग आजमाने की नीति। जहाँ, कहीं फिसाद हो, उसमें निर्भयता से चले जाने-वाले निःशस्त्र सेवक बनने की तालीम हमें लेनी और देनी होगी। हिंसा के मूल में दीठ कर चले जाने की शक्ति प्राप्त करनी होगी। जो मनुष्य वह शक्ति दिखावेगा, वह गांधी सेवा संघ का सदस्य हो या न हो, बड़ी सत्याग्रह की ध्वजा ऊंची रख सकेगा। उस शक्ति और श्रद्धा के बिना गांधी सेवा संघ, गांधीवादी, या काँग्रेस, कोई भी गांधीजी के वारिस नहीं हो सकते। हमें धर्म के साथ कबूल करना होगा कि इस समय गांधी-सेवा संघ

के सदस्य गांधीजी के आगे ऊंचा सर करने तो उसे निःसंकोच ही कर अभ्यक्ष से ले कर की ताकत नहीं रखते। अगर गांधी सेवा नीचे तक सफाई करनी होगी। संघ को ही यह शक्ति हासिल करनी हो

काशी का हिन्दी साहित्य सम्मेलन

[काका कालेलकर]

काशी के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से हम बहुत कुछ संतुष्ट हो कर ही लौटे हैं। अमरपुरी वाराणसी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को नया बल प्रदान किया है।

काशी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अनेक फल सिखाये। कहा जाता है कि जो लोग काशी की यात्रा करके लौटते हैं वे दीर्घायुवी होते हैं। यदि यह बात सच है तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन अवश्य दीर्घायुवी होगा।

लोकशाही के अिन दिनों में मतभेदों का बाजार गर्म रहे तो अुसमें कोअी आश्चर्य नहीं। पुराणवादी नगरी में अगर सुधारकों का बिरोध होता तो वह स्वाभाविक ही समझा जाता। परन्तु हम हर्ष के साथ कह सकते हैं कि काशी में अपस्थित प्रतिनिधियों ने सुधार-बिरोधी वृत्ति का परिचय नहीं दिया। सम्मेलन में चर्चा के आवेश में जो सख्त बातें कहीं गयीं वे भी प्रेममूलक और भाषाभक्ति की ही परिचायक थीं। जब पितामह महामना मःसवीयजी को अुनके कारण खेद हुआ तो अुन्हें बिलकुल गूल जाना ही हमारे लिये अुचित है। जो लोग हमें अपने समझते हैं वे ही तो हम पर बिगड़ कर कडी बातें सुनाते कड बिचकार भी रखते हैं। अुस-वाद की

कटुता को भुला कर हम प्रेमवृत्ति का ही स्मरण रखना चाहिये। किन्तु अितना अुल्लेख किये बिना नहीं रहा जाता कि माननीय श्रद्भये श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन का लिहाज अगर आज के नवयुवक कुछ अधिक करते तो सोने में सुगंध आ जाती।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि 'हिन्दी का प्रेम' और 'अुर्दका डर' अेक ही वस्तु नहीं हैं। विदेशी राज्य की गुलामी में रह कर हम यह भूल ही गये हैं कि हमारा अुद्धार हमारे ही हाथ में है। दूसरा कोअी न तो हमारा अुद्धार कर सकता है, न अधःपात ही। चाहे बिहार में हो या चाहे युक्तप्रान्त में, चाहे सीमान्त प्रदेश में हो या चाहे पंजाब में; अगर हम अपनी भाषा की रक्षा और अुन्नति चाहते हैं तो अब तक हम प्राणपन से अुसकी सेवा नहीं करेंगे तबतक केवल धिःकार से और सरकार को कोसने से न तो हमारी शक्ति बडेगी, न प्रतिष्ठा।

चार पांच बरस से लगातार हम यह शिकायत सुनते आये हैं कि "हिन्दी साहित्य सम्मेलन अेक राजनैतिक संस्था हो गयी है। अुसमें राष्ट्रभाषा के प्रचार को ही प्रधान स्थान दिया जाता है। साहित्य-बिकास की ओर

कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । हिन्दी साहित्य सम्मेलन में तो हिन्दी का स्थान है, न साहित्य का । काँग्रेसी नेता अक्सरके प्रधान सूत्रधार बन बैठे हैं । सम्मेलन का पैसा अहिन्दी प्रान्तों में खर्च किया जाता है और हिन्दी के अच्छे अच्छे साहित्यिक, अपन्यासकार, कथालेखक, कवि और समालोचकों की कोबी कद्र ही नहीं होती ।”

शिमला में हिन्दी के सिद्धहस्त वृत्तविवेचक श्री बाबूरावजी पराडकर सभापति थे । अन्होंने किसी भी प्रकार का राजनैतिक कार्य सम्मेलन के सन्मुख अपस्थित नहीं किया । अलटे जिससे साहित्यिकों को संतोष हो और अउनका आत्मविश्वास जा त हो अंसी साहित्य की व्याख्या भी अन्होंने बना दी ।

काशी के सम्मेलन को अेक शुद्ध साहित्यिक और असुचारक अध्यक्ष प्राप्त हुअे थे । समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र-देवजी को छोड कर किसी भी परिषद के अध्यक्ष राजनैतिक पुरुष नहीं थे । (राष्ट्रभाषा-प्रचार परिषद की तो बात ही अलग है । कुछ साहित्यिक राष्ट्रसंगठन के अुस कार्य को राजनैतिक कह कर कुछ अप्सृश्य-सा ही मानते हैं ।) श्री नरेन्द्रदेवजी ने अपनी किसी भी राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक योजना का सम्मेलन में पुरस्कार नहीं किया । स्वागत-समिति तो जागरूक साहित्यिकों की ही बनी थी ।

सम्मेलन के कुछ महीने पहले मुझे सूचना मिली थी कि अब की बार सम्मेलन में तुम्हारे विरुद्ध जबरदस्त दलबन्दी होने वाली है और राष्ट्रभाषा की व्याख्या से ले कर ही प्रचार का जडमूल सम्मेलन से अुलाड दिया जायगा । कबी हितचिंतकों ने मुझे यह भी सलाह दी थी कि तुम भी अपनी ओर से पूरी

तैयारी करके जाओ क्यों कि वहां बहुमत का मामला है । परन्तु मैंने तो जिससे ठीक अुलटा ही निश्चय कर लिया कि हम अपने पक्ष को बडी संख्या में ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे । क्यों कि मुझे विश्वास था कि मैं मित्रों की मंडली में जा रहा हूँ । भाषा और संस्कृति के अभिमानी राष्ट्रभक्त मेरी सेवाओं का निवेध क्यों कर करेंगे ? काशी के सम्मेलन में मैंने सांस्कृतिक जागरूकता और भाषाभिमान भरपूर पाया । मैं जागरूकता की कदर कर सकता हूँ । भाषाप्रेमी तो स्वयं भी हूँ । जिस लिये हम काशी को यह निश्चय करके गये थे कि सम्मेलन ने यदि अपनी छात्रछाया में और अपने नाम से हमें काम न करने दिया तो भी हम अुसकी सेवा तो करते ही रहेंगे । हमें सत्ता और प्रतिष्ठा से वंचित किया जा सकता है परन्तु अेकनिष्ठ और निरपेक्ष सेवा से हमें कौन वंचित कर सकता है ?

जिसके साथ अेक दूसरा यह भी निश्चय करके हम गये थे कि अ्रद्धेय टण्डनजी जैसे राष्ट्रपुरुष को जा बात अप्रिय होगी यह हम नहीं करेंगे; चाहे जिस नीति के अनुसार चलने के लिये हमें कितनी ही कीमत क्यों न देनी पडे । क्यों कि हमारी निगाह में टण्डनजी केवल हिन्दी के अनन्य सेवक ही नहीं; बल्कि अेक चारित्र्यवान राष्ट्रपुरुष भी है । जिसी लिये अपनी ओर से सम्मेलन के सामने रखने के लिये हम अेक भी प्रस्ताव नहीं ले गये थे । काशी में सर्वत्र शुद्ध साहित्यिकों का साम्राज्य था । अुनके सामने हमें केवल अभियुक्तों के कटहरे में खडे होना था ।

जिस बार सम्मेलन में साहित्यिक विकास की अनेक बातें आतीं तो मुझे अधिक संतोष होता ।

मैंने यह भी अुम्मीद रखी थी कि जिस केवल साहित्यिक विकास में भी अपना नम्र सहयोग दे कर मैं यह सिद्ध करूंगा कि केवल साहित्य के प्रति भी कृपे कुछ रुचि और भक्ति है। किन्तु चार दिन के सुदीर्घ अधिवेशन के बाद और साठे छह दिन की नरम-गरम चर्चा के बाद भी सम्मेलन के सामने एक भी असा प्रस्ताव या योजना नहीं आयी जिसे हम साहित्यिक कह सकते हैं। अंधेरे पंडित हजारीप्रसादजी शान्तिनिकेतन से दशवर्षीय योजना ले कर आये थे। सम्मेलन से कुछ होनेजानेवाला नहीं असा हमेशा कहने-वाले बनारसीदासजी ने अुनकी योजना को काफी प्रसिद्धि दी थी। किन्तु अुसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। देने को अवकाश ही नहीं रहा। सम्मेलन के सभापति की योजना तो अुतनी भी महत्त्वाकांक्षी नहीं थी। अुसकी ओर भी सम्मेलन ध्यान नहीं दे सका।

तब सम्मेलन ने क्या किया? क्या जिसे मौका मिला अुसने कौंग्रेसी सरकार की यथेष्ट निन्दा ही कर ली? कौंग्रेसी सरकार की निन्दा में जिन्हें कुछ मजा आता है असा कुछ अिने-गिने लोग भले ही रहे हों। परन्तु अधिकांश लोग भाषा की परंपरा और शुद्धि के पक्षपाती थे। क्रोधवश हो कर यदि वे कोअी बेतुकी बातें कह देते थे तो हमें भी अुन्हें सह लेना चाहिये। अुदाहरणार्थ, जब मैंने कहा कि "जहां तक मेरा वश चलेगा मैं नागरी के स्थान पर रोमन लिपि को कदापि नहीं आने दूंगा; मैं तो नागरी ही चाहता हूँ" तो अेक वक्ता ने तुरन्त मंच पर लड़े हो कर अपनी यह स्वाहिष जाहिर कर दी कि काका वा यह कथन डॉ० अबदुलहक और डॉ० जाकिरहुसेन के कानों तक पहुंच जावे !!

कुछ अधिवेकी साहित्यिकों को राजनीति से घृणा है। अुन्हें 'केवल साहित्य' से मतलब है। और भी अनेक बातों से मतलब है। राजनीति कौंग्रेसी ढंग की न हो अितना ही अुनका अग्रह है। अगर वह राजनीति हिन्दू-सभा की हो, अथवा अुससे भी आगे बढ़ कर अंतःकलह बढ़ाने वाली 'मादवी' छाप की हो, तो अुन्हें अुज नहीं। बल्कि वह तो अुनकी दृष्टि में स्वागतार्ह है। हिन्दी के हित-अर्नाहित का श्रोगणेश भी अिन मित्रों ने सोचा नहीं है। बिहार में हिन्दुओं की संख्या अधिक है, और मुसलमानों की बहुत ही कम है, जिस बात के आधार पर अगर वहां की हिन्दुस्तानी का विरोध करना अुचित हो तो, यदि केवल जनसंख्या के लिहाज से पंजाब या काश्मीर में केवल अुर्दू ही राष्ट्रभाषा के तौर पर चलायी जाय तो अिन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

महात्माजी ने तो स्पष्ट कहा है कि हिन्दी और अुर्दू दोनों का अलग अलग और स्वतंत्र साहित्य है। अुनकी धारारें कोअी रोक नहीं सकता। अिन दोनों के होते हुअे भी राष्ट्रभाषा की हमें अेक असी स्वतंत्र शैली बनानी होगी जो सारे भारतवर्ष के लिये समान-रूप से ग्राह्य हो। अुस शैली के निर्माण में न तो केवल बिहार के साम्प्रदायिक अनुपान का हिसाब ध्यान में लिया जाय और न केवल पंजाब का। अुत्तर भारत की हिन्दी और अुर्दू से बनी हुअी, किन्तु पूर्ब और पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत को मान्य हो, असी ही शैली राष्ट्रभाषा का रक्षण ले सकती है। हम साहित्याभिमानी असा नहीं कह सकते कि "हमारी शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। हम साहित्याभिमानीयों ने ही राष्ट्रभाषा की शैली

का ठेका ले लिया है। हम कहेंगे अतनी ही दुनिया आर्ष दुनिया मानी जायेगी और शेष सब बर्बर है”। क्या आज भी हम मनुष्यजाति के प्रथम पूर्वज, मनु भगवान, के अधिकार से यही कहेंगे कि— ‘अतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्वम् स्वम् चरित्रं शिक्वेरन् पृथिव्यां सर्वं मानवाः’ ? क्या हमें यह कहना शोभा देगा कि सरस्वती और दशद्वती, या गंगा और यमुना के दोआबों में रह कर वेदों का रक्षण करनेवाले ‘अंतर्वेदी’ पंडितों से ही सब लोगों को ध्वनिशास्त्र और व्याकरणशास्त्र और हिन्दी की शैली सीखनी होगी ? हिन्दी के अंक प्रोफेसर ने तो मुझसे यहां तक कहा था—परन्तु हिन्दी में नहीं; अंग्रेजी में कहा था—कि The North has always ruled the South. The southern people should, therefore, study the language of the North. (‘अुत्तर ने दक्षिण पर सदा राज्य किया है। दक्षिण के लोगों को इसी लिये अुत्तर की भाषा सीखनी चाहिये। ’)

मेरा नम्र निवेदन है कि हम राष्ट्रभाषा को अन्तःकलह का, परस्पर धीर्षा और स्पर्धा का, बीजार न बनावें। मुझे विश्वास है कि जो लोग हिन्दी भाषा की परंपरा के अभिमानी हैं वे भी राष्ट्रीय अंकता के हिमायती हैं। लेकिन भावावेश में आ कर वे कभी ऐसी कोश्री बात न कहें, या करें, जिसे लोग “लिंग्विस्टिक अपीरियालिज्म” (भाषानिष्ठ साम्राज्यवाद) कह सकें। हमारी आज की पराधीनता की स्थिति में तो वह “ अपोटेंट लिंग्विस्टिक अपीरियालिज्म ” (पुरुषार्थहीन भाषिक साम्राज्यवाद) ही होगा। जिस प्रकार हम अपना रास्ता प्रशस्त और सुगम बनाने के बदले अुसमें

कांटे बिखेर देंगे। हमारा लक्ष्य भाषिक साम्राज्य नहीं है, राष्ट्रभाषाप्रचार द्वारा राष्ट्रीय अुत्थान है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि राष्ट्रभाषा न तो केवल हिन्दुओं की भाषा होगी, और न केवल मुसलमानों की, सिक्खों की, बीसाबी या पारसियों की; वह हिन्दी और अुर्दू के मिश्रण से और समस्त भारत की सम्मिलित सम्मति और चेष्टा से बनेगी। भारत की प्राचीन संस्कृति की दृष्टि से और वर्तमान परिस्थिति में इसके लिये यदि अधिक से अधिक अनुकूल और सुगम कोश्री भाषा है तो वह हिन्दी है। वह प्रान्तीय भाषाओं की सहोदरा है और अधिक से अधिक प्रचलित है। इसलिये राष्ट्रभाषा की शैली का निर्माण और प्रचार करने का गौरवान्वित अधिकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन को प्राप्त है। जहां अधिकार और बडप्पन है वहां त्याग और सेवा का दायित्व तो क्रमप्राप्त ही है।

दूसरी सारी भाषाओं के सम्मेलन प्रान्तीय सम्मेलन हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही अंक मात्र अखिल भारतीय साहित्यसंस्था है। यदि अुसे अखिल भारतीयत्व का भार वहन करना अपनी शक्ति से परे प्रतीत होता हो तो अुसे नम्रतापूर्वक अुस जिम्मेवारी को छोड़ देना चाहिये। जिस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रभाषा अखिल भारतीय संस्था की जिम्मेवारीयों को सम्हालने की चेष्टा करती हुआ धैर्य से राष्ट्रीय अंकता के प्रयोग करती है; अुसी मार्ग पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी अग्रसर होना पड़ेगा। यही अुसका नियत रास्ता है। अब अुसके सामने यह प्रश्न अुपस्थित है कि “ क्या वह साहित्य और

संस्कृति के क्षेत्र में बुरी भूमिका का अभिनय करेगा जिसका कि राजनैतिक क्षेत्र में कांग्रेस कर रही है; या अन्य प्रादेशिक अथवा साम्प्रदायिक संस्थाओं की भूमिका का? क्या वह केवल हिन्दीभाषी हिन्दुओं का प्रांतीय साहित्य सम्मेलन बना रहने में ही अपने आपको 'कृतकृत्य समझेगा'? यह मूलभूत प्रश्न है, जिसके अन्तर पर हमारी सारी नीति निर्भर है।

चन्द हिन्दी भक्त 'पुनर्भूमिको भव' की नीति के पुरस्कर्ता हैं। उनसे किसी को कोशिश लायत नहीं हो सकती। किन्तु जिनमें भी अनेक साहित्यिक अंसे हैं जो कहने हैं कि "हम प्रान्त की उपभाषाओं (बोलियों) का भी संग्रह नहीं करेंगे। क्यों कि वे तो गांवों की गंवारू भाषायें हैं। हम तो केवल साहित्यिक हिन्दी के पक्षपाती हैं"। हम अच्छा तो मूषक बन कर रहने की करें और ऊपर से यह भी चाहें कि हमारा सर्वत्र अनिरुद्ध संचार और अधिकार रहे। तो भला यह कैसे हो सकता है?

हम चाहते हैं कि बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास आदि सभी प्रान्तों के लोग हिन्दी भाषा का अध्ययन करें। परंतु हम यह हरगिज नहीं चाहते कि वे अपनी अपनी मातृभाषाओं की अपेक्षा करें। हमारी प्रांतीय भाषाओं का साहित्य भी अंसा है जिस पर हम कुछ ग्रंथ कर सकते हैं। अर्च्च शिक्षा में अंग्रेजी ने जो स्थान ले लिया है वहां से हम उसे हटाना चाहते हैं। परंतु वह स्थान हम अपने अपने प्रान्तों में हिन्दी को नहीं, किन्तु अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं को देना चाहते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात में अर्च्च शिक्षा भी प्रांतीय

भाषा में ही दी जायेगी। हम हिन्दी अपने प्रांतीय व्यवहार के लिये नहीं चाहते। वह व्यवहार तो नीचे से ले कर ऊपर तक प्रांतीय भाषा में ही चलेगा। तभी तो हम अपनी प्रान्त की जनता के हृदय और बुद्धि तक पहुंच सकेंगे और उसके अभ्युत्थान में योग दे सकेंगे।

हमारी तो यह भी आकांक्षा है कि हिन्दी से हम जितनी सेवा लेंगे उतनी ही उसकी सेवा करेंगे भी। हिन्दी का साहित्य दूसरी किसी भी भाषा के साहित्य से बढाचढा रहे इसकी हम चेष्टा करेंगे। किन्तु उस साहित्य को यह गौरव प्रांतीय भाषाभाषी साहित्य-सेवियों और लोकसेवकों के सहयोग से प्राप्त होगा। यह वैभव उसे प्रांतीय भाषाओं की सहायता से ही प्राप्त होगा। किन्तु अगर हिन्दी बंगाली की ओर्षा करेगी, गुजराती को घृणा की दृष्टि से देखेगी, मराठी को अपना 'अर्द्ध का डर' सिखायेगी और दक्षिण की भाषाओं को अनाडी (अनाय) भाषायें कह कर उनकी अवहेलना करेगी, तो उसका वैभव और सत्ता तीन दिन भी नहीं टिकेगी। यह रास्ता हिन्दी भाषा की समृद्धि का नहीं। यदि हम उसपर चलेगे तो हिन्दी भाषा के दोही साबित होंगे।

मुझे संतोष है कि काशी के अधिवेशन ने यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दी के क्षेत्र में अंसे श्रेष्ठ साहित्यिक भी हैं जो राष्ट्र-भाषा प्रचार की राष्ट्रीय दृष्टि भलीभांति समझते हैं और उसे स्वीकार चुके हैं। उनके विचारों में संकीर्णता बिलकुल नहीं है। वे अपने विद्याजनित विनय और आर्षोचित सौजन्य से स्वभावतः गुरुस्थान प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्र में फूट पैदा करनेवाले भाषा विग्रह से वे हीरान हैं। उनके सामने

हमारा माथा अपने आप झुक जाता है। उनका सेवाभाव और उनकी शुभकामना ही हिन्दी का कवच है। अन्हीके सहयोग से मुझ जैसा नौसिखिया भी हिन्दी को कुछ सेवा कर सकने की आशा रखता है। तुलसी और सूर, कबीर और नानक, से ले कर प्रेमचंद और मैथिलीशरण तक जिन अदार-मना साहित्यिकों की अविच्छिन्न परंपरा चली आती है उनके प्रति हमारे मन में असौम्य आदर है। हमें अकर्ण्य और वादानन्दी साहित्याभिमानियों तथा साहित्योपजीवियों की अपेक्षा अन्हीं की अज्जत दिन प्रति दिन बढ़ानी चाहिये। तभी तो साहित्य के द्वारा राष्ट्र की प्रगति में हम हाथ बढ़ा सकेंगे।

हम साहित्यप्रेमियों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिये कि अतःपर जो साहित्य निर्माण करना है वह न तो राजबरवार के लिये होगा और न केवल विद्बद्भोग के लिये ही। अब तो साहित्य जनता-जनार्दन की आराधना का साधन होगा। अमिअन्दा कोशी साहित्यिक जिस भ्रम में न रहे कि जनता तो केवल गँवार है और गँवार ही रहेगी; और वह साहित्यसेधियों

को केवल भाषाविकास और शब्दनीटा के लिये ही 'घृतकुल्वा मधुकुल्वा' देती रहेगी।

हमें संतोष जिस बात का है कि काशी का सम्मेलन सद्भाव और सहयोग के वातावरण में समाप्त हुआ। प्रान्तीय या साम्प्रदायिक संकीर्णता की अपेक्षा वहाँ हमने भाषाशुद्धि का पक्षपात और परम्परा की रक्षा की भावना ही अधिक देखी। जब कि हम सब अके ही कार्य कर रहे हैं और सहयोगियों के नाते अके दूसरे के प्रेम और सहायता के अधिकारी हैं तो भावावेश में थोड़ाबहुत प्रेमकलह भी होना स्वाभाविक ही था। उसके कोशे चिन्ह अब हमारे स्मृतिपटल पर न रहें। परंतु काशी के सम्मेलन ने हमारी राष्ट्रीय वृत्ति और योजनाओं का समर्थन कर हमें यह भी सन्देश दिया है कि जबतक हम अपने सभी कामों में, अपने अन्तर्गत और बाह्य व्यवहार में, सौजन्य और अहिंसा की मर्यादा का सचाओ से पालन नहीं करेंगे तबतक सफलता प्राप्त नहीं होगी। राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा की अपयुक्तता वादग्रस्त भले ही हो किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में तो अस्की अपयोगिता निर्विवाद है।

अनुबन्ध और समवाय

[आचार्य सत्साराम जगन्नाथ भागवत]

विविधता से मंडित इस संसार में सर्वत्र अकृता समा रही है। मकड़ी का जाल कितना ही अलक्ष्य हुआ क्यों न दीखायी देता हो फिर भी बसमें अक ही अखंड तंतु होता है। असी प्रकार सृष्टि में विविध घटनाओं की कितनी ही संमिश्रता प्रतीत होती हो, तो भी वह सब अक ही अखंड जीवनतत्त्व का विलास है। इसी कारण किसी भी अक घटना को ले लेने से उसके अनुपंग से सारे विश्व की प्राप्ति हो सकती है। इस आध्यात्मिक अनुभव का जीवन में बुद्धिपूर्वक अपुयोग करना जो शास्त्र सिखाता है वही जीवन का शिक्वाशास्त्र है।

जीवन का प्रारंभ भौतिक आवश्यकताओं से होता है। इसलिये शिक्पा का प्रारंभ भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों की अपासना से होना स्वाभाविक ही है। अिन आवश्यकताओं का स्वरूप सामाजिक है। अुनकी पूर्ति के लिये निसर्ग का आश्रय लेना पडता है और असा करने से नानाविध कृतियां अुत्पन्न होती हैं। मनुष्य और निसर्ग का मिलन कृति में हांता है। इसीलिये कृति की मीमांसा अिन दोनों की मीमांसा है। इस मीमांसा में स्वाभाविकता है। इसलिये वह जीवन के लिये भारभूत न हो कर अुसके विकास के लिये कारणीभूत होती है।

असी मीमांसा में से जो आधिभौतिक और आध्यात्मिक के नाम से प्रसिद्ध हैं असे असंख्य ज्ञान-विषयों का अुदय होता है। अिन विषयों में सर्वत्र अनुबंध समाविष्ट है। मनुष्य को

देहधारण के लिये अन्न-वस्त्र की आवश्यकता होती है। अन्न के लिये अुसे खेती, बाग-वानी, सागपात, अथवा शिकार, मछली मारना अित्यादि कृतियां और वस्त्र के लिये अोटना, धुनना, कातना, बुनना आदि क्रियायें करनी पडती है। रहने के लिये घर की आवश्यकता होती है और अुसके लिये लकडी, मिट्टी, पत्थर, चूना, बीटें, खपरे आदि पदार्थ बनाने पडते हैं। अिन सब के अीजार भी बनाने की आवश्यकता होती है। तन्निमित्त बड्डीगिरी, लुहारी आदि अुद्योगों का निर्माण होता है। जीवन की अिन सब क्रियाओं में कार्यकारण-संबंध अनुस्यूत है। इसलिये वे परस्पर-अनुबद्ध पायी जाती हैं। अक का साध्य दूसरे के लिये साधन हो जाता है। ये सब क्रियायें काल और दिक् में व्याप्त होती हैं, इसलिये अुन्हें अितिहासादि स्वरूप प्राप्त होने हैं। धातुसृष्टि, वनस्पतिसृष्टि, पशुसृष्टि आदि की संगति और सहकार्य मे मनुष्य अपना संसार सजाता है; इसलिये अुसे नानाविध ज्ञान होना रहता है। अुस ज्ञान से अुसकी क्रियायें विकसित होती हैं और अुसके क्रियाविकास से पुनः अुसका ज्ञानविकास होने लगता है। केवल अपयोगिता की दृष्टि से वह जिस ज्ञान का आविष्कार करता है और जिस सौंदर्य का दर्शन करता है अुससे मनुष्य अपनी संस्कृति की अपरसृष्टि रचने लगता है और भौतिक से परे जो आत्मिक प्रदेश है अुसमें अुसके अपनिवेश बढने लगते हैं। मनुष्य की जीवन-यात्रा जिस सहजक्रम से सफल और संपूर्ण

होती जाती है उसी क्रम का अनुबन्ध हम शिक्षा में भी दाखिल कर सकते हैं।

बच्चा जिस सामाजिक और नैसर्गिक वातावरण में पैदा होता है उस वातावरण की नित्य की अपयोगी क्रियाओं द्वारा उसकी अिद्रियशक्ति का, बुद्धिशक्ति का और भावनाशक्ति का विकास शिक्षा द्वारा करना चाहिये। अुदाहरण के लिये प्रारंभ में बालक अपने शरीर, घर और गांव का निरीक्षण क्रमशः कर सकते हैं। उसके बाद अपने आसपास के जीवधारियों, वनस्पतियों और जडसृष्टि का अवलोकन कर सकते हैं। तदनंतर आकाश, उसकी दिव्य ज्योतियां, और अुपा और निशा तथा नाना अुतुओं का परिचय कर सकते हैं। सफाई और आरोग्य की आदतें डालना, अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना, बागबानी, मिट्टी का काम, कागज का काम, सूत-काम आदि वे मजे में सीख सकते हैं। भाषा व्यवहार के लिये है। जिस बालक का व्यवहार विस्तृत होता जायगा उसकी भाषा भी व्यापक बनती जायगी। हम जो देखते हैं उसका वर्णन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष वस्तु के अभाव में हम अपने अन्तःचक्षु के सामने उसका कल्पनाचित्र खींच सकते हैं। नानाविध साधनों से हम उसे कलाबद्ध कर सकते हैं। रेखाचित्र, और शिल्पचित्र, बना सकते हैं। भाषा के द्वारा पुनः जिस कला का भी व्यवहार कर सकते हैं। नाट्य, नृत्य, संगीत, काव्य, आदि के द्वारा हम प्रत्यक्ष की अनुकृति और परोक्ष की निर्मिति कर सकते हैं। बालकों की बाल्यावस्था में भी अल्प मात्रा में यह सब होता रहता है। जिन क्रियाओं का अनुबन्ध निगाह में रख कर

यदि शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाय तो अुन्हें भी ये सब अनुभव होंगे और अुनका जीवन सरस और समृद्ध होगा।

अिस विश्व के नानाविध विभागों में यह जो अनुबन्ध पाया जाता है उसका कारण यह है कि ये सारे विभाग जीवन के आत्मरूप के साथ समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं। समवायका अर्थ है नित्य संबंध। जिन दो पदार्थों में समवाय संबंध होता है वे सृष्टि में पृथक कभी अपलब्ध नहीं होते। अुन दोनों में से अेक का नाश हो जाये तो दूसरे का अस्तित्व शेष नहीं रह सकता। आकार, संख्या, तौल, स्पर्श, आदि गुण और विविध प्रकार की क्रियायें आविर्धम, हर अेक वस्तु में नियमितरूप से पाये जाते हैं। केवल गुण, केवल क्रिया अथवा गुण और क्रिया विरहित केवल वस्तु कभी नहीं मिल सकती। यही समवाय संबंध है। धिद्व में बाहर विविधता है, भीतर अेकता है। केवल अद्वैत कहने से विविधता का अपलाप होता है और महत्त्वपूर्ण अनुभव के प्रति अन्याय होता है, अिस विचार से वैशेषिक शास्त्रकारों ने समवाय संबंध माना है। शिक्षा का जीवन के अन्तरबाह्य स्वरूप से समान संबंध है। अिसलिये ज्ञान और कर्म में यही समवाय संबंध स्वीकार करना चाहिये। वस्तुतः ज्ञान और कर्म में अभेद ही है। कर्म ज्ञान की मूर्ति है और ज्ञान कर्म की स्फूर्ति है।

समवाय के तात्त्विक आधार पर व्यवहार का अनुबन्ध स्थित है। अिसलिये जीवन की अिस शिक्षा-पद्धति को चाहे समवाय-पद्धति कह लीजिये या अनुबन्ध-पद्धति।

(मराठी 'वर्धा शिक्षण' मासिक पत्र से)

सर्वोदय की दृष्टि

फिज़ूल माथापच्ची हुआ

एक किसान बाज़ार में चक्कर लगा कर घर लौटा। अपनी घरवाली से कहने लगा, 'बाज़ार में एक अमदा भैंस बिकने आयी है। उसे खरीदने का दिल हो रहा है। यह भी अिरादा है कि अपनी गाय बेंच दू।' घरवाली ने कहा, 'मुझे भैंस पसन्द नहीं है! मैं अपनी गाय छोड़ने को तैयार नहीं हूँ।' किसान ने कहा, 'तुम कुछ भी कहो मुझे कभी न कभी एक बढिया दुधल भैंस खरीदनी ही है। दो जानवर पालने की हैसियत नहीं है। जिसलिअे गाय का कुछ न कुछ अिन्तजाम तो करना ही होगा।' घरवाली ने कहा, 'तुमसे गाय नहीं पाली जाती तो मेरा भायी पाल खेगा; अुसे दे दो। लेकिन मैं तुम्हारी भैंस की देखभाल नहीं करूंगी। जिस बात पर से दोनों में कुछ बच्चोपवकी बातें हो गयी और दोनों ने अुस दिन भोजन नहीं किया। बाद में पता चला कि जिसे अुस किसान ने दुधल भैंस समझ कर मील लेना चाहा था वह तो दर-असल भैंसा था।

कुछ इसी चाल पर हम गांधी सेवा संघ-वालों ने भी युद्ध में हम किन साधनों का अुपयोग कर सकते है इसके विषय में वाद मचा दिया। सद्भाग्य से दूसरे किसी ने जिस वाद में दिलचस्पी ही नहीं ली। पर संघ के अध्यक्ष से ले कर कभी सदस्यों तक बहुतेरे जिस बात को ले कर क्पुब्ध हो गये। अाखिर मालूम हुआ कि व्यवहार में तो जिस तरह का कोयी सवाल खडा ही नहीं हुआ। हम किसी बाहरी दुश्मन के हमले

से अपना बचाव किस तरह करें, या अुसका सामना किस प्रकार करें, यह कोयी हमारे सामने आज बडी भारी समस्या नहीं है। प्रत्यक्ष समस्या तो यही है कि हम अपने भीतरी झगडों को मिटा कर सबसे मेलजोल किस तहर करें। जिस विषय में तो कम से कम काँग्रेस में कोयी मतभेद नहीं है। सभी मानते है कि यह समस्या अहिंसा से ही हल की जा सकती है।

अहिंसा-संघ

डेलांग गम्मेलन के वकत से ही गांधीजी ने हमारे सामने यह सवाल पेश किया है और अुस दिशा में कुछ कर दिखाने के लिअे हमें प्रेरित भी किया है। लेकिन अभीतक हमें अुसमें कोयी विशेष अुत्साह नहीं आया।

मैंने देखा है कि जब कभी हम जिस विषय का विचार करने बैठते है तो अक्सर हममें से हर एक अपनी व्यक्तिगत कम-जोरी का खयाल करने लगता है। लेकिन एक जूथ या संगठन से जो गुणित शक्ति पैदा होती है अुसका विचार हम नहीं करते। जिस कारण हमारा अुत्साह बढ नहीं पाता। मेरा अनुरोध है कि हम जिस आदत को कम कर दें। अच्छी से अच्छी बन्दूक से सुसज्जित फौजी तालीम पाया हुआ शूर राजपूत भी यदि अकेला हो तो मुर्माकिन है कि कभी मौकों पर अुसकी छाती धडकने लगे और वह भाग भी जावे। लेकिन अुससे कम शूर सौ देहाती यदि अिकट्टे रहें तो संभव है कि वे अच्छी तरह सामना कर सकें। जब मैं स्वयं अपना विचार करता हूँ तो

देखता हूँ कि मैं तो किसी प्रकार के बाह्य साधनों से सज्ज नहीं हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं। स्वभावभीरू बनियों में पैदा हुआ हूँ और बचपन से ही 'हिंसा न करनी जंत की' रटते आया हूँ। मैं कैसे आशा कर सकता हूँ कि मैं किसी हिंस्र मनुष्य या प्राणी के सामने बेघडक खड़ा हो सकूँगा? परंतु फिर भी, अगर मैं यह निश्चय कर लूँ कि मेरी छाती भले ही धडकती रहे मुझे तो यहीं बिना कोअी प्रतिकार किये डंटे रहना है, तो वह निश्चय मुझे कुछ न कुछ काम अवश्य देगा। फिर मेरे दूसरे साथी भी अंसा ही निश्चय करके खड़े हों तो हम सब मिल कर कामयाब भी हो सकते हैं।

यह संभव है कि जब मैं अकेला होऊँ तो मेरा अहिंसा-हिंसा या धर्माधर्म का विवेक-ज्ञान मिट्टी में मिल जाय, मेरे मन में द्वेष का भाव पैदा हो जाये, मुँह से क्रोध के वचन निकल आवें और मैं हाथ चलाने का व्यर्थ प्रयास भी करूँ। परंतु यदि मेरे साथ दूसरा कोअी सहयोगी हो तो अुसकी मौजूदगी ही शायद मुझे जाग्रत कर दे और वह मुझे सचेत कर दे। शर्त अितनी ही है कि हम दोनों ने अहिंसा को केवल अेक नीति के रूप में ही नहीं बल्कि अपने स्वधर्म के रूप में स्वीकार किया हो।

अेक संघ बनाने से यही अेक बड़ा फायदा है। कौमी झगड़े दिन पर दिन तीव्र रूप धारण कर रहे हैं। अुनमें प्रबल हिंसक वृत्ति जाग्रत और संगठित कर दी जाती है। जिनकी अहिंसा में श्रद्धा है और अहिंसा जिनका स्वभाव-सा ही बन गया अगर अपने स्वभावधर्म के प्रचार और संगठन में सुस्त रहेंगे तो यदि हिंसा कच्चे

अहिंसकों को खा जाये तो आश्रय ही क्या है? गांधी सेवा संघ का अगर कोअी खास काम हो सकता है तो यही कि अुसके सदस्य अपना अपना सेवाकार्य करते हुअे अहिंसा की यह भावना अपने जीवन में मजबूत करें और अपने अिर्द-गिर्द फैलावें।

अगर संघ के सदस्य जिस विषय में केवल जनता के विचारों को प्रकट करनेवाले और जनता की मर्यादाओं को अपनी मर्यादायें बनाने वाले हो जायें तो संघ के अस्तित्व की कोअी विशेष जरूरत नहीं रहनी। क्योंकि भिन्न भिन्न रचनात्मक कार्यों के लिये अलग अलग संस्थायें हैं ही।

‘अुन तीनों की टोली

और हम पच्चीस अकेले’ !

जिस सिलसिले में मुझे अेक कहानी याद आती है, जिसमें पच्चीस बनियों को तीन डाकुओं ने लूट लिया। अुनसे जब पूछा गया कि वे कैसे लूटे तो वे कहने लगे, ‘क्या करते? हम पच्चीस तो अकेले थे और अुन तीनों की जबर-दस्त टोली थी’।

संख्या से बल तब बढ़ता है जब कि हर अेक अपना अपना थोडासा बल अपने साथियों के बल में मिला देने की कोशिश करता है। परंतु जब हर अेक अपनी निर्बलता दूसरों की निर्बलता में मिलाने का प्रयत्न करता है तब संख्या बहुत बड़ी होने पर भी वह अकेलेपन का ही भाव पैदा करती है।

हम किसी भी प्रदेश की जनता देखें तो यही पायेंगे कि आम तौर पर लोग हमेशा शान्ति चाहते हैं, टंटेबखेडे नहीं

चाहते, समझौते की नीति से काम लेना पसन्द करते हैं, झगड़ों के निपटारे के लिये थोड़ा-बहुत सहन भी कर लेते हैं। परंतु फिर भी न जाने क्यों हम अहिंसावादियों में भी मनुष्यस्वभाव के प्रति यह अके अविश्वास है कि "अहिंसा पर निर्भर रहना आम लोगों के लिये सम्भव नहीं है। और जिसलिये अहिंसावादी को या तो कुनयवी कामों से कुछ दूर ही रहना होगा अथवा हिंसा से कुछ न कुछ समझौता करना होगा। अहिंसा का रास्ता आम रास्ता नहीं है"।

जिस तरह हम अपनी ओर दूसरों को अहिंसा की न्यूनता का जोड़ करते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि न्यूनता की यह मात्रा कितनी बड़ी है। हिंसावादी असा नहीं करते; जिसलिये परिणाम वही होता है जो बनिया और लुटेरों के किस्से के शीर्षक में सूचित किया गया है।

२७: १०: ३९

कि० घ० म०

अरण्य में जाने के क्या मानी हैं ?

हजरत मूसा यहूदियों के राष्ट्र-पिता थे। अन्होंने यहूदियों को मिशर देश की गुलामी से छुड़ाया और अपनी पितृभूमि यरूशलेम (पेलिस्टिन) का दर्शन कराया। राष्ट्रसंगठन, राष्ट्रशुद्धि, राष्ट्रसाधन और राष्ट्रविजय के वे अप्रतिम आचार्य थे। यहूदियों के जिस 'बापूजी' ने जो कुछ सहन किया है, जो दीर्घदक्षिता बतायी है और जो विजय पायी है वह इतिहास में भी लोकोत्तर मानी जाती है।

जब हजरत मूसा ने देखा कि अुसके अनुयायी कमजोर हो गये हैं, शान्ति के बिलास-में फंस गये हैं, आजादी का अुनका

ज्ञान शिथिल हो गया है, तो अुसने भगवान् से आज्ञा पा कर यह निश्चय किया कि सारी जाति को अमन और चैन की बस्ती से हटा कर जंगल में ले जाया जावे। सब प्रकार की साधन-संपत्ति और अधिकार-संपत्ति छोड़ कर संकल्पपूर्वक सब का त्याग कर जंगल में जा बसने की बात अुन्होंने अपनी जाति के सामने रख दी; और वे सबको जंगल में ले भी गये। साधन और अधिकार दोनों का त्याग कर के आत्मशुद्धि और तपस्या करने के लिये हजरत मूसा जंगल में गये। वहाँ पर अुन्होंने अपने शिष्यों के और अनुयायियों के बच्चों को नयी तालीम दी और जो काम वे अपने शिष्यों से नहीं करा सके वह अुन्होंने शिष्यों के बच्चों से कराया और अन्त में विजय पा कर अपनी पवित्रभूमि का दर्शन किया। हजरत मूसा कुल १२० वर्ष जीये।

तब से संगठन और आत्मशुद्धि के लिये अधिकार और साधन-संपत्ति त्याग देने के मार्ग को "अरण्य-सेवन" कहा जाता है। आज गांधीजी भी हिन्दुस्थान को और कॉंग्रेस को अरण्य में जाने की बात सुझा रहे हैं।

२८: १०: ३९

का० का०

शान्ति-परायणता

यूरोप का महायुद्ध टालने की कोशिश कौन नहीं करता ? हिटलर को भी युद्ध से मतलब नहीं है। आज तक तो अुसने सिर्फ युद्ध की तैयारी बता बता कर ही शान्ति से काम लिया है। पोलैंड हज़म करते ही अुसने फिर शान्ति की बात चलाई। अिंग्लैंड कहां लड़ रहा है, जिसका तो पता ही नहीं चलता ! तुर्कस्तान, जापान और अमेरिका, तट पर ही

सबे हैं। रूस मीके की ताक में है; किन्तु युद्ध बढ़ाना नहीं चाहता। ये सब शान्तिता-बादी ही हैं। किन्तु, अपना अपना मतलब पूरा करने पर ही ये शान्ति चाहते हैं। अिनमें से कोबी भी शान्तिपरायण नहीं है। 'परायण' भायने अूसीको सर्वश्रेष्ठ मान कर अूसके लिये सर्वस्व का त्याग करने की जिसकी तैयारी है, वह। अैसी शान्ति-परायणता अगर कोबी बता सकेगा तो भारत ही। यह शान्ति-परायणता कायरो का धर्म नहीं हो सकता, लालची लोगों का धर्म नहीं हो सकता, स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का धर्म नहीं हो सकता। जिनमें आत्मविश्वास है, न्यायबुद्धि है, सबका भला करने की अुदारता है, वे ही शान्ति-परायण हो सकते हैं।

गांधीजी ने सत्याग्रह के अनेक प्रकार दुनिया को बतलाये हैं। सविनय कानूनभंग अुसका अेक पहलू है, लगान-बन्दी दूसरा पहलू है, असहयोग तीसरा पहलू है। दास और नेहरू को जीतने के लिये जब गांधीजी ने अपनी हार मान ली तो वह भी सत्याग्रह का अेक पहलू ही था। जिस बक्त प्रत्यक्ष जंग जारी न हो अुस वक्त राष्ट्रसंगठन का जो रचनक्रमक कार्यक्रम गांधीजी जारी रखते हैं वह अुनके सत्याग्रह का सर्वश्रेष्ठ पहलू है। हिन्दुस्थान की अल्पसंख्यक जातियाँ जिस शंका को और स्वार्थ को पकड़ कर बैठी हैं, अुसका अिलाज तो करना ही है। अुसके लिये गांधीजी ने जो निःसीम अुदारता बतायी है, और बहुमति को सिखायी है, वह भी अुनके सत्याग्रह का ही अेक अनोखा पहलू है।

अब यूरोपभर का जो महायुद्ध दुनिया को कँपा रहा है अुसके लिये अुतने ही अद्भुत पहलू का आविष्कार करना होगा।

यह पहलू है शान्तिपरायणता। युद्ध का अिलाज हिंसा से नहीं होगा। युद्ध की बला शान्ति से ही टलेगी। यह शान्ति कायरो की शान्ति नहीं हो सकती, जानमाल की सलामती की चिन्ता करनेवालों की शान्ति नहीं हो सकती, मृत्यु से भाग्नेवालों की शान्ति नहीं हो सकती, मृत्यु के पहले ही मृतक समान जीनेवाले निर्बीर्यों की यह शान्ति नहीं हो सकती।

हम किसीको मारेंगे नहीं और न जानमाल का नाश करेंगे। वैसा करने में किसीको सहायता भी नहीं देंगे। किन्तु युद्ध रोकने के लिये, हत्या को मिटाने के लिये, जो कुछ बलिदान देना पड़े वह अवश्य देंगे। हम लड़ेंगे नहीं अिसके मानी यह नहीं कि हम अकर्मण्य हो कर बैठ जायेंगे। जो सरकार युद्ध में अुतरी है अुसे हम पहले से कह देंगे कि तुम हमारे नाम से लड़ नहीं सकते। हमारा तुम्हारे साथ असहयोग ही है।

किन्तु यह असहयोग भी सीमित-परिमित ही रहेगा। लोकहित के काम तो करने ही हैं। कांग्रेस का रचनात्मक कार्य चलता ही रहेगा। अगर सरकार भी वह कार्य चालू रखेगी तो अुसके साथ भी हमारा सहयोग चालू रहेगा।

किन्तु युद्ध की जिम्मेवारी केवल अंग्रेज सरकार को ही अपने शिर पर लेनी होगी।

हमें अहिंसा को संगठित करना होगा। राष्ट्र को अहिंसा का स्वरूप और अहिंसा का माहात्म्य समझाना होगा और अहिंसा का वायुमंडल अिस प्रकार फैलाना होगा कि जैसे हरी घास में आग नहीं लग सकती अुसी तरह हमारे वायुमंडल में भी युद्ध की चिनगारी वृक्ष ही जावे। सत्याग्रह का यह नया तरीका है। अिसमें जो अलौकिक शक्ति

चाहिये वह लोकसुलभ कौसी बनायी जाय
अिसीकी तरकीब ढूढनी होगी ।

२४:१०:३९

का० का०

ब्रिटिश साम्राज्य का बुढापा ?

महायुद्ध ने हिन्दुस्तान के इतिहास में बडी अुथलपुथल कर दी है । अक्सर यह पाया जाता है कि क्रान्ति के दिनों में वे बच जाते हैं । जिनमें परिवर्तन का माद्दा होता है किन्तु जो वृद्ध की हड्डियों की तरह चूने से ही भरे हुअे होते हैं और तनिक भी बदल नहीं सकते अूनका तो नाश ही हो जाता है ।

छोटे बच्चों की हड्डियों में चूने का परिमाण कम होता है और सरेस ज्यादा हांता है । अिसलिये, हालांकि अूनमें शक्ति कम होती है तो भी, बारबार गिरने पर भी अुन्हें नुकसान नहीं पहुँचता और वे दिनरात बढ़ते ही जाते हैं । ज्यों ज्यों अुभ्र बढ़ती जाती है त्यो त्यों सरेस का परिमाण कम होना जाता है और चूने का बढ़ने लगता है । अिसी कारण हड्डियां मजबूत होती हैं और बड़े बड़े काम करने की अूनमें शक्ति आती है । किन्तु जब बुढापा आ जाता है तब सरेस की मात्रा विलकुल घट जाती है और केवल चूने की हड्डियां न तो काम दे सकती हैं और न कोअी आघात ही सहन कर सकती हैं । वह तो मरण की ही तैयारी है ।

ब्रिटिश साम्राज्य की अब अिसी बात पर फसौटी हो रही है । क्या ब्रिटिश राष्ट्र साम्राज्यवाद का धमंड छोड देगा, समय को पहचान कर दुनिया भर में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिये अुद्यत होगा और अपने घर में वह जो आजतक अनेक राष्ट्रों

को चूसता रहा है अुसे बन्द कर अुन्हें स्वराज्य प्रदान करेगा ? या बूढों की तरह अपने पुराने ढर्रे पर कायम रह कर छिन्नभिन्न होना पसन्द करेगा ?

गांधीजी ने आशा बांधी थी कि युद्ध से अूबा हुआ ब्रिटिश राज्य अपनी साम्राज्य-तृष्णा से बाज आ कर अपनी नीति में परिवर्तन करेगा, किन्तु बड़े लाट ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य की हड्डियों में सरेस विलकुल ही नहीं रहा है । "पोलंड को बचावें या हिन्दुस्तान को अपने लिये बचावें," यह सवाल सामने आते ही अिंग्लैंड ने स्पष्ट कर दिया कि हम जैसे थे वैसे ही अब भी है ।

अितना कह कर ही अिंग्लैंड चुप नहीं हुआ । हिन्दुस्तान में टिकने के लिये अुसके जो पास पुराना अचूक साधन है अूसी का प्रयोग अुसने फिरसे शुरू कर दिया है । "हिन्दुस्तान में अनेक पक्व हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषायें हैं" आदि, आदि बातें बढा बढ कर हमारे सामने रख देना अुसने शुरू कर दिया है । हम भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान को लूटनेवाले अनेक है, हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने की अिच्छा रखनेवाले अनेक हैं । ब्रिटिश साम्राज्य की मौत चाहनेवाले हम तो केवल स्वराज्य के आकांक्षी हैं, शान्ति के अुपासक हैं, और अिच्छुक हैं हिन्दुस्तान के छोटेमोटे पक्वों के अधिकारों की रक्षा करने के सुअवसर के ।

२४:१०:३९

का० का०

मेरी काशी-सम्मेलन यात्रा

अितना पैसा और समय खर्च करके दूर दूर से प्रतिनिधि और प्रेषक आते हैं

अस समागम से सम्मेलन को काफी लाभ अठाना चाहिये। सालसर लगातार जो लोग काम करते हैं अुनके कार्य के बारे में निर्णय देने की योग्यता अुसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं अुन अधिकारी लोगों में ही है। सभा में आने के बाद ही जो लोग विचार करना शुरू करते हैं अैसे लोगों की राय पर हमें अपना राष्ट्रीय कार्य निर्भर नहीं रखना चाहिये।

* * *

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ कवि-सम्मेलन, कहानी सम्मेलन, नाटक अित्यादि आमोद-प्रमोद के कार्यक्रमों का होना बुरा नहीं है। अिन कार्यक्रमों द्वारा स्थानिक और प्रान्तीय विशेषतायें प्रकट होती हैं। किन्तु जब जीवन समृद्ध न हो तो अैसे कार्यक्रम छिछोरे और नीरस हो जाते हैं, अुनमें अेक अनिष्ट वायुमंडल पैदा हो जाता है और मुख्य कार्य तो दर किनारे जाता है। असलिये कार्यक्रमों की संख्या न बढ़ा कर योग्य पुरुषों की अध्ययनता में अवैध वातालाप रखना चाहिये।

* * *

अब की बार काशी में मुझे रायकृष्ण-दासजी की कोठी पर रहने का सौभाग्य मिला। हमारे मेजबान रायसाहब तो अपने "कलामवन" की तैयारी में ही व्यस्त थे। तो भी चार-छह दिन वहां जो 'काव्य-शास्त्र विनोद' का वायुमण्डल रहा वह मेरे मन सम्मेलन जितना ही महत्त्व का था। अस "गोष्ठी" के स्वागताध्यक्ष थे कविवर मैथिलीशरणजी। हम सब अुन्हीं के सुपुर्द थे। वहां पर मैथिलीशरणजी, सियारामशरणजी, नवीनजी, जैनेन्द्रजी, माखनलालजी, 'कुमार' के संपादक सुरेशसिंहजी,

बम्बयी अजायबघर के व्यवस्थापक डा० मोतीचन्दजी आदि अनेक सज्जनों से वार्तालाप हो सका। क्रान्तिकारी सन्यालजी ने भी वही आ कर दर्शन दिये। मुगलशैली के अन्तिम प्रतिनिधि-चित्रकार रामप्रसादजी ने भी अपने सौजन्य से सबको आल्हादित किया। श्री केडियाजी का संग्रहालय भी भूलने की चीज नहीं है। रायसाहब की कोठी पर श्री 'नवीनजी' ने अपना "सिरजन की ललकारें मेरी" दीर्घक सुंदर, सुदीर्घ और भव्य काव्य गा कर सुनाया और गंगातट पर अपनी प्रसन्न-गंभीर वाणी से कवि-सम्मेलन की अेक छोटी-सी किन्तु संस्मरणीय आवृत्ति कर दिखायी। गुप्त बंधुओं के झंडागीत भी कम आकर्षक नहीं थे। मेरी तो निश्चित राय बन गयी है कि देश के झंडागीत 'देश राग' में ही गाये जाने चाहियें।

* * *

हम दक्षिण भारतीयों के लिये काशी सनानत तीर्थक्षेत्र तो है ही। किन्तु हमारे लिये वहां के बाबा-बैरागी अितने आदरणीय नहीं हैं जितने कि भारतभूषण पूज्यपाद मालवीयजी, आदर्श गृहस्थाश्रमी शिवप्रसादजी गुप्त, विद्वन्शिरोमणि डा० मगवानदास, राष्ट्रीय वृत्तविवेचक बाबूरावजी पराडकर, कला के अनन्य अुपासक रायकृष्णदासजी आदि काशीनिवासी सज्जन हैं। ये सब सन्त "जंगम तीरथराजू" हैं। काशी का पावनत्व अैसे ही समाज-सेवकों में सन्निहित है और अगर समाजसत्तावादी आचार्य नरेन्द्रदेव को धर्म से परहेज न हो तो अुन्हें भी हम अूपर की नामावली में शरीक करना पसन्द करेंगे।

हमारे लिये काशी जितनी पुण्यभूमि है उससे सारनाथ तनिक भी कम नहीं है। बौद्धधर्म हिन्दूधर्म का ही एक अज्ज्वल अंग है यह सिद्ध करने के लिये हमें श्री जुगलकिशोरजी के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। भुनकी बनायी हुयी सारनाथ की धर्मशाला देख कर चित्त प्रसन्न हुआ। कुशीनारा में भी अन्होंने चारों ओर से आनेवाले बौद्धों के लिये ऐसी ही एक सुन्दर धर्मशाला बनवायी है। सारनाथ में भदन्त आनन्द कौसल्यायनजी का 'साक्यात्कार' हुआ। सब बौद्ध साधु अगर अन्हीके जैसे हंसमुख और विनोदी बन जायें तो मुझे डर है कि कहीं बौद्ध धर्म सारी दुनिया का धर्म न हो जाय ! विद्वत्ता, विनोद, कटावप और सहिष्णुता का यह रसायन हर किसीको आनन्ददायी ही होगा।

२६:१०:३९

का० का०

बाप्या जयन्ती

यह मुन कर आश्चर्य होता है कि आदर्श हरिजन सेवक ठक्कर बाप्या सत्तर साल के हो गये हैं ! अत्साह में, कार्यशक्ति में और साधियों को प्रेम से डाँट देने में वे अितने बूढ़े नहीं मालूम होते। चन्द लोग स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य में बिलकुल सनातनी होते हैं; जब देखिये तब जैसे दीखते हैं वैसे ही सदा से रहे हैं। अँसा प्रनीत होता है कि मानो वे बदले ही नई। ठक्कर बाप्या अन्हीमें से एक हैं। मालूम होता है कि अन्होंने वैदिक अधियों से यही बोध लिया है—'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषत् शतंसमाः'।

ठक्कर बाप्या की हरिजनसेवा भारत के

सब लोग जानते ही है। गुजरात में पहले वे हरिजनों के 'गोर' यानी गुरु, कहलाते थे। अब तो भारत भर में वे हरिजनों के 'बाप्या', याने पिता, बन गये हैं। हरिजनों के लिये अमी करने को बहुत कुछ बाकी है। किन्तु अस्पृश्यता का आधार तो कब का टूट गया है। हरिजन भी जाग्रत हुए हैं और भलेबुरे रास्ते से अपने हित के लिये कोशिशें करने लगे हैं। अिसपर से हम कह सकते हैं कि बाप्या की हरिजन-सेवा सफल हो गयी है।

किन्तु बाप्या की अितनी ही महत्त्व की दूसरी एक सेवा है जिसकी ओर भारत का पूरा ध्यान नहीं गया है।

भारत में असंख्य ऐसी जातियाँ हैं जिनको हम अस्पृश्य तो नहीं कहते किन्तु जिनकी हालत कभी बातों में हरिजनों से भी बदतर है।

जिन लोगों में बुद्धिशक्ति और धूर्तता अधिक थी, जिनका संगठन मजबूत था और जिनके पास धनसंचय भी था अँसे लोगों ने देश की अच्छी से अच्छी जमीन हथिया ली है और शहर और गांव बसा कर वे अपनी जीवन-यात्रा मजे में चला रहे हैं। किन्तु जिन लोगों को मनोवृत्ति और आदतें आरप्यक हैं, जंगल की हवा और जंगल की आजादी जिन्हें प्रिय है, पशुओं के साथ रह कर शिकार पर ही जो लोग अपना गुजारा करते हैं और अुससे पेट न भरने पर जंगल की वनस्पतियों से दोपहर की भूख शान्त करते हैं; अथवा जहाँ मुधरे हुये लोग खेती करने में लाभ नहीं देखते वहाँ पर कष्टसाध्य खेती करते हैं, अँसे वनेचर लोग हमारे देश में बहुत हैं।

हमारे प्राचीन पुराणों में अँसे पहाड़ी लोगों का वर्णन जगह जगह आता है।

स्मृतियों में भी अनुका अल्लेख है। किन्तु अनुकी जीवनकथा वहाँ काल्पनिक और भ्रमोत्पादक ढंग से दी गयी है।

अिन जंगली जातियों का अध्ययन भारत आनेवाले यूरोपियन अमलों और पादरियों ने ठीक ठीक किया है। अिनकी भाषा, अिनके रस्मरिवाज और अिनके धार्मिक आचार-विचार सबका गवेपणापूर्ण वर्णन यूरोपीय मानववैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने किया है। अंग्रेज सरकार ने अिन लोगों को कहीं कहीं थोड़ी सहायता भी पहुंचायी है।

किन्तु अैसे लोगों को अपना कर अपने समाज में आत्मसात् करने का और अनुका समाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक अुद्धार करने का अुत्तरदायित्व हम लोगों ने बहुत कम पहुंचाना है। अैसे लोगों में कार्य करने का प्रारंभ ठक्कर बाणा ने गुजरात में किया और 'मीन सेवा मंडल' की स्थापना की। वहाँ अनुको अच्छे कार्यकर्ता मिले। श्री पंडाजी जैसे अच्छे नवयुवक की मदद मिलते ही अनुोंने असम प्रान्त के पहाड़ी लोगों की सेवा शुरू कर दी।

अगर भारत में धर्मवृद्धि है, न्यायवृद्धि है और राष्ट्र संगठन की दूरदर्शिता है तो ठक्कर बाणा के असि कार्य की ओर देश को तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये। गांधीजी ने बाणाजयन्ती के अपुलवष में ७०,००० रुपये अिकट्ठा करने की सूचना की है। देश के धनी और गरीब सब मिल कर यह रकम अिकट्ठी करेंगे ही। किन्तु अगर हम भारतवर्ष में सचमुच सर्वोदय चाहते हैं तो हमें अससे कुछ अधिक करना होगा। अगर भारत के नवयुवक २९ नवम्बर तक अनुं सत्त मी कार्यकर्ता पर्वतीय जातियों की सेवा के लिये दे दें और अेक साल में असि

संख्या को दसगुनी करने का संकल्प करें तो वह बाणाजयन्ती मनाने का सही तरीका होगा।

२६:१९:३९

का० का०

बाणा जयन्ती

यह मैं जानता था कि गांधीजी और ठक्कर बाणा की उम्र में कुछ ही दिनों का अंतर है। पर बाणा-जयन्ती मनाने की कोई योजना भी बनी है यह मुझे 'हरिजन बन्धु' में गांधीजी की टिप्पणी पढ़ने पर ही मालूम हुआ। मैं ठक्कर बाणा के जरिये गांधीजी के पास आ पहुंचा और सेवाकार्य को अपना जीवन दे देने के लिये उन्होंने अपने दृष्टांत और प्रेरणा द्वारा मुझे सदैव प्रोत्साहित किया है। घड़ी की नियमितता से अपने नित्यकर्मों को पूरा करना, अपनी संस्थाओं और अनुके संचालकों के कामों की बारीक निगाह से देखरेख, आने कर्मचारियों के प्रति विलक्षण वात्सल्य, उनकी सुख-सुविधाओं की चिंता, नियम से अपनी दिनचर्या (रोजानामचा) लिखने की आदत, और इन सबसे अधिक अपनी निरभिमानता के कारण वे हमेशा मेरे लिये अेक आदर्श गुरुजन रहे हैं। उन के इन गुणों को मैं कभी हासिल न कर सका, और अब तो यह आशा ही नहीं कि कर सकूंगा। उनकी अयन्ती मनाई जाने-वाली है, इस कारण मुझे उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने का मौका मिला, इसकी मुझे खुशी है। वे पूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अनुभव करते रहें, और अपनी अपनाई हुई कौमों की सेवा बढ़ाते रहें यही हृदय की इच्छा है।

२६:१०:३९

कि० अ० म०

माध्यमिक शिक्षण का प्रश्न

वर्धयोजना, यानी बुनियादी तालीम, की तरफकी बर्तहस्ता आहिस्ता हो रही है। वर्धयोजना का प्रारंभ तो अिस वकत खास खास प्रदेशों में सीमित क्षेत्र में ही किया जायगा। और वह भी खास करके देहातों में। बैसा होते हुबे भी माध्यमिक, यानी हाओस्कूल की, पढाओ का विचार भी अब करना ही होगा। सात साल तक जो बुनियादी तालीम दी जायगी अुसकी योग्यता, सिर्फ अंग्रेजी को छोड़ कर, आज की सैट्रिक से किसी भी बात में कम नहीं होगी। अगर कोओ फरक रहा भी तो वह बुनियादी तालीम के हक में ही होगा। अब, जब बुनियादी तालीम बढ़ने लगेगी तब हाओस्कूल की शिक्षण का क्या किया जाय यह सवाल बार बार हमारे सामने आयेगा। हाओस्कूल की शिक्षण तो युनिव्हर्सिटी के साथ बंधी हुओ है। हम राष्ट्रभाषा को बुनियादी स्कूलों में और हाओस्कूलों में आवश्यक स्थान देना चाहते हैं, युनिव्हर्सिटी को अुसमें अुत्साह नहीं; हम अपनी माध्यमिक शिक्षण में से अंग्रेजी का प्राधान्य हटाना चाहते हैं, युनिव्हर्सिटियां अुसे बढ़ाना चाहती हैं; हम शहर और देहात में ज्ञान का प्रचार मातृभाषा द्वारा करना चाहते हैं, हमारी युनिव्हर्सिटियां शहर के और गांव के होशयार होशयार लडकों को अंग्रेजी की दीक्षा दे कर तीकरी के, अदालती झगडों के और लोगों की बीमरी के पीछे पागल बनाती आयी है; हम सुशिक्षितों को प्रजासेवक अुत्तरदायी व्यक्ति बनाना चाहते हैं, युनिव्हर्सिटी के ग्रेजुअेटों का समाज के साथ कम से कम संबंध आता है, वे देहातियों से मिल नहीं सकते

और धन कमाने की शक्ति न बढ़ते हुबे भी धन का व्यय करने की शक्ति बढ़ाने की शिक्षण अुन्हें दी जाती है। युनिव्हर्सिटी के शिक्षक और अध्यापक तनस्वाह और पेंसनों की बदीलत समझ से जितने अलिप्त रहते हैं कि जिनके मन में स्वराज्य के लिअे प्रेम है बैसे अध्यापक भी स्वराज्य के लिअे कुछ बलिदान करना अपना धर्म है अिस बात को महसूस नहीं करते।

आजकल की युनिव्हर्सिटियां कितनी प्रतिगामी (रीअेशनरी) है यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है। परदेशी सरकार का अंकुश हमारी युनिव्हर्सिटियों पर जहां तक हो सके कम रहे यही हमारी कोशिश रही है। स्वराज्य के दिनों में भी हमारे शिक्षण-परायण पंडित जितने 'स्वतंत्र' रहे अुतना ही अच्छा है। किन्तु 'स्वतंत्र' होने के मानी 'अतंत्र' होना तो नहीं है। स्वतंत्र होने के मानी यह नहीं है कि वे प्रजाहित का भी खयाल न रखें; अपनी बड़ी बड़ी तनस्वायें, लंबी लंबी तानीले और जिनका प्रजाहित से संबंध नहीं है अैसी चर्चायें और खोजें ले कर वे मनमाना जीवन व्यतीत करें!

विद्यासेवक पंडित अपने संयमी, सादे, जीवन से और प्रजाहित-परायणता से और ज्ञान तथा चारित्र्य की तेजस्विता से ही स्वतंत्र बन सकते हैं। क्या हमारी युनिव्हर्सिटियों के प्रोफेसरों ने अपना यह अधिकार सिद्ध किया है? अधिकार के साथ जब कर्तव्यरक्षा का अुत्तरदायित्व नहीं रहता तब धर्मगुरु और राजा-महाराजाओं के समान देश के विद्वान भी बिगड जाते हैं और अपनी बुद्धि का अुपयोग प्रतिगामी तदबीरों के समर्थन के लिअे करते हैं।

‘समवाय’ और ‘अनुबन्ध’

आचार्य भागवत महाराष्ट्र के एक आचार-वान् शिक्षाशास्त्री हैं। आज कल मराठी में “बर्धा शिक्षण” नामक एक मासिक पत्र का संपादन करते हैं। अन्के साथ पिछले दिनों पूना में जो चर्चा हुआ थी उसके फलस्वरूप अन्होंने बहुत ही सुन्दर शब्दों में ‘अनुबन्ध’ और ‘समवाय’ का परस्पर संबंध स्पष्ट किया है। अन्के लेख का अनुवाद अन्यत्र दिया गया है। इस सृष्टि की रचना में सब चीजें परस्पर अनुबन्ध हैं क्यों कि अन्में प्रयोजन की अकता है और अनेक रूप धारण करनेवाली अक किस्म की व्यवस्था है। इस प्रयोजन और इस व्यवस्था की बुनियाद में तत्त्वतः अयुतसिद्धि का समवाय संबंध है। इसलिये दर्शनशास्त्र में और तत्त्वज्ञान में ‘समवाय’ शब्द अधिक प्रयुक्त होता है। पर शिक्षणशास्त्र व्यावहारिक और प्रत्यक्ष होने से अन्के लिये ‘अनुबन्ध’ शब्द ही अधिक अपयुक्त मालूम होता है। अनुबन्धों का पर्याप्त ग्रहण होने के बाद ही तत्त्वदृष्टि के अन्दर समवाय का अुदय होता है। समवाय है ही अतीन्द्रिय। तत्त्वज्ञान में ही अन्के लिये अवकाश है। हमारे मत से शिक्षापद्धति की मीमांसा की परिभाषा में ‘अनुबन्ध’ शब्द ही अनुरूप है। यदि हम पदार्थगत संबंध को ‘अनुबन्ध’ कहें और केवल बुद्धि-प्राह्य तत्त्वसंबंध को ‘समवाय’ कहें, तो व्यवस्था अच्छी होगी।

२४:१०:३९

का० का०

अ० भा० काँग्रेस समिति का प्रस्ताव

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की सभा ने मेरे हृदय में निराशा और असंतोष का ही भाव उत्पन्न किया है। यदि यह मान भी लिया जावे कि यह अंसा अवसर था जब कि भारत के लिये—अगर वह स्वतंत्र होता तो—ब्रिटेन और उसके मित्रों की सहायता करना उचित होता, तो भी जहांतक अंसा कोशे निर्णय करना काँग्रेस के हाथ में होता वह अिन देशों की सहायता अंसे साधनों से कभी नहीं करती जिनका कि अुपयोग अुसने अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये भी न करने का निश्चय किया है। यदि काँग्रेस भारत की स्वाधीनता भी अुचित और शान्तिमय अुपायों से ही प्राप्त करेगी; याने अुसके लिये भी वह जान और माल का नाश नहीं करेगी; तो यह स्पष्ट ही है कि वह ब्रिटेन और अुसके मित्रों की भी हत्या और विध्वंस से अपनी रवाधीनता की रक्षा में मदद नहीं करेगी। भारत केवल अहिंसक सहायता ही दे सकता है। यदि दूसरे देश अहिंसा को ही अपना अक मात्र आयुध बना लें तो आवश्यकता होने पर अुन देशों में अहिंसक प्रतिकारी भेजने की सीमा तक भी यह सहायता जा सकती है।

यदि काँग्रेस सत्याग्रह की नीति का विचार-पूर्वक परित्याग करना नहीं चाहती थी तो अुसे यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये थी। अंसे स्पष्टीकरण के अभाव में मुझे तो यही प्रतीत होता है कि गांधीजी की ७१ वीं (हिन्दी पंचाग के अनुसार) जयन्ती के दिन अखिल भारतीय समिति ने अन्हें अंसा प्रस्ताव

बंट किया जो काँग्रेस का गांधीनीति को अन्तिम नमस्कार हो सकता है; और जिसका परिणाम हिन्दुस्तान को एक महान् संकट में डालना भी हो सकता है। अब भी हम भिन्न गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन हम सुधारेंगे या नहीं इसमें सन्देह है।

१४:१०:३९

कि० ध० म०

बड़ेलाट की घोषणा

बड़े लाट ने अपनी घोषणा द्वारा काँग्रेस को जो धक्का पहुँचाया है उसका मैं अनेक दृष्टि से स्वागत करता हूँ। आवेश में आ कर काँग्रेस अपने संगठन के केन्द्र को ही नष्ट करने पर अतारू हो गयी थी। महायुद्ध उसे अपनी कवचा से भ्रष्ट कर रहा था। अब यदि वह चाहे तो अपना गया हुआ सम-तुलन पुनः प्राप्त कर सकती है। अगर काँग्रेस अपने सिद्धान्तों के प्रति अकनिष्ठ रहना चाहनी है तो उसे अपने मन में यह साफ़ साफ़ ठान लेना चाहिये, और अशुभदिग्ध शब्दों में घोषित कर देना चाहिये कि चाहे भारत को स्वाधीनता मिले या न मिले, काँग्रेस, भारत में या भारत के बाहर, अपने लिभे या दूसरों के लिभे, हिंसा में हाथ कदापि नहीं बँटा सकती। उसके लिभे मनुष्य की जान लेना संभव हो तो भी वह नहीं लेगी। यदि आज वह विशुद्ध अहिंसा से देश की रक्षा करने के लिभे, या स्वाधीनता प्राप्त करने के लिभे, अपने आपको असमर्थ मानती हो, और इसलिभे कुछ घबराती हो, तो उसे अहिंसक प्रतिकार की कला का ही विकास करने में जुट जाना चाहिये, न कि संहार की कला का। वह तो सरकार को अधिक से अधिक अहिंसक सहयोग, या असहयोग ही दे

सकती है। परिस्थिति अनुकूल हो तो अहिंसक सहयोग दे सकती है; और यदि परिस्थिति विदश करे तो अहिंसक असहयोग। परन्तु उसकी शक्ति या अशक्ति—आप उसे चाहे जिस नाम से पुकारें—उसकी संगठित अहिंसा में ही होगी।

१९:१०:३९

कि० ध० म०

फिर 'ड' और 'ळ'

मदन्त आनन्द कोसलवाहन लिखते हैं:-

"अमस्त के 'सर्वोदय' में श्री 'सर्वोदयमित्र' ने राहुलजी के किसी ग्रन्थ-अनुमानतः 'जामान'-में 'ड' की जगह 'ळ' का प्रयोग देख कर यह शंका की है कि क्या राहुलजी 'ळ' का अच्चारण 'ड' ही समझते हैं? भिन्न संका के उत्तर में 'सम्पादकीय' में लिखा है कि 'सर्वोदय-मित्र' की बात ठीक है, अर्थात् राहुलजी की गलती है, और उसका कारण यह बताया है 'हिन्दीवाले नया अच्चारण सीखने की तकलीफ कम लेते हैं'।"

मैं समझता हूँ कि मुझे या किसीको राहुलजी की विकालत करने की जरूरत नहीं, यदि अउनकी नजर से यह टिप्पणी गुजरी होती और अन्हें कुछ कहना होता, तो वह स्वयं लिख सकते थे। मैं अपनी ओर से दो शब्द निवेदन कर दूँ:-

(१) मेरा ख्याल है कि राहुलजी ने 'ळ' अक्षर को 'ड' की जगह जानबूझ कर अपनाया है। वह मराठी अथवा अन्य किसी प्रान्तीय भाषा के 'टिळक' अत्यादि शब्द को हिन्दी में लिख सकने की सहूलियत के अदृश्य से नहीं; बल्कि हिन्दी में ही 'षोडा, इत्यादि शब्दों के लिखने में 'ड' के साथ नीचे जो अनेक बिन्दी लगनी पड़ती है, अउस बिन्दी को

अनावश्यक बना देने के लिये। रोमन के अनेक अवधरों का यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न अुच्चारण है। यदि मराठी में 'ळ' का अुच्चारण 'ल' कार लिये रहने पर भी हिन्दी में वह 'ड' के पर्यायवाची के ही रूप में स्वीकृत हो, तो क्या कोअी हर्ज है? यही कहा जावेगा न, कि तब अुस अुच्चारण के लिये जिसकी अभिव्यक्ति मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में 'ळ' से होती है हिन्दी में कोअी दूसरा प्रकार सोचना होगा। राहुलजी ने 'ड' की जगह 'ळ' का प्रयोग करके अुन हिन्दी शास्त्रियों के सामने जो 'ड' के नीचे बिन्दी नहीं लगाना चाहते अेक सुझाव रक्खा है जो स्वीकृत भी हो सकता है, और इससे अच्छे किसी दूसरे सुझाव की अुपस्थिति में अस्वीकृत भी।

(२) भारत की कुछ दाक्षिणात्य भाषाओं में जब 'ळ' का प्रयोग और अुसका विशिष्ट ल-कारात्मक अुच्चारण विद्यमान है तो अुन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते समय हम स्वभावतः अपना अुच्चारण अुन भाषाओं के स्वीकृत अुच्चारण के अुनकूल ही करेंगे; लेकिन क्या 'ळ' का अुच्चारण 'ड' होता ही नहीं? यदि वेद में होता है, तो वेद में ही सही।

लिपि-संस्कार के अिस युग में यदि हमें किसी का कोअी प्रस्ताव मान्य न हो; तो हम अिसे अुसकी समझ की गलती ही क्यों मानें?"

ये दिन सुधार के हैं, योग के हैं। हर अेक व्यक्ति अपना अपना प्रयोग कर सकता है। किन्तु मनमाने प्रयोग चलाने से अनवस्थाप्रसंग आने का डर होने से संकट की सूचना देना भी धर्म-प्राप्त हो जाता है।

अेक निश्चित अुच्चारण के लिये जो अवर भारत की सात प्रधान भाषाओं में है अुसी अक्षर को हिन्दी में अेक दूसरी ही ध्वनि

व्यक्त करने के लिये यदि आप काम में लाना चाहें तो ला सकते हैं। किन्तु राष्ट्रभाषा के सेवकों के नाते सात भाषाओं के प्रतिनिधि हमलोग अुसका विरोध करेंगे और अैसे लोगों से शुरू में ही कह देंगे कि अिसमें आपकी गलती हो रही है।

किन्तु अभी तो 'ड' के लिये 'ळ' अक्षर समस्त हिन्दीवालों ने लिया ही नहीं है। किसी संस्था या समिति ने अुसे मान्य किया नहीं। केवल अेक व्यक्ति ने अुसका प्रयोग किया है अैसा तीसरे ही अेक व्यक्ति का अनुमान है। अिसलिये प्रारंभ में ही अुसका दोष दिखाना आवश्यक है। हिन्दीवालों की अितनी सेवा करना हमारा धर्म है।

जो लोग चाहते हैं कि भारत की सब प्रान्तीय भाषाओं के लिये अेक ही नागरी लिपि का व्यवहार हो वे यह कोशिश अवश्य करेंगे कि सारे भारत में हर अेक अक्षर का अेक ही सर्व-साधारण अुच्चारण हो। अिसमें भी हमें पूर्णतया सिद्धि नहीं मिलेगी। बंगाली लोग 'अ' का अुच्चारण 'ओ' के जैसा करेंगे। कभी कभी 'अँ' करेंगे। हिन्दीवाले 'अँ' (अञि) का अुच्चारण 'अय्' के जैसा करेंगे। पंजाबियों का 'अ' और बंगालियों का 'अ' महाराष्ट्र-गुजरात के 'अ' से अुच्चारण में अलग होगा। और मद्रासी तो 'अ' का अुच्चारण 'आ' के जैसा करेंगे। और 'ज्ञ' के अुच्चारण के बारे में तो हर अेक प्रान्त अपनी अपनी अलग राय रखेगा। अैसा होते हुअे भी हमारा प्रयत्न तो यही रहना चाहिये कि भारत भर में हर अेक अक्षर का अेक ही निश्चित अुच्चारण हो। 'घोड़ा' शब्द में 'ड' के नीचे बिन्दी न लगाने से भी काम

चल सकता है। जहाँ 'ड' का अच्चारण व्यक्त करना आवश्यक है वहाँ पर बिन्दी से ही काम लेना हमारी राय में अच्छा है। जिस अच्चारण में 'ळ' का व्यवहार करना लिपि-व्यवस्था में अराजकता पैदा करना है।

अगर हर अकेले प्रान्त में हर अकेले अक्षर के अच्चारण भिन्न भिन्न हो जायें तो सर्वसाधारण की सहूलियत के लिये अकेले नयी ही आन्तर-प्रान्तीय लिपि बनानी होगी जैसे कि यूरोप में अिण्टर नेशनल फोनेटिक बनायी गयी है। किन्तु अँसा करने से नागरी का गौरव हम घटायेंगे। नागरी स्वयंसिद्ध आन्तर-प्रान्तीय वैज्ञानिक लिपि है। मेरे विचार में देवनागरी का अर्थ ही है आन्तर प्रान्तीय लिपि। (देवनागर=वनारस, काशी। सब प्रान्त के विद्वान देवनागर में रहते हैं जिसलिये देवनागर की लिपि ही आन्तर प्रान्तीय मान्यता के योग्य है)।

का० का०

देवों का काव्य

शाम से ले कर सुबह तक अलंड जागनेवाले व्योमविहारी देव चातुर्मास्य में बादलों की चद्दर ओढ़ कर अकसर सो जाते हैं। यह पुरानी चद्दर सावधानी से ओढ़ने की कबीर की कला अिन देवों को अवगत न होने के कारण वह स्थान स्थान पर फट गयी है। जिसलिये चातुर्मास्य में भी अिन देवों का बीच बीच में दर्शन होता रहता है। किन्तु संकेत तो अँसा है कि अिस दिनों में देवों को नींद से जगाना नहीं चाहिये। 'देवशयनी' अेकादशी को सोये हुअे देव अब कार्तिक शुक्ल की 'प्रबोधनी अेकादशी' के दिन प्रसन्न

हो कर अुठेंगे। जो अच्छे सोते हैं वे जागते भी हैं बहुत अच्छी तरह से। जिसलिये अगले महीने से अिन आकाशस्थ देवों का दर्शन हम फिरसे करते रहेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि वे अभी से रोज शाम और सुबह को पांच पांच या दस दस मिनट देने का निश्चय करें।

अिच्छा तो यह है कि अगले महीने से अिन देवों के दर्शन की सुविधा के लिये कुछ चित्रों का भी प्रबंध करें। प्रथम नक्षत्रों की आकृतियां देने से अुन्हें पहचानना बहुत कुछ आसान हो जायगा। अब की बार गुरु, मंगल और शनि के दर्शन तो आकाश में हो रहे हैं। अुन्हींकी तरफ पाठकों का ध्यान खींच कर हम संतोष मानते हैं। आजकल रात को जब तक ब्याध नहीं अुगता तबतक आकाश की ज्योतियों में गुरु का ही प्रभाव सब से अधिक रहता है। मंगल तो यूरोप में युद्ध की देवता मानी जाती है। अुसकी लाल लाल आंखों से ही अुसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। और शनि तो रात को पूर्व दिशा में अपनी यात्रा का तारण करता है जिसलिये अुसको भी पहचानना कठिन नहीं है। अिन तीनों ग्रहों का तेज निष्कंप और स्थिर होता है। केवल तारे ही झिलमिल झिलमिल पलक मारते रहते हैं।

२४:१०:३९

का० का०

आध्रम के अुस्तू और सवाअी का अियोग !!

'सर्वोदय' के सभी रसिक पाठकों को यह जान कर दुःख होगा कि अबसे वे 'सर्वोदय' के पृष्ठों में 'सवाअी भुशुडि' की मार्मिक और निरपद्रवी धिनोद-अरी बातें नहीं पढ़ सकेंगे। सवाअी ने कभी महीनों तक

दृश्य का अनिश्चित किया और अप्रत्यक्ष-रूप से वस्तु-रूपन भी किया। हमें यह बालूब है कि हमारे कभी गंभीर प्रकृति के सहृदय मित्र भी सवाजी की व्यर्थ बड़े बाब से पढ़ते थे। मुझ का भी अपना एक 'दर्शन' था। मुझके संवादों को पढ़ कर कभी पाठकों की विनोदवृत्ति जाग्रत होती थी। 'मनुष्यों के हागडों' वह मुसका विवेचन पढ़ कर अके अस्विकृत किम ने निम्न सुंदर पत्र लिखा है :-

"सर्वोदय के संवादक पर मानहानि का दावा दावर करने का मिरादा है। विशु और अविवाहितों के प्रति बड़ा अन्धाय किया है। देखिये हमारे सेगांव आश्रम की ही बात ले लीजिये। श्री म० विवाहित हैं और बुनकी पत्नी भी बंगाली नहीं है। अके रोज आश्रम के अल्लू को सेमांव भेजिये, फिर होरे दें म० से दो दो हाथ! देखें कौन जीते। और बिचारे श्री म० और श्री क० तो अविवाहित हैं जो भेड से भी गरीब हैं। सचमुच आश्रम का अल्लू, अल्लू ही है! बड़े मुसीबत तो यह है 'केस' किसकी अदागत में दमर करूँ? अंती अवसलत हो ज्ये व तो विवमहित हो; न अविवाहित! आपकी सल्लाह में कोणी है?"

आश्रम के अल्लू और सवाजी के ये संवाद कितने सचिकर होते थे जिसका यह रोचक पत्र अके मुदाहरण है।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि सवाजी अके ही आंख से देखता था। लेकिन हम दोनों आंखों से देख कर भी प्रत्येक पदार्थ की अके या डेढ़ ही बाजू तो देख पाते हैं न? किसी भी वस्तु का हमें संपूर्ण दर्शन तो होता ही नहीं। किसी दर्शन-

निक ने ठीक ही तो कहा है, We are all short-sighted. We very often see but one side of an object. (हम सभी अल्पदर्शी हैं। हम अक्सर पदार्थ की अके ही बाजू देख पाते हैं।)

जब दोनों आंखों से—और बाजकल तो दो नेत्रों और दो अणुनेत्रों से—देखनेवाले दार्शनिकों का भी यह हाल है, तो सवाजी भुगुंडि को दोष कौन दे सकता है? दो आंखों-वालों के दर्शन भी तो अकेदेशीय और अकेंधी होते हैं। सवाजी का यह दावा था कि जब अके पक्ष और अके ही अंश देखना है तो बड़े काम अके आंख से अधिक अच्छी तरह हो सकता है। अल्लूके 'अकावषदर्शन' से हम सबक सीख सकते हैं।

लेकिन भुगुंडि की याद आते ही हम अल्लूकी दृष्टि का विश्लेषण करने बैठ गये। पढ़े-लिखों की यही तो अिल्लत है। अन्हें 'शोकगमा' में भी मापण देने को कहिये तो वे मृत्यु के सिद्धान्त का विश्लेषण करने लगेंगे।

सवाजी ने हमें अपना अन्तिम नमस्कार भेज दिया है। अपने मित्र की अन्तिम अिच्छा पूरी करने के लिये आश्रम के अल्लू ने जिस प्रकार अल्लूके शरीर को बड़ी प्रामाणिकता से अुदरस्थ किया अुसी प्रकार अब वह आश्रम से भी बिदा होनेवाला है। जिस अिमली के पेड़ पर अल्लूका बसेरा था वह अब अूजड़ हो जायेगा।

भुगुंडि का 'काकदर्शन' अिस अंक से समाप्त होता है। अके रसिक मित्र के नाते हमें भुगुंडि और आश्रम के अल्लू का विषम कभी दिनों तक पीड़ा देना रहेगा।

२७.१०.३९.

दा० ष०

बूढ़ी संजम्मा-अेक हरिजन कत्तिन

[हणमंतराव कौजलगी]

संजम्मा पोदूर की अेक हरिजन कत्तिन है। १९३४ में जब मैं अुससे पहलेपहल मिना तब वह ८३ साल की थी। निजाम राज्य की गदवाल रियासत के पोदूर नामक गांव मे वह अपनी झोंपडी के सामने बैठी थी। हमलोग वहां महीन सूत की कताओ का संगठन करने गये हुअे थे। रायचर में हमें मानूम हुआ था कि गदवाल रियासत में कुछ अैसी बूढियां हैं जो ४० से ६० नम्बर तक का सूत कात सकती हैं। वहां यह कला अबतक जीवित थी। क्योंकि वहां के मछुअे अपने जाल बनाने के लिये यह महीन सूत ज्यादा पसन्द करते हैं।

संजम्मा अुन बूढी स्त्रियों में से थी जो अिन मछुओं के लिये काता करती थीं। अधर कुछ दिनों से अुसने कातना छोड दिया था, क्योंकि अुसे काफी मजदूरी नहीं मिलती थी। हमने अुसको निराश ही पाया। जब हमने अुससे पूछा कि क्या नुम हमारे लिये कातोगी; तो अुसने जवाब दिया कि अब तो मैं मात के दरवाजे पर हूं। मुझे कातने से या दूसरे किसी घन्धे से अब कोओ मतलब नहीं। और दरअसल अैसा प्रतीत होता था कि मानो वह सूरज की अुस धूप में बैठी बैठी मृत्यु के दूतों की बाट जोह रही हो।

हमने अुसे अितनी आसानी से नहीं छोडा। यद्यपि हमने अुसका चरखा भी नहीं देखा था तो भी हमने अुसे अेक रुपया बयाने के तौर पर दे दिया और अुससे कहा कि अगर हो सके तब कातने की कोशिश करो।

संजम्मा तो अुस रुपये को लीटा ही देती लेकिन अुसके पोते ने वह ले लिया।

कोओ आठ महीने बाद मैं फिर पोदूर गया तो क्या देखा कि संजम्मा अपने पुराने चरखे पर कात रही है। मैं अपने साथ अपना यरबडा चक्र ले गया था। संजम्मा के पुराने चरखे पर कितना सूत कात सकता है और मेरे यरबडा चक्र पर कितना कात सकता है अिसकी मैं तुलना करना चाहता था। जब मैंने संजम्मा से कहा कि तुम कातने में मेरा मुकाबला करोगी; तब तो अुसने मुझे चुनौती ही दे दी।

“तुम्हारा सुडोल, रोंगनदार चरखा मेरे चरखे की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मेरा चरखा देखने में टूटा-फूटा और पुराना भले ही हो”, अिन शब्दों के साथ संजम्मा ने कातना शुरू कर दिया। जब घण्टा खतम हुआ तो मेरा बीस नंबर का ३५० गज सूत निकला और संजम्मा का साठ नम्बर का ३०० गज। संजम्मा ने काते हुअे सुन्दर अंठदार महीन सूत का स्पर्श बडा सुखद मालूम होता था। अपनी हार कबूल करने मे मुझे बडा संतोष हुआ और मैंने यह अिच्छा प्रदर्शित की कि संजम्मा शतजीवी हो।

गदवाल रियासत की कत्तिनों का अुत्साह बढ़ाने के लिये, और कातने को अधिक समय देने के लिये अुन्हें अुत्साहित करने की मंशा से, हमने यह अैलान किया कि जो कत्तिन १,८०० गज की अेक अेक लच्छी के हिसाब से साल भर में २०० लच्छियां देगी अुसे कताओ के बीसम के अन्त में अेक साडी

अिनाम दी जायगी। जिन कत्तिनों को अिनाम मिला था अुनमें जब मेने संजम्मा का नाम देखा तब मेरे ध्यान में आया कि संजम्मा पचासी साल की बूढी होते हुअे भी अभी बराबर तरक्की कर रही है। में गदवाल केन्द्र में १९३७ में गया। संजम्मा को अेक फटी-पुरानी साडी पहने हुअे देख कर मेने अुससे कहा, 'तुम चरखा संघ की दी हुअी साडी क्यों नहीं पहनती'? अुसने शान्ति से अुत्तर दिया, 'अुसे अगले साल के लिये रख छोडा है'। जो संजम्मा १९३४ में यह सोचती थी कि अुसके लिये अब मृत्यु का अिन्तजार करने के सिवा और कुछ बाकी नहीं रह गया है वही १९३७ में अपनी साडियों को बचा बचा कर बरतती हुअी पायी गयी।

ये और अिसी तरह के दूसरे दृष्टान्त खादी की आधिक कार्यक्षमता में हमारी श्रद्धा प्रति दिन बढाते हैं।

में यह भी कह दूं कि अिन चार वर्षों में संजम्मा की औसत वार्षिक खालिस कमायी पच्चीस रुपया रही है। अिसके अलावा तीन वर्षों से लगातार अुसे अिनाम में साडियां मिलती आयी हैं। १९३८ में अुसकी खालिस कमायी ३६ रुपया से अधिक है। बुढापे के कारण संजम्मा खडी भी नहीं हो सकती। अिसलिये या तो वह अपने पुराने चरखे पर कातने का अुद्योग कर सकती है या अपने पोते के बच्चे को सम्हालने का।

संघ वृत्त

संघ की कार्यवाहक समिति की बैठक वर्षों में ता० २५ और २६ अक्तूबर को हुअी थी। पू० बापूजी दोनों दिन उपस्थित थे। युद्ध-परिस्थिति के कारण देश के सामने हिंसा-अहिंसा का जो महान् प्रश्न खडा हुआ है अुसीके बारे में अिस बैठक में ख़ास विचार हुआ और नीचे लिखा हुआ प्रस्ताव मंजूर किया गया।

प्रस्ताव—

“युद्ध में संघ जैसी अहिंसा में माननेवाली संस्था का रुख क्या हो सकता है, अिस विषय पर सदस्यों की समझ के लिये कार्यवाहक समिति यह जाहिर करती है कि

अिस संघ के सदस्यों के लिये पू० गांधीजी की ही सत्य और अहिंसा की दृष्टि मान्य और मंजूर करने योग्य हो सकती है। अिस अहिंसात्मक शक्ति का संगठन और विकास करना वे चाहते हैं वह देश के भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के झगडों को मिटाने और मनुष्य-मनुष्य के बीच मेलजोल कराने में कामयाब होनी चाहिये, और अुसी ध्येय से सदस्यों का खानगी और जाहिर जीवन बनना चाहिये। अुसी बल को अपने लिये संपादन करने और जनता को अुसीकी शिखा देने का ध्येय संघ के सदस्यों के सब कार्यक्रमों में व्याप जाना चाहिये।”

नये सदस्य

संघ में नये सदस्यों को प्रवेश देने के विषय पर भी कार्यवाहक समिति ने विचार किया। समिति की यह राय हुई कि फिलहाल नये सदस्यों को प्रवेश न दिया जाय। परन्तु रचनात्मक कार्य द्वारा अहिंसा को संगठित करने के संघ अद्देश्य में जिन्हें विश्वास है और तदनुसार जो कार्य भी कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, असे कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने की संघ की अच्छा है। इसलिये यह विचार किया गया है कि असे कार्यकर्ताओं की अलहदा नोंध संघ के कार्यालय में रखी जाय और उनको अवैध प्रकार के सदस्य माना जाय।

समिति की आगामी बैठक

कार्यवाहक समिति की आगामी बैठक नवम्बर मास में काँग्रेस वकिंग कमिटी की बैठक के साथ साथ वर्षा में करने का अिरादा है। सन् १९४० का अनुमानपत्र इस बैठक

में मंजूर किया जायगा।

जिन सदस्यों ने अपने अनुमानपत्रक अब तक नहीं भेजे हैं उनसे प्रार्थना है कि वे अुन्हें शीघ्र भेज दें। बैठक ता० २० से २२ नवम्बर के करीब होने का संभव है।

विशेष सूचना—

संघ के सभी सदस्य 'हरिजन', 'हरिजन-सेवक', या 'हरिजनबन्धु' नियमितरूप से और ध्यानपूर्वक पढ़ते ही होंगे। आज अनेक महत्त्व के सवाल हमारे सामने पेश हैं और हररोज पेश हो रहे हैं। पू. बापूजी अिन प्रश्नों पर आजकल जो विचार प्रकट कर रहे हैं, संघ के सदस्यों के लिये वे अेक विशेष प्रकार का महत्त्व रखते हैं। अतः संघ के अध्यक्ष की यह खास सूचना है कि संघ का हरेक सदस्य अिन विचारों को नियमपूर्वक और गौर से पढ़े।

र० श्री० घोत्रे

मंत्री, गांधी सेवा संघ.

वाङ्मय परिचय

भारत की चित्रकला—

(ले० रायकृष्णदास, प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा, काशी: पृष्ठ १८०, मूल्य—साधारण संस्करण रु. १, विशेष संस्करण रु. १।)

हिन्दी के क्षेत्र में रायकृष्णदासजी चित्रकला के विज्ञ माने जाते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के साथ भारतीय कलाभवन की स्थापना करके अुन्होंने भारतीय संस्कृति की अच्छी सेवा की है। यों तो हमारे देश में

अब अनेक अच्छे अच्छे संग्रहालय तैयार हुए हैं। किन्तु जहां राजाओं के, या प्रान्तीय सरकारों के अुत्साह से संग्रहालय बन जाते हैं वहां कुछ आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जब कोअी धनी पुरुष अपने अुत्साह से अच्छा संग्रहालय तैयार करते हैं तब अुनकी संस्कारिता और रसिकता पर अवश्य हमें अभिमान होता है। किन्तु भारत अितिहास संशोधन मंडल, पूना, का संग्रहालय और

भारत कला मंडल, बनारस, का संग्रहालय, देख कर अभिमान के साथ साथ आदर भी होता है। क्यों कि इनके पीछे कलाभक्ति और संस्कारिता है।

रायकृष्णदासजी ने देव-पुरस्कार ग्रंथावली के सिद्धे दो सुन्दर ग्रंथ रचे हैं:— “भारत की चित्रकला” और “भारतीय मूर्तिकला”। हमारा खयाल है कि हिन्दी में जिस विषय पर बितनी योग्यता से लिखा हुआ दूसरा ग्रंथ नहीं है। भारत की सब प्रान्तीय भाषाओं में जिस ग्रंथ का तुरन्त अनुवाद होना चाहिये ताकि जिसे पढ़ कर हर एक प्रान्त के लोग अपनी अपनी प्रान्तीय कला का इतिहास इसी तरह लिखने को प्रोत्साहित हो जायें।

पुस्तक के अन्त में पच्चीस के करीब जो चित्रफलक दिये हैं वे सुवचिपूर्ण हैं और इनका क्रम भी बड़े औचित्य से निश्चित किया गया है। हमें एक ही बात का खेद है कि ये सब चित्र तीन रंगों में हू-ब-हू मूल चित्रों के समान नहीं दिये गये। जिस जमाने में ऐसा करना कुछ कठिन नहीं था। फलक ५ में केवल मातापुत्र का ही चित्र दिया है। अूसीके पडोस में जो विशाल-काय आदमकद मूर्ति है अूसके साथ ही जिसे देना चाहिये था।

अब भी अगर रायकृष्णदासजी भारतीय चित्रकला के अुत्कृष्ट नमूनों की एक बड़ी ‘चित्रमंजूषा’ (अल्बम) तैयार करेंगे और अूसके साथ हर एक चित्र का काल, अूसकी विशेषता, आदि का वर्णन देये तथा संस्कृति के साथ कला का विकास किस तरह से और किन कारणों से होता है जिसका विवेचन देमे तो बड़ा ही अुपकार होगा।

जिस पुस्तक में मुगलशैली के अन्तिम प्रतिनिधि श्री रामप्रसादजी का अुल्लेख है। रायकृष्णदासजी की कोठी पर रामप्रसादजी के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। जिस विषय में भी रायकृष्णदासजी को हमारी सानुरोध सूचना है कि वे रामप्रसादजी की छोटीसी जीवन-रेखा, मुगल-शैली के बारे में अुनके मूह सुने हुअे संस्मरण, अुनकी चित्रकृतियों की खूबियाँ और रामप्रसादजी के चुने हुअे चित्रों की एक सुन्दर चित्र-मंजूषा भी भारतवर्ष को देने की कृपा करें। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सच ही कहा है कि आदरणीय पुरुषों का श्राद्ध अुनकी मृत्यु के बाद करने की अपेक्षा अुनके जीते-जी अुनका श्राद्ध (कद्र) करना कहीं अच्छा है।

२५:१०:३९

का० का०

सर्वोदय मित्त्रे की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भुवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) बोरा अँगूठ कंपनी, ८, राउण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) खादी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य मण्डल, नया बाजार, देहली ।
- (७) सस्ता साहित्य मण्डल, लखनऊ ।
- (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) मगनलाल हिम्मतलाल मट्ट, कॉंग्रेस हाऊस, नाणावट, सूरत

सूचना—

‘सर्वोदय’ में आम तौर पर अश्लिष्टाकार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाक्यीय ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। बिनके अश्लिष्टाकारों के दाम नहीं लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर अश्लिष्टाकार छापे जायेंगे। जो साहित्य या संस्था निर्विवादरूप से लोकोपयोगी हैं, अस्वीको स्थान दिया जायगा। यह व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी।

व्यवस्थापक, ‘सर्वोदय’, वर्धा।

हृदय की अकेता

यह सब सुन कर आप में से भी कुछ लोग शायद कहेंगे, 'कैसी बेवकूफी की बात करता है'। जो असा कहते हैं वे मुसलमानों को विजातीय समझते हैं। मैं तो उन्हें अपनाना चाहता हूँ। यह हमारे दिल की तबदीली का सवाल है। हमारे दिल में जो प्रेम और आदर है, उसको हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? मैं मानता हूँ कि काफी मुसलमान ऐसे भरे हैं, जो हिन्दुओं को काफिर मानते हैं, और उनसे मेल नहीं चाहते हैं। लेकिन सभी मुसलमानों के दिल में छुरी नहीं है। बहुत से यह भी माननेवाले हैं कि हिन्दू हमारे देशभागी हैं, और उनके साथ हिलमिल कर रहने में ही दोनों की भलागी और तरक्की है। पर हम तो अंमं मुसलमानों से भी न डरें, जिनके हाथों और दिलों में छुरी हो। हम उनके दिलों को भी जीत लें। उनके लिये भी हम पर छुरी चलाना अशक्य हो जाना चाहिये। आखिर क्या हम ही मनुष्य हैं और वे नहीं हैं? वे भी अके दिन मनुष्यता की कद्र करने ही वाले हैं। हमारा अलाज उनकी समझ में किसी न किसी दिन जरूर आवेगा। यह सवाल हृदय की अकेता का है। राज्य-प्रकरण की मौदागिरी में थोड़ी देर के लिये जगडे भले हैं बद हो जायें, लेकिन दिल अके नहीं होनेवाला है।

गांधी सेवा संघ,
डेलंग सम्मेलन २६.३.३८ }

—गांधीजी

सर्वोदय

अथ बः पन्थाः सुकृतस्य लोके

सम्पादक

काफ़ा काल/लकर

दादा धर्माधिकारी

वर्ष २ रा

अंक ५ वां

दिसम्बर

१९३९

अंक अंक	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में	६	शिलिंग
			१.५० डॉलर.
			(सब डाक सहित)

अनुक्रमणिका

१. भीशावास्योपनिषत् (विनोबा)	२१३
२. झंडा गीत (श्री सियारामशरण गुप्त)	२१४
३. भारत के शस्त्रीकरण का खर्च (श्री जयरामदास दोलतराम)	२१५
४. भद्र अवज्ञा (श्री दादा धर्माधिकारी)	२१७
५. महावीर का जीवन-संदेश (श्री काका कालेलकर)	२२२
६. "क्या खादी किफायती है" ? (श्री मनु सुबेदार)	२२५
७. गांधीजी की शिक्षा-योजना (श्री दादा धर्माधिकारी)	२२९
८. हिन्दी-भवन (श्री काका कालेलकर)	२३२
९. वर्षायोजना का हार्द—अनुबन्ध (श्री काका कालेलकर)	२३५
१०. अहिंसा की कुछ पहलियाँ (श्री किशोरलाल घ. मशरुवाला)	२३८
११. कबूतर का गटरगुँ ('कलबलराम')	२४३
१२. आकाश-दर्शन (श्री काका कालेलकर)	२४९
१३. सर्वोदय की दृष्टि	२५१

अहिंसक आत्मरक्षा का सबाल; सब्र का फल
मीठा होता है; अधिकार-ग्रहण का प्रयोग;
अल्प सफलता के कारण, वनस्थली का कन्या-
विद्यालय, क्रांति-दर्शन; क्या मुसलमान
हिन्दुस्तानी नहीं हैं ? आश्रम का अन्त कौन है ?

सर्वोदय मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) वीरा ब्रैण्ड कंपनी, ८, राभुण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) खादी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य मण्डल, नया बाजार, बहली ।
- (७) सस्ता साहित्य मण्डल, लखनऊ ।
- (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) मगतलाल हिम्मतलाल भट्ट, कौंग्रेस हाथूस, नाणावड, सुरत ।

सर्वोदय

अष्वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादनः—काका कालेलकर
दादा घाभाधिकारी

दिसम्बर, १९३९
वर्षा

ओशावास्योपनिषत्

[विनोबा]

मंत्र—स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरँ शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथःतथ्यतोऽर्थाव्यद धान्छाश्वनीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥

अर्थ—वह अज्ञान नेत्रस्वी, देह-रहित, और असलिले (व्रणादि) देह-दोषों में तथा (स्न्याग्वादि) देह-गुणों से सर्वथा अनिल, शुद्ध अब पाप-मुक्त आत्मनत्त्व को चारों ओर से घेरे हुआ है। वह जानी, वशी, व्यापक और स्वतंत्र हो गया। अन्ते शाश्वत काल तक टिकने वाले सारे अर्थ मुख्यस्थित साध लिए।

टिप्पणी—यह वर्णन आत्मा का न समझने हुआ यदि आत्मज्ञ का समझा जावे तो मंत्र का अर्थ पुराना हो जाता है। (सः) कर्ता, (शुक्र) कर्म, (पर्यगान्) क्रिया। जिसके अनिश्चित, पिछले दो मंत्रों में आत्मज्ञ का ही वर्णन है। असलिले अन् मंत्रों में इसकी अंतर्भावयता हो सकती है।

मंत्र—अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय अब ते तमो य अविद्यायाँ रताः ॥ ९ ॥

अर्थ—जो अज्ञान को ही साधन-सर्वस्व मानने हे वे घने अंधे में पड़ने करने हे। जो ज्ञान में ही मग्न हे वे मार्गों और भी गोरगर अंधे में प्रवेश करते हे।

टिप्पणियाँ—(१) अविद्या और विद्या—अज्ञान और ज्ञान—ये दोनों एक ही वस्तु के निवृत्त (निगेटिव) और प्रवृत्त (पोजिटिव) अंग है। तदनुरूप ग्यारहवें मंत्र में अज्ञानके फल भी निवृत्त और प्रवृत्त स्वरूप के बतलाये गये हे। अविद्या का अर्थ है अनधिकृत अनन्त ज्ञानों का अमंग्रह। विद्या का अर्थ है अधिकृत विशिष्ट ज्ञानों का संग्रह। इस अर्थ में ये शब्द ओशावास्य के पारिभाषिक हे।

(२) केवल अज्ञान के आश्रय से जड़ता और केवल ज्ञान के आश्रय में अहंता पैदा हान्ती है। यह दोनों तरफ के अंधेरे का एक नमूना बतलाया गया है।

झंडा गीत

[सियारामनरण गुप्त]

अेक हंमारा अूँचा झंडा, अेक हंमारा देश;
अिस झंडे के नीचे निरिचित अेक अमित अुदेश ।
हंमारा अेक अमित अुदेश ।

देखा, अाशुति के प्रभात में अुठकर आँखें खोल—
भीतर-बाहर फैल गया है अेक प्रकाश अमोल ।
प्रेम-भरे भाअी-भाअी का अेक हंमारा चोल,—
भय किसका, डर किसका हंमको, अेक हंमारी तोल ।
सबका सुहित, सुमंगल सबका, नहीं वैर-विद्वेष,
अेक हंमारा अूँचा झंडा, अेक हंमारा देश ।
सुनें सब, अेक हंमारा देश ।

कितने वीरों ने कर-कर के प्राणों का बलिदान,
मरते-मरते भी गाया है अिस झंडे का गान ।
लाली अिसे दे गया है वह अुनका सुयश महान,
अिसकी छाया में है निर्भय अान्ति, सुयश, सम्मान ।
अेक हंमारी सुख-सुविधा है, अेक हंमारा क्लेश;
अेक हंमारा अूँचा झंडा, अेक हंमारा देश ।
सुनें सब, अेक हंमारा देश ।

अपनी प्यारी मातृभूमि के गौरव का आधार,
फहर अुठा यह आसमान में सत्य-अहिंसा-प्यार !
अिसके लिअे अियेंगे हंम सब दृढ़ बल-पौरुष धार,
अिसके लिअे मरेंगे हंम सब निर्भय प्रेम प्रचार ।
अगनित धाराओं का सङ्गम, मिलन-तीर्थ-सन्देश;
अेक हंमारा अूँचा झंडा, अेक हंमारा देश ।
सुनें सब, अेक हंमारा देश ।

भारत के शस्त्रीकरण का स्वर्च

[जयरामदास दौलतराम]

कौंग्रेस की कार्यसमिति में, और उसके बाहर, अधर जो चर्चामें हुआं अुनके कारण अेक नये क्पेत्र में अहिंसा के प्रयोग का प्रश्न सब से महत्त्वपूर्ण हो अुठा है। वह क्पेत्र है विदेशी आक्रमण से भारत की आत्मरक्षा का और आन्तराष्ट्रीय संघर्षों का। अिन नये परिवर्धित क्पेत्रों में अहिंसा के अुपयोग के विषय में हर अेक कौंग्रेसजन को अपना रुख निश्चित कर लेना चाहिये। प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति देखकर संभवतः हममें से कर्त्री-अेक षत्रडायेगे और शायद सही रास्ता न लें। जब कसौटी की घडी आयेगी तत्र हर अेक क्या करेगा अिसके विषय में आज ही कौभी कुछ नहीं कह सकता।

परंतु अिस प्रश्न से संबंध रखनेवाली कुछ अैसी महत्त्वपूर्ण बातें हैं अिनका अहिंसा में हमारी श्रद्धा से कौभी सीधा संबंध नहीं है; पर फिर भी वे अिंसा के तरीके के विरुद्ध निर्णायक यक्तियों के रूप में हठात् हमारी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। अिन महत्त्वपूर्ण बातों को निगाह में रखते हुअे हर अेक हिंदुस्तानी के लिये यह निर्णय करना अुपयुक्त होगा कि क्या भारतवर्ष को भी आवुनिक तथा-कथित सभ्य राष्ट्रों की गैल जाना चाहिये? अुनका रास्ता है हिंसक युद्ध के अत्यन्त परिणामकारक शस्त्रास्त्रों से अने राष्ट्र को नख-शिखान्त सुमज्जित करने का।

छोटी-छोटी स्थायी सेनाओं के दिन अब बीत गये हैं। पुरातन काल में कुछ थोड़ेसे हजार सिपाही ही लडते थे और मरते थे। राष्ट्र की कोट्यवधि जनता अपनी साधारण

जिन्दगी अमन-चैन से बेंसर करती थी। आज तो हर अेक प्रौढ को-पुरुष को तो निश्चय ही, और कर्मी कभी स्त्री को भी-फौजी कवायत और रिसाले की शिक्पा लेकर अेक दक्ष और निपुण फौजी घटक बनाना पडता है।

अिस सबकी बदौलत प्रगतिशील मनुष्योचित सभ्य जीवन का कितना भयंकर विध्वंस होता है अिसका मैं अिस लेख में अुल्लेख नहीं करना चाहता। यहां में संक्षेप में भारत के शस्त्रीकरण के अेक ही पहलू पर विचार करूंगा। यदि भारत को अेक अैसा प्रभावशाली सैनिक राष्ट्र बनाना है जो निमी भी आवुनिक राष्ट्र के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके, तो अुसे संहार और आत्मरक्षा के आवुनिकतम अुपकरणों से सुसंपन्न होना चाहिये। यही नहीं, अुसे अपनी करोडोंकी जनता में से अधिकांश को भी शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करने का प्रबंध करना पडेगा; और शान्ति के समय भी अुन्हें अुचित सैनिक शिक्पा देते रहना होगा। अुसे अपनी सेना, फौजी जहाजों का बेडा, बायुयान, आदि सब सामरिक साधन युद्ध के लिये निरंतर विलकुल प्रस्तुत रखने होंगे।

क्या यह सब बिना पैसों के हो सकता है? अैसी सैनिक दक्षता प्राप्त करने के लिये क्या लोगों की अपने आप पर कर लगा कर राष्ट्र का खजाना भरना नहीं पडेगा? कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न घटकों का फी-सिपाही सालाना फौजी खर्च नीचे लिखे अनुसार है :-

ब्रितानिया — ६० १८०/-

ऑस्ट्रिया — ६० २०/-

न्यूझीलैंड —रु० १७/१२/-
 कानडा —रु० ८/ ८/--
 दक्षिण आफ्रिका रु० ६/-
 भारतवर्ष —रु० १/४/-

सैनिक क्षमता के विषय में ब्रितानिया की संतह पर आने के लिये हर अके हिन्दुस्तानी को आज की अपेक्षा १४० गुना अधिक कर सरकार को देना चाहिये। यदि हम ब्रितानिया की अके-दशांश सैनिक क्षमता भी प्राप्त करना चाहें तो भी हमें आज की अपेक्षा कम से कम १८ गुना कर अपने आप पर लाद लेना चाहिये। क्या हम करों का अतना बोझ सह सकते हैं? क्या हम अपनी राष्ट्रीय शक्ति का अतना घोर अपव्यय कर सकते हैं कि आज की अपेक्षा चौदह गुनी कमात्री केवल अिसलिये करें कि हर साल हम असे सरकार के खजाने में भर दे? और सो भी जब कि अितना करने पर आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित राष्ट्र के आक्रमण से अपना बचाव करने का केवल अके दशांश ही संभव रहे? क्या चीन ने अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिये हर साल प्राणपन से प्रयास नहीं किया? और अपने लोगों पर करों का बोझ अधिकाधिक नहीं लाया? लेकिन क्या अितना करने पर भी वह बलवत्तर जापान के जंगल से अपने आप को बचा सका? प्रत्येक वर्ष ज्यों ज्यों चीन अपनी सैनिक क्षमता बढ़ा कर जापान के निकट पहुंचता है त्यों त्यों वह जापान को संहार और संरक्षण के नये नये आविष्कार कर के आगे कूच करता हुआ पाता है।

शस्त्रीकरण की अिस होड में हिन्दुस्तान कैसे पार पा सकता है? क्या हम अपने भूतोंमरनेवाले करोड़ों भाअियों को असह्य सैनिक बोझ से कुचल डालें? क्या हम हत्या के

आयुधों में जुडा देने के लिये ही धन पैदा करने को सारे राष्ट्र को फौजी कानून से बाध्य करें? और क्या यह सब करने पर भी हम दूसरे राष्ट्रों की सैनिक क्षमता की नित्य वर्धमान अियत्ता तक पहुंच पायेंगे?

हमारे लिये यही अके रास्ता है कि हम दूसरी तरह की शक्ति का विकास करें और दूसरे प्रकार की निपुणता प्राप्त करें जिसके लिये धन की आवश्यकता न हो और जो मनुष्य को पशु के स्तर तक न गिरावे; अपितु असे अूंचा अुठावे। यह शक्ति होगी आत्मबल की; अहिंसा की, नैतिक पुरुषार्थ की। अिस प्रकार का अमोष अस्त्र गढ़ने और बरतने की होड में हिन्दुस्तान की फतह होना बहुत संभवनीय है।

अिस आत्मशक्ति का परिचय देने में भारत बिलकुल ही असफल नहीं रहा, यद्यपि अुसकी शक्ति विशुद्ध नहीं थी। हम कुछ मात्रा में असफल भले ही रहे हों; तो भी हिन्दुस्तान को जो रास्ता पकड़ना चाहिये वह हमें स्पष्ट दिखा दिया गया है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, आज अहिंसा में सच्च्ची श्रद्धा बहुत थोडे लोगों की हो, यदि कल भारत पर आक्रमण हो जाये तो अहिंसा की अुपयोगिता में असी सजीव श्रद्धा जो हमारे जीवन में नित्य प्रकट होती हो बिरला ही कोजी बता सके। किंतु फिर भी, शस्त्रीकरण से राष्ट्रीय संस्कृति की जो क्षति होगी अुसका विचार थोडी देर के लिये छोड दिया जावे तो भी, भारत की जनता पर अुसकी बदीलत करों का जो प्राणघातक बोझ लादा जायेगा, केवल अुसके लिहाज से भी, कभी भारतवासियों का शस्त्रीकरण की योजना का वृद्धता से विरोध करना युक्तिसंगत होगा।

भद्र अवज्ञा

(दादा धर्माधिकारी)

कभी लोगों के मत से जहाँ प्रतिकार या संघर्ष हो वहाँ भद्रता हो ही नहीं सकती। यदि चापलूसी और ठकुरसुहाती नहीं, तो कम से कम विनय-अनुनय और अनुरोध भद्र आन्दोलन के अविभाज्य अंग माने जाते हैं। जहाँ लडाही हो वहाँ परस्पर परुषवचन, अपालम्भ और अभद्र शब्दों का प्रयोग अुसका अनिवार्य अंग माना जाता है। भद्रता और संघर्ष या विनय और प्रतिकार में सामंजस्य सिद्ध करने के प्रयत्न में से जिस प्रतिकार-नीति का आविष्कार हुआ है वह भद्र अवज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है।

जो लोग विधानवादी आन्दोलन निकम्मा मानते हैं और धारासभा की आन्दोलन-प्रणाली अपर्याप्त समझते हैं वे लोग किसी न किसी प्रकार के प्रत्यक्ष प्रतिकार के निम्न अधीर हो अुठे हैं। भारत की वर्तमान परिस्थिति में अुन्हे केवल निःशस्त्र प्रतिकार ही शक्य प्रतीत होता है। निःशस्त्र प्रतिकार में कानून-भंग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अिसलिये देश के कतिपय अुग्र मतवादी अिधर कुछ दिनों से कानूनभंग की चर्चा कर रहे हैं।

जब कि देश के कुछ नवयुवक और अुग्रप्रकृति मेता कानूनभंग का आन्दोलन जारी करने के पक्ष में हैं अैसे समय हमें गांधीजी की युद्धनीति में कानूनभंग का जो विशिष्ट स्थान है अुसका विचार करना चाऱिअे।

गांधीजी कभी भरतवा कह चुके हैं कि निःशस्त्र प्रतिकार और सत्याग्रह में अुतना ही अंतर है जितना कि अुत्तर और दक्षिण ध्रुवों में। जिस प्रकार केवल निःशस्त्र प्रतिकार

सत्याग्रह नहीं है अुसी तरह केवल कानून-भंग भी सविनय अवज्ञा या भद्र अवज्ञा नहीं है। बल्कि ये दोनों अत्यंत भिन्न हैं। 'भद्र अवज्ञा' (सिव्हिल डिस्ओबिडियन्स) शब्द अब काफी परिचित और प्रचलित हो गया है। लेकिन अुसकी जड़ में जो सिद्धान्त है, वे कुछ बुद्धिमान लोगों की भी समझ में अभी तक भली भाँति आये नहीं देखते। अिसलिये अुनका कुछ विवेचन यहाँ करने का प्रयत्न किया जाता है।

पुराने विचार के लोगों का यह खयाल है कि कानून तोडना गुनाह है और नीच लोग ही वह करते हैं। अेक दृष्टि से यह धारणा समाज की सुस्थिति के लिये आवश्यक है; क्योंकि वह शान्तता की पोषक है। लेकिन 'भद्र अवज्ञा' या 'सविनय अवज्ञा' ये शब्द सुनने ही सवाल होता है कि कानून तोडना भी कहीं भद्र हो सकता है?—सविनय हो सकता है? आपानतः यह वदनीव्याघात् प्रतीत होता है; और यह आशंका होती है कि अिस सिद्धान्त के प्रचार से समाज में कहीं अराजकता न फैल जाय। समाज में शान्त और गुरुयति की रक्षा के लिये राऱ्यसंस्था जो नियम बनाती है अुनका अुल्लंघन करने की वृत्ति यदि जनता में फैल जावे तो समाज की मूल-मिलि ही गिर जायेगी। यदि शासन करने-वाला सत्ता और शासन माननेवाली जनता न हो तो आज कोभी भी राऱ्यसंस्था टिक ही नहीं सकती। कोभी भी संस्था तभी तक टिकती है जब तक कि अुसके घटकों में संस्था के नियमों का पालन करने की वृत्ति हो।

असलिये अस वृत्ति की बड़े जतन से हिफाजत करना समाज के शिष्ट जनों का का कर्तव्य है। परंतु तो भी समाज के अत्यन्त गण्य-मान्य व्यक्ति भी कभी कभी राज्यसंस्था की आज्ञाओं का भुल्लंघन करते पाये जाते हैं, इसका रहस्य क्या है?—यही समझने की बात है।

“मनुष्य सामाजिक जीवधारी है”—अक यूनानी तत्त्ववेत्ता का यह कथन यथार्थ है। परंतु यह मनुष्य को संपूर्ण व्याख्या नहीं है। अतः दूसरे अक लेखक ने उसमें संशोधन किया है। ‘धर्म की बाल्यावस्था’ नामक अक छोटीसी, पर सुन्दर, अंग्रेजी पुस्तक है। उसके लेखक न अरिस्टोटल की अुक्त परिभाषा में संशोधन किया है। वह कहता है, “मनुष्य धार्मिक जीव है।” मनुष्य का यह संपूर्ण लक्षण है। लक्षण माने असाधारण धर्म। याने, असा गुण जो दूसरी जगह नहीं पाया जाता। “दूसरे जानवरों में और मनुष्य में क्या भेद है?”—अस प्रश्न का अर्थ यह है कि “मनुष्य में असी कौनसी विशेषता है जो दूसरे जानवरों में नहीं पायी जाती?” प्राचीन समाजशास्त्रियों का कथन है, ‘धर्मो हि तेषामधिको विशेषो’। और वही सत्य है। यहाँ ‘धर्म’ शब्द से व्यापक नीतिवर्म अथवा मानवधर्म अभिप्रेत है। यही मनुष्य की मनुष्यता है। अस मनुष्यता के विकास की पोषक परिस्थिति निर्माण करने के लिये आवस्यक नियम बनाना समाज की नियामक संस्था का, अर्थात् राज्यसंस्था का, कर्तव्य है। मानव्य के विकास की अपकारक समाज-रचना जहाँ विद्यमान हो वह सुनियंत्रित या सुव्यवस्थित समाज है और अस समाज की नियामक संस्था भी लोकपोषक है।

असका अर्थ यह है कि सामाजिक बंधन

व्यक्ति की आत्मोन्नति के साधक होने चाहिये; कम से कम बाधक तो कतभी नहीं होने चाहिये। दूसरे की आत्मोन्नति के प्रयत्न में बाधा न डालते हुअे हर व्यक्ति को अपनी आत्मोन्नति का अनिरुद्ध प्रयत्न करने की छूट होनी चाहिये। राज्यसंस्था के नियम मनुष्य की मनुष्यता के विकास में रुकावट डालनेवाले न हों। दूसरे शब्दों में, राज्यसंस्था के नियम नीति-विरुद्ध नहीं होने चाहिये।

परंतु मनुष्य अपूर्ण है। असकी अपूर्णता असकी कृति में भी प्रविष्ट होती है। राज्यसंस्था पर भी यह नियम लागू है। असलिये राज्य संस्था के भी कुछ नियम कभी कभी नीति के खिलाफ होते हैं। यह स्पष्ट है कि असे नियमों के आचार से मनुष्य की मनुष्यता घटेगी। असका अधःपतन होगा।

असे अवसर पर शिष्ट व्यक्ति के सामने बड़ी विकट समस्या अुपस्थित होती है। यदि वह राज्यसंस्था के नियम का पालन करे तो असमें नैतिक अपराध होता है। यदि समाज के नियम का मंग करे तो नागरिकत्व के कर्तव्य में बाधा आती है और अुदंडता का दोषमाजन् होना पडता है। असी स्थिति में क्या किया जावे? “राज्यसंस्था का नियम तोड कर भी समाजसंस्था को कम से कम धक्का किस युक्ति से पहुंचाया जा सकता है?”—यह प्रश्न हर अक शिष्ट नागरिक के सम्मुख प्रस्तुत होता है।

जिस समय राज्य और अीश्वर के कानूनों में विरोध अुत्पन्न होता है अस समय समाजसंस्था का न्यूनतम विरोध करते हुअे नीति की रक्षा करने की जो युक्ति, सिफल या कला है, अुसीका नाम भद्रअवज्ञा या सधिनध-मंग है। अवज्ञा के बिना तो चारा ही नहीं

है। लेकिन अवज्ञा में अविनय नहीं होना चाहिए। 'सभ्यता' अर्थात् समा या समाज के अपयुक्त वृत्ति (सिद्धिलटी) को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। जिसलिये जो कानून मनुष्यद्रोही और अतः देवद्रोही या धर्मविरोधी लगता हो उसका नम्रतापूर्वक और विनय-पूर्वक अल्लंघन करना तथा कानून के अनादर के लिये जो दंड हो उसे सानन्द झेलना—यही सविनय अवज्ञा की नीति है।

अब प्रश्न यह होता है कि "अगर सविनय या भद्र अवज्ञा में केवल अनीतिमूलक और अन्याय्य कानूनों का ही अनादर करना है तो वह तो गुनाह नहीं हो सकता; तब फिर उस अनादर या अवज्ञा के लिये जो शासन हो उसे प्रसन्नतापूर्वक सह लेना कहाँ तक न्यायोचित होगा?"—जिस प्रश्न का विचार करना जरूरी है।

भद्र अवज्ञा करनेवाले के लिये गांधीजी ने एक बहुत सुंदर और अर्थपूर्ण शब्द प्रचलित किया है। वह शब्द है 'सत्याग्रही'। साधारणतः लोग 'सत्याग्रह' शब्द से 'सविनयभंग' का ही अर्थ लते हैं। जिसलिये यहां भी अति अन्तर भ्रमी शब्द का प्रयोग हम करेंगे। सत्याग्रहो जब कानूनभंग करता है तो लाचार हो कर और अके अरिहार्य कर्तव्य पूरा करने के अदृश्य से करता है। समाज की बहुमंक्षक जनता में स्वैराचार की वृत्ति प्रबल हो कर सारी समाजसंस्था ही तबाह न हो जावे जिसकी वह सावधानी रखता है; और जहां तक हो सके उसे दुष्परिणाम को बीमानदारी से टालने की चेष्टा करता है। जिसलिये वह कम से कम और जितना आवश्यक हो अतना ही, कानून-भंग करता है। "सामाजिक नियमभंग के लिये शासन होना चाहिए"—यह नियम समाज की

धारणा के लिये आवश्यक है। जिसलिये सत्याग्रही अन्यायी कानून तोड़ता है। लेकिन 'कानून तोड़नेवाले को सजा होनी चाहिए',—जिस आवश्यक नियम का खुशी से पालन करता है। परिस्थिति-प्राप्त धर्म के तकाजे के कारण अवज्ञा करता है; लेकिन भद्रता या विनय का त्याग नहीं करता। व्यक्ति की नैतिक अन्नति तथा समाजसंस्था की सुरक्षितता का अधिक से अधिक समन्वय व्यक्ति के आचरण में करने के प्रयास में से भद्रअवज्ञा अपजी है। प्रन्हाद, भीमा, मीराबाई और सुकरात के चरित्र का यही रहस्य है। उन्होंने अन्याय्य राजाशा का अनादर किया। लेकिन उसके लिये दिया जानेवाला देहवण्ड और प्राणदण्ड भी आनन्द के साथ सहन किया। सुकरात और श्रीटो का हृदयस्पर्शी संवाद जिस संबंध में बहुत ही अद्बोधक होगा। स्थल-संकोच के कारण यहाँ केवल उसका नामनिर्देश ही किया है। सत्याग्रही और स्वैराचारी (आभूट लॉ) में निम्न स्वाम स्वाम भेद है:—

(१) सत्याग्रही नीति और मनुष्यता की रक्षा के लिये अनैतिक और अन्यायी कानून लाचार हो कर तोड़ता है।

(२) कानून तोड़ने से पहले वह संबंधित राज्यसंस्था को अपने अिरादे की पूर्वसूचना दे कर उसे साधधान कर देता है।

(३) कानून तोड़ने के लिये होनेवाली सजा समाजहित के ख्याल से खुशी से सह लेता है। प्रतिहिंसा नहीं करना चाहता।

(४) कानून मानना तथा नागरिकता की जिम्मेवारी सम्हालना सत्याग्रही का स्वभाव ही है। अतः वह दूसरे सारे कानूनों का सच्चाई के साथ बड़ी सावधानी से पालन करता है।

असके विपरीत स्वैराचारी मनुष्य या समाजबाह्य (आउट लॉ) :-

(१) अपने व्यक्तिगत फायदे के लिये स्वार्थबुद्धि से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बाधक होनेवाले चाहे जिन कानूनों को तोड़ता है।

(२) कानून तोड़ने से पहले वह राज्य-संस्था को सचेत नहीं करता और उसे उस कानून को बदलने या रद्द करने का अवसर नहीं देता। चुपचाप या अकस्मात् कानूनभंग करना वह अनुचित नहीं समझता। प्रत्युत ऐसा करना उसकी नीति का मूलभूत सिद्धान्त है।

(३) कानूनभंग के लिये होने वाला शासन वह फरारी हो कर छुप कर या प्रतिहिंसा करके टालने की भरसक कोशिश करता है।

(४) समाजहित तथा नागरिकत्व के दायित्व का तिरस्कार कर मनमाने कानून तोड़ना उसका स्वभाव है। असलिये वह दूसरे सारे कानूनों का केवल असलिये पालन करता है कि उन्हें तोड़ना उसे अपने स्वार्थ के लिये जरूरी नहीं जान पड़ता। यह 'अविनय, असभ्य, या अभद्र' अवज्ञा है।

सत्याग्रही और अराजक (अनार्किस्ट) में यह महत्त्वपूर्ण भेद है। यहाँ 'अराजक' शब्द से वे तात्त्विक अराजकवादी विध्विष्यत नहीं हैं जो राज्यसंस्था या शासनसंस्था की पूर्ण अनावश्यकता में ही उसकी परिणति मानते हैं। वे तो अदात्त अराजक हैं। यहाँ उस अज्ञान अराजक व्यक्ति से मतलब है जो समाजद्रोही होता है। सत्याग्रही को कानून तोड़ने का शौक नहीं होता। अपनी आत्ममर्यादा और नीति सम्हालकर वह यथा-संभव कानून तोड़ने का मौका टालता रहता है। वह शान्तिपरायण नागरिक होता है।

जब सत्यनिष्ठा तथा समाजनिष्ठा और राज-निष्ठा में विरोध उपस्थित होता है तो वह सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिये राज्य की, और आवश्यक हो तो समाज की भी, अवज्ञा करता है। अर्थात् सत्याग्रही को स्वधर्म की रक्षा के लिये प्रसंगवश बरबस कानून तोड़ना पड़ता है। परंतु स्वैराचारी या अराजक व्यक्ति खुदगर्जी से अपने निजी फायदे के लिये समाज को चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकता। उसमें 'नागरिकवृत्ति' (सिव्हिक सेन्स) होती ही नहीं।

जब राष्ट्र पराधीन होता है तो सत्याग्रही का पक्ष और भी प्रबल हो उठता है। प्रजा की अनुमति के बिना और उसके हित का ध्यान न रख कर जो कानून और कर उसपर जबरदस्ती लादे जाते हैं वे अन्याय-मूलक और अनीतिमय होते हैं। यह राजनीति शास्त्र का अबाधित सिद्धान्त है। असलिये विदेशी राज्य के बनाये हुअे सभी कानून और लगाये हुअे सभी कर अन्याय्य साबित होते हैं। बल्कि वह राज्य ही स्वयम् अेक अनैतिक और जीश्वर-विरोधी संस्था है। अस दृष्टि से उसके सभी कानूनों को तोड़ने का और उसके कर अदा करने से अिनकार करने का अधिकार प्रत्येक परतंत्र प्रजा को है। परंतु यह असहयोग का अंग है। यह सविनयभंग का अगला कदम है। विदेशी शासन की जडें अुत्खाड देने के लिये उसका विधान और उस विज्ञान के अनुसार बने हुअे सभी कानून अमान्य करना तथा अुमे राज चलाने के लिये पैसा देने से अिनकार करना सत्याग्रह की अन्तिम सीडी है। परतंत्र राष्ट्र के लिये स्वातंत्र्यप्राप्ति की यही सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक कार्यक्षम प्रतिकार-विधि है।

और जहाँ राष्ट्र की अधिकांश प्रजा किसी स्वदेशी शासन से असंतुष्ट हो वहाँ प्रजाकीय क्रान्ति की भी यही श्रेष्ठतम प्रणाली और प्रक्रिया है। किसी भी स्वदेशी या विदेशी अनियंत्रित, अनुत्तरदायी और अतत्वेव अनैतिक शासन का अन्त कर देना मनुष्यता की रक्षा के लिये नितान्त आवश्यक है। इसलिये असे शासन का प्रतिहार करने में सत्याग्रही अथवा सब कानूनों का सविनयभंग करना अपना कर्तव्य समझता है, जिनके अन्वयन में कोभी नैतिक अपराध न होना हो। अिम प्रकार जब अधिकांश प्रजा विनयपूर्वक और भद्रता से सविनयभंग के लिये तय्यार हो जाती है तो शान्तिमय क्रान्ति सफल हो जाती है और समाज में अन्धकारही भी नहीं हो पाती।

भद्र अवज्ञा की इस अन्तिम मीठी तक जाने में कुछ अवकाश, और अवकाश से भी अधिक पूर्वनीयारी की आवश्यकता होती है। अगर जनता में अनुशासन और पारस्परिक सहयोग न हो तो इस अन्तिम अवस्था में अकेल खतरा है। वह यह कि शायद जनता कानून का बन्धन विलकुल ही तोड़ दे और कर देने की जिम्मेवारी का भी सर्वथा परित्याग कर दे। अगर इस वृत्ति ने जोर पकड़ा तो जनता स्वयं अपने बनाये हुअे कानूनों का भी पालन नहीं करेगी और अपनी रक्षानिमित्त शासनसंस्था को भी, मजबूर की जाने पर ही, टैक्स देगी। अिमलिये यह अन्तिम कदम बढाने में मत्याग्रही बडी सावधानी से काम लेता है। प्रजा के स्वत्वों की रक्षा करते हुअे अगर वह असे टाल सके तो टालने की कोशिश भी करता है। लेकिन वह केवल व्यवस्था और केवल विधान

का कायल तो नहीं है। वह तो विधान और मुख्यवस्था मनुष्य के अर्त्कर्ष के लिये अुपादेय मानता है। इसलिये विवश हो जाने पर वह गुलामी की अपेक्षा अराजकता की जोखिम भी झेल लेता है। परंतु जहाँ तक हो सके असे अवस्था को टालने में यत्नशील रहता है।

अिसीलिये आज की भारत की शासनपद्धति विलकुल अनियंत्रित, अनुत्तरदायी और अवाञ्छनीय होते हुअे भी, और अुसका शीघ्रातिशोघ्र अन्त कर देना प्रत्येक भद्र नागरिक का परम पवित्र कर्तव्य होते हुअे भी, हमें सविनय अवज्ञा में निम्न मर्यादाओं का पालन विशेष सावधानी से करना पडता है :-

(१) जो कानून नीति के अतिक्रम और समाजहित के लिये अावश्यक हैं अुनका अावश्यक पालन। अुदाहरण के लिये—बोरी के विषय का कानून, अश्लील और अशुष्ट साहित्य संबंधी कानून, आदि।

(२) समाज की सुस्थिति के लिये स्वराज्य में भी हमें जिन कानूनों की अावश्यकता रहेगी असे कानूनों का पालन। यथा—रात के समय सवारी और वाहनों में बत्ती लगाने का नियम। रास्ते में और सवारियों में बेजा भीड आदि संबंधी नियम।

अिन मर्यादाओं का पालन करने में अवज्ञा भी भद्र और सविनय हो सकती है। सत्याग्रही का अुद्देश्य अवज्ञा करना नहीं है। वह तो सत्य की अुपासना और आचरण करना चाहता है। अगर अुममें अवज्ञा न करनी पडे तो असे शिष्ट ही है। लेकिन यदि अवज्ञा करनी पडे तो वह अुम कर्तव्य से डिगता नहीं और अपने मार्ग में आनेवाली मुसीबतें धैर्य से और आनन्द से झेलता है। अिसी लिये असे

‘सविनय अवज्ञा’ (सिव्हिल डिस्ओबिडिअन्स) कहने की अपेक्षा ‘सविनय, भद्र या सभ्य प्रतिकार’, कहना अधिक अन्वर्थक होगा। कारण कि सत्याग्रही का अद्देश्य अवज्ञा करना नहीं है प्रत्युत अन्याय का प्रतिकार है।

भद्र या सविनय प्रतिकार की जिस नीति का थोरो ने विवेचन किया और गांधोजी ने जिसका संस्करण, संशोधन तथा आचरण और परीक्षण किया वह व्यक्ति की आत्मोन्नति की पोषक होते हुए भी समाज-नियंत्रण में बाधक नहीं है। इसी लिये सविनयता की

वृत्ति का विकास नितान्त आवश्यक है। वह बिना अभ्यास और अनुशासन के नहीं हो सकता। इसीलिये गांधोजी बार बार आग्रहपूर्वक कहते हैं कि जब तक भद्रता या शान्ति की वृत्ति सारे देश में व्याप्त नहीं होगी तब तक ‘सभ्य प्रतिकार’ या ‘भद्र प्रतिकार’ के लिये अनुकूल वातावरण अत्युत्पन्न नहीं होगा। अके-दूसरे का दोषाविष्करण और परस्परदोषारोपण करने के बदले हमें यह पूर्वतैयारी करने में लगन के साथ जुट जाना चाहिये, क्योंकि वही अकेमात्र रास्ता है।

महावीर का जीवन-संदेश

[काका कालेलकर]

(ता. १४:९:३९ को बंबशी ज्वावाट्स्की लॉज में दिया हुआ भाषण)

आज दुनिया की विचित्र स्थिति है। हिंसा से अगर कोभी अधिक से अधिक डरता है तो आज के यूरोपियन लोग। पच्चीस वर्ष पूर्व के युद्ध में जो नाश हुआ उसे वे अबतक भूलने नहीं हैं। “यदि पुनः युद्ध मुलगेगा तो सारी शान-शोकत, सारा मजा-मोज, सारा भोग-विलास और अश्वर्य काफूर हो जायगा। जहाँ आज संस्कृति के नाम पर वैभव सिखाया जाता है वहाँ सब वीरान हो जायगा”—अस विचार से यूरोप का मनुष्य कांपने लगता है। युद्ध टालने के लिये वे जो चाहे सो करने को तैयार हैं। वे अपने वचन तोड़ेंगे, अपने अिकरार भूल जायेंगे, मानहानि निगल जायेंगे, साथियों को धोखा देंगे, चाहे जैसे अप्रिय लोगों से दोस्ती करेंगे, जीवन-सिद्धान्तों

को भूसे की तरह हवा में उड़ा देंगे—लेकिन युद्ध टालेंगे। परन्तु फिर भी वे युद्ध टाल नहीं सकते। अिन्द्रिय-परायण जीवन, भोग, वासना, लोभ, भय, महत्त्वाकांक्षा और परस्पर अविश्वास अन्हें चैन नहीं लेने देंगे। वे स्वयं हिंसा से डरते हैं और सारी दुनिया को हिंसा की दीक्षा देते जा रहे हैं; तथा जीवन की सारी शक्ति हनन करी कला के विकास में बरबाद कर रहे हैं। आज जिस वस्तु को वे टालना चाहते हैं अुसीको बलात् खींचकर ला रहे हैं।

अैसी विचित्र स्थिति में हम फिर अेक बार भगवान् महावीर का सन्देश अुजालना चाहते हैं।

अिस धार्मिक सन्देश का स्वागत करने के लिये आज की दुनिया तैयार नहीं है। शान्ति

का सच्चा मार्ग यही क्यों न हो, लेकिन अभी तक तो बस रास्ते जाने में मनुष्य को मज़ा नहीं आता। वह दूसरे सारे अुपाय आज-मायेगा और सब तरह से हारने के बाद ही सही रास्ते पर आयेगा।

जिनमें कोअी सार नहीं अँसी चीजों में विश्वास कर अुन अुपायों को आजमाना मनुष्य का स्वभाव है। यूरोप में आज जो अनेक मार्ग सुझाये जाते हैं अुन्हे देख आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ जब कभी पुराने आदमी तर्क और न्याय, दर्शन और मीमांसा ले कर बैठ जाते हैं और घटत्व और पटत्व की तथा अवच्छेदकावच्छिन्न की बहस करने लगते हैं तो हम अुनपर हँसते हैं। "जीवन के साथ जिसका संबंध नहीं, तत्व से जो बिलकुल असंबद्ध है, अँसे भूसे को कूटने में अिन्हें क्यों मज़ा आता है? जिसमें तो जीवन-स्पर्शी कुछ भी नहीं है";—अँसा हम कहते हैं। यूरोप में भी जब लोग व्यक्तिवाद और समष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा करते हैं, तब भी मुझे लगता है कि क्या अिन अनेक 'वादों' से हमारी विपदा निपटने वाली है? जब तक मनुष्य अपने स्वभाव और जीवन में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक चाहे जो "अिज्म" या "वाद" चलाअिये, हम जहाँ थे वहाँ लौट कर आ पडूँवने वाले हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि दुनिया का दुःख गठिया-घात जँसा है। बाहर से लेप करने से वह थोडे ही मिटने-वाला है? अुसे आप साथे में से निकाल बाहर कीजिये तो वह पैरों का आश्रय लेगा। वहाँ से अुसे खदेडिँगे तो वह कंधों पर आ कर सवार हो जायगा। वह स्थानान्तर करेगा परन्तु शरीर से टलेंगा; नहीं। आप

व्यक्तिवाद चलायेंगे तो दुनिया को अेक तरह का दुःख सहना पडेगा। व्यक्तिवाद को छोड कर समष्टिवाद स्वीकारेंगे तो पुराने दुःख दूर हो कर अुनकी जगह नये दुःख पैदा हो जायेंगे। चुगी टालने के लिअे सारी रात जंगल में भटकने और मारे मारे फिरने के बाद सबेरे जहाँ गाडी रास्ते पर आयी तो ठीक चुगीघर की सीध में, नाके के बिलकुल सामने! अब पैसे तो देने ही पडेगे और अुपर से रात भर जंगल में व्यर्थ मारे मारे फिरे सो सब व्याज में गया! यही हाल आज की दुनिया का है। आचार्य अेल. पी. जँक्स ने ठीक ही कहा है कि आज की दुनिया मम्पत्ति को सामाजिक बनामा चाहती है, लेकिन मनुष्य और अुसके स्वभाव को सामाजिक बनाने की बात अुसे मूझती ही नहीं। जब तक यह नहीं होगा तब तक कोअी भी 'अिज्म' या 'वाद' स्थापित नहीं हो सकता; और यदि मनुष्य का चारिअ्य सुधर जाव तो चाहे जिस 'अिज्म' या 'वाद' से निभ जायगी।

अिसका अेक मव्य वृष्टान्त देता हँ। शराब की बुराअियों से सारी दुनिया अकुला रही है। अमेरिका ने अेक कानून बना कर अुन बुराअियों को मिटाने का प्रयत्न किया। कानून बनाने को वहाँ के लोगों ने अपनी अनुमति दे दी। लेकिन खूद अुन्हींको शराबबन्दी की परवा न थी। रागाज में लव्वप्रतिपठ कअी स्त्री-पुरुष भी, हमने सरे-आम कानून किस तरह तोडा, अिसकी अेक-दूसरे के सामने शंखी बघारते थे। अुसी शराबबन्दी का हमारे यहाँ का अितिहास बिलकुल भिन्न है। हमारे यहाँ बसनेवाली सभी जातियों के लोगों की दृष्टियों में ही शराब के प्रति घृणा भरी हुअी है। सरे-बाजार, बाकामदा

शराब पीनेवाले भी यह कबूल करते हैं कि शराब बुरी चीज है। उसे छोड़ने की शक्ति मनमें मज्जे ही न हो, मगर फिर भी, शराब छोड़ने में कोअी अनुकी सहायता करे तो वह अन्हें अिष्ट ही है। अस प्रकार राष्ट्र का चारिश्य ही शराब-बन्दी के पक्ष में होने के कारण हमारे यहाँ शराबबन्दी का कानून बनाना आसान हुआ। कुछ आधुनिक विकृत वृत्ति के लोग शराब के पक्ष में दलीलें देते हैं। परन्तु ये अिनेगिने ही हैं। और अिनमें से कुछ-अेक तो यह भी स्वीकार करते हैं कि हम अग्ने पक्ष की नीति के तौर पर ही ये दलीलें देते हैं। अिनकी बात छोड़ दीजिये। मैं कहना यह चाहता था कि यदि राष्ट्र के चारिश्य का विकास हो सके तो चाहे जैसी समाज-रचना में हम मनुष्य की सुखी कर सकेंगे।

महावीर जैसे सत्पुरुषों ने दुनिया को यह रास्ता बतलाया कि— “चारिश्य का विकास करो, संयम सिद्ध करो, वासनाओं को जीतो, असामाजिक वृत्तियों का नाश करो, राग-द्वेष की हेयता जान कर अन्हें हृदय में से बाहर निकालो, तो हिंसा का रास्ता अपने आप बन्द हो जायगा ! अगर हिंसा टालना है, अहिंसा स्थापित करना है, तो केवल राज्यतंत्र बदलने से समस्या हल नहीं होगी, मनुष्य के स्वभाव में सुधार करो, संयम-रूरी तप करो। यही लक्ष्मी साधना है। यह काम पामर मनुष्य का नहीं है। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान है, परन्तु भीतरी विकारों को मारने का काम कठिन

है। अुसके लिये वीरत्व चाहिये। जिसने अस शक्ति का विकास किया और अुसे दुनिया पर प्रकट किया वही महावीर है।”

महावीर स्वभाव से ही प्रयोगवीर थे। अुन्होंने जो अनेक प्रयोग किये अुन्हें हम तप कहते हैं। अस तप का मार्ग हर अेक के लिये अेकसा नहीं होगा। हर अेक अपना अपना प्रयोग करे और अपना रास्ता खोज ले। जिसमें प्रयोगवीरता नहीं है वह यदि केवल आखें मूंद कर महावीर के वचनों के अनुसार वाह्यतः जीने का प्रयत्न करेगा तो अुसे महावीर की सिद्धि नहीं मिलेगी। किन्तु जो कोअी महावीर से प्रेरणा ले कर, अुनके प्रयोगों का रहस्य समझ कर अुनके मुख्य मुख्य जीवन-सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन मोड़ने का स्वतंत्र प्रयत्न करेगा वही महावीर की परंपरा का गिना जायगा; महावीर अुसे अपना आत्नीयजन मानेंगे।

आज, जब कि संसार अनेक प्रकार से अकुलाया हुआ है, व्यापक जीवन की यह मुख्य पहेली बूझना आवश्यक है। असके लिये महावीरों की ज़रूरत है, प्रयोगवीरों की ज़रूरत है। वे अपनी श्रद्धा की दृढ़ता के लिये महावीर का जीवन समझ लेंगे और अपने-तर्फी अूँचा अुठने का यत्न करेंगे। हम भी अैसी ही प्रेरणा महावीर के स्मरण-चित्तम से प्राप्त करें और अपने जीवन का अुद्धार करें।

(ता: ३१:१०:३९ के गुजराती 'प्रबुद्ध जैन' पाकिष्क से अनुवादित)

“क्या खादी किफायती है” ?

[श्री मनु सुबेदार]

-१-

यह सवाल अगर कोभी कपड़े का माहक पूछे—जिसके खीसे में पैसा है, जो उस पैसे से कपड़ा खरीदना चाहता है, और जो सिवा कपड़े की कीमत के दूसरी किसी बात की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता—तब तो यह स्पष्ट ही है कि मिल के या विदेश से आये हुए कपड़े की अपेक्षा उसके लिये खादी महँगी होगी।

मामूली व्यवहार की भाषा में यह कह सकता है कि उसके लिये खादी किफायती नहीं है। इसी तरह, जो लोग सारे देश का एक अिकाबी के नाते विचार करते हैं, परंतु जिनका देशप्रेम संकीर्ण है, याने, उसमें मानववाद के लिये गुंजायिश नहीं है, और जो केवल रुपये-आने-पायी का ही हिसाब करना जानते हैं, वे कह सकते हैं कि देश को जितने कपड़े की जरूरत है उतना कपड़ा—रुपये-आने-पायी में अगर उसका मूल्य कृता जाय—तो मिलो में त्रों द्वारा अधिक सस्ते में बन सकता है। इस संप्रदाय के बुद्धोगवादी और उनके आश्रित—जैसे कि दलाल, साहूकार, बीमा-कर्मिणों आदि—यह भी दावा करेंगे कि खादी ना-किफायती है।

परन्तु एक दूसरा और अधिक अप्रयुक्त दृष्टिकोण भी है। वह यह कि हम अपनी दृष्टि के सामने उस विशाल जनसमूह को रखें जो देहातों में रहता है और जिसका कुछ हिस्सा शहर की घनी बस्तियों में भी पाया जाता है। उनके पास खाली बस्त

अतना है कि वे नहीं जानते कि उसका क्या करे ? परंतु उनके पास न तो काम करने के साधन हैं और न सामग्री। वे बेकार हैं। अर्थात् जिनका पूँजी और सामग्री पर काबू है, वे न तो भुनकी मिहनत चाहते हैं और न उन्हें कोभी काम ही देने हैं। अिन करोड़ों लोगों की श्रम-शक्ति सदा के लिये नष्ट होनी है। न तो उससे उनका अपना कोभी उपकार होता है और न देश का ही।

अगर अिन करोड़ों लोगों में से एक करोड़ भी अेक आने की रोज़ा पर लगा लिये जाय, तो मोटे हिसाब से, उन्हें फी-आदमी बीस रुपया सालाना, याने, कुल बीस करोड़ रुपये, मिलेगे। जिस साधन-सामग्री का वे अुपयोग करते हैं उसमें बीस करोड़ रुपये का मूल्य और जमा हो जायेगा। मतलब यह कि आज जो लोग काम करने के लिये तैयार हैं उनके केवल अेक हिस्से को, याने, करीब अेक करोड़ को, ही हम काम दे दें तो रुपये-आने-पायी में अिस देश की संपत्ति प्रायः चालीस करोड़ से बढ़ेगी। अिन लोगों को और अिनके बहुत छोटे या बहुत बड़े आश्रितों को मानवीय मुख के रूप में जो लाभ होगा यह तो अपरिमेय होगा।

जिन लोगों के दिमाग पाश्चात्य जगत के संपर्क से सस्त हो गये हैं, और जो लोग केवल रुपये-पैसों का ही विचार कर सकते हैं, वे कहते हैं कि यह पद्धति खर्चीली होगी। लेकिन उनके विचार में तर्क-बीष है। यदि

अुन्हींकी भाषा में कहा जाये तो अुनकी समझ में यह बात आसानी से आ जायेगी। मान लीजिए कि कोअी कम्पनी या कारखाना बन्द होने वाला है। अब अुसका सारा माल आधे दामों में बिक सकता है। खरीदार का अिसमें बहुत बड़ा फायदा है। अिससे भी आगे बढ़कर, दूसरा दृष्टान्त अुन्हींकी भाषा में यह लिया जा सकता है, कि चोरी का माल तो चौथाअी दामों में भी बिक सकता है। अिसमें खरीदार का और भी फायदा है। अिसलिये अगर सब खरीदार यह ठान लें कि वे सिर्फ चोरी का ही माल खरी-देंगे तो कारखाने भी महुँगे मालूम होंगे। लेकिन क्या यह पुख्ता तजवीज होगी? क्या वह चल सकेगी? क्या अेक हद तक चलने के बाद वह टूट नहीं जायेगी? क्या अुसकी बदौलत पूँजी का बहुत बड़ा नाश नहीं होगा?—हमारी अर्थ-यवस्था गड़बड़ नहीं होनी; और बेकारी नहीं बढेगी?

गत सौ वर्षों से संसार अेक विशेष अर्थ-नीति का अुत्कृष्टता से अनुसरण करता आया है। अुसका मुख्य अुद्देश्य है धनोपाजन। अिस नीति के अनुसार देहात में होनेवाला सभी माल बिदेशों में कारखानों द्वारा बनने लगा। अपवाद केवल खेती की अुपज के विषय में रहा। बाद में हिन्दुस्तान में भी कारखानों में माल पैदा होने लगा और वह किसानों के दरवाजों तक पहुँचाया जाने लगा। अुसे पहुँचाने के लिये यातायात के साधन बहुत ही सस्ते कर दिये गये। अुन साधनों का खर्च चलाने में देश के साधारण करों की आमदनी से मदद ली गयी। अंग्रेज तो हमेशा हिन्दुस्तान में विलायत के माल की खपत बढ़ाने की ही फिराक में रहे। अुन्हींने सारी अर्थ-

व्यवस्था को ही अिस तरह बदल दिया कि पहले तो विलायत के कारखानों की बरकत हो और बाद में देशी कारखानों की। मगर हर सूरत में फायदा हो कारखानों का ही।

जब हिन्दुस्तानी कारखाने देहातों को तबाह करके पनपने लगे तो वे भी कितनी ही पूँजी यहां से बाहर भेजते थे। हिन्दुस्तान में कअी कारखाने अैसे भी हैं जो विदेशी पूँजी या विदेशी नियंत्रण, या दोनों, पर निर्भर हैं। अिसलिये, और नहीं तो सिर्फ कीमत की बाबत में भी, ग्राम-अुद्योगों के माल की कारखानों के माल से तुलना करना भ्रान्तिजनक है। हर अेक मानो देहाती जनता को हराने के लिये शकुनी की कुटिल नीति से पांसे फेंक रहा है। अब तक अिस नीति की बदौलत कारखानों का जो लाभ हुआ वह यदि निकाल दिया जाये तब कहीं हम दो समान वस्तुओं में तुलना कर सकेंगे। अिन सबके अलावा सरकार की चलन-विषयक वह नीति भी रही है जिसकी बदौलत चीजों की कीमतें हमेशा घटती रही हैं और जिसने किसान को अपने श्रम के पूरे पूरे मूल्य से सदा वंचित रक्खा है।

— २ —

हिन्दुस्तान से संपत्ति कअी प्रकारों से गायब हो रही है। जहां यूरोप में कोअी नया आविष्कार हुआ कि हिन्दुस्तान का और करोड़ दो करोड़ों का नुकसान हुआ। पाइचात्यों द्वारा यह शोषण घडियां, फीप्टनपेन, साइकलें, मोटरें, कांच का सामान, टाअीप राअिटर, रेडियो, सिनेमा, रेफ्रिजरेटर, लिपट, आदि जिन चीजों का अुपयोग मालदार आदमी करते हैं, अुन सब चीजों के द्वारा निरंतर होता रहता है। हमारे धनिक लोग अपनी संपत्ति पर अपना निजी स्वामित्व मानते

हैं। जो लोग महंगी और सस्ती, या किफायती ना-किफायती की चर्चा करते हैं अन्हें पहले सारे देश की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति के, और भारत की जनता को अकेले भारतीय परिवार के रूप में देखना सीखना चाहिये। क्या किसी परिवार के विषय में यह कल्पना की जा सकती है कि जब अस परिवार के कतिपय व्यक्ति भूखों मरते हों तब दूसरे व्यक्ति कुछ विलास की चीजें खरीदने के लिये विदेश को पैसा भेजेंगे ? मगर हिन्दुस्तान में आज यही हो रहा है। विज्ञान की मदद से यंत्रों द्वारा बड़ी चतुराबी से बनायी हुअी चमकदार और मडकीली अगड़-बगड़ चीजें हमारे देश में भेज दी जाती हैं। हम भी अन्हें यहां बना सकते थे। लेकिन जब तक हमारे यहां अकेले असा जनसंमद मौजूद है जो बेकार है, जिसकी बढ़ती हुअी कंगालियत, गिरता हुआ स्वास्थ्य और दिल का दर्द हमारी प्रगति के रास्ते में नित्य रोडे अटकाता है, तब तक हम क्या कर सकते हैं ? हम अगर कोअी अचित आर्थिक योजना बनाने बैठे तो हमें अलुटे सिरे से शुरू करना पडता है। अर्थात् पहले हमें अिस सवाल का विचार करना पडता है कि “क्या अिस देश में असा कोअी व्यक्ति है कि जिसे काम करने की अिच्छा और योग्यता होते हुअे भी अपने परिश्रम का किसी अत्पादक अुद्योग में अुपयोग करने का तथा थोडी बहुत कमाअी करने का मौका नहीं मिलता ?”

ज्यों ही हम अिस प्रश्न का अिस दृष्टि-बिन्दु से विचार करने लगते हैं त्यों ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था असी होनी चाहिये कि जिसमें आज जो लोग बेकार हैं अन्हें बराबर काम मिलता

रहे और अन्हें वह संतोष हो कि संसार के व्यवहार में अुनका भी कुछ अुपयोग है। और अिसके साथ-ही-साथ अुनके अम से देश की संपत्ति में भी कुछ वृद्धि हो। अगर अिस प्रयास में विज्ञान से मदद मिले, अगर अुसके पथप्रदर्शक सुयोग्य अेवं संगठन-चतुर व्यक्ति हों और यदि साबित दिमागवाले अर्थशास्त्री अुसका योग्य दिशा में संचालन करें और सरकार, अर्थात् समाज, अपनी सारी शक्ति से अुसका समर्थन करे, तो यह अकेले तुच्छ खैराती योजना प्रतीत नहीं होगी; जैसी कि आज कल्पना की जा रही है।

सब लोगों को काम देने का दायित्व हर अकेले सम्य राष्ट्र का है। जो लोग यह कहते हैं कि खादी ना-किफायती है अुनके दिलों पर अिस दायित्व की छाप नहीं पडी है; और अिसलिये अुस अंश में अुनमें अुस अुदार संस्कृति का अभाव है जो अन्हें यह प्रश्न अुपस्थित करने के लिये प्रेरित कर सकती है। जब अिसका अुचित ढंग से संगठन होगा तो खादी और मिल के कपडों की कीमत में जो अंतर है, वह न रहेगा। परंतु शुरू शुरू में यह बात सिद्ध नहीं होगी। पहले पहले तो, अिन डेड सी वर्षों में ब्रिटिश सरकार जिस हानिकारक अर्थनीति पर चलनी आयी है अुसको थोडा बहुत पलट देने के लिये हर अकेले जिले के जीवन का अिस प्रकार पुनःसंगठन करना होगा कि वह अपनी चन्द जरूरतें आप ही पूरी करे।

अुस जिले में पैदा होनेवाले कच्चे माल पर पहला हक अुनका होगा जो अुस कच्चे माल को अुपयोग में लाना चाहते हैं। जिले के खरीदारों पर जिले के कारीगर और अुत्पादक का हक होगा। बाहर से आनेवाली कोअी भी सस्ती चीज अुस जिले के बाजारों में नहीं बिकने पायेगी।

क्योंकि उसके अपरी सस्तेपन के पीछे महान नाशकारिता छिपी हुई है। आजतक कारखानों की धनोत्पादक शक्ति का अपुयोग व्यक्तियों ने ही किया है। आभिन्दा यदि अूसका अपुयोग ही होना है, तो वह अपुयोग राष्ट्र करेगा, न कि व्यक्ति।

परंतु आज ही अिस तरह व्यक्तियों का स्वत्व अनिवार्य-रूप से छीन लेने से बेहतर यह होगा कि यंत्रोद्योगों से अुत्पन्न संपत्ति पर बढता हुआ कर लगाया जाय और अिस कर का अपुयोग सरकार देहाती जनता के प्रति अपना प्राथमिक कर्तव्य पूरा करने के लिये करे। यह कर्तव्य यह है कि जहाँ लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं वहाँ अुन्हें काम देना ही चाहिये।

हिन्दुस्तान की गरीबी का बयान करना अब कोअी नयी बात नहीं है। जो लोग यह सवाल अुठाते हैं कि क्या खादी क्फायती है अुन्हें अपने-तअी यह सवाल पूछना चाहिये कि क्या अिस देश की गरीबी बढ नहीं रही है? अगर जवाब यह हो कि बढ रही है; और यह कि जहाँ अेक तरफ कारखानों में संपत्ति का अुत्पादन बडे पैमाने पर हो रहा है—अेक तरफ वैभव है, फिजूलखर्ची है, विलासिता है और दुर्गुण है; और दूसरी तरफ प्रचंड भूख है, भयंकर अभाव है, शारीरिक पतन है और अस्वास्थ्य है—तो यह सब असंगत-सा प्रतीत होना चाहिये।

समाज के शिखरस्थ लोगों के जीवन का मान घटा कर और अुससे जो बचत होगी अुसकी मदद से निचली सतह के लोगों के जीवन की अियत्ता दढाकर हमें यह विषमता नष्ट करनी चाहिये। प्रत्यक्ष दान द्वारा निम्न श्रेणी के लोगों के जीवन का मान बढाने की योजना का हमें निषेध करना चाहिये।

दूसरा अेकमात्र अुपाय यही है कि हम अुन्हें काम दें, अुसके लिये सामान और अीजार दें, अुनकी बनाअी हुई चीजें खरीदें और अुन चीजों का वितरण हर अेक जिले में अपुयोगिता की दृष्टि से करें। और अिस सारी योजना का मार्ग-दर्शन सरकार के पूरे पूरे समर्थन से कुछ निःस्वार्थी व्यक्ति करें।

अिस प्रणाली में जो जो आयोजन करने पडेंगे अुनमें अप्रस्थान खादी को देना चाहिये। खादी के दावे की बुनियाद यही है। समस्त मानवीय जीवन और भावनाओं का नियमन अकेला अर्थशास्त्र ही नहीं करता। बल्कि सच तो यह है कि अिस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि आर्थिक प्रेरणा के दमन से, या कम से कम अुसके कठोर संयम से ही, समाज का सच्चा हित सिद्ध होता है। अिसलिये “खादी मित्तव्ययी या क्फायती है या नहीं”? यह सवाल पूछना व्यर्थ है। असली प्रश्न तो यह है कि “खादी आवश्यक है या नहीं? और जिस तरह खर्च की कोअी पर्वाह न करते हुए जनता के बचाव के लिये सैनिकरक्षा का आयोजन किया जाता है अुसी तरह हिन्दुस्तान में बडे से बडे पैमाने पर खादी का संगठन होना चाहिये या नहीं”?

अेक पीढी तक यह प्रयत्न जारी रहने के बाद हर अेक जिले में बहुत-सा अतिरिक्त माल पैदा होगा, विनिमय सुचारुरूप से होने लगेगा, यांत्रिक अुद्योग और ग्राम अुद्योगों में यथासमय अुचित सामंजस्य स्थापित होगा, अिसमें कोअी सन्देह नहीं। परंतु अिस वषण तो तराजू का कांटा ग्राम अुद्योगों के पक्ष में, और खास कर खादी के पक्ष में, बहुत ज्यादा झुकता है।

(अंग्रेजी से अनुवादित)

गांधीजी की शिक्षा-योजना

[दादा धर्माधिकारी]

मेरे अंक प्रोफेसर-मित्र गांधीजी पर बुरी तरह बिगड़े हैं। वे मुझसे कहने लगे कि "गांधीजी अपनी आदत से बाज़ नहीं आते। जिस बात में वे ज़रा भी दखल नहीं रखते उसमें नाहक टोंग अड़ाने का उन्हें बड़ा शौक है। राजनीति में सत्य और अहिंसा का रसायन मिलाकर उसका तमाम मज़ा किरकिरा कर दिया। अब आप शिक्षा की मिट्टी पलौद करने पर तुले हुए हैं।"

देश के बहुत-से शिक्षा-शास्त्री गांधीजी से इसी लिअे नाराज़ हैं कि उन्होंने शिक्षा के सुरक्षित क्षेत्र पर भी धावा बोल दिया है।

दुनिया के लगभग सभी शास्त्री पोषी-पण्डित हुआ करते हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं वे तो मानो जीवन को महज़ अंक कबूतर-खाना ही समझते हैं। अूनकी राय में किसी कबूतर को अपना दरवा या खण्ड छोड़कर दूसरे के कमरे में झांकना तक नहीं चाहिये। गांधीजी की यह खुशकिस्मती है कि वे शास्त्री नहीं हैं और न पण्डित ही हैं। हां, अगर शास्त्री हैं तो जीवन शास्त्र के, और पण्डित हैं भी तो जीवन की विद्या के; और कलाकार भी हैं तो जीवन की कला के। इसलिये कबूतरखाने के निवासी विशेषज्ञों से अूनकी बहुत कम पटती है।

अेक बात और है। गांधीजी अेक ज़बरदस्त सुधारक हैं—क्रान्तिकारी सुधारक हैं। हर अेक सुधारक की यह विशेषता रही है कि वह जिस समाज में पैदा होता है उसके कुछ परम्परागत और प्रचलित विचार तथा संस्थाओं का वह घोर विरोध करता है।

इसीलिये तो यह सुधारक कहलाता है। उसके ज़माने के पण्डित प्रचलित सिद्धान्तों के और संस्थाओं के अभिभावक होते हैं। इसलिये वे प्रगति-विरोधी होते हैं। दकियानूसी शिक्षा-शास्त्रियों की गांधीजी से—जो तनातनी चल रही है उसका भी रहस्य यही है।

मैं कह चुका हूँ कि गांधीजी जीवन के शास्त्री हैं। तो क्या शिक्षा जीवन से कोअी अलग चीज़ है? क्या आपका शिक्षा-शास्त्र कोअी अैसी विचित्र वस्तु है जिसका मनुष्य के रहन-सहन, खान-पान, काम-धन्धे, कमाअी और मनोविनोद में कोअी सम्बन्ध ही नहीं है? तब तो आपकी शिक्षा आप ही को मुबारक हो! हम अपने जीवन से ही तसल्ली हैं! लेकिन दर-असल बात अैसी नहीं है। हर्वर्ट स्पेन्सर है तो पुराना शिक्षा-शास्त्री, लेकिन शिक्षा की जो व्याख्या वह कर गया है वह आज भी सही है। अूसने कहा है कि शिक्षा का अ्देश्य हमें 'पूरी तरह से जीना' सिखाना है। मतलब यह कि शिक्षा हमारे जीवन को सुन्दर, सम्पन्न, सुखमय और अुपयोगी बनाने के लिअे है। हमारे सारे राष्ट्र के जीवन को सुन्दर, आनन्दमय और कार्यवपम बनाने का जिन्होंने बीड़ा अुड़ाया है वे गांधीजी अगर शिक्षा के विषय में बोलने के अधिकारी नहीं हैं तो और कौन हो सकता है? गांधीजी ने यह वमी नहीं कहा कि मैं अेक शिक्षा-शास्त्री की तरह शिक्षा-शास्त्र की हर अेक तफसील में मार्ग-दर्शन करूँगा। वे तो अितना ही कहते हैं कि राष्ट्र की मौजूदा हासत में उसका जीवन सुसंस्कृत और सुखी बनाने के

लिअे जिन मूलभूत तत्त्वों की आवश्यकता है बुन्हींको हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली का भी आधार बनाना चाहिये। असलिअे आज की राष्ट्रीय शिक्षा वही हो सकती है जो हमें अपनो राष्ट्र का स्वावलम्बी, समर्थ और कार्यक्षम सेवक बनावे।

जीवन और शिक्षण का सम्बन्ध अभेद्य है। बल्कि यों कहिये, कि ये दोनों अभिन्न हैं। जैसे नदी का होना और बहना दो क्रियायें नहीं हैं; वैसे ही मनुष्य का जीना और सीखना दो भिन्न क्रियायें नहीं होनी चाहियें। असलिअे अगर मनुष्य को जीने में आनन्द आता है, जीवन से प्रेम है, जिंदगी में रुचि है, तो उसे शिक्षा में भी मजा आना चाहिये। "शिक्षा मजेदार कैसे बनायी जाये"? यह आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियों की खोज का विषय हो रहा है। "बच्चों को खेलने में जितना आनन्द आता है उतना ही सीखने में कैसे आवे?"—यह समस्या बुन्हे परेशान कर रही है। अेक कारण तो अनुकी समझ में आगया। जबतक सीखने का मतलब केवल लिखना-पढ़ना ही है, तबतक—"लिखोगे, पढ़ोगे होगे खराब, खेलोगे, कूदोगे होगे नबाब"—यही बच्चों के जीवन का सूत्र रहेगा। स्कूल को वे कंदखाना समझेंगे, और स्कूल से छुटकारा पाते ही घोडे के बछेडे की तरह चौकडी भरने में आनन्द मानेंगे। अनुके जीवन से जैसे जैसे शिक्षा का सम्बन्ध बढ़ता जायेगा, वैसे वैसे बुन्हे खुसमें मजा आवेगा। और तब अनुके लिअे घर, पाठशाला और क्रीडांगण में कोजी फर्क नहीं रहेगा।

शिक्षा का कार्य यह है कि वह हमें आनन्द से जीना और आनन्द से मरना सिखावे। आनन्द से जीने के लिअे आनन्द से और बिना दूसरों के रास्ते में रुकावट डाले पेट भरना भी

जरूरी है। आदमियत की पहचान यही है कि हम अस तरह जीयें कि हमारे जीने से दूसरों की जिंदगी में मदद पहुँचे; कम से कम, रुकावट तो न हो। 'जीओ और जीने दो' यह मनुष्यता का अक्षरा आदर्श है। 'जीओ और जिलाओ' यह खुससे अेक कदम आगे है। 'जिलाने के लिअे जीओ' यह खुसका पूर्ण परिणत रूप है।

जिस प्रकार हमारे जीवन का विकास और पूर्णता दूसरों के जीवन को समृद्ध और प्रसादमय बनाने में है खुसी तरह हमे अपने निर्वाह के लिअे अुद्योग करने में भी समाजहित की अुन्नति करना अपना अुद्देश्य मान लेना चाहिये। मतलब यह कि, हमारा व्यवसाय भी अैसा हो जिससे हमारा अपना पेट भरे और समाज की भी अुन्नति हो। अिसीलिअे आजीविका के साधन को 'अुपजीवन' कह गया है। 'अुप' मानी 'पास का,' 'निकटवर्ती'। जीवन की सबसे निकटवर्ती चीज है—अुपजीवन का साधन। पुराने जमाने में हमारे यहां व्यवसाय के लिअे दूसरा अेक अर्थपूर्ण शब्द था 'वृत्ति'। पेट भरने के लिअे मनुष्य जो धन्धा करता है खुसका रङ्ग खुसके दिल और दियाग पर भी चढ़ जाता है। अिसलिअे पुराने जमाने में लोग मनुष्य के धन्धे को खुसकी वृत्ति कहते थे। अस मान्यता का आधार अेक बड़ा गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आदमी दिनभर जो करेगा खुसीके अनुसार वह सोचेगा और दूसरों के साथ सलूक करेगा।

जब कि जीवन और अुपजीवन का सम्बन्ध अितना नजदीकी है तो शिक्षा में अुपजीवन का स्थान प्रधान होना चाहिये, यह कहना कोजी मूर्खता नहीं है।

तब सवाल यह अठता है कि “अध्यांग-धन्वा सिखाने में तो आज के शिक्षा-शास्त्रियों को कहां आपत्ति है? लेकिन गांधीजी अपजीवन को ही सबकुछ बनाना चाहते हैं। अपजीवन समूचा जीवन तो नहीं है न? आप तो अके अंश को ही पूर्ण की जगह देना चाहते हैं। कहीं टुकड़ा भी समूचे के बराबर हो सकता है? क्या पेट ही सब कुछ है? दिल, दिमाग और आत्मा के विकास का शिक्षा में कोअी स्थान ही नहीं? अिसीलिअे तो हम कहने हैं कि गांधीजी की तजवीज निहायत अशास्त्रीय है।”

यहां पर फिर वही टुकड़े-फरोशी की बात आजाती है। मनुष्य का हाथ, दिल, दिमाग और आत्मा कोअी अके-दूसरे से असम्बद्ध घटक तो नहीं हैं। हरअके के विकास से दूसरे के विकास में मदद पहुँचती है। बलिक यों कह लीजिये कि अिन सबका विकास अके ही साथ और परस्पर-अविरुद्ध पद्धति से होना चाहिये। शिक्षा-शास्त्र की सिफत और कुशलता अिसी में है। गांधीजी की नयी शिक्षा-पद्धति में दस्तकारी और किताबी पढाअी का समुच्चय नहीं है। क्योकि अुस हालत में तो फिर भी दिमागी विकास का साधन शब्द ही रहेंगे।

शब्द ही जवतक शिक्षा का माध्यम है तबतक मनुष्य की स्वयंप्रज्ञा का, हृदय का और बुद्धि का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। अिसलिअे शिक्षा का माध्यम कृति होना चाहिये। वह कृति भी अैसी न हो कि जो केवल खेल हो। अगर जीवन निरी पिसाअी नहीं है तो वह महज गुलछरें अुडाना भी तो नहीं होना चाहिये। जो लोग शिक्षा को केवल खेल बनायेगे वे जीवन की भी खिलवाड़ करेंगे।

जीवन महान् गम्भीर और श्रममय है। बिना श्रम के खेल में भी मजा नहीं आता। निरोग जीवन और निरोग दिल का यह लक्षण है कि अुसे श्रम में आनन्द आवे। अिसलिअे वर्धा-शिक्षा-योजना में अुत्पादक-श्रम को, राष्ट्रोपयोगी दस्तकारी को, शिक्षा का माध्यम बनाने का आग्रह है। बुनियादी तालीम की यही बुनियाद है। अुसमें व्यवसाय और शाब्दिक शिक्षा का केवल समुच्चय नहीं है। बलिक व्यवसाय के द्वारा हृदय और बुद्धि के विकास की योजना है। अपजीवन द्वारा जीवन को सुमंस्कृत और सम्पन्न बनाने का अपूर्व प्रयत्न है।

(हिन्दी 'दीपक' से)

जब स्कूल के काम और समाज के काम में अितना गहरा संबंध होगा तो बच्चे जो स्कूल में सीखेंगे अुसे बाहर आकर भी बरत सकेंगे। अिस तरह यह नअी योजना जो हम पेश कर रहे हैं, मुल्क के होनेवाले नागरिकों को अपनी कद्र और अिज्जत करना, अपने आपको सुधारना, समाज की सेवा करना और मिल-जुल कर काम करना सिखायेगी।

—आकिर हुसैन शिक्षा-कमिटी की रिपोर्ट

हिन्दीभवन

(काका कालेलकर)

हिन्दी जिन प्रान्तों में जनता की बोली है अन् प्रान्तों में कुछे अंसे भी हिस्से हैं जहां हिन्दी की बहुत ही कम सेवा होती है। हिन्दी के अंसे भी अभिमानी पाये जाते हैं जो स्वयं नागरी लिपि सीखने का भी कष्ट नहीं उठाते और न हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य से ही परिचय रखते हैं। जबतक हिन्दीवाले हिन्दी की सेवा के लिये कंठि-वद्ध नहीं होंगे तबतक केवल तर्जन-गर्जन या लोगों के प्रति कुवचन कहने और संख्या के बल की दलील पेश करने से हिन्दी की प्रगति नहीं होगी।

सुदूर शान्तिनिकेतन में पंडित हजारी प्रसादजी हिन्दीभवन के द्वारा हिन्दी की अच्छी सेवा कर रहे हैं। वे यह कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बंगाली लोग हिन्दी का राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करें। वे बंगालियों से अतना ही कहते हैं कि 'हिन्दी हिन्दु-स्तान की एक व्यापक भाषा है। इस भाषा का और इसके साहित्य का विश्वभारती में जो स्वाभाविक स्थान होना चाहिये उसके अनुसार उसका अध्ययन भी होना चाहिये।' नम्र होकर वे जो सेवा कर रहे हैं उससे हिन्दी का बहुत कुछ लाभ होगा।

भुत्तर और मध्य भारत में, पंजाब, राज-स्थान, युवतप्रान्त, महाकोशल आदि प्रदेशों में और बिहार में भी अंसे ही हिन्दीभवन स्थापित करने की और उनके द्वारा शान्तभाव से हिन्दी की सेवा का कार्य करने की जरूरत है।

अंसे भवन न तो अर्द्ध से क्षण्डा मोल लें और न बंगाली, मराठी, गुजराती, आदि

प्रान्तीय भाषाओं से रगड़-झगड़ करें। अंसे भवन क्या क्या कर सकते हैं इसका थोड़ासा वर्णन यहां किया जाता है:-

एक बात बहुत दृढ़ता से स्पष्ट करना आवश्यक है कि जबतक भाषा-सेवक पंडित 'बनिता और लता' के जैसे आश्रय-परायण रहेंगे तबतक अन्की प्रतिष्ठा निराश्रित विधवाओं से ज्यादा नहीं रहेगी। आजकल के पंडितों के लिये जब कोअी संस्था खोली जाती है तब वे पूछते हैं, "संस्था की स्थायी निधि कितनी है? प्रॉविडेण्ट फंड का भी कोअी अन्तजाम है या नहीं?" अगर स्थायी निधि मिल जाय तो उसे साहित्यसेवा में न लगा कर किसी सुरक्षित बैंक में रख देते हैं और जो थोड़ासा सूद मिल जाता है उसपर गुजर करना चाहते हैं। बैंकों द्वारा यह पैसा स्वदेशी और परदेशी तिजारत की मदद करता है और इस तिजारत की जूठन दो या तीन प्रतिशत व्याज के रूप में साहित्य-सेवा को मिलती है।

राजनैतिक सेवक इससे कहीं बहादुर होते हैं। वे कल की नहीं सोचते। वे एक पैर जेल में और दूसरा पैर राजसिंहासन पर रख कर देश की सेवा करते रहते हैं। फिर यह भी नहीं कि राजनैतिक सेवक साहित्य की कुछ भी सेवा न कर सकते हों। जवाहरलालजी, नरेन्द्रदेवजी, सम्पूर्णानन्दजी, राहुलजी, मालवीयजी, श्रवचानंदजी, आदि राष्ट्रसेवकों ने जो साहित्य-सेवा की है वह अलंकार-मीमांसा करने वाले भाषा-सेवकों की रोया से किसी कबर कम बर्जे की नहीं है।

साहित्य-सेवकों के पेट नहीं होता असी बात नहीं है। परन्तु राजनैतिक सेवकों को भी तो खाने को कुछ चाहिए ही। उनके भी बाल-बच्चे और परिवार तो होता ही है। जो कल के लिये प्रबन्ध करके निश्चिन्त हो जाते हैं उनके जीवन में जंग लग जाता है, उनमें सुस्ती आ जाती है। जिन्हें जीवन-कलह में मैदान लेना पड़ता है, रोज संकटों का सामना करना पड़ता है, वे ही प्राणवान् होते हैं।

थोड़ीसी विद्या, थोड़ीसी संस्कारिता, भरपूर मिहनत, जीवन-जागृति, जीवन-यात्रा में संतोष और सेवाकार्य में अखण्ड योग—अतनी पूंजी पर किसी भी हिन्दीभवन का प्रारंभ हो सकता है। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे काम ही अपने लिये साधन-संपत्ति आप खींच लाता है।

१. हिन्दीभवनों का अद्देश्य हिन्दी का केवल अध्ययन ही नहीं है; अपितु हिन्दी की योग्यता और क्षमता बढ़ाने की कोशिश करना भी है।

२. हिन्दी की भिन्न भिन्न शैलियों का अध्ययन करके जो शैली संस्कारी, सव्यम और लोकसुलभ होगी उसको प्रोत्साहन देने का काम भी हिन्दीभवनों का है।

३. सबसे महत्त्व का काम हिन्दी की मुख्य और अतिर बोलियों के संगठन का है। पंजाबी, राजस्थानी, और बिहारी हिन्दी की प्रधान बोलियाँ हैं। वुन्देलखण्डी, अत्रयी, छत्तीसगढी, पहाड़ी अत्यादि हिन्दी की घटकबोलियाँ अनेक हैं।

आज तक अिनके स्वरूपभेद, प्रत्ययभेद, आवि का अध्ययन हुआ है। किन्तु अिन भाषाओं को नजदीक खाने का और अिनकी हिन्दी के साथ मिला लेने का प्रयत्न नहीं हुआ है। अिन सब बोलियों की सहायता से हिन्दी का

शब्दगण्डार समृद्ध करना हमारा प्रथम काम है।

४. पाश्चात्य लोगों ने अिन सब बोलियों के स्वतंत्र अध्ययन की तरफ हमारा ध्यान खींचा तो सही; किन्तु अिन बोलियों को पास पास लाने के बजाय अुन्होंने अुनका फ़ासला कुछ बढ़ा ही दिया है। अब यह हमारा काम होगा कि हम अुनका अेक विशाल परिवार बनावें और अुनमें कीटुम्बिक धर्म की स्थापना करें।

५. भाषा की बहुतसी शक्ति अुसकी कथावनों, और मुहावरों में होती है। अिन दोनों बातों में हिन्दुस्तान की सब बोलियाँ बहुत ही समृद्ध हैं। अिन बोलियों में ग्रंथस्थ साहित्य नहीं है अुन्हें तो अपनी भाषा-समृद्धि कथावतें, गीत और मुहावरों के रूप में ही कंठस्थ करके संभालनी पड़ती है। अिसलिये अिन बोलियों की नित्य की बोल-चाल की भाषा बहुत मंजी हुआ होनी है।

६. अिस संस्कारिता और समृद्धि का संग्रह करना हमारा कर्तव्य है। हमारे ग्राम-जीवन का सन्तोष और आत्मविश्वास नष्ट हो रहा है और साथ साथ बोलियों की समृद्धि भी क्षीण होने लगी है। क्योंकि जीवनसमृद्धि और भाषासमृद्धि को अलग अलग नहीं किया जा सकता।

७. भाषासमृद्धि का संग्रह करने से लोक-जीवन का भी संग्रह होगा और यह जनता की असाधारण महत्त्व की सेवा गिनी जायेगी।

अिसके बाद तीसरा महत्त्व का काम अिन सब बोलियों के प्रत्ययों और अुपसर्गों के संग्रह का है। भाषा के प्रत्यय और अुपसर्ग अुसकी टकसाल के मुख्य अीजार हैं। आजकल भाषा में नये नये शब्द गढ़ने का काम

ज्यादातर अध्यापक (प्रोफेसर) और वृत्त-त्रिवेचक (सम्पादक) ही करते हैं। उनका अध्ययन कॉलेज में पढ़ी हुई संस्कृत और अंग्रेजी तक ही सीमित होता है। जिसलिये वे जो नये शब्द गढ़ते हैं उनमें लोगों की भाषा में घुलमिल जाने का माहा ही नहीं होता। हिन्दुस्तान की हर अके भाषा में संस्कृत के शब्द, प्रत्यय और अपसर्गों के अतिरिक्त अपने निजी अपसर्ग और प्रत्यय भी होते हैं। जहां शास्त्रीय परिभाषा बनानी है वहां पर अखिल भारतीय अकेता के लिये संस्कृत धातु और प्रत्ययों से बनाये हुये शब्द ही लेने चाहिये। किन्तु लोक-सुलभ भाषा के लिये हर अके भाषा के जो निजी देशी शब्द होते हैं और अपने निजी छोटे-छोटे सुन्दर सुघड प्रत्यय होते हैं अन्हींकी मदद लेनी चाहिये। आज से आगामी दस वर्षों के लिये हर अके भाषा को अपनी अपनी टकसाल खोलनी चाहिये और जो ग्रामीण जनता तक आसानी से पहुंच सकें अैसे नये शब्द गड कर अन्हें प्रचलन की गंगा के बहाव में दीयों के समान बहाना चाहिये।

८. इसके साथ साथ ग्रामों के पुराने और नये गीनों का भी संग्रह हो यह आवश्यक है। अर्धमक्ति से किये हुये संग्रह के दिन अब जाते रहे हैं। अब तो भाषा की दृष्टि से, कल्पनावैभव की दृष्टि से, और समाज-शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से जो गीत महत्त्व के हों अन्होंका संग्रह करना चाहिये। अितना ही-नहीं, किन्तु अन्के संग्रह के साथ साथ अन्का वर्गीकरण, तोलन और त्रिवेचन भी होना चाहिये।

९. हिन्दीमवलन जैसी संस्था को साहित्य, भाषा और गवेषणा की दृष्टि से अके बडी

मंडी (अम्पोरियम) का कार्य करना चाहिये। सारे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर जो अन्व्यासक, लेखक और अन्वेषक काम करते हैं अन्का संगठन करना, अन्की जानकारी बढ़ाना, अन्के कार्य में सहायता पहुंचाना-आदि सब कार्य अन्को करना चाहिये।

१०. दुनिया की सभी भाषाओं के जिन ग्रंथों ने मनुष्य के विचार, दृष्टि और आकलनशक्ति में क्रान्ति की हो, जिन ग्रंथों ने कल्पना, वाद या जीवन-रहस्य की दृष्टि से मनुष्य के जीवन पर असाधारण प्रभाव डाला हो, अन्के प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी में अवश्य होने चाहिये।

११. किन्तु अिन अनुवादों को पढेगा कौन ? जिनमें कुछ भी विद्वत्ता या अध्ययन है अथवा संस्कार ग्रहण करने की शक्ति है, वे तो अंग्रेजी जानते ही हैं। वे अंग्रेजी के द्वारा ही सब कुछ लेना अधिक पसन्द करते हैं। और जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वैसे सामान्य लोगों के लिये अिन अनुवाद-ग्रंथों की शैली और अिनका प्रस्थान अंग्रेजी के जैसा ही दुर्लभ होता है।

अिसलिये हर अके विषय पर अेवं जीवन-व्यापी कल्पनाओं पर प्राथमिक स्वरूप के छोटे-छोटे लोक-सुलभ ग्रंथ लिखवाने चाहिये और परीक्षाओं के द्वारा अन्का अध्ययन जारी करना चाहिये।

१२. भारत के सामने आज जो भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आन्तराष्ट्रीय समस्याएं हैं, अथवा अुपस्थित होने की संभावना है, अन्पर साधक-बाधक दृष्टि से अध्ययन करने के लिये प्रमाणभूत ग्रंथ भी तैयार करवाने चाहिये।

१३. हमारी संस्कृत विद्या भी हमारे पण्डितों ने लोक-सुलभ बनाने के बदले लोगों के लिये अधिकाधिक दुर्बोध बना दी है। उसे आसान बनाने के लिये भी प्राणपन से कोशिश होनी चाहिये। मतलब यह कि, 'अन संस्कृत शास्त्रों में आखिर क्या कहा गया है?' असा प्रश्न अगर ग्रामवासी जनता का कोजी प्रतिनिधि करे तो जिसे वह समझ सके असी सीधी और सरल भाषा में छोटी-छोटी

पुस्तिकायें उसको मिलनी चाहियें।

अपर बताया हुआ काम न तो मौखिक है और न उसके लिये कोजी असाधारण प्रतिभा की ही जरूरत है। किन्तु जिनका अध्ययन विशाल है, जो बहुश्रुत हैं, जिन्हें जनसेवा की दृष्टि है और स्वदेशी साहित्य के प्रति जिन्हें भक्ति है असे ही लोग असे कर सकते हैं।

वर्धायोजना का हार्द—अनुबन्ध

[काका कालेलकर]

बड़े बड़े शिक्षण-शास्त्री भी असा मान बैठे हैं कि "अनुबन्ध की कला बहुत दुःसाध्य है। उसमें प्रतिभाशाली व्यक्ति ही दिशा-दर्शन कर सकता है; और जिन्हें असाधारण कल्पना-बेभव है असे ही लोग अनुबन्ध-पद्धति को सफल कर दिखा सकते हैं।" नतीजा यह हुआ है कि लोग जिससे कुछ न कुछ आम-दनी हो सके असे राष्ट्रोपयोगी बुद्योग सीखने की बात तो समझ सकते हैं। परंतु उसके साथ साथ जितना समय मिले अतने में किताबी पढाओ होगी असी अन्हें अपेक्षा होती है। किन्तु जब गांधीजी कहते हैं कि यह वर्धायोजना नहीं है तब वे बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। आज तक किसीने बुद्योग की पढाओ के द्वारा दूसरे विषय भी पढाकर दिखाये ही नहीं हैं। जिस लिये लोगों का अनुबन्धपद्धति की पढाओ पर विश्वास ही नहीं बैठता। जहाँ अध्यापकों को तैयार किया

जाता है वहाँ पर कहीं कहीं संस्था के चालक अपने शागिदों से कह देते हैं कि 'अस बात में न तो हम खुद कुछ जानते हैं और न आप लोग ही। जिस लिये आप लोग साथ बैठकर आपस में सोच लीजिये और अनुबन्ध का तरीका ढूँढ लीजिये'। क्या आश्चर्य अगर यह विद्यार्थी-शिक्षक भी गाँव में जाकर वहाँ के अपने बालक विद्यार्थियों से कह दे कि तुम भी अपनेआप अनुबन्ध तलाश कर लो। "जो पीछे से आयी वही आगे चलायी," बस छुट्टी!

जिस लिये यह जरूरी है कि न केवल अनुबन्धी पढाओ के कुछ पाठ ही तैयार कर के बताये जायें अपितु वे छाप कर वहाँ पर भेजे जायें जहाँ बुनियादी तालीम का प्रयोग चलता हो अथवा चलने की संभावना हो। असा करने के पहले अनुबन्धी तालीम का तरीका यहाँ पर थोडा-सा स्पष्ट कर देना चाहिये।

मान लीजिये कि बाबीबिल में प्रवीण किसी मिशनरी से हम रस्किन सीखना चाहते हैं। रस्किन के विचार अमुदा होते हैं और अुसकी लेखन-शैली अंग्रेजी में असाधारण सुंदर मानी जाती है। हमें तो रस्किन के विचार और अुसकी भाषाशैली से ही मतलब है। किन्तु रस्किन के बचपन में अुसकी माता ने अुसे बाबीबिल पढ़ायी थी और अितनी अच्छी तरह से कंठ करायी थी कि रस्किन की भाषा में बाबीबिल के शब्द, बाबीबिल के मुहाबरे और बाबीबिल के अुल्लेख जहाँ-तहाँ पर बिखरे हुए पाये जाते हैं। अब अगर रस्किन को अच्छी तरह से समझना है तो जहाँ जहाँ बाबीबिल का जिक्र आता है वहाँ बाबीबिल का अुतना अंश तो समझ ही लेना चाहिये। सारी बाबीबिल पढ़ने की हमारी नीयत है ही नहीं। सिर्फ जहाँ और जितना बाबीबिल का जिक्र आया अुतना ही अच्छी तरह से समझना है। अिस ढंग से बाबीबिल की बा-कायदा पढाई नहीं होगी। किन्तु रस्किन लेखक ही अैसा है कि बाबीबिल की शायद ही कोअी महत्त्व की बात होगी जो अुसकी पुस्तकों में से छूट गयी होगी। नतीजा यह होगा कि रस्किन पूरा करते करते हम बाबीबिल के भी कामचलाअू आलिम बन जायेंगे। और अितनी बाबीबिल पढ़ने में हमें कोअी बोझ भी नहीं मालूम पड़ेगा। अगर बाबीबिल का कोअी भाग रह गया तो रह जाय। अगर और किसीकी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ते हुए अुसका जिक्र आ जाये तो वहाँ अुसे पढ़ लेंगे। और अगर कहीं भी न आवे तो जिसका कहीं जिक्र ही नहीं आता, अुसके ज्ञान के बिना ही हम रह जायें तो भी हर्ज नहीं। अुसकी कीमत ही

क्या? हम यह भी पसंद नहीं करेंगे कि हमारे मिशनरी अुस्ताद अुतना भाय हमें सिखाने के लिये अुसका रस्किन के साथ जबरदस्ती अनुबंध बिठा दें।

बस अिस अुदाहरण से अनुबन्ध की पद्धति और अुसकी मर्यादा का ख्याल आ जायगा। हमारे संस्कृत ग्रंथों के टीकाकार भी अपनी टीका लिखते समय अनुबन्ध की पद्धति से ही, कम या अधिक, काम लेते हैं। जहाँ जिस चीज का जिक्र आया वहाँ अुसका पूरा पूरा विवरण करके आगे चले। अिस तरह से व्याकरण, छंदशास्त्र, अलंकारशास्त्र ही नहीं, अपितु संगीत, वैद्यक, कर्मकाण्ड, युद्धशास्त्र, राजनीति, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आ जाता है। और टीका की सहायता से पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने विषय का सर्वज्ञ और बाकी की सब बातों में बहुश्रुत हो जाता है। अनुबन्ध की मर्यादा छोड कर अधर-अुधर की असंबद्ध बातें टीका में ठूस देनेवाले टीकाकार की हँसी होती थी। जो टीकाकार अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के अुद्देश्य से बेमतलब की बातें पाठक के सामने रख देता था वह अप्रतिष्ठित हो जाता था। कालिदास के साहित्य पर टीका लिखनेवाले मल्लीनाथ ने शुरू में ही प्रतिज्ञा की है:— “ना मूलं लिख्यते किंचिन् नानपेक्षितमुच्यते ॥”

अिन टीकाकारों में से बहुत-से लोग अनेक शास्त्रों में पारंगत होते थे और अपनी टीका-द्वारा अध्यनशील विद्यार्थियों को अुन सब शास्त्रों का थोड़ाथोड़ा ज्ञान अनुबन्ध-पद्धति से दे देते थे।

महामारत ग्रंथ भी अनुबंध-पद्धति का ही अेक नमूना है। जहाँ जिस बात का

जिक्र आया उसको विस्तार से समझा दिया। यों तों महाभारत केवल भारतीय युद्ध का वर्णन—मात्र है। किन्तु उसमें अनुबन्ध के द्वारा उस जमाने की भारतीय संस्कृति का पूरा पूरा चित्र उसके सब अंग—अुपांगों के सहित खींच दिया गया है। उस जमाने की युद्धनीति, राजनीति, धर्मचर्चा, तीर्थाटन, लोक—कथायें, राजवंशावली, प्रमाणशास्त्र, भूरचना, स्वर्गलोक—आदि दुनियाभर की बातों का जिक्र उसमें आ जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थों के अनेकविध शास्त्र उसमें आ जाते हैं और वे भी अनुबन्ध के साथ और यथा—परिणाम। आज भी जब हम किसी अभिजात ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो अध्यापक अपनी टिप्पणियों के द्वारा उस ग्रंथ के विषय की ओर उसके अंदर आये हुए अुल्लेखों के अनुबन्ध के सहारे अनेक विषयों की ओर साहित्यों की जानकारी हमें दे देते हैं।

टिप्पणियां या टीका लिखनेवाला अध्यापक जबकभी किसी बड़े पुस्तकालय में जा कर बैठता है तो वह अपनी पुस्तक का अनुबन्ध सारे पुस्तकालय में अनेक जगह से ढूँढता है और जिस तरह अपना पाठ्य विषय अुद्दी-पित कर लेता है।

जब रेनान को अीसामसीह की जीवनी लिखनी थी तो उसने यरुसेलेम जा कर यीशु के जीवन के साथ जिन जिन बातों का अनुबन्ध था, वे सब देख लीं। जब आनानोले परान्स ने अपना 'थाअी' नामक अुपन्यास लिखा तो उसने रोमन अितिहास और अीसाअी धर्म का सारा प्रारंभिक अितिहास, जिसको अुसे अपनी कथा के साथ अनुबद्ध करना था, देख

लिया था। जब जॉर्ज अिलियट को "रोमोला" लिखना था तब उसने सेवेनारोला के समय का न केवल सारा अितिहास ही पढ़ लिया अपितु उस जमाने में जो अुत्सव मनाये जाते थे अुनकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म जानकारी भी हासिल की। जब उस समय का लोक-जीवन जॉर्ज अिलियट को प्रत्यक्ष हुआ तभी जा कर उसने "रोमोला" जैसा अुपन्यास जीवित कर दिया। अब जॉर्ज अिलियट का नाम अितिहासकार के तौर पर कहीं भी मशहूर नहीं है। अुसे केवल अपना अेक अुपन्यास किसी अैतिहासिक काल-खंड में बोना था और जीवित बनाना था। जिसलिये अुसने अुपन्यास के कथानक के साथ जिन जिन बातों का अनुबन्ध बैठता था अुन बातों को बड़े अुत्साह और लगन से अपना लिया।

आज जनता कह सकती है कि अितिहास-कार भी जो नहीं कर सकता अुतना जॉर्ज अिलियट ने सेवेनारोला का समय हमारे लिये प्रत्यक्ष किया है। शेक्सपियर और टेनीसन के बारे में भी यही कहा जा सकता है। लॉर्ड मेकॉले जैसे अितिहासकार ने अिकरार किया है कि अिंगलैंड के अितिहास का हार्द अुसे जैसा शेक्सपियर में मिला वैसा अितिहास-ग्रंथों में नहीं मिला।

जो जान अनुबन्ध-पद्धति से लिया अथवा दिया जाता है, वह आसानी से हजम हो जाता है। कभी भी भाररूप नहीं प्रतीत होता और हमेशा के लिये अुपस्थित रह कर प्राणशक्ति को बढ़ाता है।

अब नयी बात हमने अितनी ही निकाली है कि अनुबन्ध की संस्कारिता न केवल सफेद-पोश लोगों के लिये ही सुखभ हो, किन्तु धूप और पानी में काम करनेवाले अुन

श्रमजीवियों के लिये भी सुलभ हो जिनकी तादाद फीसदी अस्सी से अधिक है। सब आवश्यक ज्ञान और संस्कारिता जब बुद्धोग-हृत्तर के साथ अनुबद्ध होंगे तभी वे श्रम-जीवियों के लिये सुलभ होंगे। शिक्षा के बहाने श्रमजीवियों को श्रमविमुख करके परोप-जीवी सफेदपोशों की तादाद बढ़ाना हिदुस्थान

के लिये आत्महत्या का मार्ग है। और श्रम-जीवियों को विद्या और संस्कार से वंचित रखना तो प्रथम कोटि का समाज-द्रोह है। असलिये देश के करोड़ों लोगों को आजीविका, ज्ञान और कौशल दे कर अस्से के साथ बाकी का सारा ज्ञान अनुबद्ध करने का तरीका हमने ढूँढ निकाला है।

अहिंसा की कुछ पहलियां

[किशोरलाल घ० मशरूवाला]

अहिंसा के बारे में कभी कभी गहरे और जटिल सवाल किये जाते हैं। अनिम से कुछ का मैं यहाँ थोड़ा विचार करना चाहता हूँ।

(१) प्रश्न—पूर्णता प्राप्त किये बगैर संपूर्ण अहिंसा शक्य नहीं है। गांधीजी खुद भी अपनी अहिंसा को अधूरी मानते हैं। तो फिर, सारे समाज को या हमारे जैसे अपूर्ण व्यक्तियों को अहिंसा की सिद्धि किस तरह मिल सकती है ?

उत्तर—कभी कभी बहुत गहरे विचार में अंतर जाने से हम गगन-विहारी बन जाते हैं। कसरत करनेवाला हर अेक व्यक्ति ढौड़ती हुआ मोटर अड़ाने, या चार-पांच मन का पत्थर छाती पर रखने, या गामा की बराबरी करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी, यह मुमकिन है कि अन लोगों से भी बढ़ कर कोभी पहलवान दुनिया में पैदा हो। अगर अिन्हीं को शारीरिक शक्ति का आदर्श माना जाय तो साधारण आदमी—चाहे वह कितनी भी निहत्त से शरीर को मजबूत

बनाने की कोशिश करे, तो भी—अपूर्ण ही रहेगा। तब क्या आम जनता लिये जो अखाडे हैं वे बन्द कर दिये जायें ? अत्तर साफ है कि 'नहीं'। क्योंकि अखाडों का मुख्य अुद्देश्य गामा जैसे पहलवानों को ही निर्माण करना नहीं है; बल्कि साधारण दुनियादारी में सैकडों आदमियों को जितने और जिस प्रकार के शारीरिक विकास की जरूरत हो अतना और अुस प्रकार का विकास जो व्यायाम-शाला करा सकती है असे हम सफल संस्था कहेंगे; फिर चाहे अुसके ती साल के अितिहास में अुसमें से अेक भी गामा या राममूर्ति भले ही न निकला हो। अिब अखाडों में गामा और राममूर्तियों का सम्मान, तथा मार्ग-दर्शक की हैसियत से अुपयोग, हो सकता है। लेकिन अुन जैसा बनने की सबकी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती। अुछके अुस्ताद के लिये भी वह कसौटी नहीं हो सकती।

दूसरा भी अेक अुदाहरण ले लीजिये। सेनापति में युद्ध-शास्त्र की जितनी

काबिलियत चाहिये अतनी हर अके छोटे अमले में, तथा छोटे अमले के जितनी काबिलियत सामान्य सिपाहियों में हो, वैसे अपेक्षा कोभी नहीं करेगा। वृत्ति हर अके कार्यकर्ता अपने में पा न सके, अथवा कार्यकर्ता की लियाकत साधारण जनता में आना संभव न हो, तो जिसमें घबड़ाने की कोभी बात नहीं। जिससे अलुटी स्थिति की अपेक्षा करना ही गलत होगा। जरूरत तो यह खोजने की है कि अहिंसा की कम से कम तालीम कितनी और किस तरह की होनी चाहिये? अउसे अधिक लियाकत रखनेवाला मनुष्य अके छोटा नेता, या गांधी, या सवाभी गांधी, भी बन सकता है। वैसे सदमिलावा व्यक्तियों के दिल में भले ही हो, लेकिन जो अउ तक नहीं पहुंच सकता असे निराश होने की जरूरत नहीं। अउसे लिये परीक्षा की कम से कम लियाकत हासिल करने का ही ध्येय रखना काफी है।

(२) प्रश्न—जिसे क्रोध आता हो, जो गुस्से में कभी बच्चों को पीट भी लेता हो, जिसकी किसीके साथ बोलचाल भी हो जाती हो, वैसे शरू कया यह कह सकता है कि अउकी अहिंसाधर्म में श्रद्धा है?

उत्तर—हम जिस वक्त जिस प्रकार की और जिस वपेत्र की अहिंसा का विचार कर रहे हैं अउसे “गुस्से के मानी में क्रोध” और “द्वेष, वैर, जहर, के मानी में क्रोध” का भेद समझना जरूरी है। मौ-ब्राध, शिषक आदि कभी कभी बच्चों पर गुस्सा करते हैं और अउन्हें सजा भी देते हैं। रास्ते पर, पानी के नल या कुँजे पर कभी कभी स्त्रियों में बोलचाल हो जाती है। पढीसियों में अके का कपरा धुवारे के घर में अउने वैसे छोटी-सी

बात पर भी झगड़ा हो जाता है। बुढ़ापे या बीमारी में अनेक लोग बदमिजाज हो जाते हैं और छोटी-छोटी बातों से चिढ़ते हैं। यह सब क्रोध ही है और दुर्गुण भी है। फिर भी, अितने पर से हम अिन लोगों को द्वेषी, जहरीले, या वैरवृत्तिवाले नहीं कहेंगे। अलुटे, कभी बार यह भी पाया जायेगा कि खुले दिल के और सरल स्वभाव के लोगों में ही जिस प्रकार का क्रोध ज्यादा होता है और कपटी आदमी ज्यादा संयम बताते हैं। जिस प्रकार का गुस्सा जिसके प्रति प्रेम और मित्रभाव हो अउपर भी होता है। बल्कि असीपर ज्यादा जल्दी होता है; पराये आदमी पर कम होता है। यह स्वभाव शिष्या, संस्कार वगैरह की कमी का परिणाम है; लेकिन द्वेष-वृत्ति का नहीं। अहिंसाधर्म में प्रगति करने, अउसे अके आदरपात्र सेवक और अगुआ बनने के लिये यह ऋटि जरूर दूर होनी चाहिये। लेकिन वैसे नहीं कि वैसे ऋटि होने के कारण कोभी आदमी अहिंसाधर्म का सिपाही भी नहीं हो सकता। अहिंसा के लिये जो वस्तु महत्त्व की है वह है अद्वेष या अवैर-वृत्ति। जब किसीने कुछ नुकसान या अपमान किया हो तब अउका बदला किस तरह लें, अउसे नुकसान किस तरह पहुंचावें, वगैरह विचार जिसके मन में आते रहते हैं और जो अउ बात को भूल ही नहीं सकता; बल्कि बदला लेने के मोके ही ढूँढता रहता है; और अउ आदमी का कुछ अनिष्ट हो तब खुश होता है, अउसे दिल में हिंसा, द्वेष या वैर की वृत्ति है। क्रोध आये, शोक भी हो, फिर भी, अगर मन में वैसे भाव न अठ सके तो वह अहिंसा है।

नुकसान करनेवाले का बुरा न चाहने की शुभ दृष्टि जिसके दिल में है वह प्रसंगवशात् क्रोधवश होता हो, तो भी वह अहिंसाधर्म का अग्नीदवार हो सकता है। यह अंक दूसरी बात है कि जितनी हद तक वह अपने गुस्से को रोकना सीखेगा अतना ही वह अहिंसा में ज्यादा शक्ति हासिल करेगा। 'तास्त्विक दृष्टि से यह कह सकते हैं कि जिस 'चिह्न के क्रोध' और 'वैर के क्रोध' में सिर्फ मात्रा का ही भेद है। फिर भी यह भेद अतना ही बड़ा और महत्त्व का है जितना कि नहाने के गरम पानी और अबलते हुए गरम पानी के बीच का है।

(३) प्रश्न—वहस या मापणों में प्रतिपक्षी का मजाक भुड़ाने, वाग्बाण चलाने या तिरस्कार की भाषा अस्तेमाल करने में जो अहिंसा-भंग होता है वह किस हद तक निर्दोष माना जाय ?


उत्तर—मान लीजिये कि हिंसा का सादा अर्थ है घाव करना। जो प्रहार दूसरे को घाव के जैसा मालूम होता है, वह हिंसा है; फिर वह हाथ-पैर या शस्त्र से किया हो, शब्द से किया हो, या कि दिल में छिपी हुई बद-दुआ ही हो। स्थूल घाव अब सीधी छुरी का होता है तो कम बीजा देता है। टेढ़ी बरछी का हो तो बदन का ज्यादा हिस्सा चीर डालता है। तकली की तरह नुकीला शस्त्र हो तो उसका घाव और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसी तरह शब्दों का घाव सीधा हो तो जितनी बीजा देता है, उससे बाह्य दृष्टि से विनीवात्मक, लेकिन तिरस्कार और बक्रतायुक्त शब्द ज्यादा खोट पहुंचाता है। जो प्रतिपक्षी के नाजुक भाग को अबन पहुंचाता है, वह घाव ही है। और


यह तो हम जान सकते हैं कि हमारा शब्द किसी आदमी को महज विनीव मालूम होगा या प्रहार। जिसलिसे अहिंसा में ऐसे प्रहार करना अयोग्य है।

(४) प्रश्न—अहिंसा में अपनी व्यक्तिगत अथवा संस्था की रक्षा, अथवा न्याय के लिसे पुलिस या कचहरी की मदद ली जा सकती है या नहीं? चोर, डाकू या गुण्डों के हमले का सामना बल से कर सकते हैं या नहीं? अहिंसावादी स्त्री अपनी अिज्जन पर आक्रमण करनेवाले पर प्रहार कर सकती है या नहीं?

उत्तर—यहां पर सामान्य जनता और प्रयत्न-पूर्वक अहिंसा की अपासना करनेवाले में कुछ भेद करना चाहिये। जो अपेक्षा अंक विचारी अहिंसक कार्यकर्ता से रखी जाती है वह सामान्य जनता से नहीं रखी जाती। मतलब, सामान्य जनता के लिसे अहिंसा की मर्यादा कुछ मोटी होना अनिवार्य है। जिसलिसे अगर हम अतना ही विचार करें कि सामान्य जनता के लिसे अहिंसाधर्म का कब और कितना पालन जरूरी समझना चाहिये तो काफी होगा। समझदार व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक जिससे आगे बढ़ सकते हैं।

अस दृष्टि से, अहिंसा के विकास के मानी हैं जंगल के कानून में से सभ्यता अथवा कानूनी व्यवस्था की ओर प्रयाण। अगर हर अंक आदमी अपने भयदाता या अन्याय-कर्ता के सामने हमेशा बन्दूक भुंटा कर या अपने आदमियों को बिकट्टा करके ही खड़ा होता रहे तो वह जंगल का कायदा कहा जायगा। जिसलिसे जहां पुलिस या कचहरी का आश्रय लेने के लिसे भरपूर समय या अनुकूलता हो वहां, जो शस्त्र अहिंसा की अुच्च मर्यादा का पालन नहीं कर सकता, वह अुनका आश्रय





ले तो समाज के लिये आवश्यक अहिंसा की मर्यादा का पालन हुआ माना जायगा। जहाँ वैसा आश्रय लेने की गुंजायिश न हो (जैसे कि, जब चोर या हमला करनेवाला प्रत्यक्ष सामने आया हो) वहाँ वह अपनी आत्म-रक्षा के लिये और गुनहगार को पुलिस के हवाले करने की गर्ज से उसे अपने वश में लाने के लिये, जितना आवश्यक हो अतने ही बल का अुपयोग करे तो अुसमें होनेवाली हिंसा क्षम्य मानी जायगी। मगर, बात यह है कि आम तौर पर लोग अुतने ही बल का प्रयोग कर सकते नहीं। कब्जे में आये हुअे गुनहगार को बुरी बुरी गालियाँ देते हैं और अितनी बुरी तरह पीटते हैं कि बाज दफा वह अधमरा हो जाता है। यह हिंसा अवक्षम्य है; यह हैवानियत है। समाज को अैसे बर्ताव से परहेज रखने की तालीम देना जरूरी है। अहिंसा-पसन्द समाज के लिये यह समझ लेना जरूरी है कि हरेक गुनहगार को अेक प्रकार का रोगी ही मानना चाहिये। जिस तरह तलवार ले कर दौड़ते हुअे किसी पागल को या सन्निपात में अुड्डता करनेवाले किसी रोगी को जबरदस्ती करके भी वश में लाना पड़ता है, अुसी तरह चोर लुटेरे या अत्याचारी को पकड़ तो लेना होगा। लेकिन पागल या सन्निपातवाले मरीज को वश करने के बाद हम अुसे पीटते नहीं रहते। अुलटे, अुसको रहम की दृष्टि से देखते हैं। यही दृष्टि दूसरे गुनहगारों के प्रति भी होनी चाहिये। अुसे हम पुलिस को सौंपते हैं जिसके मानी ये हैं कि वैसे रोगियों का अिलाज करने-वाली संस्था के हाथ में हम अुसे दे देते हैं। यह सच है कि यह संस्था भी आज

अैसे ही अज्ञानी अुस्तावों की बनी हुयी है जो पुराने जमाने के शिष्यकों की तरह यह मानते हैं कि:—

“चमोटी लागे चमचम, विद्या आवे क्षमक्षम।”

लेकिन यह दोष समाजविज्ञान के अौर अहिंसा के विकास के साथ सुधरनेवाली चीज है। यह संस्था सुधर कर अेक प्रकार की अस्पताल, पाठशाला या खास बस्ती भले ही बन जाय, अौर अुसका नाम भी भले ही बदल दिया जाय, फिर भी गुनहगारों का कब्जा लेनेवाली संस्था तो वही रहेगी।

सामाजिक दृष्टि से हिंसा-अहिंसा का जो बाध है, अुसे अिस तरह की अनिवार्य आत्मरक्षा के विषय में छेड़ने की जरूरत नहीं है। परंतु, सच्चे, या माने हुअे, हकों की प्राप्ति अौर कर्तव्यों की अदाबी के बारे में ही अिसका विचार करनेकी जरूरत है। हम हिन्दुस्तानी लोग कहते हैं “स्वराज्य हमारा कुदरती हक है।” मुसलमान कहते हैं “गाय की कुरबानी करना हमारा हक है,” अथवा “मसजिद के आस-पास शान्ति रखना हमारा कर्तव्य है।” हिन्दू कहते हैं, ‘बाजे बजाना हमारा हक है’ या, ‘गोहत्या रोकना हमारा कर्तव्य है।’ सवर्ण कहते हैं, ‘हरिजनों को दूर रखना हमारा धर्म है।’ हरिजन-व्यवस्थापी कहते हैं, ‘समानता अुनका हक है’—जिसी तरह मजदूर, किसान, मालिक, जमींदार, राजा, प्रजा अौर भिन्न भिन्न राष्ट्र अुपने हक या कर्तव्य का दावा अेकदूसरे के सामने पेश करते हैं।

हक या कर्तव्य की यह बद्धि व्यक्तिगत हो, छोटी या बडी काम की हो, या सारे राष्ट्र की हो, अुसका फैसला करने का अन्तिम साधन कौनसा है? “जबरदस्ती?” “मारपीट?”

“युद्ध ?” अगर हम यह कहें कि हमारा विश्वास अहिंसा में ही है, तो उसके मानी होते हैं, अिन साधनों का त्याग। किसी भी हक को हासिल करने, या कर्तव्य का अदा करने के लिये गालीगलोज, जबरदस्ती, मारपीट, युद्ध, तोड़फोड़, आग-अंगार, आदि नहीं किये जा सकते। प्रतिपक्षी के प्रति तिरस्कार नहीं बताया जा सकता और उसके दिल में दहशत भी नहीं पैदा की जा सकती। अितनी बातों को अच्छी तरह समझ कर तदनुसार बर्ताव करने का नाम है ‘अहिंसा की तालीम’। यह तालीम यदि कार्यकर्ता और आम जनता को मिल जाय तो कह सकते हैं कि लोग अहिंसात्मक आन्दोलन के लिये तैयार हैं। १९३० के, तथा चंपारन, बारडोली, बोरसद, आदि के सत्याग्रहों में साधारण जनता इस बात को अिधारे से ही समझ गयी थी। अुसने अेक खासी हृद तक अुसी तरह बर्ताव भी रक्खा था। अुस धम्त इस शर्त की हंसी करनेवाले, या अुसकी आवश्यकता पर शंका करने वाले, या अुससे असंगत आंदोलन करनेवाले कोअी नेता न थे। आज वह वायुमण्डल नहीं है। अुस वायुमण्डल को फिर से पैदा करना और लोगों में अंसी अेक बलवान् निष्ठा कायम करना कि जिससे कितनी ही विपरीत बातें कही जाने पर भी वे किसी भी हक या धर्म के लिये अहिंसा की मर्यादा न तोड़ें अहिंसावादी सेवक का ध्येय है। आम लोगों के लिये अहिंसाधर्म की अिससे अधिक गहरी ब्याख्या में अुतरने की जरूरत नहीं।

अहिंसा-शक्ति के प्रयोगों की खोज करने वाले सेवकों को बेशक ज्यादा गहरे अर्थ में अुतरना होगा। अिसलिये अिन प्रसंगों में आम लोगों

को पुलीस, कचहरी या अल का आश्रय करने की छूट ही सकती है, वहां पर भी वह अहिंसक अिलाज को ही आजमाने का, या नुकसान सहन कर लेने का, संकल्प कर सकता है। जब यह संकल्प वह अपने व्यक्तिगत संबंध में करेगा तभी तो अपनी संस्था के लिये करने का अधिकार अुसे हो सकता है। बल्कि यह भी हो सकता है कि व्यक्तिगत मामलों में अिस संकल्प पर चलते हुए भी अपने अधीन सार्वजनिक संस्थाके संबंध में वह अुस पर न चले। यह बात हरेक कार्यकर्ता की अपनी अहिंसा-वृत्ति और प्रयोग के प्रति निष्ठा की दृढ़ता पर अवलंबित है।

(५) प्रश्न—जहां कोअी झगड़े न हों वहां अहिंसा को मुख्य काम किस तरह बनाया जा सकता है, और अहिंसक अिलाज की खोज किस तरह की जा सकती है ?

उत्तर—कोअी झगड़े का अर्थ सिर्फ हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा ही न किया जाय। बल्कि झगड़ा-झमेला करनेवाले दो पक्ष जहां पर हैं वहां कोअी झगड़े का अस्तित्व माना जाय। अिस अर्थ में हमारे कम-नसीब देश में शायद ही कोअी अंसा क्षेत्र मिलेगा जहां यह स्थिति न हो। फिर जहां पर सबल निर्वल को सताता है वहां दो पक्ष पैदा हुए न हों तो भी अहिंसक अिलाज की खोज के लिये क्षेत्र है। अुदाहरणार्थ, कुछ स्थानों में परंपरागत प्राचीन रूठि से कुलीन मानी गयी जातियां नीच कही जाने वाली जातियों पर अिस प्रकार पद्धतिपूर्वक हुकम चलाती हैं, और अुनको अंसी दहशत में रखती आयी हैं कि अुन दमित जातियों में अपना अक पक्ष निर्माण करने की भी

हिम्मत नहीं है। बाहरी दृष्टि से कह सकते हैं कि यहां न कोमी झगड़े हैं न दो पक्ष। लेकिन सचमुच में यह स्थिति झगड़े से भी ज्यादा भयंकर है और कभी न कभी तीव्र झगड़े का स्वरूप ले लेगी। यहां पर दलित वर्ग में अहिंसायुक्त जागृति करना और अधिकारभोगी वर्ग में कर्तव्य का भान पैदा करना सेवक के कार्यक्षेत्र में आ जाता है। जो जिसका अिलाज ढूँढ सकेगा वह हिन्दू-मुसलमानों के झगड़ों का अन्त करने के अिलाज की शोध में भी अपना हिस्सा अदा करेगा।

कबूतर का गटरगूँ

१ प्रयत्न, प्रामाणिकता, प्रायश्चित्त

आदरणीय संपादक भाजी,
सधिनय पालागन,
'सर्वोदय' का शरद अंक आश्रम की अिमली अूँड हो जाने का गोफ-संवाद लायेगा अैसी कल्पना नहीं थी। जब से सवाअी भृशुडि अपनी राय आजादी से जाहिर करता हुआ भी बार बार रूठ कर घूँकाका को आअिदा चुप्ली साध लेने की धमकियाँ देने लगा था तभी से यह आशंका तो हो गयी थी कि मामला कुछ गडबड जरूर है। लेकिन अितनी-सी बात पर सवाअी भृशुडि आत्मघात कराने पर आमादा हो जायगा यह मानने को जी नहीं चाहता था। अगर सवाअी किसी मोके पर अपनी राय देने में खतरा या असुविधा देखता था तो असु खास मोके पर वह बापूजी का अनुकरण करके मौनव्रत ले सकता था। या भणसाली भाअी की तरह बारह वर्ष के मौन का संकल्प कर असुका कडाअी से पालन करने के लिये ताँबे के तार से अपनी चोंच भी सिलवा सकता था। ये सब बातें

आश्रमवासियों की खासियतें होते हुअे भी समझ में आने लायक थीं। लेकिन अितने सयाने सवाअी ने शोकमूड या कर्तव्यमूड हो कर अपनी हत्या कराली, यह असुके लिये शोभास्पद बात नहीं हुअी। सारे भूतल को अुद्भासित और आनन्दित करने-वाली चांदनी के असु ज्वार में अेकाकी अरक्षित बैठ कर वह मृत्यु के दूतों का आवाहन कर रहा था, यह अब स्पष्ट हो गया है। तभी जी असुने अपने घाव का अिलाज कराने के बदले घूँ काका का भवष्य बनने का हठ किया। हम यह अलचत्ता स्वीकार करते हैं कि सवाअी की स्थिर-प्रसन्न बुद्धि और धीरता दर्जे-अंबवल की थी। आखिरी दम तक वह दैन्य के अधीन नहीं हुअा। लेकिन असु बात में असुका लोहा मानते हुअे भी जिन्दगी की यन्त्रणाओं से जान बचाने की जो कातरता असुने बताया अुसके लिये हम असुकी प्रशंसा नहीं कर सकते। और अूपर से असु कातरता की लीपापोती करने के लिये असुने बडी चतुराअी से लम्बी-चौडी सफाअी दे दी है।

अससे तो यही मालूम होता है कि घूषू काका के नये नये गम्भीर प्रश्नों का जवाब देने से सवाभी कुछ थकाने लगा था। अुसकी काक-वृष्टि में अुसे जो सत्य दुग्-गोचर होता था अुसके प्रगट करने में शायद अुसे बेहद खतरा दीख पड़ता था। बेचारा करता भी क्या ? अपने प्रकृतिगत काक-रवभाव से मजबूर था। लेकिन मेरे पैनी बुद्धिवाले मित्र कंबुग्रीव ने असका सारा दोष 'सर्वोदय' के सम्पादकों के मत्थे ही मढा है। क्या 'सर्वोदय' के सम्पादक अुसकी अस बात को अपने मासिक के पृष्ठों में जगह देकर प्रायश्चित्त करने को तैयार हैं ? यदि वे असके लिये तैयार न हों तो कंबुग्रीव का कहना है कि फिर अुनके लिये गांधी सेवा संघ में कोअी जगह नहीं रह जाती। सो कैसे ? यह अुसीके शब्दों में सुनिये—

कल दस-साढे-दस की घण्टी हुआ और सब आश्रमवासी अपनी अपनी थाली-कटोरी लेकर बडी मूर्खता से सरस्वती मन्दिर के दुर्गजिले अन्नपूर्णामन्दिर की ओर चल पडे। अुस वक्त में साबरमती से नहा कर हृदयकुंज को लौटा था। बडी 'बोखरी' (अुसारे) की कँची पर बैठा हुआ मेरा परम मित्र कंबुग्रीव बडे दीन-भाव से सिसक रहा है यह देख कर मैं चकरा गया। अुसने अपना सुडोल सिर अपने कंधे पर लटका लिया था। बेचारा बहुत ही शोक-विकल था। मैं अुसके पास बैठ गया और अुसे दिलासा दिला कर पूछने लगा कि बात क्या है ?

* गुजराती विनयशीलता के कारण कंबुग्रीव मुझे किसी छोटे नाम से नहीं पुकार सकता। वैसे तो किसान मुझे 'मैना का भाभी' मानते हैं और मेरी आज्ञादी-पसन्द तबियत देख कर मेरी खासी अिज्जत भी करते हैं। परंतु आलापप्रिय आश्रमवासियों को मेरी कीध बोली अभिय लगती है। असलिये अुन लोगों ने मुझे काफी सम्बा खीडा नाम दे दिया है।

कंबुग्रीव—क्या कहूँ, कलबलराम भाभी,* अस आश्रम में बसेरा करना तो पैनी कीलों की सेज पर सोना है। भीष्म पितामह शर-शय्या पर महीनों सोते रहे असमें मैं अुनकी कोअी बडी बहादुरी नहीं सम-क्षता। बापू के अस आश्रम में बिना करवट बदले या कराहे जो जिन्दगी बिता दे वह भीष्म पितामह से कहीं अधिक बहादुर है। मैं—मेरा अपना भी यही अनुभव है। लेकिन असका तुम्हारे आज के बिलखने से क्या संबंध ? क्या माजरा है सो तो बताओ ?

कंबुग्रीव—क्या तुमने नवम्बर का 'सर्वोदय' नहीं देखा ?

मैं—अजी, मैं अखबार पढने मे कुछ सुस्त हूँ। अगर कोअी नया बात होती है तो तुम लोगों से सुन लेता हूँ। तुम लोग अुसपर जो चर्चा करते हो अुससे सारी बात भांप लेता हूँ। अगर अखबार पढने बैठूँ भी तो कहां तक पढूँ ? रोज नये नये अखबार निकलते हैं और नये नये लेखक पैदा होते जाते हैं। लेकिन पढने वाले तो हम ही हम हैं। जितना छपता है अुनना सब पढने लगें तो दिमाग बिगड जायगा। दूसरे, मेरा यह भी तजर्बा है कि कागज पर लिखे हुअे निर्जीव शब्दों से दिल कुछ सिकुड जाता है। जीभ से निकला हुआ शब्द जब सीधा कान में प्रवेश करता है तो रोम रोम में जोश भर देता है।

असलिये नवम्बर का 'सर्वोदय' देखने की पर्वा मंने नहीं की। कोजी खास बात हो तो तुम ही सुना ो।

कंबुग्रीब-अरे भाजी, गजब किया, तुम्हारे 'सर्वोदय' के सम्पादकों ने! अन्होंने सवाजी भुशुंडि का खून करा डाला और घूघू काका को भी भगा दिया।

मैं-है तो दर असल गजब की बात! लेकिन अथ से अति तक हाल मुझे सुनना पडेगा। सिर्फ दो शब्दों में कह देने से मुझे संतोष नहीं होगा।

(मुझे सारा किस्सा साद्यत सुना कर)

कंबुग्रीब बोला-ये आश्रमवासी अहिंसक होने का दम भरते हैं, दिन-रात अहिंसा के स्तोत्र गाते रहते हैं, परंतु हैं बहेलियों से भी गयेगुजरे। बहेलिया तो बेचारा पेट के लिये जीवहत्या करता है। लेकिन ये क्रूर आश्रमवासी बिना कारण ही, केवल अपनी शान रखने के लिये, दूसरों की हत्या कराते हैं। कोजी खरी खरी बात कहे तो जलभुन जाते हैं। अुनकी यह मनोवृत्ति तो हिटलर की जहरीली दायु से भी घातक है।

मैं-जो बात घूघू काका से ढोखे में हो गयी अुसके लिये तुम 'सर्वोदय' के संपादकों को बरबस क्यों कोस रहे हो?

कंबुग्रीब-अजी, बेचारे घूघू काका ने गिडगिडा कर बार बार निवेदन किया कि संपादकजी अपनी राय दें। अुनसे वह यह पूछते नहीं अूबता था कि 'मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ'? लेकिन दोनों संपादक अेकदम मौन रहे। कोजी जबाब नहीं दिया। सवाजी ने बार वार खतरे की सूचना दी और घूघू काका ने बडी दीनता से कहा, 'मेरी तो अकल काक नहीं करती, आप मेरी मदद कीजिये'।

लेकिन संपादक भाजियों ने अिरादतन मांजीचारे से मुंह मोड लिया। सवाजी ने अपने आपको असहाय और मित्ररहित पाया। अुसकी मजबूत छाती भी घडघडाने लगी। कॉंग्रेस की तरह अुसे भी बयाबान में जाना पडा। न अुसे 'सर्वोदय' के संपादकों से अुद्विग्न हो कर जाना, पडता और न अुसकी जान ही जाती।

मैं-तो अब क्या हो?

कंबुग्रीब-अब 'सर्वोदय' के संपादकों को, अुन्होंने जो घोर हिंसा अपने मन से की है, अुसे कबूल करना चाहिये और अुसका अुचित प्रायश्चित्त भी करना चाहिये। अुन्हें अपनी अहिंसा का स्पष्टीकरण करना चाहिये। जिस अहिंसा का राग वे नित्य आलापते रहते हैं अुसका सही मतलब लोगों को समझाना चाहिये। मेरा तो यह तजर्बा है कि कोजी मनुष्य कितना भी भला क्यों न हो, वह मनुष्येतर प्राणियों से बंधुत्व का व्यवहार करना अपनी शान के खिलाफ समझता है। किसी मनुष्य को हैवान या मनुष्येतर कहना गाली में शुमार होता है। बडे बडे महात्मा भी मनुष्यों पर अेक नियम लागू करते हैं और मनुष्येतर जीवधारियों पर दूसरा ही। असलिये 'सर्वोदय' के संपादकों को मनुष्येतर प्राणियों के प्रति अुसकी नीति और रुख साफ कर देना चाहिये। यदि अंसा न हुआ तो हमारा आश्रम में रहना खतरनाक है। किसी दिन ये अहिंसाधर्मी लोग हमें बडी धार्मिकता से मौत के घाट अुतार देंगे।

मैं-यह तो तुम्हारे ही दिल की कसजोरी है। हमारे लिये वापू के आश्रम से अधिक निर्भय स्थान अस दुनिया के पर्दे पर और कहीं नहीं हो सकता।

कंबुग्रीब-तुम सरासर भूल कर रहे हो, कलबलराम भाजी! खेत में खडी फसल

भूटनेवाले बन्दरों का काम तमाम कर देने की सूझ अिन्हीं अहिंसक बापूजी की ही तो थी न ? लावारिस धुमककड़ कुत्तों पर भी गोखियां चलाने के समर्थन में अिन्हीं बापू ने 'बवजीवन' के बीसियों पन्ने रंभे थे; और काका साहब ने महीनों बूनके पक्ष में बाल की खाल निकालने वाली गरमगरम दलीलें पेश की थीं । हिंदुस्तान का गरीब से गरीब और बिलकुल मटियामेट हो गया हुआ गंवार भी भूतदया के सिहाज से बन्दरों और कुत्तों पर हाथ साफ नहीं करता । पर यहां तो सब कुछ भुलटा ही है । माना कि यहां बीमारों की शुरुषूपा बडी मुस्तैदी से की जाती है । पर जरासी निराशा होने लगी नहीं कि अहिंसा के ये अनोखे अुपासक गोवत्स तक को जहर की पिचकारी दिला सकते हैं । अिनका अहिंसाधर्म भी मनुष्यों के लिये दूसरे माप रखना और पशुओं के लिये दूसरे माप रखना गवारा कर सकता है । अिसी न्याय से तो वे घूघू काका के सवाबी को गले के नीचे अुतार जाने में अहिंसा की अन्ठी विजय दिखा सकते हैं । भैया, अिनका कोबी ठिकाना नहीं । अिनका भरोसा कोबी कैसे करे ?

मैं—अच्छा, तो अिसके लिये संपादकों को क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये ?

कंबुग्रीब—अुन्हें साफ साफ कह देना चाहिये कि “हमारा दिल सँकरा और छोटा था । हम कीअे की अुस पैनी नजर को सह नहीं सकते थे; अपनाते की तो कीन कहे ? अुसकी सच्ची सच्ची बातें हमें अितनी कडवी लगती थीं कि वे हमसे निगली नहीं जाती थीं । लेकिन वाणी-स्वातंत्र्य की दुहाबी

देनेवाले हम अुनकी धू-धू भी नहीं कर सकते थे ।” ‘सर्वोदय’ के सम्पादकों को वीरता के साथ यह स्वीकारना चाहिये कि सवाबी भुशुडि की स्पूल हत्या होने के बहुत पहले ही अुन्होंने अुसकी मानसिक हत्या कर डाली थी । क्योंकि अुसकी बातें अुन्हें बुरती थीं ।

मैं—अगर वे अँसा न करें तो ?

कंबुग्रीब—तो अुन्हें आश्रम छोड देना चाहिये । जो लोग प्रयत्न, प्रामाणिकता और प्रायश्चित्त से भागते हैं वे न तो आश्रमवासी रहने के काबिल हैं न गांधी सेवा संघ के सदस्य ही । ‘सर्वोदय’ के संपादक यदि प्रायश्चित्त से मुह मोडते हैं तो वे अपने को बापूजी के अनुयायी कहलाना छोड दें ।

मैं—बात कुछ अटपटी-सी लगती है । अुसे जरा समझाओ ।

कंबुग्रीब—देखो, हमारे पुराने योगदर्शन में तो पांच महाव्रत और पांच ही नियम हैं । बापू ने अुनकी संख्या बडा कर बारह महाव्रत और सैकडों नियम बना दिये हैं । लेकिन अुनपर अमल करने वाले...

मैं—जरा ठहरो । यहां तो सुबह और शाम की प्रार्थना में अेकादश व्रतों का ही नित्य कीर्तन होता है ।

कंबुग्रीब—लेकिन संघ की नियमावली में बारहवाँ महत्त्वपूर्ण व्रत है ‘अधर्म-प्रतिकार’ । न जाने क्यों विनोबा ने अपने अुस श्लोक में अुसे नहीं गिनाया । दर असल वह अधर्म-प्रतिकार का व्रत ही तो है, जिसने बापूजी और किशोरलाल झाबी जैसे बिरक्तों को अेकान्त कोने से राजकीय क्षेत्र में बरबस खींचा है । दुनिया को बापूजी की जो सब से बडी भेंट है वह सत्याग्रह का चरम भी तो अिसी व्रत की देन है । अिसलिये मैं

तो हमेशा आश्रम के द्वादश व्रत ही मानता हूँ।

मैं—और वे सैकड़ों नियम ?

कंबुग्रीव—शीघ्र पर मिट्टी डालने से ले कर भैंस के घी-दूध और दाल-चावल से परहेज करने तक सारे नियमों को गिनाता जायूँ तो श्याम हो जायगी।

मैं—अच्छा, तो छोड़ो अजस्र व्रत को। मतलब की बात ही कहो।

कंबुग्रीव—तो सुनो, मैं यह कह रहा था कि व्रत-नियमों का यह जो तांता-सा बँध गया है अजस्र चलने वाले जिस आश्रम में करीब करीब नदारद ही हैं। रोजमर्रा प्रमाद करने के तो वे आदी हो गये हैं। बाज मीकों पर व्रतों के जिस कटीले रास्ते से वे भाग भी जाते हैं। लेकिन फिर भी, वे आश्रम में रह सकते हैं और बापू उनका रहना बरदाश्त कर लेते हैं। अतना ही नहीं, वे अपनी विशाल गोद में गिरे हुआ से गिरे हुआ को भी दबका लेते हैं। कोभी कितना भी कमजोर क्यों न हो, आश्रम में अजस्रके लिये जगह है बशर्ते कि वह प्रयत्न, प्रामाणिकता और प्रायश्चित्त का त्रिशूल अपने हाथ से न छोड़े।

मैं—ये गांधीवाले दावा तो यही करते हैं कि सत्य और अहिंसा हमारा सर्वस्व है। अगरिग्रह, अस्त्रवाद, ब्रह्मचर्य जैसे व्रतों में समझौता वे फिर भी बरदाश्त कर लेते हैं। लेकिन सत्य और अहिंसा में कदापि नहीं सहन करते। किन्हीं खास मीकों पर सत्य और अहिंसा को अजस्र भी कम महत्त्व देने की बात जो कहे अजस्रके लिये संघ के दरवाजे बिलकुल बंद हैं। और तुम जो बिलकुल झुलटी ही बातें कहते हो ?

कंबुग्रीव—तुम ठीक कह रहे हो। सत्य को तो जिनमें से किसीने पहचाना तक नहीं है। स्वयं बापू भी छाती पर हाथ रख कर यह नहीं कहते कि यही सत्य है। वे तो कहते हैं कि यथार्थ में सत्य क्या है, सो तो अजस्र भगवान ही जानते हैं। अब रही अहिंसा की बात। अजस्रकी तो रोज नयी नयी मर्यादायें कायम होती हैं। कभी तो मच्छर न मारने और आलू न खाने की सीमा तक बढ़ जा पहुँचती है, तो कभी खटमल-भूषित चार-पायी को खीलते पानी से धोने से ले कर बन्दरों और कुत्तों की हत्या तक बढ़ आती है। आश्रम में चोरी और डकैती करनेवाले 'कंजर' जाति के लोगों को पुलीस के हुवाले न करने की मर्यादा से ले कर वह हिटलर का ख्याल करने के लिये पूरी ताकत लगा देने तक अजस्र भरती है। जिस तरह जिसका कोभी ठीक ठिकाना नहीं है, असी अहिंसा का आश्रय ले कर आश्रम-वासी और गांधीवाले न तो कोभी संभठन कर पायेंगे न आश्रमजीवन का ढाँचा ही ठीकसे बना पायेंगे। जिसी लिये मैं तो यही समझता हूँ कि बापू के अनुयायी प्रयत्न, प्रामाणिकता और प्रायश्चित्त की सिद्धान्तत्रयी के आधार पर ही आज तक संगठित रह सके हैं और शायद आगे भी रह सकें। यहीं देखो न, बापू काका ने भी सवाबी को अजस्र करने का घोर कर्म 'बड़ी प्रामाणिकता' से किया, असा सर्वोदय के संपादक का कहना है। बुरेसे बुरा व्यक्ति भी यदि अपनी प्रामाणिकता साबित कर दे तो अजस्र बापूजी के चारों हाथ हैं। वह अपने अजस्र से अजस्र आदर्श के

कितना ही नीचा क्यों न रहे, यदि वह भीमानदारी से प्रयत्नशील रहे और चूक जाने पर शेरदिली से अपनी भूल कबूल कर ले और उसका प्रायश्चित्त करे, तो वह पक्का गांधीवादी हो सकता है। दूसरे सब नकली हैं।

मैं-अच्छा, तो मैं सर्वोदय के संपादकों को लिखूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सवाबी की मानसिक हिंसा के सूक्ष्म अपराध का प्रायश्चित्त करें।

कंबुग्रीव-मुझे भय है कि वे तुम्हारी बात टाल देंगे। कहेंगे कि सर्वोदय में ऐसी बूट-पटांग बातों के लिये जगह नहीं है। सर्वोदय के बड़े संपादक काका साहब के पास तो घूँस काका आधी रात बीते पढ़ेंच जाता था। करीब तीन बजे जब दूसरे सब सोते रहते थे, काका साहब जाग जाते थे। उस वक्त उनके पास कोई नहीं रहता था। काका साहब अपनी आंखें तो आकाश के तारों से लड़ाते थे और उनके कान झूँस काका अपने मधुर घृत्कार से भर देता था। जिसलिये सर्वोदय में उसके लिये जगह हो जाती थी। मैं आधी रात में जिस प्रकार प्रदेशान होना और दूसरों के कान सहलाना शीक नहीं समझता। ऐसा करके मैं बीमार होना नहीं चाहता। सूरज के प्रकाश में मैं चाहे जितना काम करने को तैयार हूँ, पर दिन भर गटरखूँ-गटरखूँ करने पर भी काका साहब के कानों में मेरी आवाज नहीं पहुँची, तो अब तुम्हारी पढ़ेंच चुकी! संपादकों की यही तो स्वाभियत है। बिना रू-ब-रू मिले वे अच्छे से अच्छा लेख या कविता भी नहीं छापते।

मैं-लेख, मुझे कोशिश भी तो करने दोगे? मैं अपनी कलबल से उनके दूसरे सारे कामों में हकाबड डाल दूंगा। तब तो मजबूरन उन्हें

सुनना ही पड़ेगा। लोग मुझे छिछोरा भले ही कह लें। गीता का आदेश शान कर परिप्रश्न करने के धर्म से मैं नहीं डिगूंगा। बार बार पूछूंगा और पूछता ही रहूंगा। तब उनका आचार्य-स्वभाव उन्हें मेरी बात सुनने के लिये विवश करेगा। वे या तो सवाबी की मानसिक हत्या का अपराध स्वीकार कर लेंगे और उसका प्रायश्चित्त करेंगे; या सारे पक्षिगणों के आश्रम-त्याग का संकट सहने को तैयार होंगे।

कंबुग्रीव-अच्छा, करो; कोशिश करो। लेकिन देखो, कहीं वे अपने कोशल से तुम्हें बना न लें। वे कह देंगे कि "हमें सवाबी की मृत्यु पर अफसोस है। लिहाजा उसकी यादगार में हम सर्वोदय का अंक पृष्ठ काला रक्खा करेंगे।" कहीं उनके चकमं में न आ जाना। सवाबी की मानसिक हत्या का अपराध अगर वे कबूल करें तो उसके प्रायश्चित्त के रूप में वे कोशिश और अहलू के संवादों की तरह हमारी चर्चा भी अपने मासिक में देने का वादा करें और मन से भी हमारे प्रति अनुदारता न दिखावें। यही अंक रास्ता है।

मैं-बहुत खूब। संपादक भाजियों से मैं यह भी कहूंगा कि 'सर्वोदय' के कुछ पाठकों को काकूटि की तीव्रता शायद असह्य लगी हो। परंतु यह कपोत-कूजन 'सत्यं च और प्रियं च' लगेगा। कहीं कपोत के पंखों की फटकार कुछ करारी हो जायगी तो भी घबडाते की बात नहीं। क्योंकि मैं आश्रमवासी अहलू की तरह ये सारी बातें तब नहीं करूंगा। दिन-दहाड़े करूंगा ताकि पाठक अपना बचाव भी कर सकें।

कहिये संपादक भाजी, आप मन, वचन और कर्म से प्रायश्चित्त करने को तैयार हैं न?

आपका आज्ञाकारी,
आश्रमवासी 'कलबलराज'

आकाशदर्शन

[काका कालेलकर]

राजा चाहे किसी भी स्थान पर हो और किसी भी पोशाक में हो, वह राजा ही है। उसके राजत्व में कोई फर्क नहीं आता। किन्तु राजा जब अपने दरबार अपने पूरे अँधेरे में बैठता है तो उसकी शोभा कुछ और ही होती है।

यही न्याय रात्रि के आकाश पर घटित होता है। आकाश की सुन्दरता अलण्ड है, अद्भुत है। रात्रि के आकाश के कँफ से अँसा कोई आदमी मुक्त नहीं रह सकता जो उसे ध्यान से देखता हो। किन्तु आकाश का वैभव अिन दिनों—अथवा अिन रातों— जो प्रकट होता है वह आकाश को भी शक्ति करनेवाला होता है। वर्षाकाल समाप्त हो गया है। आकाश ने अपनी सारी आर्द्रता छोड़ दी है। बादल भी अब धूलि-भूसर नहीं दीख पड़ते। पूर्ण प्रायश्चित्त करने के बाद मनुष्य का हृदय जैसा निर्मल और पारदर्शक हो जाता है वँसा आजकल का आकाश है। संध्या का दरबार समाप्त होते ही यह निर्मल प्रसन्नता सबपर छा जाती है और उसपर अज्ज्वल तारे आ बैठते हैं।

अँसे आसमान में भी अँक आकाश-खंड अँसा है कि जहाँ पर अधिक से अधिक तेजस्वी तारे अँकट्टे हो गये हैं। हीरों की अँस अँान को आजकल के खगोलशास्त्री 'स्वर्गीय गोलार्कण्ड' कहते हैं। बीच में सनातन मृग और उसके अँदीगदं रोहिणी का शकट, ब्रह्ममण्डल की स्थाली, पुनर्वसु की नीका, मृगव्याध का कुत्ता—सब बिरा-

जमान हैं। जब रात को करीब आठ-नी बजे मृग नक्षत्र निकलता है तो मृग के चार पाँव और पेट में घुसा हुआ अँषुनिकांड का तीर अँकदम ध्यान खींचते हैं। यह तीर मानो आकाश की विषुवरेखा खींचने के लिये आकाश में चढ़ता जाता है।

जब मृग निकलता है तब सिर पर खस्वस्तिक के तीर पर भाद्रपदा का चौरस फँला हुआ दीख पड़ता है। पूर्वा भाद्रपदा के दो तारे पश्चिम की ओर होते हैं। अँतरा के बाकी के दो तारे उसके बाद आने से पूरब की ओर होते हैं। अँनके पास शर्मिष्ठा, ययाति, और देवयानी अपना पौराणिक नाटक खेलते रहते हैं।

जब मृग ठीक अँपर चढ़ता है तब व्याधवाला कुत्ता अपना सिर अँचा अँठाता है। लेकिन बेचारे की हालत स्पृहणीय नहीं होती। वह मानो फाँसी पर लटका हुआ दिखायी देता है।

व्याध के काफी अँपर आते ही दक्षिण की ओर भगवान् अँगस्ति दर्शन देते हैं। व्याध और अँगस्ति दोनों अँत्युज्ज्वल तारे हैं।

आजकल शाम को सूर्यास्त के बाद तुरन्त पश्चिम की ओर जो अँज्ज्वल ज्योति दीख पड़ती है वह कोई तारा नहीं है। किन्तु वह हमारा चिरपरिचित अँतुरगुण शुक ही है। यह शुक अब बहुत दिनों तक शाम को पश्चिम में ही दीख पड़ेगा और जब शुकल पक्ष में चन्द्र पश्चिम की ओर आवेगा तब दोनों के साथ साथ आने से अँक महनीय काव्य दीख पड़ेगा। १२ दिसंबर से अँस शोभा

की तलाश में रहना चाहिये। आकाश में आयकस और भी तीन ग्रह दीख पड़ते हैं। मंगल तो लाल होने से आसानी से पहचाना जाता है। गुरु को भी पहचानना कठिन नहीं है। उसके बाद पूरब की ओर शनी-चर आहिस्ता आहिस्ता यात्रा करता हुआ दीख पड़ेगा और दिसम्बर ५ के बाद सूर्योदय के पहले पूरब की ओर बुध भी दर्शन देगा। जिस तरह जिस महीने में मंगल, बुध, गुरु, शुक, शनि, सब के सब ग्रह दर्शन देते रहेंगे।

अब मृग-श्याम के जिसकुल दक्षिण में मगवान् अगस्ति काफी ऊँचे आ गये हैं। रात को दस-साढ़े-दस बजे दक्षिण की तरफ मुंह करके अगर हम देखें तो दक्षिण-पूर्व की तरफ अगस्ति, हमारे सामने यमुना और दाहिनी ओर दक्षिण-पश्चिम के कोने में आममत्स्य, ये तीन तारे क्षितिज के समान्तर अंक बड़ी डंडी बना कर फैले हुये दीख पड़ेंगे। जिनमें अगस्ति अत्युज्ज्वल है, उसके कुछ कम अज्ज्वल है यमुना; और उसके कुछ दूर और कुछ मन्द है आममत्स्य। जितनी बड़ी तराजू की डंडी जिस बिन्दु में बूझरी नहीं है। मध्यस्थ यमुना ने अगस्ति कुछ अज्ज्वल होने के कारण उसके कुछ नजदीक रक्खा है और आममत्स्य प्रकाश में कम होने के कारण उसके कुछ दूर रख कर समतुला बना दी है।

पाठक को ध्यान में रखना चाहिये कि वह बिराट डंडी क्षितिज के साथ थोड़े ही समय के लिये समान्तर रहती है। रात में वह पश्चिम की ओर झुकती है।

आममत्स्य ऊपर से झूतर कर पश्चिम क्षितिज में डूब जाता है। और अगस्ति ऊपर झूठ कर अपनी सुन्दर श्लोपडी अपने पीछे पीछे खींच लाता है। लेकिन जिस श्लोपडी का दर्शन अच्छी तरह करने के लिये रात को दो बजे के करीब झूठने की जरूरत होगी। अगर देर की तो यह श्लोपडी आकाश में अड़ कर मानो अगस्ति के सिर पर गिरने को तैयार है वैसे दृश्य देख कर आप चबड़ा जायेंगे। जिस श्लोपडी के बाद करिना अथवा मायावी क्रूस ऊपर आता है।

किन्तु प्रभात का समय दक्षिण की ओर देखने के लिये नहीं है।

चार बजे के बाद झूठने वाले पाठक प्रथम अक्षर की ओर देख कर देवयानी का 'M' कैसा पश्चिम की ओर अक्षर-पश्चिम में डूब रहा है और सप्तर्षि अक्षर-पूर्व में कैसे चढ रहे हैं यह देख कर बाद ही मघा के नीचे सटकता फाल्गुनी का तगमा देखें और शिवा, स्वाती के अक्षर की राह देखें।

हस्त के बारे में जिस महीने में कुछ लिखना नहीं है। हालांकि वह चित्रा के पहले ही अपना हाथ दिखाता है।

अब की बार अंक दो मान-चित्र दिये जाते हैं; जिसलिये वर्णन का विस्तार छोड़ दिया है। 'सर्वाँदय' के पाठक कृपया अपना मन छोड़ कर अन्होंने क्या क्या देखा, और वे क्या क्या नहीं देख पाये; तथा जो जिस लेख में नहीं आया है वैसे क्या क्या देख सके; आदि सब मुझे बताते रहें।

सर्वोदय की दृष्टि

अहिंसक आत्मरक्षा का सवाल

कहा जाता है कि बंदर जब रात की ठंड से परेशान हो जाते हैं तो सीगन्द खाते हैं कि भोर होते ही पहले अंक मकान बना लेंगे और बाद में दूसरा काम करेंगे। किन्तु जब सुबह होता है और सूर्यनारायण की सुनहली किरणें ठण्ड को मगा देती हैं तब कपिराज अपने निचे घर बनाने की बात भूल जाते हैं और पेड़ की शाखाओं पर अघर अघर कूदते-फांदते अंक-दूसरे को अपने दांतों का प्रदर्शन करने लगते हैं। अितने में भूल सताने लगती है और सारा दिन वे मक्य की तलाश में दौड़ते रहते हैं। जब शाम हो जाती है और वे किसी शाखा का आश्रय लेने जाते हैं तब उन्हें फिर याद आती है कि "दिन में अगर हम अंक घर बना लें तो आज की जैसी कड़ी ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब अगर आज की रात कट गयी तो तड़के तो घर बांध ही लिया।"

संकटों और हजारों बरस हो गये, बन्दरों की जाति यही संकल्प करती आयी है; किन्तु आज तक किसी भी बन्दर ने अंक भी घर नहीं बनाया।

हम भारतवासी हैं तो देवों के बंशज, किन्तु हमने आज तक अिन बन्दरों का ही अनुकरण किया है। जब संकट आता है हम बड़े हैरान हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि किस संकट का निवारण किस तरह किया जाय? किन्तु जैसे ही संकट दूर हुआ कि हम दुरन्त असे भूल जाते हैं और जब तक फिर से संकट न आवे असे टाकने के अिवाय का नाम

भी नहीं लेंते। अालिर यह सृष्टि क्णभंगुर और मायारूप ही तो है!!

भारतवर्ष के किसान सब प्रकार की विपत्तियाँ सहन करते आये हैं। किन्तु न अन्होंने अंक भी विपत्ति का स्थायी अिलाज किया है और न दूँडा ही है। बन्दर हमें परेशान करते हैं, कुत्ते सताया करते हैं, सांप-बिच्छू हर साल अपना करभार ले ही लेंते हैं, मच्छर तंग करते हैं और प्लेग, अिन्फ्लुअेंजा आदि रोग गजनी के सुलतान जैसे हर साल चढामी करते ही हैं, हर साल नदी में बाढ आती है और हमारा गाय-बैल आदि जीवधन बहा कर ले जाती है, कहत आता है और वन्य तथा पशुओं को खा जाता है। हमने किसी का भी अिलाज करने की सोची नहीं।

हमने न तो विधवाओं के प्रण को हल किया है, न हरिजनों के सवाल को। अिन्दू-मुस्लिम अंकता का सवाल हमारे सामने कम से कम अंक हजार साल से है। अमी तक हम अुसका कोमी भी हल अमल में नहीं ला पाये हैं।

आत्मरक्षा का ही सवाल ले लीजिये। कहा जाता है कि आत्मरक्षा ही परम धर्म है। किन्तु अुसके बारे में हमने क्या सोचा है और अुसका क्या प्रबन्ध किया है? अंग्रेजों ने हथियार-बन्दी का कानून जारी करके हमारे अस्त्र छीन लिये। तब से हम न केवल निःशस्त्र ही हुअे, अपितु विविधन्त भी हो गये हैं। हम अिंसा-अहिंसा की चर्चा काफी करते हैं, किन्तु न हम अिंसा को समझते हैं और न अहिंसा को ही। अगर भी कश्मीरसाल माामी ने अहिंसा की

बात छोड़ी तो लोग अन्के सामने डॉ० मुंजे की दलीलें रख देंगे और अगर अन्हीं लोगों के सामने डॉ० मुंजे आ गये तो वे ही लोग डॉ० मुंजे के सामने श्री किशोरलाल माजी की दलीलें ढाल की नाभीं आगे करके अपना बचाव करेंगे। परंतु मानेंगे दोनों में से किसी की भी नहीं। अगर हम हिंसा में विश्वास रखते हैं तो सी बरस हुआ हमने कुछ भी तैयारी क्यों नहीं की? और अगर अहिंसा में मानते हैं तो अिन बीस-गन्चीस बरसों में हमने अुसकी भी क्या तैयारी की है? दर असल हम तो मानते हैं कुछ भी न करने में।

सवाल यह है कि जब सरकार को हमने अिस युद्ध में मदद देने का विचार किया तभी हिंसा-अहिंसा की समस्या अेक-दम जीवित हो कर हमारे सामने खड़ी क्यों हो गयी? क्या गांधी सेवा संघ, और क्या काँग्रेस, हर अेक को अपने हृदय को टटोलना क्यों पडा? अगर अुसी समय हम अिस सवाल की पूरी पूरी चर्चा कर लेते तो हमारी नीति निश्चित हो जाती।

किन्तु बडे लाट ने हमारी बात नहीं मानी, विलायत की सरकार ने भी नहीं मानी और मदद करने की बात हवा में अुड गयी! बस, तुरन्त हम फिर सो गये। मानो हिंसात्मक सहायता का सवाल अब कभी अुठने ही वाला नहीं है।

अिस ढंग से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें अेकबारगी यह तय कर लेना होगा कि हिन्दुस्तान की नीति क्या रहेगी। अंग्रेजों को मदद देने की बात जाने दीजिये। अगर कहीं से हमारे देश पर आक्रमण हुआ, अथवा भीतर ही भीतर बंगा-फसाद हुआ, तो हमें क्या करना चाहिये? अुस

वक्त क्या हम सरकार की मदद लेंगे? या सरकार को मदद देंगे? अथवा सरकार की मदद के बिना ही अपने स्वतंत्र प्रयत्न के आत्मरक्षा का रास्ता ढूँढ लेंगे? वह रास्ता कौनसा होगा?—अहिंसा का या हिंसा का?

मेरी राय है कि हमारे संघ को अिसके लिये अेक खास समिति नियुक्त करके यह सवाल हल करना चाहिये और विशिष्ट परिस्थिति में समाज को क्या क्या करना चाहिये, अिसके विषय में निश्चित सूचनायें देश के सामने रखनी चाहिये। फिर ये सूचनायें ले कर काँग्रेस के पास भी जाना चाहिये। काँग्रेस ने अपनी अेक युद्धसमिति कायम की है। अुसे अिस प्रश्न का विचार करना चाहिये और अहिंसक राष्ट्र-रक्षा का तरीका देश को बताना चाहिये।

का० का०

सत्र का फल मीठा होता है

गांधीजी कहते हैं, "मेरा नेतृत्व नीरस है, बेमजा है, फीका है"। यह अुनकी अपनी राय नहीं है। किन्तु जो लोष गरमागरम कार्यक्रमों के भूखे हैं अुनको वे ठंडा जवाब देते हुअे कहते हैं कि "क्या किया जाय? मेरा नेतृत्व ही अैसा ठंडा है।" गांधीजी कहते हैं कि "चाहिये कार्य-क्षम जोश, निर्वीर्य रौष से क्या होगा?" लोगों को गांधीजी के नेतृत्व का अनुभव है, अिसलिये वे अुन्हीं के पीछे जाते हैं। जो लोग गरम कार्यक्रम ले कर देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, अुनके नेतृत्व का जनता को अभी अनुभव नहीं हुआ है। मंत्रियों ने अिस्तीफा दे दिया, अत्र तुरन्त आज़ादी का जंग छिड़ना ही चाहिये अैसी श्रुतियों की अपेक्षा थी और

आज भी है। यह भी अकेले शुभ लक्षण ही है। लोग स्वराज्य के लिये लड़ने को आताबले हों यह आनन्द की बात है। किन्तु बेमौके लड़ने से, अर्थात्, बिना तालीम के लड़ने से, देश का नुकसान ही होगा।

‘किन्तु ठहरने से क्या होगा? जैसे जैसे दिन जाते हैं, अंग्रेज अधिकाधिक संगठित होते जाते हैं। हम मौका क्यों खोये?’ यह वृत्ति चन्द लोगों में दीख पड़ती है। अन्हें जानना चाहिये कि राज्यकर्ता कभी के संगठित हो चुके हैं। देश में जितनी फूट है अउससे अन्होंने कभी का लाभ अुठाया है। अब अउनका यह ब्यूह तोड़ने के लिये हमें कुछ समय चाहिये। कौंग्रेस और सब बातें छोड़ कर केवल अकेले स्वातंत्र्य का सवाल ही सामने रख कर सरकार से पूछ रही है कि “स्वराज्य देने की आपकी नीयत है या नहीं? अगर स्वराज्य देने का निश्चय जाहिर हो जाय तो बाकी के सब सवाल हल करने का जिम्मा हमारा”। अिस आश्वासन से मुस्लिमलीग आदि लघुमति को यह तसल्ली होनी चाहिये कि अगर स्वराज्य प्राप्ति में अउनका विरोध न हो, स्वराज्य हासिल करने में अगर वे हमारे साथ हों तो अपनी दूसरी मांगों के लिये वे निश्चिन्त हो सकते हैं। अैसी हालत में अब सरकार को कुछ-कुछ निर्णय करना ही होगा और मुस्लिमलीग को भी अिसका निश्चय करना होगा कि “आया वे स्वराज्य लेने में कौंग्रेस का हाथ बँटा कर बाकी अन्हें जो कुछ चाहिये वह कौंग्रेस से लेंगे अथवा स्वराज्यप्राप्ति में कौंग्रेस का विरोध करके देश को परतंत्र बनाने में ब्रिटन की मदद करेंगे और अिस

मदद का जो पुरस्कार अउस रास्ते मिल सके अुसीसे संतोष मानेंगे”? सवाल अकेले दृष्टि से देखा जाय तो बड़ा पेंचीदा है और दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो अउसका हल हर-किसी के लिये बिलकुल स्पष्ट है।

अैसी स्थिति में अब सरकार को भी सोचने का मौका देना चाहिये और मुस्लिमलीग को भी यह सोचने का मौका देना चाहिये कि वे कौनसा रास्ता लेंगे।

यह तो हो ही नहीं सकता कि वे सोचते रहें और कौंग्रेस सोनी रहे। कौंग्रेस को स्वराज्य की, याने सर्वराज्य की, तैयारी जोरों से करनी चाहिये। गरीबों की सेवा करने, अउनका आत्मविश्वास बढ़ाने और राष्ट्र को संगठन की तालीम देने से ही वह तैयारी होगी।

का० का०

अधिकार-ग्रहण का प्रयोग

कौंग्रेस ने अधिकारत्याग का निश्चय किया यह अकेले दृष्टि से संतोष की बात है। “कौंग्रेस पद-ग्रहण की नीति स्वीकार करे या नहीं” अिसके विषय में तीव्र मतभेद रहा। राष्ट्र अभी तक पद-स्वीकार के योग्य नहीं हुआ है, अैसी जिनकी मान्यता थी अउनमें से मैं भी अकेले था और हूँ। क्रान्ति की प्रक्रिया में अधिकार-ग्रहण को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु बहुधा वह क्रान्ति की प्रक्रिया की अन्तिम सीडी होती है। अधिकार-ग्रहण के बाद अक्सर क्रान्ति की परिसमाप्ति होती है।

किन्तु क्रान्ति का तंत्र और प्रक्रिया कौबी सनातनी पद्धति के यज्ञ की विधि नहीं है। यज्ञ-विधि की हर अकेले छोटी-

भोटी क्रिया का क्रम नियत होता है और उस क्रम का संबंध किसी अदृष्ट फल से होता है। क्रान्ति के कार्यक्रम का संबंध भी उसके अदृष्ट साध्य के साथ होता है; किन्तु विशिष्ट देश-काल-वर्तमान के अनुसार उसमें हेरफेर करना आवश्यक हो जाता है। केवल मूलभूत सिद्धान्त और मुख्य नीति निभाना पर्याप्त है। नुन सिद्धान्तों या नीति में कोभी परिवर्तन या समझौता बरदाश्त नहीं करना चाहिये।

राष्ट्र में पर्याप्त परिमाण में योग्यता और दयानत अल्पता हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिये प्रतिकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। वे कुछ अंश में सफल और कुछ अंश में असफल होते हैं। इस थोड़ी थोड़ी सफलता से ही राष्ट्र का कदम आगे बढ़ता है। सरकार की बनायी हुयी धारा-समा में जा कर वहाँ जो अधिकार प्राप्त हों उनका अपुयोग लोकसेवा के लिये, और विशेषतः क्रान्ति की गति तथा क्रान्तिकारक दल की सामर्थ्य बढ़ाने के लिये, करना भी क्रान्ति की प्रक्रिया का अक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है।

गत पचस वर्षों में काँग्रेस ने जनता की जो सेवा की और आम जनता में जो अभूतपूर्व जागृति की उस कारण अधिकार का रसायन हजम करके लोकशक्ति बढ़ाने की कला काँग्रेस ने हस्तगत कर ली होगी असा उसके सूत्रचालकों को लगा; और इसलिये उन्होंने अत्यन्त सद्बुद्धि से और स्वदेशहित की आकांक्षा से अधिकार-ग्रहण का प्रयोग किया।

‘वह प्रयोग सफल हुआ या असफल?’ जिस प्रश्न का ‘हां’ या ‘ना’ में जवाब देना

असम्भव है। ‘काँग्रेसी मंत्रिमंडलों का शासन काँग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्य से भी गयाबीता रहा,’ असा भी कभी लोग कहते हैं। ‘काँग्रेस जो कुछ करेगी वह सब बुरा ही होगा, जब तक गांधी जिनवा है तब तक काँग्रेस भूल कर भी देशहित का या सयानेपन का कोभी काम कभी कर ही नहीं सकती,’ असी जिनकी निश्चित राय बन गयी है नुन लोगों के आक्षेपों का, या आलोचना का, विचार करना आवश्यक नहीं है। परन्तु जब कभी काँग्रेसनिष्ठ लोग भी अपर्युक्त प्रकार की आलोचना करते पाये जाते हैं तब हमें थोड़ी देर के लिये अन्तर्मुख हो कर इस प्रश्न का गम्भीर विचार करना चाहिये।

अपर्युक्त प्रामाणिक आलोचकों की आलोचना में भी अतिशयोक्ति है, यह तो बिलकुल स्पष्ट ही है। उनके कहने का शब्दार्थ लेने के बदले मथितार्थ ही लेना चाहिये। “काँग्रेसी मंत्रिमंडल दूसरे मंत्रिमंडलों से भी कम दरजे के साबित हुये,” यह कथन सामान्य नहीं, बल्कि सापेक्ष है। दूसरे मंत्रिमंडल अक तो अधिकार या प्रतिष्ठा के मोहजाल में फँस जाते थे, या सरकार से सहकार्य करते करते तदाकार हो जाते थे। दोनों दृष्टियों से वे अयोग्य होते थे। इसलिये नुनसे लोगों को लोकोपकारक या क्रान्ति-पोषक कार्यों की आशा ही नहीं रहती थी। किन्तु काँग्रेसी मंत्रिमंडल तो सरकार से लोहा लेने में मंजे हुये, त्याग और तप के व्रत में दीक्षित, जिन्होंने स्वराज्य के लिये क्रान्ति करने का बीडा अठाया है, असे शूर सिपाहियों के, या राष्ट्रभक्तों के, मंत्रिमंडल थे। जिस कारण अपने नाम तथा परंपरा

के अनुरूप पराक्रम के इस क्षेत्र में भी दिखायेंगे वैसे आशा अनुसे रखना जनता के लिये स्वामाविक ही था। काँग्रेस की दृष्टि में धारा-सभायें कोजी सम्मान या सत्ता के साधन नहीं हैं; प्रत्युत प्रतिकार और सेवा के क्षेत्र हैं। इसलिये जनता की काँग्रेसी मंत्रिमंडलों की ओर देखने की दृष्टि भी कुछ विशिष्ट ही है। दूसरे मंत्रिमंडलों की भूमिका ही भिन्न होने के कारण अनुसे काँग्रेसी मंत्रिमंडलों की तुलना ही नहीं हो सकती। काँग्रेसी मंत्रिमंडल काँग्रेस की दृष्टि से कसौटी में खरे भले ही न अतरे हों, तो भी दूसरे मंत्रिमंडलों की तुलना से वे हर हालत में बेहतर ही साबित होंगे। किन्तु अितने से किसी भी काँग्रेसजन को सन्तोष नहीं होना चाहिये।

हम दूसरों के जितने नालायक नहीं हैं, इस मान्यता में भूषणास्पद क्या है? यह तो अभावात्मक गुण है। मुख्य प्रश्न तो यह है कि "जनता में प्रतिकार की सामर्थ्य बढ़ाने के लिये तथा काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को अधिक तेजी से तथा सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये सत्ता का कहां तक अुपयोग काँग्रेस कर सकती?" यदि काँग्रेस की प्रतिष्ठा और पराक्रम की दृष्टि से देखा जाय तो अधिकार-ग्रहण का अुपयोग जिस प्रकार और जिस परिमाण में होना आवश्यक था अुस प्रकार और अुस परिमाण में वह नहीं हो सका यह प्रांजलता से कबूल करना आवश्यक है। किन्तु इसका कारण हमारे मंत्रिमंडलों की अप्रामाणिकता या नादानि नहीं है; प्रत्युत काँग्रेससंस्था की दुर्बलता है यह कभी न भूलना चाहिये।

अल्प-सफलता के कारण

हमारे मंत्रिमंडलों के त्यागपत्रों के बाद अब हमारा काम खतम हो गया ही वैसे बात नहीं है। बल्कि अब से ही हमारा असली काम शुरू होता है। कार्यसमिति ने तो स्पष्ट कह दिया है कि यह पहला कदम है। किन्तु दूसरा कदम रख कर कूच करने का हुक्म देने से पहले काँग्रेस की दुर्बलता के कारण खोज कर अुनका निराकरण करना जरूरी है। प्रतिपक्षी को चकमा दे कर, या खाली गीदड़सभकियों से, अब काम नहीं चलनेवाला है।

अधिकार-ग्रहण के कारण काँग्रेस के साथ सरकार का निकटतर परिचय हुआ। अुसने हमारे गुणदोषों की खूब अच्छी तरह जान लिया है। इस परिस्थिति में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि, बहाबीसराय, बेधडक काँग्रेस की अुपेक्षा करता है इसकी वजह यह है कि वह काँग्रेस के मर्मस्थल जान गया है और मौका पा कर अुन मर्मस्थलों पर अचक प्रहार करने में साम्राज्यशाही कभी नहीं हिचकिचायेगी। हम अपने आजतक के यश और पुण्य के बल से सरकार को प्रत्यक्ष प्रतिकार की केवल धमकी दे कर सही रास्ते पर ले आवेंगे यह कल्पना बालिथ है।

हमारी संस्था की दुर्बलता का मूल कहां है यह दूढ़ कर पहले अुसे नष्ट करने में हमें जी-जान से जुट जाना चाहिये। अगले पैतरे की सच्ची तैयारी तो यही है। "अधिकार-ग्रहण में काँग्रेस को अिच्छित सफलता क्यों नहीं मिली? अुसे जातिवाद के भूत के सिंकार या वर्गवाद की भावना के मतवाले अुदूढ़ लोगों पर मोलियां चलानी पड़ी, अुनपर मुकदमे चलाने पड़े, विशेषाधिकारों का अुपयोग करना

पड़ा और दूसरी अनेक अनिष्ट बातें करनी पड़ीं। जिस सब के लिये पर्याप्त कारण रहे होंगे, मंत्रिमंडलों को यह सब मजबूरन करना पड़ा होगा। हिन्दु “ये कारण क्यों उत्पन्न हुए और जैसी मजबूरी की हालत क्यों कर आयी?” यह महत्त्व का प्रश्न है। जिसका सारा दोष मंत्रिमंडलों के मत्बे मढ़ कर हम अपनी जान नहीं बचा सकते।

अधिकार-ग्रहण के प्रयोग की असफलता, या अस्यस्य सफलता, का कारण कौंग्रेसजनों की वृत्ति और कृति ही है। अपने वोटों से निर्वाचित मंत्रियों की सत्ता का दुरुपयोग अपने कशुद्र स्वार्थों के लिये, या व्यक्तिगत बड़प्पन के लिये, करने के प्रयत्न से अच्छे अच्छे भी बाज नहीं आये। झूठे अभिवचन, झूठे अिकरार, मतों का क्रय-विक्रय और शृणित षड्यन्त्रों का तो बाजार गर्म हो गया था। “जो निर्वाचित हो सके उसे खड़ा करो,” जिस दृष्टि से खड़े किये अुम्मीदवार कौंग्रेस के प्रतिनिधियों की हैसियत से कौंसिलों में गये! जिस प्रकार की ‘पंचरंगी’, या ‘रंग-बरंगी’ बहुमत के प्रति जो मंत्रिमंडल अुत्तरदायी थे वे चाहे वेवदूर्तों के ही क्यों न होते, तभी अपयश तो अुनके भाग्य में बदा ही होता!

“भोग से शक्ति कषीण होती है और तप से बढती है”—यह नियम सार्वत्रिक और निरपवाद है। कौंग्रेस में अगर पराक्रम और त्याग का फल चखने की वृत्ति न बढने पाती तो अुसके प्रतिनिधियों के तेज से सरकार की आँखें चौधिया जातीं। गांधी जैसे युगावतारी महात्मा का शब्द टासने की हिंमत किसी भी साम्राज्य के प्रतिनिधि की नहीं होती।

यह “फलाभिसंधि,” हमारी अ्यक्ति का बीज है। जिस कारण सत्पात्रह में या जेल के कष्ट सहने में जो व्यक्ति पराक्रमी और त्यागी सिद्ध हुअे वे ही अधिकार क्षेत्र में नहीं टिक सके।

जेल और मंत्रिपदों में नाम और आकार का भेद प्रतीत होता हो नी भी मूलतः प्रकारभेद नहीं है। सविनय अवज्ञा और अधिकार-ग्रहण, दोनों अेक ही रणनीति के परस्पर-पोषक अंग हैं। अधिकार-ग्रहण का प्रयोग करते वक्त भी मनोवृत्ति सेवा और युद्ध की ही होनी चाहिये यह बात जब तक कौंग्रेस-जन नहीं समझते और समझने पर भी अमल में नहीं लाते तबतक देश में अधिकार-ग्रहण के लिये आवश्यक दयानत और परिस्थिति अुपलभ नहीं हुअी है अैसा ही मानना होगा।

दा० ष०

वनस्थली का काव्यमय

वनस्थली नाम ही काव्यमय है। जयपुर के दक्षिण में करीब ४५ मील के फासले पर यह छोटा-सा स्थान है। जिसका नाम जितना सुन्दर है अुतना वहाँ का दृश्य काव्यमय नहीं है। किन्तु वहाँ की अेक छोटीसी संस्था ने जिस स्थान का और राजस्थान का महत्त्व बदा दिया है। श्री हीरालालजी शास्त्री राजस्थान के अेक कतृत्व-शाली सेवक हैं। राजनैतिक क्षेत्र में अुन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। मारवाडी समाज में सामाजिक सुधार करने का काम करने में रास्ते में कितनी कठिनायियाँ आती हैं जिसका जिन्हें खयाल है वे हमारे जिस कथन का पूरा अर्थ समझेंगे कि

हीरालालजी शास्त्री अंक कुशल समाज-सुधारक हैं। आत्मविश्वास और नम्रता, ध्येयनिष्ठा और व्यवहार-कुशलता, अिन विरोधी गुणों का शास्त्रीजी में सुलभ संगम है।

वनस्थली शास्त्रीजी की तपोभूमि है। अपनी सहधर्मचारिणी श्री रतनदेवी शास्त्री के साथ यहाँ कार्य करते करते अन्होंने देख लिया कि राजकीय जागृति और समाज-सुधार की नींव शिक्षा के द्वारा ही दृढ़ हो सकती है। और यह शिक्षा भी खास कर राजस्थान के लिये स्त्री-शिक्षा से शुरू हो सकती है। शास्त्रीजी न यह बात देख तो लीं किन्तु स्त्रीशिक्षा की संस्था स्थापित करने की प्रेरणा अन्हें अुनकी प्रतिमाशाली कन्या, कुमारी शान्ता, से मिली। अिस छोटीसी लड़की ने अपनी बालबुद्धि के अनुसार अंक छोटीसी संस्था शुरू की और अपने मन्हें नन्हें हाथों से अुसने अपनी संस्था के लिये कुछ अीटें भी पकायीं। अीश्वर ने शास्त्रीजी को अिस तरह प्रेरणा दी और लड़की को अपने धाम को बुला लिया। प्रेमी पिता पुत्री के वियोग से अक्सर पागल बन जाते हैं। शास्त्रीजी के लिये अुनकी पुत्री का देहान्त दीक्षारूप हो गया और अन्होंने अपनी धर्मपत्नी के सहयोग से अिस संस्था को बढ़ाया।

आज अिस संस्था में १११ लड़कियाँ पढ़ती हैं जो सभी राजस्थान की नहीं हैं। भारत-वर्ष के अिन्न अिन्न प्रान्तों की भी अनेक हैं। कन्याओं में ब्राह्मणवर्ण की और हरिजन लड़कियाँ भी हैं। जब मैं अिस संस्था को देखने गया था तब अंक मुसलमान लड़की भी भर्ती होने की तैयारी में थी। संस्था ने मकान तो मामूली बनाये हैं पर शिक्षक अच्छे ढूँढ

लिये हैं। अभ्यास-क्रम में सामान्य विषय तो हैं ही, और अुद्योग, चित्रकला आदि अभव-व्यक्त विषय भी रखे हैं। लड़कियों के तैरने के लिये अंक बहुत बड़ा हीज है। राज-स्थान के लिये यह कोअी मामूली चीज नहीं है। लड़कियों का जीवन सादा, स्वतंत्र और निर्भय है। यहाँ की लड़कियों को छोडे पर बैठते देख कर राजस्थान के प्राचीन अितिहास का स्मरण होता है; और साभीकिल के खेत करते देख कर जापानी सर्कसों की याद आती है।

थोडे वैसे में अधिक से अधिक काम किस तरह से निकास जाय यह जो जानते हैं वे ही हिन्दुस्तान में सफलता-पूर्वक संस्था चला सकते हैं। शास्त्रीजी का विचार अिस संस्था को बढ़ा कर सी लड़कियों तक यहाँ लेने का है। बाद में वे अिसकी अंक शाखा जयपुर के निकट खोलेंगे।

अिसमें कोअी शक नहीं कि यह कन्या-विद्यालय राजस्थान के रूढिप्रिय समाज में बहुत भारी और अिष्ट क्रान्ति करेगा।

जयपुर सरकार में अगर प्रजाकीय प्रवृत्ति की कद्र है तो जयपुर राज्य को शास्त्रीजी जैसे लोगों का अंक सलाहकार मंडल नियुक्त करके अुनकी सलाह से सारे जयपुर राज्य का शिक्षाक्रम चलाना चाहिये। अंग्रेजों ने डेढ़ सी वर्षों से अिस देश के शिक्षाक्षेत्र पर कब्जा किया। अन्होंने हमारे लिये जो कुछ किया अुसके लिये हम कृतज्ञ हैं। किन्तु अंग्रेज स्वयं कहते हैं कि वे अिस देश को कोन्य शिक्षा देने में सफल नहीं हुअे हैं। अब पुराना ढर्रा छोड़ कर नये तरीके से देश को नयी तालीम देने के दिन आ गये हैं। जैसे समय वनस्थली जैसी अीकित और प्रेरक संस्था को राज्य के कानूनों से अकड़ने के बलसे राज्य

को ऐसी संस्था के हाथ में नेतृत्व देना चाहिये। उसके संचालकों से प्रेरणा और सलाह लेनी चाहिये।

२७।१।३९

का० का०

कपोत-दर्शन

नवंबर के अंक में हमने लिखा था कि सवाबी भुशुडि और घूषूकाका का चिर-वियोग हमें दुःखद होगा और भुनकी याद हमें हमेशा सताया करेगी। लेकिन काल 'निरवधि' है और पृथ्वी 'विपुल' है। सवाबी का अंक भुत्तराधिकारी अब अकेलाअके प्रकट हुआ है।

अब हमारा पुनर्जन्म में कुछ-कुछ विश्वास हो चला है। सवाबी भुशुडि को हम गरुड़ को रामायण सुनानेवाले भुशुडि का ही युगा-वतार मानते थे। अब हितोपदेश के कपोतों के राजा चित्रग्रीव का आधुनिक अवतार कंबुग्रीव प्रकट हो रहा है।

पुराने जमाने में कबूतर सन्देश-वाहकों का काम बड़ी अमानदारी से किया करते थे। कंबुग्रीव भी हमें कोभी न कोभी पैगाम जरूर सुनायेगा। सवाबी का जिस प्रकार अपना अंक अलग दर्शन था उसी प्रकार संभवतः कंबुग्रीव का भी हो।

काक-दर्शन में अगर अकेदेशीयता का दोष है तो कपोत-दर्शन भी दोष से मुक्त तो नहीं है। कबूतर पंडितों की जाति का होता है। वह अपने दरबे में रहता है। कबूतरखाने की भी अंक संस्कृति होती है। अंक अखंड जीवन को हवाबन्द कमरों में विमाजित कर देना ही उसकी विशेषता है। मतलब, सवाबी और कंबुग्रीव के दर्शनों में यह साधर्म्य है कि दोनों में अंक अंक

जबरदस्त नुक्स है। अंक अकेगी है तो दूसरा भेद-प्रवर्तक है। अंक पंडितों की दृष्टि का प्रतिनिधि है तो दूसरा विशेषज्ञों की संकीर्ण दृष्टि का।

परंतु कपोत-दर्शन और कपोत-दिल के संबंध में ये परंपरागत कल्पनायें हैं। कंबुग्रीव तो जिस क्रान्तियुग का जीव है। जिसलिअे उसके संवादों में तंगदिली या कपोत-दिली की अपेक्षा दर्शन की विशालता और अज्वलता ही अधिक रहेगी ऐसी आशा हम कर सकते हैं।

असमें विनोद और निर्दोष व्यंग अवश्य रहेगा। क्यों कि वह तो जीवन का जायका है।

शा० ध०

क्या मुसलमान हिन्दुस्तानी नहीं हैं ?

जब काँग्रेस ने वर्धायोजना का पुरस्कार किया और काँग्रेसी सरकारों ने उसका अमल करना शुरू किया तब मुस्लिमलीग की कोन्सिल ने जिस वर्धा-योजना की जांच करने के लिअे अंक कमिटी मुकर्रर की। पिरपुर के राजा सम्यद मुहम्मद महदी जिसके संयोजक थे। जिस समिति ने वर्धा-योजना के खिलाफ जो जो बातें लिखी हैं यहां भुनकी चर्चा करने का हमारा विचार नहीं है। हम तो, अन्होंने मुसलमानों को जो सूचनायें दी हैं, उनमें से अंक ही वाक्य ले कर, उसके क्या मानी हो सकते हैं, यह देखना चाहते हैं। वह वाक्य है:—

'The Muslims, therefore, in India, or in any other country, form a nationality of their own with their own viewpoint on all aspects of life, and can owe no allegiance to soil, blood or colour.'

अर्थात् "मुसलमान कहीं क्यों न रहें, ख़्वा हिन्दुस्तान, ख़्वा और किसी देश में, उनका तो अपना अकेला निरासा ही राष्ट्र होता है और जिन्दगी के तमाम पहलुओं को देखने की उनकी अपनी अकेला अलग ख़ास निगाह होती है। मुसलमान किसी भी ज़मीन, ख़ून या रंग से बंधा नहीं रह सकते।"

यह तो हम अकेले अनोखी ही बात सुन रहे हैं। जिस धर्म में रोज़ की पांच नमाज़ें भी काबा की तरफ़ घुँह करके पढ़नी होती हैं, उसके अनुयायियों के लिये यह कहना कि वे किसी भी ज़मीन के प्रति निष्ठा नहीं रखते, हमारे ध्यान में नहीं आता। ख़ैर, इस बात को भी छोड़ दीजिये। भगर जब हमने खिलाफ़त के आन्दोलन में राष्ट्रीयता के ख़्याल से हिस्सा लिया, उस वक़्त भी हमसे यही कहा गया था कि जज़रत-अल-अरब मुसलमानों की ख़ास पाक भूमि है। दुनियाभर के मुसलमान उसे आज़ाद रखने के लिये बंधे हुए हैं। मुसलमानों के लिये वह धर्मभूमि है। तब तो किसीने यह नहीं कहा कि *The Muslims can owe no allegiance to soil, blood or colour.*

जब सर मुहम्मद अक़्बाल ने यह गाया था कि 'हिन्दी हैं हम, बतन है हिन्दोस्तां हमार' तब भी हम यही मानते थे (और आज भी मानते हैं) कि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दी ही हैं, और हिन्दुस्तान जितना हिन्दुओं का है, उतना ही हिन्दुस्तान मुसलमानों का भी है। हम यह भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में आज जितने मुसलमान हैं, उनमें बाहर से आये हुए बहुत कम हैं। बाकी के सब पहले से किसी देश के हैं। उन्होंने

अिस्लाम का स्वीकार किया जिसलिये उनकी हिन्दुस्तान के प्रति जो निष्ठा है, वह कम या गायब होने का कोई कारण नहीं है। उन्हें हिन्दुस्तान में जो स्थान है, वैसा दुनिया के अन्य किसी भी स्थान में नहीं है। हिन्दुस्तान की जो प्राचीन संस्कृति है, वह उनकी के पुरख़ाओं की है।

जो मुसलमान परदेश से आ कर यहाँ बसे हैं, वे भी पूरे पूरे यहाँ के हो गये हैं। उन्होंने भी कभी स्वदेशी मुसलमानों की जमात अलग और बाहर से आये हुए मुसलमानों की जमात अलग, अँसा भेद नहीं किया। अीसाबियों में युरोपियन-अीसाबी, अिण्डियन-अीसाबी, और अँगलो-अिण्डियन-अीसाबी अँसा भेद पाया जाता है। मुसलमानों ने अँसा भेद नहीं किया। वे सब हिन्दुस्तानी ही बन गये हैं।

"मुसलमान न तो किसी देश के हैं और न उनका कोई देश हो सकता है," यह कह कर लीग की इस कमेटी ने हिन्दुस्तानी मुसलमानों की कोई सेवा नहीं की है।

राष्ट्र की भावना का ज़मीन के साथ अविच्छेद्य संबंध है। अकेले देश में रहनेवाले लोग अकेले राष्ट्र के हो जाते हैं, फिर उनका महज़ब चाहे कोई भी हो। जब कैथॉलिक स्पेन के लोगों ने अिग्लैंड पर चढ़ाबी की, उस वक़्त अिग्लैंड की नाविक-सेना का सेनापति कैथॉलिक था। उसने भी अिग्लैंड की रक्षा के लिये स्पेन के विरुद्ध युद्ध किया। अ० सनयातसेन अीसाबी था। तो भी उसने सारे चीन देश को अकेले राष्ट्र समझ कर उसकी आज़ादी के लिये अन्त तक कोशिश की। मुसलिम मुल्कों का भी यही इतिहास है, बरना अीरान, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्किस्तान, अरबस्तान

आदि देशों की अपनी अलग अलग हस्ती ही, न होती। हर अके घर्म अंक अलग राष्ट्र है असा कहने से दुनिया को स्वातंत्र्य और शान्ति की आशा ही छोड़नी चाहिये।

हमें संतोष अिस बात का है कि सामान्य से सभी, या बहुसंख्यक, मुसलमानों की राय अंसी नहीं है। वे भारत को अपना वतन मानते हैं और अुसे प्यार भी करते हैं। जो यह कहते हैं कि मुसलमान किसी जमीन से मुहब्बत नहीं करते अुनसे हम यह जानना चाहेंगे कि क्या मुसलमान सामान्य नागरिक के अधिकार नहीं चाहते? क्या वे यह नहीं मानते कि सभी घर्म और जातियों के नागरिकों के अंसे कुछ सामान्य अधिकार होते हैं जिनका मजहब से कोअी ताल्लुक नहीं होता? क्या अंसे सामान्य अधिकारों से अुन्हें कोअी सरोकार नहीं?

कुछ जातिवादी हिन्दू कहते हैं कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है। अब मुसलिम लीग की कमिटी कहती है कि मुसलमानों का कोअी देश ही नहीं हो सकता। दोनों के मतों में विलक्षण समानता है। सवाल होता है कि क्या मुसलमान हिन्दुस्तान पर अपना कोअी हक बतलाना नहीं चाहते?

मुसलिमलीग की कमिटी कुछ भी कहे कोअ्रेस तो यही कहती है कि हिन्दी मुसलमान भी हिन्दुस्तान के हैं और हिन्दुस्तान अुनका

है। हमे खुशी अिस बात की है कि मुस्लिम-लीग के सदर श्री जीना साहब ने अीद के अपलक्ष में अपने सहधर्मियों को जो पैगाम दिया है अुसमें भी हमारी दुनियादी अेकता पर ही जोर दिया है।

का० का०

‘आश्रम का अुल्लू’ कौन है ?

‘आश्रम के अुल्लू’ का असली नाम प्रकट करने के लिअे कोअी मित्र आग्रह कर रहे हैं। परंतु हमें खेद है कि लेखक ने हमें वंसा करने की सख्त मनाही कर दी है। लेखक महोदय ने ‘अुल्लू’ अुपनाम धारण तो कर लिया; लेकिन अब अुन्हें अुस नाम से ख्याति पाने में धर्म आती है। हम मजबूर हैं! हम शिष्टाचार की मर्यादा नहीं तोड सकते। लेकिन फिर भी हमारे पाठकों का अिस विषय में क्या अनुमान है यह जानना मनोरंजक होगा। जिन्हें अिस विषय में दिलचस्पी है वे पाठक अगर अेक बुक पोस्ट कार्ड पर ‘आश्रम का अुल्लू’ =..... अितना लिख कर भेज दें तो अुनके अनुमानों का सारांश हम पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करेंगे। मतदाता का नाम प्रकट न करने का जिम्मा हमारा।

— संपादक

“ सबकी बोली ”

[राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्षासे संचालित मासिक पत्रिका]

संपादक: काका कालेलकर

श्रीमन्नारायण अग्रवाल

हर महीने की १५ तारीखको निकलती है ।

अस पत्रिकाका नियमित प्रकाशन गत चर्खा-द्वादशीसे शुरू हो गया है । असमें आपको राष्ट्रभाषा प्रचार आन्दोलनकी सभी अत्यंत अपयोगी ताजी सामग्री, जैसे—आंदोलनकी दिशाके संकेत, हिंदी-विद्यार्थियों और परीक्षार्थियोंके कामकी कहानी, सरल कविता, पात्र-चरित्र-चित्रण, महापुरुषोंकी जीवनियाँ अित्यादि—पढ़नेको मिलेगी । हरअेक राष्ट्रभाषा-प्रेमी तुरंत रु: १-४-० भेज कर “ सबकी बोली ” के ग्राहक जरूर बनें ।

व्यवस्थापक, ‘सबकी बोली’ वर्षा ।

सूचना—

‘सर्वोदय’ में आम तौर पर अिक्तिहार नहीं लिये जायेंगे । अपवाद केवल वाचनीय ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा । अिनके अिक्तिहारों के दाम नहीं लिये जायेंगे । केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर अिक्तिहार छापे जायेंगे । जो साहित्य या संस्था निबिवादरूप से लोकोपयोगी है, अुसीको रमान दिया जायगा । यह व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी ।

व्यवस्थापक, ‘सर्वोदय’, वर्षा ।

नान्यः पन्थाः

जबकि सारी दुनिया हिंसात्मक तरीकों से बूब रही है, हमारा अनु तरीकों को फिर से अपनाने का विचार करना भी अत्यन्त दुःखद घटना होगी। जिसलिये हमें संपूर्ण हृदय से और दृढ़ता से अहिंसा के तरीके पर ही डटे रहना चाहिये और उसके बदले हमारे सामने जो जो पर्याय पेश किये जावें उनको अपनाने से अिनकार कर देना चाहिये। हमें यह हरगिज नहीं भूलना चाहिये कि विभिन्न प्रकार के तरीके साथ-साथ काम नहीं कर सकते। क्योंकि हर अेक तरीका दूसरे को कमजोर और बेतासीर बना देता है। जिसलिये हमें बुद्धिमानी से अपना रास्ता चुनकर दूसरे तरीकों से खेल-तमाशा करना छोड़ देना चाहिये। सबसे मुख्य बात तो यह है कि हमें महसूस करना चाहिये कि अहिंसा अहिंसा ही है। वह केवल अेक शब्द ही नहीं है। जब कि हमारे दिल दूसरी तरह से सोच रहे हों, जबकि हमारे मुंह से अुससे भिन्न या विरोधी वचन निकलते हों, और जब कि हमारी कृतियां अुसके बिल्कुल विपरीत होती हों, तब केवल यंत्रवत् प्रयुक्त करने के लिये वह अेक शब्दमात्र नहीं है। अगर हम अुस शब्द के साथ न्याय करना चाहते हैं, अपने और अपने कार्य के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो हमें अुस सिद्धान्त के प्रति हर तरह से सच्चे होना चाहिये।

-पं० अवाहरलाल नेहरू

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

सम्पादक

काका काललकर

दादा धर्माधिकारी

वर्ष २ रा

अंक ६ त्तौ

अेक अक...	...	६०	०-६-०
वाषिक	६०	३-०-०
बर्मा मे	६०	३-८-०
विदेश मे	६	शिलिंग
		१.५०	डॉलर.
(सब डाक सहित)			

अनुक्रमणिका

१. अीशावास्योपनिषत् (विनोवा)	२६१
२. राष्ठीय ग्राम-शाला के अनुभव (श्री नरहरि द्वा० परीख)			२६२
३. क्या मधुमक्खी धूप खा सकती है? (श्री निषतीशचन्द्र दासगुप्त)			२६९
४. सामाजिक अहिंसा की बुनियाद (श्री किशोरलाल घ. मशरूवाला)			२७१
५. वर्धा-शिक्षा के प्रयोग के भयस्थान (श्री दिलखुश ब० दीवानजी)			२८०
६. खादी—अहिंसा का शरीर (श्री हरिभाजू अपाध्याय)			२८४
७. आकाश-दर्शन (श्री काका कालेलकर)	२८६
८. वर्धा-शिक्षा का हार्द—अनुबन्ध (श्री काका कालेलकर)			२९०
९. हन्याग्रह और सत्याग्रह (श्री काका कालेलकर)	२९३
१०. कीमी झगडे (श्री काका कालेलकर)	२९६
११. कवूतर का गटरगूँ ('कलवलराम')	३००
१२. सर्वोदय की दृष्टि	३०६
आचार्य रामदेवजी का स्वर्गवास ;			
पूना की अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद्			
१३. मधवून्त	३११

सर्वोदय मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है :

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भुवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) वीरा अैण्ड कंपनी, ८, रात्रुण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) खादी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य मण्डल, नया बाजार, देहली ।
- (७) सस्ता साहित्य मण्डल, लखनऊ ।
- (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) मगनलाल हिम्मतलाल भट्ट, काँग्रेस हाऊस, नाणावट, मूरत ।

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादाधर्माधिकारी

जनवरी, १९८०
वर्धा

शीशावास्योपनिषत्

[निनात्रा]

मंत्र—अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया ।

अिति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

अर्थ—(आत्मतत्त्व) ज्ञान से भिन्न बनाया गया है और अज्ञान से भी भिन्न बनाया गया है ' जिन्होंने हमें वह सपना दिया और ज्ञानी पुरुषों से हमने यह सृता है ।

टिप्पणियां—(१) 'विद्यया' और 'अविद्यया' में जो तृतीया है वह पंचमी के अर्थ में प्रयुक्त है । मंत्र १३ पर से यह विदिन होगा । तृतीया का जिस प्रकार पंचमी के अर्थ में प्रयोग हो सकता है । वेदों में जिस प्रकार का प्रयोग कभी जगह पाया जाता है । इसके अनिश्चय यजुर्वेद में अंग जगह 'विद्याया' और 'अविद्याया' अंग स्पष्ट पाठ ही है । छन्द का मुनिधा के लिखे अपनिपत् में वे बदल दिये गए हैं । (२) 'ज्ञान और अज्ञान से आत्मतत्त्व पर आत्मज्ञान भिन्न वस्तु है', यह इस मंत्र का अर्थ वेनोपनिपत् के निम्न वचन में है—

“अन्यदेव तद्विदितादथां अविदितादधि ।

अिति शुश्रुम पूर्वेषां येनन्दव्याचक्षिरे ॥”

मंत्र—विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदाभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

अर्थ—ज्ञान और अज्ञान दोनों साहज जो अम आत्मतत्त्व का ज्ञान है वे (अम आत्मतत्त्व के सहारे) अज्ञान से मृत्यु का त्याग कर ज्ञान से अमृत को पहुँचते हैं ।

टिप्पणियां—(१) विद्य और अविद्या दोनों अलग अलग दृष्टि से बतला कर दोनों के गद्योप क प्रतिपादन करने का अदेश तो इस मंत्र में ही है । परन्तु इसके अनिश्चित तीसरी अंक वस्तु-आत्मज्ञान की ओर ध्यान दिलाता है । अम तीमर्ग परन्तु के आधार में दोनों का योग सफल होता है । (२) मृत्यु के पार जाना और अमृत को पहुँचना, ये दोनों अंक ही फल के निवृत्त और प्रवृत्त अंग हैं । तर्दी पार करना और अमृत पार के पदों के फल खाना, ये दोनों क्रियाएँ मिल कर अंक पूरा कार्यक्रम बनता है ।

राष्ट्रीय ग्राम-शाला के अनुभव

(गांव थामणा, जिला खेडा)

[नरहरि द्वा. परीख]

प्रचलित शालाओं के पाठ्यक्रम में, समय-पत्रक में, शिक्षा की पद्धति में, शिक्षा के अद्देश्य में, शाला के वातावरण में—ऐसी छोटी-बड़ी हरेक वस्तु में परिवर्तन किये बिना वर्वा-शिक्षा का प्रयोग किसी भी स्थान पर अच्छी तरह नहीं चल सकेगा। ऐसा परिवर्तन करने के लिये सिर्फ विद्यार्थियों की ही नहीं, बल्कि उनके मां-बापों की ओर प्रयोग का अमल करनेवाले शिक्षकों की भी पूरी पूरी तैयारी होनी चाहिये। नये प्रयोग का पूरा पूरा भेद शायद उनकी समझ में न भी आये, तो भी प्रचलित पद्धति से यह नयी चीज अच्छी है, ऐसे विश्वास से उसका अमल करने का अत्साह तो उन लोगों में होना ही चाहिये। जब से गांधीजी ने नयी तालीम के बारे में अपने विचार प्रकट करना शुरू किया तब से मैं ऐसे अत्साह और श्रद्धावाले गांव की तलाश में था।

गुजरात के अके तेजस्वी, कार्यदक्ष और ग्राम-सेवारत युवक श्री बबलभाजी सन् १९३५

में जेल से छूट कर आये, तब से उन्होंने खेडा जिले के मामरा नाम के अके बहुत छोटे और पिछड़े हुए गांव में रह कर ग्राम-सेवा का काम शुरू किया। उनके काम का असर अिर्दगिर्द के गांवों में भी होने लगा। मामरा के नजदीक के थामणा गांव और उसकी शाला के साथ भी उन्होंने गाढा संबंध बांध लिया। थामणा गांव की आबादी करीब करीब दो हजार है। इस गांव में ब्राह्मण, बनिये, पाटीदार, मुसलमान, बड़भी, लुहार, कुम्हार, तेली, मोची, नाओ, डेष्ट, चमार, भंगी आदि सब कौमों के लोग रहते हैं। गांव का मुख्य धन्धा काश्तकारी होते हुए भी गांव में कारीगरवर्ग काफी तादाद में मौजूद है। इसलिये यदि यह गांव वैसा निश्चय कर ले, या उसके लिये वैसा करना लाजिमी हो जावे, तो वह आसानी से स्वयं पूर्ण हो सकता है। अितनी ज्यादा आबादी होने पर भी दूसरे गांवों के मुकाबले में यह गांव शहर के असर से ठीक ठीक

बचा हुआ है। ये सब सुविधाएँ होने से प्रयोग के लिये यह गांव पसंद किया गया। बबलमाजी ने गांव के लोगों के सामने हमारा विचार पेश किया। गांव के लोगों ने, शाला के विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने बड़े अल्लास से इस विचार को स्वीकार कर लिया। शुरू में गांव के लोगों ने जो अत्साह दिखाया उसमें अत्तरोत्तर वृद्धि ही होती गयी। गांव के लोग हमें सदा सहयोग देते आये हैं और शाला के बारे में हमने जो जो मांगें कीं उनको उन लोगों ने पूरा किया।

गांव की शाला किराये के मकान में चलती है। तकली, धुनकी और चरखे की प्रवृत्ति के लिये अिम मकान में पूरी जगह न होने के कारण गांव के लोगों ने गांव की धर्म-शाला की, करीब रुपया १५०० खर्च कर के मरम्मत करायी। उसका अेक विभाग और गांव के पुस्तकालय का अेक विभाग शाला के अुपयोग के लिये दिया। पुरानी पाठशाला के अूँचे दरजे में अंग्रेजी का अेक वर्ग जुड़ा हुआ था। मझे लगा कि यदि अूँचे दरजे के विद्यार्थी अंग्रेजी की जगह अपना समय अुद्योग के लिये दे तो सारी शाला में अुद्योग का वातावरण अच्छी तरह जम जायगा। इसलिये अंग्रेजी का वर्ग हटा देने की सूचना मैंने गांव के लोगों को दी और अुन्होंने नुरन्त ही अुसको स्वीकार कर लिया। जवसे नया प्रयोग शुरू करने की बात हुअी तबसे शिक्षकों ने कातना और धुनना सीखना शुरू किया और विद्यार्थियों को भी शाला के नियत समय के अतिरिक्त समय में कानना सिखाना शुरू करके नये प्रयोग के लिये वातावरण तैयार किया।

अिसके बाद सरकार और जिला-स्कूल-

बोर्ड से नया प्रयोग शुरू करने के लिये मैंने अिस शाला की मांग की। और ता. १:३:३८ से सरकार की अनुमति से खेडा जिला स्कूलबोर्ड ने यह शाला प्रयोग के लिये मेरे सुपुर्द कर दी। ता. २१:९:३८ के रोज, 'चरखा बारस' (गांधी-जयंती) के दिन अिस प्रयोग का आरंभ किया गया।

शुरू में तीन दरजों में अिस प्रयोग के अनु-सार नया पाठ्यक्रम दाखिल करने का हमने निश्चय किया। बालवर्ग में बहुतेरे विद्यार्थी सात साल से छोटी अुम्र के थे। अिसलिये बालवर्ग के लिये नये पाठ्यक्रम की पूर्ब तैयारी में सहायक ही, अैसा पाठ्यक्रम हमने तैयार कर लिया। वर्षा-योजना में विद्यार्थी को शाला में भरती करने की अुम्र पूरे सात साल की रखी गयी है और अिसमें बालवर्ग को स्थान नहीं दिया गया। परंतु बालक पांच साल के हो जायें अुससे पहले ही अुन्हें शाला में भरती करने के लिये, खास करके मध्यम वर्ग और अुच्च श्रेणी के मां-बाप, आतुर हो ही जाते हैं। अिसलिये बम्बई-सरकार की अिस सूचना का, कि छः साल पूरे होते ही बालक को शाला में भरती किया जाय, अमल कितने ही स्कूलबोर्डों ने अभी तक नहीं किया। यह परिस्थिति होने से छः साल के बालकों को शाला में लेना ही पड़ेगा अैसा सोच कर बम्बई सरकार की वर्षा-योजना की सलाहकारकमिटी ने वर्षाशिक्षा की पूर्ब-तैयारी के तीर पर अेक साल का पाठ्यक्रम रखने के लिये सूचना दी है और अुसका पाठ्यक्रम थामणा की शाला के बालवर्ग के पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया है। अभी थामणा की शाला में बालवर्ग के सिवा पहले तीन दरजों में वर्षाशिक्षा-योजना के लिये

बम्बई सरकार का बनाया हुआ अभ्यासक्रम चलता है।

हमने शुरू में अूचे दरजे में—जिरामे पुराना पाठ्यक्रम चालू था—शाला के आधे समय में अुद्योग जारी किया। मगर अनुभव से मालूम हुआ कि अितना समय अुद्योग के निअे देने से पुराना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराया जा सकता। असलिअे अब अूचे दरजे में अेरू घण्टा और बीस मिनिट अुद्योग रक्ता गया है। अब पुराना पाठ्यक्रम अच्छी तरह से कराया जा सकता है। यहाँ अितना कह देना आवश्यक है कि शाला में यह प्रयोग दाखिल होने से विद्यार्थियों की मनोकृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अससे पुराने पाठ्यक्रम के अितिहास-भूगोल आदि विषयों में, जिनमें पाठ्यक्रम के कारण से और अिन्स्पेक्टरों की मांग से रटने के अूपर ज्यादा भार देना पड़ता है, अब पुराने ढंग से अध्ययन करना विद्यार्थियों को अच्छा नहीं लगता। पुराने अिन्स्पेक्टरी ढंग से अिन विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाय, या अुन्हे प्रश्न पूछे जायें तो संभव है कि वे अिन विषयों में कच्चे मालूम हों; मगर भँ तो अँसा मासता हँ कि अुद्योग के पीछे समय देने से अिन विद्यार्थियों ने ज्यादा ठोस और अच्छी तालीम ही हासिल की है। विद्यार्थियों का रटा हुआ ज्ञान शायद कम होगा, मगर अुनका सामान्य ज्ञान बहुत बढ़ गया है। असका श्रेय, यह आजमाअिण शुरू होने से शाला में जो नया जीवन और नया अैतन्य आया है, अुसको ही देना चाहिअे। नये प्रयोग का विद्यार्थियों पर जो असर हुआ है अुसकी मुख्य मुख्य बातें नीचे लिखे अनुसार हैं :-

(१) अुन लोगों में स्वच्छता, शान्ति, नियमितता और नियमपालन की आदत ढी है। मिलजुल कर काम करने की और दूसरों की मदद करने की वृत्ति अुन लोगों में आने लगी है।

(२) विद्यार्थियों में तेजस्विता आयी है, स्फूर्ति दिखायी देती है और स्वतंत्रता की भावना जाग्रत हुयी है। स्वातंत्र्य की भावना में पुराने विचार के कअी लोगों को तो अतिशयता भी लगेनी, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षकों से दबे नहीं रहने हैं, रट रट कर अपना अभ्यास बराबर तैयार नहीं करने।

(३) खल-कूद, व्यायाम और कवायद की तरफ वे ज्यादा ध्यान देते हैं। और अुनकी तंदुरुस्ती भी पहले की अपेक्षा अच्छी है।

(४) घर में, खेत में और दूसरे कामों में माँ-बाप को मदद करने की तत्परता विद्यार्थियों में आयी है। अस वजह से गाँव के पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों को यह शाला ज्यादा अच्छी लगती है। जो लड़का पहले अेक लोटा भी अुठाने से अिन्कार करता था वह आज पर का जो काम माँ कहे, वह बडे चाव से करता है।

हमारे सुशिक्षित माने जानेवाले वर्ग में अेक अैसी मान्यता प्रवेश पा गयी है कि अुद्योग करना और मेहनत-मजदूरी करना विद्यार्थियों को अच्छा नहीं लगता। कहा जाता है कि विद्यार्थियों से दो तीन घण्टों तक कातने-धुनने का या अँसा दूसरा कोअी काम कराया जाय तो वे अुकता जाते हैं। अँसा भी कहा जाता है कि हमें अुनसे जबरदस्ती मेहनत-मशक्कत करवानी पडेगी और वह अुनके साथ अेक किस्म की ज्यादाती-सी हो जायगी। पर यह अेक बडी गैर-समझ

है। जिस काम में विद्यार्थी को हाथ-पैर चलाना पड़े असा काम उसको ज्यादा पसंद आता है, बनिस्वत पढ़ने लिखने के। बड़े बड़े शिक्षा-शास्त्रियों ने तो यह बात साफ तौर पर कही है कि बालको के शिक्षा-क्रम में से या बालक के जीवन में से मेहनत-मजदूरी या दस्तकारी निकाल दी जाय तो उसकी शक्ति बढ़ने नहीं पावेगी। शिक्षा-शास्त्री कहलाने वाला कोअी भी शुरूस इस बात से अिन्कार नहीं कर सकेगा। परंतु आज के शिक्षाशास्त्रियों के निजी जीवन में दस्तकारी या मेहनत-मजदूरी का कांअी स्थान नहीं रहा है। वे लोग अपना जीवन अैसे नंग दायरे में ब्रिताते हे कि आम जनता से अुनका ठीक ताल्लुक नहीं रहता। अिसी कारण किसी अुपयांगी या अुत्पादक अुद्योग के बदले तरह तरह की अुत्पादक प्रवृत्तियां, जिनको "हैन्ड्यर्क" नाम दिया जाता है, पाठशालाओं में गु करते हैं। अिन पाठशालाओं को सजाने के पीछे बहुत रुपया खर्च होना है और वह तालीम नहीं मिलती जो कि हाथों से किये हुअे किसी न किसी अुत्पादक परिश्रम ही से मिल सकती है।

अिस प्रोग से हमें यह अनुभव हुआ है कि बालक अुद्योग बडी दिलचस्पी और लगन से करते हैं। अितना ही नहीं, बल्कि जीवन के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले अुद्योग से बालक को ज्यादा अच्छी और ठोस तालीम मिलती है।

परंतु प्रश्न तो यह पूछा जाता है कि भाषा, गणित, अितिहास, भूगोल आदि सय विषय आप अुद्योग द्वारा कैसे सिखाने हैं? यह कहने की जरूरत नहीं है कि

'अुद्योग' शब्द में बालक की सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थिति भी अंतर्भूत है। अिन तीन साधनों द्वारा गणित का अच्छा और भाषा व भूगोल का साधारण ज्ञान हम बालकों को करा सके है। हमारे समाज-विद्या के पाठ्यक्रम में जो अितिहास का विभाग है वह तीन दरजे तक के छोटे विद्यार्थियों को हम नहीं पढ़ा सकते। हमने आरंभ तो अिस तरह किया कि जो विषय अिन तीन केन्द्रों द्वारा पढ़ाये जायें अुन्हें पुराने ढंग से ही पढ़ाना जारी रक्खा। परन्तु थोडे ही समय में हमें पता चला कि यह नीति गलत है और वह अिस प्रयोग को नुकसान पहुंचावेगी। अब हमने असा नियम रक्खा है कि अिन तीन केन्द्रों के जरिये जितने विषयों का ज्ञान दिया जा सके अतना ही सही। हालांकि हमारे शिक्षकगण हमेशा कहा करते हैं कि पाठ्यक्रम में लिखी हुअी कअी बातों का अनुबंध वे नहीं कर सकते। अनुबंध का यह शास्त्र नया है। अिस शास्त्र की छोटी-मोटी बातें और पद्धति धीरे धीरे ही विकसित हो सकेगी। कअी प्रतिमाशाली शिक्षक बालको को पढ़ाने का कार्य प्रत्यवप करने लगेंगे तभी अनुबंध की सब बातें निश्चित हो सकेगी। हम चाहे जितने बड़े पंडित वषां न हों, तो भी अनुबंधी पाठ्यक्रम हम कार्यालय में बैठे बैठे नहीं बना सकेग,। यह भी कह देना जरूरी है कि केवल पंडितों या शिक्षाशास्त्रज्ञों द्वारा भी यह अनुबंधी पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकेगा। अिस पाठ्यक्रम के बनानेवाले के लिये अुद्योग का ज्ञान आवस्यक ही है। अेक ही नहीं, अनेक मूल-अुद्योगों की बारीकियों से जो परिचित होंगे और जिन्होंने समाज व प्रकृति का ज्ञान किताबों से ही नहीं,

लेकिन समाज व प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क से, उनके साथ ओत-प्रोत ही कर, हासिल किया होगा, वे ही असा पाठ्यक्रम बनाने के काबिल होंगे। असा परखा हुआ पाठ्य-क्रम मिल जाने के बाद भी स्वयं हाथ से काम करने के लिये तत्पर और बालकों के अपयोगी सामान्य ज्ञान से युक्त शिक्षकों की आवश्यकता तो रहेगी ही। आज के जैसे शिक्षकों को थोड़ी मोटी-मोटी सूचनायें दे देने से काम नहीं हो सकेगा। इस नयी शिक्षा-योजना को शिक्षा-विभाग की सूचनाओं तथा परिपत्रों से भी जकड़ कर तंत्रबद्ध और जड़ नहीं करना चाहिये। यह सारी योजना एक जिन्दा चीज है। उसे जीते-जागते शिक्षक ही कामयाब कर सकेंगे। इसके लिये अिन्सपेक्टरों और सुपरवाइजरों को अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिदायते और हुक्म देनेवालों की हँसियत छोड़ कर अन्हें स्वयं काम कर के दिखलानेवाले मार्गदर्शक बनना पड़ेगा।

—२—

अद्योग-द्वारा स्वावलंबन के बारे में हम धामणा में क्या कर सके हैं, उसकी ध्यारेदार जानकारी अब पेश करता हूँ—

ता. १:१०:३८ से ता. ३१.३:३९ तक के छः महीनों में १५० विद्यार्थियों के कातने-धुनने की जो १३३ दिन की मजदूरी हुई अुसमें से विद्यार्थियों को सिखाने में आया हुआ नुकसान और घाटा और अन्य छोटे-मोटे खर्च बाद करते दुअ्रे बची रही पक्की कमाअी की रकम रुपया ६७-९-० हुई। इसके बाद ता. १:४:३९ से ता. ३०:९:३९ तक की दूसरी छःमाही में १२८ दिन की २१० विद्यार्थियों की वँमी ही पक्की कमाअी रुपया ४८-१०-०

हुअी। दूसरी छःमाही की कमाअी कम होने का कारण यह है कि धामणा गांव की लड़कियों की शाला लड़कों की शाला के साथ छः महीनों के बाद हमने जोड़ दी। और सब लड़कियों को शुरू से दस्तकारी सिखाने में नुकसान ज्यादा आया। मैं कह चुका हूँ कि अूचे दरजे में अद्योग का समय दूसरी छःमाही में हमने घटा दिया। वह भी कमाअी कम होने का अेक कारण है। हमारे शिक्षकों की तनख्वाह का माहवार खर्च करीब करीब रुपया ४०० है। अुसका हम ख्याल करें तो कहना होगा कि दस्तकारी की कमाअी से स्वावलंबन हासिल करने के आदर्शसे हम अभी बहुत दूर हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि हमारे प्रयत्नों में कअी त्रुटियाँ हैं। हमारे सब शिक्षक कातने-धुनने में पर्याप्त रूप से कुशल न थे। मैं तो अिस नतीजे पर आया हूँ कि, हमारे शिक्षकगण के लिये कातने और धुनने के लिये चार-पांच मास की तालीम पर्याप्त नहीं हो सकती। हमें यह अनुभव अवश्य हो चुका है कि अधिक कुशलता और अेकाग्रता से प्रयत्न करने से नुकसान कम हो सकता है। जो माल तैयार किया जाय—जँसा कि हमारे यहां सून—वह परिमाण व गुण में नियत किये दुअे दरजे का हो तब ही विद्यार्थी को सच्ची तालीम मिल सकती है। अिसमें जितनी शिथिलता या न्यूनता रहेगी अुतनी मात्रा में विद्यार्थी को गलत तरीके से काम करने की आदतें पड़ेगी और अुसे कु-शिक्षा मिलेगी। अर्थात् शिक्षा की दृष्टि से भी स्वावलंबन बडे ही महस्त्व की वस्तु है। अिस पहलू की ओर ध्यान दिये बिना वर्षा-शिक्षा-योजना कामयाब हो ही नहीं सकती।

अध्योग की कमाओ के सिलसिले में और एक बात का संकेत यहां कर दूँ। हमारे देश में गरीबी अितनी है कि, विद्यार्थी अपनी दस्तकारी से जो कुछ कमाओ करे उसका खासा हिस्सा किसी न किसी रूप में अुसीको दे दिया जाय, यह जरूरी है। हम जानते ही हैं कि आधिक मूसीवत ही के कारण पढाओ के काविल अुम्मे के कओ वालक पाठशाला में नहीं आ सकते। कओ बालकों को ढोरों की देखभाल का या चरवाहे का काम करना पडता है। कअियों को खेतों में काम करने-वाले अपने मा-बापों को रोटी पहुंचाने का काम करना पडता है और अन्य कअियों को अपने छोटे भाओ-बहनों को संभालने के लिये घर पर रहना पडता है। कओ बालकों को पहनने के लिये काफी कपडे भी नहीं मिलते। थोडेसे कपडे होने भी है तो अुन्हे धोने की सहूलियत नहीं होती। कओ बालकों को भर-पेट खाना हासिल नहीं होता। फिर स्लेट या किताब के लिये खर्च करने की तो बात ही कहाँ ? असिलिये विद्यार्थियों के अुद्योग से जो कुछ कमाओ हो अुनसे अुनके कपडों के लिये, कानेवे के लिये और अुनका स्लेट, कलम और किताब वगैरह के लिये पैसे देना अुचित है।

कमाओ और स्वावलंबन का विचार करने हुअे और एक बात जो भरे मन में रह गयी है, जिसका अमल हम थामणा की पाठशाला में नहीं कर सके, अुसका अुल्लेख भी कर दूँ। मैं मानता हूँ कि हरेक वर्धा-शाला के साथ एक कुओ और थोडी-सी जमीन होनी ही चाहिये। हमारे बालक अितनी अस्वच्छ हालत में पाठशाला में आते हैं कि अुन्हें नहलाना और अुनके कपडे धुलवाना,

हमारे सब विषयों को अेक तरफ रख कर भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। अस काम के लिये शाला को अेक अलाहिदा कुओ की जरूरत है। पास ही थोडी जमीन हो तो अुनमें बालक खोद कर क्यारियां बनावें और अुनमें सब्जी, तरकारी आदि बोवें, फल और फूल के पेदे भी बोवें लगावे, अपने आप कुओ से पानी निकाल कर अुन्हे दे। असमें बीज के सिवा और कुओ भी खर्च न होना चाहिये। खाद के लिये अुपयोगी, मगर गाँव के लोग जिसका अुपयोग नहीं करते, अैसा सब कूडा-ककट अिकटुटा कर के शाला अुसका खाद बनावे। अैमें छोटे बगीचे में जो पैदाअिश होगी वह बालकों की खुराक में अेक कामती चीज हो जायेगी। आज की हमारी खुराक शरीर के पोषण की दृष्टि में बहुत न्यूननापूर्ण है। अुसमें सादे और सस्ते फल और सब्जी-तरकारी हम दाखिल कर सके तो वह बहुत लाभदायी होगा। किमी दिन बागको को टमाटर मिले, किमी दिन गाजर या मूनी मिले, किमी दिन अच्छे माग के पत्ते मिलें, किमी दिन केला या पपीता का अेकाध टुकडा ही मिले तो अुनके शरीर की वृद्धि में यह बहुत अुकारी होगा। ये सब बाने हमने गाव के लोगों के सामने रखी है और अुनका महत्त्व समझ कर गाँव के लोगों ने छ अेकड का अेक खेत शाला के मकान और अुसके चारों ओर के मैदान के लिये देना निश्चित किया है।

विद्यार्थी शाला की सफाओ का काम करें, शाला को लीपने-पोतने का काम करें, शाला के मकान की मरम्मत का काम करें, अिर्द-गिर्द से वस्तु अिकटुटी कर के शाला में अेक संग्रहालय बनावे, अुत्सव के दिन शाला और

गांव की सजावट करें और अपने तथा गांव के लोगों के लिये कुछ मनोरंजनात्मक कार्यक्रम रखें—आदि सब प्रवृत्तियों से यद्यपि पैसे के रूप में कुछ भी कमायी नहीं होती, तो भी जिस ढंग की मेहनत में विद्यार्थियों को बहुत आनंद आता है और अतः उन्हें ज्यादा शिक्षा मिलती है। जिसकी कीमत कृतने जायें तो रुपये-पैसे से ज्यादा होगी। ऐसी प्रवृत्तियों के द्वारा विद्यार्थी अपने आसपास की कुदरत और समाज से परिचय पा कर उसके संपर्क में आता है, तथा अतः स्वावलंबन की वृत्ति पैदा होती है। ऐसी सब प्रवृत्तियों द्वारा शाला का गांव के साथ निकट संबंध होता है।

हमारी शाला का गांव पर जो असर पड़ा है उसका बयान अब मैं करूंगा। शिक्षक और विद्यार्थी गांव-सफाई का काम करते हैं। अतः गांववालों में स्वच्छता का शौक पैदा हुआ है और वे अपने घर व आंगन साफ रखने लगे हैं। यह प्रयोग शुरू होने के बाद से गांव में ७८ चरखे नियमित रूप से चलने लगे हैं।

पार साल गांव में जितने छोटे-बड़े अृतसव हुए और वे जिस ढंग से मनाये गये अतः गांववालों को अुपयोगी शिक्षा और नये

संस्कार मिलने लगे हैं। आजकल के हमारे अृतसवों में कुछ मीठा खाना और घर में जो अच्छे अच्छे कपडे हैं अतः पहन कर मटकना ही रह गया है। परन्तु धामणा में अब अृतसव का दिन जैसे आलस्य में नहीं, वरन सुबह से शाम तक भांति भांति के दिलचस्प और अुपयोगी कार्यक्रमों में बसर होता है। हर रोज सायंकाल को सामुदायिक प्रार्थना होती है। जिसमें गांव के बहुतेरे भाभी-बहन शरीक होते हैं। प्रार्थना खतम होने पर रोज की खबरें सुनायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त गांव के मुख्य मोहल्ले में एक दीवार पर हर रोज नया नया बोधक मजमून लिखा जाता है जो आम लोगों की शिक्षा का एक बड़ा साधन साबित हुआ है। हमारी कोशिश तो यह रही है कि जिस शाला की मारफत गांव को हम गांधीजी के आदर्श के अतः नुरूप बनावे। परन्तु जिस बड़े काम के लिये हमारी अपनी अयोग्यता कितनी बड़ी है और बाहरी वायुमंडल कितना प्रतिकूल है उसका हमें पूरा खयाल है। फिर भी हमारे खयाल से हमारे अतः कजोर यत्न के भी बहुत ही अच्छे परिणाम हुए हैं। और यही बात हमारी श्रद्धा को बढ़ाती है।

शिक्षा और शब्दज्ञान

जीवन-विनिमय केवल सजीव अुपकरण द्वारा ही हो सकता है। संस्कारिता, जो कि मन का जीवन है, मनुष्य को मनुष्य द्वारा ही दी जा सकती है। शब्द-ज्ञान या धर्मशास्त्रों का परोक्ष ज्ञान हमें सिर्फ शब्दपंडित बना सकता है। शब्द जड और केवल परिणामवाचक होते हैं। वे अिकट्टे होते रहते हैं और उनके ढेर का संरक्षण बड़ी सावधानी से किया जाता है। लेकिन संस्कारिता तो जीवन में ही विकसित होती है, गतिमान होती है और वृद्धिगत होती है।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

क्या मधुमक्खी धूप खा सकती है ?

[विषतीशचन्द्र दासगुप्त]

कभी मास पहले की बात है कि कलकत्ते से स्वास्थ्य के विषय में अंक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुयी थी, जिसमें मधु और मधुमक्खी के बारे में अंक लेख था। अुसमें कुछ जानने लायक बातें थीं। किन्तु अुसमें निम्न लिखित बयान गलत था:—

“ मक्खीरानी को देखने के लिये छत्ते को टुकड़टुकड़े करके तोड़ना पड़ता है। धूप तेज होने पर मधुमक्खी छत्ते से बाहर आ कर धूप खाती है। मधुमक्खियाँ हमेशा अपनी अंक आँख रानी मक्खी की तरफ रखती हैं। ”

आजकल वैज्ञानिक ढग से मक्खी-पालन किया जाता है। खास तरीके से बनाये हुअे काठ के बकस में मधुमक्खी रक्खी जाती है। अिस कृत्रिम घर में मधुमक्खी बहुत आराम से रहती है। अिस कृत्रिम बासे में साधारणतः दो बकस रहने हैं। अंक अुपर और अंक नीचे सजाया रहता है। बकस के तले अंक अन्नग तख्ता रहता है। अुपरवाले बकस के तले कोअी तख्ता नहीं होता और नीचेवाले बकसे के अुपर कोअी ढक्कन नही रहता। जरूरत के मूताबिक बकस के सब भाग खोले जा सकते हैं।

नीचेवाले बकस में कअी अंक हजार कर्मी-मक्खियाँ, कअीअंक पुर्ण-मक्खियाँ और अंक रानी-मक्खी रहती है। नीचेवाला बकस बड़ा होता है। अिस बकस में मक्खी बच्चे पैदा करती है और अुनके रोज खाने के वास्ते मधु और फूल का पराग संचित रहता है। अुपर का बकस केवल मधु जमा करने के लिये ही रक्खा जाता है। अुपरवाले

बकस में रानी नहीं जाती; या अुसको अुसमें जाने नहीं दिया जाता। नीचेवाला बड़ा बकस तले की ओर षोड़ा कटा रहता है। अुस रास्ते से मधुमक्खियाँ आती-जाती रहती हैं।

मधुमक्खी के छत्ते बनाने के चारते बकस के भीतर कअीअंक काठ के चीखूटे परेस आसपास लटका दिये जाते हैं। मक्खी पालनेवाले अपनी अिच्छा के मूताबिक परेसों को हाथ से अुठा कर अूलटपलट कर सब मक्खियों की परीक्षा करते, रानी की खबर लेते और परीक्षा के बाद फिर सबको बकस में ठीक स्थान पर रक्ख देते हैं। अतअेव मक्खीरानी को देखने के लिये छत्तों को तोड़ना नहीं पड़ता। छत्तों के अुपर हजार-हजार मक्खियाँ बैठी रहनी हैं। अुसी हालत में मक्खी पालनेवाले अिन परेसों को अंक-अंक करके हाथ से अुठा कर परीक्षा करते हैं। और मक्खीरानी को खोज कर निकालते हैं।

अुपर के बकस में भी अुसी तरह के कअी-अंक परेस रहने हैं। अिन परेसों के छत्तों में केवल मधु संचित होना है। रानी जिससे अिन परेसों में अडे न दे सके अिसलिये अुसे अुपर नहीं जाने दिया जाता। साधारणतः रानी अुपर नहीं आती। दुष्ट रानी पर अधिकार रखने के लिये दोनों बकसों के बीच अंक जाल रक्खा जाता है। अिस जाल के भीतर से हो कर रानी अुपर नहीं आ सकती। लेकिन कर्मी मक्खियाँ अुसके भीतर से अुपर जा कर मधु अिकट्ठा करती हैं।

मधु निकालने के समय अुपर के पृथक् पृथक् छत्तों की कर्मीमक्खियों को नीचे के

बकस में झाड़ दिया जाता है। विशेष तरह से बने हुअे मधु निकालनेवाले पात्र की सहायता से छत्तों से मधु निकाला जाता है। अुन खाली छत्तों को फिर बकस के भीतर रख दिया जाता है। अुन छत्तों में मक्खियाँ फिर मधु अिक्कूठ कर ले लगी जाती हैं। अंडों, बच्चों व छत्तों को बिना नष्ट किये पालनेवाले विशुद्ध मधु संग्रह करते हैं। सोदपूर के खादीप्रतिष्ठान की मक्खी-शाला में हम-लोग अिसी प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मक्खी-पालन करते हैं। यह मधु विशुद्ध और ताजा रहता है। यह मीठा, बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट होता है। यह भोजन का पीष्टिक सारपदार्थ है।

धूप तेज होने पर मक्खी छत्ते से बाहर आ कर धूप खाती है, यह धारणा बिलकुल गलत है। अंडा फूटने के वाम्ने, मक्खी-कीट से बचने के व वृद्धि पाने के वास्ते, मक्खी के घर में विशेष ताप-परिमाण का स्वाभाविक प्रयोजन है। फागुन और चैत के महीनों में मधु के समय छत्तों में मक्खियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। अुस समय अेक छोटे बकस में करीब करीब ३० हजार मक्खियाँ रहनी हैं। बड़े बकस के भीतर ५० हजार से ७० हजार तक मक्खियाँ रहनी हैं। मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाने के कारण बकस के अन्दर ताप-परिमाण बहुत बढ़ जाता है। बाहर की आबहवा भी अुस समय गर्म रहती है।

अतिशय गर्मी से बचने और बकस को ठंडा रखने के लिये अिस समय बहुत-सी मक्खियाँ बकस के अवतरणतस्ते पर पकिन में बैठ कर तेजी से पंख चला कर भीतर हवा देती रहनी हैं। रात में अुस सारे तस्ते

पर बहुत-सी मक्खियाँ भीड़ करके बैठी रहती हैं। बकस को ठंडा रखने के लिये ही वह सब वैसा किया करती है। जाड़े के समय अपने निवासस्थान का ताप ठीक रखने के लिये सब छत्ते पर आपस में सट-सट कर बैठी रहती है। जाड़े के समय सुबह को धूप निकलने के पहले ही वे सब अपना दैनिक काम आरम्भ कर देती हैं।

कर्मी मक्खियाँ छत्तों में बराबर काम करनी रहती हैं। मक्खीरानी की तरफ दृष्टि दे कर अुन्हें बैठने का समय कहें ? रानी बकस में क्रमशः अेक छत्ते से दूसरे छत्ते में घूमती रहनी है। खाली घर खोजती है। घर खाली पाने ही अुसमें अंडा देती रहनी है। प्रत्येक मक्खीरानी की अेक खास गन्ध होनी है। मक्खीरानी के छत्तों में बराबर घूमते रहने के कारण व अुसके शरीर की गन्ध में कर्मी-मक्खियाँ समझ जाती हैं कि रानी है कि नहीं।

यदि रानी मर जाय, कही खो जाय, अथवा मक्खी पालनेवाले अुसे कही हटा दे तो थोड़ी ही देर में सब कर्मीमक्खियाँ रानी की अनुपस्थिति समझ जाती हैं। छत्ते की कुल मक्खियाँ अस्थिर व चंचल हो जाती हैं। रानी की खोज में बाहर आ कर अवतरणतस्ते पर खोजती रहनी हैं। रोनी रहती हैं। बकस के चारों तरफ अुड़-अुड़ कर खोजती है। बकस के सामने हवा में थोड़ा अुड़ती है और टोहन पा कर लौट आती हैं। मैदान से किसी कर्मी-मक्खी को मधु लाते हुअे दरवाजे के पास देखते ही सब की सब दौड़ कर अुसके पास जाती है, और सोचती है कि शायद यह हमारी खोबी हुआी मँ की खबर लाबी है। मुँह में मुँह मिला कर पूछती हैं कि मँ कहाँ, मँ कहाँ ?

घर से माँ के चले जाने पर, नज़र से ओझल होनेपर, मनुष्य का बच्चा अपनी माँ की अनुपस्थिति तुरन्त समझ जाता है, पुकारते पुकारते हैरान हो जाता है, रोता है, व्याकुल

हो कर घर-घर माँ को खोजता फिरता है। मनुमस्त्रियाँ भी अपनी खोई हुई माँ की खोज अिमी तरह किया करती है।

[बंगला राष्ट्रवाणी से]

सामाजिक अहिंसा की बुनियाद

[श्री किशोरलाल घ० मशरूवाला]

१. अहिंसा या बनियागिरी ?

१९३०-३२ के सत्याग्रह के दरमियान तथा बारडाली आदि के सत्याग्रहों में लोगों ने अहिंसक वीरता के जो सबूत दिये अुनकी तारीफ़ सुन कर अेक मित्र बोले, " जबतक हम यह तारीफ़ सिर्फ़ बिदेशी लोगों को मुनाने के लिअे करते है तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हम अपने घर में बैठ कर बातें करते है तब मेहरबानी करके अिस वीरता की ज्यादा सराहना न कीजियेगा। सब पूछिये जो लडाभी में जिम प्रकार की बहादुरी की जरूरत होती है अुसका आपको खयाल है। नहीं। चारों तरफ़ दुश्मन के विमान (हवाभी जहाज) मँडग रहे है, अैसी हालत में अेक नौजवान अपना विमान ले कर अकेला अुनके बीच घुसा चला जाता है, और यह जानने हुआ भी कि अुसका जिन्दा वापस आना नामुमकिन है, केवल शत्रु के अेक या दो विमानों का नाश करने की आशा से ही वह अितना साहस करता है अथवा जिस बहादुरी से सबमरीन (पनडुब्बी) में डुबकी लगाता है; अुसकी बहादुरी के साथ आपके धारासणा के 'वीर' पुरुषों का क्या मुकाबला करें? आज हमारे देश में से कितने नौजवान

सबमरीन या विमानों मैनिक की सिर्फ़ तामीम लेने के लिअे भी तैयार होंगे? दूसरे के बदन में खून निकलता हुआ देख बेहोश हो जाने-वाले हम ब्राह्मण और बनिये अहिंसक वीरता तक पहुँच गये अिसका अितना ही मतलब समझना चाहिये कि हम कायरता से सिर्फ़ अेक कदम आगे बढे है।

"अशोक की तरह जो लोग हिंसात्मक जीवन में से अहिंसा की ओर गये, अुन जैसे अगर आप भी कर्पात्रय होने तो आपकी अहिंसा मुझे अद्भुत लगती। लेकिन जिस अहिंसा की आप आज तारीफ़ कर रहे हैं, वह सिर्फ़ आपकी हिंसाशक्ति के अभाव का ही अुपनाम है। मुझे शक है कि जब हिंसा का स्वाद आपको मिलेगा तब आपकी यह अहिंसा कहाँ तक टिकेगी।"

स्वयं गांधीजी के बारे में भी अिसी प्रकार की शंका दूसरे रूप में प्रकट की गयी है। हाल ही में सर स० राधाकृष्णन् द्वारा प्रकाशित 'महात्मा गांधी : अमिन्तम ग्रंथ' में श्री अेडवर्ड टॉमसन लिखते हैं:-

“वह (गांधी) गुजराती है। अर्थात्, औसी जाति में उत्पन्न हुआ है जो युद्ध-प्रिय नहीं रही है और जो, विशेषतया मराठों द्वारा, बहुधा पददलित की गयी और लूटी गयी है। ... वह अहिंसा को जो अितना महत्त्व देते हैं वह उनके अेक शान्ति-प्रिय जाति में जन्म लेने का लक्षण है। मेरा विचार है कि मराठे जिस बात को कभी नहीं भूलते कि वे मराठे हैं और गांधी गुजराती है। ... राजपूतों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है क्योंकि वह भी अेक युद्ध-प्रिय जाति है।”

यह दलील, बल्कि अुलहना, मैंने पहली बार नहीं सुना। जिसलिये मैंने खुद अपने आपसे यह प्रश्न कभी बार पूछा है कि “गांधीजी जिस अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं, वह जो मुझजैसे अनेक लोगों को, मानो, स्वभाव ही से पसन्द आती है और हिंसा के प्रति जो घृणा पैदा होती है—यह क्या मुझमें जन्मतः रही हुआ बनिये की डरपोक बृत्ति तथा वैष्णव संस्कारों का परिणाम है या अहिंसा का— यानी मैत्री, प्रेम, करुणा आदि कोमल गुणों का—परिपाक है?”

कुछ हृद तक जिस सवाल पर मन्थन करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वह पेश करता हूँ।

यह ती मैं बिना संकोच के कबूल करूँगा कि युद्ध-विरोध अथवा शान्ति-प्रियता कभी पीढ़ियों से मेरा खून के द्वारा अुतरा हुआ स्वभाव है। अुसके अनुशीलन के लिये स्वयं मुझे अशोक के जैसे अनुभवों से जाने की या बुद्धि को बहुत कसने की जरूरत कभी नहीं हुयी। मेरे जिन पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंसक विचारों को

छोड़ कर बौद्ध या जैन या वैष्णव संप्रदाय का स्वीकार किया होगा वे बेशक भिरा-दतन हिंसा से अहिंसा की ओर गये होंगे। अनेक पीढ़ियों तक अपने जिस परिवर्तन को हृदय में दृढ़ करते-करते मेरे जिन पूर्वजों ने अहिंसावृत्ति की जड़ अपने स्वभाव में अितनी मजबूत जमा दी कि बाद में वह मेरे लिये अेक हृद तक अपने प्रयत्न से प्राप्त करने की संपत्ति नहीं रही, बल्कि पूर्वजो-पाजित संपत्ति के रूप में मुझे विरासत में मिली।

परंतु संपत्ति पूर्वजोपाजित होने ही से वह कौभी कुसंपत्ति या विपत्ति तो नहीं हो जाती और न अुसमें शरमाने जैसी ही कौभी बात होती है। हमारे लिये अपनी कोशिश से अुस संपत्ति को बढ़ाना शक्य है। वैसा न किया जाय तो दूसरी भीतिक संपत्तियों की तरह यह भी कषीण हो सकती है और जिस तरह पुरखों के जमाने का बरतन आहिस्ता आहिस्ता घिस-घिस कर फूट जाता है और फिर वह सिर्फ अेक स्मारक का ही काम देता है अुसी तरह यह भी अेक कषीण और दुर्बल संस्कार बन कर रह सकता है।

तब मेरे लिये गौर करने का सवाल तो यह है कि, “क्या मैं जिस सहजप्राप्त स्वभाव का ही अधिक विकास करूँ, या फिर से अुस हिंसक स्वभाव को प्राप्त करने की कोशिश करूँ जिसका, अुसे अेक कुसंपत्ति समझ कर, मेरे पूर्वजों ने सोच-समझ कर त्याग किया था? क्या हिंसा से अहिंसा की ओर जाने में मेरे पूर्वजों ने कुछ गैर-अिन्सानियत की?”

यह सच है कि कुछ लोगों का अैसा ही खयाल है। वे मानते हैं कि आज अेक अैसा जमाना आया है कि जिसमें हिन्दुस्तान या

दूसरी किसी भी कीम का अुद्धार हिंसक बनने से ही हो सकता है। लेकिन कोभी भी मानव-हित-चिंतक अस विचार का नहीं है। हिंसा में रही हुआ भीषण पशुदा को पूजनेवाला वर्ग अिना-गिना ही है। हिन्दुस्तान में भी अुनका कषेत्र साफ नष्ट नहीं हुआ है। आज भी हिन्दुस्तान में लडाकू जातियां हैं। कभी लोगों का कहना है कि जिनमें लडाओ की वृत्ति, हिम्मत और कला है अैसे लोगों के अभाव और न्यूनता के कारण ही हिन्दुस्तान परतंत्र हुआ। लेकिन अस कथन में कुछ भी अतिहासिक सत्य नहीं है। असलिये हिंसा द्वारा देश का अुद्धार करने के संप्रदाय की तरफदारी के लिये कोभी जोरदार कारण नहीं है। सच्चा रास्ता तो आज भी वही है जो सदियों पहले हमारे बडों ने बताया था। वह है, "खून न करो, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है"।

मतलब यह कि मुझे अनुवंश और संस्कार द्वारा प्राप्त अहिंसावृत्ति के लिये शरमाने की कोभी वजह नहीं। बल्कि जन्म से ही यह विरासत पाने के लिये ओश्वर और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता-भाव रखने के लिये काफी कारण है।

फिर भी, मुझे यह भी कबूल करना होगा कि मेरे अहिंसक स्वभाव के साथ मुझमें बहुत सी कमियां भी पैदा हो गयी हैं। वे अैसी हैं कि अूपर अूपर से वे अहिंसा-वृत्ति का ही परिणाम मालूम होती हैं। डरपोकपन और शारीरिक साहस करने की हिम्मत का अभाव अिन कमियों में मुख्य है। हिंसक आहार-विहार तथा जंगलों के नजदीक की बस्ती में अिन कमियों को दूर करने के कुदरती भीके मिल जाते हैं। शिकार और लडाओ-

जगडों के बीच जिन्दगी बितानेवाले स्त्री-पुरुष अपना या दूसरे के रक्तपात देखने का बचपन से ही आदी हो जाते हैं। अुस तरह का साहस अुनका रोजाना जीवन हो जाता है। अुनके लिये डरपोकपन और असाहस शरमाने योग्य चीजें होती हैं। अुनके समाज में वैसे ध्यवितियों का तिरस्कार होगा। लेकिन ब्राह्मण-बनियों के समाज में अगर कोभी आदमी हिम्मत करके अपना हाथ तोड़ ले या खतरे की जगह दौड़ कर चला जाय तो अुसकी हिम्मत के लिये अुमका जयनाद नहीं किया जायगा; बल्कि अुससे कहा जायगा कि 'क्यों अितनी बेवकूफी करने गये?' अिन समाजों में बच्चों को 'हीअे' और अंधरे की दहशत में और 'अरे, गिर जायगा' 'अरे लग जायगा' जैसी सावधानी की सूचनाओं के साथ ही बढाया जाता है। असका यह परिणाम हुआ है कि हमारा यह समाज अर्ध-अपुरुष-सा बना हुआ है। असमें शक नहीं कि यह बडी शर्म की बात है।

परंतु यदि हम ठीक-ठीक सोचेंगे तो पता चलेगा कि ये कमियां अहिंसा का आवश्यक परिणाम नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने अहिंसा का स्वीकार किया, यह तो अच्छा ही किया, लेकिन अुस वक्त अुन्हें यह बात न मूसी, और अुस जमाने में मूस भी नहीं सकती थी, कि जिस तरह हिंसक आहार-विहार के साथ साहस और शौर्य आदि गुणों का पोषण होता है और अुनके संगठन का शास्त्र निर्माण होता है, अुसी तरह अहिंसक जीवन के अप्रतिकूल तरीकों से अिन्हीं गुणों के विकास के निमित्त अिनके संगठन का शास्त्र भी खोजना होगा।

अिसे कुछ बिरतार से समझ लेना चाहिये।

२. अहिंसा की वैज्ञानिक तालीम

अगर हम युद्धों के इतिहास बारीकी से पढ़ें तो मालूम होगा कि किसी भी लड़ाई में जीतने के लिये सिर्फ सिपाहियों की बड़ी संख्या, अर्थात् व्यक्तिगत बहादुरी और लड़ाई का अच्छे से अच्छा संरंजाम काफी नहीं है। जीत के लिये अकेले बहुत ही बड़े महत्त्व की बात है, सैनिकों का संगठन। युद्ध की परिभाषा में असे 'फौजी तालीम,' 'बाहोश (होशमन्द) सेनापतित्व' और 'कुशल व्यूह-रचना' कहा जायगा। अकेले बड़ी बहादुरी और अच्छी तरह से साधन-सम्पन्न, मगर बिना तालीम और बिना सेनापति की, दस हजार सिपाहियों की सेना नही, और दूसरी तरफ अकेले हजार ही सिपाहियों की फौज हो परंतु वह अच्छी तालीम पायी हुआ और कुशल सेनापति के नेतृत्व में हो, तो इतिहास में ऐसे कभी असाधारण पाये जायेंगे कि जहाँ छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। हिन्दुस्तान में कितनी ही लड़ाइयों में अहिंसा कारणों से अजेयों की जीत हुआ थी। फिर, बहादुरी भी कौसी सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है। 'प' 'फ' 'ब' 'म'-सभी थोड़े थोड़े बहादुर भले ही हों, लेकिन अगर वे चारों लड़ाई की तालीम प्राप्त करें और कुशल सेनापति के नेतृत्व में अकेले हो लड़ें तो अर्थात् बहादुरी का जोड़ सिर्फ शौगुना ही नहीं, बल्कि कौसी गुना ही जायगा। इसके विपरीत वे व्यक्तिगतरूप से बड़े ही शूरवीर क्यों न हों, फिर भी अगर हर अकेले आदमी अपने घमंड के खुमार में रह कर ही लड़ना पसन्द करे तो व्यक्ति के नाते बढ़िया पराक्रम दिखाने पर भी वे हारेंगे और अर्थात् कुल पराक्रम पहले चार की अपेक्षा कम होगा। शायद अकेले असेमैं से ना-हिम्मत भी हो जायगा। मतलब यह कि जिस तरह हिंसा

का भी अकेले विज्ञान है और असेमैं अनुकूल असेमैं विकास करना पड़ता है। सब लड़ाई जातियाँ असेमैं बात को अच्छी तरह समझती हैं और असेमैं लिये तरह तरह के असेमैं से युद्ध-विज्ञान का विकास करने के लिये सैकड़ों वर्षोंसे मिहनत असेमैं गयी है।

जिस तरह अकेले हिंसा-परायण समाज को लोगों में बचपन ही से हिंसक वृत्ति पैदा करने, बड़ी असेमैं में लड़ाई की तालीम देने, और जंग के समय असेमैं संगठित करने की जरूरत होती है और असेमैं असेमैं असेमैं व्यवस्थित शास्त्र बनाना पड़ता है, असेमैं तरह अकेले अहिंसा-परायण समाज को भी अपने लोगों में बचपन से अहिंसावृत्ति का पद्धतिपूर्वक विकास करने, असेमैं तालीम देने और जब प्रसंग असेमैं हो तब असेमैं संगठित करने की जरूरत है। परंतु यह बात अहिंसकों के खयाल में भली भाँति आयी नहीं है। असेमैं अहिंसा में ने आम तौर पर अकेले की और निवृत्तिमय जीवन बिताना ही पसंद किया है। निवृत्ति में नम्रता, अभिमानशून्यता, अपमान, बलात्कार आदि को जानबूझ कर तितिक्या बगैरे अहिंसापोषक वृत्तियों को बढ़ाने का प्रयत्न ज्यादा आसान होता है। प्रवृत्तिमय जीवन में यह साधना कठिन होती है। असेमैं योग्य तालीम के अभाव में जब प्रवृत्तिमय जीवन बितानेवाले अहिंसक लोग असेमैं वृत्तियों के अनुकूल बर्ताव करने लगे तब असेमैं कुछ विपरीत परिणाम निकले। असेमैं विपरीत परिणामों को हम 'बनियागिरी' के तिरस्कार-सूचक नाम से पुकारते हैं। असेमैं शब्द से असेमैं शरीर को मय हो असेमैं किसी भी प्रकार के साहस के प्रति असेमैं, मय-स्थानों का दूर ही से त्याग, शरीर और संपत्ति बचाने के लिये चाहे कितनी अपमानकारक

स्थिति में रहने की तैयारी-वगैरा कायरता के गुणों का समावेश किया जाता है। निवृत्ति में रहनेवाला अहिंसक यह चिन्ता करता है कि दूसरे की हिंसा न हो, लेकिन प्रवृत्ति में पड़ा हुआ अहिंसाधर्मी खुद अपने शरीर की हिंसा न हो इस तरह अपने जीवन की रचना करता है। भय से दस कोस दूर रह कर ही वह अपना अहिंसा-धर्म संभालता है। असिका नतीजा यह हुआ है कि अहिंसक को चाहे जो नमाचा जड़ दे, गालियाँ दे दे या लूट ले, वह 'बेचारा' बन कर चुप रहता है।

मगर, प्रवृत्ति-परायण अहिंसा-धर्मी का ऐसा स्वभाव होते हुए भी उसे संसार में टिकने की अच्छा तो है ही। असिलिअे बाहर से अहिंसा का त्याग किये बिना सूक्ष्म हिंसा करने की कुछ रीतियाँ उसने खोज ली हैं। खेती, गोपालन और (विशेष कर) व्यापार के द्वारा धन बढ़ाने की कला में उसने निपुणता प्राप्त की है। और उसमें हिंसा का गुमान करनेवाले को उसके मिथ्याभिमान द्वारा ही मिठास के साथ लूटने, बिना खून बहाये ही खून चूसने, कुटिल-नीति से परास्त करने और व्यक्तिगत कम-खर्ची तथा हिंसात्री दान करने की युक्तियाँ निकाली हैं। अिन सबका भी बनियागिरी में ही समावेश होता है। असि प्रकार की बनियागिरी का आभास देनेवाली बहुतसी लोककथायें भी हैं। मतलब यह कि 'बनियागिरी' शब्द कायरता और चालबाजी का मिलाप बताता है। ये सब अहिंसा के व्यवस्थित विकास के अभाव के परिणाम हैं।

असिका हमें शोध करना होगा और जो लोग स्वभाव से, धर्म के संस्कार से, अपनी सारासार विवेक-वृद्धि से, या-आखिर-दूसरों द्वारा जबरदस्ती ही निःशस्त्र किये जाने से

अहिंसक बनकर रहे हैं, उन्हें अपनी अस अहिंसा का अके बल के रूप में परिवर्तन करने का विज्ञान निर्माण करना होगा। चेतन्य का यह स्वभाव ही है कि वह चाहे जितनी कठिन परिस्थिति में मूल स्वभाव को बिना छोड़े अपना स्वत्व बराबर बनाये रखने की, अपना संपूर्ण विकास सिद्ध करने की और अपने ध्येय को प्राप्त करने की अचूक पद्धति खोज सकता ही है। असि शोध में अपने मुख्य स्वभाव पर बिलकुल दृढ़ रहने के बजाय यदि वह उसे बदलने और दूसरे किसीके स्वभाव को अपनाने की व्यर्थ चेष्टा करता है तो अतनी हद तक अस खोज मे वह निष्फल होता है। चाहे आप डारनिन का 'अत्क्रांति शास्त्र,' क्रोपाट्-किन का 'संघर्ष या सहयोग ?' मैटरलिक का 'दीमक' या 'मथुमक्खी का जीवन' पढ़ें, या किसी भी प्राणी के जीवन का अवलोकन करें; आप यही पायेंगे कि चेतन्य की अस शक्ति के द्वारा ही अस संसार मे विविध प्रकार की योनियों के जीव अपना अपना जीवन टिका रहे हैं। 'जो लायक हो वह जीये' (सर्व-अिवल ऑव द फिटेस्ट) का मतलब 'जो शरीर से बलवान हो वही जी सकता है'—अितना संकुचित नहीं है। बल्कि, "अीश्वरदत्त प्रकृति का अके शक्ति के रूप में परिवर्तन करके जो अपनी परिस्थिति का सामना कर सकता है, वही जी सकता है"—अैसा अुदात्त ।

तात्पर्य यह है कि मुझे या मुझ जैसे दूसरे सबों को हमारे स्वभाव में वंशपरंपरागत अतरी हुआ अहिंसा का ही विकास करना चाहिये। असि अहिंसा का विकास कर स्वाभिमान, निर्भयता और सफलतापूर्वक हिल-वृत्ति के मनुष्य या प्राणी का सामना करने का मार्ग हमें खोजना चाहिये।

अिसी का अन्न आगे विचार करेंगे।

३. अहिंसा के प्राथमिक नियम

अहिंसा-विज्ञान की खोज में नीचे लिखी बातें, मेरी समझ में प्राथमिक नियमों के रूप में मानी जानी चाहिये।

(१) अहिंसा के ही विकास और संस्करण द्वारा शक्ति पैदा करने का हमारा निश्चय होना चाहिये। तात्कालिक लाभ-हानि की दृष्टि से हिंसा के तरीके आजमाने से या हिंसा-वृत्ति पैदा करने की चेष्टा करने से यह शक्ति अल्पन्न नहीं की जा सकती।

(२) अहिंसा का डरपोकपन, असाहस आदि से तलाक कराना चाहिये और बचपन से ही अहिंसक साहस और वीरता बढ़ाने के अपायों की योजना करनी चाहिये।

(३) अहिंसा का एक व्यक्तिगत गुण या विभूति के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति के रूप में विकास होना चाहिये। एक बुदाहरण दे कर यह समझाता हूँ। 'दूर-दर्शन', 'दूरश्रवण' आदि सिद्धियों योगाभ्यास की विभूति के रूप में कोश्री व्यक्ति प्राप्त करता है। यह प्राप्ति उसकी अपनी व्यक्तिगत ही रहती है। परंतु विज्ञान द्वारा प्राप्त तार, टेलीफोन, रेडियो आदि सिद्धियों सामाजिक हैं। अथवा एक दूसरा दृष्टान्त लीजिये। महामारत में मोहास्त्र, अग्न्यस्त्र, वरुणास्त्र आदि अनेक अस्त्रों का जिक्र है। ये सब अस्त्र मिन्न मिन्न मंत्रों के आधीन होने के कारण अिनका अपुपयोग अुसी व्यक्ति को हो सकता था जिसने वे मंत्र सिद्ध किये हों। परंतु आज के हिंसा के साधन वैज्ञानिक होने के कारण अुनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा समाजगत हैं। अिसी तरह जिस अहिंसा को हमें सिद्ध करना है वह किसी 'राग-द्वेष-विषाति रहित' 'पूर्ण',

'विरागी' पुरुष द्वारा सिद्ध किये अुअे गुण के रूप में नहीं; लेकिन सामाजिक जीवन व्यतीत करनेवाले, न्याय से मिलने लायक सांसारिक सुखों की अिच्छा रखने वाले, काम क्रोधादिक विकारों से कुछ न कुछ पराभूत होने वाले, और फिर भी स्वभाव और बुद्धि दोनों से शान्ति चाहने वाले, लोग जिस तरह रेडियो या फोन का अपुपयोग कर सकते हैं अुस तरह जिसका अपुपयोग कर सकें, वैसी अहिंसा सिद्ध करनी है।

(४) संगठन से पैदा होनेवाली हर एक सामाजिक शक्ति की एक मर्यादा हमें भूलनी न चाहिये। हमारा संगठन अिंसक हो या अहिंसक, एक हद तक अुसमें जान-माल का खतरा रहता ही है। जब हम फौज के द्वारा अपनी रक्षा करने की सोचते हैं तब हम यह अपेक्षा नहीं करते कि हमारे देश के एक भी व्यक्ति की मृत्यु के बिना और देश की कुछ भी हानि अुअे बिना ही अुसका बचाव हो जायगा। लेकिन अिस अ्रद्धा से हम अिन साधनों को अुटाते हैं कि थोड़ीसी हानि सहन कर लेने से बहुत बडा लाभ होगा; अथवा सर्वस्व-नाश से बचने के लिये अितनी हानि सहना अनिवार्य है। अहिंसक संगठन के विषय में भी अिसी तरह सोचना चाहिये। तब अुचित व्यवहार्य सवाल तो यह है कि समाज को अहिंसक संगठन से ज्यादा खतरा है या अिंसक संगठन से। यद्यपि अिसका निश्चित अुत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम एक निष्ठावान्, कुशल और तालीम-प्राप्त समाज निर्माण नहीं कर सके हैं; तो भी, अितना तो जरूर कह सकते हैं कि अिसमें

हमें और हमारे शत्रु को भी आधिक और शारीरिक क्लेशों का कम से कम खतरा है।

(५) आज की परिस्थिति में हमारे देश में एक हद तक अहिंसा और हिंसा को साथ साथ चलना होगा। संख्या में अहिंसक समाज बड़ा होने पर भी हिंसक समाज बिलकुल ही नगण्य नहीं है और वह साधनों से सुसंपन्न है। साम्राज्यवाद, वर्गविग्रह, आदि नामों से हम जिसे पहचानते हैं उसका सच्चा स्वरूप यदि देखा जाय तो हिंसा के सरंजाम से संपन्नता और उसका अभाव ही हिंसक और अहिंसक समाजों की परिस्थितियों के बीच का भेद है। जो लोग हिंसा के सरंजाम से संपन्न हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी चिन्ता करने की अहिंसक समाज को जरूरत नहीं। बल्कि जरूरत तो यह है कि अगर वह सरंजाम हमारे, याने अहिंसक समाज के, खिलाफ अस्तेमाल किया जाय तो वह निकम्मा किस प्रकार किया जा सकता है।

असिका ज्यादा स्पष्टरूप से विचार किया जाय तो शस्त्र, धन, शरीर-बल, अधिकार, अस्त्र, लिंग, कौम, विद्या, बुद्धि, धर्म या दूसरे किसी बल का उपयोग, जो लोग अज्ञान बलों से वंचित हैं, उनकी सेवा और भलाओं के लिये किये जाने के बदले जब अज्ञान कम-जोर लोगों का दमन करने के लिये किया जाता हो, तो अहिंसक समाज के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिये जिससे कि वह उस गलत रास्ते से जानेवाली शक्ति को निकम्मा ठहरा सके। याने निःशस्त्र, निर्धन, निर्बल, पराधीन, बालक, स्त्री, दलित, अनपठ, मंदबुद्धि, साधु आदि लोगों की वह विशेष परिस्थिति एक कमी के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में प्रकट होनी चाहिये। यह अनुभव तो थोड़ा-बहुत सभी को है ही कि बालक,

स्त्री और साधु अपनी स्थिति का शक्ति के रूप में सफल उपयोग कर सकते हैं। बाप दफा वह उपयोग शक्ति के भान से नहीं, बल्कि लाचारी की भावना से होता है। कभी कभी कपट से भी होता है। जिसलिये असमें गुस्सा, दुःख, दंभ, आदि दोष भी होते हैं। हमारा शायद अिस ओर खयाल नहीं गया कि मनुष्य-समाज में निर्बल, अपंग और निर्धन लोग अकसर अपनी अस कमी की बदौलत ही अपना जीवन टिका सकते हैं। सांग और निरोगी भिखारी की अपेक्षा अंधे, लूले-लंगडे, रोगी भिखारियों को क्यों ज्यादा दान मिलता है? चारों ओर बेकारी हो तो भी अिनकी यत्न व्यंगता ही अिन्हें जिलाने में समर्थ होती है। बहुतेरे भिखारी जानते हैं कि अपंगता भी एक शक्ति है। अिस लिये जानबूझ कर अपंग बनने, या अपने बालकों को अपंग करने की युक्तियां भी काम में लायी जाती हैं। लेकिन ये सब मार्ग अज्ञान और बेयथितक संकुचित दृष्टि से खोजे गये हैं। अुनका ज्ञानपूर्वक और समाजहित की दृष्टि से शोधन नहीं हुआ। फिर भी, अिन विकृत यथितयों की एक निश्चित अनुभव पर रचना हुआ है। वह यह कि प्रत्येक मनुष्य में कोमलता और समभाव होता है; दीन के प्रति बंधुभाव और आदरभाव होता है। जो अुसे जाग्रत कर सकता है वह जीवन में निम सकता है। कमी कमी असके बल पर अन्यायी और नाजायज मांगें भी पूरी करा ली जाती हैं। तब जहां अपने पक्ष में न्याय हो वहां सफलता के विषय में सन्देह की कम गुंजाअिश है।

एक उपमा दे कर अिसे स्पष्ट करता हूं। अहिंसक कलह अथवा सत्याग्रह एक पुरुष और असकी मानिनी स्त्री के झगडे की तरह है।

मानिनी अपने पति से रूठी है, लेकिन उसका स्वेष नहीं करती। अपने पति के अहित की बिच्छा तो वह तनिक भी नहीं कर सकती। उसका त्याग करने के लिये नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा वश करने के लिये वह उसपर रूठी है। लेकिन इसके लिये वह उसके पैरों पडना, आजिजी करना, भीख मांगना, या अपना स्वाभिमान खोना आदि उपाय नहीं करती। जिस मूल बात को पकड़ कर कि उसका पति उससे या वह अपने पति से प्रेम करती है, वह अपनी शक्ति प्रकट करती है। मतलब यह कि जिस बात को हमारा प्रतिपक्षी अंक विपत्ति या निःसहायता समझता है उसी को अपनी शक्ति बनाने में हमारी सफलता की कुंजी है।

(६) विप्रह चाहे हिंसक हो या अहिंसक, अन्त में जीत किस तरह होती है? शुद्ध द्वंद्व युद्धों के कुछ प्रसंग छोड़ दे, तो दूसरे सब झगडों के अवलोकन से पता चलेगा कि जीत का अन्तिम आधार किसी पक्ष का स्थूल बल नहीं, बल्कि जैसे जैसे विप्रह बढ़ता जाय वैसे वैसे प्रतिपक्षी के दिल में हमारी शक्ति के प्रति आदर और खुद अपने प्रति अश्रद्धा, या शंका आदि की वृद्धि है। अंग्रेज, देशी नरेश, या किसी कीम के हृदय में हमसे लड़ते हुए भी अगर हमारे प्रति आदर बढ़ता रहे, तो हम यह निश्चय मान लें कि अन्त में जीत हमारी ही होगी। मगर यदि अन्त के दिल में हमारे प्रति अनादर बढ़ता जावे तो, अकाध बार वे हमारी शरण में आ भी जायें तो भी, हमें समझना चाहिये कि वे फिर लड़ने खड़े होंगे। यह आदरबुद्धि हिंसक और अहिंसक साधनों के अनुसार अलग अलग निमित्तों से पैदा होती है। हिंसक साधनों

में जिन निमित्तों के जरिये स्वनाश का डर पैदा होता है अन्त के कारण आदर बढ़ता है। अहिंसक साधनों में हमारे चारित्र्य का परिचय होने से आदर बढ़ता है। 'आदर-बुद्धि' को संस्कृत में 'भय' भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिये 'अॉ' (Awe) शब्द है। इसी अर्थ में श्रीश्वर को 'भयानां भयं' कहा है; अर्थात् 'आदरणीयों के भी आदरणीय'। यही अर्थ जिस कहावत का भी है कि 'भीति बिना प्रीति नहीं'। आजकल हम 'भय' शब्द से सिर्फ 'आपत्ति का डर' ही समझते हैं। पर यह संकुचित अर्थ है। दशरथ-सा बाप और राम-सा पुत्र हो तब भी पुत्र के मन में पिता के लिये अंक तरह का आदर-युक्त भय रहता है। गुरु इनाम देनेवाले हैं, यह जानते हुए भी विद्यार्थी अन्त के पास जाने लगे अक्सर कांपता है। इस तरह अपनेसे श्रेष्ठ पुरुष के लिये आदर के कारण डर होता है। अंसा आदर-रूप भय होने में दोष नहीं है; और आखिर में इस प्रकार का भय ही कलह का अन्त करता है। इस अर्थ में 'भीति बिना प्रीति नहीं' वाली कहावत ठीक ही है। यदि कॉंग्रेस की ओर देखें तो साफ मालूम होगा कि जितने अंश में उसके प्रति विपक्षी या जनता के दिल में आदर है, अतनी ही उसकी शक्ति है।

मतलब यह कि हिंसक दल की तरह अहिंसा का ध्येय भी प्रतिपक्षी के दिल में आदर अत्यन्त करना है। इसके लिये शरीर, मन और वाणी का संयम, धन और स्त्री के विषय में अचूक शील, सरलता, अमुत्तता, प्रतिपक्षी को संपूर्ण अमयदान, अपने पक्ष के अनुशासन का अत्युत्कृष्ट पालन, अद्योगिता, विविध प्रकार के त्याग, कष्टसहन, आदि उसके

साधन हैं। और क्योंकि अिनमे पशुबल का त्याग है, अिसलिये ये ही अहिंसा के साधन हैं। अिसमें वाणी का जहर, गुप्त चालबाजी, प्रतिपक्षी को धोखा देने, डराने, परेशान करने आदि की हिकमते, आलस, चोरी, 'तिकड', स्वार्थसाधन आदि 'बाजियों' का प्रयोग सफल हो जाय तो भी ये सब छल-प्रपंच अनादर अुत्पन्न करनेवाले होने के कारण अिनसे अहिंसक युद्ध में आखिर हमारी ही हानि होती है। अिस तरह अहिंसक युद्ध में अुच्च चरित्र जीत के लिये अनिवार्य है।

(७) और अेक महत्त्व की बात यह है कि अहिंसक मार्ग पर रहनेवाले समाज को अपने मन मे यह खूब अच्छी तरह समझना चाहिये कि कितना ही बिकट और जीवनमृत्यु का विग्रह क्यों न हो, उसमें प्रतिपक्षी के अहित की अिच्छा नहीं की जा सकती। जिससे अुसके मन मे हमारे

प्रति क्रोध, तिरस्कार या बैर पैदा हो अैसी भाषा या व्यवहार लड़ाई के दौरान में भी नहीं किया जा सकता। अुसका जान-माल खतरे में है, अैसी दहशत अुसके दिल में नहीं पैदा की जा सकती।

(८) और आखिर में सब से बड़ी बात है, चैतन्य में श्रद्धा। सध बाह्य शक्तियों का अुद्भव चैतन्य से है, और अुसीमें अुनकी स्थिति है। बाह्य साधनों की बह माता है, और अुनपर प्रभुत्व रखती है। किसी भी परिस्थिति को वश करने के लिये आवश्यक-

रूप में बाह्य शक्ति प्रकट करने की वह क्षमता रखती है। जो अेकाग्रता से अुसकी खोज करता है, अुसके द्वारा वह प्रकट होती है, और फँलती है। हिंसक साधनों की खोज के लिये मेहनत अुठानेवालों के सामने अुन रूपों में वह प्रकट हुआ है। अहिंसक तप करनेवालों के सामने अुनके अनुकूल रूपों मे प्रकट होगी।

क्रान्तिकारक कार्यक्रम

जिन पांच तरीक़ीयों से शासकवर्ग ने आजतक सामान्य जनता पर अपना अधिकार चलाया है, अुसे नियंत्रण में रक्खा है और अुसकी प्रगति में अडगे डाले हैं अुन तरीक़ीयों को गांधी का कार्यक्रम निष्फल कर देता है। वे पांच तरीक़ीयें या हिकमते ये हैं: (१) धन, (२) शारीरिक हिंसा, (३) सामाजिक वर्गविभाजन तथा चापलूसी (४) दरबारी राजनीति (पार्लियेन्टारिज्म) और (५) बृहत् औद्योगिक संगठन। गांधी के कार्यक्रम का महत्त्व अिसीमें है।

—रिचर्ड बी. श्रेय

वर्धाशिक्षा के प्रयोग के भयस्थान

[दिलखुश व. दीवानजी]

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की ओर से बुनियादी तालीम की पहली परिषद पूना में अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में हुई। बम्बईसरकार ने इस परिषद को निर्मात्रित किया था और उसकी सारी व्यवस्था सरकारी शिक्षा-विभाग ने की थी। तालीमी संघ के सदर डा० जाकिर हुसेन की गैरहाजिरी में काश्मीर के डा० सैयदीन ने परिषद का अध्यक्षपद स्वीकार किया था। परिषद का चार दिन का कार्यक्रम बिलकुल सटा हुआ था। साथ साथ प्रदर्शनी भी थी।

परिषद में प्रतिनिधि और प्रेषक हाजिर थे। आजकल वर्धा-शिक्षा के प्रयोगों का संचालन मुख्यतः सरकारी-शिक्षा-विभाग के द्वारा होता है। अतः परिषद में आये हुए प्रतिनिधियों में से बहुत-से भिन्न भिन्न प्रान्तों के शिक्षा-विभागों से आये थे। गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, दिल्ली की जामिया-मिलिया आदि हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकर्ता भी आये थे। परंतु निबंध-बाचन, भ.षण और अनुसे अपस्थित होनेवाली चर्चाओं में मुख्य भ.ग शिक्षा-विभाग के प्रतिनिधियों ने ही लिया। जैसा कि पू० काका साहब ने लिखा है, "गांधीजी के राष्ट्रीय शिक्षण के प्रयोगों का निचोड़ वर्धा-शिक्षा की पद्धति में सन्निहित है। वर्धा-शिक्षण की सारी योजना और कल्पना सम्पूर्णरूप से राष्ट्रीय है अतना ही नहीं, अपितु वह योजना आज की शिक्षा में जड़मूल से क्रान्ति करने का प्रयत्न कर रही है। ऐसी योजना के प्रथम प्रयोग सरकारी शिक्षा-विभाग द्वारा हो रहे हैं, यह

अक नयी बात है। जिन शिक्षा-विभागों की कुछ ही वर्ष पहले हमारी राष्ट्रीय शिक्षा से सक्त नफरत थी अन्हीं विभागों में आज असी राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगतिमान और क्रान्तिकारी योजना के लिये अत्साह की अतनी बड़ी अमंग आयी है, यह कुछ अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता है।" परिषद की चर्चाओं में और भाषणों में इस अस्वाभाविकता की प्रतिध्वनि प्रतीत होती थी।

आचार्य कृपालानीजी ने परिषद के प्रारंभिक भाषण में और आखिरी अपसंहार में परिषद का ध्यान इस अस्वाभाविकता पर दिलाया। सरकारी शिक्षाविभागों की विशेषता यह रही है कि अउनके कर्मचारियों को 'चौखट की मनोवृत्ति' की आदन होती है। प्रचलित पद्धति में जब कोअी सुधार करना होता है तो ये कर्मचारी बाह्य परिवर्तनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं— जो हेरफेर करते हैं अउनमें क्रान्ति की दृष्टि कम होती है।

परिषद में अत्साह था। कुछ कर दिखाने की वृत्ति दीख पडती थी। अउसके पीछे काफी परिश्रम और माथापच्ची की गयी थी। वर्धाशिक्षा के भिन्न भिन्न अंगों की जो चर्चा हुई अउसमें से कअी बातें सीखने को मिलीं। परंतु मुझ जैसे को तो परिषद और प्रदर्शनी में वर्धा-शिक्षा के भयस्थानों का दर्शन ही अधिक हुआ। परिषद के अिन संस्मरणों में मैं मुख्यतः अिन भयस्थानों के विषय में ही कुछ लिखना चाहता हूँ। अिन संस्मरणों में यह दृष्टि रखने के लिये

में किसी अभिप्राय से प्रेरित हुआ हूँ कि ऐसा करने से वर्धा-शिक्षा के प्रयोगों में हम अधिक सचेत, सावधान और जाग्रत रह सकेंगे और महात्माजी की जिस भव्य क्रान्तिकारी योजना का रहस्य अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे।

(१) परिषद की चर्चाओं तथा अुसकी सारी व्यवस्था अेवं संचालन में जिस चीज ने मुझे बहुत अस्वस्थ कर दिया वह यह है :-

वर्धायोजना आज की शिक्षा में क्रान्ति करना चाहती है। यह कोई केवल पद्धति में परिवर्तन करने का प्रयोग नहीं है। डॉल्टन-प्रथा, मॉटेसोरी-पद्धति या प्रोजेक्ट-योजना से कुछ भिन्न प्रकार से वर्धा-योजना का विचार और आयोजन हुआ है। यह शिक्षा का विचार तो करती है, परंतु केवल शाला, महाविद्यालय, या विद्या-पीठों के विद्यार्थी और अध्यापकों का ही विचार नहीं करती। वह बालक के जीवन के समग्र विकास में जिस शिक्षा के प्रयोग दाखिल कराना चाहती है और अैसे प्रयोगों में शाला, समाज और कुटुंब को अेक शृंखला में जोड़ देना चाहती है। इसलिये न केवल आज की शिक्षा-पद्धति में ही, किन्तु बालक, माँबाप और शिक्षकों के जीवन में तथा समाज की सारी रचना में ही यह योजना क्रान्ति प्रकट करना चाहती है। दुःख की बात तो यह थी कि परिषद की कार्यवाही में और संचालन में अैसी क्रान्ति का धुंधला दर्शन भी नहीं हुआ। वर्धाशिक्षा ने अुद्योग को अपने बाहन के तौर पर स्वीकारा है। परंतु गांधीजी कभी बार जोर दे कर यह कहते आये हैं कि यह अुद्योग केवल दस्तकारी या ग्राम अुद्योग

ही हो सकता है। जिसका अर्थ यह होता है कि गांधीजी की ग्राम अुद्योग की समग्र प्रवृत्ति में जो ग्रामवृत्ति का आदर्श है अुसी आदर्श से वर्धा-शिक्षा के प्रयोग रंगे हुअे होने चाहिये। ग्रामवृत्ति का अर्थ है, ग्रामजीवन में समाये हुअे सादगी, परिश्रम और समभावना के तेजस्वी संस्कारों को प्रजाजीवन में फैलाने का प्रयास। परिषद की व्यवस्था में, अुसके संचालन में तथा चर्चाओं में जिस ग्रामवृत्ति का दर्शन कम से कम हुआ। परिषद पहली ही थी; अुसका संचालन शिक्षा-विभाग के हाथों में था और प्रतिनिधि भी मुख्यतः अैसे शिक्षा-विभागों के ही थे। इसलिये यह त्रुटि स्वाभाविक भले ही मानी जाये, परंतु यदि त्रुटि के विषय में वर्धाप्रयोग करनेवाले जाग्रत न रहेंगे तो पद्धति के बाह्य हेर-फेरों में ही अुसके आदर्श खो जायेंगे; जीवन और शिक्षण की भिन्नता जैसी की तैसी ही बनी रहेगी।

(२) वर्धा-शिक्षा के प्रयोगों के विविध अंगों पर चर्चाये हुअी। उनमें भी विषयों की पढाबी कैसी हो, अुद्योग की मारफत अमुक अमुक शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार दिया जाये, इसीपर अधिकतर जोर दिया गया। गांधीजी ने तो अुद्योग द्वारा शिक्षा देने के प्रयोग के लिये यह दावा किया है कि अुसमें बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। यदि जीवनविकास शिक्षा का अन्तरात्मा हो तो वर्धा-शिक्षा के प्रयोग में अुसकी साधना सर्वोत्तम प्रकार से होती है। परंतु अनुबन्ध और समन्वय का अुद्देश्य यदि केवल विषयों की शिक्षा देने का ही रहेगा तो बालक की शक्तियों का भ्रष्टा विकास अुसके

द्वारा होगा ही, यह सन्देहास्पद है। जब स्वामी भारतानंद ने अनुबन्धों के होनेवाले इस अतिरेक की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया तो उनके विचार कभी लोगों को खटके। परंतु उनकी चेतावनी में बहुत तथ्य था। बात ऐसी है कि आज की बुद्धिविलासी शिक्षा का मोह अमीतक नष्ट नहीं हुआ है और अद्योग द्वारा भी अिन्हीं विषयों की केवल शिक्षा देने के प्रपंच रचे जाते हैं। जिसमें बालकों की बुद्धि का विकास होगा ही, जिसका निश्चय नहीं है। परंतु बड़ा भारी भय तो यह है कि बालक की अनेकविध दूसरी शक्तियों के तथा उसके जीवन के अनेक संस्कारों के विकास के लिये जैसे विषय-प्रधान अनुबन्धों में बहुत कम अवकाश रहेगा। गांधीजी कभी बार कहते हैं कि वर्धायोजना, शिक्षा के क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग है। मानवजीवन में अन्तर्निहित अुदात्त भावनाओं और संस्कारों का विकास करने में आज की सारी शिक्षा निष्फल साबित हुई है। वर्धा-योजना इस संस्कारिता को शिक्षा का मुख्य अंग बनाना चाहती है। परंतु परिषद की चर्चाओं में शायद ही किसीने इस अति महत्त्व के विषय की ओर सहज भी ध्यान दिलाया होगा। स्वच्छता, राष्ट्रशक्ति, सेवाभावना, संयमी जीवन, व्यवस्थितता और सत्यनिष्ठा आदि अनेक संस्कारों का वातावरण वर्धा-शालाओं में किस परिमाण में निर्माण होता है, इस प्रश्न की तो चर्चा ही किसीने नहीं की। आज वर्धा-प्रयोगों में बड़ा खतरा तो यह है कि नयी शिक्षा के आदर्शों को मध्यबिन्दु में रखने के बदले पुरानी शिक्षा के, मुख्यतः केषल

जानकारी देनेवाले विषयों को अनुकूल हो इस ढब से, वर्धाप्रयोगों की रचना करने की घूम मच रही है। अद्योग द्वारा दी जानेवाली शिक्षा में अनुबन्धों का यदि यह अर्थ होनेवाला हो तो आज के बौद्धिक शिक्षण में और जैसे विषयलक्ष्यी अनुबन्धों में ज्यादा फल नहीं रहेगा।

(३) पाठ्यपुस्तकों के बारे में परिषद में जो चर्चाएँ हुईं अूनमें यह भय और भी स्पष्ट हुआ। वर्धाप्रयोगों की खूबी यह है कि अूनमें स्वाभाविकता 'अथ से अिति तक' रहती है। प्रसंगानुसार परिवर्तन करने की पूरी पूरी गुंजायिश्च अिन प्रयोगों के संचालन में रहती है। इसी लिये इसमें स्वाभाविकता की रक्षा हो सकती है। आज की शिक्षा का बड़े से बड़ा दोष यह है कि चीखटे और विशेष दुबम तथा परिपत्रों में अुसकी आत्मा का दम घुट जाता है। शिक्षकों की शक्ति के प्रति इसमें घोर अविश्वास है। इसका परिणाम यह निकलता है कि शिक्षा के इस चीखटे में नितान्त सामान्य और अल्प शक्तिवाले रद्दी शिक्षक भी निभ सकते हैं। इसीलिये आज की शिक्षा में शिक्षकों की स्वयंशक्ति का अपमान करनेवाली ढेर की ढेर पाठ्यपुस्तकों के किलों में शिक्षक निर्मल्य-शिक्षा के पाठ बालकों के मगज में ठूस रहे हैं। पाठ्यपुस्तकें तो बालकों, शिक्षकों, वातावरण और नित्य प्रति अुपस्थित होनेवाले प्रसंगों को भुला देती हैं तथा ज्ञान अेवं शिक्षा को यांत्रिक बना देती हैं। वर्धायोजना की अपेक्षा यह है कि शिक्षक ही निर्दतर अक जीवित और जाग्रत पाठ्यपुस्तक बना रहे। परंतु कहीं कहीं ऐसी प्रवृत्ति बीख पडती है कि अमुक शिक्षकों के अनुभवों को पाठ्यपुस्तकों में सेलनबद्ध

कर दिया जाये और दूसरे शिक्षकों से आग्रहपूर्वक अनुरोध कराया जाये। पाठ्यपुस्तकों और चीखट्टे के अनुकूल दूसरे साधन जिस दिन वर्धाप्रयोगों में प्रविष्ट हो जायेगे उस दिन जिस नयी शिक्षा का मूल्यांकन घंटा बज जायेगा, उसमें शंका नहीं है।

(४) शिक्षकों की तालीम का संगठन किस प्रकार किया जाये, इसके विषय में परिषद में सबसे अधिक चर्चा हुई। परंतु इसमें भी पाठ्यक्रम में मूलवस्तु को भुला ही दी गयी थी। शिक्षकों को कितने वर्ष तक तालीम दी जाये, उसके कुछ खंड किये जाये या नहीं, अध्यापन मन्दिरों में कितना समय दिया जाये—आदि प्रश्नों को बहुत महत्त्व दिया गया। परंतु शिक्षकों का चरित्र—अनके जीवन का रहन-सहन और संस्कारिता के विषय में तो किसीको कुछ मूसता ही नहीं था। शिक्षक में शिक्षक-वृत्ति, बालक-प्रेम, सत्य-निष्ठा, सेवाभाव, संयमी जीवन की आदतें, आदि के लिये योग्य वातावरण अध्यापन-बर्गों में किस तरकीब से निर्माण किया जाय, यही अनकी सारी तालीम का मुख्य और महत्त्व का प्रश्न है। परंतु इसकी किसीको खास चिन्ता नहीं थी। शिक्षकों को खादी और ग्राम-अध्योग को अपने जीवन में कौन-सा स्थान देना चाहिये, कुटुंब में तथा शाला में प्रेमधर्म के प्रयोगों द्वारा विश्वास और प्रामाणिकता का वातावरण किस प्रकार निर्माण करना चाहिये—अन्हीं प्रश्नों का वर्धा-शिक्षण की तालीम में प्रधान स्थान है। परंतु तो भी परिषद ने बहुत-सा वक्त तालीम की फुटकर तफसीलों की बहस में ही जाया किया।

(५) परिषद की चर्चाओं में वर्धा-शिक्षा के प्रयोगों की दूसरे महत्त्वपूर्ण पहलुओं की तो सर्वथा उपेक्षा की गयी। आज की शिक्षा ने शिक्षितवर्ग को उसके कुटुंब और गांव से बिलकुल अलग ही नहीं कर दिया, वरन वह उस वर्ग में कुटुंब-द्रोह और समाज-द्रोह की मलिन प्रवृत्तियां ही बढ़ाती जा रही है। ग्राम-अध्योग तथा बालकों के सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण को शिक्षा के साधन बना कर वर्धायोजना ने कुटुंब, गांव और समाज के वातावरण को बालक की शिक्षा के अधिक से अधिक अनुकूल बनाने पर खास जोर दिया है। शिक्षक बालकों के मौ-त्राप के संसर्ग में अधिक से अधिक आवें इस बात पर तो परिषद में मानो किसीको कुछ कहना ही नहीं था। वर्धाशालाओं में पढ़नेवाले बालक आने घरों में अधिक उपयोगी किस प्रकार हो सकते हैं, यह विषय बड़े महत्त्व का है। लेकिन इसके बावजूद भी परिषद ने उसकी कुछ भी चर्चा नहीं की।

परिषद का वातावरण अंग था। उससे यह स्पष्ट दिखायी देता था कि वर्धा-शिक्षा के आदर्शों को शिक्षा की चिल्लर तफमील में भूला दिया जाता है। शिक्षक और शिक्षकों के अध्यापनवर्ग के संचालक यदि वर्धा-शिक्षा के अिन भयस्थानों के विषय में सतर्क नहीं रहेंगे तो महात्माजी का यह महान प्रयोग शायद ही सफल हो।

(गुजराती 'शिक्षण और साहित्य' से)

खादी,—अहिंसा का शरीर

[हरिभाऊ अुपाध्याय]

मैंने कभी बार अपने व्याख्यानों और चर्चाओं में यह कहा है कि महात्मा गांधी की संसार को दो देनों सबसे बड़ी है। अेक अहिंसा और दूसरी खादी। अिधर महात्मजी यह समझाने का प्रयत्न जोरों से कर रहे हैं कि खादी अुनके नजदीक अहिंसा का प्रतीक है। अिसे हम समझने का यत्न करें। अहिंसा यदि आत्मा है तो खादी अुसका शरीर है। अहिंसा की जो भावना हमारे अन्दर है, अुसे यदि सामाजिक रूप में हमें प्रकट करना है तो हम खादी के रूप में जितनी अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं, अुतना दूसरी तरह नहीं।

हिंसा के दो मुख्य लक्षण हैं—अेक, जो वस्तु न्यायतः हमारी नहीं है, अुसका अनुचित अुपयोग करने की भावना, दूसरे बैर रखने या बदला लेने की भावना। समाज में पहली अर्थात् शोषण करने की भावना ने जितना अनर्थ किया है, समाज की व्यवस्था पर जितना बुरा असर डाला है और समाज को जितना प्रभावित कर रक्खा है, अुतना बैर या बदला लेने की भावना ने नहीं। बल्कि अधिक गहरा विचार किया जाय तो मालूम होगा कि अिस शोषण-वृत्ति में से ही बैरवृत्ति का जन्म होता है। अिसलिये यदि समाज से बैरभाव अर्थात् शत्रुता और प्रतिहिंसा का भाव मिटाना है तो हृदय से शोषण के भाव को ही नष्ट करना होगा। और यदि समाज में से हिंसा को नष्ट करके अहिंसा को प्रस्थापित करना है तो शोषण के हर रूप को हर स्थान से हटाने का दृढ़ प्रयत्न करना होगा। और यह काम हम खादी के द्वारा जितनी आसानी से

कर सकते हैं, अुतना और किसी तरह से नहीं।

‘खादी’ का यहां व्यापक अर्थ लेना चाहिये। खादी के लिये न बहुत पूंजी, न बहुत श्रम-संग्रह की जरूरत है। जहांकहीं संग्रह या परिग्रह की भावना है, वहां किसी न किसी रूप में शोषण को विद्यमान ही समझिये। ‘खादी’ थोड़े रुपये में, थोड़े साधनों से, थोड़ी जगह में बन सकती है और मेहनत और मजदूरी का बटवारा अैसे स्वाभाविक क्रम से और न्यायपूर्वक हो जाता है कि किसीको किसीका शोषण करने की सहसा गुजाअिश्च नहीं रह जाती। यदि ‘खादी’ की व्याख्या कपडे तक सीमित न रख कर तमाथ हाथ से बनी चीजों तक मान ली जाय, तो आधिक शोषण का प्रश्न बहुत आसानी से हल हो सकता है। क्योंकि खादी में जो अुसूल है, वह वास्तव में हाथ-परिश्रम से तैयार किये माल को अिस्तेमाल करना है। मशीन से माल तैयार करने की भावना की जड़ में धनसंग्रह की लालसा के सिवा और कुछ नहीं है। अगर जनता की, या बनानेवाले की, सुख-सुविधा की ही भावना अुसमें हो तो वह ‘खादी’ और ‘खादी के अुसूल’ से ही पूरी हो सकती है, मशीन और मशीन के अुसूल से किसी प्रकार नहीं।

प्रत्येक भावना की कोअी स्थूल कसौटी होनी ही है। कोई भावना जब तक अमूर्त रहती है, तब तक न वह जानी जा सकती है, न अुसका कोई सामाजिक मूल्य ही है। आपके मन में अहिंसा की भावना है, अुसका परिचय आप संसार को कैसे देंगे? अुससे

समाज को लाभ कैसे पहुंचावेगे। इसके लिए आपको कुछ नई कार्य और व्यवहार करने पड़ेंगे। हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में तीन प्रकार से हम अपनी अहिंसा की भावना अच्छी तरह और उपयोगी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। अंक, कीर्मी समता के लिए प्रयत्न करके, दूसरा, हरिजनों की सेवा करके और तीसरा, खादी को अपना कर और चरखा कात करके। कोअी भावना तभी उपयोगी हो सकती है, जब वह अंसे रूप में प्रकट हो, जिससे देश और समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता या अभाव की पूर्ति होती हो। हिन्दुस्तान में इस समय ये तीन सबसे बड़ी आवश्यकतायें हैं। मगर न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से खादी सम्बन्धी आवश्यकता सर्वोपरि है और इसीलिए गांधीजी इस बात पर सबसे अधिक जोर दे रहे हैं। इस महत्त्व को ध्यान में रख कर ही मैं कहा करता हूँ कि खादी गांधीजी की संसार को अंक महान देन है।

खादी हिन्दुस्तान में पहले भी थी, पर अम समय वह महज अंक कपड़ा थी। आज वह अंक भावना है, अंक अमूल है; और इस रूप में वह महान देन है। गांधीजी ने अब तमाम कॉंग्रेसजनों से चाहा है कि वे चरखा कातें। अन्होंने जिस तरह खादी के महत्त्व को समझा है, उसे देखते हुए जिस दिन अुनका बस पड़ेगा, उस दिन वे असे सबके लिए अनिवार्य कर दें तो आश्चर्य नहीं। यदि हिन्दुस्तान से ही नहीं, संसार से, शोषण को खत्म करना है, तो हिन्दुस्तान को ही नहीं, सारी दुनिया को अंक दिन खादी की योजना स्वीकार किये बिना गति नहीं। रजतन्त्र समझे जानेवाले यूरोपीय राष्ट्र के सामने जो संकट आज मुह बाये खड़ा है, और जिसमें सबको भारी विनाश होता दिखायी पड़ता है, उसकी पुनरावृत्ति जो नहीं चाहते अन्हें खादी के अमूल को, अर्थान् अहिंसा की भावना को, अपनाये बिना दूसरा रास्ता ही नहीं है।

पोशाक वृत्ति का द्योतक है

इसी गुण में खादी का महत्त्व है। जमानों तक सभी देशों में कपडे की किस्म और उसके सिलाने की तर्ज असे पहननेवाले स्त्री और पुरुषों की सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक रहा है। मनुष्य का भेष और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में यह जो चिर-साहचर्य रहा है असे कारण हिन्दुस्थान में खद्दर को सामाजिक और राजनैतिक महत्त्व प्राप्त हुआ है। खद्दर पहनने का यह मतलब है कि खद्दरपोश या तो अंक गरीब किसान है, या कॉंग्रेस के द्वारा भारत की गरीब जनता के साथ सहानुभूति रखनेवाला है। खादी पहनना स्वतंत्रता का अंलान है। देश की भीतरी शक्ति का, आत्म-निर्भरता का और विनयशीलता का प्रतीक है।

—रिचर्ड बी. ग्रेग

आकाशदर्शन

[काका कालेलकर]

(१)

सर्वोच्च के प्रथम वर्ष में आकाश की ज्योतिषों के बारे में मैंने 'देवों का काव्य' शीर्षक पांच लेख लिखे थे और यह महत्वाकांक्षी रक्खी थी कि आकाश की ओर देखनेवालों को केवल वर्णन-मात्र से आकाश के मुख्य मुख्य तारों का परिचय करा दूंगा। परन्तु कभी मित्रों ने लिखा कि जिस तरह से सारी बातें ध्यान में नहीं आतीं। अब की बार मानचित्र देते ही लोगों का ध्यान इस ओर गया है। पाठक कृपया ये मानचित्र सम्हाल कर रखें। जिन्होंने खो दिये हों वे ढाभी आने के टिकट भेज कर फिर से मंगवा सकते हैं। आगे भी समय समय पर नये नये मानचित्र दिये जायेंगे।

अब अिन मानचित्रों द्वारा ज्योतिषों से परिचय किस तरह किया जा सकता है, यह मुझे बताना है। दक्षिण ध्रुव के मानचित्र की बात अगले अंक में करूंगा। इस वक्त आकाश के ब्रह्महृदय, रोहिणी, बाणराज, (मृग का अंक पांव) व्याघ्र, प्रश्वन् और पुनर्वसु अिन छः तारों के दिव्य पट्टकोण का जो मानचित्र दिया है, उसीके बारे में थोड़ा कहूंगा।

पृथ्वी के किसी भी देश के नक्षत्रों में अपूर अुत्तर, नीचे दक्षिण, पाठक की दक्षिणी ओर पूर्व और बायीं ओर पश्चिम दिशाएँ होती हैं। आकाश का नक्षत्र जिससे अुलटा होता है, यह बात इस नक्षत्र को छत की ओर पकड़ कर पाठक आसानी से समझ सकते हैं।

अब जिस दिशा की तरफ हम मुंह करके आकाश देखते हैं उस दिशा को नक्षत्रों में नीचे करके आराम कुर्सी पर लेट कर आकाश देखना

चाहिए। जो नक्शा दिया है उसका आकाश में देखने का समय भी जानना चाहिए। जनवरी के प्रारंभ में रात को ११-१५ और ११-३० के बीच आकाश में तारों की जो स्थिति होगी वही इस नक्षत्रों में बतायी गयी है। आज जो तारे आकाश में जैसे दीख पड़ते हैं वैसे ही कल चार मिनट जल्दी दीख पड़ेंगे। इस हिसाब से ८ जनवरी को यह नक्शा १०-४५ बजे काम आयेगा और पंद्रह जनवरी को १०-१५ के करीब काम आयेगा। बासीस-तेसीस के करीब ९-४५ को इसे हाथ में ले कर हम आकाश देख सकेंगे और जनवरी के अन्त में यही नक्शा ९-१५ के करीब काम देगा। फरवरी में पाठक इससे अधिक लाम अुठा सकते। क्योंकि फरवरी में क्रमशः ९-१५ से लेकर ७-३० तक हम इसे देखने के लिये काम में ला सकते हैं।

यह हो गयी समय की बात। पाठक सबसे पहले दक्षिण की ओर मुंह करके वहाँ अत्यंत अुज्ज्वल तेज से चमकते हुए अंगरसि को प्रथम प्रणाम करें। अगस्ति अूपि ने जय विध्य और सातपुडा के पहाड़ लाने का प्रथम प्रयास किया तब यही तारा अुनके सामने रहता था इसलिये इस तारे को 'अगस्ति' ही नाम दिया गया है

अगस्ति मुनि आकाश में आहिस्ता आहिस्ता दक्षिण-पश्चिम की ओर जाते हैं और अुनकी झोंपड़ी (या आश्रम कह लीजिये) अुनके पीछे पीछे आती है। झोंपड़ी ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है त्यों अुसकी जमीन पश्चिम की ओर दबती जाती है और पूरब की ओर अुंची होती जाती

है। यह कैसे होता यह अगर देखना है तो दक्षिण के मानचित्र को कार्डबोर्ड की तर्ली पर रख कर दक्षिण ध्रुव-बिन्दु पर एक अल्पीन (कील) लगा कर कागज को घुमा दीजिये। इस झोंपड़ी के जर्मन का जो तारा अगस्तिके बिलकुल नजदीक है वह बिलकुल मन्द है। उसके अूपर का अुससे कुछ बड़ा है। अुसमें बड़ा है छपर के अूपरवाला तारा। इसके जाने वाला ओलनी का तारा अुसमें भी अतिक्रमवन्त है; और फिर जमीन का आग्नेय दिशा का तारा अुसमें भी बढ़ कर है। इस तरह यह अुनोरोल्टर बढ़ने वाले प्रकाश के तारों का एक पंचकोण है। झोंपड़ी के अंदर दो दीवारों के बीच छपर में लटकता हुआ एक तारा दीये का काम करता है, अुसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। अगस्तिके और अुसकी झोंपड़ी सत्रम पङ्कले देखने के लिये अिमलिभ्रे कहा कि थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी अपने ठिकाने पर नहीं रहेगी।

दक्षिण की अिम झोंपड़ी को देख कर हम पश्चिम की ओर झुके। अगर ठीक समय पर पश्चिम की तरफ देखने तो वहाँ पर भाद्रपदा का बड़ा चतुष्कोण पूरा पूरा देखने में आयेगा। अुसके अूपर अश्विनी के तीन तारे दीख पडेगे। दो बडे और एक छोटा। अुसके अूपर कृत्तिका के छः तारों का एक छोटासा और नयनमनोहर गुच्छा दीख पडेगा।

अश्विनी और कृत्तिका के बीच, किन्तु कुछ अुत्तर की ओर झुका हुआ एक छोटासा और बिलकुल मन्द त्रिकोण दीख पडेगा। वह है भरणी नक्षत्र जिसपर पितरों का श्राद्ध होता है।

कृत्तिका के अूपर रोहिणी का कुछ तिरछा सा γ अुड रहा है। γ के प्रारंभ में जो तारा

है वह सबसे बड़ा है। सारे γ को रोहिणी कहते हैं। अुसके अुस अुज्ज्वल तारे को रोहिणी का योगतारा कहते हैं। रोहिणी का γ का आकार देख कर प्राचीन लोगों ने अुसे वल्मीक (बमीठा) की अुपमा दी है। चन्द्र लोगों ने अुसमें गाडी की बैठक की कल्पना की है। 'रोहिणी शकटाकारा'।

यहाँ से हमारे दिव्य पट्कोण का प्रारंभ होता है। दाहिनी ओर ब्रह्महृदय और बायीं ओर मृग का पिच्छला पांव बाणराज; बाणराज के अूपर आकाश का सबसे बड़ा तारा व्याध; ये सब आसानी से दीख पडते हैं। व्याध और रोहिणी के योग-तारे के बीच मृग के पेट में घुसा अिपत्तिकाइ बाण हम देख सकते हैं। व्याध की दाहिनी ओर, यानी अुत्तर की ओर, प्रश्वन् मिलेगा। प्रश्वन् आकाश की पुनर्वसु की किशनी का शिरोभाग (मोहरा) है। प्रश्वन में लेकर छह तारों की जो गोल रेशा होनी है वही हमारी किशनी की रीठ है। यहाँ पर पुनर्वसु के दो तारे हैं और नीचे ब्रह्मपङ्कल के अूपर का योग-तारा (ब्रह्महृदय का तारा) इस पट्कोण को पूरा कर देता है।

हम कहीं भी खडे हो जावें, आकाश का जो बिन्दु हमारे ठीक सिर पर आता है अुस बिन्दु को हमारी परिभाषा में ख-स्वस्तिक कहते हैं। ख-स्वस्तिक कोभी तारा नहीं है, केवल एक काल्पनिक बिन्दु है। और वह हमारे सिर पर ही रहने के लिये बांध्य है।

अब हम अुत्तर की ओर अपना मूढ़ करें और नक्षत्रों में जहाँ अुत्तर लिखा है अुस छोर की नीचे रख दें। अब हमारे सामने कुछ बायीं तरफ आकाश में कुछ तारों की एक M जैसी आकृति बनी हुयी हम देखेंगे। अिसका आकार देखते ही हम अुसकी अेक

झूलती आराम कुर्सी (रॉकिंग बीजी चेअर) बना सकते हैं। जिस पर बैठ कर अिसे अपना यान बनाकर देव आराम कर सकते हैं। जिस देवयानी को अंग्रेजी में कॅस्योपिया कहते हैं।

[पाठक ज्योतिष के अन्य देशी ग्रंथों में कॅस्योपिया का नाम देवयानी नहीं पायेगे; किन्तु शर्मिष्ठा पायेगे। यह नाम पुराना नहीं है। महाराष्ट्र के ज्योतिषी श्री बालशास्त्री जांभेकर ने कभी अंग्रेजी नामों के प्रतियोगी देशी नाम रख दिये। परस्पूस, अँड्रोमिडा और कॅस्योपिया की कथा सुन कर अन्होंने यथाति, देवयानी और शर्मिष्ठा ये नाम रख दिये। हमारी पीराणिक वार्ता में शर्मिष्ठा का महत्त्व कम है। कवियों का ध्यान देवयानी की ओर ही अधिक गया है। आकाश में कॅस्योपिया का नक्षत्र-मंडल अितना स्पष्ट और सुंदर है कि अुसको देवयानी कहना चाहिअे। और वह देव-यान तो है ही।]

अगस्ति-Canopus
भाद्रपदा-Pegasus
अश्विनी-Hamul
भरणी-Musca
कृत्तिका-Pleiades
(रोहिणी योग तारा)-Aldeberonm
मृग-Orion
बाणराज-Rigel
अर्द्रा-Betelgeuse
श्याम-Sirius
प्रशवन्-Procyon
पुनर्वसु-Castor and Pollaus
ब्रह्महृदय-Capella
ख-स्वस्तिक-Zenith
ध्रुव-Pole Star

देवयानी और सप्तर्षि आकाश में हमेशा अुत्तर ध्रुव के आमनेसामने रहते हैं। जब देवयानी अुपर चढ़ती है तब सप्तर्षि क्षितिज के नीचे डूब जाते हैं। पाठक देखेंगे कि अिन दिनों देवयानी की आराम कुर्सी धीमे धीमे पीछे हटती है और सप्तर्षि अुसी क्रम से अपना शिर अूँचा करते जाते हैं।

अबकी बार अितनी बातें काफी हैं। किसी अगले महीने में ब्रह्ममंडल की हंडी, पुनर्वसु की किशती, मृग की चमडी, व्याधवाला कुल्ता, अित्यादि नक्षत्रों के विस्तृत चित्र दिये जायेगे। अिसी लेख के अंत में पाठक अिन सब तारों के और नक्षत्रों के अंग्रेजी नाम भी पायेगे। अिनके पास ज्योतिष की अंग्रेजी किताबें और नक्शे हैं वे अिन नामों से लाभ अुठा सकते हैं। दिये अुअे दो नक्शों की मदद से पाठक आकाश का दर्शन करते जायें और जो बात ध्यान में न आवे अुसके बारे में मुझे पत्र लिख कर पूछें।

सप्तर्षि-Great Bear
ध्रुवमत्स्य-Little Bear
द्वापर ध्रुव-'Tuban
वशिष्ट-Mizar
अरुंधती-Aloor या Saidak
शर्मिष्ठा-Andromeda
देवयानी-Cassiopeia
मघा-(Leo)
मघा(योगतारा)-Regulus
फाल्गुनीयोगतारा-Denebola
अेकाकी-Alfard
बरेण्यकेषा-Coma Berenices
कॅरेना-False Cross
यमुना-Achernar
याममत्स्य-Fomalhaut

ब्राह्मे मुहूर्ते दक्षिण की ओर

आज तारीख २२ दिसम्बर को यह लिख रहा हूँ। सुबह की प्रार्थना पूरी करके साढ़े पाँच बजे आकाश देखा। दक्षिण की ओर मुहूर्त करके खड़ा हूँ। यहाँ से दाहिनी ओर याने पश्चिम में व्याध का कुत्ता (Canis Major) क्षितिज के नीचे डूबने की तैयारी कर रहा है। आगे का पाँव क्षितिज तक पहुँच गया है। दुम सीधी रह कर कुत्ते का आवेश बता रही है। पिछला पाँव अँचा का अँचा ही है। अधर बाये हाथ (पूर्व की ओर) बुध काफी अँचा आगया है। उसके नजदीक वृश्चिक राशि के बिच्छू का पेट, याने ज्येष्ठा नक्षत्र, अपने मध्य तारा पारिजात की लाल छटा दिखा रहा है। मुँह पूरब की तरफ करने से अपूर हस्त नक्षत्र आकाश पर पाँच अँगुलियों का छाप लगता हुआ दीख रहा है। उसके नीचे चित्रा है (जो कन्या राशि का शिर है)। इस चित्रा के बायें, याने अत्तर की ओर, स्वाति का बड़ा तारा हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसे छोड़ कर हम वापस चित्रा के पास आवें। चित्रा के नीचे विशाखा के दो तारे हमने देख लिये हैं। उसके बाद अनुराधा के चार तारे भी हम देख चुके हैं। उसके नीचे ज्येष्ठा के तीन तारे खड़े हैं। बीच का पारिजात थोड़ीसी लाल छटा दिखाता है। मानों हर-सिंगार का फूल ही है। उसके बाद बिच्छू का डंक-मल नक्षत्र-अग्ने की है। किन्तु क्या किया जाय? अषाके तेज में वह ठँक गया है।

जब तक भृगनक्षत्र कुत्ते के डर से पश्चिम के क्षितिज के अंदर डूब नहीं जाता तब तक पूर्व की ओर वृश्चिक अगता नहीं। गौव के

बुड़े लोग कहते हैं 'वृश्चिक का दंश हो गया इस लिये मृग मर गया'।

सीधे दक्षिण की ओर अगस्त कब का डूब गया है। उसकी झोंपड़ी भी करीब करीब ओझल हो गयी है। झोंपड़ी के पीछे केरीना आता है जिसे अंग्रेजी में फॉल्सक्रॉस भी कहते हैं। हम इसे पश्चिमी क्रूस कहें। इसके बाद सदर्न क्रॉस, याने त्रिशंकु आता है। यह सच्चा क्रॉस है। अगर केरीना पश्चिम क्रूस है तो यह त्रिशंकु पूर्व क्रूस वहलाना चाहिये, हालांकि है तो दोनों दक्षिणी ही। इस त्रिशंकु के शिर पर दो नारे लटकते हैं। किन्तु उनका महत्त्व नहीं है। त्रिशंकु की दाहिनी ओर, याने हमारी बायीं ओर, पूर्व की तरफ दो चमकीले तारे हैं जिन्हें जय-विजय कहते हैं। इन दोनों की भुगली त्रिशंकु का निर्देश करती है, इस वास्ते अंग्रेजी में अिन्हें पॉइन्टर्स कहते हैं। इनका शास्त्रीय नाम है आल्फा सेन्टॉरी, और बीटा सेन्टॉरी। जो तारा त्रिशंकु के पास और अँचा है वह है बीटा। जो पूर्व की ओर नीचे है वह है आल्फा। यह आल्फा अथवा जय, सूर्यनारायण का दोस्त है। क्योंकि हमारी सूर्यमाला से वह बिलकुल नजदीक है। उसका प्रकाश हमारे यहाँ चार साढ़े चार वर्ष के अंदर ही आ पहुँचता है।

जो दृश्य आज हमने साढ़े पाँच बजे देखा वह पाठक पाँचवी जनवरी को, याने पंद्रह दिन के बाद, सुबह साढ़े चार बजे देख सकेंगे और आज से भी अच्छी तरह देख सकेंगे, क्योंकि अुस वक्त अषा. का जोर कम हो गया होगा।

वर्धाशिक्षा का हार्द—अनुबन्ध

[काका कालेलकर]

काम करते-करते धन की जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे वैसे हम धन अकट्टा करते जायें और उसे खर्च करते जायें, यह स्वाभाविक स्थिति है। जैसे धन का कभी बोझ नहीं मालूम होता।

जितनी भूख लगी अतना ही खा लिया और काम करते गये, थक जाने पर कुछ आराम किया, फिर भूख लगने पर फिर खा लिया और फिर काम करने लगे, यह स्वाभाविक स्थिति है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शक्ति बढ़ती है, पुरुषार्थ सिद्ध होता है और पेट पर, खून पर, या दिमाग पर, कोभी बोझ नहीं पड़ता। मिताहार का यह रहस्य हर एक जानता है। मितधनार्जन का रहस्य अभी मनुष्य के ध्यान में नहीं आया है। इसलिये वह बिना सोचे-विचारे बेतहाशा धन कमाना जाता है और धन-रोग से पीड़ित रहता है।

पेट में अन्न ज्यादा ठूस लेने से वहां वह सड़ने लगता है और स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। जब मे बहुत ज्यादा धन भर देने से लूटने का डर पैदा होता है और दिमाग में धन का कृत्रिम खयाल जम जाने से दिमाग भी बिगड़ जाता है।

ज्ञान का जब अत्याहार होता है और अपच होता है तब उससे क्या क्या हानियां होती हैं, इसका खयाल मनुष्यजाति को अभी तक नहीं आया है।

आवश्यकता निरे ज्ञान-वृद्धि की नहीं; किन्तु जीवन-समृद्धि की है। जीवन जैसे जैसे समृद्ध होता जाता है, ज्ञान की भूख बढ़ती ही जाती है और इस तरह से जीवन-

समृद्धि के हेतु जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह बोझ-रूप नहीं होता; किन्तु जीवन-पुष्टि को, जीवन-तुष्टि को और पुरुषार्थ को बढ़ाता जाता है।

शिक्षा-शास्त्रियों पर यह बात बार बार प्रकट करने की आवश्यकता है, इसलिये इसकी पुनरावृत्ति की है। यह दृष्टि शायद बिलकुल नवीन है, इसलिये उसे बार बार दुहराना चाहिये।

आज तक के शिक्षा-शास्त्री मानते थे कि शिक्षा का अद्देश्य ज्ञानवृद्धि है। उसके बाद इस अद्देश्य में मुधार करके वे कहने लगे कि शिक्षा का अद्देश्य ज्ञान-समृद्धि तो है ही किन्तु उसके साथ साथ संस्कारिता बढ़ाना भी है; क्योंकि तभी जा कर मनुष्य प्रभावशाली बनता है और नेतृत्व के गुण प्रकट करता है।

जब राजसत्ता के दिन बीत गये और लोकसत्ता के दिन आये तो शिक्षा के अद्देश्यों में और एक बात जोड़ दी गयी। वह यह कि शिक्षा के द्वारा कौशल्य बढ़ना चाहिये और धनोपार्जन-वृत्तमता भी आनी चाहिये। इस परिवर्तन की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये। अद्देश्य में यह संशोधन होने के बाद से सफेद-पोशों की संस्कारिता की प्रतिष्ठा कुछ कम हो गयी है।

किन्तु अब हमें समझ लेना चाहिये कि शिक्षा का अद्देश्य प्रव्रानतया जीवन-सुद्धि और जीवन-समृद्धि ही होना बचित है।

“जीवन के लिये शिक्षा” नहीं; किन्तु “जीवन द्वारा शिक्षा और शिक्षा द्वारा

जीवन"—ही हमारा सूत्र होना चाहिये।

विद्यामंदिर में दया पढाया जाता है यह सवाल अतने महत्त्व का नहीं है जितना कि विद्यामंदिर में कैसा जीवन जीया जाता है यह सवाल है। जो बुनियादी दस्तकारी हम पसंद करते हैं वह अगर हमारे जीवन के साथ बुनी जाय—अथवा हमारी बुनियादी दस्तकारी के ताने पर हमारा समग्र जीवन बुना जाय—तो हमारी शिवषा और हमारा जीवन दोनों कृतार्थ होंगे। अल्प-दक काम के साथ कौन कौन से विषय हम अनुबद्ध कर सकते हैं यह देखने की अपेक्षा अुस परिश्रम के साथ कितनी जीवन-समृद्धि हम अनुबद्ध कर सकते हैं यह देखना चाहिये। फिर वह जीवन-समृद्धि ही वह देगी कि क्या सीखना है और वितना सीखना है।

हमने पहले से यह तय कर लिया कि हमारी शिवषा में फलाने फलाने विषय आवश्यक है और फिर उन सबका परिश्रम के साथ अनुबन्ध करने चले। यह गलत तरीका है। अगर हम देखते कि देश की और विशिष्ट समाज की आज की हालत में हर एक व्यक्ति का और हर एक समाज का जीवन कैसा है और अुसे कौन-सा रूप देना है, कहां तक अुसे ले जाना है और कितनी जीवन-समृद्धि हम सिद्ध कर सकते हैं, तो बुनियादी दस्तकारी पसंद करने में भी हमें कठिनायी नहीं होती। और न अुसके साथ कौन कौन-सा ज्ञान, कौन कौन-सा कौशल्य और कौन कौन-भी संस्कारिता अनुबद्ध करनी है इसका निश्चय करने में ही हमें कठिनायी होती। एक सूत्र के रूप में अगर कहना हो तो—“हमें शिवषा में ज्ञान दृष्टि छोड़ कर जीवन-दृष्टि का धारण और अनुसरण करना चाहिये”। जो शिक्षक

जीवन-दरिद्री है वे वर्धायोजना के सफल शिक्षक नहीं बनेगे, फिर वे चाहे जितने विद्वान और अनुबन्ध की कला के कोविद क्यों न हों। जो शिक्षक जीवन-वीर हैं, जीवन-कुशल हैं, जीवन-समृद्ध हैं अुनका प्रभाव समाज पर आप ही पडता है और अुनके द्वारा चलायी हुयी शिवषा जीवन-जागृति के सिधे पर्याप्त होगी है।

शिवषा के मौजदा तरीके और भावी तरीके में जो फर्क है वह एक मिसाल के जरिये हम अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। जो जिन्दा-दिल शिक्षक है और जिनके पास जीवनदृष्टि है अुनके बारे में अवसर यह शिकायत होती है कि वे अपने वर्ग में विषयान्तर बहुत करते हैं।

जिनकी बुद्धि का कोभी ठीक ठिकाना ही नहीं है, जो थोड़ासा सहारा मिला ही वहीं से कहीं भाग जाते हैं और अपना अुद्देश्य भूल कर बकते ही चले जाते हैं अैसे विहगवृत्त शिक्षक तो कोभी पसन्द नहीं करेगा। वे तो पयषी की तरह अेक विषय से दूसरे विषय पर और वहां से तीसरी विसी बात पर अुड़ते ही जायेंगे। अंग्रेजी में जिसे ‘नॉनसेन्स ट्रायिन्स’ कहते हैं वैसे जो विषयान्तर करते हैं अुनको तो शिक्षक का कार्य सौंपना ही नहीं चाहिये।

किन्तु जो सफल शिक्षक है; विद्वान और बहुश्रुत भी है अुनके विषयान्तर की मिसाल हम दे रहे हैं। जो मुख्याध्यापक विषयपरायण, पाठ्यक्रमपरायण और परीक्षा-परायण हैं अुनको अैसे प्रतिमशाली शिक्षकों का विषयान्तर हमेशा अखरता है। और वाज दफा लाचार हो कर अैसे शिक्षक अपने लटूट विद्यार्थियों को घर पर बुलाकर स्वतंत्रता से सिखाते हैं।

वर्धायोजना अैसे शिक्षकों को स्वतंत्रता

भी देती हुई अनुपर योग्य नियंत्रण का भी डालती है। अपना मूल विषय ले कर उसके साथ जितनी कुछ अन्य बातें अनु-बद्ध हो सकती हैं उनको तो वह अवश्य चलावे। जैसे विषयांतर के लिये उनको कोओ डटिंगे नहीं; बल्कि धन्यवाद ही देगा। किन्तु जहां अनुबन्ध की संभावना नहीं है और मूल विषय की प्रधानता नहीं है उसी बातें उन्हें छोड़ देनी चाहियें।

मराठी में एक कहावत—है 'हरिदास की कथा मूल वचन पर'। इसे समझने के लिये महाराष्ट्र के अक खास रिवाज का ज्ञान चाहिये। महाराष्ट्र के 'हरिदास', याने 'कथाकार', रामायण, महाभारत, वेदांग, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में और कथा-साहित्य में प्रवीण होते हैं। संगीत और काव्य में भी उनकी अच्छी गति होनी है। वे मन्दिर में जा कर जब कथा करते हैं तब प्रथम कोओ धर्मवचन या किसी संत का जीवनसूत्र ले कर उसपर प्रवचन करते हैं। जिसे पूर्वरंग, या ब्रह्मनिरूपण, कहा जाता है उसमें मूल वचन को अद्विपित करने के लिये वे दुनियाभर की बातें लाते हैं। फिर अन्तरंग का प्रारंभ होता है जिसमें उसी वचन की सिद्धि के लिये किसी कथा या आख्यान

का विस्तार वे करते हैं और उसमें नव रसों का साक्षात्कार कराते हैं। हरिदास की सफलता जिसमें है कि वह जो कुछ विषयांतर करेगा उसका मूल वचन के साथ अनुबन्ध दिखा सके। चौमासे में चार महीनों तक हरिदास की कथा सुनने से श्रोताओं को अनेकानेक विषयों का जीवनस्पर्शी ज्ञान हो जाता है। अक विद्वान हरिदास के सहवास से सारा समाज बहुश्रुत, धर्मज्ञ और रसिक बन जाता है। दोनों में शिक्षा-दृष्टि कम रहती है, जीवनदृष्टि प्रधान रहती है, हालांकि आज के आदर्श की कसौटी से उसे अंकांगी कहना चाहिये।

अन सब अदाहरणों से पाठकों को अतना खयाल आया होगा कि अनुबन्ध कोओ अनोखी चीज नहीं है। उसका शास्त्र भी गूढ नहीं है। जीवन में सर्वत्र अनुबन्ध भरा हुआ है और अनुबन्धपद्धति में सारा जीवन भर देना चाहिये।

अब बुनियादी तालीम में भिन्न भिन्न दस्तकारियां ले कर हम कौन कौन से अनुबन्ध खड़े कर सकते हैं उसके प्रत्यक्ष अदाहरण देने चाहियें; जिसके बिना शिक्षकों को पूरा दिशादर्शन नहीं होगा।

भूलसुधार

दिसंबर के अंक में पृष्ठ २३७ पर १४ वीं पंक्ति में 'यथा-परिणाम' की जगह 'यथा-परिमाण' पढ़ा जाय।

जनवरी के अंक में पृष्ठ २६८ पर नीचे से तीसरी पंक्ति में 'परिणाम वाचक' की जगह 'परिमाणवाचक' पढ़ा जाय।

हत्याग्रह और सत्याग्रह

[काका कालेलकर]

स्वामी रामतीर्थ ने कहीं अंक पुराने किस्से का जिक्र किया है:—दो भाभी या मित्र बादशाह के पास नौकरी मांगने के लिखे गये। बादशाह ने पूछा, 'तुम क्या क्या कर सकते हो? किस योग्यता के आधार पर नौकरी चाहते हो?' दोनों ने कहा—'हम वीर हैं। हम प्राण की पर्वाह किये बिना लड़ सकते हैं।' बादशाह ने कहा, 'अपनी यह योग्यता सिद्ध कर दिखाओ तो नौकरी मिलेगी।'

सामने कोई शत्रु तो था नहीं। मगर योग्यता तो सिद्ध करनी थी। क्या करते? दोनों ने शस्त्र निकाल कर अंक दूसरे पर हमला किया। प्राण की पर्वाह किये बिना दोनों लड़े और दोनों अंक दूसरे के प्रहार से नीचे गिर पड़े। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि दोनों ने अपनी वीरता का सम्पूर्ण और अन्तिम सबूत दे दिया।

वीरता का तो सबूत वह था ही। किन्तु वीरता के अलावा शायद और भी किसी चीज का अन्होंने सबूत दे दिया। किन्तु अुनकी आलोचना अुनके पीछे हम क्यों करें?

* * *

हिंसा जैसी निर्वीर्य चीज दुनिया में दूसरी कोई है ही नहीं। हिंसा के कारण न कोई दुर्जन दुर्जनता से बाज आया है और न कोई सज्जन अपनी तेजस्विता से हाथ धो बैठा है। हिंसा का अुद्देश्य लोगों को डरा कर प्रतिकूल काम से रोकना है। खूनी आदमी को फांसी की सजा असलिखे दी जाती है कि वह फिर हत्या न करे। किन्तु यह अुद्देश्य गीण है। असली अुद्देश्य

यह है कि खूनी को सजा हुमी देल कर दूसरे लोग हत्या करने से डरें। लेकिन क्या असा कभी हुआ है?

आदमी हत्या असलिखे नहीं करता कि अुसे हत्या करने की आवत होती है; किन्तु असलिखे कि किसी व्यक्ति-विशेष का जीना अुसके लिखे असहष हो जाता है। यह मानना ठीक नहीं होगा कि अुसने अंक की हत्या की असलिखे वह हर अंक की हत्या करता चला जायगा। जो लोग हत्या करने पर भी अपनी प्रतिष्ठा के कारण पकड़े नहीं जाते वे बार बार हत्या करते हों असा अभनुव नहीं है।

समाज में हम यह भी देखते हैं कि खूनी को फांसी हो या न हो, हर साल सारे देश में हत्याओं की संख्या करीब वही रहती है। जो हत्या करना चाहता है वह फांसी के डर से रुकता नहीं और जो निडर है वह मौत के डर से कभी अपने काम से हटता भी नहीं है। निडर मनुष्य सज्जन हो या दुर्जन, अुसके लिखे हिंसा तनिक भी प्रतिबंधक नहीं है। अंबि-सीनिया, पोलेड, और फिनलैंड के लोग जानते ही थे कि विरोध करने के मानी ही हैं आत्महत्या करना। यह जानते हुअे भी वे लड़े। शायद अुन्होंने सोचा कि 'लड़े बिना हार मानना अपमानास्पद है। असलिखे मारते मारते मरेंगे। और जब मरना ही है तो हमारी मौत शत्रु को जितनी महंगी पड़े अुतना करना ही अच्छा। शत्रु के जितने अधिक लोग मार कर हम मरेंगे अुतना ही अच्छा। हमारी मौत की कीमत शत्रु को अधिक से

अधिक चुकानी पड़े यही हम चाहते हैं" ।

असके विरुद्ध चेकोस्लोव्हाकिया के मुख्य धर्मियों ने आधुनिक वृत्ति दिखायी । जहाँ विजय की और आत्मरक्षा की गुंजायिश ही नहीं वहाँ दोनों दलों के मनुष्यों की हत्या कराने से लाभ ही क्या है ? सशस्त्र डाकुओं को देख कर जैसे कोभी मुसाफिर अपनी जब खाली कर देता है, चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेरे जाने पर डाकू जैसे तुरन्त आधीन हो जाता है अन्ती तरह शत्रु की और अपनी शक्ति का खयाल करके जहाँ विजय की तनिक भी आशा न हो वहाँ शरण जाना ही अच्छा, अन्तीमें मनुष्यता है । चेक प्रजा के प्रधान ने कहा 'थेक गॉड बुडी सरेंडर्ड' ('जीश्वर को धन्यवाद ! हम शत्रु के अधीन हुअे' ।) नाश के खेल में अगर प्रतिपक्षी के हाथ में हुक्म के सब पत्ते चले गये हों तो खेलने में स्वाद ही क्या रहा ? क्या हार मान कर दुबारा खेलना ही अच्छा नहीं है ? ।

जर्मन जहाज 'ग्रेंफ स्पी' ने जब देखा कि वह अकेला है और आसपास शत्रु-जहाजों की संख्या बहुत बड़ी है तब उसके सामने तीन रास्ते थे:—अके, आत्म-समर्पण करना, दूसरा, लड़ने-लड़ते डूब जाना या पकड़ा जाना और तीसरा, वह जो जिस जहाज के कप्तान ने किया; जिसे जापान में 'हरि-केरी' कहते हैं । आत्म-समर्पण का रास्ता पुरातन है । लड़ते-लड़ते मर जाने का रास्ता झौंसीवाली लक्ष्मीबायी ने बताया था । लड़े बिना आत्मनाश करके शत्रु के हाथों से बच जाने का वह रास्ता है जिसका अमल सीजर के दोस्त ब्रूटस ने किया था । राजपूतों की

रानियां भी इसी तरह 'जीहर' करती थीं ।

जब बादशाह नीरो ने अपने मन्त्री महान् दार्शनिक सिनेका को प्राणदण्ड की सजा दी तब उसे पकड़ कर जल्लाद को नहीं सौंपा । जैसा कलाशून्य काम मला वह क्यों करता ? उसने सिनेका को कहला भेजा कि " आपको प्राणदंड की सजा हुअी है । आप जैसे अचित्त समझें प्राणत्याग कर दें " । बूढ़े ने अपने हाथ से अपनी नसें काट लीं । तब भी शरीर में रक्त कम होने से वह ठीक ठीक न बहा । जिसलिये वह गरम पानी में जा बैठा और जिस तरह उसने अपना देहत्याग किया ।

सत्याग्रही मृत में मरना नहीं चाहता । वह जरूरत पड़ने पर प्राणदण्ड जरूर देता है । किन्तु शत्रु से लड़ कर, उसे मारने की कोशिश कर, उसे आत्म-समर्पण का मौका नहीं देता । शत्रु में वीरता का भी संचार नहीं होने देता । सत्याग्रही बिना किसी शस्त्र के प्रतिकार किये और बिना हार माने विरोध करता रहता है जिससे शत्रु को या तो अपनी दुष्टता छोड़नी पडती है और दुनिया के सामने और अपनी आत्मा के सामने भी हत्यारे जल्लाद की भूमिका धारण करनी पडती है । आदमी चाहे जितना गया-गुजरा हो दीर्घकाल तक जिस भूमिका को बरदाश्त नहीं कर सकता ।

"थेक गॉड बुडी सरेंडर्ड"—"जीश्वर की कृपा कि उसने हमें आत्म-समर्पण की सद्बुद्धि और हिम्मत दी," जैसा कहने की नीबत सत्याग्रही पर नहीं आ पडती ।

पोलैंड के लाखों लोग मर गये होंगे । जर्मनी के भी अन्तीसे कम नहीं मरे होंगे ।

पोलैंड की वीरता सिद्ध हो चुकी, किन्तु जर्मनी की क्रूरता कम नहीं हुई। अगर पोलैंड ने सत्याग्रह किया होता तो पोलैंड का आज जितना नुकसान हुआ है उससे अधिक न हुआ होता। पोलैंड का स्वाभिमान आज से किसी कदर कम नहीं रहता बल्कि कुछ अधिक ही हो जाता। जर्मनी को जो यह कहने का मौका मिला कि उसने अपना कीमती और गरम खून बहा कर पोलैंड को जीता है वह उसे न मिला होता। जर्मन लोग स्वयं पोलैंड-विजय पर अभिमान करने की जगह शर्म से सिर झुकाते। जर्मनी की अत्याचार-वृत्ति जो आज संगठित है उसका संगठन कमजोर हो जाता और पोलैंड ने जर्मनी में और सारी दुनिया में कुछ न कुछ धर्मबुद्धि का बीज बोया होता।

* * *

रोमन इतिहास के प्रारंभ का किस्सा है। जब रोम लड़ते लड़ते हार गया तब सब नगर-पिता राजसभा में गम्भीर हो कर निश्चल बैठ गये थे। शत्रु की सेना ने अन्दर घुस कर देखा और देख कर वे चकित हुए। ये जिन्दा मनुष्य हैं या पत्थर की मूर्तियां हैं यह देखने के लिये किसी सैनिक ने एक नगरपिता की डाढ़ी को स्पर्श किया। वह बृद्ध सत्याग्रह तो जानता नहीं था। उसने क्रोध में आ कर उस सैनिक पर प्रहार किया। फिर क्या था? शत्रु सैनिकों ने उन बूढ़ों को वहीं के वहीं ढेर कर दिया।

अगर वे सत्याग्रह का तत्त्व जानते होते तो वे कत्ल होने से बच जाते अंसा मानना तो कठिन है; किन्तु जानबूझ कर सत्याग्रह की वृत्ति धारण कर के वे कत्ल हो जाते

तो उनके बलिदान का असर कुछ और ही होता।

* * *

शत्रु हिम्मत हार जाय, उसकी शक्ति नष्ट हो जाय और वह निराश हो कर युद्ध छोड़ दे, यही युद्ध करने का अद्देश्य होता है। सत्याग्रह का अद्देश्य भिन्न है। सत्याग्रही चाहता है कि शत्रु अपने कार्य में केवल विफल ही न हो जाय, किन्तु उससे विरक्त भी हो जाय। शत्रु का हृदय अगर क्रूर का क्रूर ही बना रहा तो हमने उसपर विजय क्या पायी? अगर शत्रु दब गया तो वह हृदय में जलता रहेगा। 'जयं वेरं पमवति दुःखं सेति पराजितो'—'जिसका पराजय हुआ हो उसे रात को नींद नहीं आती, उसके मन में वैरभाव बढ़ता ही जाता है'। जिस तरह शत्रु को हरा कर उसका तेजोवर्ध करने से दुनिया का हिंसा बढ़ती है। और यदि हम हार गये तो हमारी भी वही हालत होती है। सत्याग्रही स्वयं निर्भय हो कर दूसरे को अभयदान देता है, जिससे लोभी अपने लो के लिये शर्म अनुभव करता है, क्रोधी का क्रोध गल जाता है। सत्याग्रही की वीरता के प्रति सारी दुनिया के दिल में आदरभाव पैदा होता है और दुनिया में तेजस्विता और मित्रता बढ़ती है।

* * *

आजकल छोटे छोटे राष्ट्रों का और निहत्थे राष्ट्रों का लड़ना व्यर्थ है। युद्ध का शास्त्र और प्राणनाथ के साधन अतन्त बढ़े हैं कि छोटों के लिये, कमजोरों के लिये और ना-तैयारों के लिये युद्ध का मार्ग है ही नहीं। अन्हें आये दिन किसी न किसी बलिष्ठ के पेट में जा कर ही बैठना है। जिन लोगों ने

युद्ध का ही पेशा पसन्द किया है और पंचहोथि-यारी योद्धाओं के समान जो नखाधिलान्त सुसज्जित हैं वे अके दूसरे से लड़ते रहेंगे, और परस्पर नाश करते रहेंगे। युद्धज्वर, डर, शंका, लोभ, औप्यी, ये सब भूत हैं। जिन पर ये सवार हुए हैं उनका सत्यानाश किये बिना वे रहेंगे नहीं। जिन भूतों से बचने का अके ही मंत्र है और वह है सत्याग्रह।

सत्याग्रह की अपना असर करने के लिये जो कीमत देनी पड़ती है उससे वह हटता नहीं। अगर हिंसा निर्वीर्य और विफल है तो सत्याग्रह रामबाण, अमोघ और विश्वविजयी है। उसमें किसीका भी पराजय नहीं है। सत्याग्रह के विश्वविजय में सारे विद्व को परास्त कर किसी अके के विजयी होने की बात नहीं है। असमें तो सारा विद्व ही विजयी हो कर रहता है

कौमी झगड़े

(अके रोचक संवाद)

[काका कालेलकर]

अके पारसी सज्जन मुझसे मिलने आये थे। कहने लगे, “ अब स्वराज्य का क्या होगा ? जिन्ना साहब ने अंसा अडंगा लगाया है। न हिन्दू अपनी तंगदिली छोड़ सकते हैं, न मुसलमान। हम तो देखते हैं कि दोनों में दोष है। ”

मैंने तुरन्त कह दिया, “ दोनों में दोष अवश्य होंगे, किन्तु उन दोनों के दोष देख कर अपने आपको अंधे धरातल पर बैठाने का आपका षड्यन्त्र मुझे रुचिकर नहीं लगता। जहाँ कहीं दो आदमी या दो पक्ष लड़ते रहते हैं, वहाँ तीसरे के सामने वे तिरस्कार-पात्र ही ही जाते हैं; किन्तु जिस परिस्थिति से लाभ उठा कर अगर वह तीसरा अपनेको दोनों से श्रेष्ठ बताने लगे तो उसकी वह भुक्त की बड़ाही अन्हें भाती नहीं। ”

मेरी जिस कड़ुमी टीका से वे कुछ अस्वस्थ-से हो गये। अन्तमें अपनी बड़ाही करने की आकांक्षी

ही नहीं, यह मैं भी जानता था। किन्तु बड़ों का बहुत अनुभव होने के कारण मैंने अपना जबाब अन्हें भी दे दिया।

वे दुःखी हो कर कहने लगे, “ देखिये, काका साहब, दोनों जमातों में हमारे अच्छे से अच्छे मित्र हैं। अन्की संस्कारिता, अन्की सज्जनता और अन्की न्यायप्रियता देख कर हमारा शिर अन्के सामने झुक जाता है। अके ही खयाल मन में आता है कि अश्वर की कितनी कृपा है कि अंसे आला दरज के दोस्त अंसने हमें दिये हैं। किन्तु जब हिन्दू और मुसलमान की बात आती है तब वे अंसे बिगड़ जाते हैं कि अके दूसरे की नेक-नीयती पर विश्वास ही नहीं करते। ये महाशय जब ब्यक्तिशः अके दूसरे से मिलते हैं तब भी हिन्दू और मुसलमान का भेद मन में लाये बिना दूसरे से अंसे पेश आते हैं कि मानो अके ही माँ के दो बेटे हों। लेकिन अिनसे जरा सम्प्रदाय की

बात छेडिये। फौरन अविश्वास, स्व.प और तंगदिली का भूत अणु पर सवार हो जाता है। दोनों में यह दोष पाया जाता है। किससे क्या कहें ?”

मैन अनसे कहा, “मौरल मैन अंड अिम्प्रॉरल सोसायटी” नामक किताब आपने पढी होगी। आप पूछते है किससे क्या कहें ? असका कुछ जबाब देना चाहता हूं”।

“ जो दोष दोनों में आप देखते हैं वह आपमें नहीं हैं, असा तो आप नहीं मानते ? आपके दोषों को प्रकट होने का मौका नहीं मिला, अितनी ही बात है। आप दोनों से श्रेष्ठ नहीं हैं, अितना जब ध्यान में रखेंगे तभी दोनों की कुछ सेवा कर सकेंगे।

“ सिर्फ अितना कह देना कि दोनों में दोष हैं, दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिये, हृदय-परिवर्तन करना चाहिये और धुदारता दिखानी चाहिये, किसी काम का नहीं है। अससे किसीको दिशा-सूचन नहीं होता।

“ अगर आप हिन्दुओं के सामने मुसलमानों के दोषों का बयान करेंगे और मुसलमानों के सामने हिन्दुओं के दोषों का वर्णन करेंगे तो जब तक वे अलग अलग हैं तब तक हर अक कहेगा कि आप अच्छे हैं, आप न्याय-प्रिय हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढेगी। किन्तु जब अित्तेफ़ाक से दोनों अक दूसरे के पास आ जायेंगे तो दोनों की हाजिरी मे आपकी तो मौन ही धारण करना पडेगा और आपकी स्थिति श्याजनक होगी। मैं जानता हूं कि यह रास्ता व्यक्तिषः आपको पसन्द नहीं है। आप अिसे खुधामद का रास्ता कहते हैं और नफरत की ष्टि से देखते हैं।

“ दूसरा रास्ता यह है कि आज दोनों से प्यार करें, दोनों के साथ संबंध

रखें, दोनों की सेवा करें और किसी को मनाने की कोशिश न करें। जब कौमी अक-दूसरे की निन्दा करता है तब दुःखी हो कर असकी बात चुपचाप सुन लें और अितना ही स्पष्ट बतावें कि असका दूसरा पहलू भी हो सकता है। दुढ़ता के साथ अस नीति का अमल करने से और दोनों के प्रति पूर्ण सहानु-भूति रखने से आपकी स्थिति साफ रहेगी और मौका आने पर दोनों के बीच समझौता करने की आपमें शक्ति रहेगी।

“ अगर दोनों पर आपका कुछ प्रभाव है, दोनों आपको मानते हैं तो आप अससे कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जो पक्ष दूसरे की शिकायत करने आपके पास आवे अससे कहिये कि लड़ कर अक-दूसरे का नाश करके आप अस सवाल को हल नहीं कर सकेंगे। दोनों की स्थिति अस देश में असी है कि कौमी भी अक पक्ष दूसरे का नाश नहीं कर सकेगा और जब तक बीच में अंग्रेज हैं तबतक वे अक पक्ष को दूसरे पक्ष को परास्त भी नहीं करने देंगे। दोनों गुलाम रहें, दोनों अक दूसरे का अविश्वास करें और दोनों थोडे थोडे लड़ते रहें तभी तो अंग्रेज आज अस पक्ष की और कल अस पक्ष की थोडी थोडी मदद करके अपने राज को आपके दिल में मजबूत कर सकते हैं। अंग्रेज हैं अस-लिये हम बच गये हैं, नहीं तो दूसरा पक्ष हमारा कब का नाश कर डालता, यह खयाल दोनों पक्षों के मन में जम जाता है।

“ अितना तो आप कहेंगे ही। किन्तु जी पक्ष आपसे दूसरे की शिकायत करने आता है असके साथ खानगी बातें करते समय अस के द्वारा होनेवाले दोषों को आप बताते जायें, अपनी लटखता से काम बढा कर प्रेज से

आप उसे उसके पक्ष की भूल बता दें और उसे सुधारने का प्रोत्साहन दें।

“ और भी एक बात है। दोनों पक्षों में समान दोष होते हुए भी हर एक झगड़े में किसी न किसी एक पक्ष का विशेष अपराध होता ही है। उस समय दोनों सरीखे हैं, दोनों तंगदिल हैं, अितना कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी न्याय-बुद्धि प्रखर है और आप दोनों का हित चाहते हैं, और दोनों पर आपका प्रभाव है तो आपका अपनी धवाज उठा कर कहना चाहिये कि दोनों के दोष चाहे जितने क्यों न हों, किन्तु जिस मामले में तो दोष फलाने पक्ष का ही है। अपनी आवाज उठा कर न्याय की बात जब आप कहेंगे तब आपका असर जरूर होगा। मैं जानता हूँ कि अितना करने से एक पक्ष आपपर बिगड़ जायगा और दूसरा आपको अपनी ओर खींच कर आपको भी पक्षकार (फ़रीक) बनाने की कोशिश करेगा। जैसे समय आपको तटस्थ रह कर अपने आपको सम्हालना होगा। मुमकिन है कि दोनों आप पर नाराज होंगे, किन्तु थोड़े दिन के ही लिये। और नाराज हुअे तो भी क्या ?”

अितने में एक अीसाबी महाशय वहां आ पहुंचे। उनसे भी वही बातें हुआं। मैंने अपना विचार उनको भी सुनाया। वे कहने लगे, “काकासाहब, आपकी बात सही है, हमलोग पहले पहले समझते थे कि धर्म की समानता के कारण राज्यकर्ता और हम एक ही हैं। आपलोग हमें दूर दूर रखते थे, अिस-लिये हम अीसाबी हो गये। बाद में हमें यह अनुभव हुआ कि अीसाबीधर्म का स्वीकार करने पर भी हमारे राज्यकर्ता हमें दूर के दूर ही रखते हैं। हम न हिन्दुस्तान के रहे, न

अिंग्लैंड के हुअे। अपनी देशनिष्ठा हम भूल गये थे और हमारी राजनिष्ठा किसी काम न आयी। हम देखते हैं कि राज्यकर्ताओं ने हमसे लाभ तो उठाया। किन्तु जब वे हारेंगे तब राज आपके ही हाथ में छोड़ कर जायेंगे। हम अपने लिये स्वराज्य हासिल नहीं कर सकते। हम अंग्रेजों से कुछ लाभ उठा कर उनका साम्राज्य और देश की गुलामी मजबूत कर सकते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि हमें देशद्रोह का ही कमीशन (आडत) मिलता है।”

मैंने कहा, “ आपने ठीक बात कही। अब आपको स्वराज्य का पक्ष लेना चाहिये। हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़ते हैं अिससे लाभ उठा कर अगर आप यों कहने लगेंगे कि हम भी एक ‘मैनोंरिटी’ (अल्पसंख्याक समाज) हैं; हमें भी हमारे सेफगार्ड्स (संरक्षक निर्बंध) चाहिये; तो एक स्वराज्य को छोड़ कर, बाकी सबकुछ आप ‘सेफगार्ड’ (सुरक्षित) कर सकेंगे। सबसे पहले तो देश की गुलामी ‘सेफगार्ड’ करेंगे। आप अपने को ‘हिन्दुस्तानीअीसाबी’ कहते हैं। यह नाम छोड़ कर आप अपने को ‘अीसाबीहिन्दुस्तानी,’ कहिये; और स्वराज्य का विरोध न कर जिससे सब के सब अल्पसंख्याक लोग निश्चिन्त हो जायें, अैसा विधान बनाने में हाथ बटाविये।

“यह देखिये हमारे मित्र अर्देसरजी है। अिनसे बातचीत कीजिये। ये और आप मिल कर जो कुछ तय करेंगे वह हमें मंजूर है। स्वराज्य पाना है, अिस अेक शर्त पर आप मुसलमानों को जो कुछ देने की बात करेंगे वह हमें मंजूर है। हमने आपको ‘कोरा चेक’ दे दिया है।”

अितने में श्री देशपांडे वहां आ गये। अन्होंने पिछली बात कुछ सुनी नहीं थी। वे कहने लगे, “अजी, अेक ‘कोरा चेक’ दे कर

स्वराज्य के लिये दिली सहायता मिलती हो तो मैं 'कोरा चेक' देने के लिये भी तैयार हूँ। किन्तु अूनको 'कोरे चेक' से संतोष नहीं है। अन्हें तो अेक समची कोरी 'चेक-बुक' चाहिये, जिसे ले कर वे रोज रोज नयी नयी फर्माअिषों कर सकें। और कोरा चेक पा कर भी स्वराज्य की मांग करने में और अुसके लिये लड़ने में वे हमारे साथ थोडे ही आनेवाले है? आखिरी चेक पर अुनकी यह फर्माअिष होगी कि 'जब कि तुमने सब कुछ दे दिया है तब अब तुम अिस जमीन पर भारभूत हो कर क्यों रहते हो? आत्महत्या कर लो और छुट्टी पाओ।''

मैंने हंस कर कहा, "कोरे चेक की यह ध्याख्या नयी है। मैं अिन लोगों से कहता था कि स्वराज्य के लिये अेक होने की शर्त पर जो जिसको चाहिये वह देने को तैयार हूँ। और मैं तो आर्देसर साहब के साथ और डेव्हिड साहब के ही साथ बात कर रहा था। आपके दिमाग में जिन्ना साहब भरे हुअे हैं।"

अितन में पडोस के कमरे में से बूटासिगजी आ गये। हम अन्हें सरदारजी कहते थे। अन्होंने कहा, "आप सब साहब मिल कर क्या क्या बँटवारा कर रहे है? हम भी तो अेक अल्पसंख्याक जाति हैं। हमारी संख्या की ओर न देखिये। हमारे अितिहास का और क्यात्रतेज का ध्यान रख कर ही हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिये।"

आर्देसरजी ने कहा, "अजी, मैं जो टालना चाहता था वही बात यहां आ कर खडी हो गयी है। मैं बँटवारा करने नहीं आया था। मैं कहता था कि आदमी चाहे जिस संप्रदाय का हो, व्यक्ति के नाते वह अच्छा ही

होता है। जब वह अपनी जमात का प्रतिनिधि बनता है तब अुसमें तंगदिली आ जाती है।"

मैंने कहा, "ये सब अपनी अपनी जमात के ही प्रतिनिधि बनते हैं। अिसलिये सामान्य मनुष्यता का प्रतिनिधि कोभी नहीं रहता। हर अेक को अपनी अपनी जाति का खयाल है। सारे राष्ट्र का और स्वराज्य का खयाल नहीं है।"

सरदारजी मेरी बात सुनते ही नहीं थे। कहने लगे, "हम सिक्ख लोग केवल पंजाब में ही हैं। अिसलिये हमें स्वराज्य का सच्चा खयाल नहीं आता। अगर अम्बेडकर हमारी बात मान जायें और हिन्दुस्तान भर के हरिजन 'वाह गुरु की फतह' कहने लगें, तो हम अकेले सिक्ख ही हिन्दुस्तान को स्वराज्य दिला देंगे।" सब बोल अुठे, "वाह बहादुर, वाह!!" अितना कहने की ही देर थी कि सरदारजी ठण्डे हो गये। कहने लगे, मैं कृपाण की बात नहीं कह रहा था। गुरु का बाग के सत्याग्रह का मुझे खयाल था।"

डेव्हिड साहब कहने लगे, "वह कुछ भी हो। हमें सबसे पहले स्वराज्य का खयाल रखना चाहिये और सब मिल कर ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहिये। यदि अकेले सिक्ख सत्याग्रह करेंगे तो क्या वह 'सिक्खराज' नहीं होगा?"

देशपांडे ने बात पूरी करते कहा, "आप सब मैंनोंरिटी मिल कर अेक बडी मेजोंरिटी हैं। सच्ची मैंनोंरिटी तो हम ही है।"

आर्देसर ने कहा, "मैं फिर से कहता हूँ कि आप मैंनोंरिटी-मेजोंरिटी का यह पचड़ा छोड दें। जिस प्राकर अेक अेक आदमी व्यक्ति की हैसियत से अच्छा है अुसी प्राकर हर अेक अपनी अपनी कौम को, अपने अपने फिरके को तंगदिली

से बचाने की कोशिश करेगा तो अच्छा होगा। बिन फिरकों का खयाल ही छोड़ देना चाहिये।”

“ठीक है, ठीक है,” सरदारजी बोले, “सच तो यह है कि अधिकार के बंटवारे का प्रश्न ही नहीं अठना चाहिये। जहां

बंटवारा है वहां स्वराज्य नहीं है। हर अके को अगर पूरा पूरा नागरिक स्वातंत्र्य और मजहबी स्वातंत्र्य मिल जाय तो बंटवारे का सवाल ही कहां रहा? जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको अधिक शिक्षा दी जाय तो मामला तय है।”

कबूतर का गटरगूँ

२. हृदयपरिवर्तन

आदरणीय संपादक भाभी,

सविनय पालागन,

शीतकाल की धूप बड़ी नशीली चीज है। मैं अपने दोस्त कंबूग्रीव से कह रहा था कि अगर कहीं सरदार साहब कॉंग्रेसी वज्जरात के दिनों में विनोबा को प्रधानमंत्री बनाते तो नशाबन्दी की फेहरिस्त में शिशिर बतु की धूप भी शामिल की जाती। और फिर वह भी अल्प-संख्यकों के अके तगडे दल के लिये सत्याग्रह का अके माकूल कारण साबित हो जाता। मैं विनोबा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहता। यह तो जाहिर ही है कि सावली परिषद में अन्होंने धूप को किसानों का घी बताया था और खुले में आकाश के नीचे नंगे बदन काम करनेवालों को धनवान तथा धूप से बचने वालों को दरिद्री घोषित किया था। लेकिन जिस प्रकार अन्नमात्र से शराब निकाली जा सकती है तो भी हम सभी अन्नों से परहेज नहीं रखते, अूनमें कुछ विवेक करते हैं, अुसी प्रकार विनोबा आसपास का भी

वर्गीकरण कर डालते हैं। भादों की धूप में काम करनेवाले किसानों की अन्हें अीर्षा होती है। वे सोचते हैं कि अुमदा से अुमदा घी ये किसान अकेले हडप कर रहे हैं। चंत बैसाख का ताप भी अन्हें अत्यंत अोजस्वी और ग्राह्य प्रतीत होता है। परंतु शिशिरातप विनोबा के शास्त्र में निषिद्ध है। वे कहते हैं, ‘जाडों में धूप खानेवाले का अुत्साह कर्षण ही जाता है। अुसकी बुद्धि जाग्रत नहीं रहती। और होशहवास ठिकाने न रहने के कारण वह अपना कर्तव्य करने में भी चूकता है।

विनोबा गीता के योगी हैं। अपने चले-चाटों को भी योगी बनाने के लिये वे अपने प्राण निचोड रहे हैं। अुनके लिये गीतावाक्य स्वभावगत हो सकता है। यथा—‘या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यती मुनेः।’ पर हम परिन्दों को अंसा बनावटी जीवन नहीं सुहाता। (हमारे घूषकाका अपना राग आसाप सकते हैं परंतु बहुत खोजने पर भी अुनका किसी

को पता नहीं चलता।)

यह तो आदमियों को ही मुबारक है कि वे ठीक ठीक बिन्सान भी बनना नहीं जानते; मगर दम भरते हैं योगी, सिद्ध, महायोगी, पूर्ण योगी और जाने क्या क्या बनने का ! फिर भी, मैं विनोबा की इस बात का प्रचारक बन गया हूँ कि जाड़ों में आतपसेवन हानिकारक है। हाल ही में एक किस्सा ऐसा बन गया जिससे हमें यह अनुभव हो गया कि जाड़ों की धूप का नशा खतरनाक है।

कुछ दिन हुआ हृदयकुंज के दक्षिण में पानी की पुरानी टंकी बालू से पाट कर जो छोटोसा चबूतरा बनाया गया है उसपर बैठे बैठे मैं और कंबुग्रीव गप्पे छांट रहे थे और धूप खा रहे थे। 'जर्मनी का वह अभूतपूर्व अस्त्र चुबक-सुरंग ही है या और कुछ' ?—असके विषय में अनुमान की तरंगों में हम तैर रहे थे। उस मीठी धूप में हमें यह सुघ भी न रही कि बिल्ली कब उस चबूतरे के नीचे चुपके से आधमकी। वह अकेलाअकेला झपट कर हमारी पीठ की तरफ की कगार पर कूद पड़ी। लेकिन भगवान को हमें बचाना ही मंजूर था, जिसलिये उसके पिछले पैर नीचे को खिसके और बालू में आवाज हुयी। कंबुग्रीव ने आहट सुन ली। वह ताड गया। मुझे आगाह करने के लिये उसने अपने पंख फड़फड़ाये। हम बाल बाल बच गये। अगर हम शिशिर की मीठी धूप के मोह में न फँसते तो न जैसे बेहोश होते और न जैसे खतरों में ही पड़े होते।

खैर, अपनी बीती बातें छपवा कर ख्याति कमाने के लिये मैं यह किस्सा नहीं बता रहा हूँ। अपनी बातें अखबारों में छपी हुई देखने का शौक पक्षियों को नहीं

होता। यह मद्दी कुटेव आदमियों में ही पायी जाती है। लेकिन इस प्रसंग को ले कर हममें अके मार्के की चर्चा छिड गयी और कंबुग्रीव ने अके बड़ा भारी पैगाम सुनाया। उसे आपकी सेवा में अुपस्थित करना अपना कर्तव्य समझ कर ये पंक्तियाँ भेज रहा हूँ।

* * *

सवाल यह हुआ कि आश्रम में मुदततों रह कर भी यह बिल्ली अितनी हिसक और खूखार कैसे रह गयी ? इसी सवाल को ले कर चर्चा होने लगी।

मैं—देखो कंबु भाजी, चलो, अिन आश्रम-वालों से हम हृदय-परिवर्तन का तिलिस्म हासिल कर ले और आश्रमकी तमाम बिल्लियों का हृदय-परिवर्तन करने में जुट जायें। हम ऐसा करेगे तो हमारे बापूजी का सुयश भूमंडल की भांति नभोमंडल के भी कोने कोने को आलोकित कर देगा।

कंबुग्रीव—(कुछ अकड कर बैठ गया और बोला,) 'हृदय-परिवर्तन से तुम्हारा क्या मत्लब है ? तुम्हारे खयाल में जैसे हम किसी तस्ते को पलट देते हैं उस तरह से हृदय भी पलटा जा सकता है ?—तस्ते की तरह अुलट कर रख दिया जा सकता है ?

मैं—कम से कम गुजराती मापा में तो बापूजी ने यही क्रियापद पसन्द किया है। वे हमेशा कहते और लिखते आये हैं, 'जब तक विरोधी का हृदय पलट जानेका सबूत नहीं मिलता तब तक मैं अपनी हार ही मानूंगा'। जिसपर से मेरा कुछ अैसा खयाल हो गया है कि बापूजी के आत्मबल के प्रभाव से अके हृदय के गायब होने पर उसकी जगह नया हृदय ले लेता है, जिसका रूपरंग भी कुछ और ही होता होगा।

परिवर्तन कहते हैं ? पिछले महायुद्ध में जर्मनी को जब सब तरफ से घेर लिया गया तो उसने चुपचाप अपने हथियार नीचे रख दिये और वार्साई में मित्रराष्ट्रों की तमाम नाजायज मांगे मंजूर कर लीं। लाचारी का समय बीतते ही अब वह फिर से खम ठोक कर मैदान में अउतर गया है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि सन १९१८ में उसका हृदय-परिवर्तन हो गया था और अब बीस बरस के बाद वह परिवर्तन फिर गायब हो गया ?

कंबुग्रीव—वह तो स्पष्ट ही हार और कम-जोरी थी। अहिंसा की लडाई में विरोधी को कमजोर कर देनेवाली कोभी चीज नहीं होती। अहिंसावादी खुद धुलेगा और पिसेगा; लेकिन उस पर आक्रमण करनेवाला सदा हूष्टपुष्ट रहेगा और ताकत तथा शस्त्र-संरंजाम नये नये रूपों में संगठित करता रहेगा। उसे साम-र्थ्यशाली व्यक्ति को अपने पक्ष की ओर स्वेच्छा से झुका लेने का मतलब है हृदय-परिवर्तन। उसे लाचारी नहीं, बल्कि समझदारी कहना चाहिये। जालिम यह महसूस करने लगता है कि जो चीज मैं अिन लोगों से कराना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ उसे वे मरते दम तक देने या करने वाले नहीं हैं। अिनहें खुश रख कर ही मैं अिनकी मदद ले सकता हूँ। अिनकी दोस्ती ही काम आयगी; दुस्मनी नहीं।

मैं—तो क्या हृदय-परिवर्तन का सीधासादा अर्थ समझदारी होगा ?

कंबुग्रीव—अगर समझदारी भी कह लो तो मुझे खास आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने तो उसके लिये दूसरा ही शब्द निश्चित किया है। बहुत सोच-विचार करने पर मैं अिस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हृदय परिवर्तन कोभी नया रसायन नहीं है। हमारे अिति-

हास के आदि काल से मनुष्यों ने अिस रसायन का प्रयोग किया है। अुस क्रिया को व्यक्त करनेवाला प्रचलित क्रियापद है 'हिलाना'। गुजराती में अुसे 'हेळववु' कहते हैं। लेकिन सबसे अुपयुक्त धातु मराठी में है 'माणसाळवणे' 'आदमियों में लाना'।

मैं—क्या गाय, घोड़े, तोते और हमारी बिरादरीवाले मैना जैसे परीन्दों को पालतू बनाने के लिये मनुष्यजाति जो हिकमते लडाती है अुन्हीसे तुम्हारा मतलब है ?

कंबुग्रीव—हां, अुन्हीसे। यह तो मैं कह चुका हूँ कि मनुष्य का दिमाग अेक ही ढाल पर से लुठकने का आदी है। अिस-लिये हजारों वर्षों तक मनुष्यों को आपस में अिस रसायन का प्रयोग करने की नहीं सूझी। बापूजी ने यह बात सुझा दी, अिसलिये अुन्हें दुनिया भर के समझदार मनुष्य बहुत बड़े मसीह और तारनहार कहने लगे। आदमी आदमी को किस तरह पालतू बना सकता है या हिला सकता है अिसका अेक पूरा पूरा शास्त्र ही बन सकता है। बापूजी अुसी की रचना में लगे हुए हैं। पर अुसकी विधि और परिभाषा बनाने में मनुष्यों को सदियां लग जायेंगी। शब्दों की अुलझन में से वे जल्दी रास्ता नहीं निकाल पायेंगे। लेकिन हम पंखीवृन्द अुसे शीघ्र वाणीबद्ध कर सकते हैं।

मैं—तो कर क्यों नहीं देते ? सर्वोदय के पाठक तुम्हारी विधि और परिभाषा का अवश्य विचार करेंगे।

कंबुग्रीव—लेकिन अब तो शिथिरातप का कंफ अपना असर बताने लगा है। सर्वोदय के सम्पादक चाहेंगे तो अगली बैठक में मैं आदमियों को हिलाने, याने अुनका हृदय-परिवर्तन करने, की कुछ विधियां बता दूंगा।

मैं—सिर्फ विधि बताने से काम नहीं क्यों संपादकजी, कंबुधीव को आपकी चलेगा। कुछ प्रयोग भी दिखाने होंगे। ओर से आश्वासन देने में मैंने कोजी गलती सर्वोदय के सम्पादकों ने तो हमें स्थान दे दिया तो नहीं की ?
है। अब अगर उसका पाठकवृन्द हमारे सर्वोदय की जगह अडाने पर अंतराज करे तो देखा जायगा।

आज्ञाकारी,
'कलकत्तराम'

मंगल-गुरु-युति

पाठक दो दिन न चूकें। पाँच दिसंबर से पूर्व की ओर जो बुध दीखता था वह अधिक से अधिक ग्यारह जनवरी तक ही पूर्व में दीखेगा। थोड़े दिन पहले वह काफी ऊँचा चढ गया था। अब वह तेजी से नीचे आ रहा है।

शाम को आकाश में मंगल, गुरु और शनि करीब अके पंक्ति में आये हैं। गुरु का तेज छिपता नहीं। उसकी कुछ पश्चिम की ओर लाल मंगल है और गुरु की पूरब की ओर शनि है।

मंगल तेजी से गुरु के पास जा रहा है। छः जनवरी को वे दोनों अके ही अक्षर-दक्षिण लकीर पर आ जायेंगे। अक्षर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में से पसार होने वाले काल्पनिक वर्तुल को याम्योत्तरवृत्त कहते हैं। : जनवरी को मंगल और गुरु अके ही वृत्त पर आने पर यह कहा जाता है कि उनका युति हुआ।

युति के समय मंगल और गुरु में से कोजी किसीकी पूरब की ओर या पश्चिम की ओर न होगा। दोनों के बीच पूर्व-पश्चिम अंतर शून्य होगा।

सर्वोदय की दृष्टि

आचार्य रामदेवजी का स्वर्गवास

आचार्य रामदेवजी की मृत्यु से आर्यसमाज का अके बड़ा विद्वान शिवपाराशत्री चल बसा है। हर अके जिन्दा समाज को धर्म, शिक्षा, राजनीति और अर्थनीति मे जाग्रत रहना पड़ता है। इसमें भी प्रथम स्थान है शिक्षा का। अगर किसी समाज की शिक्षा, जीवित, तेजस्वी और सर्वांगीण है तो उसके अत्कर्ष में कोअी भी चीज सफलतापूर्वक बाधा नहीं डाल सकती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक पुनरुज्जीवन का जो सन्देश देश को दिया उसका राजनैतिक असर लाला लाजपतराय, लाला हरदयाल आदि समाजसेवकों पर तुरन्त हुआ। असी सन्देश का शैक्षणिक असर महात्मा हंसराज और महात्मा मुनशीराम पर हुआ। मुनशीरामजी ने अंग्रेजी विद्या और वेद्विद्या के बीच समझौता करने का सस्ता और व्यवहार्य मार्ग न ले कर वैदिक संस्कृति का आधुनिक संस्करण तैयार करने की श्रद्धा से गुरुकुल खोला और असीको अन्होंने अपना जीवन अर्पण किया। वैदिक संस्कृति पर श्रद्धा रख कर दीर्घकाल की तपस्या के अन्त में वे श्रद्धानन्द हुअे और अीश्वर ने अुनको अुनके गुरु के समान अपने मरण द्वारा भी समाज और राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया।

स्वामी श्रद्धानन्दजी के इस राष्ट्रीय शिक्षणविषयक प्रयोग के सहचर आचार्य रामदेवजी थे। रामदेवजी ने बहुत दिन तक 'वैदिक' मैगज़िन चलाया। आर्यसमाज को भारतवर्ष का अितिहास दिया। हिन्दी भाषा की अुकृष्ट सेवा की। किन्तु अुनका प्रधान

जीवनकार्य तो गुरुकुल की सेवा ही है।

राष्ट्रीय शिक्षा की बुनियाद में आर्य परंपरा होनी चाहिये यह गुरुकुल का मुख्य सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये आचार्य रामदेवजी ने अेकाग्रता से कोशिश की। श्रद्धानन्दजी के गुरुकुल की हिफाजत अच्छी तरह से कर के अन्त में वह संस्था अुन्होंने श्रद्धानंदजी के सुयोग्य शिष्य आचार्य देवशर्माजी के हाथों में सौंप दी और खुद कन्याशिक्षा का प्रश्न हाथ में ले कर देहरादून में अेक कन्यागुरुकुल खोला।

आर्यसमाजी लोग संस्था खोलने में और चलाने में बडे सफल हुअे हैं। सनातनी हिन्दु समाज में जो दानश्रद्धा रही है अुसी का शिक्षा के चैतन्यदायी कार्य में परिवर्तन करने का श्रेय आर्यसमाज को है। ब्रह्मसमाज ने शिक्षापात्र में जो काम किया है अुससे कहीं अधिक आर्यसमाज ने कर दिखलाया है। इसका कारण यह है कि सुधारक होते हुअे भी परंपरागत वैदिक संस्कृति के प्रति अुन्होंने अपनी निष्ठा शिथिल नहीं होने दी।

आचार्य रामदेवजी का देहरादून का कन्या-गुरुकुल मैंने कअी बार देखा है। आर्य-समाज की शिक्षा संस्थायें देश के शिक्षा-प्रयोग में अग्रगामी होनी चाहियें अैसी आचार्य रामदेवजी की महत्त्वाकांक्षा थी। कांगडी गुरुकुल में और देहरादून कन्यागुरुकुल में खादीविद्या का प्रवेश तो हुआ ही है। वर्धा-योजना और शेगांवशिक्षा-पद्धति के प्रयोग वहां पर होने चाहियें। आचार्य रामदेवजी इस बात को गम्भीरता से सोच रहे थे। किन्तु

अनुका शरीर जर्जरित हो गया था। स्वास्थ्यलाभ के लिये महाराष्ट्र में आ कर यहां की कोबी अच्छी शिक्षा संस्था में रहने का अन्होंने मेरे साथ निश्चित किया था। लेकिन अनुको आराम देने के लिये यमधर्म ने अनुको अपने यहां बुला लिया।

कन्या गुरुकुल का भार आचार्य विद्यावतीजी योग्यता के साथ वहन करती ही हैं। कन्यागुरुकुल ही आचार्य रामदेवजी का चैतन्यपूर्ण स्मारक हो सकता है।

२५:१२:३९

का० का०

पूना की अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद् हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोग कोबी चालीस या पचास वर्ष से जगह जगह होते आये हैं; लेकिन सारी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं को एक सूत्र में बांधने का पहला प्रयत्न १९२१ की अखिल भारतीय कॉंग्रेस महासमिति की बैठक में श्री मुहम्मदअली ने किया। लेकिन उस वक्त मोलाना मुहम्मदअली की सूचना या कार्यपद्धति किसीको पसन्द नहीं आयी। इसलिये उस वक्त कुछ भी न हो सका। उसके बाद दूसरा प्रयत्न गया कॉंग्रेस के समय बाबू भगवानदासजी ने किया। उस अधिवेशन के वक्त भी उसका कोबी परिणाम नहीं निकला। परन्तु १९२३ में काशी में अन्होंने एक परिषद बुलाई। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त क्या होने चाहिये इसकी चर्चा करीब पंद्रह-बीस दिन तक चलती रही। गुजरात विद्यापीठ के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा था उसकी स्पष्ट प्रतिध्वनि इस परिषद में सुनायी देती थी। तदनंतर १९२४ में बेलगांव में राष्ट्रीय शिक्षण की कुछ चर्चा हुई, लेकिन उससे फलनिष्पत्ति कुछ भी नहीं हुई।

अस के बाद फिर वह प्रयत्न आता है जो १९३० में गुजरात विद्यापीठ ने अपने नव-वार्षिक अुत्सव के अपलक्ष में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण-परिषद बुला कर किया था। इस अवसर पर गुजरात विद्यापीठ का निमंत्रण स्वीकार कर तिलक महा-राष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, प्रेम महाविद्यालय, आन्ध्र जातीय कलायाला, आदि सभी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के और महासंस्थाओं के प्रतिनिधि आये थे। इस परिषद में राष्ट्रीय शिक्षा का अुद्देश्य कुछ अंश में मर्यादित परंतु अुत्कृष्ट और निश्चित किया गया। "राष्ट्रीय शिक्षा का अुद्देश्य स्वराज्य-प्रेमी नागरिक निर्माण करना नहीं है; बल्कि स्वराज्य-परायण, चारित्र्यवान, संस्कारी सेवक (सैनिक) निर्माण करना है" ऐसा इस परिषद ने तय किया। यह परिषद विचार-विनिमय के लिये थी। इस विचार-विनिमय में से एक स्थायी संगठन बनाने के लिये काशी विद्यापीठ के अुपाधि-वितरण के अवसर पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-समिति कायम की गयी और यह तय हुआ कि इस समिति के द्वारा सारे हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय शिक्षा एक मूत्र में बांधी जाय। परंतु गोलमेज परिषद समाप्त होते ही अग्र दमननीति का प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा का सवाल फिर खटाजी में पड़ गया।

१९३१ से १९३७ तक राष्ट्रीय शिक्षा का सवाल आगे नहीं आया। उसके प्रयोग में अनेक फेर-बदल हुये। लेकिन संगठित प्रयत्न नहीं हुआ। आगे चल कर जब कॉंग्रेस ने अधिकार-ग्रहण का निश्चय किया और ग्यारह प्रान्तों में से आठ में कॉंग्रेसी मंत्रि-

मंडल स्थापित हुआ तब राष्ट्रीय शिक्षा का विचार फिर शुरू हुआ। इसी वक्त वर्धा में सौ-सबा-सौ राष्ट्रीय शिष्या-प्रेमियों की एक परिषद बुलाई गयी और उसके सामने गांधीजी ने अपने चार प्रख्यात प्रस्ताव अुपस्थित किये। इस परिषद में जो चर्चा हुई वह बिलकुल नयी थी और अुसीमें से वर्धा-शिक्षा योजना का आरंभ तथा हिंदु-स्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई।

अिसके पहले के संगठन मे एक मात्र मुसल-मान राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था जामिया मिलिया ने कभी कोभी हिस्सा नहीं लिया था। अुपयुक्त मुहूर्त जाननेवाले डॉ० जाकिर हुसेन ने वर्धा-परिषद में प्रमुख भाग लिया और गांधीजी ने अुन्हींको तालीमी संघ का अध्यक्ष बनाया।

अिस संघ ने काँग्रेस की अमलदारी में दो साल तक जो काम किया अुसका सिंहावलोकन और भावी कार्य की दिशा निश्चित करने के लिये पूना में सबको अेकत्रित करना तय हुआ।

जिसने शिक्षा को ही अेक अुत्पादक अुद्योग बना लिया अुस पूना नगर में अिस परिषद का होना अुचित्यपूर्ण था।

अिस परिषद का अुद्देश्य, शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से वर्धा-योजना निर्दोष है या सशोष, गांधीजी ने अपनी मूल भूमिका में कोभी परिवर्तन किया है या नहीं, हस्त-कौशल्य के विकास से बूद्धि में मन्दता आती है या नहीं, आदि सनातन प्रश्नों की बहस करना नहीं था। जिनमें अिस योजना का प्रयोग करने की श्रद्धा है अैसे प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं की यह परिषद थी। अैसे कार्य-कर्ताओं के अनुभव सुनने से लाभ होता, यह जिनकी धारणा थी अैसे कभी छोटे-बड़े प्रेक्षक

भी परिषद में अुपस्थित थे। अुन तीन चार दिनों की चर्चा जिन्होंने सुनी है अुन्हे यह विश्वास ही गया होगा कि अिस परिषद में भाग लेनेवालों ने मनःपूर्वक और श्रमपूर्वक प्रयत्न किया है।

अिस परिषद की अपर्वता यह थी कि क्रान्ति-कारी काँग्रेसवालों की और राष्ट्रीय शिक्षा के पुरस्कर्ताओं की बनायी हुई योजना कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी सरकारी शिक्षा-विभाग ने ली थी। अिस कारण सद्यः विचित्र प्रतीत होनेवाला संगम वहां दिखायी देता था। जिन लोगों ने सरकारी शिक्षा-विभाग के प्रति अपनी निष्ठा बताने के लिये काँग्रेस का अुत्साह धारण किया होगा अुन्हे काँग्रेस को अधिकारत्यास करते देख कर भी वही निष्ठा अिस परिषद में बतानी पड रही होगी, अिस विचार से अुभय पक्षों को कुछ अटपटा-सा लगता था। जिन थोड़े विभागनिष्ठ लोगों का मुझे अनुभव हुआ है अुनके विषय में मैं यह कह सकता हूं कि अुन्हींने अपनी तरफ से अिस योजना को अपनाते का और अुसके विषय में अुत्साह रखने का प्रयत्न अीमानदारी से किया है। जिन लोगों ने शिक्षा के भिन्न भिन्न प्रयोग किये हैं अुन्हे अेक दूसरे के अनुभव, कठिनावियां और सूचना सुनने में अमृत के घूंट पीने का मजा आता है। लेकिन जिन्हें अैसे कार्यान्वित का अनुभव नहीं है अुनका यह बकवास सुन कर जी अुबता जाता है। अुन्हे तो सिद्धान्तों का विवेचन, चटपटी टीकाटिप्पणी, मुलायम या अकडबाज भाषा में ही मजा आता है।

अिस परिषद में आज तक राष्ट्रीय शिक्षा में भाग लेनेवाले हमारे कार्यकर्ताओं का

बहुत कम हिस्सा था। शिक्षाविभाग के कर्मचारियों ने बर्खायोजना की तंत्रबद्ध करने के लिये क्या क्या कोशिशें कीं विसी का विवरण अधिक पाया गया। किन्हीं किन्हीं बहुत ही माकें की बातों पर भी चर्चा हुई। बम्बयी प्रान्त की ओर से विस नीति का समर्थन किया गया कि किसी अेक अविभक्त क्षेत्र में मनःपूर्वक बर्खायोजना का प्रयोग किया जावे और वहां जो अनुभव आवे उसके आधार पर तथा जैसे जैसे हमारा मनुष्य-बल बढ़ता जावे उसके अनुसार समूचे प्रान्त में विस योजना का प्रसार किया जावे। युक्त प्रान्त में श्री सम्पूर्णानन्दजी ने परिस्थिति को देख-परख कर दूसरी ही नीति पसन्द की है। वे कहते हैं कि "समूचे प्रान्त में पहले वर्ग के लिये नयी योजना अमल में लायी जाय और अतने अेक वर्ग के लिये पुरानी पद्धति तोड़ दी जाय। विस नीति से हम पुरानी पद्धति की जड़ आसानी से खोद सकेंगे। पुरानी पद्धति घासपात के समान है। अगर उसका जरासा भी बीज कहीं रह जाय तो वह सबभर फैल कर ही रहेगा। ये क्रान्ति के दिन हैं। गलतियां होंगी। गलतियां मालूम होते ही अुन्हें सुधार लेना चाहिये। पुराने की जड़ अुखाड़ देना महत्त्व का काम है; अन्यथा नये की जड़ें जम ही नहीं सकेंगी।" बम्बयी प्रान्त कहता है कि "शिक्षा राष्ट्रनिर्माण का काम है। वहां अैसी जल्दबाजी क्या काम आयेगी? अगर यह योजना बिगड़ जावे और बदनाम हो जावे तो फिर अुनका कोअी प्रयोग ही नहीं करेगा। हमारे प्रतिपक्षी यही तो चाहते हैं"। मुझे दोनों के कथन में तथ्य दिलायी दिया। विसलिये अन्त में सर्वसम्मति से यही तय

पाया कि युक्तप्रान्त में वे अपनी ही नीति से काम लें। परन्तु कुछ अखांड क्षेत्र में बम्बयी-वालों की नीति का भी प्रयोग करें।

दूसरा अेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव परिषद ने सर्वसम्मति से मंजूर फर्माया वह अक्षरशः नीचे देता हूं।

"यह परिषद विस बात को महसूस करती है कि हिन्दुस्तान के शिक्षा-क्रम में अंग्रेजी की पढाअी बहुत जल्दी शुरू करने से सारी पढाअी बिगड़ गयी है और देश का नुकसान हुआ है और सब विषय देशी भाषा में न पढाने से देशी भाषाओं की शिक्षा-शक्ति भी क्षीण हो गयी है। अंग्रेजी के जरिये सब बातें पढने से विद्यार्थियों के मगज पर बोझ भी बढ़ता है।

"अिसलिये विस परिषद की सिफारिश है कि सिर्फ बुनियादी तालीम में ही नहीं, किन्तु हिन्दुस्तान की तमाम स्कूलों में कहीं भी, जब तक विद्यार्थियों को सात बरस की बाकायदा तालीम अपनी जन्मभाषा में (स्वभाषा में) नहीं मिली है तब तक, अंग्रेजी बिलकुल नहीं पढाअी जाय।

"जिन लोगों की मादरी जबान अंग्रेजी है अुनके लिये यह बात लागू न हो।"

विस विषय में गांधीजी का आग्रह सर्व-परिचित ही है। राष्ट्रीय शिवया में काम करनेवाले तथा अर्हनिष्ठ राष्ट्रहित की चिन्ता करनेवाले लोगों का अनुभव ही अुन्हें यही बताता है। लेकिन यद्यपि परिषद ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया तो भी जनता विस विषय में कहां तक आग्रह रखेगी अिसमें शंका है। गांधीजी विस तरह अमुक काम अमूक कालमर्यादा में होना ही चाहिये अैसा संकल्प करके अपनी सारी शक्ति की बाजी लगा देते हैं अुसी प्रकार

यदि देश के नेता, समाज-सेवक और जिन्होंने अपने आपको राष्ट्रीय शिक्षा को अर्पित कर दिया है वे सब लोग जोरों का प्रयत्न करेंगे तो राष्ट्र की छाती पर जो अंक जबरदस्त भूत सवार हो गया है उसको दफनाने का श्रेय उन्हें मिलेगा।

चूँकि वर्धा-शिक्षण जीवन-शिक्षण है और चूँकि राष्ट्र-जीवन ग्राम-जीवन है, जिस-लिए शिक्षकों में जनपद-वृत्ति निर्माण करना नितान्त आवश्यक है। जिसके विषय में भी अंक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव परिषद ने किया है। जिस अंक प्रस्ताव का मर्म यदि हमारी समझ में आ जावे और सारे देश में उसका अमल हो तो दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी।

मूल अद्योग पसन्द करने में स्थानीय परिस्थिति और व्यवस्थाविशेष का खास खयाल रखना चाहिये, यह आग्रह भी कम महत्त्व का नहीं है। खर्च का हिसाब करते हुये जिस बात का खयाल रखना चाहिये कि वर्धाशालाओं में प्राथमिक और माध्यमिक, यानी प्रायमरी से ले कर हाईस्कूल तक, की शिक्षा स्वभाषा द्वारा ही जायेगी। इसी दृष्टि से अंक महत्त्व कृतना चाहिये। परिषद के अन्य प्रस्ताव प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं की ही अपयोगी हैं।

दो तीन प्रस्ताव परिषद का अनुभवमूलक विश्वास प्रकट करते हैं:—

(१) वर्धायोजना राष्ट्र के लिये बहुत अपयोगी है और राष्ट्र के लिये हितकारी है। जिसलिये राज्यव्यवस्था में पक्षान्तर होने पर भी वह जारी रहनी चाहिये।

(२) दो वर्ष का अनुभव संतोषकारक और मविध्य के लिये आशाजनक है।

(३) अनुबन्धी शिक्षा-पद्धति न केवल शास्त्रशुद्ध ही है, अपितु व्यवहार-सिद्ध भी।

(४) शहरों में भी यह योजना अमल में लायी जा सकती है।

जिन प्रस्तावों का महत्त्व अंक के पीछे रहे हुये अनुभव के कारण है।

अब जिस परिषद से फलनिष्पत्ति क्या हुआ? परिषद में तंत्रचर्चा अधिक हुआ और वर्धायोजना का चैतन्य दरकिनारे कर दिया गया—ऐसी आलोचना गुजरात के दो प्रमुख कार्यकर्ताओं ने की है उसकी तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये। श्री भारतानन्द ने अंक दो-टूक प्रस्ताव पेश करके विभाग-निष्ठ और शिक्षा-परायण लोगों को बहुत हैरान कर डाला। परंतु यदि गुजरात विद्या-पीठवाले अंक का पत्र अपुस्थित करते तो वह अधिक अच्छी तरह अपुस्थित किया जाता। अगर बहुत ज्यादा तनातनी होती तो शिक्षण-परायण लोग और ग्रामसेवा-परायण लोगों में फूट पैदा हो जाती। जिन्हें चैतन्य की चिंता है वे आज तंत्र को दृढ़ होने दें और अंक से चैतन्य तिरोहित होने न पावे। जिसका भी ध्यान रखें; यही अंक मार्ग है।

कौंग्रेस दीर्घकाल तक अधिकार-विमुख नहीं रहेगी। जब वह पुनः अधिकार की बागडोर अपने हाथ में लेगी तब अंक का धल पहले की बनिस्वत कहीं अधिक होगा। उस वक्त जिस योजना की स्वाभाविकता बाहर आयेगी। फिलहाल तो मूल अद्योग की स्थापना, अनु-बन्धी शिक्षा-पद्धति का प्रयोग, अंग्रेजी का निर्वासन और जानपद वृत्ति का आग्रह, अतनी बातें सम्हालना पर्याप्त है।

आचार्य कृपालानी के दो भाषण हुये। दोनों अतने सुन्दर हुये कि सारी परिषद

एक तरफ और दूसरी तरफ ये दो भाषण भाषण में प्रांजलता, बुत्कटता और दो वर्ष असा अगर कोअी कहे तो बहुत से लोग के जोशीले कार्य का सार था। वह मंजूर करेगे। श्री बालासाहब खेर के का० का०

संघवृत्त

आगामी सम्मेलन

कार्यवाहक समिति की बैठक ता. २१-१२-३९ को वर्धा में हुआ थी। संघ का आगामी वार्षिक सम्मेलन ता. २० फरवरी १९४० से ता. २६ फरवरी १९४० तक मलिकन्दा (जि० ढाका, पूर्व-बंगाल) में करने का निश्चय हुआ है।

अध्यक्ष का चुनाव

श्री किशोरलालभाजी को अध्यक्षपदारूढ हो कर पाँच वर्ष पूरे हो चुके हैं। नियमानुसार अब अध्यक्षपद के लिये फिर से चुनाव करना पड़ेगा। मुख्यतः स्वास्थ्य के कारण पुनर्निर्वाचन के लिये श्री किशोर-लालभाजी ने अनिच्छा प्रकट की है। उनके स्थान पर किसे अध्यक्ष चुना जाय इसका विचार भी कार्यवाहक समिति में हुआ था। लेकिन इसके विषय में कोअी पक्की राय अभी नहीं हो पायी है। अब सम्मेलन में ही इसका निर्णय हो सकेगा।

का. धा. स. का निर्वाचन

नियमानुसार कार्यवाहक समिति से अब की बार श्री. गोपबन्धु चौधरी और श्री गंगाधररावजी

देशपांडे की निवृत्त होने की बारी है। अिनके स्थान पर भी अपने में से दो का चुनाव सेवक सदस्यों को सम्मेलन में करना होगा। निवृत्त होनेवाले सदस्य भी फिर से चुन जा सकते हैं।

नियम-परिवर्तन

कार्यवाहक समिति की ओर से नियम संख्या ४ (अ) ४; ४ (अ) ३ और ४ (अ) में निम्न प्रकार बदल करने का विषय आगामी सम्मेलन में पेश करने का निश्चय हुआ है—

कलम ४ (अ) ४ में

“प्रति मास” के बदले “प्रति तिमाही में”
“एक हजार” के बदले “नव हजार”
और बढ़ाओ—

“और सिवाय कि वह चरखा संघ का सदस्य हो, संघ को प्रतिवर्ष अपने हाथ का काता हुआ, कम से कम बारह हजार गज सूत दे।

कलम ४ (अ) ३ में

“प्रतिमास” के बदले “प्रति तिमाही में”
“एक हजार” के बदले “छः हजार”
और बढ़ाओ—

“ और सिवा कि वह चरखा संघ का सदस्य हो, संघ को प्रतिवर्ष अपने हाथ का काता हुआ कम से कम बारह हजार गज सूत दे। ”

कलम ४ (अ) में

“ नियमपूर्वक अथवा अकमुस्त अितनी ” के बदले “ अकमुस्त अथवा नियमपूर्वक प्रतिवर्ष रु. ६ से अितनी अधिक ” और बढाओ—

“ अथवा प्रतिवर्ष कम से कम १२००० गज अपने हाथ का काता हुआ दस से अधिक अंक का सम और मजबूत सूत दे। ”

सदस्यों से निवेदन है कि अिस परिवर्तन के संबंध में अपनी सूचनायें तथा नियम-परिवर्तन के सम्बन्ध में और भी कोओ

सूचना हो तो वह ता. १५ जनवरी १९४० के पहले कार्यालय में पहुंच सके अिस तरह मिजवाने की कृपा करें।

वार्षिक विवरण

चूकि आगामी सम्मेलन पिछले सम्मेलनों की अपेक्षा बहुत जल्दी हो रहा है, सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने वार्षिक कार्य-विवरण हिसाब के साथ, ता. २० जनवरी १९४० के पहले कार्यालय में पहुंच सके अिस तरह मिजवाने का ख्याल रखें।

र. श्री. धोत्रे

मंत्री, गांधी सेवा संघ

“ मैं संप्रदाय-प्रवर्तक नहीं हूँ ”

गांधीवाद जैसी कोओ चीज मेरे तो दिमाग में ही नहीं है। मैं कोओ संप्रदाय-प्रवर्तक नहीं हूँ। तत्त्वज्ञानी होने का तो मैंने कभी दावा भी नहीं किया है। मेरा यह प्रयत्न भी नहीं है। कभी लोगों ने मुझसे कहा कि तूम गांधीविचार की अेक स्मृति लिखो। मैंने कहा, स्मृतिकार कहां और मैं कहां ? मेरे पास कोओ योजना नहीं है। स्मृति बनाने का अधिकार मेरा नहीं है। जो होगा, मेरी मृत्यु के बाद होगा। मैंने तो केवल बगैर योजना के, अपने निजी ढंग से यही प्रयत्न किया है कि हूम अपने नित्य जीवन में सत्य अहिंसा आदि सनातन तत्त्वों का व्यापक प्रयोग करें। बालक की तरह जैसी प्रेरणा मिली, प्रवाह में जो चीजे आ गयीं, अुसमें जो सूझा वह किया।

फिर, मुझे पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ वह सत्य के प्रयोग हैं। अैसा करने में कभी कभी मुझसे भूलें भी हुआ है। और अपनी लूलों से मुझे शिक्वा भी मिली है। अिस तरह मेरे लिअे जीवन अेक सत्य का प्रयोग है। सत्य की शोध में ही अहिंसा का साधन मुझे प्राप्त हुआ।

— गांधीजी

प्रदीप

जनता के जीवन-अधिकार का पहरेदार
बीसवीं-सदी-राजनीति का हिन्दुस्तानी मासिक

यूरोप में लड़ाई छिड़ी है

हिन्दुस्थान में जीवन मौत के सवाल खड़े हैं
आपने ऐसी हालत में घर और बाहर की सही
पूरी जानकारी के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

प्रदीप, हिन्दुस्तानी जनता की

जिसे जल्दत को पूरा करने की, एक नई कोशिश है
क्या आप सुलकी एक कापी
टूट कर नहीं पढ़ेंगे ?

वार्षिक ४)

1=) प्रति

सम्पादक:

जगदीश, अम. अ.
लक्ष्मण त्रिपाठी.

प्रकाशक:

प्रदीप कार्यालय,
मुरादाबाद

सूचना—

‘सर्वोदय’ में आम तौर पर भ्रष्टिहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय ग्रन्थ और देणसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। इनके भ्रष्टिहारों के दाम नहीं लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च से कर भ्रष्टिहार छापे जायेंगे। जो साहित्य या संस्था निर्विवादरूप से लोकोपयोगी हैं, जूसीको रथान दिया जायगा। यह व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी।

व्यवस्थापक, ‘सर्वोदय’, वर्ष।

निर्बल के बल राम

फिर भी, यह सवाल बाकी रह जाता है कि हमारा मकसद किस रास्ते पर है ? बड़े बड़े देश मतवाले हो कर जिस रास्ते जा रहे हैं वह हमारे लिये बेशक बंद है। ये बड़े बड़े राष्ट्र अपनी जिस दौड़ में किस मुकाम पर पहुँचेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। सिर्फ अितना ही कहा जा सकता है कि अितिहास की गति अति गहन है। कमजोरों के दुःख भी बलाढ्यों के जहाज में सुराख करते पाये गये हैं। अितिहास में केवल युद्ध और लड़ाई के ही सुयोग नहीं होते; बंचितों की निराशा भी अनुकूल अवसरों को खींच लाती है— वे कहां से आ सकते हैं यह तो इस क्षण हम नहीं कह सकते। हम यह ठीक ठीक नहीं बता सकते, इसी कारण अुस सुअवसर का आकस्मिक अुद्भव अिन बलाढ्य राष्ट्रों को हैरान कर देगा। जिन अमागे लोगों के लिये मेल-मिलाप और मित्रता के रास्ते में कांटे बिछा दिये जाते हैं और लड़ाई के रास्ते में रोडे डाल दिये जाते हैं, वे ही तो विधाता की अतर्क्य गति की ओर अुत्कट अुत्कंठा से देखते रहते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति के क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों को दबा मारते हैं और युद्ध में नरसंहार के यंत्र बढ़ाते चले जाते हैं, वे जब अीश्वर के नाम की आड़ लेना चाहते हैं तो हमें आवासन नहीं मिलता। साक्ष्यात् अीश्वर का ही नाम ले कर हम यह कहेंगे कि बाहर से हम असहाय भले ही दिखायी दें, परंतु फिर भी हम असहाय नहीं हैं। अिन्सानों की जिस दुनिया में हम रहते हैं, अुस दुनिया की निःस्वार्थी मानवता, जो हमें अपना ही मानती है, कहीं से न कहीं से आ कर हमारे पक्ष में मिलेगी। नहीं तो, विधाता का दूसरा अर्थ ही क्या हो सकता है ?

दिसंबर, १९३९ के }
"मार्डर्न रिव्यू" से }

—रवीन्द्रनाथ टाकुर

स'वो द्य

अेष षः पन्थाः सुकृतस्य लोके

सम्पादक
काका काल/लकर
दादा ध'माधिकारी

अंक अंक...	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में	६	शिलिंग
		१.५०	डॉलर.
(सब डाक सहित)			

अनुक्रमणिका

१. अशावास्त्रोपनिषत् (विनोबा)	३१३
२. जयपुर-सत्याग्रह (श्री हरिभाऊ अुपाध्याय)	= १४
३. सह-शिवषण (श्री काका कालेलकर)	३१८
४. विधानपंचायत और अहिंसात्मक क्रान्ति (आचार्य शं. द. जावडेकर)	३२३		
५. कातने की शर्तें क्यों ? (श्री किशोरलाल घ. मशरूवाला)	३३५		
६. स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का अर्थ (विनोबा)	३३३
७. कबूतर का गटरगूँ ('कलबलराम')	३५१
८. सर्वोदय की दृष्टि	३५६
गांधीजी की शर्तें; निःशस्त्र युद्ध और			
सशस्त्र युद्ध, कर्म देवाय हविषा विधेम ?			
९. संघवृत्त	३६१
१०. आकाश-दर्शन (श्री काका कालेलकर)	३६३

सर्वोदय मिळने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है :

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भुवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) बोरा अैण्ड कंपनी, ८, राऊण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) खादी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य मण्डल, कॅनाट सर्कस, न्यू देहली ।
- (७) सस्ता साहित्य मण्डल, लखनऊ ।
- (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) मगनलाल हिम्मतलाल भट्ट, कौण्रेस हाऊस, नाणाबट, सूरत ।
- (१०) सस्ता साहित्य मंडल, बिन्दौर ।

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादा धर्माधिकारी

फरवरी, १९४०
वर्षा

अशावास्योपनिषत्

[विनोवा]

मंत्र—अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय अिव ते तमो य अु संभूत्या रताः ॥१२॥

अर्थ—जिन्होंने निरोध को ही साधनसर्वस्व मान लिया वे मानो
घने अंधेरे में प्रवेश कर गये । जो विकारमयी मन्त्र
हो गये वे मानो अुससे भी घने अंधेरे में जा पहुँचे ।

टिप्पणियाँ—(१) पिछले तीन श्लोको में बुद्धि-शोधन हुआ । अब यहाँ से
हृदय-शोधन शुरू होता है । (२) (पापों का, दोषों का, या असद्वृत्ति का) निरोध, और
(पुण्य का, गुणों का, या सद्वृत्ति का) विकास, दोनों हृदय-शोधन की अेक ही क्रिया के निवृत्त और
प्रवृत्त अंग हैं । अतएव अुनके फल भी चौदहवें मंत्र में निवृत्त और प्रवृत्त रूप के दशयिे गये हैं ।
(३) यहाँ जो 'संभूति' और 'असंभूति' शब्द हैं अुनके अर्थ के विषय में अेकमत नहीं है, और
आगे भी होने की अधिक आशा नहीं की जा सकती । यहाँ जो अर्थ-निश्चय किया गया है,
अुसके विषय में अितना ही निवेदन है कि अुसमें वैदिक-वाङ्मय की जितनी साक्ष्य ली जा सकी
अुतनी ली गयी है । (४) जिस प्रकार आत्मज्ञानविहीन अेकान्तिक बौद्धिक साधना में अुसी प्रकार
आत्मज्ञानविहीन अेकान्तिक हादिक साधना में भी नाना प्रकार का अंधेरा भरपूर होता है । वह हर
अेक अपने लिये आप खोज ले । अुमे पूर्णतः टालने के लिये आत्मज्ञान की ही आवश्यकता है ।

मंत्र—अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात् ।

अिति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

अर्थ—(आत्मनस्त्व) विकास से भिन्न और निरोध से
भी भिन्न बनलाया गया है । जिन्होंने हमें वह
समझाया अुन ज्ञानी पुरुषों ने हमने अंसा गुना है ।

टिप्पणियाँ—(१) अुभयविध बौद्धिक साधना से, तथा अुभयविध हादिक साधना से
भी आत्मज्ञान भिन्न वस्तु है । अिसे अुपनिषद् ही प्रतिपादन कर सकते हैं । लेकिन वे भी पूर्वगुरुओं
का हवाला देते हैं । 'बिनु गुरु होय कि ज्ञान ?' यही अिसका निष्कर्ष है । (२) 'संभूति' और
'असंभूति' की जगह 'संभव' और 'असंभव' शब्द केवल छन्द की सुविधा के लिये प्रयुक्त हैं ।



जयपुर-सत्याग्रह

[हरिभाऊ अुपाध्याय]

राजपूताने में जयपुर आबादी के लिहाज से सब से बड़ी और आमदनी के लिहाज से दूसरे नम्बर की रियासत है। साधारणतया हरिजन-पाठशालाओं, खानगी व अँग्रेजी शिक्षणालयों, पुस्तकालयों, दवाखानों, सेवा-समितियों, खादी-केन्द्रों आदि के द्वारा जितने छोटे-बड़े रचनात्मक काम इस रियासत में फले हुये हैं, अतने, और राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा सामाजिक सुधार या प्रगति के कामों में जयपुर रियासत के-जिसमें सीकर और शेखावाटी शामिल हैं- घनी-मानी जितनी दिलचस्पी लेते हैं, अतनी, मध्यभारत और राजपूताना की किसी रियासत में नहीं हैं। फिर भी, कोभी तीन साल पहले तक जयपुर राजनैतिक प्रगति में पिछड़ा हुआ माना जाता था। जबसे श्री हीरालालजी शास्त्री अपने विश्वस्त साथियों के साथ प्रजा-मंडल में शामिल हुये और श्री जमनालालजी ने अुसका अध्यक्ष-पद ग्रहण किया, तबसे जयपुर-राज्य में राजनैतिक जागृति और आकांक्षाओं की अेक बड़ी लहर अुमड़ पडी। परन्तु श्री जमनालालजी के नेतृत्व में प्रजामंडल अुस लहर में बह नहीं गया—अुसने अपनी शक्ति को तूल-तूल कर कदम बढ़ाया, साफ-सीधे और सहयोग लेने-देने की प्रवृत्ति रक्खी, 'संघर्ष नहीं, सहयोग जीवन का नियम है', इस आदर्श पर और 'संघर्ष आ ही पडे तो अुससे पीछे हटना कायरता है', इस नीति पर, वे दृढ़ता से चलते रहे।

प्रजामंडल का कार्यक्रम द्विविध था—

(१) राजनैतिक मार्गों—जैसे अुत्तरदायी

शासन और नागरिक स्वतंत्रता को जयपुर-दरबार के सामने रखना और जन-मत को अुसके संबंध में शिक्षित करना;

(२) प्रजा के कष्ट दूर करने संबंधी भिन्न भिन्न सेवा तथा रचनात्मक-कार्यों में दिलचस्पी लेना।

श्री जमनालालजी के प्रजा-मण्डल का अध्यक्ष होने के समय सीकर-रावराजा तथा जयपुर-दरबार में जोर का झगडा चल रहा था, जिसमें मध्यकालीन रजवाडों की लडा़ी का दृश्य देखने लगा था; अुसमें सीकर-निवासी तथा जयपुर-प्रजामण्डल के अध्यक्ष होने के नाते जमनालालजी को विशेष दिलचस्पी लेनी पडी। सीकर-आंदोलनकारियों की गलतफहमियों और नाराजगियों का शिकार हो कर भी जमनालालजी ने जयपुर-दरबार और सीकर-प्रजा को नेक-सलाहें दीं, और अपना सारा प्रभाव खर्च करके गोलावारी और हत्याकाण्ड होने से—अुसके दुष्परिणामों से—जयपुर-दरबार और सीकर की प्रजा की रक्षा की। इसमें स्वभावतः जमनालालजी और प्रजामण्डल का नैतिक बल बढ़ा। अिसके बाद ही जयपुर-रियासत में सख्त अकाल पडा—जिसमें संकट-निवारण का कार्य करना प्रजामण्डल ने अपना धर्म समझा।

अिधर प्रजामण्डल प्रायः तमाम निजामतों में अपनी शाखायें खोल कर अपना संगठन पहले ही दृढ़ कर चुका था। ज्यों-ज्यों प्रजामंडल जनता में प्रविष्ट और प्रिय होता जा रहा था, त्यों-त्यों जयपुर के अंग्रेज शासक भयभीत होते जाते थे। अुनकी राय में प्रजामंडल यदि रहे भी तो मुट्ठी भर पढे-लिखे

लोगों में और घरों में भले ही रहे, गांवों में और जनता में न फैले। इसलिये अन्होंने प्रकट और अप्रकटरूप से अैसी बंदिशें लगाना और बांधना शुरू किया जिसमें प्रजामंडल के नेता और कार्यकर्ता ग्रामीण जनता के संपर्क में न आवें। अुनकी इस प्रवृत्ति का अंत हुआ जमनालालजी के खिलाफ जयपुर-राज्य में प्रवेश करने की निषेधाज्ञा के रूप में; जबकि वे मुख्यतः अकाल-संकट-निवारण संबंधी प्रजामंडल के कार्यों की देखभाल के लिये जयपुर आ रहे थे। शांतिप्रिय, मगर स्वाभि-मानी, जमनालालजी इस अनुचित हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकते थे, न प्रजामंडल ही अपने प्रिय नेता पर हुअे इस वार को हज़म कर सकता था। गांधीजी ने भी इसमें प्रजामंडल और जमनालालजी के भावों को ठीक समझा अेवं अुनके पक्ष का समर्थन किया। अंत को अेक मास का नोटीस देने के वाद भी जब अधिकारियों ने अपनी ग़लती को ठीक नहीं किया, तो १ फरवरी १९३९ को जमनालालजी ने इस आज्ञा को भंग करने के अुद्देश से जयपुर में प्रवेश किया। जयपुर-राज्य के तत्कालीन कर्ता-धर्ता सर बीचम सेंटर्जान अपनी हेकड़ी में यह ग़लती कर तो गये। मगर ग़लती करने का जितना साहस अुन्होंने दिखाया अुतना अुसे सुधारने का नैतिक बल अुनमें न था। अधिकारियों और सत्ताधारियों की यह आम प्रवृत्ति पायी जाती है कि काम करते समय वे जितना साहस और दृढ़ता दिखाते हैं, अुतनी अपनी ग़लती को मानने और सुधारने में नहीं। इसीसे वे लोगों में अप्रिय और निर्बल होते जाते हैं। इस नैतिक साहस के अभाव में सर बीचम की हालत 'सांप छछूंदर' की-सी हो गयी। अुन्हें

जमनालालजी को जेल में रखने, या अपने हुकम को वापिस लेने, का साहस न हुआ। दो बार पकड़-पकड़ कर अपनी हृद के बाहर छोड़ आये। तीसरी बार जमनालालजी ने अुन्हें अपने को जेल में रखने पर मज़बूर कर दिया। फिर तो प्रजामण्डल के मुख्य नेताओं पर भी सरकार ने छापा मारा और सत्याग्रह पूरे रंग में आ गया।

१८ मार्च तक सत्याग्रह चला। ६०० के लगभग गिरफ्तारियां हुअीं। अन्त में ता. ९ अगस्त को जयपुर महाराज की दूरदर्शिता और समयसूचकता से जमनालालजी बिना-धर्त छोड़े गये—यह सत्याग्रह की विजय थी। यदि गांधीजी का वरदहस्त, जमनालालजी का नेतृत्व, श्री हीरालालजी और अुनके विश्वस्त साथियों का दृढ़ संगठन तथा जनता का स्वेच्छापूर्ण सहयोग— अितनी सब अनुकूलताओं का सुंदर संगम न हुआ होता तो जयपुर-दरवार को भी वस्तुस्थिति को समझने और अुसके अनुकूल अपने को बनाने की प्रेरणा न हुअी होती।

मुझे यह लिखते हुअे बड़ा खेद हीता है कि जयपुर-नरेश का बनाया यह सहयोग और सद्भावना का वातावरण अधिकारियों की बेरुखी से बिगड़ता जा रहा है। यह देख कर मेरे मन में गंभीरता से यह प्रश्न अुठता है कि, "अितने अधिक पुण्य, बल, परिश्रम और कष्ट-सहन से जो वस्तु मिली क्या अुसकी जड़ सहज में ही और अितनी जल्दी हिलायी जा सकती है? और जो अैसी कोशिश करते हैं, क्या वे अिन तमाम पुण्यप्रभावों से प्रभावित ही न हुअे? यदि न हुअे तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? और प्रजामण्डल पर इसकी कितनी और क्या जिम्मेदारी है?"

सौभाग्यवश, मैं जून लोगों में से हूँ जिन्हें जयपुर-सत्याग्रह को बहुत नजदीक से ही नहीं, खूब अन्दर से देखने का मौका मिला है। जयपुर में पैदा न होते हुए भी जयपुर और जयपुरियों से मेरा असा सम्बन्ध रहा है कि जयपुर मुझे अपना घर ही मानूँ हीता है। ऐसी अवस्था में मैंने अक जयपुरी की भावना से ही अिन प्रश्नों पर विचार किया है, अुसका नतीजा यह है :—

सत्याग्रह का असर सामनेवाले पर तीन तरह से होता है:—(१) सत्याग्रहियों की निष्ठा और शुद्धता का सीधा असर प्रतिपक्षी के विल पर होता है, जिससे वह अपनी अल्पता और सत्याग्रही की महानता अंब अपने पक्ष की अन्याय्यता या निर्बलता और सत्याग्रही की न्याय्यता का अनुभव करने लगता है और अपनी हार मान लेता है। अिसे शुद्ध सत्याग्रह की पूर्ण विजय कहना चाहिये। अिसमें सत्याग्रही विजय से फूलता नहीं—अपने अकेले के या अपने ही पक्ष के लिये 'विजय' शब्द लगाना अुसे सत्य, शिव और सुन्दर नहीं मालूम होता—अिसमें अुसे सामनेवाले की भी अुतनी ही विजय दिखायी देती है; क्योंकि सामनेवाले ने अपनी कमजोरी पकड़ ली और अुसपर हावी हो गया; यह अुसकी कम विजय नहीं है। अिसी तरह पराजित, या ज्यादा सही भाषा में कहें तो, हुक्म-परिवर्तित व्यक्ति या पक्ष यह महसूस नहीं कर पाता कि मेरी हार हुआ, हार की लज्जा या ग्लानि अुसके पास नहीं फटकती; बल्कि अपनी निर्बलता पर विजय पाने और अिसे मूल से अपना शत्रु मान अिधर था, अुसे अपने मित्र के रूप में पाने और देखने का आनन्द वह अनुभव करता है।

अिस परिणाम में फिर दोनों में द्वेष या कलह का भय या संभावना नहीं रहती।

(२) सत्याग्रहियों के बल-संगठन का प्रभाव सामनेवाले पर पड़ता है। अिससे वह अपनी हानि-लाभ का हिसाब लगाने लगता है और अन्त में सत्याग्रही से लड़ते रहने में अपनी हानि समझ कर अुससे सुलह करता है। अिसमें सत्याग्रही के गुण या आंतरिक शक्ति की अपेक्षा बाह्य बल अथवा संगठन मुख्य-रूप से काम करता और असर डालता है; अंब दोनों अेक तरह के सौदे से संतुष्ट हो जाते हैं। अिसमें फिर दोनों में लड़ाबी-झगड़ा होने की आशंका और सम्भावना रहती है; क्योंकि भीतिक हानिलाभ का हिसाब तो परिस्थिति के अनुसार बदलता और कम-ज्यादा होता रहता है। अिसमें तत्काल फल जल्दी निकलता है, लेकिन अुसके स्थायी होने में शंका रहती है।

(३) "सत्याग्रही" कहलानेवालों के अन्धाधुन्व बल और आतंक से प्रतिपक्षी घबरा कर और परेशान हो कर हतबुद्ध हो जाता है और 'सत्याग्रही' की शरण जाता है। अिसमें 'सत्याग्रह' नाम-मात्र का होता है। अेक प्रकार की हिसा या प्रति-हिसा का ही वह सत्याग्रही, या शिष्ट-सज्जन, रूप है और सामनेवाला भी किसी तरह एक जाने का बहना, या ढोंग, या बाह्य क्रिया, करके अपने शत्रु की आंख में धूल झाँकता है, पहला मौका पाते ही वह अुसपर फिर वार करता है और अपने वादों या आश्वासनों से फिरने और पलटने का अंब अुनके अर्थों को तोड़ने-मरोड़ने का यत्न करता है। अिसमें तो अिस 'सत्याग्रह' की 'शस्त्राग्रह' से भी निकम्मा और भयंकर समझना चाहिये।

अससे दोनों पक्षों को न लाभ है, न शांति है, न कल्याण है। शुद्ध सत्याग्रह जैसे अुभय पक्ष के लिये कल्याणकारी और मंगलदायी है, वैसे ही यह अुभय पक्ष के हित, लाभ, शांति, सबके लिये घातक है। इसमें अपनी विजय माननेवाला अधिक धोखे और घाटे में रहता है।

अब जयपुर में यदि फिर वातावरण बिगड़ रहा है तो हम सत्याग्रहियों के लिये सोचने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। अिन तीन में से 'जयपुर-सत्याग्रह' किस कोटि में आता है? मेरी राय और अनुभव में वह तीसरी कोटि का तो हरगिज नहीं था। प्रथम कोटि में भी वह नहीं चढ़ाया जा सकता। दूसरी कोटि में अुसकी गिनती होनी चाहिये। पहली कोटि के सत्याग्रह के नमूने तो स्वयं गांधीजी के चलाये सत्याग्रहों में भले ही मिलें। अधिकांश सत्याग्रहों को दूसरी कोटि में ही स्थान मिलेगा। मेरी राय में यदि प्रजामण्डल के नेता और कार्यकर्ता दूसरे नम्बर से प्रथम नम्बर में आने का प्रयत्न करते रहेंगे तो अिस वातावरण को बिगाड़ने की जिम्मेदारी अुनपर कदापि नहीं आ सकेगी। दूसरे नम्बर से पहले में आने के लिये प्रजामण्डल का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर जाना जरूरी है :

(१) अहिंसा के अुच्चतम और शुद्धतम रूप को समझने तथा ग्रहण करने का यत्न करना।

(२) सत्याग्रह,— अर्थात् सत्य और अहिंसा— सम्बन्धी ज्ञान और प्रयोगों की चर्चा को बढ़ाना।

(३) कार्यकर्ताओं के पारस्परिक, संस्थागत तथा सामाजिक व्यवहार में, तथा, समाज और जनता में हुअे झगडेटंटों को सुलझाने में, अहिंसावृत्ति और अहिंसात्मक साधनों से ही कितना काम लिया जाता है, अिसका विशेष-रूप से ध्यान रखना।

(४) रचनात्मक और विशेषकर खादी के कामों में विशेषरूप से जुट पड़ना। जितनी निष्ठा और वेग से अिसमें जुटा जायगा, वह पारिचायक होगा अुत्तरदायी शासन की माँग की सच्ची लगन का; अुसमें से वास्तविक अहिंसा प्रकट और स्थिर होगी। प्रचार और संघटनात्मक कार्यों की अपेक्षा रचनात्मक कार्यों में अहिंसात्मक गुणों के अुदय होने और स्थिर रहने की विशेष संभावना है।

(५) प्रजामण्डल के तमाम पदाधिकारियों और कमिटियों के सदस्यों के लिये खादी पहनना और चरखा कातना लाजमी करना।

यदि जयपुर-दरबार की मनःस्थिति सुलह करते समय वास्तव में तीसरी कोटि के प्रभाव में काम करनेवाले प्रतिपक्षी की रही हो तो अुन्होंने यह सुलह करके अपना या राज्य का कोअी लाभ और हित नहीं किया है। अुन्हें या अुनके अधिकारियों को कम-से-कम दूसरी कोटि की दृष्टि अवश्य रखनी चाहिये, क्योंकि अन्त में यह बात तो अुन्हें कभी न भूलनी चाहिये कि " राज्य और राजा प्रजा के लिये है; जाग्रत और संगठित प्रजा-बल को रोकने का सामर्थ्य संसार की किसी शक्ति में नहीं होता। "

सह-शिक्षण

[काका कालेलकर]

१

सामाजिक आदर्श और शिक्षा

सहशिक्षण का सवाल अभी तक हल नहीं हुआ है। जिन देशों में सहशिक्षण सार्वत्रिक है वहां पर भी चन्द लोग उसके बारे में साशंक ह; और सुना जाता है कि स्वीडन और नॉर्वे में असें तक सहशिक्षण चलाने के बाद वह बन्द कर दिया गया। अके ओर लोग सहशिक्षण से डरते हैं और दूसरी ओर सहशिक्षण से नैतिक लाभ भी बहुतसे बताये जाते हैं। सहशिक्षण के बिना देश के युवकों की और युवतियों की शिक्षा अके अत्यंत महत्त्व के पहलू में अपूर्ण रह जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि युवक और युवतियाँ जहां अकेत्र आती हैं वहां पर और कुछ होता या न होता हो, शिक्षण तो होता ही नहीं, यह निश्चित है।

अंग्लैंड में जब स्त्रियों को पार्लमेंट की सदस्यता का अधिकार नहीं था और उस अधिकार की प्राप्ति के लिये उनका आन्दोलन शुरू हुआ था तब विरोधी लोग ऐसी ही दलील पेश करते थे कि पार्लमेंट के सभागृह में जब स्त्री और पुरुष साथ बैठ कर चर्चा करने लगेंगे तो राजकाज तो अलग रहेगा और केवल परस्पर-अनुनय और आराधन की बातें ही चलेंगी।

मनुष्य के इतिहास में अक्सर यह पाया गया है कि हर अके परिवर्तन के जो बड़े बड़े लाभ बताये जाते हैं वे आगे जा कर धास्तबिक नहीं पाये जाते और जिन बड़ी बड़ी हानियों का डर बताया जाता है अतनी हानि भी नहीं होती। मनुष्यस्वभाव की गति कुछ

विचित्र ही है। चाहे कौसी भी हालत क्यों न हो, अुसमेसे वह अपना रास्ता निकाल ही लेता है। क्योंकि मनुष्य-स्वभाव न तो अेकाअेक अूँचा चढने के लिये तैयार होता है और न सदा के लिये गिर जाना पसन्द करता है। जैसी कुछ परिस्थिति हो, अुसके अनुकूल रह कर मनुष्य-स्वभाव अपने हमेशा के धरातल पर स्थिर हो जाता है।

अिसीलिये अनुभवी सुधारक कहते हैं कि जो कुछ परिवर्तन करना हो अेकदम न करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। सभी सामाजिक सुधारों के निस्वत 'हेसन स्लोली' का अुपदेश खासतौर से दिया जाता है। कोअी सुधार कितना भी आवश्यक क्यों न हो, और अुसके बिना चाहे कितना भी नुकसान क्यों न होता हो, तेजी से दौड़ते समय भी मनुष्य-स्वभाव का खयाल करके गति को ज़रा संयत रखना चाहिये।

सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि अिस सहशिक्षा के सवाल का असली रूप क्या है ?

लड़के और लड़कियों के अके ही स्कूल में और अके ही कक्षा में साथ बैठ कर पढ़ने को 'सह-शिक्षण' कहते हैं। हमारा सामाजिक स्वभाव अितना बलवान् है कि जहाँ सहशिक्षण की प्रथा है वहाँ भी कक्षा में लड़के अलग बैठते हैं और लड़कियाँ अलग। सभा में भी जहाँ स्त्री और पुरुष अकेत्र आते हैं वहाँ स्त्रियों के लिये खास अलग जगह होती है और पुरुषों के लिये अलग। जहाँ जी चाहे शामिल-धारीक हो कर बैठने का रिवाज हमारे देश में शुरू नहीं हुआ है।

अके ही छात्रालय में लड़के और लड़कियों के रहने का भी रिवाज कहीं शुरू नहीं हुआ है और जहाँतक मुझे पता है यूरोप या अमेरिका में भी कहीं ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि लड़के और लड़कियाँ अके ही छात्रालय में अके दूसरे के पड़ोस में रहें। रूस का हाल हम नहीं जानते। विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों के 'सहजीवन' का सवाल तो अभीतक आया ही नहीं है। अभी तो सवाल केवल 'सह-शिक्षा' का ही है; 'सह-वास' का नहीं।

सह-शिक्षा का सवाल हर अके प्रान्त के निचे और हर अके कौम के लिअे अके-सा नहीं है। जहाँ गोशे या पर्दे का सवाल है वहाँ सहशिक्षा की कल्पना भी शायद कोअी नहीं कर सकेगा। जिस समाज में पर्दे की प्रथा नहीं है और स्त्री-पुरुष अपनी अपनी मर्यादा सम्हाल कर अके दूसरे से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं वहाँ का सवाल अलग है।

शाला में अगर अके ही समाज के लड़के-लड़कियाँ पढ़ने आती हों तब तो यह सवाल बहुत कुछ आसान हो जाता है। जहाँ पर्दे की प्रथा नहीं है वहाँ की सहशिक्षण-संस्था में अगर पर्दे की प्रथा-वाले समाज के चन्द लड़के आ जाते हैं तो सारा वायुमण्डल बिगड़ जाता है। पारसियों की सहशिक्षण-संस्थामें अगर देहात के हिन्दू या मुसलमान लड़के पढ़ने जावें तो अुनकी स्थिति भी कु विचित्र-सी हो जाती है। असलिअे जब हम सहशिक्षण के सवाल का विचार करते हैं तब हमें यह देखना चाहिअे कि संस्था में आनेवाले लड़के-लड़कियाँ भिन्न-समाजीय हैं या अके ही समाज के ?

अिस तरह सहशिक्षण का सवाल निरा

शैक्षणिक न हो कर सामाजिक है, अिस बात की तरफ खास ध्यान देना चाहिअे।

सहशिक्षण में शैक्षणिक दृष्टि ही न हो अैसा तो नहीं है। अगर स्त्री की और पुरुष की ग्रहणशक्ति भिन्न हो तो अुन्हें साथ पढ़ाने से लाभ है या हानि ?-यह देखना चाहिअे। हर अके मनुष्य को गणितबुद्धि, तर्कशक्ति, कलाकृत्ति, अिन्द्रियनिग्रह, युद्धकौशल्य, आदि अनेक बातों में प्रवीण करना आवश्यक है। अिन बातों में अगर स्त्री और पुरुष का विकासक्रम और अनुशीलन की अुत्कटता अके-सी हो तो सहशिक्षण में कठिनाअी नहीं होगी। थोडा-सा फरक रहने से दोनों को लाभ ही है। क्यौंकि तेज की सोहबत से अके हृद तक मन्द भी तेज हो जाता है। किन्तु अगर दोनों का अन्तर अकाट्य रहा तो दोनों का साथ पढ़ना दोनों के लिअे हानिकारक है।

सहशिक्षण में अुम्र का भी सवाल अपना अके विशेष महत्त्व रखता है। यह अुम्र का सवाल शैक्षणिक दृष्टि से भी प्रधानता रखता है और सामाजिक दृष्टि से भी।

बहुत-से शिक्षाशास्त्री कहते आये हैं कि बचपन से दस वर्ष तक लड़के और लड़कियों में न तो ध्यान आकर्षित करने लायक कोअी शारीरिक भेद होता है और न अुनके स्वभाव में ही लिंगभेद का कोअी महत्त्व होता है। असलिअे दस वर्ष तक, याने संकुचित प्राथमिक शिक्षा के खतम होने तक, लड़के और लड़कियों को साथ पढ़ने में किसी किस्म का खतरा नहीं है। अितना ही नहीं, किन्तु अुससे सब तरह से लाभ ही है। और अगर सहशिक्षणी प्राथमिक संस्थाओं में पढ़ाने का काम स्त्रियों के हाथों में ही सौंपा जाय तो वह आदर्श स्थिति होगी।

हम भी मानते हैं कि देश भर में प्राथमिक शिक्षा का कार्य स्त्रियों के ही सुपुर्द किया जाय। (प्राथमिक शिक्षा में केवल स्त्रियाँ ही शिक्षिकायें रहें या स्त्री और पुरुष दोनों पढ़ाने का काम करें?— यह सवाल भी विचार करने योग्य है, किन्तु उसका विवेचन अलग करना होगा।)

जब लड़के और लड़कियाँ अठारह या बीस बरस के हो जाते हैं तब वे कामविकार क्या चीज़ हैं यह अच्छी तरह से समझने लगते हैं। स्त्री-पुरुष का आकर्षण और उसकी जिम्मेवारी— दोनों बातों का अन्हें खयाल होता है। असी हालत में अपने को सम्हालना या अक्षःपात के रास्ते भटकना अनकी मर्जी का सवाल है। “जिम्मेवारी का जिन्हें खयाल है अन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देनी ही चाहिये। फिर उसका नतीजा चाहे जो हो,” असा कहनेवाला और माननेवाला भी अक पक्व है। अमी-लिअे कॉलेज में लड़के-लड़कियाँ साथ साथ पढ़ें अिसमें असे कोअी आपत्ति नही है।

अिसके विसद्व दूसरा पक्व कहता है कि अपने अुत्तरदायित्व का खयाल जिन्हें है वे सब असका पालन करने की शक्ति जब-तक नही रखते तबतक समाज को अुन्हें सम्हालना चाहिये। बच्चों में अुत्तरदायित्व का खयाल नही होता, अिसलिअे माँ-बाप और पालक अुनपर अकुश रखते हैं। अुसी तरह समाज के सामान्य स्त्री-पुरुष अपना अुत्तरदायित्व समझते अुअे भी असको निबाहने की शक्ति नही रखते अिसलिअे अुनके लिअे सामाजिक शिष्टाचार और नियंत्रण आवस्यक है। मनुष्य की अितनी शक्ति है अससे अधिक बोझ असपर नही डालना चाहिये।

शिक्षा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं

वैसे वैसे शिक्षा का खर्च भी बढ़ता है। पुरुषों और स्त्रियों के लिअे अलग अलग कॉलेजों की व्यवस्था कम से कम हमारे देश के लिअे अशक्य-प्राय है। देश भर में स्त्रियों के लिअे दो-चार कॉलेज खोलने से यह सवाल हल नही हो सकता। देशभर की लड़कियाँ पढ़ने के लिअे अितनी दूर जा भी नही सकतीं। अिन सब बातों का विचार करते अिस निर्णय पर आना पड़ता है कि या तो लड़कियों के लिअे कॉलेज की शिक्षा ही बन्द कर दी जाय, या फिर अुन्हें पुरुषों के कॉलेजों में ही पढ़ने की अिजाजत दी जाय।

सवाल विशेषकर अुठता है माध्यमिक संस्थाओं का, जहाँ दस और अठारह के बीच की अुम्र के लड़के और लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। अिस अुम्र में लड़कों में और लड़कियों में विकारों की जाग्रति हो सकती है; किन्तु अुन्हें असका पूरा खयाल नही होता। अुन्हें अपने कर्तव्य की शिक्षा भी नही दी जाती। मगर अुन्हें विःसंकोचभाव से मिलने-जुलने से रोका भी नही जा सकता। असी हालत में सहशिक्षा का प्रयोग करना कहां तक मनासिअ है—यह सबसे बड़ा सवाल है।

शिक्षण की दृष्टि से अिसका विचार करने के पहले सामाजिक दृष्टि से सोचना चाहिये।

अिस समाज में पदों की प्रथा है वहाँ के लोग घर में कैसे रहते हैं यह हम नही जानते। यह पदों की प्रथा अितनी भद्दी और असंस्कारी है कि घर के भीतर भी जो लोग अक दूसरे से मुंह छिपाते हैं अुनके जीवन-क्रम का विचार करने को भी जी नही चाहता। भारत में अैसे कअी समाज हैं जो अपने परिवार के बाहर के लोगों

को अपने घर के अंदर नहीं आने देते और अपने कुटुंबीयों से परिचय नहीं बढ़ाने देते। किन्तु अकेले ही खानदान के लोग और उनके सब रिश्तेदार आपस में अकेले दूसरे से किसी किस्म का पर्दा नहीं करते। अक्सर असा देखा गया है कि जैसे समाजों में सदाचार की दृढ़ता अधिक से अधिक पायी जाती है। क्योंकि वहाँ बच्चों को मर्यादित स्वतंत्रता के साथ साथ शील-रक्षा की शिक्षा भी परिवार के वायुमण्डल में ही मिलती रहती है। जिस समाज में पर्दे और गोशे की प्रथा है उसके बच्चों के लिये सहशिक्षण का प्रयोग आसान नहीं है। उसमें मुख्य कठिनायी बच्चों की ओर से नहीं आती; किन्तु शिक्षकों की ओर से ही आती है।

सामान्यरूप से हर परिस्थिति के लिये यही सिद्धान्त माना जा सकता है कि सह-शिक्षण में जो कठिनायी है वह सब से अधिक शिक्षकों की ओर से है। क्योंकि उनके पास मर्यादित स्वतंत्रता, स्व-सम्मान और शील-रक्षा का कोयी निश्चित और सर्वमान्य आदर्श नहीं होता। जो आदर्श

शिक्षक स्वयं हज़म नहीं कर पाया है उसका सच्चा वायुमंडल वह कभी कभी नहीं सकता। यूरोप में हस्तान्दोलन का रिवाज है। कहीं कहीं चुम्बन-आलिंगन का भी रिवाज होता है। जिनके लिये यह स्वाभाविक है वे उसे समझ सकते हैं और निबाह भी सकते हैं। हमारे देश में हम जैसे रिवाज चलाने जायें तो सारा मामला बिगड़ जायगा। यही बात सहशिक्षण की भी है।

जब तक हमारे देश में समाजसुधार का आन्दोलन शुरू ही नहीं हुआ था तब तक हर अकेले जाति का और समाज का अपना अपना अकेले अलग भला-या-बुरा आदर्श निश्चित था। अब वह स्थिरता टूट गयी है। और अब अलग अलग समाजों के अलग अलग आदर्श चलाना भी दिन पर दिन मुश्किल होता जायगा। वे लोग जो कि असुधारक हैं, और वे जो कि किसी भी आदर्श में विश्वास ही नहीं करते—दोनों प्रगति के विरोधी हैं। सामाजिक आदर्शों में कुछ मर्यादा और स्थिरता ही सबसे बड़ी सामाजिक शक्ति है।

२

गुरुगृह, या घर-बधू-भृगया का क्येत्र ?

आजकल नवयुवकों की ओर से अकेले अत्यंत स्वाभाविक किन्तु विचित्र दलील पेश की जाती है। वे कहते हैं कि "अब वह जमाना गुजर चुका है जब कि हमारी शायियाँ हमारे माँ-बाप, या रिश्तेदार, या कुटुंब के पुरोहित, ठीक कर लेते थे। अब तो हमें अपनी सहचारिणी स्वयं ही ढूंढनी होगी। और जब तक सहशिक्षण की प्रथा नहीं है तब तक हम अपने समाज की सड़कियों को

किस तरह पहचानें, उनसे किस तरह परिचय बढ़ावें और अकेले दूसरे को पसन्द भी किस तरह करें" ?

जिस प्रश्न की स्वाभाविकता तो स्पष्ट ही है। उसकी विचित्रता जिस बात में है कि नवयुवक शिक्षा-संस्था को ही अपनी सहचारिणी ढूंढने का क्ये और मौका मान बैठे हैं। हमारा सामाजिक आदर्श कहता है कि शिक्षालयों में विकारी दृष्टि के लिये अवकाश ही नहीं रहना

चाहिए। विकारी दृष्टि और ज्ञान की अुपासना, दोनों में कभी भी मेल नहीं हो सकता। अगर अध्यायन-काल में लड़के और लड़कियां परस्पर-अनुमय और प्रणयालाप करने लगे, अथवा शादी की दृष्टि से अेक दूसरे का निरीक्षण-नरीक्षण करने लगे, तो शिक्षा का तो अन्त ही है अैसा समझना चाहिए। प्राचीन काल में जब अनेक लड़के और लड़कियां अेक ही गुरु के पास साथ साथ पढ़ती थीं तब अैसा सामाजिक नियम ही था कि अेक गुरुगृह में पढ़नेवाले लड़के-लड़कियों का नाता भाओ-बहन का रहे। अुनमें शादी हो ही नहीं सकती थी। शिक्षक और विद्यार्थिनी का संबंध पिता-पुत्री का और विद्यार्थियों अेवं विद्यार्थिनियों का संबंध गुरु-भाओ और गुरु-बहन का हो, यह आदर्श कायम करके शिक्षा का वायुमंडल निर्दोष और निर्भय बनाया गया था।

युवकों को और युवतियों को चाहिए कि वे अपने शिक्षा-काल में शादी का विचार ही न करें। अितना ही नहीं; किन्तु अपनी भावी सह-धर्मचारिणी या सहधर्मचरको ढूढ़ने का प्रयत्न भी वहां न करें। शिक्षा-काल अुसके लिये अनुकूल नहीं है और शिक्षालय कोअी पति-या-पत्नी शोध का क्षेत्र नहीं है।

अगर समाज यह मानता है कि युवक और युवतियों का अपना अपना साथी ढूढ़

लेना अिष्ट और अुचित है, या अपरिहार्य है, तो समाज को अपने जीवन में—शिक्षालयों में नहीं—अैसे मीके निर्माण करने चाहिए जब कि लड़के और लड़कियां अत्यन्त शुद्ध, प्रसन्न और खुली परिस्थिति में अेक दूसरे के परिचय में आ सकें। कहा जाता है कि यूरोप में जब परिवार के सब लोग रविवार के दिन गिर्जाघर में अुपासना के लिये जाते हैं; तब वहां बडे लोग जिस वक्त अौखें मूढ़ कर भगवान का ध्यान करते हैं; अुस वक्त युवक और युवतियां अुस भक्ति के वायुमंडल में अेक दूसरे को सैना-सैनी करने की कोशिश करते हैं। हमारी शालाये अैसे गिर्जाघर का स्थान ले लें यह हम सर्वथा अनुचित मानते हैं। जिस समाज में युवकों को और युवतियों को अेक दूसरे के परिचय में आने का स्वाभाविक और शुद्ध मौका दिया ही नहीं जाता अुस समाज में सह-शिक्षण की प्रथा चलानी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अुससे न तो विवाह के सवाल का कुछ निर्णय हो सकता है, न शिक्षा का वायुमंडल ही निर्दोष रह सकता है।

नवयुवकों को चाहिए कि वे अपनी वैवाहिक कठिनाअियों दूसरी चाहे जिस रीति से दूर करने की सोचें; किन्तु शिक्षालयों को अिस अपवित्र दृष्टि के आक्रमण से सुरक्षित रखें।

विधानपंचायत और अहिंसात्मक क्रान्ति

[आचार्य शंकर दत्तात्रेय जाधवकर]

“अब तक किसी प्रजा पर किसी विदेशी सत्ता का राज है तब तक उस प्रजा के जुदा-जुदा अंगों में फूट रहेगी ही। कार्यसमिति का विश्वास है कि स्थायी अकेला के दर्शन तो उसी वक्त होंगे जब विदेशी हुकूमत का नामनिर्गमन मिट जायगा। कॉंग्रेस ने जैसी राष्ट्रीय पंचायत तजवीज की है वही इस सवाल का आखिरी निपटारा करने का एक मात्र अुपाय है। कॉंग्रेसवालों ने अब अच्छी तरह समझ लिया है कि खून परिश्रम के बिना स्वाधीनता मिलनेवाली नहीं है। कॉंग्रेस ने अहिंसा का अहद लिया है, इसलिये उस का आखिरी जोर सविनयभंग है, जो सत्याग्रह का ही एक अंग है।

(कार्यसमिति का प्रस्ताव,
वर्षा, ता. २२ दिसंबर १९३९)

भारतीय राजनीति की अपूर्वता

जो लोग मौजूदा राजनैतिक घटना-चक्र की भलीभाँति समझना चाहते हैं उन्हें सब से पहले भारतीय राजनीति के यथार्थ रूप की अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। वह जीवित राजनीति है और अब प्रौढ़ दशा को पहुँच चुकी है। दूसरे राष्ट्रों के इतिहास का अनुकरण करने की बाल्यावस्था में अब वह नहीं रही। अब तो उसने संसार के इतिहास में नये अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। हिन्दुस्तान में आज एक क्रान्ति हो रही है और उस क्रान्ति का रूप बिलकुल अपूर्व है। अंग्लैंड,

अमेरिका, फ्रान्स या रूस आदि देशों के इतिहास में जो घटनायें घटीं वे उसी रूप में इस देश में भी घटेंगी, या घटनी चाहियें, अंती अपेक्षा या अिच्छा करना भी गलत होगा। आधुनिक भारत में गये बीस वर्षों से एक क्रान्तिकारक नवशक्ति अपना प्रभाव दिखा रही है और उसकी सामर्थ्य लगातार बढ़ रही है। उसका बाह्य रूप पाश्चात्य देशों की क्रान्तिकारक लोकशक्ति के जैसा भले ही दिखायी देता हो; लेकिन उसका अन्तः स्वरूप अधिक शुद्ध और अधिक सात्त्विक है। सिर्फ अंग्लैंड की विधानवादी क्रान्ति का ही इतिहास जाननेवाले हमारे नरमदल के भावियों को, और केवल रूस और फ्रान्स की विप्लववादी क्रान्तियों का ही इतिहास जाननेवाले हमारे कम्प्युनिस्ट भावियों को, अपना अद्भुत प्रभाव दिखानेवाली भारत की इस आत्मशक्ति का यथार्थ ज्ञान अब तक नहीं हुआ है।

नरमदलवाले विधानवादी स्वास्थ्यपरिष्ठ (निष्क्रियवादी) इस भ्रम में हैं कि भारतीय राजनीति को क्रान्तिकारक रूप कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। और हमारे क्रान्ति-मीमांसकों की यह दृढ़ श्रद्धा है कि क्रान्ति हमेशा रक्तपात के भीषण भेष में ही प्रकट होती है। इसलिये भारतीय राजनीति का आज का रूप अिन दोनों को असमंजस में डाल रहा है। उन्हें अपने विचारों को सुलझाने के लिये सब से पहले यह समझ लेना चाहिये कि हम संसार में अघटित घटनाओं के जमाने में जीवित

हैं और हमारा राष्ट्र संसार के इतिहास में अके नया अध्याय लिखने जा रहा है। महात्मा गांधी की विभूति, सत्याग्रह का सिद्धान्त और अहिंसक क्रान्ति की घटना में जो अपूर्वता है, वह जब तक समझ में नहीं आयेगी तब तक भारतीय राजनीति का आकलन कोभी नहीं कर सकता। वर्तमान महायुद्ध के बाद नया संसार निर्माण होने-वाला है, इस नयी दुनिया में हिन्दुस्तान अके स्वतंत्र राष्ट्र के नाते रहनेवाला है, ब्रिटिश आदि यूरोपीय राष्ट्रों का साम्राज्यवाद नष्ट होनेवाला है और गत दो-तीन शताब्दियों तक सारे संसार पर अपना अधिकार जमाने-वाली यूरोप की आसुरी पूंजीवादी संस्कृति नष्ट होनेवाली है—यह भविष्य जो स्पष्ट देख सकते हैं वे ही इसका विचार कर सकते हैं कि अब मानवसंस्कृति को नया आधार कौनसा मिलेगा, या मिलना चाहिये। जिन्होंने इस प्रश्न का थोड़ा भी विचार-किया है अतः सब को आज यह निश्चित-रूप से सिखायी दे रहा है कि भविष्य में मानवीय संस्कृति को आत्मबल का ही अधिष्ठान मिलना आवश्यक है। भारत में निमित्त सत्याग्रही क्रान्तिशास्त्र इस आत्मबल का ही अके रूप है और वर्तमान भारतीय क्रान्ति के रूप में संसार के इतिहास के अके नये पर्व की भूमिका लिखी जा रही है। महात्मा गांधी, सत्याग्रह तथा भारतीय क्रान्ति के रूप में यह जो नया बल, या आत्मशक्ति, प्रकट हो रही है उसकी बदौलत संसार के दलित राष्ट्रों का अके दलित वर्गों का अुद्धार होगा, सच्ची अभिनव मानवीय संस्कृति निर्माण होगी और सभी को वास्तविक लोकशाही का, स्वतंत्रता का और यथार्थ शांति का लाभ होगा।

बाहुबल, बुद्धिबल और आत्मबल

बीस साल पहले भारतीय राजनीति ने विधानवादी आन्दोलन की लकीर पीटना छोड़ दिया। 'ब्रिटिश पार्लमेंट ही हमारा भाग्यविधस्ता, आदिदेवता, है और उसके प्रासाद में से हमें हमारे सारे अधिकार प्राप्त होंगे'—यह इस विधानवादी राजनीति का आधारभूत सिद्धान्त था। इस नीति से हम अपना स्वातंत्र्य प्राप्त नहीं कर सकते इसका धुंधला ज्ञान १९०५ के बाद आधुनिक भारत को होने लगा। इसके बाद के दस-पंद्रह साल हमारी राजनीति के लिये नये आधार की खोज में व्यतीत हुये। १९१९ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति को यह नया आधार प्राप्त हुआ। यही अहिंसक सत्याग्रही क्रान्तिशास्त्र है। पुराना बुद्धिबल का आधार निष्प्रभ और निष्फल साबित हुआ। इसलिये यह आत्मबल का नया आधार खोजा गया। लेकिन इस आत्मबल की राजनीति का क्या रूप होगा इसका अतः समय किसी को पता नहीं था। पुरानी और नयी—दोनों पीढियों के राजनीतिज्ञों का यही खयाल था कि इस राजनीति का विकास होते होते अन्त में असे शस्त्रबल का आधार लेना पड़ेगा और अतः असे से खून की नदियाँ बहने लगेंगी। पुरानी पीढी के राजनैतिक विचारकों को खून की नदियों के ये भीषण दृश्य देख कर डर लगने लगा और नयी पीढी के तरुणों को अतः भविष्य की कल्पना से अतः आशा होने लगी। आधुनिक यूरोप में जब जब राजनीति ने बुद्धिबल का आधार छोड़ दिया तब तब असे शस्त्रबल का ही आश्रय लेना पड़ा है। यह ऐतिहासिक सत्य है। इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि हिन्दुस्तान

में भी बुरी अतिहास की पुनरावृत्ति का डर या आशा हो। मनुष्य के पास बाहुबल या बुद्धिबल के अलावा तीसरा कोमी बल ही नहीं है—यह सिद्धान्त आधुनिक यूरोप ने रूढ़ किया है। इस सिद्धान्त का खण्डन करके महात्मा गांधी, सत्याग्रह और भारतीय क्रान्ति को दुनिया पर यह प्रकट करना है कि अमुक्त दोनों बलों से श्रेष्ठ आत्मबल मनुष्य में है और उसके आधार के बिना मानवीय राजनीति तथा सभ्यता के प्रबल हल नहीं हो सकते। भारतीय राजनीति बुद्धिबल का आधार छोड़ कर बाहुबल या शस्त्रबल पर अधिष्ठित होने के बदले आत्मबल पर अधिष्ठित हुआ है। असीलिये आज उसे अहिंसक क्रान्ति का जगदुद्धारक मंगल स्वरूप प्राप्त हुआ है।

शान्तिमय वातावरण की आवश्यकता

इस राजनीति को आज स्वतंत्रता, स्वयं-निर्णय (आत्मनिर्णय) और विधानपंचायत (परिषद) का रूप प्राप्त हुआ है। विधानपरिषद की कल्पना नयी नहीं है। यूरोप में और अन्य देशों में जब जब राज्य-क्रान्तियाँ हुईं तब तब पुराना विधान तोड़ कर नया विधान बनाने का कार्य करना पड़ा। अंसे संक्रमणकाल में ही विधानपंचायत की राजनीति जोर पकड़ती है। जब तक पुराने विधान के बिकास द्वारा ही नये राजनैतिक सुधार अमल में आते रहते हैं तब तक सुधारवादी वैधानिक राजनीति का युग कायम रहता है। जब यह अनुभव होने लगता है कि अंसे सुधारवादी आन्दोलन से काम नहीं चल सकता और प्रचलित शासनविधान में आमूलग्र परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, तब क्रान्तिवादी राजनीति का जन्म

होता है। यह राज्यक्रान्ति लाठी के बल पर न हो कर न्याय के जोर से हो; इस अभिप्राय से प्रजातंत्र के युग में विधानपंचायत की योजना निकाली गयी। ब्रिटेन में क्रॉमवेल की राज्यक्रान्ति, अमेरिका का स्वातंत्र्ययुद्ध, फ्रान्स की राज्यक्रान्ति, रूस की राज्यक्रान्ति, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणआफ्रिका आदि ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वराज्यप्राप्ति—आदि क्रान्तिकारक अवसरों में से विधानपरिषद की राजनीति का जन्म हुआ। तात्पर्य यह कि जबकभी पुराना शासनविधान जड़मूल से अखाड़ कर अुसकी जगह नया शासन-विधान, नये सिद्धान्तों पर, कायम करने का अवसर आता है, तब प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार नया शासन विधान बनाने के लिये विधानपरिषद कराने की परिपाटी प्रजातंत्र-युग में जारी हुई है। लेकिन विधानपरिषद की राजनीति की सफलता के लिये और नया शासनविधान प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार बनाने के लिये परिवर्तन-काल में भी शान्ति का वायुमण्डल बनाये रखने की आवश्यकता होती है। पुरानी राज्यसंस्था नयी क्रान्तिकारक शक्ति से सम्मानपूर्ण समझौता कर ले और नये शासनविधान के निर्माण-काल में शान्ति का वायुमंडल कायम रखने में मदद दे; तथा नयी क्रान्तिकारक शक्ति भी शान्ति की वृत्ति रख कर पुरानी राज्यसंस्था से सम्मान-पूर्वक सहयोग करे; तभी तो शान्ति के वायुमंडल में नये शासनविधान का जन्म हो सकता है। इसके विपरीत पुरानी सरकार नयी क्रान्तिकारक शक्ति को कुचलने की अुद्धंड शक्ति से ही काम ले, तो नयी क्रान्तिकारक शक्ति भीषण रक्तपाती रूप ले कर ही

जन्म लेती है। उसे फीजी वायुमण्डल में प्रजातन्त्र के निर्माण का विधानपरिषद का प्रयोग सफल नहीं हो सकता। जब पुरानी राज्य-संस्था अपनी अमलदारी का जमाना गुजर चुका यह समझ कर शान्तवृत्ति से अपने क्रिया-कर्म की तैयारी करती है और नयी क्रान्तिशक्ति भी निरंकुश फीजी वृत्ति के बदले शान्तता की सात्विक वृत्ति से ही काम लेती है, तभी नये प्रजातंत्र का निर्माण शान्ति से होता है, या हो सकता है।

विधान-परिषद की असफलता के कारण

क्रॉमवेल, नेपोलियन या लेनिन के जमाने में जो राज्यक्रान्तियाँ हुईं अतः वक्त भी विधानपरिषदों की बात सोची गयी थी। लेकिन वे विधान-परिषदें सफल नहीं हुईं। क्रॉमवेल के जमाने में ब्रिटिश पार्लामेंट ही विधानपरिषद बन गयी थी। लेकिन क्रॉमवेल ने अपने सिपाही ला कर अतः तोड़ दिया। फ्रेंच राज्यक्रान्ति के वक्त भी विधानपरिषद ने प्रजातंत्र की स्थापना की। लेकिन आगे चल कर वहाँ के सामंतों ने बग़ावत की और विदेशी राजाओं की सहायता से फरासीसी लोकशाही का गला घोटने के लिये राक्षसी षड्यंत्र रचा। तब नेपोलियन को लोकशाही तोड़ कर अनियंत्रित फीजी शासन स्थापित करना पड़ा। रूस की राज्यक्रान्ति के समय ज़ारशाही ने आखिर तक समझौते का रुख न बतलाया। जिसलिये देश में बेबंदशाही (अन्धाधुन्धी) का साम्राज्य फैल गया। उसके बाद कैरेन्स्की की अमलदारी शुरू हुई। उसने भी यथा-समय विधानपरिषद कराने के बदले देश की क्रान्तिशक्तियों को कुचलने के लिये ब्रिटिश और फरासीसी पूँजीपतियों की गुलामी

स्वीकार की। अतः वक्त देश में सर्वत्र चौपट-राज फैल गया। अतः अराजकता और बेबन्दशाही के जमाने में जो विधान-परिषद हुयी थी वह बोल्शेव्हिकों ने तोड़ दी और अन्होंने अपने ही दल की अनियंत्रित सत्ता स्थापित की। मतलब यह कि जब—जैसा कि प्रथम चार्ल्स, सोलहवें सती या ज़ार के दृष्टान्तों में पाया जाता है—पुरानी राज्यसंस्था आखिर तक क्रान्ति-शक्ति को कुचलने की आसुरी वृत्ति अपनाती है; और, क्रॉमवेल, नेपोलियन, या लेनिन के जमाने की नाओं, देश का प्रस्थापित राज्यतंत्र टूट कर सब तरफ बेबन्दशाही फैल जाती है; तब विधानपरिषद का लोकशाही प्रयोग सफल होने की बजाय फीजीशाही या अकपवयीय अनियंत्रित सत्ता कायम हो जाती है।

ब्रिटिश भुषनिवेशों का वृष्टान्त

असके विपरीत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, आदि ब्रिटिश भुषनिवेशों को जब स्वराज्य मिला अतः वक्त पुरानी राज्य-संस्था न क्रान्तिशक्ति से सम्मानपूर्ण समझौता करके विधानपरिषद के छोटे प्रयोग सफल कर दिखाये—अतः भी अुदाहरण इतिहास में पाये जाते हैं। अिन भुषनिवेशों में गोरे लोग बहुत थोड़े थे और अन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वहाँ के मूलनिवासी काले लोगों का अुनकी लोकशाही में कोअी स्थान नहीं रहेगा। जिसलिये वहाँ की विधान-परिषदें बहुत छोटी थीं और अुनमें से जिस लोकशाही का जन्म हुआ वह अेक तरह से गोरो का आधिपत्य ही हो गया है। आयर्लैंड में भी अेक प्रकार की विधानपरिषद कायम कर दी गयी थी। दर असल तो वह

प्रस्थापित राज्यंत्र को तोड़ कर स्थापित की हुई लोकसभा ही थी। परंतु फिर भी उसके प्रतिनिधियों से पार्लमेंट ने सुलह की और उसके बाद शान्तिता का वातावरण निर्माण हुआ। मतलब यह कि, जबकभी पुरानी राज्यसंस्था क्रान्तिशक्ति से समझौता करके अपना मृत्युसंस्कार और नयी लोकशाही का जन्मसंस्कार करने में हाथ बटाती है, तथा अजुब पक्ष शान्ति की रक्षा के प्रयत्न करते हैं; तबकहीं विधान-परिषद में से लोकशाही का जन्म होता है। परंतु जब जब पुरानी राज्यसंस्था या उसके आश्रित आखिर तक क्रान्ति-शक्ति से लड़ने की कोशिश करते हैं; तब तब क्रान्ति सफल होने पर खून-खच्चर का, बेबन्दशाही का और बदअमली का दौरा होता है और विधान-परिषदें असफल होती हैं। फलतः देश में निरंकुश फौजी सत्ता, या एक-पक्षीय सत्ता, कायम होती है। यह इतिहास का अनुभव कहा जा सकता है।

हमारी परिस्थिति की अनुकूलता

हिन्दुस्तान जैसे महाद्वीपप्राय देश में लोकशाही की स्थापना का प्रयोग जितना अपूर्व है उतना ही अपूर्व अतने बड़े महाद्वीप-कल्प राष्ट्र पर अनियंत्रित विदेशी साम्राज्यशाही डेढ़सौ वर्षों तक कायम करने का ब्रिटिशों का प्रयोग भी अपूर्व ही है। उसी प्रकार हिन्दुस्तान में आविर्भूत अहिंसक क्रान्तिंत्र (क्रान्तिकला) और सत्याग्रही तत्त्वज्ञान भी अपूर्व ही है। उतनी ही अलीकिक महात्मा गांधी की विभूति और अन्होंने अिन बीस वर्षों में अिस देश में अिस राजनीति का सूत्रपात किया वह राजनीति भी है। महात्मा गांधी के समान साधुवृत्ति का

नेता संसार की किसी भी राज्यक्रान्ति के समय पैदा नहीं हुआ था और न लोकशाही की आधारभूत अहिंसावृत्ति भी किसी क्रान्तिकारक के पास आविर्भूत हुई थी। अतः विधानपरिषद की लोकशाही की स्थापना की राजनीति पूर्णरूप से सफल होने के लिये वर्तमान भरतखंड में जितना सुयोग है उतना पहले कभी किसी देश में नहीं था। विधान-परिषदों की राजनीति अिसके पूर्व अनेक राज्य-क्रान्तियों के समय पर असफल हुआ। तो भी हिन्दुस्तान में वह सफल होगी अैसी आशा का प्रधान कारण महात्मा गांधी का अलीकिक विभूतिमत्व तथा सत्याग्रह का अपूर्व क्रान्ति-शास्त्र ही है। यही वजह है कि भारतीय राजनीति बुद्धिबल का आधार छोड़ देने के बाद शस्त्रबल का आधार लेने के बदले आत्मबल का आधार ले कर बिकसित होने लगी।

विधानपरिषद और सौत्रामणि यज्ञ

प्राचीन भारत में पुराने राजा को गद्दी से उतार कर नये राजा को आभिषिक्त करने के लिये सौत्रामणि नामक यज्ञ किया जाता था। अिस सौत्रामणि यज्ञ का नेतृत्व तत्कालीन अृषिवर्ग या यतिवर्ग करता था। आधुनिक यूरोप से निकली हुई विधान-परिषद की क्रान्तिकारी योजना भी अिस सौत्रामणि यज्ञ का ही आधुनिक रूप है। परंतु आधुनिक यूरोप ने अिस घातक सिद्धान्त का स्वीकार किया कि धर्म और अध्यात्म का राजकाज से कोभी संबंध नहीं है। अतः वहां क्रान्तिकारक राजनीति ने सौत्रामणि यज्ञ का धार्मिक तथा शान्तिमय रूप लेने के बदले रक्तपात का राक्षसी रूप धारण किया। राक्षसी हिंसा-वृत्ति धर्मवृत्ति अेवं यज्ञसंस्था से असंगत

है। जिसलिये आधुनिक यूरोप के इतिहास में अनियंत्रित राजसत्ता और सशस्त्र क्रान्ति-शक्ति के गजग्राह (खींचातानी) में विधान परिषदों का सीत्रामणि यज्ञ राक्षसी शक्तियों द्वारा बुध्वस्त किया गया है। लेकिन महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत में जो क्रान्ति-शक्ति निर्माण की है उसमें यह यज्ञ-विध्वंसक वृत्ति नहीं है। उसमें तो प्राचीन ऋषिगर्ग की धार्मिक और आध्यात्मिक वृत्ति प्रकट हुई है।

हिंसाप्रधान राजनीति और लोभमूलक अर्थनीति

आधुनिक यूरोप में जिस समय लोकशाही अत्यन्त हुई उसी समय राजनीति और अर्थनीति का धर्म अवं अध्यात्म से रिस्ता तोड़ दिया गया। जिसलिये वहाँ की संस्कृति को हिंसा तथा लोभ का आधार मिलता गया। राजनीति में हिंसा और अर्थनीति में लोभ का प्राधान्य होने लगा। जिसलिये यूरोप के राष्ट्रवाद में से धनिकशाही (पूँजीशाही) पैदा हुई। जिस साम्राज्यशाही के प्रतिकार में से भारतीय राष्ट्रवाद अत्यन्त हुआ है और ब्रिटिश धनिकशाही के प्रतिकार में से भारतीय अर्थनीति का जन्म हुआ है। अतः महात्मा गांधी यह कहते हैं कि भारतीय राजनीति तथा अर्थनीति हिंसा और लोभ का आधार न ले। सत्याग्रही राजनीति का आधार अहिंसा और सत्याग्रही अर्थनीति का आधार अपरिग्रह है। अहिंसा और अपरिग्रह की नींव पर नयी मानवीय संस्कृति निर्माण करने का प्रयत्न महात्मा गांधी कर रहे हैं। अहिंसा के आधार पर ही वास्तविक लोकशाही का निर्माण हो सकता है, यह महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास है। जिसलिये उन्होंने अपने क्रान्तियात्र को अहिंसा का रूप दिया है

और वे जिस बात की निरंतर चेष्टा कर रहे हैं कि विधानपरिषद के अवसर पर प्राचीन सीत्रामणि यज्ञ के समान शान्ति, धर्म और अध्यात्म का वायुमण्डल कायम हो।

विधानपरिषद के शत्रु और मित्र

हिंसामय और लोभप्रधान पाश्चात्य संस्कृति ने जिनकी दृष्टि को मंत्रमुग्ध कर दिया है, उन्हें यह डर या आशा है कि विधानपरिषद के अधिवेशन के वक्त रक्तपात होगा और उस के समान जिस देश में भी वह तोड़ दी जायगी। जिन्हें यह डर है वे विधानवादी आन्दोलन पर कायम रह कर अपने विधान का निर्णय ब्रिटिश लोगों को सौंपने के लिये तैयार हैं। जिसके विपरीत जिन लोगों को विधानपरिषद तोड़ कर लेनिन की राजनीति का आरंभ करने की आशा है वे केवल अंक रण-घोष (स्लोगन) के तीर पर विधान परिषद का समर्थन करना चाहते हैं। परंतु महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलालजी जैसे लोकशाही के सच्चे समर्थक विधानपरिषद केवल अहिंसक क्रान्ति के काल में ही सफल हो सकती है यह जान कर, अहिंसक क्रान्ति की नीति का सच्चे दिल से अनुसरण कर रहे हैं। लोकशाही राज्यपद्धति अहिंसावादियों की समझ में आसानी से आ सकती है। क्योंकि वह अहिंसा की पोषक है। उसी तरह अहिंसावादियों की समझ में विधानपरिषद की राजनीति भी सहज में आ सकती है। क्योंकि लोकशाही के आरंभ का और साम्राज्यशाही के विनाश का वही एकमात्र अहिंसक मार्ग है। जो यह क्रान्ति नहीं चाहते, अथवा जिनकी यह दृढ़ धारणा है कि वह हिंसा के सिवा ही

नहीं सकती, वे विधानपरिषद का समर्थन बुद्धिपूर्वक कर ही नहीं सकते। उनमें से पहले उसे गोलमेजपरिषद का विधानवादी रूप देने की कोशिश करते हैं और दूसरे उसे यथासमय तोड़ने की ताक में हैं। इस प्रकार पहले अपनी विधानवादी वृत्ति के कारण और दूसरे सशस्त्र क्रान्तिवाद के कारण विधानपरिषद के कट्टर और वास्तविक शत्रु हो जाते हैं। परंतु केवल अहिंसक क्रान्ति-कारक ही विधानपरिषद के सच्चे पुरस्कर्ता हैं। उनकी इस निष्ठा का आधार सत्य और अहिंसा में उनकी अटल श्रद्धा है। वर्तमान भारतीय राजतिनी की बागडोर अिन्हीं अहिंसक क्रान्तिकारियों के हाथ में है। अिसीलिअे यह दृढ़ आशा है कि यहां की विधानपरिषद प्राचीन भारत के सोत्रामणि यज्ञ का धार्मिक रूप लेगी और आधुनिक भारत में अहिंसा की नींव पर लोकशाही के शुद्ध रूप का निर्माण होगा।

विरोधियों के तीन वर्ग

यह स्वाभाविक है कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही हमारी राष्ट्रीय विधानपरिषद की तथा भारतीय राष्ट्रियता अेवं लोकशाही की कट्टर दुश्मन हो। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यशाही केवल अपने बल अिस देश में राज नहीं कर सकती। अुसने अपने मायावी मोहक रूप की बबौलत अपने अनेक मित्र बना लिये हैं। अुसके ये मित्र विधानवादी राजनीतिक तत्त्वज्ञान से मुग्ध नरमदलवाले और साम्राज्य सत्ता के रोब और दबदबे से भयभीत देशी नरेश, तथा ब्रिटिशों की कुटिल नीति के लोभ अेवं अज्ञान के शिकार बने हुअे जातिनिष्ठ, धर्म-निष्ठ तथा घननिष्ठ नेता हैं। विधानपरिषद

के विरोध के अिन तीन वर्गों के अलग अलग कारण हैं। मगर फिर भी, अुन सबके विरोध का अेक सामान्य मूल कारण यह है कि वे अंसा समझते हैं कि अबतक हिन्दुस्तान की सार्वभौम सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथ में रहेगी तभी तक अुनकी संपत्ति और सत्ता अबाधित रहेगी। नरमदल की राजनीति का अन्तिम अ्धेय ब्रिटिश साम्राज्य-शाही की चौखट से बाहर जा ही नहीं सकता। भारतीय राजकाज की अन्तिम निर्णायक सार्वभौम सत्ता अिर्लैंड से हिन्दुस्तान में लाने की क्रान्तिकारी राजनीति अुनकी परंपरागत विचारप्रणाली में बैठ ही नहीं सकती। देगी नरेश और पूंजीपति अपनी सत्ता और संपत्ति की लालच से, और भारतीय लोक-शाही के डर से, साम्राज्यसत्ता के दोस्त बन गये हैं। अगर अुन्हें यह विश्वास होता कि क्रान्ति के बाद अिस देश में सामन्तशाही और धनिकशाही स्थापित होगी तो वे वर्ग भी क्रान्तिकारी राजनीति में शामिल हो जाते और विधानपरिषद पर अपना कबजा जमा कर या अुसे तोड़ कर अपनी अवि-यंत्रित सत्ता अिस देश में कायम करते। परंतु यहीं की सामन्तशाही और पूंजीशाही में न तो अितना आत्मविश्वास है और न अितना नेतृत्व-कोशल्य, या अितनी कतृत्वशक्ति। अिसलिअे अुन्हें ब्रिटिश लोगों की अपेक्षा विधान-परिषद से अधिक डर लगता है। ये दोनों वर्ग सच्ची विधानपरिषद का विरोध अवश्य करेंगे।

सामन्त और पूंजीपति

परंतु अिस सामन्त और पूंजीपतियों के वर्ग में भी जो दूरदर्शी हैं अुन्हें यह विरोध छोड़ देना ही अुचित है। क्योंकि यदि वे

वैसा न करेंगे तो अन्त में अन्हें भारतीय जनता का रोष सहन करना पड़ेगा। जिस-लिसे अन्हें चाहिये कि वे जिस समय जनता से द्रोह करके साम्राज्यसत्ता का आश्रय न ले कर हिन्दी लोकशाही की बढती हुयी शक्ति के साथ, अगर सहयोग नहीं तो कम-से-कम, अवरोध का व्यवहार करें। जिसीमें दूर-दर्शिता है। जिसके अलावा वर्तमान भारतीय क्रान्तिशक्ति अनत्याचारी होने से अन्के बर्ग का सम्पूर्ण निःपात करने की नीति भी अुसने अखत्यार नहीं की है। और फिर, जिस साम्राज्यसत्ता के बल, वे भारतीय लोकशाही का विरोध करना चाहते हैं वह साम्राज्यसत्ता ही सांप्रत वधिण हो रही है। जिसलिसे यह जान कर कि ब्रिटिश सार्व-भौम सत्ता अस्ताचल की ओर जा रही है, अन्हें दूरदृष्टि से जिस देश में अुदीयमान नयी सार्वभौम सत्ता से सहयोग करना चाहिये। कम-से-कम अुससे झगडा तो मोल नही लेना चाहिये। अितनी दूरदृष्टि कुछ पूजीपतियों को भले ही प्राप्त हो जावे; लेकिन सामन्तों और देशी राजाओं को अज्ञान तथा अनीति ने अितना घेर लिया है कि अन्हें अितनी दूरदृष्टि प्राप्त होना असंभव-सा प्रतीत होता है। अन्हें दूरदृष्टि प्राप्त होने के लिसे ब्रिटिश रेसिडेन्ट और अधिकारियों को ही अन्के गले यह बात अुतारनी चाहिये। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लोभी और स्वार्थी होते हुअे भी अन्धे नहीं हैं। जिसलिसे वे अपना भीषण भविष्य जितना जल्दी देख सकते हैं अुतना अन्के अुक्त मित्र नहीं देख सकते। जिसलिसे “हमारे अिन मित्रों से हमें बचा”—अैसी प्रार्थना भगवान से करने की नीबत ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर जल्दी हो आनेवाली है। परंतु यह तभी

हो सकता है जबकि दर असल ब्रिटिश राजनीतिज्ञ स्वार्थ और लोभ से अन्धे न हो गये हों। मीजूदा चेंबरलेन-मंत्रिमंडल और भारत-सचिव लॉर्ड झेटलैंड देशी नरेशों के समान अन्धे भले ही न हों, लेकिन फिर भी, संसार के अदूर-दृष्टि और स्वार्थान्ध राजनीतिज्ञों में अुनका अनुक्रमांक (नम्बर) काफी अपर लगेगा। जिस कारण जब तक भारतीय जनता सत्याग्रह की अग्निपरीक्षा में से अुत्तीर्ण हो कर अपना आत्मतेज प्रकट नहीं करती तब तक अुनके दिमाग में अपने भविष्य का प्रकाश पडने की बहुत कम संभावना है। •

धर्मनिष्ठ और जातिनिष्ठ नेता

अब धर्मनिष्ठ और जातिनिष्ठ नेता और अुनकी दलबन्दियों का विचार करें। हिन्दुस्तान में धर्म और जातियाँ हजारों साल से है। लेकिन लोकशाही के राजकाज में जातिनिष्ठ पृथक्-निर्वाचन-वधेन बना कर राष्ट्रभावना छिन्न-भिन्न करने की तरकीब ब्रिटिश राज-नीतिज्ञों के ही दिमाग की अुपज है। अिन भिन्न निर्वाचनवधेश्रों की मदद से राजनिष्ठ राजनीति निर्माण करके राष्ट्रीय लोकशाही की प्रभावी राजनीति को शिकस्त देने की चाल ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने मोर्ले-मिण्टो सुधारों के जमाने से ही शुरू की थी। मॉण्टफोर्ड सुधारों के बाद जिस चाल ने जोर पकडा और दविषण में ब्राह्मणस्तर पवष तथा अुत्तर में मुसलमानों के आन्दोलन को दल मिला। जिस प्रकार काँग्रेस की राजनीति पर हमले किये गये। जिसी नमूने पर अस्पृश्यों की राजनीति डॉ० अम्बेडकर आदि नेताओं ने शुरू की। आज ब्राह्मणस्तर आन्दोलन अपना अराष्ट्रीय रूप छोड कर काँग्रेस-निष्ठ हो गया

है। मुसलमानों में भी अके एक राष्ट्रीय पक्ष बन गया है और काँग्रेस में लाखों मुसलमान शामिल हुअे हैं। काँग्रेस के सत्याग्रह आन्दोलन में हजारों मुसलमान जेल जाने को भी तैयार हो सकते हैं यह भी साबित हो चुका है। अतना ही नहीं, बल्कि सरहद्द प्रान्त और सिंध जैसे दर असल मुसलमानी प्रान्तों में मुसलमान जनता ने काँग्रेस का समर्थन किया। इसलिये मुस्लिम लीग की हालत धीरे धीरे पुराने ब्राह्मणोत्तर पक्ष जमी और बैरिस्टर जीन्ना की हालत अ-राष्ट्रीय ब्राह्मणोत्तर नेताओं जैसी होने लगेगी। तो भी मुस्लिम लीग ही अकेली मुसलमानों की प्रतिनिधि है, अंसा बैरिस्टर जीन्ना दावा करने हैं। और ब्रिटिश सरकार भी लोगों को अमी भ्रम में डालना चाहती है। दर असल तो जातिनिष्ठ नेताओं की राजनीति नरमदल की नीति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। क्रान्तिकारी राजनीति जिन लोगों की ताकत से परे है, लेकिन सिर्फ नरमदल की नीति के आधार पर जो लोग साधारण जनता की व्होट प्राप्त नहीं कर सकते, अन्होंने नरमदल की विधानवादी राजनीति पर धर्मनिष्ठा और जातिनिष्ठा का रोगन चढाकर अके नयी राजनीति का भ्रम फैलाया है। लोकमान्य तिलक ने नरमदल की नीति के बारह बजा दिये। अुसके बाद अुसके लिये अपने पुराने नरम और साम्राज्यनिष्ठ रूप में जीवित रहना असम्भव हो गया। इसलिये लोकशाही के जमाने में अज्ञान जनता को परंपरागत जातिनिष्ठा और धर्मनिष्ठा के फेर में डाल कर साम्राज्य-सत्ता की मदद करने के लिये यह नयी राजनीति अवतीर्ण हुअी है। अिन तीस वर्षों

में अिस धर्मनिष्ठ और जातिनिष्ठ राजनीति को बढावा दे कर भारतीय लोकशाही पर आक्रमण करने की नीति ब्रिटिश राजनीतियों ने अख्त्यार की। गोलमेज परिषद में यह नीति अपनी चरम सीमा को पहुंची। तब से भारतीय राजनीति में गोलमेज परिषद अके मजूक की बात हो गयी है। हिन्दु-स्तानियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पर्वाह न करते हुअे सभी दलों के दौत खट्टे करने की हिकमत का नाम गोलमेज परिषद—अंसा अुसका अर्थ भारतीय राजनीतिक कोप में दर्ज हो चुका है।

अिसके बाद विधान परिषद की क्रान्तिकारी राजनीति का आरंभ हुआ। अुसका अहिंसक रूप जान कर महात्मा गांधी ने अुसकी सिद्धि के लिये अपना सारा आत्म-बल लगा देने का निश्चय किया। अिस विधान-परिषद में जनता के सच्चे प्रतिनिधि ही आवें अिस मनशा से अुसका चुनाव सार्वत्रिक मतदान के अधिकार से हो और अल्प-संख्यक जमातों के हित की रक्षा होने के लिये अुन्हें, जहाँ मुमकिन हो, अलग निर्वाचन की सुविधा दी जावे, जैसी योजना की गयी है। लेकिन अैसे सार्वत्रिक मतदान से निर्वाचित प्रतिनिधियों में अपनी कोअी हस्ती नहीं रहेगी यह जान कर जातिनिष्ठ और धर्म-निष्ठ नेताओं ने तथा अुनके दलों ने विधान-परिषद की योजना का विरोध करना शुरू किया है। अपना विरोध सफल करने के लिये बैरिस्टर जीन्ना और डॉ० अम्बेडकर अके ही गये और कुछ हिन्दूसभा भक्त भी अुन में शामिल हो गये हैं। अिनमें से कोअी भी यह नहीं मानता कि वे जनता के विश्वास-पात्र हैं। इसलिये अुन्हें यह

विश्वास नहीं है कि वे और अनेक दल विधानपरिषद में बड़ी संख्या में आ सकेंगे।

लेकिन ये जातिनिष्ठ नेता केवल विधान-परिषद के ही विरोधी नहीं हैं। वरन् उन्हें लोकशाही का यह मौलिक सिद्धान्त भी मान्य नहीं है कि भारतीय स्वराज्य में बहुसंख्य दल का मन्त्रिमंडल हो, और वह अकेल-पक्षीय हो। जिसलिअे अिन जातिनिष्ठ दलों ने यह शिकायत करना शुरू किया है कि काँग्रेस ने अकेल-पक्षीय मन्त्रिमंडल बना कर अून पर बड़ा जुल्म ढाया। अिस चित्लाहट में नरमदलवाले और लोकशाही स्वराज्य-पक्षवाले भी कभी कभी अपनी आवाज मिला देते हैं। अिस प्रकार काँग्रेस-विरोधी सारे विधानवादी नरमदल विधानपरिषद के खिलाफ हैं।

दूसरे प्रकार के विरोधी

अिसके विपरीत जिनकी यह श्रद्धा है कि महात्मा गांधी की अहिंसक क्रान्ति कभी यथास्वी हो ही नहीं सकती, वे फिलहाल विधानपरिषद की घोषणा का अुपयोग क्रान्तिकारी परिस्थिति निर्माण करने के लिअे तथा साम्राज्यसत्ता नष्ट करने के लिअे भले ही कर रहे हों, तो भी अुचित अवसर आते ही विधानपरिषद तोड़ कर मजदूर और किसानों की ओर से अकेल-बर्गीय अनियंत्रित सत्ता स्थापित करने के विचार क्रान्तिकारियों के दिमाग में चक्कर लगा रहे हों तो कोअी ताज्जुब नहीं। विधानपरिषद के ये दो प्रकार के विरोधक हैं। लेकिन अून दोनों को दोष न देते हुअे अपनी अहिंसात्मक राजनीति सफल कर दिखाने की हिमत काँग्रेस आज कर रही है।

आत्मबल की कार्यक्षमता

अिन बीस वर्षों में भारतीय जनता अ् आत्मबल संगठित करके अुसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को प्रभावित करने का महत्कार्य महात्मा गांधी ने किया है। अवर आज हिन्दुस्तान में अैसी कोअी ताकत है जिसका कि ब्रिटिश साम्राज्यसत्ता पर असर होता है, तो वह सत्याग्रही काँग्रेस की ही ताकत है, अिसमें कोअी शक नहीं रहा। यहीं की जनता अब यह भी भली-भांति समझ चुकी है कि अैसी प्रभावी शक्ति के बिना किसी भी प्रकार की राजनीति सफल नहीं हो सकती; और यह कि अुसकी सर्वांगीण अुन्नति में साम्राज्यसत्ता ही बाधक हो रही है। जिसलिअे सभी जातियों और धर्मों की साधारण जनता काँग्रेस की हिमायती हो रही है। फलतः जातिनिष्ठ नेता और अूनकी जान की जनता का अकेल दूसरे से विच्छेद हो रहा है और दिन-पर-दिन यह वस्तु-स्थिति प्रकट हो रही है कि ये नेता अून जातियों या धर्मों के नेता नहीं हैं। वरन् अून जातियों में या धर्मों में जो लोग साम्राज्य-शाही के आश्रित हैं अूनके नेता हैं। अैसे नेताओं को हिन्दुस्तान में नेतृत्व या मन्त्रि-पद प्राप्त नहीं होगा अिस डर से वे काँग्रेस की विधानपरिषद का अर्थात् भारतीय जनता की स्वतंत्रता और स्वयंनिर्णय का विरोध कर रहे हैं—यह बात अब हलके हलके समझदार लोगों के ध्यान में आने लगी है।

साम्राज्यशाही का अन्त निकट है

लेकिन साम्राज्यशाही के अिन आश्रितों के ध्यान में अकेल बात आज भी नहीं आ रही है। वह यह कि अब ब्रिटिश साम्राज्यशाही

के अवसान की घड़ी बिलकुल समीप आ गयी है और हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सत्ता का सार्वभौमत्व टिकना असंभव हो गया है। ब्रिटिश साम्राज्य, यूरोप की श्रेष्ठता और बहाजनी संस्कृति के दिन अब लद चुके हैं। संसार में अकेले सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक भावी है। जिस बात का ज्ञान हमारे नरमदल वाले राजनीतिज्ञों, देवी नरेशों, सम्मन्तों और पूंजी-पतियों तथा जातिनिष्ठ अर्थात् धर्मनिष्ठ नेताओं को करा देना आवश्यक है। वे सब ब्रिटिश साम्राज्यसत्ता के आश्रित और भक्त हैं; अतः लिये उन्हें यह ज्ञान करा देने की जिम्मेवारी भुंसी सत्ता की है। अब साम्राज्यवादियों को चाहिये कि वे अपनी मृत्यु की घड़ी की समीपता देख कर अपना मृत्युपत्र बनाने की और अपने क्रियाकर्म की यथाविधि तैयारी करने की हिम्मत दिखावें। जो लोग मृत्युपत्र और क्रियाकर्म की तैयारी में रुकावट करते हैं वे यह नहीं जानते कि केवल मृत्युपत्र या क्रियाकर्म की तैयारी रोक देने से वे साम्राज्यशाही की मृत्यु टाल नहीं सकते। लेकिन आसक्ति और मोह से अन्धे हो कर जो आगे की सोच नहीं सकते उनकी मृत्यु, बिना मृत्युपत्र के होती है और क्रियाकर्म भी यथाविधि नहीं हो पाता। आगे उनके बारिशों में झगड़े-झमेले होते हैं और अन्त में अकेले की मृत्यु के बाद दूसरों को भी भारपीट या भूख से मरने की नीबल आती है। जिस भावी संकट को टालने के लिये मुमूर्ख व्यक्ति के हितैषी मित्र अक्सर वसीयतनामा लिखा लेते हैं। महात्मा गांधी भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से यही तकाजा कर रहे हैं और उनसे बड़े प्रेम से अनुरोध कर रहे हैं कि अपना वसीयतनामा लिखो और भविष्य

के लिये कुछ विन्तजाम कर जाओ। लेकिन उनकी यह प्रेम की बात अब तक बेंबरलेन, शेटलैण्ड प्रभृति ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के लिये नहीं अतुरती। अतः उनकी दृष्टि शुद्ध करने के लिये सत्याग्रह-संग्राम करके स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करने का निश्चय कांग्रेस को करना पड़ा है। जहाँ ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और उन्होंने विधानपरिषद को अपनी सम्मति दे दी कि विधानपरिषद के सारे विरोधियों का विरोध अपने आप हवा हो जायगा। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को अपनी साम्राज्यशाही का अन्त अब दिखायी देने लगा है। अब जिसना ही बाकी है कि वे अपने आश्रितों को अपने अन्तराधिकारियों के पास जा कर अपना अपना प्रबन्ध कर लेने की हिदायत दे दें।

सार्वभौम-सत्ता का अन्तराधिकार

ब्रिटिश साम्राज्यशाही की सत्ता का अन्तराधिकार भारतीय लोकशाही का ही हो सकता है, न कि साम्राज्यशाही के आश्रितों का। क्योंकि अिन आश्रितों में से किसी भी अकेले में, या अनेकों में, भारतीय जनता का राजकाज चलाने की ताकत या अक्ल नहीं है। अगर उनमें यह ताकत होती तो भारत का सार्वभौमत्व ब्रिटिशों के हाथों में न गया होता और अगर गया भी होता तो उसे वापस लेने की कोशिश ये आश्रित करते। परन्तु ब्रिटिशलोग सार्वभौम सत्तावीर्य हूअे और उनके सार्वभौमत्व की अर्द्ध हिलाने का कार्य सत्याग्रही भारतीय अक्लाने ही किया है। अब यह अनन्ता ब्रिटिशों के हाथ यहाँ की सार्वभौम सत्ता होगी अिसके विषय में कोभी सन्देह नहीं। केवल साम्राज्यशाही के

आश्रित ही यह बात मानने से अिनकार करते हैं। लेकिन जब खुद साम्राज्यसत्ता ही अपना मृत्युपत्र बनायेगी और यह घोषित करेगी कि आइन्दा भारत में लोकशाही की ही सार्वभौमसत्ता रहेगी; तब अिन आश्रितों को भी विश्वास होगा और फिर वे विधान-परिषद का विरोध करने से बाज आयेगे।

अभिनव मानव-संस्कृति का निर्माण

अिस प्रकार भारतीय क्रान्ति यदि सत्याग्रह द्वारा सफल होगी तो यहाँ अेक अभिनव मानव-संस्कृति का निर्माण होगा और आधुनिक यूरोप में अुत्पन्न व्यक्तिस्वातंत्र्य, राष्ट्रस्वातंत्र्य, सामाजिक और आर्थिक समता तथा लोकसत्ता और समाजसत्ता को सत्य-

निष्ठा तथा अहिंसा का अविच्छान प्राप्त होगा। धर्म और अध्यात्म का आधार छोड़ कर राजनीति और अर्थनीति का निर्माण करने से कौन-सी अनर्थ परंपरा आ पड़ती है यह यूरोप के विनाश के बाद सारी दुनिया पर प्रकट हो जायगा। तब आधुनिक यूरोप में अुपजी हुअी अर्थ-काम-प्रधान संस्कृति नष्ट हो कर धर्म-मोक्ष-प्रधान अभिनव संस्कृति की दीक्षा संसार को देने का कार्य सत्याग्रही भरतखंड शुरू करेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब सारे भारतनिवासी अेक निष्ठा से और अनुशासनपूर्वक तथा सच्चे दिल से महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेगे।

(मराठी 'चित्रमय जगन्', जनवरी १९४०)

अन्तिम विजय का अधिकारी

परन्तु अुस भावी युग का आरंभ हो चुका है जब कि शस्त्रास्त्रों से लैस व्यक्ति के सामने निःशस्त्र व्यक्ति निर्भिकता से खड़ा होगा। अुस दिन विजय अुसकी नहीं होगी जो कत्ल कर सकता है बल्कि अुसकी जिसे मरना मंूर है। जो दुःख देता है अुसकी हार होगी, और जो कष्ट सहन कर सकता है, अुमीको अन्तिम विजय प्राप्त होगी। स्थूल बल का सामना आत्मबल से करता हुआ मनुष्य यह घोषित करेगा कि अब वह हैवान नहीं रहा; बल्कि प्राकृतिक निर्वाचन की सीमाओं को पार कर चुका है। अिन महान् सत्यों को प्रमाणित करने का कर्तव्य और दायित्व हमें सौंपा गया है।

“ मॉडर्न रिठ्यू ”
जनवरी १९४० }

—रबीन्द्रनाथ ठाकुर

कातने की शर्त क्यों ?

[किशोरलाल घ० मशरूवाला]

यह सब स्वातंत्र्य-प्रेमी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में हमारा ही राज हो और अुसके लिये जोर का आन्दोलन हो। "१९३०-३२ के जैसा कोअी जोर का आन्दोलन कब शुरू होगा?"—असके लिये बहुत-से काँग्रेसवादी बेचन हो अुठे हैं। कुछ स्वातंत्र्यभक्त गांधीजी पर अिसीलिये नाराज भी हैं कि वे जल्दी आन्दोलन शुरू करने के बदले हम पर खादी पहनने की और चरखा चलाने की शर्त लादते हैं। दरिद्रता दूर करने में खादी का तात्कालिक अपुयोग हो सकता है—अिस दृष्टि से कअी लोग खादी के विषय में गांधीजी का आग्रह समझ सकते हैं; और सही भी मानते हैं। लेकिन हर अेक से यह अुम्मीद करना कि वह काते—यह बात बहुत-से नेताओं की भी समझ में नहीं आती; न वे यह भी समझ सकते हैं कि खादी पहनने और कातने से अँग्रेजी राज को नष्ट करने के प्रयत्न का क्या संबंध हो सकता है। मुख्य सवाल तो यह है कि "क्या अँग्रेज सरकार से लडने के लिये गांधीजी के नेतृत्व की हमें जरूरत है अिसीलिये हम काते?—या दर असल कातने का स्वराज्य से कोअी जरूरी संबंध है अिसलिये गांधीजी अिस तरह की शर्त पर जोर देते हैं?"

संपूर्ण-स्वराज्य-वादियों को अितना तो मानना ही पडेगा कि पूर्ण-स्वराज्य के रूप में देश को जो स्थिति प्राप्त होगी वह स्थायी होनी चाहिये और देश के लिये वह अेक संपत्ति के रूप में आनी चाहिये, न कि विपत्ति के रूप में। देश में अितनी ताकत पैदा होनी चाहिये कि अँग्रेजी राज्य का बंधन टूट जाने पर

हम किसी दूसरे देश के गुलाम न हो सकें या देश में दंगा-फसाद, बगावत और बलवों की घूम मच कर निरंतर यादवी (भीतरी कलह) पैदा होने का डर न रहे। जिन्हें यह ध्येय मान्य है वे यह भी मानेंगे कि स्वराज्य-प्राप्ति का साधन अहिंसक ही होना आवश्यक है।

हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि हमारी गुलामी का सब से पहला कारण हमारे अन्दर पैदा हुआ खराबियों है। महत्त्वाकांक्षी विदेशियों द्वारा हराये जाने के पहले ही हम अपनी बुराबियों के सब से पराजय के लायक बन गये थे। अिन दोषों में से सबसे बड़ा दोष है—व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा। सदियों से हमारी संस्कृति ने हममें अेक अैसी वृत्ति पैदा कर दी है कि जिस व्यक्ति में कोअी विशेष पुरुषार्थ या शक्ति हो वह केवल अपने, या अपने कुछ अिने-गिने अनुयायियों के, ही हित की फिक्र करता है। अपना अेक छोटा-सा मंडल, संप्रदाय, आश्रम या राज्य कायम कर अुसका सर्वेसर्वा बनने की और अिस अुद्देय से, जिस राज्य या संस्था का वह पहले से अेक अंग रहा हो, अुस राज्य या संस्था को तोडने या कमजोर करने की प्रवृत्ति हमारे देश में कअी शताब्दियों से पायी जाती है। यह वृत्ति आध्यात्मिक वृत्तिवाले और भौतिक वृत्ति वाले—दोनों तरह के लोगों में पायी जाती है। हमारी विशेष शक्ति जड़ को मजबूत करने की कोशिश करने के बदले अुससे अलग होने की ही कोशिश में खर्च होती है। अगर हम अपने देश का अितिहास

देखें और हमारी प्रगति में रुकावट करने-वाले कारणों का विचार करें तो मालूम होगा कि हमारे पराजय का यही मूल कारण है। यह जब हिन्दू और मुसलमान दोनों जमातों में है। जब तक यह विकार मौजूद है तब तक स्थायी और सुखमय स्वराज्य की स्थापना असंभव है।

मतलब यह कि, राज्यक्रान्ति की सफलता के लिये हमारे जनस्वभाव में क्रान्ति होना जरूरी है। स्वभावक्रान्ति केवल प्रबचन, अपदेष्ट, वक्तृता, साहित्य, गीत, आदि से नहीं होती। अिन साधनों से अुसकी भूमिका तैयार हो जाती है। लेकिन तैयार की हुअी जमीन में भी तो बिना अच्छा बीज बोये फल नहीं मिलता। वह बीज है—नये विचारों के साथ अुन विचारों के अनुरूप कर्म का अभ्यासयोग।

हम सब 'हमारा देश', अिच शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन 'देश' शब्द का अर्थ राजशाही (राजकीय) दृष्टि से और लोकशाही (प्रजाकीय) दृष्टि से बिलकुल भिन्न होता है। राजशाही (राजवादी) दृष्टि से 'देश' शब्द का अर्थ है—पृथ्वी का अेक खास भौगोलिक विभाग। अिस दृष्टि से हिन्दुस्तान, काश्मीर से कन्याकुमारी तक और सरहद्द प्रान्त से आसाम तक का भूमिभाग है। अिस भूमिभाग पर अिस-किसी की सत्ता हो अुसीका वहाँ राज्य कहा जाता है।

परन्तु लोकशाही (प्रजावाद) की दृष्टि से 'देश' शब्द का अर्थ अितना संकीर्ण नहीं होता। अिस दृष्टि से 'देश' शब्द का अर्थ है—हिन्दुस्तान की पंतीस करोड़ जनता। अिस व्यवस्था से अुस जनता का कल्याण होगा अुसीको स्वराज्य कहना चाहिये।

'हमारा देश' कहते ही अगर हमारी दृष्टि के सामने सिर्फ हिन्दुस्तान का नकशा और

अुसके अेक देशी की प्रतिमा ही आती हो, और अुसके प्रति हमारा हृदय भक्ति से अुमड़ आता हो, तो वह राजशाही (राजदृष्टि) के अनुरूप देशभक्ति है। अितनी भक्ति स्थायी और सुखमय स्वराज्य की स्थापना के लिये काफी नहीं है। 'हमारा देश' कहते ही हमारी आंखों के सामने पंतीस करोड़ हिन्दुस्तानी जनता का चित्र खड़ा होना चाहिये। अनेक जातियाँ, भाषा, धर्म, धन्धे, संस्कार आदि से युक्त महान् हिन्दुस्तानी जन-सागर ही दर असल हिन्दुस्तान देश है; और अुसके हित की व्यवस्था ही स्वराज्य है।

अब, पंतीस करोड़ जनता का चित्र आंखों के सामने आने के लिये अेक खास दृष्टि चाहिये। अगर वह दृष्टि न हो तो 'हमारे देश के लोग' कहने पर भी हमारे दिल में अुन शब्दों का बहुत ही संकीर्ण अर्थ आवेगा। हमने अक्सर कभी देहातियों को यह कहते सुना है कि फलानी बात 'सारी दुनिया' में फैल गयी है। लेकिन जरा गहराभी से देखने पर पता चलता है कि अुनकी 'सारी दुनिया' अुनका अपना गांव, या बहुत तो आसपास के कुछ गांव—अितनी ही होती है। अिसी तरह बहुत-से पढ़े-लिखे लोग भी जब 'हम लोग' शब्द का प्रयोग करते हैं तो अुनका मतलब केवल अपनी जाति, धर्म, भाषा, या धन्धे के लोगों से ही होता है। अुदाहरण के लिये मध्यम श्रेणी के लोग जब यह कहते हैं कि 'बेकारी बेहद बढ़ गयी है, अुसका कुछ न कुछ अिलाज करना चाहिये'—तब अुनके सामने केवल मध्यम श्रेणी के ही लोग होते हैं। अुनकी योजनाएँ केवल अुसी श्रेणी के लोगों के लिये होती हैं। दो या ढाढी आने की रोजी देने का प्रबन्ध करनेवाली योजना अुनकी

दृष्टि से बेकार है। क्योंकि अक्सर मध्यम श्रेणी के लोग शामिल नहीं हो सकते। वे तो 'हम लोग' शब्द से केवल 'मध्यम श्रेणी के लोग' ही समझते हैं। जिसलिये दूसरी श्रेणियों के लोगों के प्रति उनमें अपनेपन की भावना नहीं है और न उनकी हालत पर विचार करने की दृष्टि ही है।

गांधीजी ने पैंतीस करोड़ लोगों का दर्शन किया है और वह दर्शन हमें कराने के लिये अन्होंने हमारे सामने चरखे का प्रतीक रक्खा है। अगर हम अपने देश की प्रजा को अलग अलग वर्गों में बाँट दें, तो शायद दस-पंद्रह लाख लोगों की गणना राजा-महाराजा, धनाढ्य और खुशहाल लोगों में हो सकेगी। चार-पाँच करोड़ अंसे गिन लीजिये जो मध्यम स्थिति में रह कर गुजर-बसर कर सकते हैं। उसके बाद आठ-नीं करोड़ों की हालत अगर बहुत ही गिरी हुयी नहीं तो कम-से-कम कंगाली की तो होती ही है। लम्बी बीमारी, मोत या शादी जैसे खर्च के मोके, या बेकारी के दिन, आने पर अन्हें रोटियों के लाले पडते हैं। और कर्जदारी तो सदा बनी ही रहती है। अिन सब-से बहुत बड़ा, याने करीब करीब बीस करोड़ आदमियों का, अेक अंसा वर्ग है जिसे साल में से जब-तब दोनों जून पेटभर अन्न मिलता है और कम-से-कम चार-पाँच महीने दो या चार पैसे की रोजी देनेवाला धन्धा भी नहीं मिलता। मतलब यह कि, हिन्दुस्तान वह देश है जहाँ तीन-चोथायी से भी अधिक समाज भूखों मरता है, या भूखों मरने के डर में दिन काटता है। अिसी हिन्दुस्तान का वर्णन गांधीजी ने दूसरे शब्दों में 'सात लाख गांवडों का', या

'दरिद्र-नारायण का देश', कह कर किया है। जिस व्यवस्था द्वारा अिन दरिद्र-नारायणों का कल्याण हो सकेगा, वही दर असल स्वराज्य है। जो संस्था अुन्हीं के हित के लिये कोशिश करती रहेगी, वही दर असल राष्ट्रीय काँग्रेस होगी और जो कार्यकर्ता या सदस्य अुसके कल्याण के कर्मयोग का आचार करेंगे वे ही सच्चे काँग्रेसवादी होंगे।

सारी जीवसृष्टि के क्युषा-पिपासा (भूख-प्यास, आदि षडूमियों (छः प्रकार की स्वाभाविक प्रेरणायें) होती हैं। आदमियों के अौर भी दो अूमियाँ होती हैं—शीतोष्णता और लज्जा। अिन अूमियों का जाति, धर्म, अुम्र, लिंग या अमीरी-गरीबी से कोअी संबंध नहीं है। भूख और प्यास के समान अिन अुमंगों के भी समाधान की सुविधा सब को होनी चाहिये। शितोष्णता और लज्जा का निवारण कपडे से होता है। जिस तरह कुछ लोगों को अुपनेत्रों के रूप में चश्मे की जरूरत होती है, अुसी तरह सब अर्वाचीन मनुष्यों के लिये वस्त्र 'अुपत्वचा' ही हो गयी है। वह 'अुपत्वचा' मौसम और परिस्थिति के अनुसार मोटी, महीन या कीमती और सस्ती हो सकती है। अून, रेशम, कपास, आदि कअी पदार्थों से वह बनायी जा सकती है। लेकिन अुसकी जरूरत सबको है। वह अुपत्वचा है अिसीलिये अुसे परिश्रम से बनाना पडता है। अुसके बनाने का सर्वोपलभ्य साधन चरखा है। अिसलिये गांधीजी कहते हैं कि चरखा हमारे स्वराज्य का प्रतीक है। अुसके द्वारा गांधीजी हमें अुनकी याद दिलाते हैं जिनके लिये कि स्वराज्य चाहिये। अुनकी गरीबी का द्योतक वस्त्र वे हमें दिखाते हैं, अुनसे अेकता करने के लिये हमसे कहते हैं और हमें अुनके लिये श्रमरूपी यज्ञ करने

का अपदेश देते हैं। हमारे देश की व्यापक आर्थिक अन्नति के प्रयास की पहली सीढ़ी चरखा है। वह जाति-धर्म-भेदहीन है। करोड़ों लोगों का संगठन करने की अस्में शक्ति है। करोड़ों लोगों को पेट के लिये अस्में जरूरत है। कुछ करोड़ों को, अगर पेट के लिये नहीं तो, स्वावलंबन की दृष्टि से वह अपयोगी है। दूसरों के लिये, अर्थात् दो कारणों के लिये नहीं तो भी, करोड़ों से साम्यता के और अन्नकी सेवा के चिन्ह के रूप में, समाज की नयी अर्थव्यवस्था के प्रतीक के रूप में और राजनैतिक संगठन के साधन के रूप में अस्में महत्त्व है।

अक्षर यह आक्षेप किया जाता है कि पुराने जमाने में चरखा और खादी होते हुअे भी हम गुलाम हुअे। बात सही है। लेकिन अस्में बजह दूसरी है। पुराने जमाने में चरखा था। लेकिन वह अनायास था। अस्में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। इसलिये बुद्धिमान लोग अस्में संशोधन करने के लिये अपना दिमाग नहीं चलाते थे। बम्बई जैसे बड़े शहर में रह कर स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद ही शारीरिक संपत्ति के लिये देहात की शुद्ध हवा का मूल्य हम महसूस करते हैं। अस्में तरह अस्में समय यह छोटा-सा चक्रहमारे देश में कितनी दीलत पैदा करता था और कितना मूककार्य करता था—अस्में हमें पता नहीं था।

“हम अपने देश के दरिद्र-नारायणों के लिये चरखा चलाते हैं”—अस्में संकल्प में ही अस्में राजनैतिक महत्त्व है। गरीब और

अज्ञान जनता में चरखे का प्रचार केवल अदरनिर्वाह के लिये और शरीररक्षा के लिये है; लेकिन बुद्धिमान और स्वातंत्र्यकांक्षी काँग्रेसवादियों के लिये अस्मेंका मूल्य अस्मेंकी संगठन-शक्ति और अस्मेंके मूलभूत संकल्प में है। अस्में विशेष आकृति और रंगवाला कपडे का टुकड़ा अतना महत्त्वपूर्ण क्यों समझा जाता है कि अस्मेंके लिये लोग अपनी जान भी दे देते हैं?—अस्मेंमें अस्में कपडे की या अस्मेंके रंग, अथवा अस्मेंपर बनी हुअी आकृति की कीमत नहीं है। कीमत है अस्में संकल्प की जो अन्न सब के मूल में है। हम अपने संकल्प से अस्में कपडे में अपने देश की सारी प्रतिष्ठा मूर्ति-मती करते हैं। अस्मेंसी तरह अगर हम अस्मेंक राय से स्वराज्य के लिये यज्ञ करने के संकल्प से सूत-परिश्रम करें, तो हमारे अस्में संकल्प से ही सूत कातना स्वराज्य-प्राप्ति का साधन हो जाता है। राष्ट्र के लिये चरखे का स्वतंत्ररूप से आर्थिक महत्त्व है ही। अस्मेंके अलावा वह अस्मेंक समाज का प्रतीक भी है। अन्न भावनाओं में स्वराज्य का संकल्प मिला कर चरखे को राजनैतिक महत्त्व प्राप्त करा देना अस्मेंचित ही है।

मझे आशा है कि जनता चरखे को स्वराज्य के लिये राष्ट्रीय संगठन का तथा दरिद्रनारायण की सेवा का साधन मान कर गांधीजी के सूत्र-यज्ञ संबंधी आदेश पर अमल करने का दृढ संकल्प करेगी।

(मराठी 'हिन्द सेवक' से)

स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का अर्थ

[विनोबा का एक प्रवचन]

(ता. २६-१२-३९ की नवभारत विद्यालय वर्धा में नागपुर प्रांतिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा सैनिकों के छाबिर में श्री विनोबाजी ने निम्न प्रवचन दिया :)

आप जिस प्रान्त के कार्यकर्ता यहां जमा हुअे हैं जिसलिअे मुझ से कहा गया कि मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखूँ; मेने अिनकार नहीं किया और न हिचकते हुअे स्वीकार किया। आपका यहां अेकत्र होना मुझे पसन्द आया। जिसलिअे अपना कर्तव्य समझ कर मैं अपने विचार आप लोगों के सामने अुपस्थित करने आया हूँ।

ज्ञान के अन्न की कमी

अक्सर अंसा देखा गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ज्ञान का अन्न जितना पहुंचाना चाहिअे अुतना पहुंचाने की ब्यबस्था हम नहीं करते। हमारे राष्ट्र की विशालता और हमारे प्रश्नों की बिकटता के लिहाज से हमारे पास कार्यकर्ता बहुत कम हैं और अुन कार्यकर्ताओं के पास ज्ञान की पूँजी अुससे भी कम है। हमें बहुतसे कार्यकर्ताओं की अरूरत है। लेकिन हम सिर्फ बडी संख्या नहीं चाहते। अगर हमारे पास कर्तव्यदक्ष, चारित्र्यवान और अपने कार्य की भूमिका भलीभांति समझनेवाले ज्ञानवान कार्यकर्ता थोडे भी हों तो भी काम बहुत होगा।

आज से ठीक अेक महीने बाद, २६ जनवरी को, हमें स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा करनी है। आज तक की हुअी प्रतिज्ञा अधिक स्पष्ट भाषा में दोहरानी है। करीब दस वर्ष से हर साल हम अुसे दोहराते हैं। अितनी

बडी पुनरावृत्ति का क्या प्रयोजन है? यह आप लोगों को समझाने के लिअे मैं अुस प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण करनेवाला हूँ।

अधिरत युद्ध

हम कहते हैं कि अब स्वराज्य की लडाअी नजदीक आ रही है, लेकिन यह गलत है। "लडाअी करीब है," कहने का मतलब यह होता है कि आज लडाअी जारी नहीं है। यह बात सही नहीं है। हमारी लडाअी तो निरंतर जारी ही है और जारी रहनी चाहिअे। हमारी लडाअी का रूप अेक नवी के समान है। वह निरंतर बहती ही रहती है। फिर भी, अुसके प्रवाह में गरमियों में और बरसात में फर्क होता है। जाओं में हम नदी का असली रूप देख पाते हैं। किन्तु वह बहती तो अखंड रहती है। अुसी प्रकार हमारी लडाअी भिन्न भिन्न रूप लेती हुअी भी नित्य जारी है। हम कार्यकर्ताओं की अंसी धारणा होनी चाहिअे कि हम तो हमेशा लडाअी में ही लगे हैं।

अो यह मानते हैं कि अब तक हम लडाअी नहीं कर रहे थे और अब करनेवाले हैं, अुनके सामने यह सवाल पेश होता है कि अब लडाअी के लिअे क्या तैयारी करें? वे सोचते हैं कि 'अब जेल में जाना पडेगा; जिसलिअे अपनी आदतें बदलनी चाहिअें।' लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारी लडाअी

हमेशा जारी है। हम लड़ाई की आदतें डाल चुके हैं। अब अंन आदतों के बदलने का क्या मतलब है? अब क्या बगैर लड़ाई की आदतें डालनी होंगी? हमें निरंतर यही भाव जाग्रत रखना चाहिये कि हमारी लड़ाई हमेशा चालू है।

केवल वाङ्मय पुनरुच्चार व्यर्थ है

अस साल स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा में कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं और अंन बातों के साथ अस प्रतिज्ञा का पुनरुच्चारण करने के लिये कहा गया है। लेकिन जहाँ श्रद्धा न हो वहाँ निरे पुनरुच्चार से क्या होगा? मुझे अके कस्सा याव आता है। अके था साधु। अंसने अपने वेले से कहा कि "रामनाम जपने से मनुष्य हर किसी संकट में से पार हो सकता है"। असके वाक्य में शिष्य को श्रद्धा तो थी। लेकिन असे यह पूरा पूरा बिश्वास नहीं था कि चाहे जिस संकट में से रामनाम असे तार देगा। अके बार असे नदी पार करनी थी। वह बेचारा अर्धश्रद्धालु रामनाम रटते हुअे नहीं पार करने लगा। जैसे-जैसे गले तक पानी में गया और वहाँ से गोते खाता हुआ बड़ी मुश्किल से बापस आया। गुरु से कहने लगा, "लगातार नामस्मरण किया, लेकिन पानी कम नहीं हुआ। सारा अकारथ गया।" गुरु बोला, "अनेक बार नामस्मरण किया असिलिअे अकारथ गया। अगर नामस्मरण में तुझे श्रद्धा थी तो अके बार किया हुआ नामस्मरण तुझे बख क्योँ नहीं लगा? श्रद्धा कम थी असिलिअे तुने बार बार नामस्मरण किया और असिलिअे गोते खाये।" स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा अके बार मन:पूर्वक करनेवाला सचमुच निश्चयी

है असा हूँ मान सकते हैं। लेकिन अगर वह हर साल प्रतिज्ञा करने लगे—अस साल नंबर अके की प्रतिज्ञा, अगले साल नंबर दो की प्रतिज्ञा, फिर तीसरे साल नंबर तीन की प्रतिज्ञा—अस तरह प्रतिज्ञायें करने लगे—तो यह अक होने लगेगा कि असकी प्रतिज्ञा का कोअी अर्थ है या नहीं? केवल वाङ्मय के पुनरुच्चार से प्रतिज्ञा दृढ नहीं होती।

स्वावलंबी और परावलंबी फाकाकशी

लेकिन अस साल की प्रतिज्ञा महज बोहराने के लिये नहीं है। असमें महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। हमारी गुलामी के अनेक कारण हैं। अंग्रेअी राज्य पर हम कअी आक्षेप कर सकते हैं; लेकिन सबसे बड़ा आक्षेप तो यह है कि अंग्रेअी राज्य की बदौलत हमें फाकाकशी की देन मिली। आप अगर जनता से पूछिये कि 'तुम्हारी स्वराज्य की परिभाषा क्या है'? तो वह अस प्रकार जवाब देगी— "आप कहते हैं कि आठ प्रान्तों में काँग्रेस की अमलदारी रह चुकी है। काँग्रेस का अस तरह का राज अगर ग्यारह-के-न्यारहों प्रान्तों में हो जावे, और अब तक जो अधिकार नहीं मिले थे वे भी सब मिल जावें; मगर हमारी फाकाकशी ज्यों-की-त्यों बनी रहे—तो हम तो यही कहेंगे कि यह स्वराज्य नहीं है। यही हमारी परिभाषा है"। परावलंबन की जगह स्वावलंबन प्राप्त हो जावे मगर भूखें मरना कायम ही रहे; तो केवल भारत की ही जनता नहीं, बल्कि भारत की जनता के असी शोचनीय हालत में रहनेवाली संसार के किसी भी देश की जनता यही कहेगी कि "हम वह स्वावलंबी फाकाकशी नहीं चाहते। न हम स्वावलंबी अपास के कायल हैं, न परावलंबी।

हम तो भूखों मरना ही नहीं चाहते। फाकाकशी ही नहीं चाहिये, फिर अुसका विशेषण कुछ भी क्यों न हो”।

कुछ वक्ता जोश में आ कर कह देते हैं कि “गुलामी में चाहे जितना अन्न मिले तो भी, हमें गुलामी नहीं चाहिये; स्वतंत्रता चाहिये। फिर, स्वतंत्रता में हमारी चाहे जितनी बुरी हालत हो; भूखों भी क्यों न मरना पड़े।” लेकिन अुन्हीं वक्ताओं से अगर आप यह कहें कि “अगर स्वराज्य में रेलगाड़ियां न हों तो?” तब वे कहने लगते हैं कि, “अंसा स्वराज्य किस काम का?” अुनसे आप पूछिये कि “रेलगाड़ीवाली गुलामी की अपेक्षा बिनारेलगाड़ीवाली स्वतंत्रता क्या श्रेष्ठ नहीं है?” लेकिन बात अुनके गले नहीं अुतरेगी। “स्वराज्य की कमी सुराज्य से पूरी नहीं हो सकती”—यह कहनेवाले बिना-रेलवाले स्वराज्य की कल्पना से भी घबड़ाते हैं। तब बतलाविये कि अगर भूखों मरने की कल्पना से साधारण आदमी घबड़ाने लगे तो क्या आश्चर्य है?

स्वराज्य रोटी का सवाल है

यहां मुझे कोंकण की कातकरी नामक जाति के अेक रिवाज की याद आती है। कातकरी अपनी जाति के मरे हुअे आदमी से कहता है, “देख, अगले जनम में बामण बनेगा तो रट-रट कर मरेगा; फलाना बनेगा तो फलाना कर-कर के मरेगा; लेकिन अगर कातकरी बनेगा तो बन का राजा बनेगा।” वह गौव की संस्कारवान् परतंत्रता नहीं चाहता; अुसे जंगल की संस्कारहीन स्वतंत्रता ही प्रिय है। शहरि और बनैले चूहों का किस्सा मशहूर है। वह बनेला चूहा कहने लगा कि ‘मुझे न शहर

की यह शान चाहिये, और न यह पराधीनता’। अगर जनता की भी यही हालत होती तो हमें सर्वत्र स्वतंत्रता ही दिखायी देती। स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा तो ठेठ वेदकाल से चली आयी है—

व्यचिष्टे बहुपात्र्ये यतेमहि स्वराज्ये

अिस वेदवचन में स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा व्यक्त की गयी है। ‘व्यचिष्ठ’ का अर्थ है—अत्यंत व्यापक, जिसमें सबको मतदान का अधिकार है; और ‘बहुपात्र्य’ से मतलब है—जिसकी बहुसंख्या अल्पसंख्या की रक्षा के लिये खबरदार है; अंसे स्वराज्य के लिये हम कोशिश कर रहे हैं—यह अुस प्रतिज्ञा का अर्थ है। मतलब यह कि अुस अत्रि अृषि के जमाने से अिस पंडित जवाहरलाल के जमाने तक वही स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा विद्यमान है। वेद की प्रतिज्ञा जैसी आप चाहते हैं ठीक वैसी ही है। अुसमें भी बहुवचन का प्रयोग है।

सारांश यह कि हम अपने जोशीले व्याख्यानों में, या कविताओं में, स्वराज्य की जो व्याख्या करते हैं वह आम जनता के गले नहीं अुतरी है। जिसमें अन्न-जल का अिन्तजाम न हो अंसा स्वराज्य जनता नहीं चाहती। अुसे नैमित्तिक अुपासों का अभ्यास है। अेकादशी, शिवरात्रि के दिन वह व्रत रखती है। लेकिन हमेशा की फाकाकशी वह सहन नहीं कर सकती। चाहे आप अिसे हमारा पशुत्व भले ही कह लीजिये। लेकिन अिस मानवीय पशु को पेटभर अन्न चाहिये। समाजवादियों और साम्यवादियों के कथन में यही तर्प्योश (सत्य) है। हमारी भी मुख्य पुकार यही है। हम भुखमरपिन नहीं चाहते। हमें भरपेट अन्न चाहिये। चाहे आप अिसे हमारा अधिकार कहिये, कर्तव्य कहिये, या और किसी नाम

से पुकारिये। भरपेट खाने की स्वतंत्रता हमें चाहिये।

हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की स्वतंत्रता हमारा प्रधान विचार है। मैं स्वराज्य के विषय में विचार क्यों करता हूँ?—असलिये कि हिन्दुस्तान में स्वराज्य के लिये विचार न करना महा पाप है। स्वराज्य का सवाल फाकाकशी से मुक्त होने का सवाल है। जैसा कि तिलक कहते थे, वह 'दाल-रोटी का सवाल है'। बुद्धिमान आदमी अपने घोड़े या बैल को पेट-भर खिलाता है। वह यह तो चाहता है कि यह घोड़ा घोड़ी ही रहे, बैल बैल ही रहे, मेरे जैसा आदमी न बने; लेकिन वह उसे पेटभर खाने को तो देता है और तब उससे काम लेता है।

असलिये सौदा की बात कहाँ है ?

लेकिन यह अँग्रेजी-राज हमें पेटभर खिलाता भी नहीं। असा राज हमें अक कषण के लिये भी सहन नहीं करना चाहिये। यही स्वराज्य का सवाल है। आज कॉंग्रेस यह सवाल झुठाती है तो सरकार कहती है कि 'तुम सौदा करना चाहती हो'। ये परमार्थी (कॉंग्रेसवाले) जवाब देते हैं 'नहीं, हम सौदा नहीं करना चाहते'। अरे, असलिये सौदा है ही कहाँ ? तुम हमें खाने को कुछ देते नहीं और कहते हो कि लड़ने चलो। हम खाने के लिये मांगते हैं यह क्या सौदा है ? अक सिपाही अपने घोड़े को न चने खिलाता है, न पानी पिलाता है; पर उससे कहता है कि 'लड़ाई पर चल'। घोड़ा कहता है, "मुझे दानापानी तो दे।" सिपाही झुझला कर बोलता है, "तू मेरे संकट के वक्त इस तरह सौदे की बातें करता है" ? अरे भाई, तुझपर तो

आफत आज आयी है; लेकिन मेरी विपदा तो आज सी साल से निरंतर कायम है। असलिये सौदा कहाँ है ?

हमारे स्वराज्य के प्रश्न जिस प्रकार के हैं। मीठा तेल सड़के पांच आना सेर मिलता था वह अब आठ आना सेर हो गया। यह मेरा स्वराज्य का प्रश्न है। असलिये सौदे की बात ही क्या है ? दवाखाने में पड़े हुअे मरीज से गामा पटलवान कहता है कि "मेरी कुस्ती बदी है, मेरी मदद के लिये चल।" मरीज कहता है, "भाई पहले मुझे दवापानी तो दे।" गामा झुझला कर कहता है, "मेरी मुसीबत के वक्त तू मुझसे सौदा करता है ? क्यों ?"

स्वराज्य की यही भाषा जनता की समझ में आती है। वह खाने-पीने की चीजें मांगती है। जिस देश में खाने-पीने के सामान की अफारात थी, असलिये जहाँ विदेशी जा आ कर बसते थे वहाँ लोग रोटियों को मूहताज हो रहे हैं, यह अक नयी बात है। यह अँग्रेजी राज की देन है। असलिये हम उस राज को सहन नहीं कर सकते। स्वराज्य की यह सीधी-सादी, समझ में आने लायक व्याख्या है।

वर्तमान यूरोप : अहिंसा का पदार्थपाठ

कोभी कोभी पूछते हैं कि अहिंसा से स्वराज्य कैसे मिलेगा ? असकी चर्चा अगर हम आज शुरू करें तो वह स्वराज्यप्राप्ति तक खतम नहीं होगी। असलिये में उस फेर में नहीं पडता। वर्तमान यूरोप का चित्र अहिंसा का पदार्थपाठ है। अहिंसा के अभाव से क्या होता है ?—असका पता मौजूबा यूरोप को देखने से चलता है। छोटे-छोटे राष्ट्र तो आज कच्चे लामे जा रहे हैं।

आज-कल तो सभी काम बिजली के बटन की तेजी से होते हैं। पहले आदमी सौ-सी वर्ष जीते थे; अब तडाक-फडाक मर जाते हैं। पंद्रह दिन में समूचे राष्ट्र गायब हो जाते हैं। पहले अंसी बातें न किसी ने देखी थीं, न सुनी थीं। आज तो मानो बटन दबाते ही राष्ट्र नदारद हो जाता है। चीन का कितना बड़ा हिस्सा जापान निगल गया है इसका आज हमें पता ही नहीं।

विषय में जब नया नवशा तैयार होगा तब हमें पता चलेगा। शस्त्रास्त्रों की अितनी तैयारी करने पर भी आखिर चीन की क्या हालत हुयी? हिन्दुस्तान जैसा गलित-कलेवर राष्ट्र शस्त्रास्त्रों से स्वराज्य कब पायेगा? 'यतेमहि' (कोशिश करना) तो अत्रि के जमाने से शुरू ही है। क्या उसी तरह अनन्त काल तक कोशिश ही करते रहें? आज तो सब कोभी छडी में ही विश्वास करते हैं। हिटलर से ले कर मामूली देहाती शिक्षक तक सब का अेक ही सूत्र में विश्वास है: " डी लागे चट विद्या आवे पट। "

यूरोप की बुद्धिबल में अभद्धा

कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि 'तुम नये विचार नहीं पढते। आधुनिक विचारों के साथ परिचय नहीं बढाते'। सुनता हूं कि ये विचार यूरोप से जहाज में आते हैं और बम्बई के घक्के पर लगते हैं। मगर अुधर से जो कुछ आता है वह सब-कुछ अच्छा ही होता है अंसा तो अनुभव नहीं है। अुधर से अिन्प्लुअंसा की हवा आयी, जिससे साठ लाख आदमी मरे। विचारों की हवा के ये झकोरे बराय-मिहरबानी अुन्द कीजिये। हम शिक्षा लेने के लिये किस शाला में जायें—

यह भी तो सोचने की बात है। जिस शिक्षक की शाला में पांचसौ छडियां और सिर्फ दो ही चार पुस्तकें हों अुसकी शाला में भी क्या हम जायेंगे? यूरोप के लोग बहुत-सी पुस्तकें लिखते हैं। अुनके पीछे खर्च भी बहुत करते हैं—यह मैं जानता हूं। लेकिन साथ साथ मैं यह भी तो देखता हूं कि वे फौज पर पुस्तकों से कितना गुना ज्यादा खर्च करते हैं। हमें विचार भी तो अुसीसे ग्रहण करना चाहिये जिसका कि विचार में विश्वास हो। शंकराचार्य जंसा कोभी हो तो अुससे हम विचार ले सकते है। क्योंकि अुसकी तो यह प्रतिज्ञा है कि 'मैं विचार ही दूंगा'। अुससे पूछिये कि " अगर मेरी समझ में न आवे तो ? " वह यही जवाब देगा कि " मैं फिर समझाअूंगा। " " और फिर समझ में न आया तो ? " " दुबारा समझाअूंगा,। " " और फिर भी न आया तो ? " " फिर समझाअूंगा, समझाता ही जाअूंगा। अन्त तक विचार से ही समझाअूंगा "—अंसी जिसकी प्रतिज्ञा है अुस शंकराचार्य से विचार सीखने को मैं तैयार हूं। अंसी प्रतिज्ञा अगर जर्मन या रशियन करता तो अुसकी पुस्तकें भी मैं खरीदता। लेकिन वह सिर्फ अितना ही कहता है कि " तुम मेरी पुस्तकें पढो। " और अगर हम पूछते हैं कि " हमारी समझ में न आया तो ? " तो वह जवाब देता है, " पिटोगे। " जिसका विचारों की अपेक्षा छडी में विश्वास अधिक है अुससे विचार कैसे लें ?

इथियार-परस्ती बनाम बहादुरी

यूरोप की पद्धति का अनुकरण करना हिन्दुस्थान के खून में ही नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों

के हथियार छीन लिये यह बड़ा नैतिक अपराध किया है। मैं भी यही मानता हूँ। जबरदस्ती समूचे राष्ट्र के हथियार छीनना घोर अपराध है। लेकिन मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि "अिन मुट्ठीभर लोगों ने अुस समय के पच्चीस करोड लोगों के हथियार छीन कैसे लिये? अिन पच्चीस करोडों के हाथ क्या घास खाने गये थे? अुन्होंने हथियार मांगते ही अिन्होंने दे कैसे दिये"?—अिस का अेक ही कारण हो सकता है। वे हथियार हम लोगों के जीवन का अंग नहीं थे। अगर हमारे जीवन का अंग होते तो वे छीने नहीं जाते। तुकाराम ने अेक भले आदमी का जिक्र किया है। अुसके अेक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार थी। बेचारे के दोनों हाथ अुलझे हुए थे, अिसलिये वह कोअी बहादुरी का काम नहीं कर सकता था। वही न्याय तो यहां पर भी लागू नहीं करना है न? अिसलिये हमारे हथियार छीन लिये गये अिसका सीधा अर्थ यही हो सकता है कि हिन्दुस्तान के लोगों के खून में हथियार नहीं थे। कुछ फीजी जातियाँ थीं। दूसरे लोग भी हथियार रख सकते थे। लेकिन रखे रखे अुनपर जंग चढ गया था।

लेकिन अिसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हिन्दुस्थान के लोग बहादुर नहीं थे। अुसका मतलब अितना ही है कि अुनका हथियारों पर दार-मदार नहीं था। हिन्दुस्थान के सारे अितिहास में यह आरोप किसीने नहीं किया है कि यहां के लोग शूर नहीं हैं। सिकंदर को सारी जमीन मुलायम लगी; लेकिन हिन्दुस्तान में अुसने खासी ठोकर खायी। जहां जहां अूट जा सकता था वहां मुसलमान मजे में चले गये।

जहां खजूर और रेत थी वहां अुनका अूट बढता चला गया। लेकिन हिन्दुस्तान में प्रवेश पाने के लिये अुन्हें बीस साल लगे। हिन्दुस्तान बहादुर नहीं था अिसका अितिहास में कोअी सबूत नहीं है।

हमारी संस्कृति की मर्यादा

लेकिन हमारी संस्कृति की अेक मर्यादा निश्चित थी। अिसीलिये हमने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण कभी नहीं किया। किसी-न-किसी कारण से हमारी संस्कृति अहिंसक रही। तभी तो हमारी पैंतीस करोड जनता है। यूरोपीय राष्ट्र दो करोड या चार करोड की ही बात कह सकते हैं। यहां पैंतीस करोड हैं।

हिंसा टूटी-फूटी और अहिंसा साबित है

अिसका यह कारण है कि हिंसा का सिद्धान्त टूटा-फूटा और अहिंसा का सिद्धान्त साबित है। यूरोप की हालत काँच के प्याले जैसी है। जमीन पर पटकते ही टुकडे-टुकडे हो जाता है। अाप जरा अेकाध काँच का प्याला जमीन पर पटक कर तमाशा देखिये। यूरोपीय राष्ट्रों के नकशों के समान छोट-बड़े टुकडे हो जायेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपना पानी पीने का साबित प्याला बडी हिफाजत से सम्हाला है। कोअी सज्जन बम्बअी जाते हैं; वहां किराये पर अेक कमरा ले लेते हैं। अिकलीते अेक मियाँ और अिकलीती अेक बीबी—यह अनाब परिवार कहलाने लगा!! वही हाल यूरोपीय राष्ट्रों का है। यूरोप हमें सिखाता है कि अगर हम अहिंसा का मार्ग अपनायेंगे तो ही अेक राष्ट्र की हैसियत से जी सकेंगे। यह बात हमारी जनता बडी जल्दी समझ जाती है। लेकिन हम शिषितों के गले

बहु-अक्ष तक नहीं झुतरती। क्योंकि हम पड़े-सिखे लोग अंग्रेजों के मानछपुत्र ठहरे। अंग्रेजों का हम पर बरदहस्त है। मुन्होंने हुन्करे बिनागों पर जादू कर दिया है। किसीसिखे तो पूँजी का कहीं ठिकाना न होतें हुबे भी हम बडे पैमाने पर बुत्पादन की सन्धी सन्धी बातें करते हैं। हैसियत बरखा बरखाने की भी नहीं है, लेकिन बात पुतबी-बर खोलने की करते हैं।

हमारा बौद्धिक पारतंत्र्य

अंग्रेजी राज से हमारी आम जनता का यह नुकसान हुआ है कि वह भूलों मरने लगी है और शिथिलत वर्ग का नुकसान जिस बुद्धिपारतंत्र्य के रूप में हुआ है। हम अनकी तीन करोड़ की किताबें खरीदते हैं। 'शिष्य-स्तेषुं शशिमां त्वां प्रपन्नम्,' कह कर, हाथ जोड़ कर, अन पुस्तकों को पढते हैं और तीन करोड़ रुपया मुहदक्षिणा में देते हैं। मुन्होंने हमारी बुद्धि 'स्व-तंत्र'—याने अनेके अपने तंत्र (वश)—में कर ली है। हमसे कहा जाता है कि हम अनेसे शिक्षा लें। क्या शिक्षा लें? बहुत बडे पैमाने पर हत्या करने की? क्या यह भी बडे पैमाने पर बुत्पादन का ही अेक रूप समझा जाय? हम अनेसे क्या सीखें? समाज-शास्त्र सीखें? जिन लोगों ने पैंतीस करोड़ जनता को अेकत्र सम्हाला वे समाज-शास्त्र जानते हैं, या वे जो दो-दो तीन-तीन करोड़ के नन्हें-नन्हें राष्ट्र बना कर आपस में लडाबी-झगडे करते रहते हैं? कहा जाता है कि किसी समयमें से परान्स में अेक क्रान्ति हुयी और उसमें से स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता के सिद्धान्त पैदा हुबे। उससे कितने ही

पहले वे मुदठीबर पारसी जिस देश में अग्रे और मुन्हें हमने सम्हाला। तो क्या हम बंधुता जानते ही नहीं थे? अे यूरोप, तेरे पास अंसा क्या है कि हम तुमसे बंधुता का पाठ लें? तुने हमको लूटा; क्या यही तेरे बंधुत्व का सबूत समझा जाय?

याद रखिये कि अगर आप हिंसा के फेर में पडे तो जिस देश के यूरोप के समान केवल छोटे-छोटे टुकडे हो कर ही नहीं रहेंगे। बल्कि हमारी जास परिस्थिति के कारण टुकडे भी नहीं मिलेंगे। हमारा तो चूरा ही हो जायगा।

प्रतिज्ञा के तीन भाग

हमारी स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा के तीन भाग हैं। पहला—स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है? दूसरा—स्वतंत्रता जिस मार्ग से प्राप्त करनी है उस मार्ग में भ्रष्टाचार और तीसरा—हमारी साधन-सामग्री का, अर्थात् रचनात्मक कार्यक्रम का। अब तक दो भागों का विवरण किया। अब रचनात्मक कार्यक्रम पर जाता हूं।

रचनात्मक कार्यक्रम

रचनात्मक कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम अेकता, अस्युक्ष्यता-निवारण, ग्राम-सेवा और छात्री, आदि का समावेश है।

मुख्य बात यह है कि हम सच्चे दिल से और लगन से कृति करें। लोग कहते हैं कि, "तुम रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देते हो लेकिन अंधर जीन्ना क्या कहते हैं, अम्बेडकर का क्या कहना है?—वह तो सुनिये। वह चुन कर मुत्सा जाता है।" अम्बेडकर कहते हैं कि "जिन लोगों ने पूना

का समझौता किया और जिन्हीं बदमाशों ने मुझे तोड़ दिया।” हम कहते हैं, ‘हमने भीमानचारी से उस समझौते पर अमल करने की कोशिश की। लेकिन जरा वस्तुस्थिति तो देखिये। जनता में क्या हो रहा है? दूर की बात जाने दीजिये। सेगाव और पीनार को ही से लीजिये। पीनार में कातने के लिये जो सड़के भाते हैं उनमें कुछ हरिजन लड़के भी हैं। उनमें से अके हरिजन लड़के से मैंने कहा, ‘तू खाना पकाना जानता है?’ उसने कहा ‘नहीं’। मैंने कहा, ‘हमारे यहां रसोयी बनाने आया कर, हम तुझे सिखा देंगे।’ वह हमारे यहां रसोयी बनाने आने लगा। मैं पीनार के कुछ लोगों को नेवता देने लगा। शुरू में जो दस-पांच लोग आये वे ही आये। अब कोयी नहीं आता। मैं वहां गाय के दूध से घी बनाता हूँ और मही मुफ्त में बांटता हूँ। लेकिन मुफ्त का मही लेने के लिये भी कोयी नहीं आता। यह हाल है।

अच्छा हम कार्यकर्ता लोग भी लगन से काम करते हों, यह बात भी नहीं है। किसी कार्यकर्ता से कहा जाय कि अके हरिजन लड़का बिलकुल अपने निज के बेटे के समान अपने परिवार में रखो; तो वह कहता है कि यह बात मेरी स्त्री को पसन्द नहीं है, मेरी माँ तो मानेगी ही नहीं। ‘स्त्री को पसन्द नहीं है, माँ मानती नहीं है’ यह सब सही है। लेकिन मुझे परिणाम क्या निकलता है? यही कि हम हरिजनों को दूर रखते हैं। जिसलिये अम्बेडकर तो मुझे अवतार ही लगता है। चाहे किसी प्रकार की क्यों न हो, हरिजनों में वह भेतना पैदा करता है। वह हमारा भरोसा कैसे करे? ‘जिसे पसन्द नहीं है,

वह मानता नहीं है’—जिन बातों का मूल्य हमारे नजदीक हरिजनों को अपनाने से भी अधिक है। हम कहते हैं, हम हरिजनों को अपने घर में नहीं रख सकते, हम उनके घर भोजन नहीं कर सकते। जिस तरह हृदय से हृदय कैसे मिलेगा?

समाजवादी की हिकमत बेकार है

समाजवादी कहता है, “तुम यह अस्पृश्यता-निवारण की संझट ही छोड़ो। मुख्य गरीबी का और भूख का ही सवाल लो।” मैं कहता हूँ, “भाभी, तुम्हारी युक्ति बड़ी अच्छी है, मैं उसे स्वीकारने को भी तैयार हूँ। लेकिन, भाभी मेरे, वह काम नहीं आयेगी। हिन्दुस्तान से भी ज्यादा कंगाल लोग इजिप्ट में और कहीं हैं? लेकिन मेरा मुफ्त दिया हुआ मठा भी सवर्ण लोग लेने को तैयार नहीं हैं। यह सवाल तुम्हारी हिकमत से हल नहीं होगा। तुम कहोगे कि अब छुआ-छूत कम हो चला है। रेल में, स्कूलों में, लोग छूत नहीं मानते। लेकिन जिसमें तो बहुत-कुछ करामत अर्थेजों की हैं। जिसका यह अर्थ नहीं कि जनता ने छुआ-छूत मानना छोड़ दिया है।”

वास्तविक अस्पृश्यतानिवारण

अश्वमेध सङ्केत सत्यं च तुलना धत्तम्।
अश्वमेध सङ्कावृधि सत्यमेव चिक्षिष्यते।
(हजारों अश्वमेधों के साथ सत्य सीला गया। पाया गया कि सत्य ही श्रेष्ठ है।) हरिजनों के लिये बोर्डिंग खोलना, उन्हें छात्रवृत्तियाँ देना— ये सब बाह्य कृतियाँ-अश्वमेधों के समान हैं। जैसे हजारों अश्वमेध-यज्ञों की अपेक्षा अके हरिजन लड़का अपने परिवार में रखना—जिस

प्रेम से हम अपने कुटुंबियों से प्यार करते हैं, कुली प्रेम से मुझे साथ व्यवहार करना—यह सत्य अधिक महत्त्व रखता है। हमें मुझे सुख में और मुझे सुख में शामिल होना चाहिये। उन्हें अपनाना चाहिये और जिस तरह मुझे स्थिति को छोड़ लेना चाहिये।

जातीय वर्गों का अलगाव

हिन्दू-मुस्लिम अकेला के सवाल का भी ऐसा ही खिलवाड़ किया जा रहा है। आज जो कुछ हो रहा है मैं तो उसे खिलवाड़ ही कहूंगा। अकेल कहता है "तुम आपस में लड़ते हो जिसलिए तुम्हें स्वराज्य नहीं मिलेगा।" दूसरा जवाब देता है "स्वराज्य नहीं है जिसलिए आपस में लड़ाई होती है।"—ऐसा समाचार चल रहा है। जस देहातों में जा कर देखिये। वहाँ हिन्दू-मुसलमानों में बैर नहीं है। सब पूछिये तो उनमें बैर है ही नहीं। कुछ महत्त्वाकांक्षी, बेकार और पढे-लिखे लोग दोनों को जुझा कर खिलवाड़ करते हैं। अिन लोगों के तीन विशेषण ध्यान में रखिये—पढे-लिखे, महत्त्वाकांक्षी और बेकार। ये लोग हिन्दू-मुसलमानों को बरबस जुझा कर मुझे अलग-अलग के समान उपयोग करते हैं।

जिसका क्या अलगाव किया जाय ? अकेल ही अलगाव है। जहाँ कहीं ऐसी बारदात हो जाये वहाँ जा कर हम अपने प्राण दे दें। यह अभाव देहातों में काम नहीं जा सकता। क्योंकि वने वहाँ से शुरू नहीं होते। ये पढे-लिखे, बेकार और महत्त्वाकांक्षी लोग जहाँ दंगे करते हैं, या मुझे शब्दों में कहें तो 'बंदोबस्त करते हैं'—वहाँ जा कर प्रयोग करना चाहिये। अिन व्यवस्थापकों ने दुनिया को परेशान कर

डाला है। मुझे अलगाव ही अलगाव है कि, "बाजी मेरे, यह व्यवस्था का अन्धा छोड़ो और खुद व्यवस्थित बनो।" लेकिन वे मानेंगे नहीं। जिसलिए यही अकेल अलगाव है कि जहाँ दंगा हो जाय वहाँ जा कर हम अपना सिर फुड़वा लें। सी-बो-सी शान्तिपरायण लोगों को जैसे मौकों पर अपने सिर फुड़वा लेने चाहिये।

अिन अलग-अलग का कोभी ठौर-ठिकाना ही नहीं। ये सिर्फ हिन्दू-मुसलमानों में ही नहीं है। पहले ब्रम्हणोतर दल था ही। अब सुनते हैं कि कोभी बराठालीय भी निकाली गयी है। मुसलमरों टुकड़ेखोरों का बाजार गर्म है। मैं जब बड़ी में रहता था तो वहाँ का अकेल पारसी किसी तेवहार के अफलकष्य में कभी-कभी अलगावियों को अन्न बँटता था। अून टुकड़ों के लिये वे आपस में लड़ते थे। वही हाल यहाँ है। सरकार से जो कुछ टुकड़े मिलेंगे मुझे ये बीच में ही हड़पना चाहते हैं। हमारे तत्त्वज्ञान में मृत्यु के डर की स्थान नहीं है। और अब रोदियों के अभाव में भूखों मरने का भी अभ्यास हमें ही करना है। जिसलिए जहाँ दंगा हो रहा हो वहाँ हमें शान्तिपूर्वक जा कर बैठ जाना चाहिये। अिच्छा हो तो कातना शुरू कर देना चाहिये। अितना काफी है। हम लोगों की ऐसी बारदात है कि अिना नारियल और सिंदूर चढाये पूजा नहीं होती। नारियल की अगह अूसवी, नारंगी, आम, आदि चढाने से काम नहीं चलता। नारियल और सिंदूर ही चाहिये। जिसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना सिर फुड़वा कर अपना खून चढाविये तो पूजा पूरी हो जायगी। लेन-देन के समझौतों से अिन अलग-अलग का निपटारा नहीं होगा। न 'लेन' चाहिये न 'देन'। मुस्लिमलीय से कैसे तसपिया किया जाय ?

सर्वसुखमनुशासना

खादी के विषय में भी लोग किसी तरह पूछते हैं। कहते हैं कि "खादी तो ठीक है; लेकिन यह कातने की बजाय आप क्यों लगा रहे हैं?" में कहती हूँ कि "क्या करूँ? अगर कातने के लिये न कहूँ, तो क्या सिमथी बनाने कहूँ? तुम्हीं तो कहते हो न; कि लोग भूखों मर रहे हैं? जैसी हालत में कुछ न-कुछ निर्माण करनेवाली क्रिया ही राष्ट्रीय अनुशासना हो सकती है। किसीको आज अनुशासन कहते हैं। नहीं तो स्वराज्य के आन्दोलन में आप जनता को किस तरह शामिल करेंगे?" अगर कौड़ी काम न हो तो सिर्फ मेरे जैसा बालूनी आदमी ही स्वराज्य का आन्दोलन कर सकेगा—अर्थात्, व्याख्यान दे सकेगा। लाखों-करोड़ों लोगों को स्वराज्य के आन्दोलन में सीधे शामिल करने की कौड़ी तरकीब निकालो। जो तरकीब निकालोगे वह भी जैसी होनी चाहिये कि जिसे लोग सहज में समझ सकें। अखबारवालों को जब कौड़ी बात खास तीर पर लोगों के सामने रखनी हो तो वे अंक-अंक अक्ष के बुलन्द टाबीप में शीर्षक देते हैं। यूरोप में तो अब सिर्फ शीर्षकों से ही काम नहीं चलता; वहाँ चित्र देने पड़ते हैं। वहाँ के मजदूर चित्रों पर से समाचार भोंप जाते हैं। भावार्थ यह कि स्थूल, स्पष्ट और लोगों का ध्यान आकर्षित करने लायक चीज होनी चाहिये। तभी कुछ काम होगा। खादी और चरखा लोगों की समझ में आसानी से आनेवाला, अहिंसक आन्दोलन का प्रत्यक्ष चिन्ह है। अतः सारे राष्ट्र में स्फूर्ति की आग फैल सकती है। अगर जिस विभारत में कल आग लग जाय तो उसके जलने में कितनी देर लगेगी?

आप जैसा हिसाब न कीजिये कि जिसका पहली चिनगारी लगने के लिये अगर चाही सात बने तो सारी विभारत जलने में कितने साल लगेंगे। जैसा भूट-पटांग वैराणिक आप न करें। जिस विभारत में आग लगने के लिये चाही सात बने ही लग गये हों; लेकिन उसके खाक होने के लिये अंक चन्टा काफी है। जिसलिये तोते के समान क्रान्ति के सिद्धान्त रटने और रटाने से काम नहीं होगा। सिर्फ सुआ पढाने से राष्ट्र नहीं सुलगतें। भिट्टू की तरह राष्ट्र को सिर्फ—

लटपट पगिया चतुर सुजान ।

पढो प्रभाते श्री भगवान ॥

या

सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता ।

का मंत्र पढाने से काम नहीं होता ।

मंत्र और तंत्र का संबंध

आप मंत्र का अर्थ तो समझते हैं न? आज-कल तो लोग मंत्र ही पढते हैं। 'बिन्किसाब जिन्दाबाद'—अित्यादि कभी तरह के मंत्र अच्छे भले भले पढे-लिखे आदमी भी रास्ते पर अच्य स्वर से चिल्ला चिल्ला कर पढते हैं। पढे-लिखे लोग कहते हैं कि पुराने लोगों को मंत्रों में बेहद विश्वास था। मेरी धिकायत यह है कि तुम लोगों का विश्वास मंत्र में पुराने आदमियों की बनिस्बत कहीं अधिक है। स्वराज्य का मंत्र जनता तक आप कैसे पहुंचावेंगे? जिसका अंक ही रास्ता है—मंत्र के साथ तंत्र भी चाहिये। जनता से सम्पर्क कायम करने के लिये मंत्र की द्योतक किसी न किसी बाह्य कृति की जरूरत है। इतिहास में जिस बात के सम्बन्ध विद्यमान हैं कि जैसे तंत्रयुक्त मंत्र से समूचे राष्ट्र प्रभावित ही जुटते हैं।

विधानपंचायत क्यों ?

आज हम क्या मांग रहे हैं ? हम आज ही स्वतंत्रता नहीं मांगते। वह 'सीधा' हम नहीं कर रहे हैं। हम जितना ही कहते हैं कि तुम अपनी नेक-नीयती साबित करने के लिये जितना तो करो कि हमारी विधान-पंचायत की मांग मंजूर कर लो।

यह विधानपरिषद क्या है ? आप सिर्फ शब्दों से चिपटे न रहिये। स्वराज्य जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन शब्दों के जंजाल से तो आज ही छुटकारा पाविये। विधान-परिषद की मांग का अर्थ ही मतलब है कि हर अकेले बालिग व्यक्ति को मतदान का अधिकार हो, और वह किस तरह का राज्य चाहता है यह खुद तय करने की आजादी हो। अगर वह यह तय करे कि मोजूदा राज ही अच्छा है तो भी कोई हर्ज नहीं।

'हरिजन' में बापू की अंग्रेज का लिखा हुआ पत्र छपा है। वह कहता है कि सब लोगों की राय लेने की दृष्टि में पढ़ने के बदले सयाने लोगों की सलाह से जिसका निर्णय किया जाय। अक्सर की बात मुझे भी अच्छी है। 'फ्री-आदमी अकेले राय'— यह बात तो मुझे भी कुछ बेतुकी-सी मालूम होती है। हर अकेले के अकेले ही राय क्यों ? अकेले ही सिर है जिसलिये ? सिर की तरफ ध्यान गया जिसलिये 'फ्री-आदमी' अकेले राय का नियम बना। और अगर कानों की तरफ ध्यान जाता तो ? हर अकेले के दो-दो रायें होनी चाहियें ऐसा कहते। "हर अकेले के दो कान होते हैं; तस्मात् हर अकेले के दो रायें होनी चाहियें।" हर अकेले की अकेले ही राय का अधिकार होना चाहिये जिसका मुझे कोई सयुक्तिक कारण नजर नहीं आता, बिना जिसके कि

हर अकेले के अकेले ही सिर होता है। क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि अकेले अनप्य में जितनी बुद्धि होती है उसकी अपेक्षा दूसरे में हजार गुनी अधिक हो सकती है। लेकिन फिर भी बापू न अक्सर अंग्रेज-संयोजन को दिया हुआ जवाब ठीक है। बापू पूछते हैं कि "ये सयाने लोग हैं कहाँ ? और उनका प्रमाणपत्र क्या है ?" यह सवाल मुझे भी कुंठित कर देता है। मैं अकेले सयाने को दूसरे हजार आदमियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता हूँ। लेकिन जिस सयाने का प्रमाणपत्र क्या हो ? आज तो यही परिभाषा हो गयी है कि ग्वाभिसराय जिसे प्रमाणपत्र दे दे वही सयाना है। जिस तरह के सयानों ने गोलमेज-पारषद में जो घपला किया सो दुनिया जानती है। अगर यह कहा जाय कि जिसे कांग्रेस सयाना कहेगी वही सयाना समझा जाय; तो यह बात भी बहुत-से लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हम अपने घरों में भी यही करते हैं। जब किसी अकेले की, या किसी बुजुर्ग की, बात मानने के लिये परिवार के लोग तैयार नहीं होते तो हम सभी की राय ले लेते हैं। वही अब तय किया है। विधानपंचायत द्वारा हम जिस सवाल का निपटारा करनेवाले हैं।

बोलती छिपटियाँ और गूंगे आदमी

कहा जाता है कि अिन निरन्तर लोगों की राय ले कर काम कैसे चलेगा ? मैं कहता हूँ कि लिखने-पढ़ने का यह व्यवस्था माल-माला क्यों ? बिना तकलीफ के दूसरे लोगों के भेजों में ज्ञान टूस देने की आसानी लोगों की शिक्षा का नाम है लिखना-पढ़ना। जिस लिखने-पढ़ने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

लेगांव के महात्मा गांधी अगर किशोरलालभाजी से कुछ कहना चाहते हैं तो अकेले उनके पर लिख कर बंद लिफाफे में भेज देते हैं। वह लिफाफा ले कर अकेले अनाड़ी आदमी किशोरलालभाजी को दे देता है और वे बापू की बात समझ लेते हैं। छुटपन में हम 'बोलती छिप्टी' (टार्किंग चिप) का किस्सा पढ़ा करते थे। लोग कहते हैं कि 'देखो क्या कामकार है! पढ़ने-लिखने की कला की बदौलत छिपटियाँ भी बोलने लगीं।' मेरी यह शिकायत है कि सिर्फ छिपटियाँ ही बोलनेवाली नहीं हुयीं; बल्कि बोलनेवाले छिपटियों जैसे गूमे हो गये। अगर लिखने की कला न होती तो गांधीजी को अपनी जनहू छोड़ कर किशोरलालभाजी के पास जाना पड़ता। लेकिन हमेशा ऐसा करना मुश्किल है। जिससिजे दूसरा अुपाय यह करना पड़ता कि अुन्हें अपने आसपास के लोगों की अच्छी तरह से समझा-बुझा कर जितना होशियार बनाया पड़ता कि वे ठीक-ठीक सन्देशा पहुंचा सकें। लेकिन लिखने की कला की बदौलत आदमियों को 'छिपटियाँ' बनाने से काम चल सकता है। गांधीजी के पास जितने बेवकूफ आदमी रह सकते हैं अुतने क्या कभी प्राचीन अुधियों के पास रह सकते थे? आज चिट्ठी के धरिये गांधीजी की बात बीब के आदमियों को सांच कर भेंडक के समान छलांग मार

कर किशोरलालभाजी के पास पहुंच जाती है। "हिन्दुस्तान के लोग भेड़-बकरियों जैसे अपठ हैं। तभी तो तीन-चार साल गोरे अुनपर राज कर सकते हैं। जितनी तो भेड़ें भी कोजी सम्हाल नहीं सकता।"—जिस तरह की बातें मैं कभी बार व्याख्यानों में सुनता हूँ। मेरा जवाब यह है कि अगर हिन्दुस्तान के लोग भेड़ें होते तो अुनकी देखभाल के लिये बहुत-से लोगों की जरूरत पड़ती। वे आदमी हैं—और मुरब्बी और सुजान आदमी हैं; जिसलिये अुनकी राज्यव्यवस्था के लिये बहुत आदमियों की जरूरत नहीं। ये फालतू तीन-चार साल गोरे नहीं थे तब भी अुनका राज खूब अच्छी तरह चलता था।

यहाँ के लोग अपठ भले ही हों; लेकिन अजान नहीं हैं। हमारे यहाँ जिसपर कभी बहस नहीं हुयी कि स्त्रियों को मतदान का अधिकार हो, या न हो। यूरोप में स्त्रियों को मतदान के अधिकार के लिये अपने पुरुषों से लड़ना पड़ा। हमारे यहाँ बेजेंट और सरोजिनीदेवी का काँग्रेस का अध्यक्षपद लेना स्वाभाविक माना गया।

मतलब यह कि यहाँ के लोग सुजान और अनुभवी हैं। पढ़े-लिखे न हों तो भी विद्यामपचायत के लिये प्रतिनिधि चुनने के लायक हैं।

जिस तरह यह सारा विषय मैंने आपके सामने धुनक कर रख दिया है।

कबूतर का गटरगूं

३. हृदय-संघर्ष

बाबरजीय सम्पादकभाजी,

सविनय पासावन,

आज जब मैं हृदयकुञ्ज में पहुंचा तो कम्बुजीय बंसारे की कैंची पर बड़ी अंठ से टहलता हुआ उसक दिखा रहा था। बसकी गरदन फूल कर दाबी गुनी मोटी हो गयी थी। मुझे देखते ही बिना राम राम किये ही खुसने अपना गटरगूं शुरू कर दिया।

कम्बुजीय-भाज तो मैंने आश्रम-परम्परा की घड़त्ले के साथ अवहेलना की है। अपनी बिरादरी के अंक बालक की खूब अच्छी तरह बरम्मत करके आया हूं।

हरिहरभाजी की 'मीन्टेसरी-पद्वति,' या जगतारामभाजी की 'मातुश्री-पद्वति' को मैं हर बात में आदर्श मानने के लिये तैयार नहीं हूं। कोबी पन्ध्रह-बीस दिन हुबे होने; वह कबूतरी पुचकार-पुचकार कर अपने गन्धे-गन्धे बच्चों को पंखों से काम लेना सिखा रही थी, पर कोबी बच्चा जिस कैंची से नीचे झूतरता ही नहीं था। जरा पंख फड़फड़ाये और मां के गले से चिपट गया। मां अपने आत्सल्यभरे पंख में आघ आघ घंटे तक उसे छिपाये रखती थी और फिर उसे तासीम देना शुरू करती थी। पर वह बच्चा जुड़ने की हिम्मत ही न करता था। आखिर मुझसे रहा न गया, कबूतरी को तो मैंने अलग हटने के लिये कहा और स्वयं उस बच्चे पर टूट पड़ा। वह धबराहट के मारे नीचे गिर पड़ा और पंख के सहारे लिङ्की में फुदक कर बैठ गया। वहाँ जा कर मैंने फिर उसे दो तीन झपट्टे जमाये तब बेचारा

बुड़ कर आगन में बैठा। मैंने फिर मुझे-बास, तब वह छप्पर पर जा पहुंचा। अब निःसंदेह वह अपनी माता से जल्दी छक्क के केना।

मैं-तुम्हारा अभिप्राय क्या है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि पिटाबी ही ज्ञान-प्राप्ति का राजमार्ग है?

कम्बुजीय-तुम्हारे कटानव से मैं इरजेसका नहीं हूं। जिस बात में मैं बूढ़ हूं कि जिना ठोकर साथे कोबी तरक्की नहीं करल।

मैं-तब तो सारी शिक्षायोग्यताओं को ताक पर रख कर आश्रम के जिन शिक्षा-पंडितों को पुराने गवारू तरीके पर सौट जाना चाहिये। प्रोर होते ही हरेक बच्चे पर हाथ साफ करना चाहिये, और बच्चों के हाथ-पैर बांध कर उन्हें कबरे में बांधा लटकाने का शिक्षितना छिदरे जतरी करना चाहिये।

कम्बुजीय-यदि बैसा करने से सचमुच तरक्की होती हो तो मैं बैसी पिटाबी से परहेज न करूंगा। परन्तु जिस पिटाबी से दिमाग के दरवाजे बन्द हो जायें, जिस मुझनि लगे, और बच्चे को अपनी जिदगी का भी बोझ होने लगे, वह बहुत खतरनाक है। जिसके विपरीत दुख-मुंहें बच्चों को श्री मन्दिर के देवता की तरह पूजा जाय, जिन्हें बँडने का सहूर नहीं जैसे नन्हें नन्हें बच्चों को 'सरोज बहिन' 'चम्पा बहिन' 'सुमिना बहिन' या 'बिट्ठलभाजी' 'ज्योसभाजी,' 'मधुकरभाजी' कह कर पुकारा जाये, और पुराने जमाने में जिस तरह विद्याविषय आचार्य की सेवा-टहल में लगे रहते थे, उसी तरह

शिक्षक-गण विद्यार्थियों की सेवा-टहल में जुटे रहें—यह भी कम सतरनाक नहीं है। ज़रूरत है विद्यार्थी के हृदय पर आघात करने की। शिक्षक विद्यार्थी के हृदय को ज्यों-ज्यों अधिकाधिक चोट पहुँचायेगा त्यों-त्यों विद्यार्थी की जिज्ञासा, योग्यता, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा—सब कुछ जाग्रत होने लगेगी।

मैं—तब तो कंबुमाजी, किशोरलालभाजी ने जिस तरह “केलवणीना पाया” नामक पुस्तक लिखी है, उसी तरह तुम भी “चोट की प्रतिभा” पर अके पुस्तक लिखो।

कंबुमाजी—बिल्ली के चंगुल से बस दिन हम संयोगवश बच गये। तभी से मैं जिस विषय पर दिन-रात सोच रहा हूँ। हृदय पकड़ने वाले सूत्रों का शास्त्रीय संग्रह हो जाना बहुत ज़रूरी है। परंतु मुझे बड़ा भारी डर तो यह है कि……

मैं—यही न कि गांधी सेवा संघ वाले और आश्रम वाले अपनी कड़ी आलोचना से तुम्हारी उस पुस्तक की घञ्जियाँ जुड़ा देंगे?

कंबुमाजी—अजी जिसका मुझे कोजी डर नहीं। दादा धर्माधिकारी और मगनभाजी देसाजी जैसे बेवर्द और बेरहम आलोचकों के कठोर प्रहार भी मैं सह सकता हूँ, और अपने साप्ताहिक पत्र में महादेवभाजी, प्यारेलालजी, या गुजराजी “कुमार” में छपनेवाले आश्रम के इतिहास में वे प्रमुदासभाजी, मेरी बुरी से बुरी बदनामी करें, तो भी मैं गम ला सकता हूँ। मुझे तो अके दूसरा ही भय है।

मैं—जो आलोचना और बदनामी से नहीं डरता, उसे फिर डर किस बात का? तुमने वह कुजराजी मित्राल तो सुनी ही होगी कि “जैसे नहीं आज तुझे नामुं सरसुं राज।”

हिन्दी में भी कुछ वैसी ही कहावत है कि “नगे से खुदा भी डरता है”। बंगाली प्रौद्योगिक समिति ने आज वैसा ही छोटा-सा राज्य पाया है, यह बात सारा देश जानता है।

कंबुमाजी—यहां साज और राज की बात नहीं है। मुझे तो जिस बात का डर है कि ‘हरिजन सेवक’ में तीन महिलाओं से बापूजी अहिंसा के बारे में नित नयी नयी बातें हमारे सिर पर खोप रहे हैं। मैं जो पुस्तक लिखूंगा वह कहीं छापवाने से बाहर आने के पहले ही पुरानी न हो जाय? जाने किस समय बापूजी अपनी युवधनीति में कौनसे रंग लायेंगे—किसा प्रकाश डालेंगे? ‘गांधी’ और ‘आंधी’ का शब्दानुप्रास केवल शायिक ही नहीं है। बापूजी का वेग कभी कभी आंधी से कभी गुना तेज हो जाता है। आज-कल बापूजी अहिंसा के अमोघ बल के बारे में धुआधार विवेचन कर रहे हैं। वे समूचे मानवसमाज को अहिंसा की विराट नीचिमालाओं द्वारा आगे आगे बहल ले जाने के सिद्धे दिन-रात कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा के चांद की तरह भुन्होंने समस्त मानव-सागरों में खलबली मचा दी है। वैसी परिस्थिति में हृदय-परिवर्तन जैसे गूढ़ और नित-नूतन विषय को किताब की चार दीवारों में कैद कर लेना वैसी ही बेवकूफी होगी, जैसी कि हमारे विरादर टिटहरे ने समुद्र को रोकने की कोशिश करते में की थी।

मैं—जिस तरह पस्तहिम्मत होना हम विद्वियों को शोभा नहीं देता। यह तो आदमियों की ही बीमारी है कि महीनों और बर्षों मिहनत-मशक्कत करके कोजी चीज बना पायेंगे और जो चीज बन जावकी वह निकम्बी और सदियत साबित होने पर

भी असे फेंक देने की हिम्मत नहीं करेंगे । हम पक्षीगण जिस अवगुण से बरी हैं । हम प्रति वर्ष नया घोंसला बनाते हैं । और तुम कवृतर तो घोंसला बनाने के धैर्य में ला-सानी हो । दिन में दस बार भी सारे घोंसले का ढांचा गिर जाये तो भी तुम नहीं हारते और फिरसे बनाते हो । तो फिर हृदय-परिवर्तन के बारे में तुम्हारा कथन निकम्मा या अपूर्ण साबित हो तो अस्मै रंज की क्या बात है ? दुबारा अतिसिद्धांतों का संकलन हो जायगा ।

कम्बुग्रीव- खैर ! तुम्हारी ही बात सही । मैं अपने सुपारी के-से ठोस दिमाग की सारी ताकत 'हृदय-संघर्ष' के गूढ विषय में लगाने का साहस करता हूँ । जहाँ गलती देख पड़े वहाँ बता देना ।

मैं- गलती बताने के ठेकेदार 'सर्वोदय' के दो-दो सम्पादक जो बैठे हैं !

कम्बुग्रीव- किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के हृदय पर बाहर का दबाव पड़ने से तीन परिणाम निकलते हैं—

१. हृदयघात २. हृदय-परिवर्तन ३. हृदय-दान । अिनमेंसे प्रत्येक के फिर क्रमशः चार चार रूप होते हैं—

हृदयघात के—अ्दासीनता, द्वेष, क्रूरता और आत्महत्या ।

हृदय-परिवर्तन के—आदर, सहानुभूति, अ्दारता और अ्त्सर्ग ।

हृदयदान के—वात्सल्य, समर्पण, पूजा और आत्म-विकसोपन ।

अिन तीन परिणामों में से तीसरा परिणाम वहीं प्राप्त होता है जहाँ कि व्यक्तिगत सम्बन्ध असाधारण अुच्च भूमिका पर पहुंच जाते हैं ।

सामुदायिकरूप से कोअी सारा का सारा

समाज किसी दूसरे समाज से हृदय-दान प्राप्त कर सके—यह तो अिस समय कल्पना के परे की बात है । हो सकता है कि किसी दूर के भविष्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन अुतनी अूंकी सतह पर जा पहुंचे । अिस समय अुपस्थित विषय है—सामूहिक आन्दोलन का हृदय पर होनेवाला असर । वह अूपर बताये गये पहले दो प्रकार का होता है—अेक हृदयघात और दूसरा हृदय-परिवर्तन । प्रत्येक शिक्शाशास्त्री, समाज-सुधारक और सत्याग्रही सेनानायक के लिये यह जान लना अनिवार्य हो जाता है कि किस प्रकार के दबाव से हृदयघात या हृदय-परिवर्तन सिद्ध होगा ? और कौनसी चोट हृदय का कैसा रूप प्रकट करेगी ?

मैं- तुम्हारी अिस बात को तो मैं कबूल करूंगा कि चोट पहुंचाये बिना आदमी की प्रगति नहीं होती । लेकिन चोट पहुंचाने में यदि गलती हो जाय, तो ?

कम्बुग्रीव- चतुर-से-चतुर सेनापति भी हमला करने में गलती कर जाता है, परन्तु अुसकी सिफत तां अिस बात में होती है कि वह सबसे पहले विपरीत परिणाम को भौंप लेता है; और फौरन अपना मोर्चा बदल देता है । यही वजह है कि बापूजी बार बार अपनी हिमालय से भारी भूलों का अंलान करते हैं; बीच ही में लड़ाअी रोक देते हैं; और पिछली बार राजकोट में तो अुन्होंने सारा मैदान ही छोड़ जाने की अ्द्वितीय वीरता दिखलायी है ।

मैं- सारी दुनिया को जहाँ निरी कायरता नजर आती है, वहाँ सत्याग्रह के शास्त्रियों को वीरता की चरम सीमा देख पड़ती है ! अिसीको तो नौजवान लोग सठियायी हुअी बुद्धि कहते हैं ।

कम्बुग्रीव- अगर राजकोट-प्रकरण की बहस में तुम मुझे षसीटोगे तो मैं अपनी

बात खतम नहीं कर पाऊंगा। हृदय-परिवर्तन के बदले परिणाम में हृदयाघात की मात्रा बढ़ती हुई देख कर अपने दल के सारे-के-सारे बलिदानों को भुला देने की और अपने सैनिकों के अत्साह का संवरण करने की यह अद्भुत वीरता अपनी जिन्दा लाशों से समुद्र की खात्री पाटने की आपानियों की वीरता-से कभी गुनी बढ़कर है।

हृदय संघर्ष के रणवीरों को जितना ध्यान तो रखना ही चाहिये कि कहीं हृदय-परिवर्तन के चारों पहलुओं के बदले हृदयाघात के चार पहलू तो प्रकट नहीं हो रहे हैं? यदि आदर के बदले अुदासीनता, सहानुभूति के बदले द्वेष, अुदारता के बदले क्रूरता और अुत्सर्ग, यानी अपनी चीज या अपनी सत्ता का थोड़ा-सा अंश भी दूसरे को सौंपने की वृत्ति के बदले अपनी प्रतिष्ठा, अिन्सानियत और अपनी हस्ती भी खतरे में डालने की टेक अगर विरोधी पक्ष में बढ़ने लगे तो वह सत्याग्रह नहीं, विनाशाग्रह कहलायेगा। सारे संघर्ष को अैसी अधो-भूमिका पर गिरने से बचाने के लिये अपने पिछले सारे बलिदानों को भुला देना, और विरोधी पक्ष पर नये सिरे से नैतिक दबाव डालना साधारण वीरता का काम नहीं है।

अै—लेकिन मरें सत्याग्रही, जले सत्याग्रही, अपने घर-बार बरबाद करें सत्याग्रही; और विरोधी पक्ष दिन-दिन हरा-भरा बनता चले, और ऊपर से सत्याग्रहियों पर खार खाता रहे; तो अुसमें सत्याग्रहियों का क्या कसूर?


कम्बुग्रीव—यही तो समझने की बात है। मैं अेक नकशा तुम्हें बताऊंगा। अिससे हृदय-परिवर्तन और हृदयाघात बलों का वृहत्तुम्हारी समझ में आ जायेगा। अिस वृहत्तु का अन्तिम लक्ष्य है विरोधी या अालिम को अपनाना। जैसा कि मैं अिससे पहले बतला चुका हूँ हृदय-

परिवर्तन का पर्यायवाची शब्द है 'हिताना' ('पालतू बनाना')। अंगली, खूसार, निमंत्रण प्राणी को मार डालना, कत्ल कर देना, मिनटों का खेल है। परन्तु अुसे पालतू बनाना वर्षों और पुस्तकों का काम है। किसी जीव को काट कर खा जाने में जितना स्वाद है अुससे कभी गुना स्वाद जिन्दगी भर अुसे पालने-पोसने में है—अिसका भारतवासियों को पूरा पूरा स्वानुभव है। सत्याग्रह-संग्राम में यही सिद्धान्त काम करता है। किसीका हृदय-परिवर्तन करने, या अुसे पालतू बनानेका मतलब है अुसका विश्वास कमाना। जो आदमी या मनुष्य-समूह विश्वास नहीं कमा सकता अुसके काबू में हम कबूतरों जैसे निर्बल और निःशस्त्र जीव भी नहीं रहते। और जो हमारा विश्वास पा लेते हैं अुनका कार्य करने के लिये गोला-बारूद की घनघोर वर्षा में हम अपनी जान खतरे में डाल कर दीजते हैं। बस; अब अिस नकशे को समझ लो। अिसकी मैं कौमी व्याख्या करना नहीं चाहता।

सम्पादक भाभी! फिर कम्बुग्रीव ने जमीन पर बैठ कर पारिजात की क्यारी में अपने विचारों का पूरा खाका पैर के पंजे से खींच दिया। वह दो हिस्सों में बँटा था— हृदयाघात और हृदय-परिवर्तन। जो बात पहिले मुझे बिलकुल धुंधली दिखायी देती थी वह अुस नकशे से बहुत स्पष्ट हो गयी। कम्बुग्रीव की अनुमति से अुसकी नकल सर्वोदय के लिये आपके पास भेज रहा हूँ। लेकिन कम्बुग्रीव की अेक शर्त है कि आकाश-दर्शन के नकशों के काका साहब जैसे विवरण भेज रहे हैं वैसे कम्बुग्रीव से न मांगे जायें। अुसका कहना है नकशा स्वयं पर्याप्त विवरण है।

आपका आज्ञाकारी

“कम्बुग्रीव”



हृदय-परिवर्तन

मकट्टो की समझ-भूरवाले जिन जिन बलों का जोर नीचे के जिस पलहे पर पड़ेगा उसके अनुसार 'जालिम हृदय', 'हृदयाघात' या हृदय-परिवर्तन की ओर झुकेगा।

२. काले मोटे अक्षरों में छपा नकशा 'जालिम हृदय' की गति-विधि का सूचक है और भूरवाला सादे अक्षरों में छपा नकशा सामूमिक आंदोलन की प्रगति का सूचक है।

सर्वोदय की दृष्टि

गांधीजी की शर्तें

अब की बार गांधीजी ने देश का नेतृत्व एक छोटी-सी शर्त पर लिया है। शर्त तो छोटी-सी है किन्तु अबकी बार वे अुसका पालन बड़ी दृढ़ता से करानेवाले हैं। लोग गांधीजी का नेतृत्व तो चाहते हैं किन्तु अुनकी दृष्टि को नहीं समझते। चन्द लोग यह अनावश्यक भी समझते हैं। जो लोग गांधीजी के कार्यक्रम की समालोचना नहीं करते, बल्कि अुसे चुपचाप स्वीकार ही कर लेते हैं, वे सभी गांधीजी की सारी बातें समझते हैं, अथवा मानते हैं, असा अनुमान करना खतरनाक है। जितने लोग अुनका खुल्लमखुल्ला विरोध करते हैं अुतने भर अुनके विरोधी हैं, असा हमें नहीं समझना चाहिये। चन्द लोग बोलने की हिम्मत करते हैं, दूसरे कभी नहीं करते। प्रसंग आयेगा तब देखा जायेगा, "सब से भली चुप" असा समझ कर वे चलते हैं।

तब क्या गांधीजी की बात सचमुच राष्ट्र-मान्य नहीं है? असा होता तो गांधीजी की तीन दिन भी नहीं चलती। राष्ट्र के अधिकांश लोग स्वभाव से, हृदय से, गांधीजी को मानते हैं—गांधीजी का मार्ग अुनके लिये अधिक-से-अधिक अनुकूल है। अगर सामान्य जनता और गांधीजी का ही सवाल होता तो किसी किस्म की कठिनायी नहीं होती। किन्तु बुद्धि में अनेक शास्त्रायें पैदा करनेवाले हमलोग हैं। हम कहते हैं कि हमलोगों का भी तो देश को नसीहत देने का अधिकार है! हम जो नये नये 'वाद' पैदा करते हैं अुनसे देश में बुद्धिभेद

पैदा होता है। अतः देश की शक्ति अेकाग्र नहीं हो सकती। किन्तु ये अनेक 'वाद' हम कैसे टाल सकते हैं? अनेक 'वाद' चलाने-वाले लोगों पर गांधीजी चिढ़ भी कैसे सकते हैं? देश अुन 'वादियों' का भी है जिनकी सहायता से स्वराज्य का आन्दोलन चलाने की गांधीजी आशा रखते हैं। अुनको अपने-अपने विचार देश के सामने रखने का अधिकार पूरा पूरा होना ही चाहिये। अुससे अगर गांधीजी का कार्य अुत्तरोत्तर कठिन होता जाता हो तो गांधीजी को वह सब बरदास्त करना ही चाहिये। गांधीजी ने आज तक अिस बात की कभी शिकायत भी नहीं की। और यदि की भी हो तो जिसके साथ अुनकी दिन-रात गुप्तगू चलती है अुस भगवान से ही की होगी। वे पक्के खिलाडी हैं। कभी यह शिकायत नहीं करते कि मेरे हाथ में ताश के हलके पत्ते क्यों आये? जैसे पत्ते हाथ में आ जावे वैसे ले कर वे खेलने लगते हैं। अितना ही नहीं, किन्तु अुनको जैसे साथी मिल जाते हैं अुन्हींको ले कर खेलते हैं। साथी अगर कुछ बिगाड़ भी दे तो वह भी खेल का अंग ही मान कर अुभागे बढते हैं।

जब कभी कोअी वैद्य किसीकी चिकित्सा करता है तो दवा के साथ कुछ परहेज भी बताता जाता है। अगर मरीज वैद्य की बातें शुरू से मान जाय तब तो काम आसान है। किन्तु अगर मरीज ने अपथ्य करना जारी रक्खा तो वैद्य को भी अपने परहेज पर ज्यादा दृढ़ होना पड़ता है।

गांधीजी ने देश में अहिंसा का वायुमण्डल बनाने की जी-जान से कोशिश की—अुपवास

किये, प्रायश्चित्त किये, अपना आन्दोलन स्थगित किया, क्रान्तिकारियों से अनुनय किया। अबतक गांधीजी के कार्य में किसीने बाधा नहीं डाली तबतक वे आगे बढ़ते गये। किन्तु जब देश के ही लोग बे-मौके अपनी अपनी बातें-आगे करने लगे और गांधीजी के मार्ग की समाप्तोचना करने लगे तब देश में बुद्धिभेद पैदा हुआ, संगठन शिथिल हो गया और देश की तैयारी नहीं रही।

बिन लोगों की अके बात खास ध्यान में लेने लायक है। वे कहते हैं कि देश में वायुमंडल तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही, किन्तु सड़ाजी का नेतृत्व लें गांधीजी। अक्र समाजसत्तावादी नवयुवक ने मुझसे चर्चा करते हुआ कहा कि हम चाहते हैं कि बिस बूढ़े की शक्ति और हम नौजवानों की अमल का अगर संयोग हो जाय जिससे सारा काम अच्छी तरह से चले। मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। बूढ़े की शक्ति और नौजवानों की शक्तिहीन अमल—खासा संयोग है! सभी समाजवादी बिस ढंग से विचार नहीं करते। किन्तु अितना तो कहते ही हैं कि वायु-मंडल हमारी मर्जी का हो और लडें गांधीजी।

अगर युद्ध केवल अके खेल होता और करोडों देशवासियों के जान-माल का सवाल न होता तो बात अलग थी; किन्तु गांधीजी अन्धा युद्ध तो नहीं चला सकते।

भिःशस्त्र युद्ध और सशस्त्र युद्ध

सशस्त्र युद्ध के लिअे राष्ट्र की जो तैयारी चाहिअे अुससे बिलकुल भिन्न प्रकार की,—किन्तु अुससे किसी कदर कम नहीं—तैयारी किये बिना हम अहिंसक युद्ध नहीं चला सकते और न सफलता की आशा रख सकते हैं। सशस्त्र युद्ध के लिअे सेना की पूरी तैयारी

हो तो काफी है। सामान्य जनता हिम्मत न हारे, कष्ट-सहन के लिअे तैयार रहे और युद्धनीति के प्रतिकूल न चले, अितना बस है।

अहिंसक युद्ध के लिअे अके खास मर्यादा तक सारी जनता की तैयारी होनी चाहिअे। सशस्त्र युद्ध जारी रहे तभी तक युद्ध की तैयारी की जरूरत होती है। युद्ध समाप्त होते ही लोग अपने हमेशा के पुराने ढंग के जीवन पर वापस जा सकते हैं। अहिंसक युद्ध का रास्ता कुछ निराला ही है। समाज में अगर अहिंसक शक्ति पैदा करनी हो तो अुसका जीवन-क्रम ही बदलना चाहिअे। “हम रहेंगे तो दुनिया के दूसरे देशों के समान मगर लडेंगे अहिंसा के ढंग से,”—यह बात चलनेवाली नहीं है। “हम दूसरे देशों के जितना भी राष्ट्र संगठन नहीं करेंगे और तो भी हम अके राष्ट्र बन कर लडेंगे,”—यह कल्पना केवल मनोराज्य ही है।

गांधीजी ने देश का नेतृत्व स्वीकारते समय स्पष्टरूप से कह दिया है कि मुझे देश में सर्वत्र खादी चाहिअे। खादी कोजी वंद्य की फीस नहीं है कि अितनी फीस दे देने पर वह चिकित्सा करेगा। खादी तो राष्ट्र का परहेज है जिसके बिना चिकित्सा ही नहीं सकती।

खादी में दो गुण हैं। अके तो खादी के द्धारा हम देश के गरीब लोगों को अपना सकते हैं; आज जहां अुनको भूखों मरना पडता है वहां हम अुन्हें कुछ खिला सकते हैं। स्वयं कातने से हम खादी कुछ सस्ती भी कर सकते हैं। खादी का दूसरा और सब से बड़ा लाभ यह है कि जब सारा का सारा देश खादी पहनने लगेगा

तब हिन्दुस्तान के साथ कपडे की तिजारत करनेवाले अंग्लैंड और जापान जैसे देशों की बिगडी हुअी निगाह शुद्ध हो आयगी। हिन्दुस्तान के साथ अंग्लैंड का सब से बडा संबंध है कपडे का। हिन्दुस्तान के देशी मिलवाले भी देश को कुछ कम नहीं बूसते। खादी सार्वत्रिक होते ही अंग्रेजों का मखिन स्वार्थ रहेगा ही नहीं और फिर वे हमारी स्वतंत्रता के हामी बन जायेंगे। कम-से-कम बरबस विरोधी तो नहीं रहेंगे। वे आज जिस तरह हम लोगों के बीच फूट पैदा करते रहते हैं वसा आगे नहीं करेंगे। अन्हें इस बात की शर्म आने लगेगी।

अेक विश्वास हमें दृढ करना होगा कि किसी भी देश की जनता के लिये स्वतंत्रता का रास्ता कभी भी बन्द नहीं हो सकता। अगर स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय हो जाय और अुसके लिये हम सर्वस्व का बलिदान करने के लिये तैयार हो जायें, तो चाहे हमारी संख्या कम हो या ज्यादा — हमारे विरोधी संगठित हों या असंगठित — हम स्वतंत्र हो ही जायेंगे। इसलिये अन्तिम विचार करके गांधीजी ने यह निर्णय दिया है कि यदि हम तुरन्त और सचमुच आजाद होना चाहते हैं तो हमे मुसलमानों के प्रति मानसिक विरोध भी नहीं रखना चाहिये। वे कैसे भी चलें, हमे तो अुन्हे अपने भागी ही समझना चाहिये और अपने जीवन की सबसे महत्त्व की जरूरत जो कपड़ा—अुसके विषय में पूर्णतया स्वावलंबी बनना चाहिये। अगर कपडे के बारे में हम खादीनिष्ठ हो गये तो बाकी ग्राम-अुद्योग हम आसानी से प्रस्थापित कर सकेंगे।

अगर हम बडे बडे कत्र-कारखाने चलाने

के फेर में पडे तो न तो हम देश में अहिंसा का वायुमंडल प्रस्थापित कर सकेंगे और न शस्त्र-युद्ध ही टाक सकेंगे।

का० का०

कस्मै देवाय हविषा विधेम ?

स्वतंत्रता-प्राप्ति का पुराना और अितिहास-प्रसिद्ध तरीका युद्ध है। युद्ध में परास्त होने के बाद और सिर पर गुलामी आने के बाद युद्ध की तैयारी के लिये देश में षड्यंत्र करते रहना और परदेश की मदद के लिये कुछ न कुछ कोशिश करते रहना—यह अेक बडी साधना होती है। अपने अापको व्यवहारकुशल और स्वातंत्र्यवीर समझनेवाले लोग इसी मार्ग मे विश्वास करते हैं। इस पक्ष के लोगों ने १८५७ के साल में अेक बडा प्रयोग कर के देखा। अन्दर की फूट, बे-खबरी, गफलत और चारित्र्यहीनता के कारण अुसमें शिकस्त खायी और वे निराश हो गये। निराशा दीर्घकाल तक नहीं टिक सकती। अुन्होंने फिरसे तैयारी करना शुरू किया। किन्तु यह कार्य कितना बडा है, अुसके लिये किस प्रकार की तैयारी चाहिये, शत्रु की शक्ति और तैयारी कितनी है—अिसका अुनके पास कोअी हिसाब नहीं था और जिन स्वभावदोषों के कारण हम परास्त हो गये थे अुन दोषों को पहचान कर अुन्हें दूर करने की जो कोशिश होनी चाहिये थी वह अुनसे नहीं बनी।

अितने में काँग्रेस का आन्दोलन आया। अुसके तो रहनुमा अंग्रेज ही थे। अुन्होंने कहा कि “ ब्रिटिश जनता न्यायप्रिय है, अुसे हिन्दुस्थान की हालत के बारे में शिषित करो, वह हिन्दुस्थान को जरूर न्याय देगी। ”

हम लोगों ने इस तरह लिबरल पार्टी में विश्वास करना शुरू किया और लिबरल दल का तत्त्वज्ञान ही हमारा राजनैतिक स्मृतिशास्त्र बन गया।

बाद में यह पाया कि लिबरल लोग मुश्किल से अधिकारारूढ होते हैं और जब होते भी हैं तो दिल के और व्होट-बल के अतने कमजोर होते हैं कि हिन्दुस्थान को सिवा सहानुभूति के और कुछ भी नहीं दे सकते। अतः जब हमारा विश्वास कमजोर होने लगा तब हम फिरसे स्वावलंबन की बातें सोचने लगे। अतः मैं मजदूरदल ने आगे आ कर कहा, 'हम आपके खैरख्वाह हैं, हम रैडिकल हैं, हम अधिकार-पद पर आते ही आपको सब कुछ दे सकेंगे।' हमारे बड़े बड़े नेता मजदूरपक्ष के नेताओं के प्रशंसक बन गये। उसके बाद मजदूरदल कुछ दिन के लिये अधिकारारूढ हो गया। जान मोर्ले के कार्यकाल में जो हालत श्री गोखले की हुआ वही हालत रॉम्से मॅकडोनाल्ड के दिनों में अन्त नेताओं की हुआ।

इस बीच में गबरपक्ष के लोगों ने बर्म का मोर्ग आजमा कर देखा। परदेश में जा कर कितनी सहानुभूति मिल सकती है यह देखने के लिये वहाँवालों के दरवाजे भी खटखटाये। बड़ी बड़ी सभायें कराके, सरकार का निषेध करके केवल लोगों में असंतोष जाग्रत करने का निषेधात्मक रास्ता अकेले पक्ष ने आजमाया। काम आगे बढ़ा। अतः मैं भारतीय संस्कृति का हार्द पहचान कर गांधीजी ने सत्याग्रह का और रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रसंगठन का प्राचीन, किन्तु नया, रास्ता निकाला। परदेशी विचार पर निर्भर रहनेवाले लोगों को पहली बार अके

स्वदेशी तत्त्वज्ञान मिला जिसमें शक्ति की सच्ची अुपासना थी; और थी राष्ट्रनिर्माण की पूरी सामर्थ्य।

इस मार्ग का अनुसरण करके देश के कमी स्त्री-पुरुष जेल में गये। गांधीजी के लाडले और युवकों के प्रतिनिधि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस युद्ध में बड़े जोश से शामिल हुए। किन्तु अन्होंने गांधीजी के स्वदेशी तत्त्वज्ञान के विषय में शंका प्रकट कर परदेश का समाजशास्त्र प्रतिष्ठित किया और देश के नवयुवक गांधीजी की ठंडी युद्धनीति से अंब कर देश में मतभेद पैदा करने लगे। अिन लोगों को रूस का तत्त्वज्ञान और रूस की विजय बहुत ही आकर्षक मालूम हुआ; और देखते देखते गांधीजी की जगह मार्क्स, लेनिन और स्टॅलिन ने ले ली। अब देश में स्वातंत्र्य का जोश बढ़ता चला। उसके साथ साथ कमजोरी बढ़ानेवाले मतभेद भी बढ़े। जवाहरलालजी ने मतभेद की नींव तो डाली किन्तु वे स्वयं कॉंग्रेस के साथ ही रहे और गांधीजी के नेतृत्व का अन्होंने कभी भी त्याग नहीं किया। जवाहरलालजी के समाजवाद से मजदूर और किसानों में अके नयी दृष्टि आ गयी जिसके साथ अगर गांधीजी की अहिंसा भी होती तो कॉंग्रेस के काम को सबसे अधिक फायदा पहुंचता। किन्तु मार्क्स, लेनिन, स्टॅलिन कहाँ अहिंसावादी थे?—फिर हमारे किसान-मजदूरों के आन्दोलन से अुसका आग्रह कैसे रक्खा जाय? गांधीजी को खूब रखने के लिये और कॉंग्रेस में रहने के लिये अहिंसा का कुछ संकल्प मुह से बोल दिया और अुस का मनमाना अर्थ कर लिया; और छुट्टी पायी!—असा तरीका देश में बहुत चला।

देश में जोश बढ़ा, वाद-विवाद बढ़ा, मतभेद बढ़े, किन्तु अुसकी शक्ति नहीं बढ़ी—बहु तो घट ही गयी।

अैसी हालत में वर्तमान महायुद्ध आया। हमारी अहिंसा-निष्ठा, हमारी संस्कृति-निष्ठा कितनी गहरी है या कितनी छिछली है—अिसकी अक क्षण में कसौटी हुअी और राष्ट्र को अपना बिल टटोलने का मौका मिला।

अब हम देखते हैं कि जहां 'रेस' (वंश) का खयाल बढ़ता है वहां 'गोरे' और 'हब्की' के जैसा सवाल खडा होता है। चाहे आप अमेरिका में जाअिये या दक्षिण आफ्रिका में। जहां 'वंश' का सवाल आया वहां 'गोरे' और 'पीले' का झगडा बढ़ता है; फिर वह अमेरिका के जापानी रेस्ट्रों के बारे में ही क्यों न हो। जहां 'वंश' का सवाल आता है वहां 'जर्मन' और 'यहूदी' का भी झगडा शुरू होता है और अुसकी निर्बय मफलता देख कर सारी दुनिया चकित हो जाती है।

यूरोप में समाज-सत्तावाद को बढ़ता देख कर राष्ट्रपूत्रा ने—नैशनलिज्म ने—नया रूप धारण किया और वह 'फैसिज्म' और 'नात्सीज्म' में परिणत हो गया।

हिन्दुस्तान में बिपिनचन्द्र पाल और अरबिंद घोष के प्रचार से जो मैजिनीछाप राष्ट्रीयता बढ़ गयी थी अुसका विरोध श्री रवीन्द्रनाथ ने किया। स्वामी विवेकानन्द की राष्ट्रीयता कुछ और तरह की थी। अुसका प्रचार भारत में बहुत हुआ। अब गांधीजी ने भारतीय ढंग की अेक राष्ट्रीयता चलायी है जिसकी बुनियाद में भारतीय संस्कृति है, जो सब धर्मों को समान मानती है, सबों का स्वीकार करती है और भिन्न भिन्न धर्म, पंथ और फिरकों को अेकत्र ला कर अुनका अेक

कुटुंब बनाना चाहती है। अिस बुनियादी सर्व-संग्रहाक भारतीय संस्कृति का व्याकरण है—सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग और बलिदान। जो लोग अिस व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते वे भारतीय संस्कृति को क्षीण करते हैं। मगर भारतीय संस्कृति अुन्हें निबाह कर ही अुन्हें शुद्ध करने की और आत्मसात् करने की श्रद्धा रखती है।

रूस के प्रति हमारे देश में जो श्रद्धा और भक्ति पैदा हुअी थी अुसका प्रचार बहुत हुआ। और "अगर हिंसा से—अितनी अत्यावश्यक है अतनी ही हिंसा करके—हम स्वतंत्र बन सकते हैं तो हिंसा का परहेज क्यों रक्खा जाय," अैसा कहनेवाले लोगों की संख्या बढ़ी। किन्तु स्टैलिन ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंसा शत्रु को जब मारेगी तब मारेगी, परन्तु हिंसाकरनेवाले की आत्मा को, अुसकी तत्त्वनिष्ठा को और लोकहित को तो प्रथम मार डालती है। अब भारत के समाजवादी लोग सोचने लगे हैं कि हमें रूस का साम्यवाद ही चलावें या अुसका कोअी नया अहिंसक संस्करण तैयार करें।

अब अेक तरह की राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि सावरकर है और दूसरी तरह की राष्ट्रीयता के सुभाषबाबू। अिनपर राष्ट्र का कुछ न कुछ अवश्य है; किन्तु विश्वास नहीं बैठ सकता। अंबिसीनिया का और स्पेन का अनुभव होने के बाद जिस तरह लीग ऑफ नेशन्स की परीक्षा हो चुकी अुसी तरह पोलैंड और फिनलैंड के बाद रूस के कम्युनिज्म का भी अिम्तिहान हो गया है। कम्युनिज्म और कम्युनिज्म में यह अेक साम्य है कि दोनों समूचे समाज का विचार नहीं करते।

अब तो न रूस के पीछे जाने की जी चाहता है, न दूसरों को भिन्न या पराये मान-नेवाली राष्ट्रीयता के ही पीछे जाने का। मत-

मतान्तर तो बहुत है। "किसके पीछे जायें?"—"कस्मैय देवाय हविषा विधेम?"

१२-१२-३३

का० का०

संघवृत्त

सरदार वल्लभभाभी

अधर कुछ अखबारों में अंसी अफवाह छपी है कि सरदार वल्लभभाभी ने 'गांधी सेवा संघ' से अस्तीफा दिया है; और हर अंक की अपनी-अपनी कल्पनाशक्ति के अनुसार अूस अस्तीफे के कारण भी बताये गये हैं। अिम मामले में सच बात अिस प्रकार है:—

कभी दिनों से सरदार वल्लभभाभी संघ की सदस्यता से मुक्त होने की अिच्छा करते रहे हैं। यह बात संघ के सदस्य शायद जानते ही होंगे। गांधीजी ने भी वृन्दावन-सम्मेलन में अिसकी तरफ कुछ अिद्यारा किया था। (देखिये विवरण पृष्ठ ३७, अथवा 'सर्वोदय' अंक ११, जून १९३९, पृष्ठ ३१)

लेकिन अूस समय अूसके जो कारण थे, वे बाद में नहीं रहे। मगर फिर भी, पार्लमेण्टरी बोर्ड का काम सम्हालने में सरदार कदम कदम पर यह महसूस करते थे कि सेवक-सदस्यता का धर्म अूसके शुद्ध रूप में निबाहने में अुन्हें धर्मसंकट का सामना करना पड़ता है। अुनके दिल में हमेशा अिस विषय में शंका बनी रहती थी। अिसकी तरफ अुन्होंने अपने वृन्दावन के भाषण में कुछ अिद्यारा किया है। श्री जमनालालजी संघ के सेवक-सदस्य कहलाने में जो कठीनाजी महसूस करते थे वैसी ही परिस्थिति यह भी थी। अिसअिधे कार्यवाहक समिति की हाल की बैठक में अिम विषय

की चर्चा हो कर यह निश्चित हुआ कि अुन्हें सेवक-सदस्यता से मुक्त हो कर सहायक-सदस्य रहने की अिजाजत दी जाय। यह खबर सर्वोदय के पिछले अंक में ही दी जाती। परंतु अूसकी बाजाप्ता कार्यवाभी (विधि) पूरी नहीं होने पायी थी। अिसअिधे वह न दी जा सकी। अिस बीच में कुछ मुनी-मुनायी बातों के आधार पर कुछ अखबारों के संवाददाताओं ने कल्पना की अिमारतें खड़ी करना शुरू कर दिया। मतलब यह कि, सरदार वल्लभभाभी अब संघ के सहायक-सदस्य हो गये हैं और अुनकी संघ की कार्यवाहक समिति की ट्रस्टीशिप और सदस्यता कायम है।

अध्यक्ष

मेरे बारे में भी यह बात फैलायी गयी है कि, हालांकि मेरी मियाद सम्मेलन के वक्त खतम होती है तो भी, तुरन्त निवृत्त होने की अिच्छा से मैंने अपना त्याग-पत्र पेश कर दिया है। अिस बात में कुछ भी सत्य नहीं है।

तकली या चरखा ?

कुछ सदस्यों की राय है कि सम्मेलन के सूत्र-यज्ञ में चरखे के बदले तकली चलाने की सूचना सदस्यों को दी जाय। यह तो मैं मानता हूँ कि चरखे की अपेक्षा तकली में सामूहिक कनाबी की दृष्टि से अधिक

गुण है। सबसे बड़ी बात यह है कि अुस में नाद बिलकुल नहीं होता; जगह कम लगती है और कुशल और अशक्त आदमी के हाथ में वह चरखे के बराबर काम दे सकती है। फिर भी, चरखे की मुमानियत करना मैं ठीक नहीं समझता; क्योंकि चरखे में भी अेक अैसा गुण है जो तकली में नहीं पाया जाता। वह यह कि अशक्त आदमी भी अुसे चला कर लाभ अुठा सकता है। मेरे जैसों के लिये तकली चलाना असंभव-सा है। और फिर अब की सम्मेलन में कताअी का कार्यक्रम दो घण्टों का रखना तय हुआ है। यज्ञ-कार्य का सब से अच्छा प्रबन्ध तो वह है कि जिसमें अशक्त से अशक्त भी हाथ बटा सके। अिसलिये यह खयाल पैदा करना अुचित नहीं है कि मूत्र-यज्ञ में चरखा नहीं चलाना चाहिये। लेकिन मैं अिस विचार से सहमत हूं कि जितने सदस्य तकली चलाने में कुशल हैं वे सामूहिक कताअी के लिये चरखे की जगह तकली पसंद करें।

कि. ध. मशरूवाला

अध्यक्ष, गांधी सेवा मंत्र

वृन्दावन-विवरण

वृन्दावन-सम्मेलन का विवरण छत्र कर तैयार हो गया है और सदस्यों के पाम भेज दिया गया है।

विवरण की कीमत डाकव्यय सहित अेक रुपया रखी है।

मलिकान्दा-सम्मेलन

आगामी सम्मेलन के बारे में परिपत्र भी ब-दस्तूर सदस्यों की सेवा में भेजा जा चुका है। सम्मेलन में विचारार्थ प्रस्ताव, प्रश्न आदि जो सदस्य भेजना चाहें, वे अुन्हें शीघ्र ही भेजने की कृपा करें।

जो सदस्य सम्मेलन में अुपस्थित न हो सकें वे सम्मेलन के सात दिनों तक अधिक-से-अधिक समय दे कर चरखा कानें और अिस तरह अपने-अपने स्थान से ही सम्मेलन में अपना सहयोग देवे। जितना सूत तैयार हो जाय अुसकी मूचना कार्यालय के पास भेजे।

त्याग-पत्र

निम्न लिखित सेवक-सदस्यों ने मंत्र से त्यागपत्र दिये हैं।

- १ श्री रमणीकलाल मगनलाल मोदी
- २ श्री माधवलाल अंकरलाल पंड्या
- ३ श्री जयदेव वेदालंकार

कार्य और स्थान

सदस्यों को स्मरण रहे कि अुनके कार्य में अीर स्थान में बदल होते ही अुसकी मूचना कार्यालय के पास तुरन्त पहुंच जाना आवश्यक है। महत्त्व के बदल करने के पहले अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करना अुचित है।

२० अी० धोत्रे

मन्त्री, गांधी सेवा संघ

आकाश-दर्शन

[काका कालेलकर]

पिछले साल आकाश की ज्योतियों के बारे में मैं लिखता चला गया; किन्तु पाठकों की ओर से कौबी खास जिज्ञासा नहीं दिखायी गयी। कबी लोगों ने यह मान लिया कि वर्षों पहले मैंने गुजराती में 'देवों का काव्य' शीर्षक जो लेखमाला लिखी थी अुसीका शायद यह अनुवाद है। इसलिये भी चन्द लोगों ने अुसे नहीं पढा! कुछ अैसे भी पाठक थे जिनको न तो देवों से मतलब था और न काव्य-विवेचन से। अुन्होंने लेखों का शीर्षक देख कर ही अुन लेखों से मुह मोड लिया। शीर्षक बदलने ही अुन्हें पता चला कि ये तो हमारे सनातन साथी, प्रसन्न-वदन, तारों की बातें हैं। तब से वे चाव से पढने लगे हैं। आकाश-दर्शन सीधा और सरल नाम है। 'देवों का काव्य' वक्रोक्ति थी। देव भले ही परोक्षप्रिय हों, आदमी को सीधी बात पसन्द आती है। अब लोग पढने लगे हैं और मानचित्र भी देखने लगे हैं। पत्र लिख कर पूछते भी हैं। अब मेरा विचार है कि आकाश के कुछ अत्यंत आकर्षक तारक-समूहों की मुख्य आकृतियां बता दू और वह कैसे पहचाने जायें यह भी कह दू। मुझे ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ कहना है। हिन्दुस्तान, अरबस्तान खाल्डिया, मिसर देश, यूनान, रोम, चीन, अमेरिका—सभी देशों के हमारे प्राचीन पूर्वजों ने नक्षत्र-विद्या में दिलचस्पी ली है और अपना आनन्द कभी तरह से व्यक्त किया है। अगर अिन तारा-प्रेमी ज्योतियों का वृत्तान्त हम सुनें तो दूसरे विज्ञानवीरों की तपस्या की अपेक्षा अिनकी तपस्या किसी प्रकार कम दर्जे की नहीं माखूम होगी।

ज्योतिषशास्त्र पिछले पच्चीस वर्षों में अितना कुछ बढा है कि अुसने अनन्त का विस्तार भी हमारे लिये अनन्त गुना बढा

दिया है। पहले हम अेक ही विश्व की बात करते थे। ज्योतिषशास्त्र ने देखा है कि जैसे किसी देश में अनेक नगर होते हैं अथवा किसी महासागर में अनेक टापू होते हैं, या सहारा जैसे वीरान मरुस्थलों में जैसे 'ओअेसिस' अथवा 'रणोद्यान' होते हैं, अुसी तरह अिस अनन्त आकाश में अेक के पीछे अेक अैसे अनन्त विश्व पाये गये हैं। अेक-अेक विश्व में तन्वेषाधि तारे होते हैं और अेक-अेक तारे के साथ यदि अुनकी प्रहमालायें हों, तो अुनकी तो कल्पना ही नहीं हो सकती। अिन तारों और तारकनगरो के, तथा अिन विश्वों के अन्तर भी हम पृथ्वी पर बैठे-बैठे नाप सकते हैं। अितना ही नहीं, किन्तु अिन तारों के पेट में कौन-कौन-सी वायुयें हैं और अुष्णता कितनी है अिमका भी अन्दाजा अुनकी नब्ज देखे बिना ही हम लगा सकते हैं। यह सब किस तरह किया जाता है अिसका भी कुछ बयान करमा होगा।

आज कल के दिन—अर्थात् रातें—तारक निरीक्षण के लिये अत्यन्त अनुकूल है। आकाश स्वच्छ होता है, रात्रि में घंटे ज्यादा होते हैं, तारों के तेज में भी ज्यादा खुमारी आती है और शाम का आध घण्टा और सुबह का आध घण्टा मिल कर हम करीब करीब सारा का सारा आकाश देख सकते हैं। इसलिये पाठक अिन लेखों की राह न देखते हुअे अपने मन से आकाश के अिन दिव्य गणों के साथ परिचय बढावें और अपने ही मन से भिन्न भिन्न आकृतियों बनावे। वे पायेंगे कि जो आकृतियां अुन्होंने अपने मन से निश्चित की होंगी वे ही अनेक देशों के प्राचीनों ने भी निश्चित की हैं।

* * *

अिस महीने में हम सब-के-सब ग्रह देख सकेंगे। शाम को पश्चिम में शुक का अप्रतिम

तेज ध्यान खींचता ही है; उसके ऊपर गुरु विराजमान है; गुरु के ऊपर मंगल और मंगल के ऊपर शनि। इन चारों को जिस तरह-से देख कर हठात् यह विचार आता है कि ये जरा दाहिने-बायें देख कर अंक सीधी कतार में आ जायें तो क्याही अच्छा हो! अगर भगवान् अन्हें “अंक कतार” का हुक्म दें तो वे तुरन्त अंक सीधी रेखा में आ जायेंगे। लेकिन भगवान् हमारी आंखों की तृप्ति के लिये थोड़े ही अिन ग्रहों की कवायत ले रहे हैं?

फरवरी की ६ ठी तारीख के बाद बुध भी पश्चिम की ओर सूर्यास्त के पश्चात् तुरन्त दीख पडगा। किन्तु थोड़े ही समय में वह सूर्य के पीछे पीछे जायेगा। दिन-पर-दिन बुध पश्चिम में ज्यादा समय रहेगा और सूर्यास्त के बाद वह अस्तरोस्तर ऊपर की दीख पडेगा। फलतः अंसका अस्त भी सूर्यास्त के बाद देर से होता जायेगा। करीब अंक महीने तक बुध अंचा ही अंचा चढता जायगा। अंक महीने के बाद वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे की आता हुआ दिखायी देगा और फिर अंसका पश्चिम में सूर्यास्त के साथ ही अस्त हो जायेगा। पंद्रह दिन की छुट्टी लेने के बाद वह फिर से मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में पूर्व में दर्शन देगा। जिस तरह से यह सूर्य का अन्तेवासी कभी पूर्व में और कभी पश्चिम में दर्शन देता रहता है। वह कभी सूर्य से बहुत दूर नहीं जा सकता। जिस वजह से मध्यरात्रि को बुध का दर्शन होना असंभव है।

शुक्र की भी यही हालत है, किन्तु सूर्य से कुछ अधिक दूर होने के कारण वह आकाश में बुध की अपेक्षा कुछ अधिक अंचा चढ सकता है और सुबह और शाम को आकाश में अधिक देर तक दर्शन दे सकता है।

शनि और गुरु दोनों धीमी-धीमी चाल से चलनेवाले ग्रह हैं। शनि का तो नाम ही ‘शनेश्चर’—‘मन्दगामी’— है। पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करने में अंक साल लेती है तो शनीचर २९ वर्ष में कहीं अपनी परिक्रमा पूरी कर पाते हैं।

शनीचर के बाद और भी तीन ग्रह हैं। किन्तु अन्हें हम दूरबीन से ही देख सकते हैं। निरी आंखों से उनमें से कोअी

दिखायी भी दे तो भी असंख्य तारों में से असे पहचान लेना अशक्य ही है।

अिन सब ग्रहों की अंक परिक्रमा के लिये जितना समय लगता है वह ध्यान में रखने लायक है: बुध को सूर्य की अंक प्रदक्षिणा के लिये ८८ (अठ्ठासी) दिन लगते हैं। शुक्र करीब अंक साल के अंदर अपनी प्रदक्षिणा पूरी कर लेता है। मंगल का वर्ष ६८७ दिन का है। गुरु का अंक वर्ष हमारे १२ वर्ष के बराबर है और शनि का, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, २९३ वर्ष का है। जिस के बाद के ग्रह जैसे दूर रहते हैं वैसे अूनके वर्ष भी ९४, १६५ और २५० वर्ष के हैं। जिस तरह से आज सूर्य के आसपास घूमने-वाले ग्रह ९ हैं। अंतिम ग्रह का आविष्कार १९३० में हुआ। अंसका नाम ‘प्लूटो’ अथवा ‘प्रांतक’ है। पाश्चात्यो के पुराणों में प्लूटो यमराज का नाम है। हमारे यहीं यमराज को ‘अंतक’ भी कहते हैं। जिस ग्रह को प्रांतक कहने से दो बातें ध्यान में आनी हैं: अंक तो यह कि वह सूर्यमाला के सीमा-प्रांत में है और दूसरी यह कि पाश्चात्य लोगों ने असे ‘अंतक’, यानी ‘यमराज’, का नाम दिया है। बुध से ले कर प्रांतक तक ग्रहों की आबादी है। अंसके बाद बहुत दूर तक केवल अंधेरा ही अंधेरा है। केवल पोला आकाश ही आकाश है।

* * *

खगोल की सामान्य बातें जाननेवाले लोगों को यह पता है कि हमारा चंद्र कभी पृथ्वी की ओर से मुह नहीं मोडता। वह पृथ्वी के अिर्द-गिर्द हमेशा घूमता रहता है, किन्तु अंसने कभी पृथ्वी को अपनी पीठ नहीं दिखायी।

जिसी तरह बुध और शुक्र भी सदा अपना मुह सूर्य की ओर रख कर अपनी बफादारी जाहिर करते रहते हैं। दूरबीन से बुध और शुक्र दोनों की चांद के जैसी कलायें दीख पडती हैं। शुक्र जब पृथ्वी के नजदीक आता है तब अंसका आकार बडा होता है, किन्तु अंसकी कला छोटी होती है। जब वह हमसे दूर जाता है तब अंसका बिंब पूर्णिमा के जैसा पूर्ण होते हुअे भी अंतर बढ जाने के कारण छोटा दिखायी देता है।

दीपक

—1916—

[हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सम्पत्ति तथा पंजाब में राष्ट्रभाषा प्रचारार्थ स्थापित,
साहित्य-सदन, अबोहर, का मासिक मुल-पत्र]

यह क्या है ?

जनहितपोषक, नवीन विचारधारा-द्योतक, सच्ची राष्ट्रीयता का समर्थक और मानसिक क्रान्ति का सन्देश-वाहक । पंजाब प्रान्त में यही हिन्दी का पहला पत्र है जो अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी अतने वर्षों अपना अस्तित्व कायम रख सका है ।

अिसमें क्या पढेंगे ?

स्फूर्तिदायक जीवनियों, दिलचस्प व अद्बोधक कवितायें, कहानियाँ, बालो-पयोगी व स्त्रियोपयोगी सामग्री एवं जीवन-चर्चा, नयी तालीम, स्वास्थ्य-रक्षा, आहारविज्ञान, ग्रामोद्धार, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं पर चूने हुअे लेख ।

दीपक—लगभग सभी हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों तथा कभी राज्यों के शिक्षा-विभागों द्वारा स्कूल कॉलेज आदि के लिअे स्वीकृत है ।

नमूना अंक; चार आना : वाषिक मूल्य २।। रुपया

प्रबन्धक—'दीपक'

साहित्य-सदन, अबोहर

(पंजाब)

सूचना—

'सर्वोदय' में आम तौर पर अस्तित्हार नहीं लिये जायेंगे । अपवाद केवल वाचनीय ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा । अिनके अस्तित्हारों के दाम नहीं लिये जायेंगे । केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर अस्तित्हार छापे जायेंगे । जो साहित्य या संस्था निर्बिवादरूप से लोकोपयोगी है, अूसीको रथान दिया जायगा । यह ब्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी ।

व्यवस्थापक, 'सर्वोदय', वर्धा ।

बावन तोले पाच रत्ती स्वदेशी

मुझे इसमें गंभीर संदेह है कि कपडे के कारखाने और मिलें बंगाल की मांग कहां तक पूरी कर सकेंगी; और यदि बंबयी, अहमदाबाद या दूसरे स्थानों की तरह वह मांग पूरी की भी जा सके तो भी वैसा करना कहां तक वांछनीय होगा। बहुत पुराने ज़माने से बंगाल में कपडे बुनने का एक असा व्यवसाय रहा है जिसकी कभी सभ्य राष्ट्र प्रशंसा और अीर्ष्या करते थे। बंगाल के सामाजिक संगठन का यह बुद्धयोग अक महत्त्वपूर्ण घटक है। गंगा के डेल्टा के हर अक जिले मे पचास हजार से ले कर अक लाख तक आदमी जन्म, स्वाभाविक प्रवृत्ति और पेशे से जुलाहे है। बिदेशी प्रतियोगिता के मारे और प्रोत्साहन के अभाव में वे बेचारे भूखों मर रहे थे। स्वदेशी आन्दोलन ने अन्हें मानो नया जीवन दिया है; अन्हें नया जोश और गति दे कर अूनकी शक्ति बढायी है। इस देशी दस्तकारी का विकास मेरी निगाह मे अतना ही महत्त्व रखता है जितना कि मिले और कारखाने। बल्कि अधिक। क्योंकि वह अक स्वयं-व्यवस्थित, स्वयं-संचालित और स्वाश्रयी योजना है। अूसकी बढीलत कभी गुने अधिक आदमियों को काम मिलता है; और वह अधिक मजबूत आर्थिक सिद्धांतों पर स्थित है। मिलें चाहे पनपें या मुरझायें: लेकिन अक जाति कैसे नष्ट हो सकती है ?

७:१०:१९०७ }
बंगभंग-दिन }

— बाबू अंबिकाचरण मजूमदार

संवादय

जेप बः पन्याः सुकृतस्य लोके

सम्पादक
काका काल/लकर
दादा धर्माधिकारी

वर्ष २ हा
अंक ८ वा

मार्च
१९५५

बुक अंक...	...	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में	६	शिलिंग
			१.५० डॉलर.
(सब डाक सहित)			

अनुक्रमणिका

१. बीशावास्योपनिषत् (विनोबा)	३६५
२. मनुष्य की स्वभावगत अहिंसावृत्ति (श्री किशोरलाल			
घ. मशरूवाला)			३६६
३. सृष्टि की संहार-बीला का सबक (श्री काका कालेलकर)			३८३
४. गांधीजी के अनुयायी (श्री हरिभाबू अुपाध्याय)	...		३८८
५. कबूतर का गटरखूँ ('कलबलराम')	३९१
६. ग्राम-पंचायत का प्रश्न (श्री प्रभुदास गांधी)	...		३९४
७. क्रान्ति के प्रतीक की स्वतंत्र प्रतिष्ठा (श्री दादा धर्माधिकारी)			३९५
८. नवयुग-निर्माण में स्त्रियों का स्थान (श्री ताराबहन मोडक)			३९८
९. सर्वोदय की दृष्टि	४०२
राजसत्ता का आधार; देशी राजा दूरदर्शी बनें; ये अजीब कथत्रिय हैं; थोथा स्वतंत्रता-प्रेम; दुहरी चाल; प्रजा का डर क्यों? राष्ट्रीयता पर रामानन्द बाबू; बंगाल के कुछ मुसलमानों की सम्मति; सरदार पृथ्वीसिग की नयी योजना; पुनश्च झंडागीत ।			
१०. आकाश-दर्शन (श्री काका कालेलकर)	४०९
११. वाङ्मय परिचय	४११

पूरकपत्र—

१. अध्ययन का भाषण (श्री किशोरलाल घ. मशरूवाला)
२. झंडा-बंधन (श्री सियारामशरण गुप्त)

सर्वोदय मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है :

- (१) शिष्ट साहित्य भण्डार, आनंद भुवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई २
- (२) बोरु अैण्ड कंपनी, ८, रामुण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई २
- (३) नवजीवन कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई २
- (४) नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) झाडी भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता ।
- (६) सस्ता साहित्य भण्डल, कॅनाट सर्कस, न्यू देहली ।
- (७) सस्ता साहित्य भण्डल, लखनऊ । (८) गांधी आश्रम, गोरखपुर ।
- (९) मगनमाल हिम्मतलाल मट्ट, काँग्रेस हाबूस, नापाबट, सूरत ।
- (१०) सस्ता साहित्य भंडल, जिन्दौर ।

सर्वोदय

शेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेकर
दादा धर्मभाषिकारी

मार्च, १९४०
वर्षा

शीशावास्योपनिषत्

[विनोबा]

मंत्र—संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृत मश्नुते ॥ १४ ॥

अर्थ—विकास और निरोध, दोनों सहित जो अंस आत्मतत्त्व को जानते हैं, वे (अंस आत्मतत्त्व के बल) निरोध से मृत्यु को पार कर विकास से अमृत को पहुँचते हैं।

टिप्पणी—अस मंत्र में 'असंभूति' के लिये 'विनाश' यह दूसरा पर्यायशब्द प्रयुक्त है। अंसका अुदेश यह है, कि दोषनिवृत्ति या निरोध के दो हिस्से हैं, (१) नये दोषों से बचना, (२) पुराने दोष छोड़ना। 'असंभूति' शब्द के अक्षरार्थ से पहला हिस्सा सुझाया जाता है। दूसरा हिस्सा सुझाने के लिये 'विनाश' शब्द है। योगशास्त्र 'निरोध' शब्द में दोनों हिस्सों का समावेश करता है।

मन्त्र—द्विरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

अर्थ—सुवर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढँका हुआ है। हे विश्वपोषक प्रभो, मैं सत्य-धर्म का अपासक हूँ। मुझे दर्शन दिलाने के लिये तू असे प्रकट कर।

टिप्पणियाँ—(१) 'सत्यधर्म' शब्द का अल्लेख अंसके पुराने रूप में ('सत्यधर्मन्') ऋग्वेद ने चार-पांच बार किया है। वहाँ वह बहुव्रीहि है। असलिये अंसका अर्थ होगा "सत्य की अपासना जिसका धर्म है वह।"

(२) यह वैदिक धर्म की सार्वभौम प्रार्थना है। इसी में से अगले तीन मंत्रों में जो ध्यानत्रयी है अंसका संपादन करना है।

मनुष्य की स्वभागत अहिंसावृत्ति

[किशोरलाल घ० मशरूवाला]

-१-

कभी धर्ष बीत गये। (शायद सन १९२२ या '२३ की बात है।) अमलनेर का तत्त्वज्ञान-मन्दिर देखने गया था। महाराष्ट्र के अनेक प्रसिद्ध अध्यापक, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उस वक्त वहाँ काम करते थे। अन्होंने मुझसे कहा कि पीर्वात्य और पाश्चात्य तत्त्वज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन करके पीर्वात्य तत्त्वज्ञान, विशेष कर वेदान्त, कितना श्रेष्ठ और पूर्ण है—यह सिद्ध करने का प्रयत्न उस संस्था में रहनेवाले विद्वान करते हैं। अपनी संस्था की बहुत-सी जानकारी देने के बाद अन्होंने मुझसे सत्याग्रहाश्रम का हाल पूछा। मैंने वह बतलाया। बाद में वे मुझसे कहने लगे, "देखिये, मैं सच कहता हूँ। आप बुरा न मानिये। हम लोगों को आपकी यह अहिंसा बिल्कुल नहीं जँचती। यह तो शांधीजी का अनेक खल्ल है। वह मनुष्यस्वभाव के विषय है।" वर्ग-वर्ग।

ऐसा कहा जा सकता है कि यह राय—अगर सारी महाराष्ट्रीय जनता के मत की नहीं, तो कम से कम जिस शिष्यवर्ग ने आज तक महाराष्ट्र का जनमत बनाया है और उसका नेतृत्व किया है—उस वर्ग के मत की प्रतिनिधिरूप है।

प्रयोगों द्वारा मत-परिवर्तन

अपनी जो राय बन गयी हो उसे साहित्यिक और तार्किक शक्ति के जरिये बड़ी कुशलता से प्रतिपादन करने की कला में यह विद्वान वर्ग सिद्धहस्त है। इसलिये लोगों में दूसरे किसी मत के प्रति श्रद्धा अल्पन करने के लिये पहले

अस विद्वान वर्ग के मत में क्रान्ति कराना जरूरी हो जाता है। जब तक हम अिनका मत-परिवर्तन नहीं कर सकते तब तक चाहे साधारण जन-स्वभाव दूसरी तरह का और अहिंसा-शक्ति के अनुकूल क्यों न हो, तो भी लोगों की सारी शंकाओं का निरास हम नहीं कर सकते। सभी चित् शक्तियों का यह धर्म है कि साशंक अवस्था में वे अपना पूर्ण और बलवान् स्वरूप प्रकट नहीं कर सकतीं। कारण स्पष्ट है। स्वस्थ शरीर में किसी रोग के जन्तु पैदा कर देना जितना आसान है अतना अणु जन्तुओं का वहाँ से अणुमूलन करना नहीं है। शंका पैदा करना जितना आसान है अतना आसान उसका निरसन करना नहीं है। उसके लिये केवल साहित्यिक और तार्किक कला ही काफी नहीं है। बल्कि बार बार अनेक प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा अनुभव से सिद्ध करने की तथा लोगों की वृत्ति भिन्न संस्कारों द्वारा नये ढाँचे में ढालने की जरूरत होती है। अतः अस काम के लिये अहिंसा-शक्ति का प्रतिपादन करनेवाले साहित्यकारों और तार्किकों की अपेक्षा उस शक्ति के कुशल सेनापति अधिक योग्य है। अन्हें अपने अहिंसा के प्रयोगों द्वारा विद्वानों के मत-परिवर्तन का प्रयत्न करना चाहिये। वे सफल ही होंगे यह कहना तो मुश्किल है। क्यों कि छुटपन-से जो मत कायम हो जाता है वह अेका-अेक नहीं बदलता। और अगर मत बदल भी जाय तो भी स्वभाव नहीं बदलता; और मत बदलने की चेष्टा करनेवाले के प्रति मत्सर का भाव पैदा होने का संभव रहता है। यह

विषय केवल मत से संबंध रखनेवाला नहीं है। यह स्वभाव का सवाल है। जिसलिये मत-परिवर्तन कराने का प्रयत्न करनेवाले पर क्रोध भी आता है। लेकिन यद्यपि वर्तमान विद्वानों का मत न बदले; तो भी अहिंसा के सफल प्रयोग नयी पीढ़ी के जीवन को नये ढाँचे में ढालने में सहायक होंगे और साधारण जनता को जल्दी ही जँचने लवेंगे।

अतः मेरी तो यह राय है कि जिनका आज अहिंसा में षोडा-बहुत विश्वास है; वे, जो विद्वान् असे नहीं मानते अतः, साहित्य और तर्क द्वारा मत-परिवर्तन कराने की संझट में न पड़ें। बल्कि वे अहिंसा के सफल प्रयोग कर दिखाने का और नयी पीढ़ी में अहिंसावृत्ति निर्माण करने का प्रयत्न करें। किसी जमाने में पृथ्वी अपने-

आप की ओर सूर्य की चारों तरफ घूमती है; असा कहनेवाले लोग सिरी समझे जाते थे। किसी जमाने के वैज्ञानिकों को यह असंभव प्रतीत होता था कि हवा की अपेक्षा भारी पदार्थ के बने हुए विमान भी हवा में उड़ सकेंगे। इसी प्रकार आज के मानसशास्त्री और विज्ञानशास्त्री इस बात पर जोर देते हुए पाये जाते हैं कि “अहिंसा साधारण जनस्वभाव के प्रतिकूल है;” और यह कि “विकासवादी वैज्ञानिकों ने प्राणिमात्र में विद्यमान जिस आत्मरक्षा की प्रेरणा का निरूपण किया है उसी से हिंसा का-अनुभव हुआ है”। लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों की बुद्धि को अहिंसा जँचती है, अन्हे अनुभव की दिशा में अपना कदम लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहिये।

-२-

सामाजिक विशेषताओं के बारे में भ्रम

आज कल यह कहने का रिवाज जोर पकड़ रहा है कि “हर एक मनुष्य की एक खास प्रकृति होती है और प्रत्येक समाज की भी एक प्रकृति—विशेष होती है। महाराष्ट्रीय स्वभाव फलाने तरह का होता है, गुजराती ठिके तरह का, बंगाली असे होते हैं, कानडी जैसे होते हैं, मुसलमान में अमुक खासियतें होनी ही चाहिये”—आदि आदि तरह की बातें हम आज-कल बहुत जोरों से कहने लगे हैं। गुजरातियों का महाराष्ट्रियों के विषय में, या महाराष्ट्रियों का गुजरातियों के विषय में, कोभी खाम राय कायम कर लेना अल्प अनुभव का परिणाम है। समझदार लोगों को असे विचार हरगिज नहीं फलाने चाहिये। बल्कि अन्हे तो अपने प्रान्त के लोगों की असी धारणायें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। असी गलत धारणाओं की

बदौलत प्रान्तों में परस्पर बिद्वेष पैदा होता है। लेकिन ये धारणायें बिल्कुल अूपरी होती हैं। अुनके कारण आक्षेपित समाज के लोगों का स्वभाव बदलता हो, सी बात नहीं। अुदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में अगर यह धारणा हो कि गुजराती लोग भावना-प्रधान होते हैं, या महाराष्ट्र के देशस्थ ब्राह्मणों की असी धारणा हो कि कोंकणस्थ ब्राह्मण भावनाशून्य होते हैं, अथवा कोंकणस्थ ब्राह्मणों की यह धारणा हो कि देशस्थ फूहड होते हैं, तो अुसकी बदौलत जो व्यवहार-कुशल गुजराती हैं, जो कोंकणस्थ भावुक हैं, या जो देशस्थ अ्यवस्थित हैं, अुनका स्वभाव बदलने की कोभी संभावना नहीं है।

लेकिन जब किसी समाज के लेखक या वक्ता अपने समाज के विषय में यह कहने लगते हैं कि

“हम जैसे हैं और वैसे हैं, हमें फलानी चीज जँचती है और दिमकी हरगिज नहीं जँच सकती, हमारे खून में यह है और वह नहीं है, हमारी परंपरा अमुक है”, आदि आदि—तब अक बड़ी भयानक बात पैदा हो जाती है। क्योंकि ऐसी बातें बार बार दोहराने से जो संस्कार स्वभावगत न हों वे भी अतः बातों के लगातार सुनते रहने से पैदा होने लगते हैं। “गांधीजी गुजराती हैं असलिये हमें पसन्द नहीं है; अहिंसा भावनामय है, असलिये हम अजुसके खिलाफ हैं; लोकमान्य ने अहिंसा का प्रतिपादन नहीं किया असलिये हम अजुसे नहीं चाहते; श्री समर्थ रामदास के साहित्य में हिंसा या मुसलमानों के द्वेष को स्थान है असलिये हम अहिंसा और सांप्रदायिक अकता की बातें सुनना नहीं चाहते; तुकाराम महाराज ने भी दुष्टों का नाश करने के पक्ष में अपनी सम्मति दी है असलिये अहिंसाधर्म हमारे प्रान्त के लिये अनुकूल नहीं है; अहिंसा जैनों और बौद्धों की है, वह हिन्दुओं की नहीं है”—अस प्रकार के संस्कार करते रहने से, अहिंसावृत्ति अल्प होना संभव और अचित्त हो तो भी, वह अचित्त में अर नहीं कर सकती।

सद्वृत्ति और असद्वृत्ति

मतलब यह कि, बुद्धिमान मनुष्य को यह अचित्त नहीं है कि वह हर अक सत् या असत् वृत्ति को प्रान्त—स्वभाव बनाने की चेष्टा करे। अगर हिंसा ही अचित्त हो तो अजुसकी नीव केवल महाराष्ट्र में ही पुस्ता हो यह काफी नहीं है।

अगर अहिंसा ही अचित्त हो तो केवल गुजरात में अजुसका विकास होने से काम नहीं चलेगा। हिंसा, अहिंसा, या दोनों का तारतम्यपूर्ण मिश्रण—जो कुछ भी मनुष्य की अतुनति के लिये अुपयुक्त हो—अजुसका विकास प्रत्येक मनुष्य में कराने की कोशिश होनी चाहिये। हिंसा-अहिंसा, दया-क्रोध, कषमा-दंड, आदि वृत्तियां हैं, न कि कृतियां। वृत्ति में अ्यक्तिगत विशेषता की न्यूनताधिकता रहेगी। लेकिन भौगोलिक या जातीय कारणों से विशेषता नहीं होनी चाहिये। कम से कम अजुसे पैदा करने की कोशिश तो कदापि नहीं होनी चाहिये। कृतियों के विषय में अस प्रकार का प्रयत्न किया जा सकता है। अुदाहरण के लिये, समुद्र के किनारे रहनेवाले लोगों में परंपरा से नाविकविद्या में निपुणता निर्माण हो तो अजुस में कोअी दोष नहीं। समतल भूमि पर रहनेवाले लोगों में कृषि-कीशल्य निर्माण करने का प्रयत्न करने में अजुस नहीं है। लेकिन अहिंसा, शौर्य, भय, अुदारता, कृपणता आदि गुणों की वृत्तियां आम तौर पर सर्वत्र विकसित होनी चाहियें।

तान्पर्य यह कि, अगर अहिंसा अक हीन वृत्ति हो तो वह कहीं भी नहीं होनी चाहिये। और अगर वह अुदात्त हो; मगर महाराष्ट्र में अजुसके विकास के लिये काफी कोशिश न की गयी हो, तो अब अजुसके विकास की चेष्टा करनी चाहिये। केवल प्रान्ताभिमान के कारण अजुसका निषेध करना न तर्कशुद्ध है और न स्वार्थ-साधक ही।

-३-

केवल प्राकृत प्राणी

काम-क्रोध-लोभ-भय, आदि के समान अहिंसा-दया-कषमा-अौदार्य आदि वृत्तियां भी प्राणिमात्र में निसर्गतः मौजूद हैं। असा अक भी जीवधारी

नहीं है जिसमें अहिंसा लेशमात्र भी न हो। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि हिंसावृत्ति-अून्य जीवधारी भी अब तक कभी पैदा नहीं हुआ है।

मनुष्येतर जानवरों की हर अंक योनि में विविध वृत्तियों का विकास विशेष प्रकार से हुआ है। 'यह गाय सीधी है, वह अद्दंड है'—अस तरह के कुछ व्यक्तिगत भेद भले ही पाये जाते हों; लेकिन अक्सर ये भेद बहुत छोटे दायरे में रहते हैं। शायद ये भेद पालतू जानवरों में ही पैदा होते हैं। कोबे, चिड़ियों, गीदड़, चीलें वगैरा आज़ाद प्राणियों में अंकुके जाति-स्वभाव ही पाये जाते हैं। व्यक्तिगत स्वभाव-भेद कम से कम अतने स्पष्ट तो नहीं होते कि वे नजर आयें।

प्रकृति और प्रयत्न

लेकिन मनुष्य की बात कुछ और हो गयी है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, तथा भौगोलिक, राजनैतिक, धार्मिक या जातीय बन्धनों से संबद्ध मानव-समूह, ने अस वृत्ति का विकास, या न्हास, भिन्न भिन्न परिमाण में किया हुआ पाया जाता है। मनुष्य केवल निसर्गवर्लंबित नहीं रह गया है। वह अपनी वृत्ति में भी प्रयत्न-पूर्वक फर्क करता है।

परंतु फिर भी अंक पीढी या अंक व्यक्ति के जीवन में यह परिवर्तन अंक खास मर्यादा में ही हो सकता है। प्रकृतिधर्म में आमूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिये तो गीताकार को कहना पडा कि :-

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।

प्रकृतिं यान्ति भूताभि निग्रहः किं करिष्यति ॥
और अर्जुन का जाति-स्वभाव जान कर अुससे कहना पडा :-

यद्गृहकारमाश्रित्य न योस्तस्य अिति मन्यसे।

मिथ्यैव उयवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां भिबोक्ष्यति ॥

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यववोऽपि तत् ॥

तात्पर्य यह कि, मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव तथा वृत्ति पैदा करने का सतत प्रयत्न

प्राचीन काल-से ही होता आया है। लेकिन अंक अवधि में या व्यक्ति में अुस प्रयत्न को मर्यादित सफलता ही मिल सकी है। इसी प्रयत्न के पर्यायवाची शब्द हैं-- संस्कृति, संस्कारधर्म, शिक्षा, तालीम, सिविलिजेशन, कल्चर, आदि।

अिन प्रयत्नों की ओर भी अंक मर्यादा है। संस्कार बदलने का कितना ही प्रयत्न करने पर भी मूल वृत्तियों का आमूल अुच्छेद कभी नहीं हो सकता। अर्थात्, अगर अहिंसा मानव-स्वभाव की अंक मूल वृत्ति हो तो अुसका किसी अंक व्यक्ति या समाज से अत्यंत अुच्छेद होना असंभव है। वह अपने विकसित रूप में भले ही न रहे, किन्तु बीजरूप में तो अवश्य रहेगी। चाहे यह बेलि बहुत बडे कपत्र में न फेले, फिर भी, वह अपने छोटे-से नपे-तुले दायरे में तो अवश्य रहेगी। अुसमें बडे-बडे फल भले ही न लें लेकिन छोटे अवश्य लगेंगे। अंक पीढी में वह सूख गयी-सी मालूम हो, तो भी दूसरी पीढी में वह फिर पनपेगी। परंतु अहिंसा-अुन्य व्यक्ति या समाज बन ही नहीं सकता। अुसी तरह अगर हिंसा भी मूल वृत्ति हो तो अुसके सिअे भी यही कहना पडेगा।

'हिंसा' और 'अहिंसा' की व्याख्या

तब हमें सबसे पहले अस बात की खोज-बीन करना जरूरी है कि हिंसा और अहिंसा में से मनुष्य की मूल वृत्ति कौनसी है? और यदि ये दोनों अुसकी मूल वृत्तियाँ हों तो अंक दूसरे से अुनका मेल कैसे कराया जाय?

अिसका शोध करने के लिये 'हिंसा' और 'अहिंसा'—दोनों शब्दों को अंक निश्चित अर्थ देना जरूरी है। अन्यथा, बहुत-सी चर्चा फिजूल जायेगी।

बीजरूप से देखा जाय तो अहिंसा का अर्थ है—अपनी खुद की शारीरिक, वाचिक या

मानसिक अिच्छायें, कल्पनायें, आदर्श, सुख, आवश्यकतायें, आदि का दमन कर दूसरे जीव की सुख-प्राप्ति, या दुःख निवृत्ति के हेतु संतोष-पूर्वक त्याग करनेकी वृत्ति । हिंसा का अर्थ है—दूसरे जीवों की शारीरिक, वाचिक या मानसिक अिच्छा, कल्पना, आदर्श, सुख, आवश्यकता, आदि की पर्वाह न करते हुअे अपनी ही सुख-प्राप्ति, या दुःख-निवृत्ति करने की वृत्ति ।

‘ हिंसा ’-‘ अहिंसा ’ का विश्लेषण

अिसमें दो बातें हैं । अहिंसा में दूसरे के लिअे खुद खपने की और अुसमें संतोष मानने की स्पष्ट वृत्ति होती है । हिंसा के लिअे दूसरे को दुख देने की, या होने की, स्पष्ट वृत्ति आवश्यक नहीं है । केवल खुद को सुख हो, अथवा दुख न हो, और दूसरे के सुख दुख की पर्वाह न हो, अितना काफी है । पहली में, यानी अहिंसा में, स्पष्ट भावना खुद कुछ कष्ट सहने की है । और दूसरी में, अर्थात् हिंसा में, स्पष्ट भावना स्वार्थ-सिद्धि की और जीवनाभिलाषा की है । जब जीवनाभिलाषा सुगमता से सिद्ध नहीं होती तब अिस ला-पर्वाही में से कठोरता पैदा होती है । प्राणिमात्र में जो सहज हिंसा है अुसका यह परिस्थिति के कारण बना हुआ विकृत रूप है । वह हमेशा आवश्यक नहीं होती । अिसलिअे यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्राणि-स्वभाव है ।

कोअी प्राणी जब दूसरों के प्रति अुदासीन या निष्ठुर होता है अुस वक्षत वह हिंसक बनता है । जब वह दूसरों के प्रति मोहवश, कारुण्यवश, या अन्य किसी भावना से प्रेरित हो कर, अपनी अुदासीनता या कठोरता छोड़ कर अुसकी चिन्ता करने लगता है, तब वह अहिंसक बनता है । हर अेक प्राणी में ये दोनों वृत्तियाँ निसर्गसिद्ध हैं । दूसरों के लिअे त्याग करने की वृत्ति का अगर

निसर्गतः ही अभाव होता और वह वृत्ति बाद में कृत्रिमरूप से प्राप्त की गयी होती, तो संसार में प्राणि-सृष्टि का संभव ही न होता । जन्तु-मात्र अपनी संतान के लिअे, और कभी बार अपनी जाति तथा बंधुओं के लिअे, और कभी कभी तो दूसरी जातियों के लिअे भी, नित्य या नैमित्तिक त्याग करता है; अिसीलिअे प्राणियों का सृजन और पालन हो सकता है । जिन योनियों में समूह-जीवन का विकास हुआ है अुनमें यह वृत्ति विशेष परिमाण में बढी है । अिन प्राणियों में से मनुष्य अेक है ।

मनुष्येतर जीवों में संगठित हिंसा का अभाव

अेक दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्येतर प्राणियों में स्वार्थ-साधन की वृत्ति की अपेक्षा त्याग की वृत्ति अधिक बलवान् पायी जाती है । स्वार्थ-सिद्धि के लिअे वे दूसरे प्राणियों का नाश करते तो हैं; लेकिन अुसमें बहुत-सी मर्यादायें होती हैं । बाज दफा अेक ही जाति के दो व्यक्तियों में लड़ाअी हो कर वे अेक दूसरे की जान भी ले लेते हैं । परंतु हिंस्र प्राणियों में भी कभी अैसा नहीं देखा जाता कि अेक ही योनि के दो दल, अेक दूसरे पर आक्रमण कर युद्ध कर रहे हों । अेक जाति के चूहे दूसरी जाति के चूहों की भले ही मार डालें; लेकिन अेक ही योनि के चूहों का अेक समूह स्व-योनि के दूसरे समूह से दल बना कर लड़ाअी नहीं करता । मतलब यह कि मनुष्येतर प्राणियों के जीवन में आम तौर पर व्यक्तिगत हिंसावृत्ति है । दूसरी योनियों के प्राणियों के नाश के लिअे हिंसा का तात्कालिक संगठन भी क्वचित् पाया जाता है, परंतु आम तौर पर हिंसक संगठन—संगठित हिंसा—नहीं पायी जाती ।

अहिंसा और समूह-जीवन

लेकिन जिन प्राणियों में समूह-जीवन पाया जाता है उनमें थोड़े या अधिक परिमाण में अहिंसक संगठन होता ही है। यह कहा जा सकता है कि अहिंसावृत्ति के विकास के बाद ही प्राणियों में समूह-जीवन की योग्यता पैदा होती है। या यों कह लीजिये कि किसी कारण से समूह-जीवन की अभिलाषा पैदा होने पर अहिंसक संगठन की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। परन्तु प्राणि जीवन का निरीक्षण करने से यह निश्चितरूप से ज्ञात हो जायेगा कि अहिंसक संगठन और समाज-जीवन का पारस्परिक समवाय संबंध है।

अहिंसक संगठन में मनुष्य कोभी अपवाद-रूप जन्तु नहीं है। मनुष्य चाहे बिलकुल बर्बर अवस्था में हो या बिलकुल अद्यतन 'सभ्यता' की अवस्था में हो, उसके लिये अकेले समाज के रूप में जीवित रहना तभी संभव होगा जब कि व्यक्ति, व्यक्ति तथा परिवार के लिये, परिवार जाति के लिये, जाति राष्ट्र के लिये और राष्ट्र अखिल मनुष्यसमाज के लिये, विवेकबल या भावनाबल से त्याग करेंगे। चाहे यों कह लीजिये कि व्यवस्थित समाज की स्थापना का ही दूसरा नाम अहिंसक संगठन है।

मनुष्य का त्रिविध रूप

लेकिन मनुष्य और दूसरे प्राणियों में अकेले बड़ा भेद है। पालतू जानवरों के सिवाय दूसरे सारे प्राणी केवल प्राकृत हैं। वे प्रकृति की प्रेरणा से व्यवहार करते हैं और उसके नियमों के आधीन हो कर रहते हैं। वे स्वप्रकृति या बाह्य प्रकृति में कोभी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते। मनुष्य भी अन्ततः प्रकृति की प्रेरणाओं और नियमों के आधीन तो है।

लेकिन अकेले हृद तक वह अपनी और बाह्य प्रकृतियों में परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन विकृत और संस्कृत दोनों तरह का हो सकता है। मतलब यह कि, मनुष्य प्राकृत, विकृत और संस्कृत—अंसा त्रिविध प्राणी है। त्रिगुण (सत्त्व, रज, तम,) के समान प्रकृति, विकृति और संस्कृति भी हर अकेले मनुष्य में थोड़े या अधिक परिमाण में होती ही है।

मनुष्य का स्व-जाति-प्रोह

असलिये हर बात में मनुष्य का व्यवहार दूसरे प्राणियों की अपेक्षा कुछ भिन्न रूप का होता है। अदाहरण के लिये, मैं ऊपर कह आया हूँ कि मनुष्येतर जीवधारियों में नैमित्तिक संगठन का अपवाद छोड़ कर हिंसक संगठन नहीं होता। जीवनाभिलाषा होते हुए भी आम तौर पर स्वजाति-शत्रुत्व नहीं होता। बल्कि अनेक व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अहिंसक संगठन से ही जीवन का धारण-पोषण सुचारु-रूप से हो सकता है—अंसी अनेकी धारणा हो। अपने खाद्य प्राणियों के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों को फाड़ने की वृत्ति अनेक साधारण-रूप से पैदा नहीं होती। परन्तु मनुष्य में जिस प्रकार अहिंसक संगठन का विशेष विकास हुआ है असी प्रकार हिंसक संगठन का भी बहुत बड़ा विकास हुआ है। स्वयोजि-शत्रुत्व-रूपी विकृति बहुत भद्दी तरह से प्रकट हुई है। असलिये अनेक संगठन का अुपयोग केवल खाद्य या पीड़क जन्तुओं के संहार तक ही सीमित न रह कर वह निर्दोष प्राणियों की हत्या तथा स्वयोजि-संहार के लिये भी बेहद काम में लाया जाता है।

हिंसक संगठन का, यानी लड़ाई की तैयारी का, सवाल हमारे सामने क्यों अुपस्थित होता है? इसका अकेले ही कारण है। वह यह कि

मनुष्य में स्वयोनि-शत्रुत्व अमर्याद है। हजारों वर्षों के अनुशीलन से मनुष्यों में यह गुण रूढ़ हो गया है। परंतु अतना ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह गुण चाहे कितना ही प्राचीन क्यों न हो, उसकी बढौलत प्रकृति में संस्कृति के बदले विकृति ही हुआ है। जिस प्रकार तपेदिक या कोढ़ मनुष्य-समाज में वेद-काल से विद्यमान

होते हुअे भी वे विकार ही हैं, विकार ही रहेंगे और अुखाड फेंकने के ही योग्य समझे जायेंगे; अुसी प्रकार स्वयोनि-शत्रुत्व भी; चाहे वह बाबा आदम के जमाने से ही क्यों न चला आता हो; अेक विकार ही है और अुसकी जड़ें खोदना संस्कृति का अुददिष्ट कार्य है।

-४-

अेक मार्मिक प्रश्न

अुपर्युक्त सारी बातें स्वीकार करने पर भी अेक प्रश्न रह जाता है "जो दूसरे के लिअे संतोषपूर्वक त्याग करता है अुसके विषय मे हमें कोअी शिकायत नहीं है। लेकिन जब अेक तरफ स्वार्थ-तृप्ति की विकृत वृत्ति हो और दूसरी तरफ, संतोषपूर्वक नहीं, बरन लाचारी से, त्याग करने की परिस्थिति हो, तो अुस समय अुस दूसरे पक्ष की स्थिति न तो 'प्राकृत' कही जा सकती है और न 'संस्कृत' ही। अुसे तो 'विकृति' ही कहना होगा। आपकी ही व्याख्या के अनुसार जिसमें त्याग हो परंतु संतोष न हो, अुसे 'अहिंसा' नहीं कह सकते। चाहे अुसे 'भय', 'निःसहायता', या और किसी दूसरे नाम से पुकारिये। लेकिन यह तो मानना ही पडेगा कि वह विकृति है। अिस प्रकार जब अुभय पक्षोंमें विकृति हो तब न्याय के रूप में अेक विवेक पैदा होता है, जो स्वार्थ-साधु पक्ष का निग्रह और त्रस्त पक्ष की सहायता के लिअे तिःस्वार्थी मनुष्य को प्रेरित करता है। चिडिया बिल्ली का भक्ष्य है। अिसलिअे अगर बिल्ली चिडिया को पकड ले, तो दर असल हमें बिल्ली पर गुस्सा आने का या दखल देने का कोअी कारण नहीं होना चाहिअे। लेकिन हम

यह साफ देखते हैं कि चिडिया अपनी खुशी से बिल्ली का शिकार नहीं बनती। बल्क विषय हो कर अपनी प्राण-हानि सहन कर लेती है। अिसलिअे हमारे अन्दर अेक न्यायवृत्ति जाग्रत हो कर वह हमें चिडिया को बचाने की गर्ज से बिल्ली का निग्रह करने को प्रेरित करती है। अिसमें बिल्ली को बाज दफा अेकाध धील भी खानी पडती है। यदि विवेक से देखा जाय तो बिल्ली पर गुस्सा आने का कोअी कारण नहीं है। अुस पर भी दया ही आती है। लेकिन फिर भी अगर दुबारा वँसा मौका आये तो हम फिर वही करेंगे जो अब किया है। क्योंकि जब बलवान और निर्बल में अपने अपने स्वार्थ के लिअे संघर्ष पैदा होता है, तो बलवान का निग्रह और निर्बल की मदद करने की अेक बलवान वृत्ति हमारे अन्दर मौजूद है। अिसे अहिंसा कहा जाय, या हिंसा? अब अगर संयोग से हम या वह चिडिया, अुस चिडिया के अन्दर किसी अुपाय से बिल्ली को हरा कर आत्मरक्षा करने का बल पैदा कर सके; तो अुस बल को विकृति क्यों कहा जाय? बल्क, यह क्यों न कहा जाय कि हम या वह चिडिया अधिक संस्कारी बनी?

यहां चिड़िया और बिल्ली भिन्न योनि के जन्तु हैं, यह बात सही है। कदाचित् आप यह भी कहेंगे कि उनके लिये दूसरा नियम होगा और मनुष्य-मनुष्य के व्यवहार के लिये दूसरा। लेकिन यह क्यों? अगर आदमियों में भी अकेले व्यक्ति या समूह विल्ली जैसा बन गया हो, और दूसरा चिड़ियों जैसा, तो वहां भी वही नियम क्यों लागू किया जाय? असलिये आपके जिस हिंसा-अहिंसा के पृथक्करण में न्यायवृत्ति का स्थान कहां है, सो तो समझाविये।

अब इसका विचार करें।

न्यायवृत्ति, साहाय्यवृत्ति का मानुष रूप है

विचार करने से ज्ञान होगा कि न्यायवृत्ति केवल मानुषी वृत्ति है। दीगर प्रकृतिवश प्राणियों में न्यायवृत्ति जैसी कोअी प्रेरणा नहीं है। अतः में साहाय्य-वृत्ति की प्रेरणा है। खुद कष्ट सह कर भी स्व-योनि के या दूसरी योनियों के जन्तुओं की सहायता करने की वृत्ति प्राणि-मात्र में पायी जाती है। अुसीके मानुषरूप को हम 'न्यायवृत्ति' संज्ञा देते हैं। मतलब यह कि, न्यायवृत्ति प्राणि-मात्र में पायी जानेवाली साहाय्य-वृत्ति का ही अके रूप है।

साहाय्य-वृत्ति के क्षेत्र में व्यक्ति केवल अकेला खुद नहीं आ सकता। दूसरे प्राणी, या दूसरों के साथ वह स्वयं, आ सकता है। केवल अपने लिये प्रयत्न करना साहाय्य-वृत्ति नहीं है। वह तो महज जीवनाभिलाषा—प्रकृति-धर्म-गत हिंसा—है। दूसरों के लिये खपना साहाय्यवृत्ति है। अुसमें संतोष-पूर्वक खुद त्याग करने की वृत्ति है। असलिये वह अहिंसा के क्षेत्र में आती है।

साहाय्यवृत्ति का द्विविध रूप

लेकिन दूसरी सारी वृत्तियों की तरह साहाय्य-वृत्ति ने भी मानवयोनि में विकृत और संस्कृत दोनों रूप लिये हैं। मूलभूत प्रश्न यह नहीं है कि "न्यायवृत्ति अहिंसक है या हिंसक"; बल्कि यह कि "अुसके कौन-से रूप प्रकृत हैं, कौन-से विकृत और कौन-से संस्कृत?" न्याय-वृत्ति—साहाय्य-वृत्ति—अहिंसा से भिन्न नहीं है। असलिये अहिंसा की गुद्धि, वृद्धि और संस्कृति में ही न्यायवृत्ति का परिपोष हो सकता है।

असलिये यह प्रश्न छोड़ कर हम अहिंसक संगठन के मूल प्रश्न का ही विचार करें।

-१-

आत्म-रक्षा का प्रश्न

अस संबंध में पा क की भूमिका इस प्रकार हो सकती है :-

"थोड़ी देर के लिये आप का यह सारा कथन मान भी लिया जाय; तो भी हमारे सामने सवाल यह है कि स्वयोनि-शत्रुत्व चाहे अके विकार भले ही हो; परंतु आज वह मनुष्यसमाज में बिलकुल दृढ़ हो गया है। असलिये हमें यह डर सदा बना रहता है कि मनुष्यों की कोअी न

कोअी टोली हम पर कहीं धावा न बोल दे। अिन टोलियों पर दूसरी तरह के संस्कार करने का भी कोअी साधन हमें प्राप्त नहीं है। अुनके नेता तो अुनका वह विकार बढ़ाने की ही कोशिश करते रहते हैं और निर्बल टोलियों के संहार के लिये बहुत बडी तैयारी करने में जुटे रहते हैं। अैसी दशा में सिवाय बलवान हिंसक संगठन के हमारे सामने दूसरा चारा ही कौनसा है?"

प्रश्न का वास्तविक रूप

यदि यह सवाल आज ही हमारे सामने व्यवहार्य रूप में अुपस्थित हो जाय,—यानी, हमें दर असल पूर्ण स्वराज्य हासिल हो जाये और अपने देश का भला-बुरा जो चाहे सो करने की आजादी मिल जाये—तो मैं यह मानता हूँ कि देश की रक्षा के लिये मौजूदा हालत में हमें किसी न किसी परिमाण में हिंसक संगठन की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि देश की रक्षा के लिये जो विशेष अहिंसक संगठन चाहिये उसकी तैयारी हम अब तक नहीं कर पाये हैं। इसलिये जिस प्रकार कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों को पुलिस की नित्य, और फीज की नैमित्तिक, मदद लेनी पड़ रही है और उस रूप में हिंसक सामग्री तैयार रखनी पड़ रही है; उसी तरह यदि आज ही स्वराज्य मिल जाये, तो अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार को भी—वावजूद उसके कि उसका ध्येय अहिंसक है—वही करना पड़ेगा।

लेकिन हमारे सामने आज यह प्रश्न अुमके व्यवहार्य रूप में प्रस्तुत नहीं है। आज जिन पर देशरक्षा की जिम्मेवारी है उनका इस संबंध में अितना निश्चय है कि चाहे भारतवर्ष अेक आवाज से हिंसक साधनों का निषेध क्यों न करता रहे और उस दिशा में अुनके प्रयत्न में बाधा क्यों न डालता रहे; तो भी वे अपना स्वार्थ जान कर हिन्दुस्तान को विदेशी आक्रमण से बचाने के सब आवश्यक अुपाय करेंगे।

अिसलिये हमारे सामने यह प्रश्न आज ही समाधान के लिये प्रस्तुत नहीं है। बल्कि इस रूप में पेश है कि ' भविष्य में अगर अहिंसा से अुसे हल करना हो तो वह कहां तक संभव है, और अगर संभव हो, तो अुसे के लिये आज ही से कौन-से अुपाय करने चाहिये ?'

अहिंसक संगठन की अनिवार्यता

अिसी दृष्टि से अब इसका विचार करें। इस संबंध में अेक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिये। वह यह कि जिस मात्रा में किसी प्रजा का अहिंसक संगठन बलवान होगा उसी मात्रा में उसका हिंसक संगठन भी बलवान हो सकता है। अगर अहिंसा का संगठन निर्बल हो तो हिंसा का संगठन भी निर्बल रहेगा। साधारण बोलचाल की भाषा में, जिस मात्रा में कोअी प्रजा मुसंगठित, व्यवस्थित, स्वावलंबी और अेक-दिल होगी उसी मात्रा में वह दूसरी प्रजा का सामना करने के लिये सुसंगठित, व्यवस्थित और अेकदिल हो सकेगी। जिस प्रजा में भीतरी फूट, अव्यवस्था, परावलंबन, बहुशाख बुद्धि, आदि दोष पाये जाते हैं, वह बलवान हिंसक संगठन भी नहीं कर सकेगी। अगर हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ, या सारे हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ, अथवा सारे साम्राज्य को जापान, जर्मनी आदि के खिलाफ, हिंसक अुपाय काम में लाने हों तो हर अेक को अपने अपने बुद्धेश्य के अनुसार अपने अपने दायरे में—यानी सारे हिन्दुओं को, सारे मुसलमानों को, सारे हिन्दुस्तानियों को या साम्राज्यान्तर्गत सारी प्रजाओं को आपस में—सच्चे दिल से अेकना करनी पड़ेगी। अगर हिन्दुओं में आपस की फूट हो, मुसलमानों में भीतरी संघर्ष हो, या हिन्दुस्तानियों में आपसी झगडे हों, अथवा साम्राज्य की भिन्न भिन्न प्रजाओं में अंतःकलह हों, तो दुश्मन के खिलाफ बलवान हिंसक संगठन भी नहीं किया जा सकता।

हिंसा की स्वतंत्र प्रतिष्ठा नहीं है

मतलब यह कि, जिस तरह असत्य की कोअी स्वतंत्र प्रतिष्ठा नहीं है, अुसे किसी न किसी

सत्य के आधार पर ही खड़ा होना पड़ता है; असी तरह हिंसक संगठन की भी कोई स्वतंत्र प्रतिष्ठा नहीं है। अहिंसक संगठन की नींव पर ही अुसका निर्माण हो सकता है।

अितना तो हमें निर्विवाद-रूप से मानना ही पड़ेगा कि स्वाधीनता प्राप्त होने पर अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी, जापान वगैरा का मुकाबला करने के लिये हमें हिंसक साधनों से काम लेना पड़े या न पड़े, लेकिन हमारे अपने देश का बलवान अहिंसक संगठन करना नितान्त आवश्यक है। इसके बिना न तो हम हिंसा का बलवान संगठन कर सकेंगे और न विशेष प्रकार का अहिंसक संगठन ही कर सकेंगे।

युद्ध की निर्जीव और सजीव सामग्री

हिंसा के संगठन से हम युद्ध का साज-सामान, फौजी तालीम और नेकचाल फौज— अितना अर्थ समझते हैं। इसमें युद्ध का साहित्य कितना और किस प्रकार का हो यह तो अुस जमाने के वैज्ञानिक आविष्कारों पर निर्भर रहेगा। आखिर वह निर्जीव साधन है। वहां सवाल सिर्फ पैसे का और भंडार भरने का ही है। लेकिन फौज जीवित साधन है। इस-लिये अुसका योग्य प्रकार से शिक्षित होना मुख्य चीज है। अगर अनुशासन में रहनवाले शिक्षा-प्राप्त, निष्ठावान् सिपाही न हों तो सारे अद्यतन साधनों के होते हुअे भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती।

किसी भी देश में इस प्रकार के सैनिकों की संख्या कुल जनसंख्या का अेक छोटासा अंश ही होती है। लड़ाई छिड़ जाने पर भी प्रत्यक्ष युद्धकार्य में सगे हुअे सैनिक, या सेना के साथवाले लोग, बहुत नहीं होते। अुनसे कभी गुने ज्यादा सैनिकेतर नागरिक अपने अपने घरों में

होते हैं। यह सैनिकेतर वर्ग कभी तरह की असुविधायें सह कर, कभी प्रकार से त्याग कर, सारा काम चलाता है और सैनिकों की मदद करता है। सैनिक वर्ग में आम तौर पर केवल हृद-कट्टे नौजवान ही होते हैं। शेष सारी आबाल-वृद्ध जनता अहिंसक संगठन के द्वारा, लेकिन हिंसा में अर्द्धा हो जाने के कारण, युद्ध जारी रखने में मदद करती है। खुद त्याग करके सहायता करने की सैनिकेतर जनता की यह तत्परता ही बहुत बड़ी मात्रा में युद्ध की सफलता का कारण होती है। हिंसक युद्ध के लिये भी सैनिकेतर जनता का यह अहिंसक संगठन अनिवार्य है।

आंकड़े देखने से विदित होगा कि फौ सदी पच्छीस आदमी भी हिंसा के प्रत्यक्ष कार्य में भाग नहीं लेते। लेकिन अिन सैकड़ा पच्छीस नौजवानों को मीका आने पर खून करने को प्रवृत्त करने के लिये हमें जनता के दिल में यह विकार निरंतर पैदा करना पड़ता है कि मानों हिंसा ही जीवन-निर्वाह की कुंजी है। जो बाल्यावस्था से ही सुनने में मजेदार मालूम हो अंसी युद्ध कथायें रच कर, जिन्हें हमने अपना दुश्मन मान लिया है अुनके प्रति द्वेष पैदा करने के लिये सच्ची और झूठी बातें गढ़ कर, द्वेष बुद्धि से शराबोर वातावरण बनाना पड़ता है। अिस सारे प्रयास का फल अितना ही निकलता है कि होनहार तरुणों का अेक अैसा छोटा-सा दल तैयार होता है, जो विपक्ष के जितने आदमी हाथ आ सकें अुनके प्रति आततायी के जैसा व्यवहार करने के लिये प्रवृत्त होता है और मनुष्यों में स्वयंनि-शत्रुत्व-रही विकृति जीवित रखता है। यह विकृति निसर्ग-विरुद्ध, नीति-विरुद्ध धर्म-विरुद्ध और अध्यात्म-विरुद्ध है।

अहिंसक सैनिक मिलने की आशा

अब मान लीजिये कि व्यापक हिंसा करने के लिये प्रजा में जिस अहिंसक संगठन की आवश्यकता है वह सब हम अच्छी तरह कर रहे हैं; सारी प्रजा में अकेला स्थापित करते हैं; आपस के धार्मिक, प्रान्तीय, जातीय और आर्थिक, कलह और अन्याय निपटाते हैं; जनता को स्वावलंबन से अपने सारे काम करने की शिक्षा और प्रेरणा देते हैं, उसे संयम और परिश्रम-शीलता की आदतें डालते हैं; अकेले दूसरे के लिये त्याग करने की निसर्गदत्त वृत्ति का सिचन और अनुशीलन कर उसे पुष्ट करने हैं; "मनुष्य-जाति को दूसरे प्राणियों की अपेक्षा स्मृति, तर्क, विवेक, भाषा आदि की जो विशेष देन मिली है उसका अद्भुत मनुष्य-जाति के अकेले छोटे-से अंश के भोगविलास की सिद्धि नहीं है; बल्कि उसके द्वारा समग्र मानव जाति का और दूसरे प्राणियों का भी हित संपन्न होना चाहिये"—जिस प्रकार के संस्कार भी देते जा रहे हैं; तो जिस प्रकार हिंसक राज्य हिंसक सेना के लिये विकारवश जनता में से कुछ बहादुर और साहसी सिपाही पाने की अुम्मीद रखते हैं, अुसी प्रकार हम भी ऐसी संस्कारी जनता में से कुछ बहादुर, साहसी, परंतु अहिंसक, सैनिक पाने की आशा क्यों न करें ?

'युद्धे प्राणांस्यन्त्वा धनानि च' की वृत्तिवाले बहादुरों की जरूरत दोनों तरह की संगठना के लिये होगी। दोनों में स्वदेशभक्ति की जरूरत समान होगी। परंतु जहां हिंसक फौज को, जिसे अुसने अपना शत्रु माना है अुस जनता के प्रति घोर द्वेषवृद्धि से विकृत होना पड़ता है, वहां अहिंसक सेना को शत्रु के प्रति भी कारुण्य तथा दया की और अुसके हित के लिये त्याग करने की प्रफुल्लित वृत्ति का विकास अपने अन्दर करना पड़ेगा। अुचित पद्धति से प्रयत्न करने पर यह असंभव क्यों माना जाय ?

हिंसा और वीरता

बूरता सिर्फ हिंसा में ही बसनेवाला गुण नहीं है। वह अकेले स्वतंत्र वृत्ति है। वह हिंसक मनुष्य में भी हो सकती है और अहिंसक मनुष्य में भी। हमारे देश के संतो ने यह भेद बहुत पुराने जमाने में ही जान लिया था।

स्त्री, शूर, अरु संत का, तीनों का अकेले तार।
जंग, मरे, सुख परहरं, तब रीझे किरतार ॥
तब रीझे किरतार, सबै संसार सन्हावे।
नहीं तो होत जुवार, हार जीत सब ही जावे ॥
दाखत ब्रम्हामंद महा दृढ अबल मति का।
तीनों का टोक तार, शूर, अरु संत, सती का ॥

-६-

अहिंसक संगठन का अभ्यर्थ अुपयोग

लेकिन अितने से शायद पाठक को संतोष नहीं होगा। वह कहेगा कि, "मान लीजिये कि सन्तों के वृन्द बनाने के अभिप्राय से आपने सिपाहियों की सेना नहीं बनायी। लेकिन आपकी अहिंसा-निष्ठ सेना प्रस्तुत होने से पहले ही कोभी शत्रु हमारे देश पर धावा बोल दे तो

देश की क्या हालत होगी ? आप तो लोगों की अहिंसा की ही सीख देते रहेंगे, अुनपर अुसीके संस्कार करते रहेंगे। अतः सिपाहियत के लिये कठोरता के जिन गुणों की जरूरत है अुनका विकास नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में क्या हमारी फजीहत नहीं होगी ?"

थोड़ा विचार करने से मालूम होगा कि जिस प्रकार का अन्देश करने की कोभी वजह नहीं है। अहिंसक संगठन जितना दृढ़ होगा उतना ही, अुसकी बदीलत, मौका पडने पर, सशस्त्र फौज तैयार करना आसान होगा, न कि मुश्किल। क्योंकि जनता में अेकता, सहयोग, त्यागवृत्ति, स्वावलंबन, आदि गुणों का विकास हुआ होगा और, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अनुशासनयुक्त वीरता का भी अुसमें अुत्कर्ष हुआ होगा। अेमी जनता के लिये युद्ध का कर्तव्य अुपस्थित ही हो जाय तो अुसे सज्ज होने में देर नहीं लगेगी। अब तक संतों की सेना नहीं बन सकी अिसका अितना ही अर्थ है कि लोगों में किसी न किसी अंश में मारक वृत्ति विद्यमान है।

विकृति की विशेषता

अिसके अलावा, मूढ्म हिंसा, यानी जीवनाभिलाषा, जीवधारियों में से कभी पूर्णरूप से नष्ट नहीं होगी। वह अनुशासन में रह सकती है; विकृत भी हो सकती है; किन्तु नष्ट नहीं होगी। संस्कृति की अपेक्षा विकृति में अेक बड़ी भारी कषमना यह है कि अुसका वेग गुणाकार-पद्धति से बढ़ता है। ऊपर चढने के लिये हर कदम पर परिश्रम करना पडता है, शक्ति लगानी पडती है। लेकिन नीचे गिरने के लिये केवल अेक धक्का काफी है। बाकी की सारी क्रिया अुत्तरोत्तर अधिक वेग से अपने आप होती है। आवश्यकता तो अुस वेग के नियमन की होती है। मतलब यह कि, विकृति को अनुशासन के बंधन की जरूरत है। सुसंगठित जनता में अहिंसा का अनुशासन थोडासा शिथिल होते ही हिंसा अपने आप जोर पकडती है। अिसलिये अहिंसा के संस्कार की बदीलत हिंसक

शक्ति नष्ट होने का अन्देश कतभी नहीं है।

सहज और श्रम-साध्य प्रगति

सच तो यह है कि, प्राणिमात्र को जिस वस्तु का ज्ञान अनजाने, स्वाभाविकरूप से, मिलता रहता है अुसका महत्त्व, अुसके विकास में पायी हुअी सफलता, या रही हुअी त्रुटियां, विचार के बिना वे महसूस नहीं करते। परंतु जिस चीज के पीछे अुन्होंने कृत्रिमरूप से बहुत मिहनत की हो अुसका महत्त्व और अुसमें की हुअी प्रगति वे कभी नहीं भूलते। हम अपनी मातृभाषा बाल्यावस्था से ही अनजाने सीखते रहते हैं। अन्य भाषा-भाषी पडीसी हों तो अुन की भाषा भी बोलने लगते हैं। लेकिन अुसका महत्त्व, या अुसमें की हुअी तरक्की, का अन्दाज लगाने की हमें कभी नहीं सूझती। लेकिन अंग्रेजी भाषा हम बडी मिहनत से सीखते हैं; अिसलिये अुसका महत्त्व महसूस करते हैं और अुसमें की हुअी तरक्की भी समय समय पर नापते हैं।

अबोधपूर्वक हुअी प्रगति और ज्ञान के विषय में हमें अितना अज्ञान होता है कि अुसमें बुद्धिपूर्वक प्रगति करने की बात छेडनेवालों को कभी कभी विरोध का सामना करना पडता है। जिसके दोनों पैर साबित है अुसके लिये चलना, दौडना, या अटारी पर चढना सहज है। वह समझता है कि अिसमें सीखने की कोभी बात ही नहीं। अिसलिये अगर कोअी व्यायाम-विशारद यह कहने लगे कि चलना, दौडना और चढना भी अेक कला है, जो हमें परिश्रम से सिद्ध करनी चाहिये, तो कअी लोग अुसकी बात पर हसंगे। परन्तु बिच्छूचाल चलना, तैरना, घोडे पर सवारी करना, साअीकिल चलाना, आदि श्रम-साध्य कलाओं का महत्त्व हमारी समझ में तुरन्त आ जाता है।

हिंसक सुपचार विकृति का लक्षण है

अहिंसा-हिंसा पर भी यही नियम घटित होता है। संसार में अहिंसा की—दूसरे के लिये खुद खपने की—अक बलवान प्रेरणा जन्तुमात्र में स्वाभाव से ही है। इसीलिये अनेक प्राणी झुड बना कर रह सकते हैं और दीमक, मधुमक्खी और चींटियों से ले कर मनुष्य तक, अनेक जन्तु अपनी अपनी हैसियत के अनुसार व्यवस्थित समाज-रचना तथा, छोटी बड़ी रज्य-रचना भी करते हैं। अतः सब में नियमन, दंड, शासन, आदि होते हैं। लेकिन यह मानना गलत होगा कि हर एक समाज अिन्हीं की बदौलत चलता है। ये बातें अपवाद-रूप हैं और जिस मात्रा में अहिंसक संगठन बलवान होगा उसी मात्रा में ये साधन कम काम में लाये जायेंगे।

अिन अुपायों के अुपयोग की आवश्यकता, दबा या अिन्जक्शन की आवश्यकता के समान, विकृति का लक्षण है। कभी कभी विकृति संक्रामक बीमारी की तरह फैल सकती है। अुस मोके पर अिन अुपायो को बडे पैमाने पर और व्यवस्थितरूप मे काम में लाने की नीबत आती है। लेकिन अिन कभी कभी होनेवाली विकृतियों का अिलाज करने के लिये मनुष्य-समाज ने हृद से ज्यादा मिहनत की है। अिसलिये अुसकी अैसी श्रद्धा हो गयी है कि विकृति का अिलाज करना ही अध्यात्म है, वही धर्म है और वही विज्ञान है, वही अेकमात्र जीवन कला है, समाज-व्यवस्था और राजकारण में वही नीति है। दण्डनीति और युद्ध-कला के बडे जबरदस्त शास्त्र मनुष्यों ने बनाये हैं।

यह अिलाज असर क्यों नहीं करता ?

में मानता हूँ कि मनुष्य ने बड़ी मिहनत से और सैकड़ों साल के तजुबे से ये शास्त्र बनाये

हैं। लेकिन यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि समाज से जो दोष नष्ट करने के लिये यह अुपाय-योजना करनी पडती है वे दोष अब तक नष्ट क्यों नहीं होते ? कहा जाता है कि यूरोप से कुष्ठ रोग बिलकुल मिट गया, चेचक भी जाता रहा है। अिसलिये में यह मानने को तैयार हूँ कि जिन अुपायों से ये बीमारियां नष्ट हुईं अुनमें कुछ अुपाय-योजना थी। लेकिन स्वयोनि-शत्रुत्व के मर्ज पर अँसा कोअी असर होता हुआ नजर नहीं आता। अिसलिये मेरी यह धारणा है कि अिसमें कोअी न कोअी गलती जरूर है।

नींव ही कच्ची है

यह नक्स कौनसा हो सकता है ? हमारे समाज-जीवन की नींव ही—जिस पर हमने यह सारा हिंसक संगठन का ढांचा खडा किया है—कमजोर है। अुसपर अिमारत बनाने के पहले जितनी मिहनत ली गयी, जिन पत्थरों से अुसे पाटा गया और जिन तत्त्वों से अुन पत्थरों की जोडाअी की गयी—वह सारा सामान रद्दी था। अुसका वैज्ञानिक शोध भी ठीक ठीक नहीं हुआ। अुसपर मिहनत तो बहुत कम ली गयी। फलस्वरूप जिस प्रकार नालन्दा के विश्व-विद्यालय की अिमारतों की अटारियों में और अूपर के हिस्सों मे भव्य और विशाल रचना होते हुअे भी नींव की जमीन ही कच्ची होने के कारण कअी बार अिमारतें बनाने पर भी वे सब निकम्मी ठहरें और अुनको छोड़ देना पडा; अुसी तरह हमारी समाजरचना तथा संस्कृति का बाह्यरूप भव्य और शोभनीय दिखायी देता है; लेकिन ज्यों ही वे पूर्णता को पहुंचना चाहती हैं त्यों ही अपने ही बोझ से दब कर ढह जाती हैं।

असलिये हमें संस्कृति की बुनियाद का ही खयाल करना चाहिये और असीका शास्त्र पहले सीखना चाहिये।

अगर यह न्याय-संगत प्रतीत होता हो, तो यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि समाज-रूपी मंदिर की सुरक्षितता उसके अहिंसक संगठन पर निर्भर है, न कि हिंसक संगठन पर। हर अंक चल और दौड़ सकता है; लेकिन फिर भी चलने-दौड़ने का अंक खास शास्त्र है ही। असी तरह प्राणिमात्र की अन्तवर्ती अहिंसा-वृत्ति का शास्त्रीय ढंग से अनुशीलन होना, और समाजरचना में असीका शास्त्रीय ढब से संगठन होना जरूरी है। अमपर बनायी हुयी अमारत देखने में सीधी-सादी लगे तो भी टिकाऊ और मुखप्रद होगी। लेकिन कच्ची बुनियाद पर बनी हुयी खूबमूरत लगनेवाली अमारत भी न तो मजबूत होगी, और न आराम-देह।

विकृति को ही संस्कृति का नाम

चरमा, बूट-सूट, दांत और अप-टू-डेट वेशभूषा

से सजे हुये किसी चिर-रोग-ग्रस्त युवक के विषय में यह कहना कि वह सलोना दीखता है, विरूप को सुरूप कहने के बराबर है। असी प्रकार मनुष्यों की हिंसा पर मनुष्यों ने जिस समाज-रचना का निर्माण किया है उसे संस्कृति के नाम से पुकारना विकृति को ही संस्कृति मानना है।

प्राणियों में हिंसावृत्ति भी है ही। जीवना-भिलाषा का ही वह अपर नाम है। लेकिन अमका अल्लाज हिंसात्मक संगठन नहीं है; प्रत्युत, शास्त्र-शुद्ध अहिंसात्मक संगठन है। अचित्त अुपायों से और अचित्त ढंग से हर अंक को जीवनयापन का मुयोग मिले तो यह वृत्ति संतुष्ट हो जाती है। किसी व्यक्ति में अेकाष मर्ज की तरह, या वाज दफा, सारे समाज में छूत की बीमारी की तरह, वह फट पड़े तो अुसका निवारण करना चाहिये। लेकिन अंसा करने में भी अपूर अपूर के अुग्र अुपचार करने की अपेक्षा, 'व्यक्ति अथवा समाज की नींव में कहां कमजोरी पैदा हो गयी है'—असी की धंय से खोज करनी चाहिये।

-७-

अहिंसा और भीरुता

हम लोगों में अिस वहम ने घर कर लिया है कि हिंसावृत्ति और शूरता अेक ही गुण है और हिन्दुस्तान में अहिंसा धर्म पर ही बेहद जोर दिया गया अिसलिये वह पराधीन होता गया।

में अपूर कह चुका हूं कि हिंसा और शौर्य ये दोनों बिलकुल भिन्न वृत्तियां हैं। कोअी जीव हिंसक हो कर भी कायर हो सकता है और अहिंसक हो कर भी बहादुर हो सकता है। बहुधा अंसा देखा गया है कि जहां हिंसा होती है वहां भय भी होता है। अिसमें स्पष्ट

साहसिकता है अंसी शूरता शायद अहिंसा के साथ हमेशा न पायी जाय। लेकिन वह अहिंसा के साथ होती ही नहीं अंसी बात नहीं है। हिंसा, अहिंसा, साहस और शौर्य आदि अेक वृत्ति के रूप में मनुष्य में सहज है। लेकिन गुण के रूप में वे परिश्रम-पूर्वक किये हुये अनुशीलन ही से प्रकट होते हैं।

भारत में अहिंसक संगठन की कमी

यह कोअी नहीं साबित कर सकता कि

हमारे देश में किसी भी जमाने में वीरता का गुण बहुत कम रहा हो। कम से कम खास जातियों ने निरंतर परिश्रम-पूर्वक उसका विकास किया। लेकिन अहिंसा—विशेष कर संगठित सामाजिक अहिंसा—के गुण की कमी हमेशा पायी गयी है। चाहे महाभारत-काल का, राजपूतों का, मुगलों का, या चाहे सिक्खों का और मराठों का, अतिहास ले लीजिये। आप यही पायेंगे कि अश्वत्थामा—कर्ण विवाद, शल्य—कर्ण विवाद, जयचन्दी फूट की परम्परा अविच्छिन्नरूप से चली आयी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ले कर पानपत के युद्ध तक सेनापति के मरने पर सेना में अन्धाधुंधी, आपस में लड़ाई और अन्त में पलायन—यही हमारा अतिहास रहा है। इसमें व्यक्ति की हैसियत से सेनापति या सैनिकों में वीरता का अभाव नहीं दिखायी देता। बहादुरी और हिम्मत की कमी नहीं है। परंतु प्रेम, अनुशासन और कर्तव्यबुद्धि की व्यापकता तथा उनका संगठन बिल्कुल नदारद है।

वह नेताओं में ही नहीं है; अमीलित जनता में भी नहीं है। बुद्धिभेद और वैमनस्य पैदा करनेवाला तर्ककौशल्य सदा सुलभ रहा है। लेकिन सब से मेल करनेवाली बुद्धि और कर्म-कौशल्य सदा दुर्लभ रहा है। क्योंकि हमारे अन्दर आम तौर पर अहिंसा अकेले असंस्कृत और मूढ़ वृत्ति के रूप में होते हुए भी उसका सामाजिक अनुशीलन कभी नहीं किया गया।

संतों की सीख का विश्लेषण

हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में 'अहिंसा परमो धर्मः' 'सत्यमेव जयते,' आदि घोष (स्लोगन्स) विद्यमान हैं। हमारे संतों ने ब्रह्मचर्य, संयम, अन्द्रियनिग्रह, आत्मानात्म-

विवेक, भूतदया, वैराग्य, आदि का भूरि-भूरि अपदेश किया है। जिसलिजे साधारणरूप से हमारी अंसी धारणा हो गयी है कि हमारे देश की व्यापक आध्यात्मिक संस्कृति है। कोअी कोअी तो अंसा भी मानते हैं कि हमने जिन गुणों का अतिरेक ही कर डाला है।

लेकिन जिन अपदेशों का अके दूसरी दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। जो गुण किसी समाज में व्यापकरूप में पाये जाते हैं, उनका बार बार अपदेश करने की प्रवृत्ति साधारणतः नहीं होनी चाहिये। जिन गुणों का समाज में अधिक अनुभव नहीं होता, मगर जिनकी आवश्यकता तो प्रतीत होती है, अन्हीं पर अपदेशक जोर देगा। अपर्युक्त गुणों का सन्तों ने निरंतर अपदेश दिया जिसका यही कारण हो सकता है कि अन्हींने समाज में जिन गुणों का अस्तित्व पर्याप्त परिमाण में नहीं पाया। यह अपदेश करनेवाले सन्तों ने दूसरी भी कुछ बातें समय समय पर कही हैं। अन्हींने कहा है कि "संसार स्वार्थमय है, हमारे आत्मीय और सगे-संबंधी, सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, कोअी किसी का निःस्वार्थ आप्त नहीं है।" जिस पर से यह पता चलता है कि अन्हीं जीवन में क्या अनुभव होता था, पार-माथिक वृत्तिवालों के लिजे अस वृत्ति के विकास के रास्ते में, हमारा समाज कोन कोनसी कठिनायियां अपस्थित करता था और जिसलिजे सब का त्याग करना ही अकेमात्र मार्ग क्यों समझा गया।

हमारी जनता की प्रकृति

जिसके विपरीत हमें जिन गुणों का भी विचार करना चाहिये जो हममें नहीं थे और न जिनके लिजे हमारी भाषा में कोअी शब्द ही थे। बल्कि

जिनके समान वृत्तियों का हमारे सन्तों ने निषेध भी किया। अुदाहरण के लिये, 'स्वदेश-भक्ति' या 'स्वदेशाभिमान' शब्द हमारे पुराने साहित्य में नहीं पाये जाते। वर्णाभिमान, जात्य-भिमान आदि का सन्तों ने जोर से निषेध किया है। क्योंकि जिस देश में जैसा बिरला ही कोजी रहा होगा जो अपनी भूमि से प्रेम न करता हो। अपना खेत, अपना गांव या अपना प्रान्त छोड़ने की वृत्ति हममें बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। अनिसे बिछुड़ने में हमें अत्यधिक दुःख होता है।

किसानों में तो अितना जबरदस्त भूमिप्रेम पाया जाता है कि खेत की कानूनी मालकियत से हाथ धो बैठने पर भी अुस पर अपना कबजा जमाये रखने के लिये वे अपनी जान लडा देंगे। हमारा वर्णाभिमान और जात्यभिमान तो मशहूर ही है। स्मृतिकारों ने अुसका अितना जबरदस्त शास्त्र बना रखा है कि बुद्ध और महावीर से ले कर आज तक हर अेक संत के अुस की निन्दा करने पर भी; हमारे समाज से अुसका प्राबल्य नष्ट नहीं हुआ।

बुद्ध से ले कर गांधी तक जिस देश में जो महान प्रवर्तक हुआ अुन सब ने साधारण जनता

के लिये पांच ही नियम बतलाये हैं:—चोरी न करो, व्यभिचार न करो, शराब न पीओ, मांस न खाओ, झूठ न बोलो। अिन पांच में से मांस का निषेध करने की तो आज किसी की हिम्मत ही नहीं होती। और अगर कोजी हिम्मत करे भी तो अुसकी कोजी मानेगा नहीं। लेकिन जिस पर से कि ढाबी हजार वर्षों से हमें लगातार अिन पांच ही नियमों का अुपदेश करना पड रहा है हमारी सर्व-साधारण संस्कृति के रूप का पता चलता है।

मतलब यह कि, अहिंसा, ब्रम्हचर्य, अस्त्येय, आदि के विषय में हमारे देश में विपुल साहित्य और प्रचुर अुपदेश अुपलब्ध है। जिसपर से यह अनुमान करना गलत होगा कि सद्गुणसंपन्न संपत्ति हमारी जनता की प्रकृति है। अितना ही कहा जा सकता है कि हमारी प्रकृति को अिन गुणों द्वारा संस्कृत करने का प्रयास सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। अनेक महापुरुषों ने जिसके लिये अपनी सारी अुम्र बिता दी। लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमने कोजी विक्षेप प्रगति की। कारण यह है कि अुनके कार्य में विकृतिग्रस्त लोगों ने विघ्न डालने में कुछ अुठा नहीं रक्खा। तथापि अहिंसा-प्रेरित मनुष्य अुस प्रयत्न को छोड नहीं सकते।

-८-

वास्तविक आवश्यकता

“अगर जर्मनी या जापान का आक्रमण हो जाय तो हम कौनसा अहिंसक अिलाज करें यह आज ही बतलाओ”—जैसा प्रश्न अप्रासंगिक है। आज हमारे सामने जो प्रश्न अुपस्थित है वह तो यह है कि “अंग्रेजों के और हमारे दरमियान परतंत्रता का जो बन्धन है वह कैसे काटा जाये, और हम स्वाधीन किस तरह बनें”? हिंसावादी

भी यह महसूस करते हैं कि जिसका कोजी व्यवहार्य हिंसक अुपाय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी अहिंसा शुद्ध भले ही न रही हो, लेकिन यह अुन्हें भी मानना पडेगा कि जैसी कुछ संमिश्र और स्थूल अहिंसा का हमने प्रयोग किया अुसकी बदौलत हमें थोडीबहुत सफलता भी मिली। जिसलिये व्यवहारचारुयं तो जिसी

में है कि समझदार लोग हिंसा-अहिंसा के बाल की झाल निकालने के बखले अहिंसा के सेनापति के बतलाये हुए तरीके से असे युद्ध और संगठित करने की कोशिश में जुट जायें।

अगर हम आजादी चाहते हैं तो सारा देश अके होना चाहिये। जातीय, प्रांतीय, धार्मिक और दार्शनिक द्वेष नष्ट होने चाहिये, प्रजा का आन्तरिक व्यवहार न्याय और नीति के अनुसार चलना चाहिये। बलवानों को निर्बलों के लिये खपना चाहिये। अन्के शोषण से बाज आना चाहिये। हर अके को पेटभर रोटी, तनभर कपडा और आरामभर मकान मिलने का प्रबन्ध करने में सारे सुन्नों को हमराय हो जाना चाहिये। यह सब संपन्न करने के लिये व्यक्तिगत तथा समाज व्यापी अहिंसा की, यानी दूसरे के लिये सानन्द, कर्तव्यबुद्धि से और प्रेम से खपने की आवश्यकता है, न कि हिंसा या द्वेष की। जरूरत निःस्वार्थ बुद्धि की है, न कि स्वार्थबुद्धि की; सर्वव्यापी ममता की है, न कि तंग दरबों में बन्द किये हुए अहंमत्त्व के भाव की।

आत्मरक्षा का अहिंसक तरीका

कब मिलेगा ?

यदि हम अपने जीवन तथा संस्कारों में जिस प्रकार की क्रान्ति कर सकें तो जर्मनी या जापान के आक्रमण से अपना बचाव करने की अहिंसक योजना भी हमें अपने आप सूझ जायेगी। क्योंकि यह क्रान्ति तो अहिंसा के अनुशीलन से ही हो सकेगी। तब तक आज कितना ही सिर क्यों न खुजायें, तो भी वह तरीका नहीं सूझेगा। जो कुछ सुझाया जायगा वह बालिश कल्पना में शुमार होगा। क्योंकि अस्के सुझाने के लिये जिस पूर्व-परिस्थिति की आवश्यकता है वही आज नहीं है। आज बेतार के तार से अके

कषण में अके शब्द सारे संसार में भेजा जा सकता है। अब अगर कोई पूछ बैठे कि 'फर्ज कीजिये कि शब्द के समान अके बिनाशक किरण भी दुनिया भर में फैलायी जा सके तो अस्से अपनी रक्षा का कौनसा अुपाय किया जाय ?'— तो समझदार वैज्ञानिक जितना ही जवाब दे सकेगा कि पहले अुस तरह का यंत्र तो बनने दो तब मेरे दिमाग में विचार आने लगेंगे।

आज हिंसक साधनों से हम अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन अुसके लिये हमारे पास कितनी सेना है, किस किस की कितनी तोफें, वायुयान, जहरीली वायु के गोले, मास्क, आदि साधन हैं, वे कहाँ कहाँ रखे गये हैं, अच्छी हालत में हैं या नहीं ?—अिसकी चर्चा या औषपडताल हम कहाँ करते हैं ? सर फिलिप चेटवुड से अिस संबंध में कितनी जानकारी मांगते हैं ? हम तो यही मानते हैं कि जो लोग युद्धकला के विश्वास-गान विशेषज्ञ हैं वे अुचित प्रबन्ध करेंगे ही। और अिस विश्वास से युद्ध के दिनों में भी निश्चिन्त हो कर सोते हैं।

वास्तविक समस्या

अगर अहिंसा के क्षेत्र में भी अिसी प्रकार हमारी अके विशेष साधना हो जाये तो क्या अुसके भी कुछ विशेषज्ञ पैदा नहीं होंगे ? हमारे देश में अहिंसाधर्म में प्रवीण और अहिंसा से जनता की रक्षा कर सकने का आत्मविश्वास रखनेवाला जो वीर पुरुष होगा अुसी को हम अपना युद्ध-मंत्री बनायेंगे और अुसकी सूचनाओं पर चलेंगे। तात्पर्य यह कि, 'जर्मनी के खिलाफ अहिंसक योजना क्या हो ?'—यह सवाल अुतना महत्त्व नहीं रखता जितना महत्त्व यह सवाल रखता है कि 'हम अपने नित्य के जीवन के छोटे-बड़े कलह अहिंसा से किस प्रकार मिटावें ?' अगर दो

आदमियों में युद्ध करने के शास्त्र का आविष्कार हो जाये तो सैकड़ों और लाखों की लड़ाई का शास्त्र भी खोजा जा सकेगा। यही नियम अहिंसा पर भी लागू है।

अन्त में 'गांधी विचार दोहन' से जिस संबंध में दो परिच्छेद अद्वेषित कर यह लंबा लेख समाप्त करता हूँ:—

“अहिंसा में तीव्र कार्यसाधक शक्ति भरी हुआ है। जिस अमोघ शक्ति की अब तक पूरी पूरी खोज नहीं हुई है! 'अहिंसा के समीप मारे वैर-भाव शान्त हो जाते हैं',—यह सूत्र शास्त्रों का कोरा पांडित्य ही नहीं है, बल्कि अधियों का अनुभव-वाक्य है। जिस शक्ति का संपूर्ण विकास और सब अवसरों और कार्यों में इसके प्रयोग का मार्ग अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हिंसा के मार्गों के संशोधनार्थ मनुष्य ने जितना

सुदीर्घ अध्येय किया है और उसके फलस्वरूप हिंसा को बहुत बड़े परिणाम में अकेले विज्ञानशास्त्र-सा बना दिया है; अतना अध्येय यदि अहिंसा-शक्ति के संशोधन में किया जावे, तो मनुष्य जाति के दुःखों के निवारणार्थ यह अकेले अनमोल, अव्यर्थ तथा अन्त में अभय पक्षों का कल्याण करनेवाला साधन सिद्ध होगा।

“जिस श्रद्धा और अध्यवसाय से वैज्ञानिक प्रकृति के बलों की खोज-बीन करते हैं और उसके नियमों को विविध प्रकार से व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं, अतनी ही श्रद्धा और अध्यवसाय से अहिंसा की युक्ति का अन्वेषण तथा उसके नियमों को व्यवहार में लाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है।”

(‘गांधी विचार दोहन’ : ‘अहिंसा’ १०, ११)

सृष्टि की संहार-लीला का सबक

[काका कालेकर]

—१—

“राजा रुठे नगरी रक्खे अपनी; मैं हर रुठघा कहां जाना ?”

—मीराबाजी

यूरोप में संहारलीला विश्व-नाश का संकल्प करके मुहूर्त की राह जोह रही है। अंबिसीनिथा स्पेन, चीन आदि के अनुभव ताजे हैं ही। मनुष्य जब घात करने के लिये अद्वेषित हो जाता है तब प्रत्यक्ष हत्या से जितना नुकसान होता है उससे कहीं बढ़कर वह नुकसान है जो भ्रिंसावृत्ति बढ़ने से हृदयमाद्य के रूप में होता है। तो भी ये सब मानवी आपत्तियां हैं। मनुष्य चाहे तो अिन में से बच सकता है। शत्रु की शरण जा कर, युद्ध से

भाग कर या देशान्तर कर, मनुष्य अपने को बचा सकता है। किन्तु यह रास्ता कार्यों का है। वीरों को वह पसंद नहीं आता।

वीरों को भी मानवी संहार से बचने का अूपाय मिल सकता है। शत्रु की अपेक्षा अधिक तैयारी करके और बहुत-से शूरों की बलि दे कर बाकी के लोग बच सकते हैं। सत्याग्रह कर के भी मनुष्य युद्धों का अिलाज कर सकता है और प्राणहानि टाल सकता है।

किन्तु जब क्रुदरत का कोप होता है, 'हरि रुठ' जाता है, तब बचने का कोभी अूपाय नहीं

है। भूचाल, बाढ़, ईजा, प्लेग आदि बीमारियां, या अकाल अत्यादि कुदरती आपत्तियां, जब आप पड़ती हैं, तब जो मनुष्य-संहार होता है उससे कौन कैसे बच सकता है? जो बीर हैं वे ही बच सकेंगे ऐसा तो हम नहीं कह सकते। और न जो कायर हैं वे ही बच सकेंगे ऐसा ही कोभी नियम है। कुदरती आपत्ति वीरों को खा जायगी और अबला और बच्चों को छोड़ देगी ऐसा भी कहीं नियम नहीं है। पवित्र लोग बच जाते हैं और अपवित्र ही मृत्यु के शिकार होते हैं ऐसा कहीं नहीं पाया जाता। जब द्धारका समुद्र के अंदर में डूबनेवाली थी तब अपने श्रेष्ठ भक्तों को भगवान ने द्धारका छोड़ जाने का आदेश दिया और उन्हें बचाया। सज्जनों के प्रति भगवान का यह पक्षपात हम सही मानें या न मानें, लेकिन भगवान ने फिर कभी ऐसा पक्षपात नहीं किया है। अब तो जबकभी आपत्ति आती है तो वह बिना किसी भेदभाव के अपना अन्ध विनाश-कार्य कर ही डालती है।

अभी तुकों के अंगोरा में भयानक—जिससे मय भी भयभीत हो जावे अितना भयानक—प्राकृतिक प्रकोप हुआ। महायुद्ध चाहे जितना भीषण हो, उसमें अेक दिन के अन्दर, अेक क्षण के अन्दर, पैंतालीस हजार लोगों का संहार सहज नहीं हो सकता। युद्ध में लोग कम से कम अेक दूसरे पर गर्म होते हैं, शूर लोग बदला लेते हैं, संकट कहां से आया है उसे पहचान कर उसका अिलाज करते हैं। प्राचीन काल के धर्म-युद्ध में सोते हुए शत्रु को जगा कर, उसके हाथ में शस्त्र न हो तो उसे शस्त्र दे कर, उसके पास रथ न हो तो खुद रथ से अुतर कर, पहले समानता ला कर, बाढ़ में क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे। किन्तु कुदरत ने धर्मयुद्ध का अेसा नियम न कभी माना है, न कभी पासा है। भूचाल कभी

यह नहीं देखता कि दिन है या रात, लोग घर में हैं या बाहर घूम रहे हैं। वह तो अेक क्षण के अन्दर बड़े बड़े अूचे महलों को अनीबोज कर देता है। शहर के छोटे-बड़े सब मकानों को जिस तरह डगमग-डगमग हिला देता है कि मानो वे सब ताश के ही प्रासाद हों।

भूचाल से कभी कभी कभी मकान अपना मुंह फेर कर विरुद्ध दिशा में देखने लगते हैं। नदी का पाट अूपर अुठ कर उस नदी को कहीं और ही अेज देता है। कभी कभी जहां अंगल था वहां अेक तालाब बना देता है और जहां सरोवर था वहां हिमालय जैसा पर्वतराज खड़ा कर देता है। कहा जाता है कि अिसी अंग से प्राचीन काल का अेक सारा का सारा खंड ही अटलांटिक महासागर की तह में जा बैठा है। भूमध्य-समुद्र के बारे में भी अैसी ही कहानी कही जाती है।

किन्तु अब की बार तुकों के अूपर जो गजब की आपत्ति गुजरी है वह बेमिसाल है। अभूतपूर्व भूचाल हो कर मकान उह गये, हजारों लोग अमीन के अन्दर गड़ गये; अितने में पानी ने सोचा कि मैं थोड़े ही किसीसे कम हूं; मैं भी कुछ करतब दिखाऊं। पानी की अैसी बाढ़ आयी कि बचे-खुचे बहुत-से आदमी और मवेशी बह गये और डूब गये। लोग अिन दोनों में से जान बचाने की फिक्र में थे कि अितने में वहां पर पागल कुत्तों का अेक बड़ा दल प्रकट हुआ। पुराणों में अैसी आपत्तियों की तालिका में चूहे हैं, टिड्डे हैं, और घान के खेत वीरान करनेवाले तीर्थों का भी अिक्र है।

‘असिद्धिः अनाद्धिः शकभाः मूककाः कुकाः ।
प्रत्यासन्नाब् राजानः पडेताः अीतयः स्मृताः ॥’
पाठान्तर में कहा है—

‘स्वर्क परर्क मि० च स्वैताः अीतयः स्मृताः ।

‘स्वचक्र’ का अर्थ है “आंतरिक कलह” और ‘परचक्र’ का “विदेशियों का आक्रमण”। ऐसी ‘जीति’ अबवा ‘आपत्ति’ में भगवान ने अब पागल कुत्तों की अंक आपत्ति और बढ़ा दी है।

अंगोरा के अन्तर में कृष्णसमुद्र है। उसमें भी वह पागलपन पहुंच गया। उसने भी अंक ऐसा तूफान मचाया कि जीवन पर विहार करनेवाली असंख्य नौकाओं मृत्यु को भेंट कर दीं।

अब किस महान प्राण-नाश के लिये किस पर क्रोध करें? उसका अलाज भी क्या करें? जिस मानवी संस्कृति के हम अितने भक्त हैं और जिसकी रक्षा के लिये हम प्राणपण से कोशिश कर रहे हैं उसकी कीमत कुदरत की नजर में कुछ भी नहीं है। शरद की मक्खियों का छत्ता, दीमक का बमीठा, समुद्र में बढनेवाले प्रवाल के कीटकों के झाड़ और मानवी महा साम्राज्य—सबका मूल्य प्रकृति की दृष्टि में, कुदरत की निगाह में, अंक ही है। शरद की मक्खियों का छत्ता जिस सहजता से चारवाहे का लडका छोड़ लेता है उसी आसानी से अितिहास-विधाता बडे बडे साम्राज्यों को भी अंक क्षण में मिट्टी में मिला सकता है। अितिहास कहता है कि समर-कन्द और बुखारा की ओर अमूदरिया और सर-वरिया के किनारे तीन लण्डों की तिजारत चलती थी और अंक बडी आन्तराष्ट्रीय संस्कृति का वहां विकास हुआ था। किन्तु जहां भगवान ने अंक फूंक मारी और आंधी चली; कि रेती की बाढ आयी और वह सारी आबादी, वह सारी संस्कृति, अंक क्षण में हवा हो गयी! पापी शहर जिस तरह ज्वालामुखी के तप्तस में जलभुन गया उसी तरह मध्य ओश्या का यह प्राचीन शहर सिकता-समुद्र की सूखी तह में डूब गया और सदा के लिये नष्ट हो गया। वहां के जालिम राजा भी मर गये और प्रजाहित के लिये बढनेवाले

लोकनेता भी वफ़्त हो गये। न्यायकारी और अन्यायकारी, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, स्वपक्षीय और विपक्षीय—सभी बरती में समा गये। तमाम आनन्द और तमाम दुःख, सदाचार और अनीति, जीवन और कलह—सब कुछ अंकधन शान्त हो गया। हजारों बरसों से मनुष्यजाति ने जो पुरुषार्थ किया था वह सब देखते देखते स्मृति-शेष हो गया। स्मृति भी कहां से रहे? स्मृति रखने के लिये भी तो कोओ जिन्दा रहना चाहिये? जो संस्कृति रेत के समुद्र में डूब गयी वह विस्मृति की साबी में भी डूब गयी। हजारों वर्षों के बाद जब भगवान ने फिर से फूंक मारी और आंधी अजली चलने लगी और सिकता-सागर में भाटा आया तब ये सब प्राचीन अवशेष दुग्गोचर हुये! जिस संस्कृति की स्मृति भी नष्ट हो गयी थी उसके कुछ अवशिष्ट प्रत्यक्ष अवशेष मनुष्य के हाथ लगे।

जो भूचाल अंगोरा में हुआ वही अगर भूमध्य-समुद्र के अन्दर हो जाता तो शायद भूमध्य समुद्र की भूमि अूपर अठ आती, मुसोलिनी का अिटाली, आतातुर्क का तुर्कस्तान, परान्स का आलजेरिया और नेगस का अेबिसिनिया,—सब कुछ पानी में डूब जाता और जहाँ आज सहारा मरुस्थल है वहां फिरसे अंक बड़ा समुद्र नर्जना करने लगता। फिर तो यूरोप का सवास ही अंकदम बदल जाता। और अगर सारे यूरोप में कुछ ऐसी प्राकृतिक अुषल-पुषल हो जाती तो फिर फैसिजम और नात्सीजम, बोल्शेव्हिजम और कॅपिटलिजम—सब के सब ‘बाद’ फिर-कालीन मित्रा के बध हो जाते! मनुष्यजीव्य कुदरत के अधीन अितना है, अितना क्षणभंगुर है कि उसमें क्षुद्र लाम-हानि के लिये, राग-द्वेष के अजर में रहना मनुष्य को कहां तक अुचित है, यह सोचने के दिन आ गये हैं। यूरोप

के महायुद्ध के साथ मानी अपना अपह्रास-भ्रम व्यंग करने के लिये और अपना लोक-व्ययकृत विकट हास्य हँसने के लिये ही विद्व-नियंता ने अंगोरा का भूचाल भेज दिया ! मनुष्य ने जो युद्ध चलाया है उसपर भगवान् ने अपना भाष्य कर दिया ।

मानव-पिता मनु भगवान् कहते हैं, ' न चैनं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केन चित् ? ' असी क्ण-

भंगुर काया धारण करके अभिमान क्या करना है और किसीसे वैर भी क्या रखना है ? असंख्य महायुद्ध लड़ने के बाद जो सबक प्राचीनों ने सीखा था वह फिर से सीखने के लिये मनुष्य को प्राचीनों के समान, किन्तु उनसे कहीं अधिक, कीमत् देनी पड़ रही है । यही है मनुष्य की बुद्धिमत्ता ! !

-२-

“अस सृष्टि में नीति का साम्राज्य है या केवल अन्धे अदृष्ट का ? मनुष्य को जो दुःख सहन करना पड़ता है वह उसके दुराचार का फल है, या वह केवल अके आकस्मिक घटना है—अतिस्फाक है ?”—यह सवाल बार बार मन में अठता है और जब अंगोरा के जैसे भीषण संकट आ पड़ते हैं तब यह सवाल और भी वेग से मन में आता है । बिहार के भूकंप के बाद जब गांधीजी ने कहा कि “अस भयानक प्रकोप के पीछे मैं भारत के महापाप की सजा देखता हूँ;” तब सारे बुद्धिवादी लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया । रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी दुःख के साथ कहना पड़ा कि गांधीजी का कहना युक्तिसंगत नहीं है; असे वहम के साथ वे सहमत नहीं हो सकते । अतना ही नहीं, किन्तु गांधीजी जैसे महापुरुष द्वारा असा प्रचार होने से जनता पर जो असर होगा उसे दूर करने के लिये उनको अपना मतभेद जाहिरा तौर पर प्रकट करना आवश्यक मासूम हुआ । गांधीजी ने सब आलोचकों से अके ही सवाल पूछा कि “क्या अस दुनिया में अंधतः नीति का राज्य है और अंधतः अदृष्ट का ? अगर जो कुछ होता है उसका कोअी न कोअी

कारण होना ही चाहिये, और हरअके कारण का कुछ न कुछ नतीजा होना ही चाहिये, तो क्या अस महान प्रकोप के पीछे भी किसी न किसी मानवी अपराध का कारण नहीं होना चाहिये ?”

गांधीजी से भूचाल ने आ कर यह नहीं कहा था कि मैं अस्पृश्यतारूपी पाप का ही फल हूँ । गांधीजी यह भी नहीं मानते थे कि अस्पृश्यता बिहार में ही है और दूसरे प्रान्तों में नहीं है और न यह कि बिहार का भूकंप बिहार के ही लोगों के पापों का फल था । कुदरत में सब चीजें अके दूसरे के साथ अनुबद्ध है । पेट साफ न होने से सिर में दर्द होने लगता है । राज्यकर्ता की नीयत बिगड़ने से प्रजा को कष्ट भुगतना पड़ता है । अके आदमी के संपर्क में आने से सारे शहर को हूजे का, या असी ही किसी बीमारी का, सिकार होना पड़ता है । हाथ ने चोरी की तो पीठ पर कोडे पड़ते हैं, अिसीलिये कि हाथ और पीठ अके ही शरीर के अवयव हैं । कुदरत की सजा भी अिसी तरह सार्वत्रिक अनुबन्ध का पाठ पढ़ाने के लिये ही चाहे जहाँ प्रकट हो सकती है । कुदरत की यह रचना हम पूर्णतया नहीं समझ सकते और तो भी नीति के सार्वभौम तत्त्वों पर हमारी श्रद्धा होती

है। इसीलिए जो बात हम अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते और न विरुद्ध तर्क से काट सकते हैं, उसको श्रद्धा से मान लेते हैं। गांधीजी ने देखा लिया कि बिहार का भूचाल अकेले असाधारण आपत्ति है। जिसका संबंध देश के किसी असाधारण और सैकड़ों वर्ष पुराने व्यापक पाप से ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी श्रद्धा ब्रह्म समय प्रकट की।

और हम जरा सोचें कि 'अदृष्ट' के मानी क्या होते हैं? 'अकस्मात्' का अर्थ क्या है? 'दैव' किसे कहते हैं? जो कारण तो है किन्तु दिखायी नहीं देता वही 'अदृष्ट' है। जिस घटना का 'कस्मात्' अथवा कारण हम नहीं खोज पाते; किन्तु जिसका कुछ न कुछ कारण तो होना ही चाहिये, असी घटना को हम 'अकस्मात्' कहते हैं।

जिस घटना के मानवी और कुदरती कारण का हिसाब लगाने के बाद और भी कुछ अज्ञात कारण रह जाते हैं। 'अधिष्ठान,' 'कर्ता' 'नामा प्रकार के करण' और 'विविध व्यापार'—जिन

चारों किस्म के कारणों का हिसाब करने के बाद जो अवशिष्ट कारण रह जाते हैं, अन्हीं को हम 'दैव' कहते हैं। 'शेष चार कारणों में तो कोभी न कोभी नैतिक हेतु होता है; और केवल अज्ञात कारण में ही नैतिक हेतु का अभाव है'—यह कहना युक्तिसंगत नहीं है। किन्तु अगर किसी कारण के बारे में हम जितना भी कह सकें कि वह हेतु-शून्य है, तो वह पूर्णतया अज्ञात नहीं रहा।

सँर! बुद्धिमानी जिसमें है कि हर अकेले महान् प्रसंग से हम कुछ न कुछ सबक सीख लें; अन्ये और बेहोश रहने में ही बुद्धि की सफलता न मानें। बिघर जब कि यूरोप का महायुद्ध चल रहा है, पचास हजार लोग प्राकृतिक दुर्घटना से यों ही मर जाते हैं, जिस बात में मनुष्य के लिये कुछ बोध ही नहीं है असा मानना तो कतलखाने की बगल में मजे से घास चरनेवाले जानवरों की स्थिति में रहना है। मनुष्य को बिचार करके अपने युद्धज्वर को हटाना चाहिये।

साधुत्व ही स्वास्थ्य है

संशयात्माओं से मैं पूछता हूँ कि सृष्टि के केन्द्र में यदि कोभी सत्तत्त्व नहीं है, तो मनुष्यता को अकेले युग के जिस प्राणघातक संघर्ष से यह विश्वव्यापी दारुण वेदना क्यों हो रही है? रोग के कारण पीड़ा होती है; क्या यह जिस बात का सबूत नहीं है कि स्वास्थ्य की स्वाधीनता में ही जीवन का स्वाभाविक सत्य निहित है? यंत्रणा जीवन का निषेध है। स्वास्थ्य जीवन की विधायक प्रतिज्ञा है। हमारा शरीर जिस सिद्धान्त को मानता है, इसीलिए वह अन्त तक घोर प्रतिकार करता है। यदि रोग के कारण हमें कोभी पीड़ा न होती तो अवश्य हम जीवन पर दगाबाजी का आरोप कर सकते थे। सब तरफ युद्ध की बीमारी फैल रही है। यह युद्ध कौन कराता है?—विश्व के हृदय में स्थित सत्तत्त्व की अपमानित सार्वभौम सत्ता।

'मौडर्न रिव्यू' }
जनवरी १९४० }

—श्रीमन्महाशय ठाकुर

गांधीजी के अनुयायी

[श्री हरिभाजू जुपाप्पाय]

अस समय हिन्दुस्तान में राजनैतिक या राष्ट्रीय क्षेत्र में शायद ही कोभी असा प्रमुख व्यक्ति या दल हो, जो गांधीजी के सिद्धान्तों या व्यक्तित्व से प्रभावित न हुआ हो। जहां तक काँग्रेस से सम्बन्ध है काँग्रेस के प्रायः सभी दल गांधीजी के झंडे के नीचे अंकत्र हो गये हैं। जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की दृष्टि से यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना है कि गांधीजी ने फिर सत्याग्रह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। यह तो सभी मानते और जानते हैं कि गांधीजी चाहे कितने ही शक्तिशाली पुरुष हों, उनका अपना अंक सिद्धान्त और दर्शन है और असीकी साधना से अन्हें यह बल मिलता है। मैं तो दूर अविष्य में जितना देख सकता हूं, मुझे यह निश्चित होता जा रहा है कि गांधीजी का यह सिद्धान्त और दर्शन हिन्दुस्तान की तो कायापलट करेगा ही, दुनिया के राजनैतिक, राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन पर भी अपनी अमित छाप छोड़े बिना न रहेगा। यह संतोष की बात है कि लोग अब गांधीजी के व्यक्तित्व के जादू और चमत्कारों से आगे बढ़ कर उनके सिद्धान्तों और दर्शन को समझने में भी काफी दिलचस्पी लेने लगे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है—सर राधाकृष्णन् संपादित 'महात्मा गांधी' नामक अमिनन्दन ग्रन्थ। फिर भी यह जानना आवश्यक है कि अिनमें गांधीजी के सच्चे अनुयायी कौन हैं? और जो हैं अन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने की कितनी जरूरत है।

मेरी राय में गांधीजी के झंडे के नीचे आज अितने प्रकार के लोग हैं—(१) अन्होंने गांधीजी के सिद्धान्त और आदर्श को ग्रहण कर लिया है;

(२) अन्हें गांधीजी के व्यक्तित्व और चमत्कारों ने प्रभावित किया है और जो गांधीजी के सिद्धान्त और दर्शन का जिक्रासु की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं।

(३) जो गांधीजी की राजनैतिक दूरदर्शिता और अुनके योद्धापन से प्रभावित है; अन्हें अुनके सिद्धान्त और दर्शन में कोभी खास दिलचस्पी नहीं है;

(४) जो समयसाधु हैं; अिनकी न कोभी नीति न कोभी सिद्धान्त निश्चित है, और जो अुगते सूर्य को नमस्कार करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

(५) जो न गांधीजी को चाहते हैं, न अुनके सिद्धान्त और दर्शन को पसंद करते हैं, मगर परिस्थिति से मजबूर हो कर गांधीजी के साथ हैं, और पहला मोका पाते ही वे अपना असली रूप प्रकट करेंगे।

अिनमें शुरू के तीन वर्ग ही अधिक विचारणीय हैं, ध्यान देने योग्य हैं। शेष दो का तो हम अध्ययन करते रहें और अुनसे सावधान रहते रहें, अितना बस है।

प्रथम तीन में पहला वर्ग ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अिसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। अंक तो वे जो शुरू से ही महात्माजी के सिद्धान्त और दर्शन से आकर्षित और प्रभावित हुए हैं। दूसरे वे जो अुनके व्यक्तित्व और चमत्कार से अुनकी ओर आकर्षित हुए; लेकिन बाद को अुनके तत्त्व और दर्शन तक पहुँच कर अुसके कायल हो गये। अिन दोनों में अब अुन लोगों का समावेश हो जाता है जो अपने जीवन में और जीवन-कार्यों में मूल प्रेरणा सत्य से पाते हैं और अिनका अन्तःकरण अहिंसा से, अर्थात्

सात्विक गुणों से, युक्त हो। भले ही वे राज-नैतिक कार्यकर्ता हों, देश की आजादी के लिये मरमिटने की साध रखते हों; परन्तु यह उनके जीवन में दूसरे नंबर की चीज होगी। वे देश की आजादी से भी बढ़ कर मूल्य और महत्त्व सत्य और अहिंसा, का मानते हैं। यदि सत्य की प्रेरणा को कुचल कर अहिंसा की भावना को ठुकरा कर देश के लिये आजादी मिलने का बंग दीखता हो तो भी वे आशंकित होंगे कि क्या सचमुच यह आजादी ही होगी? और इसलिये वे अजुस आजादी से डर कर दूर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके मत में वह आजादी वास्तव में कौड़ी आजादी नहीं है जो मनुष्य और समाज को सत्य से दूर ले जाती हो। या जो मनुष्य के मृदुलतम और अञ्चलतम गुणों का, या सात्विक संस्कारों, अर्थात् अहिंसा का, लोप करने के लिये मजबूर करती हो। जब सत्य ही न रहा तो वह आजादी, या अजुस आजादी का अुपभोग करने-वाला समाज टिकेगा किस पर? और जब अहिंसा न रही अर्थात् प्रेम, स्नेह, अुदारता, कृपाशीलता, सौजन्य और दयालुता न रही, तो अजुस आजादी में सुगन्ध और सौन्दर्य कहाँ से आयगा? कौन अुसका प्रेमी या भक्त बना रहेगा? आजादी जैसे-तैसे भी हासिल कर लेना अेक तरह से कम महत्त्व की बात नहीं है, परन्तु आजादी को टिका रखना अेवं अुसे सर्वप्रिय सर्व-सुखदायक और सर्वोदय-कारक बना रखना अुससे कहीं अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। और इसी में गांधीजी के सत्याग्रह, अर्थात् सत्य और अहिंसा का, अत्यन्त और सच्चा व्यावहारिक मूल्य निहित है।

स्वराज्य को टिकाने में कौमी अेकता और हरिजन-सेवा का बड़ा महत्त्व है। गृहयुद्ध और अुसके दुष्परिणामों से देश को बचाये रखने

के लिये कौमी अेकता का प्रयत्न प्राण-पण से करना जरूरी है। किसी भी अेकता का आधार अहिंसा और सत्य ही हो सकता है। सत्य का अेकता की भाषा में अेक ही अर्थ हो सकता है—'न्याय'। जो 'न्याय्य' है वही सदा टिक सकता है और जो सदा टिका रहता है अुसी को सत्य कहते हैं। पर झगड़ों के अवसर पर शान्ति, सद्भावना, सहिष्णुता, कृपाशीलता के आधार पर अुन्हें निपटाना ही अेक मात्र कारगर और स्थिर अुपाय हो सकता है। इसीको अहिंसात्मक अुपाय कहते हैं। गांधी-अनुयायी नहीं, तो जिस जिम्मेदारी को कौन अुठावेगा?

हरिजन-सेवा का अर्थ है करोड़ों पतित समझे जानेवाले दलितों को मनुष्यता की कोटि में ला बिठाना। पहले तो हमने अुन्हें दलित करने का गुनाह किया और फिर पतित ठहरा दिया—अिस दुहरे पाप का प्रायश्चित्त अिसके सिवा और क्या हो सकता है कि जब तक हिन्दू समाज से यह कलंक न मिटे तब तक किसी गांधीवादी को चैन से नींद न आवे? यह भी अहिंसा की पूरी और सच्ची साधना के बिना नहीं हो सकता। और अितने करोड़ों को मनुष्यता के साधारण अधि-कारों से वंचित रखते हुअे आपके स्वराज्य का मूल्य भी क्या होगा?

स्वराज्य आ गया और टिकने भी लगा—पर हम 'स्वराज्य' में करेंगे क्या? भारतीय मनुष्य को और समाज को अूँचा अुठावेंगे या नहीं? बलवा और प्रगतिशील बनावेंगे या नहीं? अुसकी दिशा क्या होगी? स्यायी लाभ पहुंचाने वाली आर्थिक या सामाजिक योजना क्या होगी? अिसके जबाब में ख़ादी तथा प्रामोद्योगों का महत्त्व-पूर्ण स्थान है। गांधीवादी की कौमी भी योजना सत्य अर्थात् न्याय, और अहिंसा अर्थात् शोषण वृत्ति के अभाव, पर आधारित होगी। मनुष्यों,

वर्गों और समाजों के बीच पूर्ण समभाव पर अुसकी भित्ति और स्थिति होगी। सत्ता के या साधन-सम्पत्ति के केन्द्रीकरण से यह व्यवस्था न बन सकेगी। केन्द्रीकरण से अन्याय और शोषण की जड़ नहीं कट सकती। विकेन्द्रीकरण में ही अुसकी अधिक संभावना हो सकती है। राष्ट्र की रक्षा का ही अेक अैसा प्रश्न है जिसमें केन्द्रीकरण अेक अंश तक काम दे सकता है; हालांकि अिस प्रश्न को भी विकेन्द्रीकरण के द्वारा हल करने में ही अहिंसात्मक या सत्याग्रही समाज-व्यवस्था की सच्ची सफलता मानी जायगी। अिस दिशा में, अर्थात् खादी और ग्रामोद्योगों को सफल बनाने में, भी गांधीवादी के सिवा और किसे हादिक अुत्साह हो सकता है? कहने का आशय यह है कि संघान्तिक ज्ञान के अलावा गांधीवादी की, अर्थात् अिस लेख में गिनाये प्रथम वर्ग की, व्यावहारिक परीक्षा अिन तीन कामों की पूर्णता और सफलता में होनेवाली है। अिन तीन कामों के मूल तथा फल में सत्य-अहिंसा का अधिष्ठान तथा विकास होना चाहिये। अिस परिणाम

से अुनकी वृत्ति की शुद्धता, या सिद्धांत अथवा आदर्श के प्रति अुनकी निष्ठा, की जाँच होगी। अितनी बड़ी जिम्मेदारी अिस प्रथम वर्ग के अूपर है—जिसे अुसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

जो 'जिज्ञासु' अर्थात् दूसरे वर्ग में है अुनके लिये प्रथम वर्ग की जिम्मेदारी और कर्तव्य की गुरुता काफी पथदर्शन और प्रोत्साहन का काम देगी।

तीसरे वर्ग के लोग स्वराज्य के बाद की अवस्थाओं पर ध्यान देते हुअे नहीं मालूम होते। यह अुनकी दृष्टि की कमी है। अिसमें अुन्हें सुधार और प्रगति करने की जरूरत है।

पिछले दो वर्ग अेक से अेक भयंकर हैं। मगर जो गांधीजी के पथ पर चलना चाहता है अुसे डरने की जरूरत नहीं है—सावधान रहना काफी है। यदि सत्य का मार्ग वास्तव में न्याय का और कल्याण का ही मार्ग है और सत्य के अनुयायी अुसके सच्चे पथिक हैं तो ये वर्ग अगले तीन वर्गों में आये बिना न रहेंगे। या अुनका अस्तित्व ही न रहेगा।

अंतस्थ देवत्व की शोध

अपने प्राणों की बाजी लगा कर वीर पुरुषों ने अपनी प्राथमिक पशुवृत्ति का नियंत्रण किया है और अपने आत्मगत देवत्व का अविष्कार किया है। अेक के बाद दूसरी बहादुर पीढी के अधिरत और निर्भय प्रयत्न की बदौलत यह अविष्कार जारी रहता है। जहाँ हम असफल हों, जहाँ हम परास्त हों, वहाँ हमें कष्ट सहन करना चाहिये; परन्तु क्षमा का पात्र कभी नहीं बनना चाहिये। अपने आत्मगत देवत्व को अपमानित कर हम अपनी झुंझलाहट में निर्लज्ज हो कर क्षमा की याचना न करें और न यह पुकार मचायें कि अीश्वर तो है ही नहीं। अगर वह नहीं है, तो कसूर किसका है? निष्क्रियता में फंसा हुआ भीरु अपनी हिं सत्ता का निषेध करता है और फिर दौड कर किसी गुरु की शरण लेता है, या किसी पुरोहित को घूस दे कर घंटा और घड़ियालों के कर्णकटु निनाद से अपनी शक्तियों को बधिर कर देता है।

मॉडर्न रिथ्यू
जनवरी, १९४० }

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

कबूतर का गटरमूँ

४. घर बनाम बाहर

आदरणीय संपादक भाभी,

सविनय पालागन,

आपको शायद पता न होगा कि कम्बुग्रीव को आपकी गैर-जिम्मेदारी की बातों से काफी सदमा पहुंचा है। आप संपादक हैं। आपको चाहिए कि किसी को बदनाम करने से पहले उससे खुलासा मांगें। आपने आज तक वैसा नहीं किया। जिस-लिखे कम्बुग्रीव जैसे धैर्यशाली को भी नाराज होना पड़ रहा है। आज मैं हृदय-कुंज में पहुंचा तो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे धूरते हुए वह बोला।

कम्बुग्रीव—कलबलराम भाभी, तुम अपने काका साहब को लिखो कि आयन्दा तंगदिल मनुष्य-कुटुम्बों की तुलना कबूतरखाने से न किया करे। और दादा धर्माधिकारी से भी कहो कि "हवाबन्द कमरे की संस्कृति" का लाँछन कपोतों पर से हटा कर अपने ही बिरादरों पर लगायें।

मैं—आखिर, माजरा क्या है ?

कम्बुग्रीव—तुम्हें याद होगा कि जिस सत्याग्रहश्रम को बापूजीने जब अद्योग-मन्दिर घोषित किया; उस जमाने में यह 'हृदय-कुंज' आश्रम की बहिनों का एक जबरदस्त अड्डा था। यहां गंगा बहिन वैद्य सरीखी बयोवृद्ध माताओं से लेकर आनन्दी सरीखी लड़कियों की चहल-पहल रहती थी।

मैं—आह; उस जमाने की याद न बिलाओ! वे दिन हुआ हो गये! वह रीतक न पहले थी न आगे कभी आयगी! हमारे 'गुरगल' (गलगलों) के समाज में उस समय के स्त्री-समाज का जिक्र आज भी बड़े आदर के साथ किया जाता है। यहाँ सब किसनी बेलाग और बेफिक्र बहनें रहती थीं। सुबह के साठे-तीन बजे से रात

को बापूजी के सोने के समय तक कैसी सुहावनी कलबल चलती रहती थी। जिस मकान में उनका कलरव और आंगन में हम लोगों का कलरव निरंतर गूँजता था। अब तो धहाँ सन्नाटा-सा रहता है। जब कोजी यानी आ जाते हैं तब कुछ रीतक आती है।

कम्बुग्रीव—आज सबेरे जो यात्री आये थे, उनमें उस जमाने की दो बहनें भी थीं और तुम्हारी ही तरह उस गुजरे हुए जमाने की याद करके आहें भरती थीं। कहती थी, "बस बरस बीत गय पर अभी तक पूर्ण स्वातन्त्र्य नहीं आया, बापूजी का यह अजुड़ा हुआ बसेरा फिर बसा ही नहीं। और हम जो अितनी आजादी से घूमा या विचारा करती थीं अब अपने अपने कबूतर-खानों में सदा के लिये बन्द हैं। सचमुच स्त्री-जन्म भगवान का अभिशाप ही है। एक स्त्री के लिये कहीं आजादी नहीं है। बापूजी की गोद में यहाँ पर बिना दबाव के हम रहीं। परन्तु अब वह आजादी स्वप्नवन्त ही गयी है।"—जिस तरह की बातें करती हुआं वे लौट गयीं और मैं 'कबूतर-खाने' के अूनके कटाक्ष पर बेतरह लौज गया।

मैं—क्यों, क्या कबूतर-खाना भेक दम्पती के संकुचित निवास का सही सूचक नहीं है ?

कम्बुग्रीव—हरगिज नहीं। कबूतर-दम्पती का आदर्श तो बहुत अच्छा है। मगर तंगदिल मनुष्यों की निन्दा करने के लिये उनकी तुलना हमारे साथ की जाती है। तुम्ही बताओ, जितने बड़े आश्रम में तुमने कभी हमारे तंग दरबे देखे? सच बात तो यह है कि आदमी छोटे-छोटे हवाबन्द खानों के अलमारी-नुमा संदूकभे बनवाता है और पालतू कबतरों की आदर

बिगाड़ कर हम लोगों की बेभिज्जती करता है। असल में यह बदी है आदमी की। मगर बदनाम होते हैं हम।

मैं:—असमें बदनामी की क्या बात है? पञ्चवीवर्ग में भी कबूतरों के जोड़े की बड़ी ख्याति है। तुम्हारे अंडों तक में नर-मादी की जोड़ी नहीं टूटती। बंठने में, चुगने में, हर जगह तुम्हारी जुगल-जोड़ी होती है। अकेले या तीन-तीन तो क्वचित ही नजर आते ही। यही गुण आजकल मनुष्य भी अधिक अधिक मात्रा में अपनाते जाते हैं। खासकर अपनी शादी का सट्टा-बट्टा स्वयं जमाने वाले दम्पती।

कम्बुध्रीव:—सारे मुकाबले में तुम सब से बड़ा पहलू छोड़ रहे हो।

मैं:—वह क्या?

कम्बुध्रीव:—हम परस्पर सम्पूर्ण समानता के माते से रहते हैं। कोजी किसी का बंधा हुआ नहीं रहता। हम बंधे रहते हैं सिर्फ अपने गिरोह के साथ। सामूहिक सहचार हमारा प्रथम धर्म होता है। 'कबूतर-कबूतरी दोनों बने रहें, बाकी दुनिया बाहे भाड़ में जावे'—ऐसी तंगदिली को हम अपने पास फटकने तक नहीं देने। हम पर बाहे कितनी भी आपत्ति आवे; पत्थर ही क्या, हम पर गोलियां भी बरसायी जायें; हम अपने गिरोह को छोड़ कर स्थानान्तर नहीं करते।

मैं:—तो क्या, तुम्हारा घर (घोंसला) बिलकुल दिखावटी होता है; मियां-बीबी कतबी बेलाग रहते ही?

कम्बुध्रीव:—तुम तो निरे आदमियों के-से बकिल बन बैठे हो, कलबलराम भाजी! आदमी का विभाग सन्तुलन से कोसों दूर रहता है। अके बात समझाने जाओगे तो दूसरे सिरे की समझ बैठेंगे। बापूजी ने कहा 'चरखा कातो,' तो ये सयानों की दुम समझ बैठे 'हल छोड़

दो, कुल्हाड़ी छोड़ दो और मर्दानगी भी छोड़ दो'। अके कोने में बैठ कर बेवा की तरह रोते हुअे कातते रहने की और कातते हुअे रोते रहने की बात ही अनुते दिमाग में आती है। चिल्ला चिल्ला कर बापूजी का गला बँटा जा रहा कि "चरखा कातने की सामूहिक मर्दानगी दिखाओ, पुरुषार्थ प्रकट करो।" और ये बुद्धिमान् समझ रहे हैं "चरखे की ओट में अपनी नामर्दी ढांको।" तुमने भी मेरी बात का अँसा ही अर्थ लगा लिया। मैंने कहा, "हम गिरोह-धर्म को—सामूहिक सहचार को—पडीसी प्रेम को—अपने दैनिक जीवन में पहला स्थान देते हैं; और तुम समझ बैठे कि गृहधर्म को डीला रखने की में बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है?—मरते दम तक कबूतर अपनी कबूतरी नहीं बदलता। हमारे यहां अके के साथ रहना और अन्य की प्रशंसा करना, सर्वनाश से भी बुरा समझा जाता है।

मैं:—दो में से अके बात बताओ। तुम समाज या घर में से किसके प्रति वफादार हो? आकाश में विचरना और पैरों से फुदकने का आनन्द लेना—दोनों ही अके साथ नहीं हो सकते। जिस समय तुम पैरों के बल फुदकते हो अूस वक्त पंख से कोजी मतलब नहीं रहता और पंखों के बल अुडते हो तब पैर बिलकुल बेकार होते हैं। या तो तुम समाज के हो या घर के। दोनों के हरगिज नहीं हो सकते।

कम्बुध्रीव:—क्या बताअूं कलबलराम भाजी, तुम्हारा दिमाग बहुत ओछा है। अुपमाओं से कोजी सिद्धान्त स्थापित नहीं किया जा सकता। तुमने पंख और पैरों की अुपमा दी। मैं छाती और पंख की अुपमा दूंगा। असली बल छाती में है। छाती मजबूत रही तो तुम अुड भी सकोगे और कूद भी सकोगे। अगर रूपक ही चाहिये तो

समाजनिष्ठा को मैं छाती कहूँगा, दम्पती को पैर और अंडे-बच्चों को पंख। पंखों की तरह बच्चे हमें बहुत अूँचे ले जाते हैं और बिराट आकाश की तरह अथाह भविष्य में संचार कराते हैं। जिस नीलाकाश में मैं जब अूँचे अूँचे चढ़ जाता हूँ और फिर कला खाता हूँ तब, और छोटे छोटे कबूतरों को तालीम देता हूँ तब, मेरे रोम रोम में आनंद अुमड़ आता है। जिस तरह दोनों पैरों के बिना कदम नहीं अुठारा जा सकता अुसी तरह बिना पति-पत्नी के कर्तव्य भी अदा नहीं किया जा सकता। अेक पैर टूटने पर जिस तरह बैठना-अुठना मुहाल हो जाता है, अुसी तरह जोड़ी टूटते ही जीना हराम हो जाता है। लेकिन असली बल छाती में ही है। छाती में दम न रहा तो पंख और पैर दोनों बेकार है। दोनों का बोझ ही हमें ले डूबेगा। यही बात हमारी गिरोह-निष्ठा में है। यही बात हमारे पडोसी-प्रेम में और सामूहिक सहचार में है। हमारा प्रत्येक पल अपने गिरोह की शुभ कामना में बीतता है। तुम तो जानते ही हो कि चाहे हमें अेक डिब्बे में बन्द करके भुलावा देने के लिए अुलटे-सीधे ही ले जा कर छोड़ दो; तो भी हम सीधे अपने मुकाम पर आ जाते हैं। क्योंकि हमारी हलचल कुछ भी हो, हमारा ध्यान अपने मुकाम पर से कभी नहीं डिगता। अपने घरेलू कर्तव्य में अेक दूसरे के फन्दे में हम चाहे कितने ही फँसे रहें, हमारी निष्ठा तो गिरोह में ही होती है। और ये जो लड़कियाँ सबेरे यहाँ आयी थीं अुनकी आँहें भर कर अपने आप को कबूतर-खाने में गिरफ्तार बतलाना हमारा घोर अपमान नहीं तो क्या था? नित्यप्रति शब्दों के सिक्के ढालनेवाले काकासाहब की टकसाल से ही यह शब्द निकला है। पर अुसमें वे गलती कर गये हैं। अपने ही परिवार में तंगदिल

हो कर फँस जाना सचमुच 'हवाबंद सूरालों की संस्कृति' है। पर वह कबूतरों की संस्कृति नहीं है; चाहे आदमियों की भले ही हो। पारिवारिक-जीवन में रचे-पचे रहने पर भी सारा परिवार हम पारावतों की तरह सामूहिक सहचार को अपना ले तो अिन बहनों को अपना स्त्री-जीवन अमिशाष नहीं; अपितु अीश्वर का आशीर्वाद प्रतीत होगा।

मैं-आखिर तुमने भी अेक रूपक से ही अपना सिद्धान्त स्थापित किया। खैर; अब मेरे दिल में से यह बात निकल गयी कि गृह-निष्ठा और समाज-निष्ठा परस्पर विरोधी हैं। पर अेक सवाल रह जाता है। यदि स्त्री और पुरुष के बीच आपस में कभी लड़ाई छिड़ जाय तो क्या गृह-निष्ठा और समाज-निष्ठा में से किसी अेक की ही विजय होने का अन्देधा नहीं रहेगा? अंसी हालत में तुम्हारे कबूतर-खाने में क्या होता है?

कम्बुप्रीच-कलबलराम भाभी, तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मालूम होता है तुम गुरगलों (गलगलों) में हमेशा आपस में लड़ाई होती रहती है। अिसीलिए तुम अिस बात के विषय में बचैचन हो। परन्तु गहराभी से जाँचोगे तो अितनी लडन्त-अिडन्त के बाद भी तुम्हारी समाज-निष्ठा बनी रहती है और घर भी चलता है। कोअी अनुभव का किस्सा लाओगे तो अुस पर फिर चर्चा करने को मैं तैयार हूँ।

सम्मादक भाभी, हमारी चर्चा अघूरी ही रह गयी। यह कोअी पूरी होनेवाली चर्चा थोड़े ही है? परन्तु अब अितना तो शायद आप भी वादा करेंगे कि आपने 'कबूतरखाना' शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया है अुस अर्थ में आयन्दा न करेंगे।

आज्ञाकारी—

कलबलराम

ग्राम-पंचायत का प्रश्न

[प्रभुदास गांधी]

ग्राम-संगठन या ग्रामसुधार की चर्चा जहाँ की जाती है वहाँ पंचायत के बारे में बहुत श्रद्धा और भक्ति दिखायी जाती है। युक्त प्रान्तीय ग्राम-सुधार का विराट आयोजन पंचायत की बुनियाद पर किया गया है। ग्रामसुधारक को आज्ञा दी जाती है कि वह ग्राम में जा कर सबसे पहिले अके पंचायत का संगठन करे। देहाती नेताओं के व्याख्यान भी ज्यादातर किसी विषय पर होते हैं। जब कि हम जनतंत्रात्मक राज्य के लिये जूझ रहे हैं और कॉंग्रेस का सारा विधान भी जनतंत्रात्मक है तब पंचायतों का “सौ मर्ज की अके दवा” समझा जाना स्वाभाविक भी है।

परन्तु सवाल यह है कि क्या अूपर से थोपी हुयी पंचायत गुलामी की घटाने के बदले बढा न देगी? बडे वटवृक्ष की शीतल छांह में गांववालों को और अुनके मबेसियों को बहुत आराम मिलेगा यह तथ्य की बात है। परन्तु कहीं से बरगद का सूखा ठूठ ला कर गाड़ देने से तो वह सुख नहीं मिलेगा? नयी पंचायतों के मार्फत ग्राम-सुधार, या समाज-सुधार, करने का अके मात्र तरीका जहाँ अमल में लाया जाता है; या अन्य सेवा-प्रवृत्तियों की बनिस्बत पंचायत-संगठन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ धीघ्र ही पंचायतें सुखदायी न हो कर दुःखदायी साबित होती हैं।

गांवों में दारिद्र्य के भीषण तांडव से भी अधिक बिकराल वह कुचक्र है जो गांव के बल-शाली गुट्टों के हाथों चलाया जाता है। पंचायत स्थापित होते ही अिन बलवान् गुट्टों के हाथ में संगठित ताकत आ जाती है। जैसे विविध किस्सों का बयान करने का यहां स्थान नहीं है। फिर भी संक्षेप में अितना कहना बस है कि

पंचायत के कानूनों का अमल गांव के सफेदपोशों की खुदगर्जी के हक में और दीन-दुखियों का कष्ट बढाने में होता है। यह सर्व-सामान्य अनुभव है।

फिर भी पंचायत के असूल पर कौबी कारिख नहीं पोती जा सकती। ‘पंच-परमेस्वर’ वाली मिसाल सिर्फ मिसाल ही नहीं; अके अमत्य सिद्धांत है। जरूरत अुसके सही प्रयोग की है। अमृत जैसा दूध भी गंदी आतों में पडने से हलाहल विष जैसा असर करता है। अुसी तरह गांव की शुद्धि के बिना पंचायतरूपी अमृत भी जहर के मानिन्द होना लाजिमी है। ग्राम-सुधार में—ग्रामसंगठन में—पंचायत का कार्यक्रम सबसे पहिले नहीं—सबसे अंत में होना चाहिये। ग्रामरूपी मंदिर का पंचायत सुवर्ण कलश है। मंदिर मजबूत और स्वच्छ बनाने के पहिले कलश की फिकर नहीं करनी चाहिये। जब कि गांव टूटा-फूटा हो, अुसके अिर्द-गिर्द घूरों का पर-कोटा हो, अुसकी गलियों में षुटने भर कीच की दलदल हो, और अुसके खेत में पैदा होनेवाला अन्न तथा कपास गांव में आने से पहिले ही मंडियों में चला जाता हो, तो वहाँ पंचायत का क्या काम?

घरेलू अुद्योग-बंधे, स्वच्छ खान-पान, अपने गांव के बने कपडे की सब के शरीरों में पर्याप्त गरमी, अच्छा साहित्य लिखन-पढने और अमल मे लाने की आदत और पडोसी को सहायता करने की तत्परता, जब गांव में प्रकट होगी; तब पंचायत का जो कलश चढाया जायगा वही गांव की शोभा बढायेगा। “पहिले पंचायत बाद में ग्राम-पुननिर्माण” का सूत्र बदल कर ‘पहिले सेवा और अंत में ग्रामपंचायत’ के सूत्र को अपना लक्ष्य बनाना हमारे लिये मुत्वकर और श्रेयस्कर होगा।

क्रान्ति के प्रतीक की स्वतंत्र प्रतिष्ठा

[दादा धर्माधिकारी]

कभी क्रान्तिवादी युवक आज यह व्यंग-पूर्ण सवाल पूछते हुये पाये जाते हैं कि 'चरखे का क्रान्ति से क्या संबंध हो सकता है ?'

यह सवाल पूछनेवाले नवयुवकों के दो वर्ग हैं :—

अंक वे जिन्हें हम "ठप्पेवाले" क्रान्तिवादी कह सकते हैं। खादी पर तरह तरह के बेलबूटे छापने के लिये कुछ ठप्पे काम में लाये जाते हैं। उन ठप्पों को रंग में डुबो कर खादी पर छाप देने से काम चल जाता है। उसी तरह अिन लोगों के दिमाग में क्रान्ति की प्रणाली के कुछ ठप्पे हैं। उन्हें वे हिन्दुस्तान पर लगा कर क्रान्ति करना चाहते हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि मेरा मतलब समझदार समाजवादियों से नहीं है।

दूसरे वे हैं जो यह समझते हैं कि इतिहास केवल एक टकसाली घटनाओं की शृंखला है। पूर्वघटित घटनाओं की पुनरावृत्ति को ही वे देश की परंपरा और इतिहास मानते हैं। जिसलिये वे गेरुअे या भगवें वस्त्र का संन्यास से रिश्ता फोरन समझ और मान सकते हैं। उसे हिन्दू संस्कृति का प्रतीक भी मान सकते हैं। "कसरिया बाना" वीरवृत्ति का चिन्ह मान सकते हैं। खाकी पोशाक में सिपाहियत का दर्शन कर सकते हैं। चांद और हरे रंग में अिसलाम के सिद्धान्तों का साक्षात्कार कर सकते हैं। परन्तु खादी या चरखे में क्रान्ति नहीं देख सकते। उनका चरमा कुछ जैसे पत्थर का बना है जिस से भूतकाल तो नजर आता है परन्तु भविष्य दिखायी ही नहीं देता। कुछ लोगों को रतौधी हो जाती है। यह भविष्यान्धत्व भी अंक जैसा ही मजं है।

मैंने अपने अंक ठप्पेवाले मित्र से पूछा, "आप यह तो मानते हैं कि हँसिये और हथौडे का क्रान्ति से अनिष्ट संबंध है ? आप के साल झंडे पर हँसिये और हथौडे का चिन्ह तो अवश्य होता ही है।"

अुसने तुरन्त जवाब दिया; "वह तो महज अंक प्रतीक है। वह अिस का द्योतक है कि हम किस प्रकार की क्रान्ति चाहते हैं। हमारी क्रान्ति का लक्ष्य अुत्पादक शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना है।"

मैं—तो फिर क्या चरखा भी अुत्पादक शरीर-श्रम का अुपकरण नहीं है ?

मेरा मित्र—है क्यों नहीं ? लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि वह क्रान्ति का केवल अंक अुपलक्षण है। क्रान्ति का वह साक्षात् साधन नहीं है। क्रान्ति तो अन्य साधनों से करनी पड़ेगी। अिसीलिये हम सब लोगों से यह नहीं कहते कि तुम हँसिया और हथौडा चलाओ। हँसिये और हथौडे को हमने यज्ञकर्म का अुपकरण नहीं बना रखा है। यह रहस्यवाद आप ही को मुबारक हो। आप तो बुद्धि के पीछे लठ ले कर दौड़ना ही सीखे हैं।

मैं—आप अितना तो मानते हैं कि समाज के प्रचलित मूल्यों को हम बिलकुल बदल देना चाहते हैं; और अुनकी जगह जैसे नये मूल्य कायम करना चाहते हैं जो हमारी क्रान्ति के अुद्देश्य के अुतक होंगे ? आज सम्पत्ति का प्रतीक सिक्का माना जाता है। वर असल तो वह अंक विनिमय का सुविधा-जनक साधन-मात्र है। न तो वह सम्पत्ति है; न सम्पत्ति का साधन। सम्पत्ति का साधन तो प्रत्यक्ष

अुत्पादक परिश्रम ही है। जिसीलिये आप अुसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना अपना फर्ज मानते हैं। हैंसिया और हथौडा अुत्पादक अुद्योग के अुपकरण हैं। जिसीलिये आप अुनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहते हैं। तब यह बतलाविये कि चरखे को, जो यहां को जनता के लिये सर्व-मुलम अुद्योग है, जिस मूल्य-परिवर्तन का चिन्ह मानने में क्या हर्ज है ? मेरा मित्र—यह तो हम भी मानते हैं कि चरखा जिस मूल्य-परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। जिसीलिये हमने अपने राष्ट्रीय झंडे पर अुसका चित्र रक्खा है। जिससे ज्यादा हम अुसकी अिज्जत क्या कर सकते थे ? लेकिन तुम तो अुसे क्रान्ति का ही साधन बनाने जा रहे हो। चरखे से क्रान्ति कैसे होगी ? क्रान्ति तो प्रत्यक्ष प्रतिकार से ही होगी, न कि किसी अुत्पादक परिश्रम के जरिये।

मैं—अच्छा तो जिस प्रत्यक्ष प्रतिकार की पद्धति कैसी होगी : हिंसक या अहिंसक ?

मेरा मित्र—जहां तक हो सके अहिंसक, और अगर अहिंसा से काम न बना तो हिंसक।

मैं—तो क्या मैं आपके कथन का यह मतलब समझू कि दुनिया की सारी चीजों की प्रतिष्ठा तलवार पर निर्भर है ? क्या आप संसार को यह पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि तलवार ही अेक-मात्र स्वयं-प्रतिष्ठित मूल्य है और अन्य सब मूल्य अुसके अधीन हैं ? तब तो यह कहना होगा कि आप संसार में पशुबल की प्रतिष्ठा को चिरस्थायी करने आये हैं; न कि अुत्पादक अुद्योग की प्रतिष्ठा कायम करने।

मेरा मित्र—हम विवश हैं। हम न तो अहिंसा के पुजारी हैं और न तलवार पर आशिक हैं। हम तो बुद्धिवादी और वस्तुवादी हैं। हम संसार में मनुष्यता की प्रतिष्ठा कायम करने के लिये कटिबद्ध हैं।

मैं—लेकिन आप यह कैसे मान सकते हैं कि मनुष्यता की प्रतिष्ठा तलवार पर निर्भर है। तब तो प्रतिष्ठा तलवार की है; न कि मनुष्य की।”

मैं जिस बातलाप को यहीं खत्म करता हूँ।

मेरा मतलब अितना ही है कि हम जिस विशेष मूल्य की प्रतिष्ठा द्वारा क्रान्ति करना चाहते हैं वह मूल्य गीण या परतंत्र नहीं माना जा सकता। अुसकी प्रतिष्ठा किसी दीगर मूल्य पर अवलंबित नहीं रहनी चाहिये।

आखिर, फैसिज्म और क्रान्तिवाद में सब से बड़ा भेद तो यही है कि फैसिज्म युद्धवाद तथा तलवार की प्रतिष्ठा का अभिभावक है और क्रान्तिवाद अुसका शीघ्रातिशीघ्र अन्त कर देना चाहता है। जिसलिये हमें अैसे ही साधनों और अुपकरणों से काम लेना चाहिये जो तलवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के बदले अुसे नष्ट करने में सहायक हों।

मनुष्यता की प्रतिष्ठा का अन्तिम आधार अुसका आत्मबल ही हो सकता है। समाजो-पयोगी शरीरश्रम अुस आत्मबल का अेक व्यक्त रूप है। जिसलिये हमें हैंसिया-हथौडे या चरखे को तलवार का आश्रित या टहलुआ कदापि नहीं बनाना चाहिये।

जिनके झंडे पर हैंसिये और हथौडे का चित्र होते दूअे भी जो क्रान्ति के लिये तलवार की जरूरत महसूस करते हैं अुनकी बुद्धि अभी तलवार की शक्ति से प्रभावित है। तब तक वे विशुद्ध बुद्धिवादी भी नहीं कहला सकते। वे खड्गावलंबी बुद्धिवादी हैं। अभी विशुद्ध बुद्धिवाद के अेक कदम पीछे हैं।

अब रहा यह सवाल कि “खादी या चरखा क्रान्ति के प्रतीक भले ही माने जायें; लेकिन यह आयह किसलिये कि हर अेक को खादी

पहननी ही चाहिये और चरखा चलाना ही चाहिये ? यह तो फिर वही पुराने कर्मजड मीमांसकों का कर्मकाण्ड आ गया। पुराने मीमांसक पात्र-प्रोक्षण से ले कर सोमयाग तक हर अंक क्रिया का संबंध स्वर्ग से लगा देते थे। अंसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है।”

जिसके अन्तर में अितना ही निवेदन है कि प्रतीक भी दो प्रकार के होते हैं: अंक केवल प्रतिमात्मक और दूसरा क्रियात्मक। प्रतीक के पीछे जो भावना होती है उसपर उसकी परिणामकारिता निर्भर है। वह भावना जायत रखने के लिये उस प्रतीक से प्रत्यक्ष संबंध रखनेवाली किसी नियमित क्रिया की जरूरत होती है।

कातने की क्रिया में ये दोनों गुण मौजूद हैं। उत्पादक अुद्योग का वह प्रतीक भी है और अभ्यास भी। ‘असकृत् आवृत्तिः अभ्यासः’— ‘अभ्यास का अर्थ है बार बार उसी क्रिया को दोहराना’। अगर हमें तलवार की प्रतिष्ठा बढ़ानी होती तो हम हिंसक प्रतिकार की ‘असकृत् आवृत्ति’ याने, ‘कवायत’ करते। परन्तु हमें तो उत्पादक अुद्योग की प्रतिष्ठा कायम करनी है। जिस लिये हम उस अुद्योग की ‘अस-

कृत् आवृत्ति,’ या अभ्यास, करेंगे। यही है अहिंसक युद्ध की कवायत। जिसलिये जब गांधीजी कहते हैं कि चरखा चलाना अहिंसक लड़ाई की तैयारी है, तो वे कौमी बिलकुल ही भूल-जबूल प्रलाप नहीं करते।

जो लोग भगवे वल को धर्म या संस्कृति का प्रतीक मानते हैं; या जो हरे रंग और चांद को धर्म का प्रतीक मानते हैं; वे भी तलवार को धर्म का संरक्षक मानते हैं। अुनके मत में भी धर्म की कौमी स्वतंत्र प्रतिष्ठा या शक्ति नहीं है। अुनका धर्म भी पर-प्रतिष्ठित हो है। धर्म की अपेक्षा तलवार में अुनका विश्वास अधिक है। क्या यह धर्म का अपमान नहीं है ? जिससे बढ़ कर नास्तिकता और क्या हो सकती है ?

‘ठप्पेवाले’ क्रान्तिवादी और परंपरा-परायण युद्धवादी ने जिस प्रश्न का मूलग्राही विचार नहीं किया है। जिसलिये वे यह स्पष्ट बात भी नहीं देख सकते कि क्रान्ति का प्रतीक अुसके सिद्धान्तों के और लक्ष्य के अनुरूप ही होना चाहिये; और प्रतीक अगर क्रियात्मक न होगा तो अुसकी मूलभूत भावना जीवित नहीं रह सकेगी।

अन्तस्तल की टेर

मनुष्य की सब से श्रेष्ठ प्रार्थना यह है कि वह असत्य से सत्य की ओर बढ़े, अंधेरे से अुजले की दिशा में अग्रसर हो, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ पग बढ़ावे। यह दुर्बलों के अपयुक्त प्रार्थना नहीं है। वह तो मनुष्य के परम कल्याण का आव्हान है। वह अुसे कष्ट और वेदनाओं में से पूर्णता की ओर पुकार रहा है। वह मनुष्य की अन्तरात्मा में से रूढ़ की स्फूर्ति व्यक्त करता है और अुसे सत्य के बिकट मार्ग पर आरूढ़ करता है।

मॉडर्न रिव्यू
जनवरी, १९४०

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

नवयुग निर्माण में स्त्रियों का स्थान

[ताराचहन मोडक]

जिस संकुचित वातावरण में रह कर स्त्रियाँ स्वयं संकुचित विचारोंवाली बन गयी थीं और जिस वातावरण के कारण पुरुषों के अन्दर भी स्त्रियों के बारे में संकुचित विचार पैदा हो गये थे, अतः सबको मिटा कर आज सुघरे हुए संसार में यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि स्त्री और पुरुष दोनों मानव समाज के दो अंग हैं, जिन पर समाज की समान जिम्मेदारी है। जिस प्रकार संसार में स्त्रियों के जो आन्दोलन चले, अन्होंने समाज में स्त्रियों के अधिकारों को स्थापित करने का बहुत बड़ा काम किया है।

अब हमें जिससे भी आगे बढ़ कर आगे काम करना है। मनुष्य-जीवन में स्त्री की जो जिम्मेदारियाँ हैं अतः अन्होंने अंगीकार करके हमें स्त्रियों की ओरसे अपना विशिष्ट भाग प्रदान करना है। अब तक गृह-जीवन स्त्रियों के हाथ में था और बाहर का सारा व्यवहार पुरुषों के हाथ में था। जिसके दो परिणाम स्पष्ट रूप से आज हमारे सामने हैं। अक तो यह कि आज समाज में पुरुषों के सभी व्यवहारों को अक प्रकार की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा प्राप्त है; और स्त्रियों के काम को जनाना समझ कर अन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। आज भी कहीं बाहर जा कर काम करने में स्त्रियाँ विशेष गौरव का अनुभव करती हैं; जब कि घर में रहनेवाली और घर सम्हालने वाली बहनें अपने मन में यही समझती हैं कि हम कुछ नहीं करती, और हमारा जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है।

दूसरा परिणाम यह हुआ है कि बाहर के सब व्यवहारों पर पुरुषों की छाप पड़ी हुयी है। आज हम जिस जगत् में रह रहे हैं, वह आदि

से अन्त तक पुरुषों की सृष्टि है। व्यापार, व्यवहार, कानून-कायदा, राजनीति, धर्मनीति, अद्योगधन्धे, सभी कुछ पुरुषों के बनाये हुये हैं। स्त्रियाँ आज जिन कामों में कितना ही भाग क्यों न लें तब भी वे पुरुष बन कर यानी पुरुषों द्वारा ठहराये हुये तरीके से, अतः अन्होंने द्वारा विकसित की गयी पद्धति से ही, अतः सब कामों को करती हैं। स्त्रियाँ आज कितनी ही आगे क्यों न बढ़ जायें, कितने ही विभिन्न क्षेत्रों को क्यों न पादाक्रान्त कर लें और पुरुषों की बराबरी करने का कितना ही आत्मसंतोष क्यों न अनुभव करें—तथापि आखिरकार अन्होंने रहना तो असी दुनिया में है, जिसका विधाता पुरुष है। आज स्त्रियाँ पुरुषों जैसी, यानी अतः अन्होंने समता करनेवाली भले बन गयी हों, परंतु पुरुषों की बराबरी करने का जो प्रयत्न अतः अन्होंने तरफ से हो रहा है, वह अतः अन्होंने हीन वृत्ति का ही सूचक है। जो लोग यह समझते हैं कि हम यूरोपियनों के समान नहीं हैं, वे हमेशा अतः अन्होंने दुःख को अपना साथ लिये फिरते हैं और रहनसहन, खान-पान, आदि हर अक बात में अतः अन्होंने अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। जो लघुता-ग्रंथी जिन लोगों में पायी जाती है, अतः अन्होंने शिकार हमारी बहुत-सी बहनें भी हैं। तात्पर्य यह है कि स्त्री को स्त्री के रूप में मानव समाज के अन्दर अपना विशिष्ट स्थान बना लेना है। यह काम वह किस प्रकार से कर सकती है ?

जो काम स्त्रियों को कुदरत की ओर से सौंपा गया है और जिसे वे भलीभाँति कर सकती हैं अतः अन्होंने बाल-संगीपन और बाल-शिक्षा के काम को यदि वे पूरी तरह सम्हाल लें, तो

वे अकेले बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सम्हाल लेंगी।

स्त्रियाँ कह सकती हैं कि जिसमें आपने नयी बात क्या कही? आज न जाने कितने युगों से हम घर की और बच्चों की ही गुलामी करती आयी हैं और रात दिन अन्हूँका पाखाना-पेशाब बुठाती रहती हैं; फिर अुसीको करने में विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो भावना की है। बहनों को समझना चाहिये कि यह काम सिर पर आ कर पड़ा हुआ कोभी बोझ नहीं है, और पुरुष जितने भी काम करते हैं उनमें से किसी से किसी प्रकार हलका नहीं है। जिस भावना से यदि हम अिन कामों को करें तो अिनमें हम रस की घूँट पी सकते हैं। जिसमें संदेह नहीं कि भावना के रंग से रंग कर हमारे सब काम अधिक सजीव और प्रकाशित हो अुठेंगे।

दूसरी विशेषता है अुन्हीं कामों को करने के तरीकों की। परंपरागत तरीकों से बच्चों की परवरिश करना अकेले बात है, और जिस संबंध के शास्त्रों का अध्ययन करके स्वयंप्रयोगों द्वारा अुन तरीकों में अुन्नति करना दूसरी बात है। यदि स्त्रियाँ बाल-संगोपन संबंधी शास्त्रों का अध्ययन करें, गहराअी के साथ अिन विषयों का चिन्तन और मनन करें, और जिस प्रकार अपने अनुभवों और विचारों की भेट समाज के चरणों में चढ़ाती रहें तो यह काम आज जितना हीन और गौण माना जाता है, अुतना न स्वयं स्त्रियों को ही हीन और गौण मालूम होगा, और न पुरुषों को ही गौण लगेगा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। अकेले आअी० सी० अेस्० सज्जन मनुष्यसे आकर मिले और मेरे साथ बच्चों के संबंध में थोड़ी बातचीत करने लगे। अुनकी शिष्यता धर्मपत्नी भी जिस बातचीत में हमारे साथ बराबरी से भाग ले रही थीं। दोनों बड़ी

गंभीरता के साथ बाल-मनोविकास की चर्चा कर रहे थे। जिसी बीच मेरे मन में यह विचार आया कि अिन आअी० सी० अेस्० महींदय की अपने ऑफिस का काम अपनी पत्नी के बाल-संगोपन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और अधिक महत्त्व का मालूम होता है। जो मनःस्थिति अिन आअी० सी० अेस्० सज्जन की थी, वही प्रायः सब पुरुषों की जिस संबंध में हो सकती है; परंतु यदि प्रत्येक स्त्री जिस विषय का शास्त्रीय अध्ययन करे और शास्त्रीय दृष्टि से सब बातों का विचार करके अुनको अपने आचरण में अुतारने लगे, तो पुरुषों की यह दृष्टि बदल सकती है।

तात्पर्य यह कि यदि हमारी बहनें बाल-मनो-विज्ञान, बाल-शिक्षाशास्त्र, बाल-शरीर और बाल-मानस के विकास का और अैसे अन्य विषयों का गंभीर अध्ययन करके तदनुसार जिस दिशा में भलीभांति काम करने लगे तो पुरुषों के दिल में कभी यह खयाल अुठेगा ही नहीं कि अुकी स्त्रियाँ अुनकी तरह बाहर जा कर नौकरी नहीं करतीं, जिसलिअे वे कोभी कम महत्त्व का काम करती हैं। मराठी में अकेले कहावत है कि—“जिअ्या हातांत पाळण्याचीं दोरी ती जगास अुद्धारी,” यानी जिसके हाथ में पालने की डोरी है वही संसार की अुद्धारकर्त्री भी है। यह कहावत आज या तो केवल लेखों और निबंधों में प्रयुक्त होती है अथवा मातृदिन के अुत्सव पर दोहरा दी जाती है। पर यदि बहनें मन में धार लें तो कल यही चीज पूरे अर्थों में सत्य और सार्थक हो सकती है।

दूसरी बात में यह कहना चाहती हूँ कि संसार के मानवी व्यवहारों में स्त्री को स्त्री के नाते अैसे परिवर्तन करना चाहिये जो अुसके विचारों और वृत्ति के अनुकूल हो। आजकल जिस तरह का व्यवहार देस देस और जाति जाति के बीच

में हो रहा है अस्समें कभी प्रकार का जंगलीवन भरा हुआ है; पशुता भी है; हृदय-शून्यता और क्षमानुषता भी है। पुरुषों की जिस दुनिया में वह एक सामान्य धारणा बनी हुयी है कि जहां जहां व्यवहार का संबंध आता है, वहां वहां अस्सकी नींव असत्य पर ही बनी होनी चाहिये। मनुष्य को दुनिया में यही सोच कर चलना चाहिये कि यहां जो कुछ है सो बुरा ही बुरा है। जिसने हक या अधिकार पाने हैं, वे सब लड़-झगड़ कर ही पाने हैं। ये और जैसे अन्य अनक अलिखित नियम आज मनुष्यों के आपसी व्यवहार में प्रचलित हैं।

में मानती हूं कि यदि स्त्रियां पुरुषों का अनुकरण करना छोड़ दें और जो कुछ उनके मन को अच्छा जैसे वैसा ही करने लगे, तो मनुष्यों के व्यवहार में वे बहुत कुछ परिवर्तन कर सकती हैं और अस्सको अभीष्ट रूप भी वे सकती हैं। जिसमें शक नहीं कि जो संस्कार पीढ़ियों और सदियों पुराने हैं, उनके दूर होने या बदलने में भी काफी समय लगेगा। फिर भी, दुनिया में ऐसी कोजी चीज नहीं, जो असम्भव हो। आजकल की स्त्री दो रोगों से ग्रस्त है। एक रोग तो यह है कि वह चाहे या न चाहे तो भी अस्सका मन यह मानना चाहता है कि पुरुष जो कहता है वही ठीक है। पुरुषों के ठहराये हुअे नीति नियम, अस्सके बनाये हुअे विधि-विधान, अस्सके तैयार किये हुअे कानून-कायदे और अस्सके द्वारा प्रचारित रीति-रिवाज, जो कुछ भी है सो सब अस्सको सोलहों आने ठीक मालूम होते हैं। किसी स्त्री का भाषण सुन कर स्त्रियां यदि अस्सके विचार ठीक हुअे तो अस्से ठीक कहती हैं, अन्यथा साफ साफ कह देती हैं कि भाषण में धरा क्या था? योही कुछ अडबड बक गयी! अपनी समझ में न तो कोजी बात आधी और न जैसी। परन्तु जब

वे ही बातें किसी पुरुष के व्याख्यान में सुनती हैं, तो अस्सका झुकाव अस्स बातों को सब मानने की तरफ ही ज्यादा होता है। जिसीको में लघुता-ग्रंथी (अस्सफीरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स) कहती हूं। जिसी कारण आज स्त्रियां स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने की हिम्मत नहीं कर पातीं। वे पुरुषों की बराबरी का दावा तो करना चाहती हैं, परन्तु आचार, व्यवहार और विचार में वे प्रायः पुरुषों की ही जूठन से काम लेती हैं। दूसरे शब्दों में यद्यपि बाह्यतः वे पुरुषों के स्वामित्व को मानने से अस्सकार करती हैं, तथापि अस्सकी बीधक गुलामी से अपने को छुड़ा नहीं पातीं।

स्त्री का दूसरा रोग है तंगदिली अर्थात् हृदय की संकुचितता। आज स्त्री महान् बातों का अतनी ही महानता के साथ विचार नहीं कर पाती। अस्सके लिये यह बहुत जरूरी है कि वह अपने हृदय को विशाल बनावे और दुनिया को विशाल दृष्टि से देखे।

आज स्त्रियों में पारस्परिक निन्दा का, असहिष्णुता का, असहानुभति का और जिसी तरह के अन्य 'स्त्री सुख' दूषणों का जो बाहुल्य पाया जाता है अस्सकी जड़ में ये दो रोग रहे हुअे हैं और ये सब दोष अस्सके जिसी रोगी मन के परिणाम अथवा चिन्ह हैं।

हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि स्त्री को यह रोग घर की चहारदीवारी के अन्दर बन्द रहने के कारण ही लगा है। गृहिणी और माता के रूप में अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन करना मानव हित की दृष्टि से स्त्री का सबसे बड़ा काम है। जिस तथ्य को समझ कर जिस दिन स्त्रियां पुनः जिस ओर झुकेंगी अस्स दिन अस्समें खास तौर पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि वे भविष्य में कभी अपने को संकुचित

बातावरण में रख कर तंग और संकुचित बनने से यत्नपूर्वक बचायेंगी। अर्थात् अनुको यह बात सदा ध्यान में रखनी होगी कि वे स्वयं भी देश की नागरिक हैं, समाज का अंग हैं और मातृ-भूमि की सन्तान हैं। अतएव जिन सब नातों से भी अनुके अपने कुछ कर्तव्य हैं ही, जिनको भी अनुके अपने कुछ कर्तव्य हैं ही, जिनको भूल जाना कभी हितकारक नहीं हो सकता। जिस दिशा में वे प्रत्यक्ष कुछ काम न कर सकें, तब भी जैसे प्रश्नों पर सोचते रहना और

अनुके संबंध की आवश्यक जानकारी प्राप्त करते रहना बहुत जरूरी है।

अिसी तरह जब जब अवसर मिले लोक-हित का कुछ न कुछ काम घर से बाहर निकल कर करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर सेते रहना भी अनुके लिये अच्छा है।

(ता० ११-२-४० को महिला आश्रम, वर्षा, के चतुर्थ वार्षिकोत्सव के अवसर पर दिये हुअे भाषण से।)

ब्रिटिश राज्य की दी हुअी अेकता

ब्रिटिश अंमलदारी में अब तक हमें संपुक्त शासन मिला है, परन्तु संयुक्त दायित्व नहीं मिला—अिसीलिये हमारा मिलन बाहरी है। अंसा मिलन हमें निकट नहीं लाता, वह केवल हमें समानान्तर रखता है। अिसलिये जरासा धक्का लगते ही हम अेक दूसरे से टकराने लगते हैं। वह अेक जड़ और निर्जीव सान्निध्य है, सजीव और सक्रिय मिलन नहीं है। वह अेक ही फर्श पर सोये हुअे दो आदमियों की निकटता है; न कि अेक ही रास्ते पर चलनेवाले दो जाग्रत सहयात्रियों का सह-प्रवास। अुसमें अंसा कुछ भी नहीं जिसपर हमें गौरव और आनंद हो। हम अितने पतित भले ही हो जावें कि अुसके लिये धन्यवाद दें, लेकिन अुसके बल हमारा अुत्थान नहीं हो सकता।

‘मॉडर्न रिव्यू’
जनवरी, १९४० }

—रबीन्द्रनाथ ठाकुर

सर्वोदय की दृष्टि

राजसत्ता का आधार

हिन्दुस्तान की सैर करने के लिये आये हुए किसी विदेशी यात्री से पूछा गया कि जिस देश में वे क्या देखने आये? जवाब मिला— 'ताजमहल और गांधी'। भारत अद्भुत वस्तुओं का एक अप्रतिम भंडार है। जितने आश्चर्य जिस देश में पाये जाते हैं उतने दुनिया में शायद ही और कहीं हों। 'ताजमहल' दुनिया की आठवीं अद्भुत वस्तु मानी जाती है। गांधी लो, खैर, अद्वितीय हैं ही।

लेकिन जिसके आँखें हों उसे जिस देश में और भी कभी आश्चर्य दिखायी देंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि अितना बड़ा गुलाम-खाना यही अंक है। दुनिया के पर्दे पर 'भारत में अंग्रेजी राज' सबसे बड़ा आश्चर्य है।

जिस महाम् चमत्कार के पीछे और भी अनेक आश्चर्य हैं जिनकी बदौलत वह शक्य हुआ है। जैसे धर्मध्वजी जो धर्म की रक्षा के लिये अपनी गुलामी की जंजीरों को मजबूत करना चाहते हैं और कहाँ पायिये? जैसे स्वदेशाभिमानियों जो अपने देशबंधुओं से डरते हैं और अनसे अपनी रक्षा करने के लिये विदेशी सत्ता का सहारा लेते हैं, दुनिया में और कहाँ है?

जिस देश में जैसे अनेक चमत्कार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बिलकुल सा-सानी हैं। अन्हींमें से एक यह भी है कि जिस देश में जैसे राजा हैं जो अपनी प्रजा को अपना दुश्मन समझते हैं; और विदेशी सत्ता से संरक्षण का आश्वासन चाहते हैं।

एक जमाना था जब राजा को गाय की और प्रजा को बत्स की अपुमा दी जाती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब तो राजा अपने

और प्रजा के हित में विरोध देखता है और सार्वभौम सत्ता से यह आश्वासन चाहता है कि जिस विरोध को बनाये रखने में वह हर तरह उसकी मदद करेगी।

गांधीजी राजा लोगों से कहते हैं, "आजिये, आप रियासती जनता के प्रतिनिधि बन कर आजिये। हम आप एक साथ बैठ कर देश के लिये एक अच्छा विधान बना लें। आपकी प्रजा आनन्दित होगी और आपका भी संतोष बढ़ेगा।"

लेकिन राजा लोग समझते हैं कि "यह कैसी हिमाकत है? हम अपनी प्रजा के प्रतिनिधि?—असके सेवक? यह तो हमारा घोर अपमान है। गांधीजी कहते तो हैं अपने आपको राजाओं का मित्र लेकिन जिस तरह हमारा गला काटने पर आमावा है।"

हमारे यहाँ के राजा लोग जिस युग में नहीं रहते। वे नहीं जानते कि अब राजसत्ता के दिन लद गये हैं। यह तो लोकसत्ता का, प्रातिनिधिक शासन का, जमाना है। जब भारत सुखी और सम्पन्न था उस युग में भी राजा अपनी प्रजा का अप्रत्यक्ष और स्वयंनियुक्त प्रतिनिधि होता था। प्रजा की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुमति से ही वह राज करता था। 'लोकाराधन' के लिये प्राणों से प्यारी और विश्वमान्य जानकी को भी छोड़ने के लिये तैयार हो जाता था। क्या आज के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा अन्हींके वंशज नहीं हैं?

पुराने जमाने में राजा विष्णु का अंश माना जाता था। उसकी सत्ता अश्वरवत्त मानी जाती थी। लेकिन 'विष्णु' अपनी अनुमति किसके द्वारा देता है? हमारे यहाँ एक

पुरानी धारणा है कि अग्नि देवों का मुख है। इसीलिये वह 'दुताशन' कहलाता है। दूसरी यह भी धारणा है कि ब्राह्मण—याने अपरिग्रही, निःस्पृह और अकेनिष्ठ समाजसेवक—भी देवों का मुख है। अुसी तरह परमात्मा विश्वात्मा के रूप में अपनी अनुमति देता है।

“जो पांच हिं मन छागै नीका।

करहुं हरषि हिय राम हि टीका ॥”

लैटिन में भी एक कहावत है,—“जनता की आवाज परमात्मा की आवाज है।” जनता की अनुमति से जिसे राजपद प्राप्त होता है वही विष्णु का अंश है। केवल दक्षिणार्थी और मिष्टान्नप्रिय ब्राह्मण अीश्वर का मुख नहीं है। वे शहरों और गांवों को वीरान करनेवाले नरभक्षक बकासुर के मुख है। अुसी तरह जनता-जनार्दन का जो प्रतिनिधि नहीं है वह विष्णु का भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

अिस दृष्टि से जनता का प्रतिनिधि बनने में राजा लोगों को अपनी हेठी नहीं समझनी चाहिये; बल्कि अपना गौरव और प्रतिष्ठा समझनी चाहिये। जो राजत्व जनता की अनुमति और सन्तोष पर स्थित है वह सुप्रतिष्ठित और सुरक्षित है। जनता का मुख ही अुसकी अविर्कंपनीय भित्ति है और संतुष्ट जनता का प्रेम ही अुसका सर्वश्रेष्ठ बल। फिर अुसे किसी बाह्य आश्वासन की जरूरत नहीं रह जाती। प्रजा का सहयोग ही अुसके लिये सुरक्षा का पर्याप्त आश्वासन है।

जब सर सी. पी. रामस्वामी अय्यर जैसे विधान-संघित भी यह कहते पाये जाते हैं कि “अगर ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता अधिकारन्यास कर दे तो भारतीय रियासतों की फिर बह्नी स्थिति रहेगी जो ब्रिटिशों के साथ संधि होने से पहले थी;” तब तो हमारे आश्चर्य का

ठिकाना नहीं रह जाता। ब्रिटिश सरकार से सन्धि करने की अपेक्षा भारतीय जनता के साथ सन्धि करना क्या अितना अपमानजनक है? जिनके दिल में जनता के प्रति अितना अनादर है वे अिस युग के लोक-प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? अुनका राजत्व तथा का महत्त्व है जो पवन के हलके-से झोके से उड़ सकता है।

जिस अंग्लैंड के सिंहासन के प्रति हमारे राजालोग अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं वह सिंहासन अपनी सत्ता लोकप्रतिनिधियों की राय से नियंत्रित मानता है। लोकसत्ता की मर्यादा में रहने में वह अपनी शान और गौरव समझता है। क्या हमारे राजाओं को भी अपनी प्रजा के वास्तविक प्रतिनिधि बनने में अपने आपको गौरवान्वित और महिमान्वित नहीं मानना चाहिये? क्या अुन्होंने ब्रिटिश सम्राट से संधि इसीलिये की थी कि अुन्हें अनियंत्रित सत्ता के अुपयोग की सनद मिले? क्या अपनी प्रजा के और अपने हित में विरोध स्वीकार करना लज्जा-जनक नहीं है?

ये प्रश्न हैं जिनका हमारे देशी नरेशों को गंभीरता से विचार करना चाहिये। सामंतशाही और महाजनशाही का युग अब समाप्त हो रहा है। लेकिन जो शासन के क्षेत्र को भी जनता की सेवा का अेक महत्त्वपूर्ण साधन मानते हैं अुनका स्थान सदा रहेगा। जनता अपनी आंखें विच्छा कर अुनका स्वागत करेगी। अुन्हें यह कदापि नहीं भूलना चाहिये कि राजकीय अधिकार—बल्कि सारी राजनैतिक सत्ता—की बुनियाद जनमत है।

अिसलिये अुन्हें गांधीजी की निम्न सूचना पर बड़ी तत्परता से अमल करना चाहिये:—

“जहां तक देशी राजाओं का तालुक है, वे भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक भाग्य का निर्णय करनेवाली अिस राष्ट्रीय पंचायत में शामिल हो

सकते हैं। मगर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं; बल्कि अपनी जनता के प्रतिनिधियों की हैसियत से। मांडलिक राजाओं के नाते वे ब्रिटिश ताज के बड़े आश्रित हैं। मैं तो समझता हूँ कि ब्रिटिश ताज से पूषक़् अूनकी कोशी सत्ता नहीं है; कम से कम अूससे श्रेष्ठ प्रतिष्ठा तो नहीं है: ब्रिटिश सम्राट की आज सारे भारतभरष में जो सत्ता है अूसे यदि वह छोड दे तो स्वाभाविक रूप से देशी राजाओं को भी अपनी सत्ता छोडना पडेगी। अुन्हें भारत की जनता की ओर देखने में गर्व होना चाहिये। आशा है कि हिन्दुस्तान की मूक और प्रतिनिधिरहित जनता की ओर से जो मांग में कर रहा हूँ वह बेजा नहीं समझी जायगी।”

अुन्हें राजाओं के अेक दूसरे आदरणीय और शान्त मित्र माननीय श्रीनिवास शास्त्री ने अुन्हें निम्न संयत शब्दों में गंभीर चेतावनी दी थी:—

“कलकत्ते में मंने अपना अंदेशा प्रकट किया था और यहां में अूसे दोहरता हूँ कि वे अूस परिणाम से बचने की कोशिश करें जो शायद अुन्हें भुगतना पडे—अूस परिणाम से जो अुन लोगों की भुगतना पडेगा जो हिन्दुस्तान के अपनी ध्येय की ओर प्रगति के रास्ते में रोडों के समान अपना अुपयोग होने देंगे। आज वे सुरक्षित भले ही हों। लेकिन वह दिन आने ही वाला है जब भारत पूर्णरूप से जाग्रत होगा, अपने अिच्छा पर अमल करने में और अिन लोगों ने अूसकी ध्येय-प्राप्ति में मदद करने के बजाय अूसके रास्ते में बाधाये अुपस्थित कीं अुनके प्रति यथोचित् व्यवहार करने में समर्थ होगा।”

यह किसी बियडे दिमागवाले क्रान्तिकारी

की धमकी नहीं है। अेक शान्त और गंभीर प्रकृतिवाले समयज्ञ और व्यवहारपटु राजनीतिज्ञ की सात्त्विक चेतावनी है।

दा० ध०

देशी राजा दूरदर्शी बनें

मनुष्यमात्र का स्वभाव यमराज अच्छी तरह से जानते है। कुमार नचिकेतस् से अपने वार्तालाप में यमराज कहते हैं कि विघाता ने मनुष्य की खोपडी में अँख, कान आदि बाहर की ओर खुलनेवाली खिडकियां बनायीं। जिस-लिअे मनुष्य बाहर की बातें देखता है और बाहर की ही बातें सुनता है, अंतर्मुख नहीं होता। अंसे बुद्धिमान लोग बिरले ही होते हैं जो अपनी बाहरी अँखें मूंद कर अंदर देखते हैं और चैतन्य को पहचान कर अमर हो जाते हैं।

मनुष्य अंतर्मुख भले ही न हो; किन्तु अुसे भविष्य की ओर तो देखना ही चाहिये। क्योंकि विघाता ने मनुष्य को अँखें आगे की ओर दी हैं, न कि पीछे की ओर। कहा जाता है कि भूत की खोपडी में अँखे पीछे की ओर होती हैं और अूसके पैर भी अुलटे होते हैं।

जो लोग अपने भूतकाल का ही स्मरण करते हैं, अुसीको यथार्थ मानते हैं और जब प्रयोग करते हैं तब भूतकाल की ही ओर सीटते हैं, वे भूतकोटि के लोग हैं। अुनके लिअे वर्तमान-काल भी नहीं है; फिर भविष्य काल तो कहां से हो ?

हमारे देश के राजाओं में से अधिकतर अिस कोटि के मालूम होते हैं। वे अुन दिनों को याद करते हैं जब कि अुन्होंने अँग्रेजों के साथ सुलहनामा करके अपनी स्वतंत्रता—स्पष्ट शब्दों में भले ही न हो—अँग्रेजों के चरणों में अर्पण कर दी।

वे अजीब कब्रजीब हैं

अपनी आजादी बेच कर अन्होंने क्या कमाया? अँग्रेजों की ओर से यह बचन पाया कि अगर कोबी बाहरी शत्रु अणुपर हमला करे, या अणुकी प्रजा अणुके खिलाफ़ बगावत करे, तो अँग्रेज बहादुर अणुकी रक्षा करेंगे। अपनी स्वतंत्रता बेच कर सलामती खरीदनेवाले लोग दुनिया में होते हैं। किन्तु अपनी ही प्रजा से रक्षण पाने के लिये परदेशियों से बचन लेनेवाले अनोखे कब्रजिय तो हिन्दुस्तान में ही पाये जाते हैं।

हिन्दुस्तान के लिये यह प्रश्न बड़ा महत्त्व रखता है कि देशी राजाओं के साथ अँग्रेजों ने जो सुलहनामे किये अणुमें अपनी ही प्रजा से राजा का रक्षण करने की बात किसने सुझायी?—अँग्रेज विजेताओं ने? या हमारे राजाओं ने? या अन्हें नेक (!) सलाह देनेवाले अणुके वजीरों ने? कोबी इतिहास-संशोधक खोजबीन करके जिसका पता लगावे तो असे बड़ी राष्ट्रसेवा का श्रेय मिलेगा।

थोथा स्वतंत्रता-प्रेम

मुझे याद है कि बचपन में हम अिन राजाओं की कमी खानगी बातें सुनते थे। अेक राजा ने अेक देशसेवक से अेकान्त में कहा था कि “आप तो राजवंशी नहीं हैं तो भी पराधीनता से आपका खून अितना खीलता है; तो हम जो राजा रह चुके हैं और राज्यवैभव भोग चुके हैं अन्हें यह पराधीनता कितनी अखरती होगी? लेकिन क्या किया जाय? हम तो अक्सर की राह देख रहे हैं। क्या हमने अपनी मा का दूध नहीं पिया है? क्या हम कर्वात्रियों की सन्तान नहीं हैं; कि हमें स्वातंत्र्य की लगन न हो?” अंद नवयुवक अिस राजवंशी चाटक

के जाल में फंस गये और अन्होंने अपनी गुप्त योजनायें अैसे राजाओं पर जी खोल कर प्रकट कर दीं। कहते हैं कि ये बातें त्रिटिश सी. आय. डी. के कानों तक पहुंचने में बीबीस घंटे भी नहीं लगे। अिसमें तनिक भी शक नहीं कि शराब के सामने माता के दूध का अखर टिकने नहीं पाता और विलास की बाढ़ में क्वात्र वंश की टोक भी डूब जाती है।

उधरी चाल

भारतीय प्रजा ने अपनी आजादी के लिये अिन राजाओं से बहुत कुछ आशायें रखी थीं, किन्तु अिन्होंने अेक अंगुली भी नहीं अुठायी। '५७ के 'गदर' के जमाने में अिन राजाओं ने और अणुके मंत्री या वजीरों ने जिस बुद्धिमानी का परिचय दिया अुसकी कहां तक सराहना करें! वे अैसी चाल चले कि कुछ न पूछिये! अपनी फौज को तो गदर के पक्ष में शरीक होने दिया और स्वयं आप सुलहनामे की शर्तों के अनुसार अपने लिये रक्षण की याचना करने त्रिटिश रेसिडेन्सी में जा पहुंचे। अभिप्राय यह था कि अगर गदरवालों की जीत हो गयी तो फौज अपने राजा को सिंहासन पर बैठायेगी ही; और अगर हार गये तो राजा लोग और अणुकी खानदान तो सुरक्षित हैं ही। अिस दुरंगी नीति में बुद्धिमानी अवश्य थी। किन्तु अणुकी अुस अश्रद्धा में ही हार के सब बीज मौजूद थे। तब से आज तक अिन राजाओं ने अपने अस्तित्व का कोबी लक्षण नहीं बतलाया था। परन्तु अब अेकाअेक भारत की मुलामी और अपनी सुरक्षितता के संरक्षक बन कर वे आगे आ रहे हैं। अिनमें अणुका अुल्लेख करना भी अन्हें खतरे में डालने के बराबर है।

प्रजा का डर क्यों ?

अिन राजाओं को अपनी प्रजा से डरने का क्या कारण है ? मुन्हें यह डर है कि कहीं अुनके मोज-शोक कम न हो जायें। अिनकी अभिरुचि विकृत नहीं हुअी है अुनके मोज-शोक के लिअे भी अितना धन नहीं चाहिये जो अपनी प्रजा को गुलामी में रख कर ही प्राप्त किया जा सके। व्यसनों में चित्त को अितना आनंद मिलता है अुससे कहीं अधिक प्रजाहित की योजनाओं का विचार करने में और मुन्हें अमल में लाने में होता है। किन्तु अुसके लिअे पुरानी नामदं अभिरुचि छोड़नी चाहिये और नया पुरुषार्थ अपनाना चाहिये। करीब पचास वर्ष हो गये अंग्रेजों ने अिन राजा-महाराजाओं को और अुनके कुँअरों को अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया है। यह कैसी शिक्षा है जिसकी बदीलत अैसा अेक भी राजा पैदा नहीं हुआ जो अपनी प्रजा का विश्वास कर सके ? यूरोप के राज-नैतिक अितिहास के अध्ययन के बाद भी यदि कोअी राजा अपने सारे अधिकार अपनी प्रजा को सौंपने में गौरव और आनन्द अनुभव नहीं करता तो वह अध्ययन किस काम का ?

का० का०

राष्ट्रीयता पर रामानन्द बाबू

फरवरी के 'मॉडर्न रिव्यू' से अेक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी नीचे दी जाती है :—

“संसार में अैसा कोअी देश नहीं है जहां किसी अेक ही धर्म के अनुयायियों का समूह—चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो—अपने आपमें अेक राष्ट्र माना जाता हो। परन्तु श्री. वि. दा. सावरकर की राय अिसके विपरीत है। वे अैसा मानते हैं कि हिन्दू लोग ही भारतीय राष्ट्र हैं; क्योंकि अुनकी संख्या अिस देश में सबसे

अधिक है। हम अिससे सहमत नहीं हैं। अुनकी अिस राय से कुछ हिन्दुस्तानी मुसलमानों की अिस कल्पना का कि वे अेक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अप्रत्यक्ष समर्थन होता है।

अगर भारतीय राष्ट्र सिर्फ हिन्दुओं का ही हो, तो फिर ब्रिटिश राष्ट्र प्रोटेस्टेन्ट मत के ब्रिटिशों का ही होगा, क्योंकि अुन्हींकी तादाद सबसे बड़ी है। जो ब्रिटिश लोग कैथोलिक, यहूदी या मुसलमान हैं, या जो अज्ञेयवादी अथवा नास्तिक हैं, अुनकी गिनती ब्रिटिश राष्ट्र में नहीं हो सकती।

अमेरिका में अैसा कोनसा अेक ही वंश, धार्मिक जमात, भाषा या अुप-राष्ट्र... है जिसे हम अमेरिकन राष्ट्र कह सकें ? वहां तो अितने बहुत-से हैं !

सोवियट रूस में कम से कम सौ अुप-राष्ट्र हैं। अुनमें कअी धर्म है और कितने ही नास्तिक भी हैं। मोटे हिसाब से वे कोअी दो सौ भाषायें बोलते हैं। क्या वे अेक राष्ट्र हैं ?

जो मुसलमान यह समझते हैं कि अुनकी अपनी अेक अलग भारतीय संस्कृति है अुनसे हम सहमत नहीं हैं। केवल सरहद प्रांत में बोली जानेवाली पशु के सिवा, जो भारतीय भाषायें दूसरे प्रांतों के मुसलमानों की मातृभाषायें हैं वे ही वहां के हिन्दुओं की भी मातृभाषायें हैं। अुर्दू भाषा और साहित्य तो हिन्दू और मुसलमानों के सम्मिलित प्रयत्न का फल है। दूसरे सारे प्रान्तीय साहित्य अुन अुन प्रांतों की हिन्दू, मुसलमान, अीसाबी आदि सभी अधिवासियों के हैं। भारत के सभी धर्मों के अोगों के लिअे हिन्दुस्तानी संगीत समान है। भारतीय कला भी सब की संयुक्त सम्पत्ति और संयुक्त अुद्योग है।

अिस विषय की अिससे अधिक विस्तृत अर्चा अेक छोटीसी टिप्पणी में नहीं की जा सकती।”

बंगाल के कुछ मुसलमानों की सम्मति

रामानन्द बाबू हिन्दू महासभा के अंक प्रतिष्ठित नेता हैं। जिस दृष्टि से उनका अक्षर टिप्पणी का महत्त्व है। लेकिन हिन्दुस्तान के सभी मुसलमान श्री मुहम्मदअली जीना या उनके विचार के लोगों के साथ नहीं हैं जिसका सबूत भौंडन रिब्यू के इसी अंक में प्रकाशित अंक वक्तव्य से मिलता है, जो बंगाल के अंक प्रतिष्ठित मुसलमानों ने २५ जनवरी १९४० को, २६ जनवरी के स्वतंत्रता-दिन के अपलक्ष्य में प्रकाशित किया था। जिस वक्तव्य का पहला वाक्य नीचे दिया जाता है:—

“ जिसलाम सदा से समानता, स्वाधीनता, विश्वबंधुत्व, लोकसत्ता, और राष्ट्रीयता का हामी रहा है। अति प्राचीन काल से ही हम मुसलमान यह मानते आये हैं कि अंक देश में अंक ही राष्ट्र होता है और राष्ट्रीयता से रंग, धर्म या जाति के भेदों का कोई संबंध नहीं है। इसलिये हिन्दुस्तान में, हिन्दू, मुसलमान, जैन, आसाही, पारसी, सिक्ख, आदि का बना हुआ अंक ही राष्ट्र है।”

दा० ध०

सरदार पृथ्वीसिंगजी की नयी योजना

जिसने कभी व्यायाम, कसरत और खेल से लाभ उठाया नहीं है क्या वह भी शरीर विकास की किसी योजना पर अपनी राय दे सकता है? व्यायाम, कसरत और शरीर-विकास अंक बड़ा महत्त्व का विषय है। धर्म को छोड़ कर दूसरे किसी भी महत्त्व के विषय पर मामूली लोग अपना मत प्रकट करने की हिम्मत नहीं करते। किन्तु संपादकों को तो सर्वज्ञ बनना ही पड़ता है। वह हर किसी विषय पर अपनी

राय बड़े विश्वास के साथ दे सकता है।

श्री स्वामीरावजी ने—(सरदार पृथ्वीसिंग जी का यह चिर-परिचित नाम छोड़ देने को जी नहीं चाहता। पृथ्वीसिंगजी क्रान्ति के मार्ग के विश्व होंगे किन्तु व्यायाम-विद्या-विद्यार्थ तो स्वामीराव ही हैं।) श्री स्वामीरावजी ने राष्ट्र के नवयुवकों की शारीरिक अनुमति के लिये हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं जिसपर वर्षों से विचार किया है। और नवयुवकों में रह कर उन्हें तैयार भी किया है। वे जिस विषय के शास्त्र, कला और पद्धति तीनों में निपुण हैं।

बम्बयी सरकार के लिये बनायी हुयी अंक योजना अन्होंने अभी मेरे हाथ में दी है। संपादक की हैसियत से ही नहीं किन्तु शिक्षा-शास्त्री की हैसियत से मैंने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। शारीरिक विकास के अद्देश्य से बनायी हुयी अनेक योजनायें मैं देख चुका हूँ। अणु योजनाओं में और जिसमें मैं कभी महत्त्व के फरक देखता हूँ। साधारण योजनाओं में थोड़े विद्यार्थी अधिक से अधिक विकास किस तरह से कर सकते हैं यही बात होती है। सबसे अच्छा कुर्सी लड़ने वाला, सबसे श्रेष्ठ तैरनेवाला, सबसे तेज दौड़ने-वाला तैयार करने की कोशिशें जहाँ होती हैं वहाँ पर स्पर्धा करनेवाले पांच-दस लोग ही तैयारी करते हैं। बाकी के लोग सोचते हैं कि ये चीजें हमारे लिये नहीं हैं और अपने रास्ते जाते हैं। अतना ही नहीं किन्तु शारीरिक विकास के प्रति अरुचि बढ़ाते हैं।

स्वामीरावजी की योजना में मुट्ठीभर लोगों को सर्वोच्च शिक्षण पर ले जाने की बात नहीं है। किन्तु ऐसी अंक सर्वसामान्य मर्यादा बनाने की बात है जिसके नीचे कोई जा ही न सके। जो जिस मर्यादा तक नहीं पहुँच सकेगा अक्षरका शिक्षाक्रम ही स्थगित किया जायगा। जिसकी

लिजे में कहता हूँ कि यह योजना राष्ट्रीय वृत्ति से बनायी हुयी है ।

जिस योजना की दूसरी राष्ट्रीयता जिस बात में है कि जिसमें विद्यार्थी, उसके मातापिता या शिक्षासंस्था, किसी पर अके पायी का भी बोझ नहीं बढ़ाया जाता । सर्वसामान्य जीवन के लिजे जो शक्तियाँ आवश्यक हैं और जिन क्रियाओं का करना मामूली तौर पर स्वाभाविक है असी बातों का ही पुरस्कार करके यह योजना बनायी गयी है ।

जिस योजना का तीसरा और सब से श्रेष्ठ राष्ट्रीय तत्व जिस बात में है कि प्रतिद्वन्द्विता के कारण जो अधीर्षा, मत्सर और दिल की जलन पैदा होती है उसे हमारे राष्ट्रीय जीवन में से हटाने का अुपाय जिसमें बताया है और संघ-व्यायाम, संभूयसमुत्थान और सामुदायिक पुरुषार्थ का ही जिसमें पुरस्कार किया है ।

जिस योजना में स्वामीराजजी ने अपने पेशे का महत्त्व बढ़ाने की कोशिश नहीं की है किन्तु राष्ट्रहित के अके महत्त्व के सवाल का हल सफलतापूर्वक बताया है । यह योजना विद्यार्थी, अुनका बौद्धिक विकास और शिक्षासंस्थाओं की कठिनायियाँ आदि बातों को ही निगाह में रख कर बनायी गयी है । राष्ट्रहितचिंतकों को जिसका श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिये और राष्ट्रसेवकों को जिसे अमल में लाने के रास्ते ढूँढने चाहिये ।

* * *

यह कहते हमें हर्ष होता है कि सरकार पृथ्वीसिगजी अब किसी काम को ले कर अपनी नयी सेवा शुरु करनेवाले हैं । अनुकूल स्थान पसन्द करके वहाँ पर अके असी योजना वे शुरु करना चाहते हैं जहाँ देश के नवयुवकों को सर्वांगीण शिक्षा दी जाय । अके तरफ से वे शरीरविक्रान भी सीखेंगे और दूसरी तरफ

मानसशास्त्र का भी परिचय पायेंगे । देश के लाखों गावों के अर्थशास्त्र को भी वे समझ लेंगे और जो गावों में चलाये जा सकें असे अुद्योग-इन्टर की भी हस्तगत करेंगे ।

जिस संस्था में शरीर-विकास का अुद्देश होगा लोक सेवा; न कि केवल प्रतिमत्स का पराजय । देश के नवयुवकों को बौद्धिक और नैतिक विकास के लिजे अनुकूल परिस्थिति बना कर असे वायुमण्डल में सेवाक्षमता पैदा करने के लिजे शरीर-विकास का रास्ता बताया जायगा ।

अके आदमी सारे राष्ट्र को नहीं सिखा सकता । किन्तु स्थान स्थान से योग्य युवानों को ले कर और अुन्हें दीवधा दे कर अुन्हींके द्वारा यह व्यापक काम कराना है ।

हिसामार्ग में मुट्ठीभर लोगों की तैयारी से कुछ तो काम निकल सकता है । अहिंसा मार्ग में राष्ट्रीय पैमाने पर व्यापक काम करने से ही राष्ट्र का अुद्धार हो सकता है । जिसलिजे अब अुन्होंने वह मार्ग अपनाया है ।

कोअे असा न माने कि लाठी-काठी-बोषाटी (बनेटी) आदि अुपकरणों का अहिंसा से मेल नहीं बैठता । सुदृढ शरीर, विकसित अिन्द्रियाँ, सहनशीलता और हर किसम के शारीरिक व्यापार का कौशल्य, अहिंसक मनुष्य को अुतना ही आवश्यक है जितना कि हिंसा में माननेवाले मनुष्य को है । बल्कि, मैं तो यह कहूंगा कि आजकल के वैज्ञानिक हत्याग्रह के जमाने में लाठी-काठी-बनेटी अुद्घोषयोगी शस्त्र नहीं हैं । बडे बडे मेलों में, छोटे बडे कूचों में और असे ही अन्य समाज सेवा के कार्यों में जिन अुपकरणों का महत्त्व अवश्य है । श्री पृथ्वीसिगजी के अुत्साह और लगन और अुनकी देशनिष्ठा से नवयुवक अवश्य लाभ अुठावें और अहिंसक बहादुरी का परिचय पावे ।

पुनश्च झंडा गीत

अस अंक में श्री. सियारामशरणजी के झंडा गीत का नया संस्करण हम दे रहे हैं। बड़े बड़े कवि अपनी कविता में कोमी न कोमी परिवर्तन करते ही रहते हैं। जब तक अुनकी रचना अव्यंग और समाधानकारक न हो, तब तक अुन्हें चैन नहीं पड़ता। जो प्रेरणा अुन्हें कहीं से मिलती है, अुसे शब्दबद्ध करना अेक प्रकार की अुपासना ही होती है; और चाहे लोग अुनकी कृति पर मुग्ध हो जायें, अुन्हें तो कुछ न कुछ असंतोष रहता ही है। अुपासना का यह अेक अनिवार्य लक्षण है। शकुन्तला का भावगम्य चित्र खींचने के अनेक प्रयत्न करने के बाद दुष्यन्त कहता है—

वत्सलायु न चित्रे स्थात्

क्रियते तत्तद्वन्धया

तथापि तस्या लावण्यं

रेखया किञ्चिद्विद्यतम्।

अस इलोक में कालिदास ने दुष्यन्त के मुख से कविमात्र का अनुभव ग्रथित किया है।

हम आशा करते हैं कि पाठक अस झंडागीत को जड़ा कर अपने दीवानखाने में टांग देंगे और अपने बच्चों को असे कण्ठ करने का प्रोत्साहन देंगे।

अिन्हें अस गीत की अधिक प्रतियाँ आवश्यक हों, वे कृपया १॥ आने के टिकिट भेज कर सर्वोदय कार्यालय से मंगवा लें।

का० का०

आकाश दर्शन

[काका कालेलकर]

आशा है कि सर्वोदय के पाठक सूर्योदय के बाद अुठनेवाले सूर्यवंशी नहीं होंगे। रात में जागरण करके सिनेमा देखना और अपनी आँखें बिगाड़ना, और कभी बार अपनी चित्तवृत्ति अुत्तेजित और मलिन करना अुन्हें पसन्द नहीं आता होगा। असकी अपेक्षा संध्या का विविधरंगी वंभव, रात की शान्त तेजस्वी ज्योतियों की समृद्धि और प्रातःकाल के ब्राह्ममुहूर्त के बाद पूरब की पुण्यशोभा और अुसी शो र की हजम करके बढ़नेवाली अुषा का तेज देखने के वे आदी हींमे अैसी आशा करता हूँ।

अभी किसी दुःखी व्यक्ति को सलाह देते अुअे गांधीजी ने जो लिखा है वह पाठकों ने 'हरिजन'

में पढ़ा ही होगा। गांधीजी कहते हैं—

“कामुक साहित्य, सिनेमा और कामोत्तेजक चित्र जो आजकल अखबारों के पन्ने भ्रष्ट करते हैं देखना छोड़ दीजिये।

.....और रात को किसी सादी-सी ज्योतिष की पुस्तक के सहारे थोड़ा आकाश-दर्शन कीजिये। आपकी आँखों के आगे वह नजारा आयेगा जो दुनिया के किसी सिनेमा में न मिल सकेगा। संभव है, किसी दिन आपकी असंख्य तारागणों की जग-भगाहट में अीश्वर सान्वात् दिखायी दे जाये और आप अपने को अस विद्य ब्रह्म के साथ अेकतार कर लें तो आपको ब्रह्माण्ड का

सुकुमल शान्तिप्रद संगीत भी सुनायी देने लगेगा। रोज रात को ऐसा करके देखिये। आपकी दृष्टि और हृदय दोनों शुद्ध हो जायेंगे।”

(हरिजन सेवक ता० ३:२:४०)

पाठक अगर चार बजे अठ कर पूरब की ओर देखेंगे तो जो दृश्य दिखायी देगा वह वे बुझ भर नहीं भूलेंगे। अगर वे कुछ देर से अठेंगे तो भी हर्ज तो नहीं है। किन्तु अंधा आ कर सब तारों को पोत जाय अंसके पहले ही ताराओं की 'रंगबल्ली' देखनी चाहिये।

पूरब की ओर मुंह करके पाठक सबसे पहले दक्षिण और अक्षर की तरफ ध्यान से देखें। मुसलमान भक्त नमाज पढ़ते समय जैसे दाहिनी ओर बायीं ओर देखते हैं उसी तरह हम भी देखें। अक्षर में सप्तर्षि और ध्रुवमत्स्य तो हैं ही। दाहिनी ओर यानी दक्षिण को त्रिशंकु (सदने कास) गिर रहा है और जय-विजय अपनी पूरी शोभा बताते हुए जमीन के साथ समांतर चमक रहे हैं और उनकी आधार-रेखा पर अनेक तारे जहां जगह मिली वहां खड़े हैं—असा दृश्य दिखायी देगा। वहां से पीछे को मुड़ते ही वृश्चिक का अंचा विस्तार अकदम ध्यान खीचेगा। अनुराधा नक्षत्र से बना हुआ अंसका सिर; पारिजात की लालिमा से सुशोभित, जेष्ठा नक्षत्र से बननेवाला अंसका पेट; और मूल नक्षत्र से बननेवाला अंसका डंख (शंकु या नांगी) ये सब अंक दफा पहचानने के बाद कभी भी भुलाये नहीं जा सकते।

सीधे पूरब को आपको पुराना परिचित श्रवण अपने मातापिता की बहंगी लिये हुआ दीख पड़ेगा। जिसका दर्शन कुछ महीनों के पहले हमने पश्चिम की ओर किया था। अब वह सुबह पूरब की तरफ आया है।

जय-विजय के पास से जो गंगा बहती है वह वृश्चिक के डंख को भिगे कर समान्तर दो स्त्रोत में पूरब की तरफ आती है और आगे बढ़ती हुआ दशरथ (अभिजित्) के बीच से होती हुई अंस की अपने प्रवाह में तैरता हुआ छोड़ कर देवयानी (लक्ष्मी) के चरण छूती हुई आगे ब्रह्मंडल की ओर बहती है।

श्रवण और दशरथ देखने के लिये ये दिन अच्छे हैं। दशरथ आकाश-गंगा के अंस पार अंचा खड़ा है और श्रवण अंस पार हमारे क्षितिज के नजदीक नदी के किनारे आ पहुंचा है। आश्रिये, अिन दोनों को प्रणाम करें।

अब की चार पाठकों का खास परिचय करना है अंस से। अंस का आकार कुछ कुछ कनकीबा के जैसा है। सत्र से तेजस्वी है अंस का पुच्छ। अंसके बाद जो तीन तारे आते हैं उनमें से बीच का तारा है अंस का पेट। दोनों तरफ के दो तारे अंस के पंख समझिये। आगे जा कर अंक मन्द तारा अंस की पतली गर्दन है और जिसके आगे वैसा ही अंक मन्द तारा अंस की चौंच बनता है। पश्चिम में जब अंस को हम देखते थे तब वह अूपर से क्षितिज के तरफ डूबने को दौड़ता था। अब वह पूर्व के क्षितिज में से अठ कर पूरब का रास्ता ले रहा है। पाठक अंस को पूर्व और अीशान्य के बीच आकार गंगा में देखें।

यों तो अंस नक्षत्र सुन्दर है ही। किन्तु आज-कल अंसका महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है। जिसका कारण यह है कि अंस नक्षत्र के पेट में बड़ी दुर्बल के सहारे अंक अद्भुत विद्व वैज्ञानिकों ने देखा है। अंस-पुच्छ का जो अज्ज्वल तारा है वह प्रथम कोटि में भी अपनी खास प्रतिष्ठा रखता है। अंसका तेज हमारे सूर्य के तेज से दस हजार गुना अधिक है। वह जितना

दूर हैं कि अुसका प्रकाश हम तक आ पहुंचने में छह सौ बावन वर्ष लगते हैं याने रात को हंस की जो प्रकाश-किरण हम देखते हैं वह वहां से ज्ञानेश्वर के दिनों में निकली थी !

ग्रीक पुराणों में लिखा है कि आर्फियस अेक अप्रतिम गायक था । वह अपनी वीणा बजा कर चेतन और अचेतन सब को मोहित करता था । जब अुसकी प्रिया सर्पदंश से यमलोक को सिधारी

तब वह भी अुसके पीछे पीछे गया और वहां यमराज को अपने संगीत से मुग्ध करके अपनी प्रिया को फिर से मनुष्यलोक में ले आया । किन्तु यमराज की शर्त का पालन न कर सकने से यमलोक के सीमाप्रान्त में ही अुसे फिर खोना पडा । यही आर्फियस हंस हो कर आकाश गंगा में नहा रहा है और अुसकी वीणा वीणा (अभि-जित्) के नाम से अुसके पास ही पडी है ।

वाङ्मय परिचय

माहं गामडुं—(मेरा देहात) लेखक—श्री बबलभाभी प्राणजीवनदास महेता; प्रकाशक—गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; पृ. २०६; मूल्य ०-९-०

श्री बबलभाभी महेता 'गांधी सेवा संघ' के अेक तरुण सदस्य हैं । कॉलेज का अध्ययन छोड कर, गुजरात विद्यापीठ के ग्राम सेवा मंदिर में वे दाखिल हुअे । सन १९३४ में सत्याग्रह आन्दोलन के मुलतवी किये जाने पर गांधीजी के आदेशानुसार अुन्होंने किसी देहात की सेवा में लग जाने का निर्णय किया, और गुजरात के खेडा जिला का मासरा नामक देहात पसंद किया । श्री बबलभाभी का वतन काठियावाड है । अर्थात्, अिस देहात से अुनका कोअी पूर्व संबंध नहीं था । गुजरात में देहातों की बसती भी अकसर जाति के अनुसार होती है । याने, कोअी देहात ब्राह्मणों के, तो कुछ पाटीदारों के या कुछ कोलिअों के, अिस तरह स्रास जातियों के होते हैं । जो गांव जिस जाति का अुसके अलावा दूसरी किसी जाति के किसान अुसमें नहीं पाये जायेंगे । कोअी पेशेपार लोग रह सकते हैं ।

मासरा गांव वांग्या नाम की गुजरात की अेक पिछडी हुअी जाति का है । पुराने जमाने में बारैया क्षत्रियों की कोम थी । आज भी दो-चार बारैया राज्य हैं । पर अेक जमाने से यह जाति बहुत पीछे पड गयी है और आज अुनकी गिनती पिछडी हुअी तथा गुनाह करनेवाली जातियों में की जाती है । केवल निरक्षर ही नहीं हैं, बल्कि कृषिविद्या आदि में भी वे बहुत ही अज्ञानी हैं । अुन्हेंके पडोस में बसे हुअे पाटीदारों ने अपनी खेती-कला की निपुणता के कारण खेडा जिला की भूमि को अेक बगीचा बना दिया है । पर ये लोग अुसमें से अपने पेट के लिअे भी मुश्किल से हलका धान्य पैदा कर सकते हैं ।

श्री बबलभाभी ने तीन साल में मासरा और आसपास के देहातों में अपनी सेवा से अच्छा नाम कमाया है । मासरा के नजदीक थामणा नामका कुछ बडा गांव है । गुजरात में बुनियादी तालीम की प्रथम पाठशाला थामणा में स्थापित हुअी । लोगों में यह रुचि अुत्पन्न करने का श्रेय बबलभाभी को है । तब से बबलभाभी को अपना निवासस्थान मासरा के

बदले धामया को बनाना पडा है। फिर भी, मासरा के लोगों से अनुका जी संबंध बँध गया है, जिससे उनके लिये 'मेरा देहात' के मानी धामया नहीं, किन्तु मासरा ही है।

अस पुस्तक में श्री बबलभाभी ने मासरा की सारी बातें, अपने अनुभव, अवलोकन, सफलता, निष्फलता, जनता के गुण-दोष, कठिनायियाँ आदि का बयान बहुत सरल भाषा में किया है। अस पुस्तक में अबतरण करने योग्य, अितने पृष्ठ हैं कि अधुधरण देने लगू तो यह आलोचना कभी पृष्ठों की लंबी हो जा सकती है। और फिर भी उसे मूल में पढ़ने की जरूरत टल नहीं सकती। संपादक महाशयों से मेरी मूचना है कि पुस्तक के कुछ भागों का वे अनुवाद अकाष अंक में नमूने के लिये दें और पाठकों से मेरी सिफारिश है कि अनुमें से जो गुजराती अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसे जरूर पढ़ें। हरेक देहाती कार्य-कर्ता अससे लाभ उठाये बिना न रहेगा।

अके और बात कह देना अचित है। अिन पुस्तक के आरंभ में 'महाराज' श्री रविशंकर ध्यास ने 'मेरी अभिलाषा' का शीर्षक दे कर अके सुन्दर प्रस्तावना लिखी है। श्री रविशंकर भाभी गुजरात में बारैया, पाटण वाडिया आदि पिछडी और गुनाहगार मानी हुडी जातियों में अितना काम किया है कि ये जातियाँ अनुका गुरु के रूप में आदर करती हैं, और 'महाराज' के नाम से ही वे अब पहचाने जाते हैं। वे लिखते हैं:—

“मैंने अपना सारा जीवन बारैया और पाटण वाडिया कीम की सेवा में बिताया है। मेरे दिल से मैं अब अिन कीमों से अलग नहीं हूँ। अनुके घर, खेत और अनुके तेवहार आदि जो कण दृश्य मूझे देखने मिले हैं, अनुका हूबहू वर्णन में अस पुस्तक में पाता हूँ।”

“...ग्रामजनता के बीच में अनुकीका आदमी बन कर खूली आँख और कान से ज्ञानपूर्वक रहनेवाला ही अस प्रकार का चित्र खींच सकता है। बबलभाभी अस तरह के आदमी हैं।

मासरा सरीखे पिछडे हुअे देहात में, वहाँ के लोगों का ही आदमी बन कर वे रहे, लोक-हृदय के महीन से महीन भाव और वेदनाओं का अनुोंने अनुभव किया, अनुकी अच्छी बुरी वृत्तियों तथा अनुके कारणों की खोज की, और वर्तमान परिस्थिति की कठिनायियों से पैदा होनेवाली व्याकुलता से व्यथित हुअे, तभी वे अस चित्र को खींच सके हैं।....

“शारीरिक श्रम से कसा हुआ शरीर, दूसरे के लिये कष्ट सहने की वृत्ति रखनेवाला दिल, और अटपटी समस्याओं का फँसला कर सकने वाली तीव्र बुद्धि—यह मेरी अके आदर्श सेवक के गुणों की कामना है। ग्रामसेवक आखिर जनता का सेवक है। जनता मालिक है। जिस सेवक की आवश्यकतायें अपने मालिक से ज्यादा हों, उसे मालिक किस तरह सेवा से सकता है? सेवक तो वही हो सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा दे और कम-से-कम ले।”

श्री बबलभाभी शुरू में बाहर से मासिक पांच रूपये निर्वाहवेतन लेते थे। फिर भी, अनुोंने अनुभव किया कि अितनी रकम बाहर से नियमित रूप से आती है, असका जनता के अपर अच्छा परिणाम नहीं होता। असिलिये अनुोंने अपने कमरे में सव्वा सेर की छोटी छोटी मटकियाँ रख दीं। और लोगों से कहा कि अनुमें वे अपनी अच्छानुसार चाहे जब क्रमशः दाल, चावल और बाजरी डाल दिया करें। अकाल में भी लांगों ने अनुकी मटकियाँ खाली न होने दीं। आजकल मासरा और आसपास के देहात के लोगों ने मासिक पांच रूपये का खर्च अनुं पढ़ा देने का भार अपने सिर पर उठा लिया है।

बबलभाभी ने अपना कार्यक्रम किस तरह बनाया, और अनुके सेवक लोग किस प्रकार के हैं, असका मनोरंजक तथा बोधप्रद वर्णन तो लेखक के ही शब्दों में पढ़ना चाहिये।

कि. घ. म.

अध्यक्ष का भाषण

(गांधी सेवा संघ के अध्यक्ष श्री किशोरलालभाई मशरूवाला का
संघ के छठे सम्मेलन का भाषण)

बहनो और भाइयो,

प्रास्ताविक

आपके दर्शन पा कर आनंद होता है। मुझे खेद है कि इस साल में आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। वृन्दावन के सम्मेलन के बाद मैं सिर्फ़ एक बार बारडोली तक जा आया। फिर दूसरी कोई मुसाफरी नहीं कर सका। सितंबर तक कहीं जाने का कोई खास मौका नहीं आया; और बाद में मेरी तबियत मुसाफरी करने के योग्य नहीं रही। इसलिए राजस्थान-कर्नाटक, तथा युक्तप्रान्त के सदस्यों से मिलने की जरूरत होते हुअे भी मुझे मजबूर हो कर बर्षा में ही रहना पड़ा।

इस वक़्त आपके सामने दो महत्त्व की बातें हैं:

मौजूदा महायुद्ध का असर

यूरोप में युद्ध छिड़ जाने के बाद कॉंग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच जो वाद पैदा हो गया, और उसके जो परिणाम हुअे उन्हें आप जानते ही हैं। राजनीतिक परिणामों के अलावा संघ के उद्देश्य की, तथा हमारे व्यक्तिगत आचार, विचार और शक्ति की दृष्टि से भी हमारे सोचने के लिये उस घटना ने काफी मसाला तैयार कर दिया है। इस विषय में जो चर्चाएँ हुईं, उन्हें 'सर्वोदय' और परिपत्रों द्वारा आप जानते ही हैं। इसलिए उन्हें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां उनका निश्चितरूप में विचार कर लेना ठीक होगा।

संघ और राजनीति

गांधी सेवा संघ राजनीतिक संस्था नहीं है। पर, वह राजनीति से परहेज भी नहीं करता। बल्कि, अहिंसा की नींव पर राज्य की रचना करना, और अहिंसात्मक संस्कृति का निर्माण करना उसका भीतरी उद्देश्य है। जब गांधी सेवा संघ की स्थापना हुई थी तब १९१९ में मुकर्रर किये

हुए कॉंग्रेस के रचनात्मक कामों के करने के लिये चर्खा संघ, ग्रामोद्योग संघ, हरिजन सेवक संघ, तालीमी संघ आदि खास संस्थायें नहीं थीं। इन्हें अहिंसात्मक संस्कृति की अलग अलग शाखाओं कह सकते हैं। हरेक शाखा अब अके अके स्वतंत्र और अपने आपमें पूरी संस्था बन गयी है। तब केवल रचनात्मक कामों को चलाने के लिये गांधी सेवा संघ की हस्ती की कोई खास जरूरत नहीं बतायी जा सकती। अब रहा कॉंग्रेस का राजनैतिक काम। जब तक प्रान्तीय कारोबार चलाने का भार कॉंग्रेस पर नहीं आया था, तब तक हिंसा और अहिंसा के सवालों पर अलग अलग दलों में तत्त्वचर्चायें भले ही होती रही हों; लेकिन दोनों में से एक को पसंद कर लेने का कोई मौका नहीं आया था।

अधिकार-ग्रहण का परिणाम

प्रान्तीय कारोबार में कुछ अधिकार मिल जाने पर जैसे मौके पैदा होते गये। और जब मौजूदा लड़ाई छिड़ गई, तब 'हमारी रुचि या श्रद्धा किस तरफ है', इसकी परीक्षा का एक बड़ा भारी मौका आ गया। कॉंग्रेस के नेताओं और अनेक प्रान्तों के मंत्रियों के मुह से उस वक्त जैसे शब्द निकलने लगे कि अगर अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज दे दे तो कॉंग्रेस अंग्रेज सरकार की पैसे और सिपाहियों से लड़ाई में पूरी पूरी मदद करेगी, और देश के लाखों जवानों को जर्मनी के साथ लड़ने के लिये भेज देगी। जहां तक मुझे मालूम है गांधी सेवा संघ के किसी भी कॉंग्रेसी नेता, या धारासभा के सदस्य ने, इस विचार या सूचना का विरोध नहीं किया। बल्कि, अनुमान तो यह होता है कि उनकी भी यही विचारधारा थी। याने, "बगैर पक्षबल के साबु-समान के राज का कारोबार चलाना और देश की स्वाधीनता कायम रखना साधारण मनुष्य-समाज की शक्ति से परे है", अंसी जो आम राय है, उसमें गांधी सेवा संघ के कॉंग्रेसी कार्यकर्ता अपवादरूप नहीं हैं। लेकिन पू० बापूजी ने हमारे सामने रखी हुई मान्यता तो अंसी रही है कि साधारण मनुष्य भी अहिंसा का एक हद तक पालन कर सकता है। यदि यह बात सच है, तो गांधी सेवा संघ की नीति कौसी होनी चाहिये? अगर हम जैसे बारीक मौकों पर कोई विशेष आचार न रख सके, तो संघ की हस्ती का क्या हेतु हो सकता है?

संघ का अस्तित्व किस लिये ?

सिर्फ इसीलिये कि गांधी सेवा संघ के पास थोड़ीसी जायदाद और पूजा है, और कुछ कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं का खर्च उसमें से चलता है, उसे एक व्यापक संस्था के रूप में चलाने की जरूरत नहीं मानी जा सकती। वह प्रबंध तो एक ट्रस्ट के द्वारा भी हो सकता है। अथवा १९३४ के पहले संघ का जैसा रूप था वैसा ही रूप, योग्य फेरफार के साथ, रखने से वह काम चलाया जा सकता है। पर १९३४ में संघ को जो व्यापक रूप दिया गया, और गांधीजी के सत्याग्रह के सिद्धान्तों को मान्य रख कर लोकसेवा करनेवाले सब छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं का एक बड़ा संगठन करने का जो प्रयत्न शुरू हुआ, उसे जारी रखना कहां तक ठीक है, इस बात पर आप गंभीरता से विचार करें।

आपके पास जो परिपत्र भेजा गया था, उसके उत्तरों में बड़ी भारी संख्या में सदस्यों की यह राय पाई गई कि संघ बन्द न किया जाय; बल्कि उसमें अहिंसाशक्ति का संगठन और विकास को प्रधान स्थान दे कर उसे चलाया जाय। इसके लिये अगर जरूरत हो तो मौजूदा परिस्थिति में संघ के सदस्यों को कॉंग्रेस कमिटियों के पदाधिकारों से हट कर कॉंग्रेस की सेवा करनी चाहिये और सब रचनात्मक काम करते हुये अहिंसात्मक उपायों से मनुष्यों के झगड़ों को निपटाने के मामों की खोज करनी चाहिये और उसे अपना खास 'मिशन' बनाना चाहिये।

कार्यवाहक समिति में भी अधिकतर सदस्यों की यह राय हुई कि संघ को बन्द करनेमें उचित नहीं होगा ।

यह राय तो बहुत शुभ है । लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से हम पर किस तरह की जिम्मेदारियां आती हैं, और उन्हें अदा करने की हमारी कितनी ताकत और तैयारी है, इसकी पूरी चर्चा करने के बाद यह राय बनी हुई नहीं है । बल्कि, जिस तरह की परिपत्र की भाषा थी, और सवालों की रचना थी, उसके अनुरूप वह राय थी । इसलिए बेहतर तो यह होगा कि आप इस सवाल की यहां पूरी पूरी चर्चा कर लें, और इस कार का पक्का निर्णय कर लें ताकि आइन्दा संघ को चलाने या बन्द करने की चर्चा बार बार पैदा ही न हो ।

“क्या संघ की जरूरत है ?”

इसमें एक पक्ष यह है कि “जो लोग अहिंसा में उतनी श्रद्धा रखते हैं जितनी कि पू. बापूजी चाहते हैं, वे उसकी व्यक्तिगत साधना कर सकते हैं । उसके लिये कोई संस्था बनाने की जरूरत नहीं है । यह अनुभव हमेशा नहीं होता कि एक महापुरुष की खास शिक्षा का भावी विकास उसकी संस्थाओं या अनुयायियों द्वारा ही होता ही । बल्कि कई बार जो उसके अनुयायी नहीं कहलाते वे उसका अच्छा अनुसरण करते हैं । मतलब यह कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पू. बापूजी की अहिंसा का भावी विकास उनके आश्रमवासी, या गांधी सेवा संघ के सदस्य, अथवा गांधीवादी लोग ही करेंगे । बल्कि, ऐसा भी होना संभव है कि हम लोग अहिंसा का कोई तुच्छ भेष रख लें और उसके असली प्राण का नाश कर दें । इसलिए ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिये संस्था की जरूरत नहीं है ।” पू. बापूजी ने भी कभी कभी इसी तरह के विचार प्रकट किये हैं ।

संगठन की जरूरत

मेरी निजी राय यह है कि अगर हम अहिंसा, का एक व्यक्तिगत सिद्धि के रूप में नहीं, बल्कि समाजव्यापी शक्ति के रूप में संगठन चाहते हों, तो अहिंसा में विश्वास रखनेवाले लोगों का किसी न किसी रूप में सहयोग या संगठन होना जरूरी है । यों तो नयी नयी संस्थाओं को लाने की तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है । फिर भी मैं समझता हूँ कि समाज बहुधा संस्थाओं द्वारा ही अपनी प्रगति साधता है । फिर, हमारी (हिंदु और मुस्लिम दोनों) संस्कृतियों में एक ऐसा दोष आ गया है कि एक संस्था बनाने की जगह, या दो संस्थाओं को एक करने की जगह, उसे तोड़ने या एक संस्था की दो या दस बनाने की ओर हमारी प्रवृत्ति अधिक होती है । इस दृष्टि से भी कोई बनी-बनाई संस्था तोड़ने को तब तक मेरा जी नहीं चाहता, जब तक कि उसमें प्राण हो और उसकी उपयोगिता भी हो ।

संस्था के जीवन की शर्तें

पर, गांधी सेवा संघ में प्राण है या नहीं, और उसकी उपयोगिता है या नहीं, इसका निर्णय आपको करना चाहिये । एक संस्था के रजिस्टर पर चाहे सी सदस्य दर्ज हों, फिर भी वह संस्था उतने ही सदस्यों की होती है जो उसके संचालन में उत्साह से भाग लेते हैं; अथवा जिन्हें उसके कारण कुछ स्फूर्ति, मार्गदर्शन और मानसिक आलम्बन मिलता है, और जिनको अपना उद्देश्य सफल करने में वह सहायक होती है । जो न तो उसके संचालन में दिलचस्पी लेते हैं और न उससे कोई लाभ ही होता हुआ पाते हैं, मगर फिर भी जो केवल किसी व्यक्ति के विहाय से या पुराना संबंध तोड़ने के प्रति अस्विकार के कारण, या संघ से मिलनेवाली आर्थिक सहायता

की संघर्ष से अपनी सदस्यता कायम रखते हैं, वे अंगीर उस संस्था को कोभी हानि नहीं पहुँचाते तो उसका कोई लाभ भी नहीं करते हैं। उसके नियमों का वे उल्साह से पालन नहीं कर सकते। उन नियमों की अगर उन्हें याद आवे या दिखाई आवे तो उन्हें बँसा कष्ट होता है मानो कोई उनके पैरों में बेड़ी डाल रहा हो।

किसी संस्था में जैसे सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही वह संस्था अधिक निष्प्राण बनती जाती है। जब जैसी परिस्थिति आ जावे तो उस संस्था को तोड़ देने में ही हित होता है। क्योंकि उसे तोड़ देने पर जिन्हें वैसी संस्था की ज़रूरत मालूम होती हो, वे अपनी रुचि के अनुसार दूसरी योजना बनाने के लिये स्वतंत्र हो जाते हैं।

मेरी आपसे यह अर्ज है कि आप इस बात का साफ साफ विचार कर लें। हरेक सदस्य अपना स्थान इन तीनों में से किस वर्ग में है उसकी अपने आप जांच कर लें, और जो तीसरे वर्ग में हों वे निःसंकोच संघ को बंद करने के पक्ष में राय दें। मेरी राय में इसकी चर्चा और गिनती लग जाने पर आगे का विचार करना ठीक होगा।

अक अटिल समस्या

अक तरफ़ से देखा जाय तो, इस सवाल में से कि “गांधी सेवा संघ के सदस्यों की राज-नैतिक कामों में,— यानी कॉंग्रेस तथा धारासभा आदि संस्थाओं में—कितना और किस तरह का हिस्सा लेना चाहिये,” यह प्रश्न उठा है कि “संघ की बन्द करना चाहिये या कायम रखना चाहिये।” क्योंकि इन कामों के करने में अहिंसा के सिद्धान्त और सरकारी कारोबार के बीच विरोध के रूप में धर्म-संकट पैदा होता है। अक तरफ़ से अहिंसा का भंग होने के डर से यदि हम शक्ति रखते हुये भी इन कामों से परहेज रखते हैं, तो हमारी अहिंसा अक तुच्छ शक्ति बन जाती है और दूसरी तरफ़ से यदि हम अिन कामों में पड़ते हैं तो आम तौर पर जिस हद तक अहिंसा की मर्यादा मानने की कॉंग्रेस की ताकत है, उसी हद में हमें भी रहना पड़ता है और हिंसक उपाय काम में लाने का फ़र्ज पैदा होता है। सरदार वल्लभभाई अिस संकट का अनुभव करते रहे, और आखिर उन्होंने यह निर्णय किया कि अहिंसा में श्रद्धा होते हुये भी वे उस सिद्धान्त पर दृढ़ रह कर पार्लमेन्टरी बोर्ड का काम चलाने का रास्ता नहीं निकाल सकते। और सिद्धान्तवादी होने का दावा करके निष्क्रियता का स्वीकार करना उनके जैसे कर्ममार्गी के लिये असंभव है। मेरा खयाल है कि मानवसमाज की आज जो अवस्था है, उसमें सिर्फ़ सरदार वल्लभभाई के लिये ही नहीं, बरन हम सबके लिये राजकीय कर्मयोग में अधिकार-स्वीकार के साथ शुद्ध अहिंसा बरतना करीब करीब असंभव है। सिर्फ़ वे ही नहीं जो कि स्वभाव से ही हिंसा के प्रति रुचि रखनेवाले हैं, बरन वे भी जो कि स्वभाव और बुद्धि से अहिंसा में श्रद्धा रखनेवाले हैं, समाज के किन्हीं किन्हीं कामों के लिये हिंसा की कुछ न कुछ ज़रूरत महसूस करते हैं और यह अदेशा करते हैं कि ज़तनी हिंसा के लिये समाज-रचना में यदि अवकाश न रक्खा जाय तो समाज में अराजकता और अरक्षितता फैलने का डर है। आज जिस तरह का नागरिकधर्म हमें सिखाया जाता है, उसके अनुसार अगर गांधी सेवा संघ का कोई कर्मचारी सार्वजनिक पैसे की चोरी करे, और उसके ट्रस्टी उसपर कानूनी कार्रवाई न करें, तो यह माना जायगा कि उन्होंने ट्रस्टियों के धर्म का पालन नहीं किया। अगर मैं अध्यक्ष के नाते वैसी कार्रवाई रोकू तो ट्रस्टी मुझे कह सकते हैं कि मेरी यह मुमानियत वे मंज़र नहीं कर सकेंगे। अगर मेरे सामने किसी आदमी ने कोई गंभीर गनाह किया है, और उसके लिये उसे मजा दिलाने में

में हाकिम की मदद न करूँ, तो मुझपर नागरिकधर्म का भंग करने का आरोप लगाया जायगा। कांग्रेस-सरकार भी आज इन विचारों को मान कर ही चल सकती है। क्योंकि उसके लिये समाजमत का सच्चा प्रतिबिम्ब होना जरूरी है। समाज की इस हालत में हर परिस्थिति में अहिंसा में विश्वास रखनेवाला अके सत्याग्रही समाज क्या करे ?

मेरी अपनी कल्पना

मेरी इस विषय में जो कल्पना है वह आपके सामने रखता हूँ :

अस विषय के दो पहलू हैं: अके यह कि हमारे बीच में बापूजी जैसा अके लोकोत्तर विभूतिमान पुरुष मौजूद हो, और वह अपनी ही शक्ति से अके बड़ी आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर ले, तथा उसमें कुछ समय तक साधारण लोगों से भी अपूर्व पराक्रम करा ले।

और दूसरा यह कि जिनका अंसे आध्यात्मिक सिद्धान्त में विश्वास हो वे अंसे छोटे-छोटे व्यक्ति हों जो कि समाज के साधारण प्रवाह के खिलाफ अपूर्व पराक्रम भले ही कर न सकें, परन्तु प्रवाह में बह न जाने की, और जीवन के चंद मौकों पर बहाव का सफलता-पूर्वक विरोध भी करने की हिम्मत रखते हों।

पहली अवस्था में, उस पुरुष को किसी संस्था या संगठन की जरूरत नहीं रहती। वह खुद ही संस्थाओं का संस्थापक और संगठन का केन्द्र होता है। पर दूसरे प्रकार के लोगों के लिये संस्था और संगठन जरूरी होता है।

संघ दूसरे प्रकार की संस्था है

गांधी सेवा संघ मेरे विचार में दूसरे प्रकार के लोगों की संस्था है। यह मुमकिन है कि उसमें से कभी दूसरा गांधी पैदा न हो। दूसरा गांधी तो पू. बापूजी की तरह अपने ही आप निर्माण होगा। पर मेरी कल्पना में अके असा सत्याग्रही समाज बन सकता है जो कि समाज के हिंसाभिमुख प्रवाह को अगर अकेदम बदल न सका, तोभी उसमें वह भी नहीं जायेगा; और जो कभी कभी उस प्रवाह का सफलतापूर्वक विरोध भी करेगा। इस उद्देश्य से असा समाज राजकीय, सामाजिक, आर्थिक वगैरा सब प्रकार के कामों में शरीक तो हो, अच्छे कामों में सहयोग भी देता रहे, लेकिन जिसमें हिंसा का कुछ स्वीकार करना अनिवार्य-सा हो जाता हो, वैसी किसी संस्था में अधिकार-स्वीकार न करे। उस समाज का यह निश्चय हो कि चाहे कितना ही नुकसान क्यों न हो, अपने कामों में वह हिंसात्मक इलाजों का स्वीकार न करेगा। जब किसी बुराई को हटाने का अहिंसात्मक इलाज वह बता सके, तब वह उसका प्रयोग करने के लिये आगे बढ़े। उस वक्त अगर समाज की किसी संस्था में उसे अधिकारस्वीकार करने की जरूरत हो, तो वह उतना काम पूरा कर देने के लिये अधिकार ले ले। पर, बाद में फिर उसे आमलोगों के प्रतिनिधियों को सौंप दे। मेरा यह विश्वास है कि उच्च चरित्र, बुद्धि, व्यवहार-कुशलता और अपने कर्षत्रों का अच्छा ज्ञान रखनेवाले सत्याग्रहियों का असा अके समाज हो सकता है जो बिना अधिकार लिये और बिना अहिंसा को छोड़े ही अपनी इतनी प्रतिष्ठा जमा सकता है कि जब वह किसी विषय पर अपनी आवाज उठावे तो वहां की दुनिया को उसे सुनना ही पड़े, और यदि सुनने भर से ही वह उसकी राय मान न ले और उसे दुबारा अपनी आवाज उठानी पड़े तो दुनिया को उसे मानने पर मजबूर हो जाना पड़े। सत्याग्रही समाज न तो कहीं अपने उम्मीदवार खड़े करे और न कहीं गुण्डों की मदद

से अपनी धाक जमावे। वह तो केवल अनेक कब्रों में समाज की सेवा करता रहे। लेकिन फिर भी उसकी यह प्रतिष्ठा हो कि किसी विषय पर वह जो विचार प्रकट करे, उन्हें जनता को और राज को आदर के साथ सुनना ही पड़े, अथवा फिर सत्याग्रही हलाकों का सामना करना पड़े।

गांधी सेवा संघ के विषय में सत्याग्रहियों के इस प्रकार के अके संगठन की मेरी कल्पना थी। हुदली में धारासभा-प्रवेश के विषय में मैं जो आप सबसे असहमत हुआ, उसके पीछे जैसे संघ का स्वप्न ही था। पर मैं उसे आप लोगों पर ठीक ठीक भाषा में प्रकट नहीं कर सका था। आज भी मैं नहीं कह सकता कि मैं अपनी कल्पना कहां तक भलीभांति प्रकट कर सकता हूँ।

हुदली का निर्णय

पर, यह तो संघ के विषय में मेरा ही अपना अके स्वप्न रहा। अंसी किसी कल्पना से इस संघ का निर्माण नहीं हुआ। जिस कल्पना को ले कर संघ बनाया गया था, उसके अनुसार हुदली का निर्णय उचित ही था। उस निर्णय को बदलने की अपेक्षा में तो यह कहूंगा कि अूस वक्त आपने जो कदम उठाया उसीपर आप मजबूती से डेटे रहें। पर यह निश्चय कर लें कि आप जिस संस्था में जायेंगे उसमें अहिंसा का जितना प्रवेश हो सके उतना कराने की पूरी कोशिश करेंगे और व्यवहार्यता के बहाने हिंसा के प्रवाह में बह न जायेंगे। जो संस्था आपकी सेवा चाहे उससे साफ कहें कि आप तो अपना काम सत्य और अहिंसा का पालन करके ही चला सकेंगे, और उसके कारण कभी जैसे मोके भी पैदा हो जाना मुमकिन है जब कि स्थूलरूप में उस संस्था को कुछ नुकसान भी सहना पड़े।

संघ का मार्गदर्शक कैसा हो ?

गांधी सेवा संघ के सदस्यों के लिये ऐसा करना में मुश्किल नहीं समझता। लेकिन, अगर इतनी बड़ी नीति निवाहने के लिये जो दूसरी शर्त जरूरी है वह हम पूरी न करें तो असंतोष अथवा धर्म-संकट अनुभव करते रहना अनिवार्य है। काँग्रेस की तरह गांधी सेवा संघ अपनी कार्य-वाहक समिति द्वारा नहीं चल सकता। वह चल सकता है अंशतः स्वयं सदस्यों की विवेक बुद्धि और सिद्धान्त-निष्ठा के बल, और अंशतः उसके अध्यक्ष अथवा मंत्री द्वारा कराये जानेवाले मार्गदर्शन के आधार पर। इसमें पहली बात मुख्य है। पर दूसरी भी आवश्यक है। मेरा निश्चित मत है कि गांधी सेवा संघ जैसी संस्था केवल कार्यालय सम्हालने वाले अध्यक्ष अथवा मंत्री के द्वारा सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इन दोनों में से कम से कम अके तो अंसा प्राणवान, निष्ठावान, और उत्साही व्यक्ति होना चाहिये जो सदस्यों के कार्यक्षेत्र में आनवाले सब कामों से कुछ न कुछ संपर्क रखनेवाला, स्वयं कुछ न कुछ कर दिखाने वाला हो। अगर वह किसी सदस्य के किसी काम या निर्णय की नुकताचीनी करे, तो अूस नुकताचीनी के पीछे अके सिद्ध-मांत्रिक का बल होना चाहिये। केवल तर्क या विवेचन की पूर्णता होना काफी नहीं है। जिस तरह अनुष्ठान द्वारा मंत्र को बलवान् रखनेवाले मांत्रिक का मंत्रोच्चार व्यर्थ जाता है, या मुश्किल से असर करता है, उसी तरह रचनात्मक या राजनैतिक कामों में कहीं पर भी कर्तृत्वविहीन अध्यक्ष या मंत्री का सिद्धान्त-निरूपण व्यर्थ होता है।

मेरी कठिनाई

अपने लिअे में और ज्यादा क्या कहूँ ? पांच साल तक जिस प्रेम से आपने मुझे अपनाया है और जिस भाव से मेरी ओर देखा है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपके मुँह से मैं अपनी प्रशंसा के शब्द सुनना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि दूसरे किसी सदस्य को अध्ययन बनाने में आप इस या उस विचार से कठिनाई महसूस करते हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप मेरी ओर देखते हैं, और मेरे शरीर पर दया करते हैं। पर, जब मैं इस जिम्मेदारी से मुझे मुक्त करने के लिअे आपसे विनय करता हूँ तब अपने शरीर पर दया का भाव जाग्रत करने में मुझे शर्म आती है। इसमें शक नहीं कि वह अके कमनसीब परिस्थिति है। लेकिन, मैं स्वयं जो मुश्किल अनुभव करता हूँ उसका कारण शरीर की दुर्बलता की अपेक्षा मेरे मन का निरुत्साह है। चारों ओर आन्दोलन, जलसे, जुलस और भिन्न भिन्न बंधनों में तरह तरह की प्रवृत्तियों की जो घूम मची है, अूनमें से किसी में भी मुझे रस नहीं आता। जिन्दा होते हुअे भी अनेक विधियों और रूढ़ियों में मुझे अके रॉबोट (यंत्र-मनुष्य) की तरह काम करना पडता है। आम जनता को विवाह, जनेऊ, ज्ञातिभोज, दिवाली, दशहरा आदि में रस होता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों को झण्डाबन्दन, प्रभातफेरी, गणेशोत्सव, गीताजयन्ती, स्वातंत्र्यदिन, पचास बैल या बावन हाथियों के जुलूस; आदि में मजा आना है। अके समय था जब मैं भी इन सब कार्यों में आनंद से भाग लेता था, पर अब जब कभी मुझपर असे किसी काम में सहयोग देने का कर्तव्यभार आ पडता है, तब उनके करने में जहाँ आसपास के सब लोगों के मुख पर आनंद की लहरें दीख पडती हैं वहाँ मैं तो अपने आप को अके विचट परिस्थिति में फँसे हुअे प्राणी की तरह पाता हूँ। रंगभूमि के अके नट की तरह इसमें अभिनय करने की कला अब तक मैं हासिल नहीं कर सका, और न हासिल करने की रचि ही है। मेरे या गांधी सेवा संघ के सदस्यों के प्रयत्नों की अपेक्षा अखबारवालों और दूसरे सज्जनों की बदीलत संघ को अके अखिल भारतीय संस्था की स्थाति मिली है। उसके कारण संघ के अध्ययन को तरह तरह की राष्ट्रीय संस्थाओं में बुलाया जाता है। इस व्यवहार का प्रति दिन बढता जाना संभव है, और स्वाभाविक भी है।

जिम्मेवारी से छुटकारा चाहता हूँ

फिर मैं स्वयं मानता हूँ और आपका भी यह अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि मैं कम से कम दो-तीन साल में अके बार तो आपके प्रान्त का दौरा करूँ, आपकी संस्था स्वयं देखूँ, आपके साथियों से परिचय करूँ और आपके बीच कुछ दिन रहूँ। यह भी आवश्यक है कि वर्षा में मैं आपको तथा दूसरे भी सेवेच्छु लोगों को कुछ दिन ठहराने का और हमारे सिद्धान्तों से तथा सेवा के तरीकों से परिचित होने का प्रबन्ध करूँ। दौरा करने की मेरी शारीरिक शक्ति कम होती जा रही है और दूसरा प्रबन्ध करने के मानी होते हैं वर्षा में और भी अके संस्था बढाना। यह मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। मैं इस अपेक्षा को अनावश्यक नहीं समझता, लेकिन मेरी यह लाचारी है। मैं तो जब किसी निमित्त से आप वर्षा आ जाते हैं तब भी आपका दो-दिन के लिअे आतिथ्य नहीं कर सकता। इसकी मुझे सदैव बडी शर्म मालूम होती रही है। शरीर तो अस्वस्थ रहते हुअे भी कुछ साल तक चसता रहे यह असंभव नहीं है और दिमाग भी मुश्किल है कि विये हुअे विचारों को प्रकट करने की तथा नये विचार समझने की ताकत खो न बँटे। पर विचारों की ताजगी और कर्तृत्व-

प्रेरक शक्ति अकेल अलग चीज है, जो अगर असल में मुझमें हो तो ही मेरे शब्दों द्वारा पैदा हो सकती है। फिर, अगर मुझसे केवल इसी प्रकार का काम आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिये मुझे अध्यक्षपद की कोई जरूरत नहीं है। जब तक डाकघर मेरी डाक को और प्रकाशक मेरे लेखों को लौटा नहीं देते, भुसे में वैसे भी कर सकूंगा। पर विल अब किसी जिम्मेदारी का बोझ उठाना नहीं चाहता।

यह मेरी स्थिति है। पू० बापूजी तथा कार्यवाहक समिति के सदस्यों के सामने मैं उसे रख चुका हूँ। पू० बापूजी मुझसे कहते हैं “मैं तुम्हें इस वक्त आग्रह नहीं करूंगा। यदि स्वतंत्र-रूप से तुम्हें (अध्यक्ष बने) रहने का धर्म स्वयं सूझ जाय तो अतुल्य है। लेकिन, अगर इससे उलटा ही तुम अनुभव करो, तो मुझे तुम्हारे लिये अनुकूलता कर देनी होगी।”

इस उत्तर से मेरा बोझ और भी बढ़ गया है। मैंने जो कहा है उससे अधिक मैं क्या कहूँ? आप अपनी ओर मेरी दोनों की परिस्थिति का विचार कर के जैसा उचित समझें, वैसा निर्णय करें। अगर आप यही निर्णय करेगे कि आप मुझे छोड़ नहीं सकते तो यह मान कर कि परमेश्वर की अभी यही इच्छा है, मैं बिना आपसे खुशामद कराये उसे मंजूर कर लूंगा, और अपना मन संतुष्ट रखने का प्रयत्न करूंगा।

(मलिकन्दा, पूर्व बंगाल, ता० २० फरवरी १९४०)

राष्ट्रभाषा-परीक्षार्थियोंको उनके अभ्यासमें
सभी प्रकारकी सहायता देनेवाली

मासिक पत्रिका

“ सबकी बोली ”

[राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धासे संचालित]

संपादक :

काका कालेलकर

श्रीमन्नारायण अग्रवाल

हर महीनेकी १५ तारीखको निकलती है

अस पत्रिकाका नियमित प्रकाशन गत अक्टूबर (गांधी-जयन्ती) से शुरू हो गया है । इसमें आपको राष्ट्रभाषा-प्रचार-आन्दोलनकी सभी अत्यंत उपयोगी ताज़ी सामग्री, प्रचार-आंदोलनकी दिशाके संकेत, हिन्दी विद्यार्थियों और परीक्षार्थियोंके कामकी बातें, कहानी, सरल कविता, शब्द-चर्चा, सरल शैलीके निबन्ध, पात्र-चरित्र-चित्रण, परीक्षा-प्रश्नपत्रोंके सरल अन्तर, महापुरुषोंकी जीवनीयों अित्यादि पढ़नेको मिलेगी । तुरंत वार्षिक चंदा रु. १-४-० भेजकर ‘ सबकी बोली ’ के ग्रहक अवश्य बनें ।

व्यवस्थापक,

‘ सबकी बोली ’ वर्धा

संस्था—

‘सर्वोद्यम’ में आम तौर पर अश्लिष्टहार नहीं लिये जायेंगे । अपवाद केवल वाचनीय ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा । अिनके अश्लिष्टहारों के दाम नहीं लिये जायेंगे । केवल कामज, छपाई और डाकसर्च ले कर अश्लिष्टहार छापे जायेंगे । जो साहित्य या संस्था निर्विवादरूप से लोकोपयोगी है, असीको रवाना दिया जायगा । वह व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित की दृष्टि से चलायी जायगी ।

व्यवस्थापक, ‘ सर्वोद्यम ’, वर्धा ।

ये अुद्गार भी तो अेक सच्चे मुसलमान के ही हैं


अिस संक्षिप्त अतिहासिक सिद्धान्तोकन का निचोड़ दो शब्दों में दिया जा सकता है—जो अुन तत्त्वों को और शर्तों को, जिनके आधार पर हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, बिलकुल साफ़ साफ़ और पूरी तरह व्यक्त करते हैं। हम “हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं।” ये दो शब्द—‘हिन्दुस्तानी मुसलमान’—हमारी राष्ट्रीयता और धर्मभावना व्यक्त करते हैं। अिन दो बातों से संबंध रखनेवाली जिम्मेदारियां और कर्तव्य जब तक हम अपनी दृष्टि के सामने रखेंगे तब तक हम गुमराह नहीं होंगे। हिन्दुस्तानी मुसलमान पहले हिन्दुस्तानी हैं। अपने गैरमुसलिम भाअियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है अिस विषय में मैंने अपने विचार कभी छिपाये नहीं हैं; अिसलिये जो कुछ मैं कहता आया हूँ अुसे दुहराने के सिवाय और क्या कर सकता हूँ? मैं अुन आदमियों में से हूँ जो भारतीय राजनीति की तरफ़ संकीर्ण या सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखते। जहाँ हिन्दुस्तान की भलाअी का या, हिन्दुस्तानियों के साथ न्याय का, सवाल हो वहाँ मैं केवल सबसे पहले हिन्दुस्तानी ही नहीं हूँ; बल्कि बाद में भी हिन्दुस्तानी हूँ और अखिर में भी हिन्दुस्तानी ही हूँ—केवल हिन्दुस्तानी ही हूँ। मैं किसी जमात या व्यक्ति का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं अुनके साथ हूँ जो न केवल किसी जमात के बल्कि किसी व्यक्ति के भी हित या अधिकार को बिना नुकसान पहुँचाये समूचे हिन्दुस्तान की अुन्नति चाहते हैं।

१९१५ की मुस्लिमलीग का }
अध्यक्षीय भाषण }

मजदुल हक

संवाद

अथ वा: पन्थाः सुकृतस्य लोके



सम्पादक
काका काल/लकर
दादा धर्माधिकारी

वर्ष २ रा
अंक ९ वाँ

अप्रैष
१९४०

बैक बंक...	...	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में	६	शिखिग
		१.५०	डॉलर.
(सब डाक-सहित)			

अनुक्रमणिका

१. भीष्मावास्थोपनिषत् (विनोबा)	४१३
२. गांधीजी का भाषण—१	४१५
३. गांधीजी से परिग्रहन	४२६
४. सरदार वल्लभभाजी का भाषण	४३७
५. गांधीजी का भाषण—२	४४२
६. संघ का परिवर्तन (श्री किशोरलाल घ. मशरूवाला)	४५३
७. संस्था या संघ (श्री काका कालेलकर)	४५८
८. भूपसंहार	४६५
१. गांधीजी का अन्तिम भाषण			
२. श्री किशोरलालभाजी का भाषण			
३. श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू का भाषण			
९. प्रेम और मोह (श्री हरिभाजू भृपाध्याय)	४७०
१०. संघवृत्त	४७१
११. सर्वोदय की दृष्टि	४७३

अद्भुत अनासक्ति; संस्था-परायणता बनाम प्रगति; 'पूर्णसेवावशिष्यते'; विधायक और व्यावर्तक राष्ट्रीयता; 'हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का'; राष्ट्रीय सप्ताह की विशेषता; संघ के भूतपूर्व सदस्य अपने दिल के भाव लिखें;

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादा धर्माधिकारी

अप्रैल, १९४०
वर्षा

शीशावास्योपनिषत् [विनोबा]

मंत्र—पूषन्नेकर्षे यम सूर्यप्राजापत्यव्यूह रश्मीन्समूह ।

तेजो गन्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥

अर्थ—तू अिस विश्व का पोषण करनेवाला और तू ही अकेला निरीक्षक है । तू ही नियमन करनेवाला और प्रवर्तन करनेवाला है । तू सबका प्रजावन् पालन करनेवाला है । तू अपनी ये (पोषणादि) रश्मियां खोल कर और अंकत्रित कर दिखा । तेरा तेजस्वी और परम कल्याणमय रूप (अिस समय) में देख रहा हूँ । जो वह पुरुष है वही मैं हूँ ।

टिप्पणी—(१) यहाँ सूर्य के प्रतीक द्वारा भीश्वर का ध्यान करना है । जो अन्तर्यामी सूर्य का प्रेरक है वही मेरी बुद्धि का प्रेरक है । 'सत्य' अृसकी संज्ञा (नाम) है । 'सूर्य' और 'बुद्धि' को ही सुनहरे ढँकने समझना चाहिये ।

मंत्र—वायुरनिलममृतमथेद् अस्मान्तं शरीरम् ।

ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ १७ ॥

अर्थ—यह प्राण अृस अमृत और चैतन्यमय वायु में घुलमिल जायेगा और अिम शरीर की राख होंगी । हे संकल्पमय जीव भीश्वर का नाम ले कर याद कर अपना किया हुआ याद कर । हे (मेरे) जीव, याद कर, किया हुआ याद कर ।

टिप्पणी—(१) यहाँ वायु के प्रतीक में भीश्वर का ध्यान करना है । जो अंतर्दामी वायु का चालक है वही मेरे प्राण का चालक है । 'सत्य' अृसकी संज्ञा (नाम) है । "वायु" और "प्राण" सुनहरे ढँकने समझे जायें ।

**मंत्र—अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्निश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम अ्क्ति विधेम ॥ १८ ॥**

अर्थ—हे अग्नि, विद्वत् में जितने ज्ञान है अग्निकी थाह तूने पा ली है । हमें सीधे रास्ते से अग्निस परमानन्द की ओर ले जा । आडाटेड़ा चलनेवाला पाप हमसे दूर कर । तुझसे हम बार बार नम्र वचनों से विनय करते हैं ।

टिप्पणियाँ—(१) यहाँ अग्नि प्रतीक में भीश्वर का ध्यान विहित है । जो अंतर्दामी अग्नि का बुद्धीपक है वही मेरे शरीर का बुद्धीपक है । 'सत्य' अग्निकी संज्ञा (नाम) है । 'अग्नि' और 'शरीर' सुनहरे ढँकने समझने चाहिये ।

(२) कुछ पाठभेदों को छोड़ कर, यह अपनिपत् यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है । जिसलिअे यह मंत्र भी यजुर्वेदगत ही है । लेकिन मूल यजुर्वेद में भी वह अग्निकी संज्ञा से आया है । (अग्निकी संज्ञा १. १८९. १.) । यदि मनुष्य मे कोअी गहित कर्म हो जाये, या मार्गभ्रंश हो जाये, तो अग्नि अवसर पर शास्त्र में जिस मंत्र के जप का विधान है ।

(३) मंत्र १६ से १८ तक की ध्यानत्रयी मिल कर अेक संपूर्ण चिंतन है । "भूः भुवः स्वः" ये अकार की तीन मात्रायें हैं । पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ये अग्निकी आधिभौतिक अर्थ हैं । अग्नि, वायु, सूर्य, ये अग्निकी अधिदेवत हैं और शरीर, प्राण, बुद्धि, ये अग्निकी अध्यात्म हैं ।

**शान्तिमन्त्र—ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥**

अर्थ—वह पूर्ण है, यह पूर्ण है । पूर्ण से पूर्ण ही निष्पन्न होता है । पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने से बाकी पूर्ण ही बच जाता है ।

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भूल सुधार

मार्च के अंक में—पृष्ठ ३६९; पंक्ति २३ में 'हिंसा' और 'हिंसा' की व्याख्या की जगह 'अहिंसा' और 'हिंसा' की व्याख्या पढा जाय ।

गांधीजी का भाषण

-१-

भाबियो और बहनो,

मेरी दुविधा

भाभी जाजूजी ने आपसे कह दिया है कि अगर मैं मनाही नहीं करता तो किशोरलाल आज आग्रह-पूर्वक यहां आनेवाले थे। आपसे मैं जो कुछ कहूंगा उसे वे सुनना चाहते थे। मैंने उनसे कह दिया कि तुम्हें उसके सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका जी नहीं मानता। असलिये अन्होंने कहा कि मैं 'लाभुड स्टीकर' के जरिये अपने कमरे में पड़े पड़े सुन लूंगा। कल उनका भाषण जब पढ़ा जा रहा था तो वे सुन सकते थे। असी तरह आज मेरा भाषण भी सुन लेगे। आज मैं कुछ दुविधा में पड़ा हूँ। सामान्यतः अंसा नहीं होता; जो शब्द मैं बोलना चाहना हूँ, वे सहज में अपने आप अंसे ही आ जाते हैं। आज अंसा होगा या नहीं; यह मैं नहीं जानता। मैं अब भी विचार तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्या सलाह दूँ। लेकिन अभी तक मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि मैं आप लोगों को कौनसी निश्चित सलाह दूंगा।

प्रफुल्लबाबू की श्रद्धा के मानी

पहले प्रफुल्लबाबू ने जो कुछ कहा उसके विषय में दो शब्द कहना चाहता हूँ। अन्होंने जो कहा वह अगर दर असल उनके हृदय की ध्वनि है तो मैं कहूंगा कि अन्होंने मेरी बात ठीक ठीक समझ ली है। मैंने 'अगर' शब्द का अुपयोग जानबूझ कर सावधानी के कारण किया है। मैं मनुष्य के हृदय को थोड़े ही पहचान सकता हूँ? अगर अन्होंने केवल भावनावश हो कर, जोश में आ कर, शब्दों का अुच्चारण किया है, उसके अर्थ को अगर वे घोंट घोंट कर गी नहीं गये हैं, तो अुससे किसीका कोभी फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरा विश्वास और आशा है कि अन्होंने केवल अुच्चारणमात्र नहीं किया है, बल्कि अपनी श्रद्धा का दर्शन हमें कराया है। मैं भी मानता हूँ कि गांधी सेवा संघ के सदस्य अगर अपनी अपनी दूसरी प्रवृत्तियां छोड़ कर चरखे को ही ले कर बैठ जायें तो भी हम हिन्दुस्तान की आजादी पा सकेंगे। ये विचार तो मेरे हैं; मगर अुन्हे पकट करने की मेरी हिम्मत नहीं है। प्रफुल्लबाबू ने बिना हिचके अुन्हें पकट करने की हिम्मत की।

अन्होंने कह दिया कि दो सौ या तीन सौ आदमियों से काम नहीं चलेगा, कम-से-कम अेक लाख आदमी चाहिएँ। लेकिन यहां तो तीस कोटि मनुष्य पड़े हैं। तीस कोटि में अेक लाख तो बिन्दुमात्र है। परंतु यदि अेक लाख मनुष्य भी विश्वास से काम करें तो बड़ी शक्ति पैदा कर सकते हैं। यह श्रद्धा की बात है, सिद्ध करने की नहीं। असका आंकड़ों से हिसाब नहीं किया जा सकता। मैं आंकड़ों का भी हिसाब करा रहा हूँ। चरखे से हिन्दुस्तान का कपड़े का सवाल कैसे हल किया जा सकता है, यह आंकड़ों से दिखाना पड़ेगा। अुसके लिये आंकड़े तैयार करने को कृष्णदास गांधी से कहा है। वह सारा हिसाब मैं कर रहा हूँ और दूसरो से करा रहा हूँ। हिसाब जब पूरा हो जायगा तो अुसे प्रकाशित भी करूंगा।

लेकिन प्रफुल्लबाबू ने जिस बात पर जोर दे कर कहा है, वह यह है कि हर अेक कार्यकर्ता कम-से-कम अेक लाख गज सूत काता करे। यह प्रश्न केवल आंकड़े और हिसाब का नहीं है। अन्होंने तो यह भी कहा है कि अुनका यह विश्वास है कि चरखा अहिंसा का प्रतीक है। इसी विश्वास से अगर श्रद्धालु आदमी काम करें तो अुसका चेप (छूत) फैल जाता है। रोग का भी छूत फैलता है, लेकिन वह नाशक होता है। श्रद्धा का छूत पोषक होता है। रोग के जब

से अेक अैसा आदमी कहता है जो सारासार विचार कर सकता है, जिसका मस्तिष्क काम करता है, और जिसने सफलता-पूर्वक वकालत भी की है। मैं यह सावधी देता हूँ कि हम यदि अहिंसा का अनुसंधान करके ध्यानपूर्वक चरखा नहीं चलाते हैं तो गांधीवाद का अवश्य ध्वंस हो जाना चाहिये। क्यों कि फिर अुसमें कोअी शक्ति नहीं रह जाती।

माला फेरने का वृष्टान्त

अेक दृष्टान्त देता हूँ। अेक आदमी है, वह माला तो फेरता है लेकिन अुसका दिल अुपर को जाता है, नीचे को जाता है, चारों ओर भटकता फिरता है; तो वह माला अुसको गिराती है। वह झूठा आश्वासन लेता है कि मैं माला फेरता हूँ। वहाँ माला का अीश्वर से अनुसंधान नहीं है। वह कितना ही माला फेरता रहे ज्यों का त्यों रहेगा। अुसकी अंगुलियों में कष्ट होना शुरू हो जाता है। अुसकी माला निकम्मी ही नहीं है, नुकसानदेह भी है। क्योंकि अुसमें दंभ है। माला अनेक धर्मों में अनादि काल से नामस्मरण का साधन रही है। लेकिन जहाँ ध्यान और अनुसंधान नहीं है वहाँ दंभ ही रह जाता है। अिस तरह माला फेरनेवाला अीश्वर को धोखा देता है और जगत को भी।

यही बात चरखे पर लागू है। अरखे में मैने जो शक्ति पायी वह यदि आप न पावें; जैसी मेरी श्रद्धा है वैसी अगर आपकी न हो; तो वह चरखा ही आपका नाश करेगा। आप गांधी सेवा संघ के सदस्य हैं, अिसलिये अेक लाख गज सूत कात लेंगे। धोत्रे अपने विवरण मे हिसाब देगा कि अितना अितना सूत हुआ। आप कहेंगे प्रगति है। मे कहूँगा नहीं। आपको अभिमान हो जायगा। मैं कहूँगा कि अगर जड़वत् माला फेरने मे दंभ है तो यंत्रवत् चरखा चलाने में आत्म-बंधना है और, आपको अभिमान होने लगेगा अिसलिये, दंभ भी है। अगर अैसा न होता तो चरखा कातनेवाली लाखों स्त्रियों को हम संघ का सदस्य बना लेते। लेकिन हमारे दिल में यह विचार कभी आया ही नहीं।

जब आप अनुसंधान से कातेगे, चरखे के तमाम सहचारी भावों को समझवृक्ष कर ज्ञान-पूर्वक कातेगे, तब वह आपकी बुद्धि को सतेज बनायेगा। अुसमे आपके हृदय को बल मिलेगा। आपकी बुद्धि का और हृदय का बन दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। आपका मूत अच्छा निकलने लगेगा। आप विचार करने लगेगे कि चरखे से स्वराज्य कैसे मिलेगा? आपको हर दिन नयी नयी बातें दिवायी देने लगेगी। और अिस तरह चरखा आपको आपके अभीष्ट के अधिकाधिक निकट पहुँचाता रहेगा। चरखा अहिंसा का प्रतीक है, अिसका क्या अर्थ है, अिसका मैने थोडा-सा दिग्दर्शन कराया। प्रफुल्लबाबू ने जो कुछ कहा अुसमे क्या चीज भरी है, अिसका भी थोडा-सा स्पष्टीकरण किया। अब मैं अिस बात को लबाना नहीं चाहता। मुझे डर है कि जितने आदमी यहाँ आये हैं अुनमें अहिंसा का अैसा बल नहीं है।

मुझमें भी सूक्ष्म असत्य

अिसलिये हम अपना निरीक्षण करें। "क्या हम वैसे अहिंसावादी है जैसा कि हमें होना चाहिये? क्या हम राग-द्वेष के अधीन हो कर हिंसा नहीं करते? जिनके साथ हम बैठे हैं, जिनके साथ हमें काम करना है, क्या अुनके लिये हमारे दिल में कोअी प्रेम है?" मैं अपना आत्म-निरीक्षण अिसी प्रकार करता हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं खुद वैसा अहिंसक नहीं हूँ। हाल ही में, कोअी चार पाँच दिन की बात है, अग्ने व्यवहार पर से मुझे पता चला कि मेरे

बर्नाब में भी अनजान में असत्य आ जाता है। सेगांव में मैं अकसर मौन रहता हूँ। मौन रहने से मुझे शान्ति मिलती है। दिन पर से अंक बोझ-सा भुतर जाता है। अगर मुझसे कोभी हमेशा के लिये मौन रहने के लिये कहे तो मैं नाचूंगा। सेगांव में अक्सर मुझे जो कहना होता है उसे मैं लिख देता हूँ। लेकिन अितने दिन के अनुभव के बाद भी मैं कहता हूँ कि मुझमें असत्य ने स्थान लिया है। अहिंसा के खयाल से मनुष्य दूसरे को खुश करना चाहता है। धर्म भी कहता है कि सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। लेकिन यह बड़ा कठिन प्रयत्न है। मधुर बोलने के प्रयत्न में से भी असत्य आ जाता है। केवल लोगों को अच्छा लगे अिसलिये उन्हें खुश करने को कुछ कहना धर्म नहीं है। शास्त्रकारों का जो वाक्य है उसकी मैं विस्तृत व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ। अन्होंने तो ठीक ही कहा है कि सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। लेकिन हम अनका पूरा वाक्य कहाँ समझते हैं? हम तो दूसरों को खुश करने के लिये केवल प्रिय ही बोलते हैं। यह धर्म नहीं है। सेगांव में कोभी आना चाहता है। मान लीजिए प्रेमाबहन आना चाहती हैं। मुझसे पूछती है, 'मे आ जाऊँ?' उसे प्रसन्न करने के लिये मैं कह देता हूँ 'आ सकती है।' अिसका विचार नहीं करता कि वहाँ उसका कोभी काम है या नहीं? मुझे आप वेद्य, नेता या शिष्यक, चाहे जो भी समझें। तो भी मेरा यह धर्म है कि अिस प्रकार का असत्य न करूँ। जहाँ सेवा की जरूरत नहीं होती, अिच्छा भी नहीं होती, वहाँ केवल दूसरों की मर्जी के लिये सेवा ले लेता हूँ। परसों शान्तिनिकेतन जाना था। वहाँ वसुमति, अनमूया और दूसरे लोग आना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो मेरी तीर्थयात्रा है। वहाँ बहुत लोगों को क्यों ले जाऊँ? लेकिन मुझे मंकोच हुआ। अुनको खुश करने के लिये मैंने कहा शान्तिनिकेतन से पूछ लिया जाय। महादेव ने तार दे कर पूछा। वे बेचारे अिनकार थोड़े ही कर सकते थे? अन्होंने कहा जितने आओगे सबका स्वागत है। लेकिन मैं अगर सबको ले जाता तो बेवकूफ बनता। क्योंकि न शान्तिनिकेतनवालों को शान्ति रहनी और न मुझे ही। अिस प्रकार अुनके आतिथ्य पर बोझ डालना मेरा धर्म नहीं था। मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने साथियों से कह देता कि मैं अुन्हींको ले जाऊंगा जिनकी कि मुझे अपने काम के लिये जरूरत है। लेकिन मैं बजदिल बन गया। मेरा सत्यवादित्व भी गया और अहिंसा भी गयी। परंतु अन्त में मैंने निडर बन कर सबको लिख दिया कि मैं सिर्फ अिने-गिने लोगों को ही साथ में ले जाऊंगा। मेरे साथी-भागी से मेरे साथी मेरे अिस प्रकार आगा-पीछा करने को सह लेते हैं।

‘हिन्द स्वराज्य’ कैसे लिखी

अगर मुझको नेतागिरी करना है, करोड़ों को रास्ता दिखाना है, अुन्हें अपने पीछे दरिया में फेंक देना है, तो मुझे लज्जा के कारण असत्य नहीं करना चाहिये। अगर मैं ऐसा करूंगा तो नेतागिरी के लिये नालायक ठहरूंगा। अहिंसा की नीति का यह आवश्यक अंग है। मैंने चरखे को अुस नीति का व्यक्त प्रतीक माना है। आप मुझसे पूछेंगे कि यह सब तुमने कहाँ से पाया? मैं कहूंगा, सेवा के अनुभव से। १९०८ से मेरे दिल में यह बात जमी हुई थी। अुस समय तो मैं करघे-चरखे का भेद भी नहीं जानता था। लेकिन बीज रूप में चरखे से मुझे प्रेरणा मिली। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैंने ‘हिन्द स्वराज्य’ किसके लिये लिखा। अब तो वे मर गये हैं अिसलिये अुनका नाम बताने में भी हर्ज नहीं है। मैंने सारा ‘हिन्द स्वराज्य’ अपने मित्र डा० प्राणजीवन महेता के लिये लिखा। अुनसे जो चर्चा हुई थी वही अुसमें आयी है। अेक महीना मैं डा० महेता के साथ रहा। वे मुझे प्यार करते थे लेकिन मेरी बुद्धि की

कैसे कर सकते हैं ? अनुपर दया करेंगे। वे अज्ञानी हैं जिसलिअे बीश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह अन्हें ज्ञान दे। हम तितिकषा से अुनके आघात सह लेंगे। हमारे हृदय से दया के अुद्गार निकलेंगे। सिर्फ लोगों को सुनाने के लिअे नहीं; बल्कि सच्चे दिल से हम अनुपर दया करेंगे। कोअी मुझपर हमला करता है लेकिन मुझे अुसपर गुस्सा नहीं आता। वह मारता जाता है, मैं सहता जाता हूँ; मरते मरते भी मेरे मुख पर दर्द का भाव नहीं, बल्कि हास्य है, मेरे दिल में रोष के बदले दया है—तो मैं कहूंगा कि हमने वीरपुरुषों की अहिंसा सिद्ध कर ली। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपको गाली देते रहते हैं, क्या अुनके प्रति आपके दिल में दया है ? समाजवादी और दूसरे सब 'वादी' जो हमारा विरोध करते हैं, क्या अुनके लिअे हमारे दिल में दया है ? अहिंसा में अितनी ताकत है कि वह विरोधियों को मित्र बना लेती है और अुनका प्रेम प्राप्त कर लेती है। मुझे डर है, और मेरे पास अंसे सबूत हैं, कि हम अंसे नहीं है। हममें से अंसे जो नहीं है अुन्हें प्रामाणिकता से संघ से हट जाना चाहिये। सभी अंक-से हों तो सभी को हट जाना होगा। शायद मुझे भी कहना पड़े कि मैं भी अिस लायक नहीं हूँ। तब तो यहाँ से संघ की पूर्णाहुति ही करके जाना अच्छा है। हम किशोरलालभावी पर संघ के संचालन का बोझ क्यों रखें ? क्या हमें अुन्हें यहाँ दफन करना है ? अुन्हें रातदिन संघ की चिंता रहती है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वह धोत्रे पड़ा है। काम के बोझ के नीचे दबा जा रहा है। क्यों न हम अुनको अुस बोझ से मुक्त कर दें ?

संघ का विसर्जन कर दीजिये

मैं आपसे कहता हूँ कि संघ का विसर्जन करने में हमारी कोअी हानि नहीं है। संघ में अगर कुछ है तो अुसके तीन सौ सदस्य अुसकी तीन सौ शाखायें हो जाती हैं। और अिस प्रकार की शक्ति अगर हमारे सदस्य नहीं दिखा सकते तब तो कहना पड़ेगा कि संघ में कुछ था ही नहीं। तब फिर अुसे कायम रखने से क्या लाभ ? मेरी तो यही सलाह है कि हम अुसकी पूर्णाहुति करके यहाँ से जायें।

हम यह कदम डर के मारे नहीं अुठा रहे हैं। अपने बल का संग्रह करने के लिअे अुठा रहे हैं। क्योंकि अगर हम यह काम शुद्ध बुद्धि से करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और आज हमारी हस्ती से जो डर पैदा हो रहा है वह नहीं रहेगा। हमारी शक्ति अगर किसी के दिल में डर पैदा करती है, या हिंसा की प्रेरणा करती है, तो वह अहिंसक नहीं हो सकती। अुस हालत में हम संघ का आश्रय लेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वह हमें अहिंसक शक्ति नहीं दे सकता। और न हम अुसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम तो खुद ही आश्रय चाहते हैं। अगर हम पैसे के लिअे या सामुदायिक बल के लिअे संघ का आश्रय चाहते हों तो हम सत्य और अहिंसा के अभ्यास के लिअे निकम्मे हैं। अगर हमारे लिअे भगवान का आश्रय काफी नहीं है तो हमारे हिसाब में गलती है।

जब हम संस्था के अिस बाह्य रूप का अन्त कर देंगे तो हमारे अन्दर नम्रता की शक्ति पैदा होगी। अंग्रेजी में अेक कहावत है कि 'जो यह जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता वही दर असल ज्ञानी है'। जिस दिन हम अितने नम्र हो जायेंगे कि अपने आपको शून्यवत् बना लेंगे अुसी दिन हमारी शक्ति बढ़ेगी। फिर तो गांधी सेवा संघ अेक दूसरी ही अनीली अव्यक्त संस्था बन जायगी। वह सीता जो लुप्त हो गयी, अमर है। आज तक हम अुसका नाम ले कर पावन होते हैं। वह सीता जिन्दा है। छाया की सीता मर गयी। अगर हम दर असल शक्तिशाली होना चाहते हैं तो संघ का विसर्जन कर दें। यह भी शक्ति का काम है। अिसके लिअे भी हिम्मत और बल चाहिये।

राज्यप्रकरण को भुला दीजिये

अगर आपमें यह शक्ति नहीं है तो आप संघ को दूसरा रूप दे दें। मेरी यह स्पष्ट राय है कि आप राज्य-प्रकरण भूल जायें। मैं वही शख्स हूँ जिसने हुदली में कहा था कि हम राज्य-प्रकरण में चले जायें। मैंने ही आपको राज्य-प्रकरण में खींचा था, उसके लिये मुझे पश्चात्ताप नहीं है। उस समय की परिस्थिति में वही सलाह ठीक थी। अगर हम राजकारण में न पड़ते तो आज जो अनुभव हमें मिला है वह कभी न मिलता। किशोरलाल ने मुझे कभी अुदाहरण मुनाये कि हम किस तरह इस छोटे-से संघ में पदों और अधिकारों के लिये लड़े। इसका यह अर्थ है कि हमारे में अहिंसा की शक्ति नहीं है, काफी मात्रा में सत्य भी नहीं है। अगर हम अपने राजनैतिक व्यवहार में सत्य और अहिंसा की शक्ति प्रकट करते तो अतिहास कुछ दूसरा ही हो जाता।

हमारे अन्दर आग बढ़ने की, नेता बनने की, महत्त्वाकांक्षा रही। लेकिन नेता बनने का असली अर्थ हम नहीं समझ सके। 'मैं सबसे बड़ा नेता बन जाऊँ' इसका अर्थ यह है कि 'मैं सबसे बड़ा सेवक बन जाऊँ'। सेवा भी उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा की जरूरत नहीं है उसकी सेवा करना ढांग है। वह तो दम है।

मेरी अंसी ही सेवा की जाती है। यह भी मेरे असत्य का ही अंक अुदाहरण है। मैं अपने असत्य कहां तक गिनाऊँ। उनकी तो लंबी फेहरिस्त हो जायगी। मुझे पैर दबवाने की जरूरत नहीं होनी। दूसरों को खुश करने के लिये नाहक पैर दबवाता हूँ। मेरा पतन होता है। वह (पैर दबानेवाला) समझना है कि उसे पुण्य मिलता है। लेकिन वह भी पुण्य नहीं ले जाता। थोड़ा-सा भोग ले जाता है। यह सेवा नहीं है।

अिसी तरह हम अधिकार और सत्ता के द्वारा सेवा का दंभ करते हैं। लोगों को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम सेवा में लगे हैं। असलिये हमारा धर्म तो यह है कि हम राज्य-प्रकरण को भूल जायें। तब तक भूल जायें जब तक देश के सभी दल हमसे आ कर यह न कहें कि 'तुम आओ, तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बगैर काम नहीं चलता।' तब तक हम बैठे बैठे सेवा करते रहें। नालायक और निठल्ले बन कर बैठे रहें अंसा नहीं। आखिर जो भिन्न भिन्न संस्थाओं के अधिकारपदों पर चुने जाते हैं, अंसे आदमी अंक लाख भी तो नहीं होंगे। हम लाख में से अंक न बनें। हम तो तीस कोटि में से अंक बनें। हम तीस कोटि में से अंक लाख में क्यों जायें? अंक लाख के लिये हम शून्य हो जायें। तीस कोटि में घुल-मिल जाना बहुत बड़ी बात है।

वल्लभभात्री का अंसा खयाल है कि शायद संघ के अधिकांश सदस्य राज्य-प्रकरण में हैं। अगर वे सब छोड़ दें तो संघ में कितने आदमी रह जाते हैं? चार-छह आदमी शायद रह जायें। मैं नहीं जानता कि कितने सदस्य राजकारण में पड़े हैं। मैंने धोत्रे से फेहरिस्त मांगी है। लेकिन अुससे मेरी सलाह में कांभी अन्तर नहीं पड़ता। मैं यह कब कहता हूँ कि वे सब राज्य-प्रकरण से भाग जायें। अगर वे वहां पैसे और सत्ता के मोह से या प्रतिष्ठा के लिये रहते हों तो अुन्हें निकल जाना चाहिये। अगर सेवा-भाव से रहते हों तो रहे। लेकिन इस की परीक्षा कौन करेगा? मैं नहीं कर सकता, न किशोरलाल ही कर सकता है। वह कौंभी भगवान थोड़े ही है? किसीके दिल का हाल वह क्या जाने? मैं राजकारण छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि जो राज-कारण में हैं वे वहां अपनी हिम्मत पर रहें। संघ के आश्रय की अपेक्षा न रखें। असलिये जो राजकारण में हैं, या जाना चाहते

ह, वे संघ छोड़ दें। अगर सभी जैसे हैं तो संघ अपने आप खतम हो जाता है। दो चार ही बच जाते हैं तो भी संघ कायम रखने की जरूरत नहीं है।

सच्चा संगठन

हर अंक सदस्य जो कुछ करे अपनी जवाबदारी पर करे। मैं तो निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि आपको गांधी-सेवा संघ को समेट ही लेना चाहिये। उसके बाह्य रूप का सोप ही कर देना चाहिये। हम चाहे कौण्डेस में रहें, या रचनात्मक कार्य में रहें, अपनी जिम्मेवारी पर रहें। खामरूचाह क्यों गांधी को, या गांधीवाद जैसी कोअी चीज हो तो अुसको, बदनाम करें? संघ के रहने से यह व्यर्थ का अभिमान पैदा होता है कि हम दूसरों से अच्छे हैं। दर असल हम दूसरों से किसी बात में अच्छे नहीं हैं। जैसे दूसरे हैं वैसे ही हम हैं—कुछ कम या अधिक मात्रा में। इस तरह की तुलना करना हमारे लिये सज्जा की बात है। हमको तो दूसरों में घुल-मिल कर अुनकी सेवा करना है। दूध में मिश्री जिस तरह मिल जाती है अुसी तरह हम सबमें घुल जावें। हम जो कुछ हैं अपने दिल में रहे, अपने सिद्धान्तों पर नम्रता से दृढ़ रहे और शून्य हो कर सेवा करते रहे।

अगर आपमें हिम्मत है तो आप गांधी सेवा संघ को समेट लें; अथवा अगर अुतनी हिम्मत नहीं है, तो राज्य-प्रकरण में से हट जायें। यानी किसी भी कौण्डेस कमेटी में गांधी सेवा संघ का कोअी सदस्य न रहे। संघ के रूप को समेटने पर भी हमारा आन्तरिक संबंध तो कायम ही रहेगा। हम अेक-दूसरे के साथ अगर सिद्धान्तों के और प्रेम के बन्धन से बंधे हैं तो हमारा अेक अन्वयत संगठन रहेगा। वही सच्चा संगठन होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोअी गुप्त संगठन करने जा रहे हैं। हमे किसी स्थूल संगठन की जरूरत ही नहीं है। जो चीज हमने गांधी सेवा संघ से पायी है अुसे हमसे कौन छीन सकता है? हमने जो कुछ प्राप्त कर लिया है अुसे खोने का कोअी डर नहीं। हृदय-तंत्र के साथ मिली हुई चीज कोअी नहीं छीन सकता। हम अपने सिद्धान्तों का त्याग कभी नहीं करेगे। हम तो अपने को असत्य के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। जब कि अितनी कटुता और अितना जहर फैल रहा है तो खामोशी के सिवा दूसरा कोअी अुपाय नहीं।

मैं यह नहीं कहता कि हमने आज तक जो किया वह गलन था। वह तो आवश्यक ही था। अुससे हमें नयी शिक्षा और नया अनुभव मिला। अब हम अेक नये युग का आरंभ कर रहे हैं। जो लोग राजकारण में सत्य और अहिंसा को निबाह सकते हैं वे वहाँ रहें, लेकिन संघ को छोड़ दें। संघ में राज्य-प्रकरण नहीं रहेगा। राज्य-प्रकरण के बाद रचनात्मक काम ही रह जाता है। लेकिन चरखा संघ आदि संस्थायें जो काम कर रही हैं अुसके बाद क्या बच जाता है? यह दूसरा सवाल है। अुसको तो बाद में लूंगा। आपको समझाते समझाते मेरा दिमाग साफ हो गया है। इसलिये अेक बात मैंने निश्चितरूप में आपके सामने रख दी है कि आप संघ की पूर्णाहुति कर दें। कम-से-कम अुसमें से राजकारण त्रिलकुल निकाल दें। तब फिर संघ का क्या रूप बन जाता है यह सवाल बाद में आयेगा।

अपनी हिम्मत पर राजकारण करें

आजूजी-जो राज्य-प्रकरण में सेवा-भाव से रहे हैं क्या वे भी हट जायें? अगर अुनकी संस्था अधिक हो तो भी क्या संघ को समेट ले?

झंडा-बन्दन

[श्री गियारामसरण गुप्त]

एक हमारा ऊँचा झंडा, एक हमारा देश,
अस झंडे के नीचे निश्चित एक अमिट अरुदेश ।
हमारा एक अमिट अरुदेश ।

देखा जायति के प्रभात में एक स्वतन्त्र प्रकाश;
फेला है सब ओर एक-सा एक अतुल अरुलास ।
कोटि कोटि कंटों में कुञ्जित एक विजय-विश्वास,
मुक्त पवन में अड़ अुठने का एक अमर अभिलाष ।

सबका सुहित, मुमंगल सबका, नहीं वैर-विद्वेष,
एक हमारा ऊँचा झंडा, एक हमारा देश ।

कितने वीरों ने कर करके प्राणों का बलिदान,
मरने-मरते भी गाया है अस झंडे का गान ।
रखेंगे ऊँचे अुठ हम भी अक्षय असकी आन,
चखेंगे असकी छाया में रस-विष एक समान ।

एक हमारी सुख-सुविधा है, एक हमारा क्लेश,
एक हमारा ऊँचा झंडा, एक हमारा देश ।

मातृभूमि की मानवता का जागत जयजयकार;
फहर अुठे ऊँचे से ऊँचा यह अविरोध, अुदार ।
माहस, अभय और पारुष का यह सजीव संचार;
लहर अुठे जन-जन के मन में सत्य अहिंसा प्यार ।

अगणित धाराओं का संगम, मिलन-तीर्थ-सन्देश;
एक हमारा ऊँचा झंडा, एक हमारा देश ।

सुनें सब, एक हमारा देश ।

गांधीजी—वे रहें। लेकिन संघ के सदस्यों के रूप में नहीं। अगर वे स्वतंत्ररूप से नहीं रह सकते तो वे निकम्मे हैं। सरदार और राजेन्द्रबाबू राजकारण से हटने लगे तो मैं उनको रोकूंगा। लेकिन वे संघ के सदस्य न रहें। मैं जानता हूँ कि वे अपने बल पर सेवा-भाव से राजकारण में रह सकते हैं। अब अगर कोई ऐसे लोगों का वर्ग रह जाता है जो कि अकेले-दूसरे की गरमी चाहते हैं तो उनका विचार वे करेंगे। संघ नहीं कर सकता। अहिंसा ऐसी शक्ति है कि अमे सिवा अीश्वर के कोई भी मदद नहीं चाहिये। अगर वे ऐसे नहीं हैं तो वे पंगु हैं। जो राज्य-प्रकरण में पड़े हैं उन्हें पंगु नहीं होना चाहिये। क्योंकि वहाँ तो अहिंसा की कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ अितनी कड़ी नहीं होती। राज्य-प्रकरण में जानेवालों को किसी के आश्रय की जरूरत नहीं होनी चाहिये। अेक अीश्वर का आश्रय बस है।

अब अगर इस प्रकार अपनी हिम्मत पर सेवा-भाव से राज-कारण में पड़नेवाले सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी हो, तो भी क्या हर्ज है ? संघ में चार-छह ही आदमी रह जायें तो भी मैं नाचूंगा। अगर वे सच्चे होंगे तो छह के छह करोड़ हो जायेंगे। उनमें अितनी शक्ति होगी। मेरा अितना ही कहना है कि जो सेवाभाव से राज्य-प्रकरण में पड़े हैं वे वहीं रहे, मगर संघ में न रहे।

समयानुकूल सलाह

मैं दुबारा समझा दू। मैं यह नहीं कहता कि जो राज-प्रकरण में पड़े हैं वे वहाँ से निकल जायें। मैं तो अितना ही कहता हूँ कि वे संघ में न रहें। उनके निकल जाने से संघ की शक्ति कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। जो लोग रह जायेंगे वे अगर काम के नहीं होंगे तो संघ मिट जायगा। हमारे पास कोई विशेष चीज नहीं है। हममें दूसरे लोगों की अपेक्षा कोई विशेष गुण नहीं है। हमारी जो विशेषता हो सकती है वह अभी आयी नहीं है। हम अगर जबरदस्ती अपने आपको दूसरों से अँचा समझेंगे तो संघ को तो मरना ही है; और बदनाम हो कर मरना है। अगर हममें कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो संघ की हँसी होगी। अगर हममें अहिंसा की स्वतंत्र शक्ति हो तो संघ के बिना भी हम सेवा कर सकेंगे। चाहे मैं जंगल में अकेला जा कर रहूँ या इमटान में जा कर रहूँ, तो अुससे यह शक्ति नहीं आनेवाली हूँ। वहाँ भूतों से नहीं डरूंगा, लेकिन सेवा की शक्ति कैसे आयेंगी ? वह तो रचनात्मक मूककार्य से ही आ सकती है।

जो राज्यक्षेत्र में पड़े हैं उनमें भी सत्य और अहिंसा की स्वतंत्र शक्ति होनी चाहिये; क्योंकि यही उनका 'क्रीड' है। मैं इसका साक्षी हूँ कि इस देश में काँग्रेस सबसे बड़ी शक्ति है। क्या काँग्रेस राजकारण के लिये काफी नहीं है ? तब हम क्यों दूसरी संस्था कायम करें ? हमारी संस्था के बारे में लोग अँसा समझने लगे हैं कि वह भी काँग्रेस का ही काम करती हुयी अपनी अलग हस्ती रखना चाहती है। इसका तो यह अर्थ होता है कि वह काँग्रेस की बराबरी करना चाहती है। इसलिये मैंने जो सलाह दी है, आज के वायुमंडल में वही सही है। हुदली में मैंने जो सलाह दी थी वह अुस वक्त के वायुमंडल में अुचित थी। मुझमें यह अधिकता है कि जिस वक्त मेरा हृदय जो बताता है वही कहता हूँ। आज मेरा हृदय जो कह रहा है वही प्रकट कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता अेक महीने के बाद मैं क्या कहूंगा। मैं अँसा आदमी हूँ जो अिर्द-गिर्द की बातों का अच्छा असर ल लेता है और बुरा असर नहीं लेता। मेरी साधना ही अँसी रही है कि अच्छी शक्तियाँ और अच्छे परिणाम मुझमें आ जाते हैं। मैं उनसे अपृष्ट नहीं रह सकता।

आपके सामने बैठ कर विचार करते करते मेरा हृदय और बुद्धि खल गयी है। मैं विचार करके नहीं आया था लेकिन फिर भी स्पष्ट सलाह दे दी। जिस किसी को कुछ शंका हो

या मुझसे यह कहना हो कि 'तुम अितनी चीज नहीं जानते थे जिसलिअे अैसी सलाह दे रहे हो', तो वे कह सकते हैं। जिन्हें स्वतंत्ररूप से अपनी राय देनी हो वे भी अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। (८-० से ८-४५ तक)

गांधी सेवा संघ, छठा सम्मेलन }
मालिकान्दा, २०-२-४० }

गांधीजी से परिप्रश्न

देशी रियासतों के विषय में नीति

रामरतन शर्मा—राजकारण के निसबत खालसा के लिअे जो नीति बनलाई गयी है, क्या वही देशी राज्यों के लिअे भी है ?

गांधीजी—हां, वही।

संगठित अहिंसा की प्रतिक्रिया

स्थामी सत्यानन्दजी—हमारे और आपमें समान धर्म है। जिसलिअे आपके विचारों की प्रतिक्रिया हमारे अपर होती है। वह भविष्य में भी होती रहेगी। संघ के न रहते हुए भी स्वतंत्ररूप से हमारी बुद्धि और हमारा हृदय आपके विचारों का समर्थन करते रहेंगे। जब आप लड़ेंगे तब हम भी लड़ेंगे। जिसलिअे यह लांछन कि हमारा अेक दल है, संघ के न रहते हुए भी रहेगा और 'ध्वंस हो' के नारे लगते रहेंगे। जिसलिअे संघ बंद कर देने से फायदा तो कोअी नहीं होगा; अुलटे यह नुकसान होगा कि संघ की शक्ति की जो प्रतिक्रिया सामाजिक जीवन पर होती है वह न होगी।

गांधीजी—मेरा तो अैसा विश्वास है कि अगर दर असल हमारे में शक्ति भरी है तो वह शक्ति कम न होगी। समाज के जीवन पर हमारी कृतियों का असर भी बराबर पड़ेगा। अब तक हमने संघ बना कर जिस तरह से प्रयोग किया अुससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। अहिंसा किस तरह काम करती है जिसका पूरा अनुभव जिसमें से नहीं मिलता। अहिंसा अेक स्वयंभू शक्ति है। संघ की अुपाधि यदि अुसकी शक्ति को न रोके तो वह ज्यादा काम करती है। मैंने जो यह लिखा है कि—'यदि हिन्दुस्तान में अहिंसा का अेक भी संपूर्ण प्रतिनिधि पैदा हो जाय तो भी हमारा काम सिद्ध होगा'— वह पूर्ण वाक्य है। मेरा मतलब यह नहीं है कि वह अकेला सब कुछ कर लेगा। अकेला तो अीश्वर भी नहीं कर सकता। अुसे भी अनेक रूप लेने पड़ते हैं। मेरा मतलब यह है कि यह अकेला प्रतिनिधि सबको अपनी ओर खींच लेगा। संघ की शक्ति आपको कमजोर कर देगी। अुसमें आपका जो अपनापन है वह प्रकट नहीं होने पाता। आप केवल संघ की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति का नहीं। संघ में जो शक्ति है वह

भी आपकी ही शक्तियों का समुदाय है। अहिंसा के विकास के लिये शक्तियों के समुदाय के अंसे संगठन की जरूरत नहीं रह जाती। मैं बाह्य साधनों की आवश्यकता महसूस नहीं करता। जो अपने आपको गांधीवादी कहलाते हैं, उनमें अगर रोप है, बुजदिली है, तो वे किसी संघ को सुशोभित नहीं कर सकते। अंसा गांधीवाद नहीं रहेगा। मैंने सारे हिन्दुस्तान को अपना क्षेत्र बनाया है, या यों कहिये कि, अीश्वर ने यह क्षेत्र मुझे दिया है। इसका एक विशेष कारण है। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान के घर घर में अहिंसा है। यूरोप में तीन सौ आदमियों की अंसी जमात नहीं मिलेगी जिनसे मैं अंसी बातें कह सकूं, अंसी आपसे कह रहा हूं। यही कारण है कि अीश्वर ने मुझे अपने प्रयोगों के लिये यह क्षेत्र दिया। मैं क्षेत्र क्या पसन्द कर सकता हूं ? मेरी क्या शक्ति है ? वह तो अुसीने दिया है। इसलिये मेरी निश्चित राय है कि अहिंसा के सिवा दूसरी सारी बातें आपको फंसानेवाली हैं। आपके सवाल का मेरा अुत्तर अितना ही है कि संघ के न रहते हूअे भी हमारी स्वतंत्र अहिंसक शक्ति की प्रतिक्रिया समाज के जीवन पर होती ही रहेगी।

हमारी कसौटी

गोपालराव काळे-मेरा अेक सवाल है। हम राज्य-प्रकरण में सेवाभाव से काम करते हैं या नहीं, इसकी कसौटी क्या हो ?—दूमरों की की हुआ टीका-टिप्पणी या हमारे अपने दिल की गवाही ? दूसरे अगर यही कहते रहें कि यह महत्त्वाकांक्षी है, तो अुसका विचार करे या नहीं ?

गांधीजी-अिसकी कसौटी खुद का मन ही है। अगर हमारा मन साफ है तो दूसरों की टीका का विचार करने की जरूरत नहीं।

कांग्रेस और संघ

नरहरिमाखी-कांग्रेस का 'क्रीड' भी तो 'पीसफुल और लेजिटिमेट' ही है। तो फिर आप राज-कारण में पड़नेवालों को संघ छोड़ने को क्यों कहते हैं ?

गांधीजी-अगर अंसा है, तो हमने अलग संस्था ही क्यों बनायी ? जमनालालजी की अंसी कल्पना थी कि जो सत्य और अहिंसा को पॉलिसी मानते हैं वे संघ में नहीं आ सकते। लेकिन हम कांग्रेस के 'क्रीड' को अन्ता भी धर्म मानते हैं तो हमारे लिये कांग्रेस ही पर्याप्त है। संघ की क्या जरूरत है ?

आध्यात्मिक बल कैसे मिलेगा ?

प्यारेलालजी [हापुड]-जो कांग्रेस में आध्यात्मिक दृष्टि से जाते हैं और संघ में आध्यात्मिक बल तथा सत्संग के लिये आते हैं, वे क्या करें ? अुनको आध्यात्मिक बल कहाँ से मिलेगा ?

गांधीजी-कांग्रेस में ही रहने से। आध्यात्मिकता अंसी कोभी चीज नहीं है कि गांधी की दूकान पर गये और अुसकी पुड़िया ले कर चले। आप संघ को सत्संग मानते हैं, लेकिन वह सत्संग नहीं रह जाता। हममें भावुकता आ जाती है और अेक तरह का पवित्रता का अभिमान भी आ जाता है। मैं विनयपूर्वक कहना चाहता हूं कि संघ में रह कर हमारी शक्ति बढ़ती है, अंसा नहीं है। शक्ति कांग्रेस में रह कर बढ़ेगी। मैं दृढ विश्वास से कहता हूं कि यदि आप संघ और कांग्रेस का मुकाबला करके देखें, तो आप पायेंगे कि संघ से आपको बल नहीं मिलेगा। वह तो आपका आश्रय-स्थान है। वहाँ से आपको गरमी मिलेगी; लेकिन वह आपकी शक्ति आजमाने

का क्षेत्र नहीं हो सकता। वह क्षेत्र तो कांग्रेस है। कांग्रेस अकेले तूफानी समुद्र है। वहाँ जा कर अगर आप अपने रोषादि रोक सकते हैं, तो मान लीजिये कि आपका जहाज चल रहा है। संघ तो बंदरगाह है। यहाँ शक्ति के प्रयोग का कोई अवसर ही नहीं। मेरी अपनी शक्ति तो कांग्रेस में ही बढी है। संघ से मैंने कोई शक्ति नहीं पायी।

क्या गांधीवाद में माननेवाले राजनीति में रहें ?

लाला जगन्नाथ—जो लोग संघ में नहीं हैं, लेकिन गांधीवाद में मानते हैं वे भी राजनीति में रहें या नहीं ?

गांधीजी—वे अगर वहाँ कोई असर नहीं कर सकते, या लोग उनका वहाँ रहना पसन्द न करते हों, तो वे निकल जायें। यह 'गांधीवाद' शब्द राज्य-प्रकरण में से ही निकला है। अगर हम उसे सुशोभित कर सकते हैं तो राज्य-प्रकरण में रहे, नहीं तो हट जायें।

लाला जगन्नाथजी—असी शर्त पर गांधी सेवा संघ के सदस्य भी राजकारण में रहें तो क्या हर्ज है ?

गांधीजी—गांधीवादी व्यक्ति हैं, लेकिन संघ अकेले समुदाय है। राज्यप्रकरण में पड़नेवाले व्यक्ति किसी समुदाय में रहते हैं तो नाहक जहर पैदा होता है। राज्य-प्रकरण के लिये तो यह संघ बना नहीं है। जो असेमें पड़ते हैं अन्हें संघ की जरूरत भी नहीं है; न अन्हें संघ से कोई बल मिलता है। अगर असी कोई दूसरी चीज हो, जिसके लिये आप संघ चाहते हैं, तो बतलावें। अगर आप यह कहें कि संघ से आपको सहायता और आधार मिलता है अिसलिये वह चाहिये, तब तो मैं कहूंगा कि संघ को तोड़ ही देना चाहिये।

शान्ति-सेना की बात

प्रभुदास गांधी—डेलाग में आपने जो शान्ति-सेना की बात कही थी अुससे आज की आपकी सलाह का कोई मेल बैठ सकता है ? अुस वक़्त तो आपने यह कहा था कि गुंडाशाही का संगठितरूप से प्रतिकार करना हमारा विशेष कर्तव्य है। आज आप संगठन को तोड़ देने की सलाह दे रहे हैं।

गणेशशंकर विद्यार्थी की परंपरा

गांधीजी—शान्ति-सेना के बारे में मैंने कहा भी और लिखा भी है, यह बात सही है। कुछ लोगों ने अुस दिशा में प्रयत्न भी किया। हकीम अलवमी ने असी अके शान्ति-सेना बनायी थी। मैंने अन्हें धन्यवाद भी दिये थे। लेकिन अब अुसका नामोनिशान तक नहीं रहा। मैं देखता हूँ कि वह चीज भी नहीं चल सकती। आप शान्ति-सेना बनायेंगे। आपकी प्रतिज्ञा पर कभी आदमी झूठ-झूठ दस्तख़त कर देंगे और अुसका पालन नहीं करेंगे। आबोहवा में जब अितना मंल भरा हुआ है, तो अच्छी चीज भी गंदी हो जाने का डर है। अिसलिये अुससे अस्पृष्ट (बचकर) ही रहना चाहिये। मेरे पास अगर अके लोटा भर गंगाजल हो तो अुसे अके तलाब भर गंदे जल में मिला देने से वह गंदा जल शुद्ध हो जायगा, असा समझने की मूर्खता में नहीं करूंगा। आप अके अके आदमी अपना अपना अलग शान्तिदल बना सकते हैं। लेकिन असे आदमी भी कहाँ है ? शिकारपूर और सक्कर में क्या कांग्रेसवाले नहीं थे ? फिर क्यों अके भी आदमी अँधा नहीं निकला जो बिना रोष के दंगा शांत करने की कोशिश में मरा हो। कानपुर

में गणेशशंकर के पुजारी तो काफी भरे हैं; लेकिन उसका संप्रदाय क्यों लुप्त हो गया ? तो भी मैं यह नहीं मानता कि गणेशशंकर की आत्माहुति व्यर्थ गयी। उसकी आत्मा मेरे दिव्य पर काम करती रहती है। मुझे जब उसकी याद आती है तो उसकी ओर्ष्या होती है। जिस देश में दूसरा गणेशशंकर नहीं हुआ। उसकी परम्परा समाप्त हो गयी; लेकिन वह इतिहास में अमर हो गया। उसकी अहिंसा सिद्ध अहिंसा थी। उसीकी तरह कुल्हाड़ी के प्रहार सहते हुअे में शांतिपूर्वक मरूँ तो मेरी अहिंसा भी सिद्ध होगी। मेरा भी यह सुख-स्वप्न है कि मैं उसीकी तरह मरूँ—एक तरफ से अके मनुष्य मुझपर कुल्हाड़ी चला रहा हो, दूसरा दूसरी तरफ से बरछी मार रहा हो, तीसरा लाठी मार रहा हो और चौथा लात और घूस बरसाता जाता हो, असी अवस्था में भी मैं खुद शान्त रहूँ और लोगों से शान्त रहने को कहूँ और खुद हँसता हुआ मरूँ—असा भाग्य मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे असा मौका मिले और आपको भी मिले।

डर कर हटना अहिंसा नहीं है

मूलबन्धुजी अग्रवाल—जब कि हमारा अपना दिल साफ है तो केवल दूसरों की टीका-टिप्पणी से डर कर या उनके विरोध के कारण हम संघ को क्यों बंद करें ? यह तो अहिंसा नहीं है।

गांधीजी—मैंने यह कब कहा कि हम टीका से डर कर बन्द करें। मैंने तो यह कहा कि शायद हम उस टीका के पात्र भी रहे हैं। जिसके मेरे पास काफी सबूत पडे हैं। अगर हमारे अन्दर अहिंसक पुरुषार्थ के लक्षण दर असल होते, तो आज हम जैसे पडे हैं वैसे नहीं रहते और न आगे रहेंगे। हमारे में से अके दूसरी ही शक्ति पैदा होगी। तब आपको न मेरी सलाह की दरकार रहेगी, न इस संघ की। जो अपने हृदय को रोक कर मेरी सलाह पर चलते हैं या मेरे दबाव से काम करते हैं, वे सच्चे गांधीवादी नहीं हैं। मैंने तो अपने लड़कों से भी सोलह वर्ष के बाद असी अपेक्षा नहीं रखी। वे सोलह वर्ष के होते ही उनको अपना मित्र माना। उनसे कह दिया कि वे जिसे अपना स्वधर्म समझते हैं उसका पालन करें। 'स्वधर्म निघनं श्रेयः'। अगर वे मेरी बात मानें तब तो उसे अन्हें अपनाना होगा। इसलिये नहीं कि उनका बाप कहता है; बल्कि इसलिये कि वही बात उनका बुद्धि में जम गयी है। गांधी सेवा संघ की असी बात नहीं है। आपको तो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना चाहिये। अगर आपका दिल कहे कि संघ रहना चाहिये तो पीछे उसका यही मतलब है कि आप बड़ी कड़ी परीक्षा देना चाहते हैं।

जमनालालजी की मूल कल्पना

रामरतन शर्मा—संघ के बन्द हो जाने से रचनात्मक काम करनेवाले मुझ जैसे अपूर्ण लोगों को जो प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है वह न मिलेगा। यह अके बड़ी हानि होगी।

गांधीजी—मैंने तो कह दिया कि अगर आप इसी कारण से संघ को समेट लेना पसंद नहीं करते, तो उसमें से राज्य-प्रकरण को हटा दें, यह मेरी दूसरी सूचना है। संघ को बनाने में जमनालालजी की असी ही कल्पना थी कि जो लीडर नहीं हैं, प्लाटफार्म पर नहीं आते, वितंडा नहीं करना चाहते, उनका सुविधा और मार्गदर्शन के लिये अके संस्था हो। आप कांग्रेस के चवन्नी के मेंबर रहें; लेकिन उसमें कोअी ओहदा न लें। ओहदा न ले कर भी अगर आप ठीक ठीक सेवा करेंगे तो आपकी नीति का असर पडेगा। मैंने कांग्रेस में कोअी ओहदा नहीं लिया, तो भी ओहदेदार बनाया गया। मतलब यह कि रचनात्मक काम ही गांधी सेवा संघ का प्रधान काम हो। अब उस कार्य

का क्या स्वरूप हो, चरखा संघ बर्गरा जो काम कर रहे हैं उनमें और संघ के कार्य में क्या फर्क हो, यह तीसरा सवाल है। जो राज्य-प्रकरण में पड़े हैं उनके निकल जाने के बाद जो पाँच-दस आदमी संघ में रह जायेंगे, उनके सोचने की यह बात है। 'गांधी सेवा संघ क्यों रहना चाहिये?'—असके लिये जो दलीलें दी गयी हैं उनका भूतर में दे चुका हूँ। अब उन दलीलों को दोहराने की जरूरत नहीं है।

क्या संघ के मिटाने से राग-द्वेष मिट सकेगा ?

मुल्कन्दजी अग्रवाल—आप संघ को तो मिटा देंगे। संघ को मिटाने का कारण हमारा राग-द्वेष है। क्या संघ के मिटने से हमारा राग-द्वेष भी मिट जायगा ?

गांधीजी—हमारा राग-द्वेष भले ही न मिटे। लेकिन एक बड़ा भारी असत्य तो मिट जायगा। आज तो हमारे राग-द्वेष के लिये संघ भी जवाबदार है। वह झमेला तो नहीं रहेगा। यह समझने की बात है। लोग समझते हैं कि गांधी सेवा संघ सत्य और अहिंसा का संगठन करता है; किशोरलाल जैसे आदमी के हाथ में अुसकी बागडोर है। लेकिन अगर हमारे आचरण में वह बात नहीं है तो अेक असत्य फैलाने में संघ कारणीभूत होता है। अगर हमारे अन्दर सचमुच सत्य और अहिंसा है, तो संघ के न रहते भी हम अपने कुटुंब में, अपने पड़ोसियों से, या कॉग्रेस में, जो व्यवहार करेंगे अुससे लोगों के आदर के पात्र होंगे। इसके लिये संघ की जरूरत नहीं है। यह सच है कि हम सब अपूर्ण ही पैदा हुए हैं। हमें प्रेरणा और मार्ग-दर्शन की जरूरत है। लेकिन हमें इस संघ से अैसी प्रेरणा मिलती है या नहीं, इसमें जबरदस्त सन्देह है। यह मैं टीका करने की बुद्धि से नहीं कहता। जब हम देखते हैं कि अितना जहर फैल रहा है तो हमें समझ लेना चाहिये कि हमारा कोअी-न-कोअी दोष अवश्य है, और अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिये। यह समझने लायक बात है। कम-से-कम हमें अपने कार्य का रूपान्तर कर लेना चाहिये। मेरी राय में तो मिट जाना ही अच्छा है।

क्या संघ के सदस्यों का पतन हुआ है ?

हरिभाभू अुपाध्याय—क्या अध्यक्ष के पाम अंसे कोअी सबूत हैं, जिनसे हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक कामों में भाग लेने के कारण हमारे सदस्य जैसे पहले थे, अुसकी अपेक्षा ज्यादा गिर गये हैं; और इसलिये हम संघ को बंद करने की जरूरत महसूस करते हैं ?

गांधीजी—यह सवाल तो किशोरलालभाभी के लिये है। मुझे अितनी जानकारी नहीं है और अनुभव भी नहीं है। मेरी अैसी राय तनी है कि संघ के राजनीति में पड़ने से कुछ राग-द्वेष बढ़ा है। संघ के सदस्यों का पतन हुआ है या नहीं, यह मैं कैसे कह सकता हूँ ? मैं किसीको नहीं जानता। किशोरलाल जानते हैं, आप अपना प्रश्न अुनके पास भेज दें। मैं तो मुल्क की आबोहवा देख कर यह सलाह दे रहा हू कि आप संघ को बन्द कर दें। क्योंकि जब अितना जहर पैदा होता है तो अुसमें हमारा कुछ-न-कुछ दोष अवश्य है। अगर किशोरलाल की राय इससे अुसटी हो तो वे संघ चलाते रहे। मैं रुकावट डालनेवाला कौन होता हूँ ? आपको अुन्हीं के मार्गदर्शन में तो चलना है ? मैंने जितनी बातें सुनी हैं अुनपर से मेरी यह राय बन गयी है कि हमारी जवाबदारी काफी है।

रचनात्मक काम के लिये संघ रहे

बालूभाभी—हम राज्य-प्रकरण से हट जावें, लेकिन रचनात्मक काम के लिये संघ रहे तो क्या हर्ज है ? फिर संघ को तोड़ने की क्या जरूरत है ?

गांधीजी—तब तो यह देखना होगा कि जैसे कितने रह जाते हैं। रचनात्मक काम में दंश (स्टिंग) नहीं रहेगा; आज तो वातावरण असत्य और हिंसा से भरा हुआ है। जिसलिये हम राजकारण में तो रह नहीं सकते। रचनात्मक काम के लिये संघ कीन-से रूप में रखा जाय, यह सवाल तो बाद में आता है।

संघ से आश्वासन

ज्योतिप्रकाशजी—अगर हम गांधी सेवा संघ में बालकों की वृत्ति से रहें, बालक जैसे आश्वासन लेता है उस तरह हृष भी यहां से आश्वासन लें, तो क्या हानि है ? हम अपने आश्वासन के लिये संघ को क्यों न रखें ? हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, जिसका अंक-दूसरे से विचार-विनिमय करने पर निर्णय हो सकेगा। क्या इसके लिये संघ की जरूरत नहीं है ?

गांधीजी—असका अुस्तर धिया जा चुका है। वर्तमान परिस्थिति में संघ से ऐसा आश्वासन नहीं मिल सकता। इस प्रकार की कल्पना हमें दुर्बल बनाती है।

साधकों का संगठन

वैद्यनाथ चौधरी—संघ अून साधकों के लिये है जो अंक रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम कोअी सिद्ध नहीं है। जिसलिये हममें त्रुटियां रहेंगी; गलतियां भी होंगी। लेकिन अूम त्रुटियों को दूर करने में और गलतियों को सुधारने में हमें अंक-दूसरे से सहायता और समर्थन मिलता है। संघ का यह बडा भारी अुपयोग है। अगर वह साबित हो गया हो कि हम अूस रास्ते पर चलने के लायक हैं ही नहीं तब तो संघ को बन्द कर दिया जाय; लेकिन हम अपूर्ण हैं और गलतियां करते हैं जिसलिये अूस बन्द करना अुचित नहीं होगा। हृदली के निर्णय के बारे में जो यह कहा गया है कि राजनैतिक काम में हम अपने सिद्धान्तों का पालन नहीं कर सके, अगर दर असल वैसा ही अनुभव हो तो यहां वैसा स्पष्ट निर्णय किया जाय। जिसका यही अर्थ होगा कि राजनैतिक क्षेत्र में सत्य और अहिंसा निवाहने की शक्ति हममें नहीं है।

राजकारण और राजकारण में भेद

गोकुलभाभी—अखबारवाले और अन्य लोगों के दिल में यह भावना है कि ये गांधीवाले ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं। किसी किसी जगह गांधीजी के खिलाफ नारे भी सुने जाते हैं। अखबारवाले भी खिलाफ लिखते हैं। बापूजी कहते हैं कि हमें अिन नारों से नही डरना चाहिये। मैं भी थोडा राजकारण करता हूँ। जिसलिये इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे माफ कीजिये, मुझे तो अिन नारों से घबडा कर संघ बंद करने में थोडी बुझविली माखूम होती है।

आप विचार करें कि राजकारण से हट जाने का क्या मतलब होता है ? हमारे यहाँ कांग्रेस में राजकारण का वह अर्थ नहीं है, जो पाश्चात्य देशों में किया जाता है। यूरोप में राजकारण का अर्थ डिप्लोमसी (कूटनीति) है। कांग्रेस का राजकारण कूटनीति का नहीं, सेवा का है। उसके कार्यक्रम में असी चीजें हैं जिन्हें लोग समाजकारण, नीतिकारण, आदि कहते हैं। राजकारणी लोग तो उसका मजाक बुझते हैं; कहते हैं, 'क्या यह राजकारण है?' असे राजकारण से भी आप हमें हट जाने को कहते हैं, तो हम बड़े खतरे का काम कर रहे हैं। मेरी नन्दा राय में जिसमें गलती हो रही है। असे राजकारण से हट जाना तो मानो सेवा से ही हट जाना है।

लोग तो आक्षेप करते ही रहेंगे। आक्षेपकों का एक वर्ग है। उनके आक्षेपों का कोई ठिकाना नहीं। पार साल हमने जब मजदूरों का संगठन शुरू किया तो वे लोग कहने लगे कि ये संघ-बाले अब एक नया दांव खेल रहे हैं। तो क्या हम वहाँ से भी हट जायें? इस तरह तो हमें सेवा के सभी क्षेत्र छोड़ देने होंगे।

राजकारण ढल ही नहीं संकता

आज जो यह प्रश्न अठा है, उसमें मुझे एक प्रकार की घबड़ाहट नजर आती है। मेरी राय में राजकारण से हटने में हम असा कदम अठाते हैं, जो बहुत ही गलत है। हिन्दुस्तान की आज की परिस्थिति में आप जो कुछ करेंगे उसमें राजकारण तो आने ही वाला है। आप चाहे चरखे का काम लें, हिन्दू-मुसलिम अकता का काम लें, या हरिजन सेवा का काम लें, राजकारण नहीं टाल सकते। हम राजकारण छोड़ना चाहेंगे तो भी वह हमें नहीं छोड़ेगा। जो अपनी न्यूनता या कमी राजकारण में अनुभव करेगा वह दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी कमी अनुभव करेगा। संघ के सदस्य अगर राजकारण के लायक नहीं हैं, तो वे रचनात्मक कार्य के लायक भी नहीं हैं।

केवल असलिये कि हमारे राजकारण में पढ़ने से संघ पर, या गांधीजी पर, आक्षेप आता है, हमें घबड़ाना नहीं चाहिये। बदनसीबी से सदर साहब यहाँ नहीं हैं। अगर वे अपने अनुभव के आधार पर यह कह दें कि हम संघ के लायक नहीं हैं, तब तो संघ को मिटा देना चाहिये। लेकिन केवल हम अपूर्ण हैं, असलिये असे बन्द नहीं करना चाहिये। खुद बापूजी भी फरमाते हैं कि वे अपूर्ण हैं और अपने आदर्श से कोसों दूर हैं। उनके मुकाबिले में हम तो कहीं के नहीं हैं। लेकिन असलिये हमें संघ की जरूरत है। संघ से हमें अपने विचार परिपुष्ट करने में, परिचय धनिष्ठ करने में, अनुभवों का मिलान करने में, मदद होती है और दूसरी तरह से बल मिलता है।

'गांधी' शब्द संप्रदाय-वाचक नहीं है

हमारे अंदर अगर संप्रदाय की भावना आ गयी हो, या हम अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगे हों, तो संघ को मिटा दें। हमने अपने संघ के साथ गांधीजी का नाम जोड़ दिया है। जिसमें हमारी संप्रदाय बनाने की भावना नहीं है। 'सत्यान्वेषी' या 'अहिंसानिष्ठ' संघ कहने में बड़ा आडंबरपूर्ण नाम मालूम होता है। गांधीजी अिन सिद्धान्तों के प्रतिनिधि हैं; असलिये उसका गांधी सेवा संघ नाम रख लिया।

जीवन अके और अखंड है

बापूजी का अके वाक्य मुझे खटका। अन्होंने कहा कि 'मैंने गांधी सेवा संघ से कुछ नहीं पाया; कांग्रेस से बहुत कुछ पाया।' मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में भी संघ के आदमी हैं। अणुके द्वारा आपने कांग्रेस से जो कुछ पाया वह संघ से ही पाया है।

अके बात और। बापूजी ने हमें बार बार यह समझाया है कि जीवन अके और समग्र है। अणुके टुकड़े-टुकड़े नहीं करने चाहियें। जब ऐसा है तो यह राजकारण, अर्थकारण और समाज-कारण का भेद आज क्यों किया जा रहा है? राजकारण से निवृत्त होने की बात बार बार क्यों सामने आती है?

गांधीजी—गोकुलभाभी ने जो कुछ कहा है, अंसका अुत्तर में दूँ। अन्होंने जो दो चीजें कही हैं, अणुमें गलतफहमी है। अणु गलतफहमियों को मैं दूर कर दूँ, तो अणु बातों पर नाहक चर्चा नहीं होगी।

संघ में राजकारण न रहे

मैंने यह नहीं कहा कि गांधी सेवा संघ के सदस्य राजकारण से हट जायें। मैंने यह कहा कि संघ के सदस्यों की हैसियत से वे वहाँ न रहें। मैंने तो सबेरे ही कह दिया कि संघ का अके भी सदस्य वहाँ से न हटे। मैंने सरदार और राजेन्द्रबाबू का अुदाहरण दे कर कहा कि मैं अणुसे राजकारण छोड़ने को नहीं कहूँगा। लेकिन मैंने यह कहा कि अणुहें संघ से हट जाना चाहिये। मैं यह चाहता हूँ कि संघ में राजकारण को स्थान न रहे।

“राजकारण” शब्द की व्याख्या

तब गोकुलभाभी का दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जब सारा जीवन अके और अविभक्त है, तो हम किस चीज के विषय में ऐसा कह सकते हैं कि यह राजकारण है और यह नहीं है। मैंने यह अवश्य कहा है कि हमको जीवन के विभाग नहीं करने चाहियें; क्योंकि वे सब अके-दूसरे से मिले हुए हैं। असलिये जीवन अके है। लेकिन अके दूसरी दृष्टि भी है। हमारा सारा शरीर अके है। अंसके आँख, कान, नाक आदि कअी अंग हैं। जब हम सारे शरीर की दृष्टि से देखते हैं, तो अिन अवयवों का खयाल नहीं करते। लेकिन जब अिनमें से किसी अके ही अवयव की चिकित्सा कराते हैं, तब अणुका पृथक् पृथक् विचार करते हैं। वे सब अके ही शरीर के अंग हैं। लेकिन फिर भी, हम पृथक्करण करके ज्ञानेन्द्रियों में और कर्मेन्द्रियों में भेद करते हैं। आज अणुस पृथक्करण की दृष्टि से हम देख रहे हैं। राजकारण तो हमारी सारी प्रवृत्तियों के साथ मिला हुआ है। लेकिन मैं अणुस व्यापक अर्थ में राजकारण छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस के और दूसरे चुनावों आदि का जो राजकारण है, अणुस राजकारण से और दखबन्दी से मेरा मतलब है। संघ में से यह सत्ता का राजकारण क्यों हटाना चाहिये, यह मैंने समझा दिया। बज्रदिली के कारण नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिये, यह हम कदम रख रहे हैं। अहिंसा अैसी ही चलती है। मैंने राजकारण-मात्र का निषेध नहीं किया। मैं जानता हूँ कि अिस देश में सभी तरह का रचनात्मक काम राजनीति का ही अंग है। मेरी दृष्टि में तो बही सच्चा राजकारण है। अहिंसा का सत्ता के राजकारण से कअी संबंध नहीं रह सकता।

अहिंसा का संघ

अहिंसा के लिये संघ की हस्ती अपरिहार्य नहीं है। जिसका मतलब यह नहीं है कि अहिंसा का कोअी संघ ही नहीं बन सकता। लेकिन आज का हमारा संघ अुस प्रकार का नहीं है। हमने अेक संघ बना लिया। अुसका स्वाद हमने चख लिया। कम-से-कम मैंने तो चख लिया। हमने देख लिया कि अहिंसा का संघ दूसरे संघों की तरह नहीं चल सकता; और न अुसे अुस तरह चलाना ही चाहिये। अहिंसा के संघ में कुछ विशेषतायें होनी चाहियें। जिसलिये मुझे संघ का जो अनुभव है, अुसके आधार पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जिस राजकारण से बचें। और अगर नहीं बचेंगे, तो गांधीवाद का ध्वंस अवश्य होगा।

अनोखी नीति के अनोखे साधन

हमने अेक अनोखी नीति को लिया है। अुस नीति के प्रयोग के साधन भी अनोखे होंगे। वे क्या होंगे, जिसकी मैं खोज करता रहता हूँ। मैं प्रयोग कर रहा हूँ। बदलती हुई परिस्थिति में मुझे अपने तरीके भी बदलने पड़ते हैं। लेकिन मेरे पास कोअी बना बनाया शास्त्र नहीं है। हमारा प्रयोग अेकदम नया है। अुसके कदमों का क्रम कहीं निश्चित नहीं है। मैं तो अेक जिज्ञासु हूँ। सत्याग्रह के विज्ञान की खोज और विकास में धीरज के साथ कर रहा हूँ। जिस खोज से नित नया ज्ञान और नित नया प्रकाश पा रहा हूँ।

जिसी प्रयोग की वृत्ति से हुदली में मैंने कहा था कि हम राजकारण की रंगभूमि में अुतरें, शीक से अुसका अनुभव लें; अपनी सत्य और अहिंसा की शक्ति को आजमायें। हो सकता है कि अंसी सलाह देने में मैंने गलती की हो; लेकिन अुसका मुझे पश्चात्ताप नहीं है। अच्छा ही हुआ कि हम राजनीति की रंगभूमि में अुतरे। हमने बहुमोल अनुभव ले लिया। अगर हम यह अनुभव नहीं लेने, तो मैं दुविधा में रह जाता। मेरे दिल में यह बात रह जाती कि हमने राजकारण के क्षेत्र का अनुभव नहीं लिया। अब अुस अनुभव के बाद मैं आपको यह निश्चित सलाह दे सकता हूँ कि संघ की हैसियत से हम राजकारण का त्याग कर दें।

संघ ने राजकारण अपना क्षेत्र नहीं माना

और अेक बात आप न भूलें। संघ ने राजनीति को अपना क्षेत्र कभी माना ही नहीं। आप याद कीजिये कि जब से संघ के अधिवेशन होते हैं, हमने कभी राजकारण की चर्चा भी की है? आप अुसकी रिपोर्टें देखें, प्रस्ताव देखें, अुनमें राजकारण नाम को भी नहीं है। संघ के जो सदस्य राजकारण में दिलचस्पी लेते हैं, अुनका वह विषय है। संघ का विषय नहीं है। सरदार अुसमें हैं, अुनका वह विषय है। संघ के दूसरे सदस्यों की भी वह संघ के बाहर की अेक प्रवृत्ति है। आप यहाँ अुसकी चर्चा कब करते हैं? क्या आप सरदार को कभी यह तकलीफ देते हैं कि वे पार्लमेंटरी बोर्ड का काम कैसे चलाते हैं, यह आपको बतावें। आप मुझसे कब पूछते हैं कि मैंने व्हाइसराय से क्या कहा? हमें अिन बातों के विषय में जिज्ञासा तो होती है, लेकिन वह संघ के सदस्य के नाते नहीं; दूसरी ही हैसियत से। हुदली में हमने राजकारण में पड़ने का प्रस्ताव किया। लेकिन अुसके बाद भी हमने अपने सम्मेलनों में राजनीति की चर्चा नहीं की। हम यहाँ दूसरी ही वृत्ति ले कर आते हैं। हमारा तो अेक जिज्ञासुओं का समूह है। यहाँ हम आत्मनिरीक्षण के लिये और अपनी भूलें सुधारने के लिये आते हैं। जिसलिये हमारे

सम्मेलनों में अंक दूसरा ही वायुमण्डल होता है। राजकारण अंक बाह्य व्यवहार है। जिसल अंक हम यहां पर उसकी चर्चा नहीं करते। संघ का वह विषय नहीं है।

हुदली के बाद भी संघ का भीतरी स्वरूप नहीं बदला। जिसपर से स्पष्ट है कि लोगों के दिल में यह गलतफहमी कि हम अंक राजनैतिक दल बना रहे हैं, नाहक पैदा हुआ। हम नाहक गड्डे में गिर रहे हैं। जिसलिये मैं कहता हूँ कि हम संघ को बंद कर दें। मैं राजकारण को बंद नहीं करता। लेकिन संघ की हैसियत से उसे बंद कर देता हूँ, क्योंकि वह हमारा विषय नहीं है। हुदली में भी हमने संघ के असली रूप को नहीं बदला। सिर्फ अतना ही गुनाह किया कि संघ के सदस्यों को पार्लमेण्टरी काम करने की आज्ञाजत दी। लेकिन उसके बाद भी मैंने पार्लमेण्टरी कार्य में प्रत्यक्ष दिलचस्पी बहुत कम ली। मैं तो अखबार भी बहुत कम पढ़ता हूँ। किशोरलाल भाभी से पूछो तो वे कहेंगे “असके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, सरदार से पूछिये।” जिसका कारण स्पष्ट है। संघ ने उसको अपना क्षेत्र ही नहीं माना। हमने संघ उस काम के लिये बनाया ही नहीं था। फिर हम जिस अंगार में नाहक क्यों पड़ें? हम उसमें से हट जायें।

गोकुलभाभी ने जिस भेद को नहीं समझा। वे समझे कि मैं राजकारण का निषेध कर रहा हूँ। अंभी बात नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि संघ उस संकट में न पड़े।

असहयोग की व्याख्या

अब यह सवाल रह जाता है कि हम राजकारण में भी सत्य और अहिंसा दाखिल कराने का प्रयत्न क्यों न करें? संघ उस क्षेत्र को अस्पृष्ट क्यों छोड़ दे? जिसका उत्तर भी मैं दे चुका हूँ। जब हममें बुराभी को दूर करने की शक्ति न हो, तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिये, यही अहिंसा का तरीका है। जिसीका नाम असहयोग है। असहयोग का बड़ा भारी सिद्धान्त मैंने हिन्दुस्तान के सामने रक्खा है। उसीको मैं यहाँ लागू कर रहा हूँ।

अंक अदाहरण ले लीजिये। आपके सामने यहाँ विगोधी प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या हम जबरदस्ती जा कर अंनके सामने खड़े हो जायें; और अंनस कहें कि ‘यह लो, हम खड़े हैं, तुम्हें हमारे साथ जो करना है सो करो’? यह तो मूर्खता है। जिसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि अगर कोभी तुम्हारी निन्दा करता है, तो उसे सुनने के लिये मत जाओ।

कोबे के तीन बंदर की मूर्ति का दृष्टान्त

मुझे पता नहीं, आपको जापान के कोबे नगर के तीन बन्दरों की मूर्ति का हाल मालूम है या नहीं। उसी मूर्ति की अंक छोटी-सी प्रतिकृति—अंक खिलीना—कीसीने मुझे दे दिया था। उसमें तीन बन्दर हैं। अंक अपना मुँह बन्द किये हुए, दूसरा आँखें बन्द किये हुए और तीसरा कान बन्द किये हुए। वे संसार को यह अपदेश दे रहे हैं कि मुँह से बुरे वचन न निकालो, आँखों से बुरी बातें न देखो और कानों से गन्दी बातें मत सुनो। असहयोग का यही रहस्य है। यहाँ यह विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। अगर वे जिस मंडप में आ कर हमपर हमला करें, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बैठे रहें और अंनके प्रहार सहते रहें। लेकिन मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि वे लोग जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जा कर आप अंनके प्रहार सहें। यह तो अंनहें जानबूझ कर अत्तेजित करना है। जिसमें अहिंसा नहीं है। जिसमें अहंकार की वृत्ति है।

अस असहयोग की वृत्ति को मैं यहाँ लागू कर रहा हूँ। हमारा राजकारण में जाना अनुकी वृत्ति को अस्तेजन देना है। उनके रोष को खुराक देना है। असलिअे अहिंसा कहती है कि हम वहाँ से हट जायें। राजकारण से निकलने पर भी कौआ हमारी निन्दा करे, विरोध करे, हम पर हमला करे, तो हम सब कुछ बरदाश्त करेंगे। हमारे राजकारण से अलग हो जाने के बाद अगर किसीको हमारा ध्वंस करना है तो वह करे।

सरदार और मुझमें प्रकृति-भेद

लेकिन यह सब होते हुए भी जिन्हें अपने राजनैतिक काम में संघ से आसरा लेने की जरूरत नहीं है वे वहाँ रहें। जैसे वल्लभभाभी है। अनुको संघ की क्या दरकार है? संघ में रहने से अनुकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। संघ पैदा होने से पहले ही राजकारण में अनुकी प्रतिष्ठा थी। असलिअे अनुके रहने से संघ की प्रतिष्ठा बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि वे तो जन्मजात राजकारणी पुरुष हैं। राजकारण उनके खून में है। वे रचनात्मक काम के लिये पैदा नहीं हुए थे। अन्होंने तो अके तरह से विवश हो कर रचनात्मक काम को स्वीकार कर लिया है। अनुकी प्रकृति का वह अविभाज्य अंग नहीं है, जैसा कि मेरा दावा है। वे रचनात्मक काम से भरे हुए नहीं हैं, जैसा कि मैं हूँ। मैं उसके लिये पैदा ही हुआ हूँ। यह मेरी आत्मा का अंग है। राजकारण तो मेरे लिये अके अुपाधिरूप (अंशट) है। अुससे अगर पिड छूटे, तो मैं खुशी के मारे नाचूंगा। सरदार शायद अैसा नहीं करेंगे। मुझमें और अनुमें यही बड़ा भारी भेद है। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो वे उसके साक्षी हें। मेरी गलती सुधार सकते हैं।

हम किसी से स्पर्धा नहीं करना चाहते

लेकिन अगर दूसरे बहुत-से सदस्य अैसे हैं, जिन्हें संघ से प्रतिष्ठा मिलती है और अुस प्रतिष्ठा का अुन्हे राजनीति में अुपयोग होता है, तो असका यही अिलज है कि हम अुन्हें यह प्रतिष्ठा न दें। अस तरह से दूसरे से मांगी हुअी प्रतिष्ठा अुन्हें भी छोड़ देनी चाहिये। यदि हम अैसी प्रतिष्ठा अुन्हें देते हैं और वे लेते हैं, तो हम कांग्रेस-समाजवादी या साम्यवादियों के हरीफ बनने के आरोप के पात्र हो जाने हैं। जब दरअसल अैसी बात नहीं है, तो हम अैसे अिलजाम के लिये गुंजाअिष क्यों रक्खें ?

हम किसीका मुकाबिला नहीं करना चाहते। हमारा मार्ग तो यह है कि जो हमारा विरोध करते हैं, अुन्हें भी अपनावे। अगर वे विरोध करते हैं, तो अनुकी नासमझी है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम अुनके और वे हमारे हैं। असलिअे जबतक लोग हमें राजकारण में बुलाते नहीं हैं, हम राजकारण में निश्चेष्ट रहें। अपना रचनात्मक काम चुपचाप करते रहें। अस प्रकार राजकारण से हट कर अहिंसा को सुशोभित करें। यह अके अनुभवी का वचन है। आप अुसके रहस्य को समझ लें और पकड़ लें और अुसमें जो भरा है, अुसपर ध्यान दें। अस प्रकार आपका संघ को समेट लेना अहिंसा का पदार्थपाठ होगा। यह सीधी बात है। असमें कौआ हानि नहीं है।

गोकुलभाभी की गलतफहमी

अब मैंने जो यह कहा कि मैंने संघ से कुछ नहीं पाया, अुससे अुन्हें दुःख क्यों लगे? यहाँ तो मैं अपने घर में बैठा हूँ। आप सब मुझसे प्रेम करते हैं। यह तो हमारा कुटुंब है। कुटुंब में हमसे बच्चे प्यार करते हैं, बीबी प्यार करती है, माँ-बाप, भाजी-बहन सब प्यार करते हैं। वहाँ हमें

अपनी अहिंसा का प्रयोग करने का मौका ही बहुत कम मिलता है। उसी तरह जिस संघ में मेरी अहिंसा की परीक्षा नहीं होती। यहाँ आप मुझे क्या सिखा सकते हैं? कांग्रेस में मेरी अहिंसा की कसौटी होती है। वहाँ मेरा विरोध होता है, निन्दा होती है, टीका होती है। मेरी क्रोध-वृत्ति को खाद्य मिलता है, अुत्तेजना मिलती है। मैं सब अदब के साथ बरदास्त करता हूँ। मुझे अहिंसा और श्रेम के अभ्यास का मौका मिलता है। वहाँ मेरी कृद्धि (विकास) होती है। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर कांग्रेस में मिले। वहाँ से मैंने सब कुछ पाया। संघ से बहुत कम पाया। मेरा मतलब यह नहीं है कि संघ कांजी निकम्मी या फेंक देने की चीज है। बात ऐसी है कि मैंने तो आपकी स्तुति ही की है, निन्दा नहीं की। गोकुलभाजी भी जहाँ अुन्हें प्रेम ही प्रेम मिलता है, अंसे कुटुंब में क्या सीख सकते हैं? बाहर से अधिक सीख सकते हैं। परीक्षा का स्थान बाहर के जगत में है। वहाँ गालियाँ खा कर भी प्रसन्नचित्त रहना सीखना है। कितनी भी अुत्तेजना हो, तो भी हमारे चित्त में रोष नहीं आना चाहिये। हमारी कसौटी का क्षेत्र बाहर है। यहाँ तो हमें अपनी बैटरी में मसाला भर लेना है। अब यह मसाला किस प्रकार भर सकते हैं, यह दूसरा सवाल है। अुसके लिये संघ के रूप को बदलना पडेगा। इस विषय में जिसको कुछ कहना हो, वह बाद में कहे। अभी तो हम संघ को राजकारण से अलग कर लेने के प्रश्न पर ही विचार कर रहे हैं। मैंने गोकुलभाजी की गलतफहमी दूर कर दी है। सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। अब वे चाहें तो अपनी गलती के लिये अपना कान पकड़ सकते हैं और अधिक कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं।

सरदार वल्लभभाजी का भाषण

भाषियों और बहनो,

अेक भाजी ने कहा कि इस सारे पाप का मूल मैं ही हूँ; इसलिये मुझे कुछ कहना ही चाहिये। अब इस सवाल की काफी बहस हो चुकी है। जिनको कुछ कहना था, वे कह चुके हैं। मुझे भी कुछ कहना था; मगर दूसरे ढंग से।

गलतफहमी कैसे हुयी ?

मैंने कभी दिनों से संघ से अिस्तीफा दे दिया था। अुसको ले कर अखबारों में गलत बातें चलीं। मुझे पढ़ कर आश्चर्य हुआ। मैंने अिस्तीफा दूसरे कारणों से दिया था। अखबारों में दूसरे ही कारणों की कल्पना की गयी। हुदली में जब राजकारण में भाग लेने का प्रस्ताव आया, तो जो राजकारण में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं, वे संघ में रहें या नहीं अिसके विषय में मतभेद हुआ। अुसी वक्त हमने संघ से हट जाने की अिजाजत चाही। किशोरलालभाजी और दूसरों ने कहा कि 'अगर आप, राजेंद्रबाब, गंगाधरराव, शंकरराव हट जायेंगे, तो अनर्थ होगा। आप लोगों के संघ छोड़ने का असर अच्छा नहीं होगा'। लेकिन अनुभव से मुझे लगता है कि हम लोगों का छोड़ जाना ही अच्छा होता। हमारे संघ में रहने से कभी मुसीबतें खड़ी हुयीं। हम संघ के सदस्यों की हैसियत से अुसका कोबी काम आगे नहीं बढ़ा सके। अुस दृष्टि से हमने संघ को कोबी फायदा नहीं पहुँचाया।

हम रचनात्मक संस्थाओं के सदस्य शुरू से हैं। जब से चरखा संघ निकला तब से मैं उसके कार्यकारी मण्डल का सदस्य रहा। लेकिन उससे, कोभी जहर पैदा नहीं हुआ। राजेन्द्रबाबू भी शुरू से चरखा संघ में हैं। लेकिन राजकीय क्षेत्र में उससे किसी प्रकार का विरोध या अपीर्ष्या पैदा नहीं हुई। हरिजन सेवक संघ और ग्राम बुचोग संघ में रहने से भी किसीके दिल में रोष की भावना पैदा नहीं होती। तो फिर गांधी सेवा संघ में रहने से ही झमेला क्यों होता है। जिसका कारण यह है कि लोग समझते हैं कि "गांधी सेवा संघ दरअसल एक राजनैतिक दल है? लेकिन ये लोग जिस बात को छिपाने के लिये रचनात्मक कार्य की ओट लेते हैं। ये लोग कांग्रेस की सारी सत्ता अपने हाथ में रखने के लिये जिस तरह की चाल चलते हैं। असल में ये एक राजकीय दल का संगठन कर रहे हैं।"

जबतक किसी जवाबदार व्यक्ति ने अंसी कोभी बात नहीं कही थी तबतक मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन जब पं० जवाहरलालजी के दिल पर भी यह असर हुआ कि यह एक राजकीय पक्ष है जो कांग्रेस पर काबू करना चाहता है, तो मुझे बुरा लगा। जवाहरलालजी ने अपन एक वक्तव्य में संघ के विषय में यह बात कही कि गांधी सेवा संघ भी समाजवादी पक्ष या दूसरे राजनैतिक पक्षों जैसा एक पक्ष है। उनकी मनशा संघ की निन्दा करने की नहीं थी। ऐसा राजकीय पक्ष बनाना कोभी अनुचित बात भी नहीं है। लेकिन संघ कभी उस अिरादे से बनाया ही नहीं गया था। उसका काम भी उस पद्धति से नहीं चलता था। जिसलिये हमारे सदर श्री किशोरलालभात्री को परिस्थिति समझानी पड़ी और संघ की नीति का स्पष्टीकरण करना पडा। उससे जवाहरलालजी की गलतफहमी दूर हुई। लेकिन जिसपर से जिस बात का पता चलता है कि जवाबदार लोग भी संघ की तरफ किस नजर से देखते हैं। यह अंसी तुच्छ बात नहीं है कि हम उसकी अपेक्षा करें और आगे बढ़ें; क्योंकि उसका असर सिर्फ बाहर के लोगों पर ही नहीं हुआ, संघ में भी कुछ लोगों पर यही छाप पड़ी। पिछले साल वृन्दावन-सम्मेलन में भात्री मंजर अली सोस्ता ने यह तजवीज़ पेश की थी कि हम गांधीवाले भी एक राजकीय पक्ष बनावें। दूसरी जगह भी अन्होंने यही कहा था। दूसरे भी कभी सदस्यों की अंसी ही राय रही। वे कहते थे कि हम गांधी सेवा संघ की प्रान्तीय शाखाओं बना कर राजकीय क्षेत्र में प्रवेश करें। उनकी दलील यह थी कि अगर किसानवाले, मजदूरवाले, समाजवादी और दूसरे लोग अपना अपना संगठन कर सकते हैं, तो हम भी क्यों न करें ?

संघ क्यों और कैसे बना ?

गांधी सेवा संघ के विरुद्ध जो भाव पैदा हो गये, वातावरण में जो अपीर्ष्या और जहर पैदा हो गया, उसका एक कारण यह भी है। उसके लिये केवल बाहर के लोग जवाबदार नहीं हैं। हमने भी संघ के अुद्देश्य और नीति को ठीक ठीक नहीं समझा। उसकी मर्यादाओं का पालन नहीं किया। यह कोभी राजकीय संगठन नहीं है। जमनालालजी ने जब इसे बनाया तभी से मैं जिसका ट्रस्टी हूँ। उनकी क्या मनशा थी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब स्वराज्यपक्ष बना तो जमनालालजी ने सोचा कि "यह स्वराज्यपक्ष राजनैतिक काम करेगा और हम रचनात्मक काम करेंगे। रचनात्मक काम करनेवालों को मार्गदर्शन और सहायता चाहिये, वह देने का हम अिन्तजाम करें। इसमें थोड़ा-सा पैसा डालें। रचनात्मक काम करनेवालों को एक सूत्र में बाँधने के लिये एक छोटा-सा संगठन बनावें।" मैंने कहा, 'ठीक है।' राजकीय क्षेत्र में प्रवेश भी हमने इसी खयाल से किया था कि उससे रचनात्मक कार्य में मदद मिलेगी।

जमनालालजी और हमारे सदर अिसके खिलाफ थे। अनुभव भी वही आया। रचनात्मक कार्य को कोभी फायदा तो नहीं पहुँचा, अल्टे ओपिया का जहर पैदा हुआ।

अुसका रूप क्यों बदला गया ?

पहले संघ केवल रचनात्मक काम करनेवालों को मदद करनेवाली एक छोटी-सी संस्था थी। जब से किशोरलालभाजी अुसके सदर हुए, तब से अुसका रूप बदला और व्यापक हुआ। जमनालालजी अुस वक्त भी अुसका रूप बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन हम सबने समझा कि अिसमें हमारी आध्यात्मिक अुन्नति होगी। राजकारण में मार्गदर्शन मिलेगा, अैसा अुस वक्त भी किसीका खयाल नहीं था; क्योंकि हम तो अुसकी बागडोर किशोरलालभाजी के हाथ में दे रहे थे। वे हमें राजकीय मार्गदर्शन करा भी नहीं सकते थे। राजकारण अुनका विषय नहीं है।

हमारे दोष प्रकट हो गये

लेकिन अिस आध्यात्मिक अुन्नति के विचार से हमने संघ को नया रूप दिया था, अुस दृष्टि से भी कोभी फायदा नहीं हुआ। अगर हम यह मानें कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ आगे बढे हैं, दूसरो से कुछ अुचे हैं, तो वह दंभ होगा। हम दूसरो से आगे नहीं हैं, अिसका सबूत हमारे राजकारण में पड़ने से मिल गया है। मैं यह नहीं कहता कि राजकारण में पड़ने से हम बिगड़ गये हैं। बिगड़ने का सवाल तो तब आता जब हम पहले अच्छे होने। ये खराबियाँ पहले छिपी हुअी थी। राजकारण में पड़ने से अुनपर से पर्दा हट गया। हम जैसे थे, वैसे लोगों के सामने आ गये।

नतीजा यह हुआ कि संघ के सदस्य राजकीय क्षेत्र में अेक-दूसरे से लडे। अध्यक्ष के समझाने और कहने का कोभी असर नहीं पडा। अैसी हालत में अगर हमलोगों के दिल में संघ के कारण कोभी अैसा खयाल पैदा होता हो कि हम दूसरों से अुचे हैं, तो अुससे हमारा पतन होगा। लोगों के दिल में यह खयाल पैदा करना कि हम अेक अैसी जमात हैं, अिससे कुछ अधिक अुम्मीद की जा सकती है, न हमारे लिये अच्छा है, न देश के लिये। क्योंकि अैसी कोभी अपेक्षा पूरी करने की योग्यता हममें नहीं है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं। अिसलिये जो लोग राजकारण में पड़ना चाहते हैं, वे संघ से हट जावे। या जो संघ में रहना चाहते हैं, वे राजकारण से हट जावें।

भौजूदा युद्ध के प्रति रुख

मैंने जिन कारणों से अिस्तीफा दिया था, अुनमें से यह भी अेक था। लेकिन मुख्य कारण अिस कारण से भी बढकर था। जब यूरोप में यह लडाअी छिडी, तो हमारे सामने यह सवाल आया कि कौन-सा रुख लें। वकिंग कमेटी में बडी लंबी बहस हुअी। बारह दिन तक बहस चलती रही। किसी भी अेक ही सवाल पर अितनी लंबी बहस वकिंग कमेटी में पहले कभी नहीं हुअी थी। हमारे सामने यह सवाल था कि हम अपनी आत्मा के प्रति और अंपने सिद्धान्तों के प्रति अीमानदार रह कर कौन-सा निर्णय करें। हमारे दिल में यह डर रहा कि अगर हम गांधीजी को छोड़ दें, तो स्वतंत्ररूप से नैतिक मदद करने की बात हमारे मुँह से कहीं तक शोभा देगी। क्या हमारी वह शक्ति है, जो गांधीजी की है? १९१४ की लडाअी में गांधीजी न जो रुख अख्तियार किया था, वहाँ तक तो हम अपनी हिम्मत पर जा सकते थे। अगर सरकार से हमारा समझौता हो जाता, तो हम अुसकी पैसा, आदमी वगैरा से मदद करते। हमारी मदद का दूसरा क्या अर्थ हो सकता था? हमारी नैतिक मदद की सरकार को क्या कीमत थी?

हमारे दिल में खुशल-पुखल मची। हमारे सामने अेक रास्ता था। अगर हम अपने जहाज की पतवार गांधीजी के हाथ में दे देते, तो केवल अुनके हुकम पर चलना आसान था। लेकिन हम खुद वह नहीं कह सकते थे, जो गांधीजी कह सकते हैं। नैतिक सहायता देने की शक्ति अकेले अुन्हींकी है। अुन्हींकी नैतिक सहायता की दुनिया में कद्र भी होगी।

अिसलिये हमने अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्ताव किया। अुससे किशोरलालभाभी को कष्ट हुआ। लेकिन हमारी अुस वक्त यह हिम्मत नहीं थी, और आज भी नहीं है, कि हम नैतिक मदद की भाषा बोलें। वैसे कहने में हमारी आत्मा के साथ दगाबाजी होती और सत्य का खून होता। वह प्रस्ताव करने में दर्द तो हमें भी हुआ; लेकिन हम तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही काम कर सकते थे न? लड़ाई तो बिजली की तरह आ पड़ी। हमें यह देखने का भी अवसर नहीं मिला कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। अुसके बाद बापू ने अपने हाथ में बागडोर ले ली। हमने कहा कि अब तो आप ही रास्ता दिखावें। अब जैसा वे कहेंगे, वैसे ही करेंगे। अुनके सिवा हम दूसरे का मुँह नहीं टाक सकते। मुसीबत में वे भी हमारी मदद के लिये दौड़ कर आते हैं; अुनका रक्षण मिल जाता है। अुनके पीछे जाने में हमारी जवाबदारी कम हो जाती है।

हमारे कारण संघ पर आरोप

लेकिन संघ के बारे में कोबी गलतफहमी होना ठीक नहीं है। अिसलिये मैंने सोचा कि हमलोगों को संघ छोड़ देना चाहिये। हमारी वजह से संघ के बारे में यह गलत खयाल पैदा होने लगा था कि वह संस्था राजकीय सत्ता पर कब्जा करने के लिये है। अिसलिये जो संघ में रहें, वे राजकारण में न रहें, और जो राजकारण में रहें, वे संघ में न रहें, यही नीति सही है। जो रचनात्मक काम करते हैं, अुन्हींको संघ में रहना चाहिये। संघ के कबी लोग राजकारण में पड़े, खास कर हम आगेवाले पड़े, अिसका यह नतीजा हुआ है कि संघ अेक राजकीय पक्ष माना जाने लगा। मैं अगर अिस संघ में नहीं होता, तो संघ अितना बदनाम न होता। मैंने पार साल ही बापू लोगों से कह दिया कि मैंने बदनाम होने लायक कोबी काम नहीं किया। अगर अैसा ह्येता तो मैं राजकारण छोड़ देता। मैंने कोबी बुरा काम नहीं किया, अिसलिये मैं राजकारण में कायम रहा। मेरे वहाँ रहने ही से किसीको बुरा लगे और वे मेरा विरोध करें, तो मुझे अुसे अेक धर्मसंकट मान कर अुसका सामना करना पड़ेगा। जब तक सारी वकिंग कमेटी मेरे साथ है और कॉंग्रेस मेरी सेवाओं चाहती है, तब तक मैं वहाँ में कैसे हट सकता हूँ? सेवा से मुँह कैसे मोड़ सकता हूँ? लेकिन मुझे संघ को बदनामी से बचाना चाहिये। नाहक अुसे बदनाम करने में मैं कारणभूत क्यों होऊँ? अिसलिये मैंने अिस्तीफा दे दिया।

संघ राजनीति से अलग रहे

अगर हम राजकीय पक्ष बनाना है, तो हम खुल्लमखुल्ला सीधे अेक पक्ष बनावें। संघ का तो वह क्षेत्र नहीं है। हमें पक्ष बनाना होता, तो हम खुले तौर पर अेक पक्ष बना लेंते। वह तो हमारा अधिकार है। लेकिन कुछ लोग अैसा समझते कि हम अिस संघ का अुपयोग राजकीय पक्ष के तौर पर कर रहे हैं। अैसा समझने के लिये कुछ संयोग भी हुआ। हमारे संघ के सम्मेलन और पार्लियेण्टरी राजकारण करीब करीब साथ साथ शुरू हुए। अिसलिये अेक अैसी आवाहवा

बनी कि ये लोग राजकारण के अद्देश्य से ही सम्मेलन करते हैं। हमें इस आबोहवा को हटा देना चाहिये। इसके लिये मेरे खयाल में इस संघ के रूप में परिवर्तन करके उसे रचनात्मक काम करनेवालों के अेक छोटे-से संगठन का रूप दे देना चाहिये। उसमें वे ही लोग रहें जिनका राजकारण से कोजी वास्ता नहीं—जैसे जाजूजी हैं। तब हमारे विरुद्ध जो लोग नारे लगायेंगे, उसमें उनका नाम कोजी नहीं लेगा। संघ के किसी सदस्य के खिलाफ नारे नहीं लगेंगे। जाजूजी जैसे जो जो लोग चौबीस घंटे रचनात्मक काम करते हैं, वे ही संघ में रहें। आज देश का वायुमंडल कुछ असा बन गया है कि कुछ लोगों ने मानो हम जो कुछ करेंगे उसका विरोध करने की प्रतिज्ञा ही की है। इसलिये हम देश की आबोहवा को साफ कर दें। हम डर गये हैं, या घबरा गये हैं, इसलिये नहीं, बल्कि इसलिये कि हमारी कमजोरियाँ दूर हो जायँ, लोगों पर हमारी सेवा का प्रभाव पड़े और नाहक भ्रिष्याँ और द्वेष पैदा न हो।

संघ का यह रूप अतम कर देना चाहिये

हाँ, अेक बात का दुःख जरूर मुझे भी रहेगा। इस सम्मेलन में हम अेक-दूसरे से मिलते हैं, साथ रहते हैं, वह न हो सकेगा। लेकिन हम दूसरे मौकों पर मिल सकते हैं। अभी रामगढ़ में मिलेंगे। उसी तरह प्रान्तों में भी मिलने के मौके आ सकते हैं।

लोग गांधीवाद के खिलाफ नारे लगा सके इसीके लिये अेक संघ कायम रखने की जरूरत नहीं मालूम होती। हम यह बोझ नहीं अुठा सकते। गांधीजी के बिना संगठित रूप में किसी संघ के द्वारा अुमके सिद्धान्तों का आचरण करने की शक्ति और तैयारी हमारी नहीं है। हम अपनी इस कमजोरी को महसूस करके संघ को समेट रहे हैं। विरोध के डर से नहीं, वस्तुस्थिति देख कर हमें संघ का परिवर्तन करना चाहिये। जो रचनात्मक काम में लगे हुए हैं, उनका अेक छोटा-सा संघ भले ही रहे। लेकिन इसे इस रूप में तो हरगिज नहीं रखना चाहिये।

गांधी सेवा संघ, छठा सम्मेलन }
मालिकान्दा, ता० २१-२-४० }

गांधीजी का भाषण

-२-

भाबियो और बहनो,

आखिर में जो लोग बैठे हैं, क्या अतक मेरी आवाज पहुँचती है? अगर न पहुँचती हो, तो बता दें।

आज प्रातः ३ बजे ही मैं अठ गया। संघ की बात सोचना शुरू कर दिया। अस्का नतीजा आपके सामने रखता हूँ। आप अपनी राय अस्के बाद आज ही बताना चाहें तो बतावें। कल अेक अधूरा-सा प्रस्ताव आपके सामने रक्खा गया। सोचता हूँ कि अुसपर कुछ कहूँ और अुसके बाहर भी कुछ कहूँ।

राजनैतिक दल बनाने की सामग्री नहीं है

राजकारण के बारे में मैंने जो कहा, अुसपर मैं और भी दृढ हो गया हूँ। विचार करने पर मुझे मालूम हुआ कि हमने अनजान में असत्याचरण भी कर लिया है। कल रात को मैं जो बता रहा था वह अिस बात का सूचक था। अिसलिये हमने सत्ता के राजकारण का तो जानबूझ कर त्याग कर दिया। अगर हम संघ के नाते सत्ता के राजकारण में पड़ना चाहते थे, तो हमें खुले तौर पर पड़ना चाहिये था। अुसके लिये संघ का स्वरूप भी बदलना चाहिये था। लेकिन राजकारण में पड़ने के लिये हमारे पास तो कोअी सामग्री ही नहीं है। राजकारण के लिये यह भी जान लेना जरूरी है कि दूसरे क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। समाजवादियों की क्या विचारसरणि और नीति है, यह भी जान लेना चाहिये था। हमारे पास तो राजकीय पुस्तकों की लायब्ररी तक नहीं है।

अयप्रकाश, मसानी और संपूर्णानंद की पुस्तकें

मैंने तो समाजवाद का कुछ भी अध्ययन नहीं किया। अुस विषय की पुस्तकें नहीं पढ़ी। अयप्रकाश की अेक पुस्तक पढ़ी। मसानी ने अेक पुस्तक दी, वह भी पढ़ ली। संपूर्णानंदजी ने अेक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। बड़े प्रेम से भेज दी; अिसलिये अुमे भी पढ़ा। बस; अितना ही मेरा समाजवाद का अभ्यास है। वे लोग बताते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद पर कितनी ही पुस्तकें लिखी गयी हैं। साम्यवाद का तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आपमें से कितनों ने पढ़ा हीगा, मैं नहीं जानता।

“ मैं सबका हूँ और किसीका नहीं हूँ ”

वह चीज मेरी प्रवृत्ति में नहीं आती। मेरे दिमाग की रचना ही दूसरी है। मेरा बुद्धिमत्ता का दावा तो वे कबूल भी नहीं करते। राजकारण में मेरी बुद्धि की कोअी प्रतिष्ठा नहीं है। जो राजकारण में पड़े हैं, वे तो मुझपर हँसते हैं। वे कहते हैं, 'क्या यह राजकारण है?' मैं अेक सडवैया था अिस कारण मेरी राजकारण में प्रतिष्ठा बड़ी; मेरी बुद्धि के कारण नहीं। मेरी बुद्धि की अैसी प्रतिष्ठा कोअी नहीं मानता कि अुसीसे मैं किसीको परास्त कर सकूँ। मैं समाजवाद को मानता हूँ और साम्यवाद का भी माननेवाला हूँ। मैं सबको मानता हूँ, लेकिन अपनी वृष्टि से मानता हूँ। मैं सबका हूँ और किसीका नहीं हूँ। अहिंसा में माननेवाला किसीका विरोधी नहीं हो सकता। वह तो सबकी मदद से अहिंसा का विज्ञान बनाना चाहता है। किसीका विरोध करने का या किसीको परास्त करने का राजकारण अुसका है ही नहीं।

जिसे राजनीति कहा जाता है, उसके लिये न तो मैं खुद लायक बनना चाहता हूँ और न दूसरों को बनाना चाहता हूँ। हुदली में मैंने राजनीति में प्रवेश करने के लिये कहा। अनजान में मैंने वह भूल की। यह भी कह सकते हैं कि अनजान में हमने असत्याचरण किया। जिस काम के लिये हम पैदा हुए हैं उसीको अच्छी तरह करने के बदले हमने दूसरे काम में हाथ डाला। जो हुआ सो ठीक ही हुआ। हमने अनुभव ले लिया। पाया कि हमारी वह ताकत नहीं है। हमें अपनी अयोग्यता का पता लग गया है। अब हम अपना हाथ खींच लेते हैं। हमने गलती तो की, लेकिन अपने दोषों का पता लगते ही हम सम्मूल रहे हैं। गलती जब सुधार ली जाती है, तब वह गलती नहीं रहती। अपनी भूल कबूल कर लेने से हमारी शक्ति बढ़ती है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी मर्यादाओं को पहचान लीजिये, और जिस काम के लिये यह संघ बना था उसीको अच्छी तरह कीजिये।

अपने अज्ञान का ज्ञान

आज मेरे पास नोवाखाली से कुछ मित्र आ गये थे। वे कहते थे—“हम तुम्हारी सब बातें स्वीकार करते हैं; लेकिन तुम्हारे अनुयायी जो यहाँ बैठे हैं, उनका बात नहीं समझ सकते। हम तुम्हारी बात मान सकते हैं। तुम उसे गांधीवाद कहो, चरखा चलाना कहो, ग्राम-अधुयोग कहो, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम तुम्हारे अनुयायी हैं। लेकिन तुम्हारे अनुयायियों के अनुयायी नहीं हैं। तुम्हारे अनुयायियों के पास कुछ भी नहीं है।” अन्होंने जो कुछ कहा, बड़े प्रेम से कहा। हमारे लिये वह समझने की बात है। हम राजकारण में पड़े, इससे न तो वहाँ कुछ कर सके, न हमारा अपना ही काम कर सके। न अधर के रहे, न अधर के। अब हमें अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया है। हम उसे दूर करने के लिये प्रयत्नशील बनें।

हमने अपने सिद्धान्तों के प्रयोग के लिये राजकारण का अप्रयोग किया। आज अनुभव के बाद उसका त्याग कर रहे हैं। हम जिस राजकारण का त्याग कर रहे हैं, वह है कांग्रेस में सत्ता हस्तगत करने का राजकारण। हम कभी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। मैं व्यक्ति की बात नहीं करता; संघ की बात करता हूँ। संघ में सत्ता की राजनीति के लिये कोई स्थान नहीं है। जिस व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति और योग्यता हो वह अनुभव रहे। लेकिन यह सत्ता का राजकारण असा भ्रंकर जाल है कि इसमें से शायद व्यक्तियों को भी निकल जाना पड़े। वहाँ उनकी अहिंसा की कड़ी-से-कड़ी परीक्षा होगी। अन्हें कष्ट अनुभव आयेगा, तब वे भी निकल आयेगे। लेकिन आज तो मैं संघ के लिये ही कह रहा हूँ। संघ को कांग्रेस कमेटियों का, यानी चुनाव और सत्ता के राजकारण का, त्याग ही करना चाहिये। इस राय में मैं और ही दृढ़ हो गया हूँ। उस राजकारण के योग्य यह संघ नहीं है। मैं खुद उसके लायक नहीं हूँ। आपके अध्यक्ष तो उसके लिये और भी कम लायक हैं। वे तो एक तत्त्ववेत्ता, नीतिशास्त्रज्ञ और लेखक हैं।

‘गांधीवाद’ को छोड़ दीजिये

तीसरी बात अक वाक्य में कह दूँ। सच बात तो यह है कि आपको ‘गांधीवाद’ नाम को ही छोड़ देना चाहिये; नहीं तो आप अंधकूप में जा कर गिरेंगे। गांधीवाद का तो ध्वंस होना ही है। ‘गांधीवाद का ध्वंस हो’ की आवाज मुझे प्यारी लगती है। ‘वाद’ का तो नाश ही होना अचित है। वाद तो निकम्मी चीज है। असली चीज अहिंसा है। वह अमर है। वह जिन्दा रहे; अतना मेरे लिये काफी है। गांधीवाद का ध्वंस तो मैं शीघ्र ही देखना चाहता हूँ।

आप साम्प्रदायिक न बनें। मैं तो किसीका साम्प्रदायिक नहीं बना। कोभी सम्प्रदाय कायम करना कभी मेरे स्वाभाव में ही नहीं आया। मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर अगर कोभी सम्प्रदाय निकला, तो मेरी आत्मा रुदन करेगी। अतने बरसों तक हमने जो चीज चलायी, वह कोभी 'बाद' नहीं है। हमें किसी 'बाद' में नहीं पड़ना है; मीन धारण करके अपने सिद्धान्तों के अनुसार सेवा करते रहना है।

मेरा अनुयायी कोभी नहीं

लोग चाहे जो कहें; सेवा का कोभी संप्रदाय नहीं बन सकता। वह तो सबके लिए है। हम सबको स्वीकार करेंगे। सबके साथ चलने की कोशिश करेंगे। यही अहिंसा का रास्ता है। अगर हमारा कोभी 'बाद' है, तो वह यही है। गांधीवाद कोभी चीज नहीं। मेरे पास कोभी अनुयायी नहीं है। मैं ही अपना अनुयायी हूँ। नहीं, नहीं, मैं भी अपना पूरा पूरा अनुयायी कहीं बन पाया हूँ? अपने विचारों पर मैं भी कहीं अमल कर करता हूँ। तब दूसरे मेरे अनुयायी कैसे हो सकते हैं? दूसरे मेरे साथ चलें, मेरे सहयात्री रहें, यह तो मुझे प्रिय है। लेकिन कौन आगे चले और कौन पीछे चले, जिसका मुझे कहीं पता है? आप सब मेरे सहाध्यायी, सहकर्मी, सहसेवक, सह-संवाोधक हैं। अनुयायी होने की बात आप छोड़ दें। कोभी आगे नहीं, कोभी पीछे नहीं। कोभी नेता नहीं, कोभी अनुयायी नहीं। हम सब साथ-साथ हारबन्द (अंक कतार में) चल रहे हैं। यह बात कभी बार कह चुका हूँ; लेकिन आप लोगों को याद दिलाने के लिए फिर से दोहरा दी है।

मिथ्या राजकारण

हमें कांग्रेस में सत्ता का त्याग करना है। जिसके विषय में आप अपना दिमाग बिलकुल साफ कर लें, तो आगे की बात आपकी समझ में आ सकेगी। मुझे पूछा गया है कि 'क्या हम म्युनिसिपालिटी आदि संस्थाओं से भी हट जायें?' मैं यही कहूंगा कि म्युनिसिपालिटी को भी छोड़ना चाहिये। नागपुर की म्युनिसिपालिटी का किस्सा मैं जानता हूँ। वहाँ की कांग्रेस म्युनिसिपल पार्टी में कितना वैमनस्य, कितना वैरभाव पैदा हो गया है, यह देख कर मैं चकित हो गया। उसके बारे में मैं बहुत थोड़ा जानता हूँ। गोपालराव अजुसका इतिहास भीतर से जानते हैं। वहाँ की कांग्रेस म्युनिसिपल पार्टी में तीन पक्ष हो गये हैं। तीनों आपस में लड़ते हैं। तीनों पक्षों के आदमी मेरे पास चले आये और अपनी अपनी बात कह गये। मेरे दिल पर बहुत बुरा असर हुआ। वहाँ की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में भी काफी वैरभाव है। मैंने अजुस कहा कि 'प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी पर अ. आ. सी. सी. का अंकुश है। आप सरदार या राजेन्द्रबाबू के पास जायिये।' अंसी किसी संस्था में यदि गांधी सेवा संघ का सदस्य चला जावे, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वह वहाँ जा कर क्या कर सकता है? हम तो तीस कोटि के साथ अद्वैत सिद्ध करना चाहते हैं। यह तभी होगा जब कि हम शून्यत्व बनेंगे। हमें अधिकार से क्या काम? सत्ता का राजकारण मिथ्या है। हमें लोगों को सच्चा राजकारण बताना चाहिये। जो काम दूसरे लोग नहीं करते, बल्कि जिसे वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वही रचनात्मक काम हम करेंगे। गांधी सेवा संघ रचनात्मक कार्य करते रहने में अपना जीवन सफल मानेगा। संघ के सदस्यों में से राजकारण में प्रत्यक्ष हिस्सा लेनेवाले चौरासी आदमी हैं। वे तो हट जायेंगे। लेकिन अजुसके बाद संघ का क्या स्वरूप रहेगा, यह मैं अभी समझता हूँ।

गांधी सेवा संघ की हस्ती रचनात्मक कार्यक्रम के लिये है। वड़ी सच्चा राजकारण है। अधिकार का त्याग करके हमें अुस सच्चे राजकारण को सुशोभित करना है। कोभी अुसे राजकारण न कहे, तो हमें अुसकी क्या परवाह है? हम कॉंग्रेस की मर्यादा में रहेंगे; लेकिन सत्ता और चुनाव से हट जायेंगे।

स्नातकों के लिये अध्ययन और खोज की संस्था

सत्य और अहिंसा में जो लोग मेरी तरह मानते हैं, अुनकी फेहरिस्त का रजिस्टर रखने के लिये गांधी सेवा संघ की जरूरत नहीं है। अैसी किसी फेहरिस्त की मैं कोभी आवश्यकता नहीं देखता। 'तब भविष्य में संघ का क्या स्वरूप और क्या कार्य हो सकता है,' अिसका विचार मैं कल कर रहा था। मैं जिस नतीजे पर आया हूं, वह अब आगे के सामने रखता हूं। मेरे नजदीक अब गांधी सेवा संघ अेक 'पोस्ट ग्रैज्युअट स्टडी' जैसी संस्था बन जाती है। हमारे यहाँ जितनी संस्थाओं मेरे नाम से, यानी मेरी श्रेष्ठभाज—या मार्गदर्शन में चल रही है, वे सब रचनात्मक कार्य के लिये ही हैं। चरखा संघ, ग्राम अुद्योग संघ, हरिजन सेवक संघ, तालीमी संघ—अिन सबका मार्गदर्शक मैं ही हूं। दक्षिण भाग्न के हिन्दी-प्रचार मे मेरा हाथ रहा है। सारे भारत के हिन्दी-प्रचार की नीति पर मेरा अंकुश चलता है। मेरे नजदीक ये सब सच्चे राजकारण के अविभाज्य अंग हैं। अहमदाबाद में जो मजदूर संघ चलता है, अुसपर भी मेरा अंकुश है। अिन सब संस्थाओं के लिये गांधी सेवा संघ पोस्ट ग्रैज्युअट अध्ययन और संशोधन का काफी काम कर सकता है। ये सारी संस्थाओं यह कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकतीं; क्योंकि अुनका कार्यक्षेत्र मर्यादित है। अुदाहरणार्थ चरखा संघ को लीजिये। अुसकी नीति तो मैंने बना दी है। वह नीति यह है कि जो लोग भूखे और गरीब हैं, जिनके पास साल में करीब करीब छह महीने का वक्त खाली रह जाता है, अुनके हाथ में जितना पैसा दे सके, दे; और दूसरों को समझा-बुझा कर, अुनकी पारमाधिक बुद्धि को जाग्रत कर, अिन गरीबों की बनायी हुअी खादी खरीदने को अुन्हे प्रेरित करें। चरखा संघ के कार्यक्षेत्र में स्वावलंबन भी आता है, लेकिन अिसी प्रधान कार्य की मदद करने के अुद्देश्य से। अुसमें स्वावलंबन का वह पहलू नहीं आता, जो प्रफुल्लबाबू ने आप लोगों के सामने रक्खा था। प्रफुल्लबाबू ने तो अुसका अहिंसा से और स्वराज्य से अनुसंधान करके कहा था। अुस प्रकार का स्वावलंबन चरखा संघ के क्षेत्र में नहीं आता। मैं शंकरलाल से यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि वह कातनेवाली गरीब औरतों को चरखे में भरी हअी सारी बातें समझावें।

प्रफुल्लबाबू की योजना का स्पष्टीकरण

वह तो आपका काम होगा। प्रफुल्लबाबू ने अुस दिन कहा कि आप लोगों को साल में कम-से-कम अेक लाख गज सूत कातना चाहिये। अुसका मैंने हिसाब किया तो मालूम हुआ कि करीब तीन सौ गज रोज कातना चाहिये; तब साल मे अेक लाख होगा। बाव यह है कि तीन सौ गज निकालना, अच्छे चरखे और अच्छी पूनियों हो, तो पौन घण्टे का काम है। आध घण्टे में करनेवाले भी पडे हैं। आप लोगों से तो मेरी अपेक्षा अधिक-से-अधक होगी। आप लोगों के लिये तो कातने की कला हस्तामलकबत् होनी चाहिये, क्योंकि आप तो पोस्ट ग्रैज्युअट ठहरे। आप सच्चे दिल से ध्यानावस्थित हो कर कातेंगे। तीन सौ गज आध घण्टे में कातनेवाले कुशल कारीगर भी हैं। लेकिन आप केवल कुशल कारीगर ही नहीं होंगे; आप तो चरखे के जरिये अीध्वर-दर्शन करने की चेष्टा करेंगे जैसा कि मैं कर रहा हूं। तभी मेरी परीक्षा में अुत्तीर्ण होंगे। यह प्रफुल्लबाबू की योजना का मेरा स्पष्टीकरण है।

अेक अेक विशेष अंग के विशेषज्ञ

चरखा संघ वाले, ग्राम अुद्योग संघ वाले, अपने अपने क्षेत्र के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये आपके पास आयेंगे। आपको अैसे कामों में संपूर्णता और विशेषता प्राप्त करनी होगी। हरअेक आदमी सभी बातों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। लेकिन अेक अेक आदमी अेक अेक काम का विशेषज्ञ बन सकता है। डॉक्टरों में भी कोअी डॉक्टर फिजिशियन होते हैं, तो कोअी सर्जन होते हैं। सर्जरी में भी कोअी अँख के, कोअी नाक के, कोअी गले के विशेषज्ञ होते हैं। अिसी तरह हम अेक अेक विभाग सम्हाल लें। यह पैसा कमाने की बात नहीं है। दूसरे विशेषज्ञ पैसा कमाने के लिये आविष्कार और संशोधन करते हैं। हमें मरीअों की सेवा और अुन्नति के लिये विशेषज्ञ बनना है। भविष्य में गांधी सेवा संघ यह कार्य करेगा तभी अुसका अस्तित्व सार्थक होगा। अगर आप संघ को रखना ही चाहें, तो अिस रूप में रखें; या अुसे बन्द कर दें; नहीं तो सारे जगत में हमारी हँसी होनेवाली है और हमारे ही हाथों से गांधीवाद का ध्वंस होनेवाला है। हम अपने दिल को धोखा न दें।

खोज का दूसरा विषय

दूसरा भी अेक हमारा कार्यक्रम रहेगा। मैंने मजदूर संघवालों से कह दिया है कि वे राजकारण में पड़ेगे तो मरेंगे। चरखा संघवालों से कह दिया है कि तुम्हें राजकारण से कोअी मतलब नहीं है। अगर तुम स्वराज्य के राजकारण में पड़ोगे तो तुम्हारा मूत कच्चा निकलेगा, क्योंकि ध्यान बँट जायगा। अपना काम भी ठीक नहीं कर सकोगे, निकम्मे ठहरोगे। हरिजन सेवक संघ से कहा कि स्वराज्य से तुम्हारा कोअी संबंध नहीं है। वे अपना काम करते जायें तो अुसीमें से स्वराज्य अपने आप पैदा हो जायगा।

लेकिन आपके लिये क्या है? आपको देखना होगा कि गांधी कहता है कि मैं चरखे में अीश्वर का दर्शन करता हूँ। अुसका क्या मतलब हो सकता है? हम अुसका अन्वयार्थ लें, या अुसका रहस्य लें, या दोनों? मैं तो कहूँगा कि आप दोनों लें। भावार्थ यह है कि चरखे के प्रत्येक धागे में आप अीश्वर का दर्शन करें। चरखे जैसी सेवा की प्रवृत्तियों हमें अीश्वर के नजदीक ले जाती है, यह अुसका रहस्य है। आप देखेंगे कि अिस प्रकार हमारी अिन प्रवृत्तियों में बडी व्यापक भावना भरी हुअी है।

अन्वयार्थ

अुसका अन्वयार्थ भी व्यापक-सा ही है। आप तो पोस्ट-ग्रेजुअेट की लेअरैटरी में (प्रयोग-शाला) में शोध और अविष्कार करेंगे। अिसके लिये आपको चरखा-शास्त्र में ही नहीं, बल्कि कातने की कला में भी निपुण होना चाहिये। गांधी सेवा संघ से विशेष ज्ञान और विशेष कीशल्य की अपेक्षा रखी जायगी। आपका चरखा संघ के चरखे से अच्छा चले। आपका धागा महीन मजबूत और अटूट होगा। तार टूटना आपके लिये शर्म की बात होगी। जो शास्त्री है अुसके शास्त्र भी अच्छे-से-अच्छे होने चाहिये। आपकी पूनियों, आपके अोजार, सभी में विशेषता होगी। मैं आपको केवल कुशल मजदूर नहीं बनाना चाहता। मैं तो आपको कुशल कलाकार और वैज्ञानिक शोधक बनाना चाहता हूँ। आपसे अनोखी चीज चाहता हूँ। आपके चरखे में और चरखा संघ के चरखे में अुतना ही अंतर होगा, जितना कि मेरे अुस्तरे में और अेक हजाम के अुस्तरे में होगा। आपके साधन अनोखे होंगे।

यहाँ आप दूसरों की बनायी हुयी पूनियों से कातते हैं। लेकिन अूस स्थिति में जिन पूनियों से कातेंगे वे साधारण नहीं होंगी। पूनियों बनाने के तरीके में आप सुधार करेंगे। अच्छी-से-अच्छी पूनियों खुद बनायेंगे और बनवायेंगे। जिस तरह हर अेक छोटी-छोटी तफसील की बात का अध्ययन करेंगे; जैसा कि विनोबा ने किया है। अुन्होंने तो प्रयोग कर कर के हर अेक चीज का अेक शास्त्र ही बना दिया है। पूनियों बनाने की नयी तरकीब निकाली है। आंध्र में मछली के दौंतों का अुपयोग करते हैं। विनोबा की पद्धति में आन्ध्र-पद्धति का अनुवाद है। लेकिन अुन पूनियों से कता हुआ सूत आन्ध्र का मुकाबिला कर सकता है। अुन्होंने व्हेरम कपास के चालीस अंक के सूत का कपडा बनवा कर मेरे पास भेजा है। वह चीज प्रदर्शनी के लायक है। अेक मूसलमान लड़के के हाथ से बनवाया हुआ है। आपके धुनकने के तरीके भी अैसे होंगे, जिससे किसीकी कपट नहीं होगा। आपकी धुनकी में से कपास के तंतु नहीं अुडेंगे। खौंसीवाला आदमी भी बे-खटके धुनक सकेगा। आपके कपास पसन्द करने में भी कुछ विशेषता होगी। बेल (जिनिंग प्रेस की गठान) का कपास तो आप ले ही कैसे सकेंगे? आपकी ओटने की खास पद्धति होगी। इसके लिये धैर्य और शौबक बुद्धि चाहिये, लगन चाहिये। अगर यह सब आपने कर लिया, तो मेरे अक्वराय का पालन कर लिया।

आपका विशिष्ट क्षेत्र

जिसके बाद आपको यह देखना होगा कि क्या चरखा आपकी अहिंसक शक्ति बढाता है? विनोबा ने अेकादश व्रतों का अेक बलोक बनाया है। हर रोज आप अुसका अुच्चारण करते हैं। आपको देखना होगा कि क्या 'अुन ग्यारह व्रतों के पालन में चरखे से आपको मदद मिलती है'? चरखा संघ के चरखे में राजकारण भले ही न हो; लेकिन आपको देखना होगा कि 'आपके चरखे में राजकारण है या नहीं'? मतलब यह कि 'अुससे लोगों की शक्ति बढती है या नहीं? आज़ाद हिन्दुस्तान में स्वराज्य की जो अर्थव्यवस्था होगी, वह चरखे के आधार पर हो सकती है या नहीं? वह लोगों को केवल मजदूरी करनेवाले यंत्र बना देगा; या अहिंसक स्वराज्य के सिपाही बनायेगा?' यह सब आपको देखना है। चरखा संघ के क्षेत्र में ये बातें नहीं आतीं। अुसके क्षेत्र से परे जो विशेष काय रह जाता है, वह आपका क्षेत्र होगा।

आपको सोचना होगा कि क्या दरअसल चरखे से स्वराज्य मिलेगा? क्या दरअसल यह बात आपको अँचली है? या केवल गांधी कहता है, जिसलिये आप अुसे मानते हैं। गांधी चरखे के द्वारा अीश्वर का दर्शन कर सकता है, या अुसमें से स्वराज्य पाने की आशा रखता है, यह अुसकी व्यक्तिगत बात भी हो सकती है। आपको जिस बात की खोज करनी होगी कि क्या यह सिद्धान्त सार्वत्रिक हो सकता है। जैसे जगदीशचंद्र बसु अपने क्षेत्र में संशोधक थे, वैसे आपको भी बनना होगा। अुन्होंने अेक पोस्ट-ग्रैज्युअेट कोर्स भी बनाया। मैंने देखा है कि वे कैसे अुसीमें जुटे रहते थे। अुनके जीवन का वही अंक विषय हो गया था। मैं तो अुनके साथ बैठनेवाला था। रातदिन कुछ दिनों तक अुनके घर में रहा। अुनके पास दस-बीस चुने हुअे आदमी थे। लेकिन दस-बीस चुने हुअे आदमी अगर अपनी धुन के पक्के हों, तो करोड़ों का काम कर लेते हैं। विशारदों का काम तो अैसा ही होता है। चरखा संघ, ग्राम अुद्योग संघ यह काम नहीं कर सकते। वहाँ भी विशारद हैं, संशोधन भी करते हैं, लेकिन आपका क्षेत्र अुनसे भी व्यापक और विशिष्ट होगा। मैं तो अुनके वारा खासकर दरिद्र-नारायण की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अुनका विकास अुसी दिशा में होगा। लेकिन आपका काम तो अुनका

होगा। आप केवल औजार और भुपकरणों में सुधार ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे सिद्धान्तों से नून चीजों का-संबंध भी देखेंगे। मेरी बुद्धि अेक सहाध्यायी की बुद्धि के तौर पर आपकी सहायता करेगी, लेकिन विशेष काम तो आप ही से कराना है।

हिंसक शोधकों का दृष्टान्त

अिसी तरह से संशोधन और आविष्कार सब जगह होता है। जर्मनी में देखिये वितने विशारद हैं। वहाँ अुन्हें हिंसा के शास्त्र के विशारदों की दरकार है। हमारे पास अेक छोटा-सा केन्द्र हो, तो हम भी अहिंसा के शास्त्र में खोज और विकास करेंगे। हमें चरखा और भुसके अिर्द-गिर्द की प्रवृत्तियों का अनुसंधान अहिंसा से करना है और अखिर अनजाम में अीश्वर से करना है।

आपको सोचना होगा कि क्या ये सब चीजें हो सकती हैं? आप देखते हैं कि हिंसा के आधार पर बना हुआ समाज भी विशारदों द्वारा ही चलता है। हम अेक नये समाज का निर्माण सत्य और अहिंसा के आधार पर करना चाहते हैं। अुसका शास्त्र बनाने के लिये हमें विशारदों की जरूरत है। जिस तरह से आज जगत चल रहा है, वह हिंसा और अहिंसा का मिश्रण है। जगत का बाह्य रूप अुसकी भीतरी हालत का प्रतीक है। जर्मनी जैसा मुत्क जो हिंसा को ही अीश्वर मानता है, रात-दिन अुसीके विकास में लगा है; अुसीको सुशीभित करने की कोशिश में लगा हुआ है। हिंसा के पुजारी जो जो अुद्योग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमें भी यह समझ लेना चाहिये कि हिंसावाले हमारी प्रवृत्तियाँ देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम अपने शास्त्र के विकास के लिये क्या कर रहे हैं।

लेकिन हिंसा का मार्ग पुराना और रूढ है। अुसमें खोज करना अुतना कठिन नहीं है। अहिंसा का रास्ता नया है। अहिंसा का शास्त्र अभी बन रहा है। हम अुरुके सारे अंग नहीं जानते। अिसमें खोज और प्रयोग का विशाल वषेत्र पडा है। आप अपनी सारी बुद्धि लगा सकते हैं।

मेरे जीवन का अुद्देश्य

अहिंसा अगर व्यक्तित्गन गुण है तो वह मेरे लिये त्याज्य वरनु है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है। मैं तो अुनका सेवक हूँ। जो चीज करोड़ों की नहीं हो सकती, वह मेरे लिये त्याज्य है; और मेरे साथियों के लिये भी त्याज्य ही होनी चाहिये। हम तो यह सिद्ध करने के लिये पैदा हुअे हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तित्गत आचार के नियम नहीं हैं। वह समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती हैं। अभी हमने यह सिद्ध नहीं कर दिया है; लेकिन यही हमारे जीवन का अुद्देश्य हो सकता है। जिनका यह विदवास न हो, या जिनसे यह न बन सके, वे कृपा करके हट जायें। लेकिन मेरा तो यही स्वप्न है। अिसीको मैंने अपना कर्तव्य माना है। चाहे सारा जगत मुझे छोड़ दे, तो भी मैं अिसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी श्रद्धा अितनी गहरी है। अिसे सिद्ध करने के लिये ही मैं जिअंगा और अुसी प्रयत्न में मरूंगा। मेरी श्रद्धा मुझे नित्य नया नया दर्शन कराती है। मेरी अुत्तर अवस्था में अब मुझसे अिसके सिवा दूसरा कुछ होनेवाला नहीं है। हाँ अगर मेरी बुद्धि ही कलुषित हो जाय, या मैं दूसरा कोअी नया दर्शन कर लूँ, तो बात दूसरी है। लेकिन आज तो अहिंसा के नित्य नये नये अमत्कार मैं देखता हूँ। रोज नया दर्शन और नया आनंद

मूझे मिलता है। मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा हमेशा के लिये है। वह आत्मा का गुण है; असलिये वह व्यापक है; क्योंकि आत्मा तो सभीके होती है। अहिंसा सबके लिये है, सब जगहों के लिये है, सब समय के लिये है। अगर वह दरअसल आत्मा का गुण है, तो हमारे लिये वह सहज हो जाना चाहिये। आज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नहीं चलता। तो फिर वह कहाँ चलता है? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी व्यवहारों में नहीं चल सकता, तो वह कौड़ी कीमत की चीज़ नहीं है। जीवन में अस्का अुपयोग ही क्या रहा? मैं तो जीवन के हर एक व्यवहार में अुसके अुपयोग का नित्य नया दर्शन पाता हूँ। पचास वर्ष से अधिक साधना कर रहा हूँ। अुस साधना का अनुभव अंशतः आप लोगों के सामने रखता जाता हूँ। आप भी अुसका दर्शन कर सकते हैं।

अगर संघ को रहना है, तो इस काम के लिये रहना चाहिये। अगर आपमें अितनी अिच्छा, अुत्साह या शक्ति नहीं है, तो संघ को बंद करना ही सत्य और अहिंसा की साधना है। क्योंकि अंसा न करेंगे, तो हम अपराधी साबित होंगे; अप्रामाणिकता का पाप करेंगे। दूसराभी अेक पाप करेंगे। किशोरलालभायी जैसा सेवक हमारे पास है। वह शुद्ध आदमी है, अविच्छिन्न अुद्यम करनेवाला है, अीश्वर ने अुसे सूक्ष्म बुद्धि दी है। अंसे सेवक का हम दुरुपयोग करेंगे। अगर वह राजी भी हो जाय, तो क्या हम अुसकी जान ले लेंगे? लेकिन मैं अुन्हे आग्रह क्यों करूंगा? आज हमारे पास अंसा कौन-सा अिधो काम है? हमें अुन्हे आज ही इस बोझ से मुक्त कर देना चाहिये।

सत्य और अहिंसा केवल सिद्धान्त नहीं है

अुस दिन मैंने आपसे कहा कि किस परिस्थिति में गांधीवाद का ध्वंस होना चाहिये। आज फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर गांधीवाद गलती का समर्थन करता हो, तो अुसका ध्वंस होना चाहिये। सत्य और अहिंसा कौभी आकाश-पुष्प नहीं है। वे हमारे प्रत्येक शब्द, व्यापार और कर्म से प्रकट होने चाहिये। इस सच में किशोरलाल को जो कटु अनुभव हुये हैं, अुन्हें वह कहना नहीं चाहता। वह मौन रह जाता है, क्योंकि वह सहनशील है। जब बात बहुत बढ़ जाती है, तभी मूझसे थोड़ा-सा कह देता है। वस्तुस्थिति का कुछ दर्शन मैं कर लेता हूँ। हममें भी जो यह विश्वास (जहरीला मनमुटाव) पैदा हो गया है, वह क्यों? हम तो अेक कुटुंब के हैं। सत्य और अहिंसा को धारण कर बैठ हैं, हमारे में भी भेदबुद्धि है, वादबुद्धि है, द्वेषबुद्धि है, तो क्या सत्य और अहिंसा इस जमीन की चीजे नहीं हैं? क्या वे आस्मान में ही रहने लायक हैं? हमने राजप्रकरण में जा कर अनुभव लिया। हमारे संघ में भी अच्छे अच्छे आदमियों में वैमनस्य पैदा हो गया। (अंजेजी—किशोरलालभायी ने राम और भरत शीर्षक दे कर सर्वोदय में अंसे झगड़ों की चर्चा की थी।) अरे, कहाँ राम और कहाँ भरत? किशोरलाल तो कवि भी हैं। अुन्होंने राम और भरत का काव्य बना दिया। यहाँ न तो कौभी राम है और न कौभी भरत। राम और भरत होते तो अंसी बात ही क्यों होती? कहाँ अुनका प्रेम और कहाँ अिनका झगडा। राम और भरत से तो ये करोड़ों कोस दूर हैं।

जब हम अेक ही संघ में हैं और सेवा के ही अुद्देश्य को ले कर आये हैं, तो हममें अंसा भेदभाव क्यों होना चाहिये? हमें तो अेक-दूसरे से प्रेम ही करना चाहिये। क्या आप अितने अादमी नहीं आये हैं, वे इस प्रकार के हैं? क्या वे अेक-दूसरे से प्रेम का व्यवहार करते हैं?

अगर जवाब में आप 'हाँ' कहें, तो मुझे आपकी बड़ी सख्त परीक्षा लेनी होगी। मुझे डर है कि हम अक्सर परीक्षा में अस्तीर्ण नहीं होंगे। आप आपस में अपने विषय में अके-दूसरे की सच्ची राय पूछें। अपने हृदय से पूछें, तब आपको पता चलेगा कि हम अभी अहिंसा से कौसों दूर हैं। जब हम अितने दुर्बल हैं तो काँग्रेस में क्यों पड़ें? वहाँ हम क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे सामने जब कौअी हरीफ (प्रतिस्पर्धी) आ जाता है, तब हम बैठ क्यों नहीं आते? काँग्रेस के अधिकार से हमारा क्या वास्ता है? हम चुनाव में किसीको परास्त करने की बात क्यों सोचें?

स्पर्धा छोड़ दीजिये

अगर हमारे अन्दर अधिकार की लालसा या अधीर्या का भाव नहीं है, तो बाहर अितनी कटुता क्यों पैदा हुआ? मालिकान्दा में ये आदमी आ कर ध्वंस के नारे क्यों लगाते हैं? क्यों अितना गोलमाल करते हैं? यहाँ पर जो बंगाली कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं पूछता हूँ। यह कटुता कैसे पैदा हुआ? आप उनको प्रेम से वश करने की चेष्टा क्यों नहीं करते? आपमें से जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वे उनके पास जा कर प्रेम से उनसे क्यों नहीं पूछते? प्रफुल्लबाबू हैं, सतीशबाबू हैं, वे नारे लगानेवालों के पास जायें, उनको मण्डली में बैठें, प्रेम से उनसे बात करें। मैं खुद यह कर चुका हूँ। मेरे लिये यह नयी बात नहीं है। मैं उनका हरीफ छोड़े ही हूँ। जो वे चाहते हैं, वह मैं नहीं चाहता। वे अधिकार चाहते हैं, मैं अधिकार चाहता ही नहीं। स्पर्धा तो तभी होती है, जब दोनों अके ही चीज चाहते हैं। हमें तो उनके प्रेम का पात्र बनना है। अिसलिये हम राजकारण को छोड़ दें। मैदान उनके लिये खुला छोड़ दें। अहिंसा अिसी तरह काम करती है। अिसलिये हमको सत्ता का राजकारण छोड़ देना है।

अनोखा पुस्तकालय

लेकिन हम बेकार और निकम्मे थोड़े ही बैठ रहेंगे? हम चरखा चलायेंगे और साथ साथ यह भी देखेंगे कि चरखे में हमारी बुद्धि कुंठित होती जाती है, या तेजग्वी बनती जाती है। हम चरखे का अध्ययन करेंगे। 'चरखा क्या है, वह क्यों आया, कैसे आया, क्यों गया, हमें उसका क्या उपयोग है, उसका क्या अितिहास है, क्या भविष्य है'—अिन सब बातों का अध्ययन हमें करना है। अिसके लिये हमें अेक खास तरह की लायब्ररी रखनी होगी। गांधी सेवा संघ के पास जैसी अनोखी लायब्ररी होगी, वैसी जगत में और कहीं नहीं होगी। जब हम अिस प्रकार से काम करने लगेंगे तभी हम गांधीवाद की संज्ञा में से निपटनेवाले हैं। यह अैसा कार्यक्रम होगा, अिसके लिये हमारे आज के विरोधक हमारी स्तुति करेंगे। आज जो हमें कोसते हैं, वे ही हमें आशीर्वाद देंगे। यह बात अगर आपकी बुद्धि, शक्ति और अिच्छा में अतीत है, तो आप वैसा कह दें। अुनसे यही सिद्ध होगा कि आज अैसा संघ बनाने की योग्यता हममें नहीं है। लेकिन अिससे जो बात मैंने आपके सामने पेश की है, वह थोड़े ही गलत साबित होगी?

संघ की जन्म-कथा

जब यह संघ बना था, अुस वक्त भी यह कल्पना नहीं थी। मैं जब जेल में था, तब जमनालालजी ने अिसे बनाया (१९२२-२३)। जमनालालजी तो अेक शुद्धहृदय के सेवक हैं। मैंने जब असहयोग आन्दोलन शुरू किया तो अुन्होंने अपनी थैली का मुँह खोला। मैंने वकीलों से वकालत छोड़ने के लिये कहा था। जमनालालजी ने वकालत छोड़ कर देश-कार्य में लग जानेवाले सौ वकीलों के अरिस्तार्य की तजवीज करना चाहा। अिसलिये नहीं कि वे खुद काँग्रेस पर राज करना चाहते

थे, बल्कि जनता में सत्याग्रह की शक्ति जाग्रत करने के लिये। अिन आदमियों को कांग्रेस में भेजने की अुनकी कल्पना नहीं थी। वे जब जब मेरे साथ बात करते थे, तब-तब यही कहते थे कि अिन आदमियों को राजकारण से अलग रक्खा जाय। पीछे असहयोगी वकीलों को निर्वाह के लिये पैसा देने की बात के बदले रचनात्मक कार्य करनेवालों को देने का निश्चय हुआ। अिसीमें से अिस संघ का जन्म हुआ। जमनालालजी ने संघ के द्वारा राजकारण करने की बात कभी सोची ही नहीं थी। १९३४ में जब मैंने संघ को कुछ बड़ा रूप दिया, तब भी वे अनुकूल नहीं थे। बाद में हुदली में भी वे मेरे प्रस्ताव के खिलाफ थे। संघ को राजकारण में आने का आरोप अगर आप मुझपर करें तो अुसे मैं कबूल कर लूंगा। जमनालालजी पर यह आरोप करें, तो ठीक नहीं है।

अत्यंत अुत्कृष्ट अ्येय

आज मैंने फिर अेकाग्र हो कर संघ की नीति का विचार किया। अब तक अितनी आस्था से नहीं कर सका था। अुघ्र के कारण मेरी शारीरिक शक्ति का अ्हास हो गया है। मेरी नजर सभी तरफ नहीं जा सकती। सभी बातों से मैं हमेशा अोन-प्रोत्त नहीं रह सकता। मेरा शरीर कषीण हो गया है। किसी तरह आज तक अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया है। मैं तो सम्मेलन में आने से भी वचना चाहता था; लेकिन प्रफुल्लबाबू ने अग्रह किया, अिसलिये चला आया। आने पर अेकाग्र हो कर संघ की स्थिति पर विचार करने लगा। जो नतीजा निकला वह आपके सामने रक्खा है। आज तो मैं अिसी विचार से अोत्-प्रोत्त हो गया हूं। किशोरलाल ने अितने वर्षों तक अिस अिस बोझ को अुठायो। अुसे संघ में लानेवाला तो मैं ही हूं। आज अुसकी क्या स्थिति हो गयी है? अुसका शरीर कषीण हो गया है। मैंने अुसका भाषण पढ़ा। किशोरलाल आज यहां काम नहीं कर सकता, अिसलिये मैं अितनी दिलचस्पी से यह विषय आपके सामने रख रहा हूं।

अेक तरह से अनायास अिस बात को मैं यहीं कर रहा हूं। अगर आप संघ में राजकारण में सीधा हिस्सा लेनेवाले सदस्यों को नहीं रखते हैं, तो संघ को अेक छोटा-सा रूप प्राप्त हो जाता है। अगर यह सच्चा होगा, तो अुसीमें से बड़ा व्यापक वृक्ष बनेगा; नहीं तो वह मिट जायगा।

राजकारण के कारण २४३ सदस्यों में से ८४ निकल जाते हैं। अिसलिये नहीं कि वे निकम्मे हैं, बल्कि अिसलिये कि अुनका अुस क्षेत्र में अुपयोग है और वे अुसके लायक हैं। बाकी के जो रह जाते हैं अुनमें से अैसे कितने हैं, जो अिस बात को अनजाम दे सकने हैं? अिसके लिये आप दो-चार आदमियों की कमेटी बनावें। वह अीश्वर को साक्षात् रख कर अैसे आदमियों की फेहरिस्त बनावें जो अिस नये काम के योग्य हों। अुस कमेटी को यह भी निर्णय करने का अधिकार दे दें कि आगे अिस संघ को क्या रूप देना है। अिस विषय में अुस कमेटी के सामने आप भी अपनी अपनी राय संक्षेप में रक्खें, व्याख्यान न दें। लेकिन हर हालत में जिस तरह से संघ आज चल रहा है, अुसे तो समाप्त ही करना है। आगे वह चलाया जाय या नहीं, अगर चलाया जाय तो किस रूप में, यह सोचने की बात है। जिस रूप में वह चल सकता है, अुसकी कुछ रूपरेखा मैंने आन रक्खी है।

अब जो करीब करीब तीस वैतनिक सदस्य हैं, अुनका क्या होगा, क्या न होगा, यह सवाल रह जाता है। वह तो हिसाब-किताब की बात होगी। गांधी सेवा संघ की हस्ती वेतन चुकाने के लिये थोड़ी ही है? वह तो जमनालालजी का अेक ट्रस्ट है, वह अेक छोटी-सी बात है।

बोने और जमनालालजी कर सकते हैं। दूसरे किसीके सोचने की बात नहीं है। जमनालालजी और मुनसे जो संबंध रखनेवाले हैं, वे सोचें। जिसपर वह बात छूट जाती है।

बाकी के जो हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आपकी राय में गांधी सेवा संघ का कायम रहना अच्छा है? अगर आप उसे रखना चाहें, तो उस रूप में रखना होगा जो मैंने बतलाया है। आपको अभ्यास करना होगा, शोध करनी होगी, प्रयोग करने होंगे। तब तो बड़ा अज्ज्वल जीवन होगा। उसके लिये बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक—तीनों प्रकार की शक्तियों को अकाग्र करना होगा। वह देश के लिये और जगत के लिये एक अनोखी बात होगी, जिसका कोभी द्वेष ही नहीं कर सकेगा। शरीर, आत्मा और बुद्धि का अंकीकरण करके आप मुक्त और जगत के सामने एक नयी संस्कृति का आदर्श रखेंगे। जिससे भी बढ़कर कोभी ध्वेय हो सकता है?

यह एक प्रीठ बात मैंने आपके सामने रख दी है। अगर वह आपकी शक्ति से बाहर हो, तो आज संघ को बिलकुल खतम करना ही अच्छा है। जो सत्य और अहिंसा की कसौटी पर अंतर सकते हैं, जैसे सर्वार्पण बुद्धि की भावना से काम करनेवाले बिहारद ही बिते बदले हुए रूप में चला सकेगे।

मैंने अपनी बात आपको बिस्तार से समझा दी है। अब आप अपनी अपनी राय बतावें।

रचनात्मक कार्यकर्ताओं से निवेदन

अब पूज्य गांधीजी गांधी सेवा संघ से किस प्रकार का काम चाहते हैं, जिसका कुछ अंश मैं पता जिस अंक के ४४५-४४७ में छपे हुए उनके भाषण से चलेगा। जो कार्यकर्ता रचनात्मक कार्यों में काम कर रहे हैं, उनको अब जिस विषय पर गंभीरता से खयाल देना चाहिये और उनको सोचना चाहिये कि वे स्वयं उसके बारे में क्या कर सकते हैं। गांधीजी से पूछनेपर कि वे संघकी ओर से अभी किन बातों का शोध चाहेंगे, उन्होंने निम्न बातें सुझायी हैं।—

- (१) खादी आदि का व्यापक प्रचार कैसे हो सकता है?
- (२) कताजी आदि ग्रामोद्योगों का अहिंसा से अनिवार्य संबंध है क्या? यदि है तो किस प्रकार?
- (३) वे उद्योग कौन-से हैं जो कि अहिंसा के बिना चल ही नहीं सकते? और वे कौन-से हैं, जिनमें कि हिंसा अनिवार्य है? वे कौन-से कि जिनमें हिंसा-अहिंसा, दोनों का मिश्रण है? या ऐसा भेद करना ही गलत है?
- (४) क्या अहिंसा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में कुछ विशेषता है?

जो सज्जन जिस विषय में दिलचस्पी रखते हों, चाहे वे संघ के सदस्य हों, या पहले कभी सदस्य रहे हों, या न भी रहे हों, उन सबसे निवेदन है कि वे उन बातों का अध्ययन कर उन्हें कुछ विशेष सुझाना ही, तो सुझाने की कृपा करें।

श्रीकृष्णदास जाजू

वर्षा, ता० २१-३-४०

अध्यक्ष, गांधी सेवा संघ.

संघ का परिवर्तन

[किशोरलाल घ० मशरूवाला]

मालिकान्दा में संघ का जो रूपान्तर हुआ, उसपर बाहरी जगत को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। जिन पाठकों ने 'सर्वोद्यम' की टिप्पणियों ध्यान से पढ़ी होंगी, उन्हें इस संभावना की कुछ कल्पना हो गयी होगी। फिर भी न सिर्फ बुन्हीको बल्कि संघ के और कार्यवाहक समिति के सदस्यों को भी मालिकान्दा में अिकट्टा होने के पहिले जिस रूप में संघ का परिवर्तन हुआ, उसकी कुछ भी आगाही न थी।

मालिकान्दा में मैं तो बीमार ही रहा और, सिवा दूसरे दिन के गांधीजी और सरदार वल्लभभायी के प्रारंभिक भाषण के समय, सम्मेलन में हाजिर भी न रह सका, और चर्चाओं भी नहीं के बराबर सुनीं। इसलिये मेरा भी ज्ञान अखबारों और मित्रों के बयान और 'हरिजन' में आये हुआ लेखों तक ही मर्यादित है। हाँ, कार्यवाहक समिति में आखिरी निर्णय का मसौदा बनाने में मैंने पूरा हिस्सा लिया और जो निर्णय हुआ, उसकी ओर से मैंने अपना सन्तोष प्रकट किया।

मैं जानता हूँ कि इस निर्णय से संघ के कुछ अपस्थित सदस्यों को कष्ट हुआ है। जो सदस्य हाजिर नहीं रह सके थे, उन्हें समाचारपत्रों में संघ के रूपान्तर की बात पढ़ कर क्या मालूम हुआ होगा, इसकी मुझे अर्था तक कल्पना नहीं है। कुछ सदस्यों को जरूर कष्ट हुआ होगा। जिन्हें कष्ट नहीं हुआ, उनका अपेक्षा जिन्हें हुआ, उनका स्थिति विशेष स्वाभाविक है। पर संघ के सदस्यों का गांधीजी पर जो अटल विश्वास है, उसके बल पर उन्होंने अपने दिल का समाधान कर लिया होगा।

संघ के लिये जो बुद्देश्य नयी कार्यवाहक समिति के सामने रक्खा गया है, उसका अभी पूरा पूरा दर्शन मैं भी नहीं कर सका हूँ। पर कल्पना का जितना विस्तार कर सकता हूँ, उसपर से देखता हूँ कि संघ का यह नया स्वरूप उसके समेटे हुए स्वरूप से किसी प्रकार संकीर्ण या आसान नहीं, बल्कि अधिक विद्यालय और कष्टसाध्य है। समेटे हुए संघ की सदस्यता के लिये योग्यता का जो नाप आवश्यक माना जाता था, उससे कभी गुनी अधिक योग्यता इस नये संघ का काम करने के लिये जरूरी होगी। नये स्वरूप के संघ का प्रस्ताव बनाते समय पू० गांधीजी तथा कार्यवाहक समिति के सदस्यों की भी यह अच्छा अवश्य हुआ कि संघ को कायम रखने के लिये सदस्यों को कम-से-कम जो संख्या कानूनन जरूरी होती है, उससे कुछ तो अधिक सदस्य पहले ही में मुकर्रर कर दे। पर, कुछ दुःख के साथ यह महसूस किया गया कि दृढ विश्वास में ज्यादा नाम तुरन्त ही नहीं खोजे जा सकते। कभी नाम खयाल में आये। लेकिन, उनके अनेक व्यवसाय, अनुपस्थिति, या दूसरी अड़चनों के कारण उन्हें उस समय के लिये छोड़ देना पडा। जिनके नाम दर्ज किये गये, उनका नियुक्ति भी इस अहंकार से नहीं हुआ कि वे इस काम के लिये सब तरह से योग्य ही हैं। पर काम शुरू करने के लिये, या यों कहिये कि कम-से-कम बीज को सुरविषत रखने के लिये, जिनकी नियुक्ति में कौआ अड़चन पैदा होना संभव न था, और जिनकी ऐसे काम में श्रद्धा मानी जा सकती थी, अतने ही नाम दर्ज कर दिये गये।

असके मानी यह नहीं है कि संघ के कल तक के सदस्यों में, या देश में, संघ के नये अद्देश्य को सिद्ध करने के लिये योग्य पुरुष ही नहीं हैं। पर यह मंजूर करना होगा कि वे बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं।

अहिंसा की शक्ति और चरखा, ग्रामअध्योग आदि योजनाओं का वैज्ञानिक ढंग से समर्थन श्री रिचर्ड ग्रेग जैसे अमेरिकन विद्वान ने जिस तरह किया है, वैसा किसी भी भारतीय विद्वान या नेता ने नहीं किया। उस तरह से गांधीजी के सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं के बराबर ही हुआ है। यह हमारे लिये अके दुःखप्रद सत्य है। पर शायद, असे दुःख कहने में मेरी अधीरता ही कारणभूत हो। मुमकिन है कि गांधी-विचार और योजनाओं का शास्त्रीय और वैज्ञानिक अध्ययन करने का अब तक समय ही नहीं आया था। असलिये गांधीजी को भी शास्त्रीयता और वैज्ञानिकता के प्रति अब तक कुछ अरुचि ही थी। लेकिन, अब वे महसूस करते हैं कि अुनके विचार और योजनाओं की अध्यात्म-शास्त्र, मानस-शास्त्र, समाज-शास्त्र तथा विविध वैज्ञानिक विद्याओं की दृष्टि से सत्यासत्यता, व्यवहार्य-अव्यवहार्यता, हिताहितकरता आदि की खोज करनी चाहिये, और 'गांधीजी को क्या प्रिय होगा?'—अस दृष्टि से ही नहीं, बल्कि 'किस विषय में क्या सत्य, व्यवहार्य और योग्य है?'—अस दृष्टि से अुनके विचार और योजनाओं के हरेक अंगप्रत्यंग का परीक्षण करना चाहिये।

पाठक देखेंगे कि संघ के स्वरूप में यह अके क्रान्तिकारी परिवर्तन है। अब तक संघ का अद्देश्य—“गांधीजी के सिखाये हुअे सत्याग्रह के सिद्धान्तों के अनुसार जनता की सेवा करना”—रहा। असके मानी होते हैं कि संघ के सदस्य गांधीजी के सिद्धान्तों को प्रमाणभूत मान कर

ही चल सकते थे। यह कहा जा सकता है कि अके दृष्टि से असमें साम्प्रदायिकता का पूरा लक्षण था। अब संघ गांधीजी की शिक्षाओं की भी परख करने की हिम्मत कर सकता है। और गोरब की बात यह है कि यह क्रांति स्वयं गांधीजी की ही प्रेरणा से की गयी है।

अहिंसा के द्वारा किसी संस्था में आमूल क्रांति किस तरह हो सकती है, असका भी असमें से अके अनुपम अुदाहरण हमें मिलता है। अगर गांधीजी के प्रति सदस्यों का अंशमात्र भी अविश्वास होता, तो श्री वल्लभभाजी, श्री राजेन्द्र-बाबू, श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री शंकरराव देव आदि अखिल भारतीय और अनेक छोटे-मोटे प्रान्तीय नेताओं की बनी हुअी अस संस्था के लिये अपने आपको मिटा देना आसान बात न होती। अस संस्था को चाहे जैसा स्वरूप दिया जा सकता था। असके लिये अुसके पास संपत्ति थी। अुसके द्वारा अके बड़ा राजकीय दल का निर्माण किया जा सकता था। गांधीजी को अके नया अवतार या पैगंबर बना कर अके नया धर्म-संप्रदाय बनाना भी संभवनीय था। लेकिन, मानो बिजली के वेग से, गांधीजी ने संघ की अके राजकीय दल या धर्म-संप्रदाय बनने की संभावना को तोड़ दिया। असमें जितनी बधायी गांधीजी को दी जा सकती है, अुतनी ही अुनके निर्णय को मान लेनेवाले संघ के सारे सदस्यों को भी देनी चाहिये।

श्रीकृष्णदासजी जाजू पर परिवर्तित संघ की अध्यक्षता का भार आ गया है। संघ का पुराना स्वरूप रहता तो भी कार्यवाहक समिति के सदस्यों की अिच्छा यही थी कि वे ही मेरे स्थान पर अध्यक्ष होना स्वीकार करें। लेकिन पुराने स्वरूप के संघ के अध्यक्ष बनने के लिये हम अुन्हें राजी नहीं कर सके और परिवर्तित संघ की जिम्मेदारी अुठाने का जब

अन्होंने स्वीकार किया, अुस वक्त परिवर्तन के स्वरूप का अुनका खयाल कुछ अलग ही था। अुसमें अेक नया अुद्देश्य जोड़ दिया जायगा, अंसी कल्पना नहीं हुअी थी। पर अेक बार कंधा देना मंजूर कर लेने के बाद 'धुरंधरों' का यह कुल-धर्म ही हो जाता है कि अुसपर जो बोझ रक्खा जाय, अुसे सह लें। अिस कुल-धर्म का अुन्होंने भंग नहीं किया, और हमारा प्रस्ताव बनाने का काम आसान हुआ। फिर, यह नया काम भी अिस प्रकार का है कि जिसमें अुनकी स्वाभाविक रुचि है, और अुसको व्यवस्थित स्वरूप देने का वे आत्मविश्वास भी रख सकते हैं। अलबत्ता, यह काम अंसा नहीं है कि जो केबल अुन्हीं पर सारा बोझ पड़े तो सफल हो सके। अिस दृष्टि से पुराने संघ से भी अिसका काम ज्यादा मुश्किल है। पर समान रुचि और शील रखनेवाले विचारक, अध्यापक, कार्यकर्ता आदि के सहयोग से अुसे बढ़ाने की वे आशा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि संघ के सारे पुराने सदस्य, और सदस्य न होते हुअे भी जो संघ के हित-चितक, प्रशंसक और गांधीजी के विचारों के समर्थक रहे हैं, वे सब अुन्हें पूरी-पूरी सहायता देंगे। परमात्मा चाहेगा, तो अुनके द्वारा संघ और भी अधिक तेज और बल प्राप्त करेगा।

संघ का अहसान

गांधी सेवा संघ के जिस स्वरूप का हमने मालिकान्दा में विसर्जन कर दिया, अुससे संघ के सदस्यों को कितनी लाभ-हानि हुअी यह तो वे ही कह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि विसर्जन से कुछ सदस्यों के दिल को कष्ट जरूर पहुंचा। अिसपर से यह अनुमान करने में हर्ज नहीं कि वे संघ से कुछ फायदा महसूस करते थे।

पर, मुझे तो संघ से सब तरह का लाभ ही

हुआ है। अेक तरह से देखें तो मालूम होता है कि मानों संघ का १९३४ का रूपान्तर मेरे वास्ते ही किया गया था और जब अधिक फायदा अुठाने की मेरी ताकत नहीं रही, तब अुसका विसर्जन भी कर दिया गया। अिसकी आध्यात्मिक समालोचना करने का मौका कभी मिला, तो करने का विचार है। अिस वक्त स्थूल प्रमाण ही देता हूँ।

संघ के १९३४ के रूपान्तर को स्वयं श्री जमनालालजी से ले कर करीब-करीब सब सदस्यों ने अुसी आश्चर्य की दृष्टि से देखा था, जिससे मालिकान्दा में हुअे रूपान्तर को देखा। अंसा को भी रूपान्तर गांधीजी सुझायेंगे, यह कल्पना १९३४ के सम्मेलन को बुलाने के समय संघ के नेताओं को न हुअी थी। पर, मानो, गांधीजी मुझे अपने छोटे-से कमरे और अुसमें आ कर बैठ सकनेवाले चंद मित्रों के ही समाज से निकाल कर अेक विस्तीर्ण प्रदेश और विशाल समाज में घुमाना चाहते थे। केवल जी में घुमने की लहर ला कर मैं देश-यात्रा करूँ और अनेक लोगों से परिचय बढ़ाऊँ यह मेरे स्वभाव के कारण मुमकिन नहीं था। लेकिन माना जा सकता है कि फिर भी अंसा मुझे दिलाने के लिये ही १९३४ में गांधीजी को यह सूझा कि संघ के जरिये यह काम किया जाय। अिसलिये, यद्यपि संघ की अध्यक्षता के लिये दूसरे अधिक योग्य पुरुष बहुमत से सुझाये भी गये थे और नज़र में भी थे, तो भी मेरी नियुक्ति की गांधीजी ने सलाह दी, और सबने अुसे स्वीकार कर लिया।

अगर यह निमित्त न होता तो देश के अनेक प्रान्तों की यात्रा करने, अनेक तरह के कार्यकर्ता, छोटे-बड़े नेता, विद्वान साहित्यकार, विचारक तथा दूसरे आतिथ्यप्रेमी सज्जनों और सन्तारियों से परिचय करने, अनेकों से कायम की मित्रता

करने, अनेक संस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने आदि के मौकों से मैं कैसे लाभ उठाता ? जहाँ बहो मेरी पत्नी और मैं गया, हमे प्रेम का ही अनुभव हुआ । मैं कैसे मानूँ कि परोपकार और अहिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं हैं, वे केवल संस्कार-जन्य ही है, और स्वभाव से तो वह स्वार्थी और हिंसक ही होता है ? मैंने कभी नेता की हैसियत प्राप्त ही नहीं की ; न मेरे शरीर में कोअी आकर्षकता है । मैं कोअी अस्खलित वाणी से बोलनेवाला बक्ता भी नहीं हूँ । मेरी आवाज़ कर्कश है । योग्य शब्द न सूझने से कभी-कभी बोलने में अँसा औचित्य-भंग कर देता हूँ कि काका साहेब ने अक बार विनोब में कहा था कि जिसकी घ्राणेंद्रिय-तीव्र है, उसे मैं व्याघ्र कहूँ तो आश्चर्य नहीं । ('विशेषण जिघ्रतीति व्याघ्रः' ।) अध्यक्ष के नाते मेरे पास कोअी अँसी शक्ति तो नहीं थी, जिससे मैं किसीको कोअी बड़ा आर्थिक लाभ पहुँचा सकता । मुझसे किसीका नुकसान होने का डर नहीं था, अतनी ही अक योग्यता (?) मैं बता सकता था । बाकी तो सारा—अगर अुमें 'सेवा' कहें तो—शब्दों का ही व्यवहार था । फिर भी मेरे प्रति अतना प्यार क्यों बनाया गया ? मैं क्यों यह अनुमान न करूँ कि मनुष्य लाभ की अच्छा से प्रेम नहीं करता, लेकिन सिर्फ नुकसान के भय से ही द्वेष करता है ? निःस्वार्थ में द्वेष नहीं किया जा सकता । स्वार्थ में राग और द्वेष दोनों हो सकते हैं । लेकिन, मैं फिर आध्यात्मिक आलोचना में उतर गया । मेरा तत्पर्य यह है कि संघ से दूसरों को जो कुछ लाभ हुआ हो सो हुआ हो, मुझे तो सब तरह से लाभ ही लाभ हुआ । संघ के नेता और सदस्यों का मुझ पर जो अहसान हुआ है, असे ठीक तरह प्रकट करने की कला भी मैं नहीं जानता ।

व्यक्तिगत

गांधी सेवा संघ के अध्यक्षपद से हट जाने के साथ ही मैंने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना तय कर लिया है । वैसे तो मैं हमेशा अक मंचगति कार्यकर्ता या लेखक रहा हूँ । जितना काम श्री काका साहेब या महादेवभाभी जैसे आधे घण्टे में पूरा कर देते अतने के लिये मैं ३-४ घण्टे लेता था । दो-अक साल से यह मन्दता और भी बढ़ गयी है । अब अतना ही काम मैं ७-८ घण्टे में भी पूरा कर नहीं पाता । फिर, असके साथ शारीरिक निर्बलता भी बढ़ रही है । जब संघ के अध्यक्षपद पर मेरी नियुक्ति हुआ, तब रोज़ाना ८-१० घण्टे मानसिक काम करना मेरे लिये कठिन बात नहीं थी । बीमारी में भी मानसिक काम निभा सकता था । अब असमें भी थकावट मालूम होती है । और मैं पिछले दो साल के अनुभव से अँसा पाता हूँ कि वह शक्ति कम होते-होते अब मुश्किल से ३-४ घंटे काम करने की रही है । और जब उवर आदि का दौरा हों, तो और भी कम हो जाती है । मैं केवल मानसिक थकावट ही नहीं पाता हूँ, सार्वजनिक कामों में भी मैं अतना अतसाह अब अनुभव नहीं कर सकता । बहुत छोटी अुग्र में जब मैंने सार्वजनिक कामों में हिस्सा लेना शुरू किया, तब जिन नेता के मातहत काम करता था, अन्होंने मुझसे पूछा था, कि तुम्हारे अतसाह के पीछे कोनसी मनोवृत्ति काम कर रही है ? मैंने कहा था कि "अक खुजलीवाले बालक की । वह जिस तरह बिना खुजाये रह नहीं सकता, अुसी तरह मैं अिन कामों से अपने को रोक नहीं सकता ।" छोटे या बड़े जिन कामों में मैंने आज तक हिस्सा लिया है, अुममें अँसी खुजली का ही अधिकांश मैं जोर रहता था । अिसीमें मेरा गुण और कमजोरी दोनों रहे-हैं ।

में अनुभव कर रहा हूँ कि यह खुजली अब कुछ अंश में कम हो गयी है, अथवा मेरी खुजाने की शक्ति ही कम हो गयी है। जो भी हो, मेरा अब खुजाते रहने का अतसाह काफी मंद हो गया है असा मालूम होता है।

अैसी हालत में मैंने धीरे-धीरे सब सार्वजनिक संस्थाओं और प्रदर्शनों से हट जाने का निर्णय किया है। जहाँ से हटने से साथियों को कुछ मुश्किल पैदा होना संभव हो, वहाँ अनुकूल समय की राह देखनी पड़ेगी। जहाँ से आसानी से हट सकता हूँ, वहाँ से निवृत्त होने की अिजाजत माँगूंगा। सद्भाग्य से मैंने खुद को बहुत संस्थाओं में फँसा ही नहीं रखा है।

अिसी तरह किसी सभा, परिषद्, आदि के अध्यक्ष होने या व्याख्यान देने, या पढ़ने आदि सार्वजनिक जीवन के कामों से भी मैं अब दूर रहना चाहता हूँ और अुम्मीद करता हूँ कि मेरे मित्रगण मुझे अिन कार्यक्रमों में खींचने का प्रयास न करेंगे।

व्यक्तिगतरूप से अथवा संघ के अध्यक्ष के नाते किसी पत्र के विशेषांक के लिये अथवा सार्वजनिक प्रसंगों पर 'संदेश' या 'आशीर्वाद' आदि की माँगें मुझे आया करती थीं। यों भी अैसे औपचारिक 'संदेश' या 'आशीर्वादों' में मेरी कभी रुचि नहीं रही। मुझे अिन 'प्रचार-साधनों' में कुछ अन्वद्धा ही है। मेरी यह मान्यता है कि संदेश, फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ आदि के पीछे जितना धनव्यय होता है, उसके मुकाबिले में अिनसे होते हुए प्रचार की कीमत बहुत ही कम है, और नेतृगण अिन

फँसनों को प्रोत्साहन दे कर देश को, अथवा अपने काम को, संकास्पद लाभ ही पहुँचाते हैं। मेरी राय में अहिसक संस्कृति और अिन रूढियों में विसंगति भी है। खैर। जहाँ तक मेरी चली, मैंने अिन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। फिर भी, अध्यक्षता के कारण कभी कभी मुझे अिन रूढियों के बंध होना ही पड़ा। आशा करता हूँ कि अब मैं अिन विज्ञप्तियों से छुटकारा पाऊंगा।

अिस तरह भविष्य के लिये मेरी अिच्छा जहाँ तक हो सके, निवृत्ति-प्रधान जीवन बिताते हुए, लेखनादि द्वारा जो कुछ जन-सेवा बन पड़े अुतने ही से संतोष मानने की है। संभव है कि, अिस तरह, विचार के जिस क्षेत्र में मेरा विशेष प्रवेश है, अुसका कुछ लाभ मैं जनता को दे सकूँ और कुछ अधूरे पड़े हुए लेख, ग्रंथ आदि को पूरा या रद्द कर सकूँ। मैं आश.पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि सार्वजनिक कार्यकर्ता, पत्रों के संपादक तथा सब मित्र अिसमें मेरी मदद करेंगे और मुझसे लेखादि की अधिक आशा न करेंगे। जब मेरे ही दिल में कुछ लिखने या सार्वजनिक काम करने की 'खुजली' पैदा होगी, तब की बात अलग है।

कुछ मासिक पत्र आदि मुझे नियम से मिलते हैं। अिनमें से जो मेरी अध्यक्षता के कारण भेजते थे, अुनसे मेरा अनुरोध है कि वे अब मेरा नाम हटा कर संघ के अध्यक्ष या मंत्री के नाम ही भेजने की कृपा करें।

वर्धा, १८-३-४०

संस्था या संघ ?

[काका काटेलकर]

१

श्री जमनालालजी जब गांधी सेवा संघा की स्थापना का संकल्प कर रहे थे, तब मैं साबरमती आश्रम में था। उन्होंने गांधी सेवा संघ के आदर्श क्या हों, जिसका मसविदा मुझसे माँगा। मैंने उस वक्त उनको क्या क्या लिख दिया सो तो आज याद नहीं आता। लेकिन एक बात की याद स्पष्ट रही है। उसे आज फिर से दोहराना उपयोगी है। उन दिनों मैंने कहा था कि “आप उसे ‘मंडल’ न कहियेगा। उसे ‘संघ’ कहिये। आप उसे ‘संस्था’ न बनायिये। उसे ‘संघ’ बनने दीजिये।”

जमनालालजी के मुझसे इस भेद को स्पष्ट करने को कहने पर मैंने अपनी कल्पना इस प्रकार स्पष्ट की थी:—

‘संस्था’ का अर्थ अकेले अिस्टीट्यूशन (संगठन) है और संघ है अकेले ब्रदरहुड (बिरादरी)। संस्था में कोभी अध्यक्ष होता है, कोभी सेक्रेटरी और खजानची होते हैं और बाकी के सदस्य बनते हैं। वे अपनी नियमावली से बंधे रहते हैं। सदस्य बनाना और नियमों के अखंडन के लिये सदस्यता से पृथक करना आदि बातें उसमें होती हैं। संस्था को अपने स्वयं के लिये पैसे अकट्टे करके उसका मालिक बनना पड़ता है। संस्था इस युग की चीज है।

संघ की बात इसके विपरीत है। संघ में कोभी किसीको सदस्य नहीं बनाता। मनुष्य की वृत्ति और उसका जीवन देख कर उसे ‘सहधर्मी’ माना जाता है। (‘सहधर्मी’ शब्द न मेरा है, न उस समय का। श्री अण्णासाहेब पटवर्धन ने वर्षों बाद इस शब्द को गढ़ा और

गाया किया।) संघ में अगर कोभी भूल करता है, तो कोभी भी संघी उसे नसीहत दे सकता है; सच्चे राह पर आने के लिये मदद भी कर सकता है। लेकिन अहाँ बाकायदा सदस्यता ही नहीं है, वहाँ उसे छीन लेने का सवाल ही नहीं आता। अकेले पिता के अनेक पुत्र जिस तरह अकेले रहते हैं, अथवा विभक्त रहते हुए भी अकेले-दूसरे को अपना समझते हैं, अकेले-दूसरे के पुरुषार्थ से प्रसन्न होते हैं, दूसरे की गलती अपनी ही गलती समझकर दुःखी होते हैं, असी तरह का स्वरूप संघ के संबंध का भी है।

आज हमारे देश में अकेले संगीताचार्य के पास उस विद्या को ग्रहण करनेवाले सब व्यक्ति आपस में अकेले-दूसरे को अपना गुरुभाभी मानते हैं, परस्पर आत्मीयता अनुभव करते हैं और अस्ता-दजी की परम्परा शुद्ध रखने की अपने अपूर पूरी जिम्मेवारी मानते हैं, असी तरह संघ के संगठन की बात है।

संघ का संबंध निधि से न रहना चाहिये। अगर आपके मन में संघ के प्रति आत्मीयता या आदर है, तो आप अपने पास ही चाहे जितनी रकम अलग रख दीजिये और उसमें से जिसे आप चाहें, उसे जितनी आप ठीक समझें अतनी मदद दे दीजिये। अगर आप यह न तय करें अथवा इस श्रृंखला को अपने सिर पर न लेना चाहें, तो आप अकेले सहायक मंडल स्वतंत्र-रूप से बना लीजिये और उसके पास सहायता के लिये निधि रख दीजिये।

सहायता लेनेवाला अगर अपरिग्रह को मानता है, तो उसे कम-से-कम जितना चाहिये, अखंडे

अधिक बहू लेगा ही नहीं। अतना भी देना या न देना सहायक मंडल पर निर्भर रहेगा। किन्तु सहायता लेनेवाला अपने आपको 'आश्रित' या बद्ध माने तो वह "संघीपन" से अस् अंश में च्युत हो जायगा।

संन्यासी जहाँ तक हो सके किसीसे कुछ लेते ही नहीं, अगर लिया भी तो भी अस्पर आधार रख कर नहीं बैठते। अके ही व्यक्ति से हमेशा मदद लेने में आश्रितभाव आ ही जाता है। असलिये संन्यासी के लिये यह नियम है कि

'न अकान्नादी भवेत् क्वचित्'

'कभी अके का ही अन्न खाते न रहना चाहिये'।

यह बात तो त्रुओं निवृत्तिमार्गी संन्यासियों की। गांधी सेवा में माननेवाले अपने जीवन को सेवामय बनाना चाहते हैं, असलिये किसी-न-किसी सेवा-संस्था का कारोबार भी अपने हाथ में रखते हैं। संस्था के लिये वे जनता से निधि लेते रहेंगे। अथवा हम यों कह सकते हैं, जनता को जिस किसम की संघटित सेवा चाहिये, अस्के अनुसार अके संस्था बना देते हैं और संन्यासी के जैसे किसी प्रवृत्तिशील विरक्त से सेवा की मदद ले लेते हैं। पुराना शब्द 'निःस्पृह' था। अससे भी पुराना शब्द 'अपरिग्रही' है।

गांधी सेवा संघ के बनाने में आपका अद्देश्य कोओ खास वृत्ति चलाने के लिये फंड अकट्टा करना तो है नहीं। संघियों को आजीविका देना ही आपका अद्देश्य है। असके लिये अके स्वतंत्र संस्था स्थापित न कीजिये।

जब-कभी मुझे संघ का सदस्य या प्राधिकारी बनने को कहा गया, तब मैंने अिनकार ही किया। जब श्री किशोरलालभाओ अध्यक्ष हो गये, तब भी मैंने सदस्य बनने से अिनकार ही किया। अस् वक्त अिनकार करने के कारण दो थे—पहला तात्त्विक जो मैंने अूपर बताया है; और

दूसरा व्यक्तिगत—क्योंकि मैं यह अनुभव कर चुका था कि मुझमें वह योग्यता नहीं है, जो सदस्य बनने के लिये चाहिये।

मेरी अूपर बताया हुआ प्रथम कल्पना के कारण श्री किशोरलालभाओ मुझे संघ का सदस्य मानते थे और मेरे बाकायदा सदस्य न बनने के कारण सदस्य मान भी नहीं सकते थे। असलिये अन्होंने मेरे जैसों का नाम रक्खा था 'असभ्य-सभ्य'। मेरे ख्याल से मेरी संघ की कल्पना अुनके शब्द से स्पष्ट हो जाती है।

श्री किशोरलालभाओ की अिच्छा के वश ही कर बाद में मैं सदस्य तो बना। मन में सोच लिया कि सदस्य बनने से यदि अपनी त्रुटियों को हटाने का बल मिले तो देख लूं। बल तो पाने का अनुभव न हुआ; असलिये फिर से अस्वस्थ हो गया। 'मालिकान्दा में अगर किशोरलालभाओ अध्यक्ष-स्थान छोड़ देगे तो मैं भी सदस्यता से मुक्त हो जाऊंगा', असा निश्चय करके ही वहाँ गया था। असो कारण वहाँ की चर्चा में मैं शरीक न हुआ। मेरा संकल्प कुछ दूसरे ही ढंग से सिद्ध हुआ।

मैं मानता हूँ कि मेरी कल्पना के गांधी सेवा संघ का जन्म पद्मा के किनारे या मालिकान्दा में हुआ। संघ की संस्थागत अुपयोगिता जितनी थी अतनी दस व्यक्तियों के व्यवस्थापक मंडल में जीवित है। मेरी कल्पना का मंत्र अुससे अलिप्त है। यहाँ तक कि अुसने अपना नाम भी नभी संस्था को दे दिया है। और अब वह नामरूप छोड़कर केवल आत्मिकरूप से ही रहा है।

* * * *

२

मालिकान्दा में जितने लोग अकट्टे हुए, अुनमें से शायद ही किसीको यह ख्याल होगा

कि हम वहाँ जा कर पद्मा के पवित्र जल में अपने प्रियतम संघ का विसर्जन करेंगे। जब संघ का सचमुच विसर्जन हुआ, तो चंद लोगों को बड़ा दुःख हुआ। चंद लोगों ने संघ के पीछे कुछ आँसू भी बहाये। यह सब स्वाभाविक ही था। किन्तु आश्चर्य की ओर हर्ष की बात यह थी कि बहुत-से लोगों के ध्यान में यह बात तुरंत आ गयी कि हम क्या कर रहे हैं और वे अपनी प्रसन्नता कामय रख सके। स्वागताध्यक्ष श्री प्रफुल्लबाबू के मन पर गहरी चोट लगती तो कोअी आश्चर्य नहीं था; किन्तु वे शुरू से आखिर तक 'प्रफुल्ल' ही रहे। संघ के लिये यह सचमुच शुभ लक्षण है।

मन में यह सवाल अठता है कि, जिनका अद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति है। वे क्या कभी संस्था के रूप में संगठित हो सकते हैं? संस्था व्यवहार के लिये है। संस्था चीज ही अँसी है कि जिसके साथ कुछ लाभ-हानियाँ आ ही जाती हैं। आदर्श प्राणस्वरूप है; संस्था शरीर के स्थान पर है। शरीर के बिना प्राण रह सकते हैं। प्राणों के बिना शरीर टिक ही नहीं सकता। अनुभव यह है कि शरीर और प्राण साथ रह कर ही कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन यह भी अनुभव हुआ है कि शरीर और प्राण दोनों भिन्न-धर्मीय होने के कारण उनमें आज तक कभी भी सुसंगति कायम ही नहीं हुई, अिनका गार्हस्थ्य जीवन बे-मेल-सा ही रहा है। प्राणों की आज तक यही अेक परिपाटी रही है कि अेक शरीर धारण किया, अुसे न बना तो अुसे छोड़ दिया और दूसरा ले लिया, अुसे निभाने की काफ़ी कोशिश की; फिर अुसे भी छोड़ दिया। यह सनातन प्रयोग-परंपरा चलती ही आयी है।

* * *

मालिकान्दा में अेक मित्र ने पूछा कि, "क्या

इतिहास में अँसा कोअी अुदाहरण है जब किसी समर्थ पुरुष ने अपने ही हाथों से अपनी संस्था तोड़ दी हो? सचमुच यह गांधीजी का त्याग अपूर्व है।" मैंने जवाब दिया "पूर्व में तो अँसे अुदाहरण मिल सकते हैं, पश्चिम की बात में नहीं जानता।"

सिक्खों के दसवें बादशाह श्री गुरु गोविंदसिंह ने विलकुल शान्त, अक्षुब्ध वृत्ति से यह नियम बना दिया कि दसवें गुरु के बाद गुरु की गद्दी पर कोअी नया गुरु नहीं बैठेगा। ग्रंथसाहब ही सिक्खों के लिये गुरुस्थान में रहेगा।

और हमें यह भी न भूलना चाहिये कि दुनिया के अनेक देशों में फैली हुई 'स्टार ऑफ दी ओस्ट' संस्था श्री कृष्णमूर्ति ने अेक क्षण में तोड़ दी। बुद्ध भगवान ने अपने कार्यकाल के प्रारम्भ में और सम्राट अशोक ने अपन राज्य-काल के अंत में अपना अपना वैभवशाली राज्य और साम्राज्य छोड़ ही दिया था। जिन्हें आत्मा की अुपासना करनी है वे संस्था को अेक बहुत ही गौण साधन समझते हैं। जब तक वह अुप-योगी मालूम हुई रख ली, विकास में बाधक हुई तो तोड़ दी।

* * *

मालिकान्दा में गांधीजी ने जो कहा वह वे हमेशा कहते आये हैं कि "मेरे पीछे मैं कोअी पंथ या सम्प्रदाय, या फिरका छोड़ नहीं जाना चाहता। सत्य और अहिंसा सनातन सत्त्व है। अुनकी विभूतियाँ भी अनन्त हैं। अुन्हें अेक ही कल्पना, योजना या संस्था में कैद करना ठीक न होगा।"

किसी अेक महात्मा ने कहा है कि 'The 'formed' and the 'dead' are synonymous। आत्मतत्त्व कोअी शक्ति प्राप्त करने के लिये मूर्त बनता है और स्वतंत्र और

जीवित रहने के लिये अमूर्त बन जाता है। ये आन्दोलन चलते ही रहेंगे।

३

गांधी सेवा संघ की स्थापना राष्ट्र-संगठन के कार्य को बढ़ाने और स्थिर करने के लिये हुआ थी। राजनैतिक आन्दोलन के साथ अस्का सम्बन्ध पहले नहीं था। अस्के सदस्य रचनात्मक कार्यक्रम में मशगूल रहते थे। केवल अस्के मुरब्बी और ट्रस्टी राजनीति के साथ वास्ता रखते थे। राष्ट्र-संगठन और स्वराज्य-युद्ध—दोनों बातें संघ के सदस्यों के लिये थीं; लेकिन संघ केवल राष्ट्र-संगठन को ही जानता था। जिसे युद्ध में जाना हो, उसे जाने की पूरी अजाजन थी। युद्ध और राष्ट्र-संगठन दोनों 'पावनानि मनीषिणां' होते हैं।

किन्तु बाद में अधिकार-ग्रहण आ गया। जो लोग हमें राजनीति से दूर रखना चाहते थे, वे ही हमारी सेवाओं राजनीति में चाहने लगे। हुदली के सम्मेलन में अस्की काफी चर्चा हुई। श्री राजगोपालाचार्य जिस चीज को नहीं कर सके थे, वही चीज संघ ने हुदली-सम्मेलन में की। संघ के संस्थापक श्री जमनालालजी और संघ के अध्यक्ष श्री किशोरलालभाजी दोनों के मन में बहुत-सी शंकाएँ पैदा हुई थीं। किन्तु दोनों अंत में बहुमत के साथ और गांधीजी के साथ सहमत हुए, और तब से गांधी सेवा संघ का स्वरूप बदल गया। राजनैतिक लोग भी संघ की ओर आशा, आकांक्षा और शंका की नजर से देखने लगे। अस् वक्त हुदली में मैंने कहा था कि, "संघ में दो प्रकार के सदस्य हैं। अेक वर्ग राजनीति को प्रधानता देनेवाला है और दूसरा देश का आध्यात्मिक वायुमण्डल शुद्ध और समृद्ध बनाने की दृष्टि से राष्ट्र-संगठन करनेवाला है। दोनों की संघ की ओर देखने

की अलग अलग दृष्टि हो सकती है। अिन दोनों में से राजनैतिक दृष्टिवालों को संघ की आवश्यकता अधिक है। दूसरे पक्ष का काम संघ में रहे बिना भी चल सकता है"। मेरे कहने का तात्पर्य यह हरगिज नहीं था कि राष्ट्र-संगठन वाले आध्यात्मिक हैं और राजनैतिक दृष्टिवाले आध्यात्मिक नहीं हैं। जहाँ दोनों गांधीजी की प्रेरणा से काम करते हैं, वहाँ असा भेद ही नहीं सकता। मैंने केवल दृष्टि-भेद या आग्रह-भेद की ओर संकेत किया था, और यह सूचित किया था कि संघ का केवल राजनैतिक स्वरूप भले संगठित हो जाय; किन्तु राष्ट्र-संगठन का काम करनेवाले पक्ष प्रधानतः राजनीति से अलिप्त रहें, यह जरूरी है।

हुदली के बाद डेलांग और डेलांग के बाद वृन्दावन में हम देख चुके कि संघ का स्वभाव अथवा स्वधर्म राष्ट्र-संगठन ही है। पक्ष-विपक्ष की राजनीति की ओर अस्का झुकाव बहुत कम है और वह राजनीति असे सधेगी भी नहीं। पक्ष-विपक्ष की राजनीति काजल के कमरे के जैसी है। अस्के अंदर घुसना और बेदाग वापिस बाहर आना आसान नहीं है।

मैं समझता हू कि संघ ने कुछ भी निश्चय किया हो, अस्के सदस्यों ने कहीं कहीं चाहे जितनी गलतियाँ की हों, अधिकार-ग्रहण में सदस्य आपस में लडे भी हों, तो भी संघ का स्वभाव प्रधानतया राजनीति-विमुख ही रहा है। श्री किशोरलालभाजी की प्रेरणा से संघ के सदस्यों को बहुत ही लाभ हुआ और हर स्थान पर काम आगे भी बढ़ा। श्री किशोरलालभाजी अध्यक्ष नहीं बनते, तो सदस्य अन्हें न तो पहचान सकते और न अुनसे लाभ ही अुठा सकते। वे अध्यक्ष हुअे, यह संघ के लिये बहुत ही अच्छा हुआ। अब वे अध्यक्ष नहीं हैं, संघ भी अपने पूर्व रूप

में नहीं है; किन्तु जिससे सदस्य अंनकी सलाह से वंचित रहें, जिसके लिये कोई कारण नहीं है। वह आध्यात्मिक संबंध आज भी जैसा-का-तैसा ही रहेगा और किशोरलालभाभी के अध्यक्ष न रहने से वह संबंध अधिक विशुद्ध, अधिक आध्यात्मिक, हो जायगा।

* * *

संघ के विसर्जन के कारण क्या कोई व्यक्ति राजनीति से हट गया है? जिनके लिये राजनीति का क्षेत्र स्वधर्मक्षेत्र था वे राजनीति में अब भी मौजूद हैं। अगर कुछ फर्क हुआ है तो अतना ही कि अगर पहले राजनैतिक लोग संघ के नाम से बोल सकते थे तो अब नहीं बोल सकेंगे और राष्ट्र-संगठन का रचनात्मक कार्य करनेवालों को कोई आदेश दे सकते थे तो वह शक्ति आज अंनके पास संघ की हैसियत से नहीं रही है।

जो लोग रचनात्मक कार्य करते थे, अंनकी दृष्टि से क्या फर्क हुआ, यह भी देखना चाहिये। आज्ञा होने पर भी वे राजनीति में बहुत-कुछ कर सके हैं, ऐसा अनुभव नहीं है। जिनके मन में थोड़ा मोह था, अंन्होंने वहाँ जा कर देखा और अनुभव किया कि राजनैतिक कार्य का आनन्द तो मन के लड्डू के जैसा है। जिनका वह स्वधर्म है अंनके लिये वह ठीक है।

अन दोनों दलों के बीच जो सहयोग अत्या-

वश्यक है, वह तो रहना ही चाहिये। किन्तु अंनके लिये संघ की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्र-संगठन के पहलू चाहे अनेक हों, किन्तु चीज तो एक ही है। जिसलिये अन भिन्न भिन्न पहलूओं के कार्यकर्ताओं के लिये एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र का ज्ञान आवश्यक है ही। सहयोग भी पूरा पूरा चाहिये। एक की कमजोरी दूसरे सब पहलूओं को कमजोर कर ही देती है।

अब जो छोटा-सा मंडल बनाया गया है, वह ब्राह्मण का काम करेगा। ब्राह्मण सब वर्णों के गुरु थे। क्षत्रिय, कारीगर, वणिक् आदि सब लोग ब्राह्मणों के पास आ कर अपनी अपनी कठिनायियाँ पेश करने थे और ब्राह्मण प्रयोग-पद्धति से या योग-पद्धति से अन्तर्मुख हो कर नये नये आविष्कार करते थे, और चिन्तन के फल-स्वरूप जो ज्ञान अंन्हें हासिल होता था, वह सब वर्णों की सेवा में उपस्थित कर देते थे। नये मण्डल को यही काम करना होगा। गांधीजी से प्रेरणा पा कर अंन्हें 'गांधी-दर्शन' तैयार करना होगा। गांधी-दर्शन केवल श्रेक 'तत्त्व-दर्शन' नहीं है; 'जीवन-दर्शन' है। जिसलिये नये मण्डल को केवल तत्त्वचर्चा के साहित्य के निर्माण से संतुष्ट न रह कर शोध-स्रोज द्वारा नये नये रास्ते दिखाने होंगे, नयी नयी योजनायें देश के सामने रखनी होंगी और नये नये पहलू दिखाने होंगे।

आकाश-दर्शन

[काका कालेकर]

आज तक जो आकाश-दर्शन हमने किया, उस-पर से अब चन्द्र बातें हमें तय करती हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती जाती है, जिसलिसे सारा आकाश और उसमें प्रकाशित होनेवाले ग्रह, ज्योतियां आदि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं। आकाश चौबीस घण्टे में यह जो एक आवर्तन पूरा करता है, उसकी काल्पनिक 'घुरी' (कील) अक्षर से निकल कर पृथ्वी के पेट में से हीकर मध्यबिन्दु की छेदती हुआ दक्षिण ध्रुव की जाती है। हम हिन्दुस्तान के लोग दक्षिण ध्रुव और उसके आसपास का आकाश-प्रदेश देख नहीं सकते और अक्षर से निकल कर पृथ्वी के पेट में से हीकर मध्यबिन्दु की छेदती हुआ दक्षिण ध्रुव की जाती है। हम हिन्दुस्तान के लोग दक्षिण ध्रुव और उसके आसपास का प्रदेश हमारी दृष्टि से कभी ओक्षल नहीं होता। अतः कारण शायद हम लोग अक्षर दिशा को सभ मानते हैं और दक्षिण दिशा को यमराज की अशुभ दिशा मानते हैं।

दक्षिण दिशा में अग्नि, उसकी झोंपड़ी, उसके नीचे की ओर करिना, उसके बाद त्रिशंकु और जय-विजय, अत्यादि गारे हमने देख लिये हैं। आकाश का बड़ा बिच्छू भी दक्षिण का ही निवासी है।

अक्षर की ओर ध्रुव, ध्रुवमत्स्य, सप्तर्षि और उनके बीच का कालीय अत्यादि नक्षत्र-पुंज ध्यान में रखने लायक हैं ही। ध्रुव की ओर सप्तर्षि और दूसरी तरफ देवयानी (क्या-सोपिया) मुख्य हैं।

अस तरह अक्षर का और दक्षिण का आकाश देख कर जब हम बीच में आते हैं, तो आकाश में टेढ़े चक्र के जैसा एक रास्ता दिखायी देता है, जिसपर सूर्य, चन्द्र और बुध, शुक, मंगल, गुरु, शनि, वरुण, हर्षल, और

प्रान्तक ये सब ग्रह घूमते हुए नजर आते हैं। वही जो सूर्य चन्द्र और ग्रहों का आकाशी रास्ता है, उसीको राशिचक्र कहते हैं। अस रास्ते के बारह विभाग बना कर हर एक विभाग में जो प्रधान प्रधान नक्षत्र बीख पड़ते हैं, उनको आकृति के अनुसार उनको राशि के नाम दिये हैं।

अस राशियों में वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन—अतनी राशियों की आकृतियां ध्यान में आ सकती हैं। भविष्य में हम अतनी ही राशियों की आकृतियों कैसे बन सकती हैं असके नक्शे देंगे। बाकी की राशियों की आकृतियां जबरदस्ती मानी गयी हैं। उनके न जानने से हमारा कोभी नुकसान होनेवाला नहीं है।

अपर जिस आकाशी रास्ते का जिक्र आया है, उस रास्ते पर से चन्द्रमा भी जाता है। लेकिन उसे रास्ते के बराबर बीच में से चलने की आदत नहीं है। कभी रास्ते के एक सिरे से चलेगा, तो कभी दूसरे सिरे तक पहुँच जायगा। चन्द्रमा यह आकाशी चक्र सत्ताबीस दिन में पूरा करता है, असलिसे हमारे वैदिक पुरखाओं ने राशियों का खयाल छोड़ कर आकाशी रास्ते के सत्ताबीस विभाग बनाये और एक एक विभाग को नक्षत्र का नाम दिया। बच्चों की शिक्षा में ज्योतिष-विद्या का प्रारंभ अस सत्ताबीस नक्षत्रों के नाम कंठस्थ करने से ही होता था। भूगोलविद्या में अंग्लैड की कोष्टियां हमें कंठ करनी पड़ती थीं। अससे बेहतर था कि हम भी खगोल-विद्या में अस सत्ताबीस नक्षत्रों के नाम कंठ करते। एक समय था जब भारत के सभी अक्षरणीय लोगों को सत्ताबीस नक्षत्रों के नाम नंबरवार कंठ थे। पहले रविवार, सोमवार आदि सप्त

वारों के नाम कंठ किये, अतः बाद चैत्र, वैशाख आदि बारह महीनों के नाम कंठ कर लिये और फिर तुरंत सत्तावीस नक्षत्रों की बारी आती थी। अतः बाद ब्राह्मणों के लड़के साठ संवत्सरों के साठ नाम भी याद कर डालते थे।

बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े ज्योतिषी भी आकाश में ये सत्तावीस नक्षत्र दिखाने में असमर्थ पाये जाते थे। जब अंग्रेजों का राज यहाँ पर कायम हुआ, तब चन्द गोरे विद्वानों ने हमारा ज्योतिषशास्त्र सीखना चाहा। तलाश करने पर अन्हें पता चला कि जो आकाश में सत्तावीस नक्षत्र बता सकें, उसे ज्योतिषी भी इस देश में बहुत कम है।

अन सत्तावीस नक्षत्रों में नीचे के नक्षत्र आसानी से पहचाने जाते हैं और ध्यान में भी आते हैं :- कृत्तिका, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, मघा, फाल्गुणी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, श्रवण, भाद्रपदा। अन

पंद्रह नक्षत्रों की आकृतियाँ भी हम बाद में देंगे। नक्षत्र की पहचान जिसलिये आवश्यक है कि 'चन्द्र और ग्रह किस वक्त कहाँ हैं' यह आकाश में बताने के लिये अन नक्षत्रों के स्थान बड़े ही उपयोगी होते हैं। स्थान-निर्देश की दृष्टि से अश्विनी, भरणी, आर्द्रा ये नक्षत्र भी बड़े काम के हैं।

श्रवण नक्षत्र के साथ अभिजित् भी देने का रिवाज कहीं कहीं है। इस अभिजित् को ही हमने 'दशरथ' नाम दिया है।

पाठक कृपया दो-चार आने खर्च करके नये सःल का पंचांग (पत्रा) खरीदें और उसमें दिये हुए नक्षत्र और राशियों के नाम कंठ करें। हर अंक पंचांग में ८ या १५ दिन की आकाश की स्थिति बताने के लिये जो कुण्डलियों दी जाती हैं, अन्हें भी समझने की कोशिश करें। अगले महीनों में अन सब बातों की चर्चा क्रमशः की जायगी।

पौरुष का गौरव

यह नहीं कहा गया है कि विधाता नादान दुबलों को अपनी गोद में खिलाता है। वह हम बुद्धि देता है, इसका यह अर्थ है कि हम अपने ही अपूर निर्भर रहें। अतः हमें यह आदेश दिया है कि हम रोते हुये जा कर अतःका दरवाजा न खटखटायें। अतः अपने-आपको हमारे कषत्र से अलग रक्खा है और वह निरंतर चिंताशील माता के समान बार बार प्रकट नहीं होता। इसलिये मैं अतःसे वन्दन करता हूँ। मुझे पूरी पूरी जिम्मेवारी का अधिकार बरूश कर अतःसे मेरे पौरुष को सम्मानित किया है। वह कायरों को अपने हाथ का सहारा दे कर नहीं चलाता; वरन् अतःसे मृत्यु के अनुभव में से भी अकेले चलाने को मजबूर करता है ताकि वे निर्भयता से जी सकें।

मॉडर्न रिब्यू,
जनवरी, १९४० }

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

उपसंहार

१. गांधीजी का अन्तिम भाषण

गांधीजी—यह जो परिवर्तन आज हमने किया है, वह संपूर्ण तो नहीं हुआ। हम संघ को जो नया रूप दे देना चाहते थे, वह नहीं दे सके। जो समिति आपने बनायी उसने सीधा कि संघ के भात्री रूप का कुछ चित्र खींच कर रखें, लेकिन जब हम विचार करने के लिये बैठे, तो हमें हमारी कंगाली का अनुभव हुआ। हमारे पास ऐसे आदमी कहीं हैं, जो जिस नये संघ के उपयोगी हों। नयी कार्यवाहक समिति के लिये भी बड़ी मुश्किल से कुछ नाम हम सोच सके। साथ-साथ यह भी विचार आया कि अगर काबिल आदमी मिल भी जाय, तो वे सभी हिलमिल कर काम करेंगे, जिसका क्या भरोसा? यह हमारे लिये लज्जा की बात है। जो अहिंसा में मानते हैं, उनके बीच वैमनस्य की आशंका क्यों रहे? अगर ऐसी स्थिति है, तब तो गांधीवाद की कोअी ऐसी हस्ती नहीं है, जिसपर हम अभिमान कर सकें। यह एक ही कारण संघ को बंद करने के लिये काफी है, जिसलिये हमने एक कामचलायू प्रस्ताव कर लिया है। आज अपने दिवालिये-पन के अनुभव के बाद हम यह नहीं कह सकते कि गांधीवाद कोअी कर्णमधुर नाम है। वह कोअी ऐसा शब्द नहीं है, जिससे हम लोगों के दिल पर असर डाल सकें। संघ को बन्द करने का यह एक प्रबल कारण हो जाता है। अगर आप मेरे मजबूर बनने पर संघ को बन्द करें, तो वह मेरे लिये भी शर्म की बात होगी और आपके लिये भी। संघ की अुपाधि से मुक्त हो कर हमें अुज्ज्वल बनना चाहिये, कुछ करके दिखाना चाहिये। कम-से-कम हिन्दुस्तान के सामने तो अहिंसा की शक्ति की श्रेष्ठता का सबूत पेश करना चाहिये। जब हम ऐसा नहीं कर सकते, तो क्यों नाहक एक संघ बना कर उसे बदनाम करें? जब मैं आत्मनिरीक्षण करके देखता हूँ, तो पता चलता है कि हमारे पास लोगों को बताने लायक चीज़ नहीं है। अुस दशा में संघ तो एक बोझ हो जाता है। किशोरलाल को अुस बोझ ने दबा दिया है। धोत्रे काम करते-करते पिस गया है। अहिंसा में यह दोष नहीं होना चाहिये। अहिंसा की साधना करनेवाले आनन्द में वृद्धि होनी चाहिये। हम अपने आपको देखें और पूछें कि क्या हम परीक्षा में अुत्तीर्ण होते हैं क्या? नहीं। यहाँ की चर्चा का मुझपर यही असर पडा। जो कार्य हम कर रहे हैं, क्या वह अपना स्वधर्म समझ कर बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं? नहीं। गांधी कहता है, जिसलिये हम कअी बातें कर लेते हैं।

जिसलिये मैं यह कहता हूँ कि आज संघ बन्द होता है इसमें आप लोगों की भलाजी है। आप समझते थे कि आपको संघ आश्रय और प्रेरणा देता था। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। वह तो एक भ्रमजाल था। आप आज अुस भ्रमजाल को तोड़ कर स्वावलंबी और स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप स्त्रनरूप से अहिंसा को चला सकेंगे, तभी सच्चा गांधी सेवा संघ पैदा होगा। संघ के बन्द होने पर आप अपने बल पर अहिंसा कहीं तक निबाह सकते हो, जिसका पता चलेगा। जिसलिये संघ का विसर्जन हमारे कल्याण की भी बात है।

मैंने जब सत्याग्रह-आश्रम बन्द किया, अुस वक्त थी मेरे सामने यही दृश्य था। असे ही सवाल और इसी तरह की चर्चा भी। पहले कोअी कोअी आश्रमवासी आपस में जरा-जरा-सी बात पर लड़ पड़ते थे। सत्याग्रह-आश्रम के नाम को कलंकित करते थे। मैंने सोचा, मनुष्य को यदि सच्ची अुपासना करनी है, तो कम-से-कम अपनी कमजोरियों को समझ ही लेना चाहिये। अीमानदारी पहला कदम है। मैंने देखा कि हम एक कुटब-जैसे नहीं रहते हैं, सगडे-समेले चलते रहते हैं। हमें

तो सत्याग्रह-आश्रम में हिलमिल कर रहना चाहिये था। स्वभाव से ही, न कि जोर जबरदस्ती या बलात्कार से। जब मैंने देखा कि हम अपने स्वभाव को नहीं जीत सकें हैं, तो आश्रम नाम छोड़ कर बुधोग-मंदिर नाम दिया और अुसका रूप बदल दिया। लेकिन अुससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ। बुधोग-मंदिर के लिये कुछ दूसरे प्रकार की योग्यता चाहिये। बुधोग-मंदिर भी नहीं चला तो आगे चल कर बाद में हरिजन-आश्रम बन गया। जो सबसे पतित समझे जाते हैं, उनकी सेवा का पवित्र स्थान अब वह बन गया।

लेकिन मैं जिक्र अुस वक्त का कर रहा था कि जिस वक्त मैंने सत्याग्रह-आश्रम को तोड़ दिया। अुस वक्त मैंने कहा कि अिस वक्त आश्रम का जो रूपांतर हो रहा है वह भव्य है। आप लोग सब सत्याग्रह-आश्रम अपने अपने साथ ले कर जाते हैं। अेक अेक आश्रमवासी अेक अेक जंगम आश्रम हो जाता है। अिससे विलक्षण और भव्य परिवर्तन और नया हो सकता है? मेरी अिस कसौटी पर सभी आश्रमवाले खरे नहीं निकलने, लेकिन अिससे मुझे क्या मतलब? अुसमें से कम-से-कम यह तो निकला कि सबने अपना अपना रास्ता ढूँढ लिया। जो लोग वृत्ति और स्वभाव से आश्रमघर्मीय हो गये थे वे आज भी अेक अेक जंगम आश्रम हैं। जो लोग भिन्न रुचि और भिन्न प्रकृति के थे, वे अेक कैदखाने से छूट गये। दोनों का कल्याण ही हुआ।

जिस तरह सत्याग्रह में श्रद्धा रखनेवाले आश्रमवासी अेक अेक जंगम आश्रम बन गये, अुसी तरह आप सब सदस्यों को अेक अेक जंगम गांधी सेवा संघ बन जाता है। आप सब गांधी सेवा संघ को अपने साथ ले कर जाते हैं। आपका बोझ हलका भी होता है और बढ़ भी जाता है। अब आप स्वयं अपने को चलायेंगे। जिस तरह मैं अपना ही अनुयायी हूँ, लेकिन अेक अशक्त और अपूर्ण अनुयायी हूँ, अुसी तरह आप भी अपने अनुयायी बने। मैं अपूर्ण हूँ, किमीकी कैद में रहना पसंद नहीं करता; लेकिन परिश्रम से नहीं भागता। अेक अेक कदम हलके हलके बढ़ाने की कोशिश करना हूँ। आप भी यही करें। अिसमें आपको किसीकी मदद की दरकार नहीं। बीदवर की मदद काफी है।

हर सदस्य, अुसने अपने सामने जो काम रक्खा है अुसे पूरा करने की तैयारी रखे। परमात्मा से मदद माँगे। हिन्दुस्तान के लड़कियों में हम अग्रगामी रहें। जीवन को मृत्यु की शय्या समझे कर चलें। अिस मौत के बिछीने में अकेले न सोयें। हमेशा यमदूत को साथ ले कर सोयें। मृत्यु (देवना) से कहें कि अगर तू मुझे ले जाना चाहता है, तो ले जा। मैं तो तेरे मुख में नाच रहा हूँ। जब तक नाचने देगा नाचूंगा; नहीं तो तेरी ही गोद में सो जाऊंगा। अगर आपने अिस तरह मृत्यु का भय जो जीत लिया, तो यह संघ अमर हो जायगा। अगर आप अिस तरह के हैं, तो किसी संघ की क्या ज़रूरत है? तब तो आप खुद ही अेक संघ हैं।

हम अेक भ्रमजाल से छुटकारा पा कर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। अगर आप यह कदम ज्ञान पूर्वक रखते हैं, तो नया बल प्राप्त करते हैं। आप मूर्च्छित अवस्था में रहना नहीं चाहते, यह मुझे प्रिय है। आपने सभी सदस्यों की सदस्यता खतम कर दी यह बात मुझे पसन्द है। आज आपने संघ के मौजूदा रूप का अन्त कर दिया है। अगर आपने यह काम आवेश में आ कर किया हो तो अुसका नतीजा अच्छा नहीं आनेवाला है। क्योंकि वह आपने अहिंसा का काम नहीं किया है, सत्यवादी का काम नहीं किया है। परंतु यदि आपने ध्यान्त चित्त से सोच-समझ कर यह कदम अुठाया है, तो हम सत्य के शोध में अवश्य आगे बढ़नेवाले हैं।

आपने समिति को सारे अधिकार तो दे दिये थे; लेकिन अतुन अधिकारों पर अमल करने के लिये हमारे पास कोअी सामान नहीं था। बडौ मुश्किल से पाच सात आदमी ढूँढ सके। अब बोझ अतुनपर रहेगा। लेकिन आप भी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं होते। आपको अतुन नये संघ के लिये सामग्री देने की जिम्मेवारी अुठानी चाहिये। आप संघ में से चले तो जाते हैं; लेकिन अपने साथ यह ज्ञान ले कर जाते हैं कि हमने अिस संघ में रह कर कुछ भी तो नहीं किया। अेक नये संघ के लिये सामान भी तो तैयार नहीं कर सके। तब अिस संघ ने क्या कसाया? आप के लिये यह गंभीर विचार का विषय होना चाहिये। अैसे संघ में हम क्यों पडे रहे? कमजोरों का संघ थोडे ही बनाना है। हम अपने अन्दर जितनी अपूर्णता है, अुसे देखें। अपनी अपूर्णता और संघ की अपूर्णता महसूस करके जाते हैं, तो आप पूर्णता की तरफ कदम बढायेगे। संसार में जन्म से ही सिद्ध कोअी नहीं है। हमको अपने दोष देखना चाहिये। हमारे दोष दूसरा क्या बतावे? हमारी अपूर्णता हम जितनी जानते हैं, दूसरा क्या जाने? अिसलिये दूसरे जब मेरी स्तुति करने लगते हैं, तब मैं परेशान हो जाता हूँ। संघ की अपूर्णता हमारी सबकी अपूर्णता का जोड है। हमें हैरान होना चाहिये कि हम अैसे कंगाल क्यों रहे। नयी शक्ति हासिल करनी चाहिये। अपनी अपूर्णता महसूस करना प्रगति का पहला कदम है। जो यह भी नहीं जानता कि वह कुछ नहीं जानता, सबसे बडा मूखे-शिरोमणि है।

आप संघ के नये प्रमुख (अध्यक्ष) को लिखे कि आप हमें विशेषज्ञ मानें। अतुनसे कहें कि हम खोज करना चाहते हैं। सालभर जाजूजी से अनुसंधान करके या वर्षी में रह कर खोज का काम करे। गुप्त (अज्ञात) वास में रह कर मूक सेवा करते रहें। अुसमें यह आशा की जा सकती है कि जो शक्ति हम चाहते हैं, वह हमें मिलेगी। यह भी आशा है कि अपनी अुस भर संशोधन के कार्य में अेकाग्र हो कर लग जानेवाले रिसर्च-स्कालर्स (विद्वान संशोधक) निकलेंगे। वे मेरे पास अपनी खोज के परिणाम ले कर आयेगे। जब मैं देखूंगा कि ये लोग वह चीज खोज कर लाये हैं, जो मैं चाहता था, लेकिन जिसे लाने की मेरी शक्ति नहीं थी, तो मैं नाचूंगा। तब संघ का काम बढेगा। तब अहिंसा का कदम आगे बढेगा।

अगर अिस तरह हमारा काम न बढा तो हम गांधीवादी क्यों रहे? आप अगर अपने-आपको गांधीवादी मानते हैं, तो आपकी परीक्षा क्या है? आप केवल कातने का शास्त्र जानते हैं, अितना काफी नहीं है। यहाँ प्रदर्शनी में जो आदमी हैं, वे आपसे बढिया कातनेवाले हैं। लेकिन आठ आना रोजाना ले कर नाचते हैं। वे कातने का शास्त्र नहीं जानते। केवल अच्छा कातना काफी नहीं है। अुसका विज्ञान होना चाहिये यानी अहिंसा के साथ अनुसंधान होना चाहिये।

अिस तरह संघ आज अेक छोटी-सी चीज रह जाती है। आप अुसमें से बलुंद शक्ति पैदा कर सकते हैं। यह शक्ति पैदा करने के लिये हम अुसके स्थूल रूप का निवारण करते हैं। संघ को पाताल में भेज देते हैं। अुसे लुप्त कर देते हैं। अब अुसका न तो जाजूजी पर कोअी बोझ है, न आप पर। अगर संघ में कोअी बल था, तो आप मूझे अपने साथ ले कर जाते हैं। हिन्दुस्तान में जो जहर फैल रहा है, अुसे मिटाने के लिये आप अुस बल का अुपयोग करेंगे, जिससे आपकी शक्ति बढेगी और संघ की भी। अगर अिस चीज को आप समझ गये हैं, तो संघ को लुप्त कर देने में हमने कोअी जल्दबाजी का या विनोद का काम नहीं किया है। जो कुछ किया वह जानबूझ कर और विचार-पूर्वक किया है। संघ का जो विघान है, अुसके बनाने में मेरा हाथ रहा है। किशोर-लाल को जबरदस्ती अध्यक्ष की गद्दी पर खींचने की जिम्मेदारी मेरी ही रही है। मैं जानता हूँ

कि किशोरलाल ने अूस विधान को बनाने में कितना परिश्रम किया। अँसा विधान जो दूसरे संघों के लिये आदर्श हो सकता है, अूस विधान को आज में अपने हाथों जमींदोज कर रहा हूँ। यह कोअी विनोद का काम नहीं है।

अगर आप यह महसूस करते हैं कि मैं बूढा और मूर्ख बन गया हूँ, असलिये मनमानी बकवास करता हूँ, तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आप यह मानते हों कि मेरा दिमाग अब तक ठीक ठीक काम करता है, और मैंने अपने अनुभव से कुछ शिक्पण लिया है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि असमें से आपको सत्य-अहिंसा का अधिक ज्ञान होगा। जब यह संघ मेरी प्रेरणा से टूटा है, तो आप निश्चय जानें कि जरूर असमें कुछ-न-कुछ है। आप अंतर्मुख हो कर सोचेंगे, तो आपकी बुद्धि खुल जायगी और आप समझ जायेंगे कि आज की परिस्थिति में यही सबसे भारी, अच्छा और सही कदम अुठाया गया है।

बस, अब मैं आपसे मुक्ति चाहता हूँ। प्रफुल्लबाबू कहते हैं कि मुझे अितवार तक यहाँ रहना है। बंगाल में आया हूँ, लेकिन बंगालियों का अभी कुछ काम नहीं किया है। मालिकान्दा फिर से आने की आशा नहीं है। असलिये चाहता हूँ कि बंगाल को कुछ वचत दे दूँ। दूसरे भी कअी काम पडे हैं। थोडा-बहुत समय अुन्हें भी देना ही पडेगा। असलिये आपसे छुट्टी चाहता हूँ। सिर्फ मूत्रयज्ञ में शामिल हो जाअूंगा।

२ श्री किशोरलालभाअी का भाषण

बहनो और भाअियो,

अिस सम्मेलन की कार्यवाही में मैंने तो कुछ भी भाग नहीं लिया। मुझे बुखार का अेक अच्छा बहाना भी मिल गया। असलिये अिस बोझ से मैं बचना चाहता था, वह पू० बापूजी और जाजूजी ने अुठा लिया। यहाँ जो बातें हुआँ, वे सब मैं नहीं सुन पाया। आखिर की कुछ बातें सुनी।

कुछ सदस्यों को अिस बात का खेद है कि संघ के बंद होने से हमारा सहारा चला जायगा। लेकिन हमारा सहारा कहाँ गया है? हमारा मुख्य सहारा तो गांधीजी ही है। संघ बन्द हो गया तो भी गांधीजी जब तक हरिजन के द्वारा मार्गदर्शन कराते रहेगे तब तक सहारा मिलता ही रहेगा। गये पाँच वर्षों में संघ को यह जो व्यापक स्वरूप मिला, वह आज समेट लिया गया है। वेदान्ती भाषा में वह अेक पंचांकी नाटक हो गया। पाँच साल पहले संघ का जो विस्तार हुआ, अुससे लाभ ही हुआ था। आज भी अुसका संकोच कर लेने से फायदा ही हुआ है।

मेरी यह श्रद्धा है कि भारत-भाग्य-विधाता बापू के रूप में हमें कठपुतली की तरह चलाता है। जब साबरमती आश्रम समाप्त हुआ, तो अुसने संघ का व्यापक स्वरूप ले लिया। जब साबरमती आश्रम बन्द हुआ, तो अुसके बाद सैकड़ों आश्रम बन गये। जब राष्ट्रीय विद्यापीठों का संकोच किया, तो अुसकी जगह वर्षा-योजना के रूप में जंगम विद्यापीठ आ गये। सन् १९३४ में बापूजी ने ही संघ को व्यापक बनाने की बात रखी और अुसपर जोर दिया, अुस वक्त जमनालालजी, घोत्रेजी तथा अन्य बहुत-से सदस्यों को भी यह सूचना जँची नहीं थी। जब मत लिये गये तो मैं अकेला अनुकूल था। दूसरे दिन बापू ने फिर अपनी बात समझायी और सदस्यों को अनुकूल कर लिया। बाद में दिवाकरजी ने बडी मिहनत से अुसके विधान की भाषा-रचना की और बापूजी ने

स्वयं अस्मिन् संशोधन करके ठीक कर दी। जब बापूजी ने देखा कि अंजुने बनाये हुए संघ से अंजुने काम में बाधा होती है, तो अंजुनें असे बन्द कर देने की सलाह दी। ऐसी अवस्था में हमें समझना चाहिये कि संघ के बंद होने में कल्याण ही है। बापू अिस संघ को बंद करके अस्का विकास ही करेंगे। कुछ दिनों के बाद आपको भी मानना पड़ेगा कि बापू ने जो किया वही ठीक है। हम यही श्रद्धा रखें कि अिसीमें से अहिंसा का संगठन सिद्ध होगा। अहिंसक संस्कृति का निर्माण ही तो बापूजी का ध्येय है। अंजुनेंके जरिये हमने असे अपनाया। असे ध्येय के खिलाफ वे कैसे जायेंगे? वे तो गांधी सेवा संघ के ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और ब्रिटिश सल्तनत के भी दिल में यह श्रद्धा पैदा करना चाहते हैं कि अहिंसा से ही सारे संसार का कल्याण होगा। वे तो यह आशा रखते हैं, जैसा कि सरदार ने कहा, कि हम अहिंसा के द्वारा दुनिया का सारा कारोबार चला सकते हैं।

अिन पाँच वर्षों में आपके प्रेम का खुराक मुझे मिला है। मेरे संकल्प को पूरा करने के लिये ही परमात्मा ने अिस तरह आपसे मेरा संबंध जोड़ दिया था। और शायद अब अस्का कार्य पूरा होने पर वही असे संन्य के निमित्त को हटा लेता है। हम विश्वास रखें कि अिसमें से पहले की भी अपेक्षा ज्यादा बड़ी और कल्याण की चीज निर्माण होगी।

३. श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू का भाषण

संघ के नये अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू ने निम्न आशय का भाषण दिया :—

आप अँमा न मानें कि किशोरलालभाजी आज तक संघ के अध्यक्ष थे और अब अंजुकी जगह में आ गया हूँ। अंजुनेंने यह गद्दी बिछायी, असे फँलाया और अब समेट लिया। मैं दूर ही से खड़े खड़े देख रहा हूँ।

दादा ने कहा कि संघ मूर्च्छित अवस्था में है। मैं देखता हूँ कि यह मूर्च्छा नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि संघ विश्राम ले रहा है। किशोरलालभाजी ने असे बहुत परिश्रम करा लिया। यहाँ तक कि वे खुद भी थक गये। अिसलिये संघ कुछ देर के लिये अब मोयेगा। मुझे तो आशा है, वह जायेगा भी। असे फिर से जाग्रत करना आप लोगों पर निर्भर रहेगा।

सत्य और अहिंसा को हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में दाखिल करना है। राजनीति से आज हम हट रहे हैं, लेकिन असे क्षेत्र को सदा के लिये नहीं छोड़ रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्र में सत्य और अहिंसा को निवाहने के लिये हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी होगी। वह अभी हम प्राप्त नहीं कर सके हैं; अिसलिये असे क्षेत्र से निवृत्त हो रहे हैं। रचनात्मक संस्थाओं द्वारा जो आध्यात्मिक कार्य नहीं हो सकता, वह बापू अिस संघ द्वारा कराना चाहते हैं। अिसका रूपान्तर कराने में अंजुका यही अभिप्राय है। अिसलिये जो रूप बापू अिस संघ को देना चाहते हैं, वह जल्दी ही आयेगा। वह स्वरूप लाने की जिम्मेवारी हमारी है। आज भी कभी नवयुवक भिन्न भिन्न रचनात्मक संस्थाओं में खोज-बीन का काम कर रहे हैं। अिन्हींमें से आगे अिस प्रकार के विचारद हमें चाहियें, वे तैयार होंगे। संघ के जो नवयुवक सदस्य हैं, वे भी अेक अेक क्षेत्र के अेक अेक अंग में निष्णात बनने का निश्चय करें। वे आज ही से जूट जायें। शायद प्रारंभ में पाँच-सात ही आदमी मिलें, लेकिन आगे काम बढ़ता जायगा। गांधी सेवा संघ का अुद्देश्य गांधीजी के सिद्धान्तों पर चलना है। आज गांधीजी हमारे बीच मौजूद हैं, और हमें अपने सिद्धान्त खुद समझा सकते हैं। अंजुके बाद हमें स्वतंत्ररूप से विचार करना होगा। जब वे खुद ही आज अेक सलाह दे रहे हैं, तो हमें कौशी शंका या असंतोष क्यों हो? अंजु सिद्धान्तों को वे हमसे अधिक जानते हैं। अंजुकी सलाह से संघ का विस्तार हुआ, अंजुकी सलाह से आज अस्का संकोच हो रहा है। हमें किसी प्रकार की निराशा या असंतोष होने का प्रयोजन नहीं है।

प्रेम और मोह

[हरिभाजू अपाध्याय]

अेक आदरणीय व्यक्ति ने प्रसंगवश प्रश्न पूछ लिया—'प्रेम और मोह की क्या मर्यादा है' ? शायद वे मेरे विचार जानना चाहते होंगे । प्रश्न वास्तव में महत्त्व का है, और हम अहिंसामार्गी सार्वजनिक सेवकों के लिये तो और भी अधिक महत्त्व का । क्योंकि हमारे सारे तत्त्वज्ञान का, जीवन-नीति का, आधार प्रेम ही है । लेकिन यह प्रेम बडे चुपके चुपके और हमारे अनजान में कभी बार मोह का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम सहसा पहचान और पकड़ नहीं पाते । जब हम किसी संकट को अपने सामने खड़ा पाते है, या अेके हृद तक संकट में फँस जाते है, तब चौकने और विचार करने लगते है कि यह भूल कहाँ हुआ । स्त्री और पुरुष जहाँ खुल कर अेक-दूसरे से मिलते और साथ साथ काम करते है, वहाँ अैसे अनुभव अक्सर होते है । खासकर अैसे समाज में, जहाँ स्त्री-पुरुष अब तक अेक-दूसरे से काफी परदा रखते रहे है, और अब अुन्हें साहस करके अेक-दूसरे के साथ और अकेले में भी रहने के प्रसंग आते है, अैसे अनुभवों के लिये काफी स्थान रह सकता है । अिसलिये मैंने सोचा कि मैं अपने विचार लिपिबद्ध ही कर दूँ, जिससे कभी मित्रों, साथियों और कार्य-कर्ताओं को लाभ पहुँचे ।

प्रेम आत्मिक और मोह शारीरिक है; अर्थात् जब तक आत्मिक गुणों के प्रति आकर्षण है तब तक वह प्रेम का आकर्षण है, जब शारीरिक सौन्दर्य या शारीरिक भोग की ओर आकर्षण होने लगे, तो समझो कि यह मोह का आकर्षण है और अपने को संभालो । अेक सुन्दर पुष्प को हम देखते है, अुसके देवी सौन्दर्य पर मग्न होते

है, अुसमें अीश्चरी छटा के दर्शन करते है, यह प्रेम हुआ; जब अुसे तोड़ कर सूँघने, या माला बना कर धारण करने का मन हुआ तो समझो मोह के शिकार हो रहे है ।

दूसरे, प्रेम में जिसे हम प्रेम करते है, अुसके प्रति त्याग, अुत्कर्ष, सेवा करने का भाव होता है, मोह में भोग, सुख, सेवा लेने की चाह रहती है । प्रेमी स्वयं कष्ट अुठाता है, प्रेमपात्र को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता; अुसकी अुन्नति चाहता है, अधोगति नहीं, मोहित व्यक्ति अपने सुख-भोग की अनियंत्रित अिच्छा के आगे प्रेम-पात्र के कष्ट और दुःख की परवा नहीं करता । अुसकी म्चि अच्छे खान-पान, साज-शृंगार, नृत्य-नाटक-सिनेमा, आमोद-प्रमोद, मे होगी-जहाँ कि अेक प्रेमी अुसके मानसिक, नैतिक और आत्मिक गुणों तथा शक्तियों के विकास में, अुसकी योजनाओं और कार्यक्रम में मग्न रहेगा ।

हमारे हृदय में प्रेम है या मोह, अिसकी सच्ची जानकारी तो हम अपने मनोभावों पर निगाह रख के ही कर सकते है--बाह्य विधि-विधान से नहीं । बाह्य नियम, मर्यादाएँ हमें अेक हृद तक नियंत्रण में रख सकते है और अिस दृष्टि से बहुत अुपयोगी भी है; परन्तु वे प्रेम या मोह की परीक्षा के अुत्क अुपाय नहीं है । दुनिया अक्सर बहिर्दृष्टि होती है -- बाहरी आचार-विचार से ही वह अक्सर मनुष्य की नाप-तौल करती है । हमारे मानसिक और आन्तरिक भावों के दूर से जानने और समझने का अुसके पास दूसरा साधन भी तो नहीं है । मार्मिक-दृष्टि व्यक्ति तो बिरले ही होते है,

जो झूपरी हाव-भाव या आचार-विचार में से भीतरी भाव को ताड़ लें। अतएव लोक-दृष्टि से भी बाह्य मर्यादाओं का बड़ा महत्त्व है। फिर भी मुख्य और मूल्यवान् वस्तु तो हमारे हृदय का असली भाव ही है। हम आप ही अपने परीक्षक, निरीक्षक, पहरेदार और, मे तो कहूंगा पथदर्शक भी, बनें। हाँ, सहारा हम भले ही दूसरों का,—मित्रों का, गुरुजनों का, ले लें; पर अन्त में जब हमी अपने पहरेदार और पथदर्शक बनेंगे, तभी मुरविषनता से हम अपने

ध्येय को पहुँच सकेंगे—अपनी जीवन-यात्रा अच्छी तरह कर सकेंगे। मैं जितना ही विचार और अनुभव करता हूँ, उतना ही अिस विषय पर दृढ़ होता जाता हूँ।

प्रेम से मोह, मोह से भोग, भोग से पतन— यह अधोमुख जीवन का अुत्तरोत्तर क्रम है; प्रेम से सेवा, सेवा से आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि से आत्मोन्नति यह अधोमुख जीवन का। प्रेम से हम मोह की तरफ बढ़ रहे हैं या सेवा की तरफ—यही हमारे आत्म-परीक्षण की पहली सीढ़ी है।

संघवृत्त

मालिकान्दा सम्मेलन में संघ को नया रूप देने के विषय में ता. २२-१९४० को निम्न-प्रस्ताव सर्वमगमति से स्वीकृत हुआ।—

प्रस्ताव

“ पिछले कुछ समय के अनुभव से असा दीख पडा है कि संघ के सदस्यों का राजनैतिक संस्थाओं में भाग लेना वांछनीय नहीं है। अिसलिये मौजूदा हालत में अिस संघ का यह मत है कि आज जो सदस्य राजनैतिक संगथाओं में हैं, तथा रहना चाहते हों, वे संघ के सदस्य न रहें।

“ अिस निर्णय का यह अर्थ हरगिज नहीं है, कि जो व्यक्ति राजनैतिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं वे संघ के सदस्य रहने के लायक नहीं हैं, या राजनैतिक कार्य किसी दूसरे कार्य की बनिस्बत निचले दर्जे का है। अुक्त निर्णय पर आने का अेक विशेष कारण यह हुआ है कि संघ के कुछ सदस्यों का राजनैतिक संस्थाओं में भाग लेना वैमनस्य का निमित्त बना है। अिससे यह साबित होता है कि हमारा अहिंसा का आचरण अपूर्ण और दूषित रहा। अहिंसा का स्वरूप ही असा है कि असे हिंसा को बढ़ाने का निमित्त कदापि नहीं बनना चाहिये।

“ संघ की सदा यह मान्यता रही है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की अुन्नति रचनात्मक कार्य से ही हो सकती है। रचनात्मक कार्य ही अेक असा कार्य है, जिसमें जनता सीधे हिंसा ले सकती है। अिसलिये अविष्य में संघ की प्रवृत्ति रचनात्मक कार्य तक ही सीमित रहेगी। रचनात्मक कार्य का वह हिंसा, जो कि चरखा संघ आदि रचनात्मक संस्थाओं में नहीं आता, संघ के कार्य का क्षेत्र होगा—जैसे कि रचनात्मक कार्य के साथ अहिंसा का क्या संबंध है, अिसका अवलोकन, अध्ययन और संशोधन करना और रचनात्मक कार्य का हमारे अपने तथा समाज के जीवन पर क्या असर पड़ता है, अिसका निरीक्षण करना।

“संघ की यह भी राय है कि रचनात्मक कार्य के उस हिस्से का जो कि चरखा संघ आदि रचनात्मक संस्थाओं के क्षेत्र से परे है, भलीभांति अध्ययन और शोध करने के लिये काफी आदमी आज गांधी सेवा संघ के पास नहीं हैं। जिसलिये जइ तक इस प्रकार के अध्ययन और शोध के पर्याप्त साधन प्राप्त न हो जायें, तब तक संघ के आर्थिक व्यवहार और 'सर्वोदय' मासिक के अलावा गांधी सेवा संघ की अन्य सारी प्रवृत्तियाँ स्थगित की जायें और निम्न-लिखित सज्जनों के अलावा अन्य सदस्य संघ के सदस्य न रहें, और कार्यवाहक समिति निम्न-लिखितों की ही रहे:—

१. श्री. श्रीकृष्णदास जाजू, अध्यक्ष और ट्रस्टी
२. ,, रघुनाथ श्रीधर धोत्रे, मंत्री ,, ,,
३. ,, किशोरलाल घ. मशरूवाला, सदस्य और ट्रस्टी
४. ,, गोपबन्धु चौधरी, सदस्य
५. ,, भद्रयद्वेजी, ,,
६. ,, सतीशचन्द्रदास गुप्त, ,,
७. ,, दिलखुश दीवानजी, ,,
८. ,, सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन ,,
९. ,, कृष्णदास छगनलाल गांधी, ,,
१०. (फिलहाल रिक्त) ,,

यह भी निश्चय हुआ कि संघ के विधान में परिवर्तन करने का अधिकार तथा संघ के सम्पूर्ण अधिकार अक्त कार्यवाहक समिति को रहे।

इस प्रस्ताव से अपर्युक्त नौ सदस्यों के अलावा शेष सदस्यों का संघ के साथ जो वैधानिक सम्बन्ध था, वह समाप्त हो गया है। परन्तु पू० बापूजी के शब्दों में, “अधिक पवित्र और अटूट सम्बन्ध तो अब गुरु हुआ है।” अतः बापूजी के ही आगे दिये हुए वचनों का स्मरण दिलाना अचित्त समझता हूँ—

“संघ को बीजरूप में इस आशा के साथ जीवित रखा गया है कि योग्य पुरुष, स्त्रियाँ भी, संघ के इस नये मिशन को ग्रहण करने के लिये आगे आयेंगी। अिममे बढ़ कर अुदात्त कार्य और क्या हो सकता है? मुक्त होनेवाले सदस्यों को भी जान लेना चाहिये कि अुनके लिये भी काम की शुरुआत तो अब हुआ है। अुनको शोध-सम्बन्धी इस प्रयोगशाला के अदृश्य और मूक कार्य-कर्ता बन जाना चाहिये और संघ के पास अपने परिणामों की सूचना भेजनी चाहिये।”

('हरिजन,' ता० २ मार्च, १९४०)

कार्यवाहक समिति के रिक्त स्थान के लिये श्री विनोबाजी से अनुरोध किया गया था। हर्ष की बात है कि अुन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है।

बर्धा,
ता. १५ मार्च १९४० }

र. श्री. धोत्रे
मंत्री.

सर्वोदय की दृष्टि

अद्भुत अनासक्ति

इतिहास में दो अद्वितीय अुदाहरण हैं— या अनृतीय कह लीजिये—अेक नीरो का और दूसरा जनक का। अेक अनास्था का अुदाहरण है और दूसरा अनासक्ति का। “रोम सुलग रहा है, लेकिन नीरो फिडल बजाने में मशगूल है,” यह कहावत बेवर्दी, बेहयाजी और बेपवाही की द्योनक है। ‘मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यति,’ यह वाक्य अनासक्ति के दृष्टान्त के रूप में अुपस्थित किया जाता है। रोम के प्रति नीरो का जो भाव था अुसमें, और मिथिला के प्रति जनक का जो भाव था अुसमें, जमीन-आममान का फर्क है।

संस्थाओं के विधान और संगठन को तोड़नेवाले भी दो प्रकार के होते हैं। अेक वे, जो अपनी महत्त्वाकांक्षा और व्यक्तिगत हित के लिये संस्थाओं का नाश करते हैं, और दूसरे वे, जो अपने सिद्धान्त और नीति की रक्षा के लिये संस्थाओं के मोह का त्याग कर देते हैं। पहला अुदाहरण निर्ममता का है और दूसरा निर्मोह, वैराग्य तथा मुमुक्षु का। गांधीजी अेक अुत्कट माधक और मुमुक्षु है। अितलिअे मालिकान्दा में अुन्होंने जो कदम अुठाया, वह जनक की श्रेणी में आता है और अुनकी अद्भुत अनासक्ति का प्रमाण है।

संस्था-परायणता बनाम प्रगति

हमारा यह अनुभव है कि संस्था के मोहवश बड़े बड़े बुद्धिमान भी प्रगति-विरोधक हो जाते हैं। राज्य-लोभ, धन-लोभ या सत्ता-लोभ से संस्था-लोभ या संप्रदाय-लोभ किसी कदर कम नहीं होता। अितलिअे अक्सर अैसा पाया

जाता है कि संस्था-परायण लोग प्रगति-विरोधी होते हैं। मनुष्य के विकास को नियमित और सुनियंत्रित करना संस्थाओं का अुद्देश्य है। जब कौअी संस्था अपने अंगीकृत अुद्देश्य के अनुसार निर्दिष्ट मार्ग पर प्रगति कराने की शक्ति गवौं देती है तब अुसका विसर्जन करना प्रगति का ही लक्षण है। टेनिसन ने जो यह कहा है *Lest one good custom should corrupt the world* (‘कहीं कौअी अच्छी रूढ़ि ही ससार को बिगाड़ न दे’) अुसका भी यही अभिप्राय है।

संघ का आवरण करते हुए गांधीजी ने कहा कि ‘न तो मैं किसी संप्रदाय का हूँ और न कौअी संप्रदाय बनाना चाहता हूँ’। पहली बात तो स्पष्ट है। जो स्वयं संप्रदाय-प्रवर्तक होता है, वह भला कैसे किसी संप्रदाय का हो सकता है? वह तो अेक नया अुपक्रम करता है। परंतु गांधीजी दूसरो को भी किसी संप्रदाय के अनुयायी नहीं बनाना चाहते। वे तो कहते हैं कि सदाचार के सनातन सिद्धान्तों के आधार पर हर अेक को अपना अपना स्वधर्म पहचान लेना चाहिये और अपने रास्ते पर चलना चाहिये। कुछ लोग यह कहते थे कि गांधीजी के आश्रमों में और संघों में ‘गांधीवाद’ का निर्जीव कलेवर रह जायगा और बीद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणियों के दाम्भिक जीवन के अितिहास की पुनरावृत्ति होगी। अुनको गांधीजी ने सत्याग्रह-आश्रम और गांधी सेवा संघ का अुपसंहार करके बड़ा नम्रतापूर्ण लेकिन माकूल जबाब दे दिया है।

‘पूर्णमेधावशिष्यते’

गांधी सेवा संघ का शरीर अब नहीं रहा,

लेकिन यह कौन कह सकता है कि गांधी-विचार में विश्वास करनेवालों का परस्पर प्रेम-बंधन टूट गया ? जो समाप्त हुआ वह भी पूर्ण था, जो शेष रह गया है वही भी पूर्ण है ।

दा० ध०

विधायक और व्यावर्तक राष्ट्रीयता

दुनिया के विचारकों में दो पक्ष हैं,—अकेवह जो प्रत्येक वस्तु का विचार स्वतंत्ररूप से करता हुआ भी यह नहीं भूलता कि प्रत्येक चीज श्रीहर की सृष्टि का अंक घटक है और दूसरे घटकों से अस्सका अनिवार्य संबंध है । यह विधायक दृष्टि है । दूसरा पक्ष प्रत्येक वस्तु को दूसरी सारी वस्तुओं से भिन्न देख कर उनके भेद की महिमा का वर्णन करना ही अपना परम कर्तव्य मानता है । इस भेदवादी दृष्टि को व्यावर्तक दृष्टि कहते हैं ।

लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं । विधायक और व्यावर्तक । 'मनुष्य बुद्धिशील जीव है', मनुष्य की विधायक परिभाषा है । लेकिन 'मनुष्य अंसा कुछ है, जो दूसरी सारी वस्तुओं से भिन्न है'—यह मनुष्य की व्यावर्तक परिभाषा है ।

हमारी राष्ट्रीयता की भी दो प्रकार की व्याख्याएँ की जाती हैं—अंक कहते हैं कि 'हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है'; और दूसरे कहते हैं कि 'भारतीयत्व या हिन्दुस्तानीपन राष्ट्रीयत्व है' । 'हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है' यह आपानतः राष्ट्रीयता की विधायक व्याख्या प्रनीत होती है । परंतु वस्तुतः वह व्यावर्तक और व्यवच्छेदक है । हर अंक हिन्दू की यह जन्मभूमि और धर्मभूमि भी है; जिसलिये अस्सकी राष्ट्रभावना पुहरी और दुगुनी है । अतः यह स्वीकार है कि 'हिन्दुत्व राष्ट्रीयत्व है' । लेकिन असके विपरीत यह नहीं कहा जा सकता कि 'राष्ट्रीयत्व हिन्दुत्व

है' । 'सभी कीभे पक्षी हैं,' लेकिन 'सभी पक्षी कीभे नहीं हैं,' । सारांश, हिन्दुत्व की अपेक्षा राष्ट्रीयत्व अधिक व्यापक संज्ञा है । राष्ट्रीयत्व में हिन्दुत्व भी है, अस्सलामीत्व भी है, क्रिस्तीत्व भी है और पारसीकत्व भी है । कम-से-कम अिन सारे भावों में और राष्ट्रीयत्व में अविरोध तो है ही । असलिये 'हिन्दुत्व राष्ट्रीयत्व है', अितना कहना स्वीकार है । परंतु 'हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है,' यह कहना न तो युक्तिसंगत है और न वस्तु-स्थिति का निदर्शक । अस विषय की अससे अधिक मीमांसा अके छोटी-सी टिप्पणी में नहीं की जा सकनी ।

'हिन्दुस्थान हिन्दुस्थानियों का'

"हिन्दुस्थान हिन्दुओं का, नही किसी के बाप का," के नारे आजकल बहुत जोरों से लगाये जाते हैं । असके पूर्वार्ध से किसीका कोभी मतभेद नहीं हो सकता । लेकिन अस वाक्य के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं : अंक विधायक या संप्राहक और दूसरा व्यावर्तक या व्यवच्छेदक । 'हिन्दुस्थान हिन्दुओं का है,'—यह हुआ विधायक अर्थ । लेकिन यह कहना कि 'हिन्दुस्थान अकेले हिन्दुओं का ही है'—अस वाक्य का व्यावर्तक अर्थ है । असके अुत्तरार्ध में यही अर्थ व्यक्त किया गया है । यह व्यवच्छेदक राष्ट्रवाद न तो आज के राजनैतिक विचारों के अतुकूल है और न हमारी राष्ट्रीय संस्कृति तथा परंपरा के । "मेरी माँ मेरी अपनी है"—अस वाक्य में मेरी ममता और श्रद्धा लबालब भरी है । परन्तु "मेरी माँ मेरी ही है, न कि मेरे भाजियों की"—अस वाक्य में ममता और श्रद्धा की अपेक्षा स्वामित्व और बंधुद्वेष की भावना ही अधिक है । मेरी माँ अुन सब भाजियों की भी है, जो असकी गोद को अपना आश्रयस्थान, असके अंचल को अपना

कबच तथा अुसके दुलार को अपने जीवन का पाथेय मानने को तैयार हों। मेरी माँ जगत् की सम्प्राप्ती नहीं है। वह तो जगन्माता है। वह अपनी गोद में बड़े प्रेम से सभी को खिलाती है।

जो यह कहें कि "हिन्दू गुलाम हैं, गुलाम रहने के ही काबिल हैं, न उनका कोअी देस है न वतन"। उनसे हम आत्मविश्वास के हुंकार से यह कहें कि "हिन्दुस्थान हिन्दुओं का है"। लेकिन अुसमें व्यावर्तक अुत्तरार्ध जोड़ देने में न तो संस्कृति है, न वीरता है और न स्वाभिमान ही है। वह तो अेक बालिश प्रलाप है, जो न तो वैज्ञानिक है और न युक्तिसंगत। हमारी राष्ट्रभावना का सूत्र व्यापक, सर्व-संघाहक और प्रगति-सूचक होना चाहिये। वह तो यही हो सकता है कि "हिन्दुस्थान हिन्दुस्थानियों का है"।

राष्ट्रीय सप्ताह की विशेषता

ता० ६ से ता० १३ अप्रैल तक का सप्ताह राष्ट्रीय सप्ताह के नाम से मशहूर है। अिसी अेक सप्ताह को 'राष्ट्रीय सप्ताह' का अभिधान क्यों दिया गया? भेदवादी राष्ट्रवाद के अिस जमाने में हमें अिस बात की याद दिलाना जरूरी है कि यही अेक सप्ताह 'राष्ट्रीय सप्ताह' क्यों कहलाया?

अिस सप्ताह की दो विशेषतायें हैं। तारीख ६ अप्रैल १९१९ को सारे भारतवर्ष के सभी धर्मों और जातियों के बाशिन्दों ने क्रियात्मक राष्ट्रधर्म का अुपक्रम किया। अिससे पहले १९०८ की १६ अक्टूबर को सारे बंगाल ने 'बहिष्कार-दिन' क्रियात्मकरूप से मनाया था। लेकिन १९१९ की ६ अप्रैल को सारे भारतवर्ष ने अेकदिल हो कर 'सत्याग्रह-दिन' मनाया। अुसी दिन 'शाब्दिक राष्ट्रवाद' का अन्त हो कर 'आचारत्मक राष्ट्रधर्म' का श्रीगणेश हुआ।

यह हुआ अेक विशेषता।

अिस सप्ताह की दूसरी विशेषता अद्वितीय है। ता. १३ अप्रैल १९१९ को अमृतसर के जलियानवाला बाग में विभिन्न धर्मों के और जातियों के हिन्दुस्तानियों के खून से अिस देश की पवित्र भूमि सीची गयी और अुसमें हिन्दुस्तान की 'अविभाज्य संयुक्त राष्ट्रियता' (नाकारिले तकसीम मुत्तहिदा कौमियत) के बीज बोये गये। कहते हैं कि 'पानी से खून गाढ़ा होता है'। निरपराधियों का खून तो सिर्फ गाढ़ा ही नहीं, पाक भी होता है। ता. १३ अप्रैल १९१९ को भारत की विभिन्न धर्म और जातियों में बँटी हुआ वीरात्माओं ने यह खून का रिश्ता पक्का किया। अब हिन्दुस्तान के दो टुकड़े करने का अरमान रखनेवाले, या पाकिस्तान के सपने देखनेवाले लोग अिस कौमियत को तोड़ना चाहते हैं। अिसलिये हमें खास तौर पर अिस राष्ट्रीय सप्ताह की मौलिक भावना का स्मरण करना चाहिये और अुसे जीवित रखने की भर-सक कोशिश करनी चाहिये।

दा० ध०

संघ के भूतपूर्व सदस्य अपने दिल के भाष लिखें

गांधी सेवा संघ भारतवर्ष का अेक अनोखा आध्यात्मिक प्रयोग है। हिन्दुस्तान की आध्यात्मिकता आज तक प्रधानतया निवृत्ति-परायण ही रही है। हिन्दू, जैन और बौद्ध तीनों संप्रदायों ने प्रवृत्तिशील गृहस्थधर्मीय और निवृत्तिशील यतिधर्मीय लोगों के बीच भेद की दीवार खड़ी कर के जीवन के दो हिस्से कर दिये। गीता में अैसे भेद नहीं पाये जाते। गीता में वर्णव्यवस्था का पुरस्कार किया गया है; किन्तु स्मृतियों में बताया हुआ आश्रम-व्यवस्था का

पुरस्कार अस्मिन् नहीं पाया जाता। प्रवृत्ति-निवृत्ति का भेद गीता को मान्य नहीं था।

गांधी सेवा संघ ने सेवा को ही आध्यात्मिक साधना बना दिया। भारतवर्ष के बहुत-से साधक जीवन-व्यवहार से विमुख थे और राजनीति में दिलचस्पी लेनेवाले साधक तो दुनिया-भर में बहुत ही कम हुए हैं। जिन्होंने राजनीति में विशेष भाग लिया, अन्होंने साधकता तो क्या, धार्मिकता को भी गौण स्थान दिया था। गांधी सेवा संघ ने स्वराज्य, स्वातंत्र्य, सर्वधर्म-समभाव, दरिद्रनारायण की सेवा, स्त्रीजाति का अद्वार अस्तुक्षयता-निवारण, ग्राम अद्योगों का पुन-रुज्जीवन, देशी भाषाओं का संगठन, अित्यादि जीवनव्यापी प्रवृत्तियों को सत्य और अहिंसा की आध्यात्मिक बुनियाद पर विकसित करने का बीड़ा अुठाया।

अिस संघ के विकास में हम प्रगति देखते हैं। अिसकी स्थापना से ले कर सन् १९३४ तक अिस संघ का अुद्देश्य साधकों के भरण-पोषण तक ही सीमित था। '३४ से '४० तक के पाँच वर्षों में अिस संघ ने यथार्थरूप में आदर्श-परायण और संगठित बनने की कोशिश की। अिन पाँच वर्षों के अधिवेशनों में जो चर्चाएँ हुईं, अुनकी रिपोर्ट पढ़ने से अिसकी आध्यात्मिक दृष्टि आप-ही-आप स्पष्ट हो जाती है। मालिकान्दा में हमने संघ के अिस रूप का विसर्जन किया और अुसके तीसरे युग का प्रारंभ किया। प्रथम युग में जो

भरण-पोषण का हिस्सा था, वह अब भी मौजूद है। लेकिन वह गौण हो गया है। द्वितीय युग की प्रधानता अुसके विशाल संगठन में थी। अुसका हमने बुद्धिपुरःसर त्याग किया है और आजकल के राजनैतिक भारत को संघ की ओर से अमयदान दिया है।

अिस युग-परिवर्तन के समय यह अत्यन्त हितकर होगा कि हमारे संघ के आज तक के सदस्य अपना अपना अनुभव संक्षेप में लिख कर 'सर्वोदय' को भेज दें। खासकर मालिकान्दा में सर्वानुमति से संघ का जो विसर्जन किया गया, अुसका संघ के सदस्यों के दिल पर जो असर हुआ है और अिस बड़े निर्णय को अुन्होंने जिस दृष्टि से देखा है अुसका अेक संग्रह 'सर्वोदय' के पास रहना चाहिये। आज के भारत में यह जो अनोखा प्रयोग हमने किया, अुसकी आध्यात्मिकता किस कोटि की थी, यह हम अपने लिअे देख सकेंगे और भविष्य की जनता भी अिसपर से गांधी-युग के प्रारंभ का वायुमण्डल किस प्रकार का था, यह समझ सकेंगी।

गांधी सेवा संघ के आज तक जो सदस्य रह चुके हैं, अुनसे प्रार्थना है कि वे अपने अपने विचार और 'प्रतिक्रियाओं' संक्षेप में शब्दबद्ध करके अिस महीने की १५ या २० तारीख तक हमारे पास भेज दें।

का० का०

दीपक

[हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी सम्पत्ति तथा पंजाब में राष्ट्रभाषा-प्रचारार्थ स्थापित
साहित्य-सदन, अमोहर का मासिक मुख-पत्र]

यह क्या है ?

जनहितपोषक, नवीन विचारधारा-द्योतक, सच्ची राष्ट्रियता का समर्थक
और मानसिक क्रान्ति का सन्देश-वाहक। पंजाब प्रान्त में यही हिन्दी का
पहला पत्र है, जो अनेक कठिनायियों के बावजूद भी अतने वर्षों तक अपना
अस्तित्व कायम रख सका है।

अिसमें क्या पढोगे ?

स्फूर्तिदायक जीवनियों, दिलचस्प व अद्बोधक कवितायें, कहानियाँ,
बालोपयोगी व स्त्रियोपयोगी सामग्री अवं जीवन-चर्चा, नयी तालीम,
स्वास्थ्य-रक्षा, आहारविज्ञान, ग्रामोद्धार, राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय-आन्तर-
राष्ट्रीय समस्याओं पर चुने हुअे लेख।

दीपक-लगभग सभी हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों तथा कभी राज्यों के
शिक्षा-विभागों द्वारा स्कूल-कॉलेज आदि के लिये स्वीकृत है।

समूना-अंक; ४ आना : वार्षिक मूल्य रु० २-८-० है।

प्रबन्धक-‘दीपक’

साहित्य-सदन, अमोहर (पंजाब)

सूचना—

‘सर्वोदय’ में आम तीर पर अशितहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय
ग्रन्थ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। अिनके अशितहारों के दाम नहीं
लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर अशितहार छापे जायेंगे। जो
साहित्य या संस्था निर्विवादरूप से लोकोपयोगी है, अुसीको स्थान दिया जायगा। यह
व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित की दृष्टि से चलायी जायगी।

व्यवस्थापक, ‘सर्वोदय’, वर्षा।

हिंसा से घिरी हुई असहाय जनता

हम इस मुकाम पर खड़े हैं : हमारी एक तरफ अपने किले में दमन के सारे साज-सरंजाम में लैस, कठोर कानूनों और लाल पगड़ी-वाले दलों द्वारा रक्षित, राजसत्ता है। अूसकी यह श्रद्धा है कि यह देश इसी तरह आधीन रक्वा जा सकता है। दूसरी तरफ खाली हाथ और खाली गोंठवाली असहाय जनता की भीड़ लगी हुयी है। जब अूनसे कहा जाता है कि "अहिंसा ही मक्ति की ओर स्थायी सुरक्षितता की अचूक दवा है, अूसको स्वीकार करो," तो अूममें पूरा विश्वास करने की अूनकी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि संसार में कहीं भी किसी भले या बुरे अुद्देश्य के लिये इस सिद्धान्त का अमल नहीं होना पाया जाता। "मनुष्य को मनुष्य जैसे हिंस्र, पशु से बचाने के लिये इसका साधनों की जरूरत है" : अिमी अुपदेश का अनुसरण भरपूर नैयागी और साधन-सामग्री जुटा कर मन्न कोअी कर रहे हैं। जहाँ मनुष्यों की सभी प्रकार की शिक्षा में वंचित रक्खा जाता है, वहाँ अूनको अिस विशेष प्रकार की शिक्षा में भी वंचित रक्खा जाता है। अैसे लोग सदा के लिये मनुष्य-व्याधो के आखेट के शिकार माने जाने चाहिये। सब तरफ से कौंटों की बागुड से घिरे हुअे, राजा के शिकारियों की सम्पत्ति बन कर वे बेचारे वहाँ रहते हैं; अन्हें भाग जाने का भी अधिकार नहीं दिया गया है।

‘मोहन रिब्यू’ }
दिसंबर, १९३९ }

—स्वीन्द्रनाथ ठाकुर

स'वो द् य

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

सम्पादक
काका काल/लकर
दादा ध'माधिकारी

बुक अंक...	...	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में...	...	६	शिलिंग
			१.५० डॉलर.
(सब डाक-सहित)			

अनुक्रमणिका

१. दीनबन्धु से प्रथम परिचय (श्री काका कालेलकर) ...	४७७
२. सरदार वल्लभभाजी का भाषण ...	४८०
३. साहित्य-सम्मेलन की विज्ञान-परिपद (श्री काका कालेलकर)	४९०
४. ध्वजवाद और धर्मध्वजित्व (श्री विनोबा के अंक पत्र से)	४९२
५. गांधीजी में परिप्रदन ...	४९३
६. काश हम अपने विशिष्ट ग्रह भूला सकते ! (श्री हणमन्तराव कौजलगी)	५००
७. मेवाग्राम की खादी-यात्रा ...	५०२
८. कबूतर का गटरगू ('कलबलराम') ...	५०५
९. संघवृत्त ...	५०८
१०. सर्वोदय की दृष्टि ...	५१०
शरीर-धारण और दण्ड के लिये हिंसा; अहिंसा के चार पहलू; आत्मरक्षणाथ हिंसा; जीवन में हिंसा और अहिंसा का स्थान; अहिंसा का प्रथम अदय; हिंसा के कुछ समाज-मान्य रूप; स्वाभाविक हिंसा का निग्रह; सरहद्द में क्या अपाय करे? सरकार जिम्मेवार है; छोटे राष्ट्रों की युद्ध-नीति।	
११. आकाश-दर्शन (श्री काका कालेलकर) ...	५१६
१२. धीरज कैसा हो? (श्री किशोरलाल घ. मशरुवाला) ...	५१८

सर्वांदय मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है :—

- (१) शिष्ट साहित्य-भण्डार, आनंद-भुवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) वीरा अण्ड कंपनी, ८, राअण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन-कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन-कार्यालय, अहमदाबाद
- (५) खादी-भण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता
- (६) सस्ता साहित्य-मण्डल, कॅनाट सर्कस, न्यू देहली
- (७) सस्ता साहित्य-मण्डल, लखनऊ
- (८) गांधी-प्राश्रम, गोरखपुर
- (९) मगनलाल हिम्मतलाल भट्ट, काँग्रेस हाअूस, नाणावट, सूरत
- (१०) सस्ता साहित्य-मंडल, अिन्दौर
- (११) मी. मी. पटेल अण्ड कं., नडियाद

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादा धर्माधिकारी

मार्च, १९४०
वर्षा

दीनबन्धु से प्रथम परिचय

[काका कालेलकर]

जब दीनबन्धु अँड्यूज के प्रथम परिचय का स्मरण करता हूँ तो मन में लज्जा छा जाती है।

हम शान्ति-निकेतन में थे। श्री गुरुदेव (रवीन्द्रनाथ) के माहिन्य में और स्वभाव से आकृष्ट हो कर दीनबन्धु, शान्ति-निकेतन को ही अपना पाथिव और आध्यात्मिक घर बनाने की नैयारी कर रहे थे; अथवा कर चके थे। १९१८ के दिन ये थे।

हमने देखा कि रवि ठाकुर श्री अँड्यूज की बहुत ही निज्जन करने थे और अँड्यूज तो गुरुदेव से पागल भक्त के जैसे पेश आते थे। अिन दोनों के ये प्रेम-प्रसंग देव कर हृदय हर्षाङ्कुर हो जाता था। श्री अँड्यूज के साथ उनके मित्र पियरसन भी रहते थे। दोनों के स्नेह की घनिष्ठता भी हमारे आदर का विषय थी। श्री पियरसन तो श्री अँड्यूज से भी अधिक पारदर्शक थे, और विद्यार्थियों के मानो कठमणि ही थे। अँड्यूज पियरसन से अधिक प्रभावशाली थे, किन्तु पियरसन की नाभी विद्यार्थियों के साथ घुल-मिल नहीं जाते थे।

शान्ति-निकेतन की व्यनस्था-वर्चा में श्री

अँड्यूज और पियरसन पूरे दिल से शरीक होने थे। श्री अँड्यूज की यह आदत थी कि वे चर्चा में बार-बार गुरुदेव के वचनों का हवाला दिया करते। हमलोगों को यह बुरा लगना। क्या हमलोग गुरुदेव को कम पहचानते हैं ? और, अगर गुरुदेव के वचन में ही फैसला करना हो, तो फिर हमलोगों की प्रवच-सम्मति की ज़रूरत ही क्या रहा ? हमलोगों की निजी बातचीत में श्री अँड्यूज की अनेक बिचित्रताओं की भी चर्चा होती थी। हमलोगों ने निश्चय किया कि ये श्रेष्ठ बड़े प्रकृत्य माध्याज्यवादी हैं। "हिन्दुस्तान के हित की दृष्टि से बहुत करने हैं; लेकिन दिल से तो केवल भ्रष्टाचार का ही हित चाहते हैं। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों के पास अपने धर्म लोगों को रख कर अंग्रेज-सरकार अपना राज्य मजबूत करना चाहती है।" अंग्रेज-सरकार और अंग्रेज व्यक्ति को शक की निगाह से देखना हमारी राष्ट्रीयता का सर्वप्रथम सिद्धान्त था।

श्री अँड्यूज की मूर्ति सामने आते ही हमारे दिल की भलमनसाहत जाग्रत हो जाती थी; किन्तु उनके पीछे हम अनवर शका ही करते थे। जो

शिक्षक श्री अँड्र्यूज के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते थे और पीछे अउनके बारे में सब किस्म की शंकाओं प्रकट करते थे, अउनकी वृत्ति देख कर मैं हैरान हो जाता था। किन्तु मन में अउनके प्रति प्रशंसा ही रहती थी, क्योंकि हम मानते थे कि मायावी के साथ मायावी बनना ही अुत्तम नीति है। श्री गुरुदेव से ये सब बातें कहने की किसीकी हिम्मत नहीं थी। गुरुदेव चाहे जितने मिलनमार हों, तो भी अंन में जा कर 'अँरिस्टोक्रेंट' (अुच्चवर्गीय) ही तो ठहरे! हम अूनमे कुछ कहने गये और कहीं अुन्होंने डाट दिया तो ?

१९१५ के जनवरी या फरवरी के दिन होंगे। कर्मवीर मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अँपरका से स्वदेश लीटे हुए थे। वे शान्ति-निकेतन आनेवाले थे। गांधीजी की फिनिक्स पार्टी कब की शान्ति-निकेतन में बस चुकी थी। चार्ली अँड्र्यूज अपने प्यारे 'मोहन' के भाई बन चुके थे और अिसलिये फिनिक्स पार्टी के वे दादा थे।

जब गांधीजी शान्ति-निकेतन आये तब शान्ति-निकेतन का अुत्साह तो अकल्पनीया के सागर के जैसा अूमड़ रहा था। श्री विपनिमोहन सेन न अुस दिन अुपवास रक्खा था। अउनकी यह प्रतिज्ञा थी कि भारतमाना के अिस महान पुत्र के स्वागतोत्सव पूर्णतया सपन्न होने के बाद ही मैं खाअूंगा। गांधीजी शाम को या रात को आये और दूसरे दिन की प्रभात होने के पहले ही वे शान्ति-निकेतन के घर के हो गये। अूनसे वाने करने में हमें तनिक भी मंकोच नहीं होता था। दुनिया-भर के अनेक सवालों की चर्चा करने के बाद श्री अँड्र्यूज की चर्चा भी हमने कर ली। प्रतिनिधि मे ही था। मैंने गांधीजी से कहा कि आप श्री अँड्र्यूज को अपना भाई

समझते हैं। परन्तु अउनके बारे में हमारी राय कुछ अलग है। हमें यह अनुभव ही चुका है कि श्री अँड्र्यूज अँग्लैड का भला चाहते हैं। गांधीजी ने तुरन्त पूछा कि अुसमें क्या बुराअी है ? वे अंग्रेज तो हैं ही। फिर, भला वे अँग्लैड का हित क्यों न चाहें ?

मैं कुछ शर्मिन्दा-सा हो गया। फिर मैंने कहा, 'वे जैसे अपने को भारतहितैषी बताते हैं वैसे वे नहीं हैं। शायद जानी आदमी हैं।'

गांधीजी ने कहा, 'मेरा अनुभव अँसा नहीं है। अँड्र्यूज अँके नेक आदमी हैं और नेकी-परस्त भी हैं।'

अब तो मुझे दिल की पूरी पूरी बात कहनी ही पडी। 'देखिये बापूजी, अग तो बड़े आदमी हैं। जो लोग आपके पास आते हैं, वे अपनी ढाल की अुजली बाजू ही आपकी तरफ ग्वने हैं। हम छोटे लोग ही अुमे सब तरफ से देख सकते हैं। ढाल की दूसरी बाजू कितनी काली और मैली है, यह हम ही देख सकते हैं। अिसलिये आपको हमारे जँसों की राय पर भी ध्यान देना चाहिये।'

गांधीजी ने तुरन्त कहा, 'यह तो हो सकता है। किन्तु मैं भी आदमियों को पहचानने का दावा कर सकता हूँ। कोअी आदमी मुझे आसानी से धोखा नहीं दे सकता। और अँड्र्यूज तो मेरे अिनने नजदीक आ गये हैं कि मैं अुन्हे नहीं पहचानूँ, यह तो नामुमकिन है। हाँ, श्री अँड्र्यूज हैं तो अंग्रेज। अंग्रेज जहाँ जायगा, अपना प्रभुत्व जमाये बिना नहीं रहेगा। अउनके स्वभाव की यह खूबी समझ कर आपको अुमे बरदाश्त करना चाहिये। वे निर्मल हैं और पुण्यपुरुष हैं। श्री अँड्र्यूज को हिन्दुस्तान की सेवा द्वारा अँग्लैड की सच्ची सेवा करनी है। वे अँग्लैड को सच्चे हृदय से चाहते हैं अिस-

लिअे अंग्लैंड के हाथों होनेवाला हिन्दुस्तान के प्रति अन्याय अुनके लिअे असह्य हो जाता है । अगर वे अंग्लैंड को नहीं चाहते तो अिस प्रकार हिन्दुस्तान की सेवा करने के लिअे अुद्यत नहीं होते ।

“तुम जो अुनपर अिलजाम लगा रहे हो, अुसके लिअे तुम्हें सबूत देना होगा ।”

मेने कुछ सोच-विचार कर दो अेक टूटे-फूटे सबूत पेश कर दिये । किन्तु गांधीजी के दिल पर अुनका कुछ भी असर नहीं हुआ ।

अुस दिन मैं बड़ा अरबस्थ हों कर अपने कमरे को लौटा । गांधीजी ने जो दृष्टि बतायी वह अुन दिनों हमारे पास थी ही नहीं । हम रावण और विभीषण को ही पहचानते थे । यहाँ तो शूद्र मानवता को पहचानना था । मेने गांधीजी से अितना ही कहा कि “आपने अेक नयी दृष्टि बतायी है । अुम दृष्टि से श्री अँड्र्यूज की तरफ देखन की कोशिश करूंगा और अपने मत को बार बार परखना रहूंगा । अिम वक्त अितना ही कह सकता हूँ ।”

मेने मन मे बहुत-कुछ मोचा । श्री अँड्र्यूज से बहुत परिचय बढ़ाया । किन्तु अुनसे कभी यह नहीं कहा कि किसी समय आपके प्रति मेरे मन में घोर शकाओं रह चुकी हैं ।

अेक दिन अैसी ही कुछ बातें हो रही थी । बात-चीत के सिलसिले में विलकुल स्वाभाविकतया श्री अँड्र्यूज ने कहा, “मझे हिन्दुस्तान का नेता या गुरु नहीं बनना है । मैं अंग्रेज हूँ, म्म्र सेवक बन कर ही मैं हिन्दुस्तान की सच्ची सेवा

कर सकता हूँ । मैं अैसे अंग्रेजों को जानता हूँ जो हिन्दुस्तान मे आ कर गुरु, नेता या मालिक बन कर हिन्दुस्तान के लोगों को अुपदेश देने लगते है । म्झे वैसा काम नहीं करना है । हिन्दुस्तान के लोगो का अुद्धार हिन्दुस्तान के लोगों द्वारा ही होगा । अुद्धार का रास्ता वे ही बूढ़ेंगे और तय करेंगे । हिन्दुस्तान के लोगों की जो कुछ सेवा म्झमे बन सके, वह करना मेरा काम है । वह सेवा भी हिन्दुस्तान के लोग जिम तरह म्झमे लेंगे, अुसी तरह म्झे करनी है ।”

अितनी बातें सुनने के बाद मेरा दिल साफ हो गया और मैं श्री अँड्र्यूज को दुनिया के श्रेष्ठ पुरुषों में गिनने लगा । जैसे जैसे अुनकी मानवता मे मेरा परिचय बढ़ता गया, जैसे जैसे अुनके प्रति मेरा आदर भी बढ़ता गया ।

आज दर्द अिमी बात का है कि अुनकी तरफ से सब तरह का प्रोत्साहन होने लूअे भी मेने अुनके सत्संग का लाभ अधिक क्यों नहीं अुठाया ? कभी कभी वधा में अुनमे मिलना था और अनेक विषयों पर हमारी चर्चाओं होती थी; लेकिन म्झे अुनके समय का हमेशा खयाल रहता था और मेरा काम भी म्झे ज्यादा बैठने नहीं देना था । आज जब अुनका सत्संग अलभ्य हो गया है, अुनकी दी हुई अेक किताब— ‘दी क्रीड अॉफ़ क्राअिस्ट’—पढ़ रहा हूँ और अिस तरह अुम महान् आत्मा का सत्संग प्राप्त कर रहा हूँ ।

श्री अँड्र्यूज के बारे में लिखने समयक बहुत कुछ है । यहाँ तो केवल अुनसे प्रथम परिचय का संस्मरण ही शब्दबद्ध करना था ।

सरदार वल्लभभाजी का भाषण

भाषियो और बहनी,

प्रास्ताविक

अंक बात का मुझे अफसोस है और आपको भी होगा कि इस सम्मेलन में हमारे पूज्य नेता राजेन्द्रबाबू, जमनालालजी और कृपालानीजी नहीं आ सके। अगर वे आते, तो उनके अपदेश से हम लाभ अठा सकते। आज की नाजुक हालत में उनके अनुभव की कभी समझने लायक बातें सुनते; सो नहीं सुन पाये। लेकिन यह त्रुटि बहुत बड़ी हद तक दूसरी तरह से पूरी हो गयी है। पूज्य बापू ने जितना हिस्सा इस सम्मेलन में लिया, अतना पिछले किसी सम्मेलन में नहीं लिया।

यहाँ हम अंक विचार के आदमी मिलते हैं, असा माना जाता है। इसलिये वर्तमान परिस्थिति के बारे में कुछ खास बात कहने की जरूरत नहीं रह जाती। 'हरिजन' से हर हफ्ते जो मार्गदर्शन मिल जाता है, उसमें संतोष मानना चाहिये। लेकिन शायद आप मुझसे मेरी अपनी स्थिति के बारे में सुनना चाहते हो। संघ को कल जो नया रूप दिया गया, उसके कारण हम सब उसमें से हट गये। उसका आपके दिलों पर गहरा असर हुआ है। शायद कुछ चोट भी लगी है। इसलिये आज आप मुझसे बोलने को न भी कहते, तो भी आज मैं बोलनेवाला था। बापू ने तो आपको आश्वासन दिलाने तथा आपका धर्म समझाने के लिये काफी परिश्रम किया। लेकिन मैं तो आप लोगों के साथ बैठनेवाला हूँ। इसलिये अगर मैं बराबरी के नाते कुछ कहूँ, तो उसका असर आपपर कुछ दूसरा ही होगा।

अंक परिवार की भावना

हमें इसका दुःख नहीं होना चाहिये कि संघ समेट लिया गया। बल्कि अंक नाहक का बोझ झूतर गया, इसलिये दिल हलका हो जाना चाहिये। हाँ, अंक त्रुटि हम सब महसूस करेंगे। पाँच सान दिनों तक साल में अंक दफा हम सब मिलने थे, अंक कुटुंब जैसे रहते थे; वह अब नहीं होगा। हम कोश्री संप्रदाय तो बनाना नहीं चाहते थे। अंक सिद्धान्त को माननेवाले, अंक छत्र में रहनेवाले, अंक-से विचारवाले, लोग सान दिन तक अंकत्र रहते थे। हम राजनीति में काम करने-वालों के लिये यह सप्ताह बहुत ही आनन्ददायी होता था। हमारे लिये सात दिन का आराम जरूरी है। असी राजकारण से मुक्त हवा में श्वास लेना भी बड़ा लाभदायी है। यहाँ संप्रदाय की भावना पैदा नहीं होनी थी, अंक कुटुंब की भावना बढ़ती थी और दिल को शान्ति मिलती थी।

संघ की विशेषता

परंतु जिस तरह यह संघ शुरू में बना था, उसी रूप में वह नहीं रहा। उसकी शुरू की अवस्था में उसके सदस्यों पर कोश्री बोझ नहीं था। चरखा संघ, ग्राम अुद्योग संघ, तालीमी संघ, हरिजन सेवक संघ, आदि का अंके सदस्यों पर कोश्री खास बोझ नहीं है। अिन सबसे गांधी सेवा संघ की जिम्मेवारी कुछ अलग है। पाँच साल हुए, जब से किशोरलालभाजी संघ के अध्यक्ष हुये, तब से संघ की जिम्मेवारियों और भी बढ़ गयीं। जब यूरोप में युद्ध छिड़ा, तब यह बात बिलकुल साफ्ट हो गयी। चरखा संघ आदि केवल रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं चुपचाप अपना अपना काम करती रही। लेकिन गांधी सेवा संघ के सदस्य यह सोचने लगे कि संघ की हैसियत

से लडाभी की तरफ से हमारा क्या रख हो ? हम महसूस करने लगे कि अगर हमने गांधी सेवा संघ का बडा नाम और बडा ध्येय रक्खा है, तो उसके पीछे जिस मोके पर किस तरह जायें ? यह मोका हमारे लिये परीक्षा का मोका था। "हम सिर्फ यंत्र की तरह चरखा चलाते जावें, या मेल की तरह सम्मेलन कराते जावें और तोते की तरह सत्य और अहिंसा की बातें करते रहें, तो जिस मोके पर हमारी हूँसी हूँसी"—यह विचार हमें सताने लगा। हम अके संघ बना कर बैठ गये हैं। चरखा संघ, ग्राम अद्योग संघ, हरिजन सेवक संघ, तालीमी संघ और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, आदि के अलावा राजकीय काम के लिये काँग्रेस भी थी। लेकिन जिन सबसे अलग हमने अके संघ बनाया। तब तो उसका कोभी खास ध्येय और खास कार्यक्रम होना जरूरी हो जाता है। अंसे संघ की कल्पना से ही जिम्मेवारी का बोझ पैदा हो जाता है। असे सहने की ताकत हमारे अन्दर कहीं तक है, यह विचार बार बार आता था। लडाभी छिड़ने के बाद वह और भी जोरों से आने लगा।

हममें कोभी विशेषता नहीं है

किशोरलालभाजी भी कोभी दो-तीन साल से कहते रहे कि 'मुझमें यह बोझ अुठाने की ताकत नहीं है। शारीरिक कमजोरी है, मुझे मुक्त कीजिये'। दूदनी के बाद और पहले भी संघ के जो सदस्य राजनीति में भाग लेते थे, वे कमजोरी बताते थे। रोज नये संकट खडे होते थे। कुछ सदस्य आपस में लड़ते रहते थे। तब यह विचार आने लगा कि हम क्यों अके अलग संगठन बना कर बैठें ? दूसरे लोगों की अपेक्षा हमारे पास अधिक क्या है ? काँग्रेस में भी सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा तो है ही।

संघ का मूल उद्देश्य

शुरू में संघ जैसा था वैसा ही रहता, तो हमपर कोभी बोझ नहीं पड़ता। असहयोग के आन्दोलन में चन्द आदमियों ने कुछ प्रतिज्ञायें लीं और चौबीस घण्टे सेवा करने का निश्चय किया। "अनुके निर्वाह का कुछ प्रबंध हो जाय तो वे आसानी से और स्वस्थता से रातदिन सेवा कर सकेंगे; जिस प्रान्त में जैसी सुविधा हो, उसके अनुसार अन्हें रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाय"—जैसी कल्पना थी। लेकिन जब किशोरलालभाजी प्रमुख हुअे, तब अस्वभाव यह रूप मिट गया। अुसके बाद पार्लमेंटरी कार्यक्रम आया और मन्त्रिपदां का स्वीकार किया गया। अुस वक्त भी हमारा अुद्देश्य तो यही था कि रचनात्मक कार्यक्रम को मदद पहुँचावें। लेकिन तभी से हमारी कठिनायियाँ बढ़ती गयीं। संघ पर काफी बोझ पड़ने लगा।

संघ प्रसिद्ध कैसे हुआ ?

पहले तो कोभी जानता भी नहीं था कि गांधी सेवा संघ जैसी कोभी संस्था है। जब से किशोरलालभाजी आये, तब से लोगों को संघ का पता चला। और जब अधिकार-ग्रहण के बाद में, राजेंद्रबाबू और आप लोगों में से कुछ सदस्य राजकारण में हिस्सा ले कर भी संघ में रहे, तब तो संघ की बड़ी जाहिरात हो गयी। दरअसल हमने संघ की तरफ से राजनीति में तो कोभी हिस्सा लिया ही नहीं। संघ में राजनैतिक मामलों के विषय में प्रस्ताव या चर्चा नहीं होती थी। लेकिन फिर भी, संघ की जाहिरात हुअी और अुसके साथ-साथ काफी गलतफहमी भी हुअी।

विचारों का संघर्ष

अब तो आभिडिअलाजी (विचार-प्रणाली) का भी काफी घर्षण होने लगा है। लखनऊ काँग्रेस के पहले असा कोअी विचार-संघर्ष नहीं था। राष्ट्रीय भावना से काम करनेवाले सभी व्यक्ति बापू के सिद्धान्तों को मानते थे। लखनऊ काँग्रेस के बाद संघर्ष दिखायी दिया। सारी दुनियाँ में पूँजीवादी और मजदूर-वर्ग के बीच भारी संघर्ष छिड़ गया था। उसके असर से हिन्दुस्तान कितने दिन बच सकता था? असल में काँग्रेस की जो विचारधारा थी, वह गांधी-विचार के अविरुद्ध ही थी। लेकिन काँग्रेस के कुछ नेताओं को जिस बाहर से आयी हुई विचारधारा का अधिक आकर्षण हुआ। इसमें से कुछ घर्षण पैदा होना स्वाभाविक था। समाजवाद के आन्दोलन ने जोर पकड़ा। घर्षण के बाद काफी वैमनस्य भी पैदा होने लगा। वैमनस्य हटाने की काफी कोशिश की गयी; लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

क्या गांधी सेवा संघ अके पक्व है ?

असैी हालत में गलतफहमी होना अनिवार्य ही था। विचारों के संघर्ष में असा माना जाना स्वाभाविक था कि गांधी सेवा संघ भी अके विचारधारा का प्रतिनिधि दल है। परन्तु जब अके दिन मैंने पंडित जवाहरलालजी का भी वक्तव्य देखा तो मुझे चोट लगी। अन्होंने कह दिया कि समाजवादी पक्ष के समान गांधी सेवा संघ भी अके पक्व है। अस वक्तव्य से किशोरलालभाअी को भी दुःख हुआ। अन्होंने हकीकत समझाने के लिये अके वक्तव्य निकाला। मुझे पता नहीं कि अससे जवाहरलालजी को संतोष हुआ या नहीं। लेकिन मुझे आशा है कि अन्हें संतोष हो गया होगा, क्योंकि वे हमारी बात में विश्वास करते हैं। लेकिन दूसरे कअी लोग असैी है, जिन्हें संतोष नहीं हुआ होगा। वे समझते हैं कि हम अस तरह छिप छिप कर काम करना चाहते हैं। शायद अउनकी राय में असा करना अचित भी हो, लेकिन संघ के दिपय में तो यह बात गलत है। फिर भी, अउनके दिल से यह गलतफहमी हटी नहीं। वे तो यही समझते हैं कि हम अस सम्मेलन में अपना संगठन मजबूत करते हैं और काँग्रेस पर अपना कब्जा साल भर जमाये रखने का अिरादा पक्का करते हैं।

मुझे अस बात का दुःख है कि हमें यहाँ से आने में प्रफुल्लबाबू को अितनी तकलीफ अुठानी पड़ रही है। यहाँ यह बिरोधी प्रदर्शन हुआ। असैी हालत में संघ को बंद करने से गलतफहमी होगी। लोग कहेंगे, ये तो डर कर मैदान से भागते हैं। लेकिन जब हमारा मन शुद्ध है और हमारे दिल में डर नहीं है, तो हम असैी गलतफहमी से डर कर सही काम से क्यों रुकें? हम अस गलतफहमी को सह लेंगे।

संघ को बन्द करने की सलाह

संघ को खतम करने की बात कोअी आज ही तो नहीं आयी। कअी दिन से किशोरलाल-भाअी कह रहे थे कि यह बोझ अब मैं नहीं सम्हाल सकता। कोअी दूसरा आदमी जो हमको कुछ आगे ले जाय असा दिखायी नहीं देता। बापू हैं, लेकिन वे तो अुलटी ही (बन्द करने की) सलाह दे रहे हैं। किशोरलालभाअी पर बोझ लादने में तो हिसा है। अमलिये कोअी छह महीने पहले ही मैंने यह सलाह दी थी कि हम अस संघ को बंद कर दें। आज बापू भी वही सलाह दे रहे हैं। अब किशोरलालभाअी जैसा दूसरा कोअी समर्थ व्यक्ति आगे आ कर यह कहने को तैयार नहीं है कि मैं अस बोझ को अुठाअूंगा और आगे कदम बढाअूंगा, तब हमें अपनी कमजोरी का पता चलाता है।

हम सभी असभ्य-सभ्य हो गये

हमारे दिल में कभी बार यह आता है कि हमारा अंक सत्संग है। हम दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक सत्यवादी और पवित्र है। हकीकत असी नहीं है। हमसे ज्यादा काम करनेवाले, सत्यवादी और सच्चरित्र लोग संघ के बाहर कभी पड़े हैं। काका कभी दिन सदस्य नहीं थे। महादेवभाभी आज भी असभ्य-सभ्य हैं। फिर हम अितनी घृष्टता क्यों करें कि हम अपनी अंक अलग संस्था खड़ी करें? हमसे अच्छे कभी गांधीवादी संघ के बाहर पड़े हैं। हम भी अुन्हींमें जा कर क्यों न मिल जायें? तब नतीजा यह होता है कि हम सभी असभ्य-सभ्य हो जाते हैं। हम असा अच्छा संगठन भी तो नहीं कर सके कि कोअी गांधीवादी संघ से बाहर रहने ही न पावे। हम कमजोर हैं जिसलिये हमें आश्रय लेने का अधिकार तो है। लेकिन हमें यह सावधानी रखनी चाहिये कि कहीं हमारे बोझ से संस्था ही न टूट जाय। आज हमारी कमजोरियों का बोझ अितना बढ़ गया है कि संघ असे सन्हाल नहीं सकता। जिसलिये जिस संघ के खतम होने से आपके दिल को चोट नहीं लगनी चाहिये। यद् संगठन खतम हुआ, जिसका मतलब यह नहीं है कि आज तक जो गांधीवादी थे वे कुछ और ही बन जायेंगे, या दूसरे किसी संगठन में चले जायेंगे। वे तो पड़े ही हैं। जो राजनीति में हैं, वे तो अंक तार से बंधे ही हुअे हैं। अगर अुनका अपनी क्रीड पर पक्का विश्वास हो तो अुनके परस्पर-संबंध में संघ के खतम हो जाने से कोअी फर्क नहीं आयेगा। काँग्रेस की राजनीति तो चलती ही रहती है। अे. आअी. सी. सी. की सभा होती है, काँग्रेस के अधिवेशन होते हैं, अंक-दूसरे से मिलने के कभी भौके मिलेंगे। और न मिले तो भी क्या? नेता लोग तो हर प्रान्त में घूमते रहते हैं। जो गांधीजी के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं, वे जिस तरह कहीं-न-कहीं मिलते रहेंगे। और न मिले तो भी क्या बिगड़ता है? हमें तो अपनी अपनी जगह रह कर सेवा करनी है। कोअी दलबन्दी का संगठन नहीं करना है। दूसरे पक्ष अपना अपना संगठन करें तो भी हम शेष रह जाते हैं। यह शेष ही सबसे बड़ा है। जिसलिये हमारा संगठन अपने आप हो जाता है। संघ के टूटने से आपके दिलो को चोट लगने की कोअी वजह नहीं है। अंक चीज हमने छोड़ दी। हम जैसे थे वैसे अपने आपको मानते नहीं थे। संघ के न रहने से यह भ्रम दूर हो जायगा। हमारा बोझ अुतर जायगा।

राजनीति के कारण संघर्ष

आज हमारी राजनीति का बोझ नाहक आपपर पड़ता है। हम राजनैतिक वषेत्र में शुद्ध साधनों से काम करने की कितनी ही कोशिश करें तो भी संघर्ष और अीर्ष्या पैदा हो ही जाती है। हम यह कबूल करते हैं, कि वापू जिस अहिंसा की वृत्ति से काम करते हैं और जिन शुद्ध हथियारों से काम लेते हैं अुतनी हमारी शक्ति नहीं है। मेरी जबान में भी कड़वापन है। असे हटाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन आज अुसको निकालने की बात आसान नहीं है। जो आहत बचपन से पड़ जाती है, असे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वापू जिस भाषा और पद्धति से काम लेते हैं, अुससे अगर हम ले सकते, तो हमारी शक्ति खूब बढ़ जाती। लेकिन हम अपनी आदत से लाचार हैं। जिसलिये हमारा विरोध होता है। हम तो असा बहुत-सा विरोध हजम कर गये। जिससे भी कठोर विरोध हजम कर जायेंगे। लेकिन अुस विरोध का बोझ संघ क्यों अुठावे? लोग समझते हैं कि आप हमारे अोजार हैं। यह असत्य बात है। जिसलिये जो हुआ, वह बहुत ठीक हुआ। अपने पैरों पर खड़े रहने से हममें ताकत आयेगी। यहाँ आने से पहले ही हमने यह सोचा था कि संघ जिस रूप में खतम कर दिया जाय।

आध्यात्मिक बल

यहाँ आध्यात्मिक बल की बात भी कही गयी। आध्यात्मिक बल संघ में रहने से नहीं मिलेगा। वह दूसरों के भरोसे कभी नहीं मिलता। अपने पैरों पर खड़े रहने से हमें वह मिलेगा। जब आबोहवा साफ हो जायगी तब उस बल को ले कर फिर संगठन कर सकते हैं। हममें आज कौन-सी आध्यात्मिकता है? हिन्दुस्तान में बहुत-से साधु हैं। लोग उन्हें मानते भी हैं। उन्हें आध्यात्मिक बल के लिये कोठी संस्था नहीं बनानी पड़नी। यह आध्यात्मिक बल की बात मिथ्यावाद है। किशोरलाल जब से संघ में आये, तबसे उसमें जो अधिक चीज आयी वह थी आध्यात्मिक लाभ। जब वही नहीं मिल सकता तब संघ को क्यों रखें? दुनिया मानती है वैसे हम नहीं हैं, यह चीज हमको अपने आपसे और दुनिया से कहनी थी; वह हमने संघ को समेट कर कह दी है।

वर्तमान परिस्थिति

दूसरी बात है वर्तमान परिस्थिति, जिसके विषय में अपने विचार पेश करने के लिये मुझसे खास तौर पर कहा गया है। बापू तो उसके विषय में हर सप्ताह लिखते ही रहते हैं। आप भी काफी जानते हैं। अखबारों में भी काफी चर्चा होती रहनी है। दुनिया की आज की स्थिति ऐसी विचित्र है कि यह कोठी नहीं कह सकता कि कल क्या होगा? जो ऐसा कहता है कि वह भागे की कह सकता है, वह मिथ्यावादी है। जो दो पक्ष लड़ रहे हैं, उनमें से हर एक कहता है कि हम जीतेंगे। दोनों ऐसा मानते भी होंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसा बेवकूफ कौन है, जो यह मान कर कि मैं हारूँगा, लड़ेगा? आज जो देश लड़ाई में शामिल नहीं हैं, वे भी नहीं जानते कि वे कब शामिल होंगे? वे अलग ही रहेंगे, इसका कोठी भरोसा नहीं है।

हमारे मुल्क की अजीब हालत

हमारे मुल्क की सारी दुनिया में अजीब हालत है। हम जानते भी नहीं तो भी लड़ाई में शामिल है। हमसे पूछने की किसीको कोठी जरूरत नहीं है। बिना देश को खबर दिये ही जाहिर किया गया कि हम लड़ाई में शामिल हो गये हैं। बाद में देश को पता चला कि वह लड़ाई में शरीक हो गया है। हम लखनभू से कहते और मानते आये हैं कि हम नाजीजम और फ़ैसीजम की जीत तो नहीं चाहते। जिन दो शक्तियों के बीच लड़ाई हो रही है उनमें से हम किसकी जीत चाहें? हम तो साम्राज्यशाही का भी नाश चाहते हैं; ब्रिटिश साम्राज्यशाही को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिये अूमकी भी जीत हम नहीं चाहते। नाजीवाद के जन्म के पहले से ही हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश चाहते आये हैं। हमारी दोनों तरफ बुराअियाँ हैं। दोनों तरफ खाइयों है। बड़ी नाजुक स्थिति है। कोठी कहे कि 'लड़ाई का मोका आया है; लड़ाई के मैदान में कूद पड़ो' तो वह अन्वेषण ही कर खड़े में कूदना है।

हमारी समस्या

जब यह लड़ाई छिडी तो दो बातें हमारे सामने थीं। एक तो यह कि हम सरकार से कहें "हम सत्याग्रही हैं। आप मुसौबत में पड़े है, जैसे मोके पर हम आपसे लड़ाई करना नहीं चाहते। इसलिये नाजीवाद को हराने में हम बिनाशर्त आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम अहिंसावादी हैं; इसलिये हम सिर्फ आपका नैतिक समर्थन करेंगे। जब तक लड़ाई जारी है, आपकी सल्तनत से नहीं लड़ेंगे।"

बापू की ही विशेष शक्ति

परंतु यह तो बापू ही कह सकते थे। यह सामर्थ्य अन्हिंकी है। अन्हिंके दिल में यह विश्वास होता है कि मैं सामनेवाले का हृदय-परिषर्तन करा लूंगा। हमारी यह ताकत नहीं है। अन्हिंके आशीर्वाद की भी दुनिया के पास कद्र है। हमारी नैतिक सहानुभूति को कौन पूछता है? बापू को अितना आत्मविश्वास है कि वे सरकार पर अितना बोझ डाल सकते हैं कि अुसे सुनना ही पड़ेगा। हम अपने विषय में यह नहीं कह सकते। बापू ने भी अ्हांअिसराम से कहा कि मैं अपनी खुद की राय दे रहा हूं। मुल्क की राय प्रकट नहीं कर रहा हूं। बकिंग कमेटी में हमारे सामने बड़ी विकट समस्या पेश हुई। यह पहला ही मौका था जब बकिंग कमेटी में अंक ही सवाल पर बारह-तेरह दिन तक लगातार बहस हुई। बापू ने हमपर छोड़ दिया कि आप अपनी राय पर चलें।

कार्य-समिति का वक्तव्य

हमने सोचा कि बापू जो नीति बरत सकते हैं, वह हम नहीं बरत सकते। अधिकार-ग्रहण के बाद काँग्रेसी मंत्रियों ने जो बल-प्रयोग किया, अुसको हमने मंजूरी दी थी। क्योंकि हमने देखा कि अुसके बिना काम नहीं चल सकता था। हमने सोचा कि हम अैसा नहीं कर सकते जिससे कि देश में अराजकता हो। अुस हालत में तो न हिंसा चल सकती है, और न अहिंसा। बिना-घर्तें नैतिक सहायता देने की हमारी ताकत नहीं थी। अिसलिये हमने सलतनत से सफाअी चाही। हमने कहा कि पहले सरकार अपने लडाअी में पडने के कारण जाहिर करे और हिन्दुस्तान के साथ वह क्या करनेवाली है, यह साफ साफ बता दे, तो हम कुछ मदद करने की बात सोच सकते हैं।

तभी से हमारी मुसीबतें शुरू हो गयीं। अिस तरह मदद करने का प्रस्ताव करने के बाद हमारे लिये संघ में रहना कठिन हो गया। तभी से हमने सोच लिया था कि हमें संघ में से हट जाना चाहिये। बापू की निजी राय तो यह थी कि हम किमी तरह का सोदा न करें। हमारा प्रस्ताव संघ की नीति में ठीक ठीक नहीं बैठता था।

अ्हाअिसराय से मिलने का नतीजा

अुसके बाद जो कुछ हुआ, आप जानते हैं। अ्हाअिसराय से बातचीत के बाद हमारे दिल पर यही असर हुआ कि यह सलतनत कुछ देना नहीं चाहती। लेकिन अैसा कहना दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा, यह समझ कर अुसने अंक रास्ता निकाला। अुसने कहा कि हम तो देने को तैयार हैं; लेकिन आप तैयार नहीं हैं। “हिन्दू-मुसलमानों को मिलाओ। राजाअों के, पूंजीपतियों के और अ्रिटिश लोगों के स्वार्थों का विचार करो। तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिये फौज कहाँ है?” हिन्दू-मुसलमानों का सवाल फिर से अुठाय़ा गया। दुनिया के सामने अुँह दिखाने के लिये सरकार ने फिर वही पुरानी चाल चली। अंक कोम को दूसरी कोम से लडाने की पुरानी नीति से सरकार काम लेने लगी। हमें निश्चय हो गया कि अब सरकार से बात करने में कोअी फायदा नहीं है। अिससे कुछ होने-जानेवाला नहीं है। बापू को भी अैसा ही लगा। ‘हरिजन’ में अुन्होंने अिसी तरह की बात लिखी है। लेकिन बापू की यही नीति रही है कि अगर लडाअी करना हो, तो कोअी अैसी बात बाकी नहीं रहने देते, जिसमें समझौते की ज़रा भी गुंजाअिस हो।

अैसी हालत में हमारा क्या कर्तव्य है? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिये। सरकार से बिना लड़े अगर काम हो जाय तो ठीक ही है; नहीं तो हमें लडाअी के लिये भी तैयार रहना

चाहिये। हमारे पास एक ही शक्ति है जो हमने अिन बीस सालों में बापू के नेतृत्व में पायी है। अगर लडाखी करनी पडे, तो अुसके लिये ताकत चाहिये। और अगर बिना लडाखी के ही कुछ मिल जाय तो अुसे हज्म करने के लिये भी ताकत चाहिये।

हमारी एकमात्र शक्ति

हमारे पास एक ही शक्ति है; वह है नैतिक शक्ति। दूसरे मुल्कों ने तलवार और बन्दूक के जोर पर अपनी आजादी पायी; हिन्दुस्तान के पास न तो वह सामान है और न हम अुसे चाहते हैं। तो हम दूसरी बात क्यों सोचें? समझीते की बातें चलने से अगर हमारी ताकत कम होती हो तो वह शक्ति ही नहीं है। जो शक्ति समझीते की राह देखने से गायब हो जाती है वह दुर्बलता ही है। हम अशक्ति को ही शक्ति समझते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि धौंस-घुड़की से ही कुछ मिल जाय तो अच्छा है। यह सलतत अँसी नहीं है। वह धौंस-धमकी से डरनेवाली नहीं है। और अगर धौंस-धमकी से कुछ मिला भी तो हम अुसे सम्हाल नहीं सकेंगे। अिसलिये जो हम लेंगे, वह अपनी पूरी ताकत लगा कर लेंगे। अगर समझीते से काम हो जाय तो अच्छा ही है। हमारी शक्ति आगे काम आयेगी। जो तैयार होते हैं वे "हम आज तैयार हैं और कल नहीं हैं", अँसा नहीं कहते।

हिन्दुस्तान का प्रश्न

'सरकार लडाखी में अुसझी दुर्खा है'; अिसलिये यह अच्छा मोका है, यह समझना ही कमजोरी का लक्षण है। अंग्रेज अिस लडाखी में हार गये तो भी साम्राज्य नहीं टिकेगा और जीते तो भी नहीं टिकेगा। अिसलिये अुन्हें हिन्दुस्तान से फँसला कर लेना चाहिये। हिन्दुस्तान जैसे देगों को गुलामी में रखना लडाखी का मूल है। सरकार कहती है कि हम लोकसत्ता के लिये लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक हिन्दुस्तान आजाद नहीं है तब तक अुसका यह कहना झूठ है। अगर सरकार यह बात मंजूर करती हो तो अुसे हमारे साथ तमफिया कर लेना चाहिये। फिर वह यह नहीं कह सकती कि देश में अराजकता फैलने का डर है। अगर अुसका दिली दिवस्वास हो तो अँसी बात अुसके मुँह से नहीं निकल सकती। हिटलर की जो शक्ति काम करती है, अुसका मूल भी हिन्दुस्तान ही है। अगर हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा, तो हिटलर पैरों पडेगा। आज तो सभी हमपर दया करते हैं। हिटलर भी कहना है कि मैं हिन्दुस्तान को छुडाअूंगा।

हिन्दुस्तान एक बडा भारी चाय का बगीचा है। आसाम में चाय के बगीचों में लोग मजदूरी करते हैं और बाग का मालिक नफा खाता है। आसपास के जंगलों में शिकार करता रहता है। हमारा देश भी एक बडा-सा शिकारखाना है।

हमारा नेता

अिस हालत में हम पडे हुअे हैं। यह हमारा सद्भाग्य है कि हमारे पास एक अँसा नेता है, जिसकी नैतिक शक्ति दुनिया के किसी भी दूसरे आदमी से अधिक है। पहले जब हमने बकिंग कमेटी में फँसला किया तब अुनसे अलग किया। वाद में बडी आजिजी से अुनसे कहा कि अब दूसरा कदम आपके बिना नहीं अुठा सकते। अुन्होंने हमारी बात को मान लिया। अब लडाखी कब होगी, कैसे होगी—अिसका बोझ बकिंग कमेटी पर नहीं है। हमारे सिपाही और हथियार तैयार हैं या नहीं, यह हमें देखना है। अगर फौज और हथियार जैसे चाहियें वैसे न हों, तो सेनापति हुकम कैसे दे सकते हैं? अुसमें अुनका क्या कसूर है? हम अुन्हें दोष भी कैसे दे सकते हैं?

आत्मशुद्धि की आवश्यकता

गांधी सेवा संघ न रहा तो भी हम गांधीजी के सिद्धान्तों पर श्रद्धा रखनेवाले तो हैं। हमें कांग्रेस का संगठन ठीक कर लेना चाहिये। आप सब जानते हैं कि हम कितने कमजोर हैं। पंजाब से केरल तक नज़र डाल कर देख लीजिये। सभी प्रान्तों की परिस्थिति देखने पर आप मानेंगे कि हमने जल्दी नहीं की, यह अच्छा ही किया। अब की लडाओ बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि यह आखिरी लडाओ होगी।

हमारे शास्त्र की श्रेष्ठता

आगे किसी गलतफहमी की गुंजाबिश न रहे, इसलिये पहले वायुमंडल साफ कर लेना चाहिये। सल्तनत क्या चाहनी है और हम क्या चाहते हैं, यह साफ हो जाना चाहिये। रियासतों का और कौमी झगड़ों का मामला बिना सल्तनत की मदद के क्यों नहीं तय हो सकता, आखिरी सारी बातें दुनिया के सामने रखनी चाहियें। दुनिया में जो शक्ति काम कर रही है वह तलवार की शक्ति है। हमारा रास्ता दूसरा है। हमें दुनिया का आशीर्वाद चाहिये। हिटलर को अुसकी परवाह नहीं है। हमें यह अँक अँसा मीका मिला है, जब हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा शास्त्र हिटलर के शास्त्र से श्रेष्ठ है। हिटलर से भी हम सीख सकते हैं। पिछली लडाओ में हारने के बाद जर्मनी ने अपना संगठन किया। अँक सेनापति की आज्ञा मानी। हिटलर क्रूरों के लिये बुरा है, लेकिन जर्मनी तो अुसे अपना देवता मानता है। अँसा अनुशासन हममें कहाँ है? जो हमारा नेता है, अुसके पीछे चलने के लिये हम कहाँ तक तैयार हैं? हम जिस तरह तो काम नहीं कर सकते कि हम कहे, और हमारा सेनापति लडे।

ज़रा अपनी ओर देखिये

ज़रा अपनी ओर देखिये! हर प्रान्त में यही झगडा चल रहा है कि कांग्रेस पर कैसे कब्ज़ा करें? इसने हमें कमजोर कर दिया है। नीचे से ले कर ठेठ अूपर तक यही हालत है। जब से हमने अँलान किया कि सल्तनत से कुछ-न-कुछ करा लेना चाहिये, मही तो लडाओ करनी होगी, नब से आब्रोहवा कुछ साफ हो रही है। आपस की कटूना कुछ कम हो रही है। परंतु फिर भी बडा कठिन काम है। जब तक हवा साफ न होगी, सत्याग्रहवाले क्या कर सकते हैं? अभी हमें समय मिल रहा है, यह हमारी भलाओ की बान है। जिस वकन हम आपस के लडाओ-झगडे मिटा सकें, तो बडा भारी फायदा होनेवाला है।

अहिंसा ही अँकमात्र मार्ग है

कौमी कहते हैं कि लडाओ बन्द हो जायगी तो हाथलगा मीका चला जायगा। हमने गांधी सेवा संघ को जैसे चट-से समेट लिया, अुस तरह यह लडाओ बन्द होनेवाली नहीं है। अुसकी जडे गहरी चली गयी है। आज भी जो मीका मिला है वह तो मरने का ही मीका है। सरकार से लड़ने के बदले हम आपस में लडे मरेगे। अगर हम आपस में न लडे, तो हमारा मीका हमेशा बना रहेगा। दुनिया में हिंसा की बढौलत जो व्यापक संहार हो रहा है, अुससे आखिर दुनिया को इसी नतीजे पर आना होगा कि हिंसा लाभदायी नहीं हो सकती। अुसे अहिंसा का शास्त्र ही लेना होगा। लेकिन यह बात गांधीजी की है। हिन्दुस्तान की नहीं है। अगर सत्याग्रह पर हमारी गांधीजी जैसी श्रद्धा होती, तो सारी दुनिया हमारी बात मानती। आज हम जिस चीज़

के लिये तैयार नहीं है। हम तैयार हैं कमजोरों की अहिंसा दिखाने के लिये। अगर हमारे पास हिंसा की कोञ्जी व्यवहार्य योजना होती तो अहिंसा के दल में कितने लोग आते ?

लडाञ्जी के बाद की दुनिया

दुनिया में हिंसा का जो आन्दोलन चल रहा है, उसके कारण लडाञ्जी के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। नयी दुनिया की नयी रचना करने की कोशिश दूसरे कर रहे हैं। आज की सरकारें कुछ नहीं करतीं। 'लीग ऑफ नेशन्स' गांधी सेवा संघ के समान मूर्च्छित अवस्था में पडा है। उसका काम स्थगित है। दूसरा कोञ्जी नया संगठन तो वे भी करना चाहते हैं। विचारी लोग सोच रहे हैं कि लडाञ्जी के बाद दुनिया का काम किस सिद्धान्त पर चलेगा। बडी बडी शक्तियों में संघर्ष हो चुकने के बाद किस बात का फंसला होगा। वे सारी शक्तियाँ आपस में लड़ लड़ कर कमजोर हो जायेंगी। समय जाने में हिन्दुस्तान का फायदा ही होगा।

सत्तनत क्या चाहती है ?

कोञ्जी कहते हैं कि यह तो सत्तनत की अक चाल है। वह समझीते की बात करती रहेगी। उसे जो चाहिये वह मिलता ही है। लेकिन जिसमें दोष है। वह जो चाहती है वह उसे नहीं मिलता। पैसा मिलता है और आदमी मिलते हैं। हम मदद करेंगे तो भी अितने ही आदमी और पैसा मिलेगा। लेकिन वह तो हमारा आशीर्वाद चाहती है। वह उसे नहीं मिल रहा है। हम उसके चक्के में आ कर चुप नहीं हैं। हमारा सेनापति जब तक आज्ञा नहीं देता तब तक हम बंटे हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोञ्जी नहीं रोक सकता। रोज़ रोज़ धमकियाँ देने से काम नहीं चलेगा। जो लड़ना चाहते हैं उन्हें न तो काँग्रेस रोक सकती है, न गांधी।

हम कब लड़ेंगे ?

हम तो तभी लड़ेंगे जब हम तैयार हो जायेंगे; जिसमें फिर हमें पीछे न हटना पड़े और देश का नुकसान न हो। आज हमको अपनी संस्था ठीक करनी है। हर अक प्रान्त को देखिये। पंजाब की बात लीजिये। कितना वैमनस्य है ? अक ही नीयत से चलनेवालों में कैसी लडाञ्जी है ? बंगाल की बात लीजिये। क्यों यहाँ यह विरोधी प्रदर्शन हो रहा है ? हम तो यहाँ राजनीति की बात भी नहीं करने आये हैं। करीब करीब सभी प्रान्तों में यही हाल है। हमें आँखे खोल कर सारा नकशा अपने सामने रखना चाहिये। लडाञ्जी से तो हम बचनेवाले नहीं हैं। लडाञ्जी तो होने ही वाली है। लेकिन समझीते की पूरी पूरी कोशिश करने के बाद। हम तैयार रहें, लेकिन लडाञ्जी जब हम पर आ ही पड़ेगी तब लड़ें। सत्तनत संकट में है, जिसलिये उसे हैरान करने के लिये लडाञ्जी करेंगे तो हमारी हार होगी।

काँग्रेस-विरोधी शक्तियाँ

देश में काँग्रेस के खिलाफ़ जो दूसरी शक्तियाँ हैं, उनका भी सामना हमें किसी अहिंसक ढुधियार से करना होगा। कीमी ज़हर जितना आज है अतना पहल कीमी नहीं था। वह देहातीं तक फैल रहा है। यहाँ विरोधी प्रदर्शन करनेवाले कल कुछ मुसलमानों को ले आये। अन्होंने प्रदर्शनी में जबरदस्ती धुसना चाहा। कहने लगे, 'गरीबों के लिये प्रदर्शनी है तो वो पैसे का टिकट क्यों?' जिस तरह अक पक्ष दूसरे पक्ष को गिराने के लिये कीमी झगडों से लाभ अठाना

चाहता है। हिन्दुस्तान में सत्याग्रह का आन्दोलन चलाने के लिये तो बहुत-से आदमियों की मदद की जरूरत होगी। लेकिन बिगाड़ने के लिये तो चन्द आदमी ही काफी हैं। लडाखी तो थोड़े ही आदमी करेंगे, लेकिन सहानुभूति सबकी होनी चाहिये।

देशी राजा

दूसरी ताकत जो हमारे विरोध में खड़ी है, वह है देशी राजाओं की। वे कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले जिस तरह हम स्वतंत्र राजा थे वैसे ही फिर हो जायें। फिर से हम 'हिज मैजिस्ट्री' कहलायें। अपने बल पर स्वतंत्र होने की हिम्मत अंनमें नहीं है। सार्वभौम सत्ता की मदद है, जिसलिये कांग्रेस के खिलाफ घुड़कियाँ देते रहते हैं। १९२५-२६ में अूस वक्त के व्हाइसराय ने अंनको दिखा दिया कि सार्वभौम सत्ता क्या चीज है। बड़े बड़े राजाओं की क्या स्थिति है, जिसका फंसला अूसी वक्त हो गया। किसी राजा ने चूँ तक नहीं की। आज भी वही बात है। कुछ राजा लोग कांग्रेस के खिलाफ संगठन करना और गुडेबाजी करना ही अपना काम समझते हैं। राजकोट में आपने देखा होगा। न्यायाधीश का फंसला हो गया। राज की ओर से दस्तखत भी किये गये। अूसे भी छोड़ना पडा। गुडेबाजी चली। लिमडी और जयपुर में यही हुआ। ये राजा-महाराजा भी ब्रिटिश सल्तनत जितना चाहती है, अुतना ही कर सकते हैं। कभी राजा अपना दीवान भी नियुक्त नहीं कर सकते। जब अुनके आदमी भी अंसा कहते हैं कि हमारे राजा साहब 'हिज मैजिस्ट्री' है, तब हमें समझ लेना चाहिये कि हमारे सामने कौन-सी ताकतें खड़ी हैं।

ब्रिटिश स्वार्थ

रात्रके आखिर में ब्रिटिशों के स्वार्थ का सवाल हमारे सामने पेश किया जाता है। यह सरकार की सबसे कमजोर बाजू है। लेकिन यही सब कुछ है। दूसरी सारी बातें इसीके लिये हैं।

लडाखी की भूमिका तैयार कीजिये

यह आज की परिस्थिति है। अंसी नाजूक स्थिति हिन्दुस्तान की पहले कभी नहीं थी। हिन्दुस्तान की आजादी चाहनेवालों पर अितनी जिम्मेवारी पहले कभी नहीं आयी थी। सबसे पहली चीज यह है कि हम अपने दिलों को शुद्ध कर लें। हमारी परीक्षा का दिन नजदीक आया है। हम जहाँ हों वहाँ लडाखी की भूमिका तैयार करें, जिससे हमारे सेनापति का रास्ता साफ हो और वह लडाखी जल्दी कर सके। कीमी झण्डे, हरिजननों का सवाल, आदि हल करके सेनापति के हुक्म का अिन्तजार करें। अेक बार आगे कदम अुठाने पर फिर पीछे न हटना पडे। गांधीजी का हथियार कब रुकेगा, जिसका डर हमेशा रहना चाहिये। अूसे रोकनेवाले तो हम ही हैं। आपको चोरीचोरा तो याद ही होगा। फिर गांधीजी किसीसे पूछते नहीं। सबकी गलती अपने अूपर ओढ़ लेते हैं और आन्दोलन बन्द कर देते हैं। हमें सावधान रहना चाहिये कि कहीं फिर अंसा मौका न आवे। यह मुल्क की परिस्थिति है। हम अूसे सोचें, समझें और अपना काम करें।

गांधी सेवा संघ सम्मेलन }
मालिकान्बा, ता. २३.२.४० }

साहित्य-सम्मेलन की विज्ञान-परिषद

[काका कालेलकर]

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ हर साल दो-चार परिषदें भी होती हैं। अब पिछले साल से उनमें एक और परिषद बढ़ा दी गयी है। यह बार बार पूछा जाता है कि अिन पंच-परिषदों की फलश्रुति क्या है? गुजरात की साहित्य-परिषद के साथ भी ऐसी ही परिषदें हुआ करती हैं। वहाँ पर भी यही सवाल पूछा जाता है कि अिन परिषदों का प्रयोजन क्या है? ये परिषदें अक्सर किसी सुयोग्य अथवा अल्प-योग्य व्यक्ति से अेकाध सुदीर्घ निबंध पाने का अेक तरीका होती है। कभी कभी तो ये निबंध सुदीर्घ भी नहीं होते।

अगर ये निबंध ध्यान से पड़े जायें, तो अैसा प्रतीत नहीं होता कि ये परिषदें प्रति वर्ष कुछ प्रगति कर रही हैं। पिछले साल किसने क्या सोचा और अगले साल क्या करना है, अिसका तो कोअी विचार ही नहीं होता। विद्वानों की कार्य-शक्ति परिमित होती है और सहयोग-शक्ति अुससे भी कम हांसी है। अैसी हालत में अिन परिषदों से हम बहुत आशा तो नहीं रख सकते। तो भी अेक छोटी-सी सूचना अैने शिमला के अधिवेशन में पेश की थी जो सबको पसन्द आयी। लेकिन अुसपर कुछ कार्रवाअी नहीं हुआ।

अक्सर यह भी पाया जाता है कि विद्वानों को अिन परिषदों के अुद्देश्य का ख्याल भी स्पष्ट नहीं है। मुझे दर्शन-परिषद का अध्याक्ष आखिरी घडी में बना दिया। अैने दर्शन के बारे में अपने विचार अेक निबंध में अिकट्ठा करके छाप दिये। परिषद में लोगों ने प्रोत्साहन के कुछ शब्द मुझे दे दिये। अखबारों ने अुसमें से थोड़ी या अधिक कडिकाअें छाप दीं; और अेक साल का काम खतम हुआ। यह स्थिति शोभादायक तो है ही नहीं; बल्कि दयाजनक है।

साहित्य-सम्मेलन की दर्शन-परिषद और स्वतंत्र दर्शन-परिषद के बीच कुछ अुद्देश्य-भेद तो रहना ही चाहिये। दर्शन-परिषद में देश के बड़े-बड़े अथवा ताजे-ताजे दार्शनिक अिकट्ठा हो कर सब विद्याओं में श्रेष्ठ जो दर्शन-विद्या, अुसका विकास करने में जुटे रहते हैं।

साहित्य-सम्मेलन की दर्शन-परिषद दर्शन-विद्या के साहित्य के विकास और अधिवृद्धि के लिये बुलायी जाती है।

हमारी भाषा में दार्शनिक साहित्य कितना है, अुसकी योग्यता कितनी है, अिन किन बातों में अिसकी वमी है, कौन कौन-से विभाग अस्पष्ट रहे हैं, दार्शनिक साहित्य के विकास के लिये क्या क्या करना आवश्यक है, अिन सब बातों की चिन्ता, खोज और योजना का प्रबन्ध अुसमें होना चाहिये।

ये सब प्रासनाविक विचार अैने प्रधानतया दर्शन-परिषद को नज़र के सामने रख कर नहीं किये हैं। शिमला-अधिवेशन की विज्ञान-परिषद के सामने अैने जो अेक सूचना पेश की थी, अुसी को आगे बढ़ाने के लिये मैं यह लेख लिख रहा हूँ।

विज्ञान-परिषद में अक्सर विज्ञान का कोअी प्रोफेसर अपने शास्त्र के बारे में शूद्ध हिन्दी में अेक निबंध लिखने का प्रयास करता है और जिस विषय का विस्तार अंग्रेज़ी में ही हुआ है, अुस विषय पर हम कुछ-कुछ हिन्दी में भी बोल सकते हैं, अितना अनुभव कर वकता संतुष्ट हो जाते हैं।

अिस बहाने हमारी भाषा में विज्ञान-विषयक और अेव-शो निबंध बढ़ जाते हैं। यह बाअच्छनीय अवश्य है। स्वभाषा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिये किन किन महाशयों से प्रार्थना की जा सकती है, यह देखने के लिये भी ये विज्ञान-

परिषदें काम आतीं हैं। किन्तु विज्ञान-परिषद का अद्देश्य जितने से सफल नहीं हो सकता।

हमारे देश में विज्ञान का प्रचार कितना हुआ है, यह अगर देखना हो तो स्कूल और कॉलेजों में इस विषय के जो अध्यापक रखे जाते हैं—अनुकी तैयारी से इस बात का नाप नहीं लिया जा सकता। किन्तु देश के करोड़ों लोग जिनको न अंग्रेजी आती है, न संस्कृत; जिन्होंने मामूली पढ़ाई से बढ़कर किसी किस्म का अध्ययन नहीं किया है, स्वभाषा को छोड़ कर ज्ञान-यात्रा का अन्य कोषी वाहन जिन्हें प्राप्त ही नहीं है—अनुकी जो स्थिति होगी वही देश की नैयारी है।

हमारी विज्ञान-परिषद का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि अपर्युक्त व्याख्या के अनुसार देश ने विज्ञान के क्षेत्र में कहीं तक विकास किया है, अिनकी वह सर्व (पैमाअिष) करे और अुस भूमिका से देश को आगे ले जाने के लिये स्वभाषा में वैज्ञानिक साहित्य बढ़ाने की कोषी योजना अमल में लावे। दूसरे लोग विमान (वायुयान) में बैठ कर सैर करते होंगे, हमारी गरीब भाषा को अपने पैर मजबूत कर के पैदल ही आगे बढ़ना होगा।

और अेक बात हमारी विज्ञान-परिषदे कर सकती हैं। साहित्य-सम्मेलन की विज्ञान-परिषद विज्ञान-संबंधी भाषा और परिभाषा को विकसित करने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा सकती हैं। हम चाहे जितने अशक्त हों, चाहे जितने अकर्मण्य हों, इस अेक क्षेत्र को ले कर अगर हम हर साल कुछ न-कुछ प्रयत्न करेंगे, तो दस साल के अन्दर हम देखेंगे कि हमने कम प्रगति नहीं की है।

हमारी भाषा में विज्ञान के बारे में जितना अराजक है, अतना शायद ही और किसी विषय में होगा। जो कोषी लिखने लगता है

वह अपनी ही भली-बुरी परिभाषा बना लेता है। यह है तो अिष्ट, लेकिन हमारी परिभाषा निश्चित और अेकरूप हो, यह सबसे अधिक महत्त्व की बात है। आज अेक ने जो परिभाषा चलायी, अुसका पता तक दूसरे को नहीं होता। इसलिये विज्ञान से प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष संबंध रखनेवाले ग्रंथों का संग्रह करना चाहिये और अनुमें जो परिभाषा व्यवहृत की है, अुसको अिकट्टा कर के अुसकी चर्चा करनी चाहिये।

पिछले पाँच-दस बरस के अंदर अंग्रेजी में अैसे बहुत-से ग्रंथ लिखे गये हैं, जिनका अेकमात्र अुद्देश्य विज्ञान को लोक-मुलभ बनाना है। विलायत की जनता की योग्यता ध्यान में रख-कर ही ये ग्रंथ लिखे गये हैं। अिन ग्रंथों के अनुवाद चाहे जितनी सरल भाषा में किये जायें, तो भी हमारी जनता अनुमे लाभ नहीं अुठा सकेगी। जिन विद्वानों को प्रौढ शिक्षा का कुछ अनुभव है, अुन्हींसे विज्ञान के प्राथमिक ग्रंथ लिखाने चाहिये और अैसे ग्रंथों की पांडु-लिपि ले कर अुसे गाँवों में पठाने के बाद जब वह सफल प्रतीत हो, तभी अुसे छापना चाहिये।

हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य जितना फैला हुआ है, अुससे भी अधिक साम्राज्य फैला हुआ है वहमों का। इस भ्रम-राज्य को तोड़ने के लिये केवल तर्क पर्याप्त नहीं है। विज्ञान-सूर्य ही वहम-तिमिर का ध्वंस कर सकता है। यह शक्ति और यह अुपयोगिता ध्यान में रख कर देश के—गाँव के तथा शहर के—तमाम वहमों को अिकट्टा करके अनुका वैज्ञानिक विवेचन करना चाहिये और इस तरह विज्ञान का सामाजिक अुपयोग जनता पर प्रकट करना चाहिये।

चन्द थिऑसॉफिस्ट लोगों ने विज्ञान का सहारा ले कर लोगों के वहमों का समर्थन कर दिखाया है। जिस ढंग से अुन्हींने यह काम

किया है, वह तो पूर्णतया अवैज्ञानिक ही है। अगर किसी विचार या मान्यता को विज्ञान का सच्चा समर्थन मिल जाय तो वह मान्यता वहम न रह कर वैज्ञानिक सिद्धान्त बन जाती है।

अस साल विज्ञान-परिषद के सभापति कौन होंगे, यह मैं नहीं जानता। लेकिन जो होंगे उनसे मेरी प्रार्थना है कि ऊपर बताया हुआ

दृष्टि से भी वे कुछ-न-कुछ विवेचन करें। साहित्य सम्मेलन की विज्ञान-परिषद को विज्ञान की खोज नहीं करनी है किन्तु प्रधानतया साहित्य-सेवा करनी है। सामान्य साहित्य की नहीं, वैज्ञानिक साहित्य की। किन्तु आखिर सेवा करनी है साहित्य ही की।

१५ : ४ : ४०

ध्वजवाद और धर्मध्वजित्व

[त्रिनोबा के अंक पत्र से]

आपने झंडे के विषय में प्रश्न पूछा है। सबसे पहले आप यह बात ध्यान में रखें कि मेरा उत्तर मेरे व्यक्तिगत विचारों का द्योतक रहेगा; वह कांग्रेस या दूसरे किसी पक्ष के विचारों का निदर्शक नहीं माना जा सकता।

आपके प्रश्न का भावार्थ यह है, "गणपति अुत्सव के या तत्सम (अुमी तरह के दूसरे) जुलूसों में कौन-से झंडे काम में लाये जायें? राष्ट्रीय झंडा हो या भगुवा (गेरुआ) झंडा हो इसके विषय में विवाद है।"

अस विषय में मेरी दृष्टि यह है—

राष्ट्रीय झंडा—तिरंगा, चरखा मुद्रांकित—राष्ट्रीय अवसरों पर काम में लाना अुचित है। यहाँ "राष्ट्रीय अवसर" का अर्थ है "अखिल भारत-निदर्शक," या दूसरे शब्दों में, "जिसमें किसी विशेष जाति या धर्म का अन्य-व्यावर्तक सूचन न हो अंस" अवसर। भगुवा झंडा पांथिक झंडा है। वह हिन्दू-सभा या तत्सम समारम्भों के लिये ही अुपयुक्त है। 'राष्ट्रीय' और 'पांथिक' से भी 'धार्मिक' अंक त्रिकुल भिन्न वस्तु है। गणपति अुत्सव अंक धार्मिक अुत्सव माना जाता है। वह न तो हिन्दू-महामभा का पांथिक है और न राष्ट्रीय। असलिये अच्छा तो यह है कि अुसमें—भगुवा या तिरंगा—कोअी भी झंडा न हो।

हिन्दूधर्म विश्वधर्म है। कोअी भी सच्चा धर्म विश्वव्यापक ही हो सकता है। असलिये मुझे यही पसन्द नहीं है कि धर्म का कोअी झंडा हो। हिन्दूधर्म ने अपना कोअी अलग झंडा बनाया भी नहीं है।

लेकिन यहाँ किसी तत्त्व-विशेष का सूचन या भेद-निदर्शन करने की दृष्टि नहीं होती, बल्कि केवल शोक के लिये जुलूस में झंडा रखा जाता है; वहाँ जिसे जिस झंडे से प्रेम हो, वह अुस झंडे का अुपयोग करे। अस तरह के बीस-पच्चीस झंडे बड़ी खुशी से और शोक से—यानी अविरोध-पूर्वक—अंक ही गणपति-अुत्सव के जुलूस में रखे जा सकते हैं। हर अंक की अलग अलग पोशाक तो होती ही है। वैसे ही यह भी होगा।

सारांश, मेरे मत से गणपति-अुत्सव में कोअी भी झंडा न हो। या फिर हर अंक की रुचि के अनुसार पचास या सौ झंडों के होने में भी हर्ज नहीं है।

अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि हम "दंभो धर्म-ध्वजित्वम्" (दंभ यानी धर्म का झंडा फहराना) यह शंकराचार्य-कृत व्याख्या कभी न लें और "अविभक्तं विभक्तेषु" वाला गीता-सूत्र कभी न गँवायें।

(मराठी 'ग्राम-सेवा-वृत्त' से अनूदित)

गांधीजी से परिप्रश्न

स्वामी आनन्द—संघ की भावी प्रवृत्तियों में आपने मजदूर-संघ का भी अुल्लेख किया है । क्या साम्प्रदायिक अेकता को भी संघ में स्थान रहेगा ? या अुसे बाद (तर्क) कर दिया है ?

गांधीजी—अुसे तो बाद (तर्क) नहीं किया है । वह तो है ही । अुसके बिना अहिंसा कोभी चीज ही नहीं रह जाती । अुसके लिअे हमारे पास आज कोभी कार्यक्रम नहीं है । असलिअे मैंने जानबूझ कर अुसका जिक्र नहीं किया ।

स्वामी—मुझे आशंका है कि अगर हम मजदूर-संगठन और साम्प्रदायिक अेकता के काम में पडेगे तो भुममें से भी दूसरे लोगों के दिलों में अीर्ष्या और रोष का जहर पैदा हो जायगा । वहाँ भी अुनसे संघर्ष आ पडेगा । फिर वहाँ से भी हमको हटना होगा ।

गांधीजी—अगर अीर्ष्या और हिंसा के भाव पैदा होंगे तो हटना होगा । तब तो शायद यह सिद्ध होगा कि हम जो अहिंसा का प्रयोग करनेवाले लोग हैं, वे निकम्मे हैं । कुछ लोग यह भी कहेंगे कि अहिंसा ही निकम्मी है । अुनकी दृष्टि से अहिंसा परम धर्म के बदले परम अधर्म सिद्ध होगा । क्योंकि वे तो कहते हैं कि “हिंसा और अहिंसा के मिश्रण से ही यह जगत बना है । दोनों का साथ साथ चलना आवश्यक है; नहीं तो संसार का व्यवहार ही कुंठित हो जायगा । मजदूर बुजदिल हो गये हैं; अुनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिअे अुन्हें हिंसात्मक प्रतीकार सिखाना चाहिये । हिन्दू भी डरपोक हैं । अुनके लिअे अहिंसा परम धर्म नहीं है ”—अैसे खत आज भी मेरे पास आते रहते हैं । हमें तो यह सिद्ध करना है कि हम मजदूर और साम्प्रदायिक प्रश्न का समाधान अहिंसा से कर सकते हैं ।

सुधाकर—हम राजकारण का परित्याग सदा के लिअे कर रहे हैं या कुछ समय के लिअे ?

गांधीजी—हमेशा के लिअे कौन कह सकता है ? हम भगवान थोडे ही हैं ? हम तो आज की बात कह रहे हैं ।

कृष्ण नायर—आपकी योजना, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, अैसी है कि रचनात्मक कार्य करनेवाली जो चार पाँच संस्थायें हैं, अुनके लिअे गांधी सेवा संघ अेक ‘सेण्ट्रल रीसर्च अिन्स्टिट्यूट’ (केन्द्रीय संशोधन-प्रयोगशाला) जैसा रहेगा । लेकिन आपके सिद्धान्तों के अनुसार अिस देश में जो लोग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, अुनका संगठन कैसे हो ? जो लोग चरखा संघ, ग्राम अुद्योग संघ, आदि संस्थाओं में काम करते हैं, अुनके लिअे तो वे संस्थायें हैं । लेकिन जो लोग अिन पाँच संस्थाओं में नहीं हैं, अुनका संगठन किस प्रकार हो ? क्या अुनके लिअे भी अेक ‘ओल्ड स्टूडेण्ट्स अँसोसिएशन’ (पुराने विद्यार्थियों के संघ) जैसी कोभी संस्था आवश्यक नहीं है ? क्या हमारे सब सदस्य अिन पाँच संस्थाओं में आ जाते हैं ? कोभी बाकी नहीं रहते ?

गांधीजी—अगर तुमने विवरण ध्यान से पढा है, तो तुम्हें यह मालूम हो जाना चाहिये कि हमारे कितने सदस्य रचनात्मक संस्थाओं में काम कर रहे हैं । यह विवरण अेक पढ़ने लायक चीज है । यह कोभी मामूली विवरण नहीं है । अुसमें सदस्यों की संख्या कभी प्रकार की दी गयी है । अुनका प्रान्तवार, कार्यानुसार, संस्थानुसार वर्गीकरण अिसमें है । मैं तो विवरण पढ कर मुग्ध हो गया । अुसका परिशिष्ट देखिये । सारी चीजों का अुत्तर अिस विवरण में से मिल जाता है । विवरण पढ़ने से मालूम होगा कि गांधी सेवा संघ जैसी अेक स्वतंत्र संस्था रख कर हम कोभी बडा काम

नहीं कर लेंगे। जो लोग सर्वांग बुद्धि से काम करेंगे, उनके लिअे बार बार पूछने की या मार्ग-दर्शन की जरूरत नहीं रह जाती है। आजादी पाना कोभी मामूली काम नहीं है। उसके लिअे हमें जैसे ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, जो सर्वांग बुद्धि से और अपनी स्वतंत्र बुद्धि से काम करते रहेंगे। जिन्हें देखभाल की जरूरत है, वे किसी-न-किसी रचनात्मक संस्था की देखभाल में काम कर सकते हैं। उसके लिअे संघ की जरूरत नहीं है। हमारे पास रचनात्मक काम करनेवाली पाँच संस्थाएँ हैं। बहुत-से सदस्य उनके कंधे में आ जाते हैं। फिर अन्हें गांधी सेवा संघ में रख कर हम अधिक क्या दे सकते हैं? संघ अके छठी भुंगली बन कर रह जाता है। और देखभाल या निरीक्षण करें भी कैसे? हमारे पास इसका कोभी सामान नहीं है।

कृष्ण नायर—तो मतलब यह है कि आज हमारा स्थूल रूप समाप्त हो जाता है।

गांधीजी—हाँ, वह तो होता ही है। आज हम सीता को पाताल में भेज देते हैं।

प्रेमावहन—आपने 'दांडी कूच' के वक्त भी अँसा ही कहा था कि सब नालायक हैं और यह कह कर आश्रम तोड़ दिया था। क्या वँसा ही कुछ प्रसंग आज भी है? क्या यह भी किसी संग्राम की पूर्व-तैयारी है? या केवल शुद्धिकरण का प्रयास है?

गांधीजी—मैंने किसीको नालायक नहीं कहा। और कहता भी कैसे?—जब तक आप जैसे सायक व्यक्ति मौजूद हैं! लेकिन यह तो विनोद हुआ। दरअसल बात अँसी है कि हम अधिक शुद्ध होना चाहते हैं। मैं किसीको नालायक नहीं मानता या कहता। मैंने साबरमती आश्रम के भी किसी व्यक्ति को नालायक नहीं ठहराया। अगर आप मेरे भाषणों का अँसा अर्थ करेंगे, तो मेरे साथ अन्याय करेंगे। मैं तो अतना ही कहता हूँ कि हम जिस गज को ले कर बैठे हैं उससे नापने पर हम परीक्षा में अतुलीर्ण नहीं हुए। अगर हमने दरअसल सत्य और अहिंसा की नीति से काम लिया है, तो ये लोग यहाँ पर आ कर 'गांधीवाद का ध्वंस हों' के नारे क्यों लगाते हैं? वे हमें शिक्षा देते हैं कि हम अभी तक अशुद्ध हैं। नहीं तो वे इस तरह के नारे क्यों लगाते? (अके आवाज—कुछ लोगों का कहना है कि अन्हें इसके लिअे पैसे मिले हैं)। अन्हें पैसा दिया जाता है या नहीं, यह तो न आप जानने हैं, न मैं। लेकिन अगर यह सच भी हो, तो भी हमारे लिअे मोचने की बात है। जो लोग अन्हें पैसा दे कर इस तरह के नारे लगाते हैं, वे अँसा क्यों करते हैं? अतके दिल में अतनी कटुता क्यों पैदा हुआ? हमें तो इसका सार लेना चाहिअे। मुझे आपके दर्शनों से जो शिक्षा नहीं मिली, वह अतके विरोधी प्रदर्शन से मिली। अन्होंने मेरी बुद्धि को गति दी। आपमें से बहुत कम लोगों ने अहिंसा का प्रयोग किया होगा। इस संबंध में हमें अतिहास से भी कोभी मार्गदर्शन नहीं मिलता; क्योंकि अतिहास में हमें अतके प्रयोगों के काँअी नमूने नहीं मिलते। लेकिन अगर आप मेरी अँसी सूक्ष्म बुद्धि रखेंगे, तो आपको इस सृष्टि में सर्वत्र अहिंसा का दर्शन होगा। यह जगन प्रतिक्षण बदलता है। इसमें संहार की अतनी शक्तियाँ हैं, कोभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य-जाति का संहार नहीं हुआ; इसका यही अर्थ है कि सब जगह अहिंसा ओतप्रोत है। मैं अतका दर्शन करता हूँ। गुप्तकार्यण शक्ति के समान अहिंसा संसार की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। प्रेम मे यह शक्ति भरी हुआ है। मैं तो अपने को अहिंसा का सायन्टिस्ट (वैज्ञानिक) मानता हूँ न? असलिअे मैं अतके नियमों को जानता हूँ और देखता हूँ। हमारे दिल में सबके प्रति समभाव न हो, तो हम अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। अगर आपके पास अँसा

समभाव है तो कोभी आपका ध्वंस हो की आवाज लगाने आवे तब आप प्रतीकार या हिंसा का आश्रय न करें। जिस व्यवहार के कारण दूसरों के दिल में हिंसा के भाव पैदा होते हैं, वैसा व्यवहार छोड़ दें। हम इसी दृष्टि से संघ का रूपांतर कर रहे हैं। ये अतने आदमी यहाँ मुझे देखने के लिये चले आते हैं। वे समझते हैं कि मैं अश्वर का अवतार हूँ। अश्वर का अवतार कोभी नहीं है। और है तो सभी हैं। मैं हूँ तो वे भी हैं। फिर वे इस तरह मेरी तरफ क्यों खिंच रहे हैं? यह तो अहिंसा का नियम काम कर रहा है। मुझमें अनासक्ति भी तो है। इसलिये मैं तटस्थ हो कर देख सकता हूँ कि यह मेरी शक्ति नहीं है; अहिंसा की शक्ति है। मुझमें क्या धरा है? हजार दोषों का पुतला हूँ। आत्मनिरीक्षण करता हूँ तो दोष-ही-दोष नजर आते हैं। अगर आप मेरे जैसा आत्मनिरीक्षण करें, तो आप भी पागल हो जायेंगे। हमें अपने हर एक विचार पर अंकुश रखने की कोशिश करनी चाहिये। मैं अमी कोशिश करता हूँ। अपने विरोधियों में भी अश्वर का दर्शन करता हूँ। वह दर्शन आप भी करें।

प्रभुदास—तो क्या इसका यह मतलब है कि अपूर्ण अहिंसावादियों का संगठन हो ही नहीं सकता? किशोरलालभाजी ने 'सर्वोदय' में कहा है कि अपूर्ण अहिंसावादियों को भी संगठन की जरूरत है। उनमें भी एक प्रकार की संघ-शक्ति आनी चाहिये। लेकिन आपके भाषणों पर से तो ऐसा ही प्रतीत होना है कि अपूर्ण अहिंसावादियों का कोभी संगठन ही नहीं हो सकता।

गांधीजी—तुम्हारी बात में तुम्हारे शब्दों में ही कबूल नहीं करता। मौजूदा गांधी सेवा संघ जैसी संस्था अहिंसावादियों का संगठन नहीं हो सकती। यह संघ तो एक विशेष परिस्थिति में बना। पान-दस, बीस-तीस आदमियों की आर्थिक साहयता दे कर उनके काम पर देखभाल करने की कल्पना में मे यह संघ बना। फिर बढ़ता ही गया। अमुमें मुखारणा करने की आवश्यकता रही। लेकिन अब अमुका कोभी खास प्रयोजन नहीं रहा। अपूर्ण अहिंसावादियों की अुन्नति के लिये इस तरह के संघ की जरूरत नहीं है। मस्था तो अपूर्ण मनुष्यों की ही बनती है। मनुष्य पूर्ण हो तो मस्था की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। चरखा संघ, हरिजन सेवक संघ में भी अहिंसा तो है ही। वे भी शान्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। गांधी सेवा संघ के पास कोभी विशेष कार्यक्रम हो तभी तो वह अहिंसा-धर्मियों का संघ बन सकता है। लेकिन केवल अहिंसा-धर्मियों का संघ क्या मानी रखता है? अहिंसा-धर्म तो अव्यक्त है। जय हम अमुक साधन द्वारा अहिंसा सिद्ध करना चाहते हैं तब संघ बन जाता है। अिम तरह का कोभी विशेष साधन गांधी सेवा संघ ने अपनाया नहीं है। एक एक विशिष्ट विभाग के लिये हमारे पास संस्थायें हैं। अुनके द्वारा वे रचनात्मक कार्य नियमित हो गये। लेकिन अुन कामों में से कितनी अहिंसा निकली, यह देखना अुन संस्थाओं का काम नहीं है। मैं शंकरलाल से यह पूछूंगा कि कितने आदमियों को मजदूरी दी? यह नहीं पूछूंगा कि तुमने अहिंसा का कितना विकास किया। मजदूर संघ से यह पूछूंगा कि तुमने शान्तिमय अपायों से मजदूरों की क्या अुन्नति की? यह नहीं पूछूंगा कि मजदूर-आन्दोलन का अहिंसा के साथ कैसा अनुसंधान है। ग्राम अुद्योग संघ की भी वही बात है। सतीशबाबू की भी वही बात है। खादी-प्रतिष्ठान में अहिंसा का कितना विकास हुआ, इसकी परीक्षा थोड़े ही अुन्हें देनी है? अुनसे तो यही पूछना होगा कि अुन्होंने कितना अचूक तेल, कागज, खादी या चमड़ा बनाया है। अिन सबके बाद जो बात शेष रह जाती है, वह यह है कि अिनके द्वारा हम अहिंसक संस्कृति का निर्माण किस तरह कर सकते हैं इसकी खोज करें। इसके लिये तो एक संस्था रह सकती है। लेकिन केवल अहिंसा-धर्म को माननेवालों के लिये

संघ की क्या जरूरत है ? अन्हें जो बल या मार्गदर्शन चाहिए, वह मेरे कामों से अपने आप मिल जायगा। ओवर ही अन्हें प्रेरणा देगा। अउनका, बिना किसी संस्था के ही संगठन हो जायगा।

जाजूजी—जो लोग राजकारण में हैं, वे संघ के सदस्य नहीं रहेंगे, यह तो तयशुदा समझना चाहिये। अब संघ का आगे क्या हो, इसका विचार करना है।

दादा धर्माधिकारी—हम इस संघ को आज बन्द कर दें। आगे फिर यह जो कमेटी बनेवाली है, वह आवश्यक समझे तो अेक नया संघ बना ले।

शांकरराव देव—में दादा की सूचना का समर्थन करता हूं। जो राजकारण में पड़े हैं वे संघ के सदस्य न रहें, और बाकी के सदस्यों का संघ कायम रहे, अैसा पंक्तिप्रबंध करना ठीक नहीं है।

गांधीजी—हम इस बात को न भूलें कि जो लोग राजकारण में पड़े हैं, अउनका संघ में न रखने में हम कोअी पंक्तिभेद नहीं कर रहे हैं। हम तो संघ के नाते राजकारण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अगर हम राजकारण में पड़नेवालों को दूसरों की अपेक्षा कम दर्जे के समझते, तो अउनको भी राजकारण में नहीं रहने देते। लेकिन हम तो अुन्हे राजकारण से हटने को नहीं कह रहे हैं।

शांकरराव—यह सारा धर्मसंकट इसलिये पैदा होता है कि हम संघ के सदस्य रहते अुअे राजकारण में भाग लेते हैं। इसलिये बापूजी ने संघ का वर्तमान रूप बदल देने की कल्पना पेश की है। संघ का आज का जो रूप है, वह अुसका मौलिक रूप नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि इसका आज का रूप समेट कर अुसे फिर अुसके मौलिक रूप में रखें।

गांधीजी—वैसा कीजिये।

शांकरराव—हम राजकारण में संघ के सदस्य रह कर हिस्सा लेते हैं, इससे संघ के खिलाफ बातावरण पैदा होता है। इसलिये हमें संघ में नहीं रहना चाहिये। राजकारण ही छोड़ देने के लिये पर्याप्त कारण नहीं है। जो लोग यह महसूस करेंगे कि वे सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को राजकारण में रह कर नहीं निबाह सकते, वे राजकारण को छोड़ देंगे।

दादा धर्माधिकारी—जो राजकारण में भाग लेते हैं, वे तो संघ से निकल जायेंगे, परंतु क्या फिर संघ अउनका रह जायगा, जो राजकारण में भाग नहीं लेते ? मौजूदा सदस्यों में से आज जो राजकारण में नहीं हैं, वे किन कारणों से वहाँ नहीं हैं, यह हम नहीं जानते। आज यह कहना मुश्किल है कि अउनकी रचनात्मक कार्य में ही अधिक श्रद्धा है, इसलिये वे राजकारण में नहीं हैं। सिर्फ जो लोग राजकारण में हैं, वे संघ से अलग हो जायें और शेष अुसमें बने रहें, यह बात में अुचित नहीं समझता। तब तो संघ ज्यों-का-त्यों बना रहता है; केवल राजकारण में हिस्सा लेनेवाले लोग अुसमें से निकल जाते हैं। संघ के स्वतंत्र कार्यक्षेत्र की बापूजी की जो कल्पना है, वह इससे सिद्ध नहीं होती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संघ का ही अुपसंहार कर दिया जाय और फिर अेक नये संघ का अुपक्रम किया जाय।

शांकरराव—में समझता हूं कि हम संघ में राजनैतिक कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रखना चाहते, आदि गीण बातों को छोड़ दें। ये सब दीगर कारण हैं। संघ के अुपसंहार का बापूजी का अन्तिम और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस संघ के द्वारा संगठित रूप से अहिंसा

का प्रयोग करके देखने पर अब हमें यह अनुभव हुआ है कि संघ को जिस रूप में रख कर हम संगठित प्रयोग नहीं कर सकते। जिसलिसे हम व्यक्तियों को राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र कर देते हैं। मैं समझता हूँ हम जिस चीज को जिस प्रकार रखें तो अधिक अच्छा होगा।

मगनभाभी—राजकारण में सत्ता के लिये स्पर्धा होती है और अस्वभाव से भीष्मिका पैदा होती है; जिसलिसे आप संघ के सदस्यों को राजकारण से हट जाने के लिये, या जो राजकारण में है अन्हें संघ से हट जाने के लिये, कहते हैं। लेकिन जिन्हें सत्ता के लिये ही स्पर्धा करनी है, वे रचनात्मक कार्य में भी वही करेंगे। रचनात्मक कार्य में सत्ता के लिये स्पर्धा और भीष्मिका या द्वेष न हो असी बात तो आज भी नहीं है। केवल रचनात्मक कार्य करनेवालों के लिये किसी खास संशोधक (खोज करनेवाली) संस्था की भी आवश्यकता मैं नहीं देखता। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाले लोग अपनी अपनी संस्था में रह कर खोजबीन करते रहेंगे। अन्हें अगर कोअी कठिनाअी होगी, तो वे अस्व विभाग के प्रमुख व्यक्ति से, यानी अपने मंडलेश्वर से, पूछ लेंगे। या जिस व्यक्ति पर अउनकी विशेष श्रद्धा होगी, अस्वमें मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अदाहरणार्थ, मैं विद्यापीठ में काम करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्पा के क्षेत्र में संशोधन करने की आवश्यकता तो मुझे अपना कार्य करते अुझे ही प्रनीत होगी। असीमें से वह शक्ति पैदा होगी। मुझे किसी विषय में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो मैं अपनी संस्था के प्रमुख से प्राप्त करूंगा, या अगर अस्वमें वह शक्ति न हो तो जिनके प्रति मेरी श्रद्धा होगी, जैसे किशोरलालभाअी है, बापूजी हैं, या फिर धोत्रे, दादा है, अस्वसे पूछूंगा। अस्वके लिये किसी संस्था की जरूरत नहीं है। संशोधन करनेवाली अेक संस्था अगर आप बना लेंगे, तो वह छोटे-बड़े संशोधन करती रहेगी और दूसरी संस्थाओं पर नाहक अुकूमत्त करेगी। संशोधन के अलावा सत्य और अहिंसा से अनुसंधान करना भी अस्वका काम होगा। तो वह अेक वरिष्ठ नैतिक सत्ता (सुपीरियर मॉरल अथॉरिटी) हो जायगी। असी वरिष्ठ सत्ता के लिये मैं कोअी गुजाअिष नहीं देखता। मेरी राय में १९३८ के साल में आपने संघ को जो नया रूप दिया असीको आप आज रद्द कर रहे हैं। और जब हम यह साफ देख रहे हैं कि अस्व हालत में अस्वके लिये कोअी खास काम नहीं रह जाता, तो अस्वका विसर्जन ही क्यों न कर दें ?

गांधीजी—मगनभाअी, मैं तुम्हारा कहना समझ गया हूँ। यहाँ तुम्हारी बात कुछ अप्रस्तुत-सी हो जाती है। कृष्णन् नायर ने अस्व दिन ठीक ही कहा कि यह तो केवल अेक संशोधन करने-वाली संस्था रहेगी। वह अपने संशोधनों का नतीजा लोगों के सामने पेश करेगी। जो अस्वसे फायदा अठाना चाहें वे अठायें। जो अस्वसे अुपयोगी न समझें वे अस्वसे न लें। यहाँ किसी पर अुकूमत्त करने का सवाल ही नहीं आता। 'सुपीरियर मॉरल अथॉरिटी' जैसी कोअी बात अस्वके पीछे है ही नहीं। जब अुकूमत्त करने की कोअी बात ही नहीं तो अस्वमें से झगडा पैदा ही कैसे हो सकता है ?

अरखा संघ अदि रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं में थोडा-अहुत वैमनस्य, या अधिकार का अुरुपयोग, अथवा सत्ता का अभिमान, हो सकता है। लेकिन जिसे हम सत्ता का राजकारण कहते हैं, वह वहाँ कहाँ है ? वह कोअी अुनाव से बनी अुअी प्रातिनिधिक संस्था नहीं है। जैसे बैंक होती है, वैसी ही वह अेक संस्था है। अस्वमें सत्ता का राजकारण कहाँ से आया ? काँग्रेस व्यापक संस्था है, वह करोड़ों की संस्था है। वह अेक प्रातिनिधिक संगठन है। वहाँ सत्ता के राजकारण के लिये पूरी पूरी गुजाअिष है। आज गांधी सेवा संघ के पास अितनी शक्ति या सामग्री नहीं है कि वह सत्ता के राजकारण में अी संघ की हैसियत से प्रवेश करे। जिसलिसे अस्व

कहते हैं कि राजकारण में प्रत्यक्ष भाग लेनेवाले व्यक्ति संघ में न रहें। हम यह कब कहते हैं कि वे राजकारण छोड़ दें? अगर वे देखें कि उनके वहाँ रहने से कौमी सेवा तो नहीं होती, बल्कि जहर-ही-जहर फैलता है, तो उन्हें वहाँ से हट जाना होगा। लेकिन आज तो हम उनसे अतना ही कहते हैं कि संघ के नाते वे वहाँ न जायें। अतना अक्रार तो हमें करना ही है।

तब यह सवाल होता है कि फिर संघ कौन-से रूप में रहे? वह रूप मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरा कौमी तरीका मेरे खयाल में नहीं आता। जो दूसरी प्रवृत्तियाँ करना चाहते हैं वे अलग रह कर सकते हैं; जैसे राजकारण का अध्ययन है। वह मेरे क्षेत्र में नहीं आता। मैंने नजदीक तो रचनात्मक कार्य का स्वराज्य से अनुसंधान करना ही सच्चा राजकारण है। जिसे लोग राजकारण कहते हैं, उसका अभ्यास तो मैंने कभी नहीं किया। दक्षिण आफ्रिका में भी मैंने आन्दोलन चलाया, लेकिन राजकारण का अभ्यास नहीं किया। जो मैंने किया वही मेरा राजकारण था। मैं यह तो नहीं कहता कि मैंने राजकारण में हिस्सा ही नहीं लिया। हिन्दुस्तान में आया, तो नसीब से काँग्रेस की बागडोर ही मेरे हाथ में आ गयी। उसके द्वारा जब तक सेवा कर सका तब तक वहाँ रहा। बाद में वहाँ से हट गया। मैं समझता हूँ कि मैंने काँग्रेस से हट कर बड़ी भारी सेवा की। यह मेरी अहिंसावृत्ति थी। मेरी अहिंसावृत्ति ने काफी काम कर लिया। मेरे हट जाने पर भी काँग्रेस में अहिंसा का स्थान रहा। अब काँग्रेस का जितना राजकारण है, वह राजेन्द्रबाबू, वल्लभभाभी, पर छोड़ देता हूँ। अगर वे देखें कि उनके वहाँ रहने से जहर पैदा होता है, तो वे भी हट जायें। लेकिन हटना आसान बात नहीं है। लोग उनसे कहें कि तुम्हें तो रहना है, काँग्रेस और उसके अध्यक्ष उनका वहाँ रहना जरूरी समझें, तो उनके लिये वहाँ से हटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस हालत में उन्हें मध्य में न रहना चाहिये।

हमें संघ को सत्ता के राजकारण से और दलबन्दी से अस्पृष्ट (अलिप्त) रखना है। हमें तो मुनि (मीनी) बन कर काम करना है। तब सच्चा राजकारण शुरू होगा। रचनात्मक काम अतना व्यापक है, उसके अभ्यासी बनें। उस क्षेत्र में संशोधन (गवेषणा) और आविष्कार करें। यह बोध शंकरलाल नहीं अुठा सकता। संघ के लिये यही कार्यक्रम मेरे पास है। जो कुछ मेरे पास है, वही तो मैं कह सकता हूँ। अहिंसा के प्रयोग का अेक नया क्षेत्र आपके सामने खुल जाता है। उसे आप चाहे जितना बढा सकते हैं। न बढा सके तो अतना ही काफी है। आपके कार्य से दूसरों को भी संशोधन की प्रेरणा मिलेगी। मैं मामूली शांघ (आविष्कार) की बात नहीं कह रहा हूँ। चाहे जैसे शोधों से थोड़े ही मूझे संतोष होनेवाला है? जिसके पास कौमी बड़ी भारी वस्तु होगी, वही उसे जगत के सामने रखे। वह चीज अँसी अनोखी हो कि जगत देख कर आश्चर्यचकित हो जाय। अँसा संघ बनाने के लिये आदमी भी अँसे ही चाहिये, जो अिसी कार्य के पीछे पागल हो जायें।

मैंने सीधी-सादी भाषा में सारी बात आपके सामने रख दी। हमें जो कुछ करना है वह सत्ता के ओर दलबन्दी के राजकारण से अलिप्त रह कर करना है। सारे देश का राजकारण काँग्रेस चलाती है। हममें से जो उसकी बमेटियों में रह कर सेवा करना चाहते हैं, वे अब से संघ में नहीं रहेंगे। सविनय अंग की नयारी काँग्रेस के बाहर रह कर भी हो सकती है। काँग्रेस सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, अतलिये अुपे अपने कार्यक्रम और प्रस्तावों में देश का मत प्रतिबिंबित करना पडा है। हमें तो अपने स्वतंत्र क्षेत्र में मूकभाव से सेवा और खोज करनी है।

छुष्ण नायर—संघ के रहने से अंक डर यह भी है कि कहीं आपका अंक संप्रदाय न बन जाय। जिस प्रकार दलबन्दी के राजकारण से हम घबड़ाते हैं, उसी तरह किसी संघ के रूप में आपके नाम से कोबी संप्रदाय बनाने से भी घबड़ाना चाहिये। आपकी जिन्दगी में ही आपके नाम से चलनेवाले इस संघ ने कोबी विशिष्ट कार्य नहीं कर दिखाया है। तो आपके बाद क्या होगा, कीन जानता है? जिसलिये संघ को तोड़ देना ही अच्छा है।

गांधीजी—संप्रदाय बन जाने का डर तो है ही। इस विषय में मुझसे जितनी हो सकती है, अतनी सावधानी ले लेता हूँ।

पुंडलीकजी—संघ की हैसियत से सत्ता के राजकारण में प्रवेश न करने के मानी क्या यह है कि सत्ता का राजकारण ही बुरी चीज है? संघ के बाहर रह कर हम शुद्ध साधनों से सत्ता का राजकारण क्यों न करें? दुनिया को यह क्यों न दिखा दें कि अच्छे-से-अच्छे साधनों से भी सत्ता का राजकारण किया जा सकता है?

गांधीजी—संघ में रहते हुए हम सत्ता के राजकारण में न पड़ें। व्यक्ति भी करें, या न करें, इसके विषय में आज मैं अपना मत नहीं दे सकता। उसके लिये मेरे पास काफी सामग्री नहीं है। मैं नहीं जानता कि जो सत्ता ग्रहण करते हैं, वे अहिंसा को कहीं तक निबाहते हैं? सत्य की कहीं तक रक्षा करते हैं? सत्ता के राजकारण में आप हिंसा लेंगे, तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी। आप कहीं तक अशुद्ध होते हैं, यह मैं नहीं कह सकता। वल्लभभाभी राजकारण में रह कर प्रयोग कर रहे हैं। जब उनको अंसा लगेगा कि उनका वहाँ रहना अशुचित नहीं है, तो वे छोड़ देंगे। इस विषय में संघ कोबी जवाबदारी नहीं लेना चाहता। हर अंक व्यक्ति के दिल पर छोड़ दिया जाता है। हर अंक अपने हृदय को प्रमाण माने। उस विषय में दूसरा कोबी शरूत निर्णय नहीं दे सकता। अदाहरणार्थ, वल्लभभाभी काम करते हैं; उनके दिल का हाल मैं नहीं जानता। मैं न वल्लभभाभी के हृदय को जानता हूँ, न आपके। मैं अशुद्ध थांडे ही हूँ?

स्वामी आनंद—रूल रीकन्स्ट्रक्शन बोर्ड (ग्रामसुधार मंडल) सरकार ने बनाये हैं। क्या उनमें से भी हट जायें? दो साल के बाद ये बोर्ड चुनाव से बनेंगे। बम्बई के बोर्ड का चुनाव छह महीने के बाद होगा।

गांधीजी—जब तक वहाँ सत्ता का राजकारण नहीं है, तब तक रहें। अगर सत्ता का राजकारण आ जाय तो छोड़ दें। यह अपने अपने लिये स्वतंत्र रीति से निर्णय करने की बात है।

गांधी सेवा संघ सम्मेलन,
मालिकान्दा, ता० २२-२-४० }

काश हम अपने विशिष्ट ग्रह भुला सकते !

[हणमन्तराव कौजलगी]

असने अपने घर से आया हुआ अके तार मुझे दिखाया। घर असका मैसूर-राज्य में था। तार में असकी औरत के सख्त बीमार होने की खबर थी और उसे फोरन् घर आने के लिये कहा गया था। मैंने उसे तार का मजमून समझाया और कहा कि अमुमें और कोओ बात नहीं है। असे मानवीय सहानुभूति की जरूरत मालूम होनी थी। अमुके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये मैंने सहजभाव से अितना ही कहा कि शायद आपके चरवाले नाहक घबरा गये होंगे; बीमारी बहुत सख्त न होगी। अस तरह हममें दोस्ती हो गयी और हम अक-दूसरे के साथ दोस्ती-सा व्यवहार करने लगे।

यह घटना बंबई और पूना के बीच रेलगाडी में हुई। कल्याण के स्टेशन पर वह चाय पीने के लिये अतरा था। दूसरा अके मुसाफिर आ कर असकी जगह पर बैठ गया और जगह खाली करने से अतिकार करने लगा। मैंने जबरदस्ती जगह पर कब्जा करनेवाले व्यक्ति को समझा-बुझा कर जगह खाली करवा ली। इससे हम दोनों में घनिष्ठता बढी और हम अक-दूसरे की मदद करने के लिये खोजने लगे।

पूना स्टेशन पर रामन्ना ने—मेरे सफर के साथी का यही नाम था—मुझे अपना ट्रक और बिस्तर हुबली की गाडी में रखने में सहायता दी। गाडी में हमने साथ साथ भोजन किया और अपना असबाब अस तरह रखा कि हम दोनों को दोपहर की सवकी लेने के लिये काफी जगह मिली।

मिरज के स्टेशन पर दूसरे मुसाफिर आये और हमारे कमरे की खाली जगह पर बैठ गये।

मैंने अपना बिस्तर खोल कर अके पूरे बेंच पर कब्जा जमा लिया था। नये मुसाफिरों ने मुझसे बड़े प्रेम से कहा कि अुनके लिये मैं तकलीफ न करूँ। वे और रामन्ना दूसरी बेंच पर बैठ गये। अके पूरी की पूरी बेंच पर कब्जा करने के लिये मैंने अुनसे माफी चाही और कहा कि मैं कलकत्ते से आ रहा हूँ, असलिये दो-तीन रात मुझे आराम नहीं मिला। नये आये हुअे मुसाफिरों में अके मुसलमान युवक था। वह हुबली जा रहा था। अुसने मुझसे कहा कि मैं रेल में सो ही नहीं सकता; असलिये अगर बैठे बैठे ही सफर पूरा करनी पड़े तो भी कोओ मुजायका नहीं। जब अुसने देखा कि हमारे कमरे की आबहुवा मुवाफिक है तो वह अपनी बीबी को जताना-डिब्बे में से हमारे डिब्बे में ले आया। असकी बीबी अभी करीब करीब लडकी ही थी। मैंने यह भी जान लिया कि वह गर्भिणी है और असलिये असका पति अुमे ज्यादा से ज्यादा आराम देना चाहता है। अुन्हें अक-दूसरे के आराम की जो फिक थी वह दिन को आनन्द देनेवाली थी, और, जाने क्यों, अुमने मुझे भवभूति के अुत्तररामचरित्र के पहले अंक की याद दिलायी। अुनके लिये मेरे दिल में सहानुभूति पैदा हुई और जी चाहने लगा कि अुनकी कुछ सेवा करूँ।

अिसी बीच मैं रामन्ना अक दूसरे मुसाफिर की अनोचना कर रहा था, जिम्ने प्लैटफॉर्म पर खड़े अके पुलीस सब-अिन्स्पेक्टर को सलाम कर लिया था। रामन्ना कह रहा था 'ये पुलीसवाले कुछ अजीब होते हैं। अस बेरहम दुनिया में हमारे सलामों का भी गलत

अर्थ लगाया जाता है। ये पुलीसवाले समझते हैं कि जो अन्हें बिना किसी वजह के सलाम करता है, उसके साथ जरूर कुछ-न-कुछ दाल में काला है। जिसलिए हमें अपने सलामों की खैरात नहीं करनी चाहिये। मैंने रामन्ना को मुसकराकर बुत्तेजन दिया। वह कहने लगा, "बोरी-बंदर स्टेशन पर अेक कान्स्टेबिल मेरे पास आया और दोपहर की चाय के लिये दो आने मँगने लगा। महज शराफत के खानिर मैंने उसे दो आने दे दिये। दूसरे दिन वे हजरत फिर मेरे पास आये और मेरे नंबर, लाजिमेन्स, लाजिसेन्स की तारीख वगैरा की जाँच-पड़ताल करने लग। अन्होंने जो पूछा मैंने दिखा दिया और कह दिया कि मुझे किमी पुलीस के सिपाही या अफसर से डरने की कोअी वजह नहीं है। तबसे मैंने अपने दिल में पक्की ठान ली है कि पुलीस-वालों को दूर से ही नमस्कार है"। रामन्ना की बात पर सब कोअी हँसे और वह सभी को भायी। तभी मुझे मालूम हुआ कि रामन्ना बंबअी में अेक विकटोरियावाला है। बातों बातों में मुझे यह भी पता चला कि मुसलमान नवयुवक की हुबली में अेक चाय की दूकान है।

असकी बीबी को प्यास लग आयी; पर वह

मिरज स्टेशन पर पानी भर लाना भूल गया था। खुशकिस्मती से मैं आने लोटे में थोड़ा-सा पानी लाया था और अूम युवक से उसे बने को कहा। मुझे जिसकी बडी खुशी हुअी कि मैं अुन त्रिवाहित प्रेमियों की कुछ थोडी सेवा कर सका।

मैं देख रहा था कि अब्दुल (मैंने उसका यही नाम रख लिया है) चाहता था कि उसकी बीबी जरा देर लेट सके। लेकिन जगह की तंगी से वह मजबूर थी। मैंने अपनी बेच पर थोडी-सी जगह कर दी और अब्दुल से अपने पास बैठने को कहा। लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अुस युवती ने अुसे लेटने पर मजबूर किया और आप बिना-हिच-किचाहट मेरी बेच पर आ कर बैठ गयी। प्रेम की लीला अैसी है !

अिस सफ़र मे मेरे दिल पर सबसे गहरी छाप अिस बात की पडी कि हमारी जातियाँ, धर्म और रनबे में फर्क होते हुअे भी अिन बानों ने हमारी मित्रता होने में रुकावट नहीं डाली। सच तो यह है कि अिस भावना के सिवाय कि "हम सभ्य मनुष्य है," दूसरी किसी चीज का हमें होश ही नहीं था।

विघ्नरूप धर्म

पाश्चात्य देशों के आपसी झगड़ों की ये मिसाले अेक हद तक हमारी राष्ट्रीय कमजोरियों को समझने में मददगार हो सकती हैं, लेकिन अुनका पूर्णरूप से समर्थन कभी नहीं कर सकतीं। क्योंकि यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में हिन्दू और मुसलमानों को अेक दूसरे से अलग करनेवाली रेखा बहुत ही कठोर है। जहाँ सत्य का परित्याग होता है, वहाँ पाप और अुसके साथ दण्ड आ ही जाता है। धर्म हृदय में रहने के बदले, कंठ किये हुअे वाक्यों और बाहरी कर्म-कांड पर ही जब अधिक जोर देने लगता है, तो वह शान्ति के रास्ते में सबसे बड़ा विघ्न हो जाता है।

मॉडर्न रिव्यू,
जनवरी, १९४० }

—रबीन्द्रनाथ ठाकुर

सेवाग्राम की खादी-यात्रा

वर्षा सहस्रों की खादी-यात्रा प्रति वर्ष किसी-किसी देहात में होती है। जिस साल सेवाग्राम में हुआ। यात्रा के सभापति श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू थे। सभापति के नाते भाषण देते हुए श्री जाजूजी ने चरखा, खादी और कातने का स्वराज्य से संबंध समझाया। जिस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 'जड़वत् सूत कातने से या केवल खादी पहनने से लाभ नहीं होगा। वे चीजें जिन सिद्धान्तों की और गुणों की प्रतीक हैं, उन गुणों का हम अपनेमें विकास करने का यत्न करेंगे तभी खादी आदि के लिये जो दावा किया जाता है वह सार्थक होगा।

माला तो कर मे फिरे जीभ फिरें मुँह माहीं।

मनुवा तो दहुदिस फिरे, यह तो मुमिरन माहीं।

जिस प्रकार के नामस्मरण से मोक्ष नहीं मिलता। उसी प्रकार जड़वत् कातने से या खादी बरतने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। चरखा और खादी दो मुख्य गुणों के प्रतीक हैं— (१) शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा, (२) गरीबों से प्रेम।

१. शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा—यह शब्द-समूह 'डिगनिटी ऑफ़ लेबर' का अनुवाद है। लेकिन मेरे मत से 'श्रम की प्रतिष्ठा' के बदले 'श्रम के प्रति प्रेम' पैदा होना जरूरी है। आज जहाँतहाँ श्रम टालने की कोशिशें हो रही हैं।

२. गरीबों से प्रेम—हिन्दुस्तान करोड़ों दरिद्र लोगों का देश है। उनसे अनुसन्धान और बन्धुत्व कायम करने के लिये हमें भी अन्हींके समान परिश्रम करना चाहिये। यदि हम उनसे बन्धु-भाव कायम नहीं करेंगे, तो याद रहे, आगे बड़े बिकट दिन आनेवाले हैं। जो उनसे सीधी तरह पेश नहीं आयेगे वे सीधे कर दिये जायेंगे। उनसे बन्धुत्व कायम करने का एकमात्र मार्ग है चरखा

कातना। बमावटी प्रेम टिक नहीं सकता। प्रेम में सच्चायी होनी चाहिये। चरखा गरीबों के प्रति हमारे प्रेम का सबूत है। जिसलिये वह अहिंसा और सत्य का प्रतीक है।

हिन्दुस्तान में असंख्य भेद हैं। उसके कल्याण का अहिंसा के सिवा दूसरा कोई समर्थ मार्ग ही नहीं है। चरखा अविरोध की नींव पर आधार रखनेवाली अर्थ-व्यवस्था का प्रतिनिधि है। जिसलिये वह अहिंसा का भी प्रतीक है"।

* * * *

श्री काका साहब कालेलकर ने निम्न-आशय का भाषण दिया:—

"भाषण देना मेरी प्रकृति में नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे भाषण देने पड़ते हैं। सम्भाषण मुझे कुछ कुछ आता है, जिसलिये मुझे सम्भाषण करते देख कर लोग कभी बार भाषण देने के लिये भी पकड़ कर ले जाते हैं। मैं भी निःसंकोच चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे मुझे दुबारा नहीं बुलाते। परंतु, यहाँ आने में मुझे कुछ संकोच हुआ। कारण, यहाँ बिना बहम किये अपासना करनेवाल अकेल होते हैं। यह अपासना-भूमि है। विनोबा की तरह जिन्होंने खादी की अपासना की हो, अन्हींका यहाँ अधिकार है। मैं उनमें से नहीं हूँ। जिसलिये यहाँ कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन, फिर भी, शायद आप यह सुनना चाहते थे कि अके साधारण मनुष्य के दिल पर खादी का क्या असर हुआ है, जिसलिये मुझे यहाँ बुलाया गया है। साबरमती आश्रम में विनोबा और मैं साथ-ही-साथ भरती हुईं। दोनों साथ-ही-साथ गांधीजी का तत्त्वज्ञान सीखे। वे सेवा करते हैं, मैं सेवा का दंभ करता हूँ। अके बार बात-

चीत के सिलसिले में अन्होंने सहज ही अेक मजेदार कहावत सुनायी—‘अिक साधे सब साधे, सब साधे सब जाय ।’

अिस कहावत के पूर्वार्ध की साधना विनोबा ने की; और अुत्तरार्ध मुझे नसीब हुआ है। अन्होंने अेक खादी को अपनाया और अुसके द्वारा दूसरी सारी बातें आत्मसात् कीं। मैंने सभी चीजों से प्रेम किया; लेकिन मुझे अेक भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह अनुभव आप लोगों को मार्गदर्शक हों।

खादी का विचार दो पहलुओं से किया जा सकता है—(१) आत्म-शुद्धि, (२) संसार में न्याय का साम्राज्य। दोनों रीतियों से हम अेक ही परिणाम पर पहुँचते हैं—स्वावलंबन।

पुराने जमाने में युद्ध अिसलिये होते थे कि कोअी राजा किसी राजकन्या को हर लेना था, या किसीको ज़मीन की अमिलपा होती थी। आगे चल कर कोयला, तेल, गेहूँ, आदि वस्तुओं के लिये, या जन-संख्या की सुविधा के लिये, युद्ध होने लगे। आज तो कल्पनाओं के लिये भी युद्ध होते पाये जाते हैं।

संसार की राजव्यवस्था कैसी हो अिसके लिये युद्ध होते हैं। परंतु स्वार्थ की भावना प्रबल होने से वे निरर्थक सिद्ध होते हैं। अभी अभी तक जर्मनी रूस का कट्टर दुश्मन था; लेकिन आज वही स्वार्थवश मित्र हो गया है।

संसार में अिस समय दो ‘वाद’ पाये जाते हैं—अेक साम्राज्यवाद और दूसरा साम्यवाद। फॉसिजम और नाजीजम तो सरासर साम्राज्यवाद ही हैं। अिलैंड भी बडी धूर्ततापूर्वक अुसी रास्ते जा रहा है। ये सब अक ही से हैं। सिर्फ रूस साम्यवादी है। वह धनी-गरीब, मालिक-मजदूर, आदि भेद मिटाने का यत्न कर रहा है। अपना विचार करते करते अुसे सारी दुनिया का विचार

करना पडा और अिसलिये वह सारे संसार में साम्यवाद का प्रचार करना चाहता है। लेकिन अुसने भी अेक पाप बाकी रक्खा है। अुसकी समता केवल साम्यवादी राष्ट्रों तक ही सीमित है। दूसरों पर अत्याचार करने में अुसे कोअी हिचकिचाहट नहीं होती। अिस प्रकार संसार में राष्ट्रवाद अथवा साम्राज्यवाद और आन्तर-राष्ट्रीय साम्यवाद पाये जाते हैं। लेकिन अिन दोनों से भिन्न और विलक्षण है गांधीजी का सर्वोदयवाद। हिन्दुस्तान ने अहिंसा का स्वीकार ‘असमर्थः भवेत्साधु’ बाले न्याय के अनुसार नहीं किया है। अहिंसा हिन्दुस्तान की जनता के खून ही में है। अिसीलिये अुसे गांधीजी की नीति भाती है। वह अुसे समझा भले ही न सके; लेकिन अुसकी बुद्धि में वह नीति बैठ गयी है। वह नीति गांधीजी की नहीं है; हिन्दुस्तान की है। लेकिन ये बीचवाले जो दलाल हैं, यानी नेता लोग, अुन्हें वह नहीं जँचती। हिन्दुस्तान के आदमी डरपोक नहीं हैं। अगर नेता न हो, तो वे असमंजस में पड जाते हैं। लेकिन संगठन-कुशल नेता मिलते ही वे प्रतीकार-समर्थ हो जाते हैं। हम बीचवाले मगर अंग्रेजों के दास हो गये हैं। हमें अहिंसा में विरवास नहीं है। और यही गांधीजी की असली कठिनायी है। अिसीलिये गांधीजी अिस बीचवाले वर्ग की मिन्नतें करते हैं। अुनको मनाना मानो कौंटों से फूल बनाने जैसा काम है।

पिछले दिनों मैसूर में जागतिक विद्यार्थी-परिषद हुआ थी। अुसके लिये मांट नामक अेक अमेरिकन सज्जन सभापति हो कर आये थे। अुन्होंने गांधीजी से मिलना चाहा। गांधीजी न जवाब दिया कि ‘रात के बचत दस मिनट के लिये मिल सकते हैं’। मैं विद्ययापी में था।

दस मिनट में यह साहब क्या पूछते हैं और गांधीजी उन्हें क्या जवाब देते हैं, यह सुनने के लिये मैं भी गया। शुरू में भुक्त सज्जन ने मिशनरियों के मामूली प्रश्न—यथा अस्पृश्यों का धर्मान्तर आदि—पूछे। बाद में उन्होंने अपने हृदय के दो खास सवाल पूछे। पहला प्रश्न था—'नितान्त निराशा में भी आशा देनेवाली, चैतन्य देनेवाली, चीज क्या है?' जवाब मिला 'हिन्दु-स्नान की जनता के साथ अितनी ज्यादातरियाँ हो रही हैं; फिर भी वह अहिंसा को नहीं छोड़ती, यह देख कर मुझे भीश्वर के अस्तित्व का विश्वास हो जाता है। जिसलिये मैं निराशा में से भी रास्ता निकाल लेता हूँ'। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया—'आपके दिल को बेचैन कर देनेवाली वस्तु कौन-सी है?' अन्तर में गांधीजी ने कहा—'भारत और संसार के शिक्पित लोगों के दिल पथरा गये हैं, यह'।

असोक-वन में रहनेवाली भीताजी के समान गांधी का तत्त्वज्ञान संसार के आमुरी वानावरण से घिरा हुआ है। संसार का विनाश होनेवाला नहीं है। अन्त में वह कल्याण के अेकमात्र मार्ग अहिंसा की ओर ही मुड़ेगा। अगर आप जिसका सबूत चाहते हैं तो सेवाश्रम के रास्ते पर झोपड़ी बना कर रहिये। संसार के विचारशील लोगों को नित्य गांधीजी के पास आते-जाते आप देखेंगे। उन्हें गांधीजी के स्वराज्य से कौभी सरोकार नहीं। लेकिन सभी राष्ट्रों के विचारवन्तों को यह आभास मिल गया है कि दुःख और निराशा का अिलाज गांधीजी को प्राप्त हो गया है। वे गांधीजी से पूछने आते हैं। जवाब में गांधीजी कहते हैं कि मेरे कार्यों का अध्ययन कीजिये। जिस अन्तर में नम्रता है और आत्मविश्वास भी है।

आज साम्राज्यवाद, साम्यवाद और गांधी के सर्वोदयवाद या अहिंसावाद में अहमहमिका हो रही

है। यूरोप की पद्धति तो सीधी विनाश की ओर ले जा रही है। अब 'साम्यवाद हो, या अहिंसावाद?' यही सवाल है। गांधीजी कहते हैं कि जब तक शोषण बंद नहीं होगा तब तक लडाइयों भी बन्द नहीं होंगी। शोषण को रोकिये; अन्यथा जीना दूभर हो जायगा। शोषण को रोकने का अुपाय है चरखा। हिन्दुस्तान के जैनी लोग और अमेरिका के क्वेकर अहिंसा को बहुत कम समझ पाये हैं। जैनों के लिये सूर्यास्त के बाद भोजन न करना और क्वेकरों के लिये फीज में भर्ती न होना ही अहिंसा है। ये जिसका विचार नहीं करते कि हम अितने धनवान कैसे हुअे? बिना हिंसा के, बिना शोषण के, कौभी श्रीमान् नहीं हो सवता। दीगर छोटी-मोटी बातें भले ही टल गयी हों; लेकिन यह मुख्य रोग ज्यों-का-त्यों कायम है। हिन्दु-स्तान के कुछ लोगों में धर्म का अुदय हुआ है, लेकिन सिर्फ विचारों में; आचार में नहीं। मजदूरों से और मसार के सभी लोगों से समानता का व्यवहार करना ही गांधीजी का मार्ग है। इसीका नाम जीवन-वेतन है। लेकिन लोगों को अिश्चयत है कि खादी महँगी है। 'कताअी महँगी हो लेकिन खादी सस्ती हो; गाय महँगी हो लेकिन दूध सस्ता हो'—यह अमत्कार कैसे किया जाय? जिसके अिलाज के लिये गांधीजी ने यज्ञ का बीच का रास्ता अीजाद किया है। यज्ञ की बदौलत ही अधर्म बन्द होता है। अगर यह यज्ञ हमारे दिमाग में बैठता हो, तब तो हम गांधीवादी हैं, वरना हिटलरवादी या स्टैलिनवादी हैं। जिस यज्ञ के अुत्सव के लिये, अेक-दूसरे की अुद्धा दूढ करने के लिये, हम जिस यात्रा में आते हैं। इसीलिये खादी-यात्रा स्वराज्य-यात्रा है।

(ग्राम-सेवा-वृत्त से अनुवादित)

कबूतर का गटरगूँ

छाया-सीता : छाया-संघ

आदरणीय सम्पादक भाभी,

सविनय पालागन ।

हाल ही में मैं अपने पिछले पत्र में साबरमती के नटवर्ती 'हृदयकुंज' के वीरान हो जाने पर औम् बहा चुका हूँ। अूस वक्त मुझे क्या पता था कि अितनी जल्दी मैं आपके सर्वोदय में ही मूनापन पाऊँगा। आश्रम की सारी स्थावर मंपत्ति को तिलाञ्जलि दे कर सारे आश्रमवासी मन्थाग्रह के मैदान में कूद पड़े थे। आज आप लोग भी सर्वोदय और मघ की तंत्र-यष्टि कायम रख कर अिधर-अधर बिखर गये हैं। मुनता हूँ कि अब अेक अमूर्त और अव्यक्त संघ रह गया है। हर नये मोके पर अगर कोभी अनोखी बान न कहें, तो बापूजी का नाम दूसरा। साहित्य के क्षेत्र में तो छायावाद और हालावाद का विवाद मुन मुन कर तबीयत अचा गयी है। रवि-याबू के प्रांत मुझे कुछ श्रद्धा रही, लेकिन अुन्हें भी बड़े बड़े लोग गूढ़वादी और छायावादी कहते हैं। बापूजी शान्ति-निकेतन में बहून ही थोड़े दिन रहे, अिसलिये मुझे यह डर नहीं था कि अिस छायावाद का संसर्ग अुन्हें भी लग जायगा। लेकिन मालिकान्दा में तो छाया की सीता और छाया के संघ की तारीफ के पुल बाँध दिये अुहोने। तो क्या सर्वोदय अब अिस छायामय संघ के छायामय सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता रहेगा? घन्य है सर्वोदय के संगदक-युगल की! मेरा मित्र कम्बुग्रीव आपकी भूरि भूरि प्रशंसा कर रहा था। जब अुसने देखा कि अब की बार नरहरिभाभी भी यहाँ से मालिकान्दा के लिये रवाना हो रहे हैं, तो अुसने भी देश की लंबाजी तापने की ठान ली। मालिकान्दा से लौटने ही कम्बुग्रीव बोला।

कम्बुग्रीव—मालिकान्दा का हाल तो तुम अखबारों में और महादेवभाजी के अुन रोचक पत्रों में पढ़ ही लिया होगा। लेकिन शायद तुम्हें अखबारों से सर्वोदय के सम्पादकों की अपरंपार महिमा का पता नहीं चला होगा।

मैं—गद्दी से अुतरनेवाले या गद्दी पर आ ड होनेवाले पुराने और नये अध्यक्ष, नये पुराने ट्रस्टी, मंघ के अथक मंत्री धोत्रेजी, प्रफुल्लबाबू और अुनके सहयोगी, बापू के अुपदेशों का नयापन, आदि की तारीफ करने के बदले तुम सर्वोदय के सम्पादकों का जिक्र क्यों करने लगे? अुन्होंने क्या करतब दिखाये? क्या तुम्हारा यह मनलब है कि अिन्हीं महानुभावों ने पत्रों के पीछे से संघ का संकोच करने का षड्यंत्र रचा था?

कम्बुग्रीव—अंसी बान तो नहीं हैं। यह मूख तो सोलह आने बापूजी की ही अपनी दीखती है। अुनके सिवा दूसरा कोभी अंसी बात कहने की हिम्मत भी करे तो अुसकी मुनेगा कौन? कुछ लोग बापूजी की नकल तो कर सकते हैं; लेकिन अुनने ही से वे बापूजी तो नहीं बन जाते? मैने तो यहाँ तक मुना है कि पिछले आन्दोलन के दिनों में कुछ लोगों ने बापूजी की तरह लँगोटी लगा कर अुनकी चाल-ढाल, खानपान, रहन-सहन की नकल अुतारना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अेकाध ने अपने सामनेवाले दो दाँत भी निकलवा दिये थ। यह तो मैं भी मानता हूँ कि आखिर मनुष्य के शरीर का अुसके मन पर कुछ-न-कुछ परिणाम होता ही है! कुछ लोगों की बुद्धि भी बापू के विचारों का अनुसरण करती है। लेकिन अितने से अुनका दिल बापू का दिल नहीं बन जाता।

घटनाओं की जो प्रतिक्रियाएँ बापू के दिल पर होती हैं, वे तो उनकी अपनी व्यक्तिगत ही होती हैं। मतलब यह कि यह सूझ तो बापूजी की ही थी; लेकिन अस्को शब्दबद्ध करने के लिये जो प्रस्ताव बनाया गया, उसे बार बार काका और दादा के हाथों में जाना पड़ता था। संघ का अंगुष्ठमात्र सूक्ष्म देह कायम रख कर अस्की स्थूल देह को छीलने और तराशने की वाक्यावली बनाने का कौशल अिन्हीं संपादक द्वयों का था। लेकिन, मैं तो अस्की दूसरी ही महत्ता से घबड़ा रहा हूँ।

मैं—वह क्या ?

कञ्जुप्रीक्ष—सवाजी भुइंडी को जिस सिफत से अन्होंने घुग्गूकाका के गले के नीचे अतरवा दिया वह तुम भूले तो नहीं हो? अगर आज सवाजी जिन्दा होता, तो अिन सयानों को वह खरीखरी सुमाता कि होश टेढ़े हो जाते अुनके। अितनी बडी संस्था को तहस-नहस कर दिया। मुझे भी यही डर है कि कहीं तुम्हारी-मेरी गटरगू अिसी तरह चलती रही तो मुझे भी सचाओ के रास्ते न जाना पडे। लेकिन बिना सचाओ को प्रकट किये भी तो रहा नहीं जाता! और नहीं तो अिम आश्रम के निकट रह कर बाहर ब्रतों नें से कम-से-कम सचाओ का पहला ब्रत निबाहना तो सीख ही लिया है। अब बताओ कि क्या यह कमतौहीन की बात है कि किशोरलालभाओ की गद्दी सम्हालने-बाला अेक भी व्यक्ति सारे संघ में नहीं मिला ? जिन किशोरलालभाओ को सचाओ महज अेक तोता समझता था और अुनके दिमाग पर व्यंग करता था, अुनकी भी बराबरी करनेवाला अेक नहीं निकला।

मैं—खैर, अिस बात को जाने दो। अुन डेढ़-दो सी कम-अक्ल संघवालों की तारीफ तुमसे फिर कभी सुनूँगा। अभी तो यह बताओ कि

संघ का प्रकट स्वरूप लीन कर देने में बापूजी की असली मनशा क्या है ?

कञ्जुप्रीक्ष—बापूजी की भाषा की यह विशेषता है कि वह जितनी स्पष्ट होती, है अुतनी ही अस्पष्ट भी होती है। जब अुनके हृदय में अुमंगों का वेग बहुत बढ़ जाता है, तो वे अँसी भाषा बोलते हैं, जिसे समझना दुस्वार हो जाता है। अपने दिल के किसी भेद को छिपाने की अुनकी ज़रा भी अिच्छानहीं होती। फिर भी, न मालूम क्यों, सुननेवाले अुनके शब्दों में रहस्य खोजने लगते हैं और यहाँ-वहाँ से कुछ वाक्य चुन चुन कर बाल की खाल निकालने में व्यस्त हो जाते हैं।

मैं—मैं भी अँसी ही अुलझन में पडा हूँ। सीताजी जब गुप्त हुआ, अुस प्रसंग का वर्णन तुलसीदासजी ने अिन शब्दों में किया :—

सुनहु प्रिया-व्रत रुचिर सुशीला ।
मैं कछु करब ललित नरलीला ॥
तुम पावक महुँ करहु निवासा ।
जब लगि करअँ निसाचरनासा ॥
जबहिँ राम सब कहैअु बखानी ।
प्रभु पद धरि हिय अनल समानी ॥
निज प्रतिबिंब राखि तहुँ सीता ।
तैसअि सील स्वरूप विनीता ॥
लक्ष्मण हू यह मर्म न जाना ।
जो कछु चरित रचेअु भगवाना ॥

यहाँ गुसाओजी ने 'मर्म' शब्द का प्रयोग किया है। बापूजी ने अिसी प्रसंग की अपुमा दी है। अिसलिये राज्य-शास्त्र-कोविदों को यह शंका हो रही है कि हो-न-हो छाया-सीता की तरह छाया-संघ में भी कोओ गहरा 'मर्म' अवश्य है। ताज्जुब नहीं कि अगर कोओ सनातनी यह भी कह बैठे कि अिसमें बापू का अिरादा किशोरलालभाओ को लुप्त करने के लिये सगुण अुपासना को नष्ट कर निर्गुण अुपासना जारी करने का है;

शीर जिसलिये वह अन्हें नास्तिक, मूर्ति-भंजक आदि अपाधियाँ देने लगे।

कम्बुध्रीष—पंडितों के दिमाग भूल-भुल्यो के नमने पर बने हुअे होते हैं। वे किसी बात का सीधी तरह विचार ही नहीं कर सकते। अउनकी बुद्धि सोंप की तरह बल खाती हुआ चलती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस दृष्टान्त में बापूजी का कोअी गूढ़ अर्थ नहीं है। अउनकी यह आदत है कि वे बात बात में तुलसी-रामायण और गीता का प्रमाण दिया करते हैं। सुनता हूँ कि वाल्मीकि-रामायण में तो छाया-सीता का पता तक नहीं है। लेकिन गुसाअीजी की मातृभक्ति यह सह नहीं सकी कि 'अखिल लोक ब्रह्माण्ड की माता'। जानकीजी को भी स्पर्श करने के बाद रावण जल कर लाक न हो जाय; जिसलिये अन्होंने यह छाया-सीता का प्रमथ अठायया है। अउनकी कथा सार-गभित और रोचक भी है। लेकिन बापूजी को सारी गने जरो-सी-त्पों थोडे ही याद रहती हैं? धे तो अउसके हृदय को ले लेने हैं। अन्हें तो यह भी याद नहीं कि सीताजी ने पाताल में प्रवेश नहीं किया। अउनसे तो रामचन्द्रजी ने 'तुम पावक महेँ करअु निवासा' कहा है। तुम्हारे सर्वोदय के सम्पादक काका साहब ही तो कअी बार कहा करते हैं कि बापूजी को जिसकी भी याद नहीं रहती की गंगाजी गंगोत्री से निकलती हैं या मान-सरोवर से। मेरा मतलब यह है कि जो राज-नीतिज्ञ बापूजी को अपने समान पण्डित समझते हैं, वे अउनकी बातों का ठीक ठीक अर्थ कभी कर ही नहीं सकते। वे तो बापूजी के सीधे-सादे और सरल व्यवहार में भी भूर्तता और कूटनीति खोजते फिरते हैं।

मैं—कोअी भी अपुमा या दृष्टान्त पूरा-का-पूरा लागू नहीं होता यह मैं भी मानता हूँ।

लेकिन छाया-संध और छाया-सीता में किस अंश में समानता है तो तो समझाओ।

कम्बुध्रीष—हाँ, यह पूछो। सुनो, राम की आज्ञा से सीता अग्नि में समा गयी और राम के अपुयोग के लिये अपना प्रतिबिम्ब छोड़ गयी। बापू की आज्ञा से संध भी पद्मा के विशाल अदर में समा गया और अउनके प्रयोगों के लिये अपना विधान तथा कार्यवाहक समिति छोड़ गया। सीताजी अग्नि में समा गयीं, अर्थात् पंचतत्त्व में घुलमिल गयीं; तिरोहित हो कर भी रामजी के सन्निध ही रहीं। संध भी सदस्य न रहनेवाले अनेक व्यक्तियों में गायब हो गया। लेकिन सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों के साथ अेकरूप हो गया। बापूजी ने संध का विसर्जन कर दिया; लेकिन अब वह सर्वत्र अउनके साथ रहेगा। रावण के अपवित्र स्पर्श के बाद भी सीता अकलंकित ही रही। सत्ता और सम्मान के रजिकारणके स्पर्श के बाद भी संध को बेदाग रखने की व्यवस्था हो गयी। छाया-सीता ने लक्षमण को युद्ध के लिये प्रेरित किया; हनुमान से अलौकिक पराक्रम कराया। अूसी तरह जब तक रचनात्मक कार्य चलता रहेगा, संध भी कौअ्रेस को पराक्रम की स्फूर्ति देगा और देशभक्तों से अहिंसक वीरता के चमत्कार करायेगा। अशोक-वनवासी सीता तपस्विनी रही जिसलिये असुरों की सेना का पराजय हुआ। जब तक बारह व्रतों के साथ हमारे आन्दोलन का अनुसंधान रहेगा, हमारी आसुरी वृत्तियों का भी नाश होगा। हनुमान की बताअी हुआ रामनामाङ्कित मुद्रिका देख कर सीता ने आत्म-हत्या का खयाल छोड़ दिया और अपना असली रूप धारण करने के लिये अुद्दयत हो गयी। संध भी किसी दिन सर्वोदय के मुद्रण से जाग्रत हो कर अपना असली रूप प्रकट करेगा। छाया-

सीता राम-रावण-युद्ध के बाद अग्नि में समा गयी और सच्ची सीता प्रकट हुई, जिसका रामचन्द्रजी ने स्वागत किया। परस्पर वैमनस्य और अंतःकलह की भाग में समाया हुआ संघ भी किसी दिन इस अग्नि-परीक्षा में अुत्तीर्ण हो कर बापूजी की बधाजी का पात्र होगा।

मैं—यह तो सारी तुम्हारे दिमाग की कला-बाजी है। सर्वोदय के संपादक ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग की बनावट पण्डितों के ढांचे की है। पता नहीं, बापूजी ने दरअसल ये सारी बातें सोची थी; या यह केवल तुम्हारे दिमाग की सरकस है।

कल्लुग्रीव—ये सारी बातें भविष्य ही सिद्ध करेगा। आश्रम में रह कर अनुभव से मेरी यह राय बन गयी है कि बापूजी कोभी धूर्त राजनीतिज्ञ नहीं है। वे तो सत्य की राह पर चलने की कोशिश करनेवाले अेक सीधे-सादे लेकिन सयाने आदमी हैं।

संपादक भाजी, कम्बुग्रीव की कुछ निरर्थक-सी लम्बी-चौड़ी गटरगू सेवा में भेज रहा हूँ। पता नहीं, वह क्या क्या कह गया। उसकी कभी बातें मेरी समझ से परे हैं। आपलोग तो पण्डित ठहरे! आप ही उसके शब्दों का अर्थ लगायिये।

आपका आज्ञाकारी

‘कल्लुगराम’

संघ-वृत्त

हमारे सम्मेलन

मालिकान्दा में गांधी सेवा संघ का रूप बदल दिया गया। उसके फल-स्वरूप मालिकान्दा में जिस प्रकार का सम्मेलन हुआ था, या गांधी सेवा संघ के जिस प्रकार के सम्मेलन अिन चार-पाँच वर्षों से होते आये थे, उस तरह के सम्मेलन भविष्य में होना संभव नहीं रहा। तथापि मालिकान्दा में आये हुअे बहुतेरे व्यक्तियों की यह राय रही कि किसी-न-किसी रूप में सम्मेलन होना आवश्यक है। चार प्रान्तों की ओर से सम्मेलन के लिये आग्रहपूर्वक आमंत्रण भी आये। इस त्रिषय का श्री किशोरलालभाजी, धोत्रेजी और मैने विचार किया तथा भविष्य के सम्मेलनों की कुछ रूपरेखा भी बनायी। पूज्य गांधीजी की सलाह भी ली गयी। बाद में वह योजना संघ के वर्तमान सदस्यों के पास अनुकी सम्मति के लिये भेजी गयी। उनमें से अधिकांश के अुत्तर आये। अिन सबका विचार करके सम्मेलन के त्रिषय में निम्न-लिखित

सूचनाओं प्रकाशित की जाती हैं :-

१. फिलहाल गांधी सेवा संघ के नाम से कोभी सम्मेलन न किया जाय।

२. सम्मेलन का स्वरूप अखिल भारतीय की जगह प्रान्तीय होना अिष्ट है। अिमसे स्वर्च कम होगा और कार्यकर्ताओं को काम की प्रेरणा मिलने में, अपना संगठन करने में, या अुसे मजबूत बनाने में अधिक सहायता मिलेगी। सम्मेलन में दूसरे प्रान्तों से कुछ गिने-चुने लोग भी बुलाये जा सकते हैं। परन्तु सम्मेलन का रूप प्रधानतया अैसा हो कि खुद अुस प्रान्त के सब रचनात्मक कार्यकर्ता अुसमें अुपस्थित रह सकें; चाहे फिर पहले कभी अुनका गांधी सेवा संघ से संबंध भले ही न रहा हो।

३. सम्मेलन के अिस स्वरूप के अनुसार अुसका नाम ‘रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन’ रखना अुचित जान पड़ता है। अुसका प्रान्तीय स्वरूप दर्शाने के लिये जिस प्रान्त का सम्मेलन हो अुस प्रान्त का नाम भी जोड़ दिया जाना

चाहिये। प्रान्तीय भाषा के अनुसार सम्मेलन के नाम में 'रचनात्मक कार्यकर्ता' की जगह उसी अर्थ के दूसरे शब्द रखने में बाधा नहीं है।

४. जो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होना चाहें उनके लिये यह शर्त रखना अप्रयुक्त होगा कि वे आदतन खादीधारी हों और नियमपूर्वक कातनेवाले हों। जो कार्यकर्ता गांधीजी के सिद्धान्तों की पूरी तरह न मानते हूँ भी अपनी अपनी दृष्टि से लगन के साथ रचनात्मक काम करते हैं उन्हें भी दर्शक की हैसियत से सम्मेलन में उपस्थित होने की तथा अपने विचार समझाने की सुविधा करा देने में कौमी हर्ज न समझा जाय। अतनी सावधानी अलवत्ता रखनी होगी कि कहीं वे विचार ही सम्मेलन की चर्चा के मुख्य विषय न बन जायें।

५. सम्मेलन में यह प्रबन्ध होना जरूरी मालूम होता है कि सारे प्रान्त में चलनेवाले रचनात्मक कार्यों का संक्षिप्त परन्तु संपूर्ण विवरण वहाँ आनेवालों को लिखित रूप में मिले। कार्य करने में कौन-सी कठिनाइयाँ आती हैं और वे किन अपायों से दूर की जा सकती हैं, इसका भी विवेचन हो। इसके अलावा दूसरे प्रान्तों के रचनात्मक कार्यों का भी विवरण हो। इस-लिये हर एक प्रान्त से दो-अके असे कार्यकर्ताओं को अवश्य बुलाया जाय, जो अपने प्रान्त के समग्र रचनात्मक कार्य का लिखित ब्योरा दे सकें।

६. सम्मेलन के साथ आम जनता के लिये प्रदर्शनी रखने से सम्मेलन को एक बड़े भारी मेले का रूप आ जाता है। इससे प्रबन्ध का काम बहुत बढ़ जाता है और घूमघाम के मारे ठोस कामों का गहरा विचार कम हो सकता है। इसलिये ऐसी प्रदर्शनियों का न होना अच्छा है। हाँ, सम्मेलन में सम्मिलित होनेवालों को वहाँ के विचार-विनिमय में जो सहायक

हो सकें असे विशेष शोषों का प्रदर्शन अवश्य कराना चाहिये।

७. ये सम्मेलन गांधी सेवा संघ की ओर से नहीं होंगे। वे अणु अणु प्रान्तों के कार्यकर्ताओं की ओर से कराये जायेंगे। सम्मेलन के प्रबन्धकों को संघ से मार्गदर्शन प्राप्त करने का हक होगा। खर्च की जिम्मेवारी प्रबन्धकों पर ही रहेगी। सम्मेलन का प्रबन्ध, भोजन, आदि सब—जैसा कि गांधीजी कहते आये हैं, अणु प्रकार का—सादा और आसान होना चाहिये। खर्च का बोझ सम्मेलन के प्रबन्धकों पर कितना रहे और सम्मेलन में शरीक होनेवालों पर कितना रहे इसका निर्णय प्रबन्धक ही करें। सम्मेलन का अधिवेशन पाँच दिनों से अधिक तक रखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

८. अक्त सूचनाओं से सम्मेलन के स्वरूप की प्रारंभिक भूमिका बनती है। अगर सम्मेलन बुलानेवाले अणुमें कुछ हेर-फेर करना चाहें, तो अणुका भी विचार किया जा सकता है। जब सम्मेलन करने का प्रत्यक्ष मौका आयेगा तब और भी नये नये प्रश्न उपस्थित होंगे। अणुका निर्णय प्रबन्धकों को करना होगा। परन्तु महत्त्व की बातों का निर्णय संघ से परामर्श लेने के बाद ही करना अप्रयोगी होगा। कारण, अणुसे सिद्धान्तों का ठीक ठीक पालन हो सकेगा और सम्मेलनों की नीति में समानता तथा स्थिरता रह सकेगी।

९. अक्त प्रकार के सम्मेलन भिन्न भिन्न प्रान्तों में अके ही वर्ष में अनेक हो सकते हैं। परंतु गांधीजी तो अके वर्ष में किसी अके ही सम्मेलन में शामिल हो सकेंगे। वे कहीं उपस्थित हो सकेंगे, इसका निर्णय अणुकी सलाह से करना होगा।

वर्षा, }
ता. २२.४.४० } श्रीकृष्णदास जाजू.
अध्यक्ष, गांधी सेवा संघ

सर्वोदय की दृष्टि

अहिंसा के कुछ पहलू

शरीर-धारण और दण्ड के लिये हिंसा

हिंसा-अहिंसा का सवाल हमारे बचपन में खाने-पीने के संबंध में ही भूठता था। जब श्रेष्णवों का दया-धर्म और प्रेम-धर्म हमारे जीवन में दाखिल हुआ तब, किसी भी व्यक्ति को अपने क्रोध से या कठोर वचन से दुःख पहुँचाने में भी हिंसा है और प्रिय और पथ्य वचन से और सेवा से सबको राजी रखने में अहिंसा है— अतना हम स्थूलरूप से समझ गये।

असके बाद अस प्रश्न ने अक नया ही रूप पकड़ा। 'जालिम को सजा देने के लिये, गुनहगार को दण्ड देने के लिये, भी हम हिंसा का आश्रय न करें'—यह खयाल गांधीजी ने हमारे सामने पेश किया। जलियानवाला बाग के बाद जो राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गांधीजी ने शुरू किया, अस्में यह खासियत थी कि गांधीजी जनरल डायर को सजा नहीं दिलाना चाहते थ। हिन्दु-स्तान के पैसे से जो पेन्शन डायर को मिलती थी अतनी बन्द कराने से और सरकार के डायर का दोषी होना स्वीकार करने से गांधीजी को संतोप था। अिसी दृष्टि और वृत्ति को गांधीजी ने देश से भी स्वीकार कराया।

अहिंसा के चार पहलू

निरामिष आहार करके पशुपक्षियों की हिंसा न करना अहिंसा का अक पहलू था। कठोरता को छोड़ कर सभों के साथ कोमलता से पेश आना अहिंसा का दूसरा पहलू था। अत्याचारी और गुनहगार को सजा न दे कर केवल असे दोषी जाहिर कर के ही संतोप मानना अहिंसा का तीसरा पहलू था। फिर "गुनहगार ने गुनाह किया, हत्या करने में वह सफल हुआ, या निष्फल हुआ,

किन्तु अन्त में वह राजपुरुषों के हाथ में आ गया। अब कानून की दुहायी दे कर हम असका बदला लें यह अचित है?—या केवल असे दोषी ठहरा कर छोड़ दें यही अच्छा है"?—यह अक महत्त्वपूर्ण प्रश्न, या पहलू, हमारे सामने आया।

अससे आगे बढ़ कर 'आत्म-रक्षा के लिये भी हम किसीकी हत्या करें या न करें, कहीं पर प्रतिहिंसा का प्रयोग करें या न करें'—यह महत्त्व का सवाल है।

आत्मरक्षणार्थ हिंसा

कुछ लोग यह कहते है कि पेट पालने के लिये जो हिंसा करनी पड़ती है असे तो सदोप नहीं समझना चाहिये, कम-से-कम असे क्यम्य तो समझना ही चाहिये। यह दृष्टि बहुत-से लोगों की है। 'अगर भरण-पोषण के लिये हिंसा जायज है, तो आत्म-रक्षा के लिये वह जायज क्यों नहीं है?'—यह सवाल स्वाभाविकतया भूठता है। और आत्म-रक्षा का सवाल अतना गूढ़ है कि आत्म-रक्षण किसे कहें और आक्रमण किसे कहें, असका निर्णय बड़े बड़े धर्मज्ञ पण्डित भी नहीं कर सकते। अगर अक सौप मेरे बगीचे में या घर में घुस जाये, तो मैं असे मारूँ या नहीं? न तो असने किसीको काटा है, न किसी पर आक्रमण किया है। तो भी लोग असे मार डालते हैं और कहते हैं कि शायद वह काट ले, शायद वह आक्रमण करे।

यह बात तो असी ही हुयी कि हलवायी की दूकान के सामने जो बच्चे खड़े हैं, वे मिठायी अठा कर खा जायेंगे अतनी संभावना के लिये अन्हें पकड़ कर कैद में भेजवा दिया जाये! आज

अंग्लैंड और जर्मनी—दोनों—आत्म-रक्षा के लिये लड़ रहे हैं। जापान भी शायद चीन से आत्म-रक्षा ही के लिये लड़ रहा है।

गांधीजी कहते हैं कि आत्म-रक्षा का प्रयत्न भी अहिंसक पद्धति से ही करना चाहिये। अपवाद के रूप में उनका अितना ही कहना है कि कायर बन कर भाग जाना और मन से हिंसा करते रहना ज्यादा बुरा है। जिसकी अपेक्षा निर्भय और बहादुर हो कर हिंसा करना भी अच्छा है; क्योंकि अुस रास्ते किसी-न-किसी दिन मनुष्य अहिंसा तक पहुँच जायगा।

जीवन में हिंसा और अहिंसा का स्थान

जब मैं अहिंसा का विचार करने लगता हूँ, तो मुझे गीता का वह बचन याद आता है, जहाँ भगवान ने कहा है कि यह दुनिया सत् और असत्, दोनों, तत्त्वों से बनी हुई है; दोनों भगवान की ही विभूतियाँ हैं। अुसी तरह जीवन में हिंसा और अहिंसा दोनों को स्थान है; किन्तु दोनों में यह भेद है कि हिंसा को जीवन में स्थान होते हुए भी अुसमें जीवन की कृतार्थता नहीं है। हिंसा को स्थान होते हुए भी अुसका समर्थन नहीं हो सकता। Violence is the fact of life, Non-violence is the law of life. Violence sometimes makes for life; Non-violence is the fulfilment of life.

(हिंसा जीवन की अेक वास्तविकता है, अहिंसा जीवन का धर्म है। हिंसा कभी कभी जीवन को निबाहती है; अहिंसा में जीवन की परिपूर्णता है।)

अैसी हालत में जिस प्रकार हम यह प्रार्थना करते हैं कि " हे प्रभो ! हमें असत् से सत् की

ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ "; अुसी तरह हमें यह भी प्रार्थना करनी होगी कि " हे भगवन्, हमें हिंसा से अहिंसा की ओर ले जा "। प्रारंभ तो हिंसा में ही है, अुसपर विजय पा कर हमें अहिंसा की ओर बढ़ना है।

अहिंसा का प्रथम अुद्दय

जब मैं सोचता हूँ कि अितिहास-पूर्व काल में, जब कि मनुष्य-प्राणी अग्नि सुलगाना भी नहीं जानता था और जब हाथी से भी बड़ी छिपकली बुनिया में घूमती थी और बड़े बड़े अजगर गाध, बेल जितने बड़े जानवरों को खा जाते थे तब, मनुष्य अपनी रक्षा किस अहिंसा से कर सकता था ? वहाँ जीने के लिये हिंसा अपरिहार्य ही थी। अहिंसा का ख्याल तक लोगों को नहीं था। अुस जमाने में दिन-रात अेक ही बात हर अेक के दिल में अुठती थी कि हम अपनी जान कैसे बचावें ? हमें आहार कैसे मिले ? औरों का ख्याल करने के वे दिन थे ही नहीं। किन्तु अैसे वायुमण्डल में भी माता के दिल में अपने बच्चों के प्रति प्रथम अहिंसा का ख्याल पैदा हुआ, बाद में स्वार्थ-त्याग का और बलिदान का। अुस जमाने में अगर हम सौंप, सिंह, हाथी, आदि जानवरों से बचने के लिये अहिंसा का ही प्रयोग करते, तो कौन जाने क्या नतीजा आता ?

आज हम मांसाहार के बिना जी सकते हैं। अेक जमाना था जब मनुष्य को यह विश्वास ही न था कि मांसाहार के बिना भी जीया जा सकता है। आज हम मानते हैं कि 'वनस्पति को मार कर खाये बिना हम जी ही नहीं सकते, और जिसलिये हमें वनस्पति की हिंसा को हिंसा नहीं समझना चाहिये।'

हिंसा के कुछ समाज-मान्य रूप

जिसी तरह आज हम सामाजिक जीवन सुरक्षित करने के लिये प्लेग आदि रोगों के जन्तुओं का नाश करने में कोबी दोष नहीं देखते। मच्छरों को और सटमलों को मारते समय किसीको यह खयाल नहीं होता कि अंसा करने का हमें कोबी अधिकार नहीं है।

गांधीजी ने भी जिस बात को स्वीकार किया है कि राष्ट्र-राष्ट्र के बीच अहिंसा का पालन करने का अतना आग्रही प्रचार करते हुए भी चोरों और लुटेरों के अपद्रव से बचने का और अतनपर अहिंसा का प्रभाव डालने का अतनके पास कोबी अुपाय या तरकीब नहीं है। आदमी जब मतवाले हो कर किसी शहर में खून-खराबी करने लगते हैं, या मकान जलाने लगते हैं, तब भी अतन-पर गोली न चलाने की सलाह जो गांधीजी देते हैं और कहते हैं कि अंसी हालत में चन्द शूर-वीरों को अपने प्राणों की परवाह न कर, मतवाली जनता के सामने अपना बलिदान देने के लिये जाना चाहिये; वे ही गांधीजी चोर और डाकुओं के साथ वैसा व्यवहार करने की सलाह नहीं देते। अतनत्स जनता चाहे जितनी पागल क्यों न हो, आखिर वह समाज की प्रतिनिधि है। किन्तु चोर और डाकू समाज की केवल विकृति ही हैं। जिसलिये चोरों और डाकुओं को समाज-प्रतिनिधि सरकार के द्वारा सजा दिलवाना जायज़ माना जाता है।

स्वाभाविक हिंसों का निग्रह

अब जो लोग लूट-खसोट का ही धन्धा करते हैं, आजीविका का दूसरा कोबी साधन जानते ही नहीं, अतनके द्वारा जो हिंसा होती है वह अुसी कोटि की हिंसा है, जो बिल्ली चूहे को मारते समय करती है। बिल्ली को यह खयाल तक नहीं

होता है कि वह चूहे को दुःख दे रही है। जिसी तरह लूट-खसोट करनेवाले लोग और मनुष्य का अपहरण करके अुसका धन छीन कर अुसको छोड़ देनेवाले पठान भी हिंसा-अहिंसा का खयाल ही नहीं कर सकते।

जिसकी समझ में हिंसा का दोष आ सकता है, जिसके मन में अहिंसा का अुदय ही सफ़ता है, अुसके लिये सरयाग्रह का मार्ग है। हिटलर, मुसोलिनी और स्टेलिन अपनी संहार-सीला भले ही चलाते हों; किन्तु वे भी अहिंसा को समझ सकते हैं। अतना ही नहीं; किन्तु अहिंसा से प्रभावित भी हो सकते हैं। किन्तु शेर या भालू के खिलाफ़ हम चाहे जितना सत्याग्रह क्यों न करें, वे हमारी बात समझ ही नहीं सकते।

घर में जब बिल्ली घुस जाती है तब हम अुसे बाहर जाने के लिये मुह से नहीं कहते, किसीके द्वारा सूचना भी नहीं देते, किन्तु अुसे प्रयत्नपूर्वक भगा देते हैं। अुसी तरह जो लोग स्वभावतः अत्याचारी हैं और जिनके पास दूसरा कोबी पेशा ही नहीं है अंसे लोगों को सामाजिक संगठन द्वारा रोकना बहुत ही ज़रूरी है और अंसे रोकने के प्रयत्न में थोड़ी हिंसा भी हो जाय तो भी हमें अुसे अहिंसा ही समझनी चाहिये।

सरहद्द में क्या अुपाय करें ?

सरहद्द से जब मनुष्य के अपहरण की, ज़बर-दस्ती अुमन्तर कराने की और खून आदि की खबरें हम सुनते हैं तब यह सोचने लगते हैं कि जिसका क्या अिलाज करें ?

लोगों के जानमास की रक्षा करने का टेका जिसने लिया है वह सरकार जिसका अिलाज या तो कर नहीं सकती है, या करना नहीं चाहती है। और अगर चाहती भी हो, तो अुसके लिये काफी

प्रयत्न नहीं करती है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिये? जवाब स्पष्ट है। यदि हम अपना बलिदान दे सकते हैं तो शुद्ध अहिंसक बन कर प्रसन्नता से बलिदान दे दें। यदि यह हमसे न बने, तो अपनी जान को खतरे में डाल कर जिस तरह हो सके, अत्याचारों का प्रत्यक्ष विरोध करना सीखें। और अगर यह भी कर सकें या ऐसा करने में राजकीय परिस्थितिके कारण कामयाब न हो सकें, तो हिजरत कर के अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये और साथ साथ सरकार को भी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये।

जब तक ऐसा कोई अिलाज हाथ में नहीं आया है, तब तक या तो सब तरह के कष्ट सहन कर लेने चाहिये, सब तरह की यंत्रणाओं बरदाश्त करनी चाहिये; या फिर आत्महत्या करनी चाहिये।

सरकार जिम्मेवार है

कहा जाता है कि काठियावाड़ के बहार-बटियावागी लोग जब किसी राजा से न्याय नहीं पा सकते थे, तो निर्दय हो कर उस राजा की बेकसूर रियाया को परेशान करते थे। अब जब सरहद्द की मुसलमान प्रजा से हम बच नहीं पाते हैं, तब उनके साथ लड़ने की अपेक्षा हमें अपनी सरकार को ही तंग करना चाहिये। राजा के दोष के लिये जनता को दण्ड देना भूतना न्याय नहीं है जितना कि जनता के दोष के लिये राजा को दण्ड देना है। अगर देशी राजा हमें परेशान करते हैं, तो हम इसका अिलाज ब्रिटिश सरकार को ही ठीक कर के कर सकते हैं। अगर सरहद्द के मुसलमान हिन्दुओं का अपहरण करते हैं, तो उसका अिलाज अून मुसलमानों से बँर करने से नहीं होगा; किन्तु ऐसी हालत को मंजूर रखनेवाली सरकार

को ही दण्ड देने से हो सकता है। तब जाकर सरकार अपने कर्तव्य को पहचानेगी।

का० का०

छोटे राष्ट्रों की शुद्ध-नीति

हिटलर ने कितना बड़ा अत्याचार किया है! अयुद्ध्यमान नॉर्वे पर आक्रमण करके उस देश पर उसने कब्जा कर लिया। नॉर्वे के लोगों का कुछ भी कसूर नहीं था। उनका दोष अके ही था कि वे पागल होने से अिनकार करते थे। उनका तटस्थ रहना न अिंग्लैंड को पसन्द था, न जर्मनी को। जबरदस्त लोगों का अके सिद्धान्त अंग्रेजी में बहुत सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है—'Those who are not with us, are against us.' (जो हमारे साथ नहीं हैं वे हमारे खिलाफ हैं।) सत्ताभक्त अिसीमें थोड़ा सुधार करके कहते हैं—'Those who are not under us, are against us.' (जो हमारे काबू में नहीं हैं वे हमारे दुश्मन हैं।) नॉर्वे के कठिन काल में भी चर्चिल साहब उसकी हँसी करने से बाज़ नहीं आये। आप कहते हैं कि "हम जब कहते थे तब तुम हमारे साथ नहीं हुओ। तुमने तटस्थ रहना मंजर किया। अब भुगतिये उसका फल"। हिटलर भी अूनसे कहता होगा, "तुम्हारा तटस्थ रहना हमारे लिये खतरनाक है। तुम तटस्थ रह ही नहीं सकते। अिंग्लैंड आत्म-रक्षा के लिये तुमपर आक्रमण किये बिना नहीं रह सकता। देखो, ये सुरङ्ग तुम्हारे समुद्र में वे बोनो लगे हैं। कहाँ रही तुम्हारी तटस्थता? यह दुनिया या तो अीश्वर की रहे या शैतान की। अिसमें तीसरा कोई भी रह नहीं सकता। या तो हमारे अधीन हो जाओ, या फिर हमारे विरोध में रहो"।

तमाम दुनिया का सस्त्रबाद अकेमुख से कहता है, 'Woe to the neutrals!'

(तटस्थों का बुरा हाल है !) और दुनिया-भर के तानाशाह इसीको प्रतिध्वनित करते हुअे कहते हैं, 'Woe to the small nationalities, that dream of an independent existence'. (जो छोटे-छोटे देश आजाद रहना चाहते हैं अउनकी कज़ा है !)

हम भी ज़रा अपने देश का अितिहास देखें । प्राचीन अितिहास नहीं, अंग्रेजों के आगमन के बाद का ।

अंग्रेजों को अपनी फौज सिंध में से ले जानी थी । सिंध भीरों का स्वतंत्र मुक्त था । अंग्रेजों को अपनी फौज सिंध में से ले जाने का कोअी अधिकार नहीं था । सिंध के भीरों ने अंग्रेजों का कोअी भी नुकसान नहीं किया था । अन्होंने अंग्रेजों से कहा, 'तुम्हारे शगडे में हमें नहीं पड़ना है । हमें तटस्थ ही रहना है ।' किन्तु अंग्रेजों को अपनी फौज ले ही जानी थी । अन्होंने कहा कि, 'अगर तुम हमारी आक्रमणकारी नीति में मदद नहीं करते, तो तुम हमारे दुश्मन हो ।' अंग्रेजों ने सर चार्ल्स नेपीयर को हुक्म दिया कि वह सिंध पर घावा बोल दे और अुस सूबे पर हमेशा के लिअे कब्ज़ा भी कर ले । अगर अंग्रेज ज़बरदस्ती अपनी फौज ले जाते और सिंध के भीरों से कहते, 'माफ कीजिये, राजनीति में ल्याय-अन्याय हमेशा नहीं देखा जा सकता । हमने ज़बरदस्ती तो की; किन्तु अब हमारा काम हो चुका है । आपका सिंध हड़प करनेका हमें कोअी कारण नहीं है । आप अपने देश में अमन-चैन से राज कर सकते हैं'—तो भी हम अउनकी बात समझ सकते । लेकिन बहाना मिलते ही—बल्कि असल बात तो यह थी कि बहाना नहीं; वरन् मीका मिलते ही—सर चार्ल्स नेपीयर ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया । बेचारा फौज का अफसर

उहरा । Theirs not to question why
Theirs not to make reply.

अुसको बहुत बुरा लगा । लेकिन अुसने सिंध पर कब्ज़ा तो किया ही । जब अुसे सरकार की यह लिखना था कि सिंध मेरे हाथ में आगया है, तो अुसने लिपि से लाभ अुठा कर अपने दिल का दर्द भी व्यक्त किया । I have Sind लिखने की जगह अुसने लिखा I have sin'd ।

कोअी भी अंग्रेज अमलदार या अितिहासकार अिस अत्याचार का समर्थन नहीं कर सका है । चन्द निर्लज्ज लेखक लिखते हैं कि हमारे अत्याचार के फलस्वरूप सिंध के लोगों को अच्छी राजव्यवस्था मिल गयी, यही सिंध लूटने का समर्थन है ।

यूरोप का वर्तमान युद्ध अभी खतम तो नहीं हुआ है । अगर परान्स या अिक्लैण्ड आक्रमण के रास्ते और सख्ती की राजी-खुशी से बेलजियनों से अुनका देश ले ले, तो अुसमें कोअी आश्चर्य नहीं है ।

हमें हिटलर के राक्यसी कृत्य का समर्थन विलकुल नहीं करना है । हमें तो अितना ही कहना है कि—'युद्धातुराणां न नयो न लज्जा'—जो युद्धातुर होते हैं वे न धर्म को पहचानते हैं, न लोक-लज्जा का नियन्त्रण जानते हैं ।

अेबीसिनिया से ले कर नौवें तक का अितिहास जो हम अपनी आँखों के सामने बनता देख रहे हैं, अुससे सिद्ध होता है कि युद्ध का रास्ता अिक्लैण्ड, परान्स, जर्मनी, रूस, अिटाली, अमेरिका और जापान के लिअे है । बाकी के जितने राष्ट्र हैं, अुनके लिअे फौज रखना और न रखना बराबर ही है । युद्ध करके देश के बहादुर-से-बहादुर नवयुवकों का नव दिन का बलिदान दे कर गुलाम बनो, अथवा Thank God we surrender (भगवान् को धन्यवाद, हम शरण

गये !) कह के बिना लड़े गुलाम बन जाओ । अर्बिसिनिया, स्पेन, पोलैण्ड आदि देशों के लोग कुछ कम बहादुर नहीं थे । नसीबवादी चीन देश के लोगों ने तो—चन्द वीरों ने ही नहीं, किन्तु सारी-की-सारी जनता ने—जो वीरता बतायी है, उसे भविष्य का इतिहास आश्चर्य-चकित हो कर अंकित करेगा और उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देववाद में औषवर-निष्ठा से कम शक्ति नहीं है । लेकिन केवल बहादुरी से कुछ नहीं होता । धन-जन की बहुतायत, विज्ञान का वैभव और दंभ-मिश्रित अधार्मिक वृत्ति—अितनी तैयारी के बिना दुनिया में स्वतंत्र रहना ही अशक्य-सा हो गया है । और अगर अितनी तैयारी है तो आपस में लड़े बिना चल ही नहीं सकता ।

शान्ति के दिनों में ये छोटे राष्ट्र आपस में लड़ नहीं सकते, क्योंकि बड़े राष्ट्र उनका नियंत्रण करते रहते हैं; और बड़ों का कभी गवान ही नहीं उठता । पोलैण्ड बनने के लिये अलबत्ता लड़ सकते हैं । मगर पोलैण्ड

के जैसा अनुभव कोभी भी राष्ट्र दो दफ़ा नहीं ले सकता ।

तब छोटे राष्ट्रों की फौज किस काम की ? फौज के पीछे जो खर्च किया जाता है, वह किस काम का ? “कुत्ते की ताकत शिकारी की मदद के लिये”, इसी न्याय से जेक प्रजा और ऑस्ट्री-यन प्रजा नौवें पर आक्रमण करने के ही काम आ सकती है ।

क्या इससे बेहतर यह नहीं है कि अपूर बताये हुअे राष्ट्र-सत्तक को ही लड़ने का सारा ठेका दे कर बाकी के सब-के-सब राष्ट्र अपनी अपनी फौज तोड़ कर, या विसर्जन कर, अहिंसक नीति का प्रयोग करें और अपना अेक बड़ा अहिंसक संगठन कर के हिंसावाद को ही निर्बीर्य कर डालने की कोशिश करें ?

अब देखना यह है कि इसपर अमल कैसे हो सकता है ? इस हिटलर-यूद्ध के अन्त में दुनिया के सामने सबसे महत्त्व का सवाल यही रहेगा ।

का० का०

युद्ध और सद्गुण-विकास

सैनिक सद्गुणों के लिये युद्ध हमसे बहुत ही बेशुमार कीमत लेता है । दुर्गुण और पाप तो अून सद्गुणों के अस्तित्व की अगिवाय्य शर्तें हैं । क्या दुष्टता के जरिये सद्गुणों का विकास भी कभी अुचित हो सकता है ? जिनका यह विश्वास है कि स्वार्थ और सामाजिक शिष्टाचार से परे भी अेक वास्तविक और निरपेक्ष अच्छाभी (साधुभाव) है, वे तो तुरन्त यही अुत्तर देंगे कि “अैसा करना कदापि अुचित नहीं हो सकता ।” किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह, अपनी कल्पना के शुभ परिणाम की आशा से कोभी बुरा काम करे ।

—आल्डस हक्सले

आकाश-दर्शन

[काका कालेलकर]

पाठकों का सप्तषि, स्वाती, चित्रा और हस्त से बननेवाले हार से अब तक परिचय हो गया होगा। इस हार को हम 'मन्दारमाला' कहते हैं। सप्तषि के पहले चार तारे और हस्त के पाँच तारे इस हार के दोनों तरफ के हुक हैं। सप्तषि के आखिरी तीन तारे, स्वाती और चित्रा इस हार के बीच के रत्न (कोस्तुभ) हैं।

अब सप्तषि का अन्तिम तारा मरीची और स्वाती के नीचे अंक छोटा-सा नक्षत्र है, जिसका आकार अंग्रेजी 'D' के जैसा दीख पड़ता है। इस 'D' को ही किरिटी, याने मुकुट, कहते हैं। इस मुकुट के अन्दर जो अंक विशेष तेजस्वी तारा है, उसे अल्फेका अथवा कोहिनूर कहते हैं। आकाश में अक्षर की तरफ ध्रुवमत्स्य के दो तारे और दक्षिण की तरफ बिच्छू के सिर (अनुराधा नक्षत्र) के बीच में यह किरिटी और उसपर लगा हुआ कोहिनूर दीख पड़ता है। ध्रुव-मत्स्य और अनुराधा के बीच जो अन्तर है, उसके ठीक बीच में कोहिनूर है।

कन्या-राशि को भी पहचानना चाहिये। जब कन्या अगती है, तब सिर नीचे और पाँव ऊपर किये हुए अंग्रेजी अक्षर 'Y' के जैसी कुछ टेढ़ी अगती है। उसके ऊपर जो छोटा-सा तारा है, वह उसका वक्ष है। उसके आगे हमारी बायीं ओर जो तारा दीख पड़ता है, वह कन्या का हाथ है, जिसमें वह अंक फल लिखे हुआ है। वक्ष के ऊपर बढ़ने से नाभि का तारा आता है। वहाँ से उसके दो पाँव दो जगह फैले हुए हैं। कन्या की नाभि और कन्या के हाथ का फल, दोनों, आकाश की मध्यरेखा, जिसे विषुववृत्त कहते हैं, उसपर है। उस फल का नाम है

अपावत्स। नाभि के आगे जो पाँव अक्षर की ओर जाता है उसका नाम है आप। आप और अपावत्स का जिक्र वेद में आता है। यही कन्या रामायण में शबरी के नाम से आती है और अण्डियों के पीछे पीछे रामदर्शन करके स्वर्ग में चली जाती है। महाभारत में यही कन्या पाण्डव-माता पृथा बनती है। चन्द्र लोग इसे द्रौपदी भी कहते हैं। सावित्री भी वही है; क्योंकि वह सूर्य के मार्ग में ही है। दानवों के हाथों से अमृत का कलश छीन लेनेवाली मोहिनी भी वही है।

सप्तषि के जो अन्तिम तीन तारे हैं, उनमें से अन्तिम वशिष्ठ और मरीची से सम-कोण अगर हम पश्चिम की ओर जायें तो वहाँ दो तारे करीब करीब अलग-समान्तर मिलते हैं। अन्हें सारमेययुगल कहते हैं। ये स्वर्ग के कुत्ते हैं। मरीची से सारमेय तक का त्रितना अन्तर है उससे द्गुना हम आगे बढ़ें, तो हमें अक्षर-फाल्गुनी का बड़ा योग-तारा मिलेगा। इसे अंग्रेजी में 'डेनेबोला' कहते हैं और कुत्ते को 'केनिस वेनेटिसी' कहते हैं। इस सारमेय (कुत्ते) और अक्षर-फाल्गुनी के योगतारे (डेनेबोला) के बीच अंक बहुत सुन्दर नक्षत्र-पुञ्ज है। चौदनी रात में उसे देखना भी कठिन है। छोटी-सी दूरबीन से जब हम उसे देखते हैं, तो उसके सौंदर्य देख कर आश्चर्य-चकित हो जाते हैं। अंधेरी रात को यह नक्षत्र-पुञ्ज मकड़ी के जाले के जैसा दीख पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने उसे 'गणपति' या 'गणपति की शंङा' कहा है।

अब दो कुत्तों और मकड़ी के जाले के बारे में अंक वैदिक कथा है। कालकांज

नाम के असुर थे। अन्होंने स्वर्ग जाने के लिये अेक यज्ञ-वेदी बनायी। अन्द्र को बहवास हुआ कि ये कालकंज अब जरूर स्वर्ग पहुँच जायेंगे। अुसने ब्राह्मण का रूप धारण करके कहा कि मैं भी अेक अीट अिस वेदी में लगा-अंगा। वह अीट थी चित्रा नक्षत्र। जब वेदी पूरी होने लगी, तब ब्राह्मण ने झगड़ा किया और अपनी अीट खींच ली। वेदी टूट गयी और अुसमें से दो कुत्ते निकल कर आकाश में पहुँच गये। यह है हमारा सारमेययुगल। चित्रा के हटाने से अूपर का जो भाग गिर गया, वही छोटे छोटे टुकड़े हो कर सारमेय और अुत्तरा-फाल्गुनी के बीच शोभा देने लगा। यही मकड़ी का जाला बन गया। अगर अन्द्र ने धोखा नहीं दिया होता, तो चित्रा के आधार से देव और दानव स्वर्ग पहुँच गये होते।

अिसी मकड़ी के जाले के बारे में मिसर देश में अेक सुन्दर कथा है। अेक राजा के रानी का नाम वरेण्यकेशा था। रानी के बाल सुवर्णवर्ण के थे। देश देश के लोग रानी के बाल देखने के लिये आते और राजा से आजिजी करके दर्शन पाते थे। अेक दिन राजा कहीं युद्ध में गया। रानी चिन्ता करने लगी। अुसने मन्दिर के ज्योतिषियों से पूछा। पुरोहित ने कहा, 'अिस युद्ध में राजा को जान का खतरा है। आप देवताओं को संतुष्ट करें।' रानी ने अपने सोने के बाल मन्दिर में चढ़ाने की मनौती की। देवताओं को संतोष हुआ और राजा विजयी हो कर वापस आया। रानी ने अपने वचन के

अनुसार अपने बाल अुतार कर मन्दिर में चढ़ा दिये। वहाँ से किसीने अुनकी चोरी की। विजयी राजा ने आ कर देखा कि रानी का सिर गंजा हो गया है। गुस्से में आ कर अुसने पूछा, 'बाल कहाँ है?' लोगों ने कहा, 'पुरोहितजी की सलाह से रानी साहिबा ने अपने बाल मन्धिर को भेंट किये हैं।' राजा ने पुरोहित से कहा, 'दुनिया-भर के लोग रानी के बाल देखने आयेंगे। अब मैं अुन्हें क्या दिलाऊँ? लाओ, रानी के बाल, नहीं तो तुम्हारा सिर अुड़ा दूंगा।' पुरोहित चतुर था। अुसने कहा, 'महाराज, आज तक आप छोटे राजा थे। अब अपने सबसे बड़े शत्रु का नाश करके आप विव-सम्राट बन गये हैं। अब सारी-की-सारी दुनिया रानी के बाल देखने आयेंगी। आप अिजाजत भी कितने लोगों को देंगे? अिस सारी मुसीबत के ख्याल से ही मैंने रानी के बाल आकाश में रख दिये हैं।' सौझ होते ही पुरोहित राजा को मंदान में ले गया और वह तारों का पुज अुसे बताया, जिसे हम मकड़ी का जाल कहते हैं। राजा पुरोहित पर निहायत खुश हो गया और कहने लगा— 'पुरोहित हो तो अँसा ही अनागत-विधाता हो।' तभी से यह नक्षत्र-पुज वरेण्यकेशा के नाम से पहचाना जाता है। अंग्रेजी में अिसे 'कोमा बेरिनिसी'—याने बेरिनिसी रानी के बाल— कहते हैं। अिसी पर से हमने अुसका नाम रख दिया है 'वरेण्यकेशा'; जिसका अर्थ होता है— जिसके लुभावने बाल हैं अँसी रानी।

धीरज कैसे हो ?

(साम्प्रदायिक समस्या पर मूलगामी विचार)

[किशोरलाल घ. मशरूवाला]

अक पाठक का पत्र

'सर्वोदय' के अक पाठक लिखते हैं कि अणुके नजदीक के अक देहात में कुछ ही दिन पहले मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की करीब ७५ लाख कीमत की जायदाद जला दी गयी। जो सक्कर में हुआ, और सरहद्द में बारबार होता रहता है, वही कुछ छोटे पैमाने पर अिस देहात में हुआ। अुक्त पाठक आगे लिखते हैं, " में यह जानना चाहता हूँ कि वे लोग, जो हिन्दू-मुस्लिम संगठन चाहते हैं, किस प्रकार अणु अशान्त हिन्दुओं को धीरज दें, जिनकी पूरी जिन्दगानी ही बरबाद हो गयी ? क्या ये अत्याचार हमारे संगठन के कार्य में बाधक सिद्ध न होंगे ? और जिन्होंने अपने मुस्लिम भाषियों के अत्याचार स्वयं देखे हों, अणुको किस प्रकार समझाया जाय ? प्रायः काँग्रेसी नेता मुस्लिम स्टेटों की ओर ध्यान देने ही नहीं। क्या सचमुच यह मुस्लिम सरकार के प्रबन्ध की कमजोरी है, या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न ? कृपया प्रकाश डालें"।

कुछ मौलिक बातें

अिस गंभीर सवाल के मूल में बहुत-सी समझने लायक बातें हैं और जब तक हम हर अक को ठीक ठीक समझ कर अुसका अिलाज न करेंगे, तब तक अिस सवाल का हल होना मुझे संभव-नीय नहीं मालूम होता। कुछ बातें हिन्दुओं के समझने की हैं, कुछ मुसलमान, अीसाअी आदि को भी समझना होगा। अिस विषय में मेरे जो विचार बने हैं, अुन्हें प्रकट करता हूँ।

अिज्जत की जिन्दगी की कीमत

१. हिन्दुओं को बीज-फसल का संबंध खयाल में रखना जरूरी है। जो बीज को विचार और व्यवस्था के साथ खोने के लिये तैयार होता है, वही फसल पाता है। अगर हमें अिज्जत के साथ जीना हो, तो हमें अिज्जत की जिन्दगी की कीमत भी देनी होगी। शरीर को किसी भी तरह अँच न लगे, किसी भी तरह बाल-बच्चे बढ़ते रहें और किसी भी तरह दो पैसे घर में बचते रहें—यही अगर हमारे जीवन का मुख्य ध्येय हो, तो शरीर भी जिन्दा रहेगा, बाल-बच्चे भी बढ़ेंगे, और जायदाद भी बढ़ेगी; लेकिन, यह नहीं कहा जा सकता कि अुस जिन्दगी में स्वाभिमान होगा ही। अुस हालत में हमपर हमला करनेवाले से हम अितना ही कहेंगे कि, 'हमें मारो भले ही, परंतु पीठ पर मारो, पेट पर न मारो।' यानी, "हमारा स्वाभिमान भले ही चूर चूर कर डालो; लेकिन हमारा खाने-पीने और आराम का सामान ज्यों-का-त्यों रहने दो।'

लेकिन अगर हमें स्वाभिमान के साथ, दुनिया में सिर अँचा रख कर जीना हो, तो शरीर, परिवार और संपत्ति का बलिदान करना सीखना होगा। हमें अपने दिल से यह सवाल पूछना चाहिये कि हममें अँसी कौन-सी कमजोरी पैदा हो गयी है जिसकी वजह से हम बहुसंख्य और ज्यादा साधनसंपन्न होते हुए भी अँसे मीकों पर अवसर पिटते ही हैं और रोने लगते हैं ? अिससे बढ़कर अँसा और कौन-सा खतरा हमें मालूम होता है कि जिसके डर से हम पीटा जाना अथवा अपमान सहन कर

लेना भी मंजूर कर लेते हैं, मगर बहादुरी के साथ सामना करने का साहस नहीं कर सकते ? जिस खतरे के डर से हम अँसा करते हैं, अगर वह सचमुच मार या अपमान की अपेक्षा ज्यादा भयंकर हो, तब तो हमारी खामोशी राजी-खुशी की बात हो जाती है, और मार तथा अपमान के लिये शिकायत करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। परंतु, यदि वह डर सिर्फ हमारे कायरपन का ही परिणाम हो, तो जब तक हम उसे हटा नहीं सकते और अपने जीवन में साहस को स्थान नहीं देते, तब तक हम यह भली-भाँति ध्यान में रखें कि, न हिन्दू राज, न मुस्लिम राज, और न ब्रिटिश राज ही हमारी रक्षा कर सकेगा। और ऐसी घटनाएं हों जाने पर आक्रोश या तिरस्कार के प्रस्ताव पास करने में, या मुसलमानों या सरकार पर गालीगलौज अथवा शाप बरसाने से, कुछ फायदा न होगा। स्वयं हमें ही अपनी रक्षा करना सीखना होगा।

बहादुरी का रास्ता

२. साथ-साथ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कायरता हटाने अथवा साहस प्राप्त करने का रास्ता यह नहीं है कि सोलापुर में हिन्दू पीटे गये हों, तो पूना के हिन्दू पूना के मुसलमानों पर हमला करें और बुन्हें तबाह करें। यह भी रास्ता नहीं कि कादर महल्ले में एक हिन्दू मारा गया, यह सुन कर किसन महल्लेवाले हिन्दू अपने महल्ले के मुसलमानों को मारें। यह भी असका अिलाज नहीं कि तूफान शांत हो जाने पर दंगेयों को या सब स्थानिक मुसलमानों को तबाह किया जाय। बल्कि बहादुरी तो इसमें है कि जब दंगा हो, उस वक्त पडोस में रहनेवाला कौमी हिन्दू अपने घर में छिप

जाने या दूसरे महल्ले में भाग जाने की न सोचे। पडोस में मार-पीट होती हुआ देख कर कौमी अपना दरवाजा बन्द न कर ले, बल्कि उसी दम—अगर अकेला हो तो अकेला ही—बाहर निकले और अपनी जान खतरे में डाल कर पीटे जानेवालों की रक्षा करे और दूसरों को भी पुकारे। उस वक्त यह चिंता न करे कि शायद बाद में पुलिस उसी पर दंगाखोरी का अिलजाम लगा देगी और अुने सतायेगी। अँसा होना मुमकिन है, लेकिन उस परिणाम से डरने में कायरता है। हिन्दू की अक्सर यह वृत्ति होती है कि संकट के समय वह अपनी ही जान बचाने की फिक्र करता है और पडोसी के लिये मुसीबत में पडना नापसन्द करता है। अितना ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो वह जिस पर सङ्कट आया हो उस व्यक्ति को बाद में भी मदद पहुँचाने, समभाव प्रकट करने, उसकी तरफ से गवाही देने, आदि से भी जान बचाता है। वह सिर्फ अितना ही कर सकता है कि जब घर में चार मित्र जमा हों, तो अुनसे हिन्दुओं की दुर्दशा की शिकायत करे, मुसलमानों के प्रति तिरस्कार बतावे, अथवा हिन्दू-मुस्लिम-अेकना की बातें करनेवालों पर गुस्सा और उसकी संभवनीयता पर अविश्वास जाहिर करे। जब तक हिन्दू-वृत्ति अस तरह की है, तब तक हिन्दुओं के लिये अिज्जत का जीवन सम्पन्न करना नामुमकिन है। वे पैसे और बुद्धि के कारण कुछ आदर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहादुरी की बदीलत नहीं।

समुदाय और समाज

अिस गर्मी के मौसम में खाने की जगह पर सैकड़ों मक्खियाँ जमा होती हैं। कमी लोग कपडे की फटकार से अुनका संहार करते हैं।

मस्त्रियों देखती हैं कि अणुका संहार होता है; लेकिन वे यह कोशिश नहीं करतीं कि सब मिल कर फटकार मारनेवाले के मुंह पर टूट पड़ें। क्योंकि मामूली मस्त्रियों में समाज-रचना जैसी कोभी बात नहीं है। लेकिन यदि कोभी आदमी किसी मधुमस्त्रियों के छाते के साथ अंसी हरकत करे तो, अगर उसने अपनी रक्षा के लिये कुछ प्रबंध न किया हो तो, खतरे की सूचना पहुँचते-न-पहुँचते ही सैकड़ों मधुमस्त्रियों उस आदमी पर अंसी टूट पड़ेंगी कि वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान ले कर भाग सकेगा। इस मिसाल से हिन्दू अपने जीवन के लिये कुछ सबक सीखें। क्या मधुमस्त्री के बराबर भी समाजभाव हममें नहीं है? या, सिर्फ साधारण मस्त्रियों की तरह हम व्यक्तियों का अंक समूहमात्र हैं? अगर किसीपर अत्याचार होने पर हमारे दिल में यह खयाल आये बिना न रहे कि—वह तो हरिजन है वह तो पासी है, वह तो मोची की लड़की थी—असमें हमारी जात का कोभी नहीं है, तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हिन्दुओं का अंक समाज है? और अगर हमारा समाजभाव ही बहुत षीण हो गया हो, तो हम कोन बचा सकता है? हमारी बहुसंख्यता या हमारी साधनसंपन्नता भी हमें स्वःभिमानी जीवन की प्रतिष्ठा न दे सकेगी।

हमारी 'चौके-बन्दी'

४. जब हिन्दू-धर्म की मान्यताओं और आचारों पर दूसरे धर्म के लोग कुछ आवेष करते हैं, तब हिन्दू विद्वान वेदान्त की अन्कृष्ट अध्यात्म-विद्या और वर्णाश्रम-व्यवस्था की वैज्ञानिकता संसार के सामने रख कर आर्य-संस्कृति की श्रेष्ठता का अत्यंत बुज्ज्वल चित्र खींचते हैं। लेकिन, हिन्दू-समाज के अन्दर कुछ गहरे अंतर कर हम

जरा सोचें कि किस प्रकार की ज्ञान की अन्कृष्टता हमारे जीवन में कहाँ तक अतरी है। क्या यह भी सच नहीं है कि 'चौका-बन्धन' भी हमारे धर्म का अंक समाजव्यापी लक्षण है? हम अपनी चौकेबन्दी के कारण केवल हिन्दू जातियों में ही परस्पर अंच-नीच भाव का अपमान-कारक व्यवहार नहीं करते, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार असभ्यता का होता है। अपनी प्राचीन परंपरा जिन्होंने छोड़ नहीं दी है वे हिन्दू—और अन्हींकी बहुजन-संख्या है—मुसलमान, ओसाओ या अपने से हीन मानी हुआ जातियों के साथ, अथवा अनेक हाथों खा नहीं सकते, पानी नहीं ले सकते, अनेक बरतनों का भी अपु-योग नहीं कर सकते। 'सर्वत्मभाव' और 'सर्वत्र समदृष्टि' आदि अुच्च सिद्धान्तों से यह आचार किस तरह सुसंगत है? हिन्दू-हिन्दू और हिन्दू-अहिन्दुओं में अंकप्रजात्व का भाव बढ़ने में यह कितना बड़ा विघ्न है? हम क्यों इस बात का विचार नहीं करते और क्यों अपनी चौकाबन्दी ढीली नहीं करते? अक्सर यह कहा जाना है कि यह चौकाधर्म होते हुए भी सैकड़ों वर्षों तक हिन्दुओं की भिन्न भिन्न जातियों, और मुसलमान, ओसाओ आदि हिलमिल कर साथ रहते थे, जिसलिये अिनके होते हुए ही हमें अंक-प्रजात्व बढाना चाहिये। लेकिन, यह दलील अब काम नहीं दे सकती। क्योंकि जब तक कोभी जाति जाशत् नहीं होती, तब तक उसके प्रति सारे अनुचित व्यवहार भी निभ जाते हैं, पर जागृति आने के बाद ये व्यवहार कांटे की तरह चुभने लगते हैं। आज तक किसानों को अपने शोषण का, हरिजनों को अपनी अस्पृश्यता का, स्त्रयं हमें अपनी पराधीनता का, दुःख कहाँ मासूम होता था? अधिकारियों

के अपमान-कारक बर्ताव को हम अके रुढ़ि की तरह बरदाश्त कर लेते थे। लेकिन, जब जागृति आ गयी, तो किसी बड़े अफसर का किसी देहाती से 'क्यों बं' कहना तक समाज को बरदाश्त नहीं होगा। हिन्दुस्तान की सब कीमों में अकप्रजात्व की भावनाये रहें, इसके लिये हिन्दुओं को अपने चौकाधर्म को छोड़ना ही होगा। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें और जनता को समझा दें अतना ही हमारा मार्ग सरल होगा।

अुपासना-भेद या अुपासना-संकर ?

५. जो वान 'चौकाधर्म' की है, वही 'देवधर्म' पर भी लागू होती है। इस युक्ति से कि हिन्दूधर्म में अुपासना की विविधता का स्वीकार है, अथवा अुपासना-स्वातंत्र्य है, हमारे विद्वान् प्रचलित देवधर्म का समर्थन बड़े गर्व के साथ करते हैं; और अमीमें से सर्वधर्म-समभाव तथा परमत-सहिष्णुता के सिद्धान्त निकालने है। लेकिन, जरा सोचिये। क्या अुपासना की विविधता और अुपासना की संकरता अके ही बात है? स्मार्त की शिव, वैष्णव की विष्णु और जैन की तीर्थङ्कर में श्रद्धा हो, और हरेक अपने अपने अुपास्य की भावित करता हुआ दूसरों की श्रद्धा का आवर करे और समदृष्टि से देखे—यह अके बात है। लेकिन अके ही मनुष्य गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, महामारी, शीतला, हनूमान आदि अनेक तरह के देवताओं की अके साथ या भिन्न भिन्न मीकों पर अुपासना करता रहे—पाठशाला में गणेश और सरस्वती, व्यायाम-शाला में हनूमान, दूकान में लक्ष्मी, मंदिर में विष्णु, बीमारी में काली और मृत्यु के समय शिव की पूजा करे—तो अूसमे अुपासना की

विविधता नहीं, बल्कि व्यभिचार अथवा संकर है। और जब विद्वान लोग सामान्य जनता की बुद्धि, दृष्टि और विषयासों को सुलझाने के बजाय, असे अिहीं आचारों के चक्कर में फँसा देते हैं, और हरसाल अेकाध नया देव भी पैदा कर देते हैं; तब इसके समर्थन में वे चाहे जो तार्किक दलीलें पेश करें और रोचक कथायें सुनावें, तो भी मेरे मन में कोबी शंका नहीं कि वे वेदान्त के आधार पर अके तरह की श्रद्धालु नास्तिकता का ही प्रचार करते हैं। अीधवर-विषयक नास्तिकता की अपेक्षा इस नास्तिकता को मैं ज्यादा खतरनाक समझता हूँ।

मझे इसमें आश्चर्य नहीं होता कि अीसाभी या मुसलमान हमारा इस मनोरचना को समझ ही नहीं सकते, और इसलिये हमारे धर्म के प्रति समभाव अनुभव नहीं कर सकते। अिस्लाम के साथ अके हजार वर्षों का सम्पर्क होने पर भी अेकेश्वर और अेकविध अुपासना के सूत्र में बँधे हुए समाज का संगठन कितना तेजस्वी होता है; अपने बीमान और स्वधर्मियों के लिये कष्ट महन करने की अुसमें कितनी भारी शक्ति आ जाती है, अपने हमदीनों के प्रति समता की भावना सहज-स्वभाव-सी कैसे बन जाती है यह हमने नहीं सीखा। राजा राम-मंहनराय, रामडे, आगरकर आदि ने जिस दिशा में किये हुए प्रयत्नों का 'राष्ट्रीय' या हिन्दू धर्माभिमानी नेताओं ने जो विगोच, अुपह्रास अथवा अपेक्षा की, अुसके मूल में विचार की न्यूनता, फल-प्राप्ति की अधीरता, और अपने दोषों पर चिढ़ने के बजाय विरोधियों के प्रति द्वेष ही रहा। आर्थिक, राजकीय आदि हितों की समानता अकेप्रजात्व के कुछ अंग जरूर है। लेकिन, जिस तरह इस कार्यकर्मों पर अमल करना जरूरी है, अुसी तरह धार्मिक

मान्यताओं का संशोधन भी महत्त्व का है। जिस तरह ट्रेन के अंक ही पहिये पर अंक लगाने से सारी ट्रेन की गति एक जाती है, उसी तरह जिस अंग की अपेक्षा करने से राष्ट्र की गति रुकने ही वाली है। यह दोष हमारी दृष्टि को कब स्पष्ट दिखायी देगा, यह दूसरी बात है। लेकिन, जब तक वह दूर नहीं किया जायगा, तब तक कहीं-कहीं हमारी राष्ट्रीय प्रगति में रुकावट पैदा होती ही रहेगी।

हमारे प्रतिपादन और आचार में विरोध

६. अंक तरफ से तो हिन्दूधर्म का यह दावा है कि हिन्दू की दृष्टि में 'धर्म केवल जीश्वर-विषयक कुछ मान्यताओं और पूजा-विधियों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के सारे व्यवहारों के नियमों का समुच्चय है'। परन्तु दूसरी तरफ से हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हिन्दुओं ने अपने तत्त्वज्ञान से निकलनेवाले स्पष्ट सिद्धान्तों को समाज-जीवन में अमल में लाने की बहुत कम कोशिश की है। समाज में प्रचलित धार्मिक आचार-विचारों और तत्त्वज्ञान के निष्कर्षों के बीच विरोध देख कर हिन्दू तत्त्वज्ञानियों ने संन्यासआश्रम का सहारा ले लिया, और खुद को समाज से अलग कर लिया। नतीजा यह हुआ कि हिन्दू-तत्त्वज्ञान के विचारों का साहित्यिक प्रचार तो खूब हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष समाज-जीवन पर उनका असर नहीं के बराबर हुआ, अथवा जो हुआ वह विपरीत भी हुआ। बुदाहरणार्थ, खुद के सुख के लिये जीवन सत्य, खुद को तकलीफ होने पर जगन् स्वार्थी, लेकिन समाज के सुख-दुःख के सवाल में जगन् मिथ्या का शुष्क-ज्ञान फँसा। समाज में प्रचलित अुपासना-विधि, कर्मकाण्ड, जाति-प्रांति, अुच्चनीच-भाव, चौकाधर्म आदि में संशोधन

करने के लिये तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों का अुपयोग नहीं के बराबर हुआ। अगर किसीने किया भी तो जातिधर्म और चौकाधर्म के जोर पर वह समाज से हटा दिया गया।

अन्य धर्मों से हम क्या सीखें?

खैर जो हुआ सो हुआ। कम-से-कम अब तो हमें जागना होगा। सगुण अुपासना के बारे में हम अिस्लाम से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। अुसमें कुछ संशोधन जरूरी हो सकता है। लेकिन हमें यह अश्रद्धा छोड़ देनी चाहिये कि जीश्वर की जो भावना करोड़ों अनपढ़ मुसलमान कर सकते हैं, वह करोड़ों हिन्दुओं की समझ से परे है, और उनके लिये कवियों ने कल्पना से सजाये हुए विशेष आकार के देव और उनका विलक्षण कथाओं की अनिवार्य जरूरत है। फिर, हमें मानवों की समानता का भाव भी अिस्लाम से लेना होगा। अिसमें दोनों बातें आ जाती हैं—किसी मानव को नीच न समझना तथा किसी मानव-सन्तान को जीश्वर की बराबरी पर न रखना। कोअी महात्मा कितना ही श्रेष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और 'खुदा के नूर से जुदा नहीं,' क्यों न हो, अुसके स्थूल रूप में हमें अुमे सिर्फ अंक अूचे दर्जे का मनुष्य, खुदा का अंक भक्त अथवा ओलिया ही समझना चाहिये और अुसकी महिमा गाने तथा अिज्जत करने में संयम और विवेक करना ही चाहिये। याद रहे कि यह 'चौका-धर्म' 'देव-धर्म' और 'जीश्वर=पूज्यजन' की ये मान्यताओं नष्ट होने ही वाली हैं। जीश्वर और धर्म के विषय में यथार्थ और सही ज्ञान दे कर अगर हम अुन्हें नहीं छुड़ायेंगे, तो धर्म पर नास्तिकता और अश्रद्धा का आक्रमण होने पर वे अपने आप छूटने ही वाली हैं।

जिसी तरह ख्रिस्ती धर्म से हमें जीवों की सेवा द्वारा अश्विन-पूजा का अपदेश लेना होगा। 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः'—यह है तो गीता का अपदेश। लेकिन 'स्व' और 'कर्म' दोनों शब्दों को जितने व्यापक अर्थ में असाधियों ने अपनाया है, उतना हमने नहीं अपनाया। दरिद्र, दलित, पीडित, रोगग्रस्त, आदि की सेवा को 'स्वकर्म' बनाने और उसके द्वारा अश्विन की पूजा कर उसके स्वरूप को पाने का संस्कार हिन्दू-समाज में नहीं के बराबर है। हमारी 'स्वकर्म' की व्याख्या अक्सर अपने वर्णाश्रम के कर्मों तक ही सीमित रही है।

यह बात ठीक है कि हिन्दू-धर्म के ग्रन्थों में भी अनेक बातों के अनुकूल विधान मिल जायेंगे। अगर ऐसा न होता तो यह कहना ही असंभव होता कि किसी आदमी को अपने अुच्चतम अुत्कर्ष के लिये धर्मान्तर करने की जरूरत नहीं है, और संधर्मसमभाव हो सकता है। लेकिन, अनुकूल वचन होते हुए भी हर एक मजहब में किसी अेक अुदात्त तत्त्व का ज्यादा विकास देख पड़ता है, अिमलिये अुमे अपनाने में और अुम मजहब के प्रति अृण-बुद्धि रखने में शर्म या मिथ्याभिमान न होना चाहिये।

अन्य-धर्मीय हमसे क्या सीखें ?

७. अगर अिस तरह हम खुद के समझने योग्य बातें समझ लें, और अपने स्वभाव, बर्ताव और मान्यताओं में सुधार करें, तो अन्यधर्मीयों से भी कहा जा सकता है कि अुन्हें अपने स्वभाव, बर्ताव और यकीनों में क्या फर्क करना होगा। कराची के प्रस्ताव की भिन्न भिन्न संप्रदायों की अभयदान देने के बारे में कुछ भी प्रतिज्ञा हो, मैं स्वयं यह मानता हूँ कि

हिन्दुस्तान में जितने भी मजहब अथवा छोटे छोटे पंथ हैं, अुन्हें अपनी मान्यताओं और रिवाजों में अितना हेर-फेर करना ही होगा, अिससे सब हिन्दुस्तानी अेक समाज और अेक कीम बन सकें। और अहिंसा का पालन करते अुये वैसा फेरफार करने के लिये परस्पर को समझाने का हर अेक मजहब को अेक-दूसरे के संबंध में अधिकार होना चाहिये। जैसे फर्क करने के लिये अुस मजहब के प्राचीन ग्रंथों का सहारा मिल जाय तो ठीक ही है। न मिले तो पुरानी किताबों और हिदायतों के बावजूद भी वे करने होंगे। अुदाहरणार्थ, "धर्म की असल बुनियाद किसी रसूल के वचन नहीं, बल्कि आत्मतत्त्व की स्वयं अपने दिल में पैदा हुआ प्रतीति है, और किसी भी रसूल या किताब की प्रामाणिकता के मूल में अुसकी अनुभव कराने की शक्ति रही है"— यह हिन्दू आत्मज्ञान मुसलमान और अिसाधियों को समझना ही होगा। तभी वे जड़ श्रद्धा (Bigotry) से परे हो कर स्वतंत्र बुद्धि से धर्म को समझ सकेंगे। अिसी तरह वर्ण-व्यवस्था के मूल में रहे अुये वैज्ञानिक अंश को भी अुन्हें समझना जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्रीयता का निर्माण

तभी वे धार्मिक मान्यताओं के संशोधन में हिन्दुओं को सहयोग दे सकेंगे और सब मिल कर हिन्दुस्तान के लिये अुसके सर्व-वल्याणकारी स्वरूप का अविष्कार कर सकेंगे। अिसके सिवा मैं मानता हूँ कि हमें विवाह, विरासत आदि के बारे में भी सब हिन्दुस्तानियों के लिये अेक ही प्रकार का कानून बनाना जरूरी है। भाषा और साहित्य के निर्माण में भी अपनी ही प्राचीन परंपरा को कायम रखने का मोह छोड़ कर ज्यादा समझदारी से काम लेना जरूरी है।

जिसमें आन्तरराष्ट्रीय परिभाषा और अंग्रेजी के रूढ़ शब्दों को मंजूर रखना ही होगा। भाषा को जटिल, विद्वानों के ही लिखे, अथवा विद्वानों की मदद से ही पढ़ने योग्य, बनाने की अपेक्षा आसान बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन ये सब बातें तभी हो सकती हैं, जब हिन्दू पहले अपना ही घर सुधार लें। अपनी प्राचीनता का और आर्यता का मिथ्याभिमान छोड़ दें। तभी वे दूसरी कीमों के जीवन के बारे में अधिकार-पूर्वक कुछ कह सकेंगे।

आवश्यकता धीरज की नहीं, चेतना की है

पत्र-लेखक पूछते हैं कि समीक्षित में पड़े हुए हिन्दुओं को धीरज किस तरह दिया जाय ?

में कहूंगा जिसमें धीरज देने की ज़रूरत ही नहीं है। धीरज रखने की आदत तो हिन्दुओं में अतनी जमी हुई है कि किसीको आश्वासन देना ही अनावश्यक है। जो आपत्ति अठोठते हैं, वे भी चार दिन के बाद शांत हो जाते हैं, और थोड़ा-सा रोष प्रदर्शित करनेवाले लोग भी बिना धीरज खोये ही जैसे सबाल पूछते हैं ! जहाँ पर अत्याचार हुआ हो, वहाँ जा कर अिनमें से कितने लोग कुछ सहायता पहुँचाने का भी कष्ट अठोठते हैं ? तात्पर्य, हिन्दुओं का धीरज अटूट है। अन्हे तो जाग्रत् हो कर अिन सब अुपायों को अमल में लाने का प्रयत्न करने की ज़रूरत है। 'कैसे धीरज दें' की जगह मैं पूछता हूँ कि, अगर सचमुच दिल में दुःख होता है तो, 'क्यों धीरज है ?'

अुद्ध से अुध युद्धवादी भी बहुधा यही घोषित करने आये हैं कि अुन का ध्येय शान्ति ही है। धर्मशास्त्री और दार्शनिकों ने भी अिमी युक्ति से युद्ध का समर्थन किया है। युद्ध करने की अनुमति असलिखे दी गयी है कि वह शान्ति और न्याय प्राप्त करने का अेक साधन माना गया है। परन्तु क्या वास्तव में शान्ति और न्याय युद्ध के द्वारा कभी प्राप्त हुअे हैं ? क्या परमात्मा की नीयति में अुनका युद्ध के जरिये हासिल होना सम्भव है ? अेक अंश में हम सभी वैज्ञानिक, शास्त्री, या कलाविद् हैं। असलिखे हम सबको यह मानना ही पड़ेगा कि जिस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है अुसीके अनुरूप साध्य प्राप्त होता है।

-अलदुस हफसले

श्री अरविंद-ग्रंथमाला

श्री अरविंद और उनका योग

असमें संक्षेप में श्री अरविंद-चरित और श्री अरविंद के योग-संबंधी कतिपय लेख हैं। इसके पढ़ने से पाठकों को श्री अरविंद और उनके योग के संबंध में काफी जानकारी होती है। असमें श्री अरविंद का चित्र भी दिया गया है। मूल्य ॥)

माता

अस पुस्तक में श्री अरविंद ने महाशक्ति और पुरुषोत्तम का संबंध, अस योगसाधन के प्रधान अंग—अभीप्सा, त्याग और समर्पण, धन का योग में स्थान और महाशक्ति के चार प्रधान स्वरूप यथा महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती—अन सब विषयों का विस्तृत, व्योरेवार और जीता-जागता चित्र खींचा है। मूल्य ॥)

योगप्रदीप

अस पुस्तक में चार अध्याय हैं, हमारा लक्ष्य, आधार के लोक और अंग, समर्पण और कर्म, जो योग-साधन-संबंधी अनेक प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिये वास्तव में प्रदीप का काम करते हैं। मूल्य ॥)

अस जगत की पहेली

यह एक अद्भुत और अत्यंत अद्भोधक पुस्तक है। असमें मन के अूपर जो विभिन्न लोकों का ताँता लगा हुआ है, अिनके विषय में मन की भूमिका पर जो कुछ शब्दों द्वारा कहा जा सकता है, अंका तथा अस जगत की रचना, मुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि द्वंद्व क्यों पैदा हुए, अस पहेली का हल, एक महान् नत्त्वदर्शी के अनुभूत दृष्टिकोण से पढ़ने को मिलना है। पुस्तक अपने विषय की अपूर्व है। मूल्य ॥८)

योग के आधार

अस पुस्तक में योग-साधना में संबंध रखनेवाले बहुत-से विषयों पर श्री अरविंद के अपदेश हैं। असमें योग-साधना की नीव स्थिरता, शांति और समता, श्रद्धा, अभीप्सा और आत्म-समर्पण, कठिनाओं के समय क्या करना चाहिये, अच्छा, आहार और काम-वासना से किस प्रकार बरतना चाहिये और भौतिक चेतना, अवचेतना, निद्रा, स्वप्न और रोग अित्यादि विषयों पर काफी प्रकाश डाला गया है। साधकों और जिज्ञासुओं के लिये यह पुस्तक बड़ी अपयोगी है। मूल्य २)

श्री अरविंद के अन्यान्य ग्रंथ भी अस ग्रंथमाला द्वारा शीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

प्राप्ति-स्थान:—

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

त्यागरायनगर, मद्रास

सूचना—

'सर्वोदय' में आम तौर पर अशितहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय ग्रंथ और देशसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिये रहेगा। अिनके अशितहारों के दाम नहीं लिये जायेंगे। केवल कागज, छपाई और डाकखर्च ले कर अशितहार छापे जायेंगे। जो साहित्य या संस्था निर्विवादरूप से लोकोपयोगी है, अूसीको स्थान दिया जायगा। यह व्यवस्था केवल समाज-सेवा और ग्राहकों के हित को दृष्टि से चलायी जायगी।

व्यवस्थापक, 'सर्वोदय', वर्धा।

हिंसा के अनन्त पाठ

हिंसक पूजा—यज्ञ में खून से देवताओं को खुश करने की विधि—मनुष्य की प्राचीन बर्बर अवस्था से आज तक चली आ रही है। बड़े बड़े व्युपदेशकों ने बार बार कहा कि व्युपासना तो केवल प्रेम के ही द्वारा हो सकती है; लेकिन संसार ने उनके वचन केवल आध्यात्मिक बल के ही लिये सही माने, व्यावहारिक बल के लिये नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में, जहाँ कि परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है, अिम (मिखायन का कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन जहाँ परिणामों से ही मतलब है वहाँ तो—लौकिक वृद्धि की यह धारणा है—कि देवताओं को खून के चढ़ावे से ही रिझाना चाहिये। इसके पीछे कड़वी, तीखी, दवा में मरीज की श्रद्धा है। उन दुःखदायी वृद्धों को चख कर अमं विश्वास हो गया है कि हो-न-हो, यह दवा ही है। अिमलिये मसार्भर के राजनैतिक दवाखानों में विषैली कड़वी दवाओं का डेग लगाया जा रहा है—पोप की पीप्टिक दवाओं, जिनके रंगों में ही लाल सुर्व ताकत का अश्विनहार है। जिन्होंने खुद मारे दुर्भे मरीजों की संख्या अक-से-अक बढ़कर है, असे चिकित्सकों की बड़ी अज्जन हो रही है। अनागिननी लोगों की मृत्यु शायद किसी वैद्य की किमी खास चिकित्सा-प्रणाली के प्रति श्रद्धा नष्ट कर दे! जहाँ-तहाँ मृत्यु की संख्याएं खोली गयी हैं; शिवपा का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये लाखों विद्यार्थी मारे जा रहे हैं। शायद मनुष्य असमें कोई स्थायी शिवपाले ले, लेकिन 'कब और कहाँ'? यह मैं आज ही नहीं बना सकता। आज तो हम अतना ही देखने हैं कि अक के बाद अक अनन्त पाठ पढाये जा रहे हैं। वे हर अक कक्षा के कमरे में बार बार जोर से दुहराये जाते हैं; मगर खतम होते नहीं दीखते।

'मॉडर्न रिव्यू' }
दिसंबर, १९३९ }

—रवीन्द्रनाथ टाकुर

प्रकाशक:—दादा धर्माधिकारी, बजाजवाडी, बर्धा (मध्यप्रान्त) ।

मुद्रक:—वत्सभदास जाज, श्रीकृष्ण प्रि० वर्क्स लिमिटेड, बच्छराज रोड, बर्धा ।

सर्वोदय

अेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

सम्पादक
कमला काठ/कर
दादा धर्माधिकारी

वर्ष २ रा
अंक १२ वाँ

जुलाजी
१९४०

अंक संक...	...	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में...	...	६	शिलिंग
			१.५० डॉलर.
(सब डाक-व्यय सहित)			

अनुक्रमणिका

१. मूंदर सूत और जिन्दा सूत (विनोबा)	५७३
२. भारत के कपडे की आवश्यकता (,,)	५७४
३. आलस का अलजाम (किशोरलाल घ० मगरूवाला)	५७५
४. व्यापक लोकसेवा के मार्ग (नरहरिभाभी परीख)	५८०
५. साहित्य की दिशाभूल (विनोबा)	५८३
६. सत्याग्रही शिक्षण (श्री आचार्य अभयदेवजी)	५८५
७. स्वतंत्रता और नियमन (किशोरलाल घ० मगरूवाला)	५८९
८. ग्राम-संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा (श्री काका कालेलकर)	५९०
९. सत्याग्रही छावणी का शिक्षाक्रम (डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष)	५९३
१०. खादी के अर्थशास्त्र की मौलिक समस्याओं (गांधीजी का भाषण)	५९६
११. वीरों की अहिंसा का प्रयोग (,,)	६०३
१२. सर्वोदय की दृष्टि	६१६
<p>कौंग्रेस के सदस्य क्या करें? गांधीजी की राय; अहिंसा-प्रमियों से अनुरोध; छोटे राष्ट्र और सशस्त्र युद्ध; वकिंग कमेटी का प्रस्ताव; अराजकता के विविध रूप; स्थिरबुद्धि की आवश्यकता; गुंडे और सिद्धान्त-वादी शस्त्र-धारी; स्वाभाविक नेताओं का संगठन; नैतिक बल का संगठन; नेताओं की जरूरत; वर्तमान महायुद्ध पर दृष्टिपात; ओश्वर किसकी तरफ है? परान्स की बहादूरी; परान्स के पराभव का सबक; हिटलर की शक्ति-साधना; हम क्या करें?</p>			
१३. संघवृत्त	६२३

सर्वोदय मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है :--

- (१) शिष्ट साहित्य-मण्डार, आनंद-भवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई २
- (२) कोरा अण्ड कंपनी, ८, राजुण्ड विल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई २
- (३) नवजीवन-कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई २
- (४) नवजीवन-कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) खादी-मण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता
- (६) सस्ता साहित्य-मण्डल, कॅनाट सर्कस, न्यू देहली
- (७) सस्ता साहित्य-मण्डल, लखनऊ
- (८) गांधी-आश्रम, गोरखपुर
- (९) मगनलाल हिम्मतलाल भट्ट, कौंग्रेस हाऊस, नागावट, गुरत
- (१०) सस्ता साहित्य-मंडल, अन्दीर
- (११) सी. सी. पटेल अण्ड कं., नडियाद

बुक बंक...	...	६०	०-६-०
वार्षिक	६०	३-०-०
बर्मा में	६०	३-८-०
विदेश में...	...	६	सिलिंग
			१.५० डॉलर.
(सब टाक-व्यय सहित)			

अनुक्रमणिका

१. मुद्दर सूत और जिन्दा सूत (विनोबा)	५७३
२. भारत के कपडे की आवश्यकता (,,)	५७४
३. आलस का अलजाम (किशोरलाल घ० मयख्वाला)	५७५
४. व्यापक लोकसेवा के मार्ग (नरहरिभाजी परीख)	५८०
५. साहित्य की दिशाभूत (विनोबा)	५८३
६. सत्याग्रही शिक्षण (श्री आचार्य अत्रयदेवजी)	५८५
७. स्वतंत्रता और नियमन (किशोरलाल घ० मयख्वाला)	५८९
८. ग्राम-संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा (श्री काका कासेलकर)	५९०
९. सत्याग्रही छावणी का शिक्षाक्रम (डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष)	५९३
१०. खादी के अर्थशास्त्र की मौलिक समस्याओं (गांधीजी का भाषण)	५९६
११. वीरों की अहिंसा का प्रयोग (,,)	६०३
१२. सर्वोदय की दृष्टि	६१६
<p>कौंग्रेस के सदस्य क्या करें? गांधीजी की राय; अहिंसा-प्रमियों से अनुरोध; छोटे राष्ट्र और सशस्त्र युद्ध; वकिंग कमेटी का प्रस्ताव; अराजकता के विविध रूप; स्थिरबुद्धि की आवश्यकता; गुंडे और सिद्धान्त-वादी शस्त्र-वारी; स्वामाविक नेताओं का संगठन; नैतिक बल का संगठन; नेताओं की जरूरत; वर्तमान महायुद्ध पर दृष्टिपात; अविस्वर किसकी तरफ है? परान्स की बहादूरी; परान्स के पराभव का सबक; हिटलर की शक्ति-साधना; हम क्या करें?</p>			
१३. संघवृत्त	६२३

सर्वोदय मिलने की व्यवस्था निम्नलिखित स्थानों में की गयी है :-

- (१) सिष्ट साहित्य-मण्डार, आनंभ-भवन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (२) बोरा बैण्ड कंपनी, ८, रामुण्ड बिल्डिंग, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (३) नवजीवन-कार्यालय, १३०, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बयी २
- (४) नवजीवन-कार्यालय, अहमदाबाद ।
- (५) खादी-मण्डार, हैरिसन रोड, कलकत्ता
- (६) सस्ता साहित्य-मण्डल, कॅनाट सर्कस, न्यू देहली
- (७) सस्ता साहित्य-मण्डल, कलकत्ता
- (८) गांधी-आश्रम, गोरखपुर
- (९) मगननाथ हिन्दुस्तानी भट्ट, कौंग्रेस हाऊस, नाबाबट, गुरत
- (१०) सस्ता साहित्य-मण्डल, जिन्दौर
- (११) सी. सी. पटेल बैण्ड कं., नडियाद

|

सर्वोदय

शेष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके

संपादकः—काका कालेलकर
दादा धर्माधिकारी

जुलाजी, १९४०
बधा

मुर्दार सूत और जिंदा सूत

[विनोबा के एक पत्र से]

नुम प्रतिज्ञा के तीर पर प्रतिदिन १०-१५ तार कातने लगे हों, अिसमें मेरी कोअी विजय नहीं है। गीनी मूरत के घोडे पर सवार होने से विजय क्या मिलनेवाली है ? अिससे तो वह घोडे पर सवार ही नहीं होगा, तो बेचारा कम-से-कम कुशल तो रहेगा। जब कि हमारी बुद्धि ने अुसका स्वीकार न किया हो, तो बतौर बेगार के १०-१५ तार कात लेना अपने-आपको धोखा देने का अेक तरीका है। स्वराज्य का सूत कातने से संबध तो है, मगर अैसे मुर्दार सूत से नहीं। अुसके लिये तो जिंदा सूत चाहिये।

मांप्रत हमारे देश को मतभेदों ने ग्रास लिया है। जर्मनी में सत्तर लाख फौज तैयार हो जाती

है; और हमारे यहाँ “ पिडे पिडे मतिभिन्ना; कुडे कुडे नबं पय. ” के न्याय के अनुसार छोटी छोटी लोपड़ियों का भी गाधीजी-जैसे से मत-भेद हुआ करता है।

मेरी तो यह सलाह है कि प्रतिज्ञा का— अर्थात् प्रतिज्ञा की आत्मा का—पालन करना हो, तो तुम्हारे-जैसे देश के द्रित के लिये तडपने-वाले तरुण को खादी का त्रिद्यापीठ बन जाना चाहिये। प्रत्येक ग्रह के अिर्देगिर्द जिस प्रकार अुस ग्रह का अपना वातावरण होता है, अुसी प्रकार तुम्हारे चारो ओर खादी का स्वतंत्र वातावरण होना चाहिये।

२४:५.४०

(‘ग्राम-सेवा-वृत्त’ से अनूदित)

भारत की कपडे की आवश्यकता

[विनोबा]

सारे हिन्दुस्तान की कपडे की जरूरत खादी द्वारा पूरी हो सकेगी या नहीं, जिसका हम कभी कभी हिसाब किया करते हैं। जब हम हिसाब करने बैठते हैं, तब सवाल यह होता है कि फी आदमी कितने गज कपडे की जरूरत मानी जाय।

दस-बारह साल पेशतर हिन्दुस्तान में फी आदमी १४ गज कपडा बिकता था। अब १६-१७ गज बिकता है। १४ गज कपडा बिलकुल ही ना-काफी है। इसके मुकाबले में १६-१७ गज कुछ तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हिन्दुस्तान की वास्तविक आवश्यकता प्रति मनुष्य २० गज कपडे की मानी जानी चाहिये। पंडित जवाहरलालजी का तो अंतिम आंकडा ३० गज का है। वे कहते हैं कि इसके बिना हिन्दुस्तान को पूरा वस्त्र-सुख नहीं मिलेगा।

अस प्रश्न का अंक दूसरी ही दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है।

क्या बारह बरस में अधिक कपडा बिकने का यह मतलब है कि हिन्दुस्तान को अधिक वस्त्र-सुख मिलने लगा है? मिलों की आज की प्रवृत्ति देखने पर अस प्रश्न के जवाब में निश्चितरूप से 'हो' नहीं कह सकते। कपडे की खपत बढ़ाने की गर्ज से मिले दिनों-दिन ज्यादा छितरा (विरल बुनावट का) कपडा बनाने लगी है। यह कपडा कुछ सस्ता और बज़न में हलका होता है, जिसलिसे लोग उसे बड़े शीक से खरीदते हैं। यह कम टिकता है, जिसलिसे अतना कपडा अधिक खपता है; और हिन्दुस्तान की कपडे की माँग पूरी करने का अर्थ मिलों को नाहक मिलाता है। यह छितरा कपडा छः महीनों से ज्यादा तो चलता ही नहीं और कभी

कभी तो चार महीनों में ही फट जाता है। अंक व्यक्ति सालभर में ४ महीने चलनेवाले ३ धोती जोडे पहनता है, दूसरा ६ महीने चलनेवाले २ धोती जोडे बरतता है, और तीसरा १२ महीने टिकनेवाले १ ही धोती जोडे से काम चलता है। अब मान लीजिये कि हर अंक जोडा १० गज का है, तो अिन तीनों ने सालभर में क्रमशः ३० गज, २० गज और १० गज कपडा फाडा। परन्तु तीनों ने सालभर में अंक से अधिक धोती नहीं पहनी। मतलब, जिसे हम वस्त्र-सुख कहते हैं, वह तीनों को समान ही मिला। हाँ, अगर पुरानी धोतियाँ जल्दी जल्दी फाड कर नयी नयी पहनना भी वस्त्र-सुख का ही अंक प्रकार माना जाय तब तो बात दूसरी है।

लेकिन वस्त्र-सुख का यह विध्वंसक रूप हिन्दुस्तान को लाभकारी नहीं हो सकता। कपडा टिकाऊ बनाने के लिसे शास्त्र के अनुसार जितने सय की कंधी चाहिये, अतने सय से कम सय में छितरा कपडा बुन कर कपडे की खपत में वृद्धि का आभास पैदा करने में राष्ट्र की सब तरह से हानि है। हमारी आवश्यकता अधिक कपडा बरतने की है, न कि अधिक कपडा फाडने की। अधिक कपडा फाडना हमारे लिसे व्यवहार्य भी नहीं होगा। हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति मुश्किल से अंक अंक ज़मीन है। उसे व्यर्थ कपास की खेती के काम में खाने से कोबी फायदा नहीं है।

जिसलिसे, 'कितने गज कपडे की जरूरत है?' —असा अिकहरा प्रश्न निरूपयोगी है। 'कितना टिकनेवाला कितने गज कपडा चाहिये?' —अस दुहरे प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिये।

जिन्होंने ३० गज की आवश्यकता मानी है, उनसे यदि यह दुहरा सवाल पूछा जाय, तो वे बहुधा यह उत्तर देंगे कि '६ महीने टिकनेवाले ३० गज कपडे की जरूरत होगी।' साफ है कि ९ महीने टिकनेवाला २० गज कपडा वे ज्यादा पसंद करेंगे और १२ महीने टिकनेवाला १५ गज कपडा अगर उन्हें मिल जाय, तो वे स्वाभाविक नाचने लगेंगे। टिकाऊ कपडे से मतलब मोटा कपडा नहीं है। मोटा-महीन, जो जैसा चाहे, उसे वैसा मिलना चाहिये। वह भी पूर्ण,

यानी १२ महीने टिकने लायक, बनाया जाना चाहिये।

खादी कार्यकर्ताओं को जिस बात पर ध्यान देना चाहिये। उसके लिये क्या करना चाहिये, यह दर्शाना जिस लेख का अुद्देश्य नहीं है। वह तो प्रत्यक्ष प्रयोग का वि य है। उसके विषय में अलग लेख लिखना पडेगा। यहीं तो कपडे की आवश्यकता का शास्त्रीय अर्थ देखना था।
जून, १९४० (ग्रामसेवा-वृत्त से अन्वित)

आलस का अिलजाम

[किशोरलाल घ० मसूरवालाला]

हिन्दुस्तान के देहातियों और मजदूरों पर आलसीपन या अलाली का अिलजाम लगाने का अधर हमलोगों में अेक रिवाज-सा चल पडा है। क्या बूढा और क्या नीजवान, चाहे वह खुद अेक ग्राम-सेवक हो या शहरिया व्यापारी हो, जो कोजी देहाती जीवन के बारे में अपनी राय देने का दम भर सकता है, यह कहने में नहीं हिचकता कि सुस्ती या आलस्य हिन्दुस्तानी देहाती का अेक प्रमुख दुर्गुण है। जिस बात पर सरकारी नौकर और राष्ट्रसेवक, या जमींदार-पूजीपतियों के प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधि, के बीच कोजी मतभेद नजर नहीं आता।

जब हम आलसीपन या अलाली का अेक दुर्गुण के रूप में चिह्न करते हैं, तब हम अुसे केवल अेक मानसिक रोग समझते हैं, न कि शारीरिक। हम समझते हैं कि आवश्यक सिक् और अिच्छा-शक्ति के प्रयास से मनुष्य अुसे

छोड सकता है। व्यक्ति के शरीर और जीवन की परिस्थिति का हम अुससे कोजी संबंध ही नहीं देखते। मैं समझता हूँ कि यहीं पर हम हिन्दुस्तानी देहाती के साथ अनजाने अन्याय करते हैं। शायद यह कहना अत्युक्तिपूर्ण होगा कि आलस बिलकुल अेक शारीरिक रोग ही है, जिसका आहार, अुपचार और व्यायाम से निवारण हो सकता है। परन्तु मेरी यह धारणा तो अवश्य है कि ये बातें भी बिलकुल नगण्य नहीं हैं; और किसी गरीब को सुस्ती या काहिली का अपराधी घोषित करने के पहले जिन बातों को भी खोज कर अुनका अिसाज करना जरूरी है। अेक हद तक—शायद बहुत बडी हद तक— देहातियों का आलस्य अुतना ही अनिवार्य होता है जितनी कि अुनकी बेकारी। अुनके अूपरी दोषों की तरफ देखने की हमारी दृष्टि पूर्णतया सही नहीं है।

अके बच्चे की मिसाल लें लीजिये। बच्चों से हम सबको यही अुम्मीद होती है कि वे चपल और आनन्दी रहेंगे और अुन्हें अिघर-अुघर बीडने तथा अुछसने-अुदने का शोक होगा। अब अगर हम कोअी असा बच्चा देखें, जो हमारी यह अुम्मीद पूरी नहीं करता, बल्कि ढीला और सुस्त है, तो हम फौरन् यह अनुमान नहीं करते कि अुस बच्चे के स्वभाव में ही कोअी-न-कोअी नुक्स है। बल्कि हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अुसके शरीर में किसी बीमारी के, अुलमरी के या पीष्टिक खुराक की कमी के कारण कोअी पीडा तो नहीं है? अुदाहरणार्थ, असा पाया गया है कि जिन बच्चों के पेट में कृमि हो जाते हैं, वे सुस्ती और बुदधूपन के लक्षण बताने लगते हैं। अुसी तरह अगर किसी बच्चे के विषय में हम यह जानते हों कि अुसे पूरा पूरा खाना नहीं मिलता, या पूरी और शांत नीद नहीं मिलती, तो हमें अुसकी काहिली पर अचम्भा नहीं होगा। कोअी बच्चा देखने में मोटा-ताजा मले ही दिखायी देता हो, मगर यदि हमें यह पता चले कि अुसे आसानी से हजम होनेवाली खुराक नहीं मिलती और अिसलिये अुसे अपनी भीतरी शक्ति अधिकतर अपने अन्न को रक्त और मांस में परिणत करने में खर्च करनी पडती है, तो अुस बच्चे से भी हम बहुत बडी मानसिक फुर्ती की आशा नहीं कर सकते।

अुसी प्रकार यदि २० से ५० साल के बीच की आयुवाला कोअी तरुण कुश्ती लडने की अिच्छा के बदले काम से छुटकारा पा कर आराम लेने की, या बीडी पीते हुअे अथवा गप-गप करते हुअे आलस में समय बिताने की, निरंतर अिच्छा दिखाने लगे, तो समझना चाहिये कि यह अके अस्वाभाविक चीज है; यानी जिसका

ओसल स्वास्थ्य हो अुस ब्यक्ति से अैसे ब्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तरुण ब्यक्ति से तो यही आशा की जा सकती है कि वह हमेशा चपल और कार्यमग्न रहे, चाहे फिर अुसकी करतूतें कुचाली अर्थात् समाज-विरोधी जले ही हों। बल्कि, तरुणों से हम अक्सर यह आशा करते हैं कि वे जी चुराने के बदले हृद से ज्यादा परिश्रम कर डालेंगे। अिसलिये यदि हम यह पाते हैं कि देहाती या शहरी कारीगर हमारी ओसल अपेक्षा से कहीं नीचे है, तो हमें अुसके दिल या दिमाग को दोष लगाने से पहले अुसके शरीर, आहार और घर-बार की अौच-पडताल करनी चाहिये।

मैं अपने ही कार्यकर्ताओं में से किन्हीं किन्हीं का हाल जानता हूँ। हिन्दुस्तान के सभी निवासियों में से चित्पावन ब्राह्मण पर अुसके दुश्मन भी यह आरोप कभी नहीं करेगे कि अुसका आलस की तरफ झुकाव है। मैं अके चित्पावन राष्ट्र-सेवक को जानता हूँ, जो अब बूढे हो गये हैं; लेकिन अपनी अुग्र और सेहत के लिहाज से आज भी काफी क्रियाशील हैं। परन्तु बीस साल पहले अुनके विषय में यह संदेह प्रकट किया गया था कि अुनकी आलस्य की तरफ प्रवृत्ति है। वस्तुस्थिति यह थी कि कोंकण के आहार और हवा-पानी में पले हुअे होने के कारण अुन्हें गुजरात की गर्मी और आश्रम के खास भोजन के अभ्यस्त होने में कुछ वर्ष लग गये। अुन दिनों आश्रम के भोजन में दूध और दुग्धजात पदार्थ आवश्यक नहीं माने जाते थे। यह नहीं माना जाता था—शायद आज भी नहीं समझा जाता— कि मनुष्य की शारीरिक क्रियाशक्ति का अिन चीजों से कुछ तात्सुक है। आजकल यह स्वीकार किया गया है कि सुदीर्घ मानसिक अुद्योग के लिये दूध की जरूरत है। परन्तु

यदि आत्मस्य मन की सुस्ती का नाम हो, तो हमें यह भी मानना होगा कि सतत शरीरश्रम के लिये सतत मानसिक प्रेरणा की भी जरूरत है। तो, क्या किसी जैसे मनुष्य के शरीर में जिसने कि अपनी माँ के दूध के बाद कभी दूध-धी चखा ही न हो, अँसी नसें, जिनके जरिये अिच्छा-शक्ति क्रियावान होती है, मजबूत हो सकती हैं ?

मैं अँके दूसरे मित्र को भी जानता हूँ, जिन्होंने अपनी मर्जी से दूध-धी छोड़ दिया था। वे अँके प्रान्त के जिम्मेदार कार्यकर्म थे। अुन्होंने कुछ महीने अँसे ही काट लिये; मगर अुनका वजन घटने लगा, और वजन से भी अधिक घटने लगी अुनकी लगातार शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने की शक्ति। आखिर अुन्हें छुट्टी पर जाना पडा। वे अँके परिवार में रहने लगे, जहाँ अुन्हें मामूली महाराष्ट्रीय भोजन मिलता था, जिसमें थोडा-बहुत दूध, मट्ठा और धी होता है। थोडे ही दिनों में अुनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। अुन्होंने महसूस किया कि बिना थोडे-से दूध या दुग्ध-जन्य पदार्थों के, वे अपनी कार्यशक्ति टिका नहीं सकते। अुनके कुछ साथियों के विषय में भी अुन्हें अँसा ही अनुभव हुआ। वे जिस गाँव में काम करते थे, वहाँ काफी दूध प्राप्त करने में कुछ दिक्कत होती थी। अुनके कुछ विद्यार्थी या तो बार बार बीमार होते थे, या शुरू में जितना काम कर सकते थे अुतना काम करने में असमर्थ हो गये थे। अुन्होंने आबहुवा बदलने के लिये अपने कुछ विद्यार्थियों को वर्षा भेज दिया था। अुनके भोजन में केवल दूध या दूध से बनी हुयी कोबी चीज बढा दी गयी। अुनका स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा।

श्री विनोबा ने मुझे अँके लडके का हाल सुनाया, जिसे वे काखना सिखा रहे थे। वह क्रीव दो-

तीन मील के फासले से आश्रम को आया करता था। अुसने काफी दिन शिक्वा ली; लेकिन फिर भी, वह कताबी की अपेक्षित गति नहीं प्राप्त कर सका। वह अलाल नहीं था। सच तो यह है कि वह अलाल हो भी नहीं सकता था; कारण, चरखा जितनी पूरी रोजी दे सकता है, अुसकी अुसे जबरदस्त आवश्यकता थी। अपनी मन्द प्रगति से लडका भी परेशान था। अँके दिन अुसने विनोबाजी से कुछ दिन के लिये आश्रम में रहने की अिजाजत माँगी; क्योंकि वह समझता था कि अपने गाँव से आने-जाने के परिश्रम से वह बिलकुल थक जाता था और शायद अुसकी अप्रगति का वही कारण हो। विनोबाजी राजी हो गये। अुन्होंने अुसे हफ्तेभर आश्रम में रख लिया। अुसे केवल विश्राम ही नहीं, आश्रम का भोजन भी मिलने लगा। अँके सप्ताह के भीतर अुसने नियत गति प्राप्त कर ली।

मैंने अँसा देखा है और मुझे आशा है कि दूसरे निरीक्षक भी मेरा समर्थन करेंगे कि जहाँ चरखा देहातियों को रोजी कमाने के लिये नहीं, बल्कि वस्त्र-स्वावलम्बन के लिये दिया गया है, वहाँ यह चमत्कार नजर आता है कि बिलकुल गरीब किसान की अपेक्षा मध्यम किसान ने अुसका अधिक स्वागत किया है; गरीब किसान अुसकी जाँच-पड़ताल करता है, अुसके पक्ष में आपकी दलीलें मान लेता है; लेकिन फिर भी, अुसके दिल में अुसके लिये अुसाह नहीं पैदा होता। कारण यह है कि अुसमें वह गरम खून ही नहीं है, जो अुसे साक्षभर में ज्यादा-से-ज्यादा पाँच या छह रुपये बचाने या कमाने को प्रेरित करे। बडे किसान की अपेक्षा अुसे अिस आमदनी की कहीं अधिक जरूरत है। लेकिन अमल करने की अिच्छा का फिर भी अभाव है। यह हालत क्यों ?

दोनों अंक ही गॉव मे रहते हैं; फिर, सुखी किसान की अपेक्षा दुःखी किसान काहिली का अधिक शिकार क्यों हो? अगर हम अउनकी खुराक कपडे-लत्ते, और घरों का निरीक्षण करें तो शायद हमें इसके कारण का पता चले। हमें दीख पडेगा कि अुस सुखी किसान के यहाँ ज्यादा बोर-बछेरू होते हैं। वह दुग्धजात पदार्थों पर कुछ कमाबी बेशक कर लेता है। लेकिन फिर भी, वह अपने परिवार के खाने के लिअे थोडा-बहुत मही और घी अवश्य रख लेता है। ठंड का मुकाबला करने के लिअे अुसके पास काफी कपडे-लत्ते होते हैं। जाडों में चारों बोर का वातावरण हमारे शरीर की गरमी कम करने की सतत चेष्टा करता रहता है और हमें अपनी शरीर की अुष्णता बराबर ९८ अंश पर स्थिर रखने के लिअे काफी अुष्णता पैदा करनी पडती है। अगर हमारे शरीर भलीभाँति आच्छादित हों, तो कम अुष्णता नष्ट होती है और अिसलिअे प्रति मिनिट कम अुष्णता पैदा करनी पडती है। अिस बचत के कारण हम दूसरी दिशाओं में अधिक परिश्रम कर सकते हैं। अगर किसीको बिना आच्छादन के ठंड का मुकाबला करने में सारी रात बितानी पडे तो अुतने ही से अुसे सख्त मेहनत हो जायगी। अगर कौबी अंक रात के लिअे भी यह प्रयोग करे, तो अुसे पता चलेगा कि दूसरे दिन कितनी थकावट आ जाती है। अचरू अच्छे कपडे पहने हुअे बाबूओं को मैने देहातियों के बारे में बडे मुच्छ भाव से यह कहते सुना है कि "ये आलसी देहाती अपना आधा दिन घूप लेने में खराब कर देते हैं।" अुन्हें अिस बात का क्या पता—बल्कि वे यह भूल जाते हैं—कि अुन बेचारों को अपने शरीर की अुष्णता कायम रखने के लिअे सारी रात मेहनत करनी पडी है।

वर्षा में जब अुसे गीले कपडे पहने सोना पडता है तब भी यही होता है। अगर अुसकी झोपडी अितनी जीर्ण-शीर्ण हो कि अुसमें पानी चूता हो, तो अुस बेचारे को अधिक भीगने से बचने की कोशिश करनी पडती है। अिन सारी मुसीबतों का सामना करने में अुसे जो शक्ति लगानी पडती है, अुसका हम कुछ भी खयाल नहीं करेंगे? अिसके अलावा अुसका रोजमर्रा का काम भी कडी मेहनत का होता है। निःसन्देह अुस काम में हल्की मजदूरी या मानसिक श्रम की अपेक्षा अधिक शक्ति खर्च होती है।

अब; अिस आलस्य के आरोप के दो पहलू हैं:— अंक, काम करने की अनिच्छा और दूसरा, हाथ में लिये हुअे काम पर डटे रहने की अनिच्छा। काम करने की अनिच्छा का कारण शुरू से ही कार्यशक्ति का अभाव हो सकता है। काम पूरा करने की अिच्छा के अभाव के निम्न कारण हो सकते हैं:—वह लगभग घण्टाभर काम करता है। अुतने ही मे अुसकी नसें चूरचूर हो जाती हैं और विश्राम का तकाजा करने लगती हैं। कभी कारणों से विश्राम की यह माँग हमेशा सीधी व्यक्त नहीं होती। वह अक्सर तमाखू पीने की, गपशप लड़ाने की या टहलने की अिच्छा का रूप ले लेती है। थोडे-से विश्राम से अुसकी नसें फिर से ताजा हो जाती हैं और वह फिर काम करने लगता है।

ये अुन अनेक कारणों में से कुछ थोडे-से कारण हैं, जो देहातियों के माने गये आलसी स्वभाव के लिअे जिम्मेवार हैं। अगर हम और भी गहरे अुतरें, तो गांवों में प्रचलित दूसरे बहुत-से कारणों का हमें पता लगेगा। बुदाहरणार्थ, खटमल, जूअें, पिस्सू, दाद, कुमि, मलेरिया और दूसरी बीमारियों के कीटाणु, धराबकोरी, नसीली चीअें, सिनेमा और ज्ञानतंतुओं को बहकानेवाले

और कामवृत्ति को अ्तुत्तेजित करनेवाले, दिल-बहुलाब के दूसरे साधन, बगैरा। अिनमें से अेक-अेक भी मनुष्य को कार्यप्रवृत्त और कार्य-मग्न रखनेवाली अिच्छा-शक्ति पर से अुसका काबू हटा देने के लिये काफी है।

में यह नहीं सुझाना चाहता कि निरी अलाली हो ही नहीं सकती। अलाली और सुस्ती की शिक्षा पाना भी संभव है; परंतु मेरी राय में अंसा निर्णय देने से पहले हमें अिसका निश्चय कर लेना चाहिये कि अुस मामले में आलस का कारण शारीरिक और स्थूल परिस्थिति नहीं है।

हमें देहातियों की अेकदम निन्दा ही नहीं करनी चाहिये। देहातियों से अगर बार बार यह कहा जाय कि तुम आलसी हो, तो वे अुससे अवश्य बुरा मानते हैं। वे शायद सोचते हैं कि आखिर तुम भी अुनके प्रति सहानुभूति नहीं रखते, नुक्ता-चीनी ही करते हो। तुम्हारा रुतबा बड़ा है, अिसलिये वे तुम्हारा प्रतिवाद नहीं कर सकते या तुम्हें अुन्हे आलसी कहने से रोक नहीं सकते। लेकिन वे मन-ही-मन अुरु कहते हैं, "बस अब माफ़ कीजिये। जानते हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन हमें आपकी अुरु रत नहीं है। हमारा भाग्य है और हम हैं। हमें अपनी किस्मत से निपट लेने दीजिये।" अगर वे गृनाह कबूल करें, तो अुनके अन्दर अेक हीनता की भावना पैदा हो जाती है और वे यह समझने लगते हैं कि आधिक अुन्नति

अुनके लिये अप्राप्य है। फिर, सिर्फ अितना कह देने से कि सारी कंगाली की जड़ आलस है, आप कोजी भदद नहीं करते। अगर दर-असल आलस ही मूल कारण हो, तो हमें अुसका निवारण करने के लिये प्रत्यक्ष अपुचार करने चाहिये; फिर चाहे अुनका स्वरूप पारितोषिक और दण्ड का ही क्यों न हो। अुसके अभाव में आप सिर्फ अपनी असफलता के लिये झूठ-भूठ का आश्वासन प्राप्त कर लेते हैं। आप समझते हैं कि आप सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन जब-तक लोग अपना आलस नहीं छोड़ेंगे, कोजी तरक्की नहीं हो सकती।

याद रहे कि अीसत मनुष्य बिना मजबूरी के निठल्ला रह ही नहीं सकता। सजीव सृष्टि का वह स्वभाव ही नहीं है। अिमलिये अगर बड़ी मात्रा में निरुद्योग की प्रवृत्ति पायी जाती हो, तो अुसका कारण मानसिक दुर्गुणों के बदले स्थूल परिस्थिति ही होना अधिक संभव है। यह भी याद रहे कि ब्रिटिश राज की जड़ें मजबूत होने से पहले हिन्दुस्तानी देहातियों ने आलस के विपरीत गुणों के लिये नाम कमाया था। पुराने जमाने से ले कर अीस्ट अिण्डिया कंपनी के जमाने तक हर अेक विदेशी ने अुनकी श्रमशीलता की ही प्रशंसा की है; न कि अुनकी अलाली की निन्दा।

['रुक्मिणिया' से अनूदित]

व्यापक लोक-सेवा के मार्ग

[नरहरिभाजी परीख]

१. जीवन-संबंधी

१. सारे दिन का कार्यक्रम बनाना चाहिये ।
२. खुराक, कपडा तथा अन्य रहन-सहन में सादगी ।

३. थोड़े खर्च में ठीक ठीक पोष्टिक खुराक मिलती रहे जिस दृष्टि से प्रयोग कर के अपनी खुराक निश्चित करना ।

४. हाथ-कुटाभी के चावल तथा हाथ-पिसाभी के आटे का आग्रह, कम-से-कम अपने घर में तो, रखना ही चाहिये । अगर हो सके, तो गाय का ही घी-दूध बरतना चाहिये ।

५. अपना कपडा अपने हाथ के कते हुए सूत से बनवाने का यत्न होना चाहिये ।

६. स्वदेशी चीजें और, जहाँ तक हो सके, ग्राम-उद्योग की चीजें ही बरतने का आग्रह ।

७. शरीर-स्वास्थ्य की रक्षा के लिये आरोग्यवर्धक आदतों तथा व्यायाम को जीवन में अर्चित स्थान देना चाहिये ।

८. अस्पृश्यता-निवारण तो करना है ही । परंतु मनुष्य-मनुष्य के बीच जो अुच्च-नीच का भेदभाव (अुदाहरणार्थ—स्त्रियों के प्रति तुच्छ भाव, लड़के-लड़कियों के बीच का भेदभाव, नीकर-चाकर के प्रति व्यवहार) समाज में पाया जाता है, उसका हममें से लोप हो जाना चाहिये ।

९. सांसारिक सुधारों में ग्राम-सेवक सबके आगे होना चाहिये—जैसे कि तेरही मनाना, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, फिजूल-खर्ची, आदि वह स्वयं तो करेगा ही नहीं; किन्तु जैसे प्रसंगों में भाग भी नहीं लेगा और जहाँ संभव ही, वहाँ अुनका विरोध भी करेगा ?

१०. ग्राम-सेवक जिस प्रकार यज्ञार्थ कातता है उसी प्रकार उसे यज्ञार्थ रोज थोड़ी ग्राम-सफाई भी करनी चाहिये ।

११. मनुष्य को अपने जीवन तथा कार्य में स्फूर्तिमान् बनाये रखने के लिये बाह्य मदद की अपेक्षा अन्दर की मदद अधिक अुपयोगी होती है और यही सच्ची मदद होती है । अतः जिस आन्तरिक शक्ति के विकास के हेतु तथा अपने चरित्र के विकास के लिये ग्राम-सेवक को ओश्वर के प्रति संपूर्ण श्रद्धावान् होना चाहिये । अुसके लिये अुपयुक्त वाचन और चिन्तन करते रहना चाहिये तथा जो प्रेरणा दे सकें, जैसे व्यक्तियों का सहवास प्राप्त करना चाहिये ।

२. स्वाध्याय

१. अपने देश की राष्ट्रीय जागृति के अिति-हास से तथा आज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रश्नों से परिचय प्राप्त करने के लिये और समाज में आज कौन-कौन-सी परिवर्तनकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं तथा समाज का पुनः संगठन किस नीति के आधार पर होना जरूरी है—यह ठीक ठीक समझने के लिये, अुपयुक्त अेवं नियमित वाचन तथा विचार करना चाहिये ।

२. अुसे स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-रक्षा के सिद्धान्तों का, दुर्घटनाओं आदि के तात्कालिक अुपायों का तथा सस्ती घरेलू दवाओं के अुपयोग का भी ज्ञान होना चाहिये ।

३. नियमित कातना तो आवश्यक है ही । परंतु अुसके अलावा चरखे के विषय में यांत्रिक जानकारी तथा अुसके अर्थशास्त्र का आवश्यक ज्ञान भी होना चाहिये ।

४. हिन्दुस्तान के विषय में व्यवहारोपयोगी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

३. प्रवृत्ति और कार्य-पद्धति

१. पूज्य गांधीजी के सुझाये हुये सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार ही जनता की सेवा करना हमारे ग्राम-सेवक का अद्देश्य है।

२. ग्राम-सेवक को अपने सारे कार्य शिक्षा की दृष्टि से ही चलाने चाहिये। उसका अद्देश्य किसी-न-किसी तरह काम पूरा करने का, या करा लेने का, ही न हो; बल्कि उसका यह प्रयास होना चाहिये कि हर अके चीज लोग ठीक ठीक समझ-बूझ कर करें।

३. गाँव का काम करते हुये गाँववालों का अतरोत्तर अधिक सहयोग तथा साथ प्राप्त करने की कला ग्राम-सेवक को हासिल करनी चाहिये।

४. ग्राम-सेवक को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिये। वह अगर किसी पक्ष में शामिल हो जायगा, तो थोड़ी देर के लिये उसका काम बढ़ता हुआ भले ही दिखायी दे; लेकिन वह काम करने की योग्यता गँवा देगा। ग्राम-सेवक को अपनी सेवा तथा चाल-चलन से लोगों के अन्दर यह खयाल पैदा कर देना चाहिये कि 'यह शस्त्र जो कुछ करेगा, समाज-हित के लिये ही करेगा; उसमें उसका अपना या किसी खास व्यक्ति अथवा मण्डल का स्वार्थ तो हो ही नहीं सकता'।

५. ग्राम-सेवक की कार्य-पद्धति सिर्फ दूसरों से कह कर कराने की न हो, किन्तु खुद काम करके कराने की होनी चाहिये।

६. ग्राम-सेवक को नीचे लिखी सारी प्रवृत्तियों में दिलचस्पी होनी चाहिये और उसका जीवन अिन सब प्रवृत्तियों का पोषक

होना चाहिये। परंतु अिनमें से अके या दो प्रवृत्तियों में तो उसे निष्णात भी होना चाहिये:—

- (१) लादी
- (२) ग्राम-सफाई
- (३) शिक्षण
- (४) अस्पृश्यता-निवारण
- (५) खेती-सुधार तथा सहकार
- (६) ग्राम-अुद्योग तथा गृह-अुद्योग
- (७) शारीरिक व्यायाम

१. लादी

- (क) वस्त्र-स्वावलंबी परिवार तैयार करना।
- (ख) मजदूरी दे कर सूत कतवाना।
- (ग) बुनाई का केन्द्र कायम करना।
- (घ) चरखे का सरंजाम बनवाना या मँगवा देना।

२. ग्राम-सफाई

- (क) ग्राम-सफाई की भावना समाज-जीवन के हर अके अंग में फैलाने का प्रयत्न करना।
- (ख) गाँव की गलियाँ, सार्वजनिक कुँडों, तालाब, सार्वजनिक पाखाने, पेशाबखाने और नालियाँ साफ करने की योजना बनाना तथा अुसपर अमल करने का अिन्तजाम करना।
- (ग) बीमारी पैदा करनेवाले कीटाणुओं का अध्ययन करना तथा समाज में अुनके विषय के ज्ञान का प्रचार करना।

(घ) सब प्रकार के कूड़ा-करकट की अैसी व्यवस्था करना कि जिससे गंदगी नष्ट हो जाय और कूड़ा-कचरा खाद आदि अुपयोगी कामों के लिये अुपलब्ध हो सके।

(ङ) परिस्थिति के अनुसार ग्राम-रचना तथा गृह-रचना की योजना बना कर अुसमें यथा-

संभव हेरफेर करना और कराना। मनुष्य तथा मवेशियों के स्वास्थ्य का सब दृष्टियों से विचार करना और उसके अुपाय काम में लाना।

(ब) ग्राम-पंचायत की स्थापना के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये उसके नियमों का अध्ययन कर लोकमत शिक्षित करना तथा उसके लिये योग्य व्यक्तियों को तैयार करना।

३. शिक्षण

(क) पाठशाला की शिक्षा।

(ख) प्रौढ शिक्षा—अक्षर-ज्ञान के वर्गों द्वारा, समाचार-पत्र तथा अच्छी पुस्तकें सुना कर, दीवाल-पत्र लिख कर, अुत्सव तथा मनोरंजन के नये नये कार्यक्रम बना कर, पुस्तकालयों अेवं वाचनालयों का प्रचार कर, सभाओं और व्याख्यानों द्वारा अि०।

(ग) विद्यार्थी-प्रवृत्ति—अभ्यास-गृह द्वारा, खेल-कूद के सम्मेलनों द्वारा, पर्यटन और प्रवास द्वारा, स्वयंसेवक-दलों द्वारा, अि०।

(४) अस्वृष्ट्यता-निवारण

(क) हरिजन-वास में बार बार जा कर, वहाँ की सफाई बगैरा करके।

(ख) हरिजनों में राहतकाम द्वारा—यथा, शिक्षण, कुआँ, ऋण-निवारण, बुरी आदतों से बचाने की कोशिश आदि।

(ग) पाठशालाओं में हरिजन विद्यार्थियों को भर्ती करा कर।

(घ) कुआँ आदि सार्वजनिक स्थानों का हरिजन अुपयोग कर सकें, अैसा वातावरण दोनों ओर से बनाने के प्रयत्न द्वारा।

(ङ) हरिजनों के घंघों को प्रोत्साहन दे कर तथा अुनमें सुधार करने के प्रयत्नों द्वारा।

(५) खेती-सुधार तथा सहकार

साद, डोर, बीज, कुआँ, बुआमी, आदि कृषि-

संबंधी मुख्य मुख्य बाबतों में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, अिसका अध्ययन कर जनता में प्रचार करना चाहिये, और अिन्हें सुगम बनाने के लिये सहयोगी कृषि, सहयोगी मंडल, सहयोगी मंडार और सहयोगी बैंकों की धीरे धीरे स्थापना करनी चाहिये।

(६) ग्राम-अुद्योग तथा गृह-अुद्योग

पुराने जमाने में गाँव में कौन-कौन-से अुद्योग थे? वे अब पुनर्जीवित हो सकते हैं कि नहीं? नयी नयी ज़रूरतें पूरी करने के लिये कौन कौन-से नये ग्राम-अुद्योग या गृह-अुद्योग दाखिल किये जा सकते हैं?—आदि तमाम बातों का अध्ययन कर अुनके जरूरतों की खोज-बीन करनी चाहिये।

ग्राम-अुद्योग क्यों नष्ट हुअे? अुनकी जगह नये अुद्योग दिये जा सकते हैं कि नहीं, अिसका विचार करना चाहिये। जिनसे ग्राम-जीवन संगठित हो सके, अैसे आचार-विचारों का प्रचार तथा अमल करने के लिये सब तरह से कोशिश करनी चाहिये।

(७) शारीरिक व्यायाम

(क) कवायत, कसरत, आसन, खेल, आदि।

(ख) अुत्पादक श्रम और अुसका महत्त्व।

(ग) शरीर-रचना का साधारण ज्ञान।

(घ) आकस्मिक बोट या बीमारियों के

तात्कालिक अुपचार।

(ङ) स्वयंसेवक-दल—चौकी देना, आग बुझाना, आकस्मिक संकट-निवारण; अुदाहरणार्थ-बाढ़ या बीमारी का फैलाव।

(च) घरेलू दवाबियाँ।

(छ) शरीर-स्वास्थ्य के महत्त्व का प्रचार।

[गुजराती 'शिक्षण अने साहित्य' से]

साहित्य की दिशा-भूल

[विनोबा]

पिछले दिनों अके बर हमने अलसकी खोज की थी कि देहात के सर्वसाधारण पढे-लिखे लोगों के घरों में कौन-सा मुद्रित बाङ्गमय (छपा हुआ साहित्य) पाया जाता है। खोज के फलस्वरूप देखा गया कि कुल मिला कर पाँच प्रकार का बाङ्गमय पढा जाता है:—

- (१) समाचारपत्र, (२) शालीपयोगी पुस्तकें, (३) अुपन्यास, नाटक, गल्प, कहानियाँ, आदि, (४) भाषा में लिखे हुए पौराणिक और धार्मिक ग्रन्थ और (५) वैद्यक-संबंधी पुस्तिकाएँ।

अलससे यह अर्थ निकलता है कि यदि हम लोगों के दिलों में अुन्नति करना चाहते हों, तो अुक्त पाँच प्रकार के बाङ्गमय की अुन्नति करनी चाहिये। अलस वर्ष के (मराठी) साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष ने, पहले प्रकार का, याने समाचार-पत्रों का, बाङ्गमय मराठी भाषा में कितनी अधोगति को पहुँचा है, अलसकी तरफ़ महाराष्ट्र के विद्वानों और साहित्यिकों का ध्यान दिखाया। अंसा करने में अुन्होंने मराठी भाषा की अुन्नति सेवा की है, यह मानना पडेगा।

पारसाल का जिक्र है। अके मित्र ने मुझसे कहा, “मराठी भाषा कितनी अूची अुठ सकती है, यह ज्ञानदेव ने दिखाया; और वह कितनी नीचे गिर सकती है यह हमारे आज के समाचार-पत्र दिखा रहे हैं !” (साहित्य-सम्मेलन के) अध्यक्ष की आलोचना का और हमारे मित्र के अुद्गार का अर्थ “ प्राधान्येन व्यपदेशः ” के सूत्र के अनुसार निकालना चाहिये। अर्थात्, अुनके कथन का यह अर्थ नहीं लेना चाहिये कि सभी समाचार-पत्र अक्षरशः पेंसिफिक महासागर की तरह तक जा पहुँचे हैं। मोटे

हिसाब से परिस्थिति क्या है, अितना ही बोध अुनके कथनों से लेना चाहिये। अलस दृष्टि से बडे कष्ट से स्वीकार करना पडता है कि यह आलोचना यथार्थ है।

लेकिन अलसमें दोष किसका है? कोबी कहते हैं संपादकों का, कोबी कहते हैं पाठकगण का, कोबी कहते हैं पूजिपतियों का। गुनाह में तीनों की शराकत है, और ‘कमाबी का आधा हिस्सा’ तीनों को बराबर बराबर मिलनेवाला है, अलसमें किसीको कोबी शक नहीं है। परन्तु मेरे मत से अपराध करनेवाले ये तीनों भले ही हों, अपराध करनेवाला दूसरा ही है, और वही अलस पाप का वास्तविक ‘घनी’ है। वह कौन? —साहित्य की परिभाषा करनेवाला चटोरा अधवा रुचिभ्रष्ट साहित्यकार।

“ विरोधी विवाद का बल, दूसरों का जी जलाना, जली-कटो या पैनी बातें कहना, मसाल (अुपहास), छल (व्यंग्य), मर्मभेद (मर्मस्पर्श), आडी-टेडी सुनाना (वक्रोक्ति), कठोरता, पेचीदगी, संदिग्धता, प्रतारणा (कपट) ”— ये ज्ञानदेव ने वाणी के अवगुण बतलाये हैं। परन्तु हमारे साहित्यकार तो ठीक अलन्होंने अवगुणों को ‘वाग्भूषा’ या साहित्य की सजावट मानते हैं। पिछले दिनों अके दफ़ा रामदास की, ‘अोछी तबियतवालों को विनोद भाता है,’ अलस अुक्ति पर कर्अः साहित्यिक बहुत गरम हुअे थे। रामदास के भावार्थ पर ध्यान दे कर अुससे अुचित अुपदेश लेने के बदले अलन लोगों ने यह आबिष्कार किया कि रामदास विनोद का जीवन में और साहित्य में जो स्थान है, वही नहीं समझ पाये थे। अुपहास, छल, मर्मस्पर्श

आदि ज्ञानदेव ने अस्वीकार किये, यह भी हमारे साहित्यकार—अनुकी साहित्य की परिभाषा के अनुसार—ज्ञानदेव के अज्ञान का ही फल समझेंगे।

ज्ञानदेव या रामदास की राष्ट्र-कल्याण की तड़पन थी और हमारे विद्वानों को चटपटी भाषा की फिक्र होती है, चाहे राष्ट्रघात ही क्यों न होता हो—यह अिन दोनों में मुख्य भेद है। हमारी साहित्य-निष्ठा ऐसी है कि चाहे सत्य भले ही मर जाय, लेकिन साहित्य जीता रहे।

“हे प्रभो, अभी तक मुझे पूरा पूरा अनुभव नहीं होता है, तो क्या मेरे देव, मैं केवल कवि ही बन कर रहूँ?”—अिन शब्दों में तुकाराम जीश्वर से अपना दुःख कहता है, और यह (साहित्यकार) खोज रहे हैं कि तुकाराम के अिस वचन में काव्य कहाँ तक सघा है। हमारी पाठशालाओं की शिक्षा का सारा तरीका ही ऐसा है। मैंने अेक निबंध पढ़ा था। अुसमें लेखक ने तुलसीदास की शेक्सपीयर से तुलना की थी और अिसका स्वभाव-चित्रण किस दर्जे का है, अिसकी चर्चा की थी। मतलब यह कि जो तुलसीदास की रामायण हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के अिअे—देहातियों के भी

अिअे—जीवन की मार्ग-दर्शक पुस्तक है, अुसका अध्ययन भी यह भला आदमी स्वभाव-चित्रण की शैली की दृष्टि से करेगा। शायद कुछ लोगों को मेरे कथन में कुछ अतिशयता प्रतीत हो, लेकिन मुझे तो कभी बार अैसा ही जान पड़ता है कि अिन शैली-भक्तों ने राष्ट्र के शील की हत्या का अुद्योग शुरू किया है।

शुकदेव का अेक श्लोक है, अिसका भावार्थ यह है कि, “अिससे जनता का अित्त शुद्ध होता है, वही अुत्तम साहित्य है।” जो साहित्य-शास्त्रकार कहलाते हैं, और अिनसे आज हम प्रभावित हैं, वे यह व्याख्या स्वीकार नहीं करते। अुन्होंने तो शृंगार से ले कर वीभत्स तक विभिन्न रस मान्य किये हैं, और यह निश्चित किया है कि साहित्य वही है अिसमें ये रस हों। साहित्य की यह समृची व्याख्या स्वीकार कर लीजिये, अुसमें कर्तव्यशून्यता मिला दीजिये, फिर कोअी भी बतला दे कि आज के मराठी समाचार-पत्रों में जो पाया जाता है, अुसके सिवाय और कोन-से साहित्य का निर्माण हो सकता है ?

[‘भ्राम-सेवा-अुत्त से अनूदित’]

जनता का प्रश्न

अुनके सामने नित्य अिवन-भरण का प्रश्न अुपस्थित रहता है, अुन्हें पेटभर भोजन प्राप्त करने में जान लड़ा देनी पड़ती है। अुनके निकट दो पैसे का कितना मूल्य है, अिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अुनके साथ तुम्हारा क्या मुकाबला ? अिवन के महल में अुनका सदा पहली मंजिल में वास रहा है और तुम्हारा दूसरी मंजिल में।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

सत्याग्रही शिक्षण

[आचार्य अभयदेवजी]

-३-

रचनात्मक कार्य

अब अके बात रह गयी कि "तो फिर गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को स्वराज्य-स्थापना के लिये क्या करना चाहिये"? जिसका असली अन्तर तो यह है कि जब तुम्हारा मन सत्य को ग्रहण करने और अस्को ठीक कल्पना में लाने में समर्थ हो जायगा और तुम्हारे भाव अस् सत्य-कल्पना में जीवन डालने के योग्य हो जायेंगे, तब तुम जो कुछ भी करोगे, वह ठीक करोगे। हरेक सच्चा और समर्थ व्यक्ति अपनी प्रकृति और शक्ति के अनुसार जो कुछ सेवा करेगा, अस्से देश को लाभ ही होगा। परन्तु फिर भी मैं जिस विषय में थोड़ा-सा रेखा-चित्रण जिसलिये करता हूँ, जिससे कि तुम कार्य करते हुअं यह परीक्षा कर सको कि तुम ठीक रास्ते से ही देश-सेवा कर रहे हो या नहीं।

पहली बात यह है कि तब तुम कुछ रचनात्मक और ठोस कार्य करने के लिये प्रवृत्त होगे। क्योंकि तुमने स्वराज्य के सत्य को जहाँ तक देखा होगा, अस्के अनुसार भारतीय स्वराज्य की अके कल्पना तुम बना चुके होगे। स्वराज्य-सत्य की यह कल्पना तुम्हारे द्वारा क्रियान्वित हो कर मूर्त-रूप में आना चाहती होगी। अस्के लिये तुम कुछ-न-कुछ करना चाहोगे। प्रत्येक देशवासी के मन में स्वराज्य की कुछ कल्पना है, नेताओं के सामने तो अधिक विस्पष्ट कल्पना बनी होती है; परन्तु जिसने स्वराज्य के सत्य को अधिक-से-अधिक देखा है, जिसने भारत की अन्तरात्मा से अपने को अके कर के भारत की आन्तरिक अभीप्सा के सत्य-रूप को जाना है,

अस्की स्वराज्य-कल्पना सच्ची-से-सच्ची होने के कारण अधिक-से-अधिक रचना-शक्ति रखने-वाली और बहुत बलवती होगी। आजकल वह रचना-शक्ति शायद गांधीजी द्वारा प्रकट हो रही है। अस्तु।

सत्य सदा कुछ रचना करना चाहता है। यदि सत्य किसी चीज का ध्वंस करना चाहता है, तो भी अस्के मूल में रचना का ही भाव होता है। हिंसात्मक युद्ध और ठीक प्रकार के युद्ध में (जिसे मैंने स्वाभाविक परिपाक कहा है और जिसे आजकल के अस्वाभाविक युद्ध के विरोध में अहिंसात्मक युद्ध कहना चाहिये) भेद यही है कि पहला ध्वंसात्मक और अप्रीति (द्वेष) मूलक होता है, तथा दूसरा रचनात्मक और प्रीतिमूलक होता है। जिसलिये हम अपनी स्वराज्य-प्राप्ति के लिये स्वराज्य की कल्पना को मूर्त-रचना के रूप में लाने की तरफ ही ध्यान देंगे और जिसलिये जो कुछ भी कर सकते होंगे, वह सब कुछ करेंगे। यदि हम ठीक प्रकार से रचना का कार्य करेंगे, तो जो कुछ विरोधी वस्तुएँ हैं, वे हमारे रचना-बल के सामने अपने-आप दूर होती जायेंगी।

सच्चाई

कल्पना करो कि तुममें से किसीके अन्दर देशभक्ति की अग्नि जल चुकी है (और वह अग्नि-सोम की अुपासना द्वारा तुम्हारे वश में भी है) तो तुम स्वभावतः यह चाहोगे कि हमारे देश के और लोगों में भी यह पवित्र अग्नि जल अुठे। सब देशवासियों का पर्याप्त

अंश में सच्ची स्वराज्य-कल्पना से युक्त प्रकाश-मान देशभक्त बना देना स्वराज्य के भवन को आगे से अधिक खड़ा कर देना है। पर अपने बेपट्टे गरीब देशवासियों में व्याख्यान देने से या अपुदेश सुनाने मात्र से देशभक्ति नहीं आ जायगी। यदि देश की अवस्था को तुमने कुछ भी समझा है, तो तुम्हें अपने देश को असीम गरीबी दुःखी किये बिना नहीं रहेगी और सेवा द्वारा, और अस्में भी गरीबी दूर करने की किसी सेवा द्वारा, ही तुम अपना संदेश अन्के हृदयों तक पहुँचा सकोगे। इसी कारण चर्खा तथा अन्य ग्रामोद्योग हमारे स्वातन्त्र्य-युद्ध के हथियार बने हैं। यदि तुम्हारी स्वराज्य-कल्पना कुछ भी गम्भीर सत्य पर आश्रित है, तो तुम देखोगे कि भारतीय सभ्यता ग्रामप्रधान सभ्यता है। भारतीय संस्कृति चर्खा और ग्रामोद्योगों की पुण्य संस्कृति है। अतः हिंसात्मक युद्ध में जैसे ध्वंस करनेवाले तोप, बन्दूक, आदि हथियार होते हैं, वैसे हमारे सत्य और अहिंसा के (सत्य-कल्पना और प्रेम-भाव से बूठे) युद्ध में रचना करनेवाले कपड़ा तथा अन्य अत्यन्त जीवनोपयोगी वस्तुओं को बनानेवाले औजार ही हमारे हथियार हैं। अिन औजारों द्वारा न केवल कपड़ा आदि वस्तुओं बनेंगी, किन्तु भारत की नष्ट होती संस्कृति का ही पुनर्निर्माण होगा और हमलोगों की सच्ची देश-भक्ति के कारण हमारा खादी आदि का बनाना ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की शक्ति भी रखनेवाला होगा। अतः यह खादी का काम स्वराज्य की सच्ची कल्पना सामने रखने के भाव से ही प्रेरित होकर होना चाहिये, देखादेखी या किसीको खुश करने के लिये, या किसी अन्य विपरीत या केवल जड़-भाव से—अतः अंधे मन से—नहीं

होना चाहिये। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे, तो अस्से हम अपने अन्दर के सत्य-विचार को और अपने गरीब देशवासियों के प्रति कठना के भाव को नहीं प्रकट कर रहे होंगे। हम यूँ ही दंभ से या जड़-भाव से चर्खा चला रहे होंगे। हमारा चर्खा कातना यदि तुमारे अन्दर के अस सत्यभाव का ही क्रिया में परिणत रूप होगा, तभी वह स्वराज्य-स्थापना की शक्ति से युक्त होगा।

अेकता

इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा, मद्य-निषेध अछूतपन-निवारण आदि अन्य कभी रचनात्मक कार्य हैं, जिनकी तरफ मुझे तुम्हारा ध्यान खींचने की आवश्यकता नहीं। आर्य-समाज अिनकी तरफ पहले से ध्यान देता रहा है। परन्तु साम्प्रदायिक अेकता—जिसकी कि आज-कल आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ी हुआ है—की ओर अवश्य विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और सम्प्रदायों में भी हम आर्य-समाजियों की हिन्दू और मुसलमान अिन दो सम्प्रदायों की परस्पर अेकता की ओर। हमारी देशभक्ति घोर-से-घोर साम्प्रदायिक मुसलमानों को भारतमाता का अपना-सा ही पुत्र और अतः अपना भाभी अनुभव कराये। परस्पर विद्वेष की आसुरी शक्तियाँ आज स्वराज्य की आधार-भूमि अिस साम्प्रदायिक अेकता को ही नष्ट-अ्रष्ट कर देने के लिये अ्यता के साथ तत्पर हो रही हैं। हमें आत्म-बलिदान से अनुप्राणित प्रेम की शक्ति द्वारा अिन्हें परास्त कर भारतमाता की सच्ची विजय स्थापित करनी है। यदि तुममें कभी दूसरे सम्प्रदायवालों के प्रति कमजोरी के कारण द्वेष (अप्रीति) का अखनातन आसुरी भाव अ्यन्त

होवे भी तब भी कम-से-कम तुम्हें अितनी सावधानी बरतनी चाहिये कि तुम साम्राज्यवाद की निपुण विभेद-नीति के कभी भी शिकार न बनो। मेरा मतलब यह है कि यदि हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ना ही चाहें, तो वे विदेशी सरकार की पुलिस और फौज की अधीनता में, परबशता में, कायरता की लड़ाई कभी न लड़ें। स्वराज्य की भावना को स्पष्ट सामने रखते हुए, अंग्रेजी शासन को (जो कि अके असत्य है) बिलकुल भुलाकर हम यदि आपस में खुलकर लड़ेंगे भी, तो वह हमारी सच्ची लड़ाई होगी और अतःअब हममें जल्दी ही अकेता को भी ले आनेवाली होगी। बहुत संभव तो यह है कि तब हम लड़ ही नहीं सकेंगे। पर यदि लड़ना अनिवार्य ही हो, तो वह सच्चाई के साथ और स्वराज्य के सत्य को आँखों से ओझल न करते हुए ही होना चाहिये। वह भाई भाई की लड़ाई होनी चाहिये। अिस-लिये स्वार्थ, मर्तों (वोट्स) की प्राप्ति, ओहदों की लालसा, आदि कारणों से जो कुछ लड़ाई होती या छेड़ी जाती है, साम्प्रदायिकता को भुभाड कर लोगों को गुमराह किया जाता है, वह तो ख़तम होना चाहिये। देशभक्ति की पवित्र अग्नि में ये सब मैल दग्ध हो जाने चाहिये। देशभक्ति के जीवनदायी तेज के कारण अिस तरह लड़ने से—कितना भी अुकसाये जाने पर—अिन्कार करने की शक्ति हममें आजायी चाहिये।

यज्ञ और संग्राम

अर्से और अकेता के अतिरिक्त यदि और कुछ करने को रहता है, तो वह सब यह कहने में आ जाता है कि हमें अपनी राष्ट्रीय महासभा की आशा का, या अपने सेनानायक की आज्ञा का,

पूरी तोर से न केवल बाह्य क्रिया के रूप में किन्तु पूरे मन और हृदय से—पूरे विचार और भाव से—पालन करना चाहिये।

यह जो कुछ मैंने कहा है, उसे दूसरे शब्दों में कहूँ, तो वह यह है कि हमें आरंभ किये अिस स्वराज्य-प्राप्ति के यज्ञ को पूरा करना चाहिये। वैदिक साहित्य में सब संग्राम-वाचक शब्द यज्ञ-वाचक भी होते हैं। अिमका अर्थ यह है कि वैदिक दृष्टि से अके सच्चा संग्राम यज्ञ-रूप ही होना चाहिये। जो संग्राम शुद्ध-से-शुद्ध आत्मबलिदान चाहता है, वह संग्राम अुतना ही अूँचा यज्ञ हो जाता है। तो यज्ञ की भाषा में हमारा यह स्वराज्य-प्राप्ति का संग्राम कैसे चले, अिसकी तरफ़ अूरा-सा ध्यान आकृष्ट करके मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।

यज्ञ भावों का परिणत क्रियात्मक रूप है

मैंने भावों के प्रकरण में कहा था कि सब सनातन भावों का केन्द्राय भाव प्रीति है और वह प्रीति भक्ति, मैत्री और करुणा अिन तीन रूपों में प्रकट होती है। अिन तीन भावों की ही हमें अपने अन्दर विशेषरूप से विकसित करना चाहिये। अर्थात् बड़ों के प्रति भक्ति (न कि अदुधतता), बराबरवालों के साथ मैत्री (न कि द्वेष) और छोटों के साथ करुणा (न कि क्रूरता या अत्याचार)। पर अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब ये तीनों भाव क्रिया-रूप में परिणत होते हैं, तब वे यज्ञ बन जाते हैं। कर्मकाण्ड ही तो यज्ञ है, और यज्ञ का अर्थ है, 'देवपूजा संगति-करण दानेषु'। बड़ों के प्रति की गयी प्रीति भक्ति का रूप धारण करती है, और भक्ति जब क्रिया-रूप में आती है, तब वह देवपूजा नामक यज्ञीय कर्म में परिणत होती है। बराबरवालों के साथ प्रीति

मैत्री-भाव का रूप धारण करती है, और मैत्री-भाव जब क्रिया में आता है, तब वह संगतिकरण नामक यज्ञीय कर्म में परिणत होती है। अब छोटों के प्रति की गयी प्रीति करुणा-भाव का रूप धारण करती है और करुणा-भाव जब क्रिया-रूप में आता है, तब वह दान नामक यज्ञीय कर्म में परिणत होता है।

देवपूजा

तो, यदि हमें स्वराज्य-प्राप्ति के यज्ञ को पूरा करना है तो हमें अिन्हीं भावों को जगाकर ठीक प्रकारसे अिन्हीं क्रियाओं में परिणत करना होगा। हमारी भक्ति देवपूजा में परिणत हो, देश के नेताओं की हम पूजा करें, अुनकी आज्ञाओं का पालन करें, अेक सैनिक के तौर पर सेनापति के आदेशों को पूरे विचार और भाव के साथ पालन करते हुअे हम सदा अनुशासन में रहें। भारतमाता की पूजा, राष्ट्र-यत्नाका की वन्दना का अर्थ यही है कि हम राष्ट्रीय महासभा और अपने देश के नेताओं के आज्ञापालक और अनुशासित सेवक और सैनिक बनें। यह यज्ञ का अूपर का भाग है, अुत्तमाग है।

संगतिकरण

हमारा मैत्रीभाव संगतिकरण में परिणत हो, देश के सब भाजी परस्पर अेकता में जुडे हुअे हों, किसी प्रकार की विसंगति न हो। परस्पर सहयोग, मेल, अेक-मूनता, यह सब संगतिकरण की ही व्याख्या है। सम्प्रदायों की अेकता के बारे में मैं अूपर कह चुका हूँ, वह अेकता हम यज्ञ के पवित्र भाव से करें तभी वह स्थिर और सच्ची अेकता होगी। हम सबने मिलकर अपना संगतिकरण करना है और जिस संगतिकरण के बल से ही अपने राष्ट्र-यज्ञ को पूरा

करना है, यह पवित्र भावना हममें लगातार रहे।

दान

करुणाभाव दान में परिणत हो। जो हमसे छोटे हैं, कमजोर हैं, किसी भी बात में कम हैं, अुनके प्रति करुणा हो और वह करुणा अुन छोटों, दुर्बलों और गरीबों को देने में चरितार्थ हो। अर्बों का आन्दोलन आर्थिक दृष्टि से छोटे, गरीब लोगों को दे सकने के यज्ञीय कर्म का ही आन्दोलन है। और हमारे देश के आर्थिक दृष्टि से ही विशेष कमजोर होने के कारण जिस करुणा का और जिस दान का ही जिस समय विशेष महत्त्व हो गया है। जिसी प्रकार जिनमें ज्ञान की कमी है अुनको ज्ञानदान देना चाहिये। 'अछूत' भाजियों की सेवा करना भी यज्ञ के जिसी अङ्ग में आता है। जो वस्तुतः अल्पमत में हैं, जो वस्तुतः कमजोर हैं, जो किसी प्रकार भी कम है, अुनको देने द्वारा पूरा करने की प्रवृत्ति हममें सहजभाव से होनी चाहिये। तभी यह हमारा यज्ञ फलभूत हो सकेगा।

आन्दोलन में प्राण-सञ्चार

मानसिक जगत में कल्पना या मानसिक रचना के रूप में तो भागतीय स्वराज्य बहुत कुछ बन चुका है, स्थापित हो चुका है। 'बहुत कुछ' जिसलिये कि अब भी अेक प्रकार का संघर्ष चल रहा है। पर जहाँ तक विदेशी शासन से मुक्ति का संबन्ध है वहाँ तक मानसिक चित्र पक्का बन चुका है। यदि हम भक्ति, मैत्री और करुणा के भावों द्वारा जिसमें लगातार प्राण-सञ्चार कर सके और वह प्राण-सञ्चार, देवपूजा, संगतिकरण और दान की क्रियाओं में अभिव्यक्त होता रहे, तो हमारे पवित्र स्वराज्य-यज्ञ की प्रति दूर नहीं है।

[हिन्दी 'गुरुकुल' से]

स्वतंत्रता और नियमन

[किशोरलाल घ० मशरूवाला]

श्रेष्ठ विद्यार्थी ने नीचे लिखा सबाल पूछा है—

“ हम स्वतंत्रता में माननेवाले हैं, लेकिन फिर भी पाठशालाओं में विद्यार्थियों पर व्यवस्थित काम कराने के लिये नियमन का बोझ क्यों सादा जाता है ? अथवा वे स्वतंत्ररूप से काम न कर सकते हों, तो इसका क्या कारण है ? अतुल्य स्वतंत्ररूप से काम करना सिखाना किसका कर्तव्य है ? ”

स्वतंत्रता में मानने का अर्थ अराजकता या अव्यवस्था में मानना नहीं है । जिस स्वतंत्रता के लिये आज देश में आन्दोलन हो रहा है, वह अकेले खास प्रकार की ही स्वतंत्रता है । जिसकी बढौलत देश के कारोबार में देश के बाहर के लोग दखल न दे सकें, ऐसी स्वतंत्रता के लिये हमारा यत्न है ।

असके अलावा हम देश का कारोबार अस तरह चलाना चाहते हैं कि कुछ बातों में हरेक नागरिक तथा समाज को अपनी अिच्छा के अनुसार चलने की स्वतंत्रता हो । अिन बातों के सिवा दूसरी बातों में नियमन न रहे, ऐसा विचार कोभी समझदार मनुष्य नहीं कर सकता । मतलब, स्वतंत्र हिन्दुस्तान में भी व्यक्तियों तथा समूहों पर कभी तरह के अंकुश, अनिवार्य कर्तव्य, आदि रहेंगे ही ।

जो देश में होगा, वही संस्थाओं में भी होगा—अर्थात्, पाठशालाओं में भी ।

‘मूद्राराक्षस’ के लेखक ने स्वतंत्रता की काफी अच्छी परिभाषा की है : स्वतंत्रता का अर्थ है अच्छे काम करने की स्वतंत्रता । जो बुरे कामों से, कर्तव्य-भ्रष्ट होने से, खात्री में गिरने से, रोकता है वह नियमन स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है ।

मतलब यह कि, व्यवस्थित समाज या संस्था में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नियमन कृतबी न हो । आज्ञा देने और पालने के कर्तव्य तो रहने ही वाले हैं । जो सुधार हो सकते हैं, वे आज्ञा देने की, काम कराने की और व्यवस्था करने की रीति में हो सकते हैं । अनाडी शिक्षक बेंत से अपना रोब जमाने की कांछिष्ट करेगा ; मध्यम शिक्षक लालच दिखा कर अपना काबू जमाने का यत्न करेगा और अतुल्य शिक्षक कला और प्रेम ने काम लेगा । अितना हो सकता है कि नियमन बिलकुल न अखरे, या कम-से-कम अखरे ।

फिर भी, नियमन तो नियमन ही रहनेवाला है । वह कहीं-न-कहीं अवश्य चुभेगा । प्रेम का हो, तो भी अलसी को बिना अखरे न रहेगा । जड़-मूढ़ को भी अखरेगा । जिन्हें अपनी बुद्धि पर अत्यंत घमण्ड हो, अतुल्य भी अखरेगा । स्वच्छंदी, व्यसनी, शठ लोगों को भी नागवार गुजरेगा । वे तो कहते ही रहेंगे कि हमारी स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है ।

शाला या समाज में नियम के भंग पर पुराना अिलाज है दण्ड । हम ऐसी आशा करें कि जिस प्रकार पाठशाला में से हलके हलके सजा का त्याग हो रहा है, असी प्रकार समाज में से भी होगा । ऐसा हो सकता है कि नियम का भंग करनेवाले को अकेले तरह का मरीज मान कर असकी चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय । लेकिन यह चिकित्सा भी आवश्यक होगी, असलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह भी पसन्द आयेगी । काम में आस करनेवाले विद्यार्थी अस्पताल में जाने की बनिस्बत शायद बेत खाना ज्यादा पसन्द करेंगे ।

बच्चे या बड़े स्वतंत्ररूप से, राजी-झुझी से, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते, जिसके कभी कारण हो सकते हैं। जुदाहरणार्थ, काम करने की आवृत्त का अभाव, शारीरिक या मज्जासिक व्यभिचि, हृदय या बुद्धि की जड़ता, कोबी बुरी आदत, कोबी स्वार्थ, आदि। अस्से स्वतंत्ररूप से काम कराने के लिये नियामकों को बस अद्देश्य से आचरण करना ही पडेगा। जिसके लिये कौन-से अपाय काम में लाग्ये जाने चाहिये, जिसका शास्त्र धीरे धीरे खिलता और विकसित होता जाता है। विद्यार्थियों को जेक बात जान लेनी चाहिये। जबरदस्ती नियमों का पालन कराना पडे, यह हालत कभी किसी शिष्यक या अधिकारी को पसन्द नहीं

आती। प्रेम के सिवा किसी दूसरी रीति का अमल करनेवाला नियामक भी अस तरीके में किसी प्रकार का आनन्द अनुभव नहीं करता। जबरदस्ती नियम पालन कराने की आवश्यकता के कर्तव्य में से असे जो तरीका सूझता है, अस्का वह अमल करता है।

नियम तोड़नेवालों को स्वतंत्ररूप से कार्य करनेवाले बनाने का फर्ज सिर्फ नियामकों का ही नहीं है, बल्कि बराबर नियम पालनेवालों का भी है—यानी दूसरे विद्यार्थी और नागरिकों का भी है। कोबी विद्यार्थी स्वतंत्र रीति से काम न करे, तो असे सुधारने में दूसरे विद्यार्थियों को भी मदद करनी होती है।

[गुजराती 'शिक्षण और साहित्य' से]

ग्राम-संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा

[काका कालेलकर]

(हुदली (बेळगांव) के 'तरुण संघ' में २९.५.४० को दिये हुअे भाषण से)

हमारे देश में जाने कितनी संस्थाओं, खासकर तरुणों की संस्थाओं, स्थापित होती हैं, महीने-दो-महीने चलती हैं और बाद में अस्साह के अभाव के कारण सों जाती हैं। अगर कोबी संघ साल-डेढ़-साल चल गया तो ग्नीमत है। असी दशा में आपका संघ आज भी कायम है, और अस्की सदस्य-संख्या बढ़ रही है, जिसके लिये मैं आपको बधाजी देता हूँ।

शुरू शुरू में आपने शरीर-अम की जो प्रवृत्ति हाथ में ली थी, असे अगर आपलोग अब्याहृत-रूप से जारी रखते, तो मैं आपको विशेष बधाजी देता; कारण, शरीर-अम ही में संघ और समाज

के अद्धार का रहस्य तिहित है।

यह अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिये कि आपके सिर्फ चार-छह महीने शरीर-अम करने से गाँववाले अस्के पक्षपाती हो जायेंगे। लोगो के स्वभाव मे परिवर्तन कराना आसान नहीं होता। ये संस्कृति के काम सैकड़ों वर्षों की मेहनत से करने होते हैं। यह सामने जेक घोडा बैधा है। जिसे जंगल से ला कर पालतू बनाने में हमारे पुरखाओं को हजारों बरस लगे हैं।

गाय को हम पवित्र मानते हैं। हमारी संस्कृति और जीवन-अवस्था से अस्का अद्द गैठ-बंधन हो गया है। असे भी पालने और

अपनाने में मनुष्य-जाति के हजारों वर्ष बीते होंगे। प्राचीन काल में जिन्होंने यह कार्य किया, उनका कितना वैर्य होगा, जिसका हमें विचार करना चाहिये।

पूर्व ऋषियों ने गाय पाल कर अन्हें पवित्र ठहराया, वेदों ने अन्हें 'अध्या,' कहा। भविष्य के ऋषि हमें यह उपदेश देंगे कि गाय के समान मधुमक्खी भी पवित्र है। अन्हें मारने, या अंनके वंश का संहार करने के बदले हमें अन्हें पालना चाहिये। वे भी मनुष्य से हिल जायेंगी और गाय जिस प्रकार दूध-धी देती है, उसी प्रकार ये मधुमक्खियाँ हमें बहुत ही उपयोगी मधु (सहद) और मोम देंगी। दूसरे देशों में मधुमक्खियाँ पालने की कला में बहुत तरक्की हुई है। अंनका स्वभाव, अंनकी ज़रूरतें, अंनकी रुचि-अरुचि और अंनकी समाज-रचना आदि तमाम बातों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। हमें भी वही करना चाहिये।

वैष्णव संत, जैन तीर्थंकर या बसवेश्वर जैसे लिगायतों के महापुरुष,—जिन सबोंने मनुष्य-समाज के अद्धार के [अर्धकाल तक परिश्रम किये हैं। अगर तुममें से किसीने वैष्णव-साहित्य पढ़ा होता, तो तुम्हें वह श्लोक याद होता जिसमें विष्णु की कृपा से जिन जातियों का अद्धार हुआ, अंनकी तालिका है। भिल्ल, पुल्लिद, पुल्लकस, आभीर आदि अनेक जातियों में काम कर, अन्हें धर्मापदेश कर, जिन वैष्णवों ने अंनके जीवन में परिवर्तन कराया और अन्हें वैष्णव-संस्कृति में दाखिल किया। अंनका संकल्प कितना बलिष्ठ और दृढिष्ठ रहा होगा! ये काम अल्पवीर्य व्यक्तियों के नहीं हैं! केवल दुर्बलों के ये काम नहीं हैं! कितना भी छोटा काम क्यों न हो; दृढता से आजन्म अंसीमें जुट जाया जाय, तभी यह सिद्ध

होता है और अंतनी मात्र में जाति का अस्थापन होता है।

गुजरात में अेक संप्रदाय है, जिसका नाम स्वामीनारायण संप्रदाय है। जिस संप्रदाय ने गुजरात में लोक-जागृति के लिये प्रबलसनीव पुरुषार्थ किया है। लेकिन वह काम कौभी अपने-आप तो नहीं हुआ। चोर, लुटेरे, डाकू आदि लोगों में भी जिन सन्तों ने काम किया है। ये लोग अगर सिर्फ सभाओं में व्याख्यान देते, या मंदिरों में कथा-कीर्तन ही करते, तो अंनके अुपदेश सुनने के लिये कौभी न जाता। लेकिन अन्होंने गरीबों को अपने पास बुलाने की जगह खुद अंनके पास जाने का तरीका अस्तित्-यार किया था।

आप अपने मनश्चक्रपु के सामने अेक चित्र खींचिये: अत्तरा ओर चित्रा की सल्ल घूप मनुष्य और पशुओं की पीठ भून रही है, जमीन तपी हुयी है, अेक किसान अपने खेत में हल चला रहा है—सबसे आगे दो बैल हैं, बीच में अेक हल है, हल पर हाथ रख कर बैलों के पीछे चलनेवाला किसान है, ओर अुस किसान की खेती का समय नष्ट न करते हुअे अुसके पीछे पीछे चल कर अुसे बडे प्रेम और लगन से अुपदेश करनेवाला स्वामीनारायणपंथीय साधु सबसे पीछे है! वे बैलवाले जमीन तैयार कर रहे थे और यह साधु अंनके कठिन हृदय पर हल चला रहा था—'हे जीव, पाप करके कहीं जायेगा तू? तुझे यह सारा सुख कब तक नसीब होगा, भैया? जितना कमाता है, अुसमें से अेक जर्ग भी तेरे साथ नहीं जायेगा। भाभी, पुण्य कर, झूठ मत बोल, किसीको नुकसान न पहुँचा, पशु-पक्षियों के साथ दया का व्यवहार कर। अंनका आशीर्वाद ही पुण्य का संचक है। यही पुण्य परलोक में तेरे काम आयेगा'।

सुरू सुरू में वह किसान अुसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। शायद यह भी सोचता था कि यह क्या बला मेरे पीछे पडी है? शायद वह जिस विचार से चिढ़ भी गया होगा कि यह सम्भुआ मुझे अपने बाल-बच्चों व। स्याल भी करने को मना करता है। लेकिन वह साधु अके अके बूंद से हीज भरता ही जाता था।

अगर तुम भीषवर में मानते हो तो अुसके लिये मुझे कोबी बडी खुशी नहीं होगी। मैंने कभी लोग जैसे देखे हैं जो केवल जिसलिये आस्तिक कहलाते हैं कि नास्तिक होना शोभा नहीं देता। अपने लाम के लिये लोभी व्यक्ति भी भीषवर में विश्वास करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का यह विश्वास हो कि अिन चोर, लुटेरों और डकैतों का भी जीवन-परिवर्तन हो सकता है, वही सच्चा आस्तिक है। तुम्हारा भीषवर में जो विश्वास है, अुसकी कसौटी क्या हो सकती है? मनुष्य-हृदय के प्रति तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा तुम्हारी सेवा से अनायास हो जाती है। जिसका मनुष्य में अटल, अखंड, निष्ठा हो वही यथार्थ में आस्तिक है।

आज जो स्यास बात में कहना चाहता है, वह यह है कि भविष्य में सभी देशों में संसार का नेतृत्व देहात करेंगे। यूरोप में आज जो सडाबी हो रही है, वह शहर की संस्कृति का नाश करेगी। अगर जिस युद्ध में नहीं तो अगले युद्ध में शहरी संस्कृति नष्ट होने ही

वासी है। अुसने चाहे कितनी ही तरकीबें क्यों न की हों, वह मनुष्य-जाति के विकास की पोषक नहीं है। चाहिये तो यह था कि शहर देहातों के पोषक होते, मगर अुसके बदले वे आज देहातों के भक्षक हैं।

ग्राम-संस्कृति में स्वावलंबन, शरीर-श्रम, परस्पर विश्वास और सहयोग की प्रतिष्ठा होती है। शहरों में चढा-अपरी, होड़, कमजोरों का शोषण और अुच्च-नीच की भाषना का प्राधान्य होता है। आज सर्वत्र किसी मनुष्यद्रोही शहरी संस्कृति का ही कोलबाला है। अुसीका अन्तिम स्वरूप है महायुद्ध। आज तो गांवों में रहनेवाले भी शहरी संस्कृति के ही अपासक हो गये हैं। जिस प्रकार जिसके पास धन है, वह तो धन-लोभी होता ही है, परन्तु जिसके पास धन नहीं होता, वह अधिक धन-लोभी होता है; अुसी प्रकार जिन्हें शहरी जीवन का आस्वाद नहीं मिला है, वे देहाती भी शहरी जीवन की ही अभिलाषा रखते हैं। यह सारा पलट जाना चाहिये। हिन्दुस्तान में जब ग्राम-संस्कृति की स्थापना होगी, तभी हिन्दुस्तान का 'और जगत का अुद्धार होगा। स्यादी, ग्राम-अुद्योग, सर्व-धर्म समभाव, सहयोग और अुच्चनीच-भाव का त्याग आदि सारी बातें ग्राम-संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा ही के लिये हैं। अुनमें आपकी श्रद्धा बढ़नी रहे, यही मेरी प्रार्थना है।

(मराठी ' नवाकाळ ' में)

सत्याग्रही छावनी का शिक्षाक्रम

[डॉ० प्रफुल्लचंद्र घोष]

अधर कुछ समय से देश के जुड़े जुड़े हिस्सों में सत्याग्रही शिक्षा-शिविर खोल रहे हैं। इसलिखे अिन शिविरों के शिक्षाक्रम के विषय में कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा।

व्यक्ति की शिक्षा का क्रम निर्धारित करना इस बात पर निर्भर है कि शिक्षा समाप्त करने के बाद उस व्यक्ति से कौन-से कर्तव्यों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है। भारत की बंधमूर्ति के लिखे सत्याग्रही अहिंसक सिपाही हैं। वह यह प्रतिज्ञा लेता है कि (१) वह बिना राष के कारावास तथा मृत्युदण्ड भी सहन करेगा, (२) नियमितरूप से कातेगा, (३) खदूर के सिवा दूसरा कपड़ा नहीं बरतेगा, (४) अस्पृश्यता किसी भी आकार या प्रकार की नहीं मानेगा, (५) आंतरजातीय अकेता की भरसक कोशिश करेगा।

मनुष्य की जब यह संदेश-रहित श्रद्धा हो कि उसका मार्ग अपयुक्त और अदुःख है, तभी वह मुसकराता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। इसलिखे सत्याग्रही की बुद्धि में यह बात जम जानी चाहिये कि वास्तविक स्वाधीनता अहिंसा से—केवल अहिंसा ही से—प्राप्त हो सकती है। हिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज्य का मतलब ही यह है कि उसमें कमजोर बहुजन-समाज पर मूट्ठीभर बलवान् व्यक्तियों की सत्ता होगी। सच्चे स्वराज्य का यह रास्ता नहीं है। हिंसक लड़ाई में कमजोरों को कौड़ी स्थान नहीं होता। अहिंसक युद्ध में तो शरीर से दुबल व्यक्ति भी हाथ बँटा सकते हैं। अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त होना तभी संभव है जब कि उसे प्राप्त करने

की चेष्टा में अधिकांश जनता योग दे। तब वह स्वराज्य यथार्थ में जनता द्वारा, और इसलिखे जनता के लिखे, स्थापित होगा। वास्तविक लोकतंत्र का यही रास्ता है। सत्याग्रही को जब तक अहिंसा की कार्यक्षमता में यह बुद्धियुक्त श्रद्धा नहीं होगी, तब तक बिना प्रतिहिंसा के या प्रतिहिंसा की भावना के, वह मोत का आवाहन नहीं कर सकता। यूरोप में अधर जो घटनाएं घटी हैं, उनके कारण यद्यपि बहुतेरे हिन्दुस्तानियों को हिंसक अुपायों की व्यर्थता का विश्वास हो गया है, तथापि अभी उनके हृदय की तह तक अहिंसा पैठी नहीं है। कौंग्रेसजन भी मामला तरीकी से हिन्दुस्तान की आत्मरक्षा की योजना का समर्थन कर रहे हैं। भीतरी शांति की रक्षा के लिखे भी वे संरक्षक दलों के संगठन का प्रतिपादन कर रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि सत्याग्रही, जो कि अहिंसा और सांप्रदायिक अकेता आदि की राष लें चुके हैं—अगर वे अपनी प्रतिज्ञा के प्रति बफादार रहे तो—वे ही भीतरी शांति का रक्षा के लिखे सबसे अधिक योग्य हैं। अगर जूरत हो, तो उन्हें अपनी आहुति दे कर भी अपनी सचाई सिद्ध करनी चाहिये। मुझे जरा भी संदेह नहीं कि इस तरीके से कम-से-कम मनुष्यों की बलि देनी पडेगी और उससे अधिक-से-अधिक आंतरिक शांति स्थापित होगी। इसलिखे शिविरों में हमारी वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिखे अहिंसा के महत्त्व और परिणामकारिता पर कभी व्याख्यान दिये जाने चाहियें।

प्रतिज्ञा में जो दूसरी बातें हैं, उन्हें अकेले शब्द में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम कह सकते हैं। स्वराज्य, अहिंसा और रचनात्मक कार्यक्रम में क्या संबंध है? जब तक अूनकी समझ में यह बात मली भौति नहीं आती कि अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त करने के लिये रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति अत्यंत आवश्यक है, तब तक अूस कार्यक्रम का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित होना अशक्यप्राय है। सन् १९२१ से ही रचनात्मक कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यक्रम का अकेले अविभाज्य अंग रहा है। परन्तु अभी तक काँग्रेस-कमेटियों के कार्यकारी सदस्यों ने भी, जिनको कि कांग्रेस की हिदायतों पर अमल करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, अब तक अूसके महत्त्व को महसूस नहीं किया है। कुछ तो साम्दायिक सत्याग्रह और कालने में कोअी संबंध ही नहीं देखते। यद्यपि चरखे को राष्ट्रीय झंडे पर गौरवपूर्ण स्थान मिला है, तथापि यह बात बहुत ही थोड़े कांग्रेसजनों ने महसूस की है कि चरखा अहिंसक समाजवाद का प्रतीक है। कुछ लोगों की यह राय है कि हरिजन-आन्दोलन भी अकेले तरह से किलाराकशी है। कुछ का यह भी ख्याल है कि हिन्दू-मुस्लिम अकेला ज़रूरी तो है; मगर वह स्वराज्य की प्राप्ति के लिये अनिवार्य नहीं मानी जानी चाहिये। अिसलिये सत्याग्रहियों को स्वराज्य, अहिंसा और रचनात्मक कार्यक्रम का मार्मिक संबंध समझाने के लिये व्याख्यान होने चाहिये।

अिन विषयों पर व्याख्यानों के लिये मेरी समझ में दो घंटे का समय बस होगा। अिनमें से अकेले घंटा प्रश्नोत्तर तथा व्याख्यान के विषय में जो अंकाअें अूठी हैं अूनके निवारण के लिये रक्खा जाय। दूसरी भी अकेले बात आवश्यक है। अूक्त विषयों के संबंध में स्वयं व्याख्याता

के मन में किसी प्रकार का अम या संदेह नहीं होना चाहिये, वरना वही 'अंधेन नीयमाना अन्धाः' वाली कहावत चरितार्थ होगी।

बौद्धिक और सैद्धान्तिक शिक्षा के विषय में अितना विवेचन काफी है। अब व्यावहारिक या क्रियात्मक शिक्षा का प्रश्न लीजिये। रचनात्मक कार्यक्रम की केन्द्रीय क्रिया कातना है। हर अकेले सत्याग्रही को कातना अच्छी तरह जानना चाहिये। अर्थात् अकेले घंटे में कम-से-कम ४०० गज, बटदार और २० नंबर का सूत कात सकना चाहिये। अूसे धुनाअी आदि अन्य आवश्यक क्रियाओं का और हिन्दुस्तान में मिलनेवाली कपास की मुख्य मुख्य किस्मों का ज्ञान भी होना चाहिये। कातने के लिये चार घंटे (दो सबरे और दो शाम को) रखे जायें, असा मुझाया गया है। चार घंटे की मीन कताअी से शिबिर में अकेले वातावरण बनता है। शिक्षा समाप्त करने पर सत्याग्रही को अपना सारा खाली वक्त जिस रचनात्मक काम में लगा देना है, अूसके लिये यह कबायत अूमे योग्य बनाती है। सत्याग्रही सभ्य प्रतीकार तो तभी करेगा, जब कि अूसे आज्ञा दी जायगी। अूसे कैद और मौत का सामना करने के लिये हमेशा तैयार तो रहना चाहिये; मगर जेल जाने के लिये चंचल नहीं हो अूठाना चाहिये। महज् कैद-खाने भर देना ही तो सत्याग्रह नहीं है। बल्कि मेरा तो यह विश्वास है कि अगर हम रचनात्मक कार्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रगति करें, तो संभव है कि हम बिना जेल के ही अपने अूद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे।

चरखे में ग्राम-अूद्योगों का पुनर्जीवन भी शामिल है। अिसलिये शिबिरों में, अगर पूर्णरूप से नहीं तो, यथासम्भव, ग्राम-अूद्योग की चीजों का ही अूपयोग करना चाहिये।

शिविर में सत्याग्रहियों को जात-पात और धर्म का कोबी भेद नहीं मानना चाहिये। अन्हें सफाई का सारा काम—यानी पाखाने की सफाई भी—खुद ही करनी चाहिये। जिस प्रकार की खुराक स्वास्थ्य के लिये बिलकुल जरूरी हो, वही अन्हें खानी चाहिये। इसलिये अन्हें सम्यक् आहार का भी कुछ ज्ञान होना चाहिये।

जिसके बाद क्वायत का सवाल आता है। मैं जानता हूँ कि हमारे इस देश में दस आदमी भी अके कतार में नहीं चल सकते। इसलिये क्वायत का महत्त्व तो है; लेकिन हिंसा और फौजी तैयारी में श्रद्धा रखनेवाले सिपाहियों के शिविर में क्वायत का जो महत्त्व है, वह यहाँ नहीं है। सत्याग्रह-शिविर में उसका स्थान गौण है। आष घंटे की—या बहुत तो अके घंटे की—क्वायत काफी है।

जिस प्रकार शिक्षा-शिविर में ४ घंटे कताबी (जिसमें धुनाई का समय भी शामिल है), २ घंटे बौद्धिक वर्ग, १ घंटा क्वायत और १ घंटा सफाई आदि का शिक्षा-क्रम होना चाहिये। जिस शिक्षा के मूल में कल्पना यह है कि सत्याग्रही रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति के अपयुक्त साधन बनें। यह कोबी दिखावे की चीज नहीं है। इसलिये अके अके महीने के लिये शिविर खोलना अधिक अच् होगा। पहले तो अके महीने के लिये अके प्रान्तीय

शिविर खोला जाय, जिसमें सभी जिलों के मुख्य मुख्य कार्यकर्ता शामिल हों। बाद में अिन शिक्षित कार्यकर्ताओं की सहायता से जिलों के शिविर खोले जायें। जिस प्रकार अगर हिन्दुस्तान के सभी सत्याग्रहियों को शिक्षा दी जाय, तो अके अजस शक्ति पैदा होगी।

गांधीजी ने १ जून १९४० के 'हरिजन' में अपने "अभी नहीं" शीर्षक लेख में यह लिखा कि 'मेरा मत है कि मित्रराष्ट्रों के बीच हो रही लड़ाई की गरमी शान्त हो जाने और भविष्य के अधिक स्पष्ट होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये'। यह पढ़ कर कुछ लोग सोचने लगे कि अब तो शिविर न खोलना ही बेहतर है; क्योंकि सत्याग्रह तो बहुत दूर की संभावना है। यह तो परिस्थिति की गलत बूझना और गलत समझना है। काँग्रेस चाहे अभी जल्दी ही सत्याग्रह शुरू न करे; लेकिन वह रचनात्मक कार्यक्रम नहीं छोड़ सकती। रचनात्मक कार्यक्रम छोड़ने का मतलब सिवा आत्महत्या के और कुछ नहीं होगा। इसलिये सत्याग्रहियों को रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के योग्य बनाने के अद्देश्य से सत्याग्रही शिविर बराबर खोले जाने चाहिये। यूरोपीय युद्ध की परिस्थिति से जिसका कोबी संबंध नहीं होना चाहिये। यही हमारे परम कल्याण का मार्ग है।

खादी के अर्थशास्त्र की मौलिक समस्याएँ

[गांधी सेवा संघ की सभा में गांधीजी का भाषण]

अभी आपकी चर्चा का सारांश मुझे सुनाया गया। अतः मुझे ऐसा लगता है कि अकेले खादी का खयाल आपकी चर्चा में नहीं रखा गया है; और यदि रखा है तो आप मुझे बतावें। अगर न रखा गया हो, तो अब आप अतः विचार करें।

मुझे लगता है कि जिस सारी चर्चा में हमने यह मान लिया है कि खादी अनिवार्य है, बेकारी दूर करने के लिये सबसे अच्छी वस्तु कातने की क्रिया है। ऐसा मान कर चरखा-संघ काम कर सकता है। गांधी सेवा संघ का क्षेत्र अतः से विस्तृत है। चरखा-संघ का क्षेत्र अतः से विस्तृत नहीं है। चरखा-संघ अकेले ही काम के लिये है। अतः से कहा दिया गया कि बेकारों के लिये सूत कतवाओ और खादी पैदा करो। अतः से प्रधान कार्यकर्ता दूसरे कार्य में नहीं पड़ सकते। अतः से कार्य की पद्धति में या औजारों में कोई दोष पैदा हो जावे, तो अतः से निवारण वे करेंगे। अतः से लिये कुछ घोषणा करें; यह दूसरी बात है।

मगर गांधी-सेवा-संघ की स्थिति अलग है। अतः से खादी का विरोध करनेवाले लोगों की शंकाओं का निवारण करना चाहिये। खादी का विरोध करनेवाले भी अच्छे आदमी हैं। अतः से जैसी तालीम पायी है, अतः से मूलाधिक वे बात करते हैं। अतः से में कभी अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं। सैंकड़ों पुस्तकें पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं और अपने क्षेत्र में, जो अनुभव ले सकते हैं, ले लेते हैं, खादी का भी अतः से अतः से अभ्यास कर लेते हैं। अतः से खादी का ज्ञान अपूर्ण है। अतः से हम पूरा करें। हम अतः से

दलीलों का तभी जवाब दे सकते हैं, जब हम खुद अभ्यास करें। अतः से बात समझने की कोशिश करें। बाद में अतः से दलीलों काटने के लिये हम अतः से समझावें तो वे भी हमारी बात सुनेंगे। मेरा यह अनुभव है कि अगर हम अतः से समझावें तो वे अपने कान बन्द नहीं कर लेते।

मैंने अतः से बातें सुनी हैं। काफी प्रभावित भी हुआ हूँ। मेरा विरोध करनेवाले बहुत भी बातें करते हैं, लेकिन अतः से कड़वा घूंट भी पिला देते हैं। सर गंगाराम जैसे ही विरोधकों में से थे। वे अकेले अतः से अतः से थे। लेकिन अतः से आध्यात्मिकता भी काफी थी। प्रेम से भी भी बातें करते थे। लेकिन कड़वी बात भी सुना देते थे। कहते थे, "तू तो दीवाना है, यह कातने की बात चलनेवाली नहीं है। आधिक दृष्टि से बिलकुल बेकार है।" मैं यह कह कर टाल देता था कि "आप अतः से बातों को क्या जानें, आप तो अकेले अतः से अतः से हैं। आपका क्षेत्र अतः से अतः से है, न कि अर्थशास्त्र।"

सर गंगाराम तो अब चले गये। अब यह आधिक योजना समिति (नेशनल प्लैनिंग कमिटी) जवाहरलाल ने बनवायी है। अतः से बाद अकेले छोटी ग्राम अतः से समिति बनी। सतीश बाबू अतः से सदस्य हैं। अतः से ग्राम अतः से समिति में प्रो० राव बगैरा अर्थशास्त्री हैं। अतः से काफी बहस हुई। अतः से कहा कि यदि आप धैर्य से सुनें तो हम यह सिद्ध करने को तैयार हैं कि कातने की क्रिया अतः से अतः से आधिक प्रमेय नहीं है। मैंने अतः से कहा कि मैं आपकी बात अतः से दिल से सुन लूंगा, आधे

दिल से नहीं। अगर आपकी बात सिद्ध हो गयी तो मैं उसे मान भी लूंगा। लेकिन मैं खादी छोड़ूंगा नहीं; क्योंकि मैं तो उसे अकेले दूसरी दृष्टि से भी देखता हूँ। मेरे नज़दीक तो उसका अहिंसा से सीधा और अनिवार्य संबंध है। जिससिअे मैं उसे छोड़ना चाहूँ तो भी अब नहीं छोड़ सकता। मेरी बात आर्थिक दृष्टि से सिद्ध नहीं होती अतना मैं मान लूंगा”।

जैसा कि गायके बारे में भी यह कहा जाता है कि “गाय आर्थिक दृष्टि से टिक ही नहीं सकती। हमें गाय को खाना पड़ेगा। हम अंसे खायेंगे और बचायेंगे”। अमेरिका और यूरोप में गायों को तगड़ी और हूष्टपुष्ट रखते हैं। बेकाम गायें कत्ल कर दी जाती हैं। लेकिन अन्हें कत्ल कर के फेंक थोड़े ही देते हैं? अन्हें खा लेते हैं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि वही यहाँ भी करना होगा। मैं जानता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से अंनको जबाब देना मुश्किल है। लेकिन जिससिअे मैं गाय को मार कर थोड़े ही खानेवाला हूँ? मैं तो मानता हूँ कि मनुष्येतर प्राणियों का भी स्थान समाज में है। यह दिखाने के लिये हमारे पूर्वजों ने गाय को अंनका प्रतिनिधि बनाया है। कम-से-कम यह मेरी कल्पना तो है। मैं अंसमें राज्य कर रहा हूँ। जिससिअे अर्थशास्त्र से डरता नहीं हूँ। अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह गाय हमको खा जायगी। आज तो अंसका बुरा हाल है। जैसे हम हड्डियों के ढाँचे हो रहे हैं, गाय भी हो रही है। यह सच है कि गाय हमको खा रही है। मुझे तो गाय को हूष्टपुष्ट बनाना है; मनुष्यों को भी बनाना है। वे कहते हैं कि यह अर्थशास्त्र में नहीं बैठता। मैं क्या करूँ? मैं गाय को नहीं खा सकता।

मेरे लिये खादी की भी वही बात है। वे

कहते हैं कि कातने का धंधा अर्थशास्त्र की दृष्टि से अपयुक्त नहीं है। वह केवल अकेले पारमार्थिक बात हो जाय तो बात अलग है। तब तो वह केवल अकेले पुण्यकार्य के जैसा चलेगा। कुछ लोग करोड़ों रुपया देते जायेंगे और हम अंसे अड़ाते जायेंगे। कुछ थोड़े-से लोग धार्मिक दृष्टि से कातते रहेंगे। तब अंसका सम्बन्ध राजनीति से नहीं रहता। अंसका धर्म के साथ सम्बन्ध हो जाता है। अगर देश के अर्थशास्त्र से अंसका संबंध नहीं रहता, तो कॉंग्रेस में भी अंसका स्थान नहीं रहेगा। तब तो हमें कहना पड़ेगा कि जो लोग हमारा तत्त्व मानते हैं, वे धर्म-दृष्टि से जिस कपड़े को पहनें और अंसके लिये ज्यादा दाम दें। धार्मिक दृष्टि से लोग अंसा करते भी हैं। गंगाजल भी केवल पानी ही है। लेकिन जिनकी अंसमें श्रद्धा है, वे गंगाजल के अकेले लोटे के लिये चार या पाँच रुपये दे देते हैं। अगर हम खादी को वंसा ही मानते हैं, तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिये। साफ साफ यह बात कबूल कर लेनी चाहिये। यह जो कुछ मैंने कहा है, वह मेरी अपनी राय नहीं है। यह सब मैं नहीं मानता। यह तो अर्थशास्त्रियों की दलीलें हैं। अंन दलीलों का माकूल जबाब मैं नहीं दे सका। अगर मैं अंनकी सारी शंकाओं का अुत्तर ठीक ठीक दे सका, तो वे मेरे सहायक हो जायेंगे; जिसमें मुझे शक नहीं है। वे भी गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। नाहक मेरा विरोध नहीं करना चाहते।

श्री जाजूजी ने कहा कि हम कताबी और खादी पर बीप्टी (दान) हमेशा के लिये नहीं दे सकते। यह तो मैं भी मानता हूँ। हमेशा दान पर जो चीज चलती है, वह तो अकेले धार्मिक चीज हो जाती है। अंसका राजनीति

से और अर्थकरण से कोबी संबंध नहीं रह जाता। अगर हम खादी को आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण नहीं बना सकते, तो इसे दान से चलाना व्यर्थ है। जिसलिये दान की बात तो हम छोड़ दें।

जब राज-सत्ता हमारे हाथ में आ जायगी, तब हम मिलों को जबरदस्ती नहीं भुंदा देंगे। हमें वह अधिकार तो होगा, लेकिन हम अक्सर बैसा दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब हम खुली आँखों से देखेंगे और जनता को तथा सत्प्रवृत्त मिल-मालिकों को बता सकेंगे कि आपके धंधे से देश को हानि पहुँचती है, तब हम मिलों को भुंदायेंगे। हमने शराब की दुकानें बन्द करा दीं; क्योंकि उनका धंधा अनैतिक था। उनके धंधे मिट गये, लेकिन हमने उन्हें पैसा नहीं दिया। मिलवालों के भी धंधे मिट जायेंगे, लेकिन हम उन्हें हरजाना दे देंगे। वे समझ जायेंगे कि हमारे धन्धे से देश का नुकसान है तो वे खुशी से मिट जायेंगे। लेकिन अगर हम यह सिद्ध न कर सकें कि खादी अर्थशास्त्र की दृष्टि से फायदेमन्द है, तो वे पैसे लेकर भी क्यों बन्द करें? अके जासिम की तरह हम क्यों बन्द करायें? और मिल-मालिक क्यों कबूल करें?

अगर मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गये हों, तो आज ही हममें अितनी शक्ति आनी चाहिये कि हम मिलों का सीधा मुकाबला कर सकें। क्योंकि सत्ता आने पर भी हम जबरदस्ती से काम नहीं लेनेवाले हैं। तो फिर, हम आज ही मिलों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? अगर अहिंसा से मिलों को बन्द करना है, तो आज ही क्यों नहीं कर सकते?

हमारे रास्ते में रुकावटें तो हैं ही। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मौलिक रुकावट भी है कि देश के कपड़े का सवाल खादी हल ही

नहीं कर सकती? हर साल साठ करोड़ का कपड़ा बाहर से आता था। हमने १८-२० साल में १०-२० करोड़ की खादी बना ली, जिसमें कोबी बड़ा भारी काम नहीं किया। जिसलिये हमें अभ्यास और शोध करके जिसका निर्णय करना चाहिये कि क्या दरअसल हमारे रास्ते में यह मौलिक रुकावट है? सभी खादी-सेवक तो यह नहीं कर सकते। उनमें से कुछ को बैठ कर यही काम करना चाहिये। मैं खुद नहीं कर सकता। मैंने अतना अभ्यास नहीं किया। मैंने गुलजारीलाल को यह काम सौंप दिया है। गुलजारीलाल का अभ्यास काफी है। राव वगैरा भी अच्छे आदमी हैं। मैंने गुलजारीलाल से कह दिया है कि वह उनके साथ बैठ कर जिसकी छानबीन करे। या तो गुलजारीलाल खुद हार जायें या उन्हें हरा दे। अितनी शक्ति हममें आनी ही चाहिये। अगर यह सब न कर के हम यह कहेंगे कि सारे अर्थशास्त्री निकम्मे हैं, तो वह तो बड़ा अहंकार होगा। दूसरे भी जिस चीज का स्वतंत्र अभ्यास करें, ज़रूरत हो तो राव वगैरा के पास चले जायें। उन्हें वे न जानते हों, तो मैं खत भी देने को तैयार हूँ। दूसरे भी अर्थशास्त्री हैं। उनके पास भी हमें चले जाना चाहिये और उनसे सहायता लेनी चाहिये। हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम जिसकी अच्छी तरह छानबीन करें और समझ लें।

अगर हम कताबी को अके स्वतंत्र धंधा मानते हैं, तो हमारे लिये यह सोचने की बात है कि वह अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? हम जब परिश्रम (अम्स्किस्ड लेबर) के जो दाम देते हैं, वह अगर कताबी जैसे कलापूर्ण श्रम के भी दें, तो खादी पर क्या असर होगा, यह भी सोचने की बात है।

कतामी की मजदूरी अगर आठ आने हैं, तो खादी का काम पंद्रह आना गज हो जाता है। करोड़ों लोगों के लिये यह शक्य नहीं कि पंद्रह आना गज की खादी खरीदें। पंद्रह आना गज का दाम देनेवाले हमारे पास कितने हैं? यह हिसाब सुन कर मैं ठंडा हो गया। हिन्दुस्तान की आज की हालत में यह असंभव है। मेरी आठ आने की मात्रा खतम ही हो गयी। करोड़ों मजदूरों की चार आना भी नहीं मिलता; तीन आना भी नहीं मिलता। जो खुद की खेती करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, घाटा आता है। अंसी हालत में किसी तरह हम चार आने तक पहुँचे हैं। लेकिन कस्तिन को आठ आने मजदूरी देने से अगर खादी के दाम पंद्रह आना गज हो जाते हैं, तब तो मेरी बात खतम हो जाती है। चार आने देने पर भी खादी महँगी ही होती है। जिसलिये हमें जिसमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिये, शोध करनी चाहिये। यह जो शोध करनी है, वह आप करें।

मैंने जो विचार किया है, उनका नतीजा लिखा है। लेकिन वह मोटा हिसाब है। मैंने कमरे में बैठ कर किया है। मैंने कहा है कि हम अंसी आशा न करें कि हम मिल के कपडे जैसी खादी सिर्फ मजदूरों से तैयार करा लेंगे। उस बात पर मैं कायम हूँ। हम खादी जिस तरह से नहीं पैदा कर सकते कि सब लोग खादी खरीदें। जिसका मतलब यह है कि करोड़ों को तो खुद कातना है। बाजारू खादी बोडे आदमियों के लिये होगी। उसके लिये हम कस्तिनों को अधिक-से-अधिक कितना दे सकते हैं, जिसकी भी शोध करनी चाहिये। यह सारी खोजबीन और शोध हमें करनी है जिससे अर्थशास्त्री हमारी मदद नहीं कर सकते।

जिस दिशा में थोड़ा-बहुत काम हमने किया है। लेकिन अभी पुस्तक-रूप में अपने अनुभव के परिणाम लिपिबद्ध नहीं किये हैं। जो कुछ काम हुआ है, वह अकेले शास्त्र बनाने के लिये काफी नहीं है। अब वह मौका आ गया है। खादी-सेवक अभ्यास और शोध करें। अभ्यासियों से मैंने अब तक अभ्यास नहीं कराया। जिसमें मेरा दोष है। अब चाहता हूँ कि थोड़े-से अभ्यासियों को रख कर उनसे खोज और अभ्यास कराऊँ। यंत्रवाद के जो पुजारी हैं, वे काफी अभ्यास और शोध करते हैं। अपने ढंग से अमली काम भी करते हैं। अपने अध्ययन और अनुभव के परिणाम जगत के सामने रखते हैं। हमारे पास अंसे कोअी आदमी नहीं है, जो चरखा भी चलावें और अध्ययन तथा शोध भी करते रहे। यह बात हमारे करने की है, न कि उन अर्थशास्त्रियों की।

तो मैंने दो चीजें आपको बतायीं। अके, हमें अर्थशास्त्र का उनकी दृष्टि से अभ्यास करना चाहिये। उस दृष्टि से खादी-शास्त्र में सुधार करने की जगह हो तो सुधार करने चाहिये। उनको और बुद्धिमान तटस्थ व्यक्तियों को संतोषकारक हो, जैसे अुत्तर देने की शक्ति हममें आनी चाहिये। तभी खादी स्थायी हो सकती है।

दूसरी बात यह बताया कि हमें शोध करनी चाहिये। जिस प्रकार की शोध करने की जिम्मेदारी कुछ खास खादी-सेवकों की है। उन्हें शोध करके नयी नयी योजनाएँ बनानी चाहिये। जैसे प्रभुदास है; उसके पास अके योजना पडी है। उसने मुझे भेज दी है। मैं पूरी पूरी समझ नहीं सका हूँ। फिर भी, उसमें मैंने शोध पकड़ लिये हैं। उनका जिक्र नहीं करूँगा। आप उसकी योजना उससे समझ लीजिये;

जो दोष हैं, आप भी पकड़ लेंगे। अगर बसमें कोबी शक्ति है, तो ले लीजियें। वह मानना है कि उसके तरीके से खादी व्यापक हो सकती है।

दूसरा वह प्रयोग है, जो मैं सेवाश्रम में बैठ कर करने की कोशिश में हूँ। अभी तो कोबी बड़ा भारी परिणाम आया है, अंसा नहीं कह सकता। यह भी नहीं कह सकता कि आज तक का काम कोबी बहुत आशाजनक है। लेकिन बससे मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बेकारी की बात तो हम झट-से मान लेते हैं। सेवाश्रम में जो लोग बैठे हैं वे बेकार नहीं हैं। वे पैसे ले कर भी कातने नहीं आते। बिना पैसे से कातने की राष्ट्रभावना या धर्मभावना तो उनमें है ही नहीं। मतलब यह कि, हमें यह खोज करनी होगी कि बेकारी की जो बात हमने मान ली है वह कहीं तक सच है। क्या दरजसल हम जिस मात्रा में बेकारी मानते हैं, बस मात्रा में वह है? यह अध्ययन और खोज का विषय है।

बुदाहरणार्थ, बेकारी के विषय में ज्वेरभाजी कहते हैं कि 'मैं तो बेकारी देखता ही नहीं'। वे त्रयी गुजरात हो आये। वे कहते हैं कि 'कम-से-कम गुजरात में तो मैं बेकारी नहीं देखता'। उनका निरीक्षण कहीं तक सही है, वह तो लक्ष्योदास कह सकते हैं। ज्वेरभाजी का कथन है कि गुजरात में कम-से-कम बीरतें तो बेकार नहीं हैं। वे चावल कूटने, पीसने आदि कभी प्रकार के काम करती हैं। पुरुष बेकार हैं। बौद्ध-बहुत काम खेती का कर लेते हैं। लेकिन वे कातनेवाले नहीं हैं। हमें जिसकी छानबीन करनी चाहिये कि ज्वेरभाजी का अवलोकन कहीं तक यथार्थ है। उनका कथन के बाद भी मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बेकारी है। साल में

चार महीने लोग बेकार रहते हैं। वहाँ अके ही फसल होती है, वहाँ के किसान तो छह महीने बेकार रहते हैं। अब देखना यह है कि यह सिर्फ अनुमान ही है या वस्तुस्थिति भी है। हम तो यह मान कर बैठे हैं और आज भी मानते हैं कि यह वस्तुस्थिति है। अंग्रेज लेखकों ने और दूसरे अभ्यासकों ने यही लिखा है और ज्वेरभाजी ने बसका प्रतिवाद किया है। हमें शोध करनी होगी कि उनका प्रमाण कहीं तक संतोषकारक है।

आपके सामने कभी गोलमाल सूचनाओं आ गयी होंगी। मैंने अके सूचना और पेश कर के बस गोलमाल को शायद बड़ा ही दिया है। आप अिन सब सूचनाओं पर विचार करें और सर्व-मान्य निर्णय करें। खोज के लिये प्रबन्ध करें।

जिस विषय में कोबी प्रश्न पूछने हों तो पूछें।

जाजूजी—हमारा खादी पर प्रेम है; जिसलिये हम उसके विषय में कोबी मूलगामी आक्षेप की बात सोचते ही नहीं। हम जिन बातों को मौलिक मानते हैं, अर्थशास्त्री उनका कोबी मूल्य नहीं समझते।

गांधीजी—जिसलिये वे जितनी बातें कहते हैं, वे हमारे क्षेत्र के बाहर हो जाती हैं। हमें उनके आक्षेपों को लेखबद्ध करके समझ लेना चाहिये। उनका और हमारी भूमिका में भेद जरूर है; लेकिन दोनों की भूमिकाओं स्पष्ट हो जाने पर मालूम होगा कि जितना भारी भेद हम मानते हैं, उतना बड़ा भेद उनके और हमारे बीच नहीं है। कम-से-कम मुझे अंसा लगता है। हम दोनों मानते हैं कि हिन्दुस्तान गरीब मुल्क है। हमें बससे घनादय नहीं बनाना है, लेकिन सुखी तो बनाना है। आज करोड़ों को दूध, धी और अच्छा अन्न नहीं मिलता। पेटभर खाना भी नहीं मिलता।

हम तो चाहते हैं कि हर अंक को पेटभर खाना मिले। हम पेटभर खाना किसे समझते हैं, सुखी जीवन हम किसे कहते हैं, जिसकी व्याख्या करें। कितना धी-दूध हो, कितना कपडा हो, कैसा मकान हो, यह सब तय करें। यहाँ तक तो अूनके हमारे बीच कोई भेद नहीं है। भेद तो आगे चल कर आता है, जब कि वे कहते हैं कि हर अंक के पास अंक अंक मोटर हो और हम कहते हैं कि अंक गाँव के लिये भी अंक मोटर जरूरी नहीं है। लेकिन वह तो दूर की बात है। हमारी कल्पना के अनुसार हर अंक को अच्छा अन्न, घी, गुड़, कपडा, घर, आदि मिलने के लिये कितनी आमदानी की जरूरत है, यह पहले तय करें। सुखी जीवन की अपनी कल्पना निश्चित करें। जिसकी खोज करें कि खादी अूसमें कहीं तक सहायक होती है। बाकी की बातें छोड़ दें।

हमें देखना चाहिये कि खादी में देहातों को ये मुविधायें प्राप्त करा देने की कितनी शक्ति है। किसी गाँव में खादी का प्रचार होने पर भी गाँववालों को अगर भी, दूध वगैरा नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिये कि हमारे अर्थ-शास्त्र में ही दोष है। यह अभ्यास का विषय है। आज तक मैंने ऐसा अभ्यास नहीं कराया। यह मेरा दोष है। अगर मैं शंकरलाल को लिखता रहता कि जिन बातों की खोज करो, तो कुछ-न-कुछ काम हो ही जाता। जिसमें हमारी शिथिलता रही है। गांधी सेवा संघ के पास ऐसे आदमी चाहिये, जो संशोधन ही करते रहें। वे केवल ग्रंथ-कीटक नहीं होंगे। लेकिन अभ्यास और खोज अनिवार्य है। तभी खादी में सुधारणा होगी और अूसका प्रचार व्यापक होगा।

अहिंसक राज्य-पद्धति में आखिर यह आने-वाला है कि जो कुछ होगा, वह अपूर से नहीं

फिन्तु भीतर से होगा। याने जो सुधार होंगे, वे लोगों की अपनी प्रेरणा से होंगे; राज्य की जबरदस्ती से नहीं। राज्य केवल लोगों के समुदाय का प्रतिनिधि होगा। लोक-समुदाय का दोहन वह नहीं कर सकेगा। लोगों के कामों में राज्य दखल नहीं देगा। हमें तो आज ही हम राज्यकर्ता हैं, ऐसा मान लेना चाहिये। आज की सत्तनत भी हमारे जिन कामों में दखल कहीं देती है? अूसका कर अदा करने के बाद जिन बातों में वह बाधा नहीं डालती। हम खुशी से ये प्रवृत्तियाँ चला सकते हैं। आज की सत्तनत से हमारी लडाबी दूसरे कारणों से है। लेकिन आज भी हम अहिंसक राज्य करना चाहें तो, वह रुकावट नहीं कर सकती।

मैं सेवाग्राम में बैठ कर देखता हूँ कि सरकार तो दखल नहीं देती। लेकिन फिर भी, वहाँ मेरा अहिंसक राज्य नहीं चल सकता। अहिंसक पद्धति से स्वराज्य तो हमारे पास पडा ही है। सरकार रुकावट नहीं कर सकती। कॉंग्रेस-सरकार ने कुछ मदद की। लेकिन मैं अूससे कोई फायदा नहीं अुठा सका। क्योंकि अहिंसा का कार्य सत्ता या दण्ड से आगे नहीं बढ़ता। जिसलिये मैं कहता हूँ कि अहिंसक स्वराज्य तो हम जिस क्षण चाहें, अूसी क्षण हमें प्राप्त है। अंक थोड़ी-सी चीज रुकावट करती है; वह अुडा देनी है। वह है हमारी अशक्ति। हममें शक्ति आनी चाहिये। मेरा मतलब जेल में जाने की शक्ति से नहीं है। मैंने जो लिखा है, 'मेरी शर्तें पूरी होजायें, तो स्वराज्य हमारे कदमों में पडा है', वह कोई शब्दालंकार नहीं है। अूसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। वह सी-टका शुद्ध सत्य मैंने लिखा है। हमें लोगों के साथ ओत-प्रोत होना सीखना चाहिये। अहिंसा की शक्ति का विकास करना चाहिये।

फिर तो अकेले भी जादमी के जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वराज्य हमारा है।

हमें यह भ्रम है कि स्वराज्य मिलने पर हम यह सब कुछ कर सकेंगे। यह हमारी भूल है। स्वराज्य का अनुभव तो हमने दो साल तक ले लिया। हमें अपने काम के लिये दस-बीस हजार रुपया मिला। हम यह नहीं कह सकते कि हमने कोठी-कोठी का उपयोग बुद्धिपूर्वक किया। केन्द्रीय सरकार हमारे हाथों में नहीं है, जिस शिकायत से भी खादी कार्य का कोषी संबंध नहीं है। केन्द्रीय सत्ता हमारे हाथ में न होने से हम केवल जितना ही नहीं कर सकते कि मिलों पर कर लगावें। लेकिन जिससे हमारे काम में कोषी रुकावट नहीं होती।

अज्ञातवादी—आपने कहा है कि जिस काम में बड़ी दूर तक हम और समाजवादी साथ-साथ चल सकते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि हर अकेले के पास अकेले मोटर हो, और हम कहते हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी सीमारेखा क्या मानी जाय? सुखी जीवन-मान की हमारी क्या कल्पना है?

गांधीजी—यह तो हमारा काम है—कार्य-कर्ताओं का। हम तय करें कि कितना दूध-धी बर्गरा होने से हम मनुष्य को सुखी मानेंगे।

सतीशबाबू—दिनकत यह है कि वे पूछते हैं कि जीवन का यह मान नियत क्यों रहे? हम उसे अतारोत्तर बढ़ाते ही क्यों न जावें?

यहीं हमारा और अनुभव मार्ग-भेद होता है।

गांधीजी—अनुभव और हमारा यह मार्ग-भेद तो रहनेवाला ही है। जिसको खान कर अनुभव और हममें जो बातें सामान्य हैं, वहाँ तक तो हम साथ चलें। समाजवादी की कल्पना के अनुसार सुखी समाज का निर्माण करना आसान नहीं है। जिसके लिये जितना भयंकर यंत्र-करण करना होगा कि मनुष्य की बुद्धि के विकास के लिये बहुत कम गुंजाविल रहेगी। आज तो अकेले तरह की अराजकता है। कारीगर अपनी बुद्धि से काम करते हैं। अपनी मर्जी से विश्राम लेते हैं। सबको अपनी बुद्धि के प्रयोग करने का अवसर है। अकेले तरह से यह अराजकता भी अच्छी है। यांत्रिक व्यवस्था में तो सभी यंत्रवत् जड़ हो जायगा। लेकिन यह तो दूर की बात है। आज हमें साधना करनी है जिस बात की कि हम अपनी कल्पना के अनुसार सुखी जीवन कैसे ला सकते हैं? खादी का अस्म में क्या स्थान है? यह व्यवस्थित बुद्धि के प्रयत्न का विषय है। हममें यह शक्ति आनी चाहिये कि हम जो कुछ अनुभव, अवलोकन और अध्ययन करें, जिसको ठीक ठीक लेखबद्ध कर सकें और जिसके परिणाम अर्थ-शास्त्रियों के आगे रख सकें।

वर्धा,
ता. २१-६-४० }

वीरों की अहिंसा का प्रयोग

[गांधी सेवा संघ की सभा में गांधीजी का दूसरा भाषण]

मेरी साधना

मैंने जाजूजी के पास कुछ प्रश्न दिये। जिसका कारण यह है कि मेरे दिम में भी अनेक तरह के विचार आते रहते हैं। मैंने आज तक अहिंसा या श्रामोद्योग के जो विचार और कार्यक्रम जगत के सामने रखे, उसका मतलब यह नहीं था कि मेरे पास कोई बने-बनाये सिद्धान्त पड़े हैं, या मैंने कोई अन्तिम निर्णय कर लिये हैं। परंतु; फिर भी, जिस विषय में मेरे कुछ विचार तो हैं ही। पचास वर्ष तक मैंने अके ही चीज की साधना की है। ज्ञानपूर्वक विचार भले ही न किया हो, लेकिन फिर भी, विचार तो होता ही रहा। उसे आप मेरी अन्तर-आवाज कहें या अनुभव का परिणाम कहें। जो कुछ है, आपके सामने रखता हूँ। पचास साल तक असी अन्दर की आवाज का श्रवण करता रहा हूँ।

'अहिंसा' शब्द निषेध पर

जो अहिंसक है, उसके हाथ में चाहे कोई भी अुद्यम क्यों न रहे, उसमें वह अधिक-से-अधिक अहिंसा लाने की कोशिश करेगा ही। यह तो वस्तुस्थिति है कि बगैर हिंसा के कोई भी अुद्योग चल नहीं सकता। अके दृष्टि से जीवन के लिये हिंसा अनिवार्य मालूम होती है। हम हिंसा को घटाना चाहते हैं, और हो सके तो उसका शोष करना चाहते हैं। मतलब यह कि हम हिंसा करते हैं, परंतु अहिंसा की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। हिंसा का त्याग करने की हमारी कल्पना में से अहिंसा निकली है। जिसलिये हमें शब्द भी निषेधात्मक मिला है।

'अहिंसा' शब्द निषेधात्मक है।

'अहिंसा' की मर्यादित व्याख्या

अर्थात् जो अहिंसा को मानता है, वह जो अुद्योग करेगा, उसमें कम-से-कम हिंसा करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन कुछ अुद्योग ही जैसे हैं, जो हिंसा बढ़ाते हैं। जो मनुष्य स्वभाव से ही अहिंसक है, वह जैसे चन्द अुद्योगों को छोड़ ही देता है। अुदाहरणार्थ, यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वह कसाबी का धंधा करेगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि मांसाहारी कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता। मांसाहार दूसरी चीज है। हिन्दुस्तान में थोड़े-से ब्राह्मण और वैद्यों को छोड़ कर बाकी के सब तो मांसाहारी ही हैं। लेकिन फिर भी, वे अहिंसा को परमधर्म मानते हैं। यहाँ हम मांसाहार की हिंसा का विचार नहीं कर रहे हैं। जो मनुष्य मांसाहारी है, वे सारे हिंसावादी नहीं हैं। मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मांसाहारी मनुष्य अहिंसक नहीं होता? अंडूज से बढ़ कर अहिंसक मनुष्य कहाँ मिलेगा? लेकिन वह भी तो पहले मांसाहारी था। बाद में उसने मांसाहार छोड़ दिया। लेकिन जब मांसाहारी था, तब भी अहिंसक तो था ही। छोड़ने पर भी, मैं जानता हूँ, कि कभी कभी जब वह अपने बहन के पास चला जाता था तब मांस खा लेता था, या डॉक्टर लोग आप्रह करते थे तो भी खा लेता था। लेकिन उससे उसकी अहिंसा थोड़े ही कम हो जाती थी? जिसलिये यहाँ हमारी अहिंसा की व्याख्या परिमित है। हमारी अहिंसा मनुष्यों तक ही मर्यादित है।

हिंसक और अहिंसक अद्योग

लेकिन भासाहारी अहिंसक भी बाज चीज तो छोड़ ही देता है। जैसे वह शिकार कभी नहीं करेगा। यानी जिनसे हिंसा का बिस्तार बढ़ता ही जाता है, उन प्रवृत्तियों में वह कभी नहीं पड़ेगा। वह युद्ध में नहीं पड़ेगा। युद्ध के शस्त्रास्त्र बनाने के कारखानों में काम नहीं करेगा। उनके लिये नये नये शस्त्रों की खोज नहीं करेगा। मतलब, वह ऐसा कोभी अद्योग नहीं करेगा, जो हिंसा पर ही आश्रित है और हिंसा को बढ़ाता है।

अब, काफी अद्योग जैसे भी हैं, जो जीवन के लिये आवश्यक हैं; लेकिन वे बिना हिंसा के चल ही नहीं सकते। जैसे खेती का अद्योग है। जैसे अद्योग अहिंसा में आ जाते हैं। जिसका मतलब यह नहीं है कि उनमें हिंसा की गुजाबिधा नहीं है; अथवा वे बिना हिंसा के चल सकते हैं। लेकिन उनकी बुनियाद हिंसा नहीं है और वे हिंसा को बढ़ाते भी नहीं हैं। जैसे अद्योगों में होनेवाली हिंसा हम घटा सकते हैं और उसे अपरिहार्य हिंसा की हद तक ले जा सकते हैं। क्योंकि आखिरी अहिंसा हमारे हृदय का धर्म है। हम यह नहीं कह सकते कि किसी अद्योग का अहिंसा से अनिवार्य संबंध है। वह तो हमारी भावना पर निर्भर है। हमारा हृदय अहिंसक होगा, तो हम अपने अद्योग में भी अहिंसा लायेंगे।

अहिंसा केवल बाह्य वस्तु नहीं है। मान लीजिये अंक मनुष्य है, काफ़ी कमा लेता है और सुख से रहता है। किसीका कर्ज बग़रा नहीं करता, लेकिन हमेशा दूसरों की निमारत और मिलकियत पर दृष्टि रखता है, अंक करोड़ के दस करोड़ करना चाहता है, तो मैं उसे अहिंसक नहीं कहूंगा। ऐसा कोभी धंधा

नहीं जिसमें हिंसा ही ही नहीं। लेकिन धन्य धन्य जैसे हैं जो हिंसा को ही बढ़ाते हैं। अहिंसक मनुष्य को उन्हें वर्ज्य समझना चाहिये। दूसरे अनेक धन्यों में अगर हिंसा के लिये स्थान है तो अहिंसा के लिये भी है। हमारे दिल में अगर अहिंसा भरी हुयी है तो हम अहिंसक कृत्ति से उन धन्यों को करें। हम उन अद्योगों का दुरुपयोग करें यह बात दूसरी है।

प्राचीन भारत की अर्थ-व्यवस्था

मेरे पास कोभी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। परंतु मेरा अंसा विश्वास है कि हिन्दुस्तान कभी सुखी रहा है। उस ज़माने में लोग अपने अपने धन्ये परोपकारबुद्धि से करते थे। उसमें से अदर-निर्वाह तो ले लेते थे; लेकिन धन्या समाज के हित का ही होता था। मेरा कुछ अंसा खयाल है कि जिन्होंने हिन्दुस्तान के गाँवों का निर्माण किया, उन्होंने समाज का संगठन ही अंसा किया जिसमें शोषण और हिंसा के लिये कम-से-कम स्थान रहे। उन्होंने मनुष्य के अधिकार का विचार नहीं किया; उसके धर्म का विचार किया। वह अपनी परंपरा और योग्यता के अनुसार समाज के हित का अद्योग करता था। उसमें से उसे रोटी भी मिल जाती थी यह दूसरी बात थी। लेकिन उसमें करोड़ों को चूसने की भावना नहीं थी। लाभ की भावना के बदले धर्म की भावना थी। वे अपने धर्म का आचरण करते थे; रोटी तो योंही चली जाती थी। समाज की सेवा ही मुख्य चीज थी। अद्योग करने का अद्देश व्यक्तिगत नफा नहीं था। समाज का संगठन ही अंसा था। अदाहरणार्थ, गाँव में बड़बी की ज़रूरत होती थी। वह खेती के लिये बीजार तैयार करता था;

लेकिन गाँव ब्रुसे जैसे नहीं देता था। देहाती समाज पर यह बन्धन लगा दिया था कि ब्रुसे अनाज दिया जाय। ब्रुसमें भी हिंसा काफी हो सकती थी। लेकिन मुख्यवस्थित समाज में ब्रुसे न्याय मिलता था। और किसी ज़माने में समाज मुख्यवस्थित था वैसे में मानता हूँ। ब्रुस वक्त अिन ब्रुद्योगों में हिंसा नहीं थी।

बेक सुदाहरण

मेरे अिस विश्वास के काफी सबूत हैं। अपने छुटपन में जब मैं काठियावाड़ के देहातों में जाता था तो लोगों में तेज था। अूनके शरीर हट्टे-कट्टे थे। आज वे निस्तेज हो गये हैं। घर में दो बरतन भी नहीं रहे। अिस पर मे मूझकों वंसा लगता है कि किसी वक्त हमारा समाज मुख्यवस्थित था। ब्रुस वक्त अुसका जीवन अहिंसक था। अहिंसक जीवन के लिये आवश्यक सब ब्रुद्योग अच्छी तरह चलते थे। अहिंसक जीवन के लिये जितने ब्रुद्योग अनिवार्य हैं, अुनका अहिंसा से सीधा संबध है।

शरीर-श्रम

अिसीमें शरीर-श्रम आ जाता है। मनुष्य अपने श्रम से थोड़ी-सी ही खेती कर सकता है। लेकिन अगर लाखों बीघे जमीन के दो चार ही मालिक हो जाते हैं तो बाकी के सब मजदूर हो जाते हैं। यह बगैर हिंसा के नहीं दो सकता। अगर आप कहेंगे कि वह मजदूर नहीं रखेंगे, यंत्रों से काम लेंगे; तो भी हिंसा आ ही जाती है। अिसके पास बके लाख बीघा जमीन पडी है, अुसे यह घमण्ड तो आ ही जाता है कि मैं अितनी जमीन का मालिक हूँ। धीरे धीरे अुसमें दूसरों पर सत्ता कायम करने

की सालाच आ जाती है। यंत्रों की मदद से वह दूर दूर के लोगों को भी गुलाम बना लेता है। और अुन्हें अिसका पता भी नहीं होता कि वे गुलाम बन रहे हैं। गुलाम बनाने का वैसे बके खूबसूरत तरीका अिन लोगों ने ढूँढ लिया है। जैसे फोर्ड है। बके कारखाना बना कर बैठ गया है। चन्द आदमी अुसके यहाँ काम करते हैं। लोगों को प्रलोभन दिखाता है, विज्ञापन निकालता है। अुसने हिंसक प्रवृत्ति का वैसे मोहक रास्ता निकाल लिया है कि हम अुसमें जा कर फँस जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। हमें अिन बातों का अिचार करना है कि क्या हम अुसमें फँस जाना चाहते हैं या अुससे बचे रहना चाहते हैं?

मेरा विशेष दावा

अगर हम अपनी अहिंसा को अविच्छिन्न रखना चाहते हैं और सारे समाज को अहिंसक बनाना चाहते हैं तो हमें अुसका रास्ता खोजना होगा। मेरा तो यह दावा रहा है कि सत्य, अहिंसा, बगैरा जो यम हैं वे अृषि-मुनियों के लिये नहीं है। पुराने लोग मानते हैं कि मनु ने जो यम बतलाये हैं वे अृषि-मुनियों के लिये हैं, व्यवहारी मनुष्यों के लिये नहीं हैं। मैंने यह विशेष दावा किया है कि अहिंसा सामाजिक चीज है। केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है; वह पिण्ड भी है और ब्रह्माण्ड भी। वह अपने ब्रह्माण्ड का बोझ अपने कंधे पर लिये फिरता है। जो धर्म व्यक्ति के साथ खतम हो जाता है, वह मेरे काम का नहीं है। मेरा यह दावा है कि सारा समाज अहिंसा का आचरण कर सकता है और आज भी कर रहा है। मैंने अिसी विश्वास पर चलने की कोशिश की है और

में मानता हूँ कि मुझे उसमें निष्फलता नहीं मिली।

अहिंसा समाज का प्राण है

मेरे लिये अहिंसा समाज के प्राण के समान चीज़ है। वह सामाजिक धर्म है, व्यक्ति के साथ खतम होनेवाला नहीं है। पशु और मनुष्य में यही तो भेद है। पशु को ज्ञान नहीं है, मनुष्य को है। जिसलिये अहिंसा उसकी विशेषता है। वह समाज के लिये भी सुलभ होनी चाहिये। समाज असीके बल पर टिका है। किसी समाज में उसका कम विकास हुआ है, किसी में बेशी विकास हुआ है। लेकिन उसके बिना समाज अंक क्षण भी नहीं टिक सकता। मेरे दावे में कितना सत्य है, जिसकी आप शोध करें।

आपका कर्तव्य

मैं जो यह कहा करता हूँ कि सत्य और अहिंसा से जो शक्ति पैदा हो जाती है, उसकी तुलना किसी दूसरी शक्ति से नहीं हो सकती, क्या वह सच है? जिसकी शोध भी आपको करनी चाहिये। हमें उस शक्ति की साधना कर के वह अपने जीवन में बतानी चाहिये। तब तो हम उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकेंगे। गांधी सेवा संघ का यह कर्तव्य है कि वह मेरे दावे का परीक्षण करे। क्या अहिंसा करोड़ों लोगों के करने जैसी चीज़ है? क्या हिंसा-अहिंसा का मिश्रण ही व्यवहार के लिये ज़रूरी है? क्या अहिंसा दरअसल सामाजिक धर्म है? क्या हम उसपर डटे रहें; या उसे छोड़ दें? अिन सारी बातों का निर्णय आपको करना है। अहिंसा की शक्ति अपने जीवन द्वारा प्रकट करना हमारा कर्तव्य है।

हमने आज तक अहिंसा का प्रयोग नहीं किया

हम यह कर्तव्य नहीं कर सके, जिसका अनुभव कल हुआ। काँग्रेस के महामण्डल ने (हाजी कमाण्ड ने) कल जो प्रस्ताव किया, उसपर से साफ़ है कि हम परीक्षा में अतीर्ण नहीं हुए। वह महामण्डल के लिये शर्म की बात नहीं है। वह तो मेरे लिये शर्म की बात है। मुझमें अितनी शक्ति नहीं है कि मेरी बात तीर जैसी सीधी उनके हृदय तक पहुँच सके। काँग्रेस में भी तो मैं मुख्य कार्यकर्ता रहा। उनके दिलों पर मैं अपना असर नहीं कर सका। जिसमें शर्म तो मेरी है। जिससे यह सिद्ध हुआ है कि आज तक जिस अहिंसा का आश्रय हमने लिया, वह सच्ची अहिंसा नहीं थी। वह निःशस्त्रों की अहिंसा थी। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अहिंसा बलवानों का शस्त्र है। हमने आज तक जो कुछ किया, वह अहिंसा के नाम पर दूसरा ही कुछ किया। उसको आप और कुछ भी कह लीजिये; लेकिन अहिंसा नहीं कह सकते। वह क्या था, यह मैं नहीं बता सकता। वह तो आप काका साहब, विनोबा या किशोरलाल से पूछें। वे बतावें कि हमने आज तक जो किया, उसे कौन-सा नाम दिया जाय। लेकिन मैं अितना जानता हूँ कि वह अहिंसा नहीं थी। मेरे नज़दीक तो शस्त्रधारी भी बहादुरी में अहिंसक व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। वह तो शस्त्र का सहारा चाहता है, जिसलिये वह अशक्त है। अहिंसा अशक्तों का शस्त्र नहीं है।

मेरा दोष

तो फिर आप पूछेंगे कि मैंने जनता से उस शस्त्र का प्रयोग क्यों करवाया? क्या उस

वक्त में यह नहीं जानता था ? मैं जानता तो था। लेकिन उस वक्त मेरी दृष्टि अतनी शुद्ध नहीं हुई थी। अगर उस वक्त मेरी दृष्टि शुद्ध होती, तो मैं लोगों से कहता कि "मैं आपसे जो कुछ करा रहा हूँ, उसे आप अहिंसा न कहें। आप अहिंसा के लिये लायक नहीं हैं; डर से भरे हुए हैं। आपके दिलों में हिंसा भरी हुई है। आप अंग्रेजों से डरते हैं। अगर हिन्दू हैं तो मुसलमान से डरते हैं, अगर मुसलमान हैं तो तगड़े हिन्दुओं से डरते हैं। जिसलिये मैं जो प्रयोग आपसे करा रहा हूँ, वह अहिंसा का प्रयोग नहीं है। सारा डरपोकों का समाज है। अूनमें से अेक डरपोक आदमी मैं भी हूँ।" यह सब मुझे साफ़ साफ़ कह देना चाहिये था। मुझे यह कह देना चाहिये था कि 'हम प्रतीकार की जिस नीति का प्रयोग कर रहे हैं, वह सच्ची अहिंसा नहीं है'। मैंने ग़लत भाषा का प्रयोग किया। अगर मैं ऐसा न करता, तो यह करुणकथा, जो कल हुई, असंभव थी। जिसलिये मैं अपने-आपको दोषी पाता हूँ।

हमरा हेतु शुद्ध था

वह करुणकथा तो है, लेकिन फिर भी मुझे उसका दुःख नहीं है। हमने ग़लत प्रयोग भले ही किया हो, लेकिन शुद्ध हृदय से किया। जो अहिंसा नहीं थी, उसे अहिंसा मान कर अपना काम किया। हमारा काम तो निपट गया, लेकिन अुधमें से अेक अनुभव मिला। आज तक हमने जो किया, वह डर के मारे किया। जिसलिये सफलता नहीं मिली। परंतु हमारा हेतु शुद्ध था। जिसलिये अब भगवान ने हमें बचा लिया। ग़लत नीति को सही समझ कर हमने अधिकार-ग्रहण भी किया।

वहो भी अहिंसा की परीक्षा में अुत्तीर्ण नहीं हुअे। तभी से मुझे तो विश्वास हो गया था कि हमें अधिकार-पदों का त्याग करना ही होगा। भगवान ने हमारी लाज रक्ष ली। कभी-न-कभी हमें अधिकार-त्याग तो करना ही था। भगवान ने हमें निमित्त दे दिया। हमने अपनी मर्जी से अधिकार-न्यास कर दिया। किसीने हमको वहाँ से निकाला नहीं। हममें से बहुतेरों के दिल में अधिकार का मोह हो गया था। कुछ लोगों को थोडा-सा पैसा भी मिल जाता था। लेकिन कॉंग्रेस का हुकम होते ही सब छोड़ कर अलग हो गये। सौप जैसे अपनी केंचुली फेंक देता है, अुसी तरह फेंक कर अलग हो गये। मान लिया कि ये अधिकार-पद निकम्मे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ बैठे रहने पर भी सरकार ने हमें सडाबी में शरीक कर दिया, और हमें उसका पता भी नहीं चला। भगवान ने ही लाज रक्खी, क्योंकि हम वहाँ रहते तो हमारी दुर्बलता का प्रदर्शन हो जाता।

शुद्ध अहिंसक प्रयोग का मौका

आज यह दूसरा मौका आया। यूरोप में महायुद्ध शुरु हो गया। जगत को बलवान अहिंसा का प्रयोग दिखाने का मौका आया। यह हमारी परीक्षा का समय है। हम अुसमें अुत्तीर्ण नहीं हुअे। आज देश को बाह्य आक्रमण से डर नहीं है। मेरा ख्याल है कि बाह्य आक्रमण नहीं होगा। लेकिन सत्तनत कमजोर हो जाने पर गुण्डों को मौका मिलेगा। चोर हैं, डाकू हैं, वे हमारे घरों पर हमला करेंगे। हमारी सड़कियों पर आक्रमण करेंगे। अगर हमारी अहिंसा बलवान की है, तो हम अुनपर क्रोध नहीं करेंगे। वे हमें पत्थर मारेंगे, गालियाँ देंगे; तो भी हमें

जुनके प्रति दया रखनी चाहिये। हम तो यही कहें कि ये पाणलपन में असा कर रहे हैं। हमें ज़ुनके प्रति द्वेष न रखते हुअे ज़ुनपर दया करनी चाहिये और भर जाना चाहिये। अब तक हम ज़िन्द्या हैं, वे अके भी लडकी को हाथ न लगा सकें। ज़िस्ती प्रयत्न में हमें मरना है।

वर्किंग कमेटी की स्थिति

जिस प्रकार चोर, डाकू और आततायी हमला करें तो लोग अपना रक्षण किस प्रकार करे, यह प्रश्न आया। काँग्रेस के महाजनों (हाथी कमाण्ड) ने देखा कि शान्ति-सेना तो बन नहीं सकती। फिर काँग्रेस लोगों को क्या आदेश दे ? क्या काँग्रेस मिट जाय ? जिसलिये ज़ुन्होंने वह कलवाला प्रस्ताव किया। ज़ुन्होंने समझा कि संपूर्ण अहिंसा का प्रयोग देश की शक्ति के बाहर है। देश को फौज की ज़रूरत है।

मेरे पास भी हमेशा पत्र आते हैं कि 'अन्धा-धुंध होनेवाली है। तुम राष्ट्रीय सेना बनाओ, और उसके लिये लोगों को भर्ती करो'। लेकिन मैं यह नहीं कर सकता।

'मेरी स्थिति'

मैंने तो अहिंसा की ही साधना की है। मैं डरपोक या और कुछ भले ही होऊँ; लेकिन दूसरी साधना नहीं कर सकता। पचास वर्ष तक मैंने अहिंसा की ही अपासना की है। काँग्रेस के द्वारा भी मैं वही बात सिद्ध करना चाहता था। मैं चवन्नी का सदस्य भी नहीं था, लेकिन मैं कहता था कि चवन्नी-सदस्य से मैं ज्यादा हूँ। क्योंकि काँग्रेस के कार्यक्रम का नेतृत्व मैं करता था। मेरी नैतिक जिम्मेवारी चवन्नी-सदस्य से बहुत अधिक थी। अब वह नैतिक बंधन भी कस से छोड़ कर आया हूँ। क्योंकि

अब मैं अपना प्रयोग किसके द्वारा करूँ ? आज तक तो काँग्रेस के द्वारा करता रहा।

'कार्य-समिति और मैं'

आज तक काँग्रेस ने मेरा साथ दिया। लेकिन जब वर्तमान महायुद्ध शुरू हुआ और मैं शिमले से लौटा, तभी से बात कुछ दूसरी हो गयी। शिमले में मैंने व्हाजिसराय से कहा था कि 'मेरी सहानुभूति तुम्हारे लिये है। लेकिन हम तो अहिंसक हैं। हम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर हमारी अहिंसा बलवानों की अहिंसा है, तो हमारे नैतिक आशीर्वाद से संसार में आपका बल बढ़ेगा'। परंतु मैंने देखा कि मेरे विचारों से काँग्रेस के महाजन सहमत नहीं हो सकते थे। ज़ुन्होंने अपना अलग प्रकार का वक्तव्य निकाला। अगर वे मेरी नीति स्वीकारते, तो काँग्रेस का इतिहास दूसरी ही तरह लिखा जाता।

यदि मैं बलपूर्वक कहता कि मेरी ही नीति माननी चाहिये, तो राजेन्द्रबाबू, राजाजी और दूसरे सदस्य मान लेते। वे भी कह देते कि ठीक है, तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन वह धोखाबाजी हो जाती। अक्सर अहिंसा नाम को भी नहीं रहती। अहिंसा का पहला लक्षण सच्चाई और अमानदारी है। मैंने अभी कहा कि अहिंसा बलवान का शस्त्र है। बलवान का क्या, वह तो बलिष्ठ का शस्त्र है। क्वमा तो वीर पुरुष का भूषण है; दुर्बलों का नहीं। ज़बरदस्ती कोभी चीज मान लेना दुर्बलता है। जिसलिये मेरे कहने से वे मेरी बात मान लेते, तो वह दगाबाजी हो जाती। जो चीज मैं मानता हूँ, वह अगर ज़ुनकी बुद्धि को मंजूर नहीं है, तो जो सच है वही ज़ुन्हें कहना चाहिये। जिस दृष्टि से ज़ुन्होंने जो किया, वह ठीक ही किया है।

‘अब हम सहधर्मी नहीं रहे’

परंतु मेरी अहिंसक ज़बान अब अूनकी बात का अुच्चार नहीं कर सकती। अब तक तो वे सरकार से कहते थे कि “आप हमारी बात नहीं मानते, तो हम भी नैतिक दृष्टि से आपकी सहायता नहीं कर सकते। आा अपने धर्म का जब तक पालन नहीं करते, तब तक हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते”। मेरी अहिंसक ज़बान काँग्रेस की तरफ से यह सब कह सकती थी। असमें मेरी अहिंसा के प्रयोग के लिये सामान भोजूद था। आज वह नहीं है। अब तो काँग्रेस के महाजन और में सहधर्मी नहीं रहे। सक्कर के लोगों ने मझसे पूछा; अूनसे भी मैंने कहा कि तुम मेरा रास्ता लो। अूनहोंने समझा कि वे मेरी सलाह पर नहीं चल सकते। अूनहोंने मारपीट का रास्ता अचित्त समझा। अब वे मेरे सहधर्मी नहीं रहे। वही बात कल के प्रस्ताव से भी स्पष्ट हुआ है। सक्कर में भी काँग्रेसवाले हैं। अूनकी ओर काँग्रेस के महामण्डल को मैं अपनी नीति पर नहीं ला सका। असलिये अलग हो गया। अैसी यह करुणकथा है। काँग्रेस के महामण्डल ने मझमें कह दिया कि “हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते। तुम स्वतंत्र कर देते है। तुम बलवान की अहिंसा का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र हो”।

हमारी दुर्बल अहिंसक नीति

आज तक हमने जो अहिंसा की, असमें यह बात रही कि हम अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों से सत्ता छीन लेंगे। हम अूनका हृदय-परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। हमारे दिल में करुणा नहीं थी; क्रोध और द्वेष था। गालियों तो हममें अरी थीं। हम यह नहीं मानते थे

कि अूनका हृदय बिगड़ा है, वे हमारी दया के पात्र हैं। हम तो यही मानते थे कि ये बोर और लुटेरे हैं। अिनको अगर हम मार सकते तो अच्छा होता। किसी वृत्ति से हमने असहयोग और सविनय-अंग किया। अेल में जा कर बैठे, वहाँ नखरे किये।

‘अहिंसा’ के नाम का प्रभाव

परंतु अिममें से भी कुछ अच्छा परिणाम निकल आया। अहिंसा हमारी ज़बान पर थी। अूनका कुछ शुभ परिणाम हुआ। थोड़ी-बहुत सफलता मिल गयी। रामनाम के विषय में हमने सुना है कि रामनाम से हम तर जाते हैं, तो फिर स्वयं राम ही आ जावें ता क्या होगा? अहिंसा के नाम ने भी अितना किया; तो फिर अगर दरअसल हमसे सच्ची अहिंसा आ जावे, तो हम आकाश में अुड़ने लगेंगे। जो शक्ति हिटलर के हवाअी जहाजों में नहीं है, वह अुड़ने की शक्ति हममें होगी। हमारा शब्द आकाश-गंगा को भी भेदता हुआ चला जायगा। यह ज़मीन आसमान हो जायगी।

गांधी सेवा संघ क्या करे ?

आज तक गांधी सेवा संघ ने जो काम किया वह निकम्मा काम था; लेकिन सच्चे दिल से किया था। असलिये बिलकुल निष्फल नहीं हुआ। हम गलती कर रहे थे, लेकिन असके पीछे घोखेबाजी नहीं थी। फिर भी जो कुछ किया, वह हमारा भूषण नहीं कहा जा सकता। आज परीक्षा का मोका आ गया है। काँग्रेस के महाजन तो अुत्तीर्ण नहीं हुए। अब देखना है, गांधी सेवा संघ क्या कर सकता है। गांधी सेवा संघ के लोग अगर जनता में अहिंसा की जागृति कर सकेंगे, तो

काँग्रेस के महाजनों को भी खुशी होगी। काँग्रेस के लोग अगर महाजनों से कहेंगे कि 'आप क्यों कहते हैं कि अहिंसा का पालन नहीं हो सकता; हम तो अहिंसक हैं और रहेंगे,' तो काँग्रेस के महाजन नाचेंगे। आपलोग गांधी सेवा 'ध' में माननेवाले हैं। आपमें से कुछ काँग्रेस में हैं, कु नहीं है। मैं तो वहाँ नहीं रहा। अब जिन लोगों के नाम काँग्रेस के दफ्तर में दर्ज हैं, वे अगर अहिंसक हैं; तो मुझे कार्य-समिति से कहना चाहिये कि हम अहिंसा में ही मानते हैं। लेकिन यों ही कह देने से काम नहीं चलेगा। आपके दिलों में सच्ची अहिंसा होनी चाहिये। जिस तरह की अहिंसा अगर काँग्रेस-सदस्यों में है, तो ऑल इण्डिया काँग्रेस कमेटी में वे कहेंगे, काँग्रेस का अधिवेशन होगा, उसमें भी कहेंगे कि हम तो अहिंसक हैं। जब तक आप समझते हैं कि आपका अहिंसा का टट्टू काँग्रेस में चल सकता है, तब तक वहाँ रहें, नहीं तो निकल जायें। काँग्रेस का धर्म अकेले रहे और आपका दूसरा, जिससे कार्य नहीं हो सकता। तब तो हमको बैलान कर देना चाहिये कि हम लोगों के प्रतिनिधि नहीं बन सकते।

दिल्ली अहिंसा

अगर आप काँग्रेस में रह कर अहिंसा का प्रचार करना चाहते हैं, तो आपको खबरदार रहना होगा। आपकी अहिंसा सच्ची अहिंसा होनी चाहिये। अगर मैं दिल से भी किसी आदमी को मारना चाहता हूँ, तो मेरी अहिंसा खतम है। मैं शरीर से नहीं मारता, जिसका मतलब यही है कि मैं दुर्बल हूँ। किसी आदमी को शकवा हो जाय तो वह मार नहीं सकता। बुरी तरह की मेरी अहिंसा हो जाती है।

अगर आप दिल से भी अहिंसक हैं, तो आप काँग्रेस के महाजनों से कह सकते हैं कि हम तो शुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिये तैयार हैं।

भावुक न बनें

अस हालत में आपको अपना परीक्षण करना होगा। फ़र से शाम तक आप जो जो कार्य करेंगे, उसके द्वारा शुद्ध अहिंसा की साधना करनी होगी। केवल दिखावे के लिये नहीं, केवल भावुकता से नहीं। हम केवल भावुक बनें तो वहम में फँस जायेंगे। भावुकता के सिलसिले में मुझे अके किस्सा याद आता है। मेरे पिताजी के पास अके सज्जन आया करते थे। बड़े भावुक थे, वहमी थे। जहाँ किसीने छीक दिया कि बैठ गये। मुझे घर से हमारे घर आने के लिये पौच मिनट लगते थे। लेकिन गिन भाबी को पचास मिनट लग जाते थे। छीको के कारण बेचारे रुक जाते थे। किसी तरह हम भावुकता से अहिंसा के नाम पर सभी कामों में से हट सकते हैं। मैं अँसा नहीं चाहता। हम सब अँसे भावुक न बनें।

स्वभावसिद्ध कर्तव्य ही स्वधर्म है

जो कुछ हम करें, वह धर्म की भावना से करें। केवल भावुकता से नहीं। मैं आज यहाँ बोलने आ गया हूँ। अपना धर्म समझ कर आया हूँ। मीन तो मेरा स्वभाव हो गया है। मीन मुझको मीठा लगता है। वह मेरा विनोद हो गया है। मनुष्य का कर्तव्य भी जब स्वभावसिद्ध हो जाता है, तो वही उसका विनोद हो जाता है। फिर कर्तव्य क्या रहा? वह तो उसका स्वभाव हो गया, आनन्द हो गया। अब तो मेरे लिये मीन स्वभावसिद्ध हो गया है। किसी तरह अहिंसा-

धर्म हमारे लिये स्वभाव-सिद्ध हो जाना चाहिये। कर्तव्य जब स्वभाव-सिद्ध हो जाता है, तब वह हमारा स्वधर्म हो जाता है।

बुसी तरह आप दिनभर जो करेंगे, उसके साथ अहिंसा का तार चलता ही रहेगा। चाहे झूठे तर्कशास्त्र के आधार पर ही क्यों न हो, आपके लिये अहिंसा ही परम धर्म होगा। झूठे तर्कशास्त्र को ही माया कहते हैं। दूसरों के लिये वह माया है, लेकिन हम जब तक अस्मै फँसे हैं, तब तक हमारे लिये वह माया नहीं है। हमारे लिये वह सत्य ही है। मैं मानता हूँ कि जिस चरखे पर ज्यो ज्यों अंक तार कातता हूँ, त्यो त्यो मैं स्वराज्य के नजदीक जाता हूँ। यह माया हो सकती है; लेकिन वह मुझे पागलपन से बचाती है। आपको जिस तरह अनुसंधान करना चाहिये।

अहिंसक सुपकरण के यज्ञ

यह चरखा मेरे लिये अहिंसा की साधना का औजार है। वह जड़ वस्तु है। लेकिन उसके साथ जब मैं अपनी चेतन वस्तु को मिला देता हूँ, तो अस्मै से जो मधुर आवाज निकलती है वह अहिंसक होती है। अस्मै जो लोहा लगा है, अस्मै खून भी हो सकता है। लेकिन मैंने जिस चरखे में मनुष्य के हित के लिये अस्मै लगाया है। मैं अस्मै के सारे अंग स्वच्छ रखता हूँ। अस्मै से अगर मधुर आवाज न निकले, तो वह हिंसक चाँज बन जाती है। हमें तो अहिंसा का यज्ञ करना है। यज्ञ की सामग्री बिलकुल शुद्ध होनी चाहिये। खराब लकड़ी, खराब लोहा लगायेंगे तो रद्दी चरखा बनेगा। अस्मैकी आवाज कर्णकट्ट होगी। यज्ञ की सामग्री असी नहीं होती।

जिस प्रकार के अनुसंधान से अगर हम अपनी

प्रत्येक क्रिया करेंगे, तो हमारी अहिंसा की साधना शुद्ध होगी। शुद्ध साधना के लिये शुद्ध उपकरण भी चाहिये। चरखे को मैंने शुद्ध उपकरण माना है। जो मनःपूर्वक यज्ञ करता है, उसे यज्ञ की सामग्री ही प्रिय लगती है। जिसीलिये मुझे चरखा प्रिय है। अस्मैकी आवाज मीठी लगती है। मेरे लिये वह अहिंसा का संगीत है।

आप मुझसे आगे बढ़ें

हमको पता नहीं कि जिस तरह की साधना के लिये कितने वर्ष लगेंगे। किसीको हजार वर्ष लग जायें, तो कोभी अंक ही वर्ष में कर लेगा। मुझे यह अभिमान और मोह नहीं है कि मैंने पचास वर्ष तक साधना कर ली, जिसलिये मैं जल्दी पूर्ण हूँगा और आप अभी शुरू कर रहे हैं, जिसलिये आपको अधिक वक्त लगेगा। यह अभिमान मिथ्या है। मैं तो अपूर्ण हूँ, डरपोक हूँ। जिसलिये मुझे अतने साल लग गये; और तो भी मैं पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन यह हो सकता है कि कोभी आदमी आज ही शुरू करे और जल्दी पूर्ण हो जाय। जिसीलिये मैंने पृथ्वीसिंह से कह दिया कि "तुममें हिंसक बीरता तो थी। मुझमें तो वह भी नहीं थी। अगर तुम सच्चे दिल से अहिंसा को अपनाओगे, तो बहुत जल्दी सफल होगे। मुझमें भी आगे चले जाओगे"।

मैं सफल शिक्षक बनना चाहता हूँ

मेरी अपेक्षा दूसरे लोग मेरे प्रयोग में अधिक सफल हों तो मैं नाचूँगा। वे अगर मुझे हरा दें तो मैं अपने आपको सच्चा शिक्षक समझूँगा। जिसी तरह मैं अपनी सफलता मानता आया हूँ। मैंने लोगों को जूते बनाना सिखाया है। अब वे मुझसे आगे बढ़ गये हैं। यह प्रमुदास

तो पडा है। जिसे जूते बनाना मैंने सिखाया। जिसकी अितनी-सी अुम्ह थी। यह मुझसे आगे बढ़ गया। दूसरा सेम था। वह तो कारीगर था। अुसने तो वह कला हस्तामलकवत कर ली। वे सब मुझसे आगे बढ़ गये। क्योंकि मेरे दिल में चोरी नहीं थी। मैं जो कुछ जानता था, सब अुन्हें देने को अुबीर था। अुन्होंने मुझे हरा दिया, यह मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अुसका यही मतलब है कि मैं सही शिक्षक हूं। अगर अहिंसा का भी मैं सही शिक्षक हूं तो जो लोग मुझसे अहिंसा सीखते हैं, वे मुझसे आगे बढ़ जायेंगे। मुझमें जो कुछ भरा है, वह सब मैं अुनको दे देना चाहता हूं। जो लोग आश्रम में मेरे साथ रहे हैं, और दूसरे भी जो आज मेरे साथ रहते हैं वे अगर मुझसे आगे नहीं बढ़ते, तो जिसका यह अर्थ होता है कि मैं सफल शिक्षक नहीं हूं।

आप मेरे सह-साधक हैं

मेरी यह अिच्छा है कि आपलोग अहिंसा की साधना में मुझसे भी आगे बढ़ जायें। क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं। आप मेरे सह-साधक हैं। मेरे पास अहिंसा का जो धन है, अुसे मैं घर घर बाँट देना चाहता हूं। अुसमें कसर नहीं करना चाहता। आपको अपने दिल में सोचना चाहिये कि "यह जो कुछ हमें दे रहा है, अुसका हम सारी भूमि में सिपन करें। यह तो बूडा हो गया है; हम तो तरुण हैं। हम अिसके दिये हुअे धन को बढ़ायेंगे"। जिस तरह सोच कर आप मुझसे आगे बढ़ जायेंगे तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा।

मैं अकेला नहीं हूँ

मैं जानना चाहता हूँ कि आपमें से कितने मेरे साथ जिस रास्ते चलने को तैयार हैं ?

अगर कोबी न आया तो मुझे अकेला भी चलना ही है। मैं सत्तर साल का हो गया हूँ, तो भी बूडा हो गया हूँ, असा तो नहीं समझता। और मैं कभी अकेला तो ही नहीं सकता। और कोबी नहीं तो भगवान मेरे साथ रहेंगे। मुझे अकेले-पन का अनुभव कभी होता ही नहीं।

आपकी अगर अहिंसा के मार्ग में श्रद्धा है, तो आप अपना परीक्षण करें। कितने आदमी जिस रास्ते चलने को तैयार हैं, जिसकी खोज करें। काँग्रेसवालों को टटोलें। यह सब खोज मैं नहीं कर सकता। क्या आप काँग्रेस के महाजनों को अहिंसा की शक्ति दे सकते हैं ? वे क्या करते; वे तो साधारण थे। जब वे देखते हैं कि लोगों में अहिंसा का अंक बूढ़ भी नहीं है तो वे कह देते हैं, 'हम क्या करें, हम आपका रास्ता नहीं ले सकते।' मैंने जिस तरह पदाधिकार छाँड़ दिया, अुस तरह वे तो नहीं छोड़ सकते। मैं अहिंसा को अपनी व्यक्तिगत साधना भी समझता हूँ। वे तो नहीं समझते।

मैंने काँग्रेस क्यों छोड़ी ?

जिसपर से आप समझ जायेंगे कि मैंने काँग्रेस छह साल पहले छोड़ दी यह ठीक ही किया। अुसकी अधिक सेवा की। अुसी बक्त मैंने देख लिया कि काँग्रेस में कभी लोग असे आ गये हैं, जो अहिंसा को नहीं मानते; जिनको अहिंसा ने स्पर्श भी नहीं किया है। मैं अुनसे काम कैसे ले सकता था ? साथ साथ मैंने यह भी देखा कि कभी अहिंसा के पुजारी काँग्रेस के बाहर पड़े हैं। जिसलिये मैंने अलग हो जाना ही ठीक समझा। आज आप देखते हैं कि मैंने सही काम किया।

क्योंकि मैंने देख लिया कि मैं दूसरी तरह से कोबी सेवा नहीं कर सकता। सिवा अहिंसा

के मुझमें दूसरी को भी शक्ति नहीं है। तब मैं वहाँ रह कर क्या करता? मुझमें जो कुछ शक्ति है, वह अहिंसा की ही शक्ति है। मैं अपनी अपूर्णता जानता हूँ। मेरी अपूर्णता मुझसे अधिक को भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी मनुष्य अभिमानी होता है। जिसलिये मैं अपनी जिन अपूर्णताओं को नहीं देखता, उन्हें आप देख लेते हैं; और मैं आत्म-परीक्षण करता रहता हूँ, जिसलिये मेरी जिन अपूर्णताओं को आप नहीं देख सकते उन्हें मैं देख लेता हूँ। इस तरह दोनों को जोड़ कर लेता हूँ।

अहिंसा ही मेरा बल है

मुझमें अहिंसा की अपूर्ण शक्ति है, यह मैं जानता हूँ; लेकिन जो कुछ शक्ति है वह अहिंसा की ही है। लाखों लोग मेरे पास आते हैं। प्रेम से मुझे अपनाते हैं। औरतें निर्भय हो कर मेरे साथ रह सकती हैं। मेरे पास अंसी कोन-या चीज है? केवल अहिंसा की शक्ति है; और कुछ नहीं। अहिंसा की यह शक्ति अकेले नयी नीति के रूप में मैं जगत को देना चाहता हूँ। उसको सिद्ध करने के लिये हम क्या कर रहे हैं, जिसका हिसाब हमें अभी दुनिया को देना बाकी है। दुनिया में आज जो शक्ति प्रकट हो रही है, उसके सामने मैं हारूंगा नहीं। लेकिन हमें सचाबी और सावधानी से काम लेना होगा; नहीं तो हम हार जायेंगे।

हिटलर की शक्ति का रहस्य

हम अपनी सारी शक्ति अहिंसा की साधना में नहीं लगायेंगे, तो हम जीत नहीं सकते। हिटलर को देखिये। जिस चीज को वह मानता है, उसमें अपने सारे जीवन की शक्ति लगा देता है। पूरे दिल और पूरी श्रद्धा से उसीमें लगा रहता है। जिसलिये मैं हिटलर

को महापुरुष मानता हूँ। उसके लिये मेरे मन में काफी कद्र है। वह शक्तिमान पुरुष है। आज राक्षस हो गया है। जो जी में आता है सो करता है; निरंकुश है। लेकिन हमें उसके गुणों को देखना चाहिये। उसकी शक्ति के रहस्य को पकड़ना चाहिये। तुलसीदासजी ने यह बात हमें सिखायी है। उन्होंने रावण की भी स्तुति की है। मेरे दिल में रावण के लिये भी आदर है। अगर रावण महापुरुष न होता, तो रामचंद्रजी का शत्रु नहीं हो सकता था। रामचंद्रजी असाधारण थे, रावण भी उनका असाधारण शत्रु था।

हिटलर की अेकाग्रता

मेरे नज़दीक तो वह सारी काल्पनिक कथा है। लेकिन उसमें सच्चा शिवपण भरा पड़ा है। हिटलर अपनी साधना में निरंतर जाग्रत है। उसके जीवन में दूसरी चीज के लिये स्थान ही नहीं रहा है। क़रीब क़रीब चौबीस घण्टे जागता है। उसका अकेले कषण भी दूसरे काम में नहीं जाता। उसने अंसे अंसे शोध किये कि उन्हें देख कर ये लोग दिङ्मूढ़ रह जाते हैं। उसके टंक आकाश में चलते हैं और पानी में भी चलते हैं। देख कर ये लोग दंग रह जाते हैं। उसने अंसी बातें कर दिखायी जो अिनके स्वाब में भी नहीं थी। वह कितनी साधना कर सकता है! चौबीस घण्टे परिश्रम करने पर भी अपनी बुद्धि तीव्र रख सकता है। मैं पूछता हूँ, हमारी बुद्धि कहाँ है? हम जड़वत् क्यों हैं? को भी हमसे सवाल पूछता है तो हमारी बुद्धि कुंठित क्यों हो जाती है?

हमारी बुद्धि में तेज हो

मैं यह नहीं कहता कि हम वादविवाद करें। केवल वादविवाद में तो हम हारेंगे ही।

हमें तो श्रद्धा-युक्त बुद्धि की शक्ति बतानी है। अहिंसा का नाम शक्ति है। अहिंसा का अर्थ केवल चरखा चलाना नहीं है। उसमें भक्ति होनी चाहिए। अगर भक्ति के बाद हमारी बुद्धि तेजस्वी नहीं हुआ, तो मान लेना चाहिए कि हमारी शक्ति में त्रुटि है। हिटलर की विद्या के लिये अगर बुद्धि का उपयोग है, तो हमारी विद्या के लिये बुद्धि का उससे कभी गुना उपयोग है। हम यह न समझें कि अहिंसा के विकास में बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं है।

बुद्धि के उपयोग का क्षेत्र

आपकी बुद्धि के उपयोग का क्षेत्र बताने के लिये मैंने ये प्रश्न बनाये। ये मौलिक प्रश्न हैं। उनका उत्तर आप अंक दिन में नहीं दे सकते। मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा कि उनपर पुस्तक लिखूँ। फिर भी, मेरे दिमाग में कुछ उत्तर तो हैं। मैं पुस्तक-लेखक नहीं बन सकता। पुस्तक-लेखक तो दूसरों को बनना है। मेरे पास अतनी फुरसत कहाँ है? जो लोग अध्ययन और खोज करेंगे, वे पुस्तक लिखेंगे। पुस्तक लिखना भी कम महत्त्व का काम नहीं है। जैसे रिचर्ड प्रेग हैं। वे मेरे पास से सिद्धान्त ले गये। अध्ययन और खोज करके पुस्तकें लिखते हैं। मैं जो कहने को डरता था वह आज प्रेग कह रहा है। मैं तो कहता था कि चरखा हिंदुस्तान के लिये है। वह तो कहता है कि 'सारी दुनिया का कल्याण चरखे में और ग्राम-अुद्योगों में भरा है। यूरोप और अमेरिका के लिये भी अहिंसा की साधना का दूसरा रास्ता नहीं है'। प्रेग कहता है कि दूसरी तरह से अहिंसक जीवन असंभव है। मैं कहने में हिचकता था। लेकिन वह तो बहादुर आदमी पड़ा है। उसने निर्भय होकर कह डाला। मैंने जिस तरह खोजबीन

और अध्ययन नहीं किया है। अन्तर्नाद ने जो मुझे आदेश दिया और प्रत्यक्ष अनुभव से जो मैंने देखा, वह जगत के सामने रखता गया। प्रेग के समान लेख-बुद्ध करके शास्त्र नहीं बनाया। उसकी बुद्धि ने जो काम किया, क्या आपकी बुद्धि भी वह कर सकती है?

विपक्षी जो कहते हैं, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उनका दृष्टि से उन प्रश्नों का विचार करके उन्हें उनका भाषा में समझाना हमारा काम है। मैं यह नहीं कहता कि हम अपना कार्य छोड़ दें। उसे तो आग्रह-पूर्वक चलाना ही है। लेकिन हम जाग्रत हो कर काम करेंगे, तभी सिद्धि मिलेगी। हमारी बुद्धि मन्द होगी तो हमारा काम बिगड़नेवाला है।

मेरा दर्द

जिस दृष्टि से कल जो प्रस्ताव हुआ, वह आपको अध्ययन और खोज का मौका देगा। उस प्रस्ताव से हमारी अबोहवा दुरुस्त होनी चाहिए। हमें जिस बात की खोज करनी चाहिए कि काँग्रेस के महामण्डल को यह प्रस्ताव क्यों करना पड़ा? जो यह कहेगा कि महामण्डल के लोग डरपोक हैं, वह देशद्रोह करेगा। उन्होंने जो आबोहवा देखी, उसका वह प्रस्ताव प्रतिघोष है। मैं उस आबोहवा का प्रतिघोष नहीं हो सकता; क्योंकि अहिंसा मेरी व्यक्तिगत साधना भी है। काँग्रेस की वह साधना नहीं है। मुझे तो उसीमें मरना है। काँग्रेस के प्रतिनिधि मेरे जैसा नहीं कर सकते। उनकी साधना अलग है। जिसलिये अब न वे मेरे साथ चल सकते हैं, और न मैं उनके साथ चल सकता हूँ। उनके लिये मेरे दिल में धन्यवाद है। जिस बात का दुःख भी है कि अतने दूर तक साथ चलने पर भी मैं उनपर अपना असर क्यों नहीं डाल सका? उन्होंने मुझे

अपना मार्ग-दर्शक माना था। बड़ी श्रद्धा से बागडोर मेरे हाथ में ही थी। फिर भी, मैं उनके दिल में विश्वास नहीं पैदा कर सका, जिसका मुझे दर्द है।

रचनात्मक कार्यक्रम का महत्त्व

आप जिस विषय की शोध करें। हमें तो अहिंसा की साधना वीर के शस्त्र के रूप में करनी है। यह बात बहुत बड़ी है। हम यह न समझें कि हमें जेल जाने की शक्ति बढ़ानी है। हमें तो यह बताना है कि रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज्य का अविभाज्य अंग है। हमने यह नहीं समझा कि चरखा हमें स्वराज्य देगा। 'गोधी कहता है जिसलिअे चरखा चला लो; अउसे गरीबों को थोडा-सा धन मिलता है'—यही हमारी वृत्ति रही। अब आपमें यह सिद्ध करने की शक्ति आनी चाहिये कि रचनात्मक कार्य ही स्वराज्य दे सकता है। जिसका मतलब यह नहीं है कि आप रोज थोडा-सा कात लें, दो-चार मुसलमानों के साथ दोस्ती कर लें, अछूतों से मिलने-जुलने लगे और समझें कि अब हम स्वराज्य की लड़ाई के लायक बन गये। आपको तो यही मानना चाहिये कि रचनात्मक कार्यक्रम में ही स्वराज्य देने की शक्ति है। रचनात्मक कार्यक्रम के बाद लड़ाई करनी है, अंसी मान्यता आपकी नहीं हो सकती। अउस कार्यक्रम में ही स्वराज्य की ताकत है।

मैंने खुलटा प्रयोग कराया

मैंने अहिंसा का प्रयोग जिस देश में अलटा किया। दरअसल तो यह चाहिये था कि रचनात्मक कार्यक्रम से शुरू करता। लेकिन मैंने पहले सविनय-भंग और असहयोग का, जेल जाने का, कार्यक्रम रक्खा। मैंने लोगों को यह नहीं समझाया कि ये तो बाद में आनेवाली चीजे हैं। जिसलिअे वे आन्दोलन कामयाब नहीं हो सके।

कानूनभंग का अधिकार

मुझे नडियाद का किससा याद आता है। रोलेट अंकट सत्याग्रह के वक्त की बात है। वहीं

मैंने कबूल कर लिया था कि मेरी हिमालय-जैसी भूल हुई। जिन्होंने ज्ञानपूर्वक कानून का पालन किया ही नहीं था, अउन्हें कानून-भंग बतलाया। अउनसे मुझे कहना चाहिये था कि 'आज तक सरकार के दण्ड के भय से जो किया, वह पहले अपनी अिच्छा से करो। सब तुम्हें कानून-भंग का अधिकार प्राप्त होगा'।

श्रीश्वर ने मुझे ही क्यों चुना ?

वह सारी अशूरी अहिंसा थी। मेरा अउसमें डरपोकपन था। मैं अपने साथियों को नाराज नहीं करना चाहता था। साथियों के डर से कुछ करने से हिचकना हिंसा है। अउसमें असत्य भरा है। मोतीलालजी, वल्लभभाजी और दूसरे लोग नाराज हो जायेंगे, यह डर मुझे क्यों रूढ़ा ? ये सब मेरी त्रुटियाँ थी। अउन्हें मैं तटस्थ हो कर देखता हूँ, अउनका प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ ? क्योंकि मूझमें अनासक्ति है। अउन त्रुटियों के लिअे न तो मुझे दुःख है, न पश्चात्ताप। जिस प्रकार मैं अपनी सफलता और शक्ति परमात्मा की ही देन समझता हूँ, अउसीको अपण करता हूँ, अउसी प्रकार अपने दोष भी भगवान के चरणों में रखता हूँ। श्रीश्वर ने मूझ जैसे अपूर्ण मनुष्य को अितने बड़े प्रयोग के लिअे क्यों चुना ? मैं अहंकार से नहीं कहता। लेकिन मुझे विश्वास है कि परमात्मा को गरीबों में कुछ काम लेना था, जिसलिअे अउसने मुझे चुन लिया। मुझसे अधिक पूर्ण पुरुष होता, तो शायद अितना काम न कर सकता। पूर्ण मनुष्य को हिन्दुस्तान शायद पहचान भी न सकता। वह बेचारा विरक्त हो कर गुफा में चला जाता। जिसलिअे श्रीश्वर ने मूझ जैसे अशक्त और अपूर्ण मनुष्य को ही जिस देश के लायक समझा। अब मेरे बाद जो आयेगा, वह पूर्ण पुरुष होगा। मैं कहता यह हूँ कि वह पूर्ण पुरुष आप बनें। मेरी अपूर्णताओं को पूरा करें।

बर्बा,

ता० २२-६-४०

सर्वोदय की दृष्टि

काँग्रेस के सदस्य क्या करें ?

काँग्रेस वर्किंग कमेटी और गांधीजी के वक्तव्यों को काँग्रेस के सदस्यों ने पढ़ा ही होगा। आगामी जुलाई में अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिति की बैठक होनेवाली है। उसमें इन वक्तव्यों के विषय पर ज़रूर चर्चा होगी। इसलिअे इस विषय पर कुछ विचार कर लेना सबके लिये ठीक होगा।

वर्किंग कमेटी ने बड़ी सरलता से काँग्रेस की कमजोरी की कबूलियत दी है। उसने कहा है कि अहिंसा की शक्ति का हम अभी तक अच्छी तरह संगठन नहीं कर पाये हैं। यह तो हर अेक को मंजूर करना होगा कि यह बयान सही ही है। लेकिन, इस कबूलियत के मानी ये भी होते हैं कि जिस सभा के सदस्यों में से वर्किंग कमेटी की नियुक्ति होती है, उन सदस्यों द्वारा अहिंसा का संगठन कराने की आशा भी वह नहीं कर सकती।

हिंसक संगठन की निष्फलता और अव्यवहार्यता देखते हुअे भी जो दूसरा अेक ही रास्ता रह जाता है, उसके लिये भी काँग्रेस के सदस्य अपनी शक्ति लगाना और मेहनत करना नहीं चाहते। इसमें वे काँग्रेस-सदस्य भी शामिल माने जा सकते हैं, जो अहिंसा में करीब करीब अम के तौर पर श्रद्धा रखते आये हैं। इस निराशा-जनक परिस्थिति में केवल न्याय-वृद्धि के लिये ही वर्किंग कमेटी को गांधीजी को काँग्रेस की तमाम जवाबदारियों से मुक्त कर देने का रास्ता लेना पड़ा है। वर्किंग कमेटी के वक्तव्य का मैं यह मतलब नहीं समझता हूँ कि खुद उस कमेटी का ही अहिंसा में विश्वास नहीं रखा है और वह यह मानने लगी है कि

आज की परिस्थिति में अहिंसा से काम नहीं चल सकता। बल्कि उस वक्तव्य का यह मतलब है कि वर्किंग कमेटी तो अहिंसा-बल को मजबूत करने की ज़रूरत मानती है, मगर उसे काँग्रेस के सदस्यों से उस काम में पूरी पूरी सहायता नहीं मिल रही है। अर्थात्, काँग्रेस के सदस्य उस वक्तव्य में अपने भूपर अेक अिलजाम लगाया हुआ मान लें।

मुझे अैसा लगता है कि यदि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सदस्य उसे यह यकीन दिला सकें कि अहिंसा में उनका विश्वास आज भी कायम है; बल्कि हिंसा की निष्फलता का जो बड़ा भारी प्रमाण यूरोप ने पेश किया है, उसके कारण अहिंसा में उनका विश्वास और भी बढ़ गया है और अगर उनके द्वारा कोअी संगठन कराया जा सकता है, तो वह केवल अहिंसा का ही हो सकता है—तो वर्किंग कमेटी को बड़ी खुशी होगी।

हिंसा-अहिंसा की तात्त्विक चर्चा छोड़ दे, तो भी अितनी बात तो साफ़ है कि जिस बात पर हमारी श्रद्धा ही नहीं बैठ सकती, उसका सफल संगठन हम कभी नहीं कर सकते। थोडा-सा भी यशस्वी संगठन हम अपने विश्वास के मार्ग का ही कर सकेंगे। 'मैं जिन्दा नहीं अुतर सकूंगा', अैसा मान कर वैमानिक छाते के सहारे कूदनेवाला क्या काम देगा ?

हिंसा के सफल संगठन के लिये न हमारे पास साधन है, न पैसा है। अब हिंसा की अिजाजत मिल गयी, अैसा मान कर बने हुअे स्वयंसेवकों के दल अपने अपने नगर या देहान की रक्या तो अब करेंगे तब करेंगे; लेकिन

यह बहुत संभव है कि काँग्रेस के अंतर्गत या काँग्रेस-बाह्य प्रतिपक्षी दलों के साथ लड़ाबी-शगडा करने में अपनी शक्ति लगा देगे, और राजकीय तथा सांप्रदायिक बखडे मिटाने के बदले, अन्हें शुरू कर देंगे।

मेरी नम्र राय में सब बातों को देखते हुअे यदि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी अपनी बैठक में यह राय दे कि जिन्हें हिंसा करने की अजाजत हो, अंसे दलों का विचार छोड़ ही देना चाहिअे और अहिंसक दल बनाने की ही कोशिश करनी चाहिअे, तो वर्किंग कमेटी तथा जनता दोनों की ज्यादा सेवा करेगी, और काँग्रेस की प्रतिष्ठा बढायेगी।

असमें वर्किंग कमेटी के प्रति अविश्वास की कोअी बात नहीं है; बल्कि अुसका हाथ मजबूत करने की, अुसके दिल में काँग्रेस के सदस्यों के बारे में जो अविश्वास पैदा हो गया है, अुसे हटाने की बात है।

मे आज काँग्रेस का सदस्य नहीं हूं। पर, मेरे मन में काँग्रेस के लिअे जो भविन है, अुसके कारण यह लिखने की प्रेरणा हुआ है। आशा करता हूं कि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सदस्य अिसपर विचार करेंगे।

२७-६-४०

किशोरलाल घ० मशरूवाडा

गांधीजी की राय

देश पर बाहर से आक्रमण हो या देश के अन्दर अशान्ति हो, तो, मीका आने पर, दोनों का मुकाबला बल-प्रयोग से करने के लिअे, काँग्रेस कार्य-समिति की ओर से अजाजत दी गयी है। अिस दशा में काँग्रेसजनों का क्या कर्तव्य है, अिस के बारे में श्री किशोरलालभाअी ने अपने विचार अूपर प्रकट किये हैं। अिसके विषय में गांधी सेवा संघ की पिछली बैठक में ता०

२२ जून, १९४० को मैने गांधीजी से जो प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न और गांधीजी का अुत्तर नीचे दिया जा रहा है:—

प्रश्न—“क्या गांधी सेवा संघ के वर्तमान और पुराने सदस्य यह प्रचार करें कि जनता को वीरों की शुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिअे तैयार हो जाना चाहिअे? क्या वे काँग्रेस के सदस्यों में यह प्रचार करें कि हमें अपना काम अहिंसा से ही चलाना चाहिअे?”

अुत्तर—“मे तो चाहता हूं कि हर अेक काँग्रेसजन अैसा करे। वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव में कांअी आजा थोडे ही दी गयी है। अुन्होंने तो अपनी लाचारी प्रकट की है। अगर अुनसे देश यह कहे कि हम तो अहिंसा के रास्ते पर ही चलेंगे, तो वे तो खुश होंगे। अुन्होंने तो अपने प्रस्ताव में आत्मरक्पा के लिअे हिंसा की अजाजत दी है; आजा नहीं दी है। अगर लोग अहिंसा पर कायम रहने को तैयार हों तो वर्किंग कमेटी तो खुश होगी। हम अिस तरह का प्रचार अवश्य करें। मगर सभा में फसाद या बखेडा होने का संभव हो तो न करें। नम्रता से और वर्किंग कमेटी के सदस्यों के विषय में गलतफहमी न फैलाने हुअे प्रचार करे। अगर यह न हो सके, तो काँग्रेस से हट कर चुप बैठ जायें। किसी भी हालत में जूहर या वैर न पैदा होने दें। मालिकान्दा मे मैने कहा था कि गांधी सेवा संघ तो टूट जाता है, किन्तु अुसका हर अेक सदस्य अेक अेक जंगम संघ बन जाता है। संघ के बाकायदा सदस्य तो दस ही आदमी हैं, बाकी सब असभ्य-सभ्य है। आज आप सच्चे सभ्य बन जते हैं। संघ के रजिस्टर पर आपका नाम नहीं है। जैसा कि मैने मालिकान्दा में कहा था, अब वह दिन आ गया है जब संघ स्थूल रूप में लुप्त हो कर सच्चे रूप में जीवित हो जाता है।

अगर हम वकिंग कमेटी को यह बता दें कि देश तो अहिंसा ही चाहता है, तो जिस मजबूरी के कारण उसे यह प्रस्ताव करना पड़ा, वह मजबूरी दूर हो जायगी। जिसलिये जिस तरह का प्रचार करना अहिंसा में श्रद्धा रखनेवाले हर एक व्यक्ति का धर्म है।”

जिस अन्तर से पूज्य गांधीजी की राय मालूम होगी।

अहिंसा-प्रेमियों से अनुरोध

जिस धर्म का पालन करने की अच्छा और क्षान्ति काँग्रेस के सदस्यों में निर्माण हो, यही सभी अहिंसाप्रेमी लोग चाहेंगे। परन्तु हिंसा-अहिंसा के भिन्न भिन्न मतों की जिस नाजुक परिस्थिति में अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखने-वालों और हर हालत में अहिंसा से ही हिंसा का मुकाबला करने की अच्छा रखनेवालों को गंभीरता से सोच लेना चाहिये कि अब अूनका क्या कर्तव्य है। यदि दंगा-फसाद हो और बहुजन समाज अूसका मुकाबला हिंसा से करने लग जाय, अूस समय अहिंसावादी—चाहे वे मुट्ठीभर ही क्यों न हों—यह थोड़े ही कह सकेंगे कि “हिंसा में हमारा विश्वास नहीं है; जिसलिये हम अभी दंगों का मुकाबला करने में हाथ नहीं बँटा सकते हैं; केवल चुप ही रह सकते हैं। जब बहुजन समाज हमारे मत के अनुसार अहिंसा से ही काम लेने को तैयार होगा, तब हम भी जो हमसे बनेगा सो करेंगे”। अैसा कहने से काम नहीं चलेगा। हम थोड़े-से ही क्यों न हों, हमारे प्रयत्न का फल थोड़ा ही या बिलकुल नहीं के बराबर ही क्यों न निकले, अशान्ति के समय, अन्य लोग चाहे कुछ भी करते रहें, हमको भी अपने तरीके से अूसका मुकाबला करने का भरसक प्रयत्न करना होगा और इसके लिये हर हालत में अहिंसा का

ही अुपयोग करनेवालों का संगठन करना होगा। यह संगठन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में डेलॉंग के सम्मेलन में बापूजी ने अपनी कल्पना विस्तार से समझायी थी और बाद में ‘हरिजन’ में भी इसकी चर्चा की थी। खास कर ता० १८ जून, १९३८ के ‘हरिजन’ में प्रकाशित अूनका “शान्ति-दल” शीर्षक लेख हमें मार्गदर्शक होगा। यद्यपि शान्ति-सेना की कल्पना सांप्रदायिक झगडों से पैदा हुई है, तथापि हिंसा का मुकाबला अहिंसा से करने में, सभी क्षेत्रों में, वह अुपयोगी और कारगर सिद्ध होगी, अैसा बापूजी का खयाल था और है। अतः अहिंसा में विश्वास रखनेवाले सज्जनों से प्रार्थना है कि वे जिस प्रकार का संगठन करने में तुरन्त लग जायें। यह संगठन किसी केन्द्रीय संस्था द्वारा होना संभव नहीं है। अपने अपने क्षेत्रों में अपनी ही श्रद्धा और कार्य-शक्ति के आधार पर वह हो सकता है। अहिंसा-प्रेमियों को चाहिये कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पहचानवाले अहिंसावादियों को जिस काम के लिये तैयार करें, अूनकी सूची बनायें और शान्तिदलों की तुरन्त स्थापना करें।

२७-६-४०

श्रीकृष्णदाज जाजू

छोटे राष्ट्र और सशस्त्र युद्ध

जिस देश ने सो-सवा-सो वर्ष तक शान्ति का ही अनुभव किया है—और वह भी जीवन की शान्ति नहीं, किन्तु इमरान की शान्ति का—वह देश युद्ध का नाम सुन कर अस्वस्थ हो जाय, तो कोअी आश्चर्य की बात नहीं है। और हिटलरी युद्ध-पद्धति भी अैसी भयानक है कि युद्ध-कला में प्रवीण राष्ट्र भी अूसके सामने कौप अुठते हैं।

जैसा कि हमने पिछले अंक में कहा है, अब दुनिया में हिंसक युद्ध केवल जर्मनी, रूस,

जापान, अमेरिका और अंग्लैंड के ही लिये है। शिकारी के साथ जैसे ब्रूसका कुत्ता भी शिकार में शरीक हो सकता है, वैसे ही हिटलर के साथ मुसोलिनी और पर्रको भी शरीक हो सकते हैं। किन्तु इनकी अलग गिनती करने की ज़रूरत नहीं है।

बाकी के सब देश और राष्ट्र या तो बिस राष्ट्रपंचक की शरण जावें और इनके युद्धों में मार खावें, अथवा गांधीजी का तरीका समझ और सीख कर उसके अनुसार अहिंसक संगठन करें। मैं तो लिखने जा रहा था कि 'वे हिन्दुस्तान का अहिंसक तरीका सीखें'; लेकिन अब हिन्दुस्तान ने बता दिया है—कॉंग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बता दिया है—कि अहिंसा पर निष्ठा होते हुए भी ब्रूसी रास्ते चलने की ब्रूसकी हिम्मत नहीं है। अहिंसा का अमोघ शस्त्र धारण करने की शक्ति न होने से जो शस्त्र निकम्मा साबित हो चुका है, ब्रूसीके सहारे चलने का निश्चय वर्किंग कमेटी ने किया है। भाषा में यह किना भी विचित्र मालूम होता हो, तो भी व्यवहार का रास्ता यही है। व्यवहार हजार दफा परास्त होने पर भी अपने-आपको सफल ही समझता है।

वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव

वर्किंग कमेटी मानती है कि देश का अहिंसक संगठन करना बहुत मुश्किल है; इसलिये हिंसात्मक ही सही, किन्तु पुराना परिचित संगठन करने की कोशिश करनी चाहिये। वर्किंग कमेटी ने यह भी देखा होगा कि आत्मरक्षा के लिये किसी-न-किसी दिन सरकार के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा और सरकार तो हिंसात्मक रक्षा ही संगठित कर सकती है। कॉंग्रेस अगर शुद्ध अहिंसा को पकड़ कर बैठे, तो यह तेल और पानी का मिलाव कैसे हो?

यह बात स्पष्ट है कि अगर हिटलर का आक्रमण हुआ, तो हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय संगठन हिंसक तरीके से देश की रक्षा नहीं कर सकेगा। वहाँ तो अगर काम आयेगी तो गांधीजी की अहिंसा ही काम आयेगी; नहीं तो कौब्री चारा ही नहीं है। इसलिये कॉंग्रेस ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान सरकार ढीली पड़ने पर देश में जो आन्तरिक अन्धधुन्धी होगी, केवल ब्रूससे बचने के लिये हमें जैसा हो सके वैसा रक्षा-संगठन करने की चिन्ता है।

अराजकता के विविध रूप

आन्तरिक अशान्ति के दो प्रकार हो सकते हैं—अक तो हिन्दू-मुस्लिमों का झगडा (श्री जवाहरलाल जैसों को इसकी संभावना कम मालूम होती है), और दूसरा देश में जो गुण्डों का दल पैदा होगा, ब्रूसका मौका पा कर धनिकों पर आक्रमण। यह भी डर है कि छोटे-मोटे जमींदार अपने को खतरा देख कर अपने पैसे से गुण्डों को रख कर स्वयं लूटमार करते जायें। देशी राजा भी शायद अपनी छोटी छोटी फौज ले कर अपने राज का विस्तार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह सब तो स्वाभाविक-सी बात है। इसमें साम्यवाद की वाढ़ आ कर शान्ति और व्यवस्था का समूचा नाश हो जायगा अंसा भी डर है।

स्थिर बुद्धि की आवश्यकता

अंसी हालत में फौज का या अहिंसक सेना का कुछ-न-कुछ संगठन करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी राय में इससे भी बढ़कर दूसरी अक तैयारी की ज़रूरत है। अशान्ति के दिनों में लोगों को जितनी ज़रूरत सेना की रहती है, ब्रूससे भी अधिक स्थिर बुद्धि की होती है। अगर कॉंग्रेस अपना मस्तिष्क जगह पर रखे और लोग कॉंग्रेस के प्रति

अपनी निष्ठा दृढ़ रखें तो हम समझते हैं कि जंगी फौज का या शान्ति-सेना का काम बहुत ही कम रहेगा। लोग जब घबड़ा जाते हैं, तब उन्हें शान्त करनेवाला और समय समय पर सच्ची सलाह देनेवाला कोई स्वाभाविक नेता अगर उनके बीच रहा, तो लोग फौरन उसकी बात मान लेते हैं। जैसे नेता में अगर अच्छे चरित्र, व्यापक-हृदय और दूर-दृष्टि रही तो अशान्ति के दिनों में उसका नेतृत्व लोग तुरन्त कबूल कर लेते हैं।

गुंडे और सिद्धान्तवादी शस्त्रधारी

अगर गुण्डों की ओर से खतरा है, तो अमको दूर करना अतना कठिन नहीं है जिनना अम खतरे का सामना करना मुश्किल है, जो मुस्लिम लीग, खाकसार दल, हिन्दूसभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, आदि संस्थाओं के मतभेदों के कारण पैदा होना संभव है।

गुण्डे लोग सामाजिक संगठन के सामने और सामाजिक चरित्र के सामने आसानी से दब जाते हैं; लेकिन सिद्धान्तवादी पक्ष और अपुपक्ष के नेताओं में जब मतभेद होते हैं, तब उन्हें समझाने का काम प्रत्यक्ष भगवान भी शायद ही कर सकें।

स्वाभाविक नेताओं का संगठन

अस खतरे का अिलाज कुछ भी हो, काँग्रेस को सारे देश भर में जगह जगह राष्ट्रीय वृत्ति के स्वाभाविक नेताओं को ढूँढ कर अुनका संगठन करना चाहिये और जहाँ तक हो सके, सबों को सम्हाल कर अहिंसा के अुपाय से ही देश को बचाना चाहिये। जब यह देखा जाय कि आम जनता बलिदान के लिये तैयार नहीं है और रूढ़ ढग से आत्मरक्षा करना चाहनी है, तब अुमे वैसा करने की अिजाज्ज देनी ही पड़ेगी। लेकिन साथ साथ लोगों को अुसका खतरा भी बताना

चाहिये। आज हिंसा का संगठन बडे खतरे का है। अुससे आपस की हिंसा बढेगी, घटेगी नहीं। और जहाँ अेक द। हिंसा-मार्ग को हमने प्रतिष्ठित किया; तो फिर नैतिक तेज की कीमत नहीं रहेगी और ग्रेगहम के प्रख्यात सिद्धान्त के अनुसार, जो पक्ष अधिक निर्लज्ज और निर्दय होगा अुसीकी जीत होगी।

नैतिक बल का संगठन

अभी भी देश के नेताओं को अस बात पर विचार करना चाहिये और शरीर-बल के संगठन पर विश्वास रखने की अपेक्षा नैतिक बल के संगठन पर ही विश्वास रखना चाहिये। अगर छूत के रोगों के दिनों में, बाढ़ के दिनों में और आग और भूचाल के प्रसंग पर हम अहिंसक संगठन कर सकते हैं और अहिंसक बहादुरी से कुदरत के कोप को शान्त कर, जनता की रक्षा कर सकते हैं, तो प्रकृति-कोप (जनता की अन्व.पुन्धी) में हम वैसा क्यों नहीं कर सकते? सवाल फक्त होश ठिकाने पर रखने का है।

नेताओं की ज़रूरत

हमने समाज के रूढ़ तरीके से फौज तैयार की अथवा शान्ति-सेना की स्थापना की, तो भी वह केवल फौज ही होगी अुसमें काम लेनेवाले. अुमे हुक्म करनेवाले, देश के स्वाभाविक नेताओं का संगठन सबसे महत्त्व का है। अियलिअे हिंसा-अहिंसा की चर्चा छोड़ कर समाज के स्वाभाविक नेताओं का संगठन सबसे प.ले करना चाहिये और अुस संगठन के द्वारा लोगों की समय-समय पर रहनुमायी करनी चाहिये।

२८-३-४०

का० का०

वर्तमान महायुद्ध पर दृष्टिपात

कलना-शक्ति को भी बधिर करनेवाला महायुद्ध यूरोप में चल रहा है। रोमन साम्राज्य के प्रारम्भ के दिनों में जूलियस सीज़रने अपनी

एक विजय का वर्णन तीन शब्दों में किया था—'मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता'। इसी ढंग से हिटलर अपनी अमानुषी शक्ति का परिचय दे रहा है। हमने सुना था कि गदर के दिनों में अंग्रेजों ने दो बागी भाषियों को पकड़ने पर एक को दूसरे के हाथों फौसी पर चढ़वाया। बात सही हो या न हो; आज हिटलर परान्स को कब्जे में कर के अूसीके हाथ अंग्लैंड पर वार करने के लिये काम में लाना चाहता है। जैसे युद्ध में हम केवल प्रेषक ही बन सकते हैं। मासिक के सम्पादक का काम युद्ध-लीला का वर्णन करने का और अूस पर से अनुमान करते बैठने का नहीं है, तो भी युद्ध के रोज आनेवाले वर्णनों में कभी कभी अूसी बातें होनी हैं, जो मानस-शास्त्र या समाज-शास्त्र की दृष्टि से बड़ी कीमती होती हैं। अूसी ही चंद बातों का यहाँ पर विवेचन करना है।

अीश्वर किसकी तरफ है ?

जब पेरिस पर जर्मनी का पहला बम-आक्रमण हुआ, तब अमेरिका का प्रतिनिधि किसी रेस्तोराँ में खाने बैठा होगा। ये महाशय बड़े रसिक हैं और शीकीन तबियत के हैं, अूसी अूनकी ख्याति है। हर शहर में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अेलचियों के अलग अलग स्थान होते हैं। जंग के दिनों में ये सब दूत अपने अपने स्थान पर ही रहने के लिये बाध्य हैं और शत्रु भी अिन तटस्थों के स्थानों को आक्रमण से बचाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के ये रसिक दूत अपने स्थान में न रह कर कहीं आनंद करने गये थे। वहाँ पर एक बम गिरा और दूत महाशय के करीब चार हाथ पर गिरने पर भी फूटा नहीं। तब अुन्होंने टेलीफोन से अपने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को खबर दी कि मैं बच गया; क्योंकि अीश्वर मेरे साथ था।

शीकीन लोग भी अीश्वर को तो मानते ही हैं। और अीश्वर भी कभी कभी अुन्हेंको बचाता है। सवाल अितना ही है कि क्या सचमुच अीश्वर महाशय बुलियेट के साथ था; और जो लोग वम से मर गये अुनके साथ नहीं था ? परान्स और अंग्लैंड अस युद्ध के प्रारम्भ में कहते थे कि अस युद्ध में हमारी ही जीत होनेवाली है; क्योंकि सत्य और न्याय हमारी ओर है। हम भी चाहते हैं कि सत्य और न्याय की ही विजय हो; किन्तु हमने यह कभी नहीं माना कि शस्त्र-युद्ध में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। शस्त्र-युद्ध निरा जंगलीपन है। अूसके द्वारा अगर विजय होती ही है, तो संख्या-बल, शस्त्र-बल, बहादुरी, मक्कारी और निलंज्जता की ही हो सकती है। संभव है कि अस युद्ध में जो लोग मारे गये, अुन्हेंसे अधिकांश लोगों के साथ भगवान था और जो बच गये, अुनमें से चंद अंसे जरूर है जिनके हृदय में भगवान न होने के कारण ही वे बच गये। बात बात में भगवान को बीच में ले आना भगवान की और मान-वीय श्रद्धा की दिल्लगी करना है।

मनुष्य को चाहिये कि यह नग्न बने, अीश्वर-निष्ठ बने और जिस किसी हालत में आ पड़े, अूसमें अपनी सत्यनिष्ठा, न्याय-निष्ठा और मानव-निष्ठा न छोड़े।

फ्रान्स की बहादुरी

परान्स देश बड़ी बहादुरी से लडा। अब यह जाहिर होने के बाद कि परान्स के पास शस्त्र-बल कम था, और मनुष्य-बल भी कम था, फ्रान्स की बहादुरी का ख्याल और भी अूंचा हो जाता है। गत युद्ध के अंत में तीन साल के महासंहार के बाद फ्रान्स के पास ३२ लाख ८० हजार फौज थी। अब की वार युद्ध के

प्रारम्भ में ही जिस संख्या से पाँच लाख कम फौज थी। हवाई फौज में तो परान्स के हरेक जहाज़ को जर्मनी के छः छः हवाई जहाज़ों के साथ मुकाबला करना पड़ा। परान्स के प्रधानमंत्री महाशय पीतौ ने और भी आँकड़े दिये हैं। सन् १९१८ में जहाँ ब्रिटेन की ८५ फौजें अूनकी मदद में थीं, अब की बार केवल दस थीं। सन् १९१८ में ब्रिटेन की ५८ फौजें और अमेरिका की ४२ फौजें भी थीं; जो अब की बार थीं ही नहीं। फौज के सिपाही तो बहादुरी से लड़े; किन्तु अूनकी साधन-संपत्ति जर्मनी से कम दर्जे की थी। यह सब फर्क सुन कर हमारे दिल में परान्स के लिये भिन्न-जत बढ़ती ही है। मनुष्य-शक्ति से जितना कुछ हो सकता था सब किया और जब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अके दूसरे की अर्धबिहीन कतल करना छोड़ कर शस्त्र छोड़ देने का बीरोचित निर्णय अूनोंने किया। महाशय पीतौ ने शस्त्र-संन्यास के साथ जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, वह बिल्कुल छोटा होते हुए भी, सारी दुनिया के लिये विचार-प्रवर्तक है।

प्रान्स के पराभव का सबक

Too few children, too few arms, too few allies—there is the cause of our defeat. (लड़ने के लिये देश में बच्चे नहीं थे, शस्त्रास्त्र नहीं थे और साथ देनेवाले काफी भिन्न भी नहीं थे—जिसलिये हम हार गये)। यूरोप के शीकीन अैयाश और आरामतल्लर लोगों ने संतति-निग्रह का मजहब चलाया। आत्मसंयम का मजहब राष्ट्र की तेजस्विता बढ़ाता है। केवल संतति-निग्रह से अैयाशी बढ़ती है; और लोक-संख्या घटती है। परान्स में शायद यही हुआ होगा। महाशय पीतौ हृदय की वेदना से कहते हैं कि हरेक

राष्ट्र को अुत्थान और पतन के दिन देखने पड़ते हैं। अुत्थान और पतन का राष्ट्र कैसा स्वागत करते हैं, इसीपर से अूनकी कमजोरी या महत्ता सिद्ध होती है। आज के पराभव से हम सबक सीखे बिना न रहेंगे (अ्यासिय के सुलहनामे के बाद जर्मनों ने इसी तरह से सोचा होगा।)

सेनापति पीतौ अंत में कहते हैं—“१९१८ की विजय के बाद लोगों की (परन्व लोगों की) त्यागवृत्ति का अस्त हुआ और भोग-सालसा बढ़ गयी। कम-से-कम देना और ज्यादा-से-ज्यादा भोगना—यही अूनका स्वभाव हो गया। जी चुराने की अुन्हें आदत-सी पड़ गयी। वे आरामतल्लर हो गये। आज अूसका फल हम भुगत रहे हैं”।

हरेक देश के राष्ट्रसेवकों को और जनहित के चिंतकों को सेनापति पीतौ के ये वचन अपने हृदय पर अंकित कर लेने चाहिये। जहाँ संयम गया, वीर्यरक्षा का आग्रह शिथिल हुआ, पुरुषार्थ क्षीण हुआ, भोग-सालसा बढ़ी, देने का धर्म अरुचिकार मालूम हुआ और लेने की ही कामना बढ़ गयी, वहाँ राष्ट्र का अधःपात निश्चित ही है। बहादुर परंच लोगों के लिये अगर यह बात सही है, तो सँकड़ों बरसों से जिन्होंने लड़ाई देखी ही न हो और जो लोग न हिंसा के लिये संगठित हैं और न अहिंसा के लिये संगठित होना चाहते हैं, अूनके लिये यह और भी सोचने की बात हो जाती है।

हिटलर की शक्ति-साधना

जब अमन और चमन चलता है, तब मनुष्य भोग-विलास की फिससूफी पसंद करता है। क्या अमेरिका में और क्या परान्स में जीवन का अुव्देव्य ही बदल डालने की कोशिशें हो रही थीं और वहाँ जर्मनी में पराभव का कलंक घटने के लिये हिटलर ब्रह्मचर्य का महत्त्व बढ़ा रहा था। कहा जाता है कि हिटलर ने न तो शादी

की है, न वह औरतों के पीछे दौड़ता है। अपने निजी जीवन में यहाँ तक संयमी है कि मांस तक नहीं खाता।

हम क्या करें ?

हिटलर चाहे जितना मानवद्रोही हो, अक्सरे भी हम कुछ सबक सीख सकते हैं। दीख पड़ता है कि अक्सरे न हे व्यक्तिगत स्वार्थ, न हे अंधाश्रुति। असीमित वह अपने राष्ट्र के अत्यान में अतनी ध्यान-धारणा से तैयारी कर सका है। फ्रान्स ने तो विजय पाने के बाद अंधाश्रुति शुरू

की होगी। हमारे देश में गिरी हुई हालत में भी अगर हम साहित्य द्वारा और हीन फिलसूफी के प्रचार द्वारा अंधाश्रुति बढ़ायेंगे तो हम किस अन्तहीन गत में जा कर गिरेंगे ?

जिन्होंने अत्यान का शिलर प्राप्त कर लिया है, उन्हें गिरने के लिये कुछ तो जगह है। जो पतन की खाड़ी की तह में दीर्घ काल से पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ दूसरी ही किस्म की तैयारी करनी चाहिये।

का० का०

संघ-वृत्त

संघ की बैठक

पिछले अंक में दी गयी सूचना के अनुसार संघ के नये काम की रूपरेखा बनाने के लिये तथा संघ के द्वारा शोध और विचार के लिये और पू० बापूजी के सुझावे हुअे विषयों के बारे में विचार-विनिमय करने के लिये संघ के सदस्य और संघ के काम में दिलचस्पी रखनेवाले कुछ निर्मंत्रित मित्रों की अके खास बैठक ता० २० जून से ता० २३ जून तक वर्षा में हुई। अखिल भारत चरखा संघ की सभा भी इसी मीके पर वर्षा में बुलाई जाने से, चरखा संघ के सदस्यों की अुपस्थिति का भी लाभ बैठक को अनायास ही मिला। गां. से. संघ के वर्तमान ९ सदस्यों के अलावा वर्षा के बाहर से आये हुअे और वर्षा के मिला कर करीब चालीस सज्जनों ने बैठक के काम में भाग लिया था। ता० २१ को सुबह और ता० २२ को दोपहर में पू० बापूजी भी अुपस्थित हुअे थे।

अनके भाषण इसी अंक में अन्यत्र दिये गये हैं।

बैठक में जो चर्चा हुई अुसका साररूप अंश नीचे दिया जा रहा है। हो सका तो जानने लायक कुछ खास बातें थोड़े विस्तार से अगले अंक में देने का विचार है।

प्र० १—खादी व्यापक कैसे हो ?

जब तक खादी में विदवास रखनेवाली लोकमान्य सरकार कायम नहीं होती और जब तक खादी को मिल के सस्ते और सुन्दर कपडे का मुकाबला करना पड़ता है, तब तक अुसका प्रचार कांग्रेस जैसी संस्थाओं के अनुशासन और भावना पर ही अवलम्बित रहेगा और इसी कारण वह मर्यादित भी रहेगा। और यही कारण है जो अब तक भी अिमका प्रचार अके सीमा से आगे नहीं बढ़ा। अब तक का प्रचार अन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। अिसका अके कारण यह भी है कि अब तक हमने खादी

का प्रचार बेकारी मिटाने और गरीबों को रोटी देने के विचार के आधार पर ही किया है। खादी के पूरे दर्शन या तत्त्वज्ञान (जैसे अहिंसात्मक समाज-रचना, जीवन-निर्वाह-मजूरी तथा समग्र जीवन-परिवर्तन) की दृष्टि के आधार पर नहीं किया। अतः अब खादी का प्रचार बढ़ाने के लिये नीचे लिखे अुपाय करना जरूरी है—

(१) खादी का सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान और भावना का लोगों में जोर से प्रचार करना।

(२) खादी की भिन्न भिन्न क्रियाओं करने-वाले सब कामगारों में खादी के ज्ञान और भावना का यथावत् प्रचार करना।

(३) वस्त्र-स्वावलम्बन की दिशा में अधिक प्रयत्न करना।

(४) यंत्रों में सुधार और कपडे की मजबूती की तरफ ज्यादा ध्यान देना।

श्री मथुरादासभाभी की विशिष्ट सूचना—चरखा संघ का वर्तमान कार्य धीरे धीरे कम कर के कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाय। देहात के छोटे छोटे केन्द्रों में देहातियों से खादी बनवा कर सस्ती बेची जाय और अुसकी घटी की पूर्ति देहात के लोगों से ब्रथ प्राप्त करके की जाय।

अिस पर अधिकांश लोगों की यह राय रही कि अधिक समय तक अंसी बाअुटी देना शक्य और अुचित नहीं है।

श्री सतीशबाबू—जीवन-निर्वाह मजूरी के सिद्धान्त को ठीला करके खादी का काम खानगी व्यापारियों को सौंपा जाय, जिससे खादी सस्ती हो और अुसका प्रचार बढे। अेक सुझाव यह भी था कि अिससे पूंजी का प्रश्न भी अेक हद तक हल हो जायगा।

श्री अप्पासाहब—गाँव के लोगों को अपील की जाय कि गाँव के दरिद्र और दुखी लोगों की सेवा करने की, अुन्हें काम देने की जिम्मेवारी

अुनपर है। अिससे लोग खादी-प्रचार में अधिक दिलचस्पी ले सकेंगे।

श्री कौजलगी—वस्त्र-स्वावलम्बन की बुनाअी में कुछ सहायता दे कर प्रचार बढ़ाना चाहिये।

श्री काकासाहब—हमें खादी के सिद्धान्त पर स्थित समाज-रचना का पूरा चित्र लोगों के सामने रखना चाहिये। अुसकी सामग्री अेकत्र करके पुस्तक बनानी चाहिये। खादी और स्वराज्य का संबंध भी अभी लोगों को विधिवत् नहीं समझाया गया है—अिसकी पूर्ति होनी चाहिये।

श्री किशोरलालभाभी—खादी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की दृष्टि से चाहे महींगी भले ही पडती हो, परन्तु सारे देश के अर्थशास्त्र की दृष्टि से सस्ती ही है। मिलों से जो बेकारी बडती है, अुसका बोझ जनता को अुठाना पडता है, अिससे मिल का कपडा सस्ता मालूम होता है; क्योंकि बेकारी का हिसाब अुसके कपडे की कीमत में नहीं लगाया जाता। दूसरे, मिलों को जो सुविधायें मिलनी हैं, अुनका बोझ भी देश को अुठा लेना पडता है।

* * *

—चरखा संघ में अभी जीवन-निर्वाह-मजूरी का जो नियम है, वह रक्खा जाय या अुडा दिया जाय, अिसपर विशेष चर्चा होकर यह तय हुआ कि वह कायम रक्खा जाय।

—सारे देश के लिये हाथ-कताअी का कपडा बनाने के लिये आवश्यक श्रम-बल देश में है या नहीं, अिसपर चर्चा हुअी। पाया गया कि अैसा श्रम-बल देश के पास पर्याप्त है; क्योंकि कताअी अेक दोगम धन्वा है और प्रायः हर किस्म के लोग, बच्चे-बूढे आदि भी, थोडा-बहुत समय अुसके लिये निकाल ही सकते हैं।

—यह श्रम-बल मोटे सूत के लिये तो अवश्य प्राप्त है; परन्तु महीन सूत के लिये भी है या नहीं।

असका हिसाब लगा कर देख लेना चाहिये । मिल के कपडे की सुवडता, सुन्दरता तथा लोगों की शौकीनी खादी-प्रचार में बाधक होगी, जैसा भय न रखना चाहिये; क्योंकि अस वृत्ति पर काफी नियंत्रण रक्खा जा सकेगा और लोगों की रुचि बदली जा सकेगी—जैसा अधिकांश का मत हुआ ।

—बुनियादी तालीम के लिये, दरिद्रों और बेकारों को बृद्योग देने के लिये तथा अहिंसात्मक समाज-रचना और अर्थशास्त्र के साधन के तीरपर हाथ-कताओ का चालू रखना लाजिमी है ।

—हाथ-कताओ का आग्रह छोड़ कर कताओ मिल में होने देना, और मिल में बुनाओ बन्द करके मिल के सूत की सारी बुनाओ हाथ से कराना अिष्ट है या नही, असकी चर्चा हो कर तय पाया गया कि जैसा करना अपयोगी न होगा ।

—जो भी सरकार हो, उसे हमें खादीवालों के द्वारा यह सूचित करना अचित्त होगा कि बेकारी हटाने के लिये, जो लोग हाथ से सूत कात कर बेचना चाहें उसे नियत दर से खरीद लेना सरकार का कर्तव्य है । सरकार असका कपडा बुना कर बेचने का प्रबन्ध करे और असमें जो हानि हो उसे मिलों पर कर लगा कर पूरी कर ले ।

* * *

अस चर्चा के फल-रवरूप नीचे लिखी वाते तय हुआँ—

१. वर्तमान अर्थशास्त्र की दृष्टि से खादी की योजना पर जो आवषेप किये जाते हैं, उनका पूरा विचार तथा आवष्यक शोध का काम गांधी सेवा संघ द्वारा किया जाय । अस काम में सहायता देने के लिये श्री नरहरिभाओ परीख और कुन्दरजी दिवाण से अनुरोध किया जाय ।

२. वस्त्र-स्वावलंबन का काम तीव्रता से बढ़ाने के लिये कुछ प्रयोगात्मक केन्द्र खोले

जायें । अस त्रिपय में कार्यकर्ताओं को मार्ग-दर्शन कराना श्री विनोबाजी ने मंजूर किया ।

३. खादी और ग्राम-बृद्योगों के आधार पर जो समाज-रचना होगी, असका पूरा चित्र खींचने के लिये तथा असपर किये जानेवाले आवषेपों का खंडन करने के पहले “जीवन का मान (स्टैंडर्ड) क्या हो?” असका निर्णय कर लेना आवष्यक होने से असपर राय देने के लिये श्री सतीशबाबू, श्री मथुरादासभाओ (बिहार) और श्री नरहरिभाओ की अेक समिति बनायी जाय ।

(अस समिति ने अपना लिखित अभिप्राय ता० २२ की रात की बैठक में विचारार्थ पेश किया था । लेकिन जल्दी में तैयार किया जाने से वह अधूरा रह गया था । वह पूर्ण कर लेने के लिये समिति से प्रार्थना की गयी है । पूरा हो जाने पर प्रकाशित किया जायगा ।)

प्र० २—क्या हिन्दुस्तान में अहिंसा की दृष्टि से कोओ विशेषता है ?

असपर काकासाहब, किशोरलालभाओ, नरहरिभाओ, सतीशबाबू, अप्पा पटवर्धन और विनोबा के मार्मिक तथा बुद्बोधक भाषण हुआ । अेक बात पर सब सहमत हुआ कि भारत की संस्कृति, वर्तमान विशेष परिस्थिति तथा जनसंख्या के कारण यहाँ दूसरे देशों की अपेक्षा अहिंसा के प्रयोग के लिये विशेष अनुकूलता है । अस संबंध में अधिक निश्चित निर्णय पर पहुँचने के लिये शोध की आवष्यकता है, यह भी सबने महसूस किया ।

प्र० ३ और ४—क्या कताओ और ग्राम-बृद्योगों का अनिवार्य संबंध है ? यदि है तो किस प्रकार का ? वे बृद्योग कौन-से हैं जो अहिंसा बिना चल ही नहीं सकते और वे कौन-से हैं, जिनमें

हिंसा अनिवार्य है ? वे कौनसे कि जिन-में हिंसा-अहिंसा दोनों का मिश्रण है ? या ऐसा भेद करना ही गलत है ?

अन प्रश्नों की काफी सूक्ष्म और मौखिक चर्चा हुई। हिंसा के दो पहलुओं का विचार हुआ—एक शोषण और दूसरा बलात्कार। पाया गया कि दोनों अन्योन्याश्रित और एक तरह से अविभाज्य हैं। ग्राम-अुद्योगों में अुनकी मात्रा कुछ कम भले ही हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रामोद्योग या कताओ में अुनके लिये गुंजाअिरा नहीं है। अस दृष्टि से हिंसा-अहिंसा की बुनियाद पर ग्राम-अुद्योग और यंत्रोद्योगों में परिमाण का कुछ भेद हो सकता है; लेकिन कौओ प्रकार-भेद नहीं है।

विनोबाजी ने प्रश्न को पलटा कर रक्खा। अुन्होंने कहा कि हमें अस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि 'क्या अहिंसक समाज का निर्माण ग्राम-अुद्योगों के बिना हो सकता है ?' तब शायद हमारे विचारों में अधिक स्पष्टता आयेगी और हम किसी निर्णय पर पहुँच सकेंगे।

यंत्रोद्योग और ग्रामोद्योगों का विचार करने की अस दृष्टि का समर्थन करते अुओ काकासाहब ने सुझाया कि हम यह न देखें कि शरीरश्रम करनेवाले भी हिंसक होते हैं या नहीं ? बल्कि अस बात पर गौर करें कि जो शरीरश्रम नहीं करते, क्या वे भी कभी अहिंसक हो सकते हैं ? यंत्र शरीरश्रम की आवश्यकता घटाता है, अस दृष्टि से वह हिंसा की अनुकूलता बढ़ाता है। ग्राम-अुद्योग शरीरश्रम के अधिक अनुकूल हैं।

कौन-से यंत्र निषिद्ध माने जायें, असके विषय में भी कुछ चर्चा हुई। कौओ निश्चित राय कायम नहीं हो सकी। साधारण-रूप से यह विचार रहा कि अुपयोगी और आवश्यक यंत्रों का स्थान भी अहिंसक समाज में रहे।

अस सिलसिले में यंत्रोद्योगों का राष्ट्रीय-करण, जड़ परिश्रम के परिणाम और अुसके भेद, यंत्रोद्योगों की आधुनिकतम अुन्नति के कारण अुनमें भी व्यक्ति के विकास की गुंजाअिरा है या नहीं, आदि कौओ प्रश्न अुपस्थित अुओ। अुनकी तथा संरक्षकता के सिद्धान्त की चर्चा हुई।

विकृत अहिंसा और अुद्ध अहिंसा पर भी काफी बहस हुई।

किसी निश्चित निर्णय या मन्तव्य पर नहीं पहुँचे। साधारणरूप से सबकी यह राय अुओ कि अहिंसक समाज के निर्माण के लिये ग्राम-अुद्योग अधिक अनुकूल हैं। लेकिन क्या यंत्रोद्योगों में हिंसा का आना अनिवार्य ही है ? समाजवादियों का यह दावा कि अुनके आदर्श समाज में यंत्रों के रहते अुओ भी शोषण और बलात्कार नहीं रहेंगे, बिलकुल असमर्थनीय ही है ?—यह खोज का और अध्ययन का विषय है यह भी सबकी राय रही।

अेक नयी योजना

गांधी सेवा संघ की कार्यवाहक समिति ने अपनी ता० २०-६-४० की बैठक में नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसे चरखा संघ ने भी स्वीकृति दी है—

“ कुछ कार्यकर्ता ग्रामों की सेवा करने की अिच्छा रखते हैं; पर आर्थिक कठिनाओ के कारण वे अुसे पूरा नहीं कर सकते, या किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से अपना काम निभाते रहते हैं। वे बहुत थोड़े खर्च में अपना निर्वाह कर लेने की राजी रहते हैं; पर अुतने के लिये भी अुनको दूसरों का आसरा बूढ़ना पड़ता है। अैसे कार्य-कर्ताओं के लिये अेक अैसी योजना बनायी जाय कि जिसमें यदि कार्यकर्ता रूओ की धुनाओ करे अथवा मगन खर्च पर काते, तो से घनाओ

या कताबी अुस दर से दी जाय, जिसमें अुसे ४ घंटों के पूरे काम के लिये ६ आने मिल जायें; पर महीने भर में ६० (२०) से अधिक न मिलें। अपने बचे हुअे समय में वह निश्चित योजना के अनुसार देहात की सेवा करे। चर्खा संघ की आज की कताबी तथा धुनाबी की दर की अपेक्षा अुसे जो ज्यादा धुनाबी या कताबी देनी पड़ेगी अुसका आधा बोझ गांधी सेवा संघ सहन करे और आधा जिस प्रान्त में कार्यकर्ता काम करेगा, वहाँ की चर्खा संघ की शाखा या और कोबी स्थानिक संस्था सहन करे। अुसका सूत भी वही शाखा ले। यदि कार्यकर्ता के कार्यक्रम में कताबी के प्रचार का काम न रहे, तो अुसके खर्च का बोझ चर्खा संघ की शाखा पर न रहे। अुस दशा में सारा बोझ गांधी सेवा संघ पर ही रहे। अुसको मगन चर्खा गांधी सेवा संघ दे और, अुसे मगन चर्खे पर कातना न आता हो तो, वह सिखाने के लिये अेकतर्फा सफर-खर्च और ३ महीनों के लिये मासिक ६० (८) तक छात्रवृत्ति भी गांधी सेवा संघ दे। कार्यवर्ता पर आखिरी नियंत्रण गांधी सेवा संघ का रहे।

गांधी सेवा संघ के अध्यक्ष को यह भी अधिकार रहे कि योजना अमल में लाने में अड़चनें खड़ी होने के कारण अुसमें थोड़ा परिवर्तन करना आवश्यक मालूम हो, तो वे कर सकें।”

रचनात्मक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जिस योजना से वे पूरा लाभ अुठावें। योजना के संबंध में पत्र-व्यवहार गांधी सेवा संघ के पते से करना चाहिये।

जिस योजना के लिये कार्यकर्ता की पसंदगी करने समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रहे—

- (१) अुसकी अुम्र १८ के नीचे न हो।
- (२) पुरुषों की शिक्षा-विषयक योग्यता

कम-से-कम मिडिल की और स्त्रियों की प्राथमिक चतुर्थ श्रेणी की हो।

(३) धुनाबी और तकली तथा मामूली चरखे पर कातने में वह निपुण हो।

(४) प्रतिदिन चार घंटों की कताबी के बाद बाकी के समय में देहात की सेवा की अुसकी निश्चित योजना हो। योजना में वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से कताबी-प्रचार का कार्यक्रम अवश्य हो।

विनोबाजी

मालिकान्दा में संघ को नया रूप देने का निर्णय हुआ, तभी से संघ के पुराने-नये सदस्यों के मन में यह विचार प्रबल रूप से अुठा था कि श्री विनोबाजी को किसी तरह जिस नये संघ में क्रियात्मक भाग लेने के लिये राजी किया जाय। पू० बापूजी जिस विचार को पसंद करते थे। अितना ही नहीं, किन्तु अुन्हें विश्वास था कि वे विनोबाजी को इसके लिये राजी कर सकेंगे। मालिकान्दा से वर्धा लौटने के बाद बापूजी और जाजूजी ने विनोबाजी से इसके संबंध में बातचीत की थी। फलस्वरूप विनोबाजी ने संघ का सदस्य बनना स्वीकार किया। अब ता० २०-६-४० की संघ की बैठक में वे विधिपूर्वक संघ के सदस्य बनाये गये हैं।

संघ के ट्रस्टी

मालिकान्दा में संघ की जो कार्य-वाहक समिति बनायी गयी थी अुसमें जाजूजी, किशोर-लालभाजी और घोत्रेजी संघ के ट्रस्टी नियुक्त किये गये थे। श्री किशोरलालभाजी के ट्रस्टी रहने की अनिच्छा प्रकट करने से ता० २०-६-४० की सभा में अुनकी जगह गोपनाबू ट्रस्टी नियुक्त हुअे हैं।

सम्मेलन

मही मास के संभवृत्त में सम्मेलनों के बारे में सूचनाओं प्रकाशित की गयी थीं। उनमें सम्मेलनों में बापूजी की अुपस्थिति के बारे में जो सूचना थी अुसके अनुसार स्वामी अमयदेवजी के निमंत्रण से होनेवाले युक्तप्रान्तीय सम्मेलन में अुपस्थित रहना बापूजी ने स्वीकार कर लिया है। यह सम्मेलन संभवतः आगामी मार्च के अन्त में या अप्रैल के प्रारंभ में होगा।

वर्धा, } २० श्री० घोत्रे,
ता० २८:६:४० } मंत्री, गांधी सेवा संघ

श्रीकृष्ण की दरिद्रता

[विनोबा]

तंदुल देत रीझ जात। सागपात जो अघात ॥

ओक दफा कृष्ण विदुर के घर गये। भोजन में चटखारे ले ले कर कनियों का मजा नखने लगे। जब सारी कनियों चाट चाट कर साफ कर गये, तब कृष्णदेव की आँखें डबडबा आयीं। यह देख कर विदुर ने पूछा, 'कृष्ण, रोते क्यों हो? मेरे घर में जो कुछ था, सो मैंने तुम्हें खिलाया। मैं दरिद्री हूँ; सिवा कनी के मेरे यहाँ भला और क्या मिल सकता था?'

कृष्ण गद्गद हो कर बोले, 'हे विदुर! मुझे तो मेरी अपनी दीनता देख कर दुःख हो रहा है।'

'कृष्ण, यह क्या कह रहे हो, तुम? तुम तो अितने बड़े द्वारकाधीश हो। तुम्हारी दीनता कैसी? मेरी गरीब की अिस कनी पर तुम्हें गुजर करनी पडी, अिसके सिअे दुखी न हो।'

'विदुर, बाल्यावस्था में यशोदा का पिलाया हुआ दूध पिया, अुसके बाद सुदामा के वे मूट्ठीभर तंदुल खाये, फिर द्रोपदी की थाली में से वह साग की पत्ती खाने को मिली और अुसके बाद अब अितने दिनों में तुम्हारे घर यह कनी मिली है! भाभी, मेरे समान दरिद्री और दूसरा है ही कौन? फिर भी बदकिस्मती यह कि जब दूध था, तब तुम्हारी यह कनी नहीं थी। दरअसल, विदुर, मुझ जैसा दरिद्री जगत में दूसरा कौन ही नहीं है।

['ग्राम-सेवा-भुत्स' से अनूदित]

संवादय

दूसरे वर्ष की विषय-सूची

[अगस्त १९३९ से जुलाई १९४०]

अ	
अद्भुत अनासक्ति (दादा धर्माधिकारी)	४७३
अधिकार-ग्रहण का प्रयोग (,,)	२५३
अनुबन्ध और समवाय (स. ज. भागवत)	१९३
अ० भा० काँग्रेस-समिति का प्रस्ताव (किशोरलाल घ. मशरूवाला)	२०४
अरण्य में जाने के मानी क्या हैं ? (काका कालेलकर)	१९७
अराजकता के विविध रूप (का० का.)	६१९
अल्प सफलता के कारण (दादा धर्माधिकारी)	२५५
अक्सर से लाभ अठाने की शर्त (दादा धर्माधिकारी)	५६८
असम की अेक झोंकी (काका कालेलकर)	११३
अहिंसक आत्मरक्षा का सवाल (काका कालेलकर)	२५१
अहिंसक आत्मरक्षा की योजना (काका कालेलकर)	८२
अहिंसा का प्रथम अुदय (,,)	५११
अहिंसा की कुछ पहलियाँ (किशोरलाल घ. मशरूवाला)	२३८
अहिंसा के चार पहलू (काका कालेलकर)	५१०
अहिंसा प्रेमियों से अनुरोध (श्राकृष्णदास जाजू)	६१८
अहिंसा—सिद्धान्त या नीति (किशोरलाल घ. मशरूवाला)	१४७
अहिंसा-संघ (,,)	१९५

आ

आकाश-दर्शन (काका कालेलकर)	२४९, २८६, ३६३, ४०९, ५१६
आगामी महायुद्ध और हिन्दुस्तान (काका कालेलकर)	८१
आचार्य रामदेवजी का स्वर्गवास (काका कालेलकर)	३०६

आजादी की लड़ाई की विधायक तैयारी (विनोबा)	५२५
आत्मरक्षणार्थ हिंसा (काका कालेलकर)	५१०
आत्मरक्षा के लिये देहातों की शरण (काका कालेलकर)	८४
आधुनिक भारत को गांधीजी की देन (शंकर द. जावडेकर)	९८
आन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति का असर (दादा धर्माधिकारी)	५६७
आर्य-समाज की सफलता (काका कालेलकर)	८७
आलस का अलजाम (किशोरलाल घ. मशरूवाला)	५७५
'आश्रम का अुल्लू' कौन है ? (दादा धर्माधिकारी)	२६०
आश्रम के अुल्लू और सवाओ का वियोग ! (दादा धर्माधिकारी)	२०७

अी

अीश्वर किसकी तरफ हैं (का० का०)	६२१
अीशावस्योपनिषत् (विनोबा)	२, ४९, ९७, १६५, २१३, २६१, ३१३, ३६५, ४१३

अु

'अुन तीनों की टोली और हम पच्चीस अकेले !' (किशोरलाल घ. मशरूवाला)	१९६
--	-----

अौ

अौसत भूल (किशोरलाल घ. मशरूवाला)	४३
---------------------------------	----

क

कच्चे गांधीवादी वि० कट्टर गांधीवादी ! (किशोरलाल घ० मशरूवाला)	८५
कर्ण का रथचक्र (दादा धर्माधिकारी)	५६७
कपोत-दर्शन (दादा धर्माधिकारी)	२५८
कबूतर का गटरगूं ('कलबलराम')	२४३, ३०० ३५१, ३९१, ५०५

- क्या पोलैंड की नीति अहिंसक थी ?
(काका कालेलकर) ५५७
- क्या मधुमक्खी घूप खा सकती है ?
(कृषतीषचन्द्र दासगुप्त) २६९
- क्या मुसलमान हिन्दुस्तानी नहीं हैं ?
(काका कालेलकर) २५८
- क्या हम तैयार हैं ? (सतीशचन्द्र दासगुप्त) ४
- क्यूं (कुं) रेहाना तैयबजी) ५७१
- क्रान्ति के प्रतीक की स्वतंत्र प्रतिष्ठा
(दादा धर्माधिकारी) ३९५
- कविवर का दिव्य राष्ट्रधर्म (,,) ५६६
- कविवर रवीन्द्रनाथ और पं० जवाहरलाल
(किशोरलाल व० मशरूवाला) ३९
- कस्में देवाय हविषा विधेम ? (का० का०) ३५६
- कौंग्रेस के सदस्य क्या करें ? (कि. घ. म.) ६१६
- कौंग्रेस और गांधीजी (,,) १५७
- कौंग्रेस की दयनीय स्थिति (,,) ४१
- कातने की शर्तें क्यों ? (,,) ३३५
- कार्य-समिति और सुभाषबाबू
(बाबू राजेन्द्रप्रसाद) ७८
- काश हम अपने विशिष्ट ग्रह भूला सकते
(हणमंतराव कोजलगी) ५००
- काशी का हिन्दी साहित्य सम्मेलन (का० का०) १८७
- किस ओर ? किशोरलाल व० मशरूवाला १८४
- कोअे की नज़र से ('आश्रमवासी अल्लू') ९,
५९, १३१, १८०
- कीमी शगडे (काका कालेलकर) २९६
- ख
- खादी—अहिंसा का शरीर
(हरिभाजू अुपाध्याय) २८४
- खादी के अर्थशास्त्र की मौलिक समस्यायें
(गांधीजी का भाषण) ५९६
- ख
- गांधी जयन्ती (कि० घ० म०) ४२
- गांधीजी का भाषण ४१५, ४४२
- ,, अन्तिम भाषण ४६५
- गांधीजी की राय (श्रीकृष्णदास जाजू) ६१७
- गांधीजी की शर्तें (का० का०) ३५६
- गांधीजी की शिक्षा-योजना (दा० घ०) २२९
- गांधीजी के अनुयायी (हरिभाजू अुपाध्याय) ३८८
- गांधीजी से परिप्रश्न ४२६, ४९३
- गांधीवाद में जीवन-कला (सुरेशकुमार) ११९
- गांधी-सेवा संघ की नीति (कि० घ० म०) १६०
- ग्राम-पंचायत का प्रश्न (प्रभुदास गांधी) ३९४
- गुण्डे और सिद्धान्तवादी शस्त्रधारी
(का० का०) ६२०
- ग्राम-संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा (,,) ५९०
- ग्रामों के संपर्क में
(हेमप्रभा देवी दामगुप्त) ५३१
- गैर-हिन्दू और गोवध-वन्दी (दा० घ०) ५३३
- घ
- चरखा स्वादशी (गांधीजी) ७
- चरखा-प्रशस्ति (दिलखुश दीवानजी) १२७
- छ
- छोटे राष्ट्र और सशस्त्र युद्ध (का० का०) ६१८
- छोटे राष्ट्रों की युद्धनीति (का० का०) ५१३
- ज
- जयपुर-सत्याग्रह (हरिभाजू अुपाध्याय) ३१४
- जावन में हिंसा और अहिंसा का स्थान
(का० का०) ५११
- झ
- झंडा-गीत (सियारामशरण गुप्त) २६४
- थ
- थोथा स्वतंत्रता-प्रेम (का० का०) ४०५
- द
- दर्द क्या है ? (कि० घ० म०) ४१
- दिङ्मूढ़ता (का० का०) ५२७
- दीनबन्धू की अेक आख्यायिका (कुन्दर दिवाण) ५३९
- दीनबन्धु सं प्रथम परिचय (का० का०) ४७७
- दुहरी चाल (,,) ४०५
- देवनिष्ठा या दानव-निष्ठा (दा० घ०) ५६९
- देवों का काव्य (का० का०) २०७
- देशी राजा दूरदर्शी बनें (,,) ४०४
- दो अनोखे स्वावलम्बी बालक
(दत्तात्रेय दास्ताने) ५६०
- दो की लडाओ, तीसरे की भलाओ (दा० घ०) ५६८
- ध
- ध्वजवाद और मध्वजित्व (विनोबा) ४९२
- धीरज कैसे हो ?
(किशोरलाल व० मशरूवाला) ५१८
- न
- नम्रत्वेन्नो नमन्तः (का० का०) १५६

नवयुग-निर्माण में स्त्रियों का स्थान

(ताराबहन मोडक) ३९८

निर्वीय अवसरवादिता (दा० घ०) ५६७

निःशस्त्र युद्ध और सशस्त्र युद्ध
(का० का०) ३५७

नेताओं की जरूरत (का० का०) ६२०

नैतिक बल का संगठन (") ६२०

घ

पं० जवाहरलाल और बुद्धयोगवाद
(कि० घ० म०) १५९

प्रजा का डर क्यों? (का० का०) ४०६

प्रयोगसिद्ध विश्वास (दा० घ०) ५७०

प्रश्नोत्तरी (का० का०) ३६

प्रेम और मोह (हरिभाजू अुपाध्याय) ४७०

प्रौढ-शिक्षा या साक्षरता-प्रसार (का० का०) ८८

पुनश्च झंडा-गीत (") ४०९

पूर्णमेवावशिष्यते (दा० घ०) ४७३

पूना की अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्
(का० का०) ३०७

पोरुपहीन हिंसावृत्ति (दा० घ०) ५३७

फ

फरान्स की बहादूरी (का० का०) ६२१

फरान्स के पराभव का सबक (") ६२२

फिजूल माथापच्छी हुआ (कि० घ० म०) १९५

फिर 'ड' और 'ठ' (का० का०) २०५

ब

बड़े लाट की घोषणा (कि. घ. म.) २०५

बंगाल के कुछ मुसलमानों की सम्मति
(दा० घ०) ४०७

बंगाल के ग्रामों में कस्तिनों के बीच
(हेमप्रभा देवी दासगुप्त) १७०

बापा जयन्ती (कि० घ० म०) २०२

बाप्या जयन्ती (का० का०) २०१

ब्रिटिश साम्राज्य का बुढापा? (") १९९

बूढी संजम्मा—अेक हरिजन कस्तिन
(हृणमंतराध कौजलगी) २०९

भ

भद्र अवज्ञा (दादा धर्माधिकारी) २१७

भय और अहिंसा (कि० घ० म०) ८७

भारत के शस्त्रीकरण का स्वर्ण
(जयरामदास दीलतराम) २१५

भारत के कपडे की आवश्यकता (विनोबा) ५७४

भारत हमारा देख है (?) (का० का०) १५२

म

मधुमक्खियों का पासन (का० का०) ९०

मनुष्य की स्वभावगत अहिंसावृत्ति
(किशोरलाल घ. मशरूवाला) ३६६

मनुष्योचित अपराध-चिकित्सा (का० का०) १४९

महावीर का जीवन-संदेश (") २२२

माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न (") २०३

मालिकान्दा निर्णय पर सदस्यों का हृद्गत ५५९

मुर्दार सूत और जिन्वा सूत (विनोबा) ५७३

मुसलमान और राष्ट्रीय आन्दोलन
(जयरामदास दीलतराम) १६१

मेरी काशी-सम्मेलन-यात्रा (का० का०) १९९

मीका कब नहीं था? (दा० घ०) ५६८

य

युद्धोन्मुख यूरोप (का० का०) ८१

ये अजीब कषत्रिय हैं " २०५

र

राजबन्दियों की रिहाजी (का० का०) १४८

राजनैतिक कार्य की व्याख्या (विनोबा) १७३

राजसत्ता का आधार (दा० घ०) ४०२

राष्ट्रभाषा-आन्दोलन की भूमिका
(दादा धर्माधिकारी) १२४

राष्ट्रभाषा यो बनेगी (काका कालेलकर) ५१

राष्ट्रीय ग्रामशाला के अनुभव
(नरहरि द्वा० परीख) २६२

राष्ट्रीय सप्ताह की विशेषता (दा० घ०) ४७५

राष्ट्रीयता पर रामानन्द बाबू (") ४०६

रेडियो-प्रचार (का० का०) ९०

ल

लिपियाँ दो या तीन? (काका कालेलकर) ६१

लोकमान्य के चरणों में श्रद्धांजलि (विनोबा) २५

व

वकिंग कमेटी का प्रस्ताव (का० का०) ६१९

वर्तमान महायुद्ध पर दृष्टिपात (का० का०) ६२०

वर्धा-योजना का हार्द—अनुन्ध
(का० का०) ११०, १६६, २३५, २९०

वर्धा-शिक्षा के प्रयोग के भयस्थान
(दिलखुश ब० दीवानजी) २८०

वनस्थली का कन्या-विद्यालय (का० का०) २५६

व्यापक लोक-सेवा के मार्ग (नरहरिभाभी परीख) ५८०	सर्वोदय और साम्यवाद का अविरोध (का० का०) १५४
वाङ्मय परिचय ९४, २११, ४११	सरहद्द में क्या अुपाय करें? (,,) ५१२
विधान-पंचायत और अहिंसात्मक क्रान्ति (शं० द० जावडेकर) ३२३	स्वतंत्रता और नियमन (किशोरलाल घ० मशरूवाला) ५८९
विधायक और व्यावर्तक राष्ट्रीयता (दा० घ०) ४७४	स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा का अर्थ (विनोबा) ३३९
वीरों की अहिंसा का प्रयोग (गांधीजी का भाषण) ६०३	स्वाभाविक नेताओं का संगठन (का० का०) ६२०
श	स्वाभाविक हिंसा का निग्रह (का० का०) ५१२
शक्ति, प्रतिशक्ति और फलशक्ति (कि० घ० म०) ८६	सह-शिक्षण (काका कालेलकर) ३१८
शरीर-धारण और दण्ड के लिये हिंसा (का० का०) ५१०	सामाजिक अहिंसा की बुनियाद (किशोरलाल घ० मशरूवाला) २०१
शरीर-श्रम और सांस्कृतिक अुन्नति (दा० घ०) ५४५	साहित्य की दिशाभूल (विनोबा) ५८३
शांतिपरायणता (का० का०) १९७	साहित्य-सम्मेलन की विज्ञान परिषद् (का० का०) ४९०
श्रमजीविका (विनोबा) १३७	स्थिर बूद्धि की आवश्यकता (का० का०) ६१९
श्रीकृष्णदासजी जाजू का भाषण ४६९	सृष्टि की संहारलीला का सबक (का० का) ३८३
स	सेवा का आचार-त्रमं (विनोबा) ६५
सज्जन और दुर्जन का प्रकार-भेद (दा० घ०) ५६९	सेवाग्राम की खादी-यात्रा ५०२
सजीव और निर्जीव श्रद्धा (दा० घ०) ५६८	संघ का परिवर्तन (कि० घ० म०) ४५३
सत्य कैसे मिलेगा? (गांधीजी) १	संघ के भूतपूर्व सदस्य अपने दिल के भाव लिखें (का० का०) ४७५
सत्याग्रही छावणी का शिक्षाक्रम (डा० प्रफुल्लचंद्र घोष) ५९३	संघवृत्त ४७, ९२, १६३, २१०, ३११, ३६१, ४७१, ९०८, ५७२, ६२३
सत्याग्रही शिक्षण (आचार्य अमयदेवजी) ५४५, ५८५	संरक्षकता का सिद्धान्त (निर्मलकुमार बसु) १०
सब का फल मोठा होता है (का० का०) २५२	संस्कृति की पुत्रियों के लिये अेक लिपि (गांधीजी) ५०
सभ्यता की रक्षा या नाश? (कि० घ० म०) १४७	संस्था-परायणता बनाम प्रगति (दा० घ०) ४७३
'समवाय' और 'अनुबन्ध' (का० का०) २०४	संस्था या संघ (काका कालेलकर) ४५८
सरकार जिम्मेवार है (,,) ५१३	सं
सरकार, शराब और जनता (सो० बालगंगाधर तिलक) ४५	हत्याग्रह और सत्याग्रह (का० का०) २९३
सरदार पृथ्वीसिंह की योजना (का० का०) ४०७	हम क्या करें . (का० का०) ६२३
सरदार बल्लभभाभी का भाषण ४३७, ४८०	हमाग खास मजं (,,) १५७
सर्वोदय की यात्रा (काका कालेलकर) ३	हमारा तेज कदम (कि० घ० म०) २१
	हिटलर की शक्ति साधना (का० का०) ६२२
	हिन्दी-भवन (काका कालेलकर) २३२
	'हिन्दुस्थान हिन्दुस्थानियों का' (दा० घ०) ४७४
	हिंसा के कुछ समाजमान्य रूप (का० का०) ५१२

जीवन-साहित्य

सम्पादक

हरिमाधु उपाध्याय

द्वितीय संस्करण १९८० पृष्ठ : वार्षिक मूल्य २)

एक प्रति का तीन अंश

आधुनिक हिन्दी में जोरों से प्रकाशन-कार्य हो रहा है; पर वह हम लोग अनुभव करते हैं कि जो भी हो रहा है, वह अधिकांशमें वास्तविक जीवन से बहुत दूर है और उससे जीवन समझे के बजाय मूढ-सा होता देखा गया है। जीवन और साहित्य में सामंजस्य का यह जो अभाव है, उसे स्थापित करने के स्वार्थ से जिस छोटे-से मासिक को प्रकाशित करने का आयोजन मण्डल ने किया है। जो लोग 'मण्डल' साहित्य से परिचित और इसके प्रबंधक हैं, वे जिस प्रकार के पत्र के सिद्धे काफी अर्थ से सहाह देते जा रहे थे। अब इनका यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी १ अक्टूबर (सोमवार) तिथि की पुण्यतिथि से यह पत्र प्रकाशित हो जायगा। 'मण्डल' के स्थायी पाठकों को यह पत्र पाने मूल्य में मिलेगा। विचारपूर्वक और जीवनमय लेखों के अभाव में हिन्दी-साहित्य की वर्तमान प्रति-बिधि से यह पत्र अपने पाठकों को अप-टू-डेट (Up-to-date) रखने का पूर्ण मत्न करेगा। पाठक बनने के सिद्धे शीघ्र लिखें—

अध्यक्ष, 'जीवन-साहित्य'

C/o. सस्ता साहित्य मंडल, नजी दिल्ली

हालातों—दिल्ली, लखनऊ, मिर्जापुर

सूचना—

'संज्ञा' में आज और पर विविधता नहीं सिद्धे जायेंगे। अपवाद केवल राष्ट्रीय मन्त्र और केन्द्रीय कर्मचारियों के सिद्धे रहेगा। जिनके विविधता के नाम नहीं सिद्धे जायेंगे। केवल कानून, अर्थ और अर्थपूर्ण लेख विविधता में लाने जायेंगे। जो साहित्य का अर्थ निर्दिष्टकरण के अर्थोपयोगी है, सुदीर्घ स्वार्थ दिया जायगा। यह अपवाद केवल अर्थ-रहित और अर्थों के सिद्धे की दृष्टि से अर्थोपयोगी जायगी।

अध्यक्ष, 'संज्ञा', यहाँ :

जीवन-साहित्य

सम्पादक

हरिभाऊ उपाध्याय

रोबल अठ्ठवेजी आकारके ४८ पृष्ठ : वार्षिक मूल्य २)

एक प्रति का तीन आना

आजकल हिन्दी में जोरों से प्रकाशन-कार्य हो रहा है; पर यह सब लोग अनुभव करते हैं कि जो भी हो रहा है, वह अधिकांश में वास्तविक जीवन से बहुत दूर है और उससे जीवन बनने के बजाय नष्ट-सा होता देखा गया है। जीवन और साहित्य में सामंजस्य का यह जो अभाव है, उसे स्थापित करने के स्थान से बिस छोटे-से मासिक को प्रकाशित करने का आयोजन मण्डल ने किया है। जो लोग 'मण्डल' साहित्य से परिचित और उसके प्रशंसक हैं, वे जिस प्रकार के पत्र के लिखे काफी असें से सलाह देते आ रहे थे। अब अूनका यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी १ अगस्त (लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि) से यह पत्र प्रकाशित होजायगा। 'मण्डल' के स्थायी ग्राहकों को यह पत्र पाने मूल्य में मिलेगा। विचारपूर्ण और जीवनमय लेखों के अलावा हिन्दी-साहित्य की वर्तमान गति-विधि से यह पत्र अपने पाठकों को अद्यवत् (Up-to-date) रखने का पूर्ण यत्न करेगा। ग्राहक बनने के लिखे शीघ्र लिखें—

व्यवस्थापक, 'जीवन-साहित्य'

C/o. सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली

शास्त्राब्—दिल्ली, लखनभू, अिन्दौर

सूचना—

'सर्वोद्यम' में आम तौर पर अिस्तहार नहीं लिये जायेंगे। अपवाद केवल वाचनीय ग्रन्थ और देखसेवा करनेवाली संस्थाओं के लिखे रहेगा। अिनके अिस्तहारों के दाम नहीं लिखे जायेंगे। केवल कागज़, छापाई और बाकसर्ब ले कर अिस्तहार छापे जायेंगे। जो साहित्य या संस्था निर्विवादरूप से लोकोपयोगी है, अुसीको स्थान दिया जायगा। यह व्यवस्था केवल सलाह-सेवा और ग्राहकों के हित की दृष्टि से बलायी जायगी।

व्यवस्थापक, 'सर्वोद्यम', वर्या।

परीक्षा का अवसर

यदि भारत तलवार के सिद्धान्त का स्वीकार करेगा, तो गायद अमे कर्षणिक विजय प्राप्त हो जाय । उस दिन भारत मेरे हृदय के अभिमान का पात्र नहीं रहेगा । मैं भारत से इसलिये संबद्ध हूँ कि मैंने अपना सर्वस्व उससे पाया है । मेरा यह संपूर्ण विश्वास है कि संसार में अमे एक विशेष कार्य करना है । वह यूरोप का अन्ध अनुकरण नहीं करेगा । जब भारत तलवार के तत्त्व को अपनायेगा, वह मेरी परीक्षा का अवसर होगा । मुझे आशा है कि उस परीक्षा में मैं असफल नहीं रहूँगा । मेरा धर्म भौगोलिक मर्यादाओं में परे है । मेरी यदि अपने धर्म में जीवन श्रद्धा है, तो वह मेरी देशभक्ति में भी अंतर अर्सेगा । जिस अहिंसा को मैं हिन्दूधर्म का मूल मानता हूँ, उसके द्वारा भारत की सेवा के लिये मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है ।

'यगत्रिडिया' ११.८.२०

—गांधीजी